

GL H 320.54092
PAT V.2



121872
LBSNAA

.....

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

Academy of Administration

मसूरी

MUSSOORIE

पुस्तकालय

LIBRARY

अवाप्ति संख्या

Accession No.

- 121872 ९०

~~5606~~

वर्ग संख्या

GLH

Class No.

320.54092

पुस्तक संख्या

Book No.

षट्क

PAT

भाग 2

V2

SALE

ORIGINAL PRICE 51-.....

REDUCED PRICE 27.....

50

सरदार वल्लभभायी

दूसरा भाग

लेखक

नरहरि द्वा० परीख

अनुवादक

रामनारायण चौधरी



नवजीवन प्रकाशन संघिद

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद - १४

सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके अधीन

प्रथम आवृत्ति ३०००, १९५६

निवेदन

सरदार वल्लभभाजी शिंदेभाजी पटेलके जीवन-चरित्रका पहला भाग 'सरदार वल्लभभाजी - १' (गुजराती) के नामसे सन् १९५० में नवजीवन प्रकाशन मंदिरकी तरफसे प्रकाशित करते समय उसके साथ जोड़े हुए ता० १०-१०-५० के अपने निवेदनमें मैंने कहा था :

“अस पुस्तकमें अेक प्रकारसे कहें तो सरदारके साधना-कालका ही विवरण आया है। अस साधना द्वारा सरदारने जो जो शक्तियां अपनेमें विकसित कीं, उनका लाभ भारतवासियोंको कैसे मिला और देशकी स्वतंत्रताकी लड़ाीको सफल बनानेमें तथा उसके सफल होनेके बाद आजके कठिन समयमें देशकी बागडोर धीरज व दृढ़तासे संभालकर वे उन शक्तियोंका कैसा उपयोग कर रहे हैं, इसका वर्णन आगे प्रकाशित होनेवाले अस चरित्रके अुत्तर भागमें आयेगा। वह भाग पूरा कर देनेका भार श्री नरहरिभाजी परीखने अुठाना स्वीकार किया है, यह जानकर पाठक प्रसन्न होंगे।”

अब सरदारश्रीके चरित्रका यह दूसरा भाग 'सरदार वल्लभभाजी - २' के नामसे हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा है। परंतु अुक्त निवेदनमें कही गयी बातमें अेक फर्क करना पड़ा है। अस भागमें १९३० की सविनय कानून-भंगकी लड़ाीके आरंभसे १९४२ की 'भारत छोड़ो' की लड़ाीके आरंभ तकके बारह वर्षोंकी अवधिका चरित्र ही दिया जा सका है। इसका कारण यह है कि पहले भागमें दिये गये सरदारश्रीके चरित्रके बादसे अुनके अवसान तकका जीवनकाल कभी तरहसे अत्यंत समृद्ध है। और वह सारी समृद्धि अेक पुस्तकमें समा लेना संभव दिखायी नहीं दिया। असलिये पहले भागके साथ किये गये निवेदनमें 'अुत्तर भाग' के रूपमें जिसकी कल्पना की गयी थी अुसके दो भाग करने पड़े हैं। अस 'अुत्तर भाग' का अुत्तर भाग भविष्यमें देनेकी आशा है।

जिस सद्भाव और अुत्साहसे हिन्दी-भाषी पाठकोंने पहले भागका स्वागत किया है, अुसी भावनासे वे इसका भी स्वागत करेंगे, यह विश्वास रखकर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

ता० २५-११-५६

जीवणजी डा० देसाजी

अनुक्रमणिका

निवेदन	जीवणजी डा० देसाजी	३
१. रास गांवमें सरदारकी गिरफ्तारी		३
२. साबरमती जेलमें		१८
३. नमक-संग्राम		३४
४. गांधी-अविन समझौता — लड़ाई स्थगित		५०
५. कराची कांग्रेसके अध्यक्ष		५६
६. संधिका अमल		६५
७. बारडोलीकी जांच और संधि-भंग		८३
८. गांधीजी व सरदारकी गिरफ्तारी : सरकारका दमनचक्र		९८
९. यरवडा जेलमें गांधीजीके साथ		१०८
१०. गांधीजीसे अलग होनेके बाद यरवडा और नासिक जेलमें		१५९
११. वत्सल हृदय		१७९
१२. विद्यापीठ पुस्तकालय कांड		१९८
१३. बोरसद तालुकेमें प्लेग-निवारण		२०५
१४. १९३४ की बम्बई कांग्रेस और अउसके बाद		२१२
१५. जेलसे छूटनेके बादका डेढ़ वर्ष		२२९
१६. गुजरातका हरिजनकोष, लखनऊ कांग्रेस और प्रांतीय धारासभाओंके चुनावकी तैयारियां		२४८
१७. फंजपुर कांग्रेस		२५९
१८. पदग्रहणकी स्वीकृति		२६५
१९. नरीमान कांड — १		२७४
२०. नरीमान कांड — २		२९६
२१. हरिपुरा कांग्रेस — १		३२४
२२. हरिपुरा कांग्रेस — २		३३१
२३. पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्ष		३५१
२४. देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां — १		३८१
२५. देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां — २		३९६
२६. देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां — ३		४८०
२७. त्रिपुरी कांग्रेस		५०८
२८. कांग्रेस बनवासिनी बनती है		५२७
२९. मंत्रिमंडलके त्यागपत्रके बाद		५४८
३०. गांधीजी कांग्रेसके दायित्वसे मुक्त हुअे		५६३
३१. व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग, साम्प्रदायिक दंगे और सरदारकी बीमारी		५६८
३२. युद्ध भारतके द्वार पर		५९२
३३. क्रिप्सकी संधिवाता		६०४
३४. भारत छोड़कर चले जाओ		६१३
३५. नौ अगस्त		६३२
सूची		६४३

सरदार वल्लभभाजी

राज्य गांवमें सरदारकी गिरफ्तारी

अखबार कांप्रेसमें पूर्ण स्वराज्यका प्रस्ताव प्राप्त करनेके बाद कांप्रेसकी कार्यसमितिके तम किया कि रविवार ता १२-१-१९३० का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवसके रूपमें मनाया जम । देशके अनेक सेक्रेटरी और जजमें गांवोंमें सभाओं हुईं और पूर्ण स्वराज्यकी प्रतिज्ञाकी घोषणा की गयी । प्रतिज्ञाके अंतिम भागमें बताया गया था कि :

“हमारा स्पष्ट मत है कि जिस सरकारके हमारे देशकी अर्थी चतुर्विध (आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक) की नींव रखनी है, उस सरकारके अधीन अब अधिक विकसित होनेमें हम समर्थ और आश्चर्य दोनोंके अपराधी बनेंगे । साथ ही हम यह भी मानते हैं कि स्वातंत्र्यप्राप्तिको सबसे ज्यादा असरकारी मार्ग हिंसाका नहीं परंतु अहिंसाका है । अिसलिये जहां तक हो सकेगा हम ब्रिटिश सरकारके साथ स्वेच्छसे होकर लड़ाई बंद कर जिस राज्यसे छुटकारा पानेकी कोशिश करेंगे और अहिंसक कानून-भंग जिसमें कर न देनेकी लड़ाई शामिल है)के लिये अभी तैयारी-कार्रेंगे । हमें विश्वास है कि यदि हम इस राज्यको स्वेच्छसे कितनी मदद देते हैं वह बन्द कर दें और कितना ही अुकसान पर भी हिंसा किये बिना कर देना बन्द कर दें, तो हम अिस असमर्थिक राज्यका अन्त कर सकेंगे ।

हम और अन्तःकरणसे प्रतिज्ञा करते हैं कि पूर्ण स्वराज्यकी स्थापनाके लिये कांप्रेससमिति समय-समय पर सभाओं, अकाशिता-करिमी अुन पर अमल करेंगे ।”

पूर्ण स्वाधीनता दिवस सोरे देशमें जिसमें अुत्साहसे मनाया गया कि अुससे देशको अिस स्वातंत्र्यकी कल्पना हो गयी कि बाहसे दीखनेवाली निष्क्रियता और निराशाकी तहमें कितनी तीव्र अमनना और कुर्बानी करनेकी आवश्यकता है । अुलके पहले ही दिन अिससे अनेक बड़ी-कसिअाभामें भाषण दिया और अुसमें गोलमेज अतिरिक्तके अुद्देश्योंके अारेमें स्पष्टता की । अिससे तो आशाकी कोअी गुंजाअिश ही नहीं रही । अाज्जु मंत्री, अाज्जु मंत्री और दूसरे ।

ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने गोलमेज परिषद्के अद्देश्य लगभग अेक ही तरहकी भाषामें प्रगट किये थे :

“गोलमेज परिषद् बुलानेका हेतु अैसे अुपाय ढूँढ निकालना है, जिनसे हिन्दुस्तानके तमाम वर्ग, सारी जातियां, सारे दल और अलग अलग स्वार्थ रखनेवाले तमाम लोग अमुक प्रस्तावोंके बारेमें यथा-संभव अधिकसे अधिक मात्रामें अेक विचारके हो जायं और अउनकी अधिकसे अधिक मात्रामें सहमति प्राप्त हो। अैसे सर्वसम्मत् प्रस्ताव पार्लियामेन्टके सामने रखना ब्रिटिश मंत्रिमंडलका कर्तव्य होगा।”

वाजिसरायने अपने भाषणमें साफ साफ कहा कि :

“सम्राट् महोदयकी सरकार जो परिषद् बुलाना चाहती है, अुसका फर्ज, जैसी कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं, हिन्दुस्तानका शासन-विधान तैयार करनेके अैसे प्रस्ताव — जिन्हें पार्लियामेन्टको कोअी आपत्ति अुठाये बिना स्वीकार करना पड़े — बहुमतसे पेश करना नहीं हो सकता। . . . यह परिषद् तो लोकमतको स्पष्ट करने और अुसके बीच मेल बँठानेके ध्येयसे बुलाअी जा रही है, ताकि सम्राट् महोदयकी सरकारको कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिले। वैसे, पार्लियामेन्टके विचारके लिअे (हिन्दुस्तानके शासन-विधानके) प्रस्ताव तैयार करनेकी जिम्मेदारी तो सम्राट् महोदयकी सरकार पर ही है।”

वाजिसरायने अितनी स्पष्टता कर दी, अिसके लिअे गांधीजीने अुन्हें घन्यवाद दिया और घोषणा की कि हिन्दुस्तान जो पूर्ण स्वराज्य मांगता है, अुसकी बानगीके तौर पर नीचे लिखे ११ मुद्दोंके बारेमें लोगोंको अिसी वक्त संतोष दिलाया जाय तो कांग्रेस अैसी गोलमेज परिषद्में भाग लेगी, जिसमें अपने विचार और मांगें पेश करनेकी पूरी स्वतंत्रता हो, और वाजिसराय तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडलको सविनय कानून-भंगकी बात फिलहाल नहीं सुननी पड़ेगी :

१. संपूर्ण शराबबन्दी की जाय।
२. हुंडावनकी दर १ शिलिंग ६ पेंससे घटाकर १ शिलिंग ४ पेंस कर दी जाय।
३. जमीनके लगानमें ५० फी सदी कमी कर दी जाय और अिस विषयको धारासभाके अंकुशमें लाया जाय।
४. नमक-कर हटा दिया जाय।
५. शूलमें सैनिक खर्चमें ५० फी सदी कमी कर दी जाय।

६. अूचे दर्जेके अफसरके वेतन आधे या अुससे भी कम कर दिये जायं ।

७. विदेशी कपड़े पर रक्षणात्मक चुंगी लगा दी जाय ।

८. समुद्र तटका जहाजी व्यापार हिन्दुस्तानके लोगके हाथमें सुरक्षित रहे, असा कानून पास किया जाय ।

९. जिन राजनैतिक कैदियोंको हत्या करने या हत्या करनेके प्रयत्नके आरोपमें सजा हुअी हो, अुनके सिवाय तमाम राजनैतिक कैदियोंको छोड़ दिया जाय अथवा साधारण अदालतोंमें अुन पर मुकदमे चलाये जायं । दूसरे राजनैतिक मुकदमे वापस ले लिये जायं । जाब्ता फौजदारीकी दफा १४४ अ और सन् १८१८ का तीसरा रेग्युलेशन रद्द किया जाय और जिन भारतीयोंको देशनिकाला दिया गया हो अुन्हें देशमें वापस आनेकी अिजाजत दी जाय ।

१०. खुफिया पुलिस विभाग अुठा दिया जाय अथवा अुसे लोकतंत्रके अधीन कर दिया जाय ।

११. आत्मरक्षाके लिये हथियार काममें लेनेके परवाने लोकतंत्रके अंकुशके अधीन रह कर दिये जायं ।

गांधीजीको अपरोक्क ११ बातोंमें मोटे तौर पर स्वराज्यका सार आ गया मालूम होता था । परन्तु अिस मामलेमें कोअी संतोषजनक अुत्तर नहीं मिला । अिसलिये कांग्रेसको लगा कि लड़ाअी छोड़े सिवा कोअी चारा नहीं है ।

कांग्रेसकी कार्यसमितिये लड़ाअीकी सारी बागडोर गांधीजीको सौंप दी । गांधीजी अिस बातका विचार करने लगे कि तोड़नेके लिये कौनसा कानून चुना जाय । गांधीजी कअी बार कहते, 'यह लड़ाअी कब की जाय और किस ढंगसे की जाय, अिसके निर्णय पर पहुंचनेमें मैं अुतनी ही वेदना अनुभव कर रहा हूं जितनी किसी स्त्रीको प्रसूतिकी वेदना होती है ।' अुन्हें यह प्रश्न परेशान कर रहा था कि जिस तरह १९२२ में देशके अेक कोनेमें कुछ असहयोगी माने जानेवाले लोगोंने अुत्पात करके रक्तपात कर डाला और अिसलिये लड़ाअीको मुलतवी करना पड़ा, वसा ही फिर हो तो अहिंसक शस्त्रके प्रयोगकी गुंजाअिश ही नहीं रह जायगी । अिसलिये अिस बार गांधीजी अपने विचारोंमें अेक कदम आगे बढ़े । वे अिस निर्णय पर पहुंचे कि 'अितने वर्ष तक लोगोंको अहिंसाकी शिक्षा दी है और अब भी अिस बातकी हम पूरी चिन्ता रखेंगे कि हिंसा न हो, फिर भी जिन्होंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर न किये हों,

नाममात्रका ही होमा और दूसरे ही सुहावना दिखती देता होगा, उसे कुमक नास्त ही जानकी ही दीक होगी। धंसा हुआ तो हार अहिंसाकी नहीं होगी, परंतु यह साबित होगा कि हार अहिंसा-पालनका प्रयत्न करते करते अपने कार्यके लिये पर्याप्त अहिंसा तक न पहुंच सकनेवालोंकी हुयी। जिसमें से शुद्ध अहिंसा प्रकट होगी। जिस बिश्वास पर मैं अिस समय अहिंसक युद्धकी सारी रचना नम्र भावसे हृदयमें खड़ी कर रहा हूँ।”

अपने सनमें और साथ ही देशके आगे अितनी स्पष्टता करके गांधीजीने यह तम्र किया कि १२ मार्चको साबरमतीके सत्याग्रह आश्रमसे पैदल कूच करके सूत जिलेमें स्थित दांडी गांवके समुद्र-तट पर पहुंचा जाय और वहां कुवर्ती तीर पर बना हुआ नमक अुठाकर नमक-कानूनके भंगसे लड़ाई शुरू की जाय।

लड़ाईके बारेमें गांधीजीके विचार तो सरदारको मान्य थे ही। परंतु अुनके दिलमें एक दूसरी ही भावना काम कर रही थी। जब सन् १९२२ में गांधीजीको ६ बरसकी सजा दी गयी थी, तब अुन्हीकी सलाह और बाहर रहनेवाले नेताओंकी कोशिशसे देशमें शांति रही थी। जिसका अनर्थ करके लार्ड बर्कतहेडने पार्लियामेन्टमें यह कहा था कि, “गांधीजीको पकड़ लेने पर भी हिन्दुस्तानमें एक कुत्ता तक नहीं भौंका और हमारा कारवां आरामसे आगे बढ़ता रहा।” सरदारका यह खयाल था कि देशको लार्ड बर्कतहेडके अिन शब्दोंका अच्छी तरह जवाब देना चाहिये। गांधीजीके गिरफ्तार किये जाने पर सारा देश सत्याग्रहकी लड़ाईसे प्रज्वलित हो अुठे, तन्नाम जेल भर जाय और सरकारको जमीनके लगानकी एक कौड़ी भी न मिले, तो ही सरदारको संतोष हो सकता था। यद्यपि अिस बारेमें गांधीजीका यह खयाल था कि आर्थिक प्रश्न पर जमीनका लगान न देनेकी लड़ाई करना तुलनामें हलकी बात होगी, परंतु स्वराज्यके प्रश्न पर लगान न देनेकी लड़ाई करनेके लिये देश शायद तैयार न हो। अिसीलिये अुन्होंने कानून-भंगके लिये नमक-कानूनको चुना था।

सरदारने अपने लिये यह योजना सोची थी कि गांधीजीकी दांडी-यात्राके समय अुनके प्रवास-मार्गके आसपासके प्रदेशमें दौरा करके भाषणों द्वारा लोगोंको लड़ाईके लिये तैयार किया जाय। लाहौर कांग्रेससे लौटकर अुन्होंने तुरंत यह काम शुरू कर दिया था। अुन्होंने लोगोंको किस तरह प्रोत्साहित करना आरंभ किया था, अिसके नमूनेके तीर पर भड़ोच शहरमें दिये अुअे अुनके भाषणसे निम्नलिखित अुद्धरण यहां दिया जाता है:

“८-१० या १५ दिनमें कानूनका सविनय भंग होगा। जिस ढंगसे और जैसे व्यक्तियों द्वारा होगा, जो अहिंसा-परायण हों, जिनमें क्रोध न हो, अपीर्षा न हो और जिनकी सात्त्विकता और शुद्धताके बारेमें शंका न हो। शुरू करनेवाला और उसके साथी पकड़े जायेंगे। उन्हें पकड़ लें तो आप क्या करेंगे? अंग्लैण्डका अके राजनीतिज्ञ अभी अभी कह गया है कि गांधीजीको १९२२ में पकड़ा गया तब हिन्दुस्तानमें अके कुत्ता भी नहीं भौंका था। यह बात सच भी है और झूठ भी है। उस समय बारडोलीमें जो लड़ाई शुरू करनी थी उसे अन्होंने स्थगित किया और तलवार म्यानमें रख दी। अगर दो क्षत्रिय लड़ते हों और अके तलवारको म्यानमें रख ले तो दूसरा वार नहीं करता। परंतु ये क्षत्रिय नहीं थे, मायावी राक्षस थे। अन्होंने वार करके गांधीजीको पकड़ा। फिर भी गांधीजीने तमाम काम करनेवालोंको मनाहीका हुकम दे दिया कि मेरे पीछे कोई न आये; आप जेलें भरनेका आन्दोलन शुरू न करें। इसका अर्थ यह लगाया गया कि अके कुत्ता भी नहीं भौंका। जब तलवार म्यानमें नहीं रखी थी, तब तो अिनकी हड्डियां ढीली हो गयी थीं। खुद वाजिसरायने स्वीकार किया था कि ‘मुझे सूझता न था कि क्या किया जाय?’ बम्बईके गवर्नर कह चुके थे कि ‘स्वराज्य लगभग हाथमें आ गया था।’

*

*

*

“साबरमतीके किनारे बैठकर अितना दे देनेके बाद गांधीजीको आज नया क्या कहना हो सकता है? दुनिया तो आपसे हिसाब मांगेगी कि आपने क्या किया? अन्होंने तो काम कर दिया और आगे भी करेंगे। अुनके बादमें अुनके साथी पकड़े जायेंगे। तब आपकी परीक्षा होगी।

“मैं किसानों और दूसरे लोगोंसे पूछना हूं कि अीश्वरमें तुम्हारा विश्वास है? खुदाको मानते हो? जानते हो कि जो जन्म लेता है वह मरता है? मौतसे कोई नहीं बचता। नामदोंकी मौत मरनेके बजाय बहादुरों और अिज्जतदारोंकी मौत मरना मीखो। तोपोंके धड़ाके हों, विमानोंसे बमोंके भड़ाके हों, तड़ातड़ अिन्सान मरते हों, तो अितिहासके पन्नोंमें नाम तो आये। अैसा दिन हमारे यहां कब आयेगा? तब आयेगा जब कोई भी गुजराती सरकारका साथ न दे। . . . पकड़-पकड़ होने दो। फिर दुनिया देखेगी कि कुत्ता भौंकता है या क्या होता है?”

७ मार्चको सरदार बोरसद तालुकेके रास गांव गये थे। उनकी बात सुननेको हजारों आदमी गांवके बाहर बड़के नीचे अिकट्ठे हुअे थे। मजिस्ट्रेटने वहां जाकर सरदारको भाषण न देनेका नोटिस दिया और पूछा, “आपका क्या अिरादा है?” सरदारने कहा, “मुझे अस नोटिसका अुल्लंघन करना है।” वह बोला, “परिणामका विचार तो आपने कर ही लिया होगा।” सरदारने कहा, “कुछ भी हो, मैं असकी अवज्ञा करूंगा।” सरदारने भाषण शुरू भी नहीं किया था, परंतु अितनी बातचीत परसे ही अुन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहांसे अुन्हें बोरसद ले जाया गया। वहां मजिस्ट्रेटकी अदालतमें अुन पर मुकदमा चलानेका नाटक किया गया। अदालतमें से वकीलोंको बाहर निकाल दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट, नोटिस देनेवाला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तीनोंने मिलकर घोटाला किया। सरदारकी गैरमौजूदगीमें नोटिसकी तामील करनेवाले मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा अेक और स्थानीय पुलिस अफसरकी शहादत ली गयी। अुस वक्त सरदारको अदालतके कमरेके पीछेकी कोठरीमें— मजिस्ट्रेटके चेम्बरमें— बैठा दिया गया था। बादमें अुन्हें बाहर लाकर पूछा गया कि “अिस अभियोगके बारेमें आपको कुछ कहना है?” सरदारने जवाब दिया, “मुझे सफाअी नहीं देनी है। मैं अपराध स्वीकार करता हूं।” जिला मजिस्ट्रेटने फैसला दिया, “अभियुक्त चिल्ला-चिल्लाकर भाषण देने लगे, असलिये जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टने अुन्हें दफा ५४ के अनुसार अैसा न करनेको कहा। अुन्होंने नहीं माना और भाषण दिया; असलिये धारा ७१ के मातहत जुर्म हुआ। अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करते हैं। अुन्हें तीन महीनेकी सादी कैद और पांच सौ रुपये जुर्माना और जुर्माना न दें तो तीन सप्ताहकी और कैदकी सजा दी जाती है।” बोरसदसे अुन्हें मोटरमें सीधे अहमदाबाद लाया गया। रास्तेमें डॉ० कानूगाके यहां भोजनके लिये ठहरे। जिन नन्दूबहन कानूगाको सरदार अपनी सगी बहनके समान मानते थे अुन्होंने अुनको कुंकुमका तिलक लगाया और प्रेमसे बिदा किया। आश्रमके सामने भी मोटर ठहराअी और वहां सब भाअी-बहनों और बच्चोंसे मिलकर हंसी-दिल्लगी करके अुन्होंने बिदा ली। साबरमती जेलके दरवाजेके सामने सुपरिन्टेन्डेन्टने अुन्हें सिगरेट पेश की। सरदार अुसे लेनेको हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि हाथ खींच लिया और लेनेसे अिनकार कर दिया। सुपरिन्टेन्डेन्टने कहा, “आप बीड़ी तो पीते हैं?” सरदारने अुत्तर दिया: “परंतु आप जेलमें बीड़ी देने कहां आयेंगे?” अुसी क्षणसे सरदारने बीड़ी छोड़ी सो सदाके लिये छोड़ दी।

सरदारकी गिरफ्तारीके समाचारसे तास. गुजरात-अभावबूला-हो-उठा। अहमदाबादमें साबरमती नदीके किनारे-अेक-वह्नी-सभा-गांधीजीकी-अध्यक्षतामें-हुयी।-अुसमें-५०-से-७५-हजार-आदमी-होमे-।-अुसमें-निम्न-प्रस्ताव-पास-किया-गया :

“हम अहमदाबादके नागरिक अपना निश्चय घोषित करते हैं कि वल्लभभाभीको जहां ले जाया गया है वहां हम जानेको तैयार हैं। जब तक देशको स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम चैनसे नहीं बैठेंगे और सरकारको भी चैनसे बैठने नहीं देंगे। हम हृदयसे मानते हैं कि हिन्दुस्तानकी मुक्ति सत्य और अहिंसाके पालनसे ही होगी।”

सरदारके पकड़े जानेसे रास गांव पर बिजलीका-सा असर हुआ। पट्टेले, पटनारी और तमाम चौकीदारोंने अिस्तीफे दे दिये। अितना ही नहीं, रासमें रहनेवाले अेक कलालने, जिसने किसी और गांवमें शराबकी दुकानका ठेका ले रखा था, शराबका धंधा कभी न करनेकी प्रतिज्ञा ली। अेक सिक्ख भाभी जिस दिन सरदार गिरफ्तार हुअे अुसी दिन रेलवेकी नौकरी छोड़कर-राष्ट्रीय सैनिक बन गये। अकेले रास गांवसे ५०० भाभी-बहनोंने सैनिक बन कर सत्याग्रहकी लड़ाीमें शरीक होनेके लिये अपने नाम दिये।

तीसरे दिन महादेवभाभी सरदारसे जेलमें मिलने गये। अिसका वर्णन महादेवभाभीकी सुन्दर शैलीमें यहां दिया जाता है :

“वही खिलखिलाकर हंसता, वही कटाक्ष और वही खुश-मिजाजी थी! अैसा लगता ही नहीं था कि सरदारके जेलमें दर्शन कर रहे हैं। ‘गांधीजीको अेक बार जाने तो दो, फिर सब कुछ करके-दिसा देंगे,’ यों कह कर सबके कुतूहलको शांत करनेवाले सरदार गांधीजीसे पहले जेलमें चले जायेंगे, यह किसीने सोचा भी नहीं था। बोरसदमें तो वे लोगोंको यह समझाने ही गये थे कि गांधीजी आयें तब लोग क्या करें। अुन्हें जेलमें ले जाते समय कोअी १० मिनट अुनकी मोटर-आश्रमके सामने ठहरी थी। अुस-समय आचार्य कृपालानीने अुनसे कहा कि ‘आखिर यों वापूको धोखा देकर पहले ही चले जा रहे हैं न?’ तब खिलखिलाकर हंसते हुअे सरदार बोले, ‘धोखा तो सरकारने दिया। यह मालूम होता कि बोरसदमें मुझे पकड़ लेंगे तो वहां जाता ही क्यों?’

“जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट मुझसे आग्रह करने लगे कि आप सरदारसे अंग्रेजीमें ही बातें कीजिये। मैंने जवाब दिया, ‘मैं अपने

पिताजीसे अंग्रेजीमें बोलू तो बल्लभभाभीसे अंग्रेजीमें बोलू। हां, अगर आपका यही बाग्रह होगा तो मैं मिलना छोड़ दूंगा अगर अंग्रेजीमें नहीं बोलूंगा।

“वह घबराया। सरदार हंसते-हंसते कहने लगे, ‘ये आश्रम-वाले लोग अैसे ही होते हैं; जो जीमें आता है करते हैं। ये तो अंग्रेजीमें बोलते ही नहीं हैं।’

“सुपरिन्टेन्डेंट कड़वा घूट पी गया। अमने कहा, ‘खैर, तो अिम शर्त पर कि आप गुजरातीमें जो बोलें वह कहीं मेरी समझमें न आये तो मुझे अंग्रेजीमें समझा दें।’

“मैंने कहा, ‘यह बात ठीक है।’

“‘आपको किस तरह रखते हैं?’ यह पूछने पर सरदारने कहा, ‘जैसे चोर-डाकुओंको रखते हैं, वैसे मुझे भी रखते हैं। बड़ा आनन्द है। असा मजा जिन्दगीमें कभी नहीं आया था।’

“‘परंतु नये जेल-नियम आप पर लागू नहीं करते?’

“‘सुपरिन्टेन्डेंटको अिन नियमोंका पता नहीं और मुझे जेल मेनाअल देखने नहीं देते।’

“‘आपको किके साथ रखा है, कहां रखा है?’

“‘अपराध करनेकी आदतवाले युवकोंका जो वाई कहलाता है अुसमें। लेकिन वहां कोअी युवक नहीं है। पहले दिन तो हमारे जलालपुरवाले जो भाअी शराबकी दुकानों पर धरना देते हुअे नाल साल भरकी सजा लेकर आये हैं वे मेरे साथ थे। परंतु अुन्हें तुरंत हटा दिया गया।’

“सरदारने आगे बात चलाअी: ‘हमारी कोठरी शामको साडे पांच बजे बन्द हो जाती है और सुबह ७ बजे खुलती है। कल रविवार था, अिमलअे दोपहरको साडे तीन बजे बन्द कर दिया गया।’

“‘सोनेके लिअे क्या है?’

“‘अेक बढिया कम्बल जो दिया है अुस पर लेटते हैं। मुझे पहले दिन लगा कि नींद नहीं आयेगी, परन्तु दूसरे दिन तो गहरी नींद आअी। अैसी आअी जैसी बाहर कभी नहीं आअी थी। अिन गरमीके दिनोंमें बाहर सुलाये तो कैसा अच्छा हो।’

“‘खुराकका क्या हाल है?’

“खुराककी तो क्या पूछते हो? जेलमें कोअी मौज करने थोड़े ही आये हैं? दोपहरको कुछ मोटी रोटियां और दाल और शामको रोटी और साग देते हैं। घोड़ेके लायक तो होता ही है।’

“परंतु मनुष्यके योग्य होता है या नहीं?’

“क्यों नहीं? पाखाने जानेका ठिकाना नहीं था, लेकिन यहां अेक बार नियमित पाखाने जाता हूं। और क्या चाहिये? परंतु इसकी तुम चिन्ता क्यों करते हो? तीन महीने तो मैं हवा खाकर रह सकता हूं।’ यह कहकर खिलखिलाकर हंसते हुअे जेलका दरवाजा गरजा दिया।

“फिर सरदारने कहा, ‘सवेरे जुवारके आटेकी नमक डाली हुअी राव मिलती है। परन्तु वह नहीं लेता, क्योंकि पेचिश हो जानेका डर रहता है।’

“‘रोटियां दांतोसे चबाअी कैसे जाती हैं?’ इसके जवाबमें अुन्होंने कहा, ‘रोटियां तोड़कर पानीमें डाल देता हूं और अेक मोटी रोटी मजेने खा लेता हूं।’

“‘लालटैन मिलती है?’

“‘लालटैन नहीं मिलती। लालटैन मिल जाय तो रातको पढ़ूं भी। यहां तो शाम पड़ते ही अंधेरा हो जाता है।’

“‘कुछ पढ़नेको चाहिये?’

“‘गीता और तुलसीकृत रामायण दी है। आश्रमभजनावलि भेज देना। ये तीन चीजें तीन महीनेमें पढ़ लूंगा तो काफी है।’

“मंने कहा: ‘गीताजी तो अब बापूकी प्रकाशित होनेवाली है।* जिस दिन कूच शुरू करेंगे अुसी दिन यह गीताजी प्रकाशित होगी। और बापूने आपके लिये पहली ही प्रति रख छोड़ी है। वह भेज दूं?’

“मंने सुपरिन्टेन्डेन्टकी तरफ देखा तो वे बोले, ‘भले ही, धार्मिक साहित्यके लिये हमें कोअी आपत्ति नहीं है।’

“फिर जब मंने अुनसे कहा कि आपको दी गअी सजाके बारेमें अहमदाबादके वकील खूब मेहनतसे कानून तलाश कर रहे हैं, तो कहने लगे, ‘बेकार कानून किस लिये ढूढ़ रहे हैं?’

* ‘अनासक्तियोग’ (गुजराती)। इसमें गांधीजीने गीताके अनुवादके सिवा खास खास श्लोकों पर अपनी टिप्पणी भी लिखी है। नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद। मूल्य ०-१०-०, डाकखर्च ०-२-०।

“मैंने कहा, ‘वे तो हाजीकोर्टमें जाना चाहते हैं।’ तो बोले, ‘मुझे यहां आनन्द है और मैं सजा पूरी किये बिना नहीं निकलूंगा। हां, मजिस्ट्रेट मूर्ख था। अुमे कानूनका कुछ भी खयाल नहीं था। अुसने किसीको कचहरीमें नहीं आने दिया। कानूनकी धाराओं दूढ़नेमें अुसे डेढ़ पहर लगा और मुझे सजा देनेवाला आठ पंक्तियोंका फंसना लिखनेमें डेढ़ घंटा लगा।’

“फिर मैंने अुनकी जरूरतकी चीजोंकी सूची बनाना शुरू की। अिस पर सुपरिन्टेन्डेन्टने कहा, ‘अुस्तरेकी अिजाजत नहीं है। आपको हजामत बनवानेकी सुविधा दी जायगी।’ ‘यह तो मैं जानता हूं कि यहां कैसी हजामत होती है।’ कहते हुअे सरदार हंस दिये।

“अिसलिअे जेलरने, जिसे सुपरिन्टेन्डेन्टमे नियमोंका कुछ अधिक ज्ञान मालूम होता था, कहा, ‘साहब, अिस कैदीको तो अुस्तरा दिया जा सकता है।’

“सुपरिन्टेन्डेन्ट बोले, ‘तो ठीक। परंतु जब आपको चाहिये तब देंगे। वह रहेगा हमारे ही पास।’

“अिस पर सरदारने कहा, ‘आप मुझे अेक अुस्तरा दे दें तो कैसा अच्छा हो! दूमरे कैदियोंकी हजामत बनाअूं और चार पैसे पैदा कर लूं।’

“अिस बार तो चित्रवत् बैठे हुअे सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। परंतु अुन्हें तुरन्त ही फिर नियमोंका खयाल आ गया। क्षण भरके लिअे मनुष्य बननेवाले फिर यंत्र बन गये और बोले, ‘अिन्होंने साबुनकी मांग की है परन्तु सुगंधित साबुन न भेजिये। सुगंधित साबुनकी अिजाजत नहीं है।’

“हम रवाना हो रहे थे कि सरदार बोले, ‘तीन महीने तो मैं आराम करूंगा। बाहर निकलूंगा तब वातावरणमें अितनी गर्मी आ गयी होगी कि मैं ठीक मौके पर ही निकलूंगा। बड़ा अच्छा हुआ।’

“अन्तमें जैसे कोअी खास बात कहनेवाले हों अुस तरह बोले, ‘मेरे आनन्दका तो कोअी पार नहीं। परन्तु अेक बातका दुःख है।’

“यह वाक्य अंग्रेजीमें बोले। जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट चौंके। सुननेके लिअे अधीर हुअे। परन्तु सरदारने कहा, ‘वह कहने जैसी नहीं है।’ यह कहकर अुन्होंने अुलटा हमारा कुत्तहल बड़ा दिया।

“क्षण भर बाद बोले, ‘दुःखकी बात यह है कि यहां सभी हिन्दुस्तानी अफसर हैं। सिपाहियों और वार्डरोसे लगा कर सुपरिन्टे-

डिण्डेन्ट। तक सब हिन्दुस्तानी हैं। कोजी गोरा होता तो उसे बताता। उसके साथ लड़ता। परंतु अिन अपने ही लोगोंके साथ कैसे लड़ा जाय? हमारे-लोगोंको तंत्रने कैसा गुलाम बना डाला है, उसका यह समना है।

“चलते चलते अेक और संदेशा भी अुन्होंने अपनी व्यंगपूर्ण वाणीमें दे दिया। मैंने कहा, ‘आपको तीन महीनोंमें अेक ही मुलाकात मिलेगी और यह अेक तो हो चुकी। अब आप फिर नहीं मिल सकेंगे अिसका दुःख होता है।’

“अिस पर सरदारने कहा, ‘मुझे किसीको मिलनेकी जरूरत नहीं। अुलटे कोजी मिलने आयें तो मुझे याद आ जाता है कि अभी तक ये बाहर ही हैं।’

अुपरोक्त हाल महदेवभाजीने अखबारोंमें प्रकाशित किया कि फौरन सरदारके साथ बरताव बदलनेका हुकम सरकारने जारी कर दिया। घरसे पलंग, कपड़े, मच्छरदानी और खाना मंगवाना हो तो मंगवा सकेंगे, यह खबर अुन्हें दी गयी। सरदारने कह दिया, ‘मुझे घरसे खाना नहीं मंगवाना है। मिरफ दो तपेलियां और थाली-कटोरी मंगवा लूंगा, और सामान दे देंगे तो खाना बना लूंगा, ताकि साफ खानेको मिल जाय।’

अहमदाबादके वकीलोंका खयाल था कि सरदारने भले ही कह दिया हो “I plead guilty (मैं अपराध स्वीकार करता हूं),” परंतु अुन्होंने भाषण नहीं दिया था, केवल भाषण करनेका अपना अिरादा जाहिर किया था। जब तक अुन्होंने नोटिसका दरअसल भंग नहीं किया, तब तक अपराध नहीं बनता। परंतु अंसी वकीली दलीलबाजीमें पड़नेकी सरदारकी अिच्छा नहीं थी। फिर भी दादोसांहव मावलंकर कोनूनी सलाहकारके तीर पर सरदारसे मुलाकात करने गये, तब सरदारने नीचे लिखा बयान लिखवाया:

“मजिस्ट्रेटने मुझे पर नोटिस तामील किया और मुझे पूछा ‘अब आप क्या करना चाहते हैं? परिणाम तो आप जानते ही होंगे।’ मैंने कहा, ‘मुझे परिणामकी कोजी परवाह नहीं। मैं भाषण करना ही चाहता हूं।’ अिसलिये अुन्होंने डिण्टी सुपरिन्टेण्डेन्टसे मुझे गिरफ्तार करनेके लिए कहा और पूछा कि आप अमानत पर छूटना चाहते हैं? मैंने अिनकार कर दिया। फिर डिण्टी सुपरिन्टेण्डेन्टने मुझे मोटरमें बिठलाया। मजिस्ट्रेट और पुलिस बले भी साथ आया। हम लगभग अढ़ाजी बजे बोरसदके मजिस्ट्रेटकी कचहरीमें पहुँचे। कलेक्टर

डाक बंगले पर था। वहां डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट-अससे मिलने गया। साढ़े तीन बजे वे दोनों चापस आये। अिस बीच कुछ वकील और गांवके सज्जन मजिस्ट्रेटकी अदालतमें आ पहुंचे थे। जिला मजिस्ट्रेटने आकर अन्हें अदालतसे बाहर निकाल दिया और मुझसे बराबरवाले मजिस्ट्रेटके चेम्बरके कमरेमें बैठनेको कहा। मेरे अन्दर जाते ही बाहरसे दरवाजे बन्द कर दिये गये। मैं चेम्बरमें अकेला ही रहा। बाहर अदालतके कमरेमें भी तीस ही आदमी थे। जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट और वह मजिस्ट्रेट जिसने मुझ पर नोटिस तामील किया था। कोअी आघ घंटे बाद मुझे बाहर निकाला गया। मुझसे मजिस्ट्रेटने पूछा, 'जिला पुलिस कानूनकी फलां दफा (जो मुझे याद नहीं) के अनुसार पुलिस अफसरकी दी हुअी आज्ञा न माननेके लिये आपको सजा क्यों न दी जाय, अिसका कोअी कारण हो तो बताअिये।' मैंने जवाब दिया, 'मैं सफाअी नहीं देना चाहता और अपराध स्वीकार करता हूं।' फिर असने फंसला लिखा, और असमें से केवल सजा देनेवाला भाग मुझे पढ़कर सुनाया। मुझे असने कहा कि अिस धाराके अनुसार अधिकसे अधिक सजा तीन महीनेकी कैद और ५०० रुपये जुर्माना हो सकती है। अिसलिये मैं आपको ज्यादा सजा नहीं दे सकता। फिर मुझे मोटरमें बिठा दिया गया और वोरसदसे सीधे अहमदावादके जेलमें लाकर रख दिया।"

अिसके बाद श्री भावलकरने अुनसे कुछ प्रश्न पूछे :

प्र० — जिला मजिस्ट्रेट* के फंसलेमें बताया गया है कि जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट श्री बिलीमोरियाने जिला पुलिस कानूनकी दफा ५४ के अनुसार आपको भाषण (Harangue) न देनेका अनुरोध किया था। जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेंटने आपसे कुछ कहा था ?

अु० — अुन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी अुनसे कोअी बात ही नहीं हुअी।

प्र० — फंसलेमें आगे लिखा गया है कि आपने हुक्म माननेसे अिनकार कर दिया और भाषण दिया। आपने कोअी भाषण दिया था ?

* ये जिला मजिस्ट्रेट श्री मास्टर वे ही सज्जन थे, जो १९१७ में अहमदाबादमें म्युनिसिपल कमिश्नर थे। अुनकी पोल सरदारने खोली थी, अिसलिये अुनका वहासे तबादला हुआ था।

अ० — मजिस्ट्रेटके सवालके जवाबमें मैं जितना बोला उतना 'भाषण' दिया था। मैंने उससे कहा कि मैं भाषण करना चाहता हूँ। मैंने अपना यह अिरादा जाहिर किया, अिसलिये मुझे पकड़ लिया गया।

प्र० — जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट अपनी शिकायतकी पुष्टिमें कहता है कि उसने आपको चेतावनी दी उसके बाद आपने भाषण देनेका प्रयत्न किया। यह बात सच है ?

अ० — उसने मुझे कोअी चेतावनी नहीं दी। वह तो मजिस्ट्रेटके पास खड़ा था और मजिस्ट्रेटके साथ मेरी जो बात हुई सो अूपर बता चुका हूँ। अिसके सिवा अुन लोगोंसे मेरी कोअी बातचीत नहीं हुई। मैंने भाषण देनेकी कोअी कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ अपना अिरादा जाहिर किया था। हाँ, मुझे गिरफ्तार न किया जाता, तो मैं जरूर भाषण देता।

प्र० — मुकदमेके कागजोंकी जो प्रमाणित नकलें हमें मिली हैं, अुनसे मालूम होता है कि जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टका अिस्तगासेके गवाहके तौर पर बयान लिया गया था। अुसका बयान आपकी मौजूदगीमें और आप सुन सकें, अिस ढंगसे लिया गया था ?

अ० — मेरी अुपस्थितिमें कोअी गवाही नहीं ली गयी और मैं अदालतमें पांच मिनट रहा, अुस त्रीच किसी गवाहमे जिरह नहीं की गयी।

प्र० — आपके विरुद्ध कोअी शिकायत आपको पढ़कर सुनायी गयी ?

अ० — नहीं।

प्र० — आपको यह तो पूछा गया था कि आपको किसी गवाहसे कोअी सवाल पूछने हैं ?

अ० — नहीं। किसी गवाहके बयान ही नहीं लिये गये थे।

सरदारको अिस प्रकार बाकायदा मुकदमा चलाये बिना सजा दी गयी, अिससे बाहर काफी खलबली मची। दिल्लीकी बड़ी धारासभामें मालवीयजीने सरदारकी गिरफ्तारी और सजाके मुद्दे पर सभाकी कार्रवाजी स्थगित करनेका प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव ३० विरुद्ध ५५ मतोंसे रद्द हो गया, परंतु अिस प्रस्ताव पर कुछ गैरसरकारी सदस्योंने जो भाषण दिये, अुनमें जनाब जिन्ना साहबका भाषण अुल्लेखनीय है। अुन्होंने कहा :

“माननीय गृहमंत्रीके कथनानुसार सरदार बल्लभभाजी पटेलने अपनी गिरफ्तारीसे पहले बहुतसे भाषण दिये थे। मैं पूछता हूँ कि

क्या वे भाषण कानूनके विरुद्ध थे? सवाल तो यह है कि अन्होंने कानूनकी मर्यादाओंका अल्लंघन किया था या नहीं? अिस बारेमें मेरे पास कोअी जानकारी नहीं है। परंतु यदि अन्होंने पहले अंसे भाषण दिये थे जिनमें कानूनकी मर्यादाओंका अल्लंघन करनेकी बात कही जाती है, यदि वैसा या वैसे ही भाषण वे यहां भी करनेवाले थे और यदि वे पहले कानूनका अल्लंघन करके जुर्म कर ही चुके थे, तो अिसका अुचित अुपाय तो यह था — और जिलेके अधिकारियोंको यही अुपाय करना चाहिये था — कि सरदार वल्लभभाअी पटेल पर अपराध करनेके लिये बहुत पहले मुकदमा चलाया जाता। परंतु वाणी-स्वातंत्र्यके सिद्धान्तके मूलमें प्रहार करनेवाला अंसा हुक्म अुन पर तामील नहीं करना चाहिये था। भारत सरकार अंसा करके जो परंपरा डालना चाहती है, वह बड़ी भयंकर है। अुसमें भारी खतरे हैं। अिसलिये मैं अिस धारासभासे प्रार्थना करता हूं कि वह समझ ले कि सरदार वल्लभभाअी पटेलके मुकदमेका मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी अिधर अुधरकी बातों पर जो कुछ कहा गया है और तरह तरहकी दलीलें दी गयी हैं, अुनसे धारासभाका दूसरी दिशामें वह जाना ठीक नहीं है। हमारे सामने जो असली मुद्दा है अुसी पर विचार करना चाहिये।

“अलवृत्ता, विचार-स्वातंत्र्यका दुरुपयोग हो सकता है। कअी बार अुसका दुरुपयोग हुआ भी है। परंतु अुससे भी ज्यादा खतरनाक तो यह है कि सरकार विचारोंको दबा देनेका अधिकार धारण कर ले। मानव-जातिके लंबे अितिहासमें सरकारोंने अिस प्रकारकी सत्ताका अधिक दुरुपयोग किया है। हमारे सामने ठंडे दिमागसे विचार करने लायक सीधा मुद्दा यह है: क्या अुपाय करनेसे राज्यतंत्रको व्यवस्थित और बुद्धिमान बनाया जा सकता है — अिस प्रकारकी रुकावटोंसे या आजादी देनेसे?”

साबरमती जेलमें

सरदार अपनी डायरी लिखें यह कल्पना करना बहुत कठिन है। सारी जिन्दगीमें शायद ही कभी अन्होंने डायरी लिखी होगी। परन्तु साबरमती जेलमें अकेले थे, असलिये अन्हें यह विचार सूझा था। ता० ७-३-३० से २२-४-३० तककी डायरी अन्होंने अपने हाथसे लिखी है। अुसमें साबरमती जेलमें हुआ कुछ महत्वकी घटनाओंका वर्णन भी आ जाता है। साथ ही सरदारके भक्तिपूर्ण हृदयकी, गुजरातके प्रति अुनकी अगाध ममताकी और बापूजीके प्रति अुनकी प्रीतिकी हमें अुसमें झांकी मिलती है। असलिये अस प्रकरणमें वह पूरी डायरी दी गयी है।

ता० ७-३-३०, शुक्रवार : बोरसदसे मोटरमें बैठकर जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री बिलीमोरिया रातके ८ बजे सेन्ट्रल जेल साबरमतीमें छोड़ गये। पकड़ते और अलग होते समय खूब रोये। रास्तेमें बहुत भलमनसाहतसे पेश आये। रातको जेलके कोरन्टाइन वार्डमें मुझे रखा। वहां तीन कंबल दिये गये, जिन्हें बिछाकर सो रहा।

ता० ८-३-३०, शनिवार : सवेरे अुठने पर आसपास सब जगह कैदी दिखे। पाखाने जानेके लिये दो दोकी कतारमें बैठे थे। अेक ही पाखाना था। अेकमें जाना और दूसरेमें आबदस्त लेना। यह नया ही अनुभव था। असलिये मैंने तो जानेका विचार ही छोड़ दिया। पेशाबके लिये सामने ही खुलेमें कूड़ा रखा हुआ था। अुसमें जिन्हें करना हो वे सभी खड़े खड़े पेशाब करते। आसपास कैदी, वार्डर और पुलिसवाले घूमते ही थे, असलिये यह क्रिया करनेकी भी हिम्मत न हुआ। नीमके सुन्दर पेड़से वार्डरने दातुन काट दी, असलिये दातुन की। कुछ पहचानवाले कैदी निकल आये। जलालपुरके तीनों नये आये अुठे वहीं थे। पुराने घाघ तो तुरन्त ही कहने लगे कि आपको यहां हरगिज नहीं रखेंगे। अुनकी यह बात सच निकली। नौ बजे वार्डरने मेरे लिये पाखानेकी खास सुविधा कर दी। अेक ही पाखानेमें द्रो कुंडियां रखवा दीं। और सब लोग अस कामसे निबट चुके थे, असलिये अपने रामको पूरा आधा घंटा मिल गया। अितनेमें जेलर व सुपरिन्टेन्डेन्ट आये। अुन्होंने पूछा कि किसी चीजकी

जरूरत है। उनसे कह दिया कि आपकी मेहरबानीसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिये। हकसे क्या मिलता है, सो पता चले तो विचार करूं। असलमें तमाम कैदियोंको जो मिलता था वही मुझे मिल सकता था। यह जान लिया कि कोअी विशेष सुविधा देनेकी नियमोंमें छूट नहीं है। फिर यह पूछने पर कि युरोपियन और हिन्दुस्तानी कैदियोंमें कोअी भेद रखा जाता है या नहीं, कहा गया कि कोअी भेद नहीं रखा जाता। परन्तु अंग्रेजी ढंगसे रहनेकी आदतवाले हिन्दुस्तानियोंके लिये भी अंग्रेजों जैसी सुविधाओं तो नहीं दी जाती होगी, यह पूछने पर कोअी ठीक जवाब नहीं मिला। मैंने जेल मेन्युअल और नियमोंकी मांग की। जवाब मिला कि नियमानुसार वह नहीं दी जा सकती। मैंने कहा तब तो मुझे लड़नेका विचार करना पड़ेगा। पुस्तकोंमें मुझे भगवद्गीता और तुलसीकृत रामायण दी गयी। असलिये यह कहा जा सकता है कि सभी सुविधाओं मिल गयीं। फिर १० बजे डॉक्टरके पास ले गये। छोटे छोटे दो लड़के डॉक्टर थे। अंसे दुबले-पतले कि अन्हें कैदी अुठाकर ही भाग जायं। वे १४०० कैदियोंकी दवादारू करते थे। वजन १४६ पाँड निकला। अंचाअी ५ फुट साढ़े पांच अिच। असके बाद छुट्टी दे दी गयी। लौटने पर मुझे दूसरी बंरेकमें ले गये। बाहर तो 'जुवेनाअिल हैबीच्युअल' नंबर १२ नाम लिखा था। परंतु अंदर पांच बुड्डे कैदी थे और १ अघेड़ अुम्रका भंगी था। ५ में से अेक बोदालका चमार, दूसरा कटोसनका बारैया, तीसरा डाकोरसे पकड़कर लाया हुआ अुत्तर भारतका आवारा साधु, चौथा अुत्तर भारतका बंबअीसे पकड़ा हुआ भैया और पांचवां था अुत्तर भारतका बुड्डा मुसलमान। अुनमें मुझे रख दिया गया। बोदालके बुड्डे चमारको ३२३ में सजा हुअी थी और अुसके लड़केको हत्याके आरोपमें १० वर्षकी सजा हुअी थी। कटोसनवालेको वीरमगांव तालुकेमें चोरीके अपराधमें सजा हुअी थी। और तीसरा खूनके अपराधमें, चौथा अच्छे चाल-चलनकी जमानतमें और पांचवां तो लूट, खसोट, हत्या वगैरा ५६ अपराधोंके लिये जो १५० की अेक टोली पकड़ी गयी थी अुसमें १० वर्षके लिये आया था। अुसने ५ वर्ष तो पूरे कर लिये थे। अिन कैदियों पर २ मुसलमान वार्डर थे जो हत्याके अपराधमें सजा पाकर आये हुअे थे। अेक अहमदाबादमें तेलिया मिलके पास पुलिसको छुरा मारनेके कारण ५ वर्षकी सजा पाकर दूसरी बार जेलमें आया था। बचपनसे ही जेलमें

घर बनाकर रहा था। और दूसरा भी ५ वर्षसे रह रहा था। अिन सब पर लालखां नामक अेक मुसलमान सिपाही रखा गया था। यहां लाकर मुझे रखा गया। कैदी बेचारे मेरी सार-संभाल करनेका प्रयत्न करते। वार्डोंके लिअे कैदियोंसे खानेपीनेमें कुछ फर्क किया जाता है। अुनको गेहूंकी रोटियां मिलती हैं और कैदियोंको जुवारकी। असलिअे मेरी जुवारकी रोटियां देखकर वे परेशानीमें पड़े। सवेरे जुवारके आटेकी नमक डाली हुआी राब दी जाती थी। अुसे तो मैंने लेनेसे अिनकार ही कर दिया। दोपहरको अर्थात् सुबह १० बजे और शामको ४ बजे, असि तरह दो बार अेक अेक रोटी और भाजी या दाल खाने लगा। कैदियोंके साथ ही काम चलाया। सबको दो दो रोटि तुली हुआी और बारी बारीसे दाल या शाक नापसे मिलता है। अपने रामने अेक ही रोटि लेनेका नियम रखा। बाहर चार-पांच बार पाखाने जाना पड़ता था। चाय, सिगरेट वगैराका लालच बताने और खुशामद करने पर भी पेटका कुछ ठिकाना नहीं लगता था। लेकिन यहां खुशामद करना ही छोड़ दिया और यह तय किया कि रोज अेक ही बार जायेंगे। असलिअे अन्तमें तीसरे दिन ठिकाना लगा। तीन दिन तो पड़े ही रहे। रात दिन घूमने-फिरनेका ही काम रखा। बैरकमें घूमनेकी सुन्दर जगह थी। तीन नीमके पेड़ और आश्रम जैसी स्वच्छता। पाखाना साफ। मेरे लिअे कैदी अलग ही रखते। पानीका नल होनेसे नहानेकी अच्छी सुविधा थी। परंतु वह खुलेमें था। अपील करनेका पूछने पर अिनकार कर दिया। मुझे जुवारकी रोटि खाते देखकर अेक वार्डर रुआंसा हो गया। अपनी गेहूंकी रोटि मेरे साथ बदलनेका बहुत आग्रह किया। मैंने नियमके विरुद्ध कुछ भी करनेसे अिनकार कर दिया। अुस भले वार्डरको मैंने धन्यवाद दिया।

ता० ९-३-३०, रविवार: सारा दिन सोनेमें ही बिताया। रविवारको तीन बजेसे कोठरीमें बंद कर दिये गये। और दिनों तो पांच साढ़े पांच बजे बन्द करते हैं। सुबह साढ़े छः बजे बाहर निकालते हैं। रविवारको कपड़े धोनेके लिअे गरम पानी और खार दिया जाता है। कैदियोंने अुसमें से मेरे नहानेको गरम पानी निकाल दिया। असलिअे दो दिनमें नहाया। दस बजे बाद रोटि खाकर सो गये। दोपहरको तीन बजे दो रोटियां, थोड़ा तेल और गुड़ देकर कोठरीमें बन्द कर दिया। मैंने तो तेल लेनेसे अिनकार ही कर दिया। अेक तो खांसी लेकर आया था, दूसरे कच्चा तेल खानेकी अरुचि।

शामको रोटी और गुड़ पानीमें भिगोकर खा लिया। दोनों तरफके दांत गिर जानेसे पानीमें भिगोये बिना खायी नहीं जा सकती थी।

ता० १०-३-३०, सोमवार : दोपहरको महादेव और कृपालानी मिलने आये, दफ्तरमें मुलाकात हुई। साहब सिन्धके हैं। गुजराती आती नहीं और हमें अंग्रेजी बोलना नहीं था। असलिअे जरा चखचख हुआ। अन्तमें चलने दिया। खेड़ाके कलेक्टरने फंसलेकी नकल नहीं दी, असलिअे मैंने मांग करना स्वीकार किया। पूछने पर खबर दी कि साधारण कैदीकी तरह रखा जाता है। मेरी तो स्वर्गके निवासकी-सी स्थिति थी, क्योंकि सिरसे बोझा और चिन्ता ही चली गयी थी। और आरामका पार ही नहीं। खाने-पीनेकी कोभी खास आदत नहीं रखी थी। असलिअे कठिनायी नहीं थी। जमीन पर कम्बल बिछाकर सोना अेक दिन कठिन लगा। बादमें कुछ मुश्किल महसूस नहीं हुआ। गरमीके कारण बाहर सोनेकी और रातको लालटैनकी मांग करने पर अस्वीकार कर दी गयी। लिखकर देनेको कहा तो मैंने अिनकार कर दिया। किसी तरहकी मेहरबानी नहीं चाहिये, असलिअे लिखनेकी बात छोड़ दी। महादेवने मुकदमेके सारे हालात जान लिये। अुन्हें पूरा पता नहीं लगा था। जेलके चरखे पर सूत बटनेका काम शुरू किया।

ता० ११-३-३०, मंगलवार : सरकारका कोअी हुक्म आया कि मुझे विशेष कैदीके तौर पर रखा जाय और सुविधाअें दी जायं। मुझे बताया गया। मैंने कह दिया कि मुझे कोअी सुविधा नहीं चाहिये। यहां हर बातका सुख है। सिर्फ अेक ही दुःख है। वह कहनेकी जरूरत नहीं। सुपरिन्टेन्डेन्टके आग्रहसे कहा कि जैसे हिन्दुस्तानका राज्य हमारे ही लोगोंसे चल रहा है, अुसी तरह सारे जेलमें कोअी अंग्रे नहीं है, असलिअे किससे लड़ा जाय ?

तीनेक बजे कलेक्टर और डी० अेस० पी० मिलने आये। अुन्होंने कहा कि आपको जो सुविधा चाहिये बताअिये। मैंने अुत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिये। और खेड़ाके कलेक्टरके अनुचित व्यवहारकी बात कही। जेलरका अत्यंत आग्रह देखकर घरसे बिस्तर, थाली-कटोरी और लोटा मंगवाया। अंबालाल सेठकी भेजी हुई छः पुस्तकें मिलीं। लालटैनकी मंजूरी मिल गयी, असलिअे रातको ग्यारह बजे तक रामायण पढ़ी। आजसे दूध, चाय, दही और डबल रोटीकी सुविधा हो गयी, असलिअे वह भला वार्डर खूब खुश हुआ।

ता० १२-३-३०, बुधवार: सुबह चार बजे अठकर प्रार्थना की। गीता पढ़ी। आज छः साढ़े छः बजे बापूके आश्रमसे रवाना होनेकी बात याद करके खास तौर पर अश्वर-स्मरण किया और अनुकी सफलताके लिये प्रभुकी सहायता मांगी। सबेरे ९ बजे श्री जोशी मजिस्ट्रेट आये। रास्तेमें लोगोंकी भारी भीड़ जमी हुई थी, जिसलिये अन्हें देर हो गयी। फिर अन्होंने बार-असोसियेशन द्वारा प्रस्ताव पास किये जाने और वह प्रस्ताव मि० डेविस* के मारफत हाजीकोर्टमें भेज देनेकी मांग करनेकी बात कही। शामको सुपरिन्टेन्डेन्ट आये। अनुसे मि० डेविसको मेरी ओरसे विशेष सन्देश भेजनेकी प्रार्थना की और कहलवाया कि असा प्रस्ताव भेजनेकी कोअी आवश्यकता नहीं। मैं चाहता हूं कि वे न भेजें। वे खास तौर पर जाकर मि० डेविससे कह आये।

आजसे सुबहके वक्त अक डबल रोटी और दो अंस मक्खन मंगवाना शुरू किया है।

ता० १३-३-३०, गुरुवार: चार बजे अठे। प्रार्थना और रामायण। मि० डेविस मिलने आये। घरसे पलंग बिस्तर आये। बाहर सोनेकी अजाजत मिली। लालटेन बाहर रखकर पढ़ा। अंबालालभाअीके यहांसे आराम कुरसी आअी। फंसलेकी नकल मिली। आज फिर जेलर बोला कि सरकारका हुक्म आपको 'अ' वर्गके कैदीकी तरह रखनेका आया है। असलिये आपको जो सुविधा चाहिये वह मांग लें।

ता० १४-३-३०, शुक्रवार: चार बजे अठकर प्रार्थना वगैरा। मावलंकरको बुलानेके लिये पत्र लिखा। चरखा, पूनियां और लिखनेका सामान आया।

आज होलीका त्यौहार होनेके कारण कैदियोंको अढ़ाअी बजे कोठरीमें बन्द कर दिया गया और सिपाहियोंको छुट्टी दे दी गयी। खानेकी रोटियां दो बजे दी गयीं। वे कोठरीमें ही खानी थीं।

ता० १५-३-३०, शनिवार: आज सुबह अढ़ाअी बजे अठे। 'Emma Hamilton' चार बजे तक पढ़कर पूरी की। फिर प्रार्थना की और रामायण पढ़ी। पांच बजे O'connor की 'Memoirs of an old Parliamentarian', Vol. I पढ़नी शुरू की। सात बजे बाद अक घंटे घूमे और बादमें नहा-धोकर निवृत्ते।

* अहमदाबादके जिला जज। वे विलायतमें सरदारके सहपाठी और मित्र थे। अुस वक्तकी मित्रता हिन्दुस्तानमें भी कायम रही थी।

मावलंकर दादा और महादेवसे मिलने दफ्तरमें ले गये। बारडोलीसे हिसाब आडिट होकर आया था। उस पर दस्तखत कर दिये। फिर दादाको फँसलेकी नकल दी। कानूनी चर्चा की। मुकदमेके तमाम कागजोंकी नकल मांगनेके लिये खेड़ाके कलेक्टरको दरखास्त दी। आकर भोजन किया। फिर चरखा चलाया। आज धुलेटी होनेके कारण दो बजेसे जेलके नौकरोंको छुट्टी देनी थी, अिसलिये कैदियोंको दो बजेसे कोठरीमें बन्द कर दिया गया। आज शामको पांच बजे दोनों वार्डोंको बुला लिया और उनके बजाय सिपाहियोंका पहरा लगा दिया। शामको केवल दूध लिया। रातको दस बजे सोये।

ता० १७-३-३०, सोमवार: सवेरे चार बजे अुठे। प्रार्थना, वाचन, कसरत। छ: बजे दानुन, कुल्ला, नाश्ता। बादमें चरखा। ग्यारह बजे भोजन किया। डॉक्टर कानूगा, नंदूबहन और आनंदी आये। जेल सुपरिन्टेन्डेन्टके दफ्तरमें उनमे मुलाकात हुअी। बादमें आध घंटे सोये। फिर चरखा चलाया। शामको अेक घंटे पढ़नेके बाद भोजन। रातको दस बजे सोते समय जुलाब लिया।

ता० १८-३-३०, मंगलवार: चार बजे अुठे। प्रार्थना, वाचन, कसरत। छ: बजे दानुन-पानी। फिर चरखा। दस बजे भोजन ग्यारह बजेसे दो घंटे चरखा। फिर पढ़ा। चार बजे फिर भोजन शामको अेक घंटे घूमे। बादमें प्रार्थना, पढ़ाअी। नौ बजे सो गये

ता० १९-३-३०, बुधवार: पांच बजे अुठे। प्रार्थना। नित्यक्रम खेड़ासे जो नकलें आअीं, अुन्हें मावलंकरको पत्र सहित भिजवाया अन्य बातें सदाके अनुसार। आज असु चमारको दूसरे वार्डमें ले गये

ता० २०-३-३०, गुरुवार: चार बजे अुठे। प्रार्थना, वाचन, कसरत नित्यके अनुसार। फिर काता। बारह बजे मावलंकर, महादेव, दीवान मास्टर और मणिबहन आये। कलेक्टरको फिर पत्र लिखा। पूनियां खतम हो गअीं सो मंगवाअीं। असु बाबाको यहांसे अस्पताल ले गये, अिसलिये मेरे सिवा तीन कैदी रह गये। परंतु शामको पांच बजे अेक कैदीको और यहां लाये, जिसे ३०४ में अेक वर्षकी सजा हुअी है।

विद्यापीठसे 'विश्वभारती' मासिक आया था। वह सुपरिन्टेन्डेन्टके पास था; अुन्होंने भेजा। 'प्रस्थान' तथा 'मॉडर्न रिव्यू' अभी तक अुन्होंने पास है। वह दे नहीं रहे हैं।

ता० २१-३-३०, शुक्रवार : चार बजे अुठे। प्रार्थना, कसरत, वाचन। दातुन-कुल्ला, नाश्तेमें अेक घंटा। फिर दस बजे तक चरखा। साढ़े दस बजे भोजन। अुसमें अेक घंटा। फिर दुबारा दो बजे तक चरखा। फिर अेक घंटा पढ़ाअी बादमें आराम। भोजनके बाद पढ़ाअी। प्रार्थना। फिर अेक घंटे घूमे। दस बजे तक पढ़ा। कल कमेटी आनेवाली थी। असलिये सब कैदियोंकी हजामत बनवाअी गअी।

ता० २२-३-३०, शनिवार : पांच बजे अुठे। प्रार्थना, कसरत, नित्यक्रम। आठसे दस चरखा। दस बजे डॉक्टर वजन लेने आये। तीन पाँड वजन घटा। आज सुबह खाना नहीं खाया। अपच हो जानेसे मुंह आ गया था। डॉक्टरने कुल्लेकी दवा दी। दोपहरको तीन घंटे चरखा। शामका भोजन छोड़ दिया।

ता० २४-३-३०, सोमवार : सवेरे चार बजे अुठे। और बातें सदाकी तरह। बारह बजे दादूभाअी और मणिवहन मिलने आये। आज अेक वार खाया। शामको सिर्फ दूध लिया।

ता० २५-३-३०, मंगलवार : खेड़ाके कलेक्टरका जवाब आया। अुसकी खबर मावलंकरको दी। और सब बातें नित्यके अनुसार। जुलाब लिया था असलिये रातको अेक बजे अुठना पड़ा।

ता० २६-३-३०, बुधवार : मनसुखलाल मिलनेके लिये अिजाजत चाहते हैं। मंगलवारको आनेके लिये लिखवाया। और सब बातें रोजकी तरह।

ता० २७-३-३०, गुरुवार : तीन बजे अुठा। प्रार्थना आदि नित्यके अनुसार। मनसुखलालका आमका पारसल आया। मावलंकर और बलूभाअी मिलने आये। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट शनिवार रातको यहांसे जा रहे हैं। असलिये आखिरी बार मिलने आये।

ता० २८-३-३०, शुक्रवार : नित्यके अनुसार।

ता० २९-३-३०, शनिवार : साढ़े तीन बजे अुठा। आज बारडोली और मातर-महेमदाबादके सरकारी हुकम लेकर महादेव मिलने आये। जेल सुपरिन्टेन्डेन्टको आखिरी नमस्कार। शेष नित्यके अनुसार।

ता० ३०-३-३०, रविवार : आज अढ़ाअी बजे अुठा। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री अडवाणी आज गये। और नये मि० लेक्स्टन आये। और सब बातें सदाकी भांति।

ता० ३१-३-३०, सोमवार : आज नये सुपरिन्टेन्डेन्ट सुबह जेलरके साथ आकर मिले । अंबालालभाजीकी छः किताबें पढ़ ली हैं, अन्हें आज लौटाया । अन्होंने दूसरी तीन भेज दीं । सी० सरलादेवीने अचार, पापड़ वगैरा भेजे सो जेलर दे गया । डॉ० फोजदार आये । मुंह और जबान देखकर दवा देनेका कह गये । फिर दुबारा आनेको कहा ।

ता० १-४-३०, मंगलवार : 'मॉर्डन रिच्यू' और 'पंच' वगैरा पत्र दिये । आज मनसुखलाल आनेवाले थे लेकिन नहीं आये । अुनका पत्र आनेके समाचार भी नहीं मिले । असलिअे तलाश की । जेलर बीमार पड़ गया है । डि० जेलर आया और खबर दे गया कि पत्र नहीं आया । अससे आश्चर्य तो हुआ । डॉक्टरने कुल्ल करनेकी दवा दी । जुलाबकी दवा भी भेजी । रातको जुलाब लिया ।

ता० २-४-३०, बुधवार : जुलाब सुबह ठीक हो गया । छः बजे तक सोया रहा । खुराक कम कर दी । जबसे खुराकमें मनचाहा खानेकी छूट मिली है तबसे दो तीन प्रयोग करके शामको केवल दूध चावल और दोपहरको रोटी, मक्खन, चावल, दही, दाल, शाक खाना तय किया ।

ता० ३-४-३०, गुरुवार : आज डॉ० फोजदार नहीं आये । डेविस सुबह मिल गये । खूब बातें कर गये । गोलमेज परिषद्में जानेका खूब आग्रह करने लगे । स्वयं साथ चलनेकी अिच्छा प्रगट की । जेलर अभी बीमार ही है ।

ता० ४-४-३०, शुक्रवार : आज जेलर काम पर आ गया । सुपरिन्टेन्डेन्टको साथ लाया । मनसुखलालके पत्रकी बात पूछने पर सुपरिन्टेन्डेन्ट तुरंत बोले कि पत्र आज ही आया है, आपसे कहना भूल गया । डॉ० फोजदार आये । फल लेनेकी सलाह दे गये । भेजनेके लिअे डॉ० कानूगासे कहनेकी सूचना दी ।

ता० ५-४-३०, शनिवार : पौनेचार बजे अुठा । डॉ० कानूगाके यहांसे फल आये, असलिअे दूसरी खुराक छोड़ दी । अससे तबीयत ठीक हो गयी ।

ता० ६-४-३०, रविवार : आज चार बजे अुठकर राष्ट्रीय सप्ताह मनानेकी सफलताके बारेमें और गुजरातकी लाज रखनेके बारेमें अीश्वरसे खूब प्रार्थना की । शेष सदाकी भांति ।

रातको ९ बजे सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेलर और वीरमगांवके असिस्टेन्ट कलेक्टर मणिलाल कोठारीको मेरे वार्डमें रख गये। मणिलालमे रातके बारह बजे तक बाहरकी सब बातें सुनीं। बादमें सो गये।

ता० ७-४-'३०, सोमवार : रातको देर तक जागनेसे आज प्रातः देरसे अुठा। साढ़े पांच बजे अुठकर प्रार्थना की। गीता-पाठ तथा रामायण-कथा। सुबहकी पढ़ाबी छोड़ दी और दिनके भागमें ही पढ़नेका निश्चय किया। आज सुपरिन्टेन्डेन्ट अपने यहांसे 'टाभिम्स' दे गये। शामको खेड़ासे दरबार साहब, गोकलदास तलाटी वगैराको और अहमदाबादसे डॉ० हरिप्रसादको जेलमें लानेकी बात सुनी। दिनमें मणिलालसे बाहरकी सब बातें जान लीं।

ता० ८-४-'३०, मंगलवार : आज पांच बजे अुठे। प्रार्थनाके बाद नित्यक्रम। साढ़े दस बजे महादेव मिलने आये। बारडोली और मातरके सरकारी हुक्मकी बातें कीं। दरबार साहबसे कुछ लोगोंको दो दो बरसकी सख्त सजा देनेकी और खेड़ाके कलेक्टरकी गुंडाशाहीकी बातें सुनीं। गुजरातका अुत्तर अत्यंत सुन्दर होने और बापूके प्रसन्न होनेकी बात सुनी। सुपरिन्टेन्डेन्ट 'टाभिम्स' और अन्य पुस्तकें दे गये।

ता० ९-४-'३०, बुधवार : चार बजे अुठा। प्रार्थना, नित्यक्रम। कलेक्टर टेलर तथा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ओ'गोरमन नौ बजे आये। उनसे यह बतानेको कहा कि खेड़ा जिलेके कैदियोंके बारेमें वे क्या करना चाहते हैं। फिर वे वहां गये। सब कैदियोंको मेरे वार्डमें लाये। उनसे कैदियोंके वर्गीकरणका हाल सुना। टेलर असका फैसला करना चाहता था। अुसे रास्ता बता दिया। किसीको किसी भी वर्गमें रखें, अस पर हमें कोअी अंतराज नहीं। सिर्फ हम सबके साथ जेलमें अेकसा व्यवहार होना चाहिये, फिर हमें कुछ भी आपत्ति नहीं। हमने बता दिया कि सबका भोजन अेकसा हो, सबका रहना साथमें हो और किसी भी प्रकारका भेदभाव न हो, तो फिर सरकारी कागजोंमें किसीको किसी भी वर्गमें रख दिया जाय, हमें कोअी अंतराज नहीं। वह अंसा ही हुक्म दे गया। असलिअे सब सत्याग्रही कैदी, जो कुल मिलाकर अिकतीस थे, मेरे वार्डमें रख दिये गये। मैं और मणिलाल तो थे ही। अस प्रकार कुल तैंतीस हो गये। सबके अेक साथ रहने और अेक ही पंक्तिमें खानेकी व्यवस्था ही गयी। हमारे वार्डमें केवल नौ जनोंके ही रहनेका अितजाम था। असलिअे अेक और वार्डमें,

जहां सुविधा अधिक थी, चौबीस जनोंको शामके साड़े सात बजे प्रार्थनाके बाद सोनेके लिये ले जाने और सुबह नित्यक्रमसे निवटकर सबके अिस वार्डमें आनेकी व्यवस्था की गयी। दोपहरको ग्यारह बजे मृदुला, भारती, निमू और बा मिलने आयीं। रातको अेक बजे तक गोकलदास और फूलचंदसे मेरी गिरफ्तारीके बादके खेड़ा जिलेके सारे हालचाल पूछकर जान लिये।

ता० १०-४-३०, गुरुवार: प्रातः छः बजे अुठा। रातको जागरण हुआ था। प्रार्थना, चरखा। दोपहरमें रामराय मिलने आये। फिर दफ्तरमें बुलाकर सुपरिन्टेन्डेन्टने सरकारकी तरफसे आये हुअे खुराक संबंधी हुकम बताये। अुनमें जो फेरबदल करना था सो बताया। मैंने कहा, बारह औंस गेहूंका आटा रोटीके लिये मिलता है, अुसके साथ घी-तेल नहीं मिलता। अिसलिये फी आदमी दो औंस घी-तेल मिलना चाहिये। और वह न मिले तो दो औंस मक्खन मिलना चाहिये; और वह भी न मिले तो गेहूंका आटा कम कर दिया जाय, ताकि हमारे खातेमें व्यर्थ खर्च न लिखा जाय। क्योंकि बिना घी-तेलके हम कोअी अितना आटा खा नहीं सकते और आटा बेकार जाता है। यह भी कहा कि सुबह जो डबल रोटी दी जाती है, वह आधी कर दी जाय और अिससे जो वचत हो अुसका घी-तेल दे दिया जाय। यह अुन्होंने नामंजूर कर दिया। मैंने कहा कि हमें बताअिये कि सरकार हरअेक कैदी पर क्या खर्च करना चाहती है। अुसमें हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। परंतु हम यह मंजूर नहीं करेंगे कि हमें अुकूल न पड़नेवाली व्यवस्था करके हमारे नाम पर खर्च लगाया जाय। हम साधारण कैदीकी ही खुराक लेंगे। हम यहां अैश-आराम करने नहीं आये हैं। साथ ही यह बात भी नहीं कि हमें फलां चीज मिलनी ही चाहिये। परंतु जो हुकसे मिलेगा वह जरूर लेंगे। अिसलिये अुन्होंने कमिश्नरसे मिलकर शामको सूचना देनेको कहा। शामको अुन्होंने जेलरके साथ कहलवाया कि कलसे हमारी मांगके अुनुसार कामचलाअू प्रबंध स्वीकार करके सरकारको लिखा है। दोपहरको खेड़ासे दो आदमी आये। अेक चांपानेरिया और दूसरे वीरसदके चतुर्भुज। चतुर्भुज बीमार होनेके कारण दवाखानेमें भेज दिये गये। चांपानेरियाको हमारे पास बुलवा लिया।

ता० ११-४-३०, शुक्रवार: चार बजे अुठे। प्रार्थना। नित्य-क्रम। सूरतसे रामदास और दूसरे आठ मिलाकर नौ कैदी आये।

अनुको साथ रखनेका प्रबंध किया। कुल ४४ हो गये। कमिश्नर गैरेट दस वजे आये। अन्हें सुपरिन्टेन्डेन्ट ले आये थे। कलेक्टर और कमिश्नर आयें, तब हरअेक कैदी अपनी कोठरीके दरवाजेके पास सीधा खड़ा रहे, यह मांग सुपरिन्टेन्डेन्ट हमसे करते रहते थे। मैंने बिलकुल अिनकार कर दिया और कह दिया कि हम अंसी किसी बातको नहीं मानेंगे, जिससे अपमान होता हो। हां, सभ्यता या शिष्टताके पालनमें हम नहीं चूकेंगे। परन्तु स्वाभिमानको ठेस पहुंचानेवाली किसी बातको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भोजनके विषयमें बात करने पर अनुसे कहा कि हमें कोअी भी सुझाव नहीं देना है। हम बुरेसे बुरे बरतावके लिअे तैयार होकर आये हैं। परन्तु हमें यह बता दिया जाय कि सरकारने हम पर फी आदमी कितना खर्च करना तय किया है। और अुस खर्चके भीतर हमें जो चाहिये अुसका प्रबंध कर लेनेकी छूट होनी चाहिये। यह छूट देनेमें आपत्ति हो तो भी हमें मंजूर है। परन्तु फिर जो चीजें देना मंजूर किया जाय अनुमें से हम अपनी जरूरतकी ही चीजें लेंगे और अुतना ही खर्च हमारे खातेमें लिखा जाना चाहिये। प्रतिकूल भोजन-सामग्री देनेकी व्यवस्था करके हमारे काम न आनेवाली चीजें दी जायं, तो यह हमें मंजूर नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे नाम पर कुछ भी व्यर्थ खर्च हो। बादमें मनसुखलाल और कस्तूरभाजी मिलने आये। दोनोंको खादीके कपड़ोंमें देखा। अिससे खयाल हुआ कि बाहर आन्दोलन अच्छा चल रहा होगा। हमारे कैदियोंकी संख्या बढ़ चली, अिसलिअे अेक और वार्ड खाली करके कुल तीन वार्ड हमारे सुपुर्द कर दिये गये।

ता० १२-४-३०, शनिवार : सदाकी भांति। दोपहरको सुपरिन्टेन्डेन्टके साथ बातें हुआं।

ता० १३-४-३०, रविवार : सुबह आअी० जी० पी० मेजर डॉअिल तथा कमिश्नर गैरेट आये। डॉअिलने खूब सभ्यतासे बातें कीं और पूछा, किसी चीजकी जरूरत तो नहीं है। मैंने जमनालालजीका हाल पूछा। वह थाना जेलमें मिलकर आये थे। कहा कि जमनालालजी मौज कर रहे हैं। अुन्होंने काकाका हाल पूछा। काकीकी मृत्युके बारेमें खेद प्रकट किया। मणिलालकी जांच की और अुन्हें बाहरकी दवा मंगवानेकी अिजाजत दी। फिर अुन्होंने हमारी खुराककी बात की। मौजूदा 'फ्लैट रेट' (बंधी रकम) में फेरबदल करनेका विचार

प्रगट किया। आजकल 'बी' ब्लासके कैदी पर ०-९-१० रोज खर्च आता है। उसके बजाय सात आने कर देनेका विचार प्रगट किया और हमारी संमति या सलाह मांगी। मैंने संमति या सलाह देनेकी जिम्मेदारी लेनेसे अिनकार कर दिया। और साफ बता दिया कि आपको जो दर मंजूर करनी हो कर दीजिये। परंतु यह हमारी मरजी पर छोड़ देना चाहिये कि अुस दरके भीतर हम क्या क्या चीजें रोज खरीदें। यह न होना चाहिये कि हमारे लिये प्रतिकूल भोजनकी व्यवस्था की जाय और अुसमें से बहुतसी चीजें व्यर्थ जायं। यह बात अुन्होंने मंजूर की। फिर अिस बारेमें बात करने लगे कि कितना खर्च घटाया जा सकता है। तब अुन्हें दुबारा माफ बता दिया कि हम बुरेसे बुरे बरतावके लिये तैयार होकर आये हैं। अिसलिये आप अेक आना रोज तय कर देंगे तो भी हम न कोअी शिकायत करेंगे और न किसी किस्मकी रिआयत ही मांगेंगे। अितना ही है कि सारे प्रान्तके लिये दर निश्चित करनेमें हम सम्मति नहीं देंगे। साथ ही हम किसी प्रकारकी आपत्ति भी नहीं अुठावेंगे।

फिर गैरेटके साथ बारडोलीकी बात हुअी। कमेटीकी आखिरी सिफारिशोंके बारेमें जो सरकारी प्रस्ताव हाल ही में प्रकाशित हुआ है, अुसमें कुछ भूल रह गअी है, अिसका मैंने जिक्त किया। वह अुन्होंने नोट कर लिया। मैंने अुन्हें यह भी कहा कि जब तक तमाम मुख्य कार्यकर्ता जेलमें हैं, तब तक विशेष जांच फिलहाल मुलतवी रखी जाय। परंतु अुन्होंने माना नहीं। अिसलिये मैंने अुन्हें दिलकी बात कह दी। अुन्होंने कहा कि लोग लगान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि देना भी नहीं चाहिये। यह भी कह दिया कि थोड़ेसे नेताओंको जेलमें बन्द करके लगान वसूलीकी आशा रखना कैसी भूल है, अिसका अब पूरा अनुभव होगा। साथ ही कह दिया कि माल-विभागमें आप जैसा कठोर और कड़ा अफसर मैंने नहीं देखा। मातर-महेमदावादमें अुनकी कारस्तानियोंका शुरूसे अन्त तकका हाल अुन्हें सुना दिया। बादमें वह चले गये।

दोपहरको सुपरिन्टेन्डेन्टने दफतरमें बुलाया और सात आने रोजके हिसाबसे खुराकमें क्या क्या चाहिये सो अिन्तजाम करने, सप्ताह भरका सामान तय कर देने और सूची देनेके लिये मुझसे कहा। अिस पर मैंने सब साथियोंसे सलाह लेकर शामको अुन्हें खबर दी कि अभी जो चीजें मिल रही हैं अुसीके अनुसार रोज लेंगे। और

सात आनेके हिसाबसे और जो भाव आपने दिये हैं अन्हें देखते हुअे साढ़े पांच दिनके लिअे अितनी खुराक पूरी होगी। असलिअे हर सप्ताह अेक रविवार पूरा और हफ्तेमें कोअी अेक दिन आधा अुपवास हम करेंगे। यह बात सुनकर वह चौंके और मुझसे बोले कि सुबह आपने आअी० जी० पी० से क्यों नहीं कहा? और स्वीकृति क्यों दी? मैंने अुनसे कहा कि आपकी बात गलत है। मैंने कोअी स्वीकृति ही नहीं दी। मैंने तो खास तौर पर कहा था कि हमारे सिर पर जिम्मेदारी डालकर कोअी दर मुकर्रर नहीं की जा सकेगी। अस पर सुपरिन्टेन्डेन्ट दूसरे दिन सुबह कमिश्नरके पास गये और दोपहरमें आकर कह गये कि अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना है। कोअी परिवर्तन नहीं किया जायगा।

आज कुछ और कैदी आये।

ता० १४-४-३०, सोमवार: सुबह जल्दी अुठकर प्रार्थना की। साढ़े चार बजे अुस वार्डमें जाकर जांच की कि वहांका क्या हाल है। रामदास बीमार है। अुसके हालचाल पूछे। आज कुल छप्पन कैदी हो गये।

ता० १५-४-३०, मंगलवार: चार बजे अुठे। प्रार्थना, नित्य-क्रम। आज और पांच कैदी आ गये। आणंदसे भीखाभाअी, नरसिंह-भाअी और भगवानदास आये। भगवानदासके वॉरंटमें मजिस्ट्रेटने 'सी' क्लाम लिख दिया है। अुसे पहले तो हमारे वार्डमें भेजा। परंतु खानेके बाद अुसे सिपाही बुलाने आया और जेलरके टुकमसे 'सी' वार्डमें रखने ले गया। असलिअे मैंने जेलरको सूचना भिजवाअी कि अुसे वापस हमारे पाग न भेजा गया, तो हम सब शामसे अुपवास शुरू कर देंगे। नहीं तो हम सबको वहां ले जाना चाहिये। असके बाद जेलरने अुसे वापस भेजा। जेलर मिलने आया और मजिस्ट्रेटकी भूलके लिअे खेद प्रगट करके आगे लिखा-पढ़ी करनेको कहा गया।

ता० १६-४-३०, बुधवार: सुबहका कार्यक्रम सदाकी भांति। फिर खेड़ासे दादूभाअी आदि मिलने आये। महादेव भी मिलने आये। अुनसे वर्गीकरणकी सारी बात कही। यह बताया कि शायद मजिस्ट्रेट जानबूझ कर फूट डालनेका प्रयत्न कर रहा है। मोहनलाल पंड्या आये। अुन्हें भी मजिस्ट्रेटने 'सी' क्लाममें रखा है, यह खबर महादेवको दी। कलकत्ता और कराचीमें हुल्लड़ होने और जयराम-दासको गोली लगनेके समाचार 'टाइम्स' में पढ़े।

ता० १७-४-'३०, गुरुवार : सदाकी भांति । जयरामदासकी जिन्दगी खतरेमें नहीं और गोली निकल गयी है, यह जानकर सबको आनंद हुआ ।

ता० १८-४-'३०, शुक्रवार : सदाकी भांति ।

ता० १९-४-'३०, शनिवार : सदाकी भांति । असा मालूम हुआ कि जेलके साधारण कैदियोंमें असन्तोष है । एक प्रमुख कैदीकी तरफसे संदेश मिला कि सब खाना छोड़कर हड़ताल करना चाहते हैं । मैंने उनसे कारण पूछवाया और कहलवाया कि दुःख या शिकायत हो तो पहले मुझे बतायें । डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्डके अध्यक्ष मोतीलाल और मजिस्ट्रेट जीसानी मिलने आये ।

ता० २०-४-'३०, रविवार : हमेशाकी तरह । अज प्रातः डाह्याभाजी देरासरी और कादरी आये । उन कैदियोंने सुबहसे ही हड़ताल करके खाना बन्द कर दिया और नारे लगाना शुरू कर दिया । 'गांधीजीकी जय' चिल्लाने लगे । सुपरिन्टेन्डेन्ट नाराज हुअे और घबराये हुअे मालूम हुअे । कलेक्टर कमिश्नरको बुला लाया । वे आकर चले गये मगर मामला शान्त नहीं हुआ । दिनभर और रात-भर कैदी नारे लगाते ही रहे । हममें से नवयुवक वर्गके कुछ लोग सुबहसे ही कैदियोंके नारे सुनकर अतुत्तेजित हो गये । उनके साथ सहानुभूति दिखानेके लिये अपवास करनेका सुझाव आया । मैंने अिनकार किया तो नाराज हुअे । फिर भी मैं दृढ़ रहा । दोपहरको मणिलालने अुन्हें समझाया । सायंकालको प्रार्थनाके बाद मैंने भी अुन्हें खूब समझाया, फिर भी अुनके चेहरों पर रोप मालूम होता था ।

ता० २१-४-'३०, सोमवार : सदाकी भांति । आज डाह्याभाजी, यशोदा, हरिभाजी, सुमित्रा और जितू मिलने आये । दोपहरको खबर मिली कि कैदी हुल्लड़ कर बैठे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम पर डाली गयी है । जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट, कलेक्टर, कमिश्नर यह मान बैठे हैं कि हमारे ही कारण यह दंगा हो रहा है । असिलिये यह विचार हो रहा है कि हमें यहांसे बदल दिया जाय । आज कैदियोंके वर्गीकरणके नियम अखबारोंमें आये सो पढ़े । असा प्रतीत हुआ कि मूल नियमोंमें परिवर्तन किया गया है और जानबूझ कर किया गया है । असका क्या परिणाम होगा, यह तो बादमें ही मालूम होगा । परंतु सबको 'सी' क्लासमें जानेके लिये तैयार रहनेकी सूचना दी गयी । डॉक्टर आज वजन कर गये । वजन १४३ निकला । पिछली बार

किया था तब भी अितना ही था। जेलमें आया उस दिन १४६ था।
असका कारण यह है कि अस्पतालके कांटेमें और दूसरे सही कांटोंमें
३ पौंडका फर्क है। असलिअे शुरूसे ही वजन १४३ ज्योंका त्यों
कायम रहा है।

ता० २२-४-'३०, मंगलवार : नियमके अनुसार। आज जेलके
कैदियोंने अपवास छोड़ दिया। परंतु काम पर जानेसे अिनकार कर
दिया है। दोपहरमें मावलंकर और गज्जर मिलने आये। कुछ कागजों
पर मेरे हस्ताक्षर कराने थे सो करा ले गये।

अूपरकी तारीख तक ही डायरी लिखी हुअी है।

अिस डायरीमें सभी कैदियोंके अेक वर्गीकरण तथा सम्मिलित
भोजनालयकी जो बात है, वह व्यवस्था लंबी नहीं चली। महीना पूरा होने तक
तो कैदियोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी। अूपरके वर्णनमें तो जेल अेक राजनैतिक
परिषद्के डेरे जैसा लगता है। परंतु संख्या बढ़नेके साथ अधिकारी उस
व्यवस्थाको चला लेनेको तैयार नहीं जान पड़े। अुन्होंने अैसा बन्दोबस्त
किया, जिससे अलग अलग वर्गके कैदी अेक-दूसरेसे न मिले सकें और
अुनका सम्मिलित भोजनालय न रहे। सरदारने कहा कि हम सभीको 'क'
वर्गमें रख दीजिये। और हम सब 'क' वर्गकी खुराक लेंगे। फिर आपको
क्या आपत्ति है? जेल-अधिकारी कहने लगे कि यह हमसे नहीं हो सकता।
हम तो 'ब' वर्गके कैदियोंको 'ब' वर्गकी खुराक और 'क' वर्गके कैदियोंको
'क' वर्गकी खुराक देनेको मजबूर हैं। असलिअे सरदार और तमाम राज-
नैतिक कैदियोंने अपवास शुरू कर दिया। 'क' वर्गके कैदियोंका मिलना तो
बन्द कर ही दिया गया था, यद्यपि अपवास अुन्होंने भी कर दिया
था। सरदार और अुच्च वर्गके कैदियोंका खानेका सामान अलग भोजनालयमें
रोज आकर पड़ा रहता। अिस प्रकार बहत्तर घंटेका अपवास होनेके बाद
कलेक्टर और अुत्तर विभागके कमिश्नर जेल पर गये। अुन्हें सरदारने कहा,
यह कैसा अन्याय है? हम ज्यादा नहीं, परंतु कम मांग रहे हैं। और वह
कम पानेके लिअे हमें अपवास करना पड़ रहा है! जेल-अधिकारियोंके
आग्रहका बेहूदापन कमिश्नर समझ गया। अुसने हिदायत दी कि अुच्च वर्गके
कैदी 'क' वर्गका भोजन लेना चाहें तो अुन्हें लेने दिया जाय। परंतु अुसने
अलग अलग वर्गके कैदियोंका मिलना तो बन्द ही कर दिया। अिसके सिल-
सिलेमें आयंदा कोअी कठिनाअी पैदा न हो, अिसके लिअे छः माससे अधिक
सजावाले अूचे दर्जेके तमाम कैदियोंको दूसरे जेलमें हटा दिया गया।
अपने साथियोंसे जुदा होते समय सरदारकी आंखें गीली हो आअीं।

रविशंकर महाराज, पंड्याजी वगैरासे कहा कि आप जहां जायं वहीं अपनी अिज्जत अच्छी तरह कायम रखें और साथमें अपने जो भायी हों अुनकी भलीभांति संभाल रखें।

कैदियोंके वर्गीकरणके सिलसिलेमें साबरमती जेलमें जैसा झगड़ा हुआ, वैसा ही पंजाबमें गुजरातके सेंट्रल जेलमें भायी देवदास गांधीने शुरू किया था। अुस जेलमें केवल 'अ' और 'ब' वर्गके कैदियोंको ही रखा गया था। अुन्होंने 'क' वर्गकी खुराक लेना शुरू किया था। परंतु यह मांग की थी कि 'क' वर्गके तमाम कैदियोंको भोजनमें थोड़ा घी, दूध तथा आटा वगैरा शुद्ध मिले, और जेलका सौंपा हुआ काम पूरा कर देनेके बाद पढ़ने-लिखनेकी तथा तमाम राजनैतिक कैदियोंसे मिलने-जुलनेकी सुविधा हो। वे सरदारके साथ जो पत्रव्यवहार करते थे, अुसके लिअे अुन्होंने जो सांकेतिक शब्द तैयार किये थे, वे मनोरंजनके लिअे यहां दिये जाते हैं : 'क' वर्गके कैदीके प्रति किये जानेवाले व्यवहारके लिअे Health शब्द निकाला था। और Hunger Strike के लिअे Dr. Ansari's treatment शब्द रखा था। My health is not good. I therefore propose to begin Dr. Ansari's treatment on such and such a date. अर्थात् हमारे साथ यहां बरताव अच्छा नहीं है और हम अमुक तारीखसे अुपवास शुरू करेंगे। My health is improving अर्थात् हमारी मांग स्वीकार होनेकी आशा है। I am patient about my health अर्थात् अभी धीरज रखा जाय। जेलमें अिस प्रकार मनोरंजन होता रहता था।

जैसा सरदारका खयाल था, वे पीने चार महीने साबरमती जेलमें रहकर २६ जूनको बाहर आये।

नमक-संग्राम

चूँकि सरदार रास गांवसे पकड़े गये थे, अिसलिले वहांके लोगोंमें काफी रोष पैदा हुआ था। वे यह भी मानने लगे थे कि अुनके गांवसे सरदारके पकड़े जानेके कारण लड़ाईके संबंधमें अुनकी जिम्मेदारी अधिक है। लड़ाई छिड़ जानेके बाद अुस गांवके नेता श्री आशाभाईको गिरफ्तार किया गया। अिसलिले ता० २१-४-३० को रास गांवके लोगोंने अेकत्र होकर सर्व-सम्मतिसे नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया :

“सरकारने सरदार श्री वल्लभभाईको हमारे गांवसे गैरकानूनी तौर पर पकड़ा, दरबार श्री गोपालदासभाई और तालुके (तहसील) तथा जिलेके दूसरे नेताओंको हमारे तालुकेमें पकड़ा तथा हमारे गांवके नेता भाजी श्री आशाभाई पर झूठा अिलजाम लगाकर अुन्हें कैद किया और साथ ही अिन सबको न्यायका नाटक खेलकर ट्रेपपूर्वक कड़ी सजाओं दीं। अिसलिले जब तक सरकार बिना शर्त ये सजाओं रद्द करके अिन सबको जेलसे मुक्त न कर दे, तब तक हमारा यह रास गांव सरकारको जमीनका लगान अदा नहीं करेगा।”

अुपरोक्त निश्चय बोरसद तालुकेके और भी कुछ गांवोंने किया और बारडोली तालुकेके बहुतसे गांवोंने लगान न चुकानेका निर्णय किया। गांधीजीने अिस बारेमें खास तौर पर रास गांवको सलाह देते हुअे लिखा :

“लगान न देनेकी बात सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। लगान अदा न करनेका कदम अुठानेका क्रम अभी तक शुरू नहीं हुआ। परंतु जिसकी हिम्मत हो वह भले ही अदा न करे। कराड़ीके पाचा पटेलने अकेले अैसा ही किया था न! परंतु अैसा करनेवाला यह समझ ले कि वह स्वयं भारी खतरा मोल ले रहा है। घरबार, ढोर-डंगर बिक जायं तो लोगोंको आश्चर्य न होना चाहिये। बारडोलीकी तरह खेड़ामें नहीं हो सकता। बारडोलीकी लड़ाई अलग प्रकारकी और मर्यादित थी। वह अेक हक प्राप्त करनेकी लड़ाई थी, यह हुकूमत छीननेकी लड़ाई है। दोनोंके बीच आकाश-पातालका अंतर है।

“अिसलिले रासने जो कदम अुठाय़ा है अुस पर कायम रहने लायक आत्मशुद्धि वह करे, त्यागकी भावना पैदा करे; और जो दूसरे

गांव रासका अनुकरण करना चाहते हैं वे शांतिपूर्वक अपनी शक्तिका अन्दाज लगायें।

“वैसे जिस जिलेसे सरदारको ले गये, जिस जिलेसे दरबारको ले गये, जो जिला मोहनलाल पंड्या और रविशंकरका निवासस्थान है, वह जिला जितना करे अतना थोड़ा है।”

६ अप्रैलसे नमक-कानून तोड़नेका कार्यक्रम शुरू हुआ। हर प्रान्तके जेल सत्याग्रही कैदियोंसे भरने लगे। इसलिये सरकारने अब कानूनका भंग करनेवालोंको पकड़नेके बजाय मारपीट करनेकी नयी नीति अपनायी। अकट्ठे हुअे लोगोंकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो, वहां लाठीका अुपयोग छूटसे और निर्दयतासे किया जाता था। पेशावरमें और अन्य कुछ स्थानों पर तो सत्याग्रहियों पर गोली भी चली थी। इसलिये सरकारकी अधिकसे अधिक नाराजी अपने सिर लेनेके लिये गांधीजीने धरासणाके नमकके आगर पर धावा करनेकी योजना बनायी। अुन्होंने वाअिसरायको लिखे अपने पत्रमें अिस योजनाकी सूचना देते हुअे बताया :

“यह कदम अुठानेका निर्णय मैंने बिना किमी हिचकिचाहटके किया हो सो बात नहीं। मैंने आशा रखी थी कि सरकार सत्याग्रहियोंके साथ मभ्यतापूर्वक लड़ेगी। सत्याग्रहियोंसे निबटनेके लिये साधारण प्रचलित कानून पर अमल करके सरकारने संतोष किया होता, तो मुझे कुछ भी कहना नहीं था। अिसके बजाय प्रसिद्ध नेताओंके साथ कम ज्यादा हद तक कानूनके अनुसार बरताव करके दूसरे मामूली सत्याग्रहियोंके प्रति जंगली और कभी कभी बीभत्स अत्याचार किये गये हैं। यह कहीं कहीं होता तो अुसकी अुपेक्षा भी की जा सकती थी। परंतु मेरे पास बंगाल, बिहार, अुत्कल, युक्तप्रान्त, दिल्ली और बम्बयीसे जो खबरें आयी हैं वे गुजरातमें हुअे अनुभवोंका समर्थन करती हैं। और गुजरातके विषयमें तो मेरे पास असंख्य प्रमाण मौजूद हैं। कराची, पेशावर और मद्रासमें अकारण और अुत्तेजनाके बिना गोली चला दी गयी मालूम होती है। सरकारकी दृष्टिसे महत्त्वहीन और सत्याग्रहीकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण नमक स्वयंसेवकोंसे छीन लेनेके लिये अुनकी हड्डियां तोड़ दी गयी और अुनके गुह्यांग दबाये गये हैं।

*

*

*

“अिसलिये आतंक फैलाकर धाक बँठा देनेकी हाल ही में शुरू हुअी नीतिका अमल सारे देशमें फैल जाय, अिससे पहले मेरा

खयाल है कि मैं अधिक तेज कदम अुठाऊं और आपके क्रोधको अधिक अुग्र परंतु अधिक स्वच्छ मार्गकी ओर मोड़ूं।

“मुझे तो यही लगता है कि हुकूमतका तेज पंजा पूरी तरह खोल देनेका आपको आमंत्रण न दूं, तो मैं कायर माना जाऊंगा। जो लोग अिस वक्त संकट सह रहे हैं और जिनकी जमीन-जायदाद बरबाद हो रही है, अुन्हें यह महसूस ही न होना चाहिये कि जिस लड़ाजीके परिणामस्वरूप सरकारका सच्चा रूप सामने आ गया है, अुसे शुरू करनेमें मुख्य हाथ रखनेवाला मैं मौजूदा परिस्थितिमें सत्याग्रहका जितना कार्यक्रम अमलमें लाया जा सकता है अुसे अमलमें लानेमें कुछ भी कोशिश ब्राकी रख रहा हूं।”

अिस पत्रके जाते ही गांधीजी पकड़ लिये गये। फिर भी धरासणा पर १५ मअीसे धावे तो शुरू हो ही गये और तीन सप्ताह यानी बरसात आने तक जारी रहे। अिस असेमें तीन हजारसे ज्यादा सत्याग्रहियोंके सिर फूटे और दो भाअियोंके प्राण गये। धरासणामें कैसा हत्याकाण्ड हुआ, अिसके लिये प्रत्यक्षदर्शियोंके किये हुए दो वर्णन हम यहां देंगे।

बम्बअीकी छोटी अदालत (स्मॉल कॉज कोर्ट) के निवृत्त न्यायाधीश श्री हुसैन, पत्रकार श्री के० नटराजन् और भारत-सेवक-समाजके श्री देवधरने अेक धावा खुद देखनेके बाद निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया था :

“नमकके आगरके सामनेकी बाड़के पाससे सत्याग्रहियोंको मार हटानेके बाद युरोपियन घुड़सवारोंने हाथोंमें लाठियां लिये मारते हुए घोड़े दौड़ाये। रास्तेमें जो लोग मिलते अुन्हें वे लाठी जमा देते। फिर गांवकी गलियोंमें भी अुन्होंने घोड़े दौड़ाये। लोग अिधर अुधर भागकर घरोंमें घुसने लगे। जो आदमी बाहर रह जाता, अुसीको वे लाठी मारते थे।”

‘न्यू फ्री मैन’ नामक पत्रका संवाददाता लिखता है :

“मैंने १८ वर्ष तक २२ देशोंमें संवाददाताका काम किया है। अिसमें मैंने बहुत लोगोंके दंगे, बलवे और रास्तोंकी लड़ाअियां देखी हैं। परंतु धरासणामें मैंने जो हृदयविदारक दृश्य देखे, वैसे कहीं नहीं देखे। कभी कभी तो ये दृश्य देखकर मुझे अितनी वेदना होती कि मैं थोड़ी देरके लिये वहांसे हट जाता था। वहां मैंने स्वयंसेवकोंका जो अनुशासन देखा, वह अद्भुत था। मुझे वे गांधीजीके अहिंसाके सिद्धान्तसे पूरी तरह अोतप्रोत जान पड़े।”

जिस बीच शराबखानों और विदेशी कपड़ेकी दुकानों पर महिलाओंका घरना बड़ा प्रभावशाली साबित हुआ। यह काम गांधीजीने बहुत ही विचारपूर्वक महिलाओंको सौंपा था। जिसमें अटूट धीरज, अपार लगन और बड़ी खामोशीकी जरूरत थी, जो महिलाओं ही अच्छी तरह दिखा सकती थीं। छोटी छोटी असुविधाओं और दिक्कतों सहकर अखंड पहरा देते हुअे शांत बैठे रहनेमें पुरुष कदाचित् अूब जाते। परंतु स्त्रियोंने यह काम अुकताये बिना किया और सफलतापूर्वक अुसे पार लगाया। गुजरातमें शराबखानों पर घरनेकी व्यवस्था करनेमें दो पारसी बहनें — श्रीमती मीठबहन पिटीट और श्रीमती खुरशेदबहन नवरोजजी — प्रमुख थीं, यह अेक बड़ा सुयोग था।

२६ जूनको सरदार अपनी सजा पूरी करके बाहर आये। जैसा अुन्होंने सोचा था, अुस समय वातावरण गरमागरम था। गुजरातमें ती शायद ही कोअी प्रमुख कार्यकर्ता जेलके बाहर था। दूसरे प्रान्तोंमें भी अधिकांश नेता सीखचोंमें बन्द कर दिये गये थे। अहमदाबादमें सरदारका स्वागत करनेके लिये जो आम सभा हुआ, अुसमें बोलते हुअे अुन्होंने कहा :

“आपने मुझे जेलखानेकी बातें सुननेकी आशा जरूर रखी होगी। अुसकी आपसे क्या बात कहूं ? वहां कोअी सिर नहीं फूट रहे थे। वहां किसी प्रकारका दुःख नहीं मालूम होता था। अगर कोअी कहे कि जेलमें दुःख है तो आप विश्वास न मानिये। वहां तो बड़ा चैन है और वह भी रोजके चार पैसोंमें। अिन चार पैसोंके खर्चमें जेलमें जितना सुख मिलता है अुतना बाहर नहीं मिलता; क्योंकि आज जब हमारी कांग्रेसके अध्यक्ष जेलमें बन्द हैं, जब संसारके श्रेष्ठ पुरुष महात्मा गांधी यरवडाके कारावासमें हैं, तब जेलके बाहर रहकर आरामसे अन्न खाना धूल खानेके बराबर है। सी मन रूअीकी गदियों पर सोना भी चिता पर सोनेके समान है। जिसलिये सच कहता हूं कि जेलमें जितना आराम मालूम होता है अुतना बाहर नहीं होता।

*

*

*

“आजकी स्थिति देखते हुअे मुझे बड़ी भारी आशा बंधती है। आप सबका अुत्साह देखकर मैं हर्षान्मित्त हो जाता हूं। अब आप दिखा दीजिये कि यह अुत्साह क्षणिक नहीं, अेक क्षणके लिये आया हुआ ज्वार नहीं, परंतु अेक समर्थ तपस्वीकी बारह वर्षकी प्रखर तपश्चर्याका फल है। आज मुझे बहुत लोग सलाह दे रहे थे कि मैं भाषण

न दूँ, मैं फंस न जाऊँ। और कुछ कहते थे कि मैं आजकी सभामें न जाऊँ, क्योंकि अन्हें भय था कि आज ही फिर मुझे पकड़ लेंगे। परंतु मैं तो कहता हूँ कि मेरे हाथकी रेखामें जेलकी बात ही नहीं है। मैं जेल जाना जानता ही नहीं। इस सरकारका जेल भी कोजी जेल है? असली जेलखाना तो मायाका बन्धन है। हमारी आत्माको जो मोह, माया या काम-क्रोधके बन्धन लगे हुआ है वे ही असली जेलखाने हैं। जिस मनुष्यने ये बन्धन तोड़ दिये हैं, उसे इस संसारका बलवानसे बलवान साम्राज्य भी बंधनमें नहीं रख सकेगा।”

कोजी पांच दिन अहमदाबाद रहकर वे बम्बयी गये। वहां अखबारोंके प्रतिनिधियोंने उनसे मुलाकात की। गोलमेज परिषद्में कांग्रेस किस शर्त पर भाग ले सकती है, इस बारेमें पूछा गया। जवाबमें सरदारने बताया कि :

“यह सवाल ही इस समय अपुस्थित नहीं होता। कांग्रेसके अध्यक्षका गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, कामचलाऊ अध्यक्षको भी पकड़ लिया है। और कांग्रेस कार्यसमितिको सरकारने गैरकानूनी करार दे दिया है। इसलिये सरकारको कोजी समझौता करना ही नहीं है। अैसे मामलोंमें कांग्रेसकी तरफसे कोजी बोलनेवाला हो सकता है तो वे महात्मा गांधी ही हैं। जब अन्हें मौका मिलेगा और अुचित मालूम होगा तब वे बोलेंगे।”

३० जूनको पं० मोतीलालजीको पकड़ लिया गया। कांग्रेस-अध्यक्ष श्री जवाहरलालजीकी गिरफ्तारीके बाद वे कांग्रेस-अध्यक्षके रूपमें काम करते थे। उनकी गिरफ्तारी हुआ तब वे सरदारको अध्यक्ष नियुक्त कर गये। सरदारने सारे देशमें लड़ाईको संगठित करना शुरू कर दिया। इसी समय सरकारने अेक फरमान निकाल कर कांग्रेस कार्यसमिति और अन्य कबी संस्थाओंको गैरकानूनी घोषित कर दिया और उनके कार्यालयोंको जब्त करके ताले लगा दिये। इसके अुत्तरमें सरदारने अेक भाषणमें बताया :

“देशमें अेक अेक घर कांग्रेस कमेटीका दफ्तर बन जाय और अेक अेक आदमी कांग्रेस-संस्था बन जाय।”

२ जुलाईको मालवीयजीने कांग्रेस-अध्यक्ष सरदार पटेलको निम्नलिखित तार दिया :

“कांग्रेस कार्यसमितिको गैरकानूनी संस्था ठहरानेवाला सरकारका हुकम दो महीनेसे अपनाये हुआ अुसके दमनको चरम सीमा पर पहुंचा देता है। अिन हालतोंमें मैं सरकारको अुचित अुत्तर यही दे सकता हूँ कि

कांग्रेस कार्यसमितिका सदस्य बनकर अपनी सेवा देशके चरणोंमें अर्पण करूं। आपको जब अुचित प्रतीत हो तभी मुझे आज्ञा दीजिये।”

४ जुलाअीको सरदारने अुन्हें लिखा :

“आपका तार मैंने अखबारोंमें पढ़ा। मुझे वह नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। आपकी मांगका मैं साभार स्वागत करता हूं और मुझे मिले हुए अधिकारकी रूसे आपको पं० मोतीलालजीकी जगह कांग्रेस कार्यसमितिका सदस्य नियुक्त करता हूं। आपने देश-भक्तिसे प्रेरित होकर जो तेज कदम अुठाया है, अुसकी राष्ट्र बड़ी कद्र करेगा।”

अुस समय श्री जयकर और श्री सप्रू सरकारके साथ समझौता करानेके लिये बातचीत कर रहे थे। अिसके लिये अुन्होंने गांधीजीसे जेलमें मिलनेकी अनुमति मांगी थी। समझौतेकी अिन बातोंसे लोगोंमें कुछ बुद्धिभेद अुत्पन्न हो रहा था। अिसलिये सरदारने जुलाअीके मध्यमें निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“आज जो लोग समझौता करनेकी बातें कर रहे हैं अथवा बीचबचाव करनेवाले बनकर गांधीजीके पास जानेकी कोशिश कर रहे हैं, वे जाने-अनजाने देशका बड़ेसे बड़ा अहित कर रहे हैं। अैसा बीचबचाव करनेवाले जनताके स्वाभिमानको ठेस पहुंचा रहे हैं। जब सरकारका हृदय-परिवर्तन होगा और अुसे महसूस होगा कि समझौतेका सच्चा समय आ गया है, तब यरवडा जेलकी कुंजी अुसीके पास होनेके कारण दरवाजा खोलकर सीधे गांधीजीके साथ बात करनेमें अुसे जरा भी संकोच नहीं होगा। कोरी मध्यस्थताकी बातें करनेसे लोगोंके भुलावेमें पड़ने और लड़ाअीमें शिथिलता आनेका भय रहता है। समझौतेका समय अभी बहुत दूर है और यदि हम गाफिल रहकर शिथिल हो जायंगे तो वह और भी दूर चला जायगा। अिसलिये अैसी मिथ्या बातों पर जरा भी ध्यान न देकर कांग्रेसका काम सबको अधिक जोरोंसे जारी रखना चाहिये। कोअी यह न भूले कि लड़ाअीका जल्दी अंत लानेका अेक यही अुपाय है।”

३१ जुलाअीको लोकमान्य तिलक महाराजकी संवत्सरीके दिन बंबअीमें अेक बड़े जुलूसका आयोजन किया गया था। अुस समय बंबअीमें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक भी हो रही थी। अिसलिये सरदार, पं० मालवीयजी, श्री जयरामदास दौलतराम तथा श्री शेरवानीने, जो बंबअीमें थे, जुलूसमें भाग लिया। बंबअीकी डिक्टेटर श्रीमती हंसाबहन मेहता और श्री मणिबहन

पटेल भी अुस जुलूसमें थीं। जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ता जा रहा था। परंतु बोरीबन्दर स्टेशनके सामने होकर फोर्ट क्षेत्रमें घुसते ही अुस जुलूस पर प्रतिबंध लगानेवाला हुकम जारी किया गया और अुसे आगे बढ़नेसे रोक दिया गया। हजारों मनुष्योंका सारा जुलूस अिस पाबन्दीके हुकमसे बिखर जानेके बजाय जमीन पर बैठ गया और पुलिस अफसरोंकी हिदायतोंके बावजूद अुसने वहांसे तिल भर भी हटनेसे अिनकार कर दिया। रात हो गयी और मूसलधार बरसात होने लगी। फिर भी अुस बरसातमें भीगे हुअे कपड़ों और बहते पानीमें सरदार, दूसरे नेता तथा लोग वहीं बैठे रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल नेताओं और महिलाओंको गिरफ्तार कर लिया गया और बाकीके लोगों पर निर्दय लाठीप्रहार किया गया। अिस बार भी सरदारको तीन मासकी सजा हुयी और अुन्हें यरवडा जेलमें रखा गया। अिस बीच श्री सप्रू और श्री जयकरकी बातचीत कुछ आगे बढ़ी थी। अुनके प्रयत्नसे १४ अगस्तको यरवडा जेलमें गांधीजीके साथ बातें करनेके लिये पंडित मोतीलालजी, पं० जवाहरलालजी तथा डा० सैयद महमूदको अलाहाबादकी नैनी जेलसे यरवडा जेलमें लाया गया। सरदार, श्री जयरामदास तथा श्रीमती नायडू यरवडा जेलमें ही थे। अुन्हें गांधीजीके पास ले जाया गया। कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे अिन सात जनोंकी चर्चा संधिकी बातचीत करनेवाले दो सज्जनोंके साथ हुयी। कांग्रेस प्रतिनिधियोंने पहले तो यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस कार्यसमितिके और जरूरत हुयी तो कांग्रेसकी महासमितिके पूछे बिना वे कोअी अन्तिम अुत्तर नहीं दे सकते। परंतु अपनी निजी रायके रूपमें अुन्होंने बताया कि सरकार नीचे लिखी मांगें स्वीकार करनेको तैयार हो तो ही कोअी संतोषजनक निबटारा हो सकता है :

१. ब्रिटिश साम्राज्यसे अपनी अिच्छानुसार अलग होनेका हिन्दुस्तानका हक स्पष्ट रूपमें स्वीकार किया जाना चाहिये।

२. हिन्दुस्तानको लोगोंके प्रति जिम्मेदार और संपूर्ण राष्ट्रीय शासन मिलना चाहिये। सेना पर तथा आर्थिक विषयों पर अुसका नियंत्रण होना चाहिये। अिसमें गांधीजी द्वारा वाअिसरायोंको लिखे हुअे पत्रमें जो ११ बातें बतायी गयी हैं वे सब आ जाती हैं।

३. ब्रिटेनको हिन्दुस्तानमें जो हक और रिआयतें प्राप्त हैं और जिनमें हिन्दुस्तानका कथित सरकारी ऋण शामिल है, अुनमें से जो जो बातें राष्ट्रीय सरकारको अन्यायपूर्ण अथवा हिन्दुस्तानके लोगोंके हितके विरुद्ध मालूम होंगी अुन्हें अेक निष्पक्ष पंचके सुपुर्द करनेका भारतको अधिकार होना चाहिये।

४. कांग्रेस विदेशी कपड़े और शराब पर शांत रूपमें धरना जारी रखेगी। हां, सरकार ही शराब और विलायती वस्त्र पर प्रतिबंध लगा दे तो दूसरी बात है।

५. लोगोंको नमक बटोरने और बनानेका हक होना चाहिये।

६. अतना हो जाने पर सत्याग्रह वापस ले लिया जा सकता है। इसके साथ ही जिन सत्याग्रही और दूसरे राजनैतिक कैदियोंको हिंसाके अपराधमें सजा न हुयी हो वे छोड़ दिये जायं; नमक-कानून, प्रेस अक्ट, रेव्हेन्यू अक्ट अथवा अैसे अन्य कानूनोंके मातहत जिनकी संपत्ति जब्त की गयी हो वह लौटा दी जाय; सत्याग्रही कैदियोंसे जो जुर्माना वसूल कर लिया गया हो उसके अलावा दूसरा जुर्माना रद्द कर दिया जाय; पटेल, पटवारी तथा दूसरे जिन सरकारी कर्मचारियोंने अिस्तीफे दे दिये हों अथवा सत्याग्रहकी लड़ाीके सिलसिलेमें जिन्हें नौकरीसे अलग कर दिया गया हो उन्हें वापस ले लिया जाय; और वाअिसराँयके जारी किये हुअे सारे आर्डिनेंस वापस ले लिये जायं। ये शर्तें लेकर श्री जयकर तथा श्री सप्रू वाअिसराँयके पास गये।

अुनकी तरफसे बहुत ही निराशाजनक अुत्तर मिला। फिर भी वे दुबारा पं० मोतीलालजी, पंडित जवाहरलालजी तथा डॉ० सैयद मद्दूदसे नैनी जेलमें मिले और अुनका पत्र लेकर गांधीजी, सरदार, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्री जयरामदास दौलतरामसे यरवडा जेलमें मिले। ता० ५-९-'३० को गांधीजी तथा अुनके अपुरोक्त साथियोंने कांग्रेसकी मांगको दुबारा साफ शब्दोंमें रख दिया और बता दिया कि वाअिसराँयके प्रस्ताव बिलकुल संतोषजनक नहीं हैं। अिस प्रकार श्री जयकर और श्री सप्रूकी संधिवार्ताका अंत हुआ।

जब जेलके भीतर संधिकी बातचीत चल रही थी तब बाहर लड़ाी पहलेसे बहुत ज्यादा अग्र हो गयी थी। लाठीमार तो मामूली बात हो गयी थी। बारडोली और बोरसदमें लगान न देनेके कारण पुलिसने खड़ी फसल कुर्क करना शुरू कर दिया था और लोगोंको अनेक प्रकारसे तंग करने लगी थी। पुलिसके दुर्व्यवहारसे स्त्रियां भी नहीं बच पाती थीं। अिस आतंकसे बचनेके लिये पूरे गांवके गांव पासके गायकवाड़ी अिलाकेमें हिजरत कर गये थे और खेतोंमें घास-फूस या पत्तोंके मंडप बनाकर रहते थे। अिस प्रकार जब भट्टी खूब गरम हो रही थी, तब नवंबरके शुरूमें सरदार दुबारा बाहर आये। अिसी असेंमें महादेवभाभी भी अपनी छः मासकी सजा पूरी करके बाहर आ गये थे। सरदार बाहर निकलकर लोगोंको अुत्तेजित करनेवाले भाषण देने लगे। अिसलिये सरकारने यह कहकर कि सरदार और

महादेवभाजी 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संस्थाकी' गैरकानूनी हलचलसे संबंध रखते हैं अन पर भाषणबन्दीकी आज्ञा जारी कर दी। यद्यपि अन्होंने बाहर आनेके बाद तुरंत बम्बयीमें मांडवीके खादी भंडारका अदुघाटन करते हुअे लीगोसे कह दिया था :

“मेरे दिलकी वाणीसे आप कहां अनजान हैं? असि वाणी पर कोअी ताला नहीं लगा सकता। मैं जेलमें बैठा हूंगा तो भी वह आप तक पहुंच जायगी और आपके हृदयमें पैठ जायगी।”

वारडोली, जलालपुर और बोरसद आदि कुछ तालुकोंके किसान हिजरत कर गये थे। अन्हें भी असि सभासे ही अन्होंने सन्देश भेज दिया :

“कुछ लोग मुझे सलाह देने आते हैं कि गुजरातके किसानोंको क्यों बरबाद कर रहे हो? गुजरातका किसान अतना पंगु हो तो मुझे सचमुच दुःख होगा। परंतु वह पंगु नहीं है। गुजरातका किसान असि लड़ायीमें मिट जाय तो मैं समझूंगा कि असने देशकी मुक्तिके यज्ञमें अच्छेसे अच्छा भाग लिया। दो चार तालुकोंको, जो आज लड़ रहे हैं, नकशमें से निकाल देना हो तो भले निकाल दें। उनके लिअे मुझे गर्व होगा। हमें तो यह मौजूदा नकशा मिटाकर असमें नये रंग भरने हैं। अस नये नकशमें सच्ची अज्जतके स्थान अन तालुकोंको दिये जायंगे। यह डर दिखाया जाता है कि किसानोंकी जमीनें चली जायंगी। किसानोंकी जमीनें चली जायंगी, तो क्या सरकारको किमीने ताम्रपत्र पर असि देशका राज्य लिख दिया है?”

गुजरातकी तरह कर्नाटकमें सिरसी, सिद्दापुर और अंकोला तालुकोंमें किसानोंने करबन्दीकी लड़ायी छेड़ दी थी। सरदारने गुजरातके किसानोंकी अेक सभामें अन्हें ध्यानमें रखकर कहा :

“कर्नाटकके बहादुर किसान कुर्बानी करनेमें, जमीन-जायदाद खोनेमें और कष्ट अुठानेमें आपसे स्पर्धा कर रहे हैं। उनके यहां कुर्कियां हुअी हैं, जमीनें जब्त की गयी हैं और कितने ही लोग जेल गये हैं। स्त्री और पुरुष दुःखों और कष्टोंकी कोअी परवाह नहीं करते। वे बिलकुल बरबाद हो गये हैं। उनके पास कोअी साधन नहीं रहे हैं। उनकी बहादुरी और कुर्बानीकी बात सुनकर मेरा हृदय उनकी प्रशंसा करता है; उनके अपार कष्टोंकी बात सुनकर मैं कभी कभी कांप अुठता हूं। फिर भी मुझे उनके लिअे गर्व होता है।”

सरदारका अपना गांव करमसद आणंद तालुकेमें है। अस गांव पर पुलिसने अेक बार लगान वमूल करनेके लिअे घावा किया था। अस वक्त

सरदारकी अस्सी बरसकी वृद्धा माताजीको भी पुलिसकी परेशानीका अनुभव हुआ था। जब पुलिस घरमें घुसी तब वे खाना बना रही थीं। पुलिसने भोजनालयमें जाकर चूल्हे पर रखे हुए बरतन फेंक दिये, चावलकी हांडीमें कंकर और मिट्टीका तेल डाल दिया और सब चीजें अस्तव्यस्त करके चम्पत हो गयी। गांवके नवयुवक यह देखकर खूब अतुतेजित हुए, परंतु यह याद करके कि यह लड़ाजी अहिंसक है अन्होंने खामोशी रखी।

सरदारने अिन दोनों जेलोंमें समयका कैसा सदुपयोग किया था, यह हमें अिस परसे मालूम होता है कि जब वे साबरमती जेलसे निकले तब नौ पौंड सूतका ढेर कातकर लाये थे और यरवडासे निकले तब आठ पौंड सूत कातकर लाये थे। जेलमें वे बाहरकी लड़ाजीकी, लड़ाजीमें भाग लेनेवाले भाजी-बहनोंकी और अपनी माताजीकी कैसी विन्ता रखते और मणिबहनको समय समय पर कैसी शिक्षा देते थे, अिसका पता हमें अुनके मणिबहनको लिखे हुए नीचेके पत्रोंसे चलता है। यरवडा जेलसे ता० ८-९-'३० को लिखे पत्रमें वे मणिबहनको लिखते हैं :

“स्वास्थ्यकी रक्षा करते हुए खूब काम करना। खेड़ा जिलेमें दौरा करते रहना और लोगोंको साहस दिलाते रहना। किसीको घबराने न देना। हो सके तो मावलंकरसे अेक दिन मिल आना। अुनसे मिलने जानेका जो दिन हो अुसकी तलाश करके अुसी दिन जाना, ताकि अुनके रिश्तेदारोंसे मिलनेके दिनमें कोअी र्कावट न आये। पिछले पत्रमें काफी हाल लिखा था। अिसी तरह हर सप्ताह या दस-बारह दिनके अंतरसे खबर लिखते रहना।

“काशी काका (जेल) गये, यह अच्छा हुआ। थोड़ा अनुभव होगा, यह भी अच्छा ही है। दुबारा समय मिल जाय तो बासे मिल आना। अुन्हें कुछ रुपयोंकी जरूरत हो तो कृष्णलालसे मिलकर मेरे खानगी खातेमें से मंगाये जा सकते हैं।

“छगनलाल जोशी भले ही बाहर दौरा करें। बाहर घूमने-वालोंकी भी जरूरत तो है ही। समय आने पर सब ठिकाने लग जायेंगे। सबके साथ मिठाससे काम लेनेका प्रयत्न किया जाय। यथासंभव किसीको बुरा न लगे, अिस ढंगसे काम किया जाय। अिस यज्ञमें देरअबेर सभीको मन या बेमनसे पढ़ना ही होगा। जल्दबाजी या अधीरतासे काम नहीं होता। अिसलिअे अिस तरह समझाकर काम लिया जाय कि किसीको दुःख महसूस न हो। तुम अभी कहां

रहती हो यह समाचार नहीं लिखा। मैं मान लेता हूँ कि दादूभाभीके घर पर ही रहती होगी।

बापूके आशीर्वाद”

ता० ३-१०-३० के पत्रमें लिखते हैं:

“तुम्हारा खेड़ा जेलसे लिखा हुआ पत्र मिला था। उसके बाद यह मानकर प्रतीक्षा कर रहा था कि साबरमतीसे कुछ लिखोगी। परंतु शायद तुम्हें महीने भरमें अंक ही पत्र लिखनेकी अजाजत होनेके कारण बार बार नहीं लिखा जा सकता होगा। असलिये तुम्हारे समाचार चि० डाह्याभाभी जब मिलने आया तब सौ० नंदूबहनके पत्रसे मिले। अुनके पत्रसे मालूम हुआ कि साबरमती जानेके बाद तुम्हें बुखार आ गया था। अब आराम हो गया होगा। वहां अस ऋतुमें हमेशा मलेरिया होता है। असलिये जरा संभाल रखनी चाहिये। पेट साफ रखनेके लिये डॉक्टरसे कोअी दवा नियमित लेनी चाहिये। अससे कोअी दिक्कत नहीं होगी। साथ तो किसी न किसीका मिल ही जाता होगा। सविताबहन अंक महीनेके लिये वहां आअी हैं। खेड़ावाले किसी न किसीको भेजते ही रहेंगे। असलिये संगति मिलती रहेगी।

“हिन्दी और मराठी ताजी की जा सके तो अच्छा हो। परंतु तुमसे तो काम लिया जाता होगा, असलिये पता नहीं वक्त मिलता होगा या नहीं। काममें समय जाय, यह अंक तरहसे अच्छा ही है। यहां आनेके बाद तुमने पूनियां भेज दीं, असलिये मैंने और चार सेर सूत कात डाला है। यहांसे छूटनेके बाद काममें लगनेसे पहले अहमदाबाद आकर अंक बार तुमसे मिल जाअंगा। अब अंक महीना बाकी है। . . . महादेव मुझसे पहले छूट गये होंगे। छूटते ही तुरंत काममें लगनेसे पहले मुझसे मिल जाय तो ठीक हो। चि० डाह्याभाभी अगले सप्ताह मिलने आयगा तब अुसके साथ खबर भेजूंगा।

“स्वास्थ्यका पूरा खयाल रखना। बापूकी गीता और आश्रम-भजनावलि साथमें होंगी। अुनका अच्छी तरह अुपयोग करना। जेलके नियमोंका भलीभांति पालन करना। जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्टको भी अपने व्यवहारसे जीत लेनेकी कोशिश करना।

“मेरी तबीयत अच्छी है। साबरमतीमें जितना वजन खोया था अुतना वापस जुटाकर बाहर निकलनेकी आशा है। बापूको पत्र

लिखना हो तो मुझे अलगसे लिखनेकी जरूरत नहीं। अन्हींको लिखना। जाड़ेमें ठंड पड़ेगी। उस समय ओढ़नेके लिये कपड़े लगें तो नंदूबहनको समाचार भेज देना। वैसे तो जेलसे कम्बल मिलेंगे ही। उनका ही उपयोग करना अच्छा है।

“चि० डाह्याभाजी अगले सप्ताह शुक्रवार या शनिवारको आनेवाला है। बेचारा अकेला बाहर रह गया, असलिये परेशान है। नौकरी छोड़नेका विचार कर रहा है। मैंने तो उससे कह दिया है कि जैसी अच्छा हो वैसा करो।

“जेल-कमेटीमें से किसी समय कोजी मिलने आयें तो उनके साथ भी काफी सम्यतासे बात करना। मि० डेविस कभी तलाश करें और कोजी कठिनाजी हो तो उन्हें बता देना। वैसे तो जेलमें से और क्या लिखनेकी बात हो सकती है? और दूसरा लिखा भी क्या जा सकता है? अंक-दूसरेकी तंदुरुस्तीके समाचार मिल सकें तो काफी है। तुम्हारे साथ दूसरी बहनें हों तो उनसे प्रेम करना और उन्हें खूब धीरज और हिम्मत बंधाना।

बापूके आशीर्वाद”

ता० १३-१०-'३० के पत्रमें लिखते हैं:

“तुम्हारा ता० ७-१०-'३० का पत्र मिल गया। यह जानकर आनन्द हुआ कि बुखार मिट गया और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चि० डाह्याभाजी पिछले शुक्रवारको दुबारा मिल गया। अिस बार रामदास और मीराबहन भी आये थे। उनसे तुम्हारे समाचार मिले थे। अंक तरहसे तुम्हें वहीं रखा गया सो ठीक हुआ। दूसरे सबको सुविधा हो जायगी।

“खुरशेदबहनका स्वास्थ्य नाजुक है और सुविधा कुछ भी नहीं, असलिये दिक्कत तो होगी। परन्तु वे सब कुछ सह लेंगी। जितनी सुविधा की जा सकती हो, अतनी कर दें तो काफी है। अन्हें 'अ' वर्गमें रखा है। असलिये नियमानुसार कमोड मिलना चाहिये। फिर भी क्यों नहीं मिला, यह मैं नहीं समझ सका। मेरे खयालसे अन्हें 'अ' वर्गके नियमोंकी जानकारी भी नहीं होगी।

“महादेवभाजीको रामदासके साथ संदेश कहलवा दिया है। असलिये अब तुम कोजी चिन्ता न करना। मेरे भी अब सिर्फ तीन हफ्ते बाकी रहे हैं। उसके बाद अंक बार अहमदाबाद आकर

मिल जानेका प्रयत्न करूंगा । उस समय और क्या स्थिति होगी, इसका आजसे कैसे पता चले ?

“मेजर साहब बहुत भले आदमी हैं। इसलिये उनसे जितनी हो सकेगी अतनी सुविधा देंगे । परन्तु वे जितना चाहें अतना कर नहीं सकते । इसलिये हम तो जितना कष्ट आ पड़े अतना सहन कर लें । चूड़ियोंके लिये लड़ना पड़े, यह आश्चर्यकी बात है । * फिर भी तुम सबको जो ठीक लगे सो करना । वैसे यह विषय असा है कि सरकार इसमें लड़नेकी नौबत नहीं आने देगी ।

“सब बहनोंकी संभाल रखना और सबको बहादुर बनाकर बाहर भेजना ।

“पढ़नेका वक्त न मिले तो चिन्ता करनेकी कोयी बात नहीं । कातनेके लिये भी वक्त मिले तो ही कातना । वहाँके दूसरे कामोंमें जितना वक्त देना पड़े देना ।

“मेरे पास तो पूनियां खूब आ गयी हैं और कातनेका काम भी खूब चल रहा है । रोज दो हजार गज कातनेका निश्चय किया है । अब पूनियोंकी जरूरत नहीं है । वक्त भी अब थोड़ा ही रह गया है । सब आश्रमों और समितियों पर धावा हुआ है । इसलिये किसीको पूनियोंके कामके लिये रोकना भी पाप करने जैसा है । मुझे बापू भी पूनियां भेज देते थे । परन्तु अन्हें भी कातना पड़ता है, इसलिये अन्हें पूनियां चाहिये । इसके सिवाय, वे मेरे लिये पींजनेका काम करते थे । इसलिये मैंने अिनकार कर दिया ।

“मेरा स्वास्थ्य अच्छा है । साबरमतीमें जितना वजन खो दिया था अतना पुनः प्राप्त कर लिया है । यहां तो ‘अ’ वर्गकी खुराक ही लेना तय किया है । दूसरे सबके साथ रहनेमें इसी तरह सुविधा हो सकती थी । जयरामदास और चंद्रभाभी मजेमें हैं । वे तुम्हें आशीर्वाद भेजते हैं । मथुरादास यहां नहीं हैं । दिल्लीसे यहां आये ही नहीं । अन्हें सीधे बेलगांव जेलमें ले गये हैं । भाभी जमनादास द्वारकादास यहां हमारे साथ थे । वे आज सुबह छूट कर बम्बयी गये हैं ।

* साबरमती जेलमें बहनोंकी कांचकी चूड़ियां भी अतार ली जाती थीं और कहा जाता था कि तुम्हें पहनना हो तो सूतकी बनाकर पहनो । इसका वहाँकी बहनोंने विरोध किया था । यह मामला पत्रव्यवहारसे ही निबट गया था और बहनोंको कांचकी चूड़ियां पहननेकी अिजाजत मिल गयी थी ।

“चि० डाह्याभाजी बहुत परेशान रहता है। नौकरी छोड़नेकी बात कर रहा था। मैंने तो उसे जो जीमें आये सो करनेकी अिजाजत दे दी है। परन्तु उसके पीछे अपाधि लगी हुअी है, असलिये उसे समझमें नहीं आता कि वह क्या करे।

“खुरशेदबहन, सविताबहन और दूसरी सब बहनोंको मेरे आशीर्वाद कहना।

बापूके आशीर्वाद”

दूसरी बार जेलसे बाहर आनेके बाद सरदार पर भाषणबन्दीका हुक्म जारी किया गया। परन्तु लड़ाीमें सम्मिलित और हिजरत किये हुअे किसानोंसे मिले बिना वे तुरन्त जेल नहीं जाना चाहते थे, यद्यपि सरकार अुन्हें बाहर रहने देनेवाली नहीं थी। जब सरदारने अपनी गिरफ्तारीका अेक भी सीधा बहाना नहीं दिया, तो पुलिसने बम्बयीमें खादी भंडारका अुदघाटन करते समय दिया हुआ अुनका भाषण ढूढ़ निकाला और दिसंबरके दूसरे हफ्तेमें अुन्हें फिर पकड़ लिया। अुन पर जो मुकदमा चला, अुसमें बम्बयीके भाषणके सिवा अुनके और अपराध ये बताये गये : अुन्होंने मंशीको पत्र लिखा था कि हमें लड़ाीमें आगे रहना चाहिये, डॉक्टर कानूगाके बंगले पर कुछ किसान सरदारसे मिलने आये थे, भाजीलाल साराभाजीके यहां तीस-चालीस किसानों जैसे लोग अिकट्ठे हुअे थे जहां सरदार और महादेव देसाजी गये थे, सत्याग्रह आश्रममें कुछ किसान सरदारसे मिलने आये थे, कुछ विदेशी कपड़ेके व्यापारी डॉ० कानूगाके बंगले पर सरदारसे मिलने गये थे और माणक चौकमें जहां स्वयंसेवक विदेशी कपड़ेकी दुकानों पर पहरा लगा रहे थे वहांसे सरदार गुजरे थे ! अुन्हें अिन सब अपराधोंके लिये नौ महीनेकी सजा दी गयी।

अिस बार लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा था अिसका वर्णन प्रसिद्ध पत्रकार मि० ब्रेस्फर्डने, जिन्होंने सारे हिन्दुस्तानका भ्रमण किया था, ता० १२-१-३१ के ‘मैचेस्टर गार्डियन’ में किया है। अुसमें से गुजरात सम्बंधी वर्णन यहां अुद्धृत किया जाता है :

“गुजरातके देहातोंमें पुलिस द्वारा किये गये निर्दय व्यवहारका मेरे पास प्रचुर प्रमाण है। मैं अिन गांवोंमें पांच दिन रहा हूं। कानूनके अनुसार की जानेवाली सख्ती तो वहां काफी कड़ी थी ही। बारडोली और बोरसद तालुकोंमें लगभग हरअेक किसान लगान देनेसे अिनकार करता था। वह अनेक हेतुओंसे प्रेरित होकर अैसा करता था। गांधीजीके प्रति अुसकी भक्ति, स्वराज्यकी तमन्ना, अनाजके भाव गिर जानेके कारण

होनेवाली आर्थिक कठिनायी, जैसे अनेक कारण लगान न देनेके थे। इसके जवाबमें सरकारने खेतोंमें खड़ी फसल कुर्क करना शुरू कर दिया, भैंसों कुर्क करके नीलाम करना आरंभ कर दिया और कुओंके अिजन तथा पंप अखाडकर ले जाना शुरू कर दिया। और ये सब नाममात्रके मूल्य पर बेच दिये जाते थे। किसानको कुल चालीस रुपये लगानके अदा करने होते तो उसके बदले वह अपना सर्वस्व खो बैठता था। और कर्मचारियोंने अेक तरकीब निकाल कर लगानकी किस्त तीन महीने पहले लेनेका निश्चय किया था। परिणाम यह होता कि १९३० की दोनों किस्तें जिन्होंने अक्तूबर तक अदा कर दी हों, अन्हें १९३१ की किस्तें जनवरीमें चुकानी पड़ती थीं। यह सब कानूनके अनुसार होता होगा, परन्तु अुससे होनेवाली तकलीफ अिन्सानको पागल बना देनेवाली थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगोंको पुलिसका बेहद कष्ट अुठाना पड़ता था। पुलिस अिन गांवोंमें बंदूक और लाठियां लिये घूमती और जो किसान मिल जाय अुसीको लाठी और बन्दूकके कुन्देका स्वाद चखाती। अिन जुल्मोंके शिकार हुअे लोगोंके पैतालीस बयान मंने लिये हैं और दोके सिवाय बाकीकी घटनाओंमें तो मारके निशान और घाव मंने अपनी आंखों देखे हैं। अेक लड़कीने शर्मके मारे मुझे घाव नहीं दिखाये। अिनमें से कुछ मामले तो गंभीर माने जा सकते हैं। अेक आदमीका हाथ टूट गया था, अेक आदमीका अंगूठा कट गया था, जब कि औरोंके सारे शरीर पर मारके निशान थे। कुछ केस दूरके अस्पतालोंमें होनेके कारण मं देख नहीं सका। अिसमें हेतु किसी भी तरह लगान वसूल करनेका था। मारपीट की जाय और भैंस पकड़ ली जाय, तो किस्तकी मियाद पूरी न होने पर भी लगान वसूल किया जा सकता था। मंने तो जैसे मामले भी देखे हैं जिनमें खातेदार न होने पर भी मनुष्योंको मारपीट कर अुनसे पड़ोसियोंके लगान वसूल कर लिये गये। बहुतसे मामलोंमें तो लड़ाईमें शरीक होनेवाले गांव पर केवल आतंक जमानेका ही पुलिसका अुद्देश्य होता था, क्योंकि वहां लगान वसूल करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था। आतंकका यह प्रकार तो पुलिसके लिये हंसी-दिल्लगी हो गया था। किसीसे पूछा जाता, 'क्यों, तुझे स्वराज्य चाहिये? तो ले।' यह कहकर दो-चार लाठीके वार कर दिये जाते। अिसमें अधिक भद्दी बात तो यह थी कि पुलिस और माल-विभागके कर्मचारी खेड़ा जिलेके पाटीदार लोगोंके विरुद्ध बारैया लोगोंको भड़काकर साम्प्रदायिक द्वेष फैला रहे थे।

पाटीदारोंको मारने, उनका कर्ज न चुकाने और उनके घर जला देनेके लिये बारैयोंको झुकसाया जाता था। रूसमें कम्युनिस्ट कर्मचारी देहातमें वर्गविग्रह भड़कानेके लिये जिस प्रकारके अपाय काममें लेते थे, उनसे ये कम नहीं थे।

* * *

“बोरसदमें हवालाती कैदियोंको रखनेकी जगह मैंने देखी। वह जानवरोंको रखनेके खुले पिजड़े जैसी ही थी। तीस चौरस फुटके अिस पिजड़ेमें अठारह कैदियोंको रख छोड़ा था। अिस पिजड़ेसे अन्हें दिनमें केवल अेक बार आध पौन घंटेके लिये मुंह-हाथ धोने और टट्टी जानेके लिये बाहर निकाला जाता था।”

अिस बीच ता० १२-११-३० को लंदनमें गोलमेज परिषद् शाही ठाटसे हुआ। कांग्रेसकी अनुपस्थितिके कारण अिस परिषद्में किसी तरहकी द्वास्तविकता तो थी ही नहीं, फिर भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने सारा नाटक अच्छी तरह पूरा किया। ता० १९-१-३१ को ब्रिटिश प्रधान मंत्रीने भारतके शासन विधान-सम्बन्धी ब्रिटिश सरकारकी नीति और अिरादे घोषित किये और परिषद्को मुलतवी कर दिया। अपने भाषणके अन्तमें अन्होंने यह भी कहा कि “अिस बीच जो लोग अिस समय सविनय कानून-भंगकी लड़ाकीमें लगे हुए हैं वे वाअिसरायं द्वारा की गयी अपीलके अनुकूल हो जायेंगे, तो अुनकी सेवाओं स्वीकार करनेकी व्यवस्था की जायगी।” अिस पर ता० २१-१-३१ को स्वराज्य भवन, अलाहाबादमें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक हुआ, जिसमें निश्चय किया गया कि गोलमेज परिषद्में हुआी कारंवायीको कांग्रेस जरा भी स्वीकार नहीं करती और अिंग्लैण्डके प्रधान मंत्री मि० रेम्जे मैकडोनल्डने ब्रिटिश सरकारकी जो नीति घोषित की है, अुस पर गंभीर विचार करके यह निर्णय करती है कि वह नीति अितनी गोलगोल है कि अुससे कांग्रेसको कोयी सन्तोष नहीं हो सकता।

अितनेमें लंदनसे श्री शास्त्री, सप्रू और जयकरका पंडित मोतीलालजीके नाम तार आया कि हम जब तक हिन्दुस्तान आकर आपसे सलाह-मशविरा न कर लें, तब तक ब्रिटिश प्रधान मंत्रीके भाषण पर कोयी प्रस्ताव पास न करनेकी कांग्रेससे हमारी प्रार्थना है। अिस पर मोतीलालजीने तमाम सदस्योंको सूचना दी कि सब ध्यान रखें कि अिस प्रस्तावकी बात बाहर किसी पर प्रगट न हो और प्रस्ताव अखबारोंमें न आये। फिर भी प्रस्ताव तो अखबारोंमें पहुंच ही गया। गोलमेज परिषद् मुलतवी करते समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी यह अिच्छा रही होगी कि कांग्रेसको गोलमेज परिषद्में लानेका अभी अेक और प्रयत्न करके देखा जाय। अिस पर वाअिसरायंने ता० २५-१-३१ को

घोषणा प्रकाशित करके गांधीजी और कांग्रेस कार्यसमितिके तमाम सदस्योंको बिना शर्त छोड़ दिया, जिससे वे आपसमें सलाह-मशविरा कर सकें। लड़ाईके दिनोंमें जिन्हें कांग्रेस कार्यसमितिका सदस्य बनाया गया था, वे भी छोड़ दिये गये। इस घोषणाके अनुसार कुल छब्बीस मनुष्योंको छोड़ा गया। छूटनेवाले सदस्योंमें सरदार भी थे।

कार्यसमितिके सदस्योंकी रिहाईसे लड़ाईका अंक नया अध्याय आरंभ हुआ।

४

गांधी-अविन समझौता — लड़ाई स्थगित

जब गांधीजी और कार्यसमितिके सदस्य जेलमें छूटकर बाहर आये, अुस वक्त पंडित मोतीलालजी सख्त बीमार थे। इसलिये गांधीजी अुनसे मिलनेके लिये सीधे अलाहाबाद पहुंचे। अलाहाबाद जाकर अुन्होंने कार्यसमितिके छूटे हुए और बाहर रहे सभी सदस्योंकी बैठक बुलवायी। दो तीन दिनमें लगभग तीस सदस्य वहां पहुंच गये और इस बात पर सलाह-मशविरा शुरू हुआ कि अब क्या किया जाय। पं० मोतीलालजी बातचीतमें भाग ले सकनेकी स्थितिमें न थे। गांधीजीको अुन्होंने बताया कि, “महात्माजी, मैं तो अब थोड़ी देरमें चला। स्वराज्य देखना मेरे भाग्यमें नहीं बदा है। परन्तु मैं जानता हूं कि आप अुसे प्राप्त कर चुके हैं और थोड़े ही समयमें वह आपके हाथमें आ जायगा।” ६ फरवरीको सुबह पं० मोतीलालजीका देहान्त हो गया। अुसी दिन गोलमेजमें गये हुए हमारे नेता बम्बयी तट पर अुतरे। श्री शास्त्री और सप्रू बम्बयीसे सीधे अलाहाबाद पहुंचे। अुन्होंने लंदनमें जो कुछ हुआ अुसका सारा हाल कार्यसमितिके आगे कह सुनाया। कार्यसमितिके सदस्योंने अुनसे अच्छी तरह जिरह की। अुसके परिणाम-स्वरूप कार्यसमितिके सदस्योंको विश्वास हो गया कि अिन बातोंमें कुछ दम नहीं है। इसलिये २१ जनवरीको कांग्रेस कार्यसमितिके जो प्रस्ताव पास किया था, अुती पर सब छूटे हुए सदस्य भी कायम रहे। शास्त्रीजी और सर तेजबहादुर सप्रूने गांधीजीको सुझाया कि आपको वाइसरायको अेक पत्र लिखकर मुलाकातकी मांग करनी चाहिये और अुनके साथ खुले दिलसे बातचीत करनी चाहिये। कार्यसमितिके सदस्यों तथा गांधीजीको भी अैसी आशा तो नहीं थी कि इसका कुछ परिणाम निकलेगा, फिर भी अपनी इस कार्यपद्धतिके अनुसार कि विरोधी पक्षको अपना रुख

समझानेका अंक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिये, गांधीजीने वाअिसराँयको पत्र लिखा। तुरन्त वाअिसराँयका अुत्तर आया कि मिलने आअिये। अिसलअिअे गांधीजी १६ फरवरीको दिल्ली चल दिये। कार्यसमितिसे वे कहते गये कि समझौतेके बारेमें वाअिसराँयके साथ जरा भी आशाप्रद बात हुअी तो में कार्य-समितिको दिल्ली बुला लूंगा। वाअिसराँयके साथ हुअी पहली ही भेंटमें गांधीजीको थोड़ी आशा बंधी और अुन्होंने कार्यसमितिको दिल्ली बुलाया। अिसके बाद तीन सप्ताह तक वाअिसराँयके साथ होनेवाली बातचीत आशा-निराशाके बीच झूलती रही। अिस सारे समयमें कार्यसमिति दिल्लीमें ही रही। वाअिसराँयके पाससे आकर गांधीजी अुनसे जो बातें होतीं सब कार्यसमितिको कह सुनाते और अुसकी राय जान लेते थे। कभी कभी तो गांधीजी वाअिसराँयसे मिलकर आधी रातको अपने निवासस्थान पर लौटते थे। अुस समय भी वे सारे सदस्योंको जगाकर वाअिसराँयसे हुअी सारी बातचीत अुन्हें कह सुनाते थे।

अिस सारे असेंमें देशमें लड़ाई तो जारी ही थी। यद्यपि कार्यकर्ताओंको अैसी खानगी सूचनाअें दे दी गअी थीं कि जो प्रवृत्तियां जारी हों वे न रोकी जायं, परन्तु लड़ाईका कोअी नया कार्यक्रम शुरू न किया जाय। फिर भी पुलिसका घमंड और अुसके जुल्म अैसे थे कि कांग्रेसवाले न चाहते तो भी अुन्हें लड़ाई करनी पड़ती। किसानोंकी मुसीबतें, कुकियां, खड़ी फसलके साथ जमीनोंकी बिक्री, फसल पर पुलिसका पहरा, फसल ले जानेका प्रयत्न करनेवालोंके साथ मारपीट आदि सब बातें पूरे जोरके साथ जारी थीं। शराब-खानों और विदेशी कपड़ेकी दुकानों पर धरना देनेका अपना काम बहनें अितनी शांतिपूर्वक किन्तु आग्रहपूर्वक करतीं कि पुलिससे वह सहा न जाता। अिस सिलसिलेमें बहनों पर पुलिसके निर्दय आक्रमणकी अंक घटना गांधीजी और कार्यसमितिकी रिहाअीके थोड़े ही दिन पहले यानी २१ जनवरीको बोरसदमें हुअी। वहांकी स्थानीय महिलाओंकी सहायताके लअिअे साबरमती आश्रमकी कुछ बहनोंने बोरसदके पास गायकवाड़ी अिलाकेमें डेरा डाला था। अंक बहनको, जो शान्तिसे पिकेटिंग कर रही थी, पकड़नेके बाद पुलिसने तमाचे लगाये। अिसके विरोधमें बोरसदकी बहनोंने आश्रमवासी श्री गंगाबहन वैद्यके नेतृत्वमें अंक जुलूस निकालनेका निश्चय किया। अिस जुलूसका कार्यक्रम यदि शांतिसे पूरा हो जाता तब तो पुलिसकी अिज्जत ही चली जाती, अिसलअिअे लाठीधारी पुलिसकी बड़ी टोली जुलूसको रोकनेकी तैयारीसे खड़ी हुअी। जुलूसके निकलते ही तुरंत पुलिसने अुसे आगे जानेसे रोककर बिखर जानेकी आशा दी। बहनें न बिखर कर वहीं बैठ गअीं और राष्ट्रीय गीत गाने लगीं। पुलिस भेड़ियेकी तरह अिन बहनों पर टूट पड़ी। अुन पर लाठियोंकी वर्षा

की गयी और लाठीसे घायल होकर पड़ी हुयी बहनोंको रास्ते परसे घसीट-घसीट कर अेक तरफ डालना शुरू किया। गंगाबहन सख्त घायल हुयीं और खूनसे रंग गयीं। यह हाल जाहिर होने पर देशमें बड़ा हाहाकार मचा।

समझौतेकी बातचीतके दौरानमें पुलिसके अिस और अन्य निर्दय व्यवहार सम्बन्धी जांच होनेकी बात निकली। कार्यसमितिकी दृढ़ राय थी कि जांच होनी ही चाहिये, जब कि लड़ाीके दौरानमें सरकारी कर्मचारियों और पुलिसके द्वारा किये गये किसी भी कृत्यके सम्बन्धमें जांच करानेको वाअिसराय बिलकुल तैयार न थे। अिसलिये अिस मुद्दे पर संधिवाता भंग हो जानेकी स्थिति पैदा हो गयी। गांधीजीने कार्यसमितिसे कहा कि भंग हो जानेकी हद तक अिस मुद्देको पकड़ रखना मुझे ठीक नहीं लगता, परन्तु कार्यसमितिका यही आग्रह हो तो मैं आनंदपूर्वक कार्यसमितिके अजेण्टकी हैसियतसे काम करूंगा और समझौता टूट जाता हो तो अुसे तोड़कर वाअिसरायके पाससे लौट आऊंगा। गांधीजीका यह रुख देखकर कार्यसमितिने अपना आग्रह छोड़ दिया।

दूसरा अैसा ही कठिन प्रश्न किसानोंकी जब्त हुयी जमीनोंके बारेमें था। अिस मामलेमें गांधीजी अैसा कोअी समझौता स्वीकार करनेको तैयार नहीं थे जो सरदारको मंजूर न हो, और सरदारका आग्रह था कि जब्त की हुयी सब जमीनें वापस मिलनी ही चाहिये। जो जमीनें दूसरे अिसामियोंको न बेची गयी हों अुन्हें लौटानेको तो वाअिसराय तैयार थे, परन्तु बिकी हुयी जमीनोंके मामलेमें अुनकी अपनी कठिनायी थी। कारण, बारडोली और बोरसदमें करबन्दीकी लड़ायी जब जोरसे चल रही थी तब वाअिसरायने बम्बयी सरकारको पत्र लिखकर विश्वास दिलाया था कि किसी भी हालतमें बेची हुयी जमीनें किसानोंको वापस देनेके लिये वे नहीं कहेंगे। गांधीजीने कहा कि, “बेची हुयी जमीनोंके मामलेमें कुछ न हो सकता हो तो मुझे बातचीत भंग कर देनी पड़ेगी। अिस बारेमें मैं कांग्रेस कार्यसमितिका दृक्म (मैन्डेट) लेकर आया हूं। और गुजरातमें तो मैं सरदार वल्लभभाजीके तेजसे ही चमकता हूं, अिसलिये अिस प्रश्न पर मुझे सरदारके ही मार्ग-दर्शनसे काम करना चाहिये; जिस समझौतेसे वे सहमत न हो सकें, अुसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता।” अन्तमें अिस प्रश्नका निबटारा अिस प्रकार हुआ कि कोअी तीसरा आदमी बीचमें पड़कर खरीदारोंसे किसानोंको जमीनें वापस दिलवा दे तो सरकार आपत्ति नहीं करेगी। अितना ही नहीं, वह यथाशक्ति अनुकूलता पैदा कर देगी।

गांधीजीका खास आग्रह तो यह था कि विदेशी कपड़े और शराब-खानों पर शांत धरना देनेका हमारा हक स्वीकार किया ही जाना चाहिये,

और जिस प्रदेशमें नमक कुदरती तौर पर मिल जाता हो, वहांके लोगोंको वह नमक लेनेका अधिकार होना चाहिये । उनका दूसरा आग्रह यह था कि जिन कर्मचारियों और पटेल-पटवारियोंने लड़ाओके सिलसिलेमें अपनी नौकरीसे त्यागपत्र दिये थे, उन्हें सरकारको वापस काम पर ले लेना चाहिये । अविन मुद्दों पर समझौता करनेमें दिक्कत नहीं हुआ ।

सबसे ज्यादा महत्वका प्रश्न शासन-विधान संबंधी था । इस मामलेमें लंबी बातचीतके बाद, अलबत्ता कार्यसमितिकी मंजूरीकी अपेक्षा रखकर, गांधीजीने स्वीकार किया कि “आगेकी चर्चा गोलमेज परिषद्में चर्चित विधानकी योजनाका विचार आगे बढ़ानेके अद्देश्यसे ही की जायगी । जिस योजनाकी रूपरेखा वहां तैयार की गयी है, फेडरेशन (समूहतंत्र) अुसका अेक अनिवार्य अंग है । इसी तरह कुछ मामलों जैसे देशकी रक्षा, विदेशोंके साथ संबंध, अल्पसंख्यक जातियोंकी स्थिति, भारतके लेनदेनका निबटारा वगैरामें भारतके हितोंके लिये संरक्षण तथा भारतीयोंकी जिम्मेदारियां भी अुसके अनिवार्य अंग हैं ।” जैसे जमीनके प्रश्नके बारेमें सरदारको संतोष नहीं हो रहा था, वैसे ही इस शासन-विधानके सवाल पर जवाहरलालजीको संतोष नहीं हो रहा था । कैदियोंके छुटकारेके बारेमें केवल सत्याग्रही कैदियोंको ही छोड़नेवाले थे । दूसरे जो लोग नजरबन्द थे उनके मामलों पर व्यक्तिगत रूपमें विचार होनेवाला था, तथा जिन सिपाहियों और पुलिसवालों पर अफसरोंकी आज्ञाभंगके लिये मुकदमे चले थे उन्हें कोअी राहत नहीं दी गयी थी । अविन सब मामलोंमें कार्यसमितिके सदस्योंको संतोष नहीं था । गांधीजीका कहना यह था कि जब हम समझौता करने जाते हैं तो सब कुछ हमारी मरजीके मुताबिक नहीं होता । फिर भी किसी अेक मुद्दे पर अथवा सभी मुद्दों पर आपको संधिवादा भंग कर देनी हो तो मैं अैसा करनेको तैयार हूं । अन्तमें सब सदस्योंने गांधीजीकी सलाह मानी और जवाहरलालजी भी, जिन्हें यह समझौता जरा भी पसन्द नहीं था, गांधीजी पर विश्वास करके समझौता स्वीकार करनेको तैयार हो गये ।

बारडोली और बोरसद तालुकेके जिन किसानोंकी खड़ी फसलें लूट ली गयी थीं, जिनका कीमती माल कौड़ियोंके भाव बिक गया था और जिनकी लाखों रुपयेकी जमीनें जब्त करके दूसरोंको बेच दी गयी थीं उनका इस संधिसे निराश होना स्वाभाविक था । उन्हें समझौतेका रहस्य समझाते हुअे गांधीजीने कहा :

“यह संधि इस लड़ाओका अन्त नहीं है । लड़ाओका अंत तो स्वराज्य मिलनेके बाद ही होगा और शायद स्वराज्य मिल जानेके

बाद भी न हो। आज जो समझौता हुआ है, वह तो स्वराज्यकी मंजिलमें एक आगेका कदम है। अब जो लेना रह गया है, वह बातचीत, चर्चा और सलाह-मशविरेसे लेना है। मुझे याद नहीं आता कि आपको होनेवाली हानिका बदला दिलानेकी बात आपसे मैंने या सरदारने कही हो। किन्हीं स्वयंसेवकोंने आपको अंसी आशा दिलायी हो, तो मैं कहूंगा कि अन्होंने बिना विचारे अंसा किया था। अतः आप समितिको, मुझे या सरदारको अुसके लिअे जिम्मेदार न समझें। दांडीयात्राके बाद मैं यह बात कहता रहा हूं कि यह तो प्राणोंकी बाजी लगा देनेकी लड़ायी है। असि लड़ायीमें फना हो जाना पड़ेगा। और जो फना होना चाहता है वह नुकसानका मुआवजा क्यों चाहेगा? आपके घरबार लुट जायंगे, आप बालबच्चों सहित तबाह हो जायंगे, यह मैंने आपको ढोल बजा-बजाकर कहा था। आपको साफ बता दिया था कि यह सब सहन करना हो तो ही लड़ायीमें पड़िये, वर्ना मत पड़िये।

*

*

*

“यह प्रश्न दूसरा है कि यह संधि करनी चाहिं थी या नहीं। परंतु क्या असिमें सचमुच सिर झुकानेकी बात हुआ है? मैं कहता हूं कि जरा भी नहीं हुआ। आप मुआवजा किसका मांगते हैं? जानमाल खो दिया हो तो भी मुआवजा तो है ही। स्वराज्यके लिअे अितना नुकसान बरदाश्त करनेके लिअे आप तैयार न हों, तो यह कहा जायगा कि बारडोली और बोरसदके लोग कंजूस थे, लुट जानेको तैयार नहीं थे। हमारे स्वराज्य ले लेनेके बाद क्षतिपूर्ति करनेकी हमारी शक्ति होगी तो भी यदि आप नुकसानका मुआवजा मांगेंगे तो स्वराज्यके घातक बनेंगे। हां, सरदारको और मुझे एक वस्तु अवश्य असह्य मालूम होती है। आपकी जो जमीनें दूसरोंको दे दी गयी हैं वह खोनेकी चीज नहीं, यह निश्चित है। जो हानि हुआ हो अुसका बदला नहीं मांगा जा सकता। क्योंकि हम न तो मरे अुओंकी जिन्दगी वापस मांगते हैं और न कैदमें जाकर आनेवालोंका मुआवजा चाहते हैं। परंतु जमीनें तो वापस मिलनी ही चाहिये। सरदारने आपको जमीनें वापस दिलाना अवश्य स्वीकार किया था, यद्यपि मैंने वंसा नहीं किया था। परंतु असिमें शक नहीं कि ये जमीनें आपको मिलेंगी। यह नहीं कहा जा सकता कि कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। पर मिलेंगी, यह बात सच्च है। सरदारकी और

मेरी परीक्षा लेनेके लिये अंक बात काफी है। वह यह कि गजी हुआ जमीं वापस मिलनी ही चाहिये। जब तक वे नहीं मिलतीं तब तक स्वराज्य नहीं मिला अंगा मानना चाहिये। यह समझ लीजिये कि तब तक हम आपके सच्चे सेवक नहीं बने। इसके लिये हम फना हो जायंगे और आपको भी फना कर देंगे।”

संधिके थोड़े दिन बाद गांधीजी और सरदारने अकाध सप्ताह साथ साथ दौरा किया। गांव-गांव लोगोंके कष्टसहनकी प्रशंसा करके सरदार कहते: “आपने कष्टसहन तो बहुत किया, लेकिन जाहिर है कि आप लोगोंने जितनी अिज्जत कमायी, अुतनी बहुत थोड़े लोग कमा सकते हैं।” बारडोलीमें दौरा करते समय खेड़ा जिलेके अिसणाव गांवमें हिजरतियोंके अठारह झोंपड़े जल जानेके समाचार आये। अुसमें अनेक पशु और चार मनुष्य जलकर खाक हो गये थे। गांधीजीने सरदारसे कहा: “अिन लोगोंको हर तरहकी मदद दी जायगी, यह तो कहलवा दीजिये!” अपने किसानोंके लिये जबर्दस्त अभिमान रखनेवाले सरदारने कहा, “वे लोग जरा भी नहीं घबराये होंगे, वे मदद लेनेसे अिनकार कर देंगे। फिर भी दरबार साहब, छगनलाल जोशी आदि वहां हैं। वे लोग जो कुछ अुचित होगा, किये बिना नहीं रहेंगे।”

किसानोंसे काम लेनेकी सरदारकी पद्धति गांधीजीकी अपेक्षा कुछ भिन्न थी, अिस बातकी ध्वनि हमें बारडोलीके हिजरतियोंके समक्ष प्रगट किये गये सरदारके निम्न अुद्गारोंमें सुनायी देती है। अंक दिन सवेरे सरदार गांधीजीके साथ हिजरती गांव देखने गये थे। वहां वे बोले:

“गांधीजी तो तकली चलाकर भाषण देते हैं। अुन्हें अब कुछ कहना भी नहीं है। किसान अुसे समझें भी क्या? अिसलिये आपको मेरा कहना मानना चाहिये। अुनसे जो कुछ सीखना था, वह सब मैंने सीख लिया है। अब आपको मुझसे सीखना होगा।”

आगे हम देखेंगे कि संधिके अमलके बारेमें सरदारको बहुत बेचैनी रहती थी। अुनका खयाल था कि किसानोंका स्वभाव और अुनकी कठिनाअियां गांधीजी नहीं समझ सकते। अिस बातकी आगाही अूपरके अुद्गारोंमें है।

परंतु गांधीजी और सरदार दोनोंको यह जरा भी पसन्द नहीं था कि अिस संधिके बाद लोग राहत पानेकी आशा करने लगें। यह संधि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ स्वराज्यकी बातचीत करनेके लिये जो हाथ बढ़ा रहे थे अुसे स्वीकार करनेके लिये थी, न कि लड़ाईमें जिन्होंने खोया था अुन्हें

राहत पहुंचानेके लिये। साथ ही अमुका यह अद्देश्य भी था कि स्वराज्यके लिये लोगोंमें काम करनेका कांग्रेसको अवसर मिले। परंतु हम अगले अेक अध्यायमें देखेंगे कि जिस अुदारता और सद्भावसे प्रेरित होकर गांधीजी और वाअिसराॉय लार्ड अविन यह संघि करनेको प्रेरित हुअे थे, अुस अुदारता और सद्भावका अेक कण भी हिन्दुस्तानके ब्रिटिश कर्मचारी वर्गमें नहीं था। असलिये गांधीजी, सरदार और दूसरे कार्यकर्ताओंके जीतोड़ प्रयत्नोंके बावजूद संघिसे कोअी नतीजा नहीं निकला।

५

कराची कांग्रेसके अध्यक्ष

जिन दिनों वाअिसराॉयके साथ संघिकी बातचीत हो रही थी, अुन्हीं दिनों कार्यसमितिके सदस्य यह विचार कर रहे थे कि अगली कांग्रेस कहां और कब की जाय। लाहौरकी कांग्रेसमें तय हुआ था कि हर साल नातालके दिनोंमें कांग्रेस की जाती है, पर अुन दिनों ठंड बहुत होती है, असलिये मार्च महीनेमें जब ऋतु समशीतोष्ण होती है तब की जाय। अस साल लड़ाअी जारी थी असलिये यह संभव नहीं था कि हरअेक प्रान्तीय कांग्रेस समिति अध्यक्ष और प्रतिनिधियोंका बाकायदा चुनाव कर सके। असलिये कार्यसमितिने निश्चय किया कि यदि समझौता हो जाय, तो कराचीमें कांग्रेसका अधिवेशन किया जाय और अुसका अध्यक्षपद सरदारको दिया जाय। प्रतिनिधियोंके बारेमें तय हुआ कि हरअेक प्रान्तकी प्रान्तीय समिति अपनी निश्चित संख्यामें से आधे प्रतिनिधि अपने सदस्योंमें से चुने और आधे अपने प्रान्तसे जेल गये हुअे लोगोंमें से।

समझौता ५ मार्चको हुआ, और मार्चके अन्तिम सप्ताहमें कांग्रेस अधिवेशन करना तय हुआ। असलिये कराचीके लोगोंके पास तैयारी करनेके लिये बहुत थोड़े दिन बचे थे। परंतु वहांकी म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष श्री जमशेद मेहताके सहयोगके कारण और स्वागताध्यक्ष डॉ० चोअिथराम तथा सिन्धके निरभिमानी और निष्ठावान् कार्यकर्ता श्री जयरामदासकी व्यवस्थाशक्तिके कारण कराची कांग्रेसकी व्यवस्था बड़ी सुन्दर हो सकी। कराचीमें रहनेवाले गुजरातियोंने भी अुसमें जबर्दस्त भाग लिया। तैयारीके लिये पूरा अेक महीना भी नहीं मिला था, फिर भी अुन्होंने हजारों मनुष्योंके

रहने, नहाने-धोने, खानेपीने और पाखाने-पेशाबकी लगभग आदर्श मानी जा सकनेवाली व्यवस्था की। पहलेकी कांग्रेसोंकी अपेक्षा इस कांग्रेसमें एक यह नबी परिपाटी शुरू हुई कि कांग्रेसके मुख्य अधिवेशनके लिये मंडप बनानेके बजाय खुले आकाशके नीचे ही बैठना तय हुआ। इस आकाश-छत्रवाले मंडपकी रचना, उसके अन्दर ध्वनिवर्धक यंत्रोंकी व्यवस्था, बैठनेका अतिंजाम और तिरंगी दीपमाला आदि सब कुछ कलापूर्ण था।

कराचीकी यह कांग्रेस बहुत क्षुब्ध वातावरणमें हुई थी। सरकारके साथ हुअे समझौतेसे नवयुवक वर्गमें भारी असंतोष था। समझौतेके अनुसार जो कैदी छूटने चाहिये थे, वे सब कर्मचारियोंकी अङ्गोबाजीके कारण अभी तक नहीं छूटे थे। साथ ही बंगाल तथा दूसरे कुछ प्रान्तोंमें बड़ी संख्यामें कैदी नजरबन्द थे। वे सत्याग्रह-अन्दोलनके कारण नहीं पकड़े गये थे, परंतु राजनैतिक कैदी तो थे ही। इस समझौतेमें अन्हें छुड़वानेका कोअी बन्दोबस्त नहीं हो सका था। नाराजगीका इससे भी बड़ा कारण यह था कि भगतसिंह और अुनके दो साथी सुखदेव और राजगुरुको पंजाबके एक अफसरकी हत्याके अपराधमें सन् १९२८ के लाहौर षड्यंत्र केसमें फांसीकी सजा दी गयी थी। तमाम नौजवानोंकी यह मांग थी कि अन्हें फांसी न लगायी जाय। वाअिसरायके साथकी चर्चामें गांधीजीने वाअिसरायको यह समझानेमें कोअी कसर बाकी नहीं रखी थी कि अन्हें फांसी न दी जाय। परंतु वाअिसराय फांसी मुलतवी करनेको तैयार नहीं थे। और चर्चा चूँकि सत्याग्रहकी लड़ाीके सिलसिलेमें ही थी, असलिये गांधीजी संधिकी शर्तोंमें इस मामलेको ला नहीं सकते थे। भगतसिंह अँसा बहादुर जवान था कि अुसने वाअिसरायको दयाका प्रार्थना-पत्र देनेसे साफ अिनकार कर दिया था और कहा था कि मैंने तो देशकी स्वतंत्रताकी लड़ाीके लिये एक शत्रुका खून किया है, असलिये सरकार भी मुझे दुश्मन समझ कर भले गोलीसे अुड़ा दे। लेकिन सरकार मुझे फांसी पर लटका रही है, यह मुझे हीनता मालूम होती है। भगतसिंहने अपने इस साहस और शौर्यपूर्ण व्यवहारसे स्वाभाविक रूपमें ही नौजवानोंके दिल जीत लिये थे। वाअिसरायने गांधीजीसे अितना ही कहा कि आप चाहें तो मैं अँसी व्यवस्था कर दूँ कि कराची कांग्रेस खतम हो जानेके बाद अन्हें फांसी दी जाये। परंतु गांधीजीने वाअिसरायसे कहा कि जब आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं और नवयुवकोंके दिल पर अच्छा असर डालनेका यह मौका खो रहे हैं, तब अन्हें फांसी लगानी ही हो तो कराची कांग्रेससे पहले ही लगा दीजिये, ताकि मुझे और सरदारको नौजवानोंका जो भी रोष

बर्दाश्त करना पड़े वह हम वहीं बर्दाश्त कर लें। इस रोषसे बचनेकी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिये।

सरदारको असी कठिन परिस्थितियोंमें कांग्रेसके कार्य-संचालनका भार वहन करना था। उसकी कद्र हमारे (गुजराती) साहित्यकार श्री नरसिंहरावने किस प्रकार की थी, यह हमें निम्नलिखित श्लोकसे मालूम होता है जो अन्होंने गांधीजी और सरदारके बंबाईसे कराची जाते समय अपनी श्रद्धांजलिके रूपमें अ उनके हाथोंमें रखा था :

यत्र योगेश्वरो गांधी वल्लभश्च धूर्धरः।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीनिर्मतिर्मम॥

सांताक्रुज, १८-३-३१

आशावादी अल्पात्मा

अंतमें कराची कांग्रेसके थोड़े दिन पहले ही भगतसिंह और अ उसके साथियोंको फांसी लगा दी गयी। नवयुवक खूब अतुंजित हुअे। जब गांधीजी और सरदार कराची स्टेशन पर पहुंचे, तब नौजवान अ उनके सामने काले झंडे और काले फूल रखकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते थे। गांधीजीने कांग्रेसके तमाम स्वयंसेवकोंको हिदायत दी कि अन्हें रोके बिना मेरे पास आने दिया जाय। पहले मुझे अ उनका स्वागत स्वीकार करना है। अ उनके आते ही 'गांधीजीने कहा कि ये काले फूल मुझ पर और सरदार पर डालने हों तो बैसा करो, नहीं तो हमारे हाथमें दे दो। साथ ही अन्हें यह भी कहा कि काले फूलोंसे हमारा स्वागत करनेका तुम्हें हक है, तुम्हें हम पर रोष करनेका भी हक है। युवकोंने फूल सिर पर बिखेरनेके बजाय हाथमें दे दिये। गांधीजीने कहा कि तुम्हारी अस विनयके लिअे मैं तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हूं। गांधीजीका असा शान्त और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार देखकर युवक शरमाये। अ उनके दिलमें गांधीजी या सरदारके प्रति अनादर तो बिल्कुल नहीं था, वे तो केवल अपनी भावनाका ज्वार अ उनके सामने अंडेलना चाहते थे।

सरदारका अध्यक्षीय भाषण बहुत छोटा था। अन्हें कांग्रेसका अध्यक्ष बनाया गया यह अ उनकी नहीं, परंतु गुजरातकी कद्र करनेके लिअे है, यह कहते हुअे अन्होंने बताया :

“ मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे जैसे सीधेसादे किसानको आपने देशके प्रथम सेवकके पदके लिअे चुना, यह मेरी स्वल्प सेवाओंकी कद्रके बजाय पिछले वर्ष गुजरातने यज्ञमें जो अद्भुत बलिदान किये

हैं अउनकी कद्र करनेके लिये है। यह आपकी अुदारता है कि आपने अिस सम्मानके लिये गुजरात प्रान्तको चुना। वैसे सही बात तो यह है कि अिस युगकी अपूर्व जागृतिके गत वर्षमें किसी भी प्रान्तने कुर्बानियां करनेमें कोअी कसर बाकी नहीं रखी। दयालु परमेश्वरकी कृपा है कि वह जागृति सच्ची आत्मशुद्धिकी जागृति थी।”

भगतसिंहकी फांसीके बारेमें बोलते हुअे कहा :

“नवयुवक भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरुको थोड़े ही दिन पहले फांसी दी गयी है, अिसलिये देशमें गुस्सेका पार नहीं है। अिन युवकोंकी कार्यपद्धतिके साथ मेरा कोअी वास्ता नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि और किसी अुद्देश्यसे हत्या करनेकी अपेक्षा देशके लिये हत्या करना कम निन्द्य है। फिर भी भगतसिंह और अुसके साथियोंकी देशभक्ति, साहस और बलिदानके आगे मेरा सिर झुक जाता है। लगभग सारे देशकी यह मांग थी कि अिन नौजवानोंको हुअी फांसीकी सजाको बदल कर अुन्हें देशनिकाला दिया जाय। फिर भी सरकारने अुन्हें फांसी दे दी, यह प्रगट करता है कि मौजूदा शासनप्रणाली कितनी हृदयहीन है।”

संधिके विषयमें बोलते हुअे कहा :

“यदि हम अिस समझौतेको स्वीकार न करते तो हमारा दोष माना जाता और पिछले वर्षकी सारी तपश्चर्या खतम हो जाती। हमें तो सत्याग्रहीके रूपमें सदा यह दावा करना चाहिये और हमने किया भी है कि हम सुलहके लिये सदा तैयार ही नहीं, वरन् अुत्सुक भी हैं। अिसलिये जब सुलहके लिये द्वार खुला देखा, तो हमने अुससे फायदा अुठा लिया। गोलमेज परिषद्में गये हुअे हमारे देशबंधुओंने मुकम्मल जिम्मेदाराना हुकूमतकी मांग की। ब्रिटिश दलने यह मांग स्वीकार की। और अुसके बाद प्रधानमंत्री, वाअिस-राँय और हमारे कुछ प्रसिद्ध नेताओंने कांग्रेससे सहयोगकी मांग की। अिस पर कांग्रेस कार्यसमितिको लगा कि यदि सम्मानपूर्ण समझौता हो सके और किसी भी शर्त या काट-छांटके बिना पूर्ण स्वराज्यकी मांग करनेका कांग्रेसका हक स्वीकार किया जाय, तो कांग्रेस गोलमेज परिषद्में जानेका निमंत्रण स्वीकार कर ले और सब दलोंको स्वीकार हो सकनेवाला विधान तैयार करनेके प्रयत्नमें सहयोग दे। यदि अिस प्रयत्नमें हम असफल रहे और तपश्चर्याके सिवा और कोअी

मार्ग नहीं रहा, तो उसे अपनासे हमें रोकनेवाली पृथ्वी पर कोअी शक्ति नहीं है।”

कांग्रेसके सामने मुख्य प्रस्ताव गांधी-अर्विन समझौतेके अनुसार हुअी संधिको बहाल रखनेका था। अूपर कहा जा चुका है कि यह संधि नौजवानोंको पसन्द नहीं थी। अैसा कहा जा सकता है कि अुस वक्त कांग्रेसमें नौजवानोंके अुदार दलके नेता पं० जवाहरलाल नेहरू थे और अुग्र दलके नेता श्री सुभाष बोस थे। पंडित जवाहरलालको संधि नापसन्द होनेका कारण संधिकी शर्तें नहीं थीं; बल्कि वे अुसे असलिये नापसन्द करते थे कि अुनकी रायमें संधिमें पूर्ण स्वराज्यके तत्त्वको भुला दिया गया था। फिर भी गांधीजीके प्रति रही भक्तिके कारण और अुनके समझानेसे अुन्होंने संधिके सम्बन्धमें अपने मनको समझा लिया और कांग्रेसके अधिवेशनमें संधिका प्रस्ताव भी अुन्होंने पेश किया। अुसे पेश करते समय अुन्हें कौन-कौनसी मनोव्यथामें से गुजरना पड़ा असका सारा अितिहास अुन्होंने कह सुनाया। अुन्होंने नौजवानोंसे कहा कि मैं अितनी मनोव्यथाके बाद भी जब संधिका समर्थन करनेके लिये खड़ा होता हूं तो अस प्रस्तावमें कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिये। अुनकी दर्दभरी वाणीने श्रोताओंके हृदय पर गहरा असर किया और गांधीजी तथा सरदारका काम अत्यंत सरल बना दिया। अुग्र दलके नेता सुभाष बाबूने भी प्रस्तावका विरोध न करके समर्थन ही किया। असलिये नवयुवक शांत हो गये। बादमें गांधीजीने युवकोंको समझाते हुअे कहा :

“हमारे नौजवान भाअियों और बहनोंको संधिसे दुःख हुआ है। अुनके प्रति मेरे दिलमें प्रेमके सिवा और कुछ नहीं है। अुनका दुःख मैं समझ सकता हूं। अस संधिके बारेमें अुन्हें शंका करनेका पूरा हक है। अुनके विरोधसे मेरे हृदयमें क्षोभ नहीं होता, गुस्सा भी नहीं आता। हमने गोलमेज परिषदके विरुद्ध जबर्दस्त विरोध प्रदर्शित किया था। यह भी कहा था कि अस परिषदसे कुछ नहीं मिलेगा। तब फिर अैसा क्या हो गया जिससे हमें यह खयाल होता है कि अस परिषदमें जानेसे कुछ लाभ होगा? मुझमें कोअी जादू नहीं है और न कांग्रेसमें ही जादू है जिससे गोलमेज परिषदकी वृत्ति बदल जायगी और सब कुछ मिल जायगा। असलिये आप मुझसे अच्छी तरह समझ लें कि मैं यह वचन नहीं देना चाहता कि हमारे गोलमेज परिषदमें जानेसे ही स्वराज्य मिल जायगा। मेरे मनमें अस बारेमें पूरा सन्देह है। कअी बार खयाल होता है कि अस परिषदमें जाकर हम क्या करेंगे? आज हम जो मांगते हैं और आज तक गोलमेज

परिषद्के सामने जो कुछ रखा गया है, उसके बीच अितनी बड़ी खाती है कि दिलमें से यह शंका निकलती ही नहीं कि वहां जाकर क्या करेंगे।

“परंतु जो वस्तु किसी खास परिस्थितिमें धर्म हो जाती है, उसे न करें तो पाप होता है। सत्याग्रहका कानून है कि जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके साथ बातचीत करनेका समय आये तब बातचीत की जाय। हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिये कि जिसे हम दुश्मन मानें उसके साथ प्रेम करके उसे जीत लें। सत्याग्रहीकी प्रतिज्ञा तो शत्रुको प्रेमसे जीतनेकी है। यदि सत्याग्रहीमें प्रेम न होकर ओर्षा-द्वेष हो, तो वह सत्याग्रही नहीं परंतु दुराग्रही कहा जायगा। परंतु काँग्रेसके ध्येयमें दुराग्रहको कोअी स्थान नहीं है; उसमें केवल सत्य और अहिंसाको ही स्थान है। असलिये यदि हम यह मानते हों कि जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है उसके साथ संधि हो ही नहीं सकती, तो यह बड़ी भूल है। यह भूल दूर करनी चाहिये। असलिये यद्यपि मुझे इस चीजसे कुछ नतीजा निकलनेके बारेमें शंका है, तथापि जब हमें निमंत्रण दिया गया है और कहा जाता है कि आपको जो चाहिये सो आकर हमें बताइये और समझाइये, लड़ते रहनेके बजाय हमें जानने दीजिये कि आपकी मांग क्या है, तो हमें वहां जाना ही चाहिये। . . .

“अस संधिमें हमें शर्म आने जैसी अेक भी बात नहीं है। मैं यहां यह समझाना नहीं चाहता कि अस संधिमें अमुक बात क्यों नहीं आओ, अमुक बात क्यों रह गओ, परन्तु मैं आपको यह समझाऊंगा कि कार्यसमितिका यह संधि करना धर्म क्यों हो गया। जब सरकारने कार्यसमितिको छोड़ दिया तब उसका यह धर्म हो गया कि या तो सविनय कानून-भंग करके वापस जेलमें जाये या कोअी और कदम उठाये। यह कदम हमने न उठाया होता और सविनय कानून-भंग करके जेल चले जाते, तो संसारमें हमारी नेकनामी नहीं बल्कि बदनामी ही होती।

“हमने यह संधि थककर नहीं की। अेक भाओने कहा, हम तो अेक वर्ष और लड़ाओ चलानेके लिये तैयार थे। यह बात मैं भी मानता हूं। मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूं कि हम अेक नहीं, बीस वर्ष तक लड़ाओ जारी रख सकते थे। सत्याग्रही तो जब दूसरे सब लोग थककर अब जाते हैं तब भी अकेला ही लड़ता

है। जिसलिये यह बात ठीक नहीं कि हमारे थक जानेके कारण कार्यसमितिको संधि करनी पड़ी। जिस प्रकार थककर जो सत्याग्रह बन्द करते हैं वे भीश्वरको धोखा देते हैं, जनताको धोखा देते हैं, देशको धोखा देते हैं। परंतु जिस तरह संधि हुई ही नहीं। यह संधि जिसलिये हुई कि उसे होना चाहिये था। यह तो हरगिज नहीं कहा जा सकता कि हममें लड़नेकी शक्ति हो तो लड़ते ही रहना चाहिये। और अगले वर्ष तक लड़ते रहनेके बाद भी यही बात आकर खड़ी होती। तब क्या आप फिर यही कहते, 'नहीं, हम तो लड़ते ही रहेंगे?' यदि सिपाही यह कहे कि मैं तो लड़ता ही रहूंगा, तो वह मिथ्याभिमानी कहा जायगा। वह भीश्वरका अपराधी बनता है। जिसलिये जो संधि हुई वह होनी ही चाहिये थी।"

नौजवानोंकी अेक खास सभाके सामने गांधीजीने कहा :

"भाइयों, संधिको समझनेकी कोशिश कीजिये। मेरा तो सारी जिन्दगी संधि करने, लड़ने और फिर संधि करनेका घंघा ही रहा है। हमें यह देखना था कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, ताकि दुनियामें कोअी अुलटा और जल्दबाजीका कदम अुठानेके लिये हमारी निन्दा न कर सके। चालीस वर्षसे जो इसी प्रकारका काम करता रहा है और किसी न किसी हद तक अुसमें सफल हुआ है, अुसके अनुभवोंका तो जरा खयाल कीजिये। करोड़ों लोगोंमें चेतना आ गयी है, करोड़ों किसान निर्भय हो गये हैं, यह क्या बिना किसी कार्य अथवा प्रयत्नके ही हो गया? मैं यह दावा नहीं करता कि यह सब मंने कर दिया। मैं तो केवल अेक निमित्त था। परंतु इसमें कोअी शक नहीं कि अिन पंद्रह वर्षोंसे मैं भारतके सामने जिस चीजको रखनेका प्रयत्न करता रहा हूं, अुसने लोगोंमें जागृति पैदा की है। आपकी बहादुरी, आपका त्याग मुझे ग्राह्य है। जिस त्यागको अहिंसाकी शक्तके साथ जोड़ दीजिये।"

दूसरा प्रस्ताव भगतसिंह और अुसके मित्रोंको दी गयी फांसीके बारेमें था। यह प्रस्ताव भी जवाहरलालजीने पेश किया। वे बोले :

"जिसने हिंसाके मंत्रका पालन करके अपने जीवनका बलिदान दे दिया, अुसकी तारीफ करनेवाला यह प्रस्ताव मेरे बजाय अगर जिसके गढ़नेवाले अहिंसाके पुजारी गांधीजी द्वारा पेश किया जाता तो ज्यादा अुपयुक्त होता।"

भगतसिंहवाला प्रस्ताव नीचे दिया जाता है :

“अस काँग्रेसका किसी भी तरहकी अथवा किसी भी रूपकी राजनैतिक हिंसासे कोअी संबंध नहीं है। फिर भी वह सरदार भगतसिंह और अउनके साथी श्री सुखदेव और राजगुरुकी वीरता, शौर्य और बलिदानकी प्रशंसा करती है और मरनेवालोंके कुटुम्बीजनोंके साथ शोकमें शरीक होती है। अस काँग्रेसकी यह राय है कि अिन तीनों भाअियोंको फांसी पर चढ़ानेका कृत्य पूरी तरह वैरभावसे प्रेरित और अउनकी सजामें परिवर्तन करनेकी समस्त राष्ट्रकी मांगको जानबूझ कर ठुकरानेवाला था। यह काँग्रेस अपनी यह राय भी जाहिर करती है कि दो राष्ट्रोंके बीच सद्भाव, जो अस समय अत्यंत आवश्यक है, पैदा करनेका सुवर्ण अवसर सरकारने अपने अस कृत्य द्वारा खो दिया है। जो दल निराशासे प्रेरित होकर राजनैतिक हिंसाका आश्रय लेता है, असे जीतकर शांतिके मार्ग पर लानेका भी यह अेक सुवर्ण अवसर था, जिसे सरकारने खो दिया है।”

काँग्रेस अधिवेशनके दौरानमें ही कानपुरमें साम्प्रदायिक दंगा होने और उसमें कुछ मुसलमान परिवारोंको बचानेका प्रयत्न करते हुअे श्री गणेशशंकर विद्यार्थीके मारे जानेका समाचार मिला। अससे जबर्दस्त शोक छा गया। सलमान परिवारोंको मारने आनेवाली पागल भीड़के सामने अेक सच्चे त्याग्रहीके रूपमें गणेशशंकर विद्यार्थी अटल खड़े रहे। वे युक्त प्रांतकी काँग्रेस मितिके अध्यक्ष थे। अउनके परिवारके प्रति समवेदना प्रगट करनेवाला जो स्ताव काँग्रेसने पास किया, अउसमें कहा गया कि :

“जो लोग खतरेमें आ पड़े थे अउनके प्राण बचानेका प्रयत्न करते हुअे और मारकाट तथा पागलपनके बीच शान्ति और समझदारी स्थापित करनेकी कोशिश करते हुअे अेक प्रथम श्रेणीके प्रमुख काँग्रेसी कार्यकर्ताने अपने प्राणोंकी जो आहुति दी है, अउसके लिये यह काँग्रेस गर्व करती है।”

परन्तु यह काँग्रेस अधिक स्मरणीय तो अउसके द्वारा स्वीकृत ‘स्वराज्यके लिक अधिकारों’ संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावके कारण बन गयी है। वह ताव काँग्रेसकी कार्रवाअी पूरी होनेको आअी तब जल्दी-जल्दीमें पास किया ा था, असलिये अउसमें सुधार करनेका अधिकार काँग्रेसने अपनी महासमितिको दे दिया था। ता० ६, ७ और ८ अगस्त १९३१ को महासमितिके प्रस्तावमें कुछ संशोधन करके अउसे अंतिम रूप दिया। यह ध्यानमें रखनेकी

बात है कि स्वराज्य आनेके बाद भी उस प्रस्तावमें बतायी गयी बहुतसी बातों पर हम अभी तक अमल नहीं कर सके हैं।

अिससे विदित होगा कि अिस कांग्रेसकी पतवारको खेना कोअी आसान बात नहीं थी। फिर भी सरदार अपनी व्यवहार-दक्षतासे अिस जिम्मेदारीको निभा सके। अुन्होंने सारा कार्य अेक किसानको सुशोभित करनेवाले ढंगसे पूरा किया। सारा कामकाज हिन्दीमें ही चलानेका आग्रह रखा। और अन्तमें अुपसंहार-भाषणमें अुन्होंने अपने हृदयका दर्द और आंखोंमें भरी आग अुंडेलते हुअे कहा :

“गांधीजीको ६३ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और मुझे ५६। स्वराज्यकी जल्दी हम बूढ़ोंको होगी या आप नौजवानोंको ? हमें मरनेसे पहले हिन्दुस्तानको आजाद देखना है, अिसलिये आपसे अधिक जल्दी हमें है। आप मजदूरों और किसानोंकी बात करते हैं। मैं दावा करता हूं कि किसानोंकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर भी आपमें से किसीके भी साथ स्पर्धा करनेको तैयार हूं। किसानोंसे जो कुर्बानी मंने करवायी है, अुतनी आपमें से शायद ही किसीने करवायी होगी। छः मास बाद फिर यदि समय आया तो दिखा दूंगा। आप व्यर्थ क्यों अुत्तेजित होते हैं ? छः महीनेमें आप कोअी बूढ़े नहीं हो जायेंगे। यह बात सच है कि सरकारने रोषके अनेक मौके दिये हैं और दे रही है। परन्तु हमारा काम गुस्सा करनेसे नहीं होगा। हमने अभी अपनी तलवार म्यानमें रख ली है। अुसे जंग न लगने देना। अुसे घिस घिसकर चमचमाती रखना। शराबबन्दी, खादी तथा आत्म-शुद्धिके कार्यक्रम तो आपके सामने हैं ही। आपने देखा है कि अिससे प्रजाकी ताकत बेहद बढ़ती है। . . . हममें ताकत होगी तो गोलमेजमें हम अपनी मतचाही चीज ले सकेंगे। हमें वह नापसंद होगी तो लौट आयेंगे और लड़ेंगे। अिसलिये अँसा काम कीजिये, जिससे लोगोंकी शक्ति बढ़े।”

जमींदारों और पूंजीपतियोंके विषयमें बोलते हुअे कहा :

“जब पं० जवाहरलालजी कोअी कार्यक्रम रखते हैं, तब बहुतसे लोग भड़क अुठते हैं। अगर अुनमें गरीबोंके प्रति प्रेम है और किसीके प्रति द्वेष नहीं है, तो अुनसे (जवाहरलालजीसे) डरनेकी क्या बात है ? जमींदारोंकी जमीन चली जायगी, यह कहकर अुन्हें भड़काया क्यों जाता है ? बकरीका भी कहीं शिकार होता है ? जमींदार तो बेचारे पामर प्राणी हैं। सरकारका अेक अदना सिपाही भी अुन्हें डरा देता है। हम अँसा

काम करें कि अुनके दिलमें भी जो अीश्वर बसा हुआ है वह जाग्रत हो और वे लोगोके सुख-दुःखके साथ अेकरम बनें। अपनी पुत्रवत् प्रजा जब भूखों मरती हो, तब महलोंमें गाना-बजाना करनेवाले, नाच नचानेवाले और रुपया अुड़ानेवाले जमींदार हरगिज नहीं रह सकते।”

अिम प्रकार कांग्रेस अधिवेशनका काम तो भलीभांति निवट गया, परन्तु आगे वड़ा विकट काम पड़ा था।

६

संधिका अमल

संधि हो जानेके तुरन्त बाद पत्रकाग्रेसे मुल्काकात करते समय गांधीजीने बताया था कि “अिस संधिका सारा श्रेय वाअिसरायके अटूट धीरज और अुतने ही अटूट परिश्रम तथा अचूक विनयको है। जब ये नाजुक वार्ताअें हो रही थीं अुन दिनों वे सदा साफादिल रहे हैं और अुन्होंने यथाशक्ति संधि कर लेनेका अपना निश्चय प्रदर्शित किया है।” अिसी प्रकार वाअिसरायने भी अिस संधिको संभव बनानेके लिये गांधीजीकी प्रशंसा की। गांधीजीकी प्रामाणिकता, सच्चाअी और अुच्च देशभक्तिकी अुन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा, “गांधीजीके साथ काम करना बड़े सीभाग्यकी बात है। अुसमें अपार आनन्द मिलना है।” अिम प्रकार यह संधि करनेवाले दो व्यक्ति जब अेक-दूसरेके प्रति सुजनता और सद्भावसे ओतप्रोत हो रहे थे, तब ब्रिटिश कर्मचारियोंको यह जरा भी पसंद नहीं था कि वाअिसराय गांधीजीके साथ समझातेकी बातें करें और सरकार व कांग्रेसके बीच अैसी संधि हो अर्थात् सरकारकी तरफसे अिस बातको स्वीकार किया जाय कि कांग्रेस लोगोका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था है। और अिम संधि पर अमल करना तो अुन्हीके हाथमें था। अिसलिये वे शुरूसे ही अड़चनें पैदा करने लगे। फिर, संधि करनेके बाद थोड़े ही समयमें लार्ड अर्विनकी मियाद पूरी हो गअी अिसलिये वे चले गये। अुनकी जगह ता० १८-४-’३१ को लार्ड विल्मिडन वाअिसराय बनकर आये। वे हिन्दुस्तानको अच्छी तरह जानते थे। बम्बअी और मद्रासमें गवर्नर रह चुके थे और सिविल सर्विसके लोगोके साथ अुनका अच्छा गठबन्धन हो चुका था। वे भारतके ब्रिटिश कर्मचारियोंका मानस भलीभांति जानते ही नहीं थे, अुस मानसके साथ अुनका समभाव भी था, बल्कि अुन्होंने खुद भी अुस मानसका विकास कर लिया था। अिस

संधिके प्रति और संधिके प्रणेता गांधीजी और लार्ड अर्विनके प्रति वे क्या दृष्टि रखते थे, यह अुनके खानगीमें प्रगट किये हुअे परन्तु बहुत प्रसिद्ध हो चुके अिन अुद्गारोंमें व्यक्त होता है : “ वह भला अर्विन अिस नटखट बनियेके जालमें फंस गया । मैं होता तो अुसे हाथ ही न रखने देता । ” अेक और अवसर पर अुन्होंने कहा था : “ बन्दर युक्तियोंवाला यह बदमाश (गांधीजी) मुझे झूठा साबित करनेमें हमेशा सफल हो जाता है । ” जिसका यह मानस हो अुससे क्या आशा रखी जा सकती थी ? और कर्मचारी तो संधिको असंभव बनाना ही चाहते थे । विलिङ्गडन साहबके राज्यमें अुन्हें खुली लगाम मिल गयी । और संधि हुअी तब अिग्लैण्डमें मजदूर मंत्रिमण्डल सत्तारूढ था ; परन्तु संधिके बाद थोड़े ही समयमें अुसने अिस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री मि० मैकडोनल्डने, जो मजदूर दलके नेता थे, मिलाजुला मंत्रिमंडल बनाया । नये मंत्रिमंडलमें अनुदार दलका जोर अधिक था । अिस फेरवदलके कारण भी परिस्थितिमें बड़ा फर्क हो गया ।

लोगोंने लगान न देनेकी लड़ायी शुरू की, अिससे कर्मचारियोंका पारा काफी गरम तो हो ही चुका था । अिसलिअे संधिके बाद लगानका बकाया वसूल करनेके लिअे अुन्होंने काफी कड़े कदम अुठाने शुरू कर दिये । संधिमें जब्त या कुर्क हुअी स्थावर और जंगम सम्पत्तिके बारेमें और लगान-वसूलीके बारेमें निम्नलिखित शर्तें तय हुअी थीं :

“ लगान या किसी और बकायाकी वसूलीके लिअे जब्त या कुर्क हुअी जमीन और दूसरी स्थावर या जंगम सम्पत्ति, जो सरकारके कब्जेमें होगी, लौटा दी जायगी, सिवा अुस हालतके कि जिला कलेक्टरको यह माननेका कारण हो कि कर न देनेवाला मनुष्य अुससे वसूल की जानेवाली रकम अुचित समयमें देनेसे अड़गोबाजीके तौर पर ही अिनकार कर रहा है । अुचित समय कितना हो, यह तय करनेमें कर न देनेवाले जिन लोगोंको रुपया अदा करनेकी अिच्छा होते हुअे भी अुसके लिअे सचमुच मियादकी जरूरत होगी अुनके बारेमें खास तौर पर विचार किया जायगा ; और जरूरत होगी तो लगान संबंधी शासनके साधारण नियमोंके अनुसार लगान मुलतवी कर दिया जायगा ।

“ नुकसानका मुआवजा नहीं दिया जायगा । जहां जंगम सम्पत्ति सरकारने बेच दी होगी या अन्यथा अुसका अन्तिम निबटारा कर दिया होगा, वहां भी मुआवजा नहीं दिया जायगा । साथ ही बिन्नीकी आवक नहीं लौटायी जायगी, सिवा अिसके कि जिस जायज बकायाके लिअे वह जायदाद बेची गयी हो अुससे आयी हुअी रकम अधिक हो ।

“जहां स्थावर सम्पत्ति तीसरे पक्षको बेच दी गयी है, वहां जहां तक सरकारका सम्बन्ध है सौदा आखिरी समझा जाना चाहिये।

“जायदादकी कुर्की जायज है या नहीं, इस मुद्दे पर किसी भी मनुष्यको वैध कार्रवायी करना हो तो वैसा करनेकी उसे छूट होगी।

“सरकार मानती है कि बहुत ही थोड़े मामले ऐसे होंगे, जिनमें बकाया वसूली कानूनकी धाराओंके अनुसार न हुयी हो। ऐसे मामले हुअे हों तो अनुको निवटानेके लिये स्थानीय सरकारें जिलाधिकारियोंको इस प्रकारकी शिकायतोंकी जल्दी जांच करनेकी और जहां कानूनके खिलाफ कार्रवायी हुयी हो वहां अविलम्ब न्याय करनेकी सूचनाओं भेज देंगी।”

युक्त प्रान्तमें बहुतसे किसान उस साल लगान अदा नहीं कर सके थे। अन्होंने सबिनय कानून-भंगकी लड़ाीके ही कारण ऐसा नहीं किया था, परन्तु खेतीकी पैदावारके भाव अितने गिर गये थे और आर्थिक मंदी अितनी अधिक आ गयी थी कि किसानोंके पास जमींदारोंको लगान चुकानेके लिये पैसे ही नहीं थे। संधि हो जानेके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओंने किसानोंकी लगान चुकानेकी अशक्तिके कारण राहतकी मांग करना शुरू किया और किसानोंको राहतके मामलेमें कोअी निबटारा न हो जाने तक लगान न देनेकी सलाह देना भी आरंभ कर दिया। राहतके बारेमें जांच करके लोगोंको न्याय देनेके बजाय भारत सरकारके गृहसचिव मि० अिमसंसनने गांधीजीको ता० २१-३-३१ को पत्र लिखकर सूचित किया कि :

“स्थानीय कांग्रेस इस किस्मका रवैया रखे तो करबन्दीकी लड़ाी दूसरे रूपमें जारी ही रहती है और संधिके मूल हेतुका पालन नहीं होता।”

गांधीजीने ता० २३-३-३१ को जवाबमें बताया कि :

“मेरे कहनेसे इस प्रश्न पर पंडित जवाहरलाल नेहरूने अेक कैफियत तैयार की है जो साथमें भेज रहा हूं। इस कैफियतके अनुसार स्थानीय कांग्रेस समितियोंका रवैया मुझे आपत्तिजनक नहीं लगता। मेरी राय यह है कि यदि स्थानिक अधिकारी कांग्रेस समितियोंकी सहायताको अस्वीकार न करें और अनुकी हलचलोंको शककी नजरसे न देखें तो सब कुशल ही है।”

परन्तु अधिकारी तो कांग्रेसको लोगोंकी प्रतिनिधिके रूपमें स्वीकार ही करनेको तैयार नहीं थे। इसलिये मि० अिमसंसनने ता० ३१-३-३१ को उत्तर दिया कि :

“आर्थिक कष्टोंके प्रश्नका विचार करनेका काम माल-विभागका है। जिस बारेमें कांग्रेस अपने संगठनका अुपयोग करे, अैसा सुझाव संधिमें या वाजिसरायके साथ आपकी बातचीतमें नहीं था।”

यह स्थिति गांधीजी, जवाहरलालजी या सरदार कैसे स्वीकार करते ? सबके मिलकर परामर्श कर लेनेके बाद ता० ८-४-३१ को गांधीजीने मि० अिमर्सनको साफ साफ बता दिया कि :

“किसानोंके प्रतिनिधिकी हैसियतमें अुनकी तरफसे बोलना कांग्रेसका प्रथम कार्य है। किसानोंके प्रतिनिधिके रूपमें कांग्रेसकी मदद स्थानीय अधिकारी मंजूर न करें और अुनके प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न करें, तो भय है कि कांग्रेसके लिअे समझौतेकी शर्तोंका पालन करना असंभव हो जायगा। अैसा करके संधि-भंगका आरोप कांग्रेस पर लगाना गलत है। अन्तमें शर्तोंका पालन तो लोगों द्वारा ही होगा और यदि कांग्रेसके आदमी लोगोंकी मांगें और लोगोंके दुःख अधिकारियोंके सामने पेश न कर सकें तो संधिका पालन करनेमें कांग्रेस असमर्थ सिद्ध होगी।”

बारडोली और वोरसद तालुकोंमें तथा गुजरातके दूसरे भागोंमें भी स्थानीय कर्मचारियोंने अैसी ही मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया था। मातर तालुकेके तहसीलदारने अेक सूचना जारी की थी। अुसमें बनाया गया था कि “चौकीदारी और कुर्कीका खर्च सरकारको हुआ है, अिसलिअे वह माफ नहीं किया जा सकेगा।” नवजीवन कार्यालयने लड़ाीके दिनोंमें कर नहीं दिया था। संधिके बाद तुरंत अधिकारी चुकाने गये, तब अुनसे ‘नोटिस फीस’ मांगी गयी और ‘नोटिस फीस’ के बिना कर लेनेसे अिनकार कर दिया गया। किसानोंसे पिछले सालका बकाया भी वे मांगने लगे थे। स्थानीय कार्यकर्ताओंके साथ विचार-विनिमय करके गांधीजी और सरदार अिस निर्णय पर पहुंचे थे कि :

१. रास गांवको अितनी भारी हानि अुठानी पड़ी है कि वह शायद ही लगान अदा कर सके।

२. बाकी गांव भरसक प्रयत्न करके मौजूदा सालका लगान चुकानेकी कोशिश करेंगे।

३. तकावी और पहलेका बकाया सरकारको मुलतवी करना चाहिये। सरकार यह मानती है कि लोगों पर आयी हुयी आफत अुनके अपने ही कसूरसे पैदा हुयी है, परन्तु संधि हो जानेके बाद यह कारण अुपस्थित करना अप्रस्तुत है।

४. चौकीदारी, कुर्की और नोटिमकी फीसका खर्च न लिया जाय, यह संधिका स्पष्ट अर्थ है। इसलिये अिन खर्चोंकी रकम न मांगी जाय।

गांधीजीने ता० २०-४-'३१ को अुत्तर विभागके कमिश्नर मि० गैरेटको पत्र लिखकर यह बात बता दी। अुमके जवाबमें मि० गैरेटने २१-४-'३१ को पत्र लिखकर बताया कि :

“ आप कांग्रेसको सरकार और लोगोंके बीच मध्यस्थ बताते हैं। लेकिन संधिके मिलमिलमें स्वीकार की गयी बातोंमें यह नहीं है और आपका मुझाया हुआ अर्थ स्वीकार करनेमें मैं असमर्थ हूं। लोग अपनी शिकायतें रखनेके लिये सरकारी अफसरोंके पास पहुंचनेके लिये स्वतंत्र और समर्थ हैं। ”

गांधीजीने बम्बयी सरकारको पत्र लिखकर सूचित किया कि :

“ जब भारत सरकार और ब्रिटिश सरकारने यह बात स्वीकार की कि कांग्रेस ही लोगोंकी सच्ची प्रतिनिधि है, तभी अुमके और सरकारके बीच संधि हुआ है। सरकार और लोगोंके बीच कांग्रेसको मध्यस्थ स्वीकार न करनेका अर्थ संधिसे अिनकार करना हो जाता है। ”

अिसके जवाबमें बम्बयी सरकार और मि० गैरेटने जरा रुख बदल लिया और अुस समय तो काम आगे बढ़ा। परन्तु अुनके दिलमें से गांठ निकली नहीं थी। इसलिये दिक्कतें तो खड़ी ही रहीं।

युक्त प्रान्त और गुजरातमें लगान वसूल करनेके मामलेमें अधिकारियोंने सख्ती और जुल्म जारी रखा। कर्नाटकमें सिरसी और सिद्धापुर तालुके आर्थिक संकटोंके कारण लगान अदा नहीं कर सके थे। वहां भी अधिकारियोंने जुल्म शुरू कर दिये। कांग्रेसके कार्यकर्ताओंको अलग रखकर सरकारने सीधे दमनकी कार्रवायियां शुरू कर दीं।

कानूनकी सीमामें रहकर शराबखानों पर पिकेटिंग करनेकी संधिके अिकरारनाममें छूट दी गयी थी, परन्तु शराब और ताड़ीकी दुकानोंके नीलाम पर पिकेटिंग करनेकी छूट कहां थी? इसलिये अुस पर पिकेटिंग करनेवालों पर १४४वीं धारा लगायी जाने लगी, और शराबखानोंके पिकेटिंगका नियमन करनेके बहाने स्थानीय अधिकारी अैसे हुक्म जारी करने लगे कि पिकेटिंग असंभव हो जाय। अैसी आज्ञाओं द्वारा पहरा लगानेवालोंकी संख्या अितनी थोड़ी निश्चित कर दी गयी कि दुकानके दो या अधिक दरवाजे

हों तो अणु पर पहरा लगाया ही नहीं जा सके । कुछ स्थानों पर तो दुकानोंसे सौ गज दूर खड़े रहकर पहरा देनेके हुकम जारी किये गये, जिससे पिकेटिंग करनेवाले दुकानको देख भी न सकें और पिकेटिंग असफल हो जाय । असके अलावा, अहमदाबाद, रत्नागिरि तथा भड़ोच जिलेमें अधिकारियोंने पुलिसके परवानेमें बताये हुअे स्थान और समयने बाहर शराब बेचनेकी शराबवालोंको अजाजत दे दी । और शराबके दुकानदार पहरा देनेवालों पर हमला करते, तो अुस तरफ पुलिस ध्यान ही नहीं देती थी और पहरा देनेवालोंकी शिकायत नहीं सुनती थी । शराब व ताड़ीके पिकेटिंगको असफल बनानेका अेक भी अुपाय करनेमें अधिकारियोंने कसर नहीं रखी ।

संधिकी शतोंके अनुसार जहां नमक कुदरती तीर पर बनता हो वहां अपने घरके कामके लिये अुसे ले जाने और आसपासके अिलकेमें सिर पर रखकर बेचनेकी छूट दी गयी थी । मद्रास प्रान्तके मच्छीमारोंने संधिके बाद यह छूट मिल जानेके लिये बड़ी सरकारको धन्यवादका तार भेजा । सरकारकी ओरसे अणु लोगोंको अुत्तर मिला कि तुम पर ये शर्तें लागू नहीं होतीं । समझौतेकी शर्तोंमें ये शब्द थे कि घरके अिस्तेमालके लिये नमक बटोरने या बनानेकी छूट रहेगी । लेकिन मद्रास प्रान्तके मच्छीमार लोग मछली सुरक्षित रखनेके लिये नमक लेना चाहते थे, अतः यह कारण देकर सरकारने अुन्हें अिनकार किया था । बड़ी लंबी बातचीतके बाद सरकारने मयी मासके अन्तमें स्वीकार किया कि “समझौतेकी कलमोंका अुद्देश्य गरीबोंको लाभ पहुंचाना है, असिलिये ‘घरेलू अिस्तेमाल’ शब्दोंमें खादके, जानवरोंको खिलानेके अथवा मछली सुरक्षित रखनेके लिये नमकके अुपयोगका समावेश होगा ।”

वलसाड़ तालुकेके पांच गांवोंने अपनी जमीन पर घरासणाके नमकके ढेर पर घावा करनेवाले स्वयंसेवकोंकी छावनियां बनाने दी थीं । असके लिये अणु पर जुर्माना किया गया था और अणुकी जमीनें जब्त कर ली गयी थीं । अब समझौतेकी शर्तोंमें यह कलम थी कि “जो जुर्माना वसूल नहीं हुआ वह माफ कर दिया जायगा और जब्त हुयी जमीनें बेच न दी गयी हों तो लौटा दी जायंगी ।” असिलिये संधिके बाद वे किसान पूरा लगान अदा करके जमीनोंका कब्जा वापस मांगने गये तब अणुसे कहा गया कि तुमने अपनी जमीनोंका अुपयोग खेतीके कामके लिये नहीं किया असिलिये अुसका जुर्माना जब तक नहीं चुका दोगे तब तक जमीनें नहीं लौटायी जायंगी ।

जिन पटेल-पटवारियोंने लड़ाकीके दौरानमें त्यागपत्र दे दिये थे, अुन्हें वापस नौकरी पर लेनेके बारेमें भी स्थानीय अधिकारियोंने तरह तरहके

अड़ंगे लगाये। अुनके मामलेमें बोरसदके तहसीलदारने ता० ११-३-३१ को नोटिस निकाला कि :

“तुम फिर काम पर आनेको राजी हो तो सरकारकी तरफसे तुम्हारी नियुक्ति बारह महीनेके लिये होगी। और अुसके बाद तुम्हारा चालचलन संतोषजनक प्रतीत होने पर तुम्हारा परंपरागत अधिकार तुम्हें लौटानेका विचार किया जायगा। और तुम्हें वार्षिक मेहनतानेका चौथा भाग दंड स्वरूप देना पड़ेगा।” वगैरा।

जब अिस प्रकारके नोटिसके विरुद्ध आपत्ति अुठाअी गअी तब वह वापस ले लिया गया। परंतु पटेल-पटवारियोंको वापस रखनेके मामलेमें अड़ंगे लगाना तो जारी ही रहा। समझौतेमें अेक शर्त यह थी कि अिस्तीफोंसे खाली हुआ जगहें जहाँ स्थायी रूपमें भर गअी होंगी, वहां सरकार पहलेके ओहदेदारोंको अुन जगहों पर वापस नहीं ले सकेगी। अिस कलमसे लाभ अुठानेके लिये स्थानीय अधिकारी यह कहने लगे कि ‘दूसरा हुकम होने तक’ नियुक्त किये गये पटेल-पटवारी स्थायी रूपमें नियुक्त किये गये हैं। कांग्रेसकी ओरसे यह साबित किया गया था कि अुनमें बहुतसे तो नौकरीके लिये अयोग्य थे। अुदाहरणार्थ, रास गांवमें बारैया जातिका जो आदमी नया पटेल बनाया गया था अुसे पहले चोरीके जुर्ममें सजा हुआ थी। और समझौतेके बाद अुसकी पटेलगिरीके दौरानमें कुछ गैर-बारैयोंके झोंपड़े जला दिये गये थे और बहुतसे वृक्षों और बाड़ोंका नुकसान कर दिया गया था। बारडोली तालुकेके वराड़ गांवमें जहांगीर पटेल नामके अेक पारसीको लड़ाअीके दिनोंमें पटेल मुकर्रर किया गया था। अुसके विरुद्ध रिश्वत लेने, रुपया गबन करने, धमकियां देकर रुपये अँठने और गुंडाशाही करनेके आरोप थे। और जब्त हुआ जो जमीनें सरदार गारड़ा नामक पारसीने खरीदी थीं, अुनमें भी अिसका हाथ होनेका आरोप था। फिर भी यह कहकर कि अिन लोगोंकी नियुक्ति स्थायी तौर पर की गअी है, स्थानीय अधिकारियोंने अुन्हें हटानेसे अिनकार कर दिया।

श्री दुर्लभजीभाअी और श्री मोरारजीभाअीने लड़ाअीके दिनोंमें अपने डिप्टी कलेक्टरके ओहदेसे त्यागपत्र दे दिये थे। अिनके विषयमें लार्ड अविन और गांधीजीके बीच अैसा जबानी समझौता हुआ था कि अुन्हें नौकरीमें वापस न लेकर पेंशन दे दी जायगी। दोनोंने गांधीजीके कहनेसे पेंशनके लिये अर्जी की। परंतु अविनके बाद आये अुअे विलिंगडन साहबने अुस जबानी समझौतेको नहीं माना।

बहुतसे प्रान्तोंमें लड़ाईमें भाग लेनेवाले विद्यार्थियोंको माफी मांगे बिना या सत्याग्रहकी लड़ाईमें फिर कभी भाग न लेनेका वचन दिये बिना हाथीस्कूलों और कालिजोंमें भरती करनेसे अनिकार कर दिया गया।

संधिके मिलसिलेमें अिस तरहके वेशुमार झगड़े स्थानीय अधिकारियोंने खड़े करना शुरू कर दिया। अिसके लिअे जिलेके अफसरोंके साथ, प्रान्तीय सरकारोंके साथ और भारत सरकारके साथ गांधीजीको लंबा पत्रव्यवहार करना पड़ा और बार-बार दिल्ली और शिमला दौड़ना पड़ा।

गुजरातमें मुख्यतः बारडोली और वोरसद तालुकोंमें करबन्दीकी लड़ाई हुअी थी और दोनों तालुकोंमें समझौतेके बाद सरदार और गांधीजीने अिस बातकी जी-तोड़ कोशिश की थी कि किमान अपनी शक्तके अनुसार लगान चुका दें। सरदार अिस वर्ष कांग्रेसके अध्यक्ष थे। अिसलिअे अुन्हें बहुतसे काम देखने पड़ते थे और गांधीजीके पास भी बेहिासाव काम रहता था। फिर भी दोनोंने अिसी कामको प्रधानता दी कि लोगोंकी तरफसे संधिकी शर्तोंका पालन हो; और सरदारने बारडोलीको और गांधीजीने वोरसदको अपने निवासका मुख्य केन्द्र बना लिया। दोनोंको कलेक्टरों जैसे जिला अधिकारियोंसे बार-बार मिलना पड़ता था; यह कहनेमें भी हर्ज नहीं कि अुनसे विनती करनी पड़नी थी। यों भी कहा जा सकता है कि वे और कांग्रेसी कार्यकर्ता लगान वसूल कर देनेवाले बेगारी ही बन गये थे। लोगों पर दवाव डालकर अुन्होंने लगान चुकावाया। परंतु अधिकारियोंको तो लोगोंको तंग ही करना था, अिसलिअे वे पिछले पुराने बकायाके लिअे भी तकाजे करने लगे और लोगों पर मरुती करने लगें। अिससे सरदार कैसे चिढ़ते थे, यह गांधीजीके साथ हुअे निम्न संवादसे, जो अुस समयकी महादेवभाभीकी डायरीमें दिया गया है, मालूम हो जाता है :

सरदारको चिढ़ा हुआ देखकर बापूने पूछा : “अिस पर (समझौता) तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं।”

सरदार : ‘तोड़कर क्या होगा ? आधोंने तो लगान चुका दिया। ये लोग तकाजेके नोटिस निकाले ही जा रहे हैं। दूसरे भी चुका देंगे। हम लोगोंका कोअी स्पष्ट पथप्रदर्शन नहीं कर सकते।’

बापू : ‘क्यों नहीं ?’

सरदार : ‘जो चुका सकें वे चुका दें, यह स्पष्ट पथ-प्रदर्शन नहीं कहलाता। मैं तो आपसे कहता ही था कि ये लोग चोर हैं। जब तक बात अिनके विवेक पर छोड़ी जायगी, तब तक हम

मरते ही रहेंगे। परंतु आपने तो यह कहा था कि सचमुच लगान मुलतवी करेंगे, दो वर्षका भी कर देंगे। परंतु ये लोग असा कुछ नहीं कर रहे हैं। दो वर्षका लगान अदा करनेको लोगोसे कैसे कहा जा सकता है ?'

बापू : 'परंतु जो अदा कर सकते हों उनसे भी नहीं कहा जा सकता ?'

सरदार : 'परंतु हम जानते हैं कि वे अदा नहीं कर सकते। घबराकर तो सभी चुका देंगे।'

अुसी दिन अेक और बातमें भी सरदारने बापूका विरोध किया, अिसलिये बापूने सरदारसे कड़ाअीके माथ पूछा : 'तब आप यही कहना चाहते हैं न कि मैंने जो समझीता किया, वह आपकी अपेक्षा करके किया ?'

सरदारने फिर दूसरी बातें मुनाकर कहा : 'मैंने तोड़नेको नहीं कहा यह मेरा अपराध हुआ ?'

बापू : 'मैं तो अपने अपराधका विचार कर रहा हूं।'

मालूम होता है घर आकर सरदार समझ गये। मुझे कहा : 'बापूको बहुत दुःख हुआ लगता है। परंतु क्या किया जाय ? अैसी अुलझन पड़ गयी है कि मुझे कुछ सूझता ही नहीं।'

दूसरे दिन सुबह बापूके अुद्गार : 'हमसे गांधीजीकी शर्तों पर नहीं लड़ा जा सकता, सरदारके ढंगसे ही लड़ा जा सकता है।' यह जो कहा जाता है अुसका रहस्य मैं अब समझा हूं। . . . सरदारकी सारी बातोंका आधार अिस बात पर है कि किसानोंको मैं (गांधीजी) जानता हूं अुमसे ज्यादा वे (सरदार) जानते हैं। हम अिन लोगोसे यह नहीं कह सकते कि जो अदा कर सकें वे कर दें, क्योंकि अिनमें भेड़ोंका बल है, सिंहबल नहीं है। अिसलिये अेक ही वर्षका लगान देनेकी बात करनी चाहिये। अेक दो आदमी अदा कर सकने जैसे हों तो वे भी नहीं चुकायें, क्योंकि चुका दें तो भेड़बल न रहे।'

अन्तमें ता० १४-६-३१ को गांधीजीने भारत सरकारके गृहसचिव मि० अिसर्सनको पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि मुझे लगता है शायद वह समय आ गया है जब संधिकी कलमोंके अर्थका निर्णय करनेके लिये तथा अेक या दूसरा पक्ष संधिकी शर्तोंका पूरी तरह पालन कर रहा है या नहीं, यह तय करनेके लिये स्थायी पंच मुकर्रर कर दिये जाने चाहिये।

पिकेटिंगके मामलेमें तो सरकारी अधिकारियोंके साथ होनेवाले झगड़ोंका पार ही नहीं था। असलिये असि विषयमें गांधीजीने सुझाया कि दोनों पक्षके प्रतिनिधियोंकी जांच-समिति नियुक्त की जाय। जो शिकायतें आयें उनकी यह समिति तुरंत जांच करे। जहां असा मालूम हो कि शांत पिकेटिंगके नियमोंका भंग हुआ है, वहां पिकेटिंग बिलकुल स्थगित कर दिया जाय। जहां असा लगे कि शान्त पिकेटिंग होने पर भी मुकदमे चलाये गये हैं वहां असे मुकदमे वापस ले लिये जायं।

परंतु सरकारको यह सुझाव स्वीकार करनेमें अपनी सत्ता छोड़ने जैसा लगा; अतना ही नहीं, कांग्रेसको अधिकार सौंप देने जैसा लगा। असलिये गृहसचिवने लंबा जवाब देकर सूचित किया कि जब संधि की गयी थी, तब असी स्थिति पर विचार नहीं किया गया था। सरकारके मूलभूत कर्तव्योंके पालनके साथ असि सुझावका मेल नहीं बैठता।

जिला अधिकारियोंकी ओरसे लगभग हर मामलेमें संधिके पीछे रही भावनाका पालन नहीं हो रहा था। अतना ही नहीं, संधिका खुले तौर पर भंग हो रहा था और कांग्रेसी कार्यकर्ताओंको तथा जिस जनताने लड़ाईमें भाग लिया था उसे सताया जा रहा था। फिर भी गांधीजीका आग्रह यही था कि कांग्रेस और लोगोंको संधिका पूरी तरह पालन करना चाहिये। असलिये वे वाअिसराँयसे मिलने शिमला गये। वाअिसराँयको समझानेका अन्होंने खूब प्रयत्न किया, परंतु वे समझना ही नहीं चाहते थे।

यह काण्ड हो ही रहा था कि अतनेमें ब्रिटिश प्रधान मंत्रीकी तरफसे गोलमेज परिषद्का सदस्य होनेका निमंत्रण वाअिसराँयने ता० २० जुलाईके अपने पत्र द्वारा गांधीजीको दिया। गांधीजीने सूचित किया कि :

“मेरे पास देशमें जगह जगहसे असे समाचार चले आ रहे हैं कि कांग्रेसियोंको किसी भी अचित्त कारणके बिना सताया जा रहा है। कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर तो सविनय कानून-भंगकी लड़ाईमें जितना सताया जाता था, असे भी ज्यादा असि समय सताया जा रहा है। मेरे खयालसे हिन्दुस्तानमें असि वक्त जो स्थिति चल रही है, वह जब तक सुधरती नहीं तब तक मेरा हिन्दुस्तान छोड़ना असंभव है।”

असि वक्त सरहद प्रान्तमें खुदायी खिदमतगारों पर मारपीट करने और दूसरे अमानुषिक जुलम गुजारनेके समाचार गांधीजीके पास आ रहे थे। यहां हम अके दो अुदाहरण देंगे। अके गांवमें जिन स्वयंसेवकोंने लगान नहीं

चुकाया था, अन्हें अिकट्ठा करके अुनमें से छः आदमियोंको ततैयोंवाली अेक कोठरीमें बन्द कर दिया और फिर ततैयोंको अुड़ाकर अुनसे कटवाया गया । जब अुन्हें कंपकंपी पैदा करनेवाले फूले हुअे चेहरोंके साथ बाहर निकाला गया, तब थानेदारने अुनसे कहा, “ चले जाओ, अपनी औरतोंको बेचकर लगान जमा करा जाना । ” अेक जगह दो खुदाजी खिदमतगारोंको पकड़कर कांग्रेसका काम छोड़ देनेका हुक्म दिया गया । परंतु अुनके अिनकार करते ही अुन्हें नंगा करके खूब पीटा गया और अुन दोमें से अेकको मजबूत रस्सीसे बांधकर जमीन पर धूपमें सुला दिया गया । अिससे भी संतोष न मान कर अुसकी गुदामें लकड़ीके टुकड़े घुसेड़ दिये गये । पठान अिस प्रकारके अपमानको मौतसे भी बुरा समझते हैं, फिर भी खुदाजी खिदमतगार अपनेको अहिंसाकी प्रतिज्ञासे बंधे हुअे समझकर अैसे अपमान तथा कष्ट चुपचाप सह लेते थे । अैसे समाचार पढ़कर गांधीजीको बेहद दुःख होता था । अन्तमें श्री देवदास गांधीको अुन्होंने अिस मामलेकी जांच करने सरहद प्रान्तमें भेजा । अपनी रिपोर्टमें अुन्होंने अिन सारी घटनाओंको सच्चा बताया ।

जुलाजी मासमें जब गांधीजी शिमलामें थे तभी बारडोलीमें लगान वसूल करनेके लिये वहांके माल-विभागके कर्मचारियों और पुलिसवालोंने भारी अत्याचार किये । अूपर कहा जा चुका है कि संधिके बाद भरसक लगान चुकवा देनेके लिये सरदार बारडोलीमें और गांधीजी बोरसदमें रहे थे । जब संधि हुअी अुस समय बारडोली तालुकेका चालू वर्षका लगभग बीस लाख रुपया लगानका बाकी था । अुसमें से सरदारके प्रयत्नसे अुन्नीस लाख रुपया तो अदा हो चुका था । बाकीका जमा होनेमें जो विलंब हो रहा था अुसका कारण भी लोगोंका दुराग्रह नहीं था । परंतु लड़ाीके दौरानमें जो लोग हिजरत कर गये थे, अुनकी जमीनें जब्त हो गयी थीं, फसल लूट ली गयी थी, भैंसें कुर्क कर ली गयी और नीलाम कर दी गयी थीं । अुन्हें अपार हानि हुअी थी । अिसलिये आर्थिक असमर्थताके कारण ही वे लगान अदा नहीं कर सकते थे । कलेक्टरने बकायावालों पर खटाखट नोटिस जारी करना शुरू कर दिया । सरदारने कलेक्टरसे कहा कि खातेदारों पर सीधे नोटिस जारी करनेके बजाय मुझे अुनके नाम दीजिये, जो चुका सकते हैं अुनसे मैं रुपया जमा करवा दूंगा । कलेक्टरने नाम दिये और सरदारने थोड़ासा रुपया जमा भी करा दिया । सरदारने श्री मोहनलाल पंड्याको कलेक्टरके पास भेजा कि और भी नाम हों तो अुनकी सूची दीजिये । कलेक्टरने बताया कि अब तो मैं सूची नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अूपरका हुक्म है कि अिम तरह आपको सूची न दी जाय । अिस प्रकार सूचित करनेके बाद फौरन कलेक्टरने

बारडोली जाकर जिस गांवमें जिन जिन किसानोंका लगान बाकी था, उनसे जबर्दस्ती लगान वसूल करनेकी योजना बनायी। सुबह ही तहसीलदार तथा अके दो पुलिस कर्मचारी पुलिस-दलके साथ गांव पर जा चढ़ते और घेरा डाल देते। जो लोग खेत पर काम करने अथवा दिशा-जंगलके लिअे बाहर गये होते, उन्हें गांवमें घुसने न देते और किसीको गांवसे निकलने न देते। गांवमें ये किमी डोरको भी बाहर न जाने देते। जिम असामीका लगान बाकी होता अुमके घर पर पुलिसका पहरा लग जाता और न तो घरसे किसी मनुष्य या पशुको बाहर निकलने देते और न बाहरसे किमीको भीतर घुसने देते। पुलिस कर्मचारी मारपीट करने तथा घरका सब कुछ लूट लेनेकी धमकी देते और सब घरवालोंको घबरा देते। अिसके सिवा गालियोंकी वर्षा करते सो अलग। तुम्हारे पास रुपया न हो तो चोरी करके लाओ। परंतु जब तक लगान नहीं चुका दोगे तब तक यह घेरा नहीं अुठेगा। अिस तरह लोगोंको परेशान करके जुलाअीके दूसरे और तीसरे सप्ताहोंके लगभग दस दिनमें सोलह गावों पर चढ़ाअी करके लगान वसूल किया गया। सरदार अुस समय बारडोलीमें ही थे। माल और पुलिसके कर्मचारियोंकी गुंडागिरीकी रिपोर्टें अुनके पास संबंघित गांवोंसे आतीं जिनसे अुन्हें अपार क्षोभ होता। गांधीजीकी यह हिदायत थी कि स्थानीय अधिकारी कुछ भी करें, परंतु हमारा बस चले तब तक हमें तो संधिकी शर्तोंका पूरी तरह पालन करना ही है। अिस प्रकार सरदारकी स्थिति अिस सूचना-रूपी बंधनके पिजड़ेमें बंद सिंहकी-सी थी। अुन्होंने गांधीजीको नीचे लिखे जो तार शिमला भेजे थे, अुनसे अुनकी मनःस्थितिकी कल्पना हो जायगी।

१

“ बारडोली,

१७-७-'३१

“सूरतकी मुलाकातके बाद वसूलीका दबाव बढ़ा है। शायद कमिश्नरसे पूछकर अैसा किया गया होगा। कलेक्टर कल शामको यहां आये थे। माल-विभागके अफसर, डेप्युटी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० अिस्माअिल देसाअी तथा पंद्रह पुलिसके सिपाहियोंने पिछले सालका वकाया वसूल करनेके लिअे रायम गांव पर धावा किया। डाह्या काला नामके जिम किसानने अिस सालका लगान जमा करा दिया है, अुसके खाट-गूदड़े और खाने-पकानेके बर्तन कुर्क कर लिये गये। कुर्क की हुअी संपत्ति ले गये। किसान अिस समय खेतीके सच्चे काममें लगे हअे

हैं। अउनकी दशा दांतोंके बीच जीभकी-सी है। किसी न किसी तरह असका निवटारा करना ही पड़ेगा। -- वल्लभभाभी”

२

“ बारडोली,

२०-७-'३१

“ मेरे पिछले तारके वाद गांवों पर धावे जारी हैं। आज पुलिसने वहुतसे गांवों पर धावे किये हैं। आनेकी तारीख तारसे सूचित कीजिये। -- वल्लभभाभी”

३

“ बारडोली,

२१-७-'३१

“ बारडोलीके अेक मुमलमानके घरका पिछला दरवाजा पुलिसने तोड़ डाला। दो बच्चोंको चोटें आयी हैं। पाया पड़नेवाले वर्षके २४ रुपयेके बकायाके लिये घरमें से सारी संपत्ति बाहर निकाल ली गयी। अस आदमीने पिछले दो वर्षका तमाम लगान चुका दिया है। पिछले वर्षके बकायाके लिये अस प्रकारकी कुदियां हो रही हैं।

-- वल्लभभाभी”

४

“ बारडोली,

२१-७-'३१

“ पुलिसका जुल्म अमह्य होना जा रहा है। किसानोंकी भीड़ शिकायत करनेके लिये आश्रममें अुमड़ आती है। कल सांकलीके कुछ परिवारोंको बाहर पुलिसका पहरा लगाकर दिन भर घरमें बन्द रखा गया। टीम्बरवाके किसानोंको पुलिसने खेतोंमें काम पर नहीं जाने दिया। अन्तमें पुलिसके पहरेमें वे दूसरे गांव जाकर भारी व्याज पर रुपया ले आये। राजपुराके किसानोंको आज पुलिस टीम्बरवा खदेड़ कर ले गयी। खोज और पारडी गांवोंसे समाचार आ रहे हैं कि तड़के ही से पुलिसने अुन गांवोंके आसपास घेरा डाल दिया है। किसानों और ढोरोंको भी बाहर नहीं जाने देते। जिनका लगान बाकी है अुन कुटुम्बोंको तो घरमें ही बन्द कर रखा है। बारडोलीमें कोने कोने पर पुलिस लगा दी गयी है और पुरुष तथा स्त्रियां सताये जानेकी

और न सुनने जैसी गालियोंकी शिकायत करते हैं। यदि इस कष्टका अिलाज हो ही न सके, तो भगवानके लिये अब तो लड़ाई शुरू करने दीजिये।” — वल्लभभाभी”

ता० २४ जुलाहीको गांधीजी बारडोली आ पहुंचे। अन्होंने अिन सब शिकायतोंका पत्र सूरतके कलेक्टरको लिखकर अन्तमें सूचित किया कि :

“यहां बतायी गयी बातोंमें संतोष दिलाया जाय अथवा अिनमें की गयी शिकायतोंकी खुली जांच करनेके लिये सरकार निष्पक्ष पंच मुकर्रर करे और इस बीच कुर्कीकी सब कार्रवायी बन्द रखी जाय तो ठीक है। अन्यथा मैं यह समझूंगा कि सरकारने संधिका भंग किया है और दिये हुअे विश्वासका घात किया है। और जिस जनताकी कांग्रेस प्रतिनिधि है उसके हितोंकी रक्षाके लिये आवश्यक प्रतीत होनेवाले कदम अुठानेके लिये मैं अपनेको स्वतंत्र मानूंगा। अगले रविवार तक इसका अुत्तर मेरे पास पहुंचा देनेकी कृपा कीजिये।

“अिस पत्रकी नकल अुत्तर विभागके कमिश्नर मि० गैरेट और वंबयी सरकारको भेज रहा हूं। और इसका सारांश वाअिसराय महोदयको तार द्वारा सूचित कर रहा हूं।”

वम्बयी सरकारके गृह-सदस्य मि० मेक्मवेलने गांधीजीके पत्रका अुत्तर बहुत देरसे, ता० १० अगस्तको, दिया। अुसमें कहा गया कि :

“प्राप्त समाचारोंसे गवर्नर महोदयको यकीन हो गया है कि बारडोलीमें लगान वसूलीके लिये की गयी कार्रवाअियोंमें संधि-भंग नहीं हुआ है। कुछ चुने हुअे असामियोंके खिलाफ ही कलेक्टरने कदम अुठाये हैं। खातेदारोंने तुरंत अदायगी कर दी और कुर्कियां क्वचित् ही करनी पड़ीं। अिससे विदित हो गया है कि बहुतसे अदा कर सकनेवालोंने लगान नहीं चुकाया था। लोगोंने संधिका पालन नहीं किया, अिसीलिये जाब्लेकी कार्रवायी करनी पड़ी।”

अुसी पत्रमें आगे कहा गया कि :

“सरकार या कलेक्टरने कभी यह स्थिति स्वीकार नहीं की कि जमीनके लगानकी वसूलीका आधार कांग्रेसकी सलाह पर रहे। गवर्नर महोदयको अिसमें जरा भी सन्देह नहीं और आप खुद भी समझ लेंगे कि अिस बातका निर्णय कलेक्टरके हाथमें ही रहना चाहिये कि कोयी खातेदार लगान जमा करा सकता है या नहीं। अिसलिये गवर्नर

महोदय मानते हैं कि की गयी कार्रवाइयोंमें विश्वासघात या संधि-भंग नहीं हुआ है।”

बारडोलीमें जब यह जुलम हो रहा था, तब युक्त प्रान्तमें भी यही दशा थी। गांधीजीने ता० ५-८-३१ के दिन युक्त प्रान्तके गवर्नरको तार देकर बताया कि :

“सरकारके मुख्य मंत्रीके साथ हुआ अपनी बातचीतका जो वर्णन पं० मालवीयजी और पंडित जवाहरलालने किया, उससे मालूम होता है कि किसानों संबंधी सरकारी नीति अनिश्चित है, जान्तेकी कार्रवाइयां जारी हैं और बेदखल किये गये किसानोंकी स्थिति डावांडोल है। असलिये मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है। अिन महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंके संबंधमें सरकारी नीति क्या है, कृपा करके मुझे स्पष्ट बताइये।”

युक्त प्रान्तके गवर्नरने गांधीजीको ता० ६-८-३१ को तार देकर बताया कि :

“हमारे पास यह माननेका कारण नहीं है कि इस साल बहुत अधिक किसानोंको जमीन छोड़नी पड़ी है। अंक दो प्रदेश जैसे हैं, जहां साधारण वर्षसे ज्यादा किसानोंको जमीन छोड़नी पड़ी है। बेदखल किये गये किसानोंको फिर रख लेनेके लिये जमींदारोंको समझानेमें जिलाधिकारी आम तौर पर अपना असर अस्तेमाल करते हैं। . . . व्यवहारमें और सिद्धान्तकी दृष्टिसे सरकारकी नीति यह है कि जमींदार और किसानके बीच अकसा न्याय किया जाय, फिर भी वर्तमान आर्थिक मंदीमें सब अन्तजाम इस तरह किया जाय जिससे किसानको कोयी अनुचित कष्ट न हो।”

असह्य जुलम और आतंककी शिकायतें करने पर अुनके जैसे अूलजलूल जवाब मिलते रहते थे, असलिये गांधीजीने क्षुब्ध होकर ता० ११-८-३१ को वाअिसरायको तार देकर बता दिया कि :

“अभी-अभी प्राप्त हुअे बंबअी सरकारके पत्रसे मेरा लंदन जाना असंभव हो गया है। इस पत्रमें हकीकत और कानून दोनोंके बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल अुठाये गये हैं और लिखा है कि दोनों ही के बारेमें अंतिम निर्णय सरकार करेगी। साफ शब्दोंमें असका अर्थ यह होता है कि सरकार और वादीके बीच हुअे अिकरारनामेसे पैदा होनेवाले झगडोंमें सरकार अभियुक्त अथवा वादी और न्यायाधीश दोनों बनेगी। यह स्थिति कांग्रेसको अस्वीकार है। बम्बअी सरकारका

पत्र मेरी पूछताछके जवाबमें आया था। युक्त प्रान्तके गवर्नरका तार और युक्त प्रान्त, सरहद प्रान्त तथा अन्य प्रान्तोंमें होनेवाले जुल्मके हालचाल आदि सबको अेक साथ पढ़नेसे मुझे साफ दिखायी देता है कि मैं लंदन न जाऊं। आखिरी फैसला करनेसे पहले आपको बता देनेका मैंने वचन दिया था, अिगलिअे अपरोक्त हकीकत आपके ध्यानमें लाया हूं। निर्णय घोषित करनेसे पहले आपके अुत्तरकी प्रतीक्षा करूंगा।”

ता० १३-८-३१ को वाअिसरायँय महोदयने गांधीजीको तार दिया। अुसमें वंबअी सरकार और युक्त प्रान्तकी सरकारके दिये हुए अुत्तरोंका समर्थन किया और बताया कि:

“मैं आशा रखता था कि भावी विधानकी जिम महत्वपूर्ण चर्चासि आपके या मेरे आयुष्यसे बहुत ज्यादा दीर्घ काल तकका देशका भविष्य तैयार किया जायगा, अुममें भाग लेकर देशकी सेवा करनेमें आप अैसी छोटी छोटी बातोंके झगड़ोंको रुकावट नहीं बनने देंगे। परंतु यदि आपका तार अंतिम शब्द ही हो, तो परिपदमें जानेकी आपकी असमर्थता मैं तुरंत प्रधान मंत्रीको सूचित कर दूंगा।” गांधीजीने अुसी दिन वाअिसरायँयको तार दे दिया कि:

“अिन घटनाओंमें आपको मंघिमे असंगत कुछ भी दिखायी न देना हो तो अैसा मालूम होता है कि मंघिके विषयमें मेरी और आपकी दृष्टिमें बुनियादी भेद है। लंदन जानेके लिअे मैंने भरसक प्रयत्न किया, परंतु मेरा प्रयत्न असफल रहा। कृपा करके प्रधान मंत्रीको यह सूचना दे दीजिये। मैं मानता हूं कि सरकारके साथ हुआ पत्रव्यवहार और तार प्रकाशित करनेमें आपको कोअी आपत्ति नहीं होगी।”

वाअिसरायँयने ता० १८ अगस्तको तार देकर पत्रव्यवहार और तार प्रकाशित करनेकी स्वीकृति दे दी।

अैसी अैसी कड़वी घूंटें पीकर भी गांधीजीको तो अपनी अहिंसाकी कड़ी परीक्षा करनी थी। सरकारी कर्मचारियोंका मानस जरा भी छिपा नहीं रह गया था। फिर भी गांधीजी लोगोंसे और अधिक कष्ट सहन करवा कर अुन कर्मचारियोंका हृदय-परिवर्तन करनेकी आशा छोड़ना नहीं चाहते थे। अिसलिअे कांग्रेस कार्यसमितिसे ता० १४-८-३१ को प्रस्ताव पास कराया कि यद्यपि गोलमेज परिषदमें भाग न लेनेका कांग्रेस निश्चय करती है, तथापि

असका यह अर्थ लगानेकी आवश्यकता नहीं कि दिल्लीका समझौता समाप्त हो गया। उसी तारीखको वाजिसरायको लंबा पत्र लिखकर पूछा कि :

“ आप संधिको अब समाप्त हुआ मानते हैं या कांग्रेसके गोलमेज परिषद्में भाग न लेने पर भी अभी संधिको कायम रखना चाहते हैं ? यदि संधि बनी रहती हो तो मैं यह कहनेकी धृष्टता करता हूं कि पहले पेश की गयी शिकायतोंके बारेमें फौरन असाफ होना जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा है, दूसरी शिकायतें आती ही जा रही हैं और साथी अग्रह कर रहे हैं कि यदि समय पर न्याय न मिले तो और कुछ नहीं तो उन्हें रक्षात्मक अुपाय करनेकी अनुमति तो मिलनी ही चाहिये। ”

असका उत्तर वाजिसरायने ता० १९-८-३१ को पत्र द्वारा दिया। अुममें कहा गया :

“ गोलमेज परिषद्में कांग्रेस अपना प्रतिनिधि भेजनेमें अिनकार करती है। अिमसे पैदा होनेवाली परिस्थितिके बारेमें यज्ञं कहंगा और आप भी देख सकेंगे कि जिन अुद्देश्योंकी पूर्तिके लिये संधि की गयी थी अुनमें से अेक मुख्य अुद्देश्य कांग्रेसके अिम अिनकारमें मारा जाता है।

* * *

“ संधिके अनुसार जो कार्य करना सरकारका कर्तव्य होगा, परन्तु जिनका अमल करना अभी तक बाकी रह गया होगा, अुन मामलोंमें स्थानीय सरकारोंके साथ परामर्श करके भारत सरकार संधिका पालन करायेगी।

“ संधिकी बीसवीं कलम नमक-सम्बन्धी रिआयतोंके बारेमें है। वे रिआयतें रद्द करनेका सरकारका अिरादा नहीं है। बाकी मामलोंमें साधारण कानूनका अमल बन्द कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय, यह बात संधिकी शर्तोंसे हरगिज फलित नहीं होती; और खास परिस्थितिका सामना करनेके लिये जरूरी कार्रवाअीका सम्पूर्ण अधिकार भारत सरकार तथा स्थानीय सरकारको रहता ही है। कानूनका यह अमल कांग्रेसकी हलचलोंके सिलसिलेमें करना होगा, तब भी कानूनके अमलका स्वरूप कैसा हो और किस हद तक हो, अिस बातका मुख्य आधार अिस पर होगा कि वे हलचलें किस प्रकारकी हैं। अिस बारेमें भारत सरकार अपने अथवा स्थानीय सरकारोंके अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगानेमें असमर्थ है। ”

अितनी अितनी बातें होते हुअे भी सर तेजबहादुर सप्रू तथा श्री जयकर वगैरा अुदार-पंथी नेता गांधीजीसे आग्रह करते ही रहे कि आप अब भी वाअिसराँयसे मुलाकात मांगिये और अपनी मांगों अुनके सामने स्पष्ट रूपमें रखिये। ये लोग तो गांधीजीको यह सलाह देकर गोलमेजमें भाग लेने विलायत चल दिये। परन्तु मालवीयजी और सर प्रभाशंकर पट्टणीने, जो मुलाकात मांगनेकी रायके थे, गोलमेजके लिअे रवाना होना मुलतवी कर दिया और यदि गांधीजी शिमला जाना मंजूर करें तो अुनके साथ शिमला जाकर वाअिसराँयको समझानेके लिअे पट्टणीजी तैयार हुअे। तब गांधीजीने अहिंसाका अेक और प्रयोग किया। वाअिसराँयको पत्र लिखकर सूचित किया कि “आपको चर्चा आवश्यक प्रतीत होती ही तो मैं शिमला आनेको तैयार हूँ।” वाअिसराँयने सूचित किया कि “आपका यह खयाल ही कि और चर्चा आपकी कठिनाअियां दूर करनेमें सहायक होगी तो भले ही आ जाअिये।” गांधीजीको तो प्रयत्न करनेमें कसर रखनी ही नहीं थी। अिसलिअे वाअिसराँयके यह कहने पर भी कि आपको आना ही तो आ जाअिये, शिमला जानेके निर्णयका भार अपने पर लेकर वे जानेको तैयार हो गये। वाअिसराँयको अितनी सूचना दे दी कि “मैं शिमला रहूँ तब तक मैंने पं० जवाहरलालजी, खानसाहब अब्दुल गफ्फारखां तथा सरदार वल्लभभाभीको मेरे साथ शिमलामें रहनेका निमंत्रण दिया है।” शिमलाकी बातचीतमें सरकारने स्वीकार किया कि बारडोलीमें हुअी सख्तीके बारेमें जांच की जाय और अुसमें सरकार और कांग्रेस दोनों सबूत दे सकती हैं। सरकार अिस अेक ही मामलेमें झुकी, अिसलिअे गांधीजीने गोलमेजमें जाना स्वीकार किया। सिर्फ पत्र लिखकर अेक बातका स्पष्टीकरण किया कि :

“कोअी शिकायत अितनी अधिक असह्य हो जाय कि जांचके अभावमें अुसे दूर करनेके लिअे रक्षात्मक लड़ाअीका कोअी अुपाय ढूँढना कांग्रेसका धर्म हो जाय, तो सविनय कानून-भंग स्थगित कर देने पर भी वह अुपाय करनेमें कांग्रेस स्वतंत्र होगी।”

यह सब काम शिमलामें ता० २७ अगस्तको निबट गया। बम्बअीसे ता० २९ अगस्तको जो जहाज रवाना होता था यदि गांधीजी अुसे पकड़ पाते तो ही गोलमेजमें समय पर पहुंच सकते थे। अिसलिअे वाअिसराँयने शिमलासे स्पेशल ट्रेनकी व्यवस्था कर दी। बड़ी दौड़धूप करके, गांधीजीके शब्दोंमें ‘जान पर खेलकर’, दिल्लीसे बम्बअी मेल पकड़ी और जहाज भी समय पर पकड़ा।

बारडोलीकी जांच और संधि-भंग

वाअिसराॉयने बारडोलीमें हुअे अत्याचारोंके सम्बन्धमें जांच तो मंजूर की, लेकिन यह अुनके हृदय-परिवर्तनका फल नहीं था। गांधीजी विलायतके लिअे रवाना हो गये, अुसके बादके सरकारके आचरणसे और अिसी अरसेमें अभियोगपत्रके जो चालाकीभरे जवाब सरकारने अपने गजटमें प्रकाशित किये अुनसे यह बात विदित हो जाती है। पं० जवाहरलालजी, खान अब्दुल गफ्फारखां तथा सरदार शिमलामें गांधीजीके साथ थे ही। तीनोंने गांधीजीसे आग्रहपूर्वक कहा, आप खुशीसे गोलमेजमें जाअिये। यहां हम अपना निबट लेंगे। वे यह कहनेका अेक भी कारण देना नहीं चाहते थे कि कांग्रेसकी तरफसे संधिका भलीभांति पालन नहीं हुआ। परन्तु ताली दोनों हाथोंके बिना नहीं बजती। लोगोंमें कांग्रेसकी प्रतिष्ठा जमे, यह ब्रिटिश अधिकारियोंको बर्दाश्त नहीं होता था। वे अवसर मिलते ही कांग्रेसको छकानेकी कोशिश कर रहे थे। अिसके लिअे वे कौसी चालें चलने लगे, यह देखिये।

पहले बारडोलीकी जांचको ही लीजिये। जांच करनेके लिअे सरकारने नासिकके जिला कलेक्टर मि० गॉर्डनको मुकर्रर किया। अुन्हें नीचे लिखे मुद्दों पर जांच करके रिपोर्ट भेजनी थी :

१. लगान वसूलीमें पुलिसकी तरफसे जुल्म किया गया था या नहीं ?

२. ५ मार्चके बाद बारडोली तालुकेके दूसरे गांवोंमें पुलिसकी मददके बिना जिस ढंगसे लगान वसूल किया गया था, अुसकी अपेक्षा शिकायतवाले गांवोंमें सख्त तरीका अमलमें लानेसे ज्यादा लगान वसूल किया गया था या नहीं ? और किया गया हो तो अिस प्रकार वसूल किये गये लगानकी रकम कितनी थी ?

अिस जांचका काम ५ अक्तूबरसे बारडोलीमें शुरू हुआ। कांग्रेस तथा मुद्दगी किसानोंकी तरफसे श्री भूलाभाजी देसाजीने पैरवी की। अुनकी मदद पर श्री भोगीलाल लाला (लाला काका) और मैं थे। सरदारको कांग्रेसके अध्यक्ष होनेके कारण और बहुतसे कामोंमें ध्यान देना पड़ता था। फिर भी बीचमें दीवालीकी छुट्टियोंके सिवा जांचका काम अेक महीनेसे अधिक चला, अुतने समय वे बारडोलीमें ही रहे। कुल ग्यारह गांवोंकी जांच करनी थी।

जांचके मुद्दोंमें लगान वसूलीके तरीकेका अल्लेख था। यह तरीका कैसा हो, जिस बारेमें श्री भूलाभाजीने गांधीजीको विलायत पत्र लिखकर पूछा। उसके उत्तरमें उन्होंने लिख भेजा कि :

“ बारडोली और बोरसदमें लगान वसूलीके मामलेमें शुरूसे ही यह स्पष्ट समझौता था कि जिन खातेदारोंको सविनय कानून-भंगकी लड़ाईके कारण कष्ट उठाने पड़े हैं, वे रुपया ब्याज पर लाये बिना जितना अदा कर सकें उतना कर देंगे। यह बात खेड़ाके कलेक्टर मि० पेरी और अउके अनुगामी मि० भद्रपुर और सूरतके कलेक्टर मि० कोठावाला, तीनोंके साथ हुआ बातचीतमें बार बार स्पष्ट कर दी गयी थी। अउके साथ हुआ पत्रव्यवहारसे मेरे जिस कथनका समर्थन होता है। जांच करनेवाले अधिकारीको जिन मुद्दों पर जांच करनी है, उनमें तरीकेका अल्लेख हुआ है। अउके बारेमें मेरी स्पष्ट समझ यह है कि वहां तरीकेका मतलब ब्याजसे रुपया लाये बिना खातेदारकी रुपया जमा करानेकी शक्ति है। ”

जब जांच हो रही थी अउ दिनों जिस ‘ तरीके ’के बारेमें श्री भूलाभाजीने ता० २२-१०-३१ को जांच-अधिकारी मि० गॉर्डनको लंबा पत्र लिखा और अउमें बताया कि :

“ मंडिकी शर्तोंके अनुसार खातेदार लगान जमा करानेको तैयार हों, परन्तु उन्हें मचमुच मियादकी जरूरत हो तो जैसे लोगोंके लिये खास तौर पर विचार किया जायगा और जरूरत होगी तो लगान वसूलीके सामान्य नियमोंके अनुसार लगान मुलतवी कर दिया जायगा। जिसका अर्थ यह होता है कि लगान स्थगित करनेका विचार अुदारतासे किया जाय और खातेदारको लड़ाईकी हालतोंके कारण अथवा अन्य प्राकृतिक कारणोंसे जो हानि उठानी पड़ी हो अउसे ध्यानमें रखा जाय। जिस मामलेमें भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार दोनोंने स्थानीय अधिकारियोंको अवश्य हिदायतें दी होंगी। ये हिदायतें हमें अभी तक अुपलब्ध नहीं हुआं, सिवा अउ सारके जो सरकारी अफसरों और कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके साथ बातचीतमें जाना जा सका था। जिसलिये जबसे संघि हुआ तबसे ता० २७ अगस्त तकके, यानी जिस दिन वाअिसराय और गांधीजीके बीच दुबारा समझौता हुआ अउ दिन तक दी गयी हिदायतोंके सारे कागजात जिस केसमें पेश होने चाहिये। अउसे भी वसूली और राहतका ‘ तरीका ’ निश्चित किया जा सकेगा। ”

कुल ग्यारह गांवोंमें से सात गांवोंके त्रेसठ खातेदारों और अणुके अिक-हत्तर साथियोंकी गवाही हुअी। अिन सात गांवोंके खातेदारोंने सारा हाल बता दिया कि अणुके गांवमें पुलिसने धावे करके कैसा जुल्म किया था, धान रोपनेके असली मौसमके समय अणुके काममें कैसी रुकावटें डाली गअी थीं और अणुके पास रुपया न होनेसे कैसे अणुहें ब्याज पर रुपया लाकर लगान चुकाना पड़ा था। बादमें सरकारी पक्षके गवाहोंकी शहादत लेना शुरू हुआ। सरकारके पहले गवाहके तौर पर तालुकेके तहसीलदार आये। शिकायत करनेवाले अेक गांव रायमके बारेमें अणुकी गवाही शुरू हुअी। अिस गांवके कुल ग्यारह खातेदारोंने शिकायत की थी। सरकारने अपने लिखित अुत्तरमें बताया था कि खातेदारोंकी शिकायत झूठी है और ग्यारह शिकायत करनेवालोंमें से तीन तो तहसीलदारके गांवमे चले जानेके बाद स्वेच्छासे पटवारीको रुपया अदा कर गये थे। बाकी लोगोंने भी तहसील-दारकी तरफसे मांग होने पर लगान चुका दिया था। किसी प्रकारका जुल्म नहीं करना पड़ा था। श्री भूलाभाअीने तहसीलदारसे पांच दिन तक जिरह की और अुसमें सरकारी पक्षकी धज्जियां अुड़ा दीं। अिन गांवोंमें पुलिस केवल रक्षाके लिअे ही ले जाअी गअी थी, यह सफाअी कितनी लचर थी, यह जिरहमें साफ जाहिर हो गया। कारण, अणुहीं गांवोंमें अुसी वक्त तहसीलदार पुलिसके बिना भी दौरा कर रहे थे, यह अणुहोंने स्वीकार किया। और जिन तीन खातेदारोंके लिअे यह कहा गया था कि अणुहोंने तहसीलदारके गांवसे चले जानेके बाद रुपया जमा कराया था, अणुकी रसीदोंकी क्रमसंख्या देखनेसे यह मालूम होता था कि अणुहोंने तहसीलदारके रूबरू रुपया जमा कराया था। अिसलिअे यह निश्चित करनेके लिअे तहसीलदारकी कचहरीमें रखे जानेवाले रसीदोंके अद्वे पेश करनेकी मांग की गअी। परन्तु तहसीलदारने अणुहें पेश करनेसे अिनकार कर दिया। और यह साबित करनेके लिअे कि शिकायतवाले गांवोंमें लगान वसूल करने जाते समय तह-सीलदारको पुलिस-संरक्षणकी आवश्यकता प्रतीत हुअी थी, जब कि अुसी अरसेमें दूसरे गांवोंमें वे पुलिसको साथ लिये बिना लगान वसूल करनेके लिअे गये थे, अणुकी डायरी मांगी गअी। अिससे भी अिनकार कर दिया गया। अिसके अलावा पुलिस ले जानेकी अिजाजत देनेके बारेमें कलेक्टरने अणुहें कोअी पत्र लिखा हो, लगान वसूलीके बारेमें तहसीलदारने कलेक्टरको जो रिपोर्टें भेजी हों और अिस विषयमें बम्बअी सरकारकी तरफसे कोअी हुकम या सूचनाअें मिली हों तो वे सब कागजात मांगे गये। परन्तु अणुहें पेश करनेसे अिनकार कर दिया गया। अपनी डायरी और पटवारियोंकी रिपोर्टें पेश

करनेकी बात तहसीलदारने पहले रोज मंजूर की थी, परन्तु दूसरे दिन पेश करनेसे अिनकार कर दिया ।

न्याय और सत्यशोधनके खातिर और कानूनके मुताबिक भी ये सारे कागजात पेश करनेको सरकार बंधी हुयी थी, अिस बारेमें श्री भूलाभाजीने कानूनी आधार बताकर ठोस दलीलें दीं । जांच-अधिकारी मि० गॉर्डनकी दलील यह थी कि वे अेक माल-अफसर हैं और अपने अूपरके अधिकारियोंकी अनुमतिके बिना वे सरकारी कागजात पेश करनेका हुकम नहीं दे सकते । श्री भूलाभाजीने अिस प्रकार तर्क किया कि जांच-अफसरकी हैसियतसे वे माल-अफसर नहीं किन्तु अेक न्यायाधीश हैं । अितनेमें दीवालीकी छुट्टियां आ गयीं, अिसलिये छुट्टियां पूरी होने पर १२ नवम्बरको अुन्होंने लिखित निर्णय दिया कि जांचमें सरकारी कागजात देखने और पेश करनेकी कांग्रेस पक्षकी मांग वे स्वीकार नहीं कर सकते । जांच-अफसरने अिस मुद्दे पर जो फैसला दिया अुसमें अधिक आश्चर्य पैदा करनेवाली बात तो यह थी कि सारा सबूत अुनके सामने आ जानेके बाद जिन बातों पर अुन्हें निर्णय देना चाहिये था अुन पर भी अुन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी । यह फैसला देनेमें जांच-अफसरने जो रुख अस्तिथार किया और जो मत प्रगट किये, अुन्हें देखते हुअे श्री भूलाभाजीको महसूस हुआ कि अिस जांचमें और अधिक समय तक शरीक रहनेसे कोअी न्याय नहीं मिल सकेगा, अतः अुन्होंने कांग्रेस और खातेदारोंको अिस जांचसे हट जानेकी सलाह दी । अिस सलाहको मानकर सरदारने बारडोलीके खातेदारोंके नाम अेक सन्देश प्रकाशित करके जांचसे हट जानेकी सूचना दी । सन्देशमें अुन्होंने कहा कि :

“जांचका रवैया मुझे विरोधी और अेकपक्षी लगता ही था । परन्तु जब तक हमारे वकीलको अैसा न लगे कि आगे जांच जारी रखना व्यर्थ है तब तक मैं जांचमें शरीक रहनेको तैयार था । जो कागजात सरकारके कब्जेमें हैं अुनके बारेमें जांच-अफसरने यह हुकम दिया है कि वे पेश न किये जायं और हमें दिखाये न जायं । अिससे सरकारी गवाहोंकी जिरह पर कोअी अंकुश नहीं रहता । अिसलिये मेरे खयालसे अैसी खोखली जांच जारी रखनेमें कोअी सार नहीं । अतः श्री भूलाभाजीके साथ सलाह-मशविरा करके जांचसे अलग हो जानेका निश्चय किया गया है । अब आगे जांच-अफसर अथवा और किसी सरकारी कर्मचारीकी तरफसे अिस जांचके सिलसिलेमें आपको कोअी सूचना दी जाय तो अुस पर आपके अमल करनेकी जरूरत

नहीं रह जाती। हमारे हट जानेकी खबर मैंने महात्मा गांधीको तारसे दे दी है।”

परन्तु गुजरातमें यह अेक ही कठिनायी नहीं थी। पिकेटिंगके मामलेमें अधिकारीगण बेशुमार अड़चनें पैदा कर रहे थे। वोरसद तालुकेमें रास गांवने अद्भुत शौर्य दिखाकर बरबादी मोल ले ली थी। संधि हो जानेके बाद उसकी कद्र करनेके बजाय अफसरोंने तो जैसे यह निश्चय कर लिया था कि उसे जरा भी राहत न दी जाय। मजी मासमें शिमलेसे लौटते समय ट्रेनमें ता० १७-५-३१ को लिखे गये अेक पत्रमें महादेवभायी सरदारको सूचित करते हैं :

“अिमर्सनके साथ चार दिन तक बातें हुआं। चार दिनके अन्तमें बापूने कहा, ‘यह आदमी दुनियाका सबसे बुरा आदमी है। केवल अितनी बात उसके पक्षमें है कि वह मुझसे अीमानदारीका बरताव करता है।’ यह आदमी हर वातमें यह कहकर जिम्मेदारीमे अलग हो जाता है कि प्रान्तीय सरकारके काममें हम कैसे दखल दे सकते हैं, यद्यपि यह तो लगता है कि अिमर्सन वहां लिखता होगा। गैरेटको यहांसे कहा गया दीखता है कि जहां तक हो सके सख्त कार्रवायी न की जाय। परन्तु अस पर अमल करना तो उसीके हाथमें है न? पटेलोंके बारेमें स्थायी नियुक्तिके अर्थकी बापूकी दलील पर गैरेट कहता है कि भले ही गांधीका अर्थ सही हो, परन्तु वह अर्थ समझौतेकी भावनाके विरुद्ध है!”

अेक और पत्रमें महादेवभायी लिखते हैं :

“यहां (शिमलामें) सब लोग मानते हैं कि समझौतेका भंग जितना बम्बयीके अधिकारी — खास कर गैरेट — कर रहे हैं, अतना शायद ही और कोयी करते होंगे। बापू कहते हैं : ‘गैरेटको सीधा करना हो तो पल भरमें किया जा सकता है। परन्तु अिसीके लिये संधिको तोड़ना ठीक नहीं कहा जा सकता। असलिये प्रतीक्षा कर रहा हूं।’”

अिसी पत्रमें वे यह भी लिखते हैं :

“अिस वाअिसरायके यहां आनेके पहले यहांके धूर्तोंने सब प्रान्तोंमें गश्तीपत्र जारी कर दिये थे कि समझौतेका अर्थ यह नहीं कि सरकारका शासन बन्द हो गया है। सरकारको शासन जारी रखना है।”

जुलाबी मासमें 'पायोनियर' का दिल्ली स्थित संवाददाता, जिसे सरकारी अधिकारियोंसे समाचार मिलते रहनेकी संभावना थी, लिखता है :

“पं० जवाहरलालकी हलचलोंसे यहां कुछ खलबली पैदा हुयी है। वे और श्री वल्लभभाभी पटेल अत्तेजक भाषण दे रहे हैं। गांधी-अविन समझौतेमे पहले अन्हें अैसे भाषणोंके लिअे तुरन्त जेलकी सजा मिल गयी होती। यहां विश्वस्त क्षेत्रोंमें यह माना जाता है कि संभवतः अुन पर नोटिस जारी किये जायंगे। अन्हें भंग करते ही अुनकी गिरफ्तारी होगी। यहां यह भी जोरदार अफवाह है कि समझौतेको खतरेमें डालनेवाली अुनकी अिन हलचलों और साथ ही खान अब्दुल गफ्फारखांके आचरणके बारेमें गांधीजीको सूचना दी गयी है।”

अैसी रिपोर्टोंका अुल्लेख करके महादेवभाभी सरदारको लिखते हैं कि :

“अिन लोगोंकी लड़नेकी तैयारी हो रही है। बापू भी यही मानते हैं। खेड़ामें १८॥ लाख वसूल हो गये और केवल ७८ हजार बाकी हैं। अिस पर ये लोग अितना अुत्पात कर रहे हैं। मामूली वर्षोंमें भी अितना बकाया तो रहता ही है।”

ये सारे अुद्घरण अिसीलिअे दिये गये हैं कि अुनसे यह कल्पना हो जाय कि जबसे समझौता हुआ तभीसे अधिकारियोंका रुख कैसा था और कुछ समय बाद अुसने कैसा अुग्र रूप धारण करना शुरू कर दिया।

गुजरातमें लड़ाअीके दरमियान बहुतसे पटेलोंने त्यागपत्र दे दिये थे। संधिकी शर्तोंके मुताबिक जहां किमी दूसरेकी स्थायी नियुक्ति न हुयी हो, वहां अुन्हें वापस नौकरी मिल जानी चाहिये थी। परन्तु पिछले अध्यायमें हमने देख लिया कि तालुके तथा जिलेके अधिकारी अिसमें कुछ न कुछ अड़ंगे लगा रहे थे। अिन सब मामलोंकी तफ्तीलमें हम न जायं, परन्तु रासके बारैया पटेलके मामलेको देखें। जिस पुराने पाटीदार पटेलने अिस्तीफा दिया था, अुसकी जगह पर सितंबर १९३०में अिसे नियुक्त किया गया। अिसे नियुक्त करनेवाले तहसीलदारने कलेक्टरको यह रिपोर्ट की थी कि अुसकी नियुक्ति स्थायी नहीं की गयी है और स्थायी करनेका अुसे आश्वासन भी नहीं दिया गया है। बादमें कांग्रेस कार्यकर्ताओंने तो अैसा अुदाहरण भी ढूंढ निकाला कि सन् १९२९ में ही अिसे अेक फौजदारी जुर्ममें दो मासकी सजा हुयी थी। संधिके बाद खेड़ा जिलेके कलेक्टरने गांधीजीसे कहा था कि अिस पटेलको अलग करके अुसकी जगह पुराने पाटीदार पटेलको ले लिया जायगा। परन्तु थोड़े

ही समय बाद अुस कलेक्टरका तबादला हो गया । नये कलेक्टरके ध्यानमें यह बात कभी बार लाओ गओ, परन्तु कमिश्नर मि० गैरेटकी नीयत पाटीदार पटेलको नौकरीमें लेनेकी नहीं थी । असलिये कुछ न कुछ बहाना बनाकर अुसने बारैया पटेलको ही कायम रखा । अुसकी पटेलगिरीमें गांवमें चोरियां वगैरा बहुत होने लगीं और पाटीदारोंका नुकसान होने लगा । असलिये गांवकी रक्षाके लिये विशेष पुलिस रख दी गओ, परन्तु अुस पटेलको नहीं बदला गया ! सरदारने गांधीजीके गोलमेजमें चले जानेके बाद कलेक्टर और कमिश्नरके साथ अस मामलेमें पत्रव्यवहार करना शुरू किया । अससे कुछ नहीं हुआ तो बम्बओ सरकारके गृहमंत्री मि० मेक्सवेलको लिखा । अुसमें कहा गया कि :

“ गांधीजी अस मामलेको अस बातकी कसौटी मानते थे कि सरकारकी संधि-पालनकी नीयत कहां तक साफ है । असलिये और बहुतसे पटेलोंके मामलोंका झगड़ा चलने पर भी अस अेक मामलेकी तरफ में आपका ध्यान दिलाता हूं । ”

सरकारकी तरफसे असका जो चालाकीभरा जवाब दिया गया अुस परसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अस बारेमें कितनी बेहया बन गओ थी । सरकारी अुत्तरमें कहा गया कि :

“ यह बात सही है कि पटेलको नियुक्त करनेवाले तहसीलदारने अुसे स्थायी नौकरी देनेका वचन नहीं दिया था । परन्तु अुसके बाद जनवरी १९३१ में नये तहसीलदारने अस पटेलको स्थायी नौकरीका वचन दिया था, यद्यपि अुसने अस बातकी तुरन्त रिपोर्ट नहीं की थी । असलिये कलेक्टरने पुरानी रिपोर्ट पर आधार रख कर गांधीजीसे कह दिया था कि पाटीदार पटेलको वे नौकरी पर ले लेंगे । ”

फौजदारी जुर्ममें हुआ सजाके बारेमें बताया गया कि :

“ अब अुसका चालचलन अच्छा है, असलिये कमिश्नर साहबने सजा होनेकी अुसकी अयोग्यताको दरगुजर करना मुनासिब समझा है ! बहुतसे सजा पाये हुआ कैदियोंको सरकारने संधिकी रूसे छोड़ दिया है और अुनकी अयोग्यताको दरगुजर किया है (महाशयजी राजनीतिक कैदियोंको दी गओ रिहाओकी बात कर रहे हैं), तो फिर अस बारैया पटेलके मामलेमें कम अुदार नीति रखनेका कोओ कारण नहीं ! ”

तीसरी दलील यह भी दी कि :

“यदि पाटीदार पटेलको ले लिया जायगा, तो सरकारका खयाल है कि बारैया लोगोंको बहुत तंग होना पड़ेगा !”

बारैयाकी पटेलगिरीमें पाटीदारोंको तंग होना पड़ता था, यह बात ही जवाबमें खा गये । सरदारने अपने जवाबमें असका जोरदार खंडन किया, कानूनकी कलमें अद्भुत करके बताओं, परन्तु सरकारको न्याय कहाँ देखना था ? लड़ाीमें शरीक हुअे पाटीदारोंको खामखाह सतानेके लिये ही जिस पटेलको पटेली दी गयी थी, उसे निकाल दें तो सरकारकी अिज्जत चली जाय और कांग्रेसकी अिज्जत बढ़ जाय । यह उसे करना नहीं था ।

अिस समय युक्त प्रान्तके मथुरा जिलेमें सरकारने कांग्रेसके असंख्य कार्यकर्ताओंको कैद करके, देहात पर पुलिसके धावे बोलकर और गांवोंके लोगों और कांग्रेसके कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां चलाकर संधिकी शर्तोंका खुलेआम भंग करना शुरू कर दिया था । कांग्रेसने अिस बारेमें शिकायत की तब प्रान्तीय सरकारने अपने अफसरोंके गैरकानूनी और अत्याचारपूर्ण व्यवहारके बारेमें अिनकार कर दिया । परन्तु अुनमें से कुछ मामले हाअी-कोर्टमें गये । अुनमें जिन कांग्रेसियोंको पहली अदालतने सजा दी थी, अुन सबको हाअीकोर्टकी तरफसे निर्दोष करार देकर छोड़ दिया गया । अेक मुकदमा सेशान्स जजके यहां चला तो अुसमें अुसने यह फैसला दिया कि “पुलिसके थानेदार, तहसीलदार और जमींदार सबने अभियुक्तोंके विरुद्ध गुप्त षड्यंत्र रचा था ।” अेक और फैसलेमें न्यायाधीशने कहा, “जब मुद्दअी और दूसरे कांग्रेसियोंने सभा की थी, तब कुछ पुलिसवालोंने वहां जाकर पुलिस स्टेशनके अफसरके सामने ही अेक आदमी पर हमला किया था, यह चीज सचमुच अफसोस करने लायक है ।” कांग्रेसवालोंकी बुलाअी हुअी अेक सभाको पुलिसने जिस जंगली ढंगसे रोका था, अुसके बारेमें अेक न्यायाधीश कहते हैं :

“अधिकारियोंकी अैसी अिच्छा थी तो अुन्हें सभा न करनेकी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिये थी । मनाही होने पर भी सभा करनेका प्रयत्न किया जाता, तो अुसे लाठी चलाकर बिखेरा जा सकता था । परन्तु अुसे अैसी गुंडाशाही करके रोकनेकी जरा भी जरूरत नहीं थी । पुलिसने पहले तो जितनोंको वह पकड़ना चाहती थी अुन सबको पकड़ लिया और अुसके बाद अैसा कहनेवाले गवाह खड़े किये कि अिन सबने हुल्लड़में भाग लिया था ।”

महान आर्थिक संकटके समयमें और लगान वसूलीका समय बहुत पहले समाप्त हो जाने पर भी, यानी भरे चौमासेमें, जबरदस्ती कुर्कियां करनेका और जमीनों पर कब्जा कर लेनेका काम जारी था। ठेठ सितंबर माहमें लगान-अफसर पुलिसके बड़े बड़े दल लेकर वसूलीके लिये गांवों पर हमला और मारपीट करते थे। युक्त प्रान्तके पुलिस और माल-अधिकारियोंको किसानोंको मुर्गा बनानेका बड़ा शोक हो गया था। पुलिसकी मारसे बूढ़े आदमी भी बच नहीं पाते थे। अक गांवके सभी लोग यानी लगभग पांच सौ मनुष्य पुलिस और माल-विभागके डरसे भाग कर पासके जंगलोंमें छिप गये थे।

अलाहाबाद जिलेमें भी लगभग यही स्थिति थी। अलग अलग जिलेके अधिकारियों और कांग्रेसी नेताओंके बीच पत्रव्यवहार होनेके बाद यह तय हुआ कि सरकारी अधिकारी और कांग्रेसके नेता मिलकर मलाह-मशविरा करें। परंतु ता० १५ नवंबर तक, जब लगानकी किस्त शुरू होती थी, परिपद की नहीं जा सकी। और बातचीत जारी होते हुअे भी अधिकारियोंने ताकीद करके किस्तकी वसूली शुरू कर दी। पिछले दो वर्ष खराब चले जानेके कारण किसान बुरी तरह परेशान हो गये थे। अउनके पास सरकारका लगान जमा करनेके कुछ भी साधन नहीं थे, अिसलिये अउनके घरबार बिक जाने और जमीनसे बेदखल हो जानेकी नौबत आ गयी थी। वे कांग्रेस कमेटीसे सलाह लेने लगे। सरकारके साथ राहतके लिये हो रही बातचीत पूरी न होने तक रकम अदा करना मुलतवी रखनेकी सलाह देनेके सिवा और कोअी अुपाय कांग्रेसके पास नहीं था।

अिस सलाहसे सरकार अकदम भड़क अुठी और युक्त प्रान्तकी प्रान्तीय समितिके अध्यक्षको सूचित कर दिया गया कि जब तक किस्त न देनेकी सलाह वापस न ले ली जायगी, तब तक आगे कोअी बातचीत नहीं हो सकती। ता० २५-११-३१ को प्रान्तीय समितिके अध्यक्षने अुत्तर दिया कि आप किस्त वसूली थोड़े समयके लिये स्थगित कर दें, तो हम अपनी सलाह अकदम वापस ले लें; परंतु यह कैसे हो सकता है कि जब अक तरफ हमारे बीच बातचीत हो रही हो और दूसरी तरफ किस्त वसूलीका आपका कोड़ा घूम रहा हो तब हम किसानोंको कोअी सलाह न दें?

ता० २८-११-३१ को सरदारने कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे भारत सरकारके गृहमंत्री मि० अिमसंनको लिखा :

“दोनों तरफके समझौतेसे अितना अितजाम तो आसानीसे किया जा सकता है कि सरकारकी तरफसे वसूलीका काम थोड़े समयके लिये

मुलतवी रहे और कांग्रेस समितिका लगान न चुकानेकी सलाह देनेवाला प्रस्ताव भी स्थगित रहे। अिससे सरकार या जमींदारोंका कोअी नुकसान नहीं होगा। युक्त प्रान्तमें सुलह कायम रहे अिसके लिअे कांग्रेस बहुत आतुर है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि सरकार मेरा सुझाव मंजूर करे। अब भी कोअी रास्ता निकालनेके लिअे चर्चाकी गुंजाअिश है।”

परंतु सरकार तो और कोअी बात सुननेको तैयार ही नहीं थी। वह अपनी बात पर अड़ी रही।

कांग्रेस कार्यसमितिका प्रस्ताव था कि प्रान्तीय समिति लगान न देनेका निश्चय करे तो भी अुसका अमल कांग्रेस अध्यक्षकी अनुमति लेकर ही करे। अिसलिअे अुसने सरदारकी अिजाजत चाही। सरदारने प्रान्तीय समितिकी लिखा कि :

“ सारे संबंघित किसानों और कार्यकर्ताओंको जो दुःख सहने पड़ेंगे और जो बलिदान देने पड़ेंगे अुनके बारेमें और लड़ाअीके दौरानमें कितनी ही अुत्तेजना या संकट आने पर भी संपूर्ण अहिंसक वातावरण कायम रखनेकी जरूरतके बारेमें सबको परिचित करा दीजिये और अहिंसाकी रक्षा करनेकी पूरी सावधानी रखकर भले ही कदम अुठाअिये।”

अिसके जवाबमें युक्त प्रान्तकी सरकारने १५ दिसम्बरको लंबा आर्डिनंस जारी करके कांग्रेस और लोगों पर आक्रमण कर दिया।

अुस आर्डिनंसका सार यह था :

“ लोगोंसे लगान देना मुलतवी करनेके लिअे कहना सख्त मजदूरीकी सजावाला अपराध है। सरकारको अैसा लगा कि किसी भी अिलाकेके निवासी सरकारी लगानको हानि पहुंचानेवाले काम कर रहे हैं अथवा अैसे काम करनेवाले लोगोंको आश्रय दे रहे हैं, तो वह अुन सब पर सामूहिक जुर्माना कर सकेगी। और वह जुर्माना बाजाब्ला पूर्वजांच किये बिना या बादमें अदालतमें फरियाद करने दिये बगैर केवल घोषणा करके वसूल कर लिया जायगा। स्थानीय सरकार और जिला अधिकारी किसी भी मनुष्यको विशेष सीमामें बन्द रहने या विशेष सीमासे बाहर रहने या और किसी भी तरह अुसकी हलचल पर अंकुश रखनेका कोअी भी हुकम जारी कर सकेंगे और अुसके विरुद्ध कोअी शिकायत नहीं हो सकेगी। कोअी भी मकान और अुसका खाद्य सामग्री

सहित सामान कब्जेमें लेकर पुलिस या सैनिक अधिकारियोंके अधीन रखा जा सकेगा। जिलेके अधिकारी किसी भी मनुष्यको खानगी या सार्वजनिक सवारियोंका अप्रयोग करनेकी मनाही कर सकेंगे। किसी भी स्थान पर धावा बोलकर अुसकी तलाशी ली जा सकेगी और यह बताकर कि आर्डिनंसके मातहत अपराध करने अर्थात् लोगोंको लगान न देनेके लिये समझानेकी वहां तैयारी की गयी है, वहांका माल-अमबाव जब्त भी किया जा सकेगा।”

राजाजीने, जो अुस समय गांधीजीकी गैरहाजिरीमें ‘यंग अिडिया’ का मंपादन कर रहे थे, अिस आर्डिनंसकी आलोचना करते हुअे लिखा :

“संकटसे राहत पानेकी पुकार मचानेवाली अेक समस्त प्रजाके विरुद्ध अैसा हथियार अुठाना राजनीतिका दिवाला है और जुल्म है। सत्याग्रहके दृष्टिकोणसे तो अिस आर्डिनंसने लड़ाकीको पहलेमें ज्यादा आसान बना दिया है। किसानोंके संकटों और बलिदानोंमें भाग लेनेका रास्ता तमाम वर्गोंके लिये खोल दिया है।”

सरहद प्रान्तमें भी जमीनका लगान वसूल करने तथा खुदायी खिदमतगारोंको पीड़ित करनेके लिये अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे। वे युक्त प्रान्तके अपुरोक्त अत्याचारोंसे भी भयंकर थे। अुन अत्याचारोंसे सरकार वहाके लोगोंको दबा या डरा न सकी, अिसलिये वहां भी सरकारने युक्त प्रान्त जैसा ही आर्डिनंस ता० २४ दिसम्बरको जारी कर दिया। सरहद प्रान्तके चीफ कमिश्नरके ता० २२ दिसम्बरको बुलाये गये दरबारमें जानेसे खान अब्दुलगफ्फार खाने अिनकार कर दिया और अुनमनजाअीमें हुअी प्रान्तीय समितिकी बैठकमें भाषण दिया कि पूर्ण स्वराज्यसे जरा भी कम हमें स्वीकार नहीं है। अिसे अुनका बड़ा अपराध मानकर अुस आर्डिनंसकी रूसे अुन्हें और अुनके भाअी डॉ० खानसाहबको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारकी निगाहमें अुनका बड़ा अपराध तो यह था कि अुन्होंने अपने अधीन काम करनेवाली सरहद प्रान्तकी सभी संस्थाओंको कांग्रेसकी छत्रछायामें ला दिया था। बादमें सरकारी आज्ञाका अुल्लंघन करके जमा हुअे लालकुर्तीवाले खुदायी खिदमतगारों पर निर्दयतापूर्वक गोली चलायी गयी। अुसमें सरकारी रिपोर्टके अनुसार १४ मारे गये और २८ घायल हुअे। फादर अेल्विनने, जिन्होंने घटनास्थल पर जाकर स्वयं जांच की थी, कहा कि मारे गये लोगोंकी संख्या कमसे कम ५० होनी चाहिये।

बंगालमें अिस समय अधिकारियों पर छुटपुट घातक आक्रमणोंकी घटनाअें हो रही थीं। सरकारने अुसे बहुत बड़ा रूप दे दिया और लोगोंकी

तरफके अिस छुटपुट रक्तपातसे कहीं बढ़चढ़कर व्यवस्थित रक्तपातका आश्रय लिया। चटगांवमें कुछ गैरसरकारी युरोपियनों और गुंडोंने अेक छापेखाने पर, जो सरकारी गुंडागिरीके विरुद्ध लिखनेकी धृष्टता करता था, रातको हमला करके तमाम मशीनरी तोड़ डाली और अुसके आदमियोंको मारा। अैसे हमलोके विरुद्ध आत्मरक्षाके लिअे लोगोंने जो थोड़े-बहुत अुपाय किये, अुन्हें बड़े विद्रोहका रूप दे दिया गया और ३१ अगस्त तथा अुसके बादके तीन दिन तक गोरे और काले गुण्डोंने मारे चटगांवमें मतवाले सांडोंकी तरह घूम घूम कर आतंक फैला दिया। अिसमें स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट भी मिल गये। कांग्रेसकी तरफसे अिन दंगोंकी जांच की गयी। अुस जांच-समितिकी रिपोर्ट पर कांग्रेस कार्यसमितिके विचार करके प्रस्ताव पास किया कि :

“स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेटोंने कुछ गोरे और काले गुण्डोंकी सहायतासे आतंक फैलानेकी नीतिका अनुसरण करके लोगोंकी जो भयंकर हानि और बेअिज्जती की है अुसकी यह कार्यसमिति घोर निन्दा करती है। चटगांवके गुंडोंसे काम लेकर और अुनके दंगोंको साम्प्रदायिक रूप देकर साम्प्रदायिक दंगे भड़कानेके जानबूझ कर प्रयत्न होने पर भी सचमुच साम्प्रदायिक दंगा जरा भी नहीं हुआ, अिस पर कार्यसमिति संतोष व्यक्त करती है।”

बंगालमें अिस समय बहुतसे मनुष्योंको नजरबन्द रखा गया था। बाहरके आदमियों पर जैसे आतंक जमाया जा रहा था, वैसे ही जेलके भीतर नजरबन्द कैदी भी अुत्पीड़नसे मुक्त नहीं रह पाते थे। १६ सितम्बरको कोअी नाममात्रका बहाना ढूँढ़कर हिजलीके नजरबन्दों पर गोली चला दी गयी। अुसमें सरकारी रिपोर्टके अनुसार दो कैदी मारे गये और बीस सख्त घायल हुअे। जेलमें रखे गये कैदियों पर गोली चलाना बड़ा निर्दय और नीचतापूर्ण कृत्य माना जाता है। अिसलिअे यह बात प्रगट होने पर देशभरमें बड़ा हाहाकार मच गया। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी, जो राजनीतिमें भाग नहीं लेते थे, आम सभामें अिस कृत्यकी निन्दा करनेवाला भाषण दिया। अिसलिअे सरकारको अिस गोली काण्डकी जांच करनेके लिअे अेक कमेटी नियुक्त करनी पड़ी। अिस कमेटीने अपनी रिपोर्टमें छावनीके गोरे अफसरोंको गोलीकाण्डमें सम्मिलित होनेके आरोपसे मुक्त माना, फिर भी अितना तो निर्णय दिया ही कि ‘गोली चलाने और लाठियों तथा संगीनोंसे किये गये हमलोके लिअे कोअी भी अुचित कारण नहीं था।’ अिस प्रकार अुन्होंने साधारण सिपाहियोंके सिर पर सारा दोष थोप दिया

और गोरे अधिकारियोंको जिस निर्दय हत्याकांडकी जिम्मेदारीसे बरी समझा। परंतु सरकारी रिपोर्टकी भाषामें 'किसी भी कारणके बिना ही' नजरबंदीके साथ पुलिसके पशुतापूर्ण व्यवहारका कारण क्या होना चाहिये? यह माने बिना नहीं रहा जा सकता कि अन्होंने यह कृत्य अिसीलिअे किया था कि अिससे अुनके अुच्च अधिकारी खुश होंगे।

बंगालके अिन अत्याचारोंके समाचार गांधीजीको लंदनमें मिलते ही थे। अिसलिअे अुन्होंने सरदारको तार दिया :

“बंगालमें हो रहे दमनसे और दूसरी बातोंसे मैं परेशान हूं। यहां भी कुछ होता नहीं दीखता। फिर भी मैं देख रहा हूं कि यहां रहना जरूरी है। यूरोपमें भी थोड़ा भ्रमण करना आवश्यक प्रतीत होता है। अिसका अर्थ यह होता है कि मैं जनवरीके मध्यमें देश आ सकता हूं। सब बातें सोचकर राय दीजिये।”

सरदारने कार्यसमितिकी बैठक बुलायी और सबके साथ सलाह करके ता० ८-११-३१ को तारसे निम्नलिखित अुत्तर दिया :

“कार्यसमितिने आपके तार पर विचार किया। यहां जो समाचार मिल रहे हैं अुनसे प्रतीत होता है कि आपका वहां अधिक ठहरना व्यर्थ है। अुसका अनर्थ भी हो सकता है। परंतु आपकी निश्चित राय है कि अुपस्थिति आवश्यक है, अतः आप वहांकी परिस्थितियोंको अधिक जानते हैं। अिसलिअे कमेटी अन्तिम निर्णय करना आप पर छोड़ती है। यहां तो स्थिति अधिकाधिक नाजुक बनती जा रही है। सरकारका रवैया आम तौर पर बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। बंगालकी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। सरहद प्रान्तमें जुल्म बढ़ रहा है। कुछ जगहों पर तो कोअी भी हलचल नहीं करने दी जाती। युक्त प्रान्तमें लगानबंदीकी लड़ायी जल्दी शुरू करना अनिवार्य जान पड़ता है। बारडोलीकी जांचमें कारंवायी संतोषजनक ढंगसे न होनेके कारण और दूसरे कारणोंसे भी मालूम होता है कि अुससे हट जाना पड़ेगा। आपका जल्दी आना वांछनीय है। यूरोपमें अधिक दिन लगायेंगे तो यहांका काम बिगड़ेगा।”

सरकारका आतंक और अत्याचार तो जारी ही था। अिसलिअे ता० २३-११-३१ को सरदारने गांधीजीको दूसरा तार दिया :

“हिजली और चटगांवके मामलोंमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिना किसी कारणके धरपकड़ जारी है। नजरबंदीकी संख्या अेक

हजार तक पहुंच गयी है। हर रोज बीसियों आदमी पकड़े जा रहे हैं। उनमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी होते हैं। हिजली और चटगांवके अत्याचारोंका विरोध करनेवालों पर राजद्रोहके मुकदमे चलाये जाते हैं। हाल ही में ढाकामें चटगांवकी छोटीसी पुनरावृत्ति हुयी है। वहां निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों और बालकों पर पुलिसने निर्लज्ज अत्याचार किया है। बंगालके युरोपियन अधिक दमनकी आग्रहपूर्ण मांग करते रहते हैं। सरकार उनकी बात मानती है। लोगोंमें तीव्र रोष फैला हुआ है। युवक वर्गमें निराशासे प्राणों पर खेल जानेकी वृत्ति पैदा हो गयी है। युक्त प्रान्तका हाल तो आप जानते ही हैं। आंध्रमें कृष्णा और गोदावरी जिलोंमें सरकारने अपनी नियुक्त की हुयी कमेट्रीकी सर्वसम्मत भिन्न राय होते हुये और धारासभाका विरोध होते हुये भी लगानमें वृद्धि कर दी है। उसके खिलाफ अठे हुये विरोधको रोकनेके लिये जमानत लेनेकी और राजद्रोहकी धाराओंका अपुयोग हो रहा है। इसलिये वहांकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। आश्रममें अिमाम साहबको रोज बुखार आता है। परंतु अब थूकमें खून नहीं गिरता। तुरंत चिन्ताकी कोयी बात नहीं है। — वल्लभभायी ”

अन्तमें ३० नवम्बरको सारे बंगालमें आर्डिनैसकी घोषणा करके सरकारने कानून और कानूनी अदालतोंकी अवहेलना की। आर्डिनैसकी भाषा ऐसी थी मानो सारे प्रान्तमें बड़ा भारी बलवा हो गया हो और अुससे भयभीत होकर सरकार अपनी आत्मरक्षाके लिये यह अुपाय कर रही हो! परंतु इस आर्डिनैससे भी सरकार छुटपुट होनेवाली मारकाटकी घटनाओंको दबा नहीं सकी।

अिन सब करतूतोंसे भी बढ़कर बात तो यह थी कि सरकार अुस नमक पर, जिसके लिये अितने सिर फूटे थे, कर बढ़ानेका प्रस्ताव लायी। इसमें तो सीधा संधि-भंग और विश्वासघात था। अिन्ही समय अिंग्लैण्डके पास सोनेकी कमी होनेके कारण अुसने सोनेका सिक्का छोड़ दिया, इसलिये अुसके पौण्डकी कीमत बाजारमें घट गयी। प्रश्न यह था कि इस प्रकार घटी हुयी कीमतवाले पौण्डके साथ हिन्दुस्तानके रुपयेको जुड़ा हुआ रखा जाय या नहीं? जुड़ा हुआ रखनेमें हिन्दुस्तानकी भारी हानि थी। परंतु भारत सरकारको भारतका हित कहां देखना था? वह तो अिंग्लैण्डके हितोंको प्रधानता देती थी। इसलिये हमारा रुपया पौण्डके साथ जुड़ा

रहा । अिन दोनोंके खिलाफ कांग्रेस कार्यसमितितने विरोध प्रगट करनेवाले प्रस्ताव पास किये ।

अिस प्रकार संधिको ताकमें रखकर जब सरकार हिन्दुस्तानमें खुली दमन-नीति चला रही थी, तब गांधीजी अपने गोलमेजके भाषणों द्वारा दुनियाके लोगोंके सामने हिन्दुस्तानका मामला पेश कर रहे थे । परंतु ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंके आगे तो अुनके भाषण अरण्य-रोदन जैसे ही साबित हुअे थे । गांधी-अविन समझौतेके थोड़े ही समय बाद अिंग्लैण्डमें अनुदार दल सत्तारूढ हो गया था । वह कांग्रेसको कुचल डालनेके लिये कृतनिश्चय होकर बैठा था । महादेवभाजीके सरदारको ता० २८-११-'३१ को लंदनसे लिखे हुअे पत्रसे वहांकी परिस्थितिकी कल्पना होनी है :

“ यह पत्र टाइप हो जानेके बाद वापूसे मालूम हुआ कि वे तो बिलकुल लड़कर आये हैं और अगले शुक्रवारको केवल सरकारकी अंतिम चेतावनी सुनने जायेंगे । चेतावनी अब और क्या देंगे ? कल ही सर सेम्युअल होरसे बात हुअी । अुसमें अुसने वापूसे कहा : ‘ हमें कांग्रेसको कुचल देना पड़ेगा, अिसलिये तैयार रहिये । हम कांग्रेसको रहने नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी बातोंसे हम यह समझे हैं कि कांग्रेसका अर्थ क्रांति है । ’ अिसलिये आप (सरदार) भी तैयारी रखें । शायद मिलने भी न पायें । जो व्यवस्था करनी अुचित हो वह कर दें । वहां आनेके बाद शायद ही अधिक दिन बाहर रहा जा सके । ”

अिस तरफसे भारत सरकारने तो बराबर तैयारियां कर ही ली थीं । तीन आर्डिनेंस तो जारी कर दिये थे और दूसरे तैयार रखे थे । अुनका अेक अुद्देश्य तो यह रहा होगा कि खान अब्दुलगफफारखां और पंडित जवाहरलाल गांधीजीसे न मिलने पायें । अिसलिये खान अब्दुलगफफारखांको २६ दिसम्बरको पकड़ लिया और पं० जवाहरलालजी गांधीजीसे मिलने बम्बयी जा रहे थे तब रास्तेमें अुन्हें, युक्त प्रान्तकी प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष श्री शेरवानीको और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडनको पकड़ लिया । सरदारको कैसे छोड़ रखा होगा ? क्या अुन्हें पकड़नेका बहाना ढूंढना कठिन मालूम हुआ होगा ?

अैसी स्थितितमें २८ दिसम्बरको गांधीजी बम्बयी पहुंचे ।

गांधीजी व सरदारकी गिरफ्तारी : सरकारका दमनचक्र

लंदनकी गोलमेजसे खाली हाथ लौटे हुए अपने आदरणीय नेताका लोगोंने अपूर्व सम्मान किया। बम्बयीके आबाल-वृद्ध सभी नर-नारियोंने असाधारण प्रेम और अतुसाहसे रास्ते रास्ते, गली गली और अटारी अटारीसे गांधीजीका अनुपम स्वागत किया। अुसी दिन शामको लगभग डेढ़ लाख मानव-समूहके सामने अपने भाषणमें अुन्होंने लोगोंको मृत्युका डर छोड़कर मित्रकी भांति अुसका आलिंगन करनेका मंत्र दिया। अुन्होंने कहा : “सत्यका, प्रामाणिकताका और मारनेका नहीं बल्कि मृत्युका आलिंगन करनेका मंत्र रटते रहना।”

सरदार और कांग्रेस कार्यसमिति गांधीजीसे मिलनेके लिये बम्बयीमें आतुर बैठी थी। सरकारका विचार सब नेताओंको गांधीजीसे मिलने देनेका नहीं था। असिलिये हम देख चुके हैं कि सीमाप्रान्तके खानबन्धुओं तथा युक्त प्रान्तके जवाहरलालजी वगैराको पकड़ लिया गया था। सरकारके खूब परेशान करने पर भी सरदारने गुजरातसे अैसी खामोशी रखवायी थी और खुदने भी सरकारकी चालमें न फंसनेकी अितनी सावधानी रखी थी कि सरकार अुन्हें पकड़नेका कोअी बहाना ढूंढ न सकी। सरकार कितने ही अत्याचार करे परन्तु कांग्रेसके सिर पर संधि-भंगका आरोप न आने देनेके लिये और लोगोंको शांत रखनेके लिये गांधीजीकी अनुपस्थितिमें सरदारने खून-पसीना अेक कर दिया था। परन्तु जब गांधीजी हिन्दुस्तानके किनारे अुतरे तब सरकारकी तरफसे तो लड़ाअीके नगाड़े बज रहे थे। कार्यसमितिके सदस्योंसे सारे हालचाल जान लेनेके बाद गांधीजीने २९ तारीखको वाअिसरायको निम्नलिखित तार दिया :

“बंगालके आर्डिनैसका आलिंगन तो मुझे करना ही था। परन्तु अिसके अुपरान्त भारतके तट पर अुतरते ही सीमाप्रान्त और युक्त प्रान्त सम्बन्धी आर्डिनैसोंके बारेमें, सीमाप्रान्तमें हुअे गोलीकाण्डके बारेमें और दोनों प्रान्तोंमें अपने कौमती साथियोंकी गिरफ्तारीके बारेमें मुननेको मैं तैयार नहीं था। मैं नहीं जानता कि यह मान लेना ठीक होगा या नहीं कि ये सब बातें हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्धोंके अन्तकी सूचक हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि आप अब भी यह चाहते हैं या नहीं कि मैं आपसे मिलूं और अिस बारेमें आपसे कुछ पथप्रदर्शन

प्राप्त करूँ कि कांग्रेसको मुझे क्या मलाह देनी चाहिये। आप तारसे जवाब देंगे तो कृतज्ञ होऊँगा।”

वाअिसराँयकी ओरसे ३१ तारीखको तारसे अिसका अुत्तर आया। अुसमें तीनों प्रान्तोंके आर्डिनेंसोंके विषयमें सफाअी देकर बताया गया कि :

“आप स्वयं गोलमेज परिषद्में गये होनेके कारण हिन्दुस्तानमें नहीं थे और आप जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं अुसे देखते हुअे वाअिसराँय महोदय यह माननेको तैयार नहीं कि युक्त प्रान्त तथा सीमाप्रान्तमें हो रही कांग्रेसकी हलचलके लिये आप जिम्मेदार हैं अथवा अुम हलचलको आप पमंद करते हैं। यदि यह सच हो तो वाअिसराँय महोदय आपसे मिलनेको तैयार हैं और गोलमेज परिषद्की कार्रवाअीमें जो सहयोगकी वृत्ति प्रगट की गअी है अुसे बनाये रखनेके लिये आप अपने प्रभावका अधिकसे अधिक अुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, अिस बारेमें अपने विचार भी वे आपको बतायेंगे। परन्तु वाअिसराँय महोदय यह बात तो जोर देकर कहना ही चाहते हैं कि बंगाल, युक्त प्रान्त और सीमाप्रान्तमें सम्राट् महोदयकी सरकारकी पूरी अनुमतिसे भारत सरकारको जो अुपाय करने पड़े हैं अुनके बारेमें वे आपके साथ चर्चा करनेको तैयार नहीं हैं। सुराज्यके लिये कानून और शांतिकी रक्षा आवश्यक है। और अिसी हेतुसे ये अुपाय किये गये हैं। जब तक वह हेतु पूरा नहीं होगा तब तक वे हर हालतमें अमलमें रहेंगे।”

अुमी दिन रातको गांधीजीने वाअिसराँयके तारका विस्तृत अुत्तर देनेवाला लंबा तार किया। अुसमें बताया कि :

“मेरी प्रार्थनाकी कद्र करनेके बजाय वाअिसराँय महोदयने यह मांग करके कि मैं अपने मूल्यवान साथियोंको घता बता दूँ मेरी प्रार्थना नामंजूर कर दी है। अैसे हीन आचरणका अपराधी बनकर मैं मुलाकात करने आअूँ तो भी मुझसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रके लिये जीवन-मरणका महत्त्व रखनेवाले अिन सब मामलों पर मैं चर्चा भी नहीं कर सकूँगा! अिन आर्डिनेंसोंका और अुनके आधार पर हुअे कृत्योंका जबरदस्त विरोध न किया जाय तो लोग बिलकुल नामर्द बन जायंगे। मेरे लिये तो अिन आर्डिनेंसों और जुल्मोंके सामने शासन-विधानके सुधारका प्रश्न कोअी महत्त्व नहीं रखता। मुझे आशा है कि सुधारोंके लोभमें फंसकर कोअी स्वाभिमानी भारतीय अिस प्रकार लोगोंका जोश खतम कर देनेकी जोखिम नहीं अुठायेगा।”

भिस बीच कार्यसमितिकी बैठकें तो रोज हो ही रही थीं। अुसने ३१ दिसम्बरको लम्बा प्रस्ताव पास करके, यदि सरकारकी तरफसे न्याय मिले ही नहीं और सविनय कानून-भंग फिरसे करना ही पड़े तो अुसका सारा कार्यक्रम भी लोगोंके सामने रखनेके लिये निश्चित कर रखा था। अिसलिये अपने अपरोक्त तारमें ही गांधीजीने सूचित कर दिया था कि :

“सरकारके साथ सहयोग करनेकी मेरी अिच्छा है और अुससे मुझे प्रसन्नता होगी। परन्तु अुसीके साथ मुझे अपनी मर्यादाओं भी वाअिसराय महोदयको बता देनी चाहिये। अहिंसा मेरा परम सिद्धान्त है। सविनय कानून-भंगको मैं लोगोंका जन्मसिद्ध अधिकार मानता हूं। खास तौर पर जब अपने देशके शासनतंत्र पर असर डालनेवाली हमारी आवाज न हो तब मैं सविनय कानून-भंगको अिसका कारगर विकल्प मानता हूं। अिसलिये मैं अपने सिद्धान्तसे कभी अिनकार नहीं करूंगा। अिस सिद्धान्तके अनुसार और अिग खबर पर, जिससे अिनकार नहीं किया गया है और जिसका समर्थन भारत सरकारकी हालकी हलचलोंसे होता है, आधार रख कर कि मुझे लोगोंको रास्ता बतानेका और ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, कार्यसमितिये मेरी सलाह स्वीकार की है और जरूरत पड़ने पर अमल करनेके लिये प्रस्ताव तैयार कर रखा है, जिसमें सविनय कानून-भंगकी रूपरेखा अंकित कर दी है। अुस प्रस्तावकी नकल साथमें भेज रहा हूं। यदि वाअिसराय महोदय मानते हों कि मुझसे मिलनेमें सार है, तो जब तक चर्चा जारी रहेगी तब तक प्रस्ताव पर अमल अिस आशासे स्थगित रहेगा कि चर्चाके परिणामस्वरूप प्रस्तावको अन्तिम रूपमें रद्द करनेकी नौबत आ सकती है। मैं स्वीकार करता हूं कि वाअिसराय महोदयके और मेरे बीचके सन्देश अितने महत्त्वपूर्ण हैं कि अुनको प्रकाशित करनेमें देर करना अुचित नहीं होगा। अिसलिये मेरा तार, अुसका जवाब, अुसका प्रत्युत्तर और साथ ही कार्यसमितिका प्रस्ताव मैं प्रकाशनके लिये भेज देता हूं।”

‘भारत हितचिंतक मंडल’ नामकी संस्थाके आदमी, जिनमें कुछ अंग्रेज भी थे, गांधीजीसे मिलने आये और आग्रह करने लगे कि आप सरकारके साथ सहयोग कीजिये। गांधीजीने अुन्हें जो जवाब दिया और अुसके बाद अुनसे जो बातचीत हुअी अुससे सारी परिस्थिति पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। और गांधीजी तथा कांग्रेसी नेताओंका मानस समझनेमें भी हमें मदद मिलती है। गांधीजीने अुनसे कहा :

“मैं सर्वथा स्वाभिमानरहित बन जाऊं, दांतोंमें तिनका लिये जाऊं तब तो सहयोगका मार्ग खुला है। परंतु आजकी हालतमें सम्मानपूर्वक रहकर सरकारके साथ सहयोगका मार्ग मुझे दिखायी नहीं देता। सरकारको इस बातकी चिढ़ है कि लोगोंमें कांग्रेसका असर बढ़ रहा है और कांग्रेस बलवान बन रही है। कांग्रेस अपने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, पंचायती न्यायालय खोले तो क्या ये कांग्रेसके दोष माने जायेंगे? और आखिरमें तो इस सरकारको हटकर कांग्रेसको सत्ता सौंपनी ही होगी। क्या इसमें आपको कोयी शक है? कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि वह आज ही वह स्थान लेनेको तैयार है। अमी स्थितिमें आप मुझे बतायेंगे कि कांग्रेसको क्या करना चाहिये? आप हिन्दुस्तानके कल्याणका सप्ताहमें फुरसतके अंक घंटोंमें चिन्तन करते हैं, जब कि हम चौबीसों घंटे करते हैं। हमारे जीवनमें दूसरा काम ही नहीं है।”

अक अंग्रेज मित्रने खड़े होकर पूछा : “ये आर्डिनेंस रद्द हो जायें तो आप सहयोग करेंगे?”

गांधीजीने कहा : “सहयोगका विचार करनेमें भी ये आर्डिनेंस बाधक हैं। यह बाधा हटा दी जाय और अनुकूल वातावरण मिले तो सहयोगका विचार करूं।”

प्रश्न : “आप आर्डिनेंसोंकी निन्दा कर रहे हैं, परंतु अमुमे पहले अउन प्रान्तोंमें जाकर परिस्थिति देख आयें और फिर अपनी राय दें तो?”

गांधीजी : “आपको पता न होगा कि तीन तीन बार मैंने सीमा-प्रान्तमें जानेकी अिजाजत मांगी, मगर प्राप्त न कर सका। अक बार अविन साहबसे मांगी थी और दो बार विलिंग्डन साहबसे। अब भी मैं तो प्रयत्न करूंगा। आपमें से किसीकी आवाज सरकार तक पहुंच सके तो मुझे अिजाजत दिलवा दीजिये। मुझे अुलटे ढंगसे सत्याग्रह करके बेवकूफ नहीं बनना है। मुझे तो सीधे तौर पर सत्याग्रह करके सरकारको मूर्ख बनाना है। आप जैसे आर्डिनेंसोंके दावानलमें नये शासन-विधानकी रचना कराना चाहते हैं! आर्डिनेंस-राज्य हम स्वीकार करें तो हमारे लिये शर्मकी बात है। और अिग्लैण्ड आर्डिनेंसों द्वारा राज्य करे, यह अुसके लिये भी लज्जास्पद है।”

प्रश्न : “परंतु आप हिंसक प्रवृत्ति मिटानेका ही काम लेकर क्यों नहीं बैठ जाते?”

गांधीजी : “यही काम लेकर बैठा हूं। परंतु आपके तरीकेसे नहीं, अपने तरीकेसे। मेरा यह दावा है कि सत्याग्रहसे हिंसक प्रवृत्ति बिलकुल नष्ट नहीं तो बहुत कम जरूर हो गयी है।”

प्रश्न : “परंतु क्या सख्त बीमारीका सख्त अिलाज नहीं होता ?”

गांधीजी : “हां, होता है। परंतु लाल कमीजवालोंको दबानेके लिये गोली चलानेका अपाय नहीं हो सकता। आप रोगनिवारणकी बात नहीं करते। रोगीके प्राण लेकर रोगका नाश करनेकी बात करते हैं। मैं सहयोगके लिये तो तड़प रहा हूं। परंतु सहयोगकी किरण है कहां? हे आसाओ अंग्रेजो, अिन बड़े दिनोंमें अपने हृदयको टटोलिये। हमारी हलचलका अध्ययन कीजिये। हमारे लोगोंसे मिलिये और देखिये कि आपके आसपास क्या हो रहा है।”

गांधीजीने वाअिसरायको भेजे हुअे तारके साथ, संतोषजनक अुत्तर न मिलने पर देशको सविनय कानून-भंगकी लड़ाओ छेड़ देनेकी मलाह देनेवाला और लड़ाओका कार्यक्रम बतानेवाला कार्यसमितिका प्रस्ताव भेज दिया था। अुसके जवाबमें ता० २-१-३२ को वाअिसरायकी ओरसे तार आया। अुममें बताया गया कि :

“अेक तरफ आप और कांग्रेस कार्यसमिति सविनय कानून-भंग फिर शुरू करनेकी धमकी दे रहे हैं और दूसरी ओर वाअिसरायसे मुलाकातकी आशा रखते हैं। परन्तु वाअिसराय महोदय और अुनकी सरकारकी समझमें नहीं आता कि अैसी स्थितिमें वे कोओ लाभ होनेकी आशा रखकर मुलाकातका निमंत्रण कैसे दे सकते हैं? कांग्रेसने जो कदम अुठानेका अिरादा घोषित किया है, अुसके जो भी परिणाम होंगे अुनके लिये सरकार आपको और कांग्रेसको जिम्मेदार समझेगी। और अिस कदमका सफलतापूर्वक सामना करनेके लिये सरकारको जो जरूरी कारवाओ करनी पड़े सो वह करेगी।”

गांधीजीने ३-१-३२ को तार द्वारा अिसका जवाब दिया। अुसमें बताया कि :

“कांग्रेसने अपनी प्रामाणिक राय बताओ है। अुसे आप धमकी मानते हैं, यह ठीक नहीं। लंदन जानेसे पहले पिछले अगस्तमें सरकारके साथ जो समझौता हुआ था, अुसमें भी मैंने बता दिया था कि कुछ खास परिस्थितियोंमें कांग्रेसको सविनय कानून-भंगका आश्रय लेना पड़ सकता है। तब आपने समझौता तोड़ा नहीं था। अगर सरकारको यह बात पसन्द नहीं थी तो मुझे लन्दन नहीं भेजना चाहिये था। अुल्टे

वाक्सराय महोदयने मुझे अपना आशीर्वाद देकर लंदन भेजा। मेरा दावा यह है कि मेरे तारका सरकारको कोअी दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिये। किसकी स्थिति सही है, यह तो समय ही बतायेगा। अिस बीच में सरकारको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेसकी तरफमे लड़ाीको द्वेषभावके बिना और पूर्ण अहिंसक ढंगसे चलानेके सारे प्रयत्न किये जायेंगे। कांग्रेसको और अुसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मुझे यह याद दिलानेकी शायद ही जरूरत थी कि अपने कृत्योंके समस्त परिणामोंके लिये हम जिम्मेदार माने जायेंगे।”

सरकारकी तरफसे लड़ाीकी सारी तैयारियां हो चुकी थीं। ता० ४-१-३२ को तड़के ही गांधीजी और सरदार बम्बयीमें पकड़ लिये गये और अुम दिन सुबह सारे भारत पर लागू होनेवाले नये आर्डिनेंस जारी कर दिये गये। जो नेता बम्बयीमें अेकत्र हुअे थे अुन्हें अपने अपने प्रान्तोंमें पहुंचते ही स्टेशन पर पकड़ लिया गया। अिन दो तीन दिनोंमें देशके हर स्थान पर प्रमुख कार्यकर्ताओंको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे जो कोअी सभाओं करते या जुलूस निकालते अुन पर लाठीसे हमला करना, घुड़-सवार दौड़ाना और गोली चलाना शुरू कर दिया गया। तमाम कांग्रेस आफिसें, आश्रम और छावनियां जब्त कर ली गयीं। अैसा कहा जाता है कि लार्ड विल्किन्सनने तो यह आशा रखी थी कि वे देशमें छः सप्ताहके भीतर सर्वत्र शांति स्थापित कर देंगे और कांग्रेसका नामनिशान तक्र मिटा देंगे। लेकिन लोगोंने बदलेमें सख्त लड़ाी करके अुनकी आशाको फलीभूत नहीं होने दिया।

पं० मालवीयजीने ता० २८-२-३२ को अेक लंबा तार लंदनके अखबारोंको अुनकी मांग पर भेजनेका प्रयत्न किया था। यद्यपि किसी न किसी बहाने यहांसे तार नहीं जाने दिया गया, परंतु अुससे अुस समयकी देशकी स्थितिका हबहू चित्र हमें मिलता है। यह है वह तार :

“हिन्दुस्तानकी राजनैतिक स्थितिके बारेमें १५ फरवरीको पार्लियामेन्टमें सर सेम्युअल होरके जवाबकी नकल वितरित की गयी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि परिस्थितिमें सरकारकी दृष्टिसे बहुत सुधार हो गया है! मुझे कहना चाहिये कि यह बात गलत और अ्रमोत्पादक है। सर सेम्युअल होरने अपने अुत्तरमें स्वीकार किया है कि अिस समय बायकाट कांग्रेसकी मुख्य हलचल है। अिस बार जबसे सविनय कानून-भंगका आन्दोलन शुरू किया गया, तभीसे बहिष्कार कांग्रेसकी मुख्य हलचल रहा है और अुसके ढीले पड़नेके कोअी आसार दिखायी नहीं देते। अुलटे, अिस हलचलकी जड़ें गहरी गयी

हैं। वह देशके कोने कोनेमें फैल गयी है और देश भरमें व्यापक बन गयी है। शहरोंमें आम तौर पर बहुतसे व्यापारियोंने विदेशी कपड़े और ब्रिटिश माल मंगाना बन्द कर दिया है। कुछ जगह अन्होंने अपना यह माल अलग निकाल कर अुस पर मुहर लगा दी है। कुछ स्थानोंमें शान्त धरनेकी मददसे और घर घर जाकर समझानेसे यह काम हो रहा है। जिम जोगसे यह काम हो रहा है अुससे अितना तो कहा जा सकता है कि लोगोंकी मनोवृत्तिमें गांधी-अविन समझौतेसे जैसा परिवर्तन किया जा सका था वैसा नहीं किया जायगा तो सरकार चाहे जितने आर्डिनेंस निकाले और दमनकी कितनी ही कार्रवाअियां करे तो भी ब्रिटिश वस्त्र और दूसरे मालकी बिक्री घटती ही जायगी। अिम आन्दोलनमें स्त्रियां बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लेने लगी हैं।

“दूसरी तरह भी यह आन्दोलन मजबूत होता जा रहा है। सरकारकी अन्याय और अत्याचारपूर्ण आजाओंके विरोधका जोश अधिक तीव्र और व्यापक होता जा रहा है। असलमें तो दमनसे जोशकी आगको पोषण मिला है। पुलिस और फौजके संयुक्त अत्याचारोंके कारण आन्दोलनके प्रदर्शन बहुत नहीं हो रहे हैं, परंतु अुसका असली बल पहलेसे बहुत बढ़ गया है। जहां जहां पुलिसने विरोध किया वहीं अनधिकृत रूपमें नमक बनाना शुरू हो गया है। सारे देशमें मजिस्ट्रेटों और पुलिसवालोंके हुकमोंको लोग खुले तौर पर तोड़ रहे हैं। मजिस्ट्रेटोंके मनाही हुकमों और लाठियोंके हमलों तथा गोलीकांडके बावजूद सभाअें करने और जुलूस निकालनेके प्रयत्न जारी हैं। सरकारी अधिकारियोंको खूब काम मिल गया है। आर्डिनेंसोंके अंकुशसे अच्छी तरह दबे हुअे अखबारोंकी खबरोंके अनुसार भी अब तक जेलोंमें बन्द लोगोंकी संख्या ४६,५३१ तक पहुंच गयी है। देशके भीतरी भागोंमें दूर दूरके गांवों तकमें बहुतसे लोग पकड़े गये हैं, जिनकी संख्या असमें नहीं आती है। अब तककी गिरफ्तारियोंका कांग्रेसका अन्दाजा ६०,००० का है। सर सेम्युअल होरने खुद मंजूर किया है कि कांग्रेसकी तरफसे हिसा होनेकी शायद ही कोअी मिसाल सामने आयी है। फिर भी आम तौर पर शान्त भीड़ों पर पिछले ३० दिनमें पहलेसे ज्यादा बार गोलियां चली हैं। लाठियोंके हमलोंकी तो कोअी गिनती ही नहीं। यह समझकर कि लोगोंको दबानेमें लाठी असफल सिद्ध हुअी है, सरकारने अब अुसका अिस्तेमाल कम कर दिया है। अब तो लाठीके

हमलों और जेलकी सजाके बजाय लोगोंको बहुत कमीने और बेरहम तरीकेसे सताना और अपमानित करना जारी है। भयंकर मारपीट करके लोगोंको दबा देनेका प्रयत्न सरकारने आरंभ कर दिया है। इसके कुछ अुदाहरण नीचे दिये जाते हैं :

“ गुजरातमें दो जगह ग्रामवासियोंको शौच जाने वक्त आबदस्तके लिअे पानी ले जानेमे रोक दिया गया। पुलिसने अुनके कपड़े फाड़ डाले और अुन्हें नंगा कर दिया। बम्बयी और कानपुरमें केवल अितनेसे सन्देह पर कि वे कांग्रेसके साथ महानुभूति रखने हैं बहुतसे प्रतिष्ठित व्यापारियों पर अैसी अपमानजनक आज्ञाअें जारी की गयीं कि वे घरके भीतर ही रहें या अेक खास हदसे बाहर न जायें। अुन्होंने ये हुक्म माननेसे अिनकार किया, तो अुन्हें बड़ी लंबी सजाअें और भारी जुर्माने कर दिये गये। जेलमें भी अुनके साथ साधारण अपराधियों जैसा ही बरताव किया जा रहा है। बिहारमें कुछ स्वयंसेवकोंको नंगा कर दिया गया और अेक आदमीकी तो मूछे अुखाड़ ली गयीं। कितनी ही म्युनिसिपैलिटियोंके मकानों परमे राष्ट्रीय झंडे अुतार लिये गये हैं। अेक पिताने अपने लड़केका जुर्माना अदा करनेसे अिनकार कर दिया, तो अुसे छः मासकी सजा दे दी गयी है। कांग्रेसके साथ संबंध न रखनेवाली संस्थाओंको भी गैरकानूनी करार दे दिया गया है। केवल सन्देह पर गिरफ्तार कर लेनेका काम तो जारी ही है। दुकानदारों और होटलवालोंको पकड़कर चेतावनी दी जाती है कि वे कांग्रेसवालोंको भोजन या आश्रय न दें। कालीकटमें अेक स्त्रीको जेलकी सजा देनेके बाद मजिस्ट्रेटके हुक्मसे अुसका मंगलसूत्र निकाल लिया गया। हिन्दुओंमें सौभाग्यवती स्त्री पतिके जीते-जी कभी मंगलसूत्र नहीं निकालती। मद्रासमें बीमारोंकी मोटर (अेम्बुलेंस कार) के अेक ड्राइवरके पुलिसकी मारसे बेहोश हुअे स्वयंसेवकोंको अुठा ले जानेका प्रयत्न करने पर अुसे कोड़े लगाये गये। सारे देशमें समाचारपत्रोंकी खबरों पर सेंसर लगा दिया गया है। और सीमाप्रान्तकी तो कोअी भी खबर बाहर नहीं आने दी जाती। अखबारोंके मुंह बन्द कर दिये गये हैं और संपादकोंको ताकीद कर दी गयी है कि आन्दोलनोंसे संबंध रखनेवाले किसी भी मनुष्यका चित्र, नाम या पता न छपा जाय। सीमाप्रान्तके खुदायी खिदमतगारों पर अमानुषिक अत्याचार किये गये हैं। मुझे यह खबर मिली है कि पेशावरके कुछ स्वयंसेवकों पर अितने निर्दय और कपा

देनेवाले अत्याचार किये गये कि सहन न कर सकनेके कारण और कितनी ही अत्तेजना मिलने पर भी अहिंसाकी प्रतिज्ञाका पालन करनेका निश्चय होनेके कारण अनुमति से बहुतसे पेशावर छोड़कर अन्यत्र काम करने चले गये।

“ये सब परिस्थितिमें सुधार होनेके लक्षण नहीं हैं। अिन समाचारोंसे और सरहद-प्रान्तमें गोलीकाण्डसे बहुतसे मनुष्योंके मारे जानेकी खबरसे यह साफ मालूम होता है कि परिस्थिति अितनी गंभीर हो गयी है कि उसके बारेमें स्वतंत्र जांच होनेकी जरूरत है। सर मेम्युअल होर कहते हैं कि युक्त प्रान्तमें करबन्दीकी लड़ायी लगभग बन्द हो गयी है। यदि वास्तवमें अैसा हो तो वहां जुल्म बन्द क्यों नहीं हो जाता? अलाहाबाद जिलेमें अधिकारियोंने पुलिसकी मददसे कितने ही गांवों पर धावे किये हैं और जुल्म ढाये हैं। कितनी ही जगहों पर लगानके थोड़ेसे आनोंकी वसूलीके लिये सैकड़ों रुपयेकी संपत्ति कुर्क कर ली गयी है और अैसा करके किसानोंको सर्वथा निराधार बना दिया गया है। गांवोंके लोगोंको निर्दय ढंगसे पीटा गया है। अितना सब होने पर भी विरोध अधिकाधिक प्रबल ही होता जा रहा है। बहुतसे लोग अपने घरवार छोड़कर पेड़ोंके नीचे पड़े रहते हैं और जुल्म निकालने और सभाओं करनेका काम करते रहते हैं। अैसे स्वयंसेवकोंके जुर्मनिके लिये पुलिस अुनके संबंधियोंकी संपत्ति कुर्क करती है। स्त्रियोंको लारियोंमें भरकर कितने ही मील दूर ले जाकर निर्जन स्थानोंमें छोड़ दिया जाता है। स्वयंसेवकोंको मारते मारते अधमरा करके अुनके कपड़े अुतार कर रास्ते पर फेंक दिया जाता है। दो आदमियोंको तो अेक तांगेके पीछे बांधकर कितनी ही दूर तक बेरहमीसे घसीटा गया और फिर जब अुन्होंने पीनेकी पानी मांगा तो अुन्हें कोड़े लगाये गये। लोग बेहोश हो जाते हैं, अुसके बाद भी अुन्हें पीटा जाता है। अैसे अत्याचारोंके शिकार हुअे मनुष्योंको सेवाके लिये भरती करनेवाले अस्पताल बन्द कर दिये जाते हैं और वहांके बीमारोंको निकाल दिया जाता है। कितनी ही शिक्षा-संस्थाओं गैर-कानूनी घोषित कर दी गयी हैं। छोटे-छोटे बच्चोंको भी कोड़े लगाये जाते हैं। कुछ आदमियोंको तो अुनके घरोंमें ही बन्द रखा जाता है। अेक अस्ती बरसकी बुढ़ियाको जेलकी सजा दी गयी है। अलाहाबाद स्वदेशी लीगकी जायदाद जबरदस्ती ले जायी गयी है। गांधीजी और सरदार पटेलको दिखानेवाली फिल्म पर पाबन्दी लगा दी गयी है।

चरखा-संघके बहुतसे कार्यालय और खादीभंडार जब्त कर लिये गये हैं। अक खादीभंडारका व्यवस्थापक राष्ट्रीय झंडे बेच रहा था। अिसी पर अुसे पकड़ लिया गया। अक बारह वर्षके लड़केसे जमानत मांगी गयी और वह न दी गयी अिसलिये अुसे अक सालकी सजा दे दी गयी। अक मजदूर-संघके अध्यक्षको अुसके घरमें जाकर लाठियोंसे पीटा गया। कांग्रेसकी हड़तालमें भाग लेने पर अक विद्यार्थीको कालेजसे निकाल दिया गया। अुसके प्रति महानुभूति दिखानेके लिये कलकत्तेके वेथ्यून कालेजकी साठ छात्राअें अक दिन कालेजसे गैर-हाजिर रहीं। अिस कारण अुन्हें भी कालेजसे निकाल दिया गया। अलाहाबादमें स्कूलोंके हेडमास्टरोके नाम जिला मजिस्ट्रेटने अैसे हुकम जारी किये हैं कि लड़कोंको कांग्रेसकी सभाओं और जुलूसोंमें भाग लेनेसे रोकनेके लिये अुन पर जासूसी की जाय। अितना होने पर भी आन्दोलनमें शरीक होनेवाले विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। थोड़े समय बाद स्कूल-कालेजोंकी लंबी छुट्टियां होंगी तब ये लोग वड़ी संख्यामें आन्दोलनमें शामिल होंगे। कानपुर, अलाहाबाद और कलकत्तेके व्यापारियोंके नाम मजिस्ट्रेटने अैसे हुकम जारी किये हैं कि कांग्रेसकी हड़तालके दिनोंमें वे अपनी दुकानें बन्द न रखें। अिन हुकमोंकी अवज्ञा हुयी और हड़ताल पहल्लेसे अधिक सख्त हुयी। सभी दुकानदारोंने अेका करके संयुक्त कदम अुठाया, जिसके आगे मजिस्ट्रेट भी लाचार हो गये। अैसे समाचार बाहर आये हैं कि जेलमें कांग्रेसवालोंके साथ अपराधी कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता है। लोगोंकी निजी संपत्ति और सार्वजनिक संस्थाओंकी संपत्ति भी जब्त करनेके कितने ही अुदाहरण सामने आये हैं। कांग्रेसके काममें अुसका अुपयोग होनेका सन्देह-मात्र होनेसे अुस जायदादका कुछ भी अुपयोग न करनेकी आज्ञाअें निकाली गयी हैं।

“अिस समय होनेवाले जुल्मोंकी पूरी कल्पना करा सकना असंभव है। परंतु जेल जानेवालोंकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जेल राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंसे भरने लगे हैं। आन्दोलनके जो थोड़ेसे समाचार अखबारोंमें आते हैं अुनसे भी मालूम होता है कि लोगों पर ज्यों ज्यों ज्यादा सख्ती और ज्यादा जुल्म किया जाता है त्यों त्यों वे दबनेके बजाय अधिक मजबूत बनते जा रहे हैं। अुनका विरोधका जोश अितना बढ़ रहा है कि वे अधिकाधिक संख्यामें आन्दोलनमें शरीक हो रहे हैं। सारे देशमें तीव्र असंतोष फैल गया है। जो कांग्रेसमें नहीं

हैं और जो कभी राजनीतिसे कोअी संबंध नहीं रखते थे, वे भी अिस आन्दोलनके साथ सहानुभूति रखने और अुसे भरसक सहायता देने लगे हैं। व्यापार-धंधा चौपट हो गया है। सरकारकी कोअी प्रतिष्ठा नहीं रह गयी है। अुमकी आर्थिक स्थिति दिवालिये जैमी हो गयी है। सरकारकी वर्तमान नीतिके अिस प्रयोगमे साबित हो गया है कि वह लोगोंकी अपने देशको आजाद करनेकी तमन्नाको दबा देनेमें मर्वथा असफल सिद्ध हुअी है। केवल मानवता और न्यायके खातिर ही नहीं, परंतु अिंग्लैण्ड और हिन्दुस्तानके बीच अच्छे व्यापारिक संबंध कायम रखनेमें जो स्वार्थ है अुसके खातिर भी पार्लियामेन्टको आग्रह करना चाहिये कि यह नीति तुरंत छोड़ दी जाय और अिस नीतिसे हिन्दुस्तानका जो नुकसान हुआ है अुसे भरसक दूर करनेका प्रयत्न किया जाय। सरकारको अब हिन्दुस्तानके श्रद्धेय प्रतिनिधियोंके साथ जल्दीसे जल्दी पूर्ण स्वराज्य और सच्ची समानताके आधार पर ममझौते और सहयोगकी नीति अपनानी चाहिये।”

९

यरवडा जेलमें गांधीजीके साथ

सरदारको गांधीजीके साथ यरवडा जेलमें रहनेका मौका मिला, यह अुनके जीवनमें अेक बड़े महत्त्वकी घटना मानी जायगी। यों तो वे गांधीजीसे अकसर मिलते थे और अपने तमाम काम अुनकी सलाह व सूचना लेकर ही करते थे। परंतु अिस प्रकार मिलते रहना और सलाह लेना अेक बात है और चौबीसों घंटे साथ रहना, अुठना, बैठना, खाना, सोना दूसरी बात है। ता० ४-१-३२ से मअी १९३३ तक वे पूरे सोलह महीने गांधीजीके साथ यरवडा जेलमें रहे। गांधीजीके छूटनेके बाद अुन्हें तीनके महीने यरवडामें रखकर नासिक जेलमें भेज दिया गया। अिन मोलह महीनोंमें से, ता० १०-३-३२ के दिन महादेवभाअीको यरवडा जेलमें ले जाया गया तब तक, सवा दो महीने तो गांधीजी और सरदार दोनों अकेले ही यरवडा जेलमें थे। सन् १९३० में साबरमती जेलके फाटकमें घुसते ही अुन्होंने सिगरेट सदाके लिअे छोड़ दी थी। यरवडामें गांधीजीके साथ रहे तब तक अुन्होंने चाय छोड़ दी। सरदारको दोनों वक्त चावल खानेकी आदत थी और अूची जातिके चावल अुन्हें बहुत अच्छे लगते थे। बारडोलीमें होनेवाले कड़ा नामक मोटे चावल

वे अकसर आनंदसे खाते थे, परंतु यहां तो वे चावलके बारेमें यों मजाक किये बिना न रहते कि कीलें खा रहे हैं। गवारकी फलीका साग बनाया होता, तब बैलोंको गवार अुबाल कर खिलानेकी बात याद दिलाकर कहते कि यह तो बैलोंका खाना बनाया गया है। गांधीजीके साथ शुरूमें चावल खाना भी अुन्होंने छोड़ दिया था।

एक बार श्री श्रीनिवास शास्त्रीने गांधीजीको लिखा था कि आप जेलमें अकेले अकेले रहे हैं, असलिये अुदास हो गये हैं। तब गांधीजीने अुत्तरमें लिखा कि मैं कितना ही अकेला रहूं तो भी अुदास होनेवाला नहीं हूं, और यहां तो अकेला नहीं हूं। मेरे साथ सरदार वल्लभभाभी हैं। वे अपनी विनोदपूर्ण बातोंसे दिनमें कितनी ही बार मुझे पेट पकड़ कर हंसाते हैं। महादेवभाभीने अपनी डायरीमें सरदारके अनेक प्रसंग दर्ज किये हैं। उनमें हमें सरदारकी विनोद-वृत्तिके अलावा अुनके व्यक्तित्वके विविध पहलू भी देखनेको मिलते हैं। असलिये अुनमें से कुछ प्रसंग यहां दिये जाते हैं:

ता० ११-३-३२: महादेवभाभीको चाय पीनेकी आदत थी असलिये अुन्होंने तो दूसरे दिन सवेरे चाय पीना मंजूर कर लिया था। परंतु सरदारको चाय पीते न देखकर अुनसे पूछा: "क्यों आपने चाय पीना बन्द कर दिया है?" सरदारने जो अुत्तर दिया, वह अुनके स्वभावका द्योतक है। "यहां बापूके साथ आकर अब क्या चाय पियें? मैंने तो जो वे खायें सो खानेका निश्चय कर लिया है। चावल छोड़ दिये हैं, साग अुबला हुआ खाता हूं और दो बार दूध रोटी लेता हूं। बापू भी रोटी खाते हैं।" सरदारका यह निश्चय सुनकर महादेवभाभीने भी चाय पीना बन्द कर दिया।

महादेवभाभी लिखते हैं: "बापूके लिये सोडा बनाना, खजूर साफ करना, दातुन कुचलना आदि सब कामोंका जिम्मा वल्लभभाभीने अपने अूपर ही ले लिया है। हंसते हंसते कहने लगे, 'मुझे क्या पता था कि यहां बापूके साथ रखनेवाले हैं? पता होता तो काकासे * पूछ लेता कि बापूका क्या क्या काम करना पड़ता है। बापू तो कुछ कहते नहीं, असलिये पता नहीं चलता। कपड़े तो धोनेके लिये बापू रहने ही नहीं देते। नहानेके कमरेसे धोकर ही निकलते हैं, तब क्या किया जाय?'"

* श्री काकासाहब १९३० में बापूके साथ यरवडा जेलमें रहे थे, अुस परसे।

महादेवभाजी लिखते हैं: “जिस प्रेमसे वे बापूके लिअे फल काटते हैं और दातुन कुचलना भूल गये हों तो याद आते ही दातुन लेने दौड़ते हैं, वह सब अुनकी भक्ति सूचित करता है और यह भवित सीखनेके लिअे अुनके पैरोंमें बैठनेकी प्रेरणा देता है।”

ता० १३-३-३२: खाना खानेके बाद वल्लभभाजी सदाकी भांति दातुन कुचलकर तैयार करने बैठे। फिर बोले: “गिनतीके तो दांत रह गये हैं। फिर भी बापू घिस घिस करते हैं। पोला हो तो ठीक मगर वे तो ठोस मूसल बजानंकी कोशिश करते हैं।

मैंने कहा: “मन् ३० में तो हमारा ठोस मूसल भी खूब बजा था। (अर्थात् असंभव-सा दिखायी देनेवाला आन्दोलन भी काफी सफल हुआ था।)”

बापूने स्वीकृति सूचक स्मित किया। वल्लभभाजी बोले, “अिस बार भी अँसा ही है। परंतु करें क्या? (ब्रिटिश सरकारका) कारवां आगे बढ़ता जा रहा है!”

*

*

*

बापू सब चीजोंमें सोडा डालनेको कहते हैं। अिसलिअे वल्लभभाजीके लिअे यह अेक बड़ा विनोदका विषय बन गया है। कोअी भी कठिनाअी हुआ कि कहते हैं, “डाल दो सोडा!”

ता० १६-३-३२: मैंने कहा: “भिड़े शास्त्री गीताके समत्वका यह अर्थ करते हैं कि हम दुष्टको मारें और सदाचारीको पूजें, यह समत्व है। क्योंकि दुष्टको मारनेमें दया और न्यायबुद्धि है। हमारी वृत्ति कैसी है, अिस पर सारा आधार है।”

बापू कहने लगे: “तुम्हें मालूम है कि स्टोक्स भी अँसा ही मानते हैं? परंतु मैं कहता हूं कि अिस प्रकार दयासे मारा ही नहीं जा सकता।”

वल्लभभाजी हंसते हंसते बोले, “बछड़ेको दयासे मारा जा सकता है, तो दुष्टोंको क्यों नहीं?”

बापूने यह बात तो हंसीमें टाल दी, परंतु जब वल्लभभाजीने यह सवाल अुठाया कि “किसीकी मरनेकी अिच्छा भी होती होगी?” तब बापूने कहा, “जरूर हो सकती है। आत्महत्या करनेवाले क्या अिच्छाके बिना आत्महत्या करते हैं?”

*

*

*

ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी बात चली। वल्लभभाजी बोले, 'सब चोर हैं। नहीं तो होर अिस तरह पार्लियामेण्टमें बोल सकता है?'

बापूने कहा: "चोर नहीं हैं। विलायतमें मैंने देखा कि चोर होनेकी जरूरत नहीं है। मरे और लोवे डिकिन्सन जैसे अीमानदारीसे दलील देते थे कि आपसे राज क्या चलेगा? अिसी तरह और लोग भी प्रामाणिकतासे मानते होंगे। हमारे पास सत्ता हो तो हम किस तरह काम करेंगे?"

वल्लभभाजी बोले: "हम भी अैसा ही करेंगे। परंतु अिससे क्या हमारा दुष्ट कहलाना बन्द हो जायगा?"

बापू बोले: "नहीं, परंतु अुस समय हमें कोअी दुष्ट कहे तो अिसमें शक नहीं कि हमें बुरा लगेगा। अिसलिअे अिन लोगोंको दुष्ट माननेकी आवश्यकता नहीं।"

ता० २४-३-३२: अेक पुस्तककी विषयसूची देखकर बापू कहने लगे, "यह ब्रिटिश बाअिबल क्या बला है?"

वल्लभभाजीने पूछा, "ब्रिटिश बाअिबल यानी?"

बापू बोले: "यानी ब्रिटिश लोग बाअिबल किसे मानते हैं?"

अिस पर तुरंत ही वल्लभभाजीने अुत्तर दिया, "पौंड, शिलिंग और पेंसको।" पुस्तकमें सचमुच यही लिखा था कि पौंड, शिलिंग, पेंस ही ब्रिटिश बाअिबल है। वल्लभभाजी बोले, "देखिये, अैसी अैसी बातें मुझे आती हैं!"

*

*

*

यहां अखबार पढ़नेका ठेका वल्लभभाजीका है। पढ़ते समय अुनके बहुतसे अुच्चारणोंमें भूल होती है। अिसकी अुन्हें तनिक भी परवाह नहीं। खास तौर पर मद्रासकी तरफके नामोंके अुच्चारण तो अुनकी जबान पर किसी प्रकार चढ़ते ही नहीं। आरोग्यस्वामी मुदालियरको अंग्रेजी हिज्जेके अनुसार वे 'आराकिया' बोलते और मुझे हंसी आती। तब चिढ़कर कहते, "तुम्हें हंसी आ रही है, परंतु अिसमें जो लिखा है वही मैंने पढ़ा।"

बापू बोले, "परंतु वल्लभभाजी, तामिलमें 'क' और 'ग'में फर्क नहीं है।"

अिस पर वल्लभभाभी कहने लगे, “परंतु अंग्रेजीमें तो ‘जी’ है? वह क्यों नहीं लिखते?”

अेक अखबारमें Gandhi’s Constructive Vacuities (गांधीकी रचनात्मक गफलतें) शब्द आये थे । मंने बापूसे पूछा, “रचनात्मक गफलत कैसी होती है?”

वल्लभभाभी बोले, “आज तुम्हारी दाल जल गयी थी वैसी।”

बापू खिलखिलाकर हंसे । नया कुकर आया था । वल्लभभाभी अच्छी दालके बिना तीन महीनेसे काम चला रहे थे । अुनकी भाषामें तीन महीनेसे परहेज चल रहा था और आज वे अच्छी दालकी आशा रखते थे । सो पहले ही दिन पानी थोड़ा और आग ज्यादा होनेके कारण दाल जल गयी थी !

ता० ६-४-३२ : दिल्लीमें कांग्रेसका अधिवेशन करनेके बारेमें सरदार चिन्तित थे । सरदार बोले : “व्यर्थ लोगोंके मन डांवाडोल होंगे । अधिवेशन होगा तब अनेक करनेके काम छोड़ बैठेंगे । ढीले आदमी तो कुछ न कुछ तर्क-वितर्क करने लग जायेंगे और प्रचार करेंगे कि मालवीयजी कांग्रेसका अधिवेशन कर रहे हैं अतः अिसमें कुछ न कुछ होगा । कुछ लोग व्यर्थ ही दिल्ली जाने तक सब बातें स्थगित कर देगे । अिसमें मुझे लाभ नहीं परंतु हानि दिखायी देती है ।”

बापू कहने लगे “हानि तो हरगिज नहीं । यह विचार सुन्दर है कि जो कांग्रेस ४७ वर्षसे बन्द नहीं हुयी, अुसे बन्द न होने दिया जाय, कांग्रेस जरूर हो । अिस कल्पनामें ही कुछ है । वैसे अुसमें होगा कुछ भी नहीं । अुसे भरनेमें कुछ लोग पकड़े जायं, मालवीयजी पकड़े जायं तो अच्छी बात है।”

वल्लभभाभी : “परंतु मालवीयजी ठहरे । वे २४ अप्रैलको बदलकर अेक महीना आगे भी बढ़ा सकते हैं ! वैसे अिसमें वे पकड़े जायं तो अच्छा जरूर है ।

ता० १८-४-३२ : बापूने बायें हाथसे कातनेका प्रयोग शुरू किया था । अिसे देखकर वल्लभभाभी कहने लगे : “अिससे कुछ फायदा नहीं होगा । पकाये हुअे घड़े पर किनारे नहीं चढ़ सकते । हमारा पुराना जो तरीका चल रहा था अुसे चलने दीजिये ।”

बापू बोले : “अससे कोअी अनकार नहीं कर सकता कि कलसे आज प्रगति अच्छी हुआ है।”

वल्लभभाअीने कहा : “आथ्रममें किसीको मालूम हो जायगा तो वह बायें हाथसे कातना शुरू कर देगा और यह पंथ चल पड़ेगा।”

बापू : “मालूम तो होगा ही। अस बार लिखूंगा।”

वल्लभभाअी जरा गंभीर होकर, “अससे तो बच्चोंको ही दोनों हाथसे चरखा चलाना सिखाया जाय तो अच्छा।”

बापू कहने लगे : “ठीक बात है। जापानमें तो बच्चोंको दोनों हाथोंसे काम लेना सिखाया ही जाता है।”

ता० २३-४-'३२ : हमारे यहां अखबार पढ़नेका काम वल्लभभाअीका है। मैं धुनकर कातनेके लिये बरामदेमें आता तब तक वल्लभभाअी अखबारोंको दुबारा पढ़ते होते। मैं पूछता : “संक्षेपमें समाचार क्या हैं?” अुनके पास जवाब तैयार रहता : “मुस्लिम परिषद्में खेड़ाके कलेक्टर। सेम्युअल होर टेनिस खेल रहे हैं।” तो दूसरे दिन खबर होती : “मि० अंस० का विवाह हुआ। सरोजिनीदेवी पकड़ी गयीं। मालवीयजी मोटरमें दिल्लीके लिये रवाना हो गये।”

ता० २९-४-'३२ : आज बापू तारीख भूल गये। मैं भी भूल गया और मैंने कहा, “आज अट्टाअिस है।”

वल्लभभाअी बोले : “यह भी भूल जाते हो कि तुम्हारे ग्रह कलसे बदले हैं! आज तो अुनतीस हो गयी।”

अिस पर बापू कहने लगे : “हां, देखो तो मैं भी कैसा मूर्ख हूं! और ग्रह बदल गये हैं, अिसका प्रमाण देनेके लिये ही मानो आज होरका पत्र आया है।”

“सब नंगे हैं”, वल्लभभाअीने फंसला दे दिया। “धीरे धीरे आप मानेंगे। अुस कलकत्तेवाले बेन्थलको भी आप तो अच्छा ही मानते थे। बादमें कैसा निकला?”

बापू : “मुझे अपनी राय बदलना आवश्यक नहीं लगा। बेन्थलके बारेमें जो हाल मालूम हुआ था वह गलत था। होरके बारेमें मैंने जो राय दी वह बिलकुल सही निकलती जा रही है। सैकीके विषयमें मैंने सबके विरुद्ध होकर जो मत दिया था वह भी ठीक ही साबित हो रहा है।”

मैंने कहा : “होरके विषयमें वल्लभभाभी भी स्वीकार करते हैं कि यह आदमी जो विनय दिखा रहा है वह मैकडोनाल्ड तो हरगिज नहीं दिखा सकता। विलिंगडनने तो नहीं ही दिखाया।”

बापू बोले : “कदाचित् अविन भी न दिखाये।”

मैंने कहा : “अविनने मगनलालभाभीके गुजर जाने पर जो पत्र लिखा था वह कभी भुलाया ही नहीं जा सकता।”

वल्लभभाभी बोले : “महादेव, बापू लड़ाभी छोड़ दें तो सभी अैसे पत्र लिखने लेंगे। जिस तरह केश रख लें तो सिक्ख अन्हें नानककी गद्दी पर बिठा दें !”

ता० १-५-३२ : लॉर्ड सैकीका ‘न्यूज़ लेटर’ अखबारमें छपा हुआ लेख आज पूरा यहांके अखबारोंमें देखा। अुससे बापू बड़े दुःखी हुअे। अुसमें अपने विषयका भाग पढ़कर बापू बोले, “अुलटा-सीधा लेख है। अुसे पत्र लिखना चाहिये। मेरा मत अुसके विषयमें सही सिद्ध हो रहा है।”

पत्र लिखवाया। वल्लभभाभी सुन रहे थे। पूरा होने पर बोले : “अितना लिख रहे हैं, अिसके बजाय अुसे लिखिये कि तुम सरासर झूठे हो।”

बापू खिलखिलाकर हंसे। अुन्होंने कहा : “नहीं, अिससे ज्यादा सख्त मैंने कह दिया है। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारा बरताव सज्जनोंको शोभा देने लायक नहीं है। अिससे भी आगे बढ़कर मैं कहता हूं कि तुम द्रोही हो। तुमने मित्र या साथीको दगा दिया। अंग्रेजको यह चीज बहुत कड़ी लगने जैसी है। परंतु मुझे अैसा लगता है, अिसलिअे मैंने लिख दिया है।”

ता० ३-५-३२ : मालवीयजीके छूट जानेके समाचार आये। वल्लभभाभीने कल और आज मिलाकर चार पांच बार मुझसे और चार पांच बार बापूसे कहा होगा, “मालवीयजी तो छूट गये।” अैसी कोअी खबर आती है तब अुस पर विचार करनेका वल्लभभाभीका यही ढंग है। आज दिन भर वे अिस पर विचार करते रहे होंगे। सोते समय भी कहने लगे, “तो मालवीयजीको आठ ही रोजमें छोड़ दिया।”

ता० ६-५-३२ : आज बापूने मगन चरखे पर दो-अेक घंटे मेहनत की और आखिरमें चौबीस तार निकाले तब अुन्हें शान्ति

हुआ। वल्लभभाजी दिन भर हंसते रहे और कहते रहे, “जितना कातेंगे उससे ज्यादा बिगाड़ेंगे।”

बापू बोले: “मेरे बायें हाथसे कातने पर भी तो हंसनेवाले आप ही थे? देखिये, यह तार निकलने लगा। आप जब तक अधर नहीं देखेंगे, तब तक तार निकलते ही रहेंगे।”

ता० ८-५-३२: अक पुस्तककी जिल्द खुड़ गयी थी। बापूने वल्लभभाजीसे कहा: “क्यों, यह आपको सौंप दूँ? आपने कभी जिल्दसाजका काम किया है? न किया हो तो मैं मिखा दूंगा।” फिर आज सुबह चक्कर काटते हुआ कहने लगे: “वल्लभभाजी, आपको छोटे छोटे काम करनेका शौक बचपनसे ही है या यहां आकर पैदा हुआ? अर्थात् आप कारीगर थे ही या यहां आकर बने?”

वल्लभभाजी: “अैसी कोभी बात नहीं, परंतु जरूरत पड़ने पर सब सूझ जाता है।”

बापू बोले: “यह चीज जन्मजात ही होती है। दासबाबू सुआीमें डोरा भी नहीं पिरो सकते थे। मोतीलालजी कआी तरहके काम कर लेते थे।”

मैने कहा: “मोतीलालजीने पानीको जन्तुरहित करनेकी मशीन अपने घरमें खुद ही बनायी थी। और वे सब बीमारोंको जन्तुरहित पानी ही पिलाते थे।”

आज वल्लभभाजीने पुस्तककी अच्छी सिलायी की और अुमके पीछे पट्टी भी लगा दी। असके सिवा बादाम पीसनेकी जो मशीन आयी थी, अुम पर बादाम पीसे।

ता० १०-५-३२: कल मगन चरखा चलाते चलाते अुम पर दाहिना हाथ बैठ गया, असलिअे बापू अुत्साहमें आ गये थे। परंतु आज चरखा किसी भी तरह नहीं चल रहा था। वल्लभभाजीको सुबहमे कह रखा था कि, “आपका शाप नहीं लगेगा तो चलेगा।” नौ दस बजे तक चलाया, परंतु पूनियां बिगड़नेके सिवा कोभी परिणाम नहीं निकला। वल्लभभाजी कहने लगे, “अक कुकड़ी अुतार कर दूसरी भरी क्या?”

दोपहरको भी असी तरह चरखेके चमरखे कसे, तेल दिया, सब अुपाय किये। मैने भी थोड़ी देर सिर खपाया, परंतु चला ही नहीं। वल्लभभाजी सोकर अुठते ही कहने लगे, “बहुत कात लिया, अब बन्द कीजिये।”

बापू बोले : “कातूंगा, कातूंगा । हमारा कारवां रुक नहीं जायगा । आखिर तो मैं सेम्युअल होरके साथ बैठनेवाला ठहरा ! ”

वल्लभभाभी : “नीचे बहुतसा काता हुआ पड़ा दिखायी दे रहा है ! ”

शामको तो वल्लभभाभीकी वृत्ति भी मजाक जारी रखनेकी नहीं रह गयी थी । बापूने बायें हाथसे कातना शुरू किया । लगभग पांच घंटे मेहनत की होगी । अिससे शामको थककर चूर हो गये थे । नतीजा यह हुआ कि आठ बजेके पहले पैर दबवाते हुअे अंधने लगे और अुटकर तुरंत सो गये । जाते जाते वल्लभभाभीसे कहा : “देखना, कल चरखा जरूर चलेगा; श्रद्धा बड़ी चीज है । ”

वल्लभभाभी : “अिसमें भी श्रद्धा ! ”

बापूने कहा : “हां, हां, श्रद्धा तो है ही । ”

ता० ११-५-३२ : आज बापू चरखे पर अधिक सफल हुअे । तीन घंटे कातकर १३१ तार निकाले । वल्लभभाभीसे बोले : “देखिये, आज कैसा परिणाम आया है ? ”

वल्लभभाभी : “हां, नीचे काफी ‘सूतरफेणी’* पड़ी है । ”

बापू : “परंतु यह ‘सूतरफेणी’ बंद हो जानेके बाद तो कहेंगे कि अब ठीक हो गया ? ”

ता० २५-५-३२ : वल्लभभाभीको लिफाफे बनाते, अनेक वस्तुअें बटोर कर रखते और दूसरी कअी बातें करते देखकर बापूने कहा : “स्वराज्यमें आपको कौनसा महकमा दिया जाय ? ”

वल्लभभाभी बोले : “स्वराज्यमें मैं लूंगा चिमटा और तूंबी ! ”

बापू कहने लगे : “दास और मोतीलालजी अपने पदोंका हिसाब लगाते थे, और मुहम्मदअली व शौकतअलीने अपनेको शिक्षामंत्री और प्रधान सेनापतिके तौर पर मान लिया था । आबरू बची आबरू, जो स्वराज्य नहीं आया और कोअी कुछ न हुआ । ”

ता० २७-५-३२ : कल बापूको अुर्दू कापी लिखते देखकर सरदार कहने लगे : “अिसमें जी रह जायगा तो अुर्दू मुनशीका अवतार लेना पड़ेगा । ” फिर बोले : “आपका बस चले तो आप पैरोंसे भी कलम चलायें । ”

बापूने कहा : “हाथ काम न दें तो अैसा भी करना पड़े । आपको पता है कि घूमलीके पास मूळूमाणेक और जोधामाणेक अेक गुजराती मिठाअी । यहां टूटा हुआ सूत ।

अंग्रेजोंके विरुद्ध लड़ते लड़ते गिर पड़े, तब अन्होंने पैरोसे बन्दूक चलायी थी? अगर पैरोसे गोली चल गयी तो पैरोसे कलम नहीं चलेगी? और चरखा नहीं चल सकता? हां, पैरोसे पूनी नहीं खींची जा सकती, यह दुःखकी बात है।”

ता० २९-५-३२: सरदारका कुछ बातोंका अज्ञान विस्मय अुत्पन्न करता है। मुझे पूछने लगे कि विवेकानंद कौन थे? और कहाँके थे? जब यह मालूम हुआ कि वे बंगालके थे तब आज जरा ज्यादा स्पष्टीकरण किया कि “रामकृष्ण और वे दोनों बंगालमें पैदा हुअे थे?” ‘लीडर’ की अेक टिप्पणीमें सुभाषका पत्र आया था। अुसमें अन्होंने अपने आदर्शके रूपमें विवेकानंदको बताया था, असलिये सरदारने अितना कुतूहल दिखाया होगा। अब तो रोमां रोलांकी ‘रामकृष्ण परमहंस’ और ‘विवेकानंद’ दोनों पुस्तकें पढ़ लेंगे।

*

*

*

‘संग्रह किया हुआ सांप भी कामका’ यह कहावत कैसे चली? बापूने अेक बात कही कि अेक बुढ़ियाके यहां सांप निकला। अुसे मार दिया गया। फेंक देनेके बजाय बुढ़ियाने अुसे छप्पर पर रख दिया। अेक अुड़ती हुअी चीलने जो कहीसे मोतियोंका हार ले आयी थी अुसे देखा। अुसे हारसे सांप ज्यादा कीमती मालूम हुआ। असलिये हार तो अुसने छप्पर पर डाल दिया और सांपको अुठा ले गयी। अस तरह बुढ़ियाको सांपका संग्रह करनेसे हार मिला।

सरदारने कहावतका मूल अस प्रकार बताया: “अेक बनियेके यहां सांप निकला। अुसे मारनेवाला कोअी मिलता न था और बनियेकी हिम्मत नहीं होती थी। असलिये अुसने सांपको पतेलीके नीचे ढांक दिया। रातको आये चोर। वे कुतूहलसे पतेली अुघाड़ने लगे तो सांपने काट लिया और चोरी करनेके बजाय स्वर्ग सिंघार गये।”

हमने निश्चय किया कि नरसिंहरावको पूछना चाहिये। खास तौर पर अस बारके ‘वसंत’ में ‘अेक पत्थरसे दो चिड़ियां मारने’ की कहावत पर बहुत ज्यादा पन्ने भरे गये हैं, अससे प्रेरित होकर यह विचार आया।

ता० ३०-५-३२: अेक अमरीकी महिलाने पत्र लिखकर बापूसे पूछवाया था: किसी सर हेनरी लॉरेन्सने १९२२ में बापूसे जेलमें मुलाकात की थी, जिसका वर्णन अस प्रकार किया था: “मैं गांधीजीसे पूनामें मिला था। अन्हें अेकान्त कमरेमें रखा गया था

जिसके सामने बगीचा था। गिबनकी 'रोमन साम्राज्यका अस्त और नाश' पुस्तक वे पढ़ रहे थे और कात रहे थे।" यह बात कितनी सच है? अिस बारमें बापूने अेक पत्र लिखवाया।

मैंने कहा : "अिसका असर तो यह पड़ेगा कि आप अिस आदमीकी सचाभी पर सन्देह करते हैं।"

बापू बोले : "तो बदल दो, क्योंकि हम अैसी शंका नहीं करते।"

फिर वल्लभभाभी कहने लगे : "यह आदमी वहां प्रचार कर रहा होगा। अिस महिलाको लिखिये कि यहां तो कोअी बगीचा नहीं है, कैदी हैं। मैं अमुक वर्षमें यहां था तब अमुक पुस्तकें पढ़ रहा था और कात रहा था; और स्मृति मन्द हो जानेका डर तो सर हेनरीको हो सकता है, क्योंकि अुनकी अुम्र मुझसे बड़ी है।"

मैंने कहा : "अैसा जवाब तो बर्नार्ड शॉ दे सकता है।" मेरा हेतु यह था कि अिस जवाबमें कुशलताकी छाप न पड़नी चाहिये। वल्लभभाभी गरम हो गये। बापूने दूसरा पत्र लिखवाया।

*

*

*

आज 'हिन्दू' में रायटरकी हवाअी डाकका समाचार था : "अेक अंग्रेज महिला लंदनके लोगोंको समझा रही है कि गांधी अब अेक डूबता सितारा है। लॉर्ड विल्डिगडनकी नीति सही साबित हुअी है। गांधीके अनुयायियोंका भ्रम मिट गया है। जेलोंको देखा। बाहरके देशी लोगोंके जीवनस्तरसे जेलोंका जीवनस्तर बहुत अूंचा है। लेडी विल्डिगडन अत्यंत लोकप्रिय हैं और राजालोग भी।" यह खबर 'टाअिम्स' ने नहीं दी थी। बापू बोले, "'टाअिम्स' को छापनेमें शर्म आअी होगी।"

वल्लभभाभी : "शर्म तो क्या आती? वह अिसमें शरीक होगा।"

बापू बोले : "वह अिसमें शरीक हो तो भी यह अितनी खुली चीज है कि यहां अैसी बातें छापते शर्म आ सकती है। यह तो कोअी विल्डिगडन साहबकी खड़ी की हुअी महिला है।"

ता० ३१-५-३२ : आजकी डाकमें अेक आदमीने नादानी और मूर्खता भरा प्रश्न पूछा : "हम अपना तीन मनका शरीर लेकर धरती पर चलते हैं तो अनेक चींटियां कुचल जाती हैं। यह हिसा कैसे रोकी जाय?"

वल्लभभाभीने तुरंत कहा : "अुसे लिख दो कि पैर सिर पर रखकर चले।"

ता० ५-६-३२ : बापूको देखनेके लिये आया हुआ डॉक्टर बोला : “लॉर्ड रीडिंगका अनुमान है कि हम रोज सोलह लाख रुपया भिखारियोंको खिलाने और दान देनेमें खर्च करते हैं। क्या उसका दूसरा उपयोग नहीं हो सकता ?”

वल्लभभाजी : “हां, परंतु इससे भी ज्यादा डाकुओं पर खर्च करते हैं।”

डॉक्टर : “मैं समझा नहीं।”

वल्लभभाजी बोले : “अजी साहब, विलायतसे ये सब डाकू ही तो आये हुये हैं? ये क्या डाकुओंसे अच्छे कहे जायंगे ?”

ता० ११-६-३२ : बापूके हाथका दर्द बढ़ता जा रहा था, तो भी वे कातना नहीं छोड़ते थे। वल्लभभाजी : “दर्द अंगूठे परसे कोहनी तक पहुंच गया। कोहनीसे कंधे पर चढ़ेगा। अब रहने भी दीजिये, बहुत कात लिया।”

बापू : “किसी न किसी दिन तो किसीके कंधे पर चढ़ना ही पड़ेगा न ?”

वल्लभभाजी : “नहीं जी, असा नहीं हो सकता। देशको अधबीचमें छोड़कर आप नहीं जा सकते। अक बार नाव किनारे लगा दीजिये, फिर जहां जाना हो वहां चले जायिये। मैं आपके साथ चलूंगा।”

ता० १४-६-३२ : गरमीमें नीबू महंगे हो गये इसलिये बापूने वल्लभभाजीको सुझाया : “हम नीबूके बजाय अिमली लें। अिमलीके पेड़ तो जेलमें बहुत हैं।”

वल्लभभाजीने इस बातको हंसीमें अुड़ा दिया : “अिमलीके पानीसे हड्डियां टूटती हैं, वायु होता है।”

बापूने पूछा : “लेकिन जमनालालजी तो पीते हैं ?”

वल्लभभाजी : “जमनालालजीकी हड्डियों तक अिमलीको घुसनेका मार्ग नहीं।”

बापू : “परंतु अक बार मैंने अिमली बहुत खायी है।”

वल्लभभाजी : “अुस समय आप पत्थर भी हजम कर सकते थे। आज यह कैसे हो सकता है ?”

*

*

*

वल्लभभाजी अब लिफाफे बनानेमें प्रवीण होते जा रहे हैं। हर रोज कुछ न कुछ नयी युक्ति सूझती है और कागजके अक अक

टुकड़े पर अनुकी नजर रहती है। बापू बोले: “बेकार कागजों पर आपका चित्त अतना ही लगा रहता है जितना अुस बिल्लीका चूहे पर लगा रहता है।”

ता० २३-६-३२: अेक प्रसिद्ध स्त्रीने विधवा होनेके बाद अेक प्रसिद्ध सज्जनसे शादी की। मैंने यों ही पूछा: “अिन सज्जनके मरनेके बाद क्या वह फिर विवाह करेगी?”

वल्लभभाभी बोले: “अब अुस घोड़ेको कौन घरमें बांधेगा? अुसे तो सब लोग जानते हैं। और अुसकी अुम्र भी हो गयी है। अब वह शादी करना भी नहीं चाहेगी।”

बापू: “मुझे याद है अेक चौंसठ वर्षकी स्त्रीने पुनर्विवाह किया था। अुस स्त्रीने केवल अेक साथी प्राप्त करनेके लिये विवाह किया था।”

मैंने कहा: “गटेने ७३ वर्षकी अवस्थामें अेक अठारह सालकी लड़कीसे ब्याह करना चाहा था। अुसके मां-बापको अिससे आघात पहुंचा और अुन्होंने अिनकार कर दिया।”

वल्लभभाभी: “गटे था अिसलिये आघात पहुंचा। मैं होता तो अुसे गरम लोहेसे दाग देता और कहता कि तेरी बुद्धि नष्ट हो गयी है और वह दागनेसे ही ठिकाने आयेगी।”

ता० २४-६-३२: मेजरसे बापूने पूछा: “कैदीके स्वास्थ्यका हाल नहीं लिखा जा सकता, अँसा कोअी कानून है क्या?”

मेजर बोले: “आप जैसेके बारेमें लोग चाहे सो मानकर चिन्ता करने लगते हैं। आपको दस्त लग गये हैं, यह खबर जाहिर हो जाय तो यहां सैकड़ों आदमी पूछताछ करने आ जायें।”

वल्लभभाभी: “अार्डिनेंस निकलवा दीजिये कि गांधीके समाचार कोअी पूछने न आवे।”

बापू कहने लगे: “सच्ची खबर देनेसे तो झूठी खबरका फलना रुक जाता है।”

मेजर: “हम सच्ची खबर देते हैं और कोअी आदमी बीमार हो जाय तो तार देते हैं।”

जेलर: “वह लड़का मर गया तब अुसके बारेमें टेलीफोन किया था।”

बापू: “अर्थात् गंभीर बीमारी होने तक आप ठहरते हैं।”

वल्लभभाजी : “बात यह है कि मर जानेका भय पैदा हो जाने पर ही खबर दी जाती होगी।” मेजर चिढ़े।

ता० ३०-६-३२ : आज अखबारोंमें पढ़ा कि अलाहाबाद हाजीकोर्टमें अेक रामचरण नामक ब्राह्मण जमींदारको अेक धोबिनकी हत्या करनेके अपराधमें पांच सालकी सजा हुअी। बात यह हुअी थी कि अुस जमींदारने धोबिनको कपड़े ले जानेके लिअे कहा। धोबिनने जवाब दिया कि मैं शामको कपड़े लेने आअूंगी। अिस पर जमींदारने अुसे लात-धूसे लगाये। दूमरी स्त्री मददको आअी तो अुसके तमाचा मारा। अुसका पति आया तो अुसके हाथसे लाठी छीनकर अुसे मारा। अन्तमें अेक पचास वर्षकी तीसरी स्त्री आअी तो अुसके लातें जमाअीं। अुसकी तिल्ली फट गअी और वह अुसी क्षण मर गअी। अिस पर श्रीमान भागे। आजकल अैसे कैदियोंको छोड़ दिया जाता है और हमारे आदमियोंको अच्छी तरह सजा दी जाती है। यह ध्यानमें रखकर बापू कहने लगे : “अुमे पांच वर्षकी सजा दी गअी है। परंतु वह पांच मास भी नहीं रहेगा। कहेगा कि मैं राजभक्त सभा खोलूंगा; किसानोंसे रुपया जमा कराअूंगा; सविनय कानून-भंगकी लड़ाअीको दवानेमें मदद दूंगा; अिसलिअे अुसे छोड़ देंगे।”

अिस पर वल्लभभाजी बोले : “अुसने सफाअीमें यह नहीं कहा कि यह स्त्री स्वराज्यकी लड़ाअीमें शरीक थी, खादीके सिवा दूसरे कपड़े धोनेसे अिनकार करती थी और मेरे विरुद्ध यह झूठा अभियोग लगाया गया है !”

ता० ६-७-३२ : आज ‘हिन्दू’ में रंगाचारीका अेक बयान आया। अुसमें गोलमेजमें जानेवाले नरम पंथियोंके खिलाफ कड़ी आलोचना की गअी थी। पेट्रोंने भी लिखा था कि गांधीके साथ सहयोग किये बिना नया विधान बन ही नहीं सकता। मैंने बापूसे पूछा : “ये रंगाचारी और पेट्रो आज अेकाअेक कैसे जागे ?”

बापू बोले : “रंगाचारी अिसी किस्मका है। बहादुर आदमी तो है ही। वैसे रंगाचारी और पेट्रो दोनोंको कोअी निराशा हुअी होगी, अिसीलिअे अितना कह दिया है।”

वल्लभभाजी : “कुछ भी हो, मैकडोनाल्ड सब निगल जायगा और साम्प्रदायिक निर्णय भी हमारे विरुद्ध ही होगा।”

बापू : “मुझे अभी तक आशा है कि मैकडोनाल्ड विरोध करेगा।”

वल्लभभायी : “नहीं जी, ये सब बिलकुल नंगे लोग हैं।”

बापू : “तो भी अिम आदमीके अपने सिद्धान्त हैं।”

वल्लभभायी : “सिद्धान्त हों तो यों टोरियोंके हाथ बिक सकता है? अुमे अिस देश परसे हुकूमत छोड़नी ही नहीं है।”

बापू : “यह तो है ही । परंतु अिसमें अुसका स्वार्थ नहीं । हुकूमत तो किसीको भी नहीं छोड़नी है, केवल लास्की, होरेबीन, ब्राँक्वे जैसे कुछ आदमियोंके सिवा । बेन, लीज, स्मिथ वगैरा सब मेकडोनाल्ड जैसे ही हैं । मैं तो अितना ही कहता हूं कि यह आदमी अपने देशका हित देखकर टोरियोंमें मिला है।”

ता० ९-७-३२ : वल्लभभायी बोले : “अिरलैण्डमें हिन्दुस्तानके विरुद्ध सारी प्रजा आज जिस ढंगसे अेक होकर खड़ी है, वंसा पहले कभी नहीं हुआ था।”

बापू : “वहां सदा ही हिन्दुस्तानके विरुद्ध अँक्य रहता है, क्योंकि हिन्दुस्तानको छोड़ना भिखारी बननेके बराबर है । हिन्दुस्तानको पकड़ रखनेमें अुनका अधिकसे अधिक स्वार्थ है।”

ता० १०-७-३२ : आजकी डाकमें बहुत पत्र लिखे और सब काफी लंबे हैं । वल्लभभायी बोले : “ठीक है, जितने अधिक हों अुतना अच्छा । अनुवाद कर करके थक जायेंगे तो कह देंगे कि जाने दो, अिन पत्रोंमें क्या धरा है ?”

ता० १२-७-३२ : गोलमेजमें पेश हुअे प्रस्तावोंको देखकर बापू कहने लगे : “सेम्युअल हारने यह समझ लिया हो कि अुदार दलवालोंमें जरा भी स्वाभिमानकी भावना नहीं रही, तो ही वह अैसे प्रस्ताव रख सकता है । असलमें तो गोलमेजमें भी सलाह-मशविरे जैसी कोअी बात नहीं थी । मैंने देखा कि सरकारी सदस्य ही अपना मनचाहा करते थे । फिर भी वह योजना अैसी थी जिससे अुनके मनको कुछ न कुछ संतोष हो सकता था । अिस योजनामें तो मनको समझानेकी भी कोअी बात नहीं है । अिसलिये ये लोग अिसे अस्वीकार न करें तो क्या करें ?”

वल्लभभायीने पूछा : “अब अुदार दलवाले क्या करेंगे ?”

बापूने जवाब दिया : “अुनकी स्थिति कठिन है । काँग्रेसके साथ वे मिल नहीं सकते; और यह रवैया भी कब तक जारी रख सकेंगे ?”

वल्लभभाजी : “असलिअे पूछता हूं कि आप अन्हें जानते हैं।”

बापू : “जानता हूं असीलिअे तो अनकी कठिनाअी बताता हूं।”

ता० १३-७-'३२ : अब सरकारके वहां कामके पत्र रखे जाते हैं और निकम्मे यहां भेज दिये जाते हैं। मैंने कहा : “यह चिढ़ानेके लिअे ही किया जाता है न ?”

बापू बोले : “वल्लभभाअीका अुदार अर्थ करना अच्छा है।”

वल्लभभाअीने असका यह अर्थ किया था कि किसी क्लर्कको काम सौंप दिया होगा कि जो पत्र बिलकुल निर्दोष लगें वे पहले भेज दे और बाकी अुच्च अधिकारीके देखनेके लिअे रख ले।

मैंने कहा : “वल्लभभाअी शायद ही सरकारके कृत्योंका असा अुदार अर्थ करते हैं।”

बापू : “आजकल संस्कृतका अध्ययन करना जो शुरू किया है !”

ता० १४-७-'३२ : अुस व्यर्थकी डाकमें पंजाबके अेक . . . खांका पत्र था। अुसने लिखा था कि आप राजनीति नहीं समझते। अुसे आगाखां और शास्त्री-सप्रू जैसोंको सौंप दीजिये और हिमालय पर चले जाअिये। अुसे बापूने अपने हाथसे लिखा : “जेलके अेकान्तमें बहुत गहरा चिन्तन करने पर भी मेरे विचारोंमें कोअी परिवर्तन नहीं हुआ।”

वल्लभभाअी : “अिस गालियां देनेवालेको आपने अपने हाथसे पत्र क्यों लिखा ?”

बापू : “अुसे हाथसे ही लिखना चाहिये।”

वल्लभभाअी : “गाली देनेवाला है अिमीलिअे न ? अिसी तरह बहुत लोग मर्यादासे बाहर चले गये हैं।”

बापू : “मेरे खयालसे अिससे हमें कोअी नुकसान नहीं हुआ।”

ता० १५-७-'३२ : आज होरका पहले भाषणकी पूर्तिमें और अुदार दलवालोंके जवाबमें हुआ दूसरा भाषण अखबारोंमें आया।

वल्लभभाअीने पूछा : “कैसा लगता है ? नरम दलवालों (मोडरेटों)की तो खुशामद की है।”

बापू बोले : “नहीं, अिसमें कुछ नहीं है। अिस भाषणमें चालाकीके सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे अिससे बड़ी निराशा होती

है। मैं होरको प्रामाणिक मानता था। जिस भाषणमें वह प्रामाणिक न रहकर चालाक बन गया है।”

वल्लभभाभी : “तो पत्र लिखिये।”

बापू : “पत्र लिखनेकी कभी बार जीमें आती है।”

ता० २०-७-३२ : वल्लभभाभीका संस्कृतका अध्ययन अच्छी तरह चल रहा है। उनकी सरलताकी कोअी हद नहीं। मुझसे पूछते हैं, “महादेव, यह विभक्ति क्या होती है? और नृपः कहा जाय तो राजः क्यों नहीं और विद्वानः क्यों नहीं?” परंतु आज जब ब्रह्मचर्य पर महाभारतके श्लोक आये तब क्षण भरके लिये वे भी स्तब्ध रह गये। मैंने बापूसे कहा : “संस्कृत भाषाका संगीत और किसी भाषामें नहीं मिल सकता और अुसमें ब्रह्मचर्यके विषयमें जो लिखा गया है वह भी और किसी साहित्यमें नहीं मिल सकता।”

बापू : “संगीतके बारेमें कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रीक-लेटिनमें भी हो सकता है। परंतु ब्रह्मचर्य और सत्यके बारेमें तो शायद ही किसी दूसरे साहित्यमें अैसी चीज होगी जो संस्कृतकी बराबरी कर सके।”

ता० २३-७-३२ : रातको सोते समय बापू कहने लगे : “वल्लभभाभी, अिन गुजराती पत्रोंके बारेमें हम कड़वी घूंट पी रहे हैं, यह मालूम है?”

वल्लभभाभी : “कैसे?”

बापू : “वे लोग यह लिखते हैं कि अंग्रेजी पत्र तो तुरंत भेजे जा सकते हैं, परंतु गुजराती पत्रोंकी कठिनायी रहेगी। अर्थात् अिन लोगोंमें हमारे आदमियोंके लिये अविश्वास है, यह मुझे बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता है। हमारे गुजराती पत्रोंका तो अनुवाद हो और ये लोग पास करें तभी वे जा सकते हैं। क्या अिन लोगोंमें कोअी गुजराती जाननेवाला अैसा मिल नहीं सकता जिसका अिन्हें विश्वास हो! यह भयंकर वस्तु है। अिस मामलेमें लड़ायी करनी चाहिये। लड़ायी यही कि हम अिनसे कहें कि अिस शर्त पर हम पत्र नहीं लिखेंगे।”

वल्लभभाभी : “ये लोग तो बेहया हैं। कहेंगे भले ही न लिखिये, अिससे हमें क्या?”

बापू : “कोअी परवाह नहीं।”

ता० २४-७-३२ : सबेरे घूमते घूमते पिछली रातकी चर्चाका विषय फिर छेड़ा। वल्लभभाभीकी राय पूछी। वल्लभभाभी बोले :

“अस प्रकार पत्र लिखते रहना पड़े, असमे तो बन्द कर देना ही अच्छा है। अन लोगों पर तो असका कोअी असर होनेवाला ही नहीं है।”

बापू : “असर न हो तो कोअी परवाह नहीं, यद्यपि अंतमें असर हुअे बिना नहीं रह सकता। . . . मुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलरके प्रति सरकारके अस अविश्वास पर भी मुझे गुस्सा आता है। परंतु अन लोगोंमें ही दम नहीं तो हम क्या करें ?”

वल्लभभाअीसे कहने लगे : “आप संस्कृतमें श्रेय और प्रेयके बारेमें पढ़ेंगे। अस सवालमें प्रेय कहता है कि हम पत्र लिखते रहें, श्रेय कहता है कि लिखना छोड़ दें।”

ता० २५-७-३२ : वल्लभभाअीका तीखा विनोद कभी कभी तीरकी तरह लगता है। मेजर मेहता बेचारे पूछ रहे थे कि ओटावामें क्या होगा ? अस पर वल्लभभाअी बोले : “व्यर्थ ओटावा तक जानेका कष्ट अुठाय। यहां आर्डिनेंस द्वारा जो चाहें सो कर लें। फिर वहां तक जानेकी जरूरत क्या ?” वह बेचारे दिङ्मूढ़ हो गये।

ता० २७-७-३२ : वल्लभभाअीको संस्कृत पढ़ानेमें बड़ा मजा आता है। ‘वासांसि’ का प्रयोग क्यों किया और ‘वस्त्राणि’ का क्यों नहीं ? अेकवचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होता है ? स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं ? कृदंत क्या होता है ? वगैरा प्रारंभिक प्रश्न बालोचित निर्दोषतासे पूछते हैं। नये शब्द सीखते हैं और जो शब्द सीखते हैं उनका प्रयोग करते हैं। यह आपको शोभा नहीं देता, असके लिअे कहेंगे ‘अिदं न शोभनं अस्ति’। और कट्टर अनुदार दलवालोंके लिअे कहते हैं कि ये तो सब ‘आततायी’ लोग हैं। आज पूछने लगे “शनैः शनैः अर्थात् शनिवारको ?” “‘वासांसि’ का प्रयोग क्यों किया और ‘वस्त्राणि’ का क्यों नहीं किया, अस सवालका जवाब तो रस्किन जैसा दे सकता है,” बापूने कहा।

ता० २-८-३२ : शामको बापूने पूछा : “. . . की ६१ वीं जन्मतिथि कब है भला ?”

वल्लभभाअी : “क्यों, क्या काम है ? आपको कुछ लिखना है ?”

बापू बोले, “हां, दूसरोंको लिखते हैं तो अिन्होंने क्या कसूर किया है ?”

वल्लभभाभी : “कोओ आपसे पूछे, आपसे कुछ मांगे और आप लिख भेजें तो दूसरी बात है। नहीं तो आप यहां जेलमें बैठे हैं। आपको लिखनेकी क्या जरूरत ?”

बापू कहने लगे : “असा क्यों ? अुनकी रचनाओं साहित्यमें बहुत अुच्च स्थान रखती हैं। लेखकोंमें वे पहले दूसरे माने जाते हैं।”

वल्लभभाभी थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले : “माने जाते होंगे।”

बापू : “होंगे क्यों ? हैं।”

वल्लभभाभी बोले : “अच्छा, अच्छा, रहने दीजिये। क्यों अैसे कायर आदमीको लिखकर प्रोत्साहन दिया जाय ? जब देशमें आग लगी हुओी हो तब क्या बैठे बैठे लेख लिखे जाते हैं ?”

बापू : “क्या आप यह कहते हैं कि अुनके लेखोंसे सेवा नहीं होती ?”

वल्लभभाभी : “विद्वानोंके लेखोंमे जरा भी सेवा नहीं होती। विद्वान पढ़ने-लिखनेका शौक लगाते हैं और असा करके अुलटा नुकसान पहुंचाते हैं। लोगोंको पढ़ने-लिखनेके मोहमें डालकर निकम्मा बना देते हैं। जो विद्या और लेख दुर्बल बनाते हों वे किस कामके ?”

बापू : “क्या अिनकी रचनाओंके बारेमें सचमुच असा कहा जाता है ? मैंने अुनका लिखा हुआ . . . का जीवन-चरित्र नहीं पढ़ा, परंतु क्या वह जीवन-चरित्र लोगोंको निकम्मा बनाता है ?”

वल्लभभाभी : “लोग अुनका लिखा हुआ दूसरोंका चरित्र पढ़ेंगे या खुद अुनका चरित्र देखेंगे ?”

बापू : “अुनके चरित्रमें क्या खराबी है ? आपको पता है कि १९१६-१७ में विलिंगडनने लड़ाओके सिलसिलेमें बंबओके टाअुन हालमें सभा की थी। अुसमें सबसे लड़ाओमें मदद देनेकी अपील की गओी थी। तिलक दलने अिस प्रकारका संशोधित प्रस्ताव रखनेका निश्चय किया कि कुछ शर्तों पर ही मदद दी जा सकती है। अन्यथा सभा छोड़कर चले जानेका निर्णय किया था। अुस दलकी तरफसे वे खड़े हुअे। सबने खूब छी: छी: करनेका प्रयत्न किया। परंतु वे अटल खड़े रहे और जो कहना था सो कह लेनेके बाद ही सबने सभा छोड़ी।”

वल्लभभाभी : “ओहो, यह नाटक तो अुन्हें आता है।”

बापू : “तो आपको अुनसे क्या चाहिये ?”

वल्लभभाभी : “कुछ त्याग तो करेंगे या नहीं ?”

बापू : “क्या जेलमें आना ही त्याग माना जायगा ?”

वल्लभभाजी : “मैं यह नहीं कहता। परंतु मैं अन्हें जानता हूं, आप नहीं जानते। असलिये क्या कहूं? वे तो कमसे कम त्याग और अधिकसे अधिक लाभमें विश्वास करनेवाले हैं।”

बापू : “हां, यह तो उनका तत्त्वज्ञान है।”

वल्लभभाजी : “हां, है तो जरूर। जहन्नुममें जाय यह तत्त्वज्ञान। अपनी तरफसे कमसे कम त्याग; लोग कितने ही बरबाद क्यों न हो जाय, अधिकसे अधिक लाभ अपने लिये।”

बापू : “देखना, मैं ये सब बातें उनसे कहूंगा।”

वल्लभभाजी : “सब बातें उनके मुंह पर सुना सकता हूं। और मुनाजी भी हैं। अक बार सब अकट्टे हुआ थे। वहां सब कहने लगे कि ये तो निवृत्त होनेवाले हैं। मैंने कहा, क्यों निवृत्त होंगे? निवृत्त होनेका अन्हें क्या हक है? सार्वजनिक जीवनमें झख मारनेको पड़े थे? सार्वजनिक जीवनमें पड़नेवाला निवृत्त कैसे हो सकता है?”

बापू : “असमें उनका क्या कसूर? वे तो बेचारे काम करते रहते, परंतु उनकी बदकिस्मतीसे मैं आ गया और उनका खेल बिगड़ गया। मेरे कार्यमें विश्वास न होनेसे वे हट जाय और निवृत्त होनेका विचार करें तो असमें क्या आश्चर्य?”

वल्लभभाजी : “अच्छा तो लिखिये। आप तो ‘सत्यमपि प्रियं ब्रूयात्’ को माननेवाले ठहरे।”

बापू : “महादेव, यह वाक्य अनकी पढ़ाअीमें आ गया है क्या?”

मैं : “हां बापू, अब तो कलसे गीताप्रवेश होगा। ये गीता पढ़ लेंगे तब तो आपके सामने अैसे अनोखे अर्थ रखेंगे कि आपको लगेगा आफत आ गअी!”

सोते समय मैंने वल्लभभाजीसे पूछा : “तो कल गीताका आरंभ करेंगे न?”

अस पर मजेसे बोले : “आदौ वा यदि वा पश्चात् तवेदं कर्म मारिष।” अस दिन मैं सुपरिन्टेन्डेन्टकी कुछ आलोचना कर रहा था तो मुझे कहने लगे : “नेतत्त्वय्युपपद्यते।” और थैंक्सके लिये ‘कृतार्थोऽहम्’ बार बार कहते हैं।

ता० १४-८-३२ : आज प्रातः बापू पूछते थे : “वल्लभभाजीके अुच्चारण सुधर रहे हैं क्या?”

मैंने कहा : “जरूर। अब अन्हें पता लग जाता है कि यह अुच्चारण गलत है। सही बात तो यह है कि अन्हें अस पढ़ाअीमें

खूब रस आने लगा है। अब तक यह चीज मालूम नहीं थी। अब यह नयी ही चीज हाथ लगी है। 'स्वर्गद्वारमपावृतम्' जैसी भावना हो गयी है, अिसलिये विद्युत् वेगसे प्रगति करते जा रहे हैं।"

बापू बोले : "यही पढ़ाओकी कुंजी है। संस्कृतके तो हमारे पुराने संस्कार हैं। सारा वातावरण अिससे भरा हुआ है। अिसलिये अिसकी पढ़ाओके विषयमें अैसा प्रतीत होता है। परंतु किसी भी भाषाका सूक्ष्म अध्ययन करने बैठें तो यही भावना हो जाती है।"

ता० १९-८-'३२ : आज साम्प्रदायिक निर्णयके बारेमें सप्रूका मत आया। अुनकी दृष्टिमें तो वैधानिक प्रश्नके सामने अिस प्रश्नका कोओी महत्त्व नहीं है। अिस निर्णयके देनेमें अुन्हें साफ नीयत और प्रामाणिक प्रयत्न दिखाओी देता है। बापूने जरामी आलोचना की : "सप्रूका काम मुंजेसे अुल्टा है। सांप्रदायिक मांग मंजूर हो जाय तो मुंजेको विधानकी परवाह नहीं। सप्रूको विधान मिल जाय तो सांप्रदायिक प्रश्नकी कोओी परवाह नहीं।" सिर्फ वल्लभभाओीके दुःखकी कोओी हद नहीं। वे कहते हैं कि "मेरा अुदार दलवालोके बारेमें सदा यही खयाल रहा है। यह कहा ही नहीं जा सकता कि ये लोग कब क्या करेंगे। समझदारीका ठेका मानो अिन्हीं लोगोका है। आज जब देशमें किसीको भी अंग्रेजोंकी नीयत साफ नहीं दीखती, तब अिन्हे साफ मालूम होती है। अिसका कारण है। अभी अिन्हे अपनी खोओी हुआी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। वर्ना अिनके लिये खड़े होनेको कोओी स्थान ही नहीं रह जायगा।"

मैंने कहा : "ये लोग बापूके कदमकी निन्दा करनेमें सरकारके साथ मिल जायेंगे।"

वल्लभभाओी : "परन्तु क्या किया जाय ? बापूका तरीका बेढंगा है। बापूने अिस कदमके* बारेमें शास्त्री जैसेसे भी बात की होती तो अच्छा होता। यह कौन सोच सकता था कि बापू अैसा कदम अुठायेंगे ? मैं नहीं मानता कि देशमें कोओी भी अिस कदमकी कल्पना कर सकता था।"

ता० २०-८-'३२ : आज मेरे और सरदार वल्लभभाओीके मनमें बहुत बार अैसा विचार आया कि किसी भी तरह यह समाचार बाहर पढ़ंच जाना चाहिये। परन्तु बापूके वचनका भंग कैसे हो ?

* साम्प्रदायिक निर्णयके विरुद्ध अुपवासका कदम।

वापू तो यह वचन दे बैठे हैं कि हमारी तरफसे यह बात कहीं भी बाहर नहीं जायगी। असलिये वापूके प्रति देवफा कैसे हुआ जा सकता है? वल्लभभाजी बड़े परेशान थे।

ता० २१-८-३२ : आज सुबह फिर साम्प्रदायिक निर्णय पर बातें चली। जयकर, सप्रू और चिन्तामणिके मतोंकी चर्चा हुयी। वापू बोले : “जयकर यहां सप्रूसे अलग हो जायंगे, यह आशा रख सकते हैं।”

वल्लभभाजी : “बहुत आशा रखने जैसी बात नहीं।”

वापू : “विलायतमें भी अस वारेमें अनुके विचार अलग रहते थे, असलिये आशा रख सकते हैं। और तो क्या?”

वल्लभभाजी : “चिन्तामणिके अस बार अच्छी शान रखी।”

वापू : “कारण, चिन्तामणि भारतीय हैं, जब कि सप्रूका मानस युरोपियन है। चिन्तामणि समझते हैं कि अस निर्णयमें ही बहुतसा विधान आ जाता है। सप्रू यह मानते हैं कि विधान मिल गया कि फिर ऐसी बातोंकी चिन्ता ही नहीं। . . .”

मैंने कहा : “मालवीयजी क्यों चुप हैं?”

वापू : “मालवीयजीके पास कुछ कहनेको नहीं होगा। वे तो शायद सोच रहे होंगे कि असमें अब क्या हो सकता है? और मेरे विचारोंका तो उन्हें पता नहीं। असलिये परेशान हो रहे होंगे।”

वल्लभभाजी : “आपके साथ यही तो दुःख है कि आप अन्त तक कुछ मालूम नहीं होने देते और अपने साथवाले आदमियोंकी स्थिति सर्वथा विषम बना डालते हैं। आपके साथियोंकी आपके खिलाफ यही शिकायत है। सभीका यह खयाल है कि आप हम सबको सर्वथा अकल्पित स्थितिमें डाल देते हैं।”

वापू : “परन्तु असमें क्या हो सकता है?”

वल्लभभाजी “हमें भी तो कोअी कहेगा न कि आप साथ थे। आप किसी न किसी तरह अस बातकी खबर तो बाहर दे सकते थे। डाह्याभाजी तो हर सप्ताह आते हैं, अनुके साथ खबर भेज सकते थे।”

वापू : “यह हो ही कैसे सकता है? क्या हम अनुसे यों कहें कि जाओ, हम तो अब अस बातको किसी भी तरह प्रगट करते हैं? हम उन्हें वचन दे चुके हैं कि हमारी तरफसे यह चीज प्रगट नहीं होगी। बस। . . . नहीं वल्लभभाजी, अस बातके पहलेसे मालूम होनेमें कोअी लाभ नहीं। अचानक विस्फोट होना ही ठीक है। . . . आप

दोनों अिसमें शरीक हैं, अिसलिये आपकी जिम्मेदारी अवश्य है। परन्तु अन्तमें तो मेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे जो सूझा मंने किया। यह चीज ही अैसी है कि अिसमें किसीकी संमतिकी जरूरत नहीं हो सकती।”

ता० २३-८-३२ : अुपवासके विषयमें कोअी शंकाअें हों तो पूछनेके लिये बापूने कहा। वल्लभभाजी बोले : “सब कुछ हो जानेके बाद समझमें आ जायगा। आज भले ही न आये। और आज आपके साथ बहस भी क्या की जाय ? जो होना था सो हो गया। मेरा कहा माना होता तो यह निर्णय न होता। आपने खुद पत्र लिखा अिसलिये अैसा निर्णय दिया ! वहांवाले सब अिस विचारके हैं कि किसी भी तरह आप चल बसें तो पिण्ड छूटे।”

*

*

*

रातको किसी समय बरसात आ जाती है, तब पलंग अुठाकर बरामदेमें लाना भारी पड़ता है। अिसलिये बापूने मेजरसे हलका पलंग मांगा। वे बोले, नारियलकी रस्सीकी चारपाअी है, अुससे काम चलेगा ?

बापूने कहा : “हां, चलेगा।”

मेजर बोले : “आप कहें तो नारियलकी रस्सी निकालकर अुस पर निवार चढ़ा देंगे।”

शामको खाट आयी। बापू बोले : “अिस पर निवार चढ़वानेकी कोअी आवश्यकता ही नहीं। मेरा बिस्तर आज अिस पर करना।”

वल्लभभाजी कहने लगे : “क्या कहा ? अिस पर भी कहीं सोया जा सकता है ? गद्देमें क्या नारियलके बाल कम हैं जो नारियलकी रस्सी पर सोना है ?”

बापू : “मगर देखिये तो, यह खाट कितनी स्वच्छ रह सकती है ?”

वल्लभभाजी : “आप भी खूब हैं ! अिस पर तो चारों कोनों पर चार नारियल बांधनेकी कसर है। अैसी अपशकुनी खाटसे काम नहीं चलेगा। अिस पर कल निवार लगवा देंगे।”

बापू : नहीं, वल्लभभाजी, निवारमें धूल भर जाती है। निवार धुलती नहीं। अिस पर तो पानी डाला कि साफ।”

वल्लभभाजी : “निवार धोबीको दी कि दूसरे दिन धुलकर आ जायगी।”

बापू : “परन्तु यह रस्सी तो निकालनी भी नहीं पड़ेगी, यों ही धुल सकती है।”

मैं : “हां, बापू, अिस पर गरम पानी अुंडेला जा सकता है। और अिसमें खटमल भी नहीं रह सकते।”

वल्लभभाअी : “चलो, तुमने भी अब राय दे दी। अिस खाटमें खटमल पिस्सू अितने हो सकते हैं कि बात ही मत पूछो।”

बापू : “मैं तो अिसी पर सोअूंगा। भले ही आप अैमी न मंगाअिये। मुझे याद है कि हमारे यहां बचपनमें अिसी तरहकी खाटें काममें ली जाती थीं। मेरी मां तो अुस पर अदरक छीलती थी।”

मैं : “यह क्या? मैं नहीं समझा।”

बापू : “अदरकका अचार बनाना हो तब अुसे चाकूसे साफ न करके खाट पर घिसनेसे मत्र छिलके साफ हो जाते हैं।”

वल्लभभाअी : “अुसी तरह अिन मुट्ठीभर हड्डियों परसे चमड़ी अुधड़ जायगी। अिसीलिअे कहता हूं कि निवार लगवा लीजिये।”

बापू : “लेकिन निवार तो बूड़ी घोड़ी लाल लगाम जैसी हो जायगी। अिस खाट पर निवार शोभा नहीं देगी। अिम पर तो नारियलकी रस्सी ही शोभा दे सकती है। और कपड़ोंकी तरह अिस पर पानी अुंडेल देनेमे यह धुल कर बिलकुल साफ भी हो जाती है। यह कितनी अच्छी बात है! अिसके सिवा नारियलकी रस्सी कभी खराब नहीं होगी।”

वल्लभभाअी : “खैर, मेरा कहा न मानें तो आपकी मर्जी।”

खाट बापूने बरामदसे नीचे अुतरवाअी। अुतरवानेके बाद वल्लभभाअी कहने लगे : “परन्तु बरसात आ गअी तो?”

बापू : “तो अूपर ले लेंगे।”

वल्लभभाअी : “ततो दुःखतरं नु किम्।”

बापू : “यह तो मैं जानता ही था कि अिस श्लोकका अुपयोग करनेके लिअे ही आप यह सवाल पूछ रहे हैं।”

ता० २८-८-३२ : वल्लभभाअीके लिफाफोंकी और संस्कृत अध्ययनकी बापू हर पत्रमें प्रशंसा करते हैं। कल काकासाहबके पत्रमें लिखा था कि “वल्लभभाअीका अध्ययन अुच्चैःश्रवाकी गतिसे हो रहा है।” आज प्यारेलालको लिखा : “वल्लभभाअी अरबी घोड़ेकी चालसे दौड़ रहे हैं। संस्कृतकी पुस्तक हाथसे छूटती ही नहीं। मैंने अैसी आशा नहीं रखी थी। लिफाफोंमें तो अिनकी बराबरी कोअी

कर ही नहीं सकेगा। ये बिना नाप लिये लफाफे बनाते हैं, जो अंदाजसे काटने पर भी अकेसे अउतरते हैं। फिर भी असा नहीं लगता कि असमें बहुत वक्त जाता हो। अनकी व्यवस्था आश्चर्यजनक है। जो करना है उसके लिये याद रखनेकी जरूरत ही नहीं होती। आया कि कर डाला। जबसे कातना तय किया है तबसे कातनेके समयका बराबर पालन करते हैं। असलिये रोज सूत और गतिमें वृद्धि होती जा रही है। हाथमें लिया हुआ काम शायद ही कभी भूलते होंगे, और जहां अतनी व्यवस्था हो वहां धांधली तो चल ही कैसे सकती है?”

ता० ४-९-३२ : आज बापू और वल्लभभाभीको जेलमें आठ महीने पूरे हो गये। बापू बोले : “महादेवके सात माह पूरे हुअे।” अस पर वल्लभभाभी बोले : “हां, लेकिन ‘पर्याप्तमिदं अतेषाम्’। हमारी तो ‘अपर्याप्त’ अवधि है न?”

*

*

*

अक सज्जन रंगूनसे पत्र लिखते थे। अुनके बारेमें यह शिकायत आती रहती थी कि वे सब अुन्होंने दूसरेमे लिखवाये हैं। पत्र अितने स्वाभाविक लगते थे कि बापू अस शिकायतको सही नहीं मानते थे। अन्तमें लिखनेवालेने ही तारसे बताया कि पत्रोंके मसौदे सब अुसके थे। बापूने अुस सज्जनको अस तारकी नकल भेजी और बताया : “तुम्हारे जिन पत्रोंका हम पर बहुत असर पड़ा वे तो नकली थे। मूल तुम्हारे नहीं थे। असलिये अुनका मूल्य अुतना ही समझा जाय न? और फिर तुमने यह बात मुझसे छिपायी। अब तो तुम जिन पत्रोंमें की गयी प्रतिज्ञाअें सच्ची साबित कर दिखाओ।”

वल्लभभाभी कहने लगे : “तारकी नकल अुसे किसलिये भेज रहे हैं? अुससे पूछिये कि मेरे पास अैसी शिकायत आयी है। क्या यह सच है? अस बारेमें तुम्हें क्या कहना है? अससे वह अच्छी तरह पकड़में आ जायगा।”

बापूको यह सुझाव पसन्द नहीं आया। असे स्वीकार करनेमें हिंसा थी। “मनुष्यको झूठ बोलनेका मौका देना और झूठ बुलवाना हिंसा है। हमारे पास जो हकीकत है वह अुसके सामने रख दें और झूठ बोलनेका अवसर न दें, असमें पूरी दया है। असका अुसके हृदय पर असर हुअे बिना नहीं रह सकता।” अितना छोटासा किस्सा बापू और वल्लभभाभीकी मनोवृत्तिका भेद दिखानेके लिये काफी है।

ता० ६-९-३२ : आज शामको प्रार्थनाके समय काफी बातें हुईं। बापूने वल्लभभाभीसे कहा : “सुबह तो आप मजाक कर रहे थे, परन्तु मैं सचमुच ही कहता हूँ कि आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें।”

वल्लभभाभी : “आपके खयालमें ये लोग क्या करेंगे ?”

बापू : “मेरा अब भी यही खयाल है कि मुझे अुन्नीस तारीखको या अुसमे पहले छोड़ देंगे। ये लोग मुझे अपवावाम करने दें और कोअी खबर न देकर कह दें कि अिसने कँदीके रूपमें जो न करना चाहिये था सो किया, हम क्या करें?—यह तो अधमतकी पराकाष्ठा कही जायगी। मैं यह नहीं कहता कि ये लोग यहां तक नहीं जा सकते। परन्तु यहां तक जानेकी जरूरत नहीं समझेंगे। और जरूरतसे आगे जानेवाले ये लोग हैं नहीं।”

वल्लभभाभी : “फिर आप क्या करेंगे ?”

बापू : “बीस तारीखको तो अपवास शुरू किया ही नहीं जा सकता। बीस तारीखका आग्रह नहीं रखा जा सकता।”

वल्लभभाभी : “तब तो यही कहा जायगा न कि नया विधान बनने तक समय मिला गया ? या आप लोगों और सरकारको लंबा नोटिस दे सकेंगे ?”

बापू : “हां, परन्तु यह तो अिस पर निर्भर है कि बाहर निकलनेके बाद वे लोग मुझे कितना करने देते हैं। क्या स्थिति होगी, यह मेरी कल्पनामें नहीं आ सकता। मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि मैं कैसा पत्र तैयार करूँ। परन्तु मुझे हिन्दू समाज, अंत्यज, सरकार, मुसलमान सभीको ध्यानमें रखकर लिखना पड़ेगा। हिन्दू समाजको तो अंत्यजोंके साथ मिलकर जगह जगह सभाओं करके अिस चीजसे अिनकार ही करना होगा। सरकारने यह अीसाअी सरकारकी हैसियतसे किया है। अिसलिये सरकार और अीसाअियों, दोनोंसे यह बात कहनी होगी कि अीसाअीके नाते आप अैसा नहीं कर सकते। हमारा स्वराज्य हो जाने दीजिये, बादमें अंत्यजों पर जो असर डालना चाहें डाल लीजिये। परन्तु आज हमारे टुकड़े न कीजिये। मुसलमानोंसे मैंने विलायतमें भी कह दिया था। यहां भी यही कहूंगा। हिन्दू समाजको समझाअूंगा कि अब तो अंत्यजोंके सामने मुसलमान या अीसाअी बननेके सिवा दूसरा कोअी रास्ता नहीं रह गया है।”

वल्लभभाभी : “परंतु यहां तो मुननेवाले मुसलमान रह ही कौन गये हैं ?”

बापू : “भले कोअी न हो। परंतु हम आशा रखें कि ये लोग भी जाग्रत हो जायेंगे। सत्याग्रहकी जड़ मनुष्य-स्वभावके प्रति विश्वासमें है, अिस श्रद्धामें है कि दुष्टसे दुष्ट मनुष्यको भी पिघलाया जा सकता है। अिसलिये कोअी न कोअी मुसलमान तो जरूर असा निकलेगा जो यह कहेगा कि अितना सब तो सहन नहीं किया जा सकता।”

ता० ७-९-’३२ : बापू : “नये विधानसे हमें दूर ही रहना है, सो बात नहीं। यदि यह महसूस हो कि अिसमें भाग लेनेसे कुछ हो सकता है अर्थात् यह खयाल हो कि हम अपने ध्येयकी ओर आगे बढ़ सकते हैं तो जरूर शासनतंत्रमें प्रवेश किया जाय। यह अिस बात पर निर्भर करता है कि विधान किस किस्मका होगा। लेकिन यदि कांग्रेसका बिलकुल छोटा अल्पमत हो जाय तब तो लोगोंको पसन्द आये या न आये, असहयोगके सिवा और कोअी रास्ता ही नहीं है।”

वल्लभभाभी : “मेरा भी यही मत है। सरकारी नौकर देहातियोंको जो कष्ट दे रहे हैं, वह शासनतंत्रमें घुसे बिना कम नहीं हो सकता। परंतु असा तभी किया जाय जब भीतर जाकर कुछ कारगर काम कर सकनेकी आशा हो। यदि सरकारी नौकरियां सब गारंटीवाली हों, तनखाहें कम की ही नहीं जा सकें, नये कर न लगाये जा सकें, तो अिस दिवालिये शासनको हाथमें लेकर क्या करेंगे ?”

ता० २-१०-’३२ : बापूके अपवासके दिनमें वल्लभभाभीके विनोदकी धारा सूख गयी थी, जो अब फिर पूरी गतिमें बहने लगी है। बापूकी आलमारीमें से कअी अंगोछे स्पंज बाथ देनेके लिये निकाले गये थे। अुनकी बात छिड़ने पर बापू कहने लगे : “मैं सबका हिसाब मांगूंगा।”

वल्लभभाभी : “हिसाब क्यों दिया जाय ? हम तो आपको खो बैठे थे। हमें क्या पता था कि आप हिसाब मांगने वापस आ जायेंगे ? बासे कहा : ‘देखो तो बा, अिनका जुल्म। मालवीयजीको खादी पहनाअी, अस्पृश्योंसे छुआया, जेलमें लाये, विलायत ले गये और अब अछूतोंके साथ रोटी-त्रेटी-व्यवहार भी करायेंगे !”

जेलके घंटेकी आवाज कभी बार सुनायी दी। उसकी तरफ मैंने बापूका ध्यान दिलाया। वल्लभभाजी बोले : “अपवासकी आवाज भी अितनी सुनायी दे तो कैसा अच्छा ?”

ता० १४-१०-३२ : वाअिसरायका विमान हमारे सिर परसे अुड़ता हुआ हमारे पड़ोसमें अुतरा। बापूने कहा : “कितना मद है ? अेक घुड़दौड़में अानेके लिअे हजारों रुपयों पर पानी फेर दिया जाता है।

वल्लभभाजी : “यहां आकर अुसे बताना है कि यहां मेरा राज है और गांधी यहां कैदी है।”

*

*

*

आज सुबह वल्लभभाजी कहते थे कि “अेक जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी अिस तरह बोले, यह बड़ी विचित्र बात मालूम होती है।”

बात यों हुआ थी कि अेक दिन हम खाने बैठे थे कि वे साहब आकर बातों ही बातोंमें कहने लगे : “गांधी अिस दुनियाका दूसरा बड़ा पाखंडी है।” हमने पूछा, “पहला कौन ?” अुसने जवाब दिया : “पहला अीसा था।” यह कहकर अुसने यह भी कहा : “ये लोग नैतिक जगत्की जो बातें करते हैं अुनमें मेरा विश्वास नहीं। मैं तो सुरा और सुन्दरीकी आधुनिक दुनियाको मानता हूं।”

वल्लभभाजी कहने लगे : “अिसी प्रकारका हमारा बैल* भी है।”

ता० २१-१०-३२ : अपवासके दिनोंमें दिये गये सभी साधन अपवाम पूरा होने पर हटा लिये गये। अन्तमें अेक बड़ी मेज जो हमें दी गयी थी अुसे भी कल अिस नये वार्डमें आने पर ले गये। मेजके लिअे वल्लभभाजीने मांग की तो जेलरने कहा : “हमें दफ्तरमें जरूरत है।” कुरसी ले गये, यह मुझे और वल्लभभाजीको अच्छा न लगा।

बापू बोले : “वह कुरसी अिन लोगोंको बेचनी होगी, अिसलिअे मंगा ली होगी।”

मैंने कहा : “परंतु अिनमें अितनी भी सभ्यता नहीं कि आपसे पूछें कि अब अिसकी जरूरत न हो तो ले जायं ?”

बापू : “नहीं। वह कुरसी अिससे पहले लौटा देनेकी सभ्यता हममें होनी चाहिये थी। बाको अुनके कहनेसे पहले हमने भेज दिया, यह शोभाकी बात हुआ। यहां अिस वार्डमें वापस आनेके लिअे अुनके

* लार्ड विलिंगडन।

कहनेसे पहले हमने मांग की, यह भी शोभाकी बात थी। अन्होंने कहा होता तो दुःख होता।”

वल्लभभाभी : “आपको तो सबके गुण ही गुण दीखते हैं। जहां गुण न हों वहां भी गुण ही दिखायी देते हैं। ये लोग बिलकुल जड़ जैसे हैं। बहुतसी चीजें हिसाबमें चढ़ाहीं वैसे यह भी चढ़ा देते तो कौन पूछने-वाला था? और बेचनेकी जल्दी होती तो आपके खातेमें डालकर बेची हुयी बता देते। परंतु असम्यता ही दिखानी हो तब क्या?”

बापू : “नहीं, असम्यता दिखानेका अदृश्य तो हरगिज नहीं। सुपरिन्टेन्डेन्टको पता भी न होगा कि कुरसी ले गये हैं।”

वल्लभभाभी : “अुसे सब पता होगा। अुसे पूछे बिना कौन ले जा सकता है?”

बापू : “नहीं, वल्लभभाभी अिसमें दुःख माननेका कोयी कारण नहीं। आपने छठा अध्याय पढ़ा या नहीं—‘मन अेव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः’ और आत्मा आत्माका बंधु है?”

वल्लभभाभी : “है ही। परंतु आत्मा आत्माका शत्रु भी तो है न?”

बापू : (खिलखिलाकर हंसते हुअे) “अरे, आपको तो मालूम है। खैर, अितना स्वीकार करते हैं यह काफी है। परंतु यह श्लोक कहाँसे जाना? छठा अध्याय तो अभी आपने पढ़ा नहीं।”

मैं : “कल ही शुरू किया है। और यह श्लोक आग्विरी ही पढ़ा है।”

ता० २२-१०-३२ : आज सुबह बापू कहने लगे : “आप लोग अकेले फल साफ करनेमें पैंतालीस मिनट दें, यह नहीं हो सकता। यहां लाअिये, हम तीनों साफ करेंगे तो पंद्रह मिनटमें काम हो जायगा।”

मैंने कहा : “मुझे कम समय लगेगा, परंतु आप अितने समयमें और काम कर सकेंगे।”

बापू : “नहीं, कामका अैसा भूत क्यों बनाया जाय? अिस तरह तो खाना-पीना बंद कर दूं, पाखाने जाना बन्द कर दूं, घूमना बन्द कर दूं तो काम करनेके कयी घंटे मिल जायं। . . . को मैं अुलहना देता हूं, परंतु मैं क्या अुनसे अच्छा हूं?”

मैं : “तब यह क्यों कहते हैं कि मेरा समय बिगड़ता है। मैं भी सारा दिन लिखने-पढ़नेमें लगाअूं, अिससे तो अितना-सा काम कर दूं यह क्या अच्छा नहीं?”

वल्लभभाभी बीचमें पड़कर : “तुम जवाबमें अनिसे नहीं जीत सकते। ये तो हाजिरजवाब हैं। किसी बातमें ये हमारी मानते हैं?”

बापू : “अनुभव यह है कि आप मुझसे ज्यादा हाजिरजवाब हैं।”

वल्लभभाभी : “तो क्या हुआ ? परंतु यहां जिस जगह बैठें वहीं खायें, वहीं फल तैयार करें, तो पानी बिखरेगा, मक्खियां होंगी।”

बापू : “मीरावहनकी अेक ही कोठरीमें रसोआ, सोना, पढ़ना, अठना, बैठना सभी कुछ होता है न ?”

वल्लभभाभी : “यों तो अेक कोठरीमें जिनका सारा घर होता है, उनका भी यहीं हाल होता है। पर यहां जब जगह है तो अुसका अुपयोग क्यों न किया जाय ?”

बापू : “गरीब आदमियोंकी थोड़ी नकल करें तो। अफ्रीकामें सादा जीवन बितानेके प्रयोगके बाद भोजनालय, बैठना, मुंह धोनेकी कुंडी, बरतन मलना, सोना आदि सब कुछ अेक ही कमरेमें होता था। फिर भी अुसकी स्वच्छताके बारेमें कोआ कुछ शिकायत नहीं कर सकता था।”

ता० ३०-१०-३२ : शामको खाते-वाने बापू महावीर-संबंधी पुस्तक पढ़ रहे थे। अुसमें अेक वाक्य बापूने जो कुछ किया है और करना चाहते हैं अुसके अकल्पित समर्थनके रूपमें मिल गया। वह मुझे अिशारा करके बताया। मैंने कहा : “ठीक समय पर आया है न ?” बापूने आनन्दपूर्ण आश्चर्यसे सिर हिला दिया।

वल्लभभाभी : “अपने लिअे समर्थन दूँदने ही रहेंगे।”

हम दोनोंकी तरफ अंगली अुठाकर सूचित किया, यह आपके लिअे भी है। अिस पर वल्लभभाभी बोले : “जैनोंको तो अिस प्रकार शरीर छोड़नेमें कोआ आपत्ति नहीं है। सनातनियोंको समझायें तो जानें।”

ता० १-११-३२ : रातको वल्लभभाभी खूब नाराज हुअे। बापूसे कहने लगे : “आपको अुपवास*का नोटिस देना चाहिये। चार दिनके

* अस्पृश्यताके कामके लिअे जिनसे चाहें अुन्हें मिलने देनेकी और लिखे हुअे पत्रोंमें से जिसे चाहें अुसे छापनेकी छूटके लिअे बापूने ता० २५ अक्तूबरको यह नोटिस दिया था कि जब तक शरीर है तब तक पहली नवम्बरसे ‘सी’ ब्लासका भोजन लेना शुरू करूंगा। अुसी दिन समझीता हो गया था। देखिये ‘महादेवभाभीकी डायरी — भाग २’, पृष्ठ १६३-६४।

नोटिससे काम नहीं चल सकता। इस तरह आप लोगों और सरकार दोनोंके साथ अन्याय करेंगे। दूसरोंके सामने भी हम आपकी कोअी सफाअी नहीं दे सकते। लोग कहेंगे कि अक अपवास पूरा करके दूसरा शुरू कर दिया। पत्र लिखा वह भी असा जिसे खुद ही लिखें और खुद ही समझें। आपकी असहयोगकी फिलासफी सरकार क्या समझे? न समझे तो असका आपसे पूछनेका कोअी धर्म नहीं है। आप तो इस तरह व्यवहार करते हैं, मानो वे लोग आपके अधीन हों।” अत्यादि। इस सारी गरमागरम वहसका सार यह था कि दस दिनका नोटिस तो देना ही चाहिये।

बापू शान्त चित्तसे जवाब देते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। अन्तमें अन्होंने कहा : “मैंने जब पहला पत्र लिखा, तब आपने ये सब अंतराज क्यों नहीं अुठाये? अस वक्त आप जो कहते सो मैं करता। पत्रको बढ़ाता, लम्बाता, सब कुछ करता। परंतु अब क्या हो सकता है? मैं मानता हूं कि अिन लोगोंको सात दिन तो मिल चुके। और अब चार दिन देना काफी है। दस दिन देना तो हमारी कमजोरी जाहिर करेगा। इस कमजोरीमें ये लोग भी फंसेंगे। कुछ करना हो तो अुमे भी मुलतवी करके बैठे रहेंगे।”

ता० ४-११-३२ : बापूने फिर अक दूसरे अपवासकी बात छोड़ी और अपने आप ही कहने लगे : “परंतु इसके विरुद्ध अक आपत्ति है। सरकार यह मानती है कि गांधीको किसी न किसी तरह बाहर निकालना ही है।”

मैं : “यह आपत्ति घातक जरूर है।”

बापू : “क्यों, वल्लभभाभी आप क्या कहते हैं?”

वल्लभभाभी : (चिढ़कर) “अब आप जरा लोगोंको आरामसे बैठने दीजिये। बेचारे जो वहां अकटूठे हुअे हैं वे जो सूझेगा करेंगे। आप यह पिस्तील दिखाकर किसलिअे लोगोंको घबराहटमें डालते हैं? दूसरे लोगोंको भी खयाल होगा कि यह आदमी निठल्ला है, समय-असमय अपवास ही करता रहता है। छूटनेके लिअे यह अक बहाना है, असा भी मान सकते हैं।”

बापू : (हंसकर) “परंतु महादेव कहते हैं वैसा अपवास?”

वल्लभभाभी : “किसी भी तरहका नहीं!”

बापू : “तो अध्यक्ष महोदयकी बिलकुल नामंजूरी ही है?”

वल्लभभाभी : “हां।”

बापू : “अच्छा, तो यह बात यहीं खतम हुआ। आप जिसके लिये अिनकार कर दें वह क्या हो सकता है ?”

वल्लभभाभी : “यह तो हमारी परीक्षा लेनेके लिये आपने पूछा था। वरना आप जैसे हैं कि हम ना कहें तो आप हां कहेंगे और हम हां कहें तो आप ना कहेंगे !”

बापू : “वाह, तब तो मुझे अपवास करना ही चाहिये, ठीक है न ?”

वल्लभभाभी : (हंसकर) “अपवास करना हो तो अिन सब गोलमेजमें जानेवालोंके खिलाफ कीजिये न।”

बापू : “वह तो आपको करना चाहिये। जाअिये, आपको अिजाजत देता हूं।”

वल्लभभाभी : “जी हां, मैं क्यों करूं? मैं करूं तो मुझे ये लोग मर जाने देंगे। आपके ये सब मित्र हैं, अिसलिये शायद मान जायं! परंतु गये हुअे क्या वापस आ जायेंगे? जाने दीजिये यह बात। परंतु अेक चीज है। अिस देशमें सब ठंडे होकर, थककर बैठ गये दीखते हैं। चलिये, हम तीनों अुनके खिलाफ अपवास करें।”

बापू : “यह बात आपकी सोलह आने सही है। परंतु अिसका अवसर अभी नहीं आया है। वह अवसर आ जरूर सकता है। परंतु मुझे साफ नजर आता है कि आज नहीं आया है।”

वल्लभभाभी : “आपकी अनुमति हो तो अिसके लिये मैं अकेला भी अपवास कर सकता हूं।”

ता० १३-११-३२ : संकीने बापूसे अपील की थी, अुसका खूब अुलहना भरा जवाब लिखा। वल्लभभाभी बोले : “यह मुझे पसन्द आया।”

बापू : “मसालेदार हो तब आपको अच्छा लगे, क्यों ?”

ता० २४-११-३२ : आज रातको देर तक बैठकर बहुतसे पत्र लिखवाये। वल्लभभाभी भी अब मंत्रीके पद पर पहुंच गये हैं और डेरों पत्र निबटानेमें सहायता देने लगे हैं। यह अुनका मनपसन्द काम भी है। अुनके विनोदका फव्वारा तो चलता ही रहता है।

अेक आदमीने पत्रमें लिखा था कि स्त्री कुरूप है, अिसलिये अच्छी नहीं लगती। अिस पर तुरंत बापूसे कहा : “लिख दीजिये कि आखें फोड़ लो और अुसके साथ रहो। फिर कुरूपको देखना नहीं पड़ेगा !”

अेक शख्सने फिरसे विवाह करनेका आग्रह करनेवालेकी दलील देकर लिखा था कि अन्होंने मुझ पर अुपकार किया है और अुनकी तीन लड़कियां कुंवारी हैं। जातिमें वरोंकी कमी है, असलिये मुझसे विवाह कर लेनेका आग्रह कर रहे हैं।

वल्लभभाभी बोले : “तब तीनों लड़कियोंसे शादी कर ले तो क्या बुराभी है ?”

* * *

आज अेक व्यक्तिकी खुली चिट्ठी आभी। अुसमें अुस बेचारेने अन्तमें लिखा है कि आपके जमानेमें जीनेका दुर्भाग्य प्राप्त करनेवाला।

बापू बोले : “कहिये अिसे क्या अुत्तर दिया जाय ?”

वल्लभभाभी : “लिख दीजिये कि जहर खा लो।”

बापू : “नहीं, अैसा नहीं। यह क्यों न लिखा जाय कि मुझे जहर दे दो ?”

वल्लभभाभी : “परंतु अिसमें अुसका काम नहीं बनेगा। आपको जहर देगा तो आप चले जायंगे; और अुसे फांसीकी सजा मिलेगी तो अुसे भी जाना पड़ेगा। असलिये दुबारा आपके ही साथ जन्म लेना भाग्यमें वदा रहेगा। अिससे तो यही अच्छा कि खुद ही जहर खा ले !”

ता० १४-१२-३२ : मैंने बापूसे अेक मजेदार बात कही। देवदासने अेक बार पूछा था कि “मतगणनामें बापू, वल्लभभाभी और आप, मैं तथा बा हों तो क्या हम मंदिर-प्रवेशके पक्षमें मत दे सकते हैं ?”

बापू : “वल्लभभाभीके सिवा हम सब मतदाता हो सकते हैं।”

वल्लभभाभी : “आप कोअी नहीं हो सकते, परंतु मैं हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो मंदिरोंमें बहत गया हूं। आप मंदिरोंमें जानेका दावा अिस बात परसे करते होंगे कि यरवडा जैसे मंदिरोंमें हमेशा आनेका आपने अपना धर्म बना लिया है और दूसरोंको भी भेजते हैं।”

ता० १८-१२-३२ : देवधर, नटराजन् और बापूके संवादका सार अुनकर वल्लभभाभी बोल अुठे : “बाहर जानेका नुसखा क्यों नहीं सुनाया ? मैं होता तो सुना देता।”

मैंने कहा : “क्या ?”

वल्लभभाभी : “शास्त्रीसे कहा जाय कि आप बापूकी जगह लीजिये। देवधरसे कहा जाय कि आप मेरी जगह आ जाअिये और नटराजन् जमनालालजीका स्थान ले लें। फिर हम तीनों अस्पृश्यता-

निवारणका काम करेंगे। अिन लोगोंको थोड़ा भी विचार नहीं होता? यों कहते चले आते हैं कि आपको जेलसे बाहर आना चाहिये। परंतु कोअी सरकारके पास भी जाकर अुससे कहता है? मिसेस कजिन्सका सारा मामला 'सोशियल रिफॉर्मर' में छपा है। परंतु अुम मामलेसे भी कुछ शिक्षा ग्रहण की जाती है? अुम महिलाको आर्डिनेंग-राज्य असह्य हो गया। परंतु हमें असह्य लगता है?"

ता० २५-१२-'३२ : आज यह खबर आअी कि गरकारने वारडोली आश्रमके मकान बेचना तय किया है। वल्लभभाअी बोले : "अच्छा है बिक जायं तो। हमारे हाथमें सत्ता आयेगी तब ये सब वापस देने ही पड़ेंगे। जब तक सत्ता नहीं आ जाती तब तक अुनके अिन सारे मकानों (जेलों) पर तो हमारा कब्जा है ही?"

ता० ३०-१२-'३२ : मद्रासमें अीसाअी बने हुए अछूतोंके साथ अीसाअी अपने गिरजोंमें भी छुआछूत रखते हैं। अुन्हें दूर रखनेके लिये कटघरे बना दिये गये हैं। आज पढ़नेमें आया कि असके विरुद्ध कुछ अीसाअियोंने मद्रासके बिशपको अनशन करनेका नोटिस दे दिया है। बापूको मजा आया।

वल्लभभाअी : "वे कटघरोंको अुखाड़ क्यों नहीं फेंकते?"

बापू : "आपके खयालसे तो यह अहिंसा ही होगी, क्यों?"

वल्लभभाअी : "कटघरे अुखाड़कर क्या किसीको मारने हैं? अुखाड़कर फेंक देनेकी बात है।"

*

*

*

दो शास्त्री पूनामें वेदसंहिताका पारायण करते हुए ग्यारह दिनका अनुष्ठान कर रहे हैं, यह बात 'ज्ञानप्रकाश' में पढ़ कर बापूने अुन लोगोंको लिखा : "यह आप मेरे विरुद्ध कर रहे हों तो आपने मुझे तो अस बारेमें लिखा ही नहीं। परंतु मेरे विरुद्ध न हो और केवल प्राणीमात्रके प्रति करुणासे प्रेरित होकर हिन्दू धर्मकी रक्षा करनेके लिये आपने अैसा किया हो तो आपकी अिस तपश्चर्यासे हिन्दू धर्मका कल्याण हो।"

अिस पर वल्लभभाअी बोले : "जब सैकड़ों लोग अीसाअी और मुसलमान बने, तब ये अनुष्ठान करनेवाले कहां चले गये थे?"

ता० ३-१-'३३ : वल्लभभाअी अपने स्वभावके अनुसार जिस चीजको पकड़ लेते हैं, अुसे फिर नहीं छोड़ते। आज शामको बातोंमें

अन्होंने यह कहा कि “निवृत्त न्यायाधीश (Ex-Judge) राजनीतिमें भाग नहीं ले सकता।”

बापूने कहा: “ले सकता है, सरकारी नौकरकी स्थिति अलग है।”

वल्लभभाजी: “पहले किसी निवृत्त न्यायाधीशने राजनीतिमें भाग लिया हो, अंसी मिसाल दीजिये।”

निवृत्त शब्द रिटायर्ड पेंशनरके अर्थमें काममें लिया जा रहा था। मैंने कहा, “निवृत्त न्यायाधीशसे ज्यादा अच्छा अुदाहरण दत्तका है।”

वल्लभभाजी: “दत्तकी बात मैं नहीं जानता।” हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े तो कहने लगे: “यह अनु दिनोंकी बात होगी। क्या आज कोअी जज पेंशनर बननेके बाद सचमुच कांग्रेसका अध्यक्ष हो सकता है?”

बात गरम होती जा रही थी। अुसीमें फिर मेजरकी बात छिड़ गयी। वे मिलने आनेवालोंसे अखबार ले लेते हैं, सुविधाअें देनेमें डरते हैं, यह बात भी निकली। बापूने कहा: “यह तो मानना ही पड़ेगा कि अुनकी मुश्किलें बढ़ी हैं?”

अिस पर वल्लभभाजी फिर अुबल पड़े: “क्या मुश्किलें बढ़ी हैं? भारत सरकारके हुक्मकी तामील करनी चाहिये सो तो करते नहीं और मुश्किलें बढ़नेकी बात करते हैं। सरकारने अंसी सुविधाअें किसलिअे दीं? अुसे यह विचार नहीं आया होगा?”

बात बहुत बढ़ती देखकर बापू बोले, “वल्लभभाजी, देखिये अब सरदी तो चली ही गयी। आज तो पिछले साल हमारे यहां आनेके समय जैसा लगता था वैसा ही लग रहा है। दोपहरको गरमी मालूम हो रही थी!”

ता० ७-१-३३ : बापूके साथ बातें करते हुअे ठक्करबापाने कहा था: “आपको कहां लंबे समय तक यहां रहना है?”

अिसके अुत्तरमें बापूने कहा था: “पांच बरस तो अवश्य ही।” अिस पर नरहरिने पूछा था: “क्या बापू मानते होंगे कि पांच बरस रहना पड़ेगा?”

यह सुनकर वल्लभभाजी कहने लगे: “वह व्यर्थ घबराता है। अिसमें घबरानेकी क्या बात है? अिस तरह ६९-७० वर्ष तक बापू जियेंगे, यह तो तय हो गया न? और क्या चाहिये?”

वल्लभभाजीकी काम करनेकी फुर्तीका वर्णन करते हुए बापू बोले : “अतनी तेजीसे काम करते हैं कि हमें आश्चर्य होता है। अनार छीलते और रस निकालते हों तो हमें असा लगता है कि धीरे धीरे काम कर रहे हैं। परंतु सब काम जल्दी निबटा लेते हैं। लिफाफे बनाते हैं तो वह भी बिना किसी धांधलीके। थकते ही नहीं। ढेरों लिफाफे बनाते ही जाते हैं। और असके लिये अन्हें नाप लेनेकी जरूरत नहीं होती। हाथ अतना सध गया है कि अन्दाजसे सारा काम करते हैं तो भी सैकड़ों लिफाफे अकसे ही बनाते चले जाते हैं।”

ता० १०-१-'३३ : आज मुवह रणछोड़दास पटवारीको लंबा पत्र लिखवाया। अुनके ८८ प्रश्नोंके ८८ अुत्तर लिखवाये। कोअी और होता तो शायद ही अितने धीरजमें अुनका पत्र पढ़ता या जवाब देता। परंतु बापू तो अैसे हैं कि किसीके अुपकारको जन्मभर नहीं भूलते। वे आड़े समय काम आये थे। *

वल्लभभाजी “यह आड़े समयकी बात कब तक करते रहेंगे? आज तो वे सीधे समयमें भी काम आनेवाले नहीं हैं।”

बापू : “मरते दम तक करता रहूंगा?”

ता० १२-१-'३३ : कल रातको वल्लभभाजीने बापूके खिलाफ अपना गुबार निकाला : “आप अपने साथियोंसे पूछे बिना कअी बार अैसी सूचनाअें दे डालते हैं कि वे परेशानीमें पड़ जाते हैं और अुनकी स्थिति विषम हो जाती है। मंदिर-प्रवेश-संबंधी समझौतेका मुझाव आपने राजगोपालाचार्यसे पूछे बिना प्रकाशित कर दिया। अुसमें मे कअी नअी बातें पैदा हुआी हैं। हरिजन अुनके विरुद्ध हो गये, जस्टिस दल-वाले भी विरुद्ध हो गये और सनातनियोंको तो अुनके बारेमें कुछ पड़ी ही नहीं। आप अस तरह क्यों काम बिगाड़ते है, और काम करनेवालोंकी स्थिति क्यों कठिन बनाते हैं? यह आदत आपको सुधारनी चाहिये।”

* बापूजी पढ़नेके लिये विलायत जानेवाले थे। अुनके जानेके अेक रोज पहले बंबअीमें रहनेवाले मोढ़ बनियोंने निश्चय किया कि ये जायं तो अिन्हें जात-बाहर कर दिया जाय और कोअी कुछ मदद न दे। असलिये जिसके यहां रुपये रखे थे अुसने देनेसे अिनकार कर दिया। अुस समय रणछोड़दास पटवारीने बापूजीको पांच हजार रुपये अुधार दिये और वे दूसरे दिन विलायतके लिये रवाना हो सके।

बापू: “क्या मैं जान-बूझकर ऐसा करता हूँ? यदि मुझे ऐसा न लगे कि यह बात राजाजीसे पूछनी चाहिये तो मैं क्या करूँ? आप मुझे पूछें कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता तो इसका मैं क्या उत्तर दूँ? मेरा जो स्वभाव बन गया है, उसे कैसे बदलूँ? मेरे साथी मेरे साथ न रह सकें तो क्या किया जाय? मुझे छोड़ देंगे? दूसरोंका सहयोग इसमें न मिले तो कोअी बात नहीं, परन्तु जो बात प्रकाशित करनी चाहिये उसे मैं कैसे रोक सकता हूँ?”

मैंने कहा: “मेरे खयालसे आपके स्वभावके लिअे यह चीज असंभव है। जब आप किसीसे बातें कर रहे हों और उसके साथ अनेक विषयोंकी चर्चा हो रही हो, तब आपको जो कुछ सूझता है उसीको समझातेके तौर पर आप सामने रख देते हैं। अैसे समय वल्लभभाभी या राजाजीसे पूछना भी असंभव हो सकता है।”

बापू: “ठीक है। यह मेरे स्वभावमें ही नहीं है। यह मेरा दोष हो सकता है। परन्तु यह दोष आज कैसे सुधर सकता है?”

मैंने कहा: “अविनके साथ बातचीतके समय आप दो बार अैसा समझौता कर आये थे, जो वल्लभभाभी और जवाहरलालको पसन्द नहीं था। परन्तु इसका कोअी अिलाज नहीं है।”

बापू: “ठीक है। मैं तो लोगोंका आदमी (डेमोक्रेट) हूँ। लोगोंके सामने अनेक वस्तुअें अलग अलग ढंगसे रखते रहना पड़ता है और साथ साथ लोकमतको वशमें करना पड़ता है। असलिअे और कुछ मैं कर ही नहीं सकता।”

यह बातचीतका थोड़ेमें सार है, परन्तु चर्चा तो लगभग डेढ़ घंटे तक चली थी।

ता० १६-१-३३: वल्लभभाभीका अेक विनोद है। “कुछ दिन हुआ कि बापूको सरकारके पास कोअी न कोअी शिकायत भेजनी ही होती है। कहीं वे लोग यह न समझ लें कि यह आदमी अब चुप हो गया है।”

ता० २३-१-३३: शामको बापूने वल्लभभाभीके साथ चर्चा करते करते अपने मनमें वाअिसरायके प्रस्तावका स्पष्टीकरण कर लिया। कहने लगे कि यह बिल (मंदिर-प्रवेश बिल) पास हो जाय तो सब कुछ मिल गया। मैंने कहा कि यह बिल निषेधात्मक है, असलिअे अिस बिलके परिणामस्वरूप लोग मंदिर नहीं खोलेंगे। बापू कहने लगे:

“तो भले ही बन्द रखें। जिस प्रकार सभी मंदिर बन्द हो जाते हों तो मैं खुश होऊंगा।”

मैंने कहा : “तब दरवाजे पर मारपीट होगी।”

बापू : “हो सकती है, यदि आंबेडकरके आदमी हों। परंतु हमारा बल होगा वहां सनातनी समझ जायेंगे। नहीं तो हम समझ जायेंगे।” जैसे समय भी क्या मैं किसीसे, अदाहरणार्थ राजाजीसे, पूछे बिना निर्णय नहीं दे सकता ? — वापूने वल्लभभाजीसे पूछा।

वल्लभभाजी : “जरूर दे सकते हैं; जैसे वक्त निर्णय दिये बिना काम नहीं चल सकता। हमने चर्चा कर ली अतना काफी है।”

बापू : “नहीं, मैं तो तात्त्विक प्रश्न पूछ रहा हूं कि जैसे समय क्या किया जाय ?”

वल्लभभाजी : “राय देनी चाहिये। राजाजी यहां हों तो जरूर पूछा जा सकता है। परंतु राजाजी नहीं हैं जिसलिये राय दे देनी चाहिये।”

ता० ३१-१-३३ : रातको और सुबह मतगणनाके बारेमें और जिसके लिये राजाजीका अुत्तर भारतमें अुपयोग करनेके बारेमें वल्लभभाजीने गरमागरम चर्चा की। अुन्होंने कहा : “राजाजीको जिस काममें नहीं पड़ना चाहिये। अुत्तर भारतमें अुनकी कोअी नहीं सुनेगा, लोग अुनके कार्यका अुनर्थ करेंगे और अुनकी वदनामी होगी। वे भले मद्रासमें रहें और यही काम करें। मंदिर खुलवायें या मंदिरोंका सत्याग्रह करवायें। मतगणना भले ही हो। परंतु अुसके आगेका ध्येय स्पष्ट होना चाहिये। नहीं तो मतगणनासे भी कुछ लाभ नहीं होगा।”

बापूने कहा : “लोग दृढ़तापूर्वक हमारे साथ हैं, जिसके बारेमें मेरी शंका बढ़ती जा रही है।”

वल्लभभाजी : “हमें यह दिखानेका मौका ही नहीं मिला। जब तक लोगोंने यह न कहा जायगा कि मतगणनासे अुसुक परिणाम लाना है, तब तक अुस मतगणनाका कोअी अर्थ नहीं। सनातनी भी चाहे जितने हस्ताक्षर कराकर कहेंगे कि बहुमत हमारा है।”

ता० १०-२-३३ : अुप्पासाहब पटवर्धनके बारेमें बापू कहने लगे : “मुझे तो शायद अुपवासका चौबीस घंटेका नोटिस देना पड़ेगा।”

वल्लभभाजी खूब नाराज हुए : “आप जिस प्रकार मौके बेमौके अुपवासका नोटिस दें, जिसका कोअी अर्थ नहीं। हजारों आदमी जेलोंमें

पड़े हैं। आप अके अप्पाका प्रकरण हो जानेसे अपवास करके अपवासको अिस तरह सस्ता बना डालेंगे, तो लोगों पर या सरकार पर असका कुछ भी असर नहीं होगा। जरूरी हो तो आप सरकारको पत्र लिखिये, अनकी खबर पूछिये और फिर जवाब न आये तो नोटिस दीजिये। परंतु अिस प्रकार चौबीस घंटेका नोटिस देना ठीक नहीं।”

बापूने यह सुन लिया। बोले : “लोग क्या सोचेंगे, अिसका विचार नहीं किया जा सकता। परंतु देखता हूं, सुबह तक मुझे कुछ न कुछ मार्ग सूझ ही जायगा।”

ता० १२-२-३३ : आज सुबह नीलाके संबंधमें बापू अधिक पूछताछ करने लगे। कोदंडरावसे सब सुनकर बोले : “हिन्दू धर्म क्या है? अके तरफ यह स्त्री हिन्दू बन गयी है। अिसके बारेमें सुनी सब बातें सच हों तो यह पाखण्डकी पुतली है और अिसके पीछे हिन्दू युवक पागल बने फिरते हैं। दूसरी ओर हिन्दू धर्मके शिखर पर विराजमान मालवीयजी, तीसरी तरफ आंबेडकर और चौथी तरफ मेरे अपवासका ढिंढोरा पीटनेवाले राजाजी!”

बादमें बापूजी अपवासकी बात कर रहे थे कि अितनेमें वल्लभभाभी आ गये। अन्हें हिन्दू धर्मके अपरोक्त चार स्तंभ गिनाये। अिस पर गंभीरता मिटानेके लिये वल्लभभाभी बोले : “हिन्दू धर्म तो महासागर है। असके चार ही स्तंभ कैसे? दूसरे भी तो हैं। मेहरबाबा भी हिन्दू ही कहे जायेंगे न? और अपासनी महाराज तथा भादरणके पुरुषोत्तम भगवान!”

*

*

*

बापूजी सनातनियों और आंबेडकरवादियोंमें से किसीको भी संतोष नहीं दिला सकते थे, अिस परसे मैंने कहा : “बापू, हमें सनातनियों और आंबेडकरवादियोंकी चक्कीके दो पाटोंके बीच पिस जाना पड़ेगा।”

वल्लभभाभी : “परंतु पाटोंके बीचमें पड़ें तब न? मैं तो कहता हूं कि पाटोंमें पड़ो ही मत। कीले पर बैठे रहें और दोनों पाटोंकी अके-दूसरेके साथ रगड़ होने दें। लेकिन असा करनेके बजाय आप तो सनातनियोंसे कहते हैं कि मैं सनातनी हूं और अिन लोगोंसे कहते हैं कि मैं स्वेच्छासे बना हुआ अस्पृश्य हूं। असी हालतमें तो दोनों पाटोंके बीच पिसना ही पड़ेगा न?”

ता० १६-२-'३३ : मालवीयजीका लंबा तार आया। पहले अुनका पत्र तो आया ही था। वाअिसराँयका भी अुत्तर आ गया कि बिलोंको लोकमतके लअे घुमाये बिना काम नहीं चलेगा। बापूने तुरंत ही 'Agreeing to Differ' (हमारा मतभेद) नामक लेख 'हररजन' के लअे लिखवाया और सारा पत्रव्यवहार प्रकाशित कर दिया। शामको अिस विषयकी चर्चा छिड़ी। वल्लभभाजी खूब गुस्सा हो रहे थे।

बापू बोले : "हम लड़ नहीं रहे हैं, फिर भी जब आप जोर जोरसे बोलते हैं तो किसीको लग सकता है कि हम लड़ रहे हैं। तो धीमी आवाजमें क्यों न बोलें? अिससे बीसवें भागकी आवाजमें बोलें तो भी मैं आपकी बात सुनसकता हूं और हम अिस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मालवीयजीने तारमें कहा है कि प्रस्तावसे यह पता चलता है कि अिसमें मंदिरोंके लअे कानून बनानेकी बात नहीं है, परंतु कुअें वगैरा खुलवानेकी ही बात है।

वल्लभभाजी : "यह ठीक है।"

बापूने कहा : "यह ठीक नहीं है। २६ तारीखके प्रस्तावमें कानून द्वारा हकोंको मान्य करनेकी बात है, जब कि हम कानून द्वारा अस्पृश्यताका नाश करना नहीं चाहते। और ३० तारीखवाले प्रस्तावमें तो तुरंत मन्दिर वगैरा खोलनेकी बात है और वह समझा-बुझाकर करनी है। अब कानून क्या समझाना नहीं है? और समझानेका प्रयत्न भी असफल रहे तो?"

परंतु वल्लभभाजीने बात जारी रखी : "जब ये सब विरुद्ध हैं तो अिस चीजको आप कहां तक चलाते रहेंगे? अब तो बिल दो वर्ष तक पास नहीं होता। स्वराज्य पार्लियामेन्टके बिना वह पास ही नहीं होगा। और अुस समय दो मिनटमें पास हो जायगा। तो फिर अुसके लअे अितना परिश्रम क्यों? अगर स्वराज्य मिलनेसे पहले यह काम हो जानेवाला हो तो मैं विरोध नहीं करूंगा। परंतु मुझे विश्वास है कि अब कोअी आशा नहीं रही।"

बापू : "परंतु आपको विश्वास है कि स्वराज्यकी धारासभा अैसी होगी? मुझे तो नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि अभी कुछ समय हां में हां मिलानेवाली धारासभाअें होंगी। अिसलअे हमें जो प्रयत्न हो सके करते ही रहना है।"

वल्लभभाजी : “परंतु अब बिलके सक्थुलेशनमें जानेके बाद क्या प्रयत्न करेंगे? और फिर आप क्या करेंगे?”

बापू : “आज तो अिस बारेमें क्या कहा जा सकता है? सोचेंगे और जो करने लायक मालूम होगा वह करेंगे। कुछ न कुछ सूझ ही जायगा। हमने अितना प्रयत्न किया फिर भी मंदिर नहीं खुले तो अिससे क्या? हमारा अेक भी कदम व्यर्थ नहीं गया। हमने कोअी हार नहीं खाअी। जब तक हमारा मन नहीं हारता, तब तक हार है कहां?”

“और आप यह नहीं देखते कि मैं हरिजन कार्य छोड़ दूं तो आंबेडकर ही मेरी खबर ले डाले? दूसरे जो करोड़ों मूक हरिजन हैं उनका क्या होगा?”

वल्लभभाजी : “अुनका प्रतिनिधि कहता है कि हमें मंदिर नहीं चाहिये। अुसे प्रतिनिधिके रूपमें आपने स्थापित किया। अतः अब आप यह नहीं कह सकते कि वह हरिजनोंका प्रतिनिधि नहीं है।”

बापू : “मैं तो अुनका प्रतिनिधि हूं न? मैं अुन लोगोंकी आवश्यकताको जानता हूं।”

ता० १७-२-३३ : आज मुबह वल्लभभाजी पूछने लगे : “आपके वर्णाश्रम धर्ममें अिन क्षत्रियोंका क्या होगा? हथियार तो कोअी पकड़ेगा ही नहीं।”

बापू : “हां, नहीं पकड़ेगा। अैसी व्याख्या कहां है कि जो हथियार पकड़े वही क्षत्रिय है? सच्चा क्षत्रिय तो वह है जो दूसरोंकी रक्षा करे और अैसा करते हुअे प्राण देनेको तैयार हो जाय। वैसे मेरी यह कल्पना नहीं है कि दुनिया अहिंसासे चलेगी। यह शरीर ही हिंसाकी मूर्ति है, अतः अिसे टिकाये रखनेके लिये भी काफ़ी हिंसाकी जरूरत रहेगी। परंतु ये क्षत्रिय भी कमसे कम हिंसा करेंगे।”

ता० २८-२-३३ : आज प्रातः आमके नीचे बैठे थे। अितनेमें जमनालालजीका संदेशा आया कि मुझे मिलना है, जल्दी मिलना हो सके तो अच्छा। थोड़ी देर बाद चिट्ठी आअी जिसमें लिखा था : “रातको नींद नहीं आअी। चिट्ठियां डालकर अब आपका आशीर्वाद लेना बाकी है। मुझे जल्दी बुलाअिये। . . .”

बापूने बारह बजेका समय दिया। सवा घंटे अुनसे बातचीत करके आमके नीचे आये।

मैंने पूछा, क्या बातें हुईं। जिसके जवाबमें बापूने कहा : “ सारा किस्सा हंसानेवाला है। शाम पर रखो। वल्लभभाजीको भी तो सुनाना ही पड़ेगा न।

शामको बातें कीं। जमनालालजीको रातमें विचार आया कि जुर्माना देकर जल्दी छूट जाय और छूटकर हरिजनोंका काम करें। और सविनय कानून-भंगकी लड़ाईको भी जगायें। जानकीबहन वगैराको भेजें। फिर जिस पर चिट्ठियां डाली गयीं। चिट्ठी निकली कि जुर्माना देकर छूट जाय। फिर तो बापूके आशीर्वाद लेना ही बाकी रह गया। जेलरकी अपस्थितिमें बापूसे सब बातें कहीं।

बापूने उनसे कहा : “ आप चिट्ठियां डाल सकते हैं, परंतु जिसमें दो दोष हैं। अगर आप अश्वरको साक्षी रखकर चिट्ठी डालें तो मुझसे पूछनेकी कोअी जरूरत ही नहीं। जिस पर मैं राय दू तो अश्वरसे भी बड़ा हो जाऊं। और मुझसे वैसे ही राय मांगें तो मैं राय नहीं दे सकता। मुझे वल्लभभाजीसे भी पूछना चाहिये। आपके चिट्ठियां डालनेमें दूसरा दोष यह है कि आपने बाहर जाकर सविनय कानून-भंग चलानेका अिरादा रखा है। सविनय कानून-भंग तो आप यहां रहकर चला ही रहे हैं। बाहर निकलनेका निश्चय केवल अप्पश्यताका काम करनेके लिये ही करते हैं। यदि आपका यह खयाल हो कि आप मालवीयजीको समझा सकेंगे, अप्पश्यताका दूसरा बहुत काम कर सकेंगे और बिल पास करानेमें मदद देंगे, तो आप बाहर जाकर यही काम कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। हां, आपकी सजाकी मियाद पूरी हो जानेके बाद आप कोअी भी काम कर सकते हैं। परंतु यदि आप जुर्माना देकर बाकीकी मियाद बाहर पूरी करना चाहें तो अुतने समय तो अप्पश्यताका ही काम करना आपका धर्म हो जाता है। यह समझ लेनेके बाद आपको यदि चिट्ठियां डालनी हों तो डालिये। ”

अेक कोरी चिट्ठी तो थी ही। दूसरी केवल बाहर जानेकी बनाअी। कटेली साहबसे दोनोंमें से अेक अुठवाअी। अुन्होंने कोरी चिट्ठी अुठायी तो सब कुछ ‘मनमें ब्याहे मनमें रंडाये’ जैसा हो गया।

जिस पर रातको बातें हुईं। अैसे विषयोंमें चिट्ठी डाली जा सकती है या नहीं, जिसमें वल्लभभाजीको और मुझे शंका थी। मैंने कहा : “ जहां सिद्धान्तकी बात न हो वहां चिट्ठी डाली जाती है। दो मागोंके पक्षमें समान दलीलें हों, तो उनका निर्णय करनेको

चिट्ठी डाली जा सकती है। परंतु कर्म और अकर्मके बीच क्या चिट्ठी डाली जा सकती है? कोअी आदमी माफी मांगने और जेलमें रहनेके बीच चुनाव करनेको चिट्ठी डालता होगा? ”

*

*

*

वल्लभभाभी काफी अद्विग्न रहे। “जमनालालजीके मनमें अिस तरहका विचार ही कैसे आ सकता है?” अिस प्रकार मनमें घुट रहा प्रश्न प्रकट रूपमें बार बार हमें सुनाते रहते थे।

ता० २४-२-'३३ : नरगिस बहन, पेरीन बहन, कमला बहन और मथुरादास आये थे। कहीसे गप लाये थे कि वाअिसराँयका निजी मंत्री बापूसे मिलने आया था।

वल्लभभाभी कहने लगे : “आपने अनुसे यह नहीं कहा कि तुम्हारी सूरतें तो अैसी नहीं दीखती कि वाअिसराँयके निजी मंत्रीको यहां आनेके लिये मजबूर होना पड़े?”

ता० २५-२-'३३ : ‘सुधर्म’ नामक पत्र कहता है कि १९३४में भारतकी जन्मपत्रिका अैसी है कि अस्पृश्योंको मंदिर-प्रवेश करानेके सिलसिलेमें मारकाट होगी और सात करोड़ आदमी मारे जायंगे। पुलिस गोलीबार करेगी।

बापूने कहा : “ब्राह्मण नहीं मानेंगे तो मारपीट तो खूब होगी ही। आंबेडकर ब्राह्मणेतर परिषद्का अध्यक्ष बना है।”

वल्लभभाभी कहने लगे : “ब्राह्मणेतर भी मान जायं तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकते। परन्तु ब्राह्मणेतरोंको भी अस्पृश्यता मिटाना कठिन लगता है।”

ता० २७-२-'३३ : आज ‘क्रॉनिकल’ में आया है कि सरकारने १९३५ तक कैदियोंको न छोड़नेका निश्चय किया है। और गांधीजीको कमसे कम तीन वर्ष जेलमें रखा जायगा।”

बापू : “देखो, मैं तो पांच वर्ष कह रहा था। लेकिन यहां दो कम हो गये।”

वल्लभभाभी कहने लगे : “आप तो कहानीके अुस बेशर्मकी तरह कर रहे हैं। अुससे जब किसीने कहा : ‘अरे, तेरी पीठ पर बबूल अुगा है’ तो अुसने जवाब दिया : ‘अच्छा है, मुझ पर छाया हो गयी!’”

ता० ३-३-'३३ : आज नीलाकी बात सुनकर बापू स्तब्ध हो गये। यह सवाल पैदा हुआ कि अिस स्त्रीकी कितनी बात मानी जाय और कितनी न मानी जाय।

कौन जानता है, कल और कितने जहरके कटोरे पीने होंगे ?

वल्लभभाभीने ठीक कहा : “बापू आशा रखते हैं वैसी कायापलट तो असाधारण मनुष्यकी ही हो सकती है। अिसके लिअे संस्कार चाहिये। यह बात सच है कि शिलाकी अहल्या बन गयी। परन्तु अुसके लिअे पहले अहल्याकी शिला बननेकी जरूरत थी न? मनुष्य अपने पापोंसे जलकर पत्थर या कोयला बन जाय तभी बादमें अुसे किसी साधुके चरणस्पर्शसे हीरा बननेकी आशा रह सकती है। नहीं तो किसीका भी स्पर्श अुसका कुछ नहीं कर सकता।”

*

*

*

जमनादासकी माफीके बाद आज सेतलवाड़को जोश चढ़ा है। और वे बापूको अुपदेश देते हैं कि राजनीति आपकी समझमें नहीं आ सकती; आप तो बैठे बैठे यह भंगी-अुद्वारका काम करते रहिये।

वल्लभभाभी कहने लगे : “आज राजाजी और देवदास आ रहे हैं। अुनमे कहना कि आपके दिल्ली जानेका अितना परिणाम अवश्य हुआ है कि जमनादासने माफी मांग ली, सेतलवाड़ने ये अुपदेश-वचन निकाले और अभी दूसरे वक्तव्य और निकलनेवाले हैं।”

ता० ५-३-३३ : जमनादासके वक्तव्यकी और अुनके दिये अुठे आश्वासनमें रही ‘बहादुरी’ की ‘सोशियल रिफॉर्मर’ और ‘क्रॉनिकल’ बड़ायी कर रहे हैं।

वल्लभभाभी बोले : “अब तो बहादुर कहलाना हो तो माफी मांगकर बाहर निकल जाअिये। यहां अन्दर पड़े रहेंगे तो कायर मान लिये जायेंगे।”

ता० १३-३-३३ : शामको बातें कर रहे थे, तब सूर्यास्तकी अद्भुत शोभा थी। बापू कहने लगे : “देखिये तो सही !”

वल्लभभाभी बोले : “अरे! अिस तरह डूबते सूरजको क्या देख रहे हैं? अुगते सूरजको पूजना चाहिये।”

बापू : “हां, हां। यही नहा-धोकर कल प्रातःकाल जब फिर अुग आयेगा, तब फिर अुसीको पूजेंगे।”

ता० १७-३-३३ : दूरबीन बतानेके लिअे आकाश-शास्त्रियोंसे शामके बाद आनेकी प्रार्थना की गयी थी, जो अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दी गयी। अिस अस्वीकृतिके पीछे सरकारका यह भाव मानकर कि अिन लोगोंको दफ्तरके समयमें आना चाहिये, बापूने दूसरा पत्र लिखा है।

वल्लभभाभीका अस पर विनोद : “अितनी ही बात है न कि दिन रहते भीतर आयें ? तो फिर भले ही लोगोंको दिन रहते दाखिल कर लें। बाहर कब निकाला जाय, अस बारेमें तो कोअी नियम नहीं है न ? और रातको बाहर न निकाल सकते हों तो भले सुबह तक रखें।”

ता० २०-३-३३ : शामको श्वेतपत्र (White Paper) की धांधली मचानेकी शक्तिके बारेमें बात करने पर बापू बोले : “फिर भी मेरा खयाल है कि इसमें ज्ञाना पड़ेगा। यदि हम सब दलोंको अेक कर सकें तो देशीराज्य कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान, अछूतवर्ग और दूसरे हिन्दू सब अेक हो जायं तब तो हम अिन लोगोंको छका सकते हैं। फिर भी अेक दल सविनय कानून-भंग करनेवाला रखना चाहिये। अेक दल सविनय कानून-भंग करे और अेक धारासभामें जाय। जैसे दक्षिण अफ्रीकामें अेक सत्याग्रह सभा (पैसिव रेजिस्टेंस असोसियेशन) थी और अेक ट्रान्सवाल अिडियन असोसियेशन था।”

वल्लभभाभी बोले : “जिस तरह आज हरिजनोंका काम करने-वाले और जेलमें जानेवाले — अैसे भाग कर दिये गये हैं।”

ता० २८-३-३३ : लेडी ठाकरसीकी तीन चार हजारकी दूरबीन आअी। असके स्टैण्डको अुठानेके लिअे आठ आदमियोंकी जरूरत पड़ी।

बापू कहने लगे : “अब असे रख लेनेकी नीयत होती है। आश्रममें वेधशाला (ऑब्जर्वेटरी) बनाअी जा सकती है। छूटनेके बाद पांच-सात वर्ष जीते रहें तो सब कुछ हो सकता है।”

अिस प्रकार अभी दस साल जिन्दा रहनेकी बातें हैं। वल्लभ-भाभी : “अरे भाअी, वेधशालाके लिअे तो आज भी छोड़ देंगे। साथमें हरिजनोंका काम मिला दीजिये। और कुछ न करें तो जाअिये आज ही चले जाअिये। सरकार तो अैसा कहती है, परन्तु आप कहां मानते हैं ?”

ता० ८-४-३३ : “मुसलमान शान्त बैठे हैं और कुछ नहीं बोलते। सरकारको अच्छी तरहसे सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे,” वल्लभभाभीने कहा।

अिस पर बापू बोले : “जब तक मुसलमान देशके हितमें अपना हित न समझने लगेंगे, तब तक हिन्दू-मुस्लिम-अेकता नहीं होगी और मालवीयजीके सारे प्रयत्न व्यर्थ जायेंगे। आज मुसलमानोंमें यह भावना नहीं है। आज तो अुन्हें स्वार्थ साधना है।”

ता० २१-४-'३३ : शामको सिविल सर्जन सरदारको देख गया। खूब जांच की। अिस निर्णय पर पहुंचा कि 'कोटेराअिज' करनेमें लाभ नहीं। ऑपरेशनसे शायद लाभ हो, यद्यपि निश्चित नहीं कहा जा सकता। परंतु अिस समय यहां लम्बी छुट्टियां-सी हैं, अिसलिये ऑपरेशन करा लेना ही ठीक होगा।

बापू : "ठंडक होनी चाहिये और धूल न होनी चाहिये। अिसके लिये समुद्र-यात्रा जैसा दूसरा कोअी अुपाय नहीं।"

अिस पर वल्लभभाअी कहने लगे : "अिसके बजाय तो मैं यहीं सुख-शांतिसे न मर जाऊं ?"

डॉक्टर : "अितने निराश होनेकी कोअी बात नहीं।"

बापू : "लो, तब तो हम प्रस्ताव करेंगे कि आपको समुद्र-यात्रा पर जाना चाहिये।"

वल्लभभाअी : "मैंने अुसे क्या जवाब दिया आप जानते हैं ?" यह कहकर जवाब सुनाया।

बापू : "परंतु जहाज पर भी धूल तो खूब होती है। कोयलेकी रज बेहद होती है। हम रंगून गये थे तब हमारे कपड़े और सामान काला काला हो गया था।"

सरदार : "आप जैसे डेक पर सफर करनेवालोंका यह हाल होता है। हम डेक पर सफर करनेवाले नहीं हैं। हम तो सदा सलूनमें ही यात्रा करते हैं। हमें कभी धूल मालूम नहीं हुअी।"

बापू : "भाअी, सलूनमें भी धूल जाती है। दिन भर आदमी साफ करता ही रहता है।"

ता० २४-४-'३३ : आंबेडकरके सुझावके* बारेमें बापूने वल्लभ-भाअीको सवाल-जवाबके साथ अच्छी तरह तैयार रहनेको कहा था। शामको वल्लभभाअीके साथ सवाल-जवाब हुअे।

*यरवडा समझौतेके अनुसार यह ठहराया गया था कि हरिजन अुम्मीदवारके लिये यदि अेक बैठक हो तो पहले चार अुम्मीदवारोंको हरिजन मतदाता प्रारंभिक चुनाव द्वारा चुनें और बादमें साधारण निर्वाचक मंडल अुन चारोंमें से अेकको चुने। डॉ० आंबेडकरने यह सुझाव दिया था कि हरि-जनोंको दोहरे चुनावमें दोहरा खर्च अुठाना पड़ता है, अिसके बजाय यह तय किया जाय तो कैसा रहे कि साधारण चुनावमें हरिजन अुम्मीदवारोंको हरिजन मतदाताओंके अमुक प्रतिशत मत मिलने ही चाहिये ?

बापू : “कहिये, अिस सुझावके बारेमें आपका क्या खयाल है ?”

वल्लभभाभी : “यह तो हिन्दुओंके मतोंके बिना काम चला लेनेकी कोशिश है। ४० प्रतिशत मत कमसे कम तय कर दिये जायं तो भी ये लोग दलित वर्गके सभी मत खींच ले जानेका प्रयत्न करेंगे। और दूसरेके हिस्सेमें मत रह ही नहीं जायेंगे।”

बापू : “परंतु हरिजन चालीसके बजाय पचास प्रतिशत प्राप्त कर ले, साठ प्रतिशत प्राप्त कर ले, तो भी बाकी मत तो दूसरेको मिलने ही वाले हैं न ?”

वल्लभभाभी : “परंतु वे मत तो अुन्हींको मिलेंगे।”

बापू : “आंबेडकरको अलग रखिये। आपके पास कोअी वकीलके नाते सलाह लेने आये और कहे कि हमें हिन्दुओंके मतोंकी जरूरत नहीं अथवा हमें अुनके मत लिये बिना धारासभामें जाना है। अिसके लिये आप कोअी तरकीब बताअिये। तो आप आंबेडकरकी सुझाअी हुअी तरकीब ही बतायेंगे न ?”

वल्लभभाभी : “हां।”

बापू : “खैर, फिर वह यह पूछे कि कमसे कम कितने प्रतिशत मत रखे जायं, तो आप क्या कहेंगे ?”

वल्लभभाभी : “फिर तो ज्यादासे ज्यादा मांगूंगा ?”

बापू : “परंतु कितने ?”

वल्लभभाभी : “जितना खींचा जा सके अुतना खींचूंगा।”

बापू : “आपके मतानुसार १० प्रतिशत हों तो काम चल जाय।”

वल्लभभाभी : “सामनेवालेको खुश करनेके लिये १० प्रतिशत दूंगा। अिससे आगे नहीं जाऊंगा।”

मैंने कहा : “अकाट्य दलील तो आप आंबेडकरके सामने दे चुके हैं कि जिसे २४ प्रतिशत अस्पृश्योंके मत मिलें और हिन्दुओंके अधिकसे अधिक मिलें, वह आदमी हार जायगा और जिसे २५ प्रतिशत मत अछूतोंके मिल जायं परंतु हिन्दुओंके कमसे कम मिलें वह आदमी चुन लिया जायगा। यह तर्क संपूर्ण है। अिसे मैं सारे यरवडा-समझौतेकी जड़ काटनेवाली वस्तु मानता हूं।”

बापू : “मैं अिस हद तक अनुमान नहीं लगाता। मुझे तो सिर्फ यह बात बेहूदी लगती है। परंतु अब मैं विचार करके देखूंगा।”

ता० २६-४-'३३ : नीला नागिनी और उसके लड़केके खाने-पीनेकी बापू चिन्ता रखते हैं; कपड़ोंकी चिन्ता रखते हैं। लड़केकी धोती अपनी धोतीमें से काट कर बना दी है और जूतोंकी मरम्मत करानी थी सो वे भी जेलरकी अजाजत लेकर जेलके मोचीखानेमें देनेके लिये रख लिये हैं।

वल्लभभाभी शामको बोले : “भाभी, सब कुछ करेंगे। बुढ़ापेमें लड़का आया है असलिये चाहे जैसे लाड़ लड़ायेंगे। हम नहीं बोल सकते।”

ता० २-५-'३३ : बापू २१ दिनका अुपवास करनेवाले थे। असि बारेमें वल्लभभाभी बहुत अुद्विग्न रहते थे।

बापू मुझसे पूछने लगे : “वल्लभभाभी मुझसे अभी तक नाराज हैं ?”

मैंने कहा : “नाराजी क्या हो सकती है ? दुःख है।”

बापू : “परंतु तुमने तो कल अैसा आभाम दिया था कि अुन्हें क्रोध है।”

मैंने कहा : “तो मेरी भाषा गलत थी। क्रोध हो ही नहीं सकता। यह न समझिये कि अुपवासके लिये अुनकी मंमति है। अुनके हृदयमें तीव्र वेदना भरी है। परंतु आप जिन्दे रहें या चले जायं, कुछ भी हो, वे यह चाहते हैं कि आपके आसपास असंतोष, कलह और अप्रसन्नताका वातावरण न रहे।”

बापू : “यह मैं समझता हूं। वल्लभभाभी जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हमारे पास है, यह क्या अीश्वरकी थोड़ी दया है ? अुनमें अटूट अीश्वरश्रद्धा तो विद्यमान है ही।”

मैंने कहा : “मैंने तो अुनसे कल कहा कि अुपवास जारी रखनेके लिये हमारे जैसे अभागे भले लायक न हों, परंतु आप तो हैं ही। और आप जारी रखें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।”

*

*

*

वल्लभभाभी असि अुपवासको किस दृष्टिसे देखते हैं, असि पर सर पुरुषोत्तमदासको लिखा गया अुनका नीचेका पत्र काफी प्रकाश डालता है :

“बापूने असि बार जो प्रतिज्ञा ली, अुसमें किसीकी सलाह या सम्मति ली ही नहीं। पिछली बारकी प्रतिज्ञा धार्मिक होते हुअे भी अुसमें राजनैतिक तत्त्व समाया हुआ था। और अुस

हृद तक मेरे साथ परामर्श करनेकी आवश्यकता अन्होंने स्वीकार भी की थी। परंतु अिस बारकी प्रतिज्ञा केवल धार्मिक होनेके कारण अुसमें मेरी सम्मति लेनेका सवाल ही नहीं अुठता था। रातको अेक बजे हम सब सोये पड़े थे, तब अुन्होंने अपना निर्णय किया और डेढ़ बजे अुठकर वह वक्तव्य तैयार किया जो प्रकाशित हुआ है। सुबह चार बजे हमारे अुठनेके बाद मेरे हायमें दिया। मैंने देखा कि अुसमें फेरबदल करनेकी जरा भी गुंजाअिश नहीं रखी गयी है। फिर भी अिस बारेमें अुनसे पूछकर निश्चय कर लिया। और जब जान लिया कि निर्णय हो गया है तब तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिये अीश्वरेच्छाके अधीन होनेके सिवा और कोयी मार्ग नहीं।

“और यह माननेका भी कोयी कारण नहीं है कि मेरे साथ अुन्होंने पहले परामर्श किया होता तो मैं अुनके किये हुअे निर्णयमें परिवर्तन करा सकता था। हां, मैं अपने दिलका थोड़ा गुबार जरूर निकाल सकता था। वैसे, अिस प्रकारके शुद्ध धार्मिक निर्णयोंमें परिवर्तन करा सकनेकी योग्यता मुझमें नहीं है।

“आप आकर क्या करेंगे? आप या मैं भला क्या कर सकता हूं? मालिकका सोचा हुआ होता है और होगा। किसीकी धार्मिक प्रतिज्ञा तुड़वानेका निष्फल प्रयत्न भी करनेके पापमें हम क्यों पड़ें? हिन्दू धर्मका प्रामाणिक और सतत पालन करनेवाला आज कौन है? होता तो आज हमारी यह दशा न होती। तब मान लें कि धर्मपालन करनेवाला अेक व्यक्ति जो हमारी जानकारीमें है अुसकी ली हुयी प्रतिज्ञा सगे-संबंधी या स्नेही अपने आग्रहसे छुड़वा सकते हैं, किन्तु अिससे हिन्दू धर्मको या देशको क्या लाभ होगा? मेरी अल्पमतिके अनुसार तो अिसका अुलटा ही परिणाम होगा। अिसलिये बापूको रोकनेके प्रयासोंको मैं अनुचित और व्यर्थ समझता हूं। प्रतिज्ञाके गुण-दोषका विचार करने पर भी यरवडा-समझौतेके बाद हिन्दू समाजके कुछ भागका व्यवहार देखते हुअे और खास कर सनातनी लोग और कुछ शिक्षित भारतीय जिस प्रकार प्रचार कर रहे हैं अुसे देखते हुअे जल्दी या देरसे यह अुपवास तो आने ही वाला था। तो फिर अितनीसी बातके लिये शोक क्यों किया जाय

कि असे थोड़े दिन और न टाला जा सका? गुरुवायुरका आन्दोलन शुरू हुआ तबसे अब तक सनातनी जो पत्रव्यवहार बापूके साथ कर रहे हैं वह सब मैंने देखा है। हिन्दू धर्मकी रक्षाके नाम पर जिस भयंकर झूठ और प्रपंचका जबरदस्त प्रयोग हो रहा है वह भी मैं देख रहा हूं। बड़ेसे, बड़े पद पर पहुंचे हुअे हमारे ही भाभी अिस आन्दोलनको राज-नैतिक चालबाजी समझते हैं और बापू पर ढोंगका आरोप लगाते हैं। अैसी हालतमें करोड़ों गरीब और अपढ़ अछूतोंको दिये गये वचनके बारेमें वे कब तक चुपचाप देखते रहें? हिन्दू धर्मकी रक्षाका कोअी और मार्ग आपको सूझता है? यदि दूसरा कोअी मार्ग न हो तो जिसे धर्म जीवनसे अधिक प्यारा हो वह और क्या करे?

“बापूकी अुमर और शारीरिक स्वास्थ्यको देखते हुअे अिककीस दिनके अपवासकी बातसे मुझे कंपकंपी जरूर छूटती है। अुन्हें खुदको तो विश्वास है कि अीश्वर अपवासको निर्विघ्न पूरा कर देगा। परंतु मुझे भय है कि यह आशा बहुत ज्यादा है। परंतु जो अनिवार्य है असका शोक करनेसे क्या होता है? भगवान जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे।”

३ मअीको राजाअीने सरदारको नीचे लिखा तार दिया था :

“यह आशा रखना मूर्खता है कि अिस अग्निपरीक्षामें बापू अुत्तीर्ण हो जायेंगे। केवल आप ही अुन्हें रोक सकते हैं। यह अेक भूल हो रही है और अुससे कोअी अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। यह करुण घटना हरिजनों और देश दोनोंके लिये प्रगतिकी सुअीको अुलटी दिशामें घुमा देगी।”

सरदारने अिसका अुत्तर अपने विलक्षण ढंगसे दिया :

“अभी तार मिला। यह बात सही है कि बापूके अग्निपरीक्षामें अुत्तीर्ण हो सकनेकी आशा रखना मूर्खता मानी जायगी। मैं अैसे मूर्खोंके दलमें नहीं हूं। परंतु सफलताकी जरा भी आशा रखकर अुनका निश्चय तुड़वाने या बदलवानेके लिये समझानेकी कोशिश करना अुससे भी बड़ी मूर्खता है। अिसलिये मैंने तो यही ठीक समझा है कि अुन्हें व्यर्थ कष्ट या त्रास न दिया जाय और अपनी शक्तिका संग्रह करने दिया जाय। परंतु अुनकी अन्तरात्माके रक्षकके रूपमें सफल होनेकी आपको कोअी संभावना दीखती हो तो आपको कुछ भी सलाह देना

मेरे लिये धृष्टता होगी; यद्यपि मुझे तो निस्सन्देह प्रतीत होता है कि मेरी मान्यता ही सही है।”

ता० ७-५-३३ : प्रातःकाल बापू कहने लगे : “खैर, अब तो भगवान् जिन्दा रखेंगे तो ३० तारीखको गीता बोलूंगा। और सबके साथ तो कौन जाने कब ?”

वल्लभभाजी : “मैं २९ तारीखको कैसे साथ रहूंगा ?”

बापू : “अश्वरकी शक्ति अपार है। वह अकल्पित बातें कराता है। २८ तारीखको ही अिकट्टे हो जायं तो ?”

[अुपवास शुरू हुआ अुसी दिन अर्थात् ता० ८-५-३३ को शामको छः बजे बापूको छोड़ दिया गया। अुपवास समाप्त हो जानेके बाद अुन्होंने आन्दोलनको सामूहिकके बजाय व्यक्तिगत रूप दे दिया।

ता० १-८-३३ को साबरमती आश्रम भंग करके रास गांवकी तरफ पैदल कूच करना था। लेकिन अेक दिन पहले ही रातको बापू और कूच करनेवाले आश्रमवासियोंको पकड़ लिया गया। बापूको २ तारीखको यरवडा जेलमें लाया गया। चौकमें पहुंचते ही वल्लभभाजीको देखनेके लिये लालायित हुअे। परंतु वहां न तो वल्लभभाजी मिले और न छगनलाल जोशी। सरदारको पहली तारीखको ही नासिक जेलमें ले गये थे। दरवाजों पर मुहर लगा दी गयी थी।]

बापू कहने लगे : “धोंसला ज्योंका त्यों है, परंतु पंछी अुड़ गये हैं।

फिर अुनसे कहा गया कि सरदारको ऑपरेशनके लिये बम्बयी ले गये हैं। छगनलाल जोशीको तनहाअीमें रख दिया गया है। थोड़े दिन बाद पता चला कि वल्लभभाजीका ऑपरेशन हुआ ही नहीं। यहांसे अुन्हें सीधे नासिक ले गये हैं। बापू कहने लगे : “तो अिन लोगोंने वल्लभभाजीको भी धोखा ही दिया न? अुन बेचारों पर यह छाप होगी कि ऑपरेशनके लिये ले जा रहे हैं। कैसी नीचता है? यह धाव जल्दी भरनेवाला नहीं।” ता० १२-८-३३ को रातमें लेटे लेटे ‘भर्तृहरि’ नाटकमें से अेक पंक्ति याद करके बापू बोले : “अे रे जखम जोगे नहीं मटे रे।” * यह सोचकर कि वल्लभभाजीको जुदा कर दिया है, नाटककी यह पंक्ति बापूको हर समय याद आती है। पत्र लिखनेका अुनका मन होता होगा, परंतु अुनका पत्र यहां कौन आने देगा ?

* अरे, यह धाव योगसे नहीं मिटनेवाला है।

८ मजीको जब गांधीजीको छोड़ दिया गया तब अन्होंने जो वक्तव्य निकाला, उसमें सरदारके बारेमें यों लिखा था :

“जेलमें सरदार वल्लभभाजीके साथ रहनेका अवसर मिला यह बड़े सौभाग्यकी बात थी। उनकी अद्वितीय शूरवीरता और ज्वलंत देशभक्तिका तो मुझे पता था। परंतु अनि सोलह महीनोंमें उनके साथ जिस तरहसे रहनेका सौभाग्य मुझे मिला उस तरहसे मैं उनके साथ कभी नहीं रहा था। अन्होंने मुझ पर जो हार्दिक ममता और प्रेम बरसाया उससे तो मुझे अपनी प्यारी मांका स्मरण हो आता था। मैं नहीं जानता था कि उनमें अैसे माताके गुण भी होंगे। मुझे कुछ भी होता कि वे बिस्तरसे अुठ बैठते। मेरी सुविधाकी जरारी बात की भी वे खुद चिन्ता रखते थे। अन्होंने और मेरे अन्य साथियोंने भीतर ही भीतर तय कर लिया था कि मुझे कुछ भी काम न करने दिया जाय। मैं आशा रखता हूं कि सरकार मेरी यह बात मानेगी कि जब भी हम राजनैतिक प्रश्नोंकी चर्चा करते थे, तब अन्हें सरकारकी कठिनात्रियोंका बराबर खयाल रहता था। बारडोली और खेडाके किसानोंकी वे जैसी चिन्ता करते थे उसे मैं कभी भूल नहीं सकूंगा।”

१०

गांधीजीसे अलग होनेके बाद यरवडा और नासिक जेलमें

सरदार यरवडा जेलमें नाककी पीडासे बड़े परेशान रहते थे। जुकामकी शिकायत तो उनकी बहुत पुरानी थी। जनवरी १९३२ में जब वे पकड़े गये उसके अेक दिन पहले ही उनकी नाकमें ‘कोटेरीजेशन’ (यह बड़े हुअे भागको बिजलीसे जला डालनेकी क्रिया होती है) कराया गया था। अिस स्थितिमें बंबजीसे पूना तक जनवरीकी ठंडमें अैसी मोटरमें सफर करना पड़ा, जिसमें कांचकी खिड़कियां नहीं थीं। अिसका भी उनके स्वास्थ्य पर असर हुआ होगा। अिसलिये जेलमें उनकी नाकसे बार बार पानी गिरता रहता था। कभी कभी नथुने बन्द हो जाते थे। वैसे हालतमें तो अन्हें रातमें जागते हुअे बैठे रहना पड़ता था। जेलके डॉक्टर जो देखभाल रखते और सावधानीके तौर पर वे खुद जो कुछ करते उससे बापूजीके रहते तक काम चलाया। गांधीजीने अिक्कीस दिनका अपवास शुरू किया, अुसी दिन ता० ८-५-३३ की शामको अन्हें छोड़ दिया गया। महादेवभाजी भी अपनी सजाकी मियाद पूरी

होने पर ता० १९-५-'३३ को छूट गये। जिसलिये सरदार और छगनलाल जोशी यरवडा जेलमें अकेले रह गये।

बापूजीका अपवास ता० २९-५-'३३ को पूरा हुआ। उस दिन सरदारने यरवडासे बापूजी, महादेवभाभी और देवदासभाभीको जिस प्रकार पत्र लिखे :

“ पूज्य बापू,

“ आखिर श्रीश्वरने आपकी टेक रख दी। जिस पुण्य अवसर पर हम दोनों* आपका आशीर्वाद चाहते हैं।

“ प्रभुकी आप पर असीम कृपा हुआ है। परंतु अब आप हम पर भी थोड़ी दया रखें। और ज्यादा समय आने पर।

सेवक

वल्लभभाभीके दंडवत् प्रणाम ”

“ प्रिय भाभी महादेव,

“ आखिर प्रभुने लाज रख ली। जिस देशके पाप बहुत हैं। फिर भी पाप करते हुए जिसने कुछ विचार किया होगा। जिसलिये सबके मुख अज्ज्वल बने रहे। प्रेमलीलाबहनकी अपार सेवाका बदला श्रीश्वरने दे दिया। अन्हें तो यश मिला। सचमुच श्रीश्वरकी असीम दया है। वैसे हम जिसके योग्य तो बिलकुल नहीं हैं। आज सबकी आंखोंमें हर्षके आंसू आ रहे हैं। हम सब भगवानका अपकार मानते हैं। शामको पत्रकी प्रतीक्षा करूंगा।

वल्लभभाभीके वन्देमातरम् ”

“ चि० देवदास,

“ अन्तमें भगवानने लाज रख ली। हमें तो यहां बैठे हुए प्रभुकी अपार दयाके लिये उसका अपकार मानना ही होगा। और क्या करें? तुम सबने कमाल कर दिया। बहुतोंको डर था कि जेलमें जो संभाल रखी जा सकती है वह बाहर नहीं रखी जा सकेगी और बापूकी सेवा अच्छी तरह नहीं हो सकेगी। लोगोंकी भीड़ आयगी जिसे रोका नहीं जा सकेगा और कोअी व्यवस्था नहीं रखी जा सकेगी। ये सब बातें तुम सबने गलत साबित कर दीं और जो सुन्दर व्यवस्था

* सरदार तथा श्री छगनलाल जोशी।

की, उसके लिये तुम सबको मैं हार्दिक बधायी देता हूँ। तुम लोगोंने बड़ा भारी काम कर दिखाया, जिसके लिये तुम सब गर्व कर सकते हो। श्री प्रेमलीलाबहनको अमका यश मिला, यह कितना सुन्दर हुआ ! अुनकी सेवा अमूल्य मानी जायगी। वासे हमारे प्रणाम कहना और हमें आशीर्वाद भेजनेको कहना। हम तो यहां बैठे बैठे किसी काम न आ सके। और अब भी कुछ नहीं कर सकते।

“तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया होगा।

“बापूको अपवास खोलते समय मेरी दो पंक्तियोंकी चिट्ठी ठीक समझो तो मुना देना।

“अब राजाजीके जीमें जी आया होगा। बेचारे बहुत ही दुःखी हो गये हैं।

“रामदास अभी तो यहीं रहेगा न? अुसकी तबीयत संभालने जैसी है।

शुभेच्छु
वल्लभभाजीके आशीर्वाद”

अिसके बाद बापूजी और महादेवभाजीको लिखे गये पत्र नीचे दिये जाते हैं :

“यरवडा मंदिर,
ता० ३०-५-३३

“प्रिय भाजी महादेव,

“तुम्हारा पत्र मिला। जवाहरलालजीकी अुस पुस्तकका क्या करना है? अुसे लौटाना ही हो तो यहींसे लौटा दूँ। नहीं तो तुम्हारे पास भेज दूँ।

“जमनालालजी अकेले आये हैं या जानकीबहनको साथ लेकर आये हैं? अुनकी तबीयत अब कैसी है?

“परचुरे शास्त्रीका क्या हाल है? वे आश्रम क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या आपत्ति खड़ी हुअी है?

“क्या बापूके जरा बोलने-बैठने लगते ही आश्रमकी समस्याओं और झगड़ोंके वार अुन पर शुरू कर देने हैं?

“मेरे खयालसे जमनालालजीको बापूसे यह समझ लेना चाहिये कि आश्रमके बारेमें क्या करना ठीक होगा। और वहां जाकर आश्रमके बोझको हलका कर देना चाहिये। यदि छोटे बड़े सारे झगड़े बापूके पास फिर आने लगेंगे तो अन्तमें हम बड़ी विपत्तिमें फंस जायेंगे। मैं तो क्या करूं? यहां लाचार होकर पड़ा हूं, असलिये क्या हो सकता है?

“अभी अंक सप्ताह तक तो अुनके पास कोअी बात न रखी जाय तो अच्छा। आश्रम जैसा अभी है अुसे तो कौन चला सकता है? मेरे खयालसे कोअी नहीं चला सकता। और बापूको असका बड़ा दुःख है। असका अुपाय हमें करना ही चाहिये। और वह भी अस ढंगसे कि बापूके हृदयको आघात न लगे। अुस नीला और . . . का बोझ भारी साबित होनेवाला है। अुनको कौन संभालकर रख सकेगा? फिर भी मुझे अैसा तो लगता है कि यह बोझ हमें अुठाना ही पड़ेगा। परंतु मैं अितना मानता हूं कि यह काम नारणदासके बूतेका नहीं है। किसी न किसी अधिक शक्तिशाली मनुष्यको आश्रममें रहना चाहिये। विनोबा वहां चले जायं तो अच्छा हो। काका तो जायेंगे ही नहीं। असलिये और क्या हो सकता है? परंतु ये सब विचार हमें बापूको अलग रखकर कर लेने चाहिये।

“शृंखला (अुपवासकी) के मामलेमें अुनके विचार अभी जानने हैं। थोड़ी बोलनेकी शक्ति आते ही वे तुमसे बात किये बिना नहीं रहेंगे। परंतु अस बारेमें भी अैसे ढंगसे काम लेना चाहिये कि अुन्हें कमसे कम कष्ट हो। बापूके अुपवासका देश पर क्या असर हुआ यह तो बादमें मालूम होगा। सनातनी चुप रहे हैं, असका अर्थ यह नहीं कि अुन लोगोंने अस चीजको पसन्द किया है या वे अिसे बर्दाश्त करनेको तैयार हैं। अब यह देखना है कि देशमें पहले अुपवासके बाद जो प्रतिक्रिया हुआ थी वैसी होती है या नहीं; और हो तो अुसे रोकना हांगा। बापूके मन पर अुसका बहुत गहरा असर हांगा। मालवीयजी आनेवाले हैं? अुन्हें सब बातें (आश्रमके सिवा) समझानी चाहिये। अब अुनके विरोधसे बचना चाहिये। अुन्हें बापूको पूरा सहयोग देना चाहिये। यदि अब भी चूकेंगे तो बापूको खो बैठेंगे। तुम सब अस बारेमें सोचते तो हांगे ही।

वल्लभभाभीके वन्देमातरम्”

“यरवडा मंदिर,
५-६-३३

“पूज्य बापू,

“लगभग अंक महीनेके बाद आपके हस्ताक्षरोंके दर्शन हुआ। हमें खूब आनंद हुआ। हम दोनों सकुशल हैं। चिन्ता तो मैं क्या करता? और मेरी चिन्ता भला किस कामकी? आपकी चिन्ता करनेवाला तो अीश्वर है।

“अपने हाथसे पत्र लिखनेकी जल्दी न कीजिये। पूरी शक्ति आने दीजिये। तब तक महादेवसे लिखवायें और आप दस्तखत कर दिया करें तो काफी है।

“आश्रमके संबंधमें जो कुछ जानना हो उसके लिये नारणदासको बुलवा लें, परंतु आप वहां जानेका विचार न करें। नारणदास साथमें जिसे लानेकी अच्छा हो उसे ले आयें, परंतु आपको वहां बुलानेका आग्रह न रखें। यह मेरी निश्चित राय है। आश्रममें जो कुछ परिवर्तन करने जरूरी मालूम हों वे जमनालालजीको भेज कर कराये जा सकते हैं। परंतु उसके लिये आपका इस समय वहां जाना बिल्कुल वांछनीय नहीं। वहां लोगोंकी भीड़ जमा होगी। आपके पास लोग अनेक बातें लायेंगे और आपको जरा भी चैन नहीं लेने देंगे। दूसरे भी कभी कारण हैं। इसलिये आप वहां जानेका विचार न करें। नारणदास अिन सब बातोंका विचार नहीं कर सकते, क्योंकि अुनके सामने आपकी तबीयतका सच्चा चित्र खड़ा नहीं हो सकता। इसलिये वे आपको बुलाना चाहेंगे। परंतु यदि वस्तुस्थिति समझ लें तो कभी न बुलायें। मुझे आम क्यों भेजे? आज आप लाड़ लड़ायेंगे लेकिन कल पता नहीं क्या करेंगे! आपकी दया और अहिंसामें जो निर्दयता और हिंसा भरी हुयी है, वह तो भुक्तभोगी ही जान सकता है। मेरी बात न मानें तो बासे पूछ लीजिये। वे मेरे इस कथनसे जरूर सहमत होंगी। जल्दी फिरसे अच्छे हो जाअिये। रामदासकी संभाल रखिये। अुसका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह सुधरा नहीं है।

“छगनलाल प्रणाम लिखाते हैं।

सेवक

वल्लभभाजीके सा० द० प्रणाम”

“ यरवडा मंदिर,

५-६-३३

“ प्रिय भाभी महादेव,

“ तुम्हारा सुबहका पत्र मिला। मैंने सुबह ७ बजे पत्र लिखकर दफ्तरमें भेज दिया था, जिसलिअे हमारे पत्र टकरा जरूर गये। तुम्हारा दूसरा पत्र शामको मिला। साथमें बापूका भी मिला। उसका उत्तर साथमें है।

“ मणिबहनके लिअे क्या किया जाय ? मैंने तो अुसे ता० १-६-३३ को पत्र लिखा है। अुसमें तुम जो कुछ लिख रहे हो वह सब लिख दिया है। परंतु वह पत्र अुसे मिल जाय तब सही। मेरा पत्र पानेका अुसका हक होगा तभी अुसे देंगे। और जिसका मुझे थोड़े ही पता चलता है। मृदुलाके जानेके बाद वह जिस अुपवाससे ज्यादा परेशान दीखती है। मेरा पत्र मिलेगा तब कुछ शान्त होगी।

“ बापूने फिर अपने हाथसे पत्र लिखने शुरू कर दिये। यह तो ठीक है, मगर जिसका ध्यान रखना कि बूतेसे ज्यादा हाथसे काम न लें। छगनभाभीने बहुतसी बातें नोट कर रखी हैं। पांच बजे सुबह घूमते समय ये सब बातें छेड़नी हैं। समय आयेगा तब वे कोअी चूकनेवाले थोड़े ही हें ?

“ डॉ० पटेलके सवालका जवाब क्या दे सकता हूं ? जब तक सरकारकी तरफसे कोअी निब्रटारा नहीं हो जाय तब तक क्या हो सकता है ? वे कहते हैं अुसके अनुसार मुझे सुविधा मिल जाय तो मैं (ऑपरेशन करानेको) तैयार हूं। परंतु यह मेरे हाथकी बात तो नहीं है। फिर जिस मामलेमें यह भी देखना चाहिये कि डॉ० देशमुखको बुरा न लगे।

“ निर्णय करना मेरे ही हाथमें हो तो मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर पटेलकी सलाहको ही मानूंगा। परंतु यह कहा जा सकता है कि जिस वक्त तो मेरे हाथमें कुछ भी नहीं है। सरकारका निर्णय हो जाय अुसके बाद सूझेगा कि क्या किया जाय। हमें घड़ीकी बिलकुल आवश्यकता नहीं। इसके साथ घड़ी भेज रहा हूं। तेलकी शीशी भी भेजी है। दोनों चीजोंके मिलनेकी पहुंच लिखना।

“ हार्निमैनके साथ बहुत बहसमें न अुतरना। अुससे कोअी लाभ नहीं होगा। सरोजिनी देवीको नाकके ऑपरेशनके लिअे जल्दी

जानेका बापूने नहीं कहा? यह बात फिरसे अन्हें सुझा देना। वह बेचारी अपुवासकी बात सुनकर ऑपरेशन बन्द करके दौड़ी चली आभी हैं। अब अन्हें जल्दी ही छुट्टी देनी चाहिये।

“तुम्हारे पास ‘मॉडर्न रिव्यू’ आया हो तो भोज देना।

वल्लभभाभीके वन्देमातरम्”

“यरवडा मंदिर,

५-६-'३३

“प्रिय भाजी जमनालालजी,

“बम्बली जाकर स्वास्थ्य बिगाड़ लाये, यह क्या? बंबलीमें क्या कर आये? प्रभुदासका क्या किया?

“जानकीदेवी कहां हैं? कैसी हैं? बच्चे सब कहां हैं?

“आपका स्वास्थ्य जैसा पहले था वैसा जल्दी हो जाना चाहिये।

“बंबलीमें कहां ठहरे थे? रामेश्वरदासजी और अ उनके कुटुम्बके लोग कैसे हैं?

“विनोदके स्तंभमें कुछ हो तो भोज देना।

वल्लभभाभीके वन्देमातरम्”

“यरवडा मंदिर,

५-६-'३३

“प्रिय भाजी महादेव,

“तीन दिन बाद तुम्हारा पत्र पाकर परेशानीसे मुक्त हुअे।

“डॉ० महेताकी सूचना ठीक ही है। फलों या शाकोंमें शक्ति होती ही नहीं। प्रोटीनके बिना स्नायु नहीं बनते। परंतु बापूको सदासे यह सन्देह रहा है कि अकेले दूधसे कब्ज होता है। पेट साफ रहता हो और दूध पच जाता हो, तो रोज छः सेर दूध लेनेसे वजन बढ़ना चाहिये और शक्ति अवश्य आनी चाहिये। दूधके साथ हर बार आधा या अेक औंस ग्लुकोज लिया जाय तो क्या हर्ज है? आसानीसे पच जायगा और मुफीद रहेगा। शहद रोज कितना लेते हैं? दूधका दही बनाकर और मावेके पेड़े बनाकर पिछली बारकी तरह लें तो ठीक रहेगा। डॉ० महेतासे पूछना। वे मंजूर कर लें तो अिससे ताकत

जल्दी आयेगी। दही आहार-परिवर्तनके लिये अच्छा है। सुबह दूधके साथ गरम गरम दलिया लिया जाय तो बहुत ही अच्छा। 'अन्नाद् भवन्ति भूतानि' — अन्नके समान प्राण नहीं। कोअी भी अक अनाज लिया जाय तो जल्दी शक्ति आ जाय। आंखोंके बारेमें डॉ० देशमुखकी सूचना सही है। नंदुबहनने अिसी तरह अपनी आंखें खो दीं।

“राजाजीकी सलाह ठीक है। अिसमें शक नहीं कि विवाह (देवदासभाजीका) सिविल मैरेज अेक्टके अनुसार रजिस्टर कराना ही चाहिये। परंतु बापूकी अुपस्थितिमें विवाह-विधि हो जाय तो समझना चाहिये कि बड़ेसे बड़ा काम पूरा हो गया। फिर तो वर-वधू जाकर हस्ताक्षर कर आयें तो भी काम चल जायगा। केवल अेक-दो साक्षी चाहिये। साक्षी कोअी भी बन सकते हैं।

“रमा * को ऑपरेशन करानेके लिये लिख दिया है।

“नारणदासको यहांसे भेजी हुअी पुस्तकोंके पांचों पारसल सही-सलामत मिल गये या नहीं, अिसके बारेमें पत्र लिखा है। आज अुत्तर आना चाहिये।

“चार्ली × वगैराके पत्रोंकी बात जानकर आश्चर्य होता है। अितने वर्ष साथ रहकर भी नहीं पहचानते यह कैसी बात है? अिस प्रकार बांहर रखकर बादमें क्या दर्शनोंके लिये आलमारीमें बन्द रखना चाहते हैं? और अिसमें अुनकी सलाह या दबावका काम (नहीं) था। यह तो कबीरजी कह गये हैं न?

“तुम्हें अपने लिये (जेल जानेका) निर्णय करनेमें अब कोअी जल्दी करनेकी आवश्यकता नहीं। बापू स्वयं आश्रमके विषयमें शान्त हो गये हों, तो तुम्हें भी अभी शान्त और स्वस्थ ही रहना चाहिये। बादमें समय आने पर विचार करके अुचित कार्रवाअी करेंगे।

“लगता है भूलाभाजीको बहुत दुःख सहना पड़ा। मंने धीरुको पिछले महीनेके अंतिम सप्ताहमें पत्र लिखा था। अुसका अुत्तर अभी तक नहीं आया। फिर चार-पांच दिन पहले भूलाभाजीको सीधा पत्र लिखा। लेकिन अुस पत्रके पहुंचनेकी बात तो (धीरे) लिखता नहीं, और यह पत्र

* श्री छगनलाल जोशीकी पत्नी।

× मि० सी० अेफ० अेण्डूज।

तीसरी तारीख डालकर लिख रहा है। वैसे लिफाफे पर भी नासिककी ७ तारीख और यहांकी ८ तारीखकी मुहर है। बापूमें अभी तक शक्ति नहीं आयी है अतः वे (भूलाभाजीको) न लिखें, परन्तु तुम बापूकी ओरसे लिख दो और बापूके हस्ताक्षर कराकर भेज दो तो ठीक होगा। नासिक सिविल अस्पतालके पते पर ही लिखना।

“जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए बंगालके लिअे पूना-करार और सारा साम्प्रदायिक निर्णय बदलवानेकी कोशिशें हो रही हैं। जोरदार कोशिशें होंगी। परिणाम क्या होगा सो तो राम जाने। परन्तु वहांसे गंध अैसी आ रही है कि बदनाम होकर सब लौट आयेंगे और अन्तमें दोष तो दूसरोंको ही देंगे।

“कलके ‘टाइम्स’ का सम्पादकीय लेख अपुवास पर देखा? उसे देखना और साथ ही अुन मद्रासवाले मनातनियोंके बारेमें जो खबर है वह भी देखना। थोड़ा थोड़ा देखते रहना। समय न मिले तो शास्त्रीमे कहना कि तुम्हारा ध्यान खींचते रहें।

“मुंजे और सेतलवाड़का जो युद्ध हो रहा है, सो भी देखते होंगे। वह कालिदास जिनीवा हो आया यह भी पढ़ा होगा। आज ‘हिन्दू’ के ‘India and the World’ में गुरुदेवका लिखा हुआ लेख है। अुसकी कतरन भी देखना। जोरदार लेख लिखा है।

“मैंने तुम्हें मना कर दिया था, तो भी तुम अुस हार्निमैनके साथ बहसमें पड़ गये न? तुम्हें घड़ी और तेलकी बोतल भेजी थी सो तो मिल गयी होगी। आज मणिबहनका पत्र आया है। स्वस्थ होती दीखती है। चिन्ताकी बात नहीं है।

वल्लभभाजीके वन्देमातरम्”

“यरवडा मन्दिर,
१४-६-३३

“प्रिय भाजी महादेव,

“तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तो कभी किसीसे मिलनेकी अिजाजत मांगी ही नहीं। सरकारसे अनुमति लेकर मिलनेमें मेरा विश्वास नहीं है। अैसी मेहरबानी किसलिअे मांगी जाय? मुझे अैसी मुलाकातोंमें दिलचस्पी नहीं। अिसलिअे लक्ष्मी अिस ढंगसे अिजाजत लेकर आवे, अिससे क्या फायदा? डाह्याभाजी पिछले सप्ताह यहां

आया था, अिसलिले में नहीं कह सकता कि फिर कब आवेगा। हर सप्ताह आना संभव नहीं होता। पिछले सप्ताह चार सप्ताह बाद आया था। . . .

“‘मॉडर्न रिब्यू’ मिल गया। हिन्दी पुस्तक भी मिल गयी। ‘हरिजन’ और ‘हरिजनबन्धु’ अब न भोजना। डाकसे आ जाते हैं।

“यह निश्चित है कि बापूको दूधके प्रयोगोंसे लाभ नहीं हुआ। दूधसे दस्त होते हों तो अब ये प्रयोग छोड़ देने चाहिये। शाकका सूप (शोरवा) शुरू करना चाहिये और दूध कम कर देना चाहिये। परन्तु आज डॉक्टर क्या कर जाते हैं सो मुझे बताना। थोड़ा वजन बढ़ जाय और शक्ति आ जाय तो फिर भोजनके प्रयोग हो सकते हैं। अभी तो हरगिज नहीं हो सकते। अैसी कमजोरी बहुत समय तक बने रहनेमें खतरा है।

“अिस कतरनसे मालूम होता है कि दुर्गा भी आयी है। यह तो तुमने हमें बताया तक नहीं।

वल्लभभाभीके वन्देमातरम्”

“यरवडा मन्दिर

२०-६-३३

“प्रिय भाभी महादेव,

“तुम्हारा कांड मिला। बापूका भी मिल गया।

“अिसके साथ दो कतरनें भेजी हैं। अिन्हें देख लेना। अेकमें देवदास और राजाजीके अेकता-परिपदवाले मुसलमान मित्र चाहते हैं कि बापूको हरिजन कार्य छोड़ देना चाहिये और दूसरीमें अुनके असेम्बलीवाले हरिजन मित्र कहते हैं कि बापूको तो अब केवल हरिजन कार्य ही करना चाहिये।

“बापूका स्वास्थ्य अब मुधरना चाहिये। प्रयोग करना अब विलकुल छोड़ देना चाहिये।

“काकाकी तबीयत अब बहुत अच्छी मानी जा सकती है। परन्तु अब बहुत हो गया। छः सेर दूध कम नहीं है। अिससे आगे बढ़ेंगे तो फिर जहां जायेंगे वहां तीन-चार गायें रखनी होंगी।

“ब्रजकृष्ण अब कैसे हैं ?

“प्रभावती कैसे आती? अुसकी सजा तो अभी बाकी है। जयप्रकाशसे मिलने नासिक जायगी या नहीं?”

“श्रीमती नायडूको आज पत्र लिखा है। अम्बालालभाभी परिवार-सहित आ गये होंगे। कैसे हैं? मृदुलाका क्या हाल है?”

वल्लभभाभीके वन्देमातरम्”

गांधीजी सरदारके ऑपरेशनके बारेमें बहुत चिन्ता किया करते थे। असिलिअे अनुका अुपवास खतम हो गया और तबीयत कुछ सुधरी अुसके बाद सरदारने ता० २३-६-'३३ को गांधीजीको असि प्रकार पत्र लिखकर अपना हाल बताया :

“पूज्य बापू,

“पिछले रविवारका लिखा हुआ आपका पत्र मिल गया था। आपका स्वास्थ्य अब कुछ चलने-फिरने लायक हुआ होगा। आपने मेरी नाकके ऑपरेशनके बारेमें पूछा था। असि सम्बन्धमें सरकारने कोअी निर्णय नहीं किया था। असिलिअे लिख नहीं सका था। अब असि सम्बन्धमें जो पत्रव्यवहार हुआ है वह असिके साथ भेजा है। डॉ० देशमुख द्वारा ता० ६-५-'३३ को सुपरिन्टेन्डेन्टको दी गअी रिपोर्ट, अुसके बाद अुसी महीनेकी ३० तारीखका सुपरिन्टेन्डेन्टका पत्र और अुसका अुसी दिन दिया हुआ मेरा जवाब, अुसके बाद सुपरिन्टेन्डेन्टके नाम २० तारीखका भारत-सरकारका जो हुक्म आया अुसका मुझे दिया गया भाग, और अुसका कल दिया हुआ मेरा जवाब—ये सब असि पत्रके साथ शामिल कर दिये हैं। असिसे आप देख सकेंगे कि क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि असि सम्बन्धमें मेरा टिकाना लगेगा। कैसी भी स्थितिमें मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। असिसे नुकसान होनेका भय है। अब अैसे खट्टेमें मुझे नहीं गिरना है। कअी लोग मुझे यह सलाह दे रहे हैं, और अुसे मैं सही मानता हूं, कि मुझे बम्बअीमें अच्छे विशेषज्ञसे ही ऑपरेशन कराना चाहिये। डॉ० अन्सारीने डॉ० टी० ओ० शाहसे ही करानेकी सिफारिश की थी। असिलिअे आप विलायत गये तब आपने मुझे डॉ० देशमुखके साथ उनके पास भेजा था। अुन्होंने जांच करके ऑपरेशन करनेकी सलाह दी थी। परन्तु अुस समय मेरे लिअे पंद्रह दिनका समय असि कामके लिअे देना संभव नहीं था। बादमें गत जनवरी मासमें 'कोटराअिज' कराया था। परन्तु दूसरे

ही दिन यहां आना हो गया। संभव है जिससे कुछ हानि हुई हो। कारण, सारे रास्ते मोटरमें आनेसे हवा लगी होगी। कुछ भी हो, परन्तु अब जो शर्तें सरकारने लगायी हैं उन पर खतरेमें पड़नेका मेरा विचार नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर बम्बयीके और रहना सासून अस्पताल पूनामें, यह ठीक नहीं। और बम्बयीके डॉक्टरोंको जो सुविधा चाहिये वह यहां न मिल सके तो जिम्मेदारी किसके सिर पर होगी? सरकार खुद तो इस मामलेमें कोअी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहती है। आप समझ सकेंगे कि यह आओ० जी० पी० की अच्छानुसार ही हुआ होगा। खैर, जब सरकारको सलाह मिलेगी कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा तब वह करायेगी या जो सुविधाओं चाहिये देगी। तब तक पीड़ा भुगतना ही अच्छा है। डेढ़ वर्ष तक भुगती तो कुछ समय और सही। परन्तु इस तरह कठिनायीमें यह काम नहीं हो सकता। जानका खतरा मालूम होने पर तो सरकार स्वयं ही जो करना होगा सो करायगी। और खतरा न हो तो पीड़ा भुगतना हमारा कर्तव्य ही है। भुगतने आये हैं और भुगतेंगे, इसमें क्या है? मैं चाहता हूं आप इस सम्बन्धमें निश्चिन्त रहे। मुझे कुछ नहीं होगा। सारी आवश्यक सुविधाओं मिले बिना यह काम करानेका आप आग्रह न कीजिये। मेरी खास प्रार्थना है कि इस सम्बन्धमें आप सरकारको कुछ न लिखें और न बाहर ही कोअी आन्दोलन हो। मैं जेलमें बीमार रहता हूं, अंसी बात जाहिर होनेसे मुझे बड़ी शर्म आयेगी; और मेरी अंसी बदनामी तो आप हरगिज नहीं होने देंगे। सरकारको जब तक उसके डॉक्टर अंसी सलाह नहीं देंगे कि ऑपरेशन किये बिना छुटकारा नहीं, तब तक वह किमीकी नहीं मानेगी और जिन्दगीके लिये जब खतरा पैदा हो जायगा तब तो उसीके डॉक्टर और आओ० जी० पी० भी जरूर अंसी सलाह उसे देंगे। परन्तु अंसी नौबत आयेगी ही नहीं। इसलिये केवल कष्ट भोगनेसे ही अुकताकर हाथपैर क्यों पीटे जाय? मैंने डॉक्टरोंको बुलवानेकी मांग की है। वह मंजूर हो गयी तो उनसे मिलकर सारी बातोंकी चर्चा करके, किस डॉक्टरसे ऑपरेशन कराया जाय और उसके लिये क्या सुविधाओं चाहिये, यह सब जानकर मैं सरकारको अंतिम अुत्तर दूंगा और उसकी सूचना आपको करूंगा। आप जरा भी चिन्ता न कीजिये।

वल्लभभाभीके प्रणाम”

सरदारकी नाकके ऑपरेशनकी कहानी अैसी है : अन्हें यरवडामें नाकके कारण बड़ी परेशानी होती थी। असलिये सरकारकी तरफसे पूनाके सासून अस्पतालके नाकके विशेष डॉक्टरसे अुनकी परीक्षा कराअी गअी। अुसने और सिविल सर्जनने यह राय दी कि ऑपरेशन करा लिया जाय तो लाभ हो सकता है। असलिये सरदारने अपने डॉक्टर देशमुखको बुलवाकर अुनसे अपने स्वास्थ्यकी परीक्षा कराअी। अन्होंने भी 'डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम' के लिये ऑपरेशन करानेकी सलाह दी। साथ ही यह राय दी कि ऑपरेशन बम्बअीमें कराया जाय तो अच्छा। अस पर आअी० जी० पी० ने सरदारसे पूछवाया कि आप ऑपरेशन जल्दी कराना चाहते हैं? सरदारने हां भर ली। परन्तु वे भारत-सरकारके कैदी थे। अिसलिये भारत-सरकारकी आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था। भारत-सरकारने ता० २०-६-'३३ को सूचित किया कि पूनाके सासून अस्पतालमें ऑपरेशन करानेकी सरदारकी अिच्छा हो तो वहां ऑपरेशनकी सुविधा कर दी जायगी। परन्तु और किसी अस्पतालमें या पूनासे बाहर ऑपरेशनके लिये नहीं ले जाया जायगा। असके सिवा, २१ अप्रैलको सासून अस्पतालके सिविल सर्जन तथा नाकके रोगोंके विशेष डॉक्टर मंडलिकने अुनकी परीक्षा करके यह राय दी है कि ऑपरेशन तुरन्त कराना जरूरी नहीं है। असलिये यदि मि० पटेलको अपने डॉक्टरोंसे ऑपरेशन कराना हो तो उसके सिलसिलेमें जो खर्च होगा वह अन्हें मिलनेवाली भत्तेकी रकममें से कुछ बची हो तो अुममें से देना होगा, अन्यथा मि० पटेलको खुद देना पड़ेगा। मि० पटेलको यह भी सूचित कर दिया जाय कि ऑपरेशन सफल होता है या नहीं, असकी तमाम जिम्मेदारी ऑपरेशन करनेवाले मि० पटेलके डॉक्टर पर रहेगी, सरकार पर बिलकुल नहीं। अिसके जवाबमें सरदारने सरकारको सूचित किया कि 'ऑपरेशन कराना वांछनीय है या नहीं, अस बारेमें कुछ गलतफहमी हुआ दीखती है। जेलके डॉक्टरोंने पिछले अेक वर्षसे भी अधिक समय तक जो अुपाय सुझाये वे मैंने किये हैं। और जब अुनका कोअी असर नहीं हुआ तब अन्होंने डॉक्टर मंडलिककी सलाह ली थी। सिविल सर्जन तथा डॉ० मंडलिकने मुझे यह सलाह न दी होती कि अुत्तम अुपाय ऑपरेशन करा डालना ही है, तो मैं अपने खानगी डॉक्टर देशमुखसे जांच करानेकी मांग भी न करता। अब सरकारकी अिजाजतसे मेरे डॉक्टरने मेरी परीक्षा करके यह सलाह दी है कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। परन्तु नाकका ऑपरेशन बड़ा नाजुक होता है। पहले मैं अेक बार ऑपरेशन और 'कोटराअिजेशन' करा चुका हूं। असलिये मुझे दुबारा ऑपरेशन कराना हो तो अैसी स्थितिमें ही कराना है जब अुत्तम सुविधायें मिलें,

ताकि असफलताका भय न रहे। परन्तु सरकारके हुकमसे अंसा मालूम होता है कि ऑपरेशन करनेवाला सर्जन मेरा रखा जाय तो भी सरकार उसे अत्यन्त मर्यादित सुविधाओं देना चाहती है और ऑपरेशनकी जिम्मेदारीका भार उस पर डालना चाहती है। अंसी स्थितिमें अपने डॉक्टरोंकी सलाह लिये बिना में कोई निर्णय नहीं कर सकता।'

अिस पर ११ जुलाहीकी डॉ० देशमुख और डॉ० दामानी सरकारकी अनुमतिसे सरदारकी दुबारा जांच कर गये। अुन्होंने राय दी कि 'ऑपरेशन दो या तीन किस्तोंमें करना पड़ेगा। और करनेके बाद भी बहुत ध्यान-पूर्वक संभाल रखनी पड़ेगी। अिसलिये हम बम्बईमें ही ऑपरेशन करानेकी सलाह देते हैं।' यह सलाह सरकारने नहीं मानी। परन्तु पूनाके सासून अस्पतालमें जो सुविधा चाहिये सो देनेको कहा। सरदारने २९ जुलाहीकी अंतिम अुत्तर लिख डाला कि 'मेरे डॉक्टर छः सप्ताह तक पूना आकर ठहर नहीं सकते। मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही है और रोग असह्य होता जा रहा है, किन्तु जब तक सरकारको अुसके अपने डॉक्टर मेरे ऑपरेशनके लिये सलाह न दें तब तक यह पीड़ा मुझे सहनी ही पड़ेगी।' अिस प्रकार नाकके ऑपरेशनका यह किस्सा निबट गया। जेलसे बाहर आकर ठेठ १९३५ में सरदार यह ऑपरेशन करा सके थे।

ता० १-८-३३ को जिम दिन गांधीजीको अहमदाबादमें पकड़ा गया, अुसी दिन सरदारको यरवडासे हटाकर नासिक जेलमें ले जाया गया। नासिक जेलमें अुन्हें अंग्रेजी अखबार तो बहुत मिलते थे परन्तु गुजराती अेक भी नहीं मिलता था। अिसलिये सरदारने 'बम्बई समाचार' की मांग की, तब सरकारने अुन्हें 'जामेजमशेद' देना शुरू किया। अिस सम्बन्धमें तथा दूसरी छोटी-छोटी बातोंके बारेमें सरकारके साथ अुनके झगड़े होते ही रहते थे। काफी पत्रव्यवहार हुआ था। सरकारकी अनुमतिसे ही अपने डॉक्टरको बम्बईसे बुलवाकर अुन्होंने दांतोंका अिलाज कराया था और बिल अपने मासिक भत्तेकी रकममें से ही चुकाया था। फिर भी सरकारने आपत्ति अुठाही कि बिल बहुत भारी है। अिस सम्बन्धमें भी बहुत लिखा-पढ़ी हुअी। सरकारने अपनी मंजूरीके अनुसार ही बिलकी रकम देनेका आग्रह किया। तब सरदारने अिस बारेमें अपने वकीलकी सलाह लेनेकी मांग की, जिसे सरकारने स्वीकार नहीं किया।

अुन्हें नासिक जेलमें ले जानेके बाद सरकारका अनुचित व्यवहार बताने-वाली अेक छोटीसी घटना हो गअी, जिसका अुल्लेख यहां कर देना चाहिये। नासिक जेलमें सरदारको शुरूमें तो वहांके अस्पतालके अेक बैरकमें रखा गया

और साथीके तौर पर श्री मंगलदास पकवासाको अुनके साथ रखा गया । परंतु थोड़े ही दिन बाद अेक अैसे कैदीको अुनके बैरकमें रख दिया गया, जिसे बनावटी हस्ताक्षर करनेके जुर्ममें पांच वर्षकी जेलकी सजा हुआ थी । असलमें तो सरदारको अलग कमरा देना चाहिये था । परंतु श्री मंगलदास अपने ही आदमी थे और बैरक जरा बड़ी और सुविधावाली थी असलिये सरदारने आपत्ति नहीं अुठाअी । परंतु जब अस तरह किमी अपराधी कैदीको चौबीसों घंटे अपने साथ रख दिया जाय तो स्वाभाविक ही कष्टप्रद मालूम होता है । असलिये सरदारने सुपरिन्टेन्डेन्टके सामने असका विरोध किया । सुपरिन्टेन्डेन्टकी नीयत कदाचित् अैसी होगी कि मंगलदास पकवासाके बजाय अुस अपराधी कैदीको सरदारके साथ रखकर यह कहा जाय कि अुन्हें साथी दिया गया है । परंतु सरदारने अेत-राज किया तो अुन्हें अस्पताल विभागसे हटाकर दूसरे विभागमें अलग कोठरीमें ले गये । वहां अस्पताल जैसी सुविधा नहीं थी । फिर भी अस विभागमें मंगलदास पकवासाको साथीके रूपमें रखा गया असलिये सरदारने कोअी अेतराज नहीं किया । परंतु श्री मंगलदास अपनी सजा पूरी होने पर ९ सितम्बरको छूट गये । असलिये अस सारे विभागमें सरदार अकेले रह गये । साथी देनेके लिये अुन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्टसे बात की परंतु वह राज-नैतिक कैदियोंमें से किसीको देनेके लिये तैयार नहीं था । असलिये सरदारको बम्बअी सरकारके गृहमंत्रीको लिखना पड़ा । अुन्हें लिखा कि :

“आप मुझे सजाके तौर पर अेकान्तमें रखना चाहते हैं तो मैं आपत्ति नहीं कर सकता । परंतु अेकान्तवासकी सजाका पात्र होने जैसा मैंने कोअी काम नहीं किया है । और मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता तो मैं अेकान्तकी तकलीफकी परवाह नहीं करता । परंतु नाकके कष्टके कारण मुझे कितनी ही रातें जागकर बैठे बैठे काटनी पड़ती हैं । मेरे पास कोअी साथी हो तो अपनी वीमारीमें मैं अुससे कुछ लिखवाअूं और पढ़वाअूं भी । मेरी अैसी खराब तंदुरुस्तीमें बिलकुल अेकान्तमें रहनेका बोझ मुझ पर डालना अुचित नहीं है । अस जेलमें राजनैतिक कैदी बहुत हैं । अुनमें से अेक या दोको मेरे साथ रख दिया जाय तो मुझे बड़ा आराम मिल सकता है ।”

यह पत्र जानेके थोड़े दिन बाद डॉ० चंदुलाल देसाअीको साथीके तौर पर अुनके साथ रखा गया ।

सरदार यरवडामें थे तभी नवम्बर १९३२ में अुनकी माताजीका स्वर्ग-वास हो गया था । अुस समय तो गांधीजी और महादेवभाअी अुनके साथ

थे। नासिक जेलमें जानेके अक-दो महीने बाद अर्थात् ता० २२-१०-'३३ को अुनके बड़े भाभी माननीय श्री विट्टलभाभीका परदेशमें सगे-संबंधियोंसे दूर विषम स्थितिमें देहावसान हुआ। माननीय विट्टलभाभीको अुनके स्वास्थ्यके कारण सजाकी मियाद पूरी होनेसे पहले ही जनवरी १९३१ में छोड़ दिया गया था। अुन्हें पेटका ऑपरेशन करानेकी बड़ी जरूरत थी। वह ऑपरेशन बड़ा गंभीर था, अिसलिये वे तुरंत ही वियेना चले गये। वहां अुनका स्वास्थ्य पूरा सुधरा न था फिर भी वे अमेरिका हो आये। वहां हिन्दुस्तानकी हालतके बारेमें अुन्होंने अनेक भाषण दिये। यह बोझ अुनकी तबीयत सह न सकी। वापस वियेना आकर वहांके अस्पतालमें भरती हुई। परंतु दीपकमें तेल पूरा हो गया था, अिसलिये थोड़े ही समयमें अुनका जीवनदीप बुझ गया। अुनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करनेवाले बहुतेसे तार और पत्र सरदारके नाम आये। जेलमें से अुन सबको जवाब नहीं दिया जा सकता था, अिसलिये अुन्होंने नीचे लिखा सन्देश अखबारोंमें छपनेके लिये सरकारके पास भेजा :

“ मेरे पास विट्टलभाभीकी मृत्यु पर शोक और सहानुभूति प्रगट करनेवाले बहुतेसे पत्र (देशके अलग अलग भागोंसे तथा ब्रह्मदेश और लंकासे भी) आये हैं। अुन सबको (यहांसे) व्यक्तिगत अुत्तर देना मेरे लिये संभव नहीं है। अिसलिये जिन्होंने मेरे साथ समवेदना प्रगट की है, अुनके प्रति मैं अिस अवसर पर (सार्वजनिक रूपमें) आभार प्रकट करता हूं। (मेरे दुःखमें लाखों मनुष्य भाग लेनेवाले हैं, अिससे अधिक बड़ा आश्वासन मेरे लिये और क्या हो सकता है?) ”

सरकारकी तरफसे राजनैतिक कैदी श्री वल्लभभाभी पटेलको सूचित किया गया कि कोण्टकमें दिये गये शब्द संदेशमें से निकालकर सन्देश छपवाना हो तो छपाया जा सकता है। सरदारने अिसके अुत्तरमें बताया कि मेरे अैसे निर्दोष सन्देशमें भी काटछांट करनेसे वह अस्पष्ट, भद्दा और अर्थहीन हो जाता है। अिसलिये मैं अुसे न छपवानेका निर्णय करता हूं।

बादमें ता० ९-११-'३३ को माननीय विट्टलभाभीका शव वियेनासे बम्बयी लाया गया। मासैलसे शवको ले जानेवाला जहाज रवाना हुआ अुसके पहले श्री सुभाष बोसने गांधीजीको, जो हरिजन-यात्रामें थे, तार दिया कि विट्टलभाभीकी अंतिम क्रिया वल्लभभाभीके हाथों होना वांछनीय है, अिसलिये अुसकी व्यवस्था कीजिये। गांधीजीने ता० २८-१०-'३३ को अखबारोंमें अेक वक्तव्य प्रकाशित करके अपनी राय बतायी कि 'मैं मानता हूं कि सरदार पैरोल पर छूटनेकी अर्जी नहीं दूंगे, अतः अुनके हाथों अंतिम

क्रिया होना संभव नहीं दीखता।' फिर भी बाहरके कुछ मित्रोंने सरकारको लिखा। अिस पर ७ नवम्बरकी रातको सरदारसे कहा गया कि विट्टलभाजीकी अंतिम क्रिया करनेके लिये आपको नीचे लिखी शर्तों पर छोड़ा जायगा :

१. आपको श्री विट्टलभाजीकी अंतिम क्रिया कर सकनेके लिये जितना वक्त जरूरी हो अुतने वक्तके लिये छोड़ा जायगा। परंतु आपको यह वचन देना पड़ेगा कि आप जब तक बाहर रहेंगे तब तक कोअी राज-नैतिक भाषण नहीं देंगे और न किसी राजनैतिक हलचलमें भाग लेंगे। क्रिया हो जानेके बाद निश्चित स्थान और निश्चित समय पर आप हाजिर हो जायं, जिससे आपको फिर पकड़ लिया जाय।

२. आपको ९ तारीख गुरुवारको सुबह नासिक जेलसे छोड़ा जायगा।

३. आपको शनिवार ११ तारीखको बम्बअीसे नासिकके लिये सुबह ७-१५ पर चलनेवाली रेलगाडीमें बैठकर नासिक आना होगा। यह ट्रेन १०-५७ पर नासिक पहुंचती है। अुस समय स्टेशन पर अेक पुलिस अफसर मौजूद होगा। ट्रेनसे अुतर कर आपको अुसके हवाले हो जाना पड़ेगा।

सरदारने जवाब दिया कि "अैसी किसी शर्त पर मैं बाहर जाना नहीं चाहता। आपको मुझे छोड़ना हो तो बिना शर्त छोड़िये। और जब फिर पकड़ना हो तब मैं जहां होअूं वहांसे मुझे पकड़ सकते हैं। मैं अपने आप पुलिसके हवाले होनेको नहीं आअूंगा। मैं जानता हूं कि अिस अवसर पर बाहर मेरी बड़ी जरूरत है, परंतु प्रतिष्ठा या स्वाभिमान खोकर मुझे बाहर नहीं जाना है।" तारीख १० को बम्बअीमें माननीय विट्टलभाजीकी बहुत बड़ी स्मशान-यात्रा निकली। अुस समय मणिबहन बाहर थीं, अिसलिये वे अुसमें भाग ले सकीं। डाय्याभाजीके हाथों शवका दाह-संस्कार किया गया। अुस समय श्रीमती सरोजिनी नायडूने बड़ा हृदयद्रावक भाषण दिया। विट्टलभाजीकी मृत्युसे सरदारको होनेवाल शोक और अुनकी मनःस्थितिकी कुछ कल्पना अुनके ता० २१-११-'३४ को श्री मथुरादास त्रिकमजीको लिखे गये निम्न पत्रसे होती है :

"तुम्हारा पत्र मिल गया था। फिर तो चारों ओरसे आनेवाले तारों और पत्रोंके जवाब देनेमें लग गया। चित्त भी कुछ अज्ञान्त हुआ। अब कुछ नहीं। होना था सो हो गया। कभी कभी स्मरण हो आता है। परन्तु यह सब अब वेदनाप्रद नहीं रहा। गहुरा विचार करने पर लगता है कि अिस कठिन कालमें बनी हुआ अिज्जतके साथ

अस फानी दुनियाको छोड़कर जानेका सौभाग्य प्राप्त हो तो असमें शोककी कोअी बात नहीं। अीश्वरको जो पसंद था सो हुआ। जाते जाते भाअी कटुम्बकी, जातिकी और देशकी अिज्जत बढ़ा गये हैं, अिसलिये में जरा भी चिन्ता नहीं करता। पहले तो गहरा आघात लगा। अुनके जानेकी अपेक्षा अस बातका मुझे अधिक दुःख रहा कि वे अैसे स्थानसे गये, जहां अैसा कोअी पासमें नहीं था जिसके सामने अपना दिल खोलकर जाते। परन्तु अब अस बातका शोक व्यर्थ है। अससे अेक ही शिक्षा लेनी है—कोअी नहीं जान सकता कि अंतिम क्षण कव आ जायगा। असलिये मनमें जो कुछ कहने जैसा हो अुसे पहलेसे ही कह रखना चाहिये और जी हलका करके मौजसे रहना चाहिये। मैं अस समय अिसी दशामें हूं। असलिये अत्यंत आनंदमें रहता हूं। आज मुझे जाना पड़े तो किसीसे कुछ कहनेको रह नहीं जायगा। मैं अनुभव कर रहा हूं कि यह स्थिति अत्यंत सुखकर है। अीश्वरने मुझे साथी (डॉ० चंदुलाल देसाअी) भी अैसा ही दिया है। असलिये हमारी स्थिति अैसी है—‘खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो’। . . . ”

बादमें पता चला कि मरनेसे पहले माननीय विट्ठलभाअीने अपना वसीयतनामा लिख दिया था। आगे चलकर वह बड़ी चर्चाका और हाअीकोर्टके मुकदमेका विषय बन गया। सरदारने अुसमें महत्त्वपूर्ण और अुदार भाग लिया। कालक्रमके अनुसार अुसकी तफसील बादमें दी जाती, परन्तु मानसक्रमके अनुसार अुसे यहीं दे देना ठीक है।

अिस वसीयतनामामें अपने सगे-सम्बन्धियोंमें से सेवा-शुश्रूषा करने-वालोंको पुरस्कारके तौर पर कुछ रकमें देनेके बाद बाकीकी रकम देशकी राष्ट्रीय अुन्नतिके लिये और खास तौर पर विदेशोंमें प्रचारकार्य करनेके लिये श्री सुभाषचंद्र बोसको सौंपी गयी थी। वसीयतनामकी अुस कलमके शब्द ये थे :

“अूपर बताये गये चार पुरस्कार दे देनेके बाद मेरी सम्पत्तिमें से जो कुछ बाकी रहे, वह रकम सुभाषचंद्र बोस (श्री जानकीनाथ बोसके पुत्र) १, वुडबर्न पार्क, कलकत्ता, को सौंप दी जाय। अुक्त श्री सुभाषचंद्र बोस अस रकमको स्वयं या जिन अेक या अधिक मनुष्योंको वे नियुक्त करें वे लोग अुनकी हिदायतके मुताबिक भारतकी राजनैतिक अुन्नतिके लिये और अधिक अच्छा तो यह होगा कि दूसरे देशोंमें हिन्दुस्तानके कामका प्रचार करनेके लिये खर्च करें।”

अस वसीयतनामेका अमल करानेके लिये डॉक्टर पी० टी० पटेल तथा श्री गोरधनभाजी जी० पटेलको व्यवस्थापक मुकर्रर किया गया था । थोड़े समयमें डॉ० पी० टी० पटेलकी मृत्यु हो गयी, अिसलिये अुसके अक-मात्र व्यवस्थापक श्री गोरधनभाजी पटेल रह गये । श्री सुभाषचंद्र बोसने अिस वसीयतनामेका अुचित अमल करनेमें बड़ी रुकावटें डालीं । बहुत समय तक अुन्होंने मूल वसीयतनामा ही श्री गोरधनभाजीको नहीं सौंपा । परन्तु जब सौंपा तब अुन्होंने यह दावा किया कि अिस वसीयतनामेके अनुसार सूचित की गयी रकम मुझे सर्वाधिकारके माथ सौंप दी गयी है । अुसमें यह जो शर्त लिखी हुयी है कि मुझे वह रकम अमुक ढंगसे ही खर्च करनी चाहिये वह कानूनके अनुसार मेरे लिये बन्धनकारक नहीं है ।

शुरुमें तो अिस मामलेमें सरदारने बहुत निःस्पृह और तटस्थ वृत्ति रखी थी । परन्तु रुपयेका अुपयोग कैसे किया जाय, अिस बारेमें जब सुभाष बाबू हीले-हवाले करने लगे तब सरदारको ठीक नहीं लगा । जिस ढंगसे अिस वसीयतनामे पर विट्टलभाजीके दस्तखत कराये गये थे अुससे भी सरदारको अिस विषयमें शंकाओं पैदा होने लगी थीं । वसीयतनामा अुसी दिन लिखा गया था जिस दिन विट्टलभाजीका अवसान हुआ । अुनकी अितनी गंभीर हालत होने पर भी वसीयतनामे पर अुनकी देखभाल करनेवाले डॉक्टरकी गवाही नहीं थी । तीनों साथी बंगाली थे । और अुनमें से दो तो केवल विद्यार्थी ही थे । अुस समय श्री भूलाभाजी देसाजी, श्री वालचंद हीराचंद, श्री अम्बालाल साराभाजी सब स्विट्ज़रलैंडमें ही थे । अिसलिये प्रयत्न किया जाता तो अुन्हें अंतिम समय पर अुपस्थित रखा जा सकता था और वसीयतनामे पर अुनकी गवाही करायी जा सकती थी । परन्तु वसीयतनामेकी सच्चायीके बारेमें झगड़ा खड़ा करके सरदारको अेक पैसा भी विट्टलभाजीके कानूनी वारिसों अर्थात् अपने कुटुम्बियोंके लिये नहीं चाहिये था । अिसलिये अुन्होंने तो अपने कुटुम्बियोंमें से जिन जिनका अुत्तराधिकार हो सकता था अुन सबसे हस्ताक्षर करा लिये कि विट्टलभाजीके वसीयतनामेमें जो रकम देशकार्यमें लगानेकी बात कही गयी है अुसमें से अेक पायी भी हमें नहीं चाहिये । अिस प्रकारकी स्पष्टता करके अुन्होंने गांधीजीसे कहा कि आप बीचमें पड़िये और सुभाषबाबूको समझाअिये कि यह रुपया कांग्रेस कार्यसमितिको या कांग्रेसके नेता जिनकी समिति बना दें अुन्हें देशकार्यमें लगा देनेको सौंप दिया जाय । फरवरी १९३८ में हरिपुरा (गुजरात) की कांग्रेसके अध्यक्ष सुभाषबाबू थे । अुस समय गांधीजी तथा मौलाना अबुल कलाम आजादने सुभाषबाबूको समझानेका स. २-१२

बहुत प्रयत्न किया। परन्तु सुभाषबाबू नहीं माने। इसलिये वसीयतनामेके अेकजीक्यूटर (व्यवस्थापक) श्री गोरधनभाजी पटेलको सरदारने सलाह दी कि आपके लिये अब वसीयतनामेकी कलमोंके अर्थके बारेमें अदालतका फैसला लेनेके सिवा कोई चारा नहीं है। बम्बयी हाजीकोर्टमें श्री गोरधनभाजीकी अर्जीकी सुनवायी हुयी। अुनकी तरफसे तथा विट्टलभाजीके कानूनी वारिसोंकी तरफसे श्री भूलाभाजी देसायी, सर चिमनलाल सेतलवाड़ वगैरा बैरिस्टर खड़े हुये। सुभाषबाबूकी ओरसे देशबन्धु दासके भायी बैरिस्टर श्री पी० आर० दास खड़े हुये। लोगोंमें इस बारेमें अितनी ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गयी कि अदालतका कमरा खचाखच भर गया था। दोनों तरफके धाराशास्त्रियोंकी बहस सुनकर अदालतने तय किया कि वसीयतनामेके शब्दोंको देखते हुये सुभाषबाबूको रुपये पर सर्वाधिकार नहीं प्राप्त होता। वे अपनी अिच्छानुसार अुसे खर्च नहीं कर सकते। वे अुम्नी काममें अुसका अुपयोग कर सकते हैं, जो वसीयतनामेमें बताया गया है। परन्तु रुपयेके अुपयोगका मुद्दा यहां खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि वसीयतनामेमें रुपयेका अुपयोग अैसे अनिश्चित कामके लिये करनेको लिखा गया है कि इस शर्तको अदालत मंजूर नहीं कर सकती। इसलिये वसीयतनामेका यह भाग अदालत रद्द समझती है और विट्टलभाजीके वारिसोंको इस रुपयेका हकदार टहराती है।

बम्बयी हाजीकोर्टका अुपरोक्त निर्णय ता० १४-३-३९ को घोषित होते ही सरदारने तुरन्त ता० १६-३-३९ को अखबारोंमें वक्तव्य निकालकर घोषणा की कि विट्टलभाजीके हम वारिसोंने निश्चय किया है कि इस रकममें से अेक पायी भी हमें नहीं लेनी है; हिन्दुस्तानकी राजनैतिक अुन्नतिके लिये यह रकम खर्च करनेके लिये इस रकमका विट्टलभाजी पटेल स्मारक ट्रस्ट नामक अेक सार्वजनिक ट्रस्ट बना दिया जाय। वसीयतनामेमें जो पुरस्कार देनेके लिये कहा गया था अुन्हें दे देनेके बाद लगभग अेक लाख बीस हजारकी रकम बाकी रहती थी। सरदारने ता० ११-१०-४० को अुस समयके कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजादको पत्र लिखकर वर्षामें, जहां कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक हो रही थी, वह सारी रकम मृतककी अिच्छाके अनुसार खर्च करनेके लिये कांग्रेस कार्यसमितिको सौंप दी।

वत्सल हृदय

आम तौर पर सरदारको लम्बे पत्र लिखनेकी आदत नहीं थी। सार्वजनिक कामकाजके लिये ऐसे पत्र लिखने पड़े हों सो अलग बात है। परन्तु १९३२ से १९३४ तक यरवडा और नासिक जेलोंमें रहे तब और इसी तरह १९४०-४१ में व्यक्तिगत सविनय कानून-भंगके समय तथा १९४२ से १९४५ तक अहमदनगरके किलेमें नजरबन्द रहे अुम समय अुन्होंने सगे-सम्बन्धियों और मित्रोंको बहुत सुन्दर और लम्बे पत्र लिखे हैं। संभव है अुन्होंने यह आदत गांधीजीको लम्बे पत्र लिखते देखकर अुस समय डाली हो जब वे अुनके साथ सोलह महीने यरवडामें रहे थे।

मनुष्यका परिचय जैसा व्यक्तिगत पत्रव्यवहार या व्यक्तिगत बात-चीतसे होता है, वैसा अुसके लेखों अथवा भाषणोंसे या सार्वजनिक कामकाजसे नहीं होता। अिन अवसरों पर लोग मानो तैयारी करके लिखते, बोलते या काम करते हैं। परन्तु निजी पत्रव्यवहार और बातचीतमें मनुष्य स्वाभाविक ढंगसे लिखता या बोलता है। असिलिये अुसमें हमें मनुष्यके व्यक्तित्वका सर्वथा भिन्न और अधिक सच्चा दर्शन होता है। अस अध्यायमें मैं सरदार द्वारा यरवडा तथा नासिक जेलसे मणिबहन और डाह्याभाजीको लिखे गये पत्रोंमें से कुछ अुद्धरण देना चाहता हूं। अन्य मित्रोंको भी अुन्होंने बहुतसे पत्र लिखे होंगे, परन्तु वे मुझे अस समय मिल नहीं सके। गांधीजीसे अलग हो जानेके बाद दोनोंके बीच बड़ा नियमित और लम्बा पत्रव्यवहार होता रहा था। गांधीजी द्वारा सरदारके नाम लिखे गये पत्र तो श्री मणिबहनने प्रकाशित करा दिये हैं। * सरदारके गांधीजीको लिखे हुअे थोड़ेसे पत्र पिछले अध्यायमें दिये गये हैं। दूसरे मिल नहीं सके। वे पत्र मिल जायं तो पत्र-साहित्यमें बड़ी मूल्यवान वृद्धि होनेकी संभावना है। मणिबहन और डाह्या-भाजीके नाम लिखे पत्रोंमें तथा रमणीकलाल सुखडिया नामक स्वयंसेवक द्वारा मुझे भेजे हुअे अेक पत्रमें, जो यहां दिया गया है, सरदारका वत्सल हृदय देखनेको मिलता है। इसके सिवा सांसारिक व्यवहारके गहरे ज्ञानकी

* ये पत्र हिन्दीमें 'बापूके पत्र — २ : सरदार वत्सलभाजीके नाम' नामक पुस्तकमें नवजीवन प्रकाशन मंदिरकी तरफसे प्रकाशित हो चुके हैं। कीमत ३-८-०; डाकखर्च १-४-०।

और अुसीके साथ हृदयकी बुदारता तथा व्यवहारमें अलिप्तता और अपार अीश्वर-श्रद्धाकी भी अिन पत्रोंसे हमें ज्ञांकी मिलती है ।

ता० १७-७-३२ को यरवडा मंदिरसे श्री मणिवहनको अपने अेक भतीजेके बारेमें लिखते है :

“ . . . वह अब बड़ा हो गया है, असलिये किसीके कहनेसे नहीं सुधरेगा । अुसके जीमें आये वही करने देनेमें बुद्धिमत्ता है । दबाव डालनेसे लुकाछिप कर काम करेगा । असके बनिस्बत खुले तौर पर करे वही अच्छा है । पैसे होंगे अुतने खो देगा, फिर ठिकाने आ जायगा । बुरे मार्ग पर न जाय तब तक हम दखल नहीं दे सकते । खराब रास्ते जाता हो तो कह सकते हैं । परन्तु कहनेकी भी हद होती है । अितनी बड़ी अुमरवालेसे क्या कहा जाय ? ”

श्री डाह्याभाजी हाल ही में विधुर हुए थे । अुनके विवाहके बारेमें लोग मणिवहनसे पूछते रहते थे । अस विषयमें मणिवहनको इसी पत्रमें सलाह देते हैं :

“ चि० डाह्याभाजीके विवाहके सम्बन्धमें जो लोग पूछें अुन्हें हम सभ्यतासे सिर्फ अितना ही जवाब दें कि डाह्याभाजी अुनकी अिच्छा होगी वही करेंगे । वे समझदार हैं और प्रौढ़ हैं । अुन्हें अस विषयमें किसीकी सलाहकी आवश्यकता नहीं । और दूसरोंकी सलाह अस विषयमें काम भी नहीं आती । हमें किसीको दुःख पहुंचाने-वाली बात कहनेकी क्या जरूरत ? लोग तो ममाजके रिवाजके अनुसार पूछते हैं । अससे हम नाराज क्यों हों ? यह कहना भी कठिन है कि डाह्याभाजी क्या करेंगे । अभीसे सारी अुम्र अकेले काटना भी मुश्किल है । इसी तरह दूसरी झंझट मोल लेना भी कठिन है । दोनोंमें से कौनसा मार्ग अपनाया जाय, असका निर्णय समय आने पर वे स्वयं ही कर लेंगे । अभी तो अुनसे कुछ पूछा ही नहीं जा सकता । अुन्हें ताजा घाव लगा है, जिसे भरनेमें समय लगेगा । अेक-दो वर्ष बाद अुनकी अिच्छा फिर विवाह करनेकी हो तो भले कर लें । और न करना हो तो भी अच्छा है । अस काममें किसीकी सलाह काम नहीं देती और किसीको सलाह देनी भी नहीं चाहिये । ”

श्री डाह्याभाजीको ता० ६-१२-३२ को अुनके कामकाजके सिल-सिलेमें स्वभाव सुधारनेकी नसीहत देते हैं, जो किसी भी युवकके लिये

हृदयमें अंकित करने योग्य है। डाह्याभाजी उस समय मोतीझिरेकी बीमारीसे अठे ही थे।

“एक दो बातों पर लिखनेका विचार था, परन्तु तुम रोग-शय्या पर थे इसलिये नहीं लिख रहा था। अब कुछ ठीक हुआ हो इसलिये लिखता हूँ। इससे तुम्हें दुःख न होना चाहिये। पर मैं जो बात लिख रहा हूँ उस पर अच्छी तरह विचार करके भूल हो रही हो तो उसे सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिये। तुम दफ्तरमें जो पत्र लिखते हो उनमें भाषा अग्र और सामनेवालेको बुरी लगनेवाली होती है। दफ्तरमें किसीके साथ हमारी जबान या कलमके कारण विरोध हो या किसीको दुःख हो, यह कभी अच्छा नहीं माना जा सकता। इससे भविष्यकी अुन्नतिमें रुकावट ही नहीं होती है, परन्तु हमारी प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। हो सकता है कांजी हमारे सामने न कहे। परन्तु इसमें क्या? असलमें हमसे जो छोटे आदमी हैं उनके साथ हमें मिटाससे काम लेना चाहिये। अपने साथियों और अफसरोंके साथ भी अुचित मर्यादामें रहकर अुचित व्यवहार करना चाहिये। तुम्हारे मकान-मालिकने मकान खाली करनेके लिये तुम पर दावा किया, यह हमें शोभा नहीं देता। तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है, यह मेरी समझमें नहीं आता। मैंने इस बारेमें कभी तुमसे कहा नहीं। मैं मानता था कि तुमने सबका प्रेम संपादन कर लिया है। इसलिये बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन ये बातें सुनकर मुझे जरा आश्चर्य हुआ। इसलिये तुम अभी बीमारीसे पूरी तरह अुठे नहीं हो, फिर भी लिख रहा हूँ। क्योंकि यदि तुम्हारी साख अितनी गिर जाय तो हमारी अिज्जतकी बट्टा लगेगा और हमें पछताना पड़ेगा। किसीको बुरी बात कहनेमें लाभ हो ही नहीं सकता। हमें जो करना हो सो करें। परन्तु हमारी स्वतंत्रताका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरोंका तिरस्कार करें। यह गृहस्थका भूषण नहीं माना जा सकता। इससे हमारे स्नेहियोंको भी परेशानी हो सकती है। इस बारेमें विचार करके जहां भी भूल हो रही हो वहां सुधार लेना। किसीको बुरी लगनेवाली बात लिख दी हो तो उससे क्षमा मांगकर उसके साथ घुलमिल जाना और उसका प्रेम संपादन करना। किसीके साथ दुश्मनी मत करना। मुझे खुले दिलसे लिखना। कुछ भी दुःख न करना। मेरा स्वभाव भी किसी समय सख्त था, परन्तु

मुझे इस बारेमें बड़ा पछतावा हुआ है। ये बातें मैं तुम्हें अनुभवसे ही लिख रहा हूँ।”

श्री डाह्याभाभीने इसकी पूरी सफाई दी। उसके जवाबमें ता० ९-१२-'३२ के पत्रमें लिखा :

“मुझे जो खबर मिली सो तुम्हें लिख दी थी। अपने स्नेही हमारा कोअी दोष बतायें तो अुसका बुरा न मानना चाहिये। अुनका दृष्टिकोण समझनेका प्रयत्न करें तो अुमसे हमें सदा लाभ होता है। कोअी हम पर अीर्षसि आरोप लगाता हो तो दुःख हो सकता है। परन्तु तुम्हारे स्नेहियोंका तुम्हारे लिये जो खयाल हो वह यदि वे लंग मुझे बतायें तो इसमें अीर्षा नहीं हो सकती। अुनके विचारमें कोअी दोष न हो तो अुन्हें समझनेकी कोशिश करनी चाहिये।”

जब गांधीजीका अिककीस दिनका अुपवास जारी था, तब बेलगांव जेलमें श्री मणिवहनको ता० १९-५-'३३ को लिखा कि बापूजीके कार्य कितने अकल्पित होते हैं। मृदुलाबहन भी अुस समय बेलगांव जेलमें ही थीं।

“बापूके अुपवाससे मृदुलाको बहुत दुःख हो, यह मैं समझता हूँ। परन्तु अुनका अुनकरण करनेमें हमें अितना तो समझ ही लेना चाहिये कि कभी कभी अुनके काम अैसे अवश्य होते हैं जिन्हें मामूली तौर पर देखनेसे हम नहीं समझ सकते। दुनिया और अुनके बीच अितना बड़ा अंतर है कि हम अुनके सब कामोंको समझ नहीं सकते। इसलिये यह मानना पड़ता है कि अीश्वर जो करता है सो अच्छा ही करता है। और बापूका सारा जीवन अैसा है कि इस बारेमें कोअी शंका नहीं की जा सकती कि वे जो कुछ करेंगे वह शुद्ध हेतुसे और देशहितके लिये ही करेंगे। यह अवसर तो अीश्वर-कृपासे निर्विघ्न पार हो जायगा। अब आधे अुपवास बाकी रहे हैं। वे बापू अच्छी तरह कर लेंगे, अैसी आज तो डॉक्टरोंकी राय है। इसलिये अब बहुत चिन्ता करनेका कारण नहीं है। परन्तु भविष्यमें किसी समय कुछ भी घटना हो जाय, तो भी बिलकुल घबराना नहीं चाहिये। यह मानना चाहिये कि बापू जो करते हैं सारी स्थितिका विचार करके ही करते हैं। परिणाम सदा अीश्वरके हाथमें होता है। किसीका चाहा नहीं होता। अच्छा कार्य करने पर अच्छा परिणाम न निकले तो भी क्या? यह बात ध्यानमें रखकर जेलमें पड़े हुओंको बाहरकी कुछ भी चिन्ता न करनी चाहिये। यह सब तुम दोनोंको समझ लेना है। भविष्यमें क्या क्या करना पड़ेगा या

सहना पड़ेगा, यह कौन जानता है? इसलिये यह समझ लो कि जेल दुःखमें सुख माननेवालोंके लिये है।

“बापूके समाचार तो तुम्हें रोज रोज मिल जाते हैं। और तुम्हें जवाबमें पत्र लिखनेकी भी छूट मिल गयी है। इसलिये तुम्हें कोअी चिन्ता न होनी चाहिये।

“मृदुला वहादुर है। अुसके लिये रोने या घबरानेका कोअी कारण हो ही नहीं सकता। यह पत्र मिलेगा तब बापूके अुपवास पूरे होने आये होंगे या पूरे हो गये होंगे। परन्तु भविष्यमें तुम दोनोंके याद रखनेके लिये ही लिख रहा हूं। बाहर होनेवाली किसी भी घटनासे जरा भी अशान्त नहीं होना चाहिये। अितनी शक्ति जो प्राप्त कर ले वही जेल जानेके लायक माना जायगा। हमें अपना धर्म पालन करना है। इससे अधिक हमारा कर्तव्य नहीं।

“बापूके तपसे हमें अेक ही बातका विचार और अमल करना चाहिये। वह है हमारी अधिक आत्मशुद्धि। वह शुद्धि हम किस हद तक कर सकते हैं इसका विचार करें, ताकि हम देशसेवाके लिये अधिक योग्यता प्राप्त कर सकें। इससे अधिक कुछ करनेकी या सोचनेकी बात ही नहीं हो सकती। इस बार तुमने अच्छी हिम्मत रखी है। इसके लिये तुम्हें बधाअी देता हूं। मृदुलाका प्रेम सम्पादन किया है, इसके लिये भी तुम्हें बधाअी देता हूं। तुम्हारी सहृदयतासे अंबालालभाअी और सरलादेवी अुसके बारेमें बहुत निश्चिन्त हो गये हैं, असा अुनके पत्रोंसे जान पड़ता है।

“बापूको लिखे तुम्हारे पत्र कौन पढ़ता है, इसकी चिन्ता करनी ही नहीं चाहिये। तुम्हें यह तो पता होना ही चाहिये कि अुनके पास गुप्तता जैसी कोअी चीज नहीं होती। और हमें भी किसीसे कुछ छिपाना नहीं है।”

गांधीजीने यह कहा था कि मेरा अुपवास अपनी और समाजकी शुद्धिके लिये ही है। अुस परसे श्री मणिबहनको यह खयाल आया करता था कि कहीं हमारे दोषोंके लिये ही तो बापूजी अुपवास नहीं कर रहे हैं? इस बारेमें ता० १६-६-३३ को अुन्हें लिखते हैं :

“महादेव लिखते हैं कि अुपवासके दरमियान बापूके नाम आये हुअे तुम्हारे पत्रोंसे तुम्हारी अशांति बहुत ज्यादा प्रगट होती थी। इस बारेमें मैंने पिछले पत्रमें तो लिखा ही था। मैं मान लेता

हं कि अब तुम्हारा मन शान्त हुआ होगा। हमसे कोअी दोष हो गया हो तो अुसे बार बार याद करके दुःखी होनेमें कोअी सार नहीं। सही अुपाय यही है कि भविष्यका जीवन सुधार लेनेका यथाशक्ति प्रयत्न किया जाय। यही सच्चा कर्तव्य है। असिलिअे जब जागे तभी सबेरा समझकर अीश्वर पर विश्वास रखते हुअे भविष्यके लिअे जीवनमें सुधार कर लेनेका विचार किया जाय। मनमें कोअी परेशानी न रखकर तथा अीश्वरकी शरण लेकर निष्काम भावसे भरसक सेवा की जाय और मन, वचन, कर्मसे जीवनको जितना स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके बनानेका प्रयत्न किया जाय। अितना करोगी तो निराशाके लिअे रत्तीभर भी गंजाअिश नहीं रह जायगी।

“अेकान्तमें तर्क-वितर्क होना स्वाभाविक है। परन्तु काममें लगे रहनेसे मन शांत रहता है। असिलिअे जहां तक हो सके विचार कम किया जाय। काम तो तुम्हें काफी करना होता है। यह अच्छा है। शरीरको संभालकर जितना काम हो सके अुतना किया जाय। भोजन अच्छा नहीं मिलता। परन्तु कच्चा न हो और पचने लायक हो तो खा लिया जाय। और अैसा न हो तो थोड़ी भूख सह ली जाय। पेटकी संभाल रखते हुअे दवा वगैराकी जरूरत हो तो प्राप्त करके शरीरकी रक्षा की जाय।”

अिसी बात पर ता० ३०-६-३३ को मणिबहनको दुबारा लिखते हैं :

“अपना स्वास्थ्य संभालना। बरसात आ गअी है, असिलिअे चलना-फिरना कम हो गया होगा। बरामदेमें घूमनेकी स्थिति हो तो वहां, नहीं तो बैरकमें भी अेक-दो घण्टे जरूर घूमना चाहिये। बैठे-बैठे खाना हजम नहीं होता। पैरमें अब आराम हो गया होगा। मनकी शांति प्राप्त करना तो तुम्हारे अपने ही हाथमें है। अिसमें दूसरोंसे बहुत थोड़ी सहायता मिल सकती है। चिन्ता अीश्वरको सौंप दो। भूतकालको भूलकर भविष्यको सुधार लेनेमें ही बुद्धिमानी होगी। अिस दुनियामें अनेक मनुष्य अपना रास्ता भूल जाते हैं। अिनमें से अधिकतर रास्ता भूल कर वापस नहीं आ सकते। अधिकांश तो यह समझते ही नहीं कि वे रास्ता भूल गये हैं। अिनके कुछ पूर्वजन्मके पुण्य होते हैं वे ही समझ सकते हैं। वे वापस लौट आते हैं तो तर जाते हैं। तुम अभी छोटी हो, अतः तुम्हारे लिअे तो जीवनको सुधार लेने और सफल बनानेका बहुत अवकाश है। असिलिअे जरा भी चिन्ता न करना।

“बापूके अुपवासका हमारे जैसेके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं हो सकता। अुमके कारण यहां (जेलमें) आनेके बाद बाहर अुत्पन्न हुअे। और वे अनेक हो सकते हैं। अुनका तुम्हें वहां बैठे बैठे पता नहीं लग सकता। कल्पना भी नहीं हो सकती। असलिये व्यर्थ चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यहांसे तुम्हें सब बातोंकी कल्पना भी नहीं कराअी जा सकती। असलिये व्यर्थके विचार करके दुःखी न होना चाहिये। बापूके समाचार रोज अेक कार्डसे मिल जाते हैं, अितनी अीश्वरकी कृपा है। बाकी तो जो अखबारोंसे मिल जायं अुन्हीसे सन्तोष करना पड़ेगा। हजारों दूसरे लोगोंने भी तो अिसी तरह संतोष प्राप्त किया होगा न?”

ता० २-८-३३ को नासिक जेलमें मणिवहनको लिखते हैं :

“मेरा अूपर लिखा पता देखकर तुम्हें जरा अचंभा होगा। कल सुबह अेकदम यरवडामे हटाकर शामको चार वजे यहां ले आये। क्यों हटाया, यह तो भगवान ही जाने! परंतु मेरा अनुमान यह है कि असके पीछे बापूसे मुझे अलग करनेका अिरादा होना चाहिये। और किसी कारणकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। मेरे लिये तो जहां ले जायं वहां अेकमा ही है। परंतु बापूकी सार-संभालका और अुनकी संगतिका लाभ हाथसे चला गया।”

श्री डाह्याभाअीकी पत्नीको गुजरे लगभग डेढ़ वर्ष हो गया था। सगे-सम्बन्धी अुनकी दूसरी शादी करनेके विषयमें सरदारको लिखते रहते थे। अुस समय मणिवहन भी जेलसे छूटकर बाहर आ गअी थीं। अस विषयमें ता० १०-१०-३३ के पत्रमें मणिवहनको लिखते हैं :

“विवाहके बारेमें तो डाह्याभाअीके जो विचार हों सो सही। अकेले रहा जा सके तो अुत्तम होगा। जैसे अकेले रहनेमें दुःख है वैसे बच्चोंके लिये सौतेली मां ले आनेमें भी दुःख है। अिन दोनोंमें से जैसी अुनकी अिच्छा हो वैसे कर लें।

“अब तुम थोड़े समय डाह्याभाअीके साथ रह सकोगी। दोनों भाअी-बहन कहीं न कहीं समय और अेकान्त निकालकर जी भरकर बातें कर लेना। बार-बार समय नहीं मिलता। दिलोंकी सफाअी करनी हो सो कर लेना। परंतु कोअी चिन्ता न करना। बहुत बड़ा कुटुम्ब-कबीला होनेसे सुख मिलता है अैसी बात नहीं। थोड़े लोग हों तो संभव है सुखसे रह सकें और थोड़ा दुःख भुगतना पड़े। वैसे संसारमें सुख-दुःख तो धूपछांवकी तरह आते ही रहते हैं। और सुख-दुःख मनके

कारण होते हैं। मंसार मायासे भरा है। थोड़ी मायावालेको थोड़ा दुःख। असलिये माया और जंजाल बहानेमें कोअी लाभ नहीं है।” श्री डाह्याभाजीवग अपने चचेरे भाअीके साथ कुछ झगड़ा हुआ करता था। अस विषयमें ता० ११-१०-’३३ को पत्र लिखकर सरदार अन्हें सलाह देते हैं :

“मैं देखता हूं कि . . . की और तुम्हारी नहीं पटती। असका अर्थ यह है कि तुम दोनोंको अलग हो जाना चाहिये। शामिल रहनेसे मन फटते हैं तो साथ रहनेकी अपेक्षा अलग रहना ज्यादा अच्छा है। संभव है कि सम्बंधियोंकी अपेक्षा मित्रोंसे अथवा अपनोंकी अपेक्षा परायोंसे ज्यादा प्रेम हो जाय। . . . मैं समझ सकता हूं कि वह तुम्हारी न मानता होगा। परंतु तुम्हारी न माने और अुलटे काम करे तो अुससे जुदा हो जाना ही अच्छा होगा। असमें तुम्हें परेशान या दुःखी होनेका कोअी कारण नहीं। अलग हो जानेसे दोनों सुखी रहोगे। असलिये सब बातोंका मणिवहनके साथ विचार कर लेना। अस समय तुम दोनों भाअी-बहन सुख-दुःखका थोड़ासा विचार कर लेना। पता नहीं फिर कब अिकटूठे होंगे ? असलिये समय और अेकान्त देखकर जी भर कर बातें कर लेना। अकेले रह सको तो अुत्तम दात है, परंतु न रहा जाय तो शादी कर लेनेमें संकोच रखनेकी जरूरत नहीं। सिर्फ अितना ही विचार कर लेना है कि अनुकूल साथी मिलता है या नहीं। परंतु यह गौण प्रश्न है। मुख्य प्रश्न तो यह तय करना है कि तुम्हारी अिच्छा क्या है।

“ये सब बातें तुम्हें लिख रहा हूं, फिर भी अेक बात तुम्हें अब समझ लेना जरूरी है। वह यह कि किसी भी बातकी चिन्ता न की जाय। हमारा सोचा कुछ नहीं होता। सोचा अीश्वरका ही होता है। हम केवल बुरा या पाप करनेसे हिचकिचायें या डरें। और किसीसे डरनेकी जरूरत नहीं। अीश्वर पर भरोसा रखकर आनंदसे दिन बिताने चाहिये। सबका भाग्य अपने साथ है।” भइँच सेवाश्रमके अेक स्वयंसेवकको, जो अुस समय लोर्गोंमें और कुछ कार्यकर्ताओंमें आअी हुआ शिथिलतासे बहुत दुःखी हो रहे थे, ता० २९-१२-’३३ को लिखते हैं :

“चि० रमणीक,

“तुम्हारा ता० २६-१२-’३३ का पत्र मिला। तुम्हें या वंकुंठको हम (श्री चंदुभाजी और सरदार) कैसे भूल सकते हैं ?

अिस प्रकार यदि छोटे छोटे साथियोंको भूल जायं तो हम देश-सेवाके सपने नहीं देख सकते। चंदुभाभी तो तुम्हारी सेवा भूल ही नहीं सकते।

“बाहर दिखायी देनेवाले अंधकारमें तुम्हें निराशा मालूम होती है, यह हम समझ सकते हैं। परंतु सूर्यास्तके बाद सूर्योदय और अंधकारपूर्ण रात्रिके बाद अुज्ज्वल प्रातःकाल होता है। यह नियम जगतकी अुत्पत्तिसे लेकर आज तक चला आ रहा है और अिसमें फेरबदल नहीं होगा। अिसलिये निराश होनेका कोयी कारण नहीं है।

“मनुष्यमात्र दुर्बलताओंसे भरे हैं। जिसे दुर्बलताका भान है अुसे किसी दिन अीश्वर बल देगा। जो अपनी कमजोरीको नहीं समझता अथवा अपनी ताकतके नशमें चूर रहकर घमंड करता है वह ठोकर खाकर गिरता है। समर्थ तो अेक अीश्वर ही है। अिसलिये किसी अेक आदमीकी या बहुतोंकी दुर्बलता देखकर हमें घबराना नहीं चाहिये। अीश्वरकी अिच्छा यही होगी कि सबका घमंड अुतार दिया जाय और हरअेकको बता दिया जाय कि वह कितने पानीमें है। यह कहा जाय तो बेजा नहीं कि अेक तरहसे यह बहुत अच्छा हुआ है। अंधेरेमें भटकते तो आगे मुश्किल पड़ती। अिसलिये तुम घबराओ मत। तुम स्वयं प्रभुसे बल मांगोगे तो वह अैसा दयालु है कि कभी न कभी बल दे ही देगा।

“तुमने जिस अुत्तम वातावरणमें सेवा करनेका आनंद लूटा है, अुसकी मीठी स्मृतियां भुलायी नहीं जा सकतीं। अिसे मैं समझता हूं। परंतु हताश होनेकी कोयी बात नहीं। फिर कोयी दिन वैसा ही या अुससे भी अुत्तम प्राप्त होगा। भविष्यके गर्भमें क्या छिपा है, अिसका किसीको पता नहीं चलता। परंतु अितनी बात निश्चित है कि अन्तमें जय सत्यकी ही होती है और परमात्मा गरीबोंका बेली है। अिसलिये हम अुस पर विश्वास रखें। विश्वास रखना कि चंदुभाभीके तुम्हारे लिये सदा आशीर्वाद हैं ही। समय-समय पर अपने समाचार लिखते रहना।

वल्लभभाभीके आशीर्वाद”

श्री डाह्याभाभीको फिर ३१-१-३४ को परिवारके विषयमें लिखते हैं :

“... के साथ तुम्हें दुःखी होनेकी कोयी आवश्यकता नहीं। साथ रहनेमें कटुता पैदा हो या बढ़े, अिससे तो अुसे साफ कह देना ही अच्छा है। अिसमें बुरा दिखेगा अैसा मानना ही

नहीं चाहिये। उसके भाजी-बापके साथ भी हृदसे ज्यादा खिंच जानेका कोजी कारण नहीं है। हम सीधे ढंगसे जो मदद कर सकें वही करना हमारा धर्म है। जिससे अधिक मदद करने जाकर परेशानीमें पड़ना ठीक नहीं।”

फिरसे जेल जानेके कारण श्री मणिवहनको अँसा लगता था कि वे बड़ोंकी सेवा करनेके धर्ममें चूक गयीं। जिसलिये अन्हें ता० १-२-३५ को लिखते हैं :

“बापू कहते हैं कि मणिको लिखिये कि ‘बड़ोंकी सेवा पास रह कर ही नहीं की जाती। जो बड़ोंका काम करता है वह अुनकी सेवा ही करता है। सान्निध्यमें रहनेका लोभ भले ही हो। वह स्वाभाविक है। परंतु सेवा और सान्निध्यमें अनिवार्य संबंध नहीं है।’ बापू जो लिखते हैं वह बिलकुल सच है। देखो न, बाका अितनी अुम्रमें भी बापूकी सेवामें रहनेका बहुत मन होने पर भी बापूका कार्य करनेके लिये वे अुनका साथ छोड़ कर चली गयीं या नहीं? अिसी तरह तुम्हें मेरे साथ रहने और सेवा करनेका लोभ होना स्वाभाविक है। परंतु अिस लोभके खातिर धर्मको हरगिज नहीं छोड़ा जा सकता। अिसलिये तुम जो कर रही हो वह कठिन होने पर भी अुसीमें सच्ची सेवा है। मेरी सेवा करने जैसा अभी तो कुछ भी नहीं है। मुझे सब सुविधाओं मिल जाती हैं। सहायता करनेवाले भी हैं। अिसलिये मेरी जरा भी चिन्ता न करना।”

श्री डाह्याभाजीको ता० १-७-३४ को कुटुम्बकी सेवाके बारेमें लिखते हैं :

“... के पत्रसे जान पड़ता है कि वह बहुत ही दुःखी है। अुसे पिताकी मृत्युका गहरा आघात लगा है। घर रहनेको कहा तो अुसे पसन्द न आया। अुसे डर है कि अँसा करनेसे किसी दिन अुसका भी पिता जैसा ही हाल न हो जाय। लड़का अभी बालक और अनुभवहीन है। दया करने लायक है। अुसे शक हो गया है कि सब अुसके विरुद्ध हैं। तुम्हें भी शायद किसीने अुसके विरुद्ध बहका दिया है। मैंने आज अुसे हो सके तो शनिवारको आनेके लिये पत्र लिखा है। बम्बजी आये तो अुसे जरा शान्त कर देना। आना होगा तो मुझे सूचना देगा। परंतु तुम्हें सूचना दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। सूचना दे तो अुसे स्टेशनसे ले आना और समझा देना कि यहां किस तरह आये। दिनमें १० से १ बजे तक किसी भी समय जेल पर आ जाय तो मिलाप हो सकेगा। रातको अुसे कहीं भटकनेकी जरूरत नहीं। अुसे समझा देना कि लौटकर

तुम्हारे यहीं आ जाय। शामको उसे लेने स्टेशन पर चले जाना। बेचारा अनजान है। उसके पत्रसे दिखाजी देता है कि उसे बहुत ही दुःख हुआ है।”

ता० १६-४-३४ को मणिबहनको लिखा हुआ पत्र बड़ा महत्त्वपूर्ण है :

“तुम शान्त हो गयी, जिससे डाह्याभाजीको भी शान्ति हो गयी। अखबारोंमें बापूके चौकाने * वाले निश्चयके बारेमें पढ़ा होगा। जिस बारका निर्णय जरा अटपटा और पेचीदा है। जल्दी समझमें नहीं आ सकता। परंतु हम भीतर पड़े हुआंको अिन पहेलियोंका विचार नहीं करना चाहिये। बाहरवालोंको जो सूझे सो करें। हम तो बाहरकी दुनियामें क्या हो रहा है, उसे जानने-समझनेकी बिल्कुल कोशिश न करें। बाहर हों तब पूरी दिलचस्पी लें। अन्दर घुसनेके बाद सारी जिम्मेदारियोंसे मुक्त हो जायें। परंतु अितना समझमें आता है कि अब तक जो चलता रहा वह आगे नहीं चलेगा। क्या होगा जिसकी अटकल लगाना मुश्किल है। प्रभु करे सो सही। अगली पहली तारीखको सब रांचीमें मिलेंगे।

“नारणदासको बापूने बुलवाया है। यह निर्णय करना है कि अब आश्रमवासी क्या करें। पहली अगस्त^x पास आ रही है। अब वे अकेले अन्दर जायेंगे और वहांसे हरिजन-कार्य करनेकी अिजाजत न मिली तो फिर अनशन तैयार ही है। जिस बार तो अन्तिम ही होगा। जिस-लिअे सब बड़ी परेशानीमें पड़ गये हैं। बापू कहते हैं कि अैसे समय सबका बाहर रहना ही अच्छा है। जिसलिअे कहते हैं कि अुन्होंने जो निर्णय किया है वही ठीक है।”

फिर-सब कार्यकर्ताओंके हालचाल लिखते हैं :

“मीठुबहन आजकल मरोली और राजपीपला, वांसदा वगैरा देशीराज्योंके बीच खूब दौरा कर रही हैं। अीस्टरकी छुट्टियोंमें फिर

* सविनय कानून-भंगकी लड़ाजीको अपने तक ही मर्यादित कर डालनेके गांधीजीके निश्चयका यहां जिक्र है।

x १ अगस्त, १९३३ को गांधीजी पकड़े गये थे और अुन्हें अेक वर्षकी सजा दी गयी थी। अुस समय जेलमें हरिजन-कार्य करनेकी काफी सुविधा न मिलनेसे अुन्होंने अुपवास किया था। अुस अुपवासमें अुन्हें छोड़ दिया गया था। अपनी सजाका अेक वर्ष हरिजन-कार्यमें बितानेके लिअे अुन्होंने सारे देशमें हरिजन-यात्रा करनेका निश्चय किया था। १ अगस्त, १९३४ को अेक वर्ष पूरा होने पर वे क्या करेंगे, जिसकी सरदार चिन्ता कर रहे थे।

मंगलदास पकवासाको वहां ले गयी थीं। गांवोंमें खूब घुमाया। लौट कर मरोलीमें बीमार हो गयी हैं और मालूम होता है मंगलदास बंबजीमें बीमार पड़ गये हैं। साथमें कल्याणजी अन्हें घुमानेवाले थे, फिर क्या पूछना? अभी तो सारे आश्रम बन्द पड़े हैं; इसलिये मरोली सबके रहनेका स्थान बन गया है। कुंवरजी वही हैं। वेड़छीवाले चूनी-भाभी वही है। केशुभाभी भी वही हैं। चूनीभाभीकी पत्नी अपनी बड़ी लड़की कपिलाके यहां अहमदाबाद गयी थीं। वहां अटारी परसे गिर पड़ीं और पैरकी अंडीकी हड्डी टूट गयी। अक महीने बिस्तर पर रहीं। वे भी अब मरोलीमें हैं। गोरघनबाबा अब अच्छा हो गया है। पंड्याजीकी तबीयत अच्छी है। अक सेर दूध रोज मिलता है, परंतु अब बेचारे बूढ़े हो गये हैं। दांत तो सभी निकलवा दिये हैं। इसलिये क्या हो सकता है? कष्ट सहन करनेकी शक्ति घट गयी है। रविशंकर छूटकर रास गये हैं। लिखते हैं कि अुनकी तंदुरुस्ती अच्छी है। यह भी सूचित करते हैं कि जेलका कुछ भी असर दिखायी नहीं देता। अब्बास बाबा इस साल प्रजामंडलके अध्यक्ष चुने गये हैं। देहातमें खूब दौरा कर रहे हैं। अंसी रिपोर्ट आयी है कि पिछले महीने १५१ गांवोंका दौरा किया। सात हजार रुपये जमा किये। पच्चीस हजार करने हैं। इस मास नवसारीमें डेरा डालकर आसपासके गायकवाड़ी अिलाकेमें दौरा करनेवाले हैं। बूढ़ा इस अुम्नमें भी गजबका जोर दिखा रहा है। सूरतसे कानजीभाभीका पत्र आया था। अुनका भतीजा दो वर्षके लिये थाना जेलमें था। अभी ही छूटा है। बड़ा लड़का यहां है। वह अगले मास छूटेगा। इस प्रकार अब सब अपने अपने घर वापस लौट जायेंगे। अब फिरसे जेल जानेकी तो बात नहीं रही, इसलिये विचार कर रहे हैं कि क्या करेंगे। चन्दुभाभी भडौंचमें हैं। जयरामदास आनंदमें हैं। परंतु अुन्हे बवासीर हो गयी है। बाहरसे फल मंगाकर खूब खायें तो अच्छा हो। मैंने प्रेमी (जयरामदासकी लड़की) को लिखा है। मुझे भी यहां आनेके बाद दो-तीन दिन तक खूब खून गिरा था। बादमें खूब फल खाने लगा तो बन्द हो गया। अब भी काफी फल और शाकका अुपयोग करता हूं। इससे कठिनायी नहीं होती।”

अुसी पत्रमें मणिबहनको स्वास्थ्यकी रक्षा करने और चित्त प्रफुल्ल रखनेकी सलाह देते हैं :

“मन प्रफुल्लित रखना आता हो तो शरीर आम तौर पर अच्छा रहता है। परंतु मनमें अुदास करनेवाले तर्क-वितर्क अुठते रहें तो अुसका

बुरा असर शरीर पर हुआ बिना नहीं रहता। यदि भजनमें मन लगाया जा सके और अुसमें आनन्द आये तथा इस बातकी तनिक भी परवाह न की जाय कि बाहरकी दुनियामें क्या हो रहा है या होगा, तो दिन खूब आनन्दमें बीत सकते हैं। कुछ मनपसन्द भजन याद कर लिये हों तो जीमें आये तभी अुनका रटन किया जा सकता है। रातको नींद अच्छी तरह आनी चाहिये। यदि नींद अच्छी आ जाय तो कोअी कष्ट न हो। आजकल भीतरकी अपेक्षा बाहरकी मुशिकलोंका पार नहीं है। बापुके आखिरी फतवेसे क्या परिस्थिति अुत्पन्न हुआ है, इसका अभी तक निश्चित पता नहीं लगा। थोड़े समयमें लग जायगा। यह कोअी छिपा थोड़ा ही रहेगा? जो हो सो हमारे लिये तो समान ही है।”

ता० ३०-४-३४ के पत्रमें भी कार्यकर्ताओंके हालचाल लिखते हैं :

“अुत्तमचंद और संतोक अहमदाबाद गये हैं। संतोकके गलेके टांसिलका कल वाड़ीलाल साराभाअी अस्पतालमें डॉ० पटेलसे ऑपरेशन कराया है। साराभाअीके यहां ठहरे हैं। साथमें अुत्तमचंदके भाअीकी चौदह वर्षकी लड़की केसर है। भाअी कहीं न कहीं विधुरके साथ ब्याह देनेकी कोशिश कर रहे थे। अुत्तमचंद समय पर पहुंच गये, असिलअे विवाह रुक गया है। छोटुभाअी मोटरवाला, अुसकी पत्नी और लड़का सब अुभराट गये हैं। अेकाध महीने वहां रहेंगे। अुभराट मरोलीसे बीस मील दूर समुद्रतट पर है। गायकवाड़ी राज्यका गांव है। वहां गायकवाड़ी सरकारने कुछ मकान बनवा दिये हैं। अुनमें रहेंगे। वेडछीवाले चुनीभाअी, मूरजबहन तथा गोरधनबाबा और केशवभाअी भी वहां गये हैं। अुत्तमचंद और संतोक अगले सप्ताह वहां जायेंगे। इस समय जो भी बीमार और कमजोर हो गये हैं वे सब वहां आराम ले रहे हैं। महीने भर बाद छोटुभाअी मोटर लेकर बारडोलीमें मंजुबहनके पास पहुंच जायगा। मंजुबहन कड़ोदमें शाखा खोलेंगी। सप्ताहमें दो दिन वहां जाया करेंगी। मंजु आजकल दिन भरमें छः केले और आधा सेर दूध ही लेती है। मैंने अुसे दूध खूब बढ़ानेको लिखा है। खाना तैयार मिल जाय तो अवश्य खा ले। परंतु अभी सुविधा नहीं है। फिर सब काम ठीकसे चलने लगे तब हो सकती है। थोड़े दिन बाद क्या होता है सो देखेंगे। किशोरलाल अभी तक देवलालीमें ही हैं। किसी डॉक्टरके अिजेक्शन लेने शुरू किये हैं। कहते हैं फायदा होगा तो चौमासा वहीं बितायेंगे। विद्यापीठवाले नगीनदास भी वहां आये हैं।

विसापुरसे खोखले बनकर आये हैं। स्वास्थ्य सुधारनेके लिये अंक महीना रहेंगे। विसापुरमें सब अच्छे हैं। केवल जुगताराम बहुत दुबले हो गये हैं, असा अत्तमचंदने लिखा था। भास्कर अभी तो अहमदाबादमें ही है। शांता भी वहीं है। मंगला मैट्रिककी परीक्षामें बैठी है। रविशंकर छूटकर रास हो आये। लोग बहुत दुःखी हो गये हैं। कुछ लोग थक गये हैं। परेशानी बेहद है। परंतु आशाभाभी बड़ी बहादुरी दिखा रहा है। बापुसे मिलने जानेवाला है। अुसके बाद क्या करेगा, अिसका फैसला करके मुझे लिखेगा।

“मालूम होता है बल्लुभाभीने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीमें अध्यक्षकी हैसियतसे अच्छी ख्याति प्राप्त की है। दादा अभी तक रत्नागिरिमें ही पड़े हैं। अनका तो अब सभीके साथ फैसला हो जायगा। अुन्हें वहां वैरभावसे भगवान मिले वाली बात हो गयी। मालूम होता है वहां रहनेसे स्वास्थ्यमें अच्छा सुधार हुआ है। अहमदाबादमें शरीर बहुत बिगड़ गया था और ज्यादा बिगड़नेकी संभावना थी। अितनेमें जाना हो गया। अिमलिअे अेक प्रकारसे तो सुखी हुआ ही कहे जायेंगे।”

गुजरातके अेक बहुत पुराने कार्यकर्ता फूलचंद वापूजी शाह विसापुर जेलसे छूटनेके थोड़े समय बाद चल बसे। अुनके बारेमें अिसी पत्रमें लिखते हैं :

“पिछले सप्ताह बेचारे फूलचंद वापूजी गुजर गये। बहुत भले आदमी थे। सबसे पुराने कार्यकर्ता थे। साधारण अथवा गरीब स्थितिमें रहकर भी सारी अुन्न देशसेवामें ही बितायी। खेड़ा जिलेमें अुनकी जगह लेनेवाला कोअी नहीं। अुनकी मौत सुन्दर हुआ। पहले दिन नरसिंहभाभी पटेलके पास आणंद गये थे। दोनों विट्टल स्मारक समितिके मंत्री हैं। शाम तक आणंदमें रहे। दूसरे दिन समितिकी बैठक नड्डियादमें करनेका निश्चय करके वापस नड्डियाद गये। शामको घर जाकर रातको बारह बजे तक पड़ोसीसे खूब बातें कीं। फिर घरमें जाकर छत पर सो रहे। घरमें कोअी न था। बिलकुल अकेले थे। लड़का अहमदाबादमें बीमार था, अिसलिअे अुनकी पत्नी लड़केकी सेवाके लिये अहमदाबाद गयी हुआ थी। गोकुलभाभी तलाटी अुनके अुन्न भरके साथी थे। वे भी अुसी दिन बम्बअी चले गये थे। दादुभाभी समितिके अध्यक्ष हैं। वे भी बंबअीमें थे। फूलचंद भाभी रातको बारह बजे बिस्तर पर सोये सो सोये ही रहे। फिर अुठे ही नहीं। सबेरे

समितिका चपरासी आठ बजे घर आया तब भी अठे नहीं थे। उसने पड़ोसीसे पूछा। फिर सब घरमें धुसे। छत पर अन्हें सोते हुअे पाया। डॉक्टरको बुलाया। डॉक्टरने कहा, हृदय बन्द हो जानेसे मृत्यु ही गयी है। रातको प्राण चले गये। कोअी पास नहीं था। किसीको पता तक न चला। नरसिंहभाअी सुबह आणंदसे चलकर नी बजे नडियाद आये तब स्टेशन पर ही समाचार मिले कि फूलचंदभाअी तो चल बसे। बेचारे बिलकुल हक्काबक्का रह गये। परंतु क्या करते? अुनके अिस प्रकार अेकाअेक चले जानेके समाचार मालूम हुअे तब मुझे यह भजन याद आ गया :

‘कोनां छोरु, कोनां वाछरु, कोना मा ने बापजी,
अंतकाले जवुं अेकला, साथे पुण्यने पापजी.’ *

“नडियादने अुनका अच्छा सम्मान किया। हडताल पड़ी। जुलूस निकला। बहुत लोग स्मशानमें गये। बम्बअीमें कल अुनके मित्रोंने शोकसभा की थी। भूलाभाअी अध्यक्ष बने थे। मुंशी, जमनादास महेता वगैरा बहुत अच्छे बोले। फूलचंदभाअीको हृदय-रोग तो था ही। विसापुरमें भी कभी कभी दर्द अुठ आता था। तब गुमसुम होकर पड़े रहते थे।”

फिर विट्टलभाअीके वसीयतनामेके बारेमें लिखते हैं :

“पिछले सप्ताह शंकरभाअी अमीन (सॉलिसिटर) मुझसे मिलने आये थे। अुनके लिअे अिजाजत तो बहुत समयसे ली हुअी थी, परन्तु अुन्हें अवकाश नहीं मिलता था। अदालतें बन्द होने पर फुरसत मिली तो आ गये। वसीयतनामेके बारेमें कोर्टमें जो कार्रवाअी करनी है अुसकी बात करने आये थे। मुझसे सब बातें कीं। मैंने तो कह दिया कि आपको सूझे सो कीजिये, मेरी अिसमें कोअी दिलचस्पी नहीं।”

बादमें अिधर-अुधरके समाचार लिखते हैं :

“भक्तिलक्ष्मी चोरवाड हैं। दरबारकी भतीजी बीमार है। अुसे वहां रखा है। अुसीकी सेवाके लिअे गयी मालूम होती हैं। सूर्य-कान्त और शांता भी वहीं हैं। महेन्द्र भादरणमें लल्लुभाअीके यहां रहता है। अुसे पढ़नेका खूब चस्का लगा है। भादरण हाअीस्कूलमें पांचवीं

* भावार्थ : — किसके पुत्र-पुत्री, किसकी जायदाद और किसके माता-पिता ! अन्त समय केवल अकेले ही जाना पड़ेगा। साथमें केवल पुण्य और पाप ही जायेंगे।

कक्षामें असे भरती कराया है। दो वर्षमें मैट्रिक हो जानेका अिरादा रखता है। अिसलिये अभी तो खूब मेहनत कर रहा है। दूसरे दो (दरबार साहबके लड़के) भावनगर दक्षिणामूर्तिमें हैं। दोनों अच्छे हैं। छगनलाल जोशी भी अभी तो भावनगरमें ही हैं। परदेसी बताकर बाहर निकाल दिया है, अिसलिये अन्यत्र जा नहीं सकते। यही हाल मणिलाल कोठारीका हो गया है। वे भी जोरावरनगरमें बन्द हो गये हैं। बुच (वेणीलाल) अभी छूटा है। अुस पर भी अँसा ही हुक्म जारी किया गया है। अब्बास बाबा भड़ौचकी सभा*में गये थे और अध्यक्ष बने थे। बूढ़ा खूब काम कर रहा है। गांव गांव भटकते हैं और रुपया जमा करते हैं। लिखते हैं कि देहातमें दौरा करनेसे स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है। अजीब बूढ़ा है! मीठुबहनका पत्र आया था। वीचमें बीमार हो गयी थीं। अब अच्छी हो गयी हैं। अभी तो खूब भागदौड़ कर रही हैं। रुपया अिकट्टा कर लाती हैं, लकड़ियां मांग लाती हैं और मकान बनवा रही हैं। सूरत जिलेके हमारे तमाम कार्य-कर्ताओंके लिये मरोली अिस समय अेक निवासस्थान बन गया है। वहां रहते हुअे आसपासके रानीपरज प्रदेशमें केशुभाभी, चूनीभाभी वगैरा सब घूमते रहते हैं। लोग खूब डर गये थे, परंतु धीरे-धीरे अुनका डर कम हो रहा है।”

ता० १४-५-३४ के पत्रमें श्री मणिवहनको अैसे ही समाचार देते हैं :

“चंदुभाभी, कानजीभाभी, रविशंकर और छोटुभाभी पुराणी रांची हो आये। अब किसानोंके लिये कुछ रकम अिकट्टी करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। आजकल वे बम्बयीमें हैं। मृदुला भी रांची गयी थी। वहांसे माथेरान गयी थी। वह वापस अहमदाबाद पहुंच गयी है। अहमदाबादमें अुसने स्त्रियोंकी कोअी संस्था खोली है। हो सकता है कि बापूका निर्णय अुसे पसन्द न आया हो। परंतु अब तो शान्त हो गयी दीखती है। रांची हो आनेके बाद अुसके मनको संतोष हो गया होगा।

“रासवालोंको बड़ा दुःख है। वह नडियादवाला अिस्माअील गांधी मुसलमानोंकी टोली बनाकर जमीनें खरीदकर पड़ा है। खेतोंमें तंबू लगा लिये हैं और हथियारोंके परवाने ले रखे हैं। फसादी टोली है, अिस-

* करबन्दीकी लड़ाअीमें भाग लेने और बर्बाद हो जानेवाले किसानोंको यथाशक्ति राहत पहुंचानेके लिये कोष अेकत्र करनेके लिये की गयी सभा।

लिअे किसानोंको बहुत डर कर रहना पड़ता है। रासवाला आशाभाजी बड़ा साहस दिखा रहा है। रविशंकरके आ जानेसे असे बड़ा सहारा मिला है। चंदुभाजी भी अच्छी सहायता दे रहे हैं। परंतु काम बहुत बड़ा है। कैसे पूरा किया जाय यह सवाल है। गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अब गांवमें रहनेसे काम नहीं चल सकता। सारी जमीन चली गयी। लेकिन खेतीके लिअे तो चाहिये। वर्ना गुजर कैसे हो?

“बम्बयीमें मिल-मजदूर हड़ताल कर बैठे हैं। अहमदाबादमें भी अके समय तो असका डर लग रहा था। परंतु असा नहीं लगता कि वहां अभी कुछ होगा। मृदुलाका पत्र आया था कि मजदूरोंके नेता (शंकरलाल बैकर तथा अनसूयाबहन) माथेरानमें हैं, असलिअे आप हड़तालकी कोअी चिन्ता न करें। बम्बयीके कुछ लोग अहमदाबाद पहुंच गये हैं और मजदूरोंमें प्रचार कर रहे हैं। परंतु वहां ‘मजूर महाजन’ के सिवा किसीकी दाल गलती दिखायी नहीं देती।

“दादा (मावलंकर) अभी तक रत्नागिरिमें ही हैं। अुनकी मां और कमु वहां गयी हैं। दादाको मैंने कमुके बारेमें सूचनाअें भेजी थीं। अब रोज असे साथ घूमनेको ले जाते हैं। भोजन बहुत थोड़ा करती थी। असे अहमदाबादमें किसी लड़कीने सिखा दिया था कि शरीरको नाजुक बनाना हो तो थोड़ा खाना चाहिये। असलिअे आधी भूखी रहती थी। अब अच्छी तरह खा रही है। असलिअे शरीर अच्छा हो गया है। दादाको रत्नागिरिमें बहुत लाभ हुआ है।

“हमारे दफ्तरवाले कृष्णलालका लड़का नरेन्द्र बी० अेस-सी० की परीक्षामें द्वितीय श्रेणीमें पास हो गया। अच्छा हुआ। गरीब आदमी है। लड़का कमाने लगे तो घरका काम अच्छी तरह चल जाय। लड़का बहुत अच्छा है। अुसने अच्छी पढ़ायी की।

ता० ३०-५-३४ के पत्रमें कार्यकर्ताओंकी अिसी तरह चिन्ता करते दीखते हैं :

“डॉ० हरिप्रसादका लड़का विष्णु पिछले सप्ताह हृदयकी गति बन्द हो जानेसे चल बसा। २८ वर्षकी अुम्र थी। दो महीनेसे बम्बयीमें था। अे० सी० पी० अेस० की परीक्षाके लिअे पढ़ायी करता था। खूब परिश्रम करनेसे शरीर दुर्बल हो गया। परीक्षा देकर घर आया और दूसरे ही दिन गुजर गया। अच्छा हुआ कि विवाहित नहीं था। दो तीन सालसे डॉक्टर अुसकी शादी करनेकी कोशिश कर रहे थे।

लेकिन वह अिनकार करता था। परीक्षा हो जानके बाद ब्याह करनेका विचार था। डॉक्टर तो गिजुभाजी (सर चिनुभाजी) के साथ अूटी गये थे। समाचार मिलते ही लौट आये हैं। लड़का बड़ा अच्छा था। डॉक्टरको बड़ा आघात पहुंचा है। परंतु वे हिम्मतवाले हैं।

“हरिवदन अभी तक अहमदाबादमें ही है। अब थोड़े दिनमें नवसारी आश्रममें वापस जायगा। सब काम बन्द रहा असलिये अुसे अच्छा नहीं लगा। परंतु क्या करता ?

“कानजीभाजीका लड़का प्रमोद यहां अुनके साथ था। वह भी छूटकर सूरत गया है। प्रमोद अच्छा लड़का है। अुसने देशसेवामें ही जीवन अर्पण करनेका निश्चय किया है। कानजीभाजीने भी अुसे अनुमति दे दी है। अुसका छोटा भाजी प्रीवियसमें प्रथम श्रेणीमें पास हुआ। सारा परिवार देशसेवाके रंगमें अच्छा रंग गया है। सबने कष्ट भी खूब सहन किया। नुकसान भी काफी अुठाया है। बल्लुभाजीने म्युनिसिपल अच्यक्षकी हैसियतसे अच्छी ख्याति कमाजी है। अुनके कामसे सब बड़े खुश हैं। भूरुजी आनंदमें है। वह अखबारके काममें डूब गया है। जरा भी फुरसत नहीं मिलती। भास्कर बंबजी आ गया है। कांग्रेस अस्पतालका काम फिर संभाल लिया है। अभी तक बम्बजीमें घर नहीं बसाया है। शान्ता वगैरा सोजित्रामें हैं। मकान लेनेके बाद बुलानेका अिरादा रखता है।

“वेलाबहन बड़ोदा गयी हैं। आनंदी, मणि और वनमाला अुनके साथ हैं। दुर्गा, मणि और अमीना अभी तो अन्दर हैं। परंतु बाहर आने पर अुन्हें कहां खवा जाय, यह विचार करना है। किशोरलाल बापूके साथ परामर्श करेंगे। आश्रमके न रहनेसे अिन सबके पैरों तले की जैसे जमीन ही खिसक गयी है। कोअी स्थान ही नहीं रहा। और यह भी अच्छा नहीं लगता कि अितने वर्ष बाद फिरसे दुनियवी कामोंमें लग जायं। असलिये क्या करें ? लड़ाजी बन्द हो जानेसे बाल, कांति वगैरा कुछ न कुछ पढ़ाजीकी सुविधाओं दूँडने लगे हैं। परंतु यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि क्या करें और कहां रहें।”

ता० १७-६-३४ के पत्रमें आश्रमके सब लोगोकी जो व्यवस्था अुसके बारेमें लिखते हैं :

“अभी तो बापूने यह प्रबंध किया है कि नारणदास राजकोटमें ही रहें और वहांकी जमनादासवाली पाठशालामें आश्रमके सब बच्चोंको पढ़ानेकी व्यवस्था करें। आश्रमके वयस्कोंके लिये बापू यह अितजाय

करना चाहते हैं कि वे सब देहातमें अलग अलग स्थानों पर जम जायं और गरीबीसे रहें। नारणदास राजकोटमें रहें और जो लोग देहातमें बैठे होंं उनुके साथ परस्पर संबंध बनाये रखें। परंतु यह प्रश्न है कि सब लोग बच्चोंको राजकोटमें रखना पसन्द करेंगे या नहीं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा प्रश्न तो अमीना और अुसके बच्चोंका रहेगा। कुरैशीका भी विचार करना पड़ेगा। अिन सब बातोंका आधार अिस पर रहेगा कि बापू पहली अगस्तको क्या करते हैं। हमारे बारडोलीके आश्रम तो अभी वापस मिले नहीं हैं। और कब मिलेंगे अिसका अभी कुछ निश्चय नहीं है।”

श्री डाह्याभाजीको ता० ४-७-३४ को कुटुम्बके विषयमें लिखते हैं :

“तुम लिखते हो सो सब सच हो तो भी मेरे खयालसे तुम्हारे विचारमें दोष है। हम अुनके जैसे हो जायं तो फिर हममें और अुनमें फर्क क्या रहा? अपकारका बदला अुपकारसे देना ही समझदार आदमीका काम है। बुरेके साथ बुराअी करनेवाले तो संसारमें बहुत हैं। अुसकी मां कैसी भी हो, परंतु अिसमें अुस लड़केका क्या दोष? . . . फलां भाअी अुसे नौकरी क्यों नहीं दिलवाते, अैसा विचार हम न करें। वह हमारा है और हम दिला सकें तो हमें अुसे नौकरी दिलवानी चाहिये। तुम अुसका पत्र देखकर क्रोधसे भर गये लगते हो। अुस पर क्रोध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अुसकी मांके या और किसीके दोषका क्रोध अुस निर्दोष बालक पर अुतारना ठीक नहीं। . . . मेरे खयालसे हम परिवारसे अलग रहे हैं, अिसलिअे भारी झंझटसे बच गये हैं। किसीको दोषी ठहरानेके लिअे हम पूरी बात नहीं जानते। हमें जाननेकी फुरसत भी नहीं। अिच्छा भी नहीं। सबका कम ज्यादा दोष होगा। . . . को अुनके लड़कोंमें से कोअी रख नहीं सकता। और अुन भाअियोंकी भी आपसमें नहीं बनती। अिस प्रकार दुर्भाग्यवश पारिवारिक कलह जैसा चलता ही रहता है। हमारा धर्म सबकी यथासंभव सहायता करना है। न करें तो हम अपने धर्मसे अ्रष्ट होते हैं। परिवारका कोअी आदमी हमसे सहायता मांगने आये तो हम अुसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? यह सारी बात तो तुम क्रोध छोड़कर विचार करो तब समझमें आये। घबरानेसे काम नहीं चलता। किसीके बोलने या लिखने पर गुस्सा करना हमें शोभा नहीं देता। सामनेवालेके क्रोधके प्रति प्रेमसे ही काम लिया जा सकता है। हमें तो अुदारतासे विचार करना चाहिये। परंतु मैं समझ सकता हूं कि यह सब तुम्हारी

समझमें नहीं आयेगा। साधारण लोगोंकी विचारसरणी तुम्हारे जैसी ही होती है। उससे बाहर निकलना कठिन है। परंतु यही अुत्तम मार्ग है।”

सरदार जेलमें बैठे हुए भी कितने लोगोंका विचार करते रहते थे, यह अुनके लिखे हुए पत्रोंके जो थोड़ेसे अुद्धरण अुपर दिये गये हैं अुनसे हम देख सकते हैं। अिन पत्रोंमें जिनके नाम आते हैं अुन्हें पता भी नहीं होगा कि सरदार हमारा ध्यान रखते होंगे। अेक सज्जनकी तो मुझे प्रत्यक्ष जानकारी है। अुन्होंने कहा था कि मैं सरदारके साथ कभी बोला तक नहीं और मुझे यह भी विश्वास नहीं था कि सरदार मुझे जानते हैं या नहीं। फिर भी सरदारने मेरी चिन्ता रखी, अिस पर मुझे आश्चर्य होता है। परंतु जो अपने तमाम साथियों और कार्यकर्ताओंकी चिन्ता न रखें वह सरदार कैसे? सेवकोंके प्रति सरदारके हृदयमें गहरा वात्सल्यभाव था, अिसीलिअे वे सरदारपदको सफलता-पूर्वक सुशोभित कर सके।

१२

विद्यापीठ पुस्तकालय कांड

यह कहा जा चुका है कि गांधीजीने ३१ जुलाजी, १९३३ को साबरमती आश्रम भंग कर दिया था। अुस समय अुन्होंने अिस खयालसे कि आश्रमका पुस्तकालय छिन्नभिन्न न हो जाय और अुसका सदुपयोग हो, अुसे अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया था। जिस समय पुस्तकालय सौंप देनेका विचार हो रहा था, अुस समय श्री काकासाहब कालेलकर पूनामें थे। गांधीजीने पहले आश्रमका पुस्तकालय विद्यापीठके पुस्तकालयके साथ मिला देनेकी बात काकासाहबसे की थी। परंतु आन्दोलन छिड़ जानेसे अुस पर अमल नहीं हो सका था। अिसलिअे यह बात सुनकर अुस संकल्पका स्मरण करानेके अुद्देश्यसे गांधीजीको पत्र लिखकर वे पूनासे अहमदाबादके लिअे रवाना हो गये। किन परिस्थितियोंमें विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंपा गया था, अिसकी तफसील बयान करनेवाला अेक पत्र श्री काकासाहबने गांधीजीको ता० ३०-७-३४ को लिखा था। अुसमें गांधीजीसे अुस समय हुआ अपनी बातोंका हाल भी अुन्होंने लिखा था। अुसमें से संबंधित अंश नीचे दिया जाता है :

“आपने ही शुरुआत की थी कि विद्यापीठका पुस्तकालय भी म्युनिसिपैलिटीको सौंप दें तो कैसा रहे? मैंने कहा था कि यहां आते

हुअे रास्तेमें मैंने भी यही विचार किया था। आपने आश्रमका विद्यापीठको देनेके बावजूद म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया, असलिये आप यही चाहते होंगे कि दोनों पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिये जायं। नहीं तो आपके हाथों अैसी कार्रवाजी हरगिज नहीं हो सकती थी। अिम विचारसरणीसे मैंने भी निश्चय किया कि विद्यापीठका पुस्तकालय हटा देनेमें ही श्रेय है। दस वर्ष तक या असिसे भी अधिक समय तक सबको जेलमें रहना है, तो पुस्तकोंको मरकारके कब्जेमें क्यों सड़ने दिया जाय? दस वर्षके अन्तमें जब परिस्थिति बदल जायगी तब सब बातोंका विचार अलग हंगसे करना होगा। विद्यापीठकी प्रवृत्तिका अभी अेक स्वाभाविक अंत हो रहा है, अतः असि पुस्तकालयका अुपयोग लोग करने लगे यही अच्छा है।

“परंतु मैंने यह भी कहा था कि यह पुस्तकालय और आश्रमका पुस्तकालय भी म्युनिसिपैलिटीको देनेके विषयमें मेरा मतभेद है। . . . सरकार म्युनिसिपैलिटीको चाहे जब मुअत्तिल करके पुस्तकालयको अपने अधिकारमें ले सकती है। असलिये यह सरकारको देनेके बराबर ही है। आपने कहा था : यह सच है कि अितना दोष असिमें रह जाता है। परंतु म्युनिसिपैलिटी वल्लभभाजीकी है। हम जनताकी सेवा करते होंगे तो म्युनिसिपैलिटी पर अधिकार हमारा ही रहेगा। वल्लभभाजीका स्वभाव मैं जानता हूं। वल्लभभाजीको यह बात पसन्द आयेगी. . .।”

अहमदाबाद आकर ३१ जुलाजीको काकासाहबने कलेक्टरको पत्र लिखकर पुछवाया :

“आपने मुझे जो पुस्तकें चाहिये वे ले जानेकी मंजूरी तो दे ही रखी है। क्या मैं यह मान सकता हूं कि विद्यापीठके मकानसे सारी पुस्तकें और जिन आलमारियों वगैरामें वे रखी गयी हैं वे भी हटा लेनेकी मुझे आजादी है? यह प्रश्न असिलिये अुत्पन्न हुआ है कि साबरमती आश्रमकी पुस्तकें जिस प्रकार लोकोपयोगके लिये दे दी गयी हैं अुसी प्रकार विद्यापीठका पुस्तक-संग्रह भी दे देनेका विद्यापीठके ट्रस्टियोंका अिरादा है।”

अिस पत्रका मसौदा गांधीजीने ही बनाया था।

अिसके अुत्तरमें कलेक्टरने सूचित किया :

“विद्यापीठकी पुस्तकें और मकानके साथ न जड़ी हुअी आलमारियां आप रसीद देकर ले जायं तो असिमें मुझे कोअी आपत्ति नहीं है।”

असी दिन काकासाहब पूनाके लिअे चल देनेवाले थे, असिलिअे गांधीजीसे कह गये कि विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंपनेका पत्र म्युनिसिपल अध्यक्षको आप ही लिख दें। तदनुसार गांधीजीने म्युनिसिपल अध्यक्षको विद्यापीठके पुस्तक-संग्रहकी भेंट स्वीकार करनेको लिखा। बादमें विद्यापीठका पुस्तक-संग्रह विद्यापीठके मकानसे हटाकर म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया गया।

सरदार और कुछ दूसरे लोगोंमें से, जो विद्यापीठ मंडलके सदस्य थे और असि प्रकार विद्यापीठकी संपत्तिके ट्रस्टी थे, अधिकांश अउस समय जेलमें थे। असिलिअे अनसे पूछा नहीं जा सकता था। परंतु गांधीजीकी स्वीकृति मिल जानेके कारण जो लोग बाहर थे उनमें से कुछके कानों पर पुस्तकालयका दान कर देनेकी बात डाल देनेके सिवा अनकी विधिवत् स्वीकृति लेनेकी काकासाहबने आवश्यकता नहीं समझी। सरदारको जब जेलमें विद्यापीठके पुस्तकालयके दानका पता चला तो अन्हें यह बात पसन्द नहीं आसी। अनका यह खयाल था कि पुस्तकालय विद्यापीठका महत्त्वपूर्ण अंग है और अउसके बिना भविष्यमें विद्यापीठका कामकाज चलाना असंभव-सा हो जायगा। परंतु जेलमें से तो वे कुछ कर नहीं सकते थे। जुलाजी १९३४ में बाहर आनेके बाद अन्होंने सारी बातोंकी जांच की। पुस्तकालयका दान ठीक था या नहीं, असि प्रश्नको अेक ओर रख देनेके बाद भी अन्हें लगा कि 'असि प्रकार ट्रस्टकी संपत्ति दूसरी संस्थाको दे देनेका श्री काकासाहबको अधिकार नहीं था। अितना ही नहीं, सारे विद्यापीठ मंडलको भी पुस्तकालय अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी जैसी सरकारी नियंत्रणवाली संस्थाको सौंप देनेका अधिकार नहीं था। क्योंकि विद्यापीठकी स्थापना असहभाग आन्दोलनके सिलसिलेमें होनेके कारण अउसके हेतुओं और अुद्देश्योंमें स्पष्ट बताया गया है कि विद्यापीठ सरकारसे सब प्रकार स्वतंत्र रहकर शिक्षाका काम करे और अपनी संस्थाअें चलाये। विद्यापीठके विधानके परिशिष्टमें विद्यापीठके जो सिद्धान्त दिये गये हैं, उनमें भी 'राज्यसत्ताके नियंत्रण' शीर्षकके नीचे लिखा गया है कि अपने नियम तय करनेमें और अपनी संस्थाओंकी व्यवस्था करनेमें विद्यापीठ सरकारसे पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा। अब म्युनिसिपैलिटी तो कानून द्वारा स्थापित संस्था है, असिलिअे अउस पर कलेक्टर, कमिश्नर तथा सरकारके दूसरे अफसरोंके कुछ अंकुश रहते हैं। और यदि अउसे सौंपे अुअे कर्तव्य पालन करनेमें वह कसूर करती मालूम हो तो सरकार अउस पर अधिकार भी कर सकती है। असिलिअे विद्यापीठ जैसी असहयोगी और सरकारसे संपूर्ण रूपमें स्वतंत्र रहनेके सिद्धान्तवाली संस्था अपनी जायदाद अैसी सरकारी नियंत्रणवाली संस्थाको

सौंपे, तो इसमें सिद्धान्तका तथा ट्रस्ट-संबंधी कानूनमें बताये गये कर्तव्योंका भी भंग होता है। और चूँकि विद्यापीठके दानदाताओंने विद्यापीठके अपरोक्त सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर अुसे दान दिये थे, इसलिये विद्यापीठकी संपत्ति म्युनिसिपैलिटी जैसी सरकारी अंकुशवाली सत्ताके सुपुर्द कर देनेमें दानदाताओंका भी विश्वासभंग होता है।'

सरदारने अपने ये विचार गांधीजीको बताकर अनकी सलाह ली। गांधीजीका अुस दिन मौन होनेके कारण अुन्होंने सरदारके साथ लिखकर बातचीत की।

गांधीजी : मेरी यह राय है कि म्युनिसिपैलिटीके पास रहने देकर पुस्तकालयका ट्रस्ट बन सके तो बना लिया जाय। मेरा खयाल है कि वहां अुसका अच्छेसे अच्छा अुपयोग होगा। परंतु यह बात दूसरोंके गले न अुतरे तो अुसे वापस ले लेनेमें कुछ भी संकोच न रखा जाय। इसमें किमीकी प्रतिष्ठा या काकाकी भावनाओंका प्रश्न नहीं है। काका सहन कर लेंगे।

“गहराअीसे विचार किया जाय तो यह भी कहना चाहिये कि काकाने भले भूल की, लेकिन मुझे अुनके अधिकारकी जांच करनी चाहिये थी। अितनी धांधलीमें अनेक काम जो अेकके बाद अेक कर डाले, अुनमें यह भी बिना जांचे कर डाला।”

सरदारने कहा : काका तो कहते हैं कि विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंप देनेका सुझाव पहले-पहल आपने किया था।

अिसके जवाबमें गांधीजीने लिखा :

“काका मेरे जिस सुझावकी बात कहते हैं अुसकी मुझे याद नहीं। परंतु अुन्हें याद है तो हमें मान लेना चाहिये।”

सरदारने ट्रस्टियोंके अधिकारकी बात की होगी, अिस पर गांधीजीने लिखा :

“अधिकार नहीं था, यह ठीक है। मैं तो अितना ही कहता हूं कि अधिकारके बिना दिया गया दान अधिकारी हमेशा वापस ले सकते हैं। सचमुच यदि ये पुस्तकें वापस ले लेना हमारा धर्म हो तो मेरी राय है कि वापस ले ली जायं। अुस समय काकाने सबसे पूछा होता तो शायद वे भी देनेके लिये सहमत हो जाते। पुस्तकें दे देनेके बाद तो तुरंत सबको जेलमें ही जाना था न ?”

अिस पर सरदारने यह कहा होगा कि सरकारी नियंत्रणवाली संस्थाको दान देनेका अधिकार संपूर्ण ट्रस्टी-मंडलको भी नहीं है। अिसके जवाबमें गांधीजीने लिखा :

“आप कहते हैं कि ट्रस्टियोंको अधिकार नहीं ? यदि अैसा हो तब तो पुस्तकें वापस ले ही लेनी चाहिये।”

अिसके बाद और भी अितमीनान करनेके लिये सरदारने श्री भूलाभाजी देसाजी तथा श्री कन्हैयालाल मुन्दीकी राय ली। अुन्हें सरदारने साफ बताया कि यदि सारे विद्यापीठ मंडलको पुस्तकालय दे देनेका कानूनी अधिकार हो तो काकासाहबकी कारंवाजीको हम मंजूर करनेको तैयार हैं। अिसलिये आप यह न देखिये कि काकासाहबको अधिकार था या नहीं, परंतु अपनी राय अिस बात पर दीजिये कि सारे विद्यापीठ मंडलको यह अधिकार है या नहीं। दोनों कानून-पंडितोंकी राय यह मिली कि विद्यापीठके सिद्धान्तोंको देखते हुअे सारे विद्यापीठ मंडलको म्युनिसिपैलिटी जैसी सरकारी अंकुशवाली संस्थाको विद्यापीठकी संपत्ति सौंप देनेका अधिकार नहीं है। अिस पर सरदारने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षको पत्र लिखकर सूचित किया कि :

“आचार्य काकासाहब कालेलकरने अपने कुछ साथियोंकी संमतिमें गुजरात विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया है। महात्मा गांधीके दिये हुअे सत्याग्रहाश्रमके पुस्तकालयका दान जैसे आपने स्वीकार किया वैसे अिस पुस्तकालयको भी स्वीकार किया है। अिस मामलेमें ट्रस्टियोंके अधिकारके वारेमें बड़ा नाजुक सवाल पैदा हो गया है। मुझे यह सलाह मिली है कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी जैसी संस्थाको विद्यापीठकी ट्रस्ट-सम्पत्ति सौंपना पूरे विद्यापीठ मंडलके अधिकारसे बाहर है। मैं विद्यापीठका अेक ट्रस्टी हूं और अुसकी संपत्तिकी रक्षा करनेके लिये कानूनी तौर पर जिम्मेदार हूं। अिसलिये आपको सूचना देना मेरा फर्ज हो जाता है कि विद्यापीठका पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंपनेके विषयमें जिन्होंने आपके साथ पत्रव्यवहार किया और जिन्होंने पुस्तकालयका अधिकार आपको सौंपा अुन्होंने यद्यपि यह काम संपूर्ण शुद्ध बुद्धिसे किया है, फिर भी वह केवल अुन्हीके अधिकारसे बाहरका नहीं परंतु विद्यापीठके सारे ट्रस्टी-मंडलके भी अधिकारसे बाहरका है। आप अितना तो स्वीकार करेंगे कि अैसे मामलोंमें ट्रस्टियोंको संस्थाके मूल अुद्देश्यों और मूलभूत सिद्धान्तोंकी रक्षाकी बहुत सूक्ष्म चिन्ता रख कर चलना चाहिये। अिसके सिवा, मूल दान-दाताओंमें से या साधारण जनसमाजमें से किसीको यह कृत्य अनधिकृत

मालूम हो और वह हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाजी करे तो उसकी जोखिममें पड़नेकी भी ट्रस्टी-मंडलकी अच्छा नहीं होगी।

“खास तौर पर मैं आपका ध्यान इस बातकी तरफ खींचना चाहता हूँ कि इस पुस्तकालयके म्युनिसिपैलिटीके अधिकारसे मूल ट्रस्टियोंके अधिकारमें आ जानेसे आम जनताको असुका लाभ मिलनेके बारेमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आश्रमका पुस्तकालय रखनेके लिये म्युनिसिपैलिटी जो मकान बनाना चाहती है, असु मकानके स्थानसे विद्यापीठका पुस्तकालय लगभग एक ही मील दूर है। मुझे यह मलाह मिली है कि पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीको सौंप देनेकी कार्रवाजी सारे ट्रस्टी-मंडलके अधिकारसे बाहरकी है और असु पर अधिक समय तक म्युनिसिपैलिटीका अधिकार रहनेमें ट्रस्टका भंग होता रहेगा। मेरा हेतु म्युनिसिपैलिटीको यह पुस्तकालय सौंपनेवालोंकी या म्युनिसिपैलिटी द्वारा असु स्वीकार कर लेनेकी शुद्ध बुद्धिके बारेमें जराभी शंका करनेका नहीं है। मैं आशा रखता हूँ कि आप म्युनिसिपैलिटीसे आवश्यक प्रस्ताव पाम कराकर पुस्तकालय जल्दीसे जल्दी विद्यापीठ मंडलको वापस सौंप देनेकी व्यवस्था करेंगे।”

असु पर म्युनिसिपैलिटीने अपनी ‘लीगल कमेटी’ के द्वारा बंबाळीके प्रसिद्ध कानून-पंडित श्री बहादुरजीकी राय पुछवायी। विद्यापीठकी व्यवस्थाका हेतु, असुका विधान तथा असुके मूलभूत सिद्धान्तों वगैराका अध्ययन करके अन्होंने भी श्री भूलाभाजी और श्री मुन्शीसे मिलती-जुलती राय दी। असु-लिये म्युनिसिपैलिटीके जनरल बोर्डकी बैठकमें श्री दादासाहब मावलंकर, जो असु समय म्युनिसिपैलिटीके अपाध्यक्ष थे, प्रस्ताव लाये कि हमें बैरिस्टर बहादुरजीकी जो राय मिली है असु देखते हुअे गुजरात विद्यापीठ मंडलकी तरफसे सरदार बल्लभभाजीको पुस्तकालय वापस सौंप दिया जाय। असु पर संशोधन रखा गया कि विद्यापीठ मंडलके जो सदस्य या सदस्यगण अुचित अधिकारोंवाली अदालतका हुबम हासिल कर लें अन्हें पुस्तकालय सौंपा जाय। श्री दादासाहबने अपने प्रस्तावके समर्थनमें बताया कि :

“बैरिस्टरकी रायके लिये मामलेकी हकीकतोंका नोट म्युनिसिपैलिटीकी तरफसे मैंने ही तैयार किया था। असुमें पुस्तकालय म्युनिसिपैलिटीके पास रहनेके पक्षमें जितने भी तथ्य और तर्क पेश किये जा सकते थे वे सब मैंने दिये थे। फिर भी जब बैरिस्टरकी यह स्पष्ट राय मिली है तो अदालतबाजीकी शंझटोंमें पड़कर जनताका रुपया पानीकी तरह बहाना म्युनिसिपैलिटी जैसी लोकहितकारी संस्थाको शोभा नहीं

देता। हमें तो लोगोंके सामने न्यायपरायणताका अुदाहरण अुपस्थित करना चाहिये। चूकि पुस्तकालय हमारे कब्जेमें है, अिसीलिअे दूसरे पक्षको अदालतमें जानेके लिअे मजबूर नहीं करना चाहिये।”

मत लिये जाने पर प्रस्ताव २४ विरुद्ध ५ मतोंसे पास हो गया और पुस्तकालय विद्यापीठको वापस सौंप दिया गया।

अधिकारमे बाहर हुआी कार्रवाअीको सुधार लेनेका काम यों तो सरलतासे पूरा हो गया। परंतु अुसके साथ कुछ आनुषंगिक घटनाअें अैसी हुआीं, जो हमारे मंडलमें कुछ समय तक दुःख और क्लेशका कारण बनी रहीं। जैसा अूपर कहा गया है, सरदारने तो अिस मामलेमें अपनी पृष्ठभूमि अिस तरह स्पष्ट कर दी थी कि यदि सारे ट्रस्टी-मंडलको यह दान करनेका अधिकार हो तो भले अिसे अकेले काकासाहबने किया हो तो भी हम अुसे बहाल रखेंगे। मैं और कुछ दूसरे साथी अिस बातसे पूरे वाकिफ नहीं थे। मुझे तो यह भी लगा कि सरदारको काकासाहबके प्रति अरुचि होनेके कारण अुन्होंने यह कार्रवाअी की है। अिसलिअे अपने मनमें मैंने सरदारको दोषी ठहरा लिया। अिसमें काकासाहबके अेक और निश्चयमे वृद्धि हुआी। काकासाहब बहुत समयमें विचार कर रहे थे कि अुनका गुजरातका काम लगभग पूरा हो गया है और वे परिवर्तनके लिअे तड़प रहे हैं। अिसी अवसर पर अुन्होंने यह बात निकाली तो मैंने मान लिया कि अुनके बाहर जानेकी तहमें मुख्य कारण विद्यापीठ पुस्तकालय कांड और सरदारकी अुनके प्रति अरुचि ही है। अिस आशयका पत्र मैंने सरदारको लिखा। सरदारके मनमें अैसी कोअी बात नहीं थी। अुन्होंने अपनी स्थिति गांधीजीके सामने स्पष्ट कर दी थी। फिर भी मैंने अुसे नहीं माना, अिसका सरदारको बड़ा दुःख हुआ; मेरे प्रति अुन्हें भारी अमंतोष भी हुआ। मेरे विचारमें रहा दोष गांधीजीने मुझे मझाया और अुसे दूर करनेका प्रयत्न किया। समय पाकर मुझे अपनी भूलकी प्रतीति हुआी। सरदारने तो मेरी भूलको दरगुजर कर ही दिया था। अिस प्रकार हमारा घरका झगड़ा थोड़े समयमें शांत हो गया। परंतु अिस कांडसे सरदारकी कुछ खासियतें सामने आ जाती हैं। आम तौर पर सरदारके लिअे यह माना जाता था कि विद्या और संस्कारके विषयोंसे अुनका कोअी वास्ता नहीं है। परंतु विद्यापीठ जैसी शिक्षा-संस्थाका पुस्तकालय अुसका बड़ा महत्त्वपूर्ण अंग है और अुसके बिना विद्यापीठ बिलकुल खंडित हो जायगा, यह अुन्होंने अपनी सहज वृत्तिसे देख लिया। अिससे भी अधिक सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक व्यवहारके कड़े पहरेदारके रूपमें हमें अुनका परिचय अिस अध्यायमें मिलता है। दोष

किसीका भी क्यों न हो, अटल वीरताके साथ अुसके विरुद्ध लाल झंडी दिखानेमें वे हिचकिचाते नहीं थे । अुनके अिन गुणोंने गुजरात और भारतको अनेक विषम अवसरों पर कठिनाअीसे बचा लिया है ।

१३

बोरसद तालुकमें प्लेग-निवारण

बोरसद तालुकमें सन् १९३२ से प्रति वर्ष प्लेग फूट निकलता था । परंतु अुसके निवारणके लिये कोअी व्यवस्थित प्रयत्न नहीं होते थे । अिसका मुख्य कारण यह था कि सभी प्रमुख कार्यकर्ता, विशेषतः सरदार, १९३२ से १९३४ तक जेलमें थे । सविनय कानून-भंगकी लड़ाअी स्थगित कर दी गअी, तब सरदार, दरबार गोपालदास और अन्य कार्यकर्ताओंको यह काम हाथमें लेनेका समय मिला । बोरसदमें प्लेग फैलनेकी खबर सरदारको दिल्लीमें मिली । वे ता० ९-३-३५ को बम्बअी आये और डॉक्टर भास्कर पटेलको बोरसद तालुकमें जाकर वहांकी स्थितिकी रिपोर्ट ले आनेको कहा । वे बोरसद तालुकमें गये और दरबार साहबके साथ दो दिनमें कोअी बारह गांवोंमें घूमे तथा १५ मार्चको भय पैदा करनेवाली रिपोर्ट लेकर लौटे । लोगोंमें घबराहट फैली हुआ थी । किसी भी तरहकी डॉक्टरी मदद नहीं मिल सकती थी । रोगको फैलनेसे कैसे रोका जाय, यह किसीको सूझ नहीं रहा था । स्थानीय संस्थाअें (लोकल बोर्ड और बोरसद म्युनिसिपैलिटी) टूटे-फूटे और निष्प्राण प्रयत्न कर रही थीं । अुनसे कुछ होना जाना नहीं था । कितने ही गांवोंमें केस हो जानेके बाद कअी दिनों तक अधिकारियोंके पास अुनकी रिपोर्ट नहीं पहुंची थी । यह सब सुनकर सरदारने निश्चय किया कि बोरसदमें तुरंत प्लेग-निवारण कार्यकी छावनी डाली जाय । निवारणके लिये क्या क्या अुपाय किये जायं, अिसकी चर्चा करनेके लिये डॉ० भास्कर पटेलको बम्बअीके हाफकीन अिस्टिट्यूटवाले कर्नल सोकीके पास भेजा । प्लेगवाले क्षेत्रोंमें चूहों और पिस्सुओंको सर्वथा नष्ट करनेके लिये अुन्होंने कुछ सख्त कदम अुठानेकी बात सुझाअी । अुनमें जन्तुओंका नाश कर डालनेवाली वायुओंका भी अुपयोग करना था । परंतु अिन अुपायोंमें बहुत सख्त जहरीले पदार्थ काममें लिये जाते थे । अिसलिये अुचित तालीम पाये हुअे कुशल मनुष्योंकी सहायताके बिना अुन पदार्थोंका अुपयोग करना खतरनाक था । फिर भी अिस चर्चामें से कुछ सुझाव अवश्य मिल गये । अुन्हें लेकर ता० २३-३-३५ को सरदार डॉ० भास्कर पटेलके साथ बोरसद

आये। बोरसदकी सत्याग्रह छावनीके मकान हालमें ही जब्तीसे वापस मिले थे। वहां जरूरी साधन जुटाकर कामचलाअू अस्पताल खड़ा किया गया। बाहरसे केवल दवा लेने आनेवाले बीमारोंके लिअे दवाखानेका भी प्रबंध किया गया। बोरसदके डॉक्टर जीवणजी देसाजीने अस्पतालको अपनी सेवाअें अर्पण की। अस कामके लिअे स्वयंसेवकोंकी भी मांग की गयी। थोड़े ही समयमें ६५ स्वयंसेवक हाजिर हो गये। उनमें ५७ पुरुष और ८ स्त्रियां थीं। दरबार साहबकी पत्नी श्री भक्तिलक्ष्मीबहन, सरदारकी पुत्री कुमारी मणिबहन, दरबार साहबके चार लड़के और बड़ी पुत्रवधू और जिलेके प्रमुख कार्यकर्ता श्री रावजी-भाभी मणिभाभी पटेल वगैरा मुख्य थे। स्वयंसेवकोंमें कुछ ग्रेज्युअेट और कॉलेजोंमें पढ़नेवाले विद्यार्थी भी थे। तमाम स्वयंसेवकोंको प्लेगके टीके लगा दिये गये। केवल सरदार और कुमारी मणिबहनने टीके नहीं लगवाये थे। अुस प्रदेशमें कुल २७ गांव प्लेगके असरमें आये थे। वहां स्वयंसेवक तैनात कर दिये गये। स्वयंसेवकोंको गांवमें चूहे बढनेकी, प्लेगके बीमारोंकी या प्लेगके कारण होनेवाली मृत्युओंकी रोजाना रिपोर्ट मुख्य केन्द्रको भेजनी होती थी। उनका मुख्य काम घर घर घूमकर तथा उनके कोने-कोने देखकर जहां चूहे और पिस्सू रह सकते हों उन जगहोंको साफ करना और साफ करनेके बाद वहां जन्तुनाशक दवा छिड़कना तथा धूनी देना था। गांवके मुहल्ले साफ करके वे गंदगी हटाते और चूहे पकड़नेके लिअे चूहेदानियां भी रखते थे। अन्हें खास तौर पर हिदायत कर दी गयी थी कि वे लोगोंके साथ बहुत नम्रता और सभ्यतासे पेश आयें। घरका सामान धूपमें डालनेके लिअे बाहर निकाला जाय तथा घरको और सामानको जंतुनाशक दवायें छिड़क कर साफ किया जाय, तब सामानको हटाने, जमाने वगैराका काम बहुत सावधानीसे किया जाय। घर खाली करनेमें भी सारी मेहनत खुद ही करें। किरायेके मजदूर या वैतनिक नौकर जो काम करनेको तैयार न हों वे सब काम स्वयंसेवक खुद कर लें। अपना भोजन भी अन्हें हाथसे ही बना लेना था।

पेटलादकी रंगकी मिलमें श्री पुरुषोत्तम पटेल नामक अनुभवी रसायन-शास्त्रीकी देखरेखमें अेक प्रयोगशाला चलती थी। अुनकी मददसे डॉक्टर भास्कर पटेलने मिट्टीके तेल और डामर (नेफथेलीन)की गोलियोंको मिलाकर अेक सादा किन्तु कारगर जन्तुनाशक मिश्रण बनाया। यह कहें तो कोअी हर्ज नहीं कि डॉ० भास्कर पटेलकी यह नजी ही खोज थी। मिश्रण बहुत आसानीसे और जल्दी बन सकता था। प्लेगमें फंसे हुअे सत्ताअीस गांव कुल डेढ़ महीनेमें साफ कर दिये गये। अस काममें अस मिश्रणके चार-चार गैलनके ३०५ टिन काममें लिये गये। बीचमें सरकारी स्वास्थ्य-विभागके कर्मचारियोंने

जंतुनाशक मिश्रण बनानेका प्रयत्न किया था। अुसमें साबुनके अुबलते हुअे पानी पर घासलेट अुडेलने जैसी कोअी क्रिया करनी थी। विभागके आदमी अैसे बेहंगेपनसे यह मिश्रण बनाने लगे कि पास खड़ी हुअी अेक तेरह वर्षकी लड़की सारी जल गअी और अस्पतालमें ले जाते हुअे बीचमें ही मर गअी। अेक और बालक और दो अिन्स्पेक्टरोंमें से अेक बहुत ज्यादा जल गया। गरम किये हुअे घासलेटमें से निकलनेवाली वायु (गैस) अेक अिन्स्पेक्टरके श्वासमें चली गअी, जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया और अुसी हालतमें अुसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अैसी दुर्घटनाअें हो जानेके बाद म्युनिसिपैलिटीने वह मिश्रण बनवाना छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद फिर मिश्रण बनानेकी सूचना अूपरसे मिली तो अुस अिन्स्पेक्टरको बनाना पड़ा। परन्तु पहले ही प्रयत्नमें बड़े धड़ाकेसे वह बाल बाल बच गया। यह अिसीलिअे लिखा है कि पाठकोंको अिस बातकी कल्पना हो जाय कि डॉ० भास्कर पटेलकी पद्धति बहुत सादी थी और अनाड़ी आदमी भी अुस पर अमल कर सकता था। पशुओंके बांधनेकी जगहों और रास्तोंकी सफाअीके लिअे ब्लीचिंग पाअुडर काममें लिया जाता था। धूनीके लिअं गंधक अिस्तेमाल किया जाता था, और पिस्सुओंको नष्ट करनेके लिअे गोबरके साथ गंधक मिलाकर घर लीपे जाते थे। चूहे मारनेके लिअे बेरियम कार्बोनेटसे काम लिया जाता था। अिन सब बातोंके बारेमें डॉ० भास्कर पटेलने लोग समझ सकें अैसी बहुत सादी भाषामें अेक पत्रिका तैयार की थी।

सफाअीके अिस काममें लोगोंका सहयोग प्राप्त करनेमें शुरूमें थोड़ी कठिनाअी हुअी। लोगोंका अज्ञान अैसा था कि वे बिलकुल सादे अुपाय भी काममें लानेको तैयार नहीं होते थे। अिसके सिवा, अुनमें तरह-तरहके वहम और अंधविश्वास घर किये बैठे थे। प्लेगका रोग फूट निकलनेका कारण तो देवीका कोप है, अैसे जन्तुनाशक अुपाय अथवा दवाअें अिसका अिलाज नहीं; परन्तु देवीको बकरोँ या पाड़ोंकी बलि चढ़ाअी जाय तभी वह प्रसन्न हो सकती है। मनुष्योंको देवीके कोपसे ही प्लेगकी गांठ निकलती है और देवी अपना भोग लिये बिना हरगिज नहीं रहती। अैसे वहमोंके सिवा यह कठिनाअी भी थी कि गांवोंके मुखी और छोटे कर्मचारी अूपरके अधिकारियोंसे डर कर कांग्रेसके स्वयंसेवकोंको मदद नहीं देते थे या अुनके काममें विघ्न डालते थे। अुनकी वृत्ति प्लेगकी बातको दबा देनेकी थी। बोचासण गांवमें प्लेगके कितने ही केस हुअे थे। स्वयंसेवक वहां सफाअी करने भी गये थे और लोगोंको गांव खाली करके चले जानेकी बात समझानेमें सरदारके साथ अुस गांवका पटेल भी शामिल था। फिर भी तहसीलदारको अुसने यह

जवाब दिया कि गांवमें प्लेगका अेक भी केस नहीं हुआ। वह रिपोर्ट अूपर गयी। बादमें जब कलेक्टरने तहसीलदारको धमकाया तब अुसने फिर जांच करके प्लेगके केस होनेकी बात मंजूर की। सरदारको लोगोंके अज्ञान और वहम तथा सरकारी कर्मचारियोंके जिद्दीपन और भीरुताके विरुद्ध लड़ना था। वे लगभग रोज प्लेगवाले गांवोंका दौरा लगा आते थे। लोगोंके साथ बात करते थे। सभाअें करके भाषण देते और लोगोंको अपना कर्तव्य समझाते थे। असके सिवा प्रतिदिन पत्रिका निकालते थे। अपनी प्रभावशाली देहाती भाषामें लोगोंके अज्ञान और वहम पर प्रहार करते थे। कभी विनोद करके लोगोंको रिझाते, तो कभी अुनकी जिद और मूर्खताके लिअे अुन्हें आड़े हाथों लेते थे। अस प्रकार ये पत्रिकाअें सफाअी, स्वावलंबन और आरोग्यरक्षाके विषयमें लोकशिक्षाका अेक महासमर्थ माध्यम बन गयी थीं। डॉ० भास्कर भी स्वयं-सेवकोंको साथ लेकर गांव-गांव और घर-घर घूमते थे। अिन सब बातोंका परिणाम यह हुआ कि पंद्रह दिनमें ही लोग सब कुछ समझने लग गये और स्वयंसेवक अुनके गांवमें आकर रहें असकी तथा जंतुनाशक मिश्रण और छूतनाशक दूसरी दवाओंकी मांग करने लगे। अितना ही नहीं, गांवोंके युवक स्वयंसेवकोंके साथ सफाअीके काममें शामिल होने लगे। गांवोंकी स्त्रियां और बच्चे भी घरों और गलियोंकी सफाअीमें भाग लेने लगे। बारैया और मुसलमानोंका विरोध भी मिट गया। कुल ५३ दिनमें सत्ताअीसों गांव पूरी तरह साफ हो गये। स्थानीय संस्थाओं और स्थानीय कर्मचारियोंका सहयोग जहां मिल सकता था वहां लिया जाता था। परन्तु अुनसे बहुत थोड़ा सहयोग मिलता था।

छावनीके कामचलाअू अस्पतालमें कुल १६ बीमारोंको भरती किया गया था। अुनमें से दो गुजर गये, बारह अच्छे होकर गये और दो अस्पतालके डॉक्टरोंसे अिजाजत लिये बिना चल दिये। केवल दवा लेने आनेवाले रोगियोंकी संख्या अप्रैल मासमें २,३४५ थी और मअी मासमें ३,८१३ थी। डॉक्टरोंने कोअी वेतन लिये बिना अपनी सेवाअें दी थीं। अस्पतालका दूसरा खर्च कुल मिलाकर लगभग आठ हजार रुपया हुआ था। असके अलावा बारह गांवोंके ४४ प्लेगके बीमारोंने अपने घर रहकर ही डॉ० भास्कर पटेलसे अिलाज कराया था। अुनमें से ३१ अच्छे हो गये थे। कामचलाअू अस्पतालमें स्त्री-रोगियोंकी देखरेख करनेमें स्त्री-स्वयंसेवकोंने बहुत अच्छा भाग लिया था।

मअी मासके अन्तिम भागमें सरदारने गांधीजीको बोरसद तालुकेके दौरेके लिअे अेक सप्ताहके लिअे बुलाया। गांधीजीके आनेसे पहले प्लेग-ग्रस्त सभी गांवोंकी सफाअीका काम समाप्त हो गया था और प्लेगका जोर

भी कम होता चला था। अपने दौरेके दरमियान गांधीजी कभी गांवोंमें गये। वे अपने भाषणोंमें अिस बात पर जोर देते थे कि सरदार, दरबार साहब और अुनके बहादुर स्वयंसेवकोंने अितना सुन्दर कार्य किया है, फिर भी अगर आप लोग अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगे, अपने घरबार साफ नहीं रखेंगे और ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे घरोंमें चूहों और पिस्सुओंको छिपनेके लिये स्थान ही न मिले तो प्लेग फिर आ जायगा। गांधीजीके सुझाव पर डॉ० भास्कर पटेलने लोगोंको चूहों और पिस्सुओंके अपद्रवसे बचनेके अपाय बतानेवाली पत्रिकाओं सादी भाषामें लिखीं। गांधीजी अपने भाषणोंमें यह भी बताते थे कि :

“अिस बीमारीकी छूत चूहों और पिस्सुओंसे ही फैलती है। निष्णात लोग कहते हैं कि अुन्हें नष्ट करना चाहिये। परन्तु चूहे और पिस्सू तो अीश्वरके भोजे हुअे दूत होते हैं। अुनके द्वारा अीश्वर हमें चेतावनी देता है। अिस जिलेमें कुदरतकी कृपासे जलवायु और जमीन बहुत अच्छी है। परन्तु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि आप कुदरतके नियमोंका अैसा भंग कर रहे हैं जिससे प्लेगका अपद्रव यहां मानो स्थायी बन गया है। आप चूहों और पिस्सुओंका नाश करके भी आज जैसी गंदी हालतमें रहेंगे तो चूहे और पिस्सू फिर हो जायेंगे। अिस-लिये मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अैसी स्वच्छता रखें जिससे चूहे और पिस्सू पैदा ही न हों। स्वयंसेवकोंने अिस समय सफाअीका जो काम किया है, अुमे हमेशाका काम बना लीजिये। घरोंको अच्छी तरह लीप-पोतकर साफ रखिये और घरोंमें जो भी छेद, बिल वगैरा हों अुन्हें बन्द कर दीजिये, ताकि चूहे रह ही न सकें। अनाज यंत्रचक्कीमें पिसवाकर, चावल मशीनसे कुटवाकर, खुराक और सागभाजी जरूरतसे ज्यादा पकाकर और अुनमें अत्यधिक मसाले डालकर हम भोजनको निःसत्व और न पचने लायक बना देते हैं। यह आदत भी हमें सुधारनी चाहिये। हम शरीरको अुचित पोषण देनेवाली खुराक खायें और अपनी आदतें स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद रखें, तो रोगके जन्तु भी जल्दी जल्दी हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकते।”

अिस प्रकार लगभग दो महीनोंमें प्लेग-निवारणका काम पूरा हो गया। लगभग चार वर्षसे बोरसद तालुकेमें हर साल प्लेगका अपद्रव होता था। परन्तु सरदारकी यशोरेखा बलवान और लोगोंका भाग्य अच्छा था कि अुसके बाद आज तक प्लेग बोरसद तालुकेमें कभी दिखाअी नहीं दिया।

यह प्रकरण यहीं समाप्त हो जाता, परन्तु कांग्रेसवालोंको ऐसा अच्छा काम करनेका श्रेय मिले, यह सरकारी अधिकारियोंको बरदाश्त नहीं हो सका। यह कहकर कि सरकार और स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिस सम्बन्धमें किये गये कामके बारेमें कुछ गलतफहमी होने लगी है, उसे दूर करनेको बम्बई सरकारने ता० २७-४-'३५ को एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। यद्यपि अिन चार वर्षोंमें उसने बहुत ही थोड़ा काम किया था, फिर भी विज्ञप्तिमें उसने ऐसी डींग हांकी थी मानो उसीके प्रयत्नसे प्लेग बन्द हुआ। अितनेसे भी संतोष न मानकर कांग्रेसके जिस वर्ष किये हुए कामको लोगोंकी निगाहमें गिरानेके लिये उस विज्ञप्तिमें लिखा गया कि :

“प्लेग मिटानेके लिये खानगी व्यक्तियोंके प्रयत्न कारगर नहीं हो सकते। ये प्रयत्न वैज्ञानिक ढंगके होने चाहिये और उनके पीछे लम्बे अनुभवका आधार होना चाहिये। वह अनुभव केवल सरकारके स्वास्थ्य-विभागके ही पास है। जिसलिये प्लेग जैसे गंभीर और भारी हानि पहुंचानेवाले रोगके खिलाफ लड़नेके लिये सरकार यद्यपि सबका सहयोग चाहती है, तो भी जिस क्षेत्रमें काम करनेकी अच्छा रखनेवालोंको सलाह देती है कि उन्हें सरकारके स्वास्थ्य-विभागके साथ सहयोग करके काम करना चाहिये, ताकि अच्छे परिणाम आ सकें।”

सरदारके मार्गदर्शनमें कांग्रेसके स्वयंसेवकोंने अपनी जानको जोखिममें डालकर जो सुन्दर कार्य किया था, उसकी तारीफमें एक भी शब्द कहनेके बजाय उनके कामको गिरानेकी यह बेहूदी कोशिश थी। जिसलिये अिन चार वर्षोंमें सरकारने कितनी अपेक्षा दिखायी थी और जिस वर्ष भी कांग्रेसके काम शुरू कर देनेके बाद सरकारने जिन कर्मचारियोंको तालुकेमें प्लेग-निवारणके लिये रखा था अन्होंने अच्छी तरह काम नहीं किया तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओंका सहयोग प्राप्त करनेके बजाय वे उनसे दूर ही दूर रहे—आदि सब बातें अुदाहरणों सहित बताकर सरदारने जिस विज्ञप्तिका लंबा अुत्तर दिया था। जिस पर सरकारने दूसरी विज्ञप्ति प्रकाशित की। उसका भी सरदारने अच्छी तरह अुत्तर दिया। तब सरकारने तीसरी विज्ञप्ति निकाली। उसमें तो कांग्रेसके काम पर सीधे ही आक्षेप किये। जिस पर ता० ३-७-'३५ को सरदारने बम्बई सरकारको पत्र लिखकर बताया कि सरकारने कुल तीन विज्ञप्तियां निकाली हैं। उनमें हमारे कार्य पर जो गंभीर आक्षेप किये गये हैं उनके बारेमें कानून-मंडितोंने मुझे यह सलाह दी है कि उनमें कुछ आरोप कानूनी दृष्टिसे मानहानि करनेवाले

हैं। और डॉ० भास्कर पटेलकी, जिन्होंने बिना वेतन लिये रातदिन हमें सेवाएँ दी हैं, कुशलता और अिज्जतका सवाल भी इसमें पैदा होता है। हमने इस मामलेमें कभी सरकारका सहयोग लेनेसे अिनकार किया ही नहीं। फिर भी जैसे निराधार आक्षेप हमारे काम पर किये गये हैं। असलिये या तो सरकार अपने ये आक्षेप वापस ले या कुशल डॉक्टरों और प्रमाणोंकी छानबीन कर सकनेवाले मनुष्योंकी एक स्वतंत्र कमेटी नियुक्त करे। सरकारने अुत्तर दिया कि ऐसी कोअी बात करनेकी हमें जरूरत नहीं जान पड़ती। इस पर सरदारने बम्बरीके अेडवोकेट बहादुरजी, दो प्रख्यात डॉक्टर—डॉ० गिल्डर और डॉ० भरूचा— तथा कमेटीके मंत्रीके रूपमें श्री वैकुण्ठभाअी महेताकी कमेटी नियुक्त करके अुनसे सारी जांच करनेकी प्रार्थना की। कमेटीके दो डॉक्टर सदस्योंसे यह भी अनुरोध किया कि भविष्यमें इस रोगके विरुद्ध सावधानीके तौर पर किये जाने लायक अुपायोंके बारेमें भी वे अपने सुझाव दें। इस कमेटीने अुपलब्ध सारे दस्तावेजी सबूतोंकी जांच करके तथा लोकलबोर्डके अधिकारियों और कार्यकर्ताओंकी गवाहियां लेकर अक्तूबर १९३५ में अपनी रिपोर्ट पेश की। अुसमें बताया कि 'प्लेग-निवारणके बारेमें स्वास्थ्य-विभागके अधिकारियोंका व्यवहार लापरवाही भरा था। जिसे वे अपनी वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, अुसका कोअी अमल वे इस सम्बन्धमें नहीं कर सके थे। और कांग्रेसकी तरफसे जो अुपाय किये गये वे सादे और लोगों द्वारा अमल किये जा सकने-वाले होनेके सिवा वैज्ञानिक दृष्टिसे भी सर्वथा सही थे। चार वर्षसे जमे हुअे रोगका अितने थोड़े समयमें निवारण करनेका काम ऐसी सुन्दर रीतिसे हुआ, अिसका श्रेय सरदार वल्लभभाअी, डॉ० भास्कर पटेल और अुनके बहादुर स्वयंसेवक दलकी लोकप्रियता और होशियारीको है।'

१९३४ की बम्बई कांग्रेस और उसके बाद

पिछले एक अध्यायमें हम देख चुके हैं कि जब सरदार नासिक जेलमें थे तब उनको नाककी बीमारीके लिये ऑपरेशन करानेकी जरूरत थी। परन्तु सरकारने ऑपरेशनके लिये जो सुविधाएँ दी थीं वे काफी न होनेके कारण सरदारने ऑपरेशन कराना मूलतः रखा था। उनकी बीमारी बहुत बढ़ गयी और जेलके अधिकारियोंको भी उसकी गंभीरता स्वीकारनी पड़ी। अिसलिये जुलाई १९३४के शुरूमें डॉक्टरोंकी एक कमेटी मुकर्रर करके सरदारने सरदारकी अच्छी तरह जांच करायी। उसने राय दी कि नाकका ऑपरेशन तुरन्त करानेकी आवश्यकता है, और वे मुक्त हों तो ऑपरेशनकी सुविधा अच्छी हो सकती है। अिस पर सरकारने ता० १४-७-३४ को अुन्हें छोड़ दिया। छूटनेके बादके अुनके दो कामोंके बारेमें कहा जा चुका है। अुस समय देशकी राजनैतिक परिस्थिति कैसी थी, अिसकी कुछ कल्पना हम अिस अध्यायमें देंगे।

१९३३ के मई मासमें गांधीजीने २१ दिनके अुपवास शुरू किये, तब सरकारने अुन्हें बिलाशत छोड़ दिया था। अुपवास पूरा हो गया और साधारण शक्ति आ गयी अुसके बाद जो राजनैतिक कार्यकर्ता बाहर थे, अुनमें से मुख्य मुख्य लोगोंकी अुन्होंने पूनामें अवैध परिषद् बुलायी। अुस परिषद्में चर्चाके अन्तमें सामूहिक सविनय कानून-भंगकी लड़ाीको व्यक्तिगत सविनय कानून-भंगकी लड़ाीका रूप देनेका निश्चय हुआ। अुसी समय कुछ कार्यकर्ताओंको यह विचार सूझा और अुन्होंने अुसे व्यक्त भी किया कि जो व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग न कर सकें वे १९२४में जैसा स्वराज्य पक्ष बनाया गया था वैसा स्वराज्य पक्ष बनाकर धारासभाओंमें जायं और अन्दरसे स्वराज्यकी लड़ाी चलायें। परन्तु अिस विचारको परिषद्में बहुत समर्थन नहीं मिला। १ अगस्त, १९३३ को व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग शुरू हुआ और गांधीजीको एक सालकी सजा हुयी। अिससे पहले वे नजरबन्द कैदी थे। नजरबन्दकी हैसियतसे हरिजन-कार्य करने और 'हरिजन' पत्र चलानेकी जितनी सुविधाएँ अुन्हें मिली थीं अुतनी सजायाफ्ता कैदीके रूपमें सरकारने अुन्हें देनेसे अिनकार कर दिया। अिस पर अुन्होंने अुपवास शुरू कर दिया। आठेक दिनके अुपवासके बाद सरकारने अुन्हें छोड़ दिया। छूटने पर भी सजाका बाकीका वर्ष कोयी राजनैतिक काम

न करके हरिजनकार्यमें ही बितानेका अन्होंने निश्चय किया और उसके सिलसिलेमें सारे देशमें भ्रमण करना शुरू किया।

ता० १५-१-'३४ को बिहारमें भयंकर भूकम्प हुआ। वहां कांग्रेसकी ओरसे कण्ट-निवारणका काम अच्छी तरह शुरू किया गया। अड़ीसा-यात्रामें से थोड़ा समय निकाल कर गांधीजी अप्रैलके आरंभमें वह काम देखनेके लिये बिहार भूकम्प क्षेत्रका दौरा करने गये। जो कांग्रेसी नेता धारासभामें जानेके मतके थे अन्होंने ता० ३१-३-'३४ को डॉ० अन्सारीकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें एक परिषद् बुलायी। उसने जो कामचलाअू प्रस्ताव पास किये अन्हें अमलमें लानेसे पहले यह तय किया कि डॉ० अन्सारी, श्री भूलाभाजी देसायी तथा डॉ० विधानचन्द्र राय गांधीजीसे मिलकर इस विषयमें अुनकी राय जान लें। उसी समय देशकी परिस्थितिको देखकर गांधीजीको यह विचार आया कि व्यक्तिगत सविनय कानून-भंगकी लड़ायी भी केवल अुनके अपने तक ही सीमित कर दी जाय। इस बारेमें एक वक्तव्य भी वे प्रकाशित करनेवाले थे। परन्तु डॉ० अन्सारीका पत्र आ गया, अिमलिये अुनसे रूबरू चर्चा कर लेने तक वक्तव्य प्रकाशित करना अुन्होंने मुलतवी कर दिया। डॉ० अन्सारी आदिसे चर्चा हो जानेके बाद धारासभा-प्रवेशके बारेमें अुन्होंने अपनी राय दी कि :

“धारासभाओंमें जानेके विषयमें मेरे विचार सब कोयी जानते हैं। १९२० में मैं जो विचार रखता था अुनमें और आजके मेरे विचारोंमें कोयी अन्तर नहीं पड़ा है। परन्तु मेरा यह खयाल है कि जिन कांग्रेसियोंकी किसी न किसी कारणसे सविनय कानून-भंगमें भाग लेनेकी अिच्छा न हो अथवा जो अुसमें भाग न ले सकते हों और जिनका धारासभाओंमें विश्वास हो अुन्हें अुनमें प्रवेश करनेका प्रयत्न करना चाहिये।”

अिसके बाद ७ अप्रैलको अुन्होंने सविनय कानून-भंग स्थगित करनेका वक्तव्य भी निकाला। जो मुख्य मुख्य कार्यकर्ता बाहर थे अुन्हें यह सब समझानेके लिये ३ मजीको रांचीमें एक छोटीसी परिषद् की गयी। अुसमें दिल्ली परिषद्के प्रस्तावोंको मंजूर करके जो धारासभामें जाना चाहें अुन्हें जानेकी अिजाजत दी गयी। धारासभाओंके लिये मुख्य कार्यक्रम यह रखा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेण्टने भारतके लिये राजनैतिक सुधारोंकी जो योजना तैयार की है अुसे अस्वीकार किया जाय, राष्ट्रीय मांगोंके अनुसार सुधार-योजना तैयार करनेके लिये एक सभा की जाय और तमाम अत्याचारी कानूनोंको रद्द करानेके लिये धारासभाओंमें लड़ा जाय। ता० १८, १९ और २० मजीको पटनामें

कांग्रेसकी कार्यसमिति और महासभाकी बैठकें हुआं। उनमें धारासभाओंमें जानेकी अजाजत देने और सविनय कानून-भंग स्थगित करनेके प्रस्ताव स्वीकार किये गये। अिसके जवाबमें सरकारने जून मासमें सीमाप्रान्त और बंगालके सिवा अन्य सारी कांग्रेस संस्थाओं परसे प्रतिबन्ध अुठा लिया और सविनय कानून-भंगकी लड़ाीवाले राजनैतिक कैदियोंको धीरे-धीरे छोड़ देनेकी नीति अपनाी। अिसमें गुजरातके कैदी बहुत देरसे छूटे थे। खान अब्दुल गफ्फारखां, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभभाभीको सरकार छोड़ना नहीं चाहती थी। तो भी सरकारको स्वास्थ्यके कारण अन्हें जुलाभीमें छोड़ देना पड़ा। अगस्तके अन्तमें खान अब्दुल गफ्फारखां और अुनके भाभी डॉ० खानसाहबको भी छोड़ दिया, यद्यपि अुसके साथ ही यह हुक्म दिया कि वे सीमाप्रान्तमें प्रवेश न करें। जवाहरलालजीको तो सरकारने जेलमें ही बन्द रखा।

कांग्रेसका बाकायदा और खुला अधिवेशन हुअे तीन वर्षसे अधिक समय हो गया था और लगभग सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता जेलसे बाहर आ गये थे। अिसलिये सबका विचार हुआ कि जितनी जल्दी हो सके कांग्रेसका अधिवेशन करना चाहिये। नवम्बर १९३४में बड़ी धारासभाका चुनाव होने-वाला था। कांग्रेसियोंको धारासभाओंमें जानेकी स्वीकृति दे दी गयी थी, अिसलिये चुनावोंकी तैयारी भी करनी थी। अतः अक्तूबरके अन्तमें कांग्रेसका अधिवेशन बम्बयीमें करनेका निश्चय किया गया। वैसे अिस अधिवेशनमें धारासभा-प्रवेशके सिवा और किसी महत्त्वके विषय पर चर्चा नहीं करनी थी। अिसलिये अधिवेशन साधारण ढंगका होता। परन्तु गांधीजीने अेक नयी ही बात निकाली, जिसके कारण कांग्रेसका यह अधिवेशन बहुत महत्त्वपूर्ण बन गया। गांधीजीने कहा कि :

“मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेसका जो शिक्षित और बुद्धिप्रधान वर्ग माना जाता है अुसे मेरे कार्यक्रम पर विश्वास नहीं रहा है। खास तौर पर अुसे चरखे और खादी पर श्रद्धा नहीं रही। फिर भी मेरा लिहाज रखकर या अिस डरसे कि मेरे विरुद्ध अुनका विरोध सफल होनेकी संभावना नहीं है वे मेरा विरोध नहीं करते और मेरे कार्यक्रमका बेमनसे समर्थन करते हैं। परिणाम यह आया है कि मैं कांग्रेस पर अेक भारी बोझ-सा बन गया हूँ। मेरे कारण अधिकांश कांग्रेसी स्वतंत्र विचार नहीं करते और स्वतंत्र व्यवहार भी नहीं रख सकते। अिसलिये कांग्रेसके हितके लिये मुझे कांग्रेससे निकल जाना चाहिये।”

सभी खास खास नेताओंको पत्र लिखकर अुन्होंने अपना यह विचार बताया। राजाजी, अबुलकलाम आजाद वगैराने गांधीजीके अिस विचारका

कड़ा विरोध किया। अुन्होंने यह भी दलील दी कि आप अिस मीके पर कांग्रेससे निकल जायेंगे तो अिसका जनसमाज पर विपरीत असर पड़ेगा और चुनावोंमें कांग्रेसको सफलता नहीं मिलेगी। अकेले सरदारने ही गांधीजीकी बात अच्छी तरह समझी। अुन्होंने गांधीजीके कांग्रेससे निकल जानेकी बातका समर्थन किया। वर्षोंसे सरदार गांधीजीके अन्धभक्त माने जाते थे। अतः लोग कहने लगे कि वे तो अन्धभक्त हैं अिसलिये गांधीजी जो बात कहते हैं अुसका समर्थन करते हैं। अिस अवसर पर राजाजीने अेक बहुत सूचक बात कही थी कि 'गांधीजीके अन्धानुयायी दूसरे लोग भी हैं। वे अपनी आंखोंसे देख ही नहीं सकते। परन्तु मरदार अन्य अन्धानुयायियों जैसे नहीं हैं। अुनकी आंखें सजग हैं। वे सब कुछ साफ देख सकते हैं, मगर जानबूझ कर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। और गांधीजीकी आंखोंसे ही देखनेका प्रयत्न करते हैं।'

नेताओंके साथ चर्चा कर लेनेके बाद गांधीजीने ता० १७-९-'३४ को अपना वक्तव्य प्रकाशित किया। अुस वक्तव्यमें अुन्होंने बहुत साफ तौर पर यह बताया कि कांग्रेसका बुद्धिप्रधान वर्ग किन किन मुद्दों पर अुनसे मतभेद रखता है। वह सारा वक्तव्य गांधीजीकी कार्यपद्धति और विचारसरणीका बड़ा सुन्दर नमूना है। लेकिन यहां तो अुसका सार ही दिया जा सकेगा :

“पक्ष और विपक्षके सारे मुद्दों पर भलीभांति विचार करके मुरक्षा और समझदारीके मार्गके रूपमें मैंने अक्तूबरमें कांग्रेसका अधिवेशन समाप्त हो जाने तक आखिरी कदम अुठाना स्थगित कर दिया है। अैसा करनेको मैं अिसीलिये आकर्षित हुआ हूं कि मुझ पर जो असर पड़ा है वह सही है या नहीं, अिमकी मैं परीक्षा कर सकूं। मुझे महसूस हो रहा है कि कांग्रेसके बुद्धिप्रधान वर्गका बहुत बड़ा भाग मेरी पद्धति और विचारोंसे और अुनके अनुसार तैयार किये गये मेरे कार्यक्रमसे अूब गया है। मैं कांग्रेसके स्वाभाविक विकासमें सहायक होनेके बजाय अेक रुकावट बन गया हूं। कांग्रेस अेक लोकतांत्रिक और लोगोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था होनी चाहिये। अिसके बजाय अुस पर मेरे व्यक्तित्वका आधिपत्य अैसा जम गया है कि अुसमें स्वतंत्र विचारकी गुंजाअिष नहीं रही। महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंके बारेमें बहुतेरे कांग्रेसियोंके और मेरे दृष्टिकोणमें भेद बढ़ता जा रहा है। अुनकी मेरे प्रति जो वफादारी और भक्ति है अुस पर मुझे जरूरतसे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिये।

“दिनोंदिन मेरा यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि यदि हमारे देशमें शुद्ध अहिंसासे करोड़ों लोगोंके भलेके लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त

करनी हो तो चरखा और खादी अर्धवेकार और भूखों मरते करोड़ों लोगोंके लिये जितने स्वाभाविक हैं, अतने ही स्वाभाविक अल्पसंख्यक सुशिक्षितोंके लिये भी होने चाहिये। चरखा मानव-गौरव और समानताका शब्दोंके सच्चेसे सच्चे अर्थमें प्रतीक है। किसानोंके लिये वह सहायक धंधा है और राष्ट्रका दूसरा फेंफड़ा है। अतने पर भी चरखेकी अिस व्यापक शक्तिमें बहुत कम कांग्रेसियोंका जीता-जागता विश्वास है।

“ धारासभा-प्रवेशके मामलेमें असहयोगका प्रणेता होनेके बावजूद, मुझे यकीन हो गया है कि देशकी मौजूदा परिस्थितिमें तथा सविनय कानून-भंगकी किसी योजनाके अभावमें कांग्रेस जो भी कार्यक्रम तैयार करे, धारासभाओंका कार्यक्रम उसका अेक आवश्यक अंग होना चाहिये। परंतु अिस विषयमें मेरे बहुतसे अुत्तम साथियोंका मुझसे विरोध है। अलबत्ता, वे बोलते नहीं क्योंकि अुन्हें लगता है कि मेरा विरोध करनेमें कोअी सार नहीं। मेरे जैसे जन्मजात लोकतंत्रवादीके लिये यह बहुत लज्जास्पद है।

“ कांग्रेसमें समाजवादी दलकी रचनाका मैंने स्वागत किया है। अुनमें बहुतमे मेरे माने हुअे और त्यागी साथी हैं। अितने पर भी अुनके अधिष्ठत प्रकाशनोंमें अुनका जो कार्यक्रम छपा है अुसके साथ मेरे बुनियादी मतभेद हैं। अुनका जोर कांग्रेसमें बढे — जो बढना संभव है — तो मैं कांग्रेसमें नहीं रह सकता। अुनके सक्रिय विरोधमें रहना मेरे लिये अकल्पनीय है। अिसी प्रकार देशीराज्योंके बारेमें मैंने जो नीति सुझाअी है अुससे बहुतसे कांग्रेसियोंकी नीति बिलकुल अलग है। यही बात अस्पृश्यता-निवारणकी है। मेरे लिये वह महान धार्मिक और नैतिक प्रश्न है। परंतु बहुतोंका खयाल है कि अिस समय सविनय कानून-भंगकी लड़ाअी हो रही थी अुम समय मेरे अुपवास करनेसे लड़ाअीमें खलल पड़ा और अैसा करके मैंने बड़ी भूल की, जब कि मुझे लगता है कि मैंने यह मार्ग न अपनाया होता तो मैं अपने प्रति बेवफा साबित होता।

“ अब अहिंसाका प्रश्न लें। चौदह वर्ष तक अुसका प्रयोग करनेके वाद भी कांग्रेसियोंके बहुमतके लिये वह अभी तक अेक नीति ही है, जब कि मेरे लिये वह अेक महान धर्म है। सविनय कानून-भंगकी लड़ाअी स्थगित करनेकी सिफारिश करनेवाला जो वक्तव्य मैंने प्रकाशित किया था, अुसमें मैंने अिस बातकी तरफ ध्यान खींचा था कि हमारी लड़ाअी

दो प्रगट परिणाम लानेमें असफल रही है। हमारी लड़ाई पूरी तरह अहिंसकवृत्तिसे चलायी गयी होती तो सरकार उसका स्वागत किये बिना नहीं रह सकती थी। सरकारके आर्डिनेंसोंका अुद्देश्य किसी भी तरह हमारा जोश खतम कर देनेका था, यद्यपि अहिंसक मनुष्य पर ये आर्डिनेंस कुछ भी असर नहीं कर सकते। परंतु सभी जेल जानेवालोंके बारेमें हम यह नहीं कह सकते कि वे दोषोंसे बरी थे। हम सच्चे अहिंसक हों तो हमारी अहिंसाका असर विरोधी पक्ष पर पड़े बिना रह ही नहीं सकता। परंतु जैसे हम सरकार पर कोअी असर नहीं डाल सके, वैसे ही आतंकवादियोंको भी हम यह नहीं दिखा सके कि आपकी जितनी श्रद्धा हिंसा पर है उससे अधिक श्रद्धा हमारी अहिंसा पर है। अतः इस समय मेरा मुख्य कर्तव्य यह हो गया है कि मैं जैसे अपाय खोज निकालूं जिनसे मैं सरकार और आतंकवादी दोनोंको बचा सकूं कि स्वतंत्रताको अुमके पूरे अर्थमें प्राप्त करनेकी पूरी शक्ति अहिंसामें है। इस कामके लिये मैंने अपना जीवन समर्पण किया है। उसे अच्छी तरह करनेके लिये मुझमें पूरी तटस्थता होनी चाहिये और मुझे पूरा कार्य-स्वातंत्र्य मिलना चाहिये। कानूनका सविनय भंग तो सत्याग्रहका केवल अेक भाग है। सत्याग्रहको मैं जीवनका सर्वव्यापी और सर्वोपरि कानून मानता हूं। सत्य ही मेरा अीश्वर है। उसकी खोज और प्राप्ति में अहिंसा द्वारा ही कर सकता हूं, और किसी तरह नहीं। सत्यकी मेरी इस खोजमें हमारे देशकी और संसारकी भी स्वतंत्रता समायी हुयी है। इस खोजके लिये ही मैं राजनैतिक कामोंमें पड़ा हूं। इस खोजमें पूर्ण स्वातंत्र्य और अनेक दूसरी वस्तुअें अनिवार्य रूपमें समायी हुयी हैं, यह यदि मैं अपने सुशिक्षित कांग्रेसियों द्वारा बुद्धि और हृदयपूर्वक स्वीकार न करा सकूं तो यह स्पष्ट है कि मुझे अकेले काम करना चाहिये — इस अचल श्रद्धासे कि आज नहीं तो कल जरूर मैं अुन्हें यह बात समझा सकूंगा। इस भगीरथ कार्यके लिये अीश्वर मुझे शक्ति देगा, उसके लिये जो भाषा चाहिये वह मेरे मुखमें रखेगा और उसके लिये जो जरूरी कार्य होंगे वे भी मुझसे करा लेगा। परंतु आप मुझे दूसरोंका अनुकरण करके मत दें अथवा दुःखी मनसे संमति दें, तो मेरा काम नहीं चल सकता। इससे हमारे कामको हानि हो सकती है।

“कंप्लीट डिडिपेंडेंस (पूर्ण स्वाधीनता) इस अंग्रेजी शब्दप्रयोगका अंग्रेजी भाषामें जो अर्थ होता है उस पूरे अर्थमें मुझे हिन्दुस्तानके

लिअे पूर्ण स्वाधीनता चाहिये। परंतु मेरे खयालसे पूर्ण स्वाधीनताकी अपेक्षा पूर्ण स्वराज्यमें अनंत गुना अधिक अर्थ समाया हुआ है। फिर भी जो चीज मुझे चाहिये उसकी व्याख्या तो पूर्ण स्वराज्यमें भी पूरी तरह नहीं आती। पूरी व्याख्या करना असंभव नहीं तो भी बहुत कठिन अवश्य है। इसीमें से बहुतसे कांग्रेसियोंके मेरे साथ गंभीर मतभेद पैदा होते हैं। ठेठ १९०९ से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरी दृष्टिमें साधन और साध्य अेक ही वस्तु हैं। जहां साधन अलग अलग और अेक-दूसरेके साथ असंगत होते हैं, वहां साध्य भी भिन्न भिन्न और असंगत ही आते हैं। हमारा नियंत्रण सदा साधन पर होता है, साध्य पर कभी नहीं होता। इस खुले सत्यको बहुतसे कांग्रेसी स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि साध्य अच्छा हो तो कैसे भी साधन काममें लाये जा सकते हैं।

“अिन मतभेदोंका कुल मिलाकर यह परिणाम होता है कि कांग्रेसका वर्तमान कार्यक्रम असफल सिद्ध होता है, क्योंकि कार्यक्रममें विश्वास न होनेसे सदस्य अुस पर केवल मौखिक संमति ही प्रगट करते हैं। फिर स्वाभाविक तौर पर ही अुसको अमलमें लानेमें वे असफल रहते हैं। इसके सिवा कोअी दूसरा कार्यक्रम मेरे पास नहीं है। अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-अेकता, संपूर्ण मद्यनिषेध, चरखा और खादी, सौ फी सदी स्वदेशी, ग्रामोद्योगोंका पुनरुद्धार और सात लाख गांवोंका संगठन — अितनी चीजोंसे जिन्हें देशके प्रति प्रेम है अुन्हें पूरा संतोष मिल जाना चाहिये। मैं तो देशके किसी गांवमें, मेरा बस चले तो सीमाप्रान्तके किसी गांवमें, जम जाना पसन्द करूंगा।

“अन्तमें मैं हम लोगोंमें बढ़ती हुआ सड़ांधका अुल्लेख करूंगा। अुसके बारेमें मैंने बहुत कहा है इसलिअे यहां मुझे अधिक नहीं कहना है। अितना कहता हूं तो भी मेरी निगाहमें कांग्रेस देशकी सबसे शक्तिशाली और अधिकसे अधिक प्रतिनिधित्व रखनेवाली संस्था है। अुसके पीछे अुच्च प्रकारकी अविरत सेवा और त्यागका अितिहास है। शुरूसे अब तक अुसने और किसी भी संस्थासे अधिक चढ़ाव-अुतार देखे हैं। अुसने जिन बलिदानोंकी प्रेरणा दी है, अुनके लिअे कोअी भी देश गर्व कर सकता है। आज भी इस संस्थामें दूसरी किसी संस्थासे निष्कलंक चरित्र और अटल निष्ठावाले अधिक स्त्री-पुरुष हैं। इसलिअे यदि यह संस्था मुझे छोड़नी ही पड़ी तो मैं तीव्र वेदनाके बिना नहीं छोड़ सकूंगा। मैं तभी अिसे छोड़ूंगा जब

मुझे विश्वास हो जायगा कि संस्थाकी अर्थात् देशकी सेवा में अन्दर रहनेकी अपेक्षा बाहर रहकर अधिक कर सकूंगा।

“अपर मैंने जो मुद्दे बताये हैं उनके बारेमें कांग्रेसियोंकी भावना कैसी है इसकी परीक्षा करके देखनेके लिये मैं कांग्रेसके विधानमें कुछ संशोधन सुझाना चाहता हूँ। एक तो ‘लेजिटिमेः अण्ड पीसफुल’ (अुचित और शांतिपूर्ण) शब्दोंके स्थान पर मैं ‘ट्रुथफुल अण्ड नॉन-वायलेण्ट’ (सत्यमय और अहिंसक) शब्द रखना चाहता हूँ। यदि कांग्रेसी हमारे ध्येयकी प्राप्तिके लिये सत्य और अहिंसाको आवश्यक मानते हों तो उन गोलमोल अर्थवाले विशेषणोंकी अपेक्षा ये विशेषण स्वीकार करनेमें अन्हें बिलकुल दिक्कत न होनी चाहिये। दूसरा सुधार मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि सदस्य बननेकी फीस चार आने रखनेके बजाय कांग्रेसका प्रत्येक सदस्य हर महीने अपने हाथका कता हुआ कमसे कम पंद्रह अंकका बलदार और समान दो हजार तार (चार फुटका तार) सूत दे। इसमें मेरा अुद्देश्य मताधिकारके लिये द्रव्यके बदले श्रमको दाखिल करके श्रमका गौरव बढ़ाना है। तीसरा संशोधन मैं यह सुझाता हूँ कि कांग्रेसके किसी भी चुनावमें अुसी सदस्यको मत देनेका अधिकार रहे जिसका नाम कांग्रेसके रजिस्टरमें चुनावके छः महीने पहले दर्ज हो चुका हो, और जो तभीसे सतत खादी पहनने लग गया हो। अनुभवने मुझे बताया है कि प्रतिनिधियोंकी छः हजारकी संख्या अितनी बड़ी हो जाती है कि नियंत्रणमें नहीं रखी जा सकती। इसलिये चौथा सुधार मैं यह सुझाता हूँ कि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी संख्या एक हजारसे ज्यादा न होनी चाहिये। अुसीके साथ यह शर्त भी होनी चाहिये कि प्रत्येक हजार मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि चुना जाय। कांग्रेस प्रजाकीय संस्था है इसका अंदाज इस परसे नहीं लगाना चाहिये कि अुसके वार्षिक अधिवेशनमें कितने प्रतिनिधि और प्रेक्षक अिकट्ठे होते हैं, परंतु इससे लगाना चाहिये कि वह कितनी सेवा करती है। पश्चिमकी लोकतांत्रिक शासन-पद्धतिकी इस समय परीक्षा हो रही है। रिश्वत और दंभ अुस लोकतांत्रिक शासनकी अनिवार्य अुत्पत्ति हरगिज नहीं हो सकते। परंतु आज जहां देखो वहां यही चीज पायी जाती है। और बड़ी संख्या इस लोकतांत्रिक शासनकी सच्ची कसौटी नहीं है। थोड़ेसे आदमी जिनके प्रतिनिधि होनेका दावा करते हों उनको, अुनकी आशाओंको और आकांक्षाओंको सच्चे रूपमें प्रतिबिम्बित करते हों तो मैं अुसे सच्चा लोकतंत्र कहूंगा।

दूसरे, मैं यह मानता हूँ कि जबरदस्तीके तरीकेसे सच्चे लोकतंत्रका विकास हरगिज नहीं हो सकता। लोकतंत्रका जोश बाहरसे नहीं लाया जा सकता, वह भीतरसे पैदा होना चाहिये।

“मुझे भय है कि ऊपर मैंने जो संशोधन सुझाये हैं वे कांग्रेसमें आनेवाले बहुतेरे प्रतिनिधियोंके गले शायद ही अतुरंगे। फिर भी यदि मुझे कांग्रेसकी नीतिका मार्गदर्शन करना हो, तो ये संशोधन और अिस वक्तव्यके भावोंके अनुकूल दूसरे प्रस्ताव हमारे ध्येयकी शीघ्र प्राप्तिके लिये आवश्यक हैं। मैंने ऊपर जिन कार्यक्रमकी रूपरेखा देनेका प्रयत्न किया है, उसके मूल तत्त्वोंके साथ कोअी समझौता करनेकी गुंजाइश नहीं है। कांग्रेसजन मेरे अिन प्रस्तावों पर शान्त चित्तसे उनके गुणोंकी दृष्टिसे विचार करें। मेरा विचार न करें, परंतु अपनी बुद्धिके आदेशका ही अनुसरण करें।”

यह वक्तव्य प्रकाशित करनेसे पहले गांधीजीने अिसे अपने खास खास साथियोंके देखनेके लिये भेजा था। यह पहले कहा जा चुका है कि बहुत लोग गांधीजीके कांग्रेस छोड़नेके मख्त खिलाफ थे। अकेले सरदारको ही गांधीजीकी बात पूरी तरह मान्य थी। अपना यह विश्वास प्रगट करनेके लिये अुन्होंने ता० २९-९-३४ को निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“गांधीजीके वक्तव्य पर मित्रों और आलोचकों दोनोंने जो विचार प्रगट किये हैं, उनसे मेरे अिस मतकी पुष्टि होनी है कि हाल ही वर्धामें कार्यसमितिकी जो बैठक हुआ अुससे पहले कांग्रेससे अलग हो जानेके जिस फैसले पर वे पहुंचे थे वह बिलकुल ठीक था। जो यह कहते हैं कि यह वक्तव्य धमकीके तौर पर है, वे गांधीजीको पहचानते नहीं। बड़ी मुश्किलसे उनसे यह फैसला मुलतवी रखवाया गया था। परंतु अब जब अुन्होंने अपना वक्तव्य प्रकाशित कर दिया है, तो मेरा खयाल है कि कांग्रेसकी विषय-समितिके सामने अपनी स्थिति समझानेकी वेदना वे सहर्ष सहन कर लेंगे। मुझे अिस बात पर आश्चर्य होता है कि हमारे सामने वह वक्तव्य होने पर भी हम अभी तक अिन शब्दोंमें विचार करते हैं कि कांग्रेसमें अुनकी जीत होगी या हार। अभी तक हम अितने संकुचित ढंगसे विचार कर रहे हैं, अिस अेक ही बातसे मुझे लगता है कि अुन्हें कांग्रेससे अलग हो जाना चाहिये। अुन्होंने अपने जीवनमें कभी व्यक्तिगत विजयकी दृष्टिसे विचार ही नहीं किया। नीति (पॉलिसी) और व्यक्तिकी अपेक्षा अुन्होंने सदा सिद्धान्तोंको अधिक

अुच्च स्थान दिया है और यह आग्रह रखा है कि अुनके अनुयायी भी अैसा ही करें। गांधीजीके आलोचक समझ लें कि वे और अुनके साथी हमला करके कांग्रेस पर कब्जा करने या बहुमतसे प्रस्ताव पास करा लेनेका प्रयत्न बिलकुल नहीं करेंगे। मेरी तरह जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंको अुनके कार्यक्रममें पूर्ण श्रद्धा हो, अुन्हें मैं यह सलाह दूंगा कि वे गांधीजीके वक्तव्यमें सूचित महत्त्वपूर्ण संशोधनोंमें से किसी पर भी अपना मत देनेसे परहेज रखें। गांधीजीको अिस बारेमें जरा भी शक नहीं कि अधिकांश बुद्धिप्रधान लोगोंको सूत-मताधिकारमें विश्वास नहीं है; और अिस कारणसे यदि वे अिस निर्णय पर पहुंचें कि ये संशोधन विषय-समितिमें लायें ही न जायें तो मुझे कोअी अचंभा नहीं होगा।

“परंतु गांधीजी अंतमें किसी भी फैमले पर क्यों न पहुंचें, अेक वस्तु निश्चित है कि वे जो निर्णय करेंगे वह पूरी तरह कांग्रेस और देशके हितमें ही होगा। अुन्हें यह लगा कि अुनके कांग्रेससे निकल जानेमें देश और कांग्रेसके हितोंको हानि होगी, तो वे किसी भी हालतमें कांग्रेससे अलग नहीं होंगे। परंतु यदि अुन्हें निश्चयपूर्वक यह महसूस हो, जैसा कि अभी हो रहा है, कि कांग्रेसको और परिस्थितिको शुद्ध करने और मजबूत बनानेका अेकमात्र अुपाय कांग्रेसमें अुनका निकल जाना ही है तो अुन्हें बिना बाधाके कांग्रेससे निकल जाने देना चाहिये।”

कांग्रेसका अधिवेशन अक्तूबर १९३४ के अन्तमें बम्बयीमें हुआ। यह अधिवेशन कराची कांग्रेसके साढ़े तीन वर्ष बाद और लड़ायीकी कड़ी तपस्यामें से गुजरनेके बाद हो रहा था। अिसलिये लोगोंमें अच्छा अुत्साह था। कांग्रेसके विधानमें परिवर्तन करनेके गांधीजीके प्रस्तावों और कांग्रेससे अुनकी निकल जानेकी अिच्छाके कारण ही यह कांग्रेस विशेष महत्त्वकी हो गयी थी। बहुतसे प्रतिनिधि यह भी कह रहे थे कि गांधीजी कांग्रेससे निकलने-वाले ही हों, तो फिर अुन्हें विधानमें परिवर्तन करनेके प्रस्ताव क्यों लाने चाहिये। परंतु सरदारने अपने अुपरोक्त वक्तव्यमें बताया है कि वे कांग्रेस और देशके अधिक हितके खातिर ही कांग्रेससे अलग हो रहे थे। अिसलिये अलग होनेके समय अुन्हें यह अपना कर्तव्य मालूम हुआ कि कांग्रेसमें जो त्रुटियां हों वे कांग्रेसको बतायें और अुन्हें दूर करानेका प्रयत्न करें। गांधीजीको महसूस होने लगा था कि अुनका वजन कांग्रेस पर अितना ज्यादा पड़ता है कि अुससे कांग्रेस दब जाती है। अिसके लिये वे अपने-आप पर बहुत दबाव डालते थे। परंतु ज्यों ज्यों वे अपने-आपको अधिक दबाते थे त्यों

त्यो कांग्रेस पर उनका वजन बढ़ता था, क्योंकि कांग्रेसके तमाम कार्यकर्ता स्वतंत्र रूपमें निर्णय करनेके बजाय उनके हुक्मका अितजार करते रहते थे। यह बात गांधीजीको बहुत खटकती थी। परिवारसे जब पिता अपने शुभाशीर्वाद देकर निवृत्त होता है और पुत्रोंके सिर पर कामकी जिम्मेदारी आ पड़ती है, तब वे उसे निभानेकी कोशिश करते हैं और उसके परिणामस्वरूप पुत्रोंका हित ही होता है; यही बात कांग्रेससे गांधीजीके निकल जानेके बारेमें कही जा सकती है। और गांधीजी कांग्रेसका त्याग कहां कर रहे थे? जब जब उनकी सलाह और सहयोगकी जरूरत पड़ती तब तब वे देनेको तैयार ही थे। गांधीजीका कांग्रेससे अलग हो जाना कितना समयानुसार था, यह तो अिसीसे साबित हो गया कि गांधीजीके प्रस्तावोंको बहुत नरम करके ही कांग्रेस स्वीकार कर सकी थी।

बम्बईका अधिवेशन समाप्त होते ही देशके सामने बड़ी धारासभाके चुनाव आये। कांग्रेस उनमें पूरे अुत्साहसे जुट गयी। सरकारका खयाल था कि अिन तीन वर्षोंके दमनसे लोगोंको हमने दबा और डरा दिया है। अुन्हें अितना अधिक कष्ट सहन करना पड़ा और नुकसान अुठाना पड़ा है कि अब वे कांग्रेसका नाम लेनेकी भी हिम्मत नहीं करेंगे। आतंकवादी आन्दोलनके सिलसिलेमें दमन होता है तब अवश्य लोगोंकी स्थिति अैसी हो जाती है। परंतु अहिंसक लड़ाईकी खूबी यह है कि लोग थक जायं तब लड़ाईमें भाग लेना भले ही छोड़ दें, परंतु लोगोंमें यह विचार कभी पैदा नहीं होता कि लड़ाई गलत है या जो लोग लड़ाई जारी रखते हैं वे बुरा कर रहे हैं। वे भले ही थक जायं, परंतु जो लोग लड़ाई जारी रखते हैं और कष्ट सहन करते हैं उनकी बहादुरी और त्यागके प्रति उनके दिलमें आदर ही रहता है। अिस वार लोग जेल, जुर्माना और लाठीकी मार वगैरासे थक गये थे, परंतु अिस कारणसे उनके हृदयमें कांग्रेसके प्रति और कांग्रेसी नेताओंके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ था। उनके हृदयमें तो सरकारके प्रति अुपेक्षा और कांग्रेसके लिये आदरका भाव ही था। अिस चुनावमें कांग्रेसकी सहायता करके लोगोंने यह बात साबित कर दी। और फिर पिछले तीन वर्षसे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंकी प्रवृत्तियां गैर-कानूनी मानी जानेके कारण वे आजादीसे घूम-फिर या बोल नहीं सकते थे। अिस चुनावके कारण अुन्हें जिलों और तालुकोंके गांव गांवमें घूमने और भाषण देनेका मौका मिला। लोगोंने उनका सत्कार किया। फिर भी चुनावमें विजय प्राप्त करनेके लिये परिश्रम तो करना ही पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्रीने जो साम्प्रदायिक निर्णय किया था, वह कांग्रेसको मंजूर तो था ही नहीं। फिर भी हरिजनोंको पृथक् निर्वाचक मंडल देनेवाली

धाराके विरोधमें अपुवास करके गांधीजीने निर्णयका अतना भाग बदलवा दिया था। गांधीजीका यह कहना था कि नये होनेवाले सुधार और अनुके अनुसार बननेवाला सारा विधान (जिसकी रूपरेखा ब्रिटिश सरकारकी तरफसे प्रकाशित हुयी थी और जो श्वेतपत्रके नामसे पुकारी जाती थी), जिसमें साम्प्रदायिक निर्णय भी आ जाता है, हमें मंजूर नहीं है; असलिये यदि हम अकेले साम्प्रदायिक निर्णयका विरोध करें तो अुससे यह आभास होता है कि बाकीका विधान हमें मंजूर है। फिर भी लोगोंकी जानकारीके लिये कांग्रेसने घोषित किया कि हमारे साम्प्रदायिक निर्णयका विरोध न करनेका अर्थ यह नहीं है कि हम अुसे स्वीकार करते हैं। पं० मालवीयजी और श्री अणे अिस मतके थे कि कांग्रेसको साम्प्रदायिक निर्णयके विरोधका अलग प्रस्ताव पास करना चाहिये। अनुका प्रस्ताव कांग्रेसमें पास नहीं हुआ तो अुन्होंने नया दल बनाया और चुनावमें अपने अुम्मीदवार खड़े किये। केवल साम्प्रदायिक निर्णयके सिवा और सब मामलोंमें वे कांग्रेससे सहमत थे। अेक और आन्दोलन कट्टर हिन्दुओंने चलाया था। अुन्होंने यह प्रचार शुरू किया था कि कांग्रेसवाले हमारे मंदिरोंमें हरिजनोंका प्रवेश कराकर अुन्हें भ्रष्ट करना चाहते हैं, असलिये अुन्हें मत न दिये जायं। यद्यपि हिन्दू मतदाताओं पर अुसका ज्यादा असर नहीं हुआ, परंतु यह सब मतदाताओंको साफ समझानेकी जरूरत तो थी ही। असके सिवा, १५ नवम्बरसे अलग अलग प्रान्तोंमें चुनाव होनेवाला था, अिस कारण समय बहुत थोड़ा था। सरदारको गुजरातकी तो चिन्ता ही नहीं थी, असलिये अुन्होंने पंजाब, दिल्ली, यू० पी०, बिहार और मद्रास वगैरा प्रान्तोंका दौरा किया। चुनावोंके खर्चेके लिये रुपयेकी व्यवस्था करनेका भी मुख्य भार अुन्हींके सिर पर पड़ा। सिर्फ पंजाबके सिवा दूसरे तमाम प्रान्तोंमें कांग्रेसके अुम्मीदवार भारी बहुमतमें आये। बंगालमें पं० मालवीयजीके दलके अुम्मीदवार चुने गये। परंतु बम्बई शहरमें, जिसने पिछले आन्दोलनमें अच्छा भाग लिया था और जो राष्ट्रीय अुत्साहमें सारे देशमें प्रमुख माना जाता था, कांग्रेसकी हार होनेसे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कांग्रेस दलके अुम्मीदवार श्री कन्हैयालाल मुन्शी थे और अनुके विरुद्ध श्री कावसजी जहांगीर थे। बम्बई प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष श्री नरीमानने कांग्रेसके साथ विश्वासघात करके सर कावसजीको अप्रत्यक्ष रूपमें सहायक होनेवाला रबैया अस्त्रियार किया, असलिये यह घटना हुयी। अिससे आगे चलकर बड़ा कांड खड़ा हुआ और कुछ समय तक सरदारकी व्यर्थ बदनामी हुयी। अुस सारे कांडकी चर्चा अेक अलग अध्यायमें की जायगी। बड़ी धारासभामें जो अनेक दल थे अनुमें सबसे बड़ा दल कांग्रेसका बना। ये चुनाव मांटैग्यू-

चेम्सफोर्ड योजनाके अनुसार बने हुअे विधानके मातहत हुअे थे । अउस विधानके अनुसार धारासभाकी रचना ही अैसी थी कि कुछ सदस्य सरकारकी हांमें हां मिलानेवाले हों और अुनकी मददसे सरकार सदा अपना बहुमत रख सके । परंतु अब वातावरण बदल गया था । हांमें हां मिलानेवाला वर्ग भी स्वतंत्र विचार करने लग गया था, असिलअे यह स्थिति हो गअी थी कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस दूसरे दलोंको अपने पक्षमें कर सकती अुस पर सरकारको हरा सकती थी । नवम्बर १९३४ में चुनाव हुअे और ता० २१-१-३५ को बड़ी धारासभाकी बैठक शुरू हुअी । श्री भूलाभाभी देसाअी कांग्रेस दलके नेता चुने गये । स्वराज्य दलके नेताकी हैसियतसे बड़ी धारासभामें जो हआव और प्रभाव पंडित मोतीलाल नेहरूने जमाया था, वही श्री भूलाभाअीने भी जमा लिया । दूसरे दलोंका सहयोग प्राप्त करके बहुतसे सवालोंने पर — जैसे शरदचन्द्र बोसकी नजरबन्दी, खुदाअी खिदमतगारोंने पर प्रतिबंध, भारत और ब्रिटेनके बीचके व्यापारिक करार आदि पर — कांग्रेसने सरकारको हार खिलाअी, यद्यपि गवर्नर जनरलने प्रमाणपत्र देकर धारासभाके बहुमतके प्रस्तावोंने पर अमल नहीं होने दिया । जिस समय हिन्दुस्तानके शासन-विधानमें सुधार करके लोगोंको जिम्मेदार हुकूमत देनेकी बातें हो रही थीं, अुसी समय लोकमतको अस प्रकार ठुकरा दिया गया । अससे आनेवाले सुधारोंने खोखलेपनकी लोगोंको कल्पना हो गअी और अुन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारा स्वराज्य अपने ही पुरुषार्थसे स्थापित किया जा सकेगा ।

सरकारकी बदनीयतीका अेक और सबूत भी सरदारको अस समय मिला । बंबअी कांग्रेसके समाप्त हो जानेके बाद और बड़ी धारासभाके चुनाव कार्यके दौरानमें भारत-सरकारके गृहविभागकी तरफसे अुसके सेक्रेटरी मि० हेलेटने सभी प्रान्तीय सरकारोंने अेक गुप्त परिपत्र भेजा था । अुसे सरदारने अपनी निजी व्यवस्थासे प्राप्त कर लिया । जब अेक तरफ भारतके शासन-विधानमें प्रस्तावित सुधारोंनेकी तफसील देनेवाली जॉअिन्ट पार्लमेण्टरी कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित हुअी या प्रकाशित होनेकी तैयारीमें थी, अुसी समय गांधीजी और अन्य कांग्रेसी नेताओंके प्रति भारी सन्देहकी दृष्टिसे देखने वाला और लोगोंमें अुनका असर मिटा देनेके सुझाव पेश करनेवाला यह परिपत्र देखकर हमें आश्चर्य हुअे बिना नहीं रहता । ब्रिटेनके तमाम राजनीतिज्ञोंने, फिर वे अनुदार दलके हों, अुदार दलके हों या मजदूर दलके हों, भारतको दायित्वपूर्ण शासन देनेका केवल दिखावा करना था । जिम्मेदारी तो भारतकी धारासभाओं पर डालनी थी, परंतु सारी सत्ता अपने हाथमें रखनी थी । भारतके साथ अपना व्यापार सुरक्षित रहे और देश पर अपना पंजा मजबूत

बना रहे, यही सारे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ चाहते थे। और असिमें भारतके ब्रिटिश सिविल सर्विसके अधिकारियोंका अन्हें पूरा साथ था। चाहे जो राजनैतिक सुधार कर दिये जायं, परंतु वे यह नहीं चाहते थे कि सिविल सर्विसके फौलादी ढांचेमें किसी जगह जरासी भी दरार पड़े। बम्बयीकी कांग्रेसमें ग्रामोद्योग संघकी स्थापना की गयी, कांग्रेसके विधानमें संशोधन किये गये और गांधीजी कांग्रेससे अलग हो गये, असिमें अणु हेलेट साहबको गांधीजीकी गहरी चालबाजी दिखायी दी। ये सब बातें अन्होंने बड़े अफसरोंके नाम अपने अक सर्वथा गुप्त परिपत्रमें बड़े विकृत रूपमें पेश कीं। यह परिपत्र पढ़कर बड़ा मनोरंजन होता है। यहां असके कुछ मुद्दे दिये जाते हैं :

“ कांग्रेसके संगठनमें अिन सब परिवर्तनोंका असली अुद्देश्य भारत-सरकारको यह मालूम होता है कि कांग्रेसको राजनैतिक अथवा पार्ल-मेण्टरी काम करनेके लिये अधिक मंगटित किया जाय। मि० गांधी अब यह मानते हैं कि कांग्रेसके सदस्योंको पार्लमेण्टरी कार्यमें अधिक दिलचस्पी है। अब तक अक राजनैतिक दलकी हैसियतसे कांग्रेसकी यह आलोचना होती थी कि वह समाजके अक वर्गका अर्थात् शहरोंका और असमें भी मुख्यतः हिन्दुओंके बुद्धिमान वर्गका प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेसमें किये गये अिन परिवर्तनोंसे भविष्यमें कांग्रेस यह दावा करनेकी स्थितिमें हो जायगी कि वह शहरोंके साथ-साथ गांवोंके हितोंका भी प्रतिनिधित्व करती है। यह भी संभव है कि कांग्रेसके विधानमें जो फेरबदल हुअे हैं अउनके कारण कांग्रेस मि० गांधीके लोक-प्रतिनिधि-सभा (कांस्टिट्यूअेंट असेम्बली) के विचारोंका प्रतिनिधित्व करेगी और यदि यह प्रयोग सफल हो गया तो मि० गांधी कांग्रेसको देशका विधान तैयार करनेके लिये और देशका भावी शासन हाथमें लेनेके लिये अक समर्थ संस्था बना देंगे। ”

ग्रामोद्योग संघकी स्थापनाके बारेमें वे साहब फरमाते हैं :

“ मि० गांधीने खुद तो बताया है कि यह प्रवृत्ति बिल्कुल अराजनैतिक है। असि प्रवृत्तिका आरंभ और मि० गांधीका कांग्रेससे निकल जाना — अिन दो बातोंको देखते हुअे अपूर-अपूरसे तो असा लगता है कि यह प्रवृत्ति शुद्ध रूपमें गांवोंके पुनरुद्धारके लिये है और असके पीछे कोअी राजनैतिक हेतु नहीं है। परंतु असा खयाल करनेमें कुछ महत्त्वकी बातोंकी अपेक्षा होती है। कांग्रेसको तो आम जनता पर अपना कानू जमाना है। पिछले साल शुरू की गयी सिविनय कानून-भंगकी लड़ाीके कारण यह अुद्देश्य पूरा करनेमें वह असफल रही है।

सरकारको लगान न देने और जमींदारोंको उनका हिस्सा या जमाबंदी न चुकानेकी लड़ाईमें कांग्रेसको असफलता मिली है, और सरकारके प्रति लोगोंमें अप्रीति फैला सकनेके बजाय वह जमींदार वर्गमें, किसान वर्गमें और काश्तकारोंमें अप्रिय बन गयी है। विदेशी कपड़े और मिलके कपड़ेका बहिष्कार किसान वर्गकी कल्पनाको आकर्षित नहीं कर सका। इसलिये आम लोगोंके साथ अकेला साधनेके खातिर अनुकी आर्थिक स्थिति सुधारनेका कार्यक्रम हाथमें लेनेकी यह चाल मि० गांधीने चली है। इसमें अन्हें अके और भी लाभ है। जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओंको पार्लमेण्टरी काम पसन्द न हो अन्हें यह काम सौंपा जा सकेगा। इस निमित्तसे वे गांवोंमें अपना असर बढ़ा सकेंगे और अपने राजनैतिक विचार भी फैला सकेंगे। उनका ग्रामोद्योगोंका काम करनेका दावा होनेसे सरकार भी उनके ग्रामनिवास पर कोअी आपत्ति नहीं अुठा सकेगी। पिछली लड़ाईके समय चरखा-संघके कार्यकर्ता इसी तरह काम करते थे। खादीके कामके बहाने वे लड़ाईका ही काम करते थे। परंतु काफी प्रमाण न मिलनेके कारण सरकार चरखा-संघके खिलाफ कोअी कार्रवाजी नहीं कर सकी थी। मि० गांधीके अस्पृश्यता-निवारण कार्यके लिये लोगोंमें बहुत विरोध पैदा हो गया है। यह प्रवृत्ति हरिजनोंमें भी प्रिय नहीं हो पायी है। इसलिये अब तक जो लोग कानून-भंग करनेवाले थे, अन्हें गांधीजी अस्पृश्यता-निवारणके कामके साथ साथ ग्रामोद्योगोंके कथित रचनात्मक कार्यमें लगाना चाहते हैं। कल अुठकर अके मधनिषेध संघ खोलकर गांधीजी मद्यपानके विरुद्ध अखिल भारतीय आन्दोलन छेड़ दें तो कोअी आश्चर्य नहीं।

“अिससे स्पष्ट मालूम होता है कि मि० गांधी बड़े चालाक और विचक्षण राजनैतिक नेता हैं। उनका मानसिक और शारीरिक अुत्साह जरा भी शिथिल नहीं हुआ है। यद्यपि वे कांग्रेससे अलग हो गये हैं, फिर भी कांग्रेसके अिस अधिवेशनमें अुन्हींकी व्यक्तिगत विजय हुई है। कांग्रेसमें काम करनेवाले विविध बलोंको अुन्हींने अपने ही नेतृत्वमें रखा है। कांग्रेस संस्थासे वे खुद हट गये हैं, फिर भी अुसके सारे कामोंमें सलाह-सूचना देनेका अधिकार तो अुन्हींने अपने ही पास रखा है।

“मि० गांधीके मनमें दरअसल क्या क्या योजनाअें हैं, अिसका तो अपने रचनात्मक कार्यकी दूसरी योजनाअें वे प्रकाशित करेंगे तभी हमें पता लगेगा। परंतु यदि हम यह मानें कि मि० गांधीकी तमाम

योजनाओंकी जड़में मुख्य हेतु तो राजनैतिक ही है, तो उनकी अिस नयी चालके पीछे, यद्यपि वह खुले तौर पर तो गांवोंके पुनरुद्धारकी कही जाती है, संभव है पहलेसे कहीं विशाल पैमाने पर सविनय कानून-भंगकी लड़ायी छेड़नेके लिये वातावरण तैयार करने और अुसमें गांवोंके लोगोंको अधिक बड़े अनुपातमें शरीक करनेका अेक जबरदस्त और गहरा प्रयत्न हो। यदि मेरी यह धारणा सही हो तो आप समझ सकेंगे कि मि० गांधीकी ये योजनाअें कितनी भयंकर संभावनाओंसे भरी हैं। मि० गांधी भविष्यमें तीन तरफसे हमला करनेका विचार कर रहे मालूम होते हैं। धारासभाके काँग्रेसी सदस्य सरकारकी 'दमनकारी' कार्यवाहियोंको रोकनेका भरसक प्रयत्न करेंगे, ग्रामोद्योगोंकी संस्थाके द्वारा विशाल पैमाने पर सविनय कानून-भंगकी तैयारी की जायगी और समाजवादियोंका अुग्र दल, जो धीरे धीरे साम्यवादी दलके अधिकसे अधिक संपर्कमें आता जा रहा है, भविष्यकी लड़ायीमें काँग्रेसके साथ रहेगा।

“वर्तमान परिस्थिति-सम्बन्धी मेरा यह खयाल यदि सही हो तो सरकारको बहुत जाग्रत रहनेकी आवश्यकता है। मि० गांधी कहते हैं कि अगले कभी वर्षों तक सविनय कानून-भंगकी लड़ायी नहीं छेड़ी जा सकती। परन्तु यह बात मानकर हमें गाफिल नहीं रहना चाहिये। अैसे संयोग जल्दी अुपस्थित हो जाय और मि० गांधीके निजी असरसे अैसी परिस्थिति पैदा हो जाय, तो आश्चर्य नहीं कि थोड़े ही समयमें वे फिर लड़ायी छेड़ दें। भूतकालके अनुभवोंसे हमें मानना चाहिये कि मि० गांधी कौसी भी हिदायतें क्यों न दें, मद्यनिषेधका काम करनेवाले स्वयंसेवक फौजदारी और आबकारी कानूनोंका भंग करनेके जुर्म अवश्य करेंगे। लोग शराबकी लत छोड़ें अिसकी अपेक्षा सरकारको कम आमदनी हो और सरकार अधिक तंग हो, यही स्वयंसेवकोंकी प्रबल वृत्ति होती है। कुछ कार्यकर्ता अपने भाषणों और अपनी पत्रिकाओंमें राजद्रोहके कानूनका भी भंग करेंगे। प्रान्तीय सरकारें अिन बातोंके लिये सावधान रहें और कठोर अुपाय काममें लेनेसे न चूकें। भारत-सरकार अिसमें उनका पूरा समर्थन करेगी।

“दूसरा काम यह करना है कि प्रान्तीय सरकारें अैसी योजनाअें बनायें, जिनसे ग्रामीण जनताकी आर्थिक स्थिति सुधरे। यद्यपि हमारे पास रुपयेकी कमी है तो भी किसी न किसी तरहसे अैसी योजनाओंके लिये रुपया निकाला जा सकता है। संभव है मि० गांधी ग्रामोद्योगकी

जो योजनायें निकालें, वे सरकारकी आजमा कर देखी हुयी हों और सरकारको असफल मालूम हुयी हों। प्रान्तीय सरकारें पत्रिकाओं द्वारा और लोगोंको रूबरू समझाकर मि० गांधीकी योजनाओंकी आलोचना करें और यह बता दें कि वे अव्यावहारिक हैं। इसीके साथ लोगोंको यह भी समझाया जाय कि सरकारने ग्रामीण जनताके लिये क्या क्या किया है। सरकारने ग्रामोद्योगोंके मामलेमें जो कुछ किया है उसे बतानेके सिवा किसानोंकी स्थिति सुधारनेके लिये किये गये अन्य कार्य भी समझाये जायं और उनका प्रचार किया जाय। सरकारने अस्पताल बनवाये हैं, स्कूल खोले हैं, रास्ते बनवाये हैं, नहरें खुदवायी हैं और बाजारोंकी व्यवस्था की है। सरकारके अिन तमाम रचनात्मक कार्योंके साथ कांग्रेसके खंडनात्मक कार्योंको लोगोंके सामने रखा जाय। जिलाधिकारी अब तक अपने जिलोंमें सवारी और दूसरी मुविधावाले खाम खास केन्द्रोंका ही दौरा करते रहे हैं। इसके बजाय अब वे जहां पहले नहीं जाते थे वहां भी जाया करें। इसके लिये अधिक किराये और भत्तेकी तजवीज करनी पड़े तो प्रान्तीय सरकारें कर दें।

“संभव है मि० गांधी तथा ग्रामोद्योग संघके दूसरे कार्यकर्ता अपने ग्रामोद्योगोंके काममें जिलाधिकारियोंसे सहायता मांगें। अिस मामलेमें सरकारकी नीति स्पष्ट है। उनसे मिलने या वे कोअी जानकारी मांगें तो देनेसे अिनकार न किया जाय। परन्तु अिससे आगे जाकर कोअी मदद न की जायं। उनके प्रदर्शनों या मेलोंमें भाग न लिया जाय। अुन्हें अुपयोगके लिये सरकारी मकान न दिये जायं। चंदा अिकट्टा करनेमें मदद न की जाय। नीचेके अधिकारियों और कर्मचारियोंको तो कुछ भी मदद देनेकी अिजाजत न दी जाय।”

अैसी पत्रिका पर भी टीका-टिप्पणीकी जरूरत है ?

जेलसे छूटनेके बादका डेढ़ वर्ष

सरदार १४ जुलाजी, १९३४ को नासिक जेलसे छूटे। हम देख चुके हैं कि जेलमें वे दिनरात लड़ाईमें शरीक होनेवाले किसानोंकी चिन्ता करते थे। छूटकर थोड़े दिनों तक अन्हें बम्बईमें आराम लेना था और बादमें गांधीजीसे, जो अउस समय काशीमें थे, मिलने जाना था। काशीके लिअे रवाना होनेमें पहले अन्होंने ता० २५-७-३४ को गुजरातके अपने साथियोंके नाम निम्नलिखित सन्देश अखबारों द्वारा भेजा :

“प्यारे साथियो,

“मैं जानता हूं कि आप सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं भी आपसे मिलनेके लिअे अतना ही अधीर हो रहा हूं। परन्तु अँसा लगता है कि परिस्थितिवश अभी थोड़े दिन तक मैं गुजरातमें प्रवेश नहीं कर सकूंगा। अतना समय मुझे जेलमें समझकर निभा लें।

“हमारे सवा सौके करीब साथी अभी तक जेलोंमें पड़े हुअे हैं। कितनी ही संस्थाओं परसे पाबन्दियां अुठाअी नहीं गअी हैं। गुजरात विद्यापीठ, पाटीदार विद्यार्थीगृह, अनाविल विद्यार्थीगृह, सुणाव राष्ट्रीय शाला, बोचासण विद्यालय वगैरा शिक्षण-संस्थाओंके मकान अभी तक सरकारके ही कब्जेमें हैं। बारडोली, मढी, सरभोण, वेड़छी, सूरत वगैरा आश्रमोंके मकान अभी हमें वापिस नहीं मिले हैं। कुछ किसानोंसे जुमाने वसूल करनेके लिअे अभी तक अुनके घरबार नीलाम हो रहे हैं। कुछकी जन्त हुअी जमीनें अभी तक नीलाम हो रही हैं। सहकारी समितियोंको सजीवन करनेका निर्दोष कार्य भी अभी तक शंकाकी दृष्टिसे देखा जा रहा है। कांग्रेसके सदस्य बननेवालोंके नाम-पत्तोंकी जांच की जाती है।

“अिस प्रकार गुजरातमें अभी तक अँसा भास हो रहा है, जैसे अिकतर्फा लड़ाअी जारी हो। अिसलिअे आपको बड़ी कठिनाअियोंके बीच काम करना है। लेकिन अिन सारी कठिनाअियोंको पार करनेमें ही हमारी सच्ची परीक्षा होगी। अुतावले या अधीर न होअिये। घबराये या परेशान हुअे बिना, पुलिसके संघर्षमें आये बिना जितना काम हो सके अुतना धीरजसे कीजिये। हमें कोअी गुप्त कार्य तो करना ही नहीं

है। खुले रूपमें रचनात्मक काम करते हुए भी जहां रुकावट आये, वहांसे हटकर वस्तुस्थितिकी खबर जिलेके या प्रान्तके कार्यकर्ताको दे दीजिये और अुसकी सलाहके अनुसार काम कीजिये। कठिन परिस्थितिमें भी प्रतिकार करनेके लोभमें न फंसें। मैं आशा रखता हूं कि अैसा करनेसे सामनेवालेके मनका वैर दूर हो जायगा। सविनय कानून-भंग करनेवाले सैनिकोंमें अहचिकर अंकुश सहन करनेकी शक्ति भी होनी चाहिये।

“आपके सामने अिस समय दो मुख्य काम हैं। अेक तो संकटमें फंसे हुए किसानोंकी सहायता करना और दूसरा सहकारी समितियोंको फिरसे सजीव बनाना। ये दो काम करते हुए अिस समय आपके पास दूसरे कामोंके लिये अवकाश ही नहीं रहेगा। किसानोंके कष्ट-निवारणके काममें ही आपको अपनी सारी शक्ति और समय लगा देना होगा। मैं भी बम्बयीमें रहते हुए अिस काममें आपकी जितनी मदद हो सके अुतनी करनेका प्रयत्न कर रहा हूं।”

जेलमें समाजवाद-सम्बन्धी पुस्तकें पढ़नेसे और अलग अलग प्रान्तोंके समाजवादियोंके सहवासमें आनेसे गुजरातके कुछ कार्यकर्ताओं पर समाजवादका काफी असर हुआ था। सरदारको समाजवादियोंका यह पुस्तक-पांडित्य मिथ्या लगता था। अिसलिये अपने सन्देशमें साथियोंको अिस सम्बन्धमें भी चेतावनी दी :

“मुझे अुम्मीद है कि गुजरातके परखे हुए सैनिक हवायी किले बनानेमें या सुदूर भविष्यकी बड़ी बड़ी योजनाओंकी व्यर्थकी चर्चामें कभी नहीं फंसेंगे। अेकनिष्ठासे आजका कर्तव्य करते रहनेसे अपने-आप सूझ जायगा कि कल क्या करना है। और भविष्यकी गुत्थियां अपने-आप सुलझ जायंगी। पिछले पंद्रह वर्षसे आपने मूक सेवाके जो मीठे अनुभव प्राप्त किये हैं अुनको देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपको नयी नयी योजनाओं और नये नये कार्यक्रमोंके निरे पांडित्यमें कोअी दिलचस्पी नहीं होगी। बातें करनेवालोंको बातें करने दीजिये। अुनके साथ बहसमें पड़नेका हमारे पास समय नहीं है। अुसमें कोअी लाभ भी नहीं है। हम चुपचाप काम करेंगे तो अैसे कामकी आवाज बातोंके रसियोंका मुख बन्द कर देगी।”

अिसके बाद अुन्होंने बम्बयीके गुजराती व्यापारियोंसे अपील की :

“मुझे जेलमें केवल किसानोंका ही दुःख था। जो किसानोंका हाथ पकड़ने जाते अुन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, अिसलिये

किसानोंकी सहायता करनेवाला कोअी बाहर नहीं था। में बाहर आया तो किसानोंको अँसा लगने लगा है कि अब हमारी तरफ देखनेवाला आ गया है।

“जिनके घरबार, ढोर-डंगर और खेत-खलिहान चले गये हैं और जो रास्ते पर आकर खड़े हैं, उनका हम साथ न दें और मदद न करें तो हम धर्मभ्रष्ट हो जायंगे।

“अिस समय सहायता लेनी पड़ती है यह अन्हें बहुत नुरा लगता है। अन्होंने सात पीढ़ीमें कभी हाथ नहीं पसारा, अिसलिये वे खुद नहीं बोलेंगे। परन्तु अन्हें सहायता देना हमारा कर्तव्य है। सर्वस्व गंवा देनेवाले किसानोंको केवल ढोर-डंगर और घर-गृहस्थी जुटानेकी ही मदद देनेके लिये मेरे पास जो बजट आया है वह दस लाखका है। अिस रकमकी टेर पहले-पहल आपके ही सामने सुनाओ है। विश्वास है कि गुजराती मुझे निराश नहीं करेंगे।”

किसानोंको राहत पहुंचानेका काम जल्दी बाहर आये हुअे कार्यकर्ताओंने शुरू कर दिया था। मअी १९३४ में गुजरातके प्रमुख कार्यकर्ताओंकी अेक सभा भड़ौंचके सेवाश्रममें हुअी थी। अुसमें किसानोंको राहत पहुंचानेके लिये चन्दा अिकट्टा करनेका निश्चय हुआ था। श्री अब्बास साहब, डॉ० चंदुलाल देसाओ, श्री दिनकरराय देसाओ वगैराने मेहनत करके लगभग डेढ़ लाख रुपये अिकट्टे कर लिये थे। अुसमें से विविध प्रकारकी सहायता देनेके अलावा लड़ाओमें बरबाद हुअे सत्याग्रही किसानोंके बच्चोंकी शिक्षाकी व्यवस्था करना तय हुआ था। अहमदाबादके शारदामंदिर, भावनगरके दक्षिणामूर्ति तथा आणंदकी चरोतर अेज्युकेशन सोसायटीकी पाठशालाओंने अपनी-अपनी संस्थाओंमें कुछ बालकोंको फीस और भोजनखर्च लिये बिना भरती कर लिया था। अकेले रासगांवके ही लगभग पेंतीस बालक थे। यह फण्ड अिकट्टा हो जानेके बाद अिन संस्थाओंको किसानोंके अँसे बालकोंका खर्च देनेका निश्चय हुआ। अक्तूबर, १९३४ में गुजरात विद्यापीठ परसे सरकारने पाबन्दी हटा ली। अुसके बाद १९३५ के जून मासमें विनय-मंदिर शुरू करके भिन्न-भिन्न संस्थाओंमें पढ़नेवाले तमाम बालकोंको विद्यापीठमें रख दिया गया।

दूसरा बड़ा काम काँग्रेस समितियोंमें प्राण पूरनेका था। गुजरात प्रांतीय समितिकी स्थापना हुअी तभीसे सरदार अुसके अध्यक्ष थे। परन्तु १९३१ में जब वे काँग्रेसके अध्यक्ष बने और १९३४ में काँग्रेस द्वारा धारासभाओंका कार्यक्रम अपनानेके बाद पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष हुअे,

तबसे गुजरातके बाहरका अनुका काम बहुत बढ़ गया था। जिसलिये अच्छा होते हुअे भी गुजरात प्रांतीय समितिको वे पूरा समय नहीं दे पाते थे। नासिक जेलमें डॉ० चंदुलाल देसाजी उनके साथ थे। वहां यह बात हुअी थी कि वे अब अध्यक्ष नहीं रहें और डॉ० चंदुलाल देसाजी प्रांतीय कांग्रेसके अध्यक्ष हों। बाहर आनेके बाद यह बात प्रान्तके मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओंके सामने रखी गयी। परन्तु सभीने यह आग्रह किया कि सरदार ही अध्यक्ष बने रहें। जिसलिये ता० २४-८-'३४ को उन्होंने डॉ० चंदुभाजीको यह पत्र लिखा :

“मैं जानता हूं कि आपको (अध्यक्ष बननेका) मोह नहीं है। मैं चाहता था कि सब अेकमतसे आपके सिर पर जिम्मेदारी डालें। परन्तु मैं देखता हूं कि यह बात सबके गले नहीं अुतारी जा सकती। अेकमतसे यह काम न हो तो हमारी शोभा नहीं रहेगी। आप और मैं अेक हैं। दोनों सिपाही हैं। मैं आपका सिपाही बनकर गर्वके साथ काम कर सकता हूं। आप भी वैसा ही कर सकते हैं। फिर भी हमें अपना संगठन चलाना है, तो अपने साथियोंके दिल जीतने पड़ेंगे। मैंने समझानेका प्रयत्न किया, परन्तु सबको समझा नहीं सका। प्रामाणिक मान्यता हो वहां हमें अधिक प्रयत्न करके उनके हृदय बदलने पड़ेंगे। हमें अपनी अेकताका प्रमाण अपने कामसे देना होगा।

“जो कुछ करें सो प्रेमसे और सबके दिल जीतकर करें। अेकमतसे जो काम हो वही करें, नहीं तो शुरूसे ही बुरा प्रदर्शन होगा।

“हम कठिन समयसे होकर गुजर रहे हैं। आगे और भी अधिक कठिन समय आनेवाला है। जितने कुछ रह गये वे अेक-दूसरेके दिलोंकी सफाई करके अधिक नजदीक आनेका प्रयत्न करें। सूरतवाले सब चाहते हैं कि मेरा ही नाम आगे रखा जाय और आप अुपाध्यक्ष रहें। मोरारजीको भय है कि अुपाध्यक्ष बनना आप मंजूर नहीं करेंगे। मैंने बलुभाजीसे बात की है। उनसे मिलिये। उनसे सब कुछ समझ लीजिये। हमें नामसे काम नहीं, कामसे काम है। नामकी बात पीछे देख लेंगे। सबके साथ मिठाससे काम लें। मैंने देख लिया है कि सबके दिल साफ हैं। सबका हम दोनोंके प्रति प्रेम है। हममें त्रुटियां हैं। संभव है आपमें जो दोष हो सो मुझमें न हो और मुझमें हो सो आपमें न हो। यह सब होते हुअे भी हम अेक-दूसरेको और सबको जानने लग गये हैं। जिससे हमारा काम आसान हो जायगा। मैंने देख लिया कि

सबके दिल साफ हैं, किसीका कोअी निजी स्वार्थ या किसीसे द्वेष नहीं है। भगवान होने भी न दे। मुझे वहां (गुजरातमें) आनेमें समय लगेगा। शरीरके जोड़ सब दुखते हैं। कमजोरी खूब है। और अब तो अखिल भारतीय कार्य बहुत बढ़ चला है।

“किसानोंका तो अीश्वर करेगा तो सब ठीक हो जायगा। मेरा और आपका काम अस समय किसानोंकी राहतमें और अुनके दुःखमें भाग लेना है।”

अुगरोक्त पत्रमें सरदारने जो आशाअें बताअी थी, अुनमें सन् १९३५ के सारे वर्ष कुछ न कुछ बाधाअें पड़ती रहतीं। डॉ० चंदुभाअी, दरवार साहब तथा श्री मोरारजीभाअीको अलग अलग कारणोंसे थोड़ी बहुत मात्रामें असंतोष रहा। अुसे दूर करनेकी सरदारने खूब कोशिशें कीं। अन्तमें अुन्हें यह लगा कि अुनका समितिके अध्यक्षपदसे हट जाना ही शायद गुजरातके लिये श्रेयस्कर होगा। ता० ९-१-३५ को अुन्होंने दरवार साहबको लिखा :

“आपको जो दुःख हो रहा है अुससे ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। मुझे अस बातका बड़ा दुःख है कि आपके काममें सहायक होनेके बजाय मैं बाधक बन गया। अस बार मेरा वहां आना आपके लिये सुखद होनेके स्थान पर दुःखद हो गया, असका मुझे बहुत ही दुःख है। मुझे अस बातका अफसोस हो रहा है कि मैं आपकी परेशानियोंमें वृद्धि कर गया। . . . आपका मेरे प्रति रोष है या आपका यह खयाल है कि मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूं। यह तो आप समझेंगे ही नहीं कि मैं जानबूझ कर अन्याय कर रहा हूं। हां, मुझमें अितनी खामी अवश्य होनी चाहिये कि मैं आपके मनका समाधान नहीं कर सका। दुःख न मानिये। शुद्ध नीयत सन्देह या अविश्वासको भुला देगी।”

ता० ११-१-३५ को फिर लिखा :

“समितिमें मैं अस बार न रहा होता तो संभव है यह नौबत न आती। परन्तु मुझे अस बातका दुःख है कि मैं अुससे मुक्त न हो सका। अवसर मिलते ही मैं अस ढंगसे रास्ता ढूँढ़ लूंगा कि सार्वजनिक रूपमें चर्चा न हो और समितिको नुकसान न हो।”

श्री मोरारजीभाअीको ता० ७-११-३५ को बम्बअीसे लिखा :

“मुझे असका दुःख हुआ कि आप मुझे पहचान न सके। देख रहा हूं कि मैं अपने साथियोंका विश्वास संपादन करनेमें असफल

रहा। इसमें आपका क्या कसूर निकालूँ? अपना निश्चय तो मैंने आपको बता ही दिया है। मैं इस ढंगसे हट जाऊँगा कि गुजरातके कामको हानि न पहुँचे। उसकी आपको जो तैयारी करनी हो कर लीजिये। मेरे चले जानेसे कोअी कमी न आयेगी। मैंने कभी यह समझा ही नहीं कि मेरा अपना कोअी महत्त्व है। फिर भी यदि कुछ होगा तो उसका उपयोग गुजरातके कामको नुकसान पहुँचानेमें नहीं होगा। मेरा खयाल है कि मेरे अलग हुअे बिना मेरी असली पहचान होना असंभव है। आज आपको कोअी सन्देह या अविश्वास हो तो वह तभी दूर होगा, उसके बिना नहीं।”

ता० १७-१२-३५ को डॉ० चंदुलालको लिखा :

“गुजरातके सार्वजनिक जीवनमें विष पैदा हो जानेसे मेरा मन खिन्न हो गया है। उसमें मेरी जो दिलचस्पी थी, वह अब रहेगी अँसा नहीं दीखता। कुटुम्बकी भावना और परस्पर विश्वास न हो तो मिलकर काम करनेमें आनन्द नहीं आता। जहाँ केवल सेवाभाव हो और किसी प्रकारका स्वार्थ या मोह न हो, वहाँ अतना ज्यादा जहर पैदा होना संभव नहीं। मेरी आँखोंके आगेसे परदा हट गया है। मैंने देख लिया कि मुझे गुजरातसे हट जाना चाहिये। सब अपना-अपना मार्ग ढूँढ़ने लगेंगे तो सबको पता चल जायगा और मेरे प्रति रहा मिथ्या सन्देह और अविश्वास दूर हो जायगा। उसके सिवा मुझे और कोअी अपाय नहीं सूझता। अफसोस सिर्फ यही है कि हमारा सारा वातावरण खूब कलुषित हो जायगा और सब अँक-दूसरेको अविश्वाससे देखने लगेंगे। सबको अँकत्र करनेका मेरा प्रयत्न असफल रहा, उसका मुझे अफसोस है। मेरे रहनेमे गुजरातका वातावरण अवरूढ होता हो तो मेरा धर्म है कि मुझे रास्ता खोल देना चाहिये।”

ता० ३१-१२-३५ को श्री दिनकरराय देसाजीको लिखा :

“मैंने बहुत वर्ष तक गुजरातकी भरसक सेवा की। समितिमें पद पर रहनेसे अनजाने भी द्वेष और गलतफहमी पैदा होना संभव है। सब जगह अँसा होता आया है। इसलिये मुझे लगता है कि मैं अलग हट जाऊँ तो ही सरलता होगी। और किसी अपायसे मेरे सम्बन्धमें अुत्पन्न हुअी गलतफहमी दूर नहीं हो सकती। इसी तरह मैं (अहमदाबाद) म्युनिसिपैलिटीको छोड़कर चला गया था। इसलिये आज मैं उसकी अधिक सेवा कर सकता हूँ। मैं छोड़नेवाला तो था ही। केवल चंदुभाभीका मार्ग सरल बनाकर अुन्हें अधिकसे अधिक

सहयोग मिले अिस अुद्देश्यसे ही काम कर रहा था। परन्तु किसी भी कारणसे वे अुल्टा समझ बैठे, जिसका परिणाम हमने देख लिया। अिस परिस्थितिमें से मार्ग निकालना है। गाय जिये और रत्न निकले, अैसा अुपाय करना होगा। अिसमें मेरी भूल होती हो तो मुझे साफ साफ बात कहनेमें जरा भी संकोच न रखना।”

परन्तु यह सारा सन्देह और अविश्वास अूपर-अूपरसे ही था। अिसमें गहरी कोअी बात नहीं थी। सबके दिल साफ थे। अंग्रेजीकी अेक कहावतके अनुसार यह ‘चायके प्यालेमें तूफान’ जैमा था। १९३५ का सारा वर्ष और १९३६ का अधिकांश हमारे राजनैतिक जीवनकी दृष्टिसे मंदीका समय था। अुसमें तेजी आने और सबको काफी काम मिल जाने पर सारे छोटे-छोटे झगड़े मिट गये। यह तो सभी मानते थे कि सरदार प्रान्तीय समितिका अध्यक्षपद छोड़ दें तो गाड़ी नहीं चलेगी। तथापि छोटी छोटी बातोंमें सरदारको सतानेका कारण अुपस्थित हो जाता था। और बाहरके कामोंका भार भी अुन पर बहुत ज्यादा रहता था। गुजरातमें अुनका रहना बहुत कम होता था। अिन्हीं कारणोंसे गुजरात प्रान्तीय कांग्रेसकी अध्यक्षता छोड़ देनेकी बात अुनके जीमें आ गयी थी। परन्तु थोड़े ही समयमें सब कुछ ठीक हो गया और वे अध्यक्षपद पर बने रहे।

१९३४ में हमारे देशमें समाजवादी दलकी स्थापना हुई। स्वाभाविक ही गुजरातमें भी युवकवर्ग अुसकी ओर आकर्षित हुआ। अुस दलकी विचारसरणी और कार्यपद्धतिसे सरदार कभी सहमत न हो सके। गुजरातमें अिस दलमें शरीक होनेवालोंमें कुछ अुन्हींके पुराने साथी और विद्यापीठके विद्यार्थी थे। अुन्हें लगा कि अिन लोगोंको अुचित चेतावनी दी जाय। अिसलिये ता० २५-८-३४ को अिस दलके तत्कालीन गुजरातके नेता भाअी रोहित महेताको लम्बा पत्र लिखकर अुन्हें अपना रवैया अच्छी तरह समझाया :

“... आप पंडित जवाहरलालकी सलाह या सम्मतिके बारेमें जो कुछ लिखते हैं अुसके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता। जिस ढंगसे समाजवादी दल काम कर रहा है अुसे जवाहरलाल पसंद करेंगे, यह मैं बिलकुल नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यह दल जवाहरलालके नामका दुरुपयोग कर रहा है। यह बात मैंने छिपायी नहीं है। सार्वजनिक रूपमें कही है। श्री जयप्रकाश और श्री मसानीको भी यह बात बता दी है।

*

*

*

“मैं मानता हूँ कि जवाहरलालको यदि असा दल बनाना होता तो वे कांग्रेसके मंत्रीपदसे अिस्तीफा दे देने और कार्यसमितिसे अलग हो जाते। जब तक वे यह पद छोड़ नहीं देते, तब तक मैं मानता हूँ कि वे कांग्रेसकी ऑफिशियल नीतिका ही समर्थन करेंगे।

“जब मुझे यह कहा गया कि सोशलिस्टोंका अिरादा अहमदाबाद नगर कांग्रेस पर कब्जा करनेका है तब मैं चौंका जरूर था, क्योंकि अिसका अर्थ यह होता कि अहमदाबाद शहर समाजवादी विचारोंका हो गया है। अितना बड़ा परिवर्तन मेरी अढ़ाअी वर्षकी गैरहाजिरीमें हो जाय, यह मुझे अेक चमत्कार या स्वप्न जैसा लगा। लोग समाजवादी बन गये हों तो मुझे अुस प्रवाहमें कोअी गड़बड़ पैदा नहीं करनी है। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रामाणिक मतभेद नहीं होंगे। प्रामाणिक मतभेदको मैं पसंद करता हूँ। परन्तु पाखंडका मैं कट्टर शत्रु हूँ। अिसका यह अर्थ नहीं कि समाजवादी दलमें पाखंड अधिक है। हरअेक दलमें पाखंडी मनुष्य होते हैं। अिसमें दलका दोष नहीं होता। परन्तु यह अनुभवसिद्ध बात है कि दल बनानेवाले भले-बुरेका विचार भूलकर दलका ही समर्थन करते हैं।

“समाजवादकी व्याख्याके बारेमें सारे समाजवादी अेकमत नहीं हैं। भिन्न भिन्न लोग अुसका भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। ब्राह्मणोंमें चौरासी जातियां हैं, जब कि समाजवादी पचासी जातियोंके मालूम होते हैं। अिसलिअे अैसे समाजवादके बारेमें राय देना कठिन है। मुझे समाजवादियोंके साथ झगड़ेमें नहीं पड़ना है। भविष्यमें भारतका राज्य-तंत्र और समाज-व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, अिसके झगड़ेमें पड़कर मैं मौजूदा कामका धर्म छोड़ना नहीं चाहता। यदि आजका धर्म हम पालेंगे तो कलकी समस्या अपने-आप हल हो जायगी। परन्तु कल जो करना है अुसका निर्णय करनेमें झगड़ा करके आजका धर्म छोड़ देंगे तो किसी भी दलका कल्याण नहीं होगा।

“मैं समाजवादी, पूंजीवादी या किसी भी वादीके साथ काम कर सकता हूँ। शर्त अेक ही है कि मुझे कोअी धोखा न दे। मुझे कोअी धोखा देने आवे या मुझे असा भय हो तो मैं अुससे दूर ही रहूंगा। पता नहीं गुजरातमें समाजवादी दलमें कौन कौन लोग हैं। कुछ तो केवल बातूनी हैं जिन्हें चर्चाअें करनेका बड़ा शौक है। अुनके साथ मेरा कभी मेल नहीं बैठ सकता। गुजरातके बाहरके समाज-

वादियोंमें कुछ तो बहुत बड़े त्यागी और सेवाभावी मित्र हैं। उनके लिये मुझे बहुत आदर है। असलिये आप समझ सकेंगे कि मुझे समाज-वादियोंसे घृणा नहीं है। परंतु समाजवादी कांग्रेसमें जिस ढंगसे काम कर रहे हैं, उसके लिये मेरा कड़ा विरोध है। यह बात मैंने उनसे छिपायी नहीं है। गुजरातके समाजवादियोंके लिये मैंने कोअी राय नहीं बनायी है, क्योंकि अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, न मैंने उनका काम देखा है। असलिये आप इस विषयमें निर्भय रहें। वहां आऊंगा तब मेरा जो खयाल होगा उसे बतानेमें संकोच नहीं रखूंगा।”

अपरोक्त तमाम पत्रोंमें सरदारने समाजवादियोंके प्रति जो रुख दिखाया है, लगभग वही रुख उनका अन्त तक कायम रहा था।

गुजरातमें सब जगह दौरा करके किसानोंसे मिलनेको सरदार बहुत ही उत्सुक थे। परंतु गुजरातका प्रवास वे ठेट १९३५ के जनवरीमें कर सके। वलसाड़से शुरू करके लगभग दस दिनमें उन्होंने उत्तर गुजरात तक सब जगहोंका प्रवास कर लिया। वलसाड़के किसानोंकी सभामें उन्होंने कहा कि आपके संकटों और यातनाओंकी बात रूबरू सुनने, आपके दुःखोंमें अपनी सहानुभूति प्रगट करने और साथ ही दिलासा देने तथा यह देखनेके लिये कि उन कष्टोंको दूर करनेके लिये मुझसे क्या हो सकता है मैं यहां आया हूँ। तीन वर्ष पहले उसी जगह उनसे टुअी मुलाकातका भावपूर्ण शब्दोंमें अल्लेख करके वे बोले :

“मैं आपसे सदा कहा करता था कि मेरे साथ संबंध बांधना कोअी खेल नहीं है। आप मेरा नेतृत्व स्वीकार करते हों तो आपको बड़े कठिन मार्ग पर चलना पड़ेगा। उस मार्ग पर आपको चलानेमें मैंने संकोच नहीं किया, क्योंकि हम कष्ट सहन करके ही स्थायी शांति और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। मेरा विश्वास है कि बलिदान और आत्मशुद्धि द्वारा ही हममें शक्ति आती है। परंतु बहादुर आदमियोंका स्वेच्छापूर्वक अुठायया हुआ कष्ट फल देता है, जब कि कायर मनुष्योंका मजबूरन् अुठायया हुआ कष्ट फल नहीं देता। यों तो भारतमें करोड़ों लोग कष्ट सहते हैं और अज्ञानमें मर जाते हैं। परंतु उनके इस कष्ट-सहनसे न तो उनका ही बोझ हलका होता है और न किसी औरका। सच्चा बलिदान स्वार्थके लिये नहीं, परंतु परमार्थके लिये होता है। उसमें कोअी नफा-नुकसानका हिसाब नहीं होता और न किसी बदलेकी आशा होती है। उसमें किसी प्रकारकी निराशा या पछतावेके लिये

भी स्थान नहीं होता। अब आप अपनी जमीनों और घरबारकी आहुति दे देनेके बाद अंतरमें अनुकी लालसा रखेंगे तो आपका त्याग बेकार हो जायगा और उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जायगी। दुनिया आप पर दया करेगी। परंतु आपके अन्तरमें त्यागकी भावना पैदा हुई होगी, तो आपकी वह हानि निरुत्साह करनेके बजाय आपको अंचा अुठायेंगी।”

बलसाइसे बारडोली गये। वहां स्त्री-पुरुषोंकी भारी भीड़ अनुका स्वागत करनेके लिये अुमड़ आयी और जैसी बड़ी सभाअें पहले होती थीं वैसी ही बड़ी सभा अिस बार भी हुई। लोगोंको संबोधन करके अुन्होंने कहा :

“जरा भी अतिशयोक्तिके बिना मैं कह सकता हूं कि मेरे कारावासके दरमियान अेक भी दिन अैसा नहीं गया जब मैंने आपको याद न किया हो और आपकी यातनाओं और तकलीफोंका विचार न किया हो। मुझे कहा गया था कि आपको जो कष्ट सहने पड़े अनुके कारण आप मुझसे नाराज हो गये हैं और मेरा कहा मानने पर आपको पछतावा हो रहा है। अिन बातों पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। किसीने आपकी बदनामी करनेके लिये अैसी गप्प अुड़ा दी होगी। हजारोंकी संख्यामें आपको यहां अिकट्ठे हुआ देखकर मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि हम शरीरसे भले अेक-दूसरेसे अलग कर दिये जायं, परंतु हमारे हृदयोंको दुनियाकी कोअी ताकत अलग नहीं कर सकेगी। हमारे बीच बंधी हुई अि स्नेहकी गांठको तोड़नेकी शक्ति किसी सत्तामें नहीं है।”

बारडोली तालुके और खेड़ा जिलेके अिन गांवोंके लोग घरबार और जमीनें गंवा बैठे थे, अुन्हें ये चीजें वापस दिलानेके वचन सरदारने अिन सभाओंमें नहीं दिये। अुल्टे अनुसे कहा :

“यह सब भूल जाअिये और श्रद्धा रखिये कि हम किसी दिन स्वतंत्र होकर रहेंगे। अुस समय आपने जो कुछ खोया होगा वह सब आपका द्वार खटखटाता हुआ आपके पास वापस आ जायगा। त्यागका बदला त्याग ही है। बदले और मुआवजेके हिसाबसे किया गया त्याग त्याग नहीं, परंतु हलके दरजेका व्यापारी सौदा है।”

अुन्होंने लोगोंसे अुद्यम और स्वावलंबनकी बात कही और यह कहकर अनुके स्वाभिमानको जाग्रत किया कि किसान किसीके आगे याचक बनकर हाथ फैलानेको धिक्कारेगा।

अिन सब भाषणोंमें मूल वस्तुकी मजबूत पकड़, अीश्वरकी दया पर अटल विश्वास और शत्रुके प्रति भी क्षमावृत्ति टपकती थी। जेलमें गांधीजीके लंबे सहवासमें रहनेसे अुनमें जो परिवर्तन हुआ अुमकी छाप अुनके भाषणोंमें साफ दिखायी देती थी। सभी भाषणोंमें वे कहते थे :

“ भले अिस लड़ायीमें हमें कुछ न मिला हो परंतु हमें आत्माकी शक्तिका भान हुआ है। यह कोअी छोटी मोटी सिद्धि नहीं है।

“ मैं स्वयं तो अनुत्साह या निराशाका कोअी कारण नहीं पाता। हिंसाकी लड़ाअियोंमें भी सिपाहियोंको थकावट तो लगती ही है। अुसी तरह हम थक भले गये हों परंतु हारे नहीं हैं। हां, हमें अितना पता जरूर चल गया कि हमने जो महान ध्येय अपने सामने रखा था अुसे पूरा करनेके लिये हमारे पास काफ़ी ताकत नहीं थी। परंतु जब तक हम अपने आदर्शोंमें अपना विश्वास नहीं खो देते, अपने ध्येयके लिये हमारा अुत्साह मन्द नहीं पड़ता, तब तक हम हारे नहीं कहे जायेंगे। सत्ताधारियोंको भी अितना तो मालूम हो गया है कि हिन्दुस्तानमें हजारों आदमी अैसे मौजूद हैं, जिन्होंने सर्वस्वका त्याग करके स्वराज्य-प्राप्तिको अपने जीवनका ध्येय बनाया है।”

थोड़े ही समय पहले राजनैतिक सुधारों संबंधी जाँअिण्ट पार्लमेण्टरी कमेटीका विवरण प्रकाशित हुआ था। अुसके बारेमें अुन्होंने कहा :

“ अिस छोटे रुपयको सरकार संभव हो तो धोखेबाजीसे और जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती देश पर थोप देनेकी कोशिश कर रही है। कांग्रेसने अुसक साथ कोअी वास्ता न रखनेका निश्चय किया है, क्योंकि सत्ता छोड़नेका दिखावा करके रुपयमें पन्द्रह आने सत्ता सरकार विदेशियोंके हाथमें रखती है और बाकीके अेक आनेके लिये अलग-अलग जातियोंको आपसमें लड़ा देती है। कांग्रेसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके सवालको अलग रखकर अिस झूठे झगड़ेमें फंसनेसे बुद्धिमत्तापूर्वक अिनकार कर दिया है। देशकी रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अधिकार न मिलता हो, हमारे व्यापार-बंधों और अुद्योगोंका विकास करनेकी स्वतंत्रता न मिलती हो, सरकारी नौकरों पर हम कोअी काबू न रख सकते हों तो अैसे स्वराज्यका कोअी अर्थ नहीं। जो सुधार देनेकी बात कही जाती है अुनमें ये सब चीजें छोड़ देनेका अुद्देश्य स्पष्ट है।”

ब्यारा तालुकेमें अुसी अरसेमें अेक रानीपरज परिषद हुआी थी। बड़ीदा राज्यमें अुस समय कास्तकारी-कानून बना था। अुसमें कुछ त्रुटियां थीं। ये

श्रुतियां बताकर साहूकारों और किसानोंके परस्पर संबंध कैसे होने चाहिये इस बारेमें सरदारने जो कुछ कहा वह आज भी ध्यानमें रखनेके लायक है :

“हम अंसी कोशिश करेंगे जिससे साहूकारों और बड़े किसानोंके साथ अन्याय न हो और साथ ही हमारे अपने हक भी न मारे जायं। अितना विश्वास हम सबको दिलाते हैं कि भले कैसी भी दुर्दशामें हम आ फंसे हों, भले हम पर कितने ही जुल्म हुआ हों, हम किसीके साथ अन्याय नहीं करना चाहते और वरभावसे काम नहीं लेना चाहते। परंतु अमीके साथ हम यह भी घोषित कर देते हैं कि हम अपने अधिकार खोना नहीं चाहते। यदि किसीका अिरादा स्थायी रूपमें हम पर ही जीनेका हो तो हम कहते हैं कि हम उस स्थितिसे निकल जाना चाहते हैं। जो मनुष्य दूसरोंको अपने पर जीने देता है, वह मनुष्य नहीं, पशु है। हमें अंसी स्थितिसे मुक्त होना है। हमारा कल्याण न राजाके हाथमें है, न साहूकारके हाथमें। हमारा कल्याण अपने ही हाथमें है। आप यदि अपनी जमीनसे ही अपनी खुराक पैदा कर लें और जीवनकी अन्य आवश्यकताओं भी खुद ही उत्पन्न कर लें, तो आप दुनियामें सबसे सुखी हो सकते हैं। गांधीजीने आपको जो सन्देश भेजा है अुममें वे कहते हैं कि शहरों पर गांवोंका आधार नहीं, परंतु गांवों पर शहरोंका आधार है। अिसी प्रकार साहूकारों पर आपका आधार नहीं, परंतु आप पर साहूकारोंका आधार है।”

अब जरा हम अुस समयकी राजनैतिक परिस्थितिका विहंगावलोकन कर लें। कांग्रेसने सविनय कानून-भंगकी लड़ाी वापस ले ली थी, परंतु अिससे सरकारको अपना दमन जारी रखनेमें प्रोत्साहन ही मिला। कांग्रेसके अिस कदमको सरकार शंकाकी दृष्टिसे ही देखती थी और कांग्रेसको अपना दुश्मन समझती थी। जॉर्जिंट पार्लमेण्टरी कमेटीकी रिपोर्टकी केवल कांग्रेसने ही नहीं परंतु सारे देशनं निन्दा की थी। अिससे सरकार और भी क्रुद्ध हुअी। पुलिसने कानूनके अनुसार शांतिपूर्वक काम करनेवाले कांग्रेसियोंको सताना जारी रखा। गुजरातमें बरसोंमें काम कर रहे कितने ही कार्यकर्ताओंको विदेशियों संगंधी कानूनके मातहत काटियावाड़में बन्द करके ब्रिटिश हदमें आनेकी मनाही कर दी गअी। अिनमें गुजरात प्रान्तीय कांग्रेसके मंत्री श्री मणिलाल कोटाी मुख्य थे। अुन्हें अपने स्वास्थ्यकी जांच कराने अहमदाबाद आना था। अिसके लिये भी अुन्हें आनेकी अिजाजत नहीं मिली। अिडियन कंसोलियेशन ग्रूपके मि० कार्ल हीयने गांधीजीको पत्र लिखा था कि अब

भारतमें दमन बिलकुल नहीं रहा। इसके जवाबमें दिसंबर १९३४ में गांधीजीने जो कुछ लिखा था वह ध्यान देने लायक है :

“मैं आपसे अितना ही कहूंगा कि कोअी भी मनुष्य खुली आंखों देख सके, अँसा दमन अिस समय चल रहा है। खास तौर पर जारी किये गये अत्याचारी कानूनोंमें से अेक भी वापस नहीं लिया गया है। अखबारोंके मुंह जबरन् बन्द कर दिये गये हैं। अखबारों संबंधी कानूनका अमल किस तरह किया गया है, अिसका अेक बयान ४ सितंबर, १९३४ को बड़ी धारासभामें सरकारकी तरफसे दिया गया था। अुसमें बताया गया था कि '१९३० से लेकर अब तक ५०४ अखबारोंसे जमानतें मांगी गयीं, जिनमें से जमानत न दे सकनेके कारण ३५० अखबार बंद कर देने पड़े और १६० अखबारोंने कुल अढ़ाअी लाख रुपये जमानतके दिये।' बंगाल और सीमाप्रान्त दोनोंमें कोअी आजादीके साथ घूम-फिर नहीं सकता।* ”

“आप लाठियोंके हमलों और जेलकी गिरफ्तारियोंकी बात न मुन रहे हों, तो अिसका कारण अितना ही है कि सविनय कानून-अंगकी लड़ाअी स्थगित कर दी गयी है और कांग्रेस जहां तक हो सके दमनकारी कानूनोंको बर्दाश्त कर रही है। अिन सबके अूपर पार्लमेण्टरी कमेटीकी नये विधान संबंधी तजवीजें आयी हैं, जिन्हें पढ़कर मेरा खयाल बना है कि अुनमें स्वतंत्रताका खुला अिनकार किया गया है। हमारे विकासके लिये अुनमें कोअी गुंजाअिश नहीं है। अुस विधानसे हम पर जो कुचल डालनेवाला भार पड़ता है और ब्रिटिश हुकूमतका पंजा मजबूत होता है, अुसकी अपेक्षा तो मैं अभी जो वैधानिक स्थिति है अुसे ही ज्यादा पसन्द करूंगा।”

अिस वर्षमें सम्राट् जॉर्जके राज्यका रजत-महोत्सव आ रहा था और अुसे बड़े ठाटसे मनानेका सरकारने निश्चय किया था। कांग्रेसका सम्राट् जॉर्जसे कोअी निजी विरोध नहीं था। परंतु अुनके राज्यमें जिस समय भारत-

* ता० २३ जुलाअी, १९३४ को भारत-सरकारके गृहसचिव सर हेरी हेगने बड़ी धारासभामें बताया था कि जेलों और नजरबंद छावनियों (डिटैन्ड कैम्पों)में बिना सजावाले नजरबन्द कैदियोंकी कुल संख्या २१०० है। ता० १७-१२-'३४ को कलकत्ता हाअीकोर्टने बिना लाअिसेंस हथियार रखनेके जुर्ममें अेक आदमीको नौ सालकी सख्त सजा दी थी। अभियुक्तके पास अेक रिवाल्वर और छः कारतूस मिले थे।

वासियों पर अितना जुल्म हो रहा था उस समय कांग्रेसी अथवा अन्य लोग जिस अुत्सवमें भाग लें, यह कांग्रेसको अुचित नहीं लगता था। जिसलिये कांग्रेस कार्यसमितिये देशको सलाह दी कि जिस समयकी परिस्थितिको देखते हुअे कोअी अुत्सवमें भाग न लें और उसके संबंघमें होनेवाले समारोहोंमें शरीक न हों। साथ ही यह भी सूचना दी कि हमें सम्राट्का अपमान नहीं करना है, जिसलिये लोग समारोहोंमें अनुपस्थित रहनेके सिवा कोअी विरोधी आन्दोलन या विरोधी प्रदर्शन न करें।

जिस वर्षका अेक और महत्त्वपूर्ण कार्य यह माना जायगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके साम्प्रदायिक निर्णयने अलग अलग जातियोंके बीच अीर्षा-द्वेषके जो बीज बोये थे, अुन्हें मिटाकर साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करनेके लिये राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रबाबूने जनाब जिन्नाके साथ लंबी बातचीत की। ता० २३-१-३५ से १-३-३५ तक लगभग सवा महीने यह बातचीत चली। परंतु उसका कोअी फल नहीं निकला। जिससे देशमें निराशाकी भावना छा गयी।

जनवरी १९३४ में बिहारमें भूकम्प हुआ था। उसके १६ महीने बाद अर्थात् ३१ मअी, १९३५ को क्वेटामें भयंकर भूकम्प हुआ। बिहारमें पीड़ित लोगोंको राहत पहुंचानेके लिये कांग्रेसने जो काम किया था, उसका लोगों पर अच्छा असर पड़ा था। परंतु सरकारको तो लोगोंके सामने कांग्रेसका नाम आने ही नहीं देना था, जिसलिये यह बहाना बना कर कि क्वेटा फौजी छावनी है और सैनिकोंकी सहायतासे कष्ट-निवारणका कार्य हो रहा है, किसी भी कांग्रेसीको वहां राहतके लिये जाने नहीं दिया। राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबूने, जिन्हें बिहार भूकम्पके कष्ट-निवारण कार्यका ताजा ही अनुभव था, और गांधीजीने वहां जानेकी मांग की, लेकिन अुन्हें भी जानेकी अिजाजत नहीं दी गयी। कांग्रेसकी तरफसे क्वेटाकी राहतके लिये बहुत बड़ा कोष जमा किया गया था, परंतु वहांसे जो कुटुम्ब पामाल होकर मिन्य, सीमा-प्रान्त अथवा पंजाबमें आ गये थे अुन्हींको सहायता देनेके काममें जिस कोषका अुपयोग किया जा सका। भूकम्पमें जो लोग मर गये थे और जिन लोगोंको घरबार बरबाद हो जानेके कारण भारतमें आ जाना पड़ा था, अुन्के प्रति सहानुभूति प्रगट करने और अीश्वरसे प्रार्थना करनेके लिये ३० जूनका दिन समस्त भारतमें 'क्वेटा दिवस' के तौर पर मनाया गया।

अैसी परिस्थितियोंमें हिन्दुस्तानके शासन-विधानमें सुधार करनेवाला कानून ब्रिटिश पार्लियामेण्टमें गवर्नमेण्ट ऑफ अिडिया अेक्टके रूपमें पास हुआ और २ जुलाअी, १९३५ को उस पर सम्राट्की मुहर लगी। जिस कानूनको

पास करनेमें सर सेम्युअल होरने प्रमुख भाग लिया था। चर्चिलने अुसका अिन शब्दोंमें विरोध किया था कि यह कानून पास करके ब्रिटिश जाति आत्म-समर्पण स्वीकार करती है। अिस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेण्टमें अिस कानून पर आपसमें बड़े झगड़े हुअे थे। अेक दलका खयाल था कि हमें जितना देना चाहिये अुससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जब कि दूसरे दलको लगता था कि हिन्दुस्तानके लोगोंको खुश करनेके लिये जितना दिया जा रहा है अुससे अधिक देनेकी जरूरत है। यह दूसरा दल भारतीय नेताओंसे कहता था कि हम अपने ही दलके आदमियोंसे अितना लड़-झगड़ कर शासन-विधानमें यथाशक्ति अधिक सुधार करानेके लिये खून-पसीना अेक कर रहे हैं, परंतु जब कांग्रेस अिन सुधारोंको ठुकरा देनेकी बात करती है तब हमारी क्या स्थिति रह जायगी? कांग्रेसका यह कहना था कि अिस विधानमें जो संरक्षण रखे गये हैं और गवर्नर जनरल तथा प्रान्तीय गवर्नरोंको जो अधिकार दिये गये हैं, अुनसे तो ये सुधार अेक बड़ा मजाक बन जाते हैं। सर सेम्युअल होरका कहना था कि जैसे हमारे यहां राजाके पास विधानकी रूमे अैसे विशेषाधिकार होते हैं, परंतु वह अुनका अुपयोग नहीं करता, वैसे ही आप भी सुधारोंका अमल सीधे ढंगसे और विवेकपूर्वक करेंगे और स्वराज्य चलानेकी योग्यता सिद्ध करके दिखा देंगे तो विशेषाधिकारों और संरक्षणोंकी शर्तें काममें नहीं लायी जायंगी। परंतु भारतीय राजनीतिज्ञोंका अनुभव दूसरा ही था। अिग्लैण्डमें वहांके लोगोंका राज्य था, जब कि यहां विदेशी राज्य था। मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारोंमें जो विशेषाधिकार सरकारके पास थे, अुनका अुपयोग सरकारने छोटी छोटी बातोंमें भी काफी किया था।* अिसलिये यह किसी तरह नहीं माना जा सकता कि ये विशेषाधिकार ब्रिटिश राजाके विशेषाधिकारों जैसे हैं। अब तक अेक तरफसे दमन और दूसरी तरफसे राजनैतिक सुधारकी नीति अख्तियार की जाती थी; वैसे ही अिस बार भी हुआ। अिसलिये अिन सुधारोंसे देशमें जरा भी अुत्साह पैदा नहीं हुआ।

* गवर्नमेण्ट ऑफ अिडिया अेक्ट पास हो जानेके बाद भी जनताकी स्वतंत्रताका दमन करनेवाले अनेक कानूनोंकी मियाद दुबारा बढ़ायी गयी थी। अुनमें से मुख्य था 'त्रिमिनल लॉ अेमेंडमेंट अेक्ट', जो सारे भारतमें लागू कर दिया गया था। यह अेक्ट बड़ी धारासभामें १९३५ में नामंजूर कर दिया गया था, परंतु गवर्नर जनरलने प्रमाणपत्र देकर अुसे जारी कर दिया था। बहुतसे प्रान्तोंने भी अैसे कानून बनाये थे।

अिस साल काँग्रेसके पचास वर्ष पूरे हो रहे थे । अिसलिये काँग्रेस कार्यसमितिये तय किया कि काँग्रेसकी स्वर्ण-जयंती बंबलीमें, जहां काँग्रेसका पहला अधिवेशन हुआ था, बड़े शानदार ढंगसे मनाली जाय । यह भी तय किया गया कि काँग्रेसके अितिहासकी अेक बड़ी पुस्तक तैयार कराली जाय, राष्ट्रीय प्रश्नों पर छोटी छोटी पुस्तिकाओं तैयार कराकर प्रकाशित कराली जाय और लोगोंको काँग्रेसके कामके बारेमें शिक्षा दी जाय । ये काम बड़ी सफलतासे पूरे किये गये ।

अिस वर्षकी कुछ और घटनाओंका अुल्लेख करके यह अध्याय समाप्त करेंगे । मली मासमें गुजरातके अेक पुराने कार्यकर्ता श्री मोहनलाल पंड्या गुजर गये । सरदारने अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया अुसके पहलेसे वे राजनैतिक काममें लगे हुए थे और जबसे गांधीजी गुजरातमें आकर बसे तभीसे अुनके नेतृत्वमें काम करते थे । सरदारके साथ अुनका पुराना परिचय था, अिसलिये अुनके जानेसे सरदारको बड़ा आघात लगा । अुनके बारेमें गांधीजीको पत्र लिखते हुए सरदारने लिखा था कि पंड्याजीके चले जानेसे मेरे तो पंख कट गये हैं ।

१९३५ के सारे वर्ष सरदार बहुत बीमार रहे । अुन्हें नाककी बीमारीके कारण और ऑपरेशन करानेकी जरूरत होनेसे छोड़ दिया गया था । बाहर आनेके बाद कामकी भीड़के कारण ऑपरेशन नहीं कराया जा सका । साधारण अुपचारोंसे वे काम चलाते रहे । जून १९३५ में अुन्हें बड़े जोरका पीलिया हो गया और अुसके कारण बहुत अशक्ति आ गली । पीलियाकी बीमारी लगभग अेक महीने रही, परंतु अिस बीच शायद ही चार-पांच दिन काम या सफरके बिना बीते होंगे । अिसके सिवा, नवम्बरमें अुनका बवासीरका दर्द बढ़ गया और अुसका ऑपरेशन कराना पड़ा । अुसमें लगभग पंद्रह दिन अस्पतालमें रहे ।

अेक बार भारत-सरकारके गृहमंत्री सर हेनरी क्रेकने श्री घनश्यामदास बिड़लासे बातें करते हुए सरदारके बारेमें बात छोड़ी । अुस परसे श्री बिड़लाने गृहमंत्रीकी और सरदारकी मुलाकात करानेके लिये दोनोंको अपने यहां ता० ६-२-३५ को चायका आमंत्रण दिया । गृहमंत्रीने अंग्रेज लोगोंकी नेकनीयतीके बारेमें और अिस बारेमें बात की कि वे हिन्दुस्तानको सचमुच दायित्वपूर्ण शासन देना चाहते हैं । सरदारने बताया कि हमें तो अंग्रेजोंकी अिस नेकनीयतीका कोली चिह्न दिखाली नहीं देता । अभी तक हमारे तमाम आश्रम और बिद्यालय सरकारके कब्जेमें ही हैं । अुनके मकानोंकी कोली देखभाल नहीं रखी जाती । अितना ही नहीं, अुनका बिगाड़ किया जा रहा

है। कितने ही लोगोंको ब्रिटिश अिलाकेमें संपत्ति होते हुए भी अगर देशी-राज्योंमें संपत्ति हो तो देशीराज्योंमें निर्वासित कर दिया जाता है और ब्रिटिश सीमामें आने नहीं दिया जाता। अन्होंने अपनी प्रान्तीय कांग्रेसके मंत्री श्री मणिलाल कोठारी और गांधीजीके साबरमती आश्रमके मंत्री श्री छगनलाल जोशीके अुदाहरण दिये। अब्दुल गफफारखांको हालमें ही बहुत बेहूदा ढंग पर सजा दी गयी थी, अुसका भी वर्णन किया। यह भी कहा कि अन सुधारोंकी अपेक्षा तो पुराना विधान ही जारी रहे तो हर्ज नहीं। गृहमंत्रीने कहा कि यह सब आप लिखकर दीजिये। अस पर सरदारने दूसरे दिन अेक छोटामा नोट लिख भेजा।

वाअिसराय लार्ड विलिंगडन तो गांधीजी या और किसी कांग्रेसी नेतासे मिलना ही नहीं चाहते थे। अितने पर भी बंबरीके गवर्नर सर रॉजर लमलीने बाहर कोअी जान न सके अितने गुप्त ढंगसे सरदारसे ता० २०-८-३५ को मुलाकात की। यह अेक महत्त्वपूर्ण घटना थी। अुस मुलाकातमें और तो अनेक बातें हुयी होंगी, परंतु दो बातें खास तौर पर सामने आती हैं। सर रॉजरने कहा, असमें मुझे शंका नहीं कि नये सुधारोंके अमलमें आप अस प्रान्तके प्रधानमंत्री होंगे। असके जवाबमें सरदारने कहा कि मैं आपको लिख देता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। मुलाकातमें सरदार किसानोंकी जन्त करके बेच दी गयी जमीनोंके बारेमें बात न करें, यह तो हो ही नहीं सकता था। गवर्नरने बड़ा जोर देकर कहा था कि अब आपको वह जमीनें वापस मिलनेकी आशा रखनी ही नहीं चाहिये। असके अुत्तरमें सरदारने कहा था कि मैं आपको लिख देता हूं कि हमारे किसानोंकी जमीनें अुनका दरवाजा खटखटाती हुयी वापस आये बिना नहीं रहेंगी।

नवम्बर १९३५ में भड़ौचमें तीसरी स्थानीय स्वराज्य परिषद् हुयी। सरदार अुसके अध्यक्ष थे। जब १९२८ में सूरतमें पहली स्थानीय स्वराज्य परिषद् हुयी थी, तब अैसी परिषदोंकी अुपयोगिताके बारेमें अुन्होंने अविश्वास प्रगट किया था। अस परिषद्में भी अुन्होंने कहा कि :

“स्थानीय स्वराज्य विभागके मंत्री प्रान्तकी परिषद्के स्थायी अध्यक्ष होते हुए भी यदि अपने अधीन विषयोंसे संबध रखनेवाले अेक भी प्रस्ताव पर अमल करा सकने लायक असर सरकार पर नहीं डाल सकें, तो अैसी परिषदें करनेसे क्या लाभ होगा, यह हमें सोचना चाहिये।

*

*

*

“माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारोंके अमलके बाद हमारे प्रान्तमें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओंकी प्रगति रुक गयी है और विकास होनेके बजाय उनका श्वास अवरुद्ध होता जा रहा है। जबसे यह विभाग लोकप्रिय मंत्रीके सुपुर्द किया गया, तभीसे उनको ग्रहण लग गया है और तभीसे उनका तेज दिनोंदिन क्षीण होता जा रहा है। अिन संस्थाओंकी जिम्मेदारीसे सरकारके मुक्त हो जानेके कारण स्थानीय अधिकारी उनके काममें सहायक होनेके बजाय कभी जगह बाधक होते मालूम हो रहे हैं। कभी वर्षसे अिन संस्थाओंको मिलने-वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दी गयी है। उनकी आमदनीके अुचित साधनों पर आक्रमण किया गया है; और जिन करोंको लगानेकी अनुमति अिन्हें मिलनी चाहिये अुन्हें लगानेकी अनुमति देनेका अिनकार करके बादमें वे ही कर सरकारने खुद लगाकर अपनी आयमें वृद्धि की है।”

अिसके बाद अनेक दलीलें और अुदाहरण देकर कारगर ढंगसे यह साबित कर दिया कि सरकारकी नीति कितनी अन्यायपूर्ण है और सरकारने किस तरह लाज-मर्यादा छोड़कर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओंको तंग करना शुरू कर दिया है, और कहा :

“सरकारकी नीतिका अिस प्रकार पृथक्करण करनेमें मुझे आनंद नहीं आता। मैं आजकल अन्तर्दृष्टि रखने और खुद अपना ही धर्म सोचनेमें विश्वास रखता हूं। परंतु जब आपने मुझे अिस परिषद्का अध्यक्षपद दिया, तब यदि मैं अिन सब विषयों पर चुप्पी साध लूं तो अिन संस्थाओंके प्रति और उनमें निःस्वार्थ भावसे सेवा करनेवाले अनेक लोकसेवकोंके प्रति अन्याय होगा। अिसलिये अिन सब बातोंका अुल्लेख मुझे मजबूरन् करना पड़ा है।”

अुपसंहार करते हुए अुन्होंने कहा :

“हमें अनेक कठिनाअियोंके बीच काम करना पड़ता है। अिसलिये निराश होनेके बजाय अपनी कमजोरियां दूर करके और अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करके स्वाश्रयी बननेके मजबूत प्रयत्न करना ही हमारे लिये अुत्तम मार्ग है। सरकारकी सहायताकी आशा रखना बेकार है। अुसके पास अपनी हुकूमत चलानेके लिये ही रुपया नहीं है; अब नये सुधारोंके नाम पर वह हुकूमत और भी महंगी हो जायगी, जिसके सिलसिलेमें होनेवाला अतिरिक्त भारी खर्च लोगोंको ही अुठाना पड़ेगा। सरकारके फिजूलखर्चीवाले शासन पर नियंत्रण रखनेकी

हमारे पास सत्ता नहीं है। असलिये जो भी टूटे-फूटे साधन हमारे पास हों उनका भरसक उपयोग करके हमें लोगोंको ज्यादासे ज्यादा फायदा पहुंचानेकी कोशिश करनी चाहिये।

“हमारा मार्ग कठिन है। अंक और सरकारकी सहानुभूति नहीं है। कमजोर मंत्रियोंके राज्यमें अिन संस्थाओंका कोअी मालिक नहीं है। छोटे-बड़े कर्मचारी अिनके प्रबंधमें बाधक बनते हैं। दूमरी ओर जनता सदियोंसे अज्ञान और आलस्यमें फंसी हुई है। देहातके लोगोंकी शौचादि त्रियाओंमें भी लगभग पशुओंकी-सी हालत है। अैसी स्थितिमें आरोग्यके नियमोंका पालन कराना कितना कठिन है? हमारी अिस परिस्थितिमें गांधीजी और अुनके साथी दूसरा काम छोड़ कर वर्धाके पास अेक गांवमें कितने ही महीनोंसे वहाँके अज्ञान और जड़वत् निवासियोंका मलमूत्र अुठाकर अुन्हें शौचादि नियमोंका पालन करने और मलमूत्रका अुपयोग करनेका कठिन काम सिखा रहे हैं। गांवोंकी छोटीमोटी साधनहीन संस्थाओंके लिये यह अेक अमूल्य अुदाहरण है। म्युनिसिपैलिटी और लोकल बोर्डके सदस्योंकी जगह पर मान-सम्मान या स्वार्थ-साधनकी आशासे जाना पाप है। वह सेवाधर्मका स्थान है। गरीब और अज्ञान करदाताओंके धनकी व्यवस्थाके ट्रस्टी बनना भारी जिम्मेदारीका काम है। भगवान आपको वह जिम्मेदारी पूरी करनेकी बुद्धि और शक्ति प्रदान करे।”

गुजरातका हरिजनकोष, लखनभू कांग्रेस और प्रान्तीय धारासभाओंके चुनावकी तैयारियां

सन् १९३३-३४ की गांधीजीकी हरिजन-यात्राके दौरानमें गुजरातमें जो हरिजनकोष अकेल हुआ था वह खर्च हो गया था और काम तो सुन्दर हो ही रहा था। उसके लिये श्री परीक्षितलाल मजमुदार गांधीजीको लिखते रहते थे। इसलिये जनवरी १९३६ के आरंभमें हरिजनकोषके लिये चंदा अकट्टा करनेको गांधीजीने गुजरातमें आनेका निश्चय किया। सरदार बम्बजीसे अहमदाबाद आ पहुंचे। गांधीजी वधसि सीधे अहमदाबाद आनेवाले थे। परंतु अंक दिन पहले महादेवभाजीका सरदारके नाम तार आया कि बापूका ब्लड प्रेशर (खूनका दबाव) बहुत बढ़ गया है, इसलिये डॉक्टर अन्हें सफर करनेसे मना कर रहे हैं। सरदारने तुरंत ही गांधीजीको जवाब दिया कि आप हरिजनकोषकी चिन्ता न कीजिये। अब उसके लिये आपको गुजरातमें आनेकी जरूरत नहीं। परीक्षितलालको जितने रुपयोंकी आवश्यकता होगी अतने जमा करके मैं दो-तीन दिनमें ही वर्धा आ रहा हूं। परीक्षितलालका अंक वर्षके खर्चका अंदाज कोअी तीस हजार रुपयोंका था। सरदार अतनी रकम अहमदाबादसे दो दिनोंमें जमा कर लेना चाहते थे। बम्बजीके भी कुछ मित्रोंने सहायता दी और दो दिनमें अनुचास हजार रुपये जमा हो गये। उनमें से थोड़े बहुत वसूल करने बाकी रह गये, अतः अउनकी सूची भाजी परीक्षितलालको सौंपकर सरदार वर्धाके लिये रवाना हो गये। गांधीजीका ब्लड प्रेशर जरा कम हुआ कि अन्हें बम्बजी ले आये। वहां डॉक्टरोंसे अउनकी पूरी तरह जांच कराअी और आरामके लिये अन्हें २२ जनवरीको अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठमें ले आये। सरदार भी अउनके साथ ही विद्यापीठमें रहे और अन्हें पूरी तरह आराम मिले असके लिये अउनके चौकीदार बने। पूरे अंक महीने विद्यापीठमें रहकर गांधीजीका ब्लड प्रेशर १५०/९० हो गया और अउनका वजन जितना साधारण रहता था अतना अर्थात् ११२ पाँड हो गया, तब १९ फरवरीको सरदारने अन्हें वर्धा जाने दिया। परंतु वर्धाका लंबा सफर अंकसाथ न करानेके अुद्देश्यसे गांधीजीको तीन दिन बारडोलीमें ठहरा लिया। पहले अैसी योजना थी कि जब गांधीजी गुजरातमें आये तब वे गुजरातके तमाम कार्यकर्ताओंसे मिल सकें, असके लिये अउनका अंक सम्मेलन रखा जाय।

परंतु जिस बार तो गांधीजीको एक महीने पूरा आराम ही देना था, जिसलिये सम्मेलन ता० २०-२-३६ को बारडोलीमें रखा गया। परंतु बारडोली आश्रम अभी तक जब्तीसे वापस नहीं मिला था, जिसलिये सम्मेलन बारडोलीकी एक जिनिंग फ़ैक्टरीमें किया गया। गांधीजीका निवासस्थान भी वहीं रखा गया। सम्मेलनका कुछ भी बोझ गांधीजी पर न पड़े, इसके लिये सम्मेलनकी सारी कार्यवाहीका संचालन सरदारने ही किया। ग्रामसेवाका महत्त्व समझाते हुअे अन्होंने कार्यकर्ताओंसे कहा :

“ लड़ाई जैसे अत्तेजनाके समयमें बहुत सिपाही मिल जाते हैं। जैसे बरसातमें बहुतसे केंचुअे निकल आते हैं, अिल्लियां पैदा हो जाती हैं, वैसे ही लड़ाईके समय सब खिच आते हैं। अुस महासागरके मन्थनमें अच्छे-बुरे सभी लोग होते हैं। परन्तु वाढ़ शान्त हो जाने पर खिचकर आनेवाले दूढ़े भी नहीं मिलते। अैसे समय भी सच्चा ग्रामसेवक चुपचाप काम करता ही रहता है। जब लड़ाई अनिवार्य हो जाती है तब लड़ाईमें पड़ जाता है और अुसका भार अुठा लेता है। परन्तु तब तक श्रद्धापूर्वक मूक सेवा करते हुअे अपने क्षेत्रमें डटा रहता है। अुसकी सेवाके बदलेमें अुमे कोअी मालाअें पहनानेवाला, जुलूम निकालनेवाला, तालियां बजानेवाला या मंच पर बिठानेवाला नहीं मिलता। अुस्टे अुसे रोटियां जुटाना कठिन हो जाता है और हरिजनोंकी सेवा करे तब तो पानीकी भी कठिनाई होती है। अिन तमाम दिक्कतोंमें जो मनुष्य अटल रहे वही ग्रामसेवक बन सकता है। वही सच्चा सिपाही है। परन्तु बहुत लोग यह बात नहीं समझते और लड़ाई शान्त होने पर अधीर बन जाते हैं। अुन्हें कहानीके बबरभूतकी तरह किसी न किसीके साथ लड़ाई लड़नेको चाहिये। सरकारके साथ लड़ना बन्द हुआ तो वे आपसमें ही लड़ने लगते हैं। अैसे लोग ग्रामसेवक नहीं बन सकते।”

फिर ग्रामोद्योगों और ग्राम-सफाईकी बात करके अन्तमें कहा :

“ अन्तमें लोगों पर असर तो हमारे चरित्रका ही पड़ेगा। सेवक कितना त्यागी, संयमी, सेवापरायण और धीरजवाला है, इसकी छाप गांधीके लोगों पर पड़ती है। अनेक अुतार-चढ़ाव आने पर भी ग्रामसेवक अिन गुणोंके द्वारा लोगोंके हृदयोंमें स्थान प्राप्त कर सकेगा।”

परन्तु बारडोली आये हुअे कार्यकर्ता गांधीजीसे मिलना और अुनकी बातें सुनना चाहते थे। गांधीजीको भी अुनसे मिलनेकी अिच्छा थी, जिसलिये अन्तमें सरदारने अपना नियंत्रण जरा ढीला किया और कहा

कि आप प्रश्न लिख दीजिये और गांधीजी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका उत्तर आधे घंटेमें देंगे। तदनुसार आधे घंटेमें बड़ी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हुई।

सरदार बारडोलीमें गांधीजीके साथ ही वर्धा गये, क्योंकि वधकिये पास सावली गांवमें मार्चके पहले सप्ताहमें गांधी-सेवा-संघका सम्मेलन रखा गया था।

वहांमें युक्त प्रान्त (आजकलके उत्तर प्रदेश) के प्रान्तीय किसान सम्मेलनका अध्यक्षपद लेनेके लिये उनका जाना हुआ। यह अध्यक्षपद उन्होंने बड़े संकोचके साथ स्वीकार किया था। यह बात बताते हुअे उन्होंने सम्मेलनमें कहा :

“अस प्रान्तके किसानोंकी मने अमी कोअी सेवा नहीं की, जिससे मुझे यह दायित्वपूर्ण पद स्वीकार करनेका अधिकार प्राप्त हो। फिर मेरे मनमें भीतर ही भीतर यह डर भी था कि जिन स्थानीय कार्यकर्ताओंने अपनी पूरी शक्तिसे, तन-मन-धनसे रातदिन आपकी सेवा की है उनके साथ कार्यपद्धतिमें मेरा मतभेद हो जाय तो मैं सहायक बननेके वजाय बाधक बन जाऊंगा। परन्तु आपके नेताओंके प्रेमपूर्ण आग्रहमें मैं अिस भारी जिम्मेदारीके भारको अुटानेके लिये तैयार हो गया हूं।”

अुस समय पंडित जवाहरलालजी अपनी पत्नीकी बीमारीके कारण युरोपमें थे। अिसका अुल्लेख करते हुअे सरदार बोले :

“पं० जवाहरलालजीकी अनुपस्थितिमें मैं आपकी कुछ भी सेवा कर सकूं तो अपने-आपको बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। उनकी गैर-हाजिरीमें यह परिषद् बिना कर्णधारकी नौका जैसी लगती है। किसानोंके दुःखों, उनकी हालत और मुसीबतोंका अुन्हें पूरा खयाल है। अुन्होंने और उनकी बीमार पत्नीने हमारे किसानोंकी जितनी सेवा की है अुतनी अब तक किसीने नहीं की। हमारे कल्याणके लिये अुन्होंने अपना शाही टाठबाट छोड़ दिया है और दोनोंने बाग-बगीचे, घरबार, कुटुम्ब-कबीला और अपने आपको भी बरबाद कर डाला है। जो रातदिन हमारे दुःखोंमें दुःखी हो रहे हैं, हमारी गरीबीको देखकर जिनका हृदय जल रहा है और जिन्होंने हमारे खातिर अमीरी छोड़कर फकीरी धारण की है, अैसे सहायकके बिना हम अेक कदम भी आगे कैसे अुठा सकते हैं? गैरहाजिर होने पर भी अुनके आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं। अुनकी सिखायी हुई बातें हम न भूलें, अितनी शक्ति हम भगवानसे मांगते हैं।”

जमींदारों और किसानोंके बीच स्थायी वर्ग-विग्रह होनेकी आवश्यकता नहीं, इस बारेमें अपने विचार समझाते हुअे अन्होंने कहा :

“वर्तमान जमींदार और तालुकेदार हमारे देशकी संस्कृतिकी विशेषता नहीं हैं। इस पुण्यभूमिमें धनवानों, जमींदारों या सत्ताधारियोंकी पूजा कभी नहीं हुअी। त्यागियों और तपस्वियोंके चरणोंमें धनवान, जमींदार और सत्ताधीश सब निर झुकाते आये हैं। त्यागियों और तपस्वियोंके नाम अमर हो गये हैं और गांव-गांव घर-घर अुनके गुण-गान हो रहे हैं। आज इस कलिकालमें भी पाश्चात्य संस्कृतिकी अग्रणी सत्ताके तेजमें बहे बिना या अुसकी तड़क-भड़कसे चौधियाये बिना साहस अंर दृढ़तासे अपनी जागीरों और जमींदारियोंको खतरेमें डालकर, सरकारकी नाराजी सहकर और अनेक प्रकारके संकटोंका सामना करके भी कोअी कोअी तालुकेदार या जमींदार हमारी सेवा करके हमारी संस्कृतिका आदर्श अपस्थित कर रहे हैं। राज्यसत्ताके बदलते ही संभव है ये जमींदार अपना जीवन बदलकर झोंपड़ोंमें रहनेवाले करांडों भूखों मरते लोगोंके शीघ्र रहकर भोग-विलासको पाप समझने लगेंगे और हमारी सेवा करनेमें तत्पर होंगे। आज भी जमींदारोंको किसानोंके स्वाभाविक प्रतिनिधि बननेकी सलाह देनेवाली सरकार (युक्त प्रान्तके अुस समयके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हेरी हेगने जमींदारोंको सलाह दी थी कि जमींदार किसानोंके स्वाभाविक प्रतिनिधि हैं और अुन्हें अपना खोया हुआ स्थान फिरसे प्राप्त कर लेना चाहिये) अपनी चाल बदल ले और करोड़ोंके बजटमें किसानोंकी भूख मिटानेके, अुनकी शिक्षाके तथा स्वास्थ्यके लिये आवश्यक साधनोंका समावेश करने लग जाय और लोकमतका आदर करनेकी नीति समझने लगे, तो ये जमींदार समझ जायेंगे कि किसानोंके सुख-दुःखका खयाल रखना और अुनकी सेवा करना हमारा पहला फर्ज है। परन्तु इस बारेमें अपना मत साबित करने में यहां नहीं आया हूं। इस जरूरी सवालके सिलसिलेमें इस प्रान्तके सच्चे नेता पं० जवाहरलालजीकी सलाह ही सही मार्गदर्शक सिद्ध होगी। मैं तो अुनकी गैरमौजूदगीमें अुनका प्रतिनिधि बनकर अुनके लौट आने तक अपनी अल्पशक्तिके अनुसार आपको अपना कर्तव्य समझा सकूं तो मेरा कर्तव्य पूरा हुआ समझ लूंगा। अन्तमें पंडितजीके अनुभवोंका निचोड़ ही आपके लिये शिरोधार्य होना चाहिये। अुन्होंने आपके लिये जो स्वार्थत्याग किया है, जो दुःख अुठाये हैं और जो मेहनत अुठाअी है

अुतनी और किसीने नहीं अुठाअी । अुनकी सत्यनिष्ठा और गरीबोंके लिये अुनके दिलमें जलनेवाली आगके बारेमें दुश्मनको भी शक नहीं है ।” अिसके बाद सरदारने अिस बातका वर्णन किया कि पिछली लड़ाअीके समय अिन किसानोंने कितनी बहादुरी दिखाअी थी, कितनी कुर्बानियां की थीं और कितनी बरबादी सहन की थी :

“गांधी-अविन समझौतेकी अवधिमें और अुसके बादके अेक दो वर्षोंमें हम पर जो आफतें आअी अुनका विस्तारसे वर्णन करनेकी यहां कोअी आवश्यकता नहीं । परन्तु दूसरे प्रान्तोंकी तरह अिस प्रान्तमें भी अुस समझौतेका अधिकारियों द्वारा स्पष्ट भंग होने पर भी पंडित जवाहरलालजी तथा अिस प्रान्तके मुख्य कार्यकर्ताओंके सिर दोष मढ़ा गया था । अुस अवसर पर नेताओं द्वारा अुठाये गये कदमोंका सार्वजनिक समर्थन करना मैं अपना धर्म समझता हूं । मेरी पक्की राय है कि अुस समय पंडित जवाहरलालजी, श्री टंडनजी तथा अिस प्रान्तके अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओंने आपको लगान न देनेकी सलाह न दी होती तो यह माना जाता कि वे अपने कर्तव्यसे विमुख हुअे हैं । अुस समय मैं कांग्रेसका अध्यक्ष था । मुझे जरा भी शंका होती तो मैं अुस कार्रवाअीके लिये बिल्कुल मंजूरी न देता । अुस मौके पर यहांकी कांग्रेस कमेटी आपकी मदद पर खड़ी हुअी, आपके दुःखोंमें शरीक हुअी और अुसने पूरी ताकतके साथ आपकी और प्रान्तकी अमूल्य सेवा की । अुसके बाद आपकी और कांग्रेसकी बरबादी करनेके लिये सरकारने जो कुछ किया अुसकी तफसीलमें जानेकी मुझे जरूरत नहीं जान पड़ती । अिससे सरकारको और हमें अच्छा अनुभव मिला । अुसके बाद लगानमें जो कुछ रियायतें मिलीं अुनका श्रेय अुन्हींको देना चाहिये, जिन्होंने अपनी जमीन-जायदाद खोकर अनेक विपत्तियां सहन की हैं । अुनका अुपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिये । अिस मौके पर हम अुन सबको बधाअी देते हैं ।”

किसानोंका बल अुनके संगठनमें होता है । अुनमें धर्मके नाम पर जो अनेक अंधविश्वास और पाखंड घुस गये हैं अुन्हें निकालना चाहिये, अपने घरेलू रीत-रिवाज सुधारने चाहिये, स्वच्छताके पाठ सीखने चाहिये, अादि सलाह देकर अन्तमें कहा :

“आप अपना सच्चा और मजबूत संगठन खड़ा कीजिये । अिसके सिवा मैंने जो कमजोरियां बताअी हैं अुन्हें दूर कीजिये, आलस्य छोड़ दीजिये, अंधविश्वास मिटाअिये, किसीका डर न रखिये, फूटका

त्याग कीजिये, कायरताको अपने भीतरसे निकाल फेंकिये, हिम्मत रखिये, बहादुर बनिये, और आत्मविश्वास रखना सीखिये। अितना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे वह अपने-आप आ मिलेगा। संसारमें जो जिसके योग्य होता है वह उसे मिल ही जाता है। हमारी आशाओं बड़ी हैं। हम गुलामीकी बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करके हुकूमतकी बागडोर अपने हाथोंमें लेना चाहते हैं। अितनी बड़ी आशा रखनेका हमें अधिकार है। परन्तु अितना बड़ा अधिकार प्राप्त करनेके लिये हमें भगीरथ प्रयत्न करना चाहिये। प्रयत्न करनेवालेकी अीश्वर सहायता करता है। भगवान आपका भला करे।”

अितनेमें कांग्रेसके अधिवेशनका समय आ गया। अधिवेशन लखनऊमें होनेवाला था। १९३१की करांची कांग्रेससे ही तय हो गया था कि कांग्रेसका अधिवेशन दिसंबरके बजाय मार्च या अप्रैलमें किया जाय। बम्बयीमें १९३४ के अक्तूबरमें ही कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था। असलिये बादका अधिवेशन मार्च १९३६ में करना तय हुआ। बम्बयी कांग्रेसके समय जवाहरलालजी जेलमें थे। उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवीको बीमारीके कारण उनकी सजा पूरी होनेसे पहले ही सितम्बर १९३५ में छोड़ दिया गया था। कमलादेवी यूरोपमें थीं, असलिये जवाहरलालजी छूटकर तुरंत ही यूरोप चले गये। परन्तु फरवरी १९३६ में कमलादेवीका देहावसान हो जाने पर वे मार्चमें अंग्लैण्डसे वापस आ गये। जवाहरलालजीके असि दुःखमें सारे देशकी सहानुभूति उनके प्रति अुमड़ पड़ी थी। कमलादेवीने आजादीकी लड़ाईमें जबर्दस्त हिस्सा लिया था। अिन सब बातोंकी कद्र करनेके लिये लखनऊ कांग्रेसका अध्यक्ष जवाहरलालजीको बनाया गया। सब लोग जानते थे कि जवाहरलालजीका रुख पहलेसे ही समाजवादकी तरफ है। परन्तु वे समाजवादी कार्यक्रमको अमलमें लानेकी अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्यवादका नाश करके भारतको मुक्त करनेकी आवश्यकताको अधिक महत्त्व देते थे। साथ साथ वे यह भी मानते थे कि आम जनताकी सामाजिक और आर्थिक मुक्ति न हो तब तक केवल राजनैतिक मुक्तिसे देश सुखी नहीं हो सकता। वे यूरोपसे समाजवादी विचारोंको ताजा ही दिमागमें भरकर लौटे थे। लखनऊमें अध्यक्षकी हैसियतसे अुन्होंने जो भाषण दिया अुसमें भी अुन्होंने अपनेको समाजवादी विचारोंका प्रजातंत्रवादी बताया और समाजवादी विचारसरणीका प्रतिपादन किया। यद्यपि गांधीजी कांग्रेससे अलग हो गये थे, परन्तु कांग्रेस परसे अुनका प्रभाव जरा भी कम नहीं हुआ था और सरदार, राजाजी, राजेन्द्रबाबू वगैरा नेता गांधीजीके ही कार्यक्रमसे बंधे हुए थे। असलिये लखनऊ कांग्रेसमें समाजवादी विचारसरणीका अेक भी

प्रस्ताव पास नहीं हुआ। कांग्रेसके अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्योंको मनोनीत करनेकी परिपाटी चली आ रही थी। तदनुसार जवाहरलालने तीन समाजवादियोंको कार्यसमितिमें लिया। उनके सिवा सभाषबाबूको भी लिया। परन्तु बाकीके दस सदस्य गांधीजीके विचारोंवाले थे। इस प्रकार कार्यसमितिमें अुन्हीका बहुमत था। कांग्रेसके अध्यक्षके रूपमें अुनकी स्थिति कैसी थी, यह जवाहरलालजीके अपने ही शब्दोंमें यहां दिया जाता है :

“अध्यक्षके नाते मैं कांग्रेसका मुख्य प्रबंध-अधिकारी था। असा माना जाता है कि संस्थाका प्रतिनिधित्व मैं ही करता हूं। परन्तु कांग्रेसकी नीतिके कुछ महत्वपूर्ण मामलोंमें मैं बहुमतके दृष्टिकोणका प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इसलिये कांग्रेसके प्रस्तावोंमें बहुमतके विचारोंका ही प्रतिबिम्ब पड़ा। कांग्रेसकी कार्यसमिति अेक ओर मेरे विचारोंका प्रतिनिधित्व करे और दूसरी ओर बहुमतके विचारोंका प्रतिनिधित्व करे, ये दो बातें साथ साथ नहीं हो सकती थीं।”

लखनअूमें अुन्हें कैसी कठिनाइयां हुईं, इसका वर्णन मित्रोंके नाम भेजे अेक परिपत्रमें अुन्होंने इस प्रकार किया है :

“मैं मानता हूं कि लखनअूमें मैंने साफ साफ बातें कही थीं और बादमें कांग्रेस कार्यसमितिमें मेरा जो विमंगत स्थान है अुसके बारेमें भी साफ साफ बातें की हैं। इस कुछ परेशान करनेवाली विचित्र स्थितिका मेरे समाजवाद-सम्बन्धी विश्वासमें कोअी वास्ता नहीं है। लखनअूमें हमारे बीचका राजनैतिक मतभेद जाहिर हो गया। हममें से किसीने इस चीजको गुप्त नहीं रखा था, क्योंकि हमारा खयाल था कि असे सिद्धान्तोंके मामलेमें हमें पूरी तरह खुले दिलसे, कोअी भी बात छिपाये बिना, अेक-दूसरेके साथ चर्चा कर लेनी चाहिये। और लोगोंके साथ भी हमें पूरी सचाअी रखनी चाहिये, क्योंकि अुन्हीके मतसे हम वहां जाते हैं; और देशके भविष्यका निर्णय भी अंतमें तो लोग ही करेंगे। इसलिये अेक-दूसरेसे भिन्न मत रखनेमें हम सहमत हुअे और अपने भिन्न मत हमने खुले तौर पर प्रगट किये। परन्तु अितना करनेके बाद हम अेक-दूसरेके साथ सहयोगसे और मिलजुल कर काम करनेके लिये भी सहमत हुअे। इसीलिये कि हमारे बीच मतभेदके मुद्दोंकी अपेक्षा सहमतिके मुद्दे ज्यादा थे। बहुत बातोंमें हमारे दृष्टिकोणमें अन्तर था। कुछ मामलोंमें भले ही हमारे विचार अलग रहे हों, परन्तु देशकी आजादी हासिल करनेके मामलेमें हम सब अेक थे।”

दूसरे समाजवादी कार्यकर्ताओंकी अपेक्षा गांधी-विचारके नेताओंकी जवाहरलालजीसे ज्यादा बनती थी, जिसका कारण जवाहरलालजीके नीचे प्रगट किये गये विचारोंमें समाया हुआ है :

“मुझे जो चीज चाहिये वह यह है कि हमारी अर्थनीतिमें से मुनाफेका तत्त्व मिट जाय और उसके स्थान पर समाजकी सेवा करनेकी वृत्तिकी स्थापना हो। प्रतिस्पर्धाका स्थान सहयोग ले ले। उत्पादन नफेकी दृष्टिसे न किया जाय, परन्तु समाजके अपयोगकी चीजें पैदा करनेके लिये किया जाय। यह मैं असलिये चाहता हूँ कि हिंसा या रक्तपातके प्रति मेरे मनमें तिरस्कार है। असे मैं धिक्कारने जैसी वस्तु समझता हूँ। आजकालकी हमारी तमाम व्यवस्थाकी जड़में हिंसा है। असे मैं राजीवृर्धनि महन नहीं कर सकता। मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिये जो स्थायी स्वरूपकी हो, जिसमें किसी पर दबाव न हो, जिसकी जड़में से हिंसा नष्ट हो गयी हो तथा जिसमें तिरस्कारको निकालकर भ्रान्तभावकी भावनाकी स्थापना हुयी हो। अिन सब बातोंको मैं समाजवाद कहता हूँ।”

जवाहरलालजीकी विचारसरणी समाजवादी होने पर भी ऐसे विचारोंके कारण ही वे समाजवादी दलमें शामिल नहीं हो सके। समाजवादी दलकी प्रचार करनेकी पद्धति परसे अक्सर ऐसा दिवाजी देता था कि उनका साध्य भले ही शुद्ध हो, परन्तु अुमके लिये शुद्ध साधनोंका आग्रह रखनेके लिये वे तैयार नहीं थे। जब कि जवाहरलालजीकी मत्यपरायणता और अहिंसाप्रेम ऐसा था कि वे अशुद्ध साधनोंको सहन नहीं करते थे। और गांधीजीकी सब बातें अुन्हें मान्य नहीं थीं, तो भी गांधीजीके नेतृत्वमें उनका अितना विश्वास था कि शुरूमें भले वे गांधीजीकी बातका विरोध करते, परन्तु अन्तमें तो गांधीजीके कार्यक्रमका ही अनुसरण करते थे। अिस प्रकार कुल मिलाकर समाजवादी मित्रोंकी अपेक्षा सरदार, राजेन्द्रबाबू वगैरा पुराने कांग्रेसी नेताओंके साथ उनका अधिक मेल बैठता था। अिन नेताओंको भी जवाहरलालजीकी कार्यदक्षता, त्याग, वीरता वगैराके प्रति बड़ा आदर था, असलिये अुनसे अलग होना अिन्हें किसी भी तरह पसन्द नहीं था। जवाहरलालजी भी जानते थे कि प्रान्तीय कार्यकर्ताओं और आम जनतामें अिन नेताओंका प्रभाव बहुत ज्यादा है, असलिये वे भी अिन नेताओंसे अलग होना नहीं चाहते थे। अिस प्रकार दोनोंको अेक-दूसरेके प्रति पूरा आदरभाव था। हम आगे देखेंगे कि फैजपुर कांग्रेसके अध्यक्षके चुनावके समय अिस चीजको दोनों पक्षोंने सार्वजनिक रूपमें स्पष्ट कर दिया था।

लखनऊ कांग्रेसके सामने दो प्रश्न मुख्य थे। एक तो राजनैतिक सुधारोंके विषयमें अर्थात् नये गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्टके बारेमें अपनी नीति घोषित करनेका था। उस कानूनकी कांग्रेसने कभी कारणोंसे निन्दा की थी, फिर भी यह निश्चय किया गया कि उसके अनुसार होनेवाले चुनावोंमें प्रत्येक प्रान्त भाग ले। पद स्वीकार किये जायं या नहीं, इस बारेमें जब तक चुनावोंका परिणाम मालूम न हो जाय तब तक कोभी निर्णय न करना ही कांग्रेसने मुनासिब समझा। दूसरा बड़ा प्रश्न हमारे किसानों और काश्तकारोंके लिये नीति तय करने और कार्यक्रम तैयार करनेका था। चुनावोंमें भाग लेना हो तो कांग्रेसको इस मामलेमें अपनी नीतिका घोषणापत्र प्रकाशित करना चाहिये। यह घोषणापत्र तैयार करने और किसानोंके लिये कार्यक्रम बनानेका काम लखनऊ कांग्रेसने महासमितिको सौंपा।

इस सारे समयमें सरदारकी तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रहती थी। मार्चके दूसरे सप्ताहमें वे कांगड़ी गुरुकुल (हरद्वार) के पदवीदान समारोहमें गये। वहांसे मोटरमें देहरादूनके कन्या-गुरुकुलमें गये। वहांसे दिल्ली आये। पदवीदान समारोहमें वर्षा हुई और ठंडी हवा लगी, जिससे अन्हें सख्त सरदी और खांसी हो गयी। २२ मार्चको तेज बुखार आया और निमोनियाका दोनों फेफड़ों पर असर हो जानेसे डॉ० अन्सारीकी सलाहसे अन्हें हरिजन कालोनीसे बिडला-भवनमें ले जाया गया। लगभग एक पखवाड़े बिछौनेमें रहे। पूरी शक्ति भी नहीं आयी थी कि अन्हें वहीसे लखनऊ कांग्रेसमें जाना पड़ा और वहां अुनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। इसलिये लम्बे समय तक आराम लेनेकी जरूरत पैदा हो गयी। फिर भी कामका बोझ अैसा था कि वे तुरन्त तो आराम लेने जा ही नहीं सके। अंतमें गांधीजीने बहुत आग्रह किया और खुद भी अुनके साथ आनेको तैयार हुअे, तब मअी मासमें अुनके साथ बंगलोरके पास नंदीदुर्ग पर आराम करने गये और वहां पूरे एक महीने रहे।

१९३७ में धारासभाओंका चुनाव होनेवाला था। अुसकी तैयारीके लिये चुनावका घोषणापत्र तैयार करना था। पंडित जवाहरलालजीने बड़ा सुन्दर घोषणापत्र तैयार कर दिया और महासमितिने अुसे मंजूरी दे दी। पद स्वीकार करनेके बारेमें जब तक निर्णय नहीं हुआ था, तब तक कांग्रेस यह नहीं कह सकती थी कि मंत्रिमंडल बनाकर हम अमुक अमुक काम करेंगे। फिर भी कुछ निश्चित कार्यक्रम तो देना ही चाहिये था, इसलिये कराची कांग्रेसमें पास हुअे मूलभूत अधिकारोंके प्रस्तावके अनुसार घोषणापत्र तैयार किया गया। किसानोंकी दशा सुधारनेके लिये लगान कानूनमें सुधार कराकर जो जमीनें किसान स्वयं जोतते हों अुन जमीनों पर अन्हें

स्थायी खेतीका हक मिलना चाहिये, असा घोषणापत्रमें कहा गया। लगान घटानेके अलावा खेतीके मजदूरोंकी मजदूरीकी दर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कारखानोंमें मजदूरोंकी हालत सुधारनेके लिये अन्के संघ स्थापित करने और अन्का संगठन करनेकी भी घोषणा की गयी। अिसके सिवा देशमें शराबबन्दी करनेका भी वचन दिया गया। घोषणापत्रमें और भी बहुत बातें थीं। परन्तु अपरोक्त बातें मुख्य कही जा सकती हैं।

कांग्रेसके टिकट पर खड़े होनेवाले अुम्मीदवारोंको चुननेका काम बड़ा कठिन था। हरअेक प्रान्तमें अुम्मीदवारोंकी पसंदगी अुस प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस ही ठीक ढंगसे कर सकती थी। परन्तु अंतिम निर्णय अुन पर नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि कुछ प्रान्तीय समितियोंमें दलबन्दी थी। और सभी प्रान्तीय समितियां आखिरी फैसलेकी जिम्मेदारी भी लेनेको तैयार नहीं थीं। वे चाहती थीं कि यह काम कांग्रेस कार्यसमितिको अपने हाथमें ही रखना चाहिये। अिसलिये कार्यसमितिने अेक पार्लमेण्टरी बोर्ड बनाया। सरदारको अुसका अध्यक्ष बनाया गया और पं० गोविन्दवल्लभ पंत अुसके मंत्री बने। अुम्मीदवारोंका चुनाव पहले तो प्रान्तीय समितिकी कार्यकारिणी ही करती थी, परन्तु कोअी आदमी प्रान्तके निर्णयसे नाराज होता तो अुसकी अपील पार्लमेण्टरी बोर्डके पास आती थी। चुनावके प्रचारके मिलसिलेमें सरदारको सारे भारतमें खूब दौरा करना पड़ा। सीमाप्रान्तमें सरकार बाहरके किसी आदमीको जान नहीं देती थी। सरदार विचार कर रहे थे कि अुसके लिये क्या किया जाय। अितनेमें अुन्होंने अखबारोंमें पढ़ा कि जनाब जिन्ना चुनावके प्रचारके लिये वहां पहुंचे हैं। अिसलिये अुन्होंने सरकारको लिखा कि अुन्हें और श्री भूलाभाजीको वहां जाने दिया जाय। भारत-सरकार अिनकार नहीं कर सकी। अिजाजत मिलते ही वे पेशावर पहुंचे। परन्तु बन्नू, कोहाट और डेराअिस्माअीलखां, अिन तीन शहरोंमें जानेकी प्रान्तीय सरकारने मनाही कर दी। चार दिन तक वहांकी कड़ाकेकी ठंडमें अुन्होंने प्रान्तके दूसरे भागोंमें दौरा किया।

अुम्मीदवारोंके चुनावमें दो बातों पर ध्यान दिया जाता था। पहले तो यह देखना होता था कि अुम्मीदवारमें कांग्रेसके सिद्धान्तों और कार्यक्रमके अनुसार अीमानदारी और होशियारीके साथ काम करनेकी कितनी योग्यता है। दूसरे, यह भी देखना पड़ता था कि चुने हुअे अुम्मीदवारके सफल होनेकी संभावना कितनी है। सरदारके नेतृत्वमें अिस चुनावके सिलसिलेमें पैदा होनेवाली समस्याओंको पार्लमेण्टरी बोर्ड सन्तोषपूर्वक हल कर सका। पर अुम्मीदवारोंके चुने जानेकी संभावना पर विचार करते समय कुछ प्रान्तोंमें कांग्रेसकी

स्वीकृत नीतिके साथ असंगत बातें भी ध्यानमें रखनी पड़ीं। राजेन्द्रबाबू, जो पार्लमेण्टरी बोर्डके अेक प्रमुख सदस्य थे, अिस विषयमें लिखते हैं :

“अुम्मीदवार चुनते समय हमें यह खयाल रखना पड़ा कि कौन अुम्मीदवार किस जाति या अुपजातिका है। कांग्रेसके लिअे यह अच्छा नहीं माना जा सकता। परन्तु परिस्थितिके कारण अैसा किये बिना हमारा काम नहीं चल सकता था। हमारे प्रान्त (बिहार) के लिअे यह शर्म और दुःखकी बात है कि अुम्मीदवारोंका चुनाव करते समय हम जातपातको भूल न सके। हमें यह सोचना पड़ा कि फलां जातिके अुम्मीदवारकी चुनावमें जीतनेकी अधिक संभावना है। हमें यह भी देखना पड़ा कि हम अमुक जातिके अुम्मीदवारको नहीं लेंगे तो सारी जाति पर अिसका बुरा असर होगा। अितना ही नहीं, चुनावों पर भी अुसका बुरा असर पड़ेगा। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ा कि जितने अुम्मीदवार लिये गये अुनमें सभी जातियोंके अुम्मीदवार आ गये या नहीं और अितनी संख्यामें आये या नहीं जिससे अुन जातियोंके लोगोंको सन्तोष दिया जा सके। अेक राष्ट्रीय संस्थाके लिअे ये बातें गौरवपूर्ण नहीं मानी जा सकतीं। परन्तु हमें चुनाव जीतने थे। संतोष अितना ही था कि सभी जातियोंमें कांग्रेसके अैसे कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्हें कांग्रेसकी नीतिके अनुसार पसन्द किया जा सकता था। अिसलिअे किसीको पसन्द करते वक्त हमें आघात नहीं लगा, क्योंकि अुनमें अधिकांश अन्य सब दृष्टियोंसे भी योग्य थे। परन्तु जातपातके विचारको स्थान देना सिद्धान्तकी दृष्टिमें ठीक तो हरगिज नहीं था।”

राजेन्द्रबाबूने मुख्यतः बिहारके बारेमें लिखा है, परन्तु मालूम होता है थोड़ी बहुत मात्रामें यह स्थिति सभी प्रान्तोंमें थी। राजेन्द्रबाबूका अेक और अनुभव यहां अुल्लेखनीय है :

“मुझे खेदपूर्वक लिखना पड़ रहा है कि चुनावोंके अनुभवने मुझे यह माननेको विवश कर दिया है कि बहुतसे कांग्रेसी अपनी सेवाओंकी कीमत आंकने लग गये हैं और अुनके बदलेमें कुछ न कुछ फायदा ढूँढ़ने लगे हैं। फिर यह लाभ प्रान्तीय धारासभा या बड़ी धारासभाके सदस्यपदका हो, लोकलबोर्ड या म्युनिमिपैलिटीकी सदस्यताका हो, अुनमें कोअी आहवा लेनेका हो अथवा और कुछ नहीं तो अन्तमें कांग्रेसकी समितियोंमें ही कोअी प्रतिष्ठा और अधिकारका स्थान लेनेका हो। अिसमें शक नहीं कि अिन सब जगहों पर जाकर मनुष्य सेवा कर सकता है। कुछ जगहों पर काम करनेसे सेवाकी शक्ति बढ़ती भी है।

यदि इसी भावनासे ये पद या ओहदे लेनेकी अच्छा रखी जाती हो तो ठीक है। परन्तु यह कौन कह सकता है कि उस अच्छाकी तहमें सेवाभावका बल है या अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका? यह तो शायद मनुष्य स्वयं भी अच्छी तरह नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे मामलोंमें मनुष्य अक्सर अपनेको धोखा देता है और अपने मनको मना लेता है कि वह महत्त्वाकांक्षा सिद्ध करनेके लिये नहीं जा रहा है, परन्तु सेवा करनेके लिये ही जा रहा है।”

परन्तु अिन मामलोंमें सरदार बड़ी दृढ़तासे तटस्थ रहे और अिमसे अुन्हें बहुत लोगोंकी खासी नाराजगी मोल लेनी पड़ी। दो-अेक मामलोंमें अुन पर व्यक्तिगत आक्षेप भी हुअे, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। परन्तु कुल मिलाकर अुनकी न्यायशीलता और निष्पक्षताकी अैसी धाक जम गयी कि चुनावोंका सारा काम कांग्रेसके अुच्च सिद्धान्तोंको सुशोभित करनेवाले ढंगसे पूरा हुआ। चुनावोंकी ये तैयारियां हो ही रही थीं कि अितनेमें फैजपुर कांग्रेसका अधिवेशन आ पहुंचा।

१७

फैजपुर कांग्रेस

फैजपुर कांग्रेसका अध्यक्ष किसे चुना जाय, यह प्रश्न उस समय बहुत बड़ा बन गया था। लखनऊ कांग्रेसके अध्यक्ष होनेके बाद जवाहरलालजीने देशभरमें भ्रमण करके बहुत सुन्दर काम किया था और फैजपुर कांग्रेस आठ महीनेके बाद हो रही थी, असलिये बहुतांता विचार था कि जवाहरलालजीको दुबारा अध्यक्ष बनाया जाय। अुनका नाम लिया जाने लगा कि अुन्होंने तुरन्त ही वक्तव्य प्रकाशित करके बना दिया कि मैं समाजवादी सिद्धान्तों और कार्यक्रमको माननेवाला हूं, अिमलिये लोगोंको मुझे अध्यक्ष बनानेसे पहले यह बात अच्छी तरह ध्यानमें रखनी चाहिये। कुछ स्थानोंसे अध्यक्षताके लिये सरदारके नामकी सूचना भी आयी थी। सरदारको यह विलकुल पसन्द नहीं था कि अध्यक्षपदके लिये स्पर्धा हो, अेक-दूसरेके विरुद्ध मत लिये जायें और अुसमें वे निमित्त बनें। अिमलिये अुन्होंने अपना नाम फौरन वापस ले लिया और जवाहरलालजीको ही अध्यक्ष चुननेकी प्रतिनिधियोंको सलाह दी। फिर भी यह बात अुन्होंने विलकुल नहीं छिपायी कि जवाहरलालजीके साथ अुनका विचारभेद है। अपना नाम वापस लेनेवाला जो वक्तव्य

अन्होंने प्रकाशित किया, वह बहुत समयानुकूल और अतना ही अतने हृदयकी शुद्धताको बतानेवाला है :

“हर साल जो सम्मानपूर्ण पद देना कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके हाथमें है अतमें मैं देखता हूँ कि मेरा नाम भी है। पं० जवाहरलालजीने तो अपने विचार घोषित करनेवाला अके बयान भी प्रकाशित किया है। असे मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मित्रोंके साथ सलाह-मशविरा करके मैं अिस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि मुझे अपना नाम वापस ले लेना चाहिये।

“हममें से बहुतोंका यह खयाल है कि आजका अवसर कांग्रेस या राष्ट्रके अतिहासमें बहुत नाजुक है। अैसे समय कांग्रेसके अध्यक्षका चुनाव सर्वसम्मतिसे होना बहुत वांछनीय है। मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ, अतका अर्थ यह तो हरगिज न होना चाहिये कि मैं जवाहरलालजीके सभी विचारोंसे सहमत हूँ। कांग्रेसी जानते हैं कि कुछ महत्त्वपूर्ण मामलोंमें मेरे विचार जवाहरलालजीसे भिन्न हैं। अुदाहरणके लिये, मैं यह नहीं मानता कि वर्ग-विग्रह अनिवार्य है। मैं साम्राज्यवादका कट्टर शत्रु अवश्य हूँ और यह भी मानता हूँ कि हमारी भूखों मरनेवाली आम जनता और हमारे पूंजीपति वर्गके बीच जो जमीन-आसमानका फर्क है वह हमारा विनाश कर सकता है। परंतु असीके साथ मैं यह नहीं मानता कि पूंजीवादी प्रथामें जो बुराअी है वह अतमें से निकाल देना बिलकुल असंभव है। जब तक कांग्रेस स्वातंत्र्य-प्राप्तिके लिये अहिंसा और सत्यको अनिवार्य साधन मानती है, तब तक यदि कांग्रेसियोंको सुसंगत और जो कुछ वे कहते हैं अतके प्रति सच्चे रहना हो तो अन्हें मानना ही चाहिये कि जो लोग आम जनताका निर्दय ढंगसे शोषण कर रहे हैं अन्हें मानवताके प्रति अतके अिस अपराधसे बचा लेना संभव है। मैं मानता हूँ कि जब आम जनताको अपनी भयंकर दुर्दशाका भान होगा तब असे यह भी पता लग जायगा कि अिसका अुपाय कैसे किया जाय। मुझे यह सिद्धान्त स्वीकार करनेमें कोअी कठिनाअी नहीं हो सकती कि तमाम जमीन और अुत्पत्तिके तमाम साधन सार्वजनिक होने चाहिये। स्वयं किसान होनेसे और वर्षोंसे किसानोंके साथ अतप्रोत रहनेके कारण मुझे अिसका पता है कि जूता कहां चुभ रहा है। साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि जब तक लोगोंमें शक्ति नहीं आयेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। सौभाग्यसे हमने देख लिया है कि

अहिंसात्मक असहयोग द्वारा कितना काम किया जा सकता है। जब लोगोंको दुष्ट बलोंसे अपना सहयोग खींच लेना आ जायगा, तब वे बल पोषणके अभावमें अपने-आप खतम हो जायेंगे। परंतु जैसा पं० जवाहरलाल जोर देकर कहते हैं, और वे सच ही कहते हैं, हमारा तात्कालिक कार्य तो अपने देशको विदेशी जुअसे छुड़ाना और साम्राज्यवादी शोषणको जड़से नष्ट करना है। यह कर लेनेके बाद सिद्धान्तों और योजनाओंका अमल करनेका समय आयेगा। अभी तो हमारे बीच मतभेदोंके लिये गुंजाअिश ही नहीं है। स्वातंत्र्य-प्राप्तिके लिये हमारी अिस महान राष्ट्रीय संस्थामें जितने बल अिकट्ठे किये जा सकें अुन सबके बीच संपूर्ण सहयोग आवश्यक है।

“अिस समय हमारे सामने तत्काल तो धारासभाओंके चुनावोंका काम खड़ा है। अुसमें कोअी मतभेद नहीं है। हम पर लादे गये विधानको हम सब नष्ट करना चाहते हैं। सवाल यह है कि धारासभाओंमें जाकर अुसे कैसे नष्ट किया जाय। अिसका आधार कांग्रेसके झंडेके नीचे धारासभाओंमें जानेवाले भाअी-बहनोंकी शक्ति और योग्यता पर रहेगा। कांग्रेसकी महासमिति या कार्यसमिति कांग्रेसकी नीति तय करेगी। परंतु अुसके अमलका आधार अुसके प्रतिनिधियोंकी वफादारी, शक्ति और योग्यता पर रहेगा।

“पद स्वीकार करनेका प्रश्न आज हमारे सामने अितना महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु मैं अवश्य अैसे समयकी कल्पना कर सकता हूं जब हमारे लिये अपने अुद्देश्यकी पूर्तिके खातिर पद स्वीकार करना वांछनीय हो जाय। अुस समय जवाहरलालजी और मेरे बीच या कांग्रेसियोंमें तीव्र मतभेद जरूर पैदा हो सकते हैं। मान लीजिये कि बहुमतके निर्णयसे कांग्रेसकी अैसी नीति निश्चित हो जाय जो जवाहरलालजीको पसन्द न हो, तो भी हम सब जानते हैं कि जवाहरलालजी कांग्रेसके अितने वफादार हैं कि वे बहुमतके निर्णयकी अवज्ञा नहीं करेंगे।

“पद स्वीकार करने या धारासभाओंमें प्रवेश करनेसे मैं बंधा हुआ हूं अैसी कोअी बात नहीं। मैं तो अितना ही कहना चाहता हूं कि अैसा समय भी आ सकता है जब हमें पद स्वीकार करने पड़ें। परंतु मैं अैसी कोअी बात स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे स्वाभिमान छोड़ना पड़े या हमारे ध्येयके साथ समझौता करना पड़े।

सच पूछा जाय तो मैं धारासभाओंके कार्यक्रमको गौण स्थान देता हूँ। हमारा सच्चा काम तो धारासभाओंके बाहर है।

“अिसलिये रचनात्मक काम करनेके लिये और हमारी शक्तियाँ संगठित करनेके खातिर हमें अपनी तमाम ताकतों और साधनोंको अेकत्र करके रखनेकी जरूरत है। कांग्रेसके अध्यक्षके पास कोअी डिक्टेटरके अधिकार नहीं होते। वह अेक सुव्यवस्थित संगठनका सभापति है। अुसे हमारी सभाओंके कामकाजका नियमन करना होता है और कांग्रेस समय-समय पर जो निर्णय करे अुनका अमल करना होता है। अेक व्यक्तिको—भले वह कोअी भी हो—अपना अध्यक्ष चुनकर कांग्रेस अपने विशाल अधिकार छोड़ नहीं देती।

“अिसलिये मैं तमाम प्रतिनिधियोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे सर्वसम्मतिसे जवाहरलालजीको अध्यक्ष चुन लें। हमारे राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करने और जिस समय देशमें विविध शक्तियाँ काम कर रही हैं अुस समय अुन शक्तियोंका नियमन करने तथा देशकी नावको सही मार्ग पर चलानेके लिये वे ही अुत्तम पुरुष हैं।”

जवाहरलालजीने अपने समाजवादी विचारोंके संबंधमें जो पहला वक्तव्य निकाला अुस पर अखबारोंमें यह चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस यदि जवाहरलालजीको अध्यक्ष बना लेती है तो अुसका यह अर्थ होगा कि वह समाजवादको स्वीकार करती है और पद स्वीकार करनेके विरुद्ध है। जवाहरलालजीके दो मित्रोंने अुन्हें तार देकर सूचित किया कि आपके वक्तव्यका अर्थ हम तो अितना ही समझते हैं कि आपने अपने समाजवाद-संबंधी मत फिरसे घोषित कर दिये हैं, परंतु साथ ही आपने यह भी घोषित किया है कि राजनैतिक आजादी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मूद्दा है और अुसके लिये सभीको सम्मिलित प्रयत्न करने चाहिये। अिसलिये आपके चुनावका यह अर्थ नहीं होता कि कांग्रेस समाजवादको स्वीकार करती है या पद स्वीकार करनेके विरुद्ध मत देती है। अिस बारेमें कोअी गलतफहमी हो रही हो तो आपको दूर कर देनी चाहिये। जवाहरलालजीने भी देशमें दौरा करके आठ महीनेमें जो अनुभव प्राप्त किया था अुससे अुनके विचार कुछ सौम्य हो गये थे। अिसलिये अुन्होंने निम्नलिखित वक्तव्य निकालकर अपनी स्थिति स्पष्ट की :

“मेरे साथियोंने मुझे आदेश दिया है, अिसलिये मैं मौन नहीं रख सकता। मैंने अभी अभी सुना है कि अिस विषय पर सरदार

वल्लभभाभी पटेलने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया है । अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है और न यह जान पाया हूँ कि अुसमें निश्चित रूपसे क्या कहा गया है । मेरे साथियों द्वारा दिये गये तारोंमें मेरे पहले वक्तव्यके बारेमें जो विचार प्रगट किये गये हैं वे पूरी तरह सही हैं । मुझे अध्यक्ष चुन लेनेमें यह मान लेना गलत होगा कि काँग्रेसने समाजवादकी स्वीकार कर लिया है या पद स्वीकार करनेके विरुद्ध मत दे दिया है । अपने वक्तव्यमें तो मैंने समाजवाद-संबंधी अपने विचार प्रगट किये थे और यह बताया था कि मेरा दृष्टिकोण और मेरी प्रवृत्तियाँ अुनसे किम प्रकार रंगी हुई हैं । अुसमें मैंने यह भी कहा था कि मैं पद स्वीकार करनेके विरुद्ध हूँ और जब मौका मिलेगा अपना दृष्टिकोण काँग्रेसके मामने रखूँगा । परंतु अिस बारेमें आखिरी फैसला तो काँग्रेसको पूरी तरह विचार करके और तमाम प्रतिनिधियोंके मत लेकर ही करना होता है । यह निर्णय मनमाने ढंगसे नहीं हो सकता । मैं निश्चित रूपमें मानता हूँ कि देशके सामने सर्वोपरि महत्त्वका प्रश्न राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है और अुसके लिये हम सबका अेक होकर संयुक्त प्रयत्न करना जरूरी है । यह बात गलतफहमी दूर करनेके लिये ही कह रहा हूँ । परोक्ष रूपमें भी मैं नहीं मुझना चाहता कि मेरा चुनाव होना चाहिये । फिर भी यदि मैं चुन लिया गया तो अुसका अर्थ यही होगा कि पिछले आठ महीनेके मेरे कार्यकी साधारण दिशा काँग्रेसियोंके बहुमतको पसन्द आती है । अिसका यह अर्थ हरगिज नहीं कि काँग्रेस मेरे कुछ खास विचारोंको पसन्द करती है । मैं जो विचार रखता हूँ अुनमें कोअी अन्तर नहीं पड़ा है और मैं अध्यक्ष चुना जाऊँ या न चुना जाऊँ, परंतु मेरा काम अुन विचारोंके अनुसार ही होगा ।”

अन्तमें सर्वसम्मतिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू फँजपुर काँग्रेसके अध्यक्ष चुने गये । बहुतसी अन्य बातोंके साथ अुन्होंने अपने भाषणमें स्पष्ट कहा कि :

“काँग्रेस आज संपूर्ण प्रजातंत्र चाहती है और अुस प्रजातंत्रकी स्थापनाके लिये, न कि समाजवादकी स्थापनाके लिये, वह लड़ाई लड़ रही है । काँग्रेस साम्राज्यवादकी कट्टर विरोधी है और हमारी राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्थामें महान परिवर्तन करनेकी कोशिश कर रही है । मुझे यह आशा अवश्य है कि परिस्थिति ही हमें समाजवादकी ओर ले जायगी । मुझे तो हिन्दुस्तानके आर्थिक कष्टोंका अेकमात्र अुपाय यही मालूम होता है । परंतु अिस वक्त तो हमारे देशकी

सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जिन तत्त्वों और बलोंका साम्राज्यवादके विरुद्ध मोर्चा है उन सबको संगठित करके अुसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा किया जाय । कांग्रेसके भीतर उन सब बलोंका प्रतिनिधित्व है, और दृष्टिकोणमें थोड़ा बहुत भेद होने तथा विचारोंमें विविधता होने पर भी समान ध्येयके लिये वे सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं ।”

फैजपुर कांग्रेसकी खास विशेषता यह थी कि अपने अितिहासमें पहली ही बार कांग्रेस गांवमें हुयी । कांग्रेसके अधिवेशनमें अितने अधिक लोग आते हैं कि अधिवेशनके लिये बहुत भारी व्यवस्था करनी पडती है । शहरोंमें भी जब यह व्यवस्था करना बहुत आसान नहीं होता तो गांवमें तो और भी कठिन हो जाता है । परंतु गांधीजीका आग्रह था कि देहातमें देहाती ढंगसे यह व्यवस्था करना हम सीख लेंगे । अुसीसे हम देहाती लोगोंको बढ़िया तालीम दे सकेंगे । रहने, खाने, सफाई वगैराकी सारी व्यवस्था तो ग्रामीण ढंगसे हो सकी । परंतु पानी और रोशनीके लिये बड़े बड़े यंत्रोंका उपयोग करना पडा ।

शान्तिनिकेतनके प्रख्यात कलाकार श्री नंदलाल बसुने कांग्रेस-नगर, मंडप, प्रदर्शनी वगैराको बहुत सुन्दर ढंगसे सजाया । गांवमें कांग्रेसका अधिवेशन करनेका सुझाव गांधीजीका था, असिलिये अधिवेशन-संबंधी छोटीसे छोटी बातके बारेमें वे चिन्ता रखते थे । उनका आग्रह था कि सजावट वगैरा सब देहातमें आसानीसे मिल सकनेवाली वस्तुओंसे ही होनी चाहिये । अस आग्रहको श्री नंदबालूने बहुत सुन्दर ढंगसे निभा दिया और तमाम सजावटको सादगीके साथ सौंदर्य और कलापूर्ण बना दिया ।

अप्रैल मासमें जब लखनऊका अधिवेशन हुआ था, तब यह निश्चय किया गया था कि कांग्रेसका अधिवेशन पहलेकी तरह आगे भी दिसम्बरमें ही रखा जाय । शायद अप्रैल मासकी लखनऊकी गरमीके कारण यह निर्णय करना सूझा होगा । परंतु फैजपुरमें दिसम्बर मासके कड़ाकेके जाड़ेमें जो ग्रामीण लोग आये अुन्हें बांसकी टट्टियोंके झोपड़ोंका आश्रय भी नहीं दिया जा सका और हजारोंकी संख्यामें लोगोंको रातभर खुलेमें जमीन पर पडा रहना पडा । असिलिये महासमितिये फिर निश्चय किया कि कांग्रेसका अधिवेशन वसन्त ऋतु अर्थात् मार्च मासमें किया जाय ।

पदग्रहणकी स्वीकृति

नये विधानके अनुमार प्रान्तीय धारासभाओंके चुनाव फरवरी १९३७ में होनेवाले थे । असलिये फैजपुर कांग्रेसके अधिवेशनके समय भी चुनावोंकी धूमधाम जारी रही थी और अस कारण कुछ कार्यकर्ता तो फैजपुर जा भी नहीं सके थे । अधिवेशन समाप्त हो जानेके बाद कांग्रेसके सभी कार्यकर्ता चुनावके काममें जुट गये । सरदार फैजपुर कांग्रेसके पहले भी सारे भारतमें भ्रमण कर चुके थे और कांग्रेस अधिवेशनके बाद तुरंत फिर दौरे पर निकल पड़े । कुल मिलाकर साढ़े तीन करोड़ स्त्री-पुरुषोंको मताधिकार मिला था । यद्यपि यह हमारे देशकी आबादीका दसवां भाग ही था, फिर भी साढ़े तीन करोड़ मतदाताओं तक कांग्रेसका संदेश पहुंचाना और उन्हें मताधिकारके बारेमें समझाना लोकशिक्षणका कोअी छोटा-मोटा काम नहीं था । दुनियाको यह भी बता देना था कि लोग सरकारकी तरफ हैं या कांग्रेसकी तरफ । असके लिये कांग्रेसी कार्यकर्ताओंमें कड़ा अनुशासन, समान नियंत्रण और अपरसे दी जानेवाली सूचनाओंका आनंद और वफादारीके साथ पालन जरूरी था । पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्षकी हैसियतसे सरदारने अस मामलेमें अद्भुत कौशल दिखाया और हरअेक प्रान्तमें लोगोंका प्रेम और सहयोग प्राप्त किया ।

कुल ग्यारह प्रान्तोंमें से बंबअी, मद्रास, बिहार, मध्यप्रान्त (मध्यप्रदेश) संयुक्त प्रान्त (अुत्तर प्रदेश) और अुड़ीसाके छः सूबोंमें कांग्रेसको निश्चित बहुमत मिला । सीमाप्रान्त और आसाममें कांग्रेसका बहुमत नहीं था, यद्यपि सबसे बड़ा दल कांग्रेसका ही था । बंगाल, पंजाब और सिन्धमें कांग्रेस अल्पमतमें रही । अस प्रकार छः प्रान्तोंमें कांग्रेसकी शुद्ध विजय हुअी तो कांग्रेसके आगे यह प्रश्न खड़ा हो गया कि कांग्रेसजन मंत्रीपद ग्रहण करें या न करें । असके लिये १७ मार्चको दिल्लीमें महासमितिकी बैठक बुलाअी गअी और ता० १९ और २० को महासमितिके सदस्योंके अलावा धारासभाओंके चुनावमें जीते हुअे कांग्रेसी सदस्योंका अेक सम्मेलन रखा गया । महासमितिकी बैठक होनेसे पहले सरदारने राष्ट्रके नाम निम्नलिखित संदेश प्रकाशित किया :

“हमारी कांग्रेसकी तरफसे चुनावोंकी व्यवस्था करनेका और चुनावोंमें हमें विजय प्राप्त हो यह देखनेका काम मेरे सुपुर्द किया गया

था। पंडित जवाहरलाल नेहरूके प्रेरक नेतृत्व तथा अद्भुत सहयोगसे और साथ ही मेरे साथियों—बाबू राजेन्द्रप्रसाद, पंडित गोविन्द-वल्लभ पंत और श्री भूलाभाभी देसायी वगैरा—के अथक परिश्रमसे तथा सारे देश द्वारा दिखाये गये अत्साहसे हमारी धारणा बहुत अच्छी तरह सफल हुई है। दक्षिणमें तो हमें आदर्श विजय प्राप्त हुआ है। वहां आमायी भी कांग्रेस टिकट पर चुने गये हैं। इसका श्रेय हमारे महान और विचक्षण नेता श्री राजगोपालाचार्यको है।

“हमारे कामकी पहली मंजिल पूरी हो गयी। अब दूसरी मंजिल पर हमें अग्रसर होना है। अमुमें हमें अपना सारा समय और शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। चुनाव जीतनेमें जो निश्चय, बल और अंकता हमने दिखाये हैं, वही धारासभाओंके कार्यक्रमको—भले वह कुछ भी तय हो—अमलमें लानेमें दिखायेंगे, तो मुझे मन्देह नहीं कि हम विरोधियोंको मात कर सकेंगे और स्वराज्यका दिन निकट ला सकेंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्लीमें जो कांग्रेसी अंकत्र होनेवाले हैं, वे मजबूत और संयुक्त मोर्चा कायम रखनेमें कोयी कोशिश अुठा नहीं रखेंगे। हम अपने ध्येय तक किस प्रकार पहुंचें, इसकी तफसीलके बारेमें शायद हमारे बीच मतभेद हों, परंतु कांग्रेसकी कार्यसमिति जो भी निश्चय करेगी उस पर हम वफादारीके साथ कायम रहेंगे।

“वैधानिक मुधारोंके नये कानूनको असफल बना देनेकी कांग्रेसकी मनशा है। यह मुराद तभी बर आयेगी जब कांग्रेसी धारासभा-सदस्योंका हाथ हम धारासभाओंके बाहर रहनेवाले लोग अपने कार्योंमें मजबूत करें। देशने तो कांग्रेसके प्रति अपना विश्वास असंदिग्ध रूपमें प्रगट कर दिया है। चुनावोंमें विजय प्राप्त करके कांग्रेसने अपनी नयी लड़ायी शुरू की है। चुनावोंमें कांग्रेसकी जीत होते ही लंदनके ‘टाइम्स’ पत्र, अंग्लैण्डके दूसरे पत्रों और राजनैतिक पुरुषोंने कांग्रेसको बिना मांगे यह सलाह देना शुरू कर दिया है कि मतदाताओंका विश्वास बनाये रखना ही तो उसे कैसे काम करना चाहिये।

“कांग्रेसने अपने चुनावके घोषणापत्रमें जो कार्यक्रम पेश किया है, उसका भारतके अिन मित्रोंने दूसरा ही अर्थ लगाना शुरू किया है। परंतु भारत तो जानता है कि कांग्रेसको क्या चाहिये और उसका कार्यक्रम क्या है। लोगोंको हमने कोयी झूठी आशा नहीं दिलायी है। चुनावके घोषणापत्रमें बताये गये कार्यक्रममें साफ कह दिया गया है कि भारतवासियोंको क्या चाहिये और स्वराज्य सरकारमें क्या मिलेगा ?”

पद स्वीकार करनेके विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि नये विधानमें गवर्नरोंके पास असीम विशेषाधिकार सुरक्षित रख दिये गये थे, जिस-
 लिअे गवर्नर चाहते तो धारासभामें कांग्रेसका बहुमत होते हुअे भी मंत्री कोअी महत्त्वका काम नहीं कर सकते थे । जिस स्थितिका सामना करनेके लिअे गांधीजीने अेक नया ही नुस्खा निकाला । अुन्होंने कहा कि कांग्रेस तभी मंत्रिमंडल बनाये जब गवर्नर यह आश्वामन दे दें कि वे विधान द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारोंको मनमाने ढंगसे न केवल अिस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु सभी बातोंमें मंत्रिमंडलकी सलाहके अनुसार ही काम करेंगे । महासमितिने गांधीजीकी यह सलाह मान ली और अुभीके अनुसार प्रस्ताव पास किया । जो लोग मंत्रीपद ग्रहण करनेको बहुत अुत्सुक थे वे जिस प्रस्तावसे निराश हो गये । क्यौंकि यह शर्त मंजूर करनेका अर्थ तो विधानकी अुतनी धाराअें रद्द करनेके समान था और ब्रिटिश सरकार अससे महमत नहीं हो सकती थी । जो मंत्रिमंडल बनानेके विरुद्ध थे वे खुश हुअे, क्यौंकि अुन्होंने समझ लिया कि ब्रिटिश सरकार अैसी शर्त कभी स्वीकार नहीं करेगी और मंत्रिमंडल बनाये नहीं जा सकेंगे । महा-
 समितिने कांग्रेसी धारासभा-सदस्योंको आदेश दिया कि वे अपने दलके नेताका चुनाव कर लें और जब गवर्नर मंत्रिमंडल बनानेके लिअे नेताको बुलावें तब वह महासमितिके प्रस्तावकी शर्त पेश कर दे और स्पष्ट कह दे कि यदि आप गवर्नरकी हैसियतसे विशेषाधिकार काममें न लेनेका सार्वजनिक रूपमें विश्वास दिलायें तो ही हम मंत्रिमंडल बनानेको तैयार हैं । महासमितिका यह प्रस्ताव प्रकाशित होनेके साथ ही देशमें बड़ा अूहापोह मच गया । भारत और अंग्लैण्ड दोनोंके कुछ बड़े बड़े विधान-शास्त्रियों और कानून-पंडितोंको लगा कि अैसी मांग बिलकुल गैरकानूनी और अवैधानिक है । हमारे यहां सर तेज बहादुर सप्रने सार्वजनिक रूपमें अपनी राय जाहिर की कि कांग्रेसकी यह मांग बिलकुल बेहूदा है । अुसके विरुद्ध बम्बअीके प्रसिद्ध कानून-पंडित श्री बहादुरजी तथा श्री तारापुरवालाने, जो किसी समय बम्बअीके अंडवोकेट जनरल रह चुके थे, अपना निश्चित मत प्रगट किया कि कांग्रेसकी जिस मांगमें विधानके विरुद्ध कुछ भी नहीं है । कीथ नामक अंग्लैण्डके बड़े विधान-शास्त्रीने भी बताया कि कांग्रेसकी मांग पूरी तरह जायज है । ब्रिटिश मंत्रियोंने साफ कह दिया कि जब तक भारतके वैधानिक सुधारोंके कानूनमें परिवर्तन न कर दिया जाय तब तक गवर्नर कांग्रेसकी मांग मंजूर नहीं कर सकते । गवर्नरोंको जो सुरक्षित विशेषाधिकार दिये गये हैं, वे लोगोंके विशेष वर्गोंके हितोंकी रक्षाके लिअे हैं । अल्पसंख्यक जातियों, ब्रिटिश लोगोंके भारतमें स्थापित हितों, पिछड़े हुअे वर्गों और पिछड़ी हुअी आबादीवाले प्रदेशों तथा देशीराज्यों आदि सबके

हितोंकी रक्षाके लिये गवर्नरोंको कानून द्वारा सुरक्षित विशेषाधिकार दिये गये हैं। जरूरत पड़ने पर अिन वर्गोंके हितोंकी रक्षाके लिये प्राप्त अधिकारोंको अिस्तेमाल करना अनुका कर्तव्य है। कानून द्वारा सौंपे गये कर्तव्योंका पालन न करनेका वचन गवर्नर कैसे दे सकते हैं?

परंतु गांधीजी अपनी सलाह पर दृढ़ रहे। अुन्होंने कहा कि अिस शर्तके बिना हम मंत्रिमंडल बनायेंगे तो हमारी बड़ी भूल होगी। विधानका जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेण्टने पास किया है, अुसकी अेक-अेक धारामें मुझे तो हमारी प्रजाकी स्वराज्य चलानेकी योग्यताके बारेमें सन्देह भरा हुआ दीखता है। और सुधार देकर भी ब्रिटिश लोगोंको हिन्दुस्तानमें ब्रिटिश सत्ता कायम रखनी है। कांग्रेस धारासभाओंमें जाती है तो ब्रिटिश सत्ताको कायम रखनेके लिये नहीं, परंतु स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये जाती है। अिसलिये मंत्रियोंके रोजमरके कामकाजमें गवर्नरोंके दखल देते रहनेसे हमारा काम नहीं चल सकता। हमें तो ब्रिटिश पार्लियामेण्टके पास किये अुअे विधान-संबंधी कानूनको व्यर्थ कर देना है। फिर भी हम वचनकी जो मांग कर रहे हैं अुसका यह अर्थ तो है ही नहीं कि गवर्नर और मंत्रियोंके बीच गंभीर मतभेद पैदा हो जाय तब मंत्रियोंको अलग कर देनेका या धारासभाओंको भंग कर देनेका गवर्नरका अधिकार हम छीन लेना चाहते हैं। हमारा अेतराज तो मंत्रियोंको गवर्नरके हस्तक्षेपके अधीन होना पड़े और अधीन न हों तो अुन्हें त्यागपत्र देना पड़े, अिस स्थितिके लिये है। अैसे अवसर पर मंत्रियोंको निकाल देनेकी जिम्मेदारी हम गवर्नरों पर डालना चाहते हैं। अिस प्रकार हमारी मांगमें विधान या कानूनके विरुद्ध कोअी बात नहीं है। अिस आशयका प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमितिये पास किया।

पहली अप्रैलसे यह नया विधान अमलमें आनेवाला था। अिसलिये नियमानुसार गवर्नरोंको धारासभाओंके बहुमतवाले दलोंके नेताओंको बुलाकर मंत्रिमंडल बनानेके लिये कहना चाहिये था। अलग अलग प्रान्तोंके कांग्रेसी नेताओंको बुलाया गया तो अुन्होंने गवर्नरको कांग्रेसकी शर्त बता दी, और गवर्नरने अुसे माननेमें असमर्थता प्रगट की। अिसलिये मंत्रिमंडल बनानेसे अिनकार कर दिया गया। सरकारने अब दूसरी तरकीब आजमाअी। छः मास तक धारासभाको बुलाये बिना प्रान्तका शासन करनेका गवर्नरको कानूनमें अधिकार था, अिसलिये अल्पमतवाले दलोंमें से मंत्रिमंडल खड़े कर दिये गये—अिस आशामे कि पदोंके लालचसे धीरे धीरे कांग्रेसदलके धारासभा-सदस्योंमें फूट पड़ जायगी। परंतु अैसी कोअी फूट नहीं पड़ी तो तीनेक महीने प्रतीक्षा करनेके बाद ब्रिटिश मंत्रीगण और वाअिसर्राय अपनी

बातसे पीछे हट गये । वाअिसरॉयने २१ जूनको शिमलासे रेडियो पर जो भाषण दिया अउसमें कहा :

“मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेसको जिस प्रकारका भय है अउसे वह सच्चे दिलसे मानती है। परंतु मैं देखता हूं कि वास्तवमें वह भय निराधार है। गवर्नर मंत्रियोंकी नीति और कामकाजमें दखल देनेके मौके नहीं खोजनेवाले हैं। अउन पर जो विशेष जिम्मेदारियां डाली गयी हैं, अउनका अुपयोग भी वे बिना कारण मंत्रियोंके रोजमरकि कामोंमें रुकावट डालकर अथवा अउनका विरोध करके नहीं करेंगे। वैधानिक सुधारोंके कानूनका अुद्देश्य तो यह है कि मंत्रियोंको यह विश्वास हो जाय कि गवर्नर और मुल्की अधिकारियोंके सहयोगसे वे अपने प्रान्तके हितके लिये जो कानून बनाना चाहें सो बना सकते हैं। प्रान्तीय स्वराज्यका अर्थ यही होता है कि मंत्रियोंके क्षेत्रमें आनेवाले मामलोंमें तथा अल्पसंख्यक जातियों संबंधी और सिविल सर्विस संबंधी मामलोंमें भी गवर्नर अपने अधिकारोंका अुपयोग मंत्रियोंकी, जो ब्रिटिश पार्लियामेण्टके प्रति नहीं परंतु प्रान्तीय धारासभाके प्रति जिम्मेदार हैं, सलाह लेकर ही करेंगे। गवर्नरोंको जो अधिकार दिये गये हैं अउनका क्षेत्र बहुत मर्यादित है। लेकिन अउनमें भी वे सदा अपने मंत्रियोंको साथ लेनेका ध्यान रखेंगे।”

वाअिसरॉयने गांधीजीके सुझावको बहुत सहायक और स्वागतके योग्य माना। अुन्होंने कहा :

“गवर्नर और अउसके मंत्रियोंमें गंभीर मतभेद हो जाय तब या तो मंत्री त्यागपत्र दें या गवर्नर मंत्रियोंको पदच्युत करे, यह बात कानूनमें जरूर है। परंतु गवर्नर अपने मंत्रियोंके साथ अैसे झगड़े पैदा करना जरा भी नहीं चाहते। मतभेदके अवसर पर दोनों पक्षोंमें सद्भावपूर्वक समाधान हो जाय, अिसकी वे अपनी तरफसे भरसक कोशिश करनेमें नहीं चूकेंगे। विशेष जिम्मेदारियोंके मामलेमें मंत्रियोंकी सलाहके विरुद्ध चलनेका गवर्नरोंको अधिकार जरूर है, परंतु अिसका यह अर्थ नहीं कि अुन्हें अपनी विशेष जिम्मेदारियोंके मर्यादित क्षेत्रसे बाहरके मामलोंमें प्रान्तके दैनिक प्रबंधमें दखल देनेका कोअी अधिकार है।”

भारत-मंत्रिने भी थोड़े दिन बाद विलायतमें अिसी तरहका भाषण दिया। अउसमें कांग्रेसकी मांगें पूरी तरह और स्पष्ट रूपमें तो स्वीकार नहीं की गयी थीं, फिर भी अउस भाषणकी स्पष्ट ध्वनि यह थी कि गोलमोल ढंगसे

कांग्रेसकी मांगें स्वीकार करके सरकार अुसके साथ समझौता करनेको तैयार है। असलिये जुलाओके पहले सप्ताहमें कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक वर्धामें हुआ, जिसमें अुसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“कार्यसमिति असि निर्णय पर पहुंची है और यह प्रस्ताव पास करती है कि जिन जिन प्रान्तोंमें कांग्रेसियोंको निमंत्रण दिया जाय वहां अुन्हें पदग्रहण करनेकी अनुमति दे दी जाय। परंतु साथ ही कार्यसमिति अितनी बात स्पष्ट कर देना चाहती है कि पदग्रहण और अुसका अुपयोग कांग्रेसके चुनाव-घोषणापत्रमें जो दिशा बतायी गयी है अुसीके अनुसार करना है। कांग्रेसकी नीति अेक तरफसे नये वैधानिक सुधारोंके कानूनके विरुद्ध भरसक लड़ायी लड़नेकी और दूसरी ओर रचनात्मक कार्यक्रमका अमल करनेकी है।”

१३ जुलाओको बंगालके गवर्नर सर जॉन अेण्डर्सनने अेक पुलिस परेडके सम्मुख भाषण देते समय सरकारी नौकरोंकी स्थितिके बारेमें जो सफायी दी, अुससे भी वातावरण बहुत साफ हो गया। क्योंकि अेक विशेष श्रेणीके सरकारी नौकरोंको अलग करनेका मंत्रियोंको अधिकार नहीं था, असलिये अैसी शंका रहती थी कि वे गैरजिम्मेदारीसे व्यवहार कर सकते हैं। बंगालके गवर्नरने अुनकी जिम्मेदारीके बारेमें अिन शब्दोंमें स्पष्टीकरण किया :

“मैं आपके दिल पर यह चीज जमा देना चाहता हूं कि नये विधानमें यह अभिप्रेत नहीं है कि सरकारी नौकरोंकी वफादारियोंमें संघर्ष पैदा हो। क्योंकि भले ही आपकी नियुक्तियां सम्राटकी ओरसे की जाती हों और आप सीधे सम्राटके प्रति जिम्मेदार माने जाते हों, परंतु सम्राटके तमाम अधिकार कानूनके अधीन रहकर काम करनेवाले अुनके वैधानिक सलाहकारों (अर्थात् मंत्रियों)के हाथमें रहते हैं। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरोंके मामलेमें गवर्नरको खास जिम्मेदारी सौंपी गयी है। परंतु अुनकी असि जिम्मेदारीसे कानून और व्यवस्था संभालनेवाले मंत्रियोंकी जिम्मेदारीका निषेध नहीं होता। असलिये सम्राटके नौकर जिस जिस मंत्रीके विभागमें हों अुन्हें अपने हित और रक्षाके लिये अुस मंत्रीके नेतृत्व पर ही आधार रखना है। आपको अपनी बात गवर्नरके ध्यानमें लानी हो तो भी मंत्रीके मारफत ही लायी जा सकती है। सम्राट, सम्राटके सलाहकारों (मंत्रियों) और सम्राटके नौकरोंमें परस्पर विश्वास असि प्रकारकी बुनियाद पर ही रह सकता है। किसी भी व्यवस्थित और प्रगतिशील शासनतंत्रके लिये यह शर्त अनिवार्य रूपमें आवश्यक है।”

कार्यसमितिका प्रस्ताव पास हो जानेके बाद जुलाजी १९३७ में छः प्रान्तोंमें कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाये गये । कुछ समय बाद सीमाप्रान्त और आसाममें कांग्रेसके मंत्रिमंडल बन जाने पर ब्रिटिश भारतके ग्यारह प्रान्तोंमें से कुल आठमें कांग्रेसकी हुकूमत कायम हो गयी ।

अिस सिलसिलेमें दो तात्त्विक प्रश्न उपस्थित हुअे । विधानके कानूनके अनुसार तमाम धारासभा-सदस्यों और मंत्रियोंको ब्रिटिश सम्राट्के प्रति वफादारीकी शपथ लेनी चाहिये थी । कांग्रेसका ध्येय पूर्ण स्वराज्यका था, अिस-लिअे अेक प्रश्न यह पैदा हुआ कि कांग्रेसी अैसी शपथ ले सकते हैं या नहीं । दूसरा प्रश्न यह खड़ा हुआ कि कांग्रेसियोंने विधानको नष्ट करनेका निश्चय किया है, जब कि मंत्रीपद स्वीकार करनेसे कांग्रेसी विधानका अमल करनेमें भाग लेते हैं । तो यह स्थिति कांग्रेसके प्रस्तावके साथ सुसंगत है या नहीं ?

पहले हम शपथका प्रश्न लें । अिस बारेमें गांधीजीके 'हरिजन' पत्रमें अुस समय काफी चर्चा हुअी थी । वफादारीकी शपथके बारेमें गांधी-सेवा-संघके सम्मेलनमें गांधीजीने कहा कि अैसी शपथ लेनेके मामलेमें जिन्हें अन्तःकरणकी बाधा हो वे धारासभाओंमें जायेंगे ही नहीं । परंतु यह कोअी धार्मिक शपथ नहीं है । मैं जिस प्रकार विधानको समझता हूं अुसके अनुसार तुरंत और पूर्ण स्वराज्यकी मांगके साथ यह शपथ असंगत नहीं है । धार्मिक और अधार्मिक शपथमें फर्क बताते हुअे अुन्होंने दूसरे अवसर पर समझाया कि विधानकी रूसे ली जानेवाली शपथका अर्थ विधान तय करता है अथवा प्रणालीके अनुसार निश्चित होता है । मैं जिस प्रकार ब्रिटिश विधानको समझता हूं अुसके अनुसार वफादारीकी शपथका अर्थ अितना ही होता है कि धारा-सभाका सदस्य अपनी नीति अथवा अपने मुद्देकी हिमायत विधानके अनुसार करे । श्री किशोरलालभाअीने अैसी शपथका स्पष्टीकरण अधिक विस्तारसे किया और गांधीजीने अुनकी दलीलका समर्थन किया । विधानकी रूसे ली जानेवाली शपथका अर्थ समझाते हुअे श्री किशोरलालभाअीने लिखा कि :

“ वफादारीकी शपथके अर्थके बारेमें बड़ी अुलझन पैदा हो गयी है । अिसका कारण यह है कि विधान बनानेवाले या शपथका अर्थ करनेके अधिकारी लोग अिस शपथका जो अर्थ लगाते हैं, अुसे और साधारण आदमी शपथका जो अर्थ लगाते हैं अुसे हम मिला देते हैं । सामान्य मनुष्य तो सम्राट्के प्रति वफादारीकी शपथका अर्थ यहां तक करेगा कि राजाके प्रति अैसा भक्तिभाव रखा जाय कि अुसके लिअे शपथ लेनेवालेको मरनेके लिअे भी तैयार रहना चाहिये, और वह यह

अर्थ भी करता है कि अकेले बार सौगन्द ले ली कि जीवन भरके लिये हम बंध गये । परंतु विधानकी रूसे ली जानेवाली सौगन्दका असा अर्थ अचित नहीं माना जायगा । प्रसिद्ध विधान-शास्त्रियोंकी रायके अनुसार मैं यह समझा हूं कि असी सौगन्द लेनेवालेके लिये तभी तक बन्धनकारक होती है जब तक वह उस संस्थाका सदस्य हो । जब तक वह सदस्य रहे तब तक राजाके विरुद्ध हथियार अुठाकर वह बलवा नहीं करेगा और न उसकी जान लेनेमें भाग लेगा । यद्यपि विधानके अनुसार कारवाजी करके उसे ये कृत्य करनेकी भी आजादी अवश्य है । विधानके अनुसार अुपाय करके धारासभा-सदस्य सौगन्दके शब्दोंमें फेरबदल करा सकते हैं अथवा सौगन्दको बिलकुल रद्द भी करा सकते हैं । राजाको पदच्युत कर सकते हैं अथवा राजाको फांसीकी सजा भी दे सकते हैं । परंतु जब तक धारासभा प्रस्ताव पास न कर दे, तब तक सौगन्द लेनेवाला कोअी भी धारासभा-सदस्य धारासभामे त्यागपत्र दिये बिना राजाके विरुद्ध हिसक विद्रोह नहीं कर सकता ।”

गांधीजीने अके दलील यह भी दी कि पूर्ण स्वराज्य लेनेका हमारा आन्दोलन यदि अस सौगन्दके साथ असंगत होता तो जिस समय कांग्रेसी धारासभाओंके लिये अुम्मीदवार खड़े हुअे तभी सरकारने अंतराज किया होता ।

हम धारासभाओंमें विधानको विफल करनेके लिये जा रहे हैं, असका अर्थ बहुतसे कांग्रेसियोंने यह किया था कि धारासभामें जाकर हर बातमें हम आपत्तियां अुठायेगे, झगड़े करेंगे और अस प्रकार धारासभाओंको सरकारके साथ मल्लयुद्धका अखाड़ा बना देंगे । परंतु अस बारेमें गांधीजीने साफ कह दिया कि :

“हम पदग्रहण असलिये नहीं कर रहे हैं कि हमें विधानका सांगोपांग अमल करना है; लेकिन असका यह अर्थ भी नहीं कि हमें बार बार गति-अवरोध अुत्पन्न करना है । जब तक हम धारासभाओंमें बैठे होंगे तब तक तो हम उसके कानूनकी मर्यादामें रहकर ही चलेंगे । परंतु नरम विचारके नेता जिस ढंगसे विधानका अमल करनेकी बात समझते हैं या अन्तरिम कालमें पदारूढ मंत्रियोंने जिस ढंगसे विधानका अमल किया उस ढंगसे हम उसका अमल नहीं करग । जो सत्ता हमें बैधानिक रूपमें मिली है उसका अुपयोग हमें अस ढंगसे करना है कि विधानका कानून बनानेवालोंका अुद्देश्य

विफल हो जाय। हम विधानका पालन तो कानूनके अनुसार ही करेंगे, परंतु सरकारने जो अपेक्षा रखी है उस तरह नहीं करेंगे।”

बम्बयी प्रान्तमें कांग्रेसका मंत्रिमंडल बन जानेके बाद सरदारने मंत्रियोंसे पहला काम यह कराया कि १९३२ से १९३४ की पिछली लड़ाईमें गुजरात तथा कर्नाटकमें जिन किसानोंकी जमीनें सरकारने जब्त करके बेच डाली थीं अन्हें वे वापस दिला दीं। इस अेक कामके लिये भी सरदार पदग्रहण करनेको अुत्सुक थे। किसानोंको सरदारने विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी जमीनें तुम्हारा द्वार खटखटाती हुअी वापस आयेंगी। यों कहना चाहिये कि बम्बयीके गवर्नरने इस मामलेमें बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रुख रखा और अच्छी सहायता दी। हां, अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० गैरेटने इस काममें अड़गे डालनेकी भरसक कोशिश की। परंतु अुनकी कुछ चली नहीं।

कांग्रेसने आठ प्रान्तोंमें लगभग दो वर्ष तक हुकूमत की। इस असेंमें अुपरोक्त नीतिका पालन करते हुअे कुछ प्रान्तोंके गवर्नरोंके साथ कठिनाअियां और संघर्ष भी अुत्पन्न हुअे। परंतु अुनकी तफसीलमें जानेसे पहले बम्बयी प्रान्तमें धारासभाके नेताके चुनावके मामलेमें जो बड़ा विवाद अुठ खड़ा हुअा था अुसका वर्णन करेंगे।

श्री नरीमान बंबयी प्रान्तीय कांग्रेसके सभापति थे और नेता बननेकी अिच्छा रखते थे। अितना ही नहीं, यह भी मानते थे कि वे ही नेता चुने जाने चाहिये। धारासभाने अुन्हें नेता चुननेके बजाय श्री बालासाहब खेरको नेता चुना। श्री नरीमानने सरदार पर यह अिलजाम लगाया कि अुन्होंने अपने प्रभावका दुरुपयोग करके और द्वेषभाव रखकर अुन्हें बम्बयीकी धारासभाका नेता नहीं चुना जाने दिया। इस कारण बम्बयीका वायुमण्डल कुछ बिगड़ा भी। अन्तमें यह चीज पंचके सुपुर्द की गअी। पंचने सारे प्रमाणोंकी जांच करके घोषणा की कि सरदारका असमें कोअी दोष नहीं था। असका विस्तृत वर्णन अगले अध्यायमें देंगे।

नरीमान कांड - १

नरीमानके आक्षेप

चुनावोंके परिणाम प्रकाशित हो जानेके बाद कांग्रेस पदग्रहण करे या नहीं, इस मामले पर विचार करनेके लिये मार्च १९३७ के तीसरे सप्ताहमें दिल्लीमें महासमितिकी बैठक होनेवाली थी। उसीके साथ १९ और २० मार्चको कांग्रेसके निर्वाचित धारासभा-सदस्योंका एक सम्मेलन रखा गया था। उस सम्मेलनके पहले भिन्न भिन्न प्रान्तोंके धारासभा-सदस्योंको अपने-अपने नेताका चुनाव कर लेना था, ताकि उन नेताओं द्वारा सम्मेलनमें विचार करनेमें सुगमता रहे। इस योजनाके अनुसार १२ मार्चको बम्बयी प्रान्तीय धारासभाके सब सदस्योंकी एक सभा बम्बयीके कांग्रेसभवनमें हुई और उसमें श्री बालासाहब खेरको सर्वसम्मतिसे बंबयी प्रान्तके धारासभा दलका नेता चुन लिया गया। श्री नरीमान स्वराज्य दलके समय बंबयीकी धारासभामें स्वराज्य दलके नेता थे। इसके सिवा वे बम्बयी प्रान्तके पार्लमेण्टरी बोर्डके भी चेयरमेन थे। और अपने दीर्घकालीन कांग्रेसकार्यके कारण तथा अपनी होशियारीके कारण यह आशा रखते थे और विश्वासपूर्वक मानते थे कि धारासभा-सदस्य अन्हींको अपना नेता चुनेंगे। परंतु १२ मार्चको सुबह अन्हें पता चल गया कि धारासभा-सदस्य अन्हें नेता नहीं चुनेंगे। इसलिये वे बैठकमें उपस्थित नहीं हुए। दूसरे ही दिनसे बम्बयीके गुजरातीमें निकलनेवाले पारसी अखबारोंने और अंग्रेजी पत्र 'वाॅम्बे सेंटीनल' ने जबरदस्त आन्दोलन मचाया कि नरीमानके साथ बड़ा अन्याय हुआ है; यद्यपि धारासभा-सदस्य नरीमानको चुनना चाहते थे फिर भी सरदारने अपना प्रभाव काममें लेकर और धारासभा-सदस्यों पर अनुचित दबाव डालकर नरीमानको नहीं चुनने दिया।

१५ मार्चको अखबारोंमें एक वक्तव्य देकर श्री नरीमानने सूचित किया कि :

“कैसे भी हुआ हो, एक व्यक्तिके चाहे जितने हक हों, परंतु एक कठोर अनुशासनप्रिय वफादार कांग्रेसीके रूपमें मुझे बहुमतका फैसला आनंदपूर्वक और किसी भी असंतोषके बिना स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि मैं यह कहूं कि इस चुनावसे मेरा जी नहीं दुखा, तो

वह अप्रामाणिकता होगी। परंतु मुझमें अनुद्यासनकी अितनी भावना है और सार्वजनिक कर्तव्यका मुझे अितना भान है कि राष्ट्रीय कार्यमें मे अपनी भावनाओंको बाधक नहीं होने दूंगा। अिसलिये जब तक श्री खेर हमारे दलके चुने हुअे नेता हैं तब तक पूरे दिलसे और सच्ची निष्ठासे अुन्हें सहयोग देनेकी हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिये।”

अिसमें अपने साथ अन्याय होनेकी अुनकी मान्यताकी ध्वनि स्पष्ट नजर आती है।

दिल्लीमें कार्यसमिति और महासमितिकी बैठक १५ मार्चसे शुरू हुअी थी, अिसलिये बहुतसे धारासभा-सदस्य तभीसे दिल्ली पहुंच गये थे। बम्बअीके अखबारोंका अनिष्ट प्रचार देखकर १६ मार्चको बम्बअी प्रान्तके दिल्लीमें अुपस्थित ४७ धारासभा-सदस्योंके हस्ताक्षरोंसे अेक वक्तव्य प्रकाशित किया गया। अुसमें कहा गया :

“हमारे दलके नेताके तीर पर श्री खेरका चुनाव होनेके मामलेमें बंबअीके कुछ समाचारपत्रोंमें सरदार वल्लभभाअीके विरुद्ध जो मान-हानिकारक प्रचार हो रहा है, अुसमें हमें बड़ा दुःख होता है। १२ मार्चको बम्बअीमें हुअी धारासभाके कांग्रेसदलकी बैठकमें हम सब मौजूद थे। अुसमें श्री खेरको सर्वमम्मतिसे नेता चुना गया था और अन्य पदाधिकारी मनोनीत करनेका अुन्हें अधिकार दिया गया था। सरदारकी तरफसे किसी भी सदस्य पर कोअी अनुचित दबाव डाले जानेकी बात सर्वथा निराधार और झूठी है। अिसलिये हम कांग्रेसके अध्यक्षसे प्रार्थना करते हैं कि वे अेक वक्तव्य प्रकाशित करके राष्ट्रीय जीवनमें जहर फैलानेवाले अिस प्रचारकी निन्दा करें और अिसे वन्द करनेकी कोशिश करें।”

अिस बीच यह गिनागत करनेवाले कुछ पत्र कांग्रेसके अध्यक्ष और कार्यसमितिके नाम आये कि श्री नरीमानके साथ अन्याय हुआ है। अिस पर कार्यसमितिके अिस मामलेकी पूरी जांच करके निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“बम्बअीके अखबारोंमें जो प्रचार हो रहा है अुसे देखकर कार्यसमितिके बड़ा आश्चर्य और दुःख होता है। अिस मामलेमें कार्य-समितिके तफमीलमें जाकर जांच की है और श्री नरीमान द्वारा पेश की हुअी बहुत लंबी कैफियत सुनी है। अुस परसे समितिके विश्वास हो गया है कि बम्बअीकी धारासभाके कांग्रेसदलके स्वतंत्र

रूपमें, विचारपूर्वक और सर्वसम्मतिसे जो चुनाव किया है उसमें दखल देनेका उसे कोई कारण दिखायी नहीं देता। समितिको यह भी अितमीनान हो गया है कि दलके निर्णयके विरुद्ध जो प्रचार किया गया है वह सर्वथा निराधार और प्रान्तके सार्वजनिक जीवन और कांग्रेसकार्य दोनोंके लिये हानिकारक है। यह समिति उसकी निन्दा करती है। यदि समितिको यह माननेका कारण मालूम होता कि किसी भी मनुष्यके अनुचित व्यवहारसे चुनाव पर असर पड़ा है अथवा, जैसा आक्षेप किया जाता है, सरदार वल्लभभाभी पटेलके अनुचित दबावसे नेताका चुनाव किया गया है, तो समिति अवश्य दुबारा चुनाव करनेकी आज्ञा देती। परंतु अंसा करनेका समितिको थोड़ा भी कारण दिखायी नहीं दिया। धारासभाके सदस्योंके सम्मेलनके लिये दिल्लीमें अपुस्थित ४७ सदस्योंने लिखित घोषणा की है कि श्री खेरका चुनाव स्वतंत्र रूपमें और सर्वसम्मतिसे हुआ है। इसलिये यह समिति उस चुनावको बहाल रखती है और समाचारपत्रों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियोंसे अपील करती है कि वे अपने नेताके चुनावके मामलेमें सब दृष्टियोंसे विचार करके दलके द्वारा किये गये अंतिम निर्णयके विरुद्ध प्रचार बन्द कर दें। हम यह मानते हैं कि आगे भी प्रचार जारी रखा जायगा तो उसका अर्थ यह होगा कि दलको धमकियोंसे डरानेका प्रयत्न हो रहा है। इसलिये कांग्रेसके अुद्देश्यों और हेतुओंके साथ जिनकी हमदर्दी है अैसे तमाम लोगोंमें हम प्रार्थना करते हैं कि वे इस प्रकारकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन न दें।”

बम्बयी लौट आनेके बाद २३ मार्चको श्री नरीमानने अखबारोंमें वक्तव्य प्रकाशित करके बताया :

“राष्ट्रकी सर्वोच्च सताने जो फैसला दे दिया उसे मुझे अंतिम समझना चाहिये। जो सच्चे और वफादार कांग्रेसी हैं उन्हें इस खेदजनक कांडको समाप्त हुआ मानना चाहिये।”

परंतु इसीके साथ वे यह भी कहनेमें नहीं चूके कि :

“अेक छोटी जातिके अदना सेवकको न्याय दिलानेके लिये उसके अितने अधिक हिन्दू मित्रों और प्रशंसकोंने विरोध अुठाया, यह मेरे लिये बहुत संतोषकी बात है।”

अखबारोंका प्रचार तो जारी ही रहा। उसमें श्री गंगाधरराव देशपांडे, श्री शंकरराव देव और श्री अच्युत पटवर्धनके नाम सरदारके साथियोंके

रूपमें बहुत लिये जाते थे, इसलिये अन्होंने २६ मार्चको अखबारोंमें वक्तव्य प्रकाशित करके कहा :

“हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि सरदार वल्लभभाभी पटेलन स्वयं इस मामलेमें कोअी भाग नहीं लिया और अेक भी मतदाता पर अपना असर नहीं डाला। कुछ सदस्यों और संस्थाओंके साथ चर्चा करने पर हमें स्वयं अैसा लगा कि कांग्रेस जो नये प्रयोग आरंभ कर रही है अुन्हें अच्छी तरह सफल बनानेके लिये धारासभा-दलका नेता अैसा होना चाहिये, जिस पर सदस्योंके बहुत बड़े भागका विश्वास हो। इस प्रकार सब जिन्हें अपने नेताके रूपमें स्वीकार कर सकें अैसे व्यक्ति हमें श्री खेर ही मालूम हुअे। जब १२ तारीखकी शामको कांग्रेसदलके धारासभा-सदस्य अपना नेता चुननेके लिये जमा हुअे थे, तब लगभग पंद्रह सदस्योंके सिवा और सब श्री खेरको चुननेके मतमें थे, इसलिये अुनका नाम नेताके लिये पेश किया गया और सबने सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर लिया।”

यह सब हो जाने पर भी बम्बईके कुछ अखबारोंमें यह विपैला प्रचार जारी ही रहा। १२ मअीको श्री नरीमानने कांग्रेसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलालजीको अेक लंबा पत्र लिखकर बताया :

“१७ मार्चकी कार्यसमितिकी बैठकमें जब मुझसे पूछा गया, तब मैंने सरदार वल्लभभाभी पर यह आक्षेप किया था कि श्री शंकरराव देव तथा श्री गंगाधरराव देशपांडे द्वारा महाराष्ट्र तथा कर्नाटकके धारासभा-सदस्योंके मत बदल डालनेके लिये मुख्यतः सरदार ही जिम्मेदार हैं। वहां मैंने यह भी कहा था कि चार दिन पहले अर्थात् ८ मार्चको महाराष्ट्रके तीस धारासभा-सदस्य चायपानके लिये अिकट्ठे हुअे थे और अुन्होंने मुझे (श्री नरीमानको) मुख्यमंत्री बनानेका निश्चय किया था। यह बात मराठी पत्र ‘नवाकाल’ में प्रकाशित हुअी और दूसरे पत्रोंमें भी छपी। सरदार वल्लभभाभी पटेलने ९ मार्चको यह खबर पढ़ी तो अुसी दिन अहमदाबादसे अुन्होंने श्री शंकरराव देव तथा श्री गंगाधररावके नाम निम्नलिखित तार भेजे :

‘श्री शंकरराव, पूनाकी खबरोंसे मुझे चिन्ता होती है। अच्युत और आप मुझसे बम्बईमें गुरुवार (ता० ११) को मिलिये।’

“दूसरा तार गंगाधररावको :

‘मुझसे गुरुवारको बम्बईमें मिलिये।’

“ये तार अभी मेरे हाथमें आये हैं, असलिये सरदार वल्लभभाजीके अनुचित व्यवहारका नया प्रमाण मेरे हाथ लगा है। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूँ। श्री शंकरराव देव, श्री गंगाधरराव तथा श्री अच्युत पटवर्धन ११ मार्चको बम्बयी आये और १२ तारीखको महाराष्ट्रके धारासभा-सदस्य बम्बयीके सरदारगृहमें जमा हुअे। उस समय अन्होंने सरदारके कहनेसे मेरे विरुद्ध सदस्योंके कान भरे। यह कहकर कि मैंने १९३४ में बड़ी धारासभाके चुनावके समय कांग्रेसको घोखा दिया था, अन्होंने यह प्रचार भी किया कि मैं धारासभाका नेता होनेके लायक नहीं हूँ। मैं असि खेदजनक और अरुचिकर कांडको फिरसे छेड़ना नहीं चाहता। केवल आपकी न्यायबुद्धिसे अपील करना चाहता हूँ कि अिन तारोंमें अितना संतोषजनक प्रमाण मिलने पर भी आप क्या अभी तक सरदार वल्लभभाजीका यह कहना मानते हैं कि असि कांडमें अुनका कोअी हाथ नहीं था? दूसरे प्रातोंमें तो प्रांतीय समितिके अध्यक्षोंने या दूसरे नेताओंने धारासभाके नेताके चुनावमें कोअी दखल नहीं दिया। यह धारासभाके चुने हुअे सदस्योंके हककी बात है। परंतु बम्बयी प्रांतमें श्री वल्लभभाजीने बड़ा हस्तक्षेप किया है। अिन तारोंमें आप देख सकेंगे कि श्री वल्लभभाजी पटेलकी गलतबयानीमें प्रभावित होकर कार्यसमितिके मेरे विरुद्ध अन्यायपूर्ण, अिकतरफा और थोड़ा कठोर प्रस्ताव पास किया है। असि प्रकरणमें सरदार बिलकुल निर्दोष हैं, अंसा अखबारी बयान अुनकी अिच्छानुसार प्रकाशित करनेमें मैंने अिनकार कर दिया था, असलिये मुझे यह भय रखनेके अुचित कारण हैं कि वे भविष्यमें मुझे और भी सतायेंगे। वे पार्लमेण्टरी सब-कमेटीके चेयरमन हैं, असलिये यह न्यायपूर्ण नहीं है कि मेरा भावी पार्लमेण्टरी जीवन अुनकी दया पर निर्भर रहे।”

अुसी पत्रमें अुन्होंने फिरसे लिखा :

“यद्यपि असि कांडको मैं फिरसे छेड़ना नहीं चाहता, परंतु मुझे जो अधिक प्रमाण मिल गया है अुसमें संस्थाके अध्यक्षके नाते आपको परिचित करना अपना फर्ज समझकर मैंने आपको लिखा है, ताकि असि सारे कांडका आपको सही और न्यायपूर्ण खयाल हो सके।”

अुस समय पंडित जवाहरलालजी बर्मा और मलायाकी यात्रा पर गये हुअे थे, असलिये यह पत्र अुन्हें वहां भेज दिया गया। असि बीच अपरोक्त दो

तारोंका फोटो-प्रिंट बम्बयीके 'कैसेरे हिन्द' तथा दूसरे पत्रोंमें अिस आलोचनाके साथ प्रकाशित हुआ कि सरदारने कर्नाटक और महाराष्ट्रके धारासभा-सदस्यों पर दबाव डाला था, जिसका निर्णायक प्रमाण अिन तारोंसे मिल जाता है । ९ जूनको श्री शंकरराव देव और श्री अच्युत पटवर्धनने अखबारोंमें अेक वक्तव्य प्रकाशित करके तारोंके बारेमें स्पष्टता की । अन्होंने बताया :

“ महाराष्ट्रकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक ७ मार्चको हुअी थी और अुसने बहुमतसे निश्चय किया था कि कांग्रेस पद स्वीकार न करे । परंतु महाराष्ट्रके नये चुने हुअे धारासभा-सदस्य पदग्रहण करनेके मतके थे । अिसलिये दूसरे ही दिन, ८ मार्चको चायपानके समारोहमें अेकत्र होकर अवैध रूपमें अन्होंने पदग्रहण करनेका निश्चय किया । अितना ही नहीं, यह भी निश्चय किया कि वीर नरीमान प्रधानमंत्री वनें और प्रत्येक प्रान्तके धारासभा-सदस्योंकी संख्याके अनुमार वहांके मंत्री रखे जायं । मंत्रियोंके नाम भी मुझाये गये । यह चीज ९ मार्चको अखबारोंमें सरदारने पढ़ी तो अन्हें लगा कि अभी तो कांग्रेसकी महासमितिके यह भी तय नहीं किया कि पद स्वीकार किये जायं या नहीं; अैसी हालतमें कुछ धारासभा-सदस्य पदग्रहण करनेका निर्णय कर लें और अुनका वंठवारा भी करने लगें तो अिसका वातावरण पर बहुत दुरा असर हो सकता है । कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डके अध्यक्षकी हैसियतसे सरदारको लगा कि अिस प्रकारकी गैरजिम्मेदारी और पदोंके लोभसे भरी हुअी चर्चियें बन्द करनी चाहिये । अिसलिये अन्होंने हमें तार देकर बुलवाया था । श्री गंगाधररावको भी अिसी खयालसे बुलवाया था कि यद्यपि वे कर्नाटकमें काम करते हैं, परंतु तिलक महाराजके पुराने साथी और वयोवृद्ध नेताके नाते महाराष्ट्रके कार्यकर्ताओं पर अुनका बड़ा असर है । अिसलिये हम तीनों मिल कर महाराष्ट्रके धारासभा-सदस्योंको अैसी हानिकारक चर्चियें न करनेको समझाये । तार देकर हमें बुलवानेमें सरदारका हेतु श्री नरीमानके विरुद्ध प्रचार करनेका जरा भी नहीं था । ”

११ जूनको श्री गंगाधरराव देशपांडेने भी अिसी आशयका वक्तव्य प्रकाशित किया । परंतु बंबयीके समाचारपत्रोंने अिन तारोंको लेकर तिलका ताड़ बना लिया था और सरदार पर विचित्र आरोप लगाने शुरू कर दिये थे । जूनके मध्यमें जवाहरलालजी बर्मा-मलायाकी यात्रासे लौटे तब ये सब आक्षेप और दायित्वहीन प्रचार देखकर अन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । अिस

चीजको दबा देनेके लिये १६ जूनको अलाहाबादसे अन्होंने अखबारी वक्तव्य प्रकाशित करके तारोंका स्पष्टीकरण किया। अन्होंने कहा :

“अिस प्रकारकी बातें दूसरे प्रान्तोंके धारासभा-सदस्योंमें भी हो रही हैं, यह बात हमारी जानकारीमें आजी थी और कार्यसमितिमें हमने तय भी किया था कि कांग्रेसी धारासभा-सदस्य पद स्वीकार करनेके लिये आतुर है, अंसी छाप लोगों पर और सरकार पर डालनेवाली सारी प्रवृत्तियोंकी निन्दा की जाय। मैंने अुस समय अिस संबंधमें अखबारोंमें अेक वक्तव्य भी प्रकाशित किया था। सरदार वल्लभभायीने महाराष्ट्रके नेताओंको तार देकर बुलाया, वह हमारे अिस प्रकारके निर्णयका ही परिणाम था। जिस दिन अन्होंने तार दिये थे अुसी दिन अन्होंने मुझे पत्र भी लिखा था कि महाराष्ट्रमें अंसी बातें हो रही हैं और अन्हें रोकनेके लिये मैंने श्री गंगाधरराव देशपांडे वगैराको बम्बयी बुलाया है।”

१७ जूनको श्री नरीमानको भी पत्र लिखा, जिसमें यह बात समझाजी। १२ मअीके श्री नरीमानके पत्रमें अुठाये गये दूसरे प्रश्नोंका जवाब देते हुअे अन्होंने लिखा :

“आप गुप्त बैठकों और प्रचारके बारेमें जो लिखते हैं, अुममें तो मुझे अिसके सिवा कुछ नहीं दीखता कि आपने अपनी कल्पनाके घोटोंको बेलगाम दौड़ने दिया है। आपने जो लिखा है अुसमें वस्तुस्थितिको सच्चे रूपमें देखनेकी वृत्तिका अभाव जान पड़ता है। आप लिखते हैं कि प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्ष धारासभा-दलके नेताके चुनावमें क्यों भाग लें? यह बात बिलकुल ठीक नहीं है। सारी कांग्रेस कार्यसमितिको और अुसके सदस्योंको व्यक्तिगत हैसियतमें अंसे चुनावमें जरूर दिलचस्पी लेनी चाहिये। क्योंकि हमारी भावी लड़ायीमें अिस चीजका महत्त्वपूर्ण हाथ रहेगा। अेक व्यक्तिगत बातको आप जरूरतसे ज्यादा तूल दे रहे हैं और किसी टोम आधारके बिना जिम्मेदार आदमियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपकी अिच्छा ही तो मैं आपका पत्र कार्यसमितिके सामने पेश कर दूं। परंतु मुझे नहीं लगता कि अंसा करना आपके लिये किसी भी तरह सहायक होगा।”

अुसके बाद लगभग अेक महीने तक श्री नरीमानने जवाहरलालजीमें पत्रव्यवहार जारी रखकर अन्हें लंबे लंबे पत्र लिखे। ५ से ८ जुलाअीके बीचके दिनोंमें वर्धामें कार्यसमितिकी बैठक हुअी। बंबअीके अखबारोंमें विपैला प्रचार

तो जारी ही था, असलिये पंडित जवाहरलालने श्री नरीमानकी बात समझनेके लिये अन्हें रूबरू बुलाया। अनकी शिकायतोंके बारेमें पूछने पर श्री नरीमानने बताया कि मैं नहीं चाहता कि दिल्लीके निर्णय पर पुनर्विचार हो। तब पंडित जवाहरलालजीने कहा कि चूंकि चार महीनेमें समाचारपत्रोंमें प्रचार हो रहा है, असलिये आपके जो भी आक्षेप हैं वे मुझे निश्चित रूपमें बताइये। श्री नरीमानने जवाब दिया कि मैं तुरंत तो नहीं बता सकता, परंतु बंबई जाकर मुझे जरूरी जान पड़ेगा तो आपके पास लिखकर भेज दूंगा। यह बात लिखित रूपमें रहे, अिसलिये ८ जुलाईको श्री जवाहरलालने श्री नरीमानको लिखा :

“आपके पत्र बहुत लंबे होते हैं, फिर भी उनमें कोसी स्पष्टता नहीं होती। अतः मुझे यह समझना कठिन हो जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या चाहिये और आपके निश्चित आरोप क्या हैं। अेक तरफसे आप यह कहते हैं कि आपको सताया जा रहा है और अुसके विरुद्ध आपको संरक्षण चाहिये। दूसरी तरफसे आप यह कहते हैं कि यह बात मैं फिरसे अुठाना नहीं चाहता। और यह भी कहते हैं कि यह बात अुठानी जाय तो मेरे मामलेकी पूरी जांच होनी चाहिये। यह सारी चीज बिलकुल अस्पष्ट हैं। अिसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्पष्ट बतायें कि अिस मामलेमें आपकी क्या स्थिति है। दूसरे, सरदार वल्लभभाअी पटेल और दूसरे लोगोंके विरुद्ध आप जो तरह तरहके आरोप लगाते हैं और शिकायतें करते हैं, उनकी सूची मुझे आप स्पष्ट और निश्चित भाषामें दीजिये। अैसी सूची मेरे सामने हो तो ही हमारी समझमें आये कि आपको क्या चाहिये और हमसे आप क्या करवाना चाहते हैं। मेरे अिन प्रश्नोंका आप मुझे अुत्तर दें तो कार्यसमितिमें उन पर विचार हो सके।”

कार्यसमितिकी बैठक समाप्त हो जानेके बाद ९ जुलाईको सरदारने गांधीजीकी सलाह और आग्रहसे वर्धासे निम्नलिखित वक्तव्य निकाला :

“बम्बई धारासभाके कांग्रेसदलके नेताके चुनावके मामलेमें अखबारोंमें दुःखद चर्चा हो रही है। अब तक मैंने अिस बारेमें जान-बूझकर और प्रयत्नपूर्वक मौन रखा है। परंतु मेरे खयालसे जनताकी जानकारीके लिये अेक छोटासा वक्तव्य निकालनेका समय मेरे लिये आ गया है।

“श्री नरीमानका कहना यह है कि नेताके चुनावके मामलेमें मैंने अनुचित प्रभाव काममें लिया है। कहा जाता है कि मैंने

श्री गंगाधरराव देशपांडे, श्री शंकरराव देव और श्री अच्युत पटवर्धनके द्वारा दबाव डलवाया । अन्होंने इस बातसे स्पष्ट शब्दोंमें अनिकार किया है, फिर भी आक्षेप लगाना जारी ही है । जनता यह भी जानती है कि धारासभाके सदस्योंने बहुत बड़ी संख्यामें लिखित वक्तव्य निकाल कर अनि आक्षेपोंसे अनिकार किया है । अब मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हूँ कहता हूँ कि मैंने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह नेताके चुनाव पर असर नहीं डाला । असल बात यों हुआ : ४ मार्चको सुबह श्री नरीमान मेरे यहां आये और मुझे खानगी मुलाकात चाही । मैं तो अभी समय अनि बात करनेको तैयार था । परंतु अनिके मुझाव पर यह प्रबंध किया गया कि हम शामको वरली पर घूमने जायं । तदनुसार वे मुझे अपनी गाड़ीमें वरली ले गये । वहां अन्होंने मुझे अपने नेता चुने जानेमें सहायता देनेकी मांग की । मैंने कारण बताकर अनिमे कह दिया कि मैं मदद नहीं कर सकूंगा । साथ ही यह भी बता दिया कि अनिके विरुद्ध मैं किसी पर भी असर नहीं डालूंगा ।

“यह दिखानेको कि मैंने श्री नरीमानके विरुद्ध धारासभा-सदस्यों पर असर डालनेका आन्दोलन किया, श्री शंकरराव देव और श्री गंगाधरराव देशपांडेको दिये गये मेरे तारोंका अपुयोग हो रहा है । यह अच्छा है कि अनि दोनों सज्जनोंने अनि तारोंका संबंध श्री नरीमानके साथ न होनेकी बात अखबारोंमें स्पष्ट कर दी है । श्री नरीमान और जनता दोनों जानते हैं कि जब जब मुझे अंसा लगा कि फलां कामोंके लिअे श्री नरीमान योग्य हैं तब तब वे जिम्मेदारीके काम मैंने श्री नरीमानको सौंपे हैं । अनिके प्रति या और किसीके प्रति भी मुझे व्यक्तिगत द्वेषभाव नहीं हो सकता । यह भी कहा गया है कि श्री नरीमानके नेता न चुने जानेकी तहमें माम्प्रदायिक विचार था । यह बिलकुल झूठी और विपैली भावनावाली बात है । मुझे खुशी है कि श्री नरीमान स्वयं स्वीकार करते हैं कि असिसे पीछे कोअी सांप्रदायिक भाव नहीं था ।

“गांधीजीने मेरी तरफसे श्री नरीमानको कह दिया है कि मेरे विरुद्ध शिकायतोंकी जांच निष्पक्ष पंच द्वारा करा ली जाय । गांधीजीके अिस मुझावका मैं स्वागत करता हूँ ।”

सरदारने यह वक्तव्य प्रकाशित किया तो श्री नरीमानने फिर अखबारोंमें वक्तव्योंकी झड़ी लगा दी । असिलिअे १४ जुलाअीको गांधीजीने श्री नरीमानको निम्न पत्र लिखा :

“आपका आखिरी वक्तव्य मैंने अभी देखा। अउससे मुझे आश्चर्य होता है और दुःख भी होता है। मुझे पता नहीं कि आपको जांचकी बात छोड़ देनेकी सलाह किसने दी। आप स्वयं नहीं चाहते थे कि कार्यसमिति अिस मामलेकी जांच करे, क्योंकि आपके अपने ही शब्दोंमें कहा जाये तो आपका खयाल था कि चूंकि कार्यसमितिके सदस्य अिसमें फंसे हुअे हैं, अिसलिले वह अिस मामलेकी जांच निष्पक्ष ढंगसे नहीं कर सकती। अिस पर मैंने आपसे कहा कि मुझे सरदारकी तरफसे विश्वास दिलाया गया है कि कार्यसमितिको ढीचमें लाये बिना आपको निष्पक्ष जांच मिल सकेगी। क्योंकि आपकी शिकायत कार्यसमितिके विरुद्ध नहीं परंतु अुसके कुछ सदस्योंके विरुद्ध है। यदि वे सदस्य जांचकी बात स्वीकार करते हों तो कार्यसमितिको कोअी आपत्ति नहीं हो सकती। अब आप अपने वक्तव्योंमें दो नअी बातें ले आये हैं। अिसमें जो असंगतता है, अुसे आप क्या देख नहीं सकते ?

“अिसके सिवा अैसा भी लगता है कि आप सरदारके वक्तव्यसे क्रुद्ध हुअे हैं। सही बात यह है कि मेरे वड़े आग्रहके कारण अुन्होंने वह वक्तव्य निकाला है। मुझीको लगा कि लोगोंके प्रति और आपके प्रति भी अुनका कर्तव्य है कि वे वक्तव्य निकालें। अुम वक्तव्यके कारण आग्रहपूर्वक कही गअी कुछ बातोंसे वे बंध जाते हैं। अुनके विरुद्ध आपको आपत्ति हो और आपके पास सबूत हों, तो आपका काम बड़ा सरल हो जाता है। सरदारको आप सैर करने ले गये, अिस बातने आपने मुझ पर तो यह छाप डाली कि आपने अुनसे मदद चाही थी। मेरी जानकारी सही हो तो आपने औरोंसे भी मदद चाही थी। और अैसा किया अिसमें वेजा क्या है ? सरदारके वक्तव्यके अुत्तरमें आपने जो वक्तव्य दिया है अुसमें यह बात आपने लगभग स्वीकार ली है। फिर भी यदि आपका आक्षेप यह हो कि सरदार झूठ बोल रहे हैं तो अपनी बात साबित करनेकी जिम्मेदारी आप पर आ पड़ती है। याद रखिये कि अिस मामलेमें आप वादी है। अिसलिले आप अपनी शिकायत या दावाअर्जी सावधानीपूर्वक तैयार कर लीजिये और अेक या अधिक पंच जो भी रखने हों अुनके नाम मुझे दे दीजिये।

“अिस बीच मेरी आपको आग्रहपूर्वक यह सलाह है कि अखबारोंके पास न दौड़ जाअिये। दोनों पक्षोंके मान्य किये हुअे

मुद्दों पर दोनों पक्षोंको स्वीकार हों अैसे पंचों द्वारा फैसला हो जाने दीजिये । उसके बाद अखबारोंमें अेक संक्षिप्त बयान दिया जा सकता है ।”

श्री नरीमानको जांच तो जरूर चाहिये थी, परंतु वे यह नहीं दिखाना चाहते थे कि कार्यसमितिकी अवगणना करके जांच कराना चाहते हैं । असलिये अन्होंने महासमितिके मंत्री आचार्य कृपालानीको १६ जुलाओकी पत्र लिखकर पूछा कि मेरे वर्धा छोड़नेके बाद स्वतंत्र जांचकी जो सूचना की गयी है अुमे कार्यसमिति स्वीकार अथवा पसन्द करती है या नहीं । १९ जुलाओकी आचार्य कृपालानीने श्री नरीमानको जो अुत्तर दिया अुसमें कांग्रेसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलालजीके साथ हुअे श्री नरीमानके लंबे पत्रव्यवहारका सार आ जाता है । अन्होंने बताया कि :

“ कार्यसमितिने आपको कोअी सूचना नहीं की है । परंतु सरदार वल्लभभाभीने कार्यसमितिकी बैठक समाप्त हो जानेके बाद जो वक्तव्य निकाला है अुसकी बात आप कहते हों तो कार्यसमितिका अुससे कोअी संबंध नहीं । असलिये अस बारेमें मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता । कार्यसमितिकी स्थिति मेरी समझके अनुसार यह है : आपने अध्यक्षको बहुतेसे पत्र लिखकर सरदार वल्लभभाभी और दूसरे लोगों पर कअी तरहके आक्षेप लगाये हैं । साथ ही आप यह भी कहते रहे हैं कि आप अस मामलेको फिरसे अुठाना नहीं चाहते । आप यह भी कहते हैं कि मामला फिरसे अुठायु जाय तो आपकी मांग स्वतंत्र पंच द्वारा जांच करानेकी है । आपके पत्रोंसे यह स्पष्ट नहीं होता कि आपको क्या चाहिये या आपकी निश्चित शिकायतें क्या हैं । असलिये वर्धामें कांग्रेस अध्यक्षने आपसे अनुरोध किया कि आप निश्चित और स्पष्ट भाषामें अपनी शिकायतें लिखकर दीजिये, ताकि कार्यसमिति अुन पर विचार कर सके । आपने कहा था कि जरूरत मालूम हुअी तो बंबअी जाकर आक्षेप तैयार करके आप भेज देंगे । अस प्रकार कार्यसमितिके पास अस वक्त विचार करने जैसी कोअी भी बात नहीं है । जब तक यह तय न हो कि झगड़ेका मुद्दा क्या है, तब तक पंचकी नियुक्ति कैसे हो सकती है ? और आपको अितना तो मालूम ही होगा कि कांग्रेसकी कार्यसमितिके प्रस्ताव पर दुबारा जांच करनेके लिये स्वतंत्र पंचकी मांग करना कांग्रेसके अितिहासमें बिलकुल नअी चीज है । मेरी जानकारीमें अैसी अेक भी मिसाल नहीं है । कांग्रेसियोंके लिये तो कार्यसमिति ही अन्तिम सत्ता है । व्यक्तिगत

झगड़े हों तो लोग अुनके बारेमें न्याय प्राप्त करनेके लिये अदालतों या पंचोंके पास जाते हैं।”

सरदारके वक्तव्यके बाद श्री नरीमानने अेकके बाद अेक जो वक्तव्य निकाले तथा अखबारोंमें जो दूसरा प्रचार हुआ, अुसे देखकर स्वतंत्र रूपमें ही पंडित जवाहरलालजीने १६ जुलाअीको श्री नरीमानको लिखा :

“मैं देख रहा हूं कि आपने फिर जनूनी चर्चा शुरू कर दी है। आपके पक्षके अखबार तो मानो सभीका खून पीनेको तैयार हो गये हैं। मुझे अैसे व्यर्थके मामलेमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। परंतु वर्धामें जो कुछ हुआ अुसके बारेमें आपने अपने वक्तव्यमें जो बातें कही हैं वे सचाअीसे परे हैं। आप लिखते हैं कि जांचकी मांग आपने बिलकुल छोड़ दी है। परंतु मुझ पर यह असर नहीं पड़ा है। और आप यह कहते हैं कि मेरे साथ हुआ पत्रव्यवहार मेरे कहनेसे प्रकाशित न करनेका आपने विचार किया है। मैंने तो आपको तारसे जता दिया था कि आप सारा पत्रव्यवहार छपवा सकते हैं। मैं फिर कहता हूं कि आप पत्रव्यवहार छपवायें, अिसमें मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है।

“आप कार्यसमितिके सिवा दूसरे निष्पक्ष तटस्थ पंचकी जो मांग कर रहे हैं, अुसके बारेमें आप मेरे विचार जानते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी कांग्रेसीके लिये अैसी मांग करना गलत और अनुचित है। अैसे तुच्छ व्यक्तिगत मामलेके बारेमें बम्बअीके अखबारोंमें पृष्ठ पर पृष्ठ रंगे जायं, यह मेरी समझमें ही नहीं आता। देशके सामने जिस समय अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न मौजूद हैं, अुस समय समाचारपत्र अैसे विषयके पीछे पड़े रहें, यह मेरी विवेकबुद्धि और तारतम्य-बुद्धिको आघात पहुंचाता है। आप अिस मामलेके पीछे क्यों पड़े हुअे हैं, यह अभी तक मेरी समझमें नहीं आता। मगर अुसके साथ मेरा कोअी संबंध नहीं। मेरा यह खयाल जरूर है कि जब बम्बअीके अखबारोंमें बार बार अिस तुच्छ बातको बिलोया जाता है और आप भी अेक तरफसे बार बार आक्षेप करते हैं और दूसरी तरफसे कहते हैं कि मेरी कोअी मांग नहीं, तब ठीक यही होगा कि अिस मामलेकी अेक बार जांच हो जाय और बातका आखिरी नतीजा निकल आये। यह बात मैं पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आपसे यह अनुरोध बिलकुल नहीं करता कि आप जांचकी बात छोड़ दें। दुर्भाग्यसे कार्यसमिति पर आपका विश्वास नहीं रहा। तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा

कि आप प्रीवी कौंसिलमें जाअिये या लीग आफ नेशन्सके पास जाअिये, या जिस किसी पंच पर आपका विश्वास हो अुसके पास जाअिये।”

पंडित जवाहरलालजीके अैसे कड़े पत्रके बाद श्री नरीमानने अुन्हें तो छोड़ दिया। परंतु गांधीजीको वे लंबे लंबे पत्र लिखते रहे। असलिये २७ जुलाअीको गांधीजीने श्री नरीमानको साफ शब्दोंमें लिखा :

“आपके जो आक्षेप हों अुन्हें आप निश्चित रूपमें तैयार कर डालिये। अखबारोंमें होनेवाले प्रचारके बारेमें मेरा यह खयाल है कि आप अुसे नापसन्द नहीं करते। मेरी रायमें तो यह अेक प्रकारकी जबरदस्ती ही है। कोअी भी नेता अपना मंत्रिमंडल बनाये तो क्या अुसमें अपने साथीके रूपमें अमुक व्यक्तिको लेनेके लिये वह बंधा हुआ ही है? लोग कुछ भी कहें, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि जिस ढंगसे सारा प्रचार हो रहा है अुस ढंगसे अुसे होने देकर आप अपने सच्चे मित्रोंको अपनेसे विमुख कर रहे हैं। आपने यदि कार्यसमितिका निर्णय स्वीकार कर लिया हो, तो आपको साफ साफ अैसा कह देना चाहिये और सरदारको आपके विरुद्ध अतुचित रूपमें अपना असर काममें लेनेके आक्षेपसे मुक्त कर देना चाहिये। परंतु यह बात आप कर नहीं रहे हैं। तब आपको सरदारके विरुद्ध अपने आरोप साबित करने चाहिये। दोनोंकी पसंदके पंचके सामने हाजिर होनेका सुझाव जब वे दे रहे हैं, तब यह आन्दोलन जो आपको और अकेले आपको ही हानि पहुंचा रहा है बन्द करनेके लिये आप न्यायसे बंधे हुए हैं। मैं आपको अितने साफ दिलसे लिख रहा हूं, अुसका आप यह अर्थ न लगायें कि मैं आपके विरुद्ध बहका दिया गया हूं। मेरी साफदिली तो मेरी शुभेच्छाका प्रमाण है। मेरे नाम रोज लोगोंके पत्र आते हैं कि आप अस मामलेमें हस्तक्षेप कीजिये और सार्वजनिक रूपमें अपनी राय जाहिर कीजिये। मैं अुन सबसे कहता हूं कि मैं आपके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा हूं। मेरे पत्र आप किसीको भी दिखायें। मुझे अुसमें कोअी आपत्ति नहीं।”

अितने पर भी २८ जुलाअीको श्री नरीमानने फिर अेक वक्तव्य प्रकाशित किया। असलिये २९ जुलाअीको गांधीजीने अुन्हें लिखा कि :

“आप बड़े अजीब आदमी मालूम होते हैं। जब तक मेरे साथ पत्रव्यवहार कर रहे हैं तब तक भी आपसे अितजार नहीं किया जा सकता? आपके अस अखबारी वक्तव्यसे मुझे सार्वजनिक वक्तव्य

देनेके लिये मजबूर होना पड़ेगा। जहां तक हो सके मैं अउसे बचना चाहता हूं। कार्यसमितिके पंच मुकर्रर करनेसे कभी अिनकार किया ही नहीं है। अउसने तो आपसे यह कहा है कि पंच मुकर्रर किया जाय या नहीं, अिसका विचार कर सकनेके लिये आपको अपना अभियोगपत्र तैयार करके अुमें देना चाहिये।”

अिसके जवाबमें श्री नरीमानने ३० जुलाअीको बताया :

“मैं बड़ी कठिन परिस्थितिमें डाल दिया गया हूं। अेक तरफसे मुझ पर बेहद दबाव डाले जा रहे हैं कि आपको यह चीज छोड़ देनी चाहिये। दूसरी तरफसे जिन जिन सज्जनोंको मैं पंच बननेके लिये कहने जाता हूं वे भी मुझे सलाह देते हैं कि आपके लिये यह चीज पकड़ रखने लायक नहीं।”

गांधीजीने अुन्हें सलाह दी :

“आपको जांच नहीं करानी हो, तो मनमें किसी भी तरहकी गांठ न रखकर साफ साफ अैसा कह देना चाहिये। दूसरे लोग आपको जांच छोड़ देनेके लिये कहते हैं, यह कहनेका कोअी अर्थ नहीं। मुझे आपका वक्तव्य जरा भी पसन्द नहीं आया। भले अनजाने ही सही, परंतु देशके कामको आप कितनी हानि पहुंचा रहे हैं, अिसका आपको खयाल नहीं है। आप कहते हैं कि सरदार मेरे लेफ्टिनेंट हैं, तो आप मेरे क्या कम लेफ्टिनेंट हैं? दोनोंमें फर्क अितना ही है कि जब मैं अुनसे भिन्न मत रखता हूं या अुनकी भूलें बताता हूं तब वे मेरे विरुद्ध बहक नहीं जाते। आपको तो जब आपकी भूल बताता हूं तब जरा भी धीरज नहीं रहता। कार्यसमितिके सारे सदस्य आपके कोअी दुश्मन नहीं हैं। फिर भी आप सबके विरुद्ध मनमें असंतोष रखते हैं। मेरे विरुद्ध भी आपको भ्रम हो गया है। तथापि मैं अितना मान लेनेका आपसे आग्रह करता हूं कि अिस मामलेमें मैं आपके हितचितक मित्रके तौर पर काम करना चाहता हूं।”

गांधीजीकी यह सलाह होने पर भी ३१ जुलाअीको तिलक महाराजकी पुण्यतिथिके दिन अेक लम्बा वक्तव्य निकालकर श्री नरीमानने बताया कि :

“मैं तिलक महाराजका शिष्य हूं और अिस प्रकार कांग्रेसके वफादार सेवकके नाते घोषणा करता हूं कि बम्बअी धारासभाके नेताके चुनावके बारेमें पिछले मार्च मासमें दिल्लीमें हुआ अपनी बैठकमें कार्यसमितिके जो फैसला दिया है अुसे मैं अन्तिम मानता हूं और अिस

फैसलेको शिरोधार्य करता हूँ । मैं किसी भी जांच या पंचकी मांग नहीं करता ।”

अेक तरफ अस प्रकार कहकर अुसी वक्तव्यमें आगे कहा :

“परंतु अेक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ । मैं अपने व्यक्तिगत चरित्र और अपने सम्मानकी रक्षा किसी भी कीमत पर करनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूँ । मैं अपनी अिज्जतको अपने जीवनका सबसे मूल्यवान धन समझता हूँ । अुस पर निराधार और कायरतापूर्ण आक्रमण हों तो अुन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता । कांग्रेसीके नाते मेरा काफी लंबा सेवाका जीवन साफ और बेदाग है । वह बारीकसे बारीक जांचमें भी खरा अुतर सकता है । मेरे कट्टरसे कट्टर दुश्मनोंको मैं चुनौती देता हूँ कि मेरी पीठ पीछे छिपा प्रचार करनेके बजाय अुनके पास जो भी प्रमाण हों अुन्हें लेकर मेरे सामने खुले मैदानमें आये । मैं सार्वजनिक जांच अथवा पंचके सामने खड़ा होनेको तैयार हूँ ।”

गांधीजीने यह वक्तव्य देखकर १ अगस्तको श्री नरीमानको लिखा :

“आपके वक्तव्योंके कारण अस कांडकी मुझ पर जो छाप पड़ी है अुसे प्रकाशित करनेको मुझे मजबूर होना पड़ता है । मुझे आशा है कि आपको कोअी आपत्ति नहीं होगी । आपत्ति हो तो मुझे तारसे सूचना दे दें ।”

अुन्होंने यह भी लिखा :

“आपका व्यवहार बड़ी परेशानी पैदा करनेवाला है । असलिअे अपना वक्तव्य प्रकाशित करनेसे पहले मैं आपको अेक सुझाव देता हूँ । आपके तमाम आक्षेपोंकी जांच करनेको मैं तैयार हूँ । यदि मुझे अितमीनान हो जायगा कि सरदारकी तरफसे आपके साथ अन्याय हुआ है, तो मैं तदनुसार साफ साफ कहूंगा । अुस अन्यायके कारण आपको हुआ हानिकी क्षतिपूर्तिके लिअे अेक मनुष्यके लिअे जितना भी संभव है वह सब प्रयत्न मैं करूंगा । परंतु यदि मेरा निर्णय आपके विरुद्ध हो और अुस निर्णयसे आपको संतोष न हो, तो मैं सर गोविन्द-राव मडगांवकर अथवा श्री बहादुरजीके सामने अपना दर्ज किया हुआ तमाम सबूत पेश कर दूंगा और अुनसे मेरे निर्णयकी फिरसे जांच करनेकी प्रार्थना करूंगा । यदि अुनका निर्णय भी आपके खिलाफ आये तो आपने सरदारके, दूसरे साथियोंके और जनताके साथ जो अन्याय

किया है, उसके लिये माफी मांगने और अपनी कमजोरीको साफ दिलसे मंजूर करनेका आपको मौका दिया जायगा। जांचकी कार्रवाजी में स्वयं तो जाहिर नहीं करूंगा। परंतु आपको जाहिर करनी हो तो मेरी तरफसे कोअी आपत्ति नहीं होगी। कार्यसमिति और आपके मित्र क्या सोचेंगे, इसकी चिन्ता न कीजिये। अन्हें इस बारेमें पता लगने देनेकी भी कोअी जरूरत नहीं। परंतु मेरे मुद्दावोंमें से कोअी भी मुद्दाव आपकी मान्य न हो तो मैं अितना आपको बता दू कि अब तक जो जानकारी मुझे मिली है वह आपके विरुद्ध जाती है। इस कांडमें पढ़नेकी मेरी जरा भी अच्छा नहीं थी, परंतु आपने मुझे इसमें डाला है। इसलिये आप जांच कराना ही चाहते हों तो अपना अभियोगपत्र तैयार करके भेजिये और आप जो सबूत पेश करना चाहते हों उसकी तफसील भी दीजिये।”

यह पत्र श्री नरीमानको मिलते ही अन्होंने गांधीजीको तार दिया :

“आपके मन पर मेरे बारेमें पड़ी हुअी अिकतरफा छापको जाहिर करनेके विरुद्ध मेरा सख्त अंतराज है। दूसरे पक्षको अपनी सफाअी देनेका आपको मौका देना चाहिये। पत्र लिख रहा हूं।”

पत्रमें तो श्री नरीमानने गांधीजीको भी नहीं छोड़ा। अन्होंने लिखा :

“अपने पिछले कुछ पत्रोंमें आप अपने मन पर पड़ी हुअी छापको प्रकाशित करनेकी धमकी दे रहे हैं। आपके दिल पर जो असर मेरे बर्तावके बारेमें हुआ हो उसे लोगोंके सामने रखनेसे पहले वह असर क्या है यह जाननेका मुझे अधिकार नहीं है? महात्मा जैसा महान व्यक्ति, जो सत्य और अहिंसाका पैगम्बर माना जाता है, अेक आदमीको अपराधी ठहरानेसे पहले उसे सफाअी देने और बचाव करनेके प्रारंभिक अधिकारसे भी वंचित करे, यह बात मेरी समझमें नहीं आती। आपको मुझे सार्वजनिक जीवनसे निकाल देना हो तो मुझे साफ साफ बता दीजिये, ताकि मैं अपेक्षाके गर्तमें विलीन हो जाऊं और आप जिस आदमीको मुझसे अच्छा मानते हों उसके लिये जगह कर दूं। परंतु यह त्रास मुझसे सहन नहीं हो सकता। मैं आपसे आखिरी अपील करता हूं कि आप यह बताअिये कि मेरे बारेमें आपके दिलमें अंसा क्या जहर भर दिया गया है, जिससे आप मेरे विरुद्ध पत्थर जैसे कठोर बन गये हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको हर मुद्दे पर संतोष दिला सकूंगा और मुझे अबसर दिया जायगा तो उस जहरको आपके दिलसे निकाल सकूंगा। मेरी अितनी

विनीत प्रार्थना होने पर भी यदि आप मेरे बारेमें अपना खयाल जाहिर करेंगे ही, तो अुस बारेमें अपना स्पष्टीकरण सार्वजनिक रूपसे देनेके लिये मैं अपनेको मुक्त समझूंगा। इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि यह चर्चा अधिक बड़े घड़ाकेके साथ फिर भड़क अुठेगी।”

यह पत्र मिलनेके पहले गांधीजीने २ अगस्तको श्री नरीमानको पत्र लिखकर सूचित कर दिया था :

“सन् ३४ का चुनाव और सन् ३७ का नेताका चुनाव—
अिन दो मुद्दों पर मैं और श्री बहादुरजी पंच बननेको तैयार हूँ।
तारसे बताअिये कि यह आपको मंजूर है या नहीं।”

श्री नरीमानने इसका ४ तारीखको तारसे जवाब दिया :

“दोनों मुद्दों पर आपका और बहादुरजीका निर्णय स्वीकार कर लेनेको मैं तैयार हूँ।”

फिर ६ अगस्तको श्री नरीमानने गांधीजीको पत्र लिखकर कुछ और स्पष्टीकरण चाहा। अेक बात अुन्होंने यह लिखी :

“कार्यसमितिके निर्णयको न मानकर मैं अिस प्रकार पंचकी नियुक्तिको स्वीकार करूँ तो अुसका अर्थ यह होगा कि मैं कार्यसमितिके प्रस्तावकी अवज्ञा करता हूँ। अतः भविष्यमें अिस प्रकारकी कोअी गलतफहमी न होने पाये, अिस खयालसे आपने जो कार्यपद्धति मुझाअी है अुसके लिये कांग्रेसके अध्यक्षकी मंजूरी या पसन्दगी दिला दीअिये। दूसरी बात यह है कि अिस झगड़ेमें बहुत अूँचा और अधिकारपूर्ण स्थान भोगनेवाले मनुष्य फंसे अुअे हैं, अिसलिये गवाहोंको अिस बातका विश्वास मिलना चाहिये कि अुन्हें किसी भी प्रकारसे सताया नहीं जायगा। अैसा विश्वास न मिले तो जांचका गला घोंट दिया जायगा और सत्यको खोज निकालना मुश्किल हो जायगा।”

८ अगस्तको पत्र लिखकर गांधीजीने श्री नरीमानकी दोनों मांगोंके बारेमें अुन्हें विश्वास दिलाया। परिणामस्वरूप १० अगस्तको पंडित जवाहरलालजीने पत्र लिखकर श्री नरीमानको सूचित कर दिया कि कार्यसमितिको निष्पक्ष जांच पर कोअी आपत्ति नहीं है। श्री नरीमानने १२ तारीखको गांधीजीको तार द्वारा सूचित किया :

“मुझे अपनी शहादत पेश करनेमें कुछ समय लगेगा।”

अिसलिये गांधीजीने श्री नरीमानको तारसे जवाब दिया :

“आपको कितना समय चाहिये, यह मुझे बताअिये। क्योंकि ‘बॉम्बे मेन्टीनल’ और ‘बंबअी समाचार’ में लेख छपते रहते हैं और

वे यह बतानेके लिये मुझे आग्रह कर रहे हैं कि यह बात सही है या गलत। इसलिये मेरा वक्तव्य निकालना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मेरा सुझाव तो यह है कि हमारे बीच हुआ सारा पत्र-व्यवहार छाप दिया जाय। आपकी क्या इच्छा है ?”

१३ अगस्तको गांधीजीने अपना वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया :

“नरीमान-कांडमें मैंने जो भाग लिया है, उसके विषयमें समा-चारपत्रोंमें बहुत विकृत विवरण प्रकाशित हुअे हैं। इस कांडके आस-पास जहरीला प्रचार हो रहा है। मैंने जो भाग लिया, उसके संबंधमें तो मैंने १ अगस्तको श्री नरीमानको जो पत्र लिखा है वही यहां दूंगा। इससे सारी बात साफ हो जायगी।” (अस पत्रका सार पहले दिया जा चुका है :)

गांधीजीने अपने वक्तव्यमें यह भी कहा :

“यह पत्र लिखनेके बाद मेरे और श्री नरीमानके बीच अधिक पत्रव्यवहार हुआ है। आज मुझे उनका तार मिला है कि जांचके दोनों मुद्दों पर वे अपनी शहादत पांच दिनमें पेश करेंगे। मैं पांच दिन तक राह देखूंगा। उसके बाद अपने सिर पर लिये हुअे काममें लग जानेमें जरा भी विलम्ब नहीं करूंगा। इस मामलेमें मैंने बहादुरजीको अभी तक कोअी तकलीफ नहीं दी है। परंतु यदि मेरा निर्णय श्री नरीमानके विरुद्ध होगा और श्री नरीमानको उससे संतोष नहीं होगा, तो मैं बहादुरजीसे तुरंत प्रार्थना करूंगा कि मेरे सामने पेश किये गये प्रमाणोंकी और मेरे फैसलेकी वे फिरसे जांच कर लें।

“यह सुझाया गया है कि मैंने इस समय जो किया वह मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण विवादके अुठते ही करना चाहिये था। मेरे और श्री नरीमानके बीच हुआ पत्रव्यवहार मैं इस मंजिल पर प्रकाशित करनेको स्वतंत्र नहीं हूं। परंतु मैं अितना कह सकता हूं कि मैं पहलेसे ही यह मानता था कि वे चाहें तो अुन्हें स्वतंत्र जांचका मौका मिलना चाहिये। यह बात श्री नरीमानने भी स्वीकार की है। इस-लिये जो कुछ हुआ वह सहायता देनेकी मेरी लापरवाही या अनिच्छाके कारण नहीं हुआ। अब तक मैं केवल श्री नरीमानके हितमें ही चुप रहा हूं। हमारे बीच हुअे जिस पत्रव्यवहारका मैंने अुपर अुल्लेख किया है, उससे यह चीज साबित हो सकती है। हमारा फैसला

प्रकाशित होने तक मैं बम्बयीके अखबारोंसे यह हलचल बन्द रखनेकी अपील करता हूँ और जनतासे भी अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामलेमें कोअी राय न बनाये।”

गांधीजीका यह वक्तव्य प्रकाशित होते ही १४ अगस्तको श्री नरीमानने तार दिया :

“आपके अखबारी वक्तव्यका उत्तर देनेकी मुझे अिजाजत दीजिये।”

गांधीजीने तारसे उत्तर दिया :

“आपके हितके लिअे चाहता हूँ कि आप कुछ न लिखें। परंतु अंतिम निर्णय आप पर छोड़ता हूँ।”

१५ अगस्तको लंबा पत्र लिखकर श्री नरीमानने गांधीजीको बताया :

“आप जो यह सुझाते हैं कि यदि पंचका फैसला मेरे विरुद्ध हो तो मुझे अपनी कमजोरियोंका पूरी तरह और साफ दिलसे अिकरार करना चाहिये और जनताको, सरदारको और अन्य मित्रोंको मंने जो हानि पहुंचाअी है अुसके लिअे मुझे क्षमा मांगनी चाहिये, अुसे मैं समझ नहीं सकता। यह चीज बिलकुल अप्रस्तुत और अनावश्यक है। मैं यह मान नहीं सकता कि अैसी मांग आपकी तरफसे की जा रही है। मैंने क्षमा-याचनाके योग्य कोअी काम नहीं किया। और मेरे लिअे कोअी अिकरार करने जैसी बात है ही नहीं। अैसा कुछ करना जरूरी माना जाय तो वह दूसरे पक्षको करना चाहिये।”

यहां ध्यानमें रखनेके लायक बात यह है कि गांधीजीने अपने वक्तव्यमें अपना १ अगस्तका पत्र अुद्धृत किया था। अिकरार और क्षमा-याचनाकी बातें अुस पत्रमें लिखी हुअी थीं। अुसके बाद श्री नरीमानने गांधीजीको कअी पत्र लिखे थे। अुनमें अिस बारेमें कोअी आपत्ति नहीं अुठाअी। परंतु जब गांधीजीने १३ अगस्तको वह पत्र प्रकाशित किया तब अुन्हें आपत्ति अुठानेकी बात सूझी! गांधीजीने तुरंत जवाब दिया :

“आपकी अिच्छा न हो तो आपको माफी मांगने या दोष स्वीकार करनेकी कोअी जरूरत नहीं। जांच करनेका मेरा सुझाव बिलाशर्त है। मैंने तो केवल सलाहके तौर पर लिखा था। और सरदारके बारेमें तो मैंने कहा ही था कि जांच करने पर यदि सरदार झूठे मालूम होंगे तो आपको हुअी हानिकी पूर्तिके लिअे मनुष्यके लिअे जितना

संभव है वह सब मैं करूंगा। यदि सरदार झूठे मालूम होंगे तो वे अपने बीस वर्षके अंक पुराने और अनेक अतार-चढ़ावोंमें साथ खड़े रहनेवाले मित्रको खो बैठेंगे।”

अतने पर भी श्री नरीमानने १७ अगस्तको अपना अुत्तर प्रकाशित कर दिया। और अुसमें लिखा कि माफी मांगना या दोष स्वीकार करना अुन्हें मंजूर नहीं है तथा गवाहोंको संरक्षण देनेकी जरूरत है। अुसी दिन गांधीजीको अुन्होंने पत्र लिखा जिसमें फिर सूचित किया :

“पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्ष होनेके कारण सरदारको विशाल और निरंकुश अधिकार प्राप्त हैं। असलिये वे अेक ‘जोन डिकटेटर’ की तरह हैं। और साक्षी लोग अधिकांश धारासभाओंके सदस्य होनेके कारण अितने बड़े अधिकारवाले व्यक्तिकी नाराजी मोल लेनेमें डरेंगे। अस कारणसे सत्य प्रगट नहीं हो सकता। अतः साक्षियोंको संपूर्ण संरक्षण मिलना चाहिये।”

असके सिवा अुन्होंने यह भी लिखा :

“मेरे नाम लिखे आपके पत्रोंसे मुझे अंसा लगता है कि आपके मनमें मेरे विरुद्ध पूर्वग्रह हो गया है। असलिये मेरी स्थिति अंसी हो गयी है कि मुझे अपने विरुद्ध राय बना चुकनेवाले न्यायाधीशके सामने मामला पेश करना पड़ रहा है। आपने स्वयं यह कहा है कि अब तक आपके पास जो सामग्री आ चुकी है अुस परसे संभव है आपकी राय मेरे विरुद्ध ठहरे। मेरे पीठ पीछे आपके मनमें ये जहरीली बातें किसने भरी हैं? मेरे विरुद्ध आपको अिकतरफा बातें कह दी जायं, अुनसे आप अपने विचार बदल लें और मेरे विरुद्ध मत बना लें, यह आपको शोभा देता है? फिर भी मैं आपसे अपील करता हूं कि आप न्यायाधीश हैं, यह बात ध्यानमें रखते हुअे बिलकुल खुला मन रखकर अस जांचका काम करें। अपने पास आयी हुअी विषपूर्ण सामग्रीको अपने मनसे दूर कर दें और वादीको निर्दोष मानकर जांचका काम करें।”

अपने पर व्यक्तिगत आक्षेप करनेवाला श्री नरीमानका अंसा पत्र पाकर भी गांधीजीने कोअी खयाल नहीं किया और जांचका काम हाथमें लिया। और ता० २० को अेक वक्तव्य प्रकाशित करके धारासभा-सदस्यों तथा अन्य लोगोंसे अस जांचमें सबूतके तौर पर काम आनेवाले अपने बयान भेज देनेकी सार्वजनिक प्रार्थना की। अस वक्तव्यमें सरदारके बारेमें अुन्होंने लिखा :

“मुझसे यह कहा गया है कि सरदारका कोपभाजन बन जानेके डरसे सत्य प्रगट नहीं हो सकता। मैं नहीं समझ सकता कि सरदार साक्षियोंको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु अपनी तरफसे मैं अतना विश्वास दिलाता हूं कि यदि सरदार मुझे इस प्रकारका कोअी आचरण करनेके अपराधी मालूम होंगे, तो मैं अुनके साथ जो निकटका संबंध रखता हूं अुसे तोड़ दूंगा। और जो साक्षी मुझे लिखी हुआी बातें गुप्त रखना चाहेंगे अुन्हें पूरी तरह गुप्त रखा जायगा। परंतु अिन साक्षियोंको अितना जान लेना चाहिये कि सरदारके या अन्य किसीके बारेमें अुन्होंने बयानमें जो कुछ कहा होगा, सरदार या और किसीकी तरफसे अुसके समर्थन या विरोधकी आवश्यकता प्रतीत होने पर बयानकी बातें यदि बताओं न जा सकें तो अुस बयानका मेरे सामने कोअी मूल्य नहीं रहेगा। अलबत्ता, हकीकत अुन्हें बताने पर भी बयान देनेवालेका नाम तो गुप्त ही रखा जायगा। यह सबूत मुझे ३१ तारीखसे पहले मिल जाना चाहिये।”

श्री नरीमानने अपने वक्तव्यमें साक्षियोंको संरक्षण देनेकी मांग की थी, अिस पर सरदारने २० अगस्तको निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“मेरे और दूसरे कांग्रेसियोंके विरुद्ध श्री नरीमानको जो शिकायत है अुसके बारेमें अखबारोंमें चल रही चर्चा परसे मैं यह समझा हूं कि श्री नरीमान चाहते हैं कि साक्षियोंको कोअी नुकसान न पहुंचनेका वचन मिलना चाहिये। मैं अपने विषयमें तो कह देता हूं कि मेरी अिच्छा हो तो भी मेरे पास किसीको हानि पहुंचानेका अधिकार नहीं है।

“पिछले कितने ही महीनोंसे अनेक लोग मेरे विरुद्ध अखबारोंमें लिख रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ लगाये गये आक्षेप बेबुनियाद हैं। फिर भी मैं अैसे झूठे आक्षेपोंके प्रकाशनको नहीं रोक सका। ये आक्षेप लगानेवालोंका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सका। अुन्हें जवाब देनेसे भी मैंने परहेज रखा है। फिर भी दलीलके लिये यह मान लें कि कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक संविधानवाली संस्थामें होते हुअे भी मैं किसीको नुकसान पहुंचा सकता हूं, तो मैं अुन्हें अपनी ओरसे हृदयपूर्वक विश्वास दिलाता हूं कि जिस किसीको मेरे विरुद्ध कुछ भी कहना हो वह मेरी तरफसे नुकसान होनेका डर रखे बिना कह सकता है।”

यह सब हो रहा था, अून दिनोंमें भी बम्बयीके कुछ पत्र सरदारकी तरफसे श्री नरीमानके प्रति हुअे अन्यायका आन्दोलन कर ही रहे थे । असलिये ता० २१ को गांधीजीने बहादुरजीको पत्र लिखा :

“मं आपको कष्ट नही देना चाहता था और अस कांडके सभी कागजातकी जांच अकेले ही कर लेनेका मेरा अिरादा था । मेरी योजना यह थी कि मेरा फैसला श्री नरीमानके विरुद्ध हो तो ही सारे सबूत और मेरे फैसलेकी जांच आप करें । परंतु बम्बयीके बहुतसे अखबार अभीसे मेरी निष्पक्षताके बारेमें शंकाअें अुठाने लगे हैं, असलिये मेरी अिच्छा है कि सारे सबूतोंकी आप ही जांच कर लें ।”

बहादुरजीने यह बात मान ली और जांचका काम अुन्होंने अपने अूपर ले लिया । दोनों पक्षोंकी तरफसे पेश हुअे बयान अेक-दूसरेको बता दिये गये । अुनका दोनोंने जवाब दिया । साक्षियोंके जो बयान आये थे वे भी दोनों पक्षोंको बता दिये गये । किसी साक्षीकी शहादत लेनी हो या अुससे जिरह करनी हो तो अुसका भी दोनों पक्षोंको अवसर दिया गया । परंतु दोनों पक्षोंने अधिक जबानी शहादत लेनेसे अिनकार कर दिया । असलिये मामलेके तमाम कागजातकी जांच करके और श्री नरीमानने अपने मामलेकी जो लंबी बहस की अुसे सुनकर (सरदारने कोअी बहस करनेसे अिनकार कर दिया) बहादुरजीने अपना फैसला दे दिया ।

नरीमान कांड - २

जांच और फैसला

अिस मामलेमें बहादुरजी और गांधीजीके जांच-पंचको दो मुद्दों पर फैसला देना था :

(१) नवम्बर १९३४ में दिल्लीकी बड़ी धारासभाके लिअे हुअे बम्बईके चुनावमें श्री नरीमानने अपने आचरणसे कांग्रेसको धोखा दिया था या नहीं ?

(२) १९३७ में बम्बईकी धारासभाके कांग्रेसदलके नेताके चुनावमें सरदारने अनुचित दबाव डालकर श्री नरीमानको नेता नहीं चुनने दिया — अिस आक्षेपमें कोअी सचाजी है या नहीं ?

पहले मुद्देमें वादी सरदार थे, अिसलिअे अुसे साबित करनेकी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूपमें अुन पर आती थी। दूसरेमें अपना दावा साबित करनेका दायित्व श्री नरीमान पर था।

पहले १९३४ के बड़ी धारासभाके चुनावका मुद्दा लें। सरदारका केस पंचके सामने पेश किये गये अुनके निवेदनमें स्पष्ट रूपमें रखा गया है। यहां अुस निवेदनका ही सार देंगे।

१४ जुलाअी, १९३४ को सरदार नासिक जेलसे छूटे। कांग्रेस परसे सरकारी प्रतिबंध हाल ही में अुठायया गया था। पटनामें महासमितिने धारासभाओंमें जानेका कार्यक्रम अपनाया था और नवम्बर महीनेमें बड़ी धारासभाका चुनाव होनेवाला था। सरकार मानती थी कि अुसने कांग्रेसको कुचल डाला है और लोग अब अुसका समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेसको अिस चुनाव द्वारा यह दिखा देना था कि सरकारकी कड़ी कार्रवाअियोंके बावजूद देश कांग्रेसके ही साथ है। यद्यपि लोगोंमें कुछ निश्त्साह फैल गया था, फिर भी अुनके दिलमें कांग्रेसके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ था। लोगोंको अुत्साहित करनेके लिअे चुनावसे पहले अर्थात् अक्तूबर १९३४ में कांग्रेसका अधिवेशन बम्बईमें करनेका निश्चय किया गया था। परंतु पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष डॉ० अंसारीको अुस समय अपने स्वास्थ्यके कारण युरोप जाना पड़ा। बोर्डके अुपाध्यक्ष पंडित मालवीयजीने ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके साम्प्रदायिक निर्णयके प्रश्नके संबंधमें कांग्रेस महासमितिके साथ मतभेद हो जानेसे बोर्डसे अिस्तीफा दे दिया। बोर्डके अेक और प्रमुख सदस्य श्री अणे पंडितजीके दलमें मिल

गये। जिसलिये कांग्रेसके अध्यक्षके नाते जिस चुनावका सारा भार सरदार पर आ पड़ा। जिसमें अन्हें श्री भूलाभाजी देसाजी, श्रीमती सरोजिनी नायडू वगैराकी अच्छी मदद मिली। परंतु चुनावोंमें असफलता मिलती तो वह घटना सारे देशके लिये विपत्तिरूप बन सकती थी। जिस कारणसे अिन सब पर भारी जिम्मेदारी थी और वे खूब सावधानीसे काम करते थे।

छूटकर बाहर आते ही श्री नरीमानने सरदारसे कहा कि बम्बयी शहरमें बड़ी धारासभाकी दो बैठकें होने पर भी मैं अकेला ही खड़ा होऊंगा। हम दोनों बैठकोंके लिये स्पर्धा करेंगे तो विजय प्राप्त करना संभव नहीं होगा। दूसरे दलके अुम्मीदवार सर कावसजी जहांगीर हैं। जिसलिये बम्बयीमें कोअी रस्साकशी नहीं होगी।

सरदारने तुरंत मतदाताओंकी सूचीकी जांच कर ली। अुससे अुनको लगा कि यदि अच्छी तरह मेहनत की जाय तो दोनों बैठकों पर कब्जा कर लेनेमें कोअी कठिनाअी नहीं पड़ेगी। जिसलिये श्री भूलाभाजी, श्रीमती नायडू वगैरासे परामर्श करके अुन्होंने डॉ० देशमुखको खड़ा होनेके लिये कहा। अुन्होंने मंजूर कर लिया। बम्बयीके पार्लमेण्टरी बोर्डने १६ जुलाअीको श्री नरीमान तथा डॉ० देशमुखके नाम कांग्रेसी अुम्मीदवारोंके रूपमें स्वीकार कर लिये और अखिल भारतीय पार्लमेण्टरी बोर्डने २९ जुलाअीको अुनके नाम बहाल रखे। जिस प्रकार शहरकी दोनों बैठकोंके लिये कांग्रेसके दो अुम्मीदवार खड़े करनेका निश्चय होते ही श्री नरीमानकी जिस चुनावसे दिलचस्पी हट गअी, अंसा सरदार और दूसरोंको महसूस होने लगा। अपना नाम वापस लेनेके लिये वे बहाने ढूँढने लगे। ११ अक्तूबरको दोपहरके तीन बजेसे पहले अुम्मीदवारीके पत्र दाखिल कर देने थे। श्री नरीमानको ४ अक्तूबरको अुम्मीदवारीपत्र पेश कर देनेको कहा गया, तब अुन्होंने कहा कि मैं खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि जिस चुनावमें सख्त टक्कर होगी और जिस कारण भारी खर्च भी होगा, जिसे अुठानेकी मेरी शक्ति नहीं है। सरदारके कहनेसे डॉ० देशमुखने चुनावका तमाम खर्च अुठानेकी जिम्मेदारी ले ली। जिसलिये श्री नरीमानका यह बहाना नहीं चला। ६ अक्तूबरको दोनोंके अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेके लिये डॉ० देशमुखने अपने मित्र श्री छोटालाल सालीसीटरको दे दिये। मतदाताओंकी सूचीमें 'के० अेफ० नरीमान, ४५ अस्पेलेनेड रोड' लिखा हुआ था, जब कि अुम्मीदवारीपत्रमें नरीमानका पता 'रेडीमनी टैरेसेज' लिखा हुआ था। जिसलिये कलेक्टरने पता सुधारनेके लिये अुम्मीदवारीपत्र वापस दे दिया। डॉ० देशमुखने श्री नरीमानको फोन करके बताया कि मतदाताओंकी सूचीमें आपका पता दूसरा है, जिसलिये कोअी

भूल हो रही हो तो आप इसका निश्चय कर लें। श्री नरीमानने जवाब दिया कि मैंने जांच कर ली है और मतदाताओंकी सूचीमें छपा हुआ पता ठीक है, इसलिये उसके अनुसार मेरा अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करा दीजिये। इस पर श्री छोटालालने अुम्मीदवारीपत्रमें मतदाताओंकी सूचीके अनुसार पता लिखकर अुस पर श्री नरीमानके दस्तखत कराकर अुम्मीदवारीपत्र ता० ८ या ९ को दाखिल करा दिया। बादमें श्री नरीमान दूसरा बहाना ढूँढ़ने लगे। अुन्होंने ८ तारीखको सरदारको पत्र लिखा कि जबलपुरके श्री मिश्रकी धारासभाके सदस्य होनेकी अयोग्यता दूर नहीं की जा रही है, इसलिये हमें विरोध प्रगट करनेके लिये तमाम कांग्रेसी अुम्मीदवारोंके नाम वापस ले लेने चाहिये। इस प्रकारके विचार अुन्होंने 'बॉम्बे क्रानिकल' में मुलाकात देकर प्रकाशित भी कर दिये। सरदारने श्री नरीमानको अपने यहां बुलाकर डांटा कि आप इस तरह वातावरण न बिगाड़िये। श्री नरीमानने कहा कि मध्यप्रान्तमें श्री गोविन्ददास भी अपनी अुम्मीदवारी वापस ले लेनेवाले हैं। सरदारने श्री नरीमानको बताया कि अुन्होंने श्री गोविन्ददासको चेतावनी दे दी है कि यदि वे अुम्मीदवारी वापस ले लेंगे तो अुनके विरुद्ध अुनुशासनकी कार्रवाजी की जायगी; यदि आप भी अितनी देरसे अुम्मीदवारी वापस लेनेकी बात करेंगे, तो आपके खिलाफ भी अुनुशासनकी कार्रवाजी की जायगी।

बम्बयीके अनेक जिम्मेदार आदमियोंकी तरफसे सरदारको चेतावनी दी जा रही थी कि आप श्री नरीमान पर विश्वास न रखें। वे सर कावसजीका मुकाबला हरगिज नहीं करेंगे। आखिरी वक्त पर कोभी न कोभी तरकीब निकालकर वे अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस लिये बिना नहीं रहेंगे। ता० १० को शामके सवा पांच बजेकी गाड़ीसे वर्धा जानेके लिये सरदार बोरी-बन्दर स्टेशन पर पहुंचे। श्री नरीमान वहां गये और सरदारको सूचना दी कि मतदाताओंकी सूचीमें अुनका नाम नहीं है, इसलिये वे अुम्मीदवारीपत्र वापस ले लेंगे। सरदारको बड़ा आघात पहुंचा और लोगों द्वारा दी गयी चेतावनीमें अुन्हें तथ्य मालूम हुआ। अुन्होंने श्री नरीमानसे पूछा, तब आपने अुम्मीदवारीपत्र दर्ज कैसे कराया? अुन्होंने जवाब दिया कि मतदाताओंकी सूचीमें 'के० अेफ० नरीमान' लिखा है। अुसमें पता दूसरा होनेके कारण मुझे अभी मालूम हुआ कि यह तो मेरे भाजीका नाम है। दूसरे दिन तीन बजे अुम्मीदवारीपत्र दाखिल कर देनेका आखिरी समय था, इसलिये अितने थोड़े वक्तमें दूसरा अुम्मीदवार खड़ा करना भी कठिन था। फिर भी अन्तिम प्रयत्न करनेके लिये सरदारने अपने पुत्र डाह्याभाजीको तुरन्त मोटरमें जाकर हाजीकोर्टसे श्री भूलाभाजी और श्री मुन्शीको बुला

लानेको कहा। श्री मुन्शीकी अुम्मीदवारीकी अयोग्यता दूर नहीं की गयी थी, लेकिन सरदारको मालूम था कि अनकी सेक्रेटरियेटमें बड़े अधिकारियोंके साथ अच्छी जान-पहचान है। असलिये सरदारने उनसे कहा कि जल्दी पूना जाकर अपनी अयोग्यता दूर करवा लें और दूसरे दिन तीन बजेसे पहले अपना अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करा दें। श्री मुन्शी अपनी कुछ निजी कठिनाइयोंके कारण खड़े नहीं होना चाहते, यह भी सरदार जानते थे। परन्तु कांग्रेसकी अिज्जतका सवाल था, असलिये सरदारके बहुत आग्रहके कारण वे मान गये। साथ ही श्री भूलाभाजी, श्री मुन्शी और श्री मथुरादास त्रिकमजीकी मौजूदगीमें श्री नरीमानको सरदारने हिदायत दी कि आपको अपना अुम्मीदवारीपत्र हरगिज वापस नहीं लेना चाहिये। अधिकारियोंको आपत्तिजनक प्रतीत हो तो वे भले अुसे रद्द कर दें। आपकी अुम्मीदवारी रद्द हो जाय तो ही श्री मुन्शी अुम्मीदवारी करेंगे। अिस प्रकार सूचना देकर सरदार तो वर्धाके लिये रवाना हो गये। श्री भूलाभाजी, श्री मुन्शी तथा श्री नरीमान भूलाभाजीके दफ्तरमें गये। वहां श्री छोटालाल सालीसीटर भी थे। श्री नरीमान बात करने लगे कि मतदाताओंकी सूचीमें मेरा नाम नहीं है, अिस बातका पता मुझे आज ही लगा। श्री छोटालाल सालीसीटरने तुरंत अिसका खंडन किया और कहा कि आपको ६ तारीखको दूसरा पता होनेकी फोनसे खबर दे दी गयी थी। आपने डॉ० देशमुखसे कहा कि मैंने मतदाताओंकी सूची देख ली है और अुसमें दिया हुआ पता ठीक है। अिस पर मतदाताओंकी सूचीके अनुसार पता बदलकर अुम्मीदवारीपत्र पर मैंने आपके हस्ताक्षर कराये और कलेक्टरके यहां जाकर अुसे दाखिल करा आया। श्री नरीमानने अिसका कोअी जवाब नहीं दिया।

अुस दिन शामको श्री मथुरादास त्रिकमजी श्री मुन्शीके दफ्तरमें गये और बताया कि किसी अुम्मीदवारका नाम बड़ी धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें न हो, परन्तु प्रान्तीय धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें हो तो चुनावके नियमोंके अनुसार वह बड़ी धारासभाकी अुम्मीदवारी कर सकता है। असलिये श्री नरीमानको अपने सही पतेके साथ अुम्मीदवारीपत्र भरना चाहिये।

श्री मुन्शीने अुसी रातको पूना जाकर अपनी अयोग्यता दूर कराअी और श्री छोटालालको तारसे सूचना कर दी। श्री छोटालाल दोपहरको बारह बजे श्री मुन्शीका अुम्मीदवारीपत्र दाखिल कराने कलेक्टरके दफ्तरमें गये। वहां डॉ० देशमुख तथा डॉ० साठेके साथ श्री नरीमान भी आये थे।

जब अन्होंने अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस लेने तथा अमानत रखी हुअी रकम निकलवा लेनेकी बात कही, तो ये तीनों अुन्हें समझाने लगे कि सरदारने आपको अुम्मीदवारीपत्र वापस न लेनेकी जो हिदायत की है अुसके अनुसार पहला अुम्मीदवारीपत्र वापस न लीजिये। अितना ही नहीं, आप सही पता लिखकर दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करा दीजिये, क्योकि प्रान्तीय धारासभाकी मतदाता-सूचीमें आपका नाम होनेसे नियमानुसार आप अैसा कर सकते हैं। परन्तु श्री नरीमानने नहीं माना। वे अपना अुम्मीदवारीपत्र और अमानत रकम वापस लेनेकी अर्जी लिखकर लाये थे। वह अर्जी अुन्होंने कलेक्टरको दे दी और दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेसे अिनकार करके वहांसे चले गये। बादमें वे कहने लगे कि मैं दूसरा अुम्मीदवारीपत्र देने लगा था, परन्तु कलेक्टरने कहा कि जो आदमी अेक बार अुम्मीदवारीपत्र वापस ले ले अुसका दूसरा अुम्मीदवारीपत्र नहीं लिया जा सकता। डॉ० देशमुख, डॉ० साठे तथा श्री छोटालाल तीनों कहते हैं कि हमारे आग्रह करने पर भी श्री नरीमान दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दाखिल किये बिना चले गये थे। जब १४ अक्तूबरको सरदार वधसे बम्बअी लौटे तब श्री नरीमानने अुनसे भी यही बात कही। सरदारने कहा कि कलेक्टरने आपका दूसरा अुम्मीदवारीपत्र लेनेसे अिनकार किया हो तब तो सारा चुनाव रद्द हो जायगा, अिसलिये आप सरकारको तार देकर कलेक्टरके अिम कृत्यके लिये अपना विरोध प्रगट कीजिये। अुस समय श्री भूलाभाभी सरदारके यहां बैठे थे। अुन्होंने तारका मसौदा तैयार कर दिया। अुसे लेकर श्री नरीमान गये। रातको नौ बजे सरदारने अुनसे फोन पर पूछा तब अुन्होंने जवाब दिया कि नियमोंकी पुस्तक मेरे पास न होनेसे मैं नियम नहीं देख सका, अिसलिये मैंने तार नहीं किया। रातको दस बजे सरदारने श्री मुन्शीके यहांसे नियमोंकी पुस्तक मंगवाअी और श्री मंगलदास महेता सालीसीटर तथा डॉ० झीणाभाभी देसाअीके साथ श्री नरीमानके घर गये। वे तार देनेको रजामन्द नहीं जान पड़े, परन्तु सरदारने आग्रह करके अुनसे तार लिखवाया। अुस समय रातके ग्यारह बजे थे। श्री नरीमानने तटस्थ भावसे सरदारको कहा कि अब तार आप ही भिजवा दें। तदनुसार बड़े तारघर जाकर सरदार वगैराने तार रवाना किया। १५ अक्तूबरको दोपहरके समय सब अुम्मीदवारीपत्रोंकी अंतिम जांच होनेवाली थी। वहां श्री मुन्शीने श्री नरीमानका अुम्मीदवारीपत्र अस्वीकार करनेका विरोध किया तब कलेक्टरने जवाब दिया कि श्री नरीमानका अुम्मीदवारीपत्र लेनेसे अिनकार किया ही नहीं गया। अुन्होंने खुद ही अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस ले लिया। जैसा आप कह रहे हैं अुसके अनुसार

अन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश नहीं किया । वे पेश करते तो लेनेसे हम अिनकार नहीं कर सकते थे ।

वर्धासे आनेके बाद श्री मुन्शीको दिये हुअे कलेक्टरके जवावकी बात सुन कर और श्री नरीमानके आचरण पर 'बाँम्बे क्रानिकल' वगैरा अखबारोंकी आलोचना देखकर सरदारने श्री नरीमानको बुलाकर कहा कि आपने अँसा काम क्यों किया, जिससे कांग्रेसकी बदनामी हो और आप जैसे प्रमुख कांग्रेसीको झूठा बतानेका कलेक्टरको मौका मिले ? तब श्री नरीमानने कहा कि वे सच्चे और कलेक्टर झूठे हैं । सरदारने कहा कि आप श्री छोटालाल सालीसीटर, डॉ० देशमुख तथा डॉ० साठे अिन तीन आदमियोंके अेफीडेविट (प्रतिज्ञापत्र पर किये गये निवेदन) लाअिये । श्री नरीमानने लाना मंजूर किया परन्तु लाये नहीं । सरदारने अितमीनान करनेके लिअे अुन तीनोंसे पूछ लिया । अुसके जवाबमें अुन्होंने कहा कि श्री नरीमानकी बात बिलकुल गलत है और कलेक्टरकी सच है ।

गांधीजीने सब्तकी जो मांग की थी, अुसके जवाबमें श्री छोटालाल सालीसीटरने ता० २७-८-'३७ को गांधीजीके पास जो बयान लिखकर भेजा था, अुसमें अिस सम्बन्धमें नीचेकी बात कही गयी थी :

“ ११ अक्तूबर, १९३४ को पहलेसे की हुअी व्यवस्थासे अनुसार में श्री मुन्शीका अुम्मीदवारीपत्र दर्ज कराने कलेक्टरके दफ्तरमें गया । जब मैं वहां था तब श्री नरीमान, डॉ० देशमुख तथा डॉ० साठे वहां आये । श्री नरीमान अपना अुम्मीदवारीपत्र तथा अमानतकी रकम वापस लेनेके लिअे टाअिप की हुअी अर्जी अपने साथ लाये थे । हमने अुन्हें अँसा करनेसे रोका । डॉ० साठेने तो यह भी कहा कि बड़ी धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें आपका नाम न हो, परन्तु प्रान्तीय धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें हो तो आप बड़ी धारासभाकी अुम्मीदवारी कर सकते हैं । अिस सम्बन्धमें श्री विट्टलभाअी पटेलका मामला प्रसिद्ध है । हम सब अिस नियमकी चर्चा करने कलेक्टरके पास गये । कलेक्टरने कहा कि मेरा फर्ज तो अुम्मीदवारीपत्र लेकर दर्ज कर लेना है । नियमके अर्थके बारेमें मैं कोअी सलाह नहीं दे सकता । हमने श्री नरीमानसे फिर आग्रह किया कि आप न सिर्फ अपना पहला अुम्मीदवारीपत्र वापस न लें, बल्कि अपरोक्त नियमके अनुसार नया अुम्मीदवारीपत्र पेश कर दें । श्री नरीमानने हमारी बात नहीं मानी । अुन्होंने कहा कि मेरा पहला अुम्मीदवारीपत्र दफ्तरमें रहते

हुए में असा करूं तो मेरा फौजदारी अपराध माना जायगा। हमारे बहुत आग्रह करने पर भी श्री नरीमानने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश नहीं किया।”

डॉ० देशमुखने गांधीजीको भेजे गये अपने बयानमें इस बारेमें लिखा :

“अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेके आखिरी दिन ता० ११-१०-३४ को श्री नरीमान मेरे पास आकर कहने लगे कि मतदाताओंकी सूचीमें जो नाम है वह तो मेरे भाजीका है। मेरा नाम मतदाता-सूचीमें नहीं है। वे अपने साथ अुम्मीदवारीपत्र वापस लेनेकी अर्जी लाये थे। मैं और डॉ० साठे श्री नरीमानके साथ कलेक्टरके दफ्तरमें गये थे। वहां हमें श्री छोटालाल सालीसीटर मिले थे।”

अिसके बाद अुन्होंने और डॉ० साठेने श्री छोटालाल सालीसीटरके बयानके अनुसार ही हकीकतें बतायीं।

बादमें तुरन्त ही कांग्रेस अधिवेशन होनेवाला था, अिसलिअे अुसके पूरे होने तक आगे कुछ नहीं हुआ। अधिवेशन समाप्त होनेके बाद सरदार अुत्तर भारतके दौरे पर चले गये थे। वहांसे १० नवम्बरको लौटने पर अुन्होंने देखा कि श्री नरीमान या बम्बअीकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी डॉ० देशमुख और श्री मुन्शीको चुनावमें मदद देनेके लिअे कुछ नहीं कर रही है। ११ नवम्बरको ‘कंसरे हिन्द’ में श्री नरीमानके लिखे हुअे पत्र परसे अुनका रवैया मालूम हो जाता था :

“आजके ‘जामेजमशेद’ के अग्रलेखमें मुझ पर हमला किया गया है कि मैं असा प्रयत्न कर रहा हूं जिससे पारसी अुम्मीदवार सर कावसजीकी हार हो। मैंने पारसी मतदाताओंसे यह कहा ही नहीं कि वे सर कावसजीको मत न दें। मैंने तो यह कहा है कि वे अकेले पारसी अुम्मीदवारको सारे मत देनेके बजाय थोड़े मत गैरपारसी अुम्मीदवारको भी दें, जिससे लोगोंकी यह राय न बने कि पारसी साम्प्रदायिक वृत्तिके हैं। मेरे अिस कथनका विकृत अर्थ करके यह कहा जाता है कि मैंने पारसी मतदाताओंसे यह अपील की है कि वे सर कावसजीको बिलकुल मत न दें। यह बात सच नहीं है।”

बम्बअी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकी हैसियतसे और बम्बअी प्रान्तके पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्षके नाते श्री नरीमानका स्पष्ट कर्तव्य पारसी मतदाताओंसे यह अपील करनेका था कि वे कांग्रेसी अुम्मीदवारोंको

ही मत दें । इस प्रकारकी अपील प्रकाशित करनेके लिये सरदारने श्री मथुरादास त्रिकमजीके मारफत श्री नरीमानसे कहलवाया भी था । परन्तु अन्होंने असी अपील प्रकाशित करनेसे अनकार कर दिया ।

१४ नवम्बरको चुनावका दिन था । सरदार दिनभर चुनाव-केन्द्रों पर घूमते रहे । शामको चार बजे दादर केन्द्र पर गये तो वहां अनुसे कहा गया कि दो बजे श्री नरीमान यहां आकर सब स्वयंसेवकोंसे कह गये हैं कि दूसरे मुहल्लोंमें श्री मुन्शीको खूब मत मिल गये हैं, इसलिये यहां तमाम मतदाताओंसे अपने दोनों मत डॉ० देशमुखको ही देनेके लिये कहा जाय । यह सूचना वापस लेनेके लिये श्री मुन्शीकी तरफसे काम करनेवाले अजंटोंने श्री नरीमानको समझानेकी बहुत कोशिश की परन्तु वे नहीं माने । शहरमें भी जोरकी अफवाह फैली कि डॉ० देशमुखको दादरमें दोनों मत दिलवाकर श्री नरीमानने श्री मुन्शीकी स्थिति बहुत बिगाड़ दी है ।

ता० २२ नवम्बरको चुनावका परिणाम प्रगट हुआ, तब पता चला कि नरीमानने अपनी अपुरोक्त हिदायतसे कांग्रेसका कितना नुकसान किया था । परिणाम इस प्रकार आया :

डॉ० देशमुख १९,८७२ मत

सर कावसजी १८,१४० मत

श्री मुन्शी १७,०१५ मत

अस परिणामसे साफ जाहिर होता है कि दादर केन्द्रमें श्री नरीमानकी दी हुअी हिदायतसे गड़बड़ न हुअी होती तो डॉ० देशमुख और श्री मुन्शी दोनों कांग्रेसी अुम्मीदवार जीत जाते और सर कावसजी हार जाते । क्योंकि मतदानका पृथक्करण करने पर यह मालूम हुआ कि दादरमें डॉ० देशमुखको ८०० से १००० तक दोहरे मत मिले थे । अखबारोंमें श्री नरीमानकी अस बारेमें कड़ी आलोचना हुअी थी ।

दिसम्बर मासमें अेक बार श्री नरीमान श्रीमती लीलावती मुन्शीको लेकर सरदारके पास गये और अनुसे शिकायत की कि श्रीमती लीलावती मुन्न पर यह आरोप लगाती हैं कि पिछले चुनावमें मंने ही श्री मुन्शीका काम बिगाड़ा है । अस पर सरदारने श्री नरीमानको साफ साफ कह दिया कि “ श्रीमती लीलावती गलत क्या कहती हैं ? चुनावोंमें आपने जो हिस्सा लिया है वह मेरी समझमें ही नहीं आ रहा है । आपने कांग्रेसके साथ दगा किया है, अस निर्णय पर पहुंचनेके सिवा मेरे पास कोअी विकल्प नहीं है । आपने असा ब्यवहार न किया होता तो सर कावसजी कभी सफल न होते । इसलिये अस मामलेमें आपके लिये तो किसीके विरुद्ध शिकायत करनेकी

कोई बात ही नहीं है।” ये सब बातें सरदार नरीमानसे कह रहे थे तब अन्होंने इस आशयका एक शब्द भी नहीं कहा कि इस मामलेकी जांच होनी चाहिये।

बादमें मार्च १९३५ में बम्बई कारपोरेशनके मेयरके चुनावके समय प्रो० के० टी० शाहने श्री नरीमानको यह कह कर मत देनेसे अिनकार कर दिया कि बड़ी धारासभाके पिछले चुनावके समय आपका व्यवहार प्रामाणिक नहीं था। जब तक आपके आचरणके बारेमें खुली जांच नहीं हो जाती, तब तक मैं तो आपको मत हरगिज नहीं दूंगा। श्री नरीमानने मेयरका चुनाव हो जानेके बाद अंसी जांच कराना मंजूर किया, परन्तु मेयर चुन लिये जानेके बाद वे यह बात भूल गये।

सरदारने अपने निवेदनके अन्तमें श्री नरीमान पर नीचे लिखे निश्चित आक्षेप लगाये :

१. बम्बई शहरकी दो बैठकोंमें से एक गैरकांग्रेसी अुम्मीदवार सर कावसजीके लिये खुली रहती थी, तब तक दूसरी बैठकके लिये श्री नरीमान खड़े होनेको तैयार थे।

२. परन्तु दोनों बैठकोंके लिये कांग्रेसके अुम्मीदवार खड़े करनेका निश्चय हुआ तबसे श्री नरीमानकी चुनावमें दिलचस्पी नहीं रही।

३. जुलाई १९३४ में अुनका नाम अुम्मीदवारके रूपमें तय हो जाने पर भी चुनावके लिये काम करनेका अुन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया।

४. वे अच्छी तरह जानते थे कि अुन्हें सर कावसजीको हरानेके लिये ही अुम्मीदवार पसंद किया गया है, फिर भी १ अक्तूबरके बाद अुन्होंने अपनी अुम्मीदवारी वापस ले लेनेके अनेक प्रयत्न किये।

५. चुनावके समय लड़नेके लिये अुन्हें खर्चका वचन दे दिया गया था, फिर भी अुन्होंने अपनी अुम्मीदवारी कायम रखनेके लिये कोई सक्रिय कदम नहीं अुठाये।

६. यह जानते हुअे कि मतदाताओंकी सूचीमें ‘४५, अेस्प्लेनेड रोड’ का पता अुनका अपना नहीं है, अुन्होंने डॉ० देशमुख और श्री छोटालाल सालीसीटरको यह माननेका कारण दिया कि वह पता अुन्हींका है और तदनुसार श्री छोटालालने जब अुम्मीदवारीपत्र भरा तो अुस पर अपने दस्तखत कर दिये।

७. अैन वक्त पर अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस लेकर अुन्होंने जान-बूझकर कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको आघात पहुंचाया।

८. अपना अुम्मीदवारीपत्र वापस न लेनेकी अुन्हें मेरी स्पष्ट सूचना होने पर भी अुन्होंने अुसका खुला भंग किया ।

९. अुन्हें बार बार कहा गया कि बड़ी धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें अुनका नाम न हो तो भी अमुक नियमके अनुसार वे अुम्मीदवारी कर सकते हैं । फिर भी अुन्होंने अपना अुम्मीदवारी-पत्र वापस ले लिया ।

१०. दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश करनेके लिये काफी समय और मौका होने पर भी अुन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दर्ज नहीं कराया ।

११. अुनके साथ यह स्पष्ट समझौता हो गया था कि अुनका अुम्मीदवारीपत्र अंतिम जांचमें नामंजूर हो जाय तो ही श्री मुन्शी खड़े होंगे । अिसका भंग करके अुन्होंने विश्वासघात किया है ।

१२. अधिकारियोंने अुनका अुम्मीदवारीपत्र स्वीकार करनेसे अिनकार नहीं किया था, तो भी अुन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश नहीं किया और मुझे तथा लोगोंको गलत तौर पर यह विश्वास कराया कि अुन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र भरा है ।

१३. पारसी जातिसे कांग्रेसी अुम्मीदवारोंका समर्थन करनेकी अपील करनेके लिये अुनसे कहा गया, तो भी अुन्होंने अैसा करनेसे अिनकार कर दिया ।

१४. चुनावके काममें कोअी सक्रिय भाग न लेने पर भी और चुनावकी सारी लड़ाअी दोनों अुम्मीदवारोंके और मेरे सुपुर्द होने पर भी चुनावके दिन मतदानमें अुन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप किया और दादरमें कार्यकर्ताओंको सूचना दे दी कि मतदाताओंसे दोनों मत अेक ही अुम्मीदवारको देनेके लिये कहा जाय ।

१५. यह सूचना बदलनेको अुनसे बार बार कहा गया तो भी वे अपनी सूचना बदलनेके लिये दुबारा दादर नहीं गये ।

१६. अिसके परिणामस्वरूप अेक कांग्रेसी अुम्मीदवारकी हार हो गअी और जिस गैरकांग्रेसी अुम्मीदवारका मुकाबला करनेके लिये श्री नरीमानको खास तौर पर खड़ा किया गया था वह जीत गया ।

अिन सब कारणोंसे मेरा श्री नरीमान पर यह आरोप है कि अेक जिम्मेदार कांग्रेसीके रूपमें, बम्बअी प्रांतीय कांग्रेसके अध्यक्षके

रूपमें, बम्बयी प्रान्तीय पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्षके रूपमें और कांग्रेस द्वारा खड़े किये गये अेक अुम्मीदवारकी हैसियतसे अुन्हें जो कर्तव्य पालन करना चाहिये था अुसमें अुन्होंने गंभीर भूल की है ।

अिन आरोपोंका श्री नरीमानने जो जवाब दिया अुसमें बहुतसी बातें अप्रस्तुत और दस्तावेजी हकीकतसे अलग थीं । अुन सबको यहां न देकर अुनके जवाबके मुख्य मुद्दे ही देंगे । अुन्होंने अेक बात तो यह कही कि सरदारकी मुझे हिदायत होने पर भी मैंने अपना अुम्मीदवारीपत्र सिर्फ अिसीलिये वापस ले लिया कि अैसा न करता तो मैं धोखा देनेके और अपने भाअीके बदले गलत तौर पर अपना नाम चला देनेके फौजदारी अपराधका पात्र हो जाता । मैं अपना दूसरा अुम्मीदवारीपत्र असिस्टेण्ट कलेक्टरको देने लगा था, परण्तु अुन्होंने यह कहकर लेनेसे अिनकार कर दिया कि अेक अुम्मीदवारीपत्र वापस लेनेके बाद दूसरा अुम्मीदवारीपत्र नहीं दिया जा सकता । अिसलिये मैंने अुसे वापस ले लिया था । कलेक्टरने जो यह कहा कि अुम्मीदवारीपत्रोंकी अन्तिम जांचके दिन मैंने अुम्मीदवारीपत्र पेश किया ही नहीं, वह या तो अिसलिये कहा कि अुन्हें मालूम नहीं होगा कि मैंने असिस्टेण्ट कलेक्टरको अुम्मीदवारीपत्र देनेका प्रयत्न किया था; या मैंने कानूनी कदम अुठानेका जो नोटिस दे दिया था, अुससे बचनेके लिये कलेक्टरने अैसा कहा होगा । अिसके अलावा, मेरे दूसरे अुम्मीदवारीपत्रके जायज होनेमें शंका तो थी ही । मैंने 'जामेजमशेद' में जो पत्र लिखा था वह अिसीलिये लिखा था कि यदि मैं पारसियोंको यह कहता कि आप सर कावसजीको बिलकुल मत न दें और सिर्फ कांग्रेसी अुम्मीदवारोंको ही दें, तो वे कांग्रेस पर चिढ़ जाते और अकेले सर कावसजीको ही मत देते । मैं पारसियोंका मानस जानता था, अिसलिये मैंने अुन्हें थोड़ेसे मत गैरपारसियोंको भी देनेकी बात कही, ताकि कांग्रेसी अुम्मीदवारको अुनके कुछ मत मिल जायं । मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैंने अैसी तरकीब की जिससे किसी भी तरह मेरी अुम्मीदवारी रद्द हो जाय और सर कावसजी चुनावमें जीत जायं । परण्तु असलियत यह है कि यदि मैं अुम्मीदवारके रूपमें खड़ा रह सका होता तो सर कावसजीके लिये चुनाव जीतना अधिक आसान हो जाता । सर कावसजी और अुनके कार्यकर्ता भी अैसा मानते थे । पहलेके चुनावोंका अनुभव भी यही है कि यदि मैं खड़ा रहता तो साथी कांग्रेसी अुम्मीदवारको मत दिलवानेका कितना ही प्रयत्न किया जाता तो भी मुझको कांग्रेसके अितने अधिक मत मिलते कि दूसरे कांग्रेसी अुम्मीदवारकी स्थिति कमजोर हो जाती ।

पिछले बम्बजी धारासभाके चुनावमें मुझे दूसरे अुम्मीदवारोंसे दस हजार मत अधिक मिले थे । अस बातमें कोअी सार नहीं कि सर कावसजीके बजाय मुझे पारसियोंके वोट अधिक मिलेंगे, यह सोचकर अुनके विरुद्ध मुझे खड़ा करनेकी सरदारकी योजना थी । कारण, पारसी मतदाताओंकी संख्या ही कितनी है ? पिछला अनुभव यह है कि मुझे हिन्दू मतदाताओंके मत ही अधिक मिले थे । यह बात भी बिलकुल झूठ है कि चुनावके दिन मैंने दादर केन्द्र पर जाकर स्वयंसेवकोंसे डॉ० देशमुखको दोनों मत दिलवानेके लिअे कहा था । मैं दो बजे दादर केन्द्र पर गया जरूर था और वहां मुझे यह कहा भी गया कि श्री मुन्शीको बहुत मत मिल गये हैं असलिअे डॉ० देशमुखको दोनों मत दिलानेकी आवश्यकता है । परन्तु मैंने कहा था कि सब केन्द्रों पर निश्चित जांच किये बिना मैं अैसी सूचना नहीं दे सकता । मेरे विरुद्ध यह आक्षेप तो अिसीलिअे खड़ा किया गया दीखता है कि श्री मुन्शीके अेजण्ट अकेले श्री मुन्शीको ही मत दिलवानेके प्रयत्न कर रहे थे और मुन्शीकी मोटरगाड़ियां भी अिस तरहके तस्तेके साथ घूम रही थीं कि 'मुन्शीको मत दो' । मैंने मुन्शीकी मोटरोंसे अैसे तस्ते अुतरवा दिये और 'कांग्रेसको वोट दो' के तस्ते लगवा दिये । अिससे श्री मुन्शी और अुनके अेजंट मुझसे बिगड़ गये । मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने चुनावके लिअे अच्छी तरह काम नहीं किया । अिस बारेमें मुझे कहना चाहिये कि अक्तूबरके अंतिम सप्ताहमें बम्बजीमें कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला था । मैं स्वागत-समितिका अध्यक्ष था, अिसलिअे मुझ पर कामका बोझ अितना अधिक रहता था कि मैं मुक्त होने पर जितना समय चुनावके कामके लिअे और अपना अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेके लिअे दे सकता था अुतना नहीं दे सका । और कामकी शिथिलताका कारण रुपयेका अभाव भी था । केन्द्रीय पार्लमेण्टरी बोर्डने कुछ भी मदद न देकर अितने खर्चीले चुनावका भारी बोझ हम पर डाल दिया था । हमने रुपयेकी मांग की तो अुस पर ध्यान नहीं दिया गया ।

अिस आखिरी दलीलका सरदारका जवाब यह था कि कांग्रेस अधिवेशन २९ अक्तूबरको पूरा हो गया था और चुनाव १४ नवम्बरको होनेवाला था, अिसलिअे काम करनेके १५ दिन निश्चित रूपसे सामने थे । दूसरे, बम्बजी जैसे शहरको केन्द्रीय पार्लमेण्टरी बोर्डसे चुनावके खर्चकी आशा रखना बेहूदी बात थी ।

चुनावमें सर कावसजीके विरुद्ध काम करनेका बड़ा सबूत श्री नरीमानने यह दिया था :

“सर कावसजीके आदमियोंकी ओरसे कुछ मत व्यक्तियोंके झूठे मत डलवानेका प्रयत्न हुआ था। उसका सबूत मैंने पकड़ लिया था। जिन पांच पारसी युवकोंने अैसे झूठे मत दिलवाये थे, उनके बयान लेकर मैं सरदारके पास गया था। वहां श्री भूलाभाभी तथा राजगोपाला-चार्य भी बैठे हुए थे। उन तीनोंके सामने मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि अिन बयानोंके आधार पर चुनाव रद्द करानेकी हम अर्जी दें। मेरी शर्त अितनी ही थी कि उन पांच युवकोंके नाम किसी भी तरह बाहर न आने चाहिये। और उन पर फौजदारी अपराध करनेकी या और कोअी जोखिम न आनी चाहिये। अिस प्रकारकी तमाम जोखिमोंसे अुन्हें बचानेका वचन देकर ही मैं अुनके बयान लाया था। परन्तु सरदार और श्री भूलाभाअीने चुनाव रद्द करानेकी अर्जी देना स्वीकार नहीं किया।”

अिस बातका सरदारका जवाब यह था कि श्री नरीमानकी शर्त स्वीकार करके चुनाव रद्द करानेकी अर्जी देना मूर्खतापूर्ण था। हम आरोप कैसा भी लगाते परन्तु यदि वे युवक गवाही देने न आते तो मामला साबित कैसे होता? हमने अपनी अकल क्या गिरवी रख दी थी कि अैसी अर्जी देना मंजूर कर लेते, जो अदालतमें पहले हमलेमें ही खारिज हो जाती?

श्री नरीमानकी आखिरी दलील यह थी कि यदि १९३४के चुनावमें मैंने कांग्रेसके साथ विश्वासघात किया था तो सरदारने अुस समय मुझ पर यह आरोप लगाकर अुसकी जांच क्यों न कराअी? अितना ही नहीं, अैसे आरोपकी सरदारने मुझे अुस समय जानकारी तक नहीं कराअी! अुसके बाद भी सरदारने मुझे जिम्मेदारीके काम सौंपे हैं। अिन सबसे मालूम होता है कि १९३७ में मुझे धारासभाके कांग्रेसदलका नेता नहीं चुनने देना था, अिसलिये यह आक्षेप बादमें गढ़ लिया गया कि मैंने १९३४ में कांग्रेसको धोखा दिया था।

सरदारकी तरफसे अिसका जवाब यह था :

“जब श्री नरीमान श्रीमती लीलावती मुन्शीको लेकर मेरे पास आये थे तभी अुनकी मौजूदगीमें मैंने यह बात कह दी थी। परन्तु श्री नरीमानके प्रति मन्में कोअी द्वेष नहीं रखा था। १९३४के चुनावके समयके अुनके आचरणसे मैंने अुनका अंदाज लगा लिया था। अतः जिन कामोंके लिये वे योग्य थे वे काम मैं अुन्हें सौंपता रहा। परन्तु अुस समयके अपने अनुभवसे मैंने देख लिया कि कांग्रेसके प्रति अुनकी वफा-

दारी अितनी अुत्कट नहीं है कि सच्चे संकटके समय अुनके हाथमें कांग्रेसका हित सुरक्षित माना जा सके । १९३७ में धारासभाओंमें प्रवेश करके और जरूरी हो तो सत्ता भी हाथमें लेकर कांग्रेस अेक बिलकुल नया और भारी जिम्मेदारीका प्रयोग कर रही थी । अंसे नाजुक अवसर पर नेता बननेके लिये श्री नरीमान मुझे योग्य नहीं लगे । जो मुझसे पूछते या मुझसे परामर्श करते अुन्हें मैं स्पष्ट कहता था कि मुझे श्री नरीमान कांग्रेसदलके नेता बननेके योग्य प्रतीत नहीं होते; परन्तु सब सदस्योंकी अुन्हें नेता चुननेकी अिच्छा हो तो मैं आपत्ति नहीं करूंगा ।”

अब अिस मुद्दे पर श्री बहादुरजीने जो फंसला दिया अुसे देखें । श्री नरीमानने १७ अगस्त, १९३७ को जांचकी मांग करनेवाले अपने पत्रमें गांधीजीको लिख कर बता दिया था कि दो बिलकुल अलग अलग मामलोंकी जांच करनी है :

(१) १९३४ के बड़ी धारासभाके चुनावके समय मेरे आचरण और रवैयेके बारेमें; और

(२) मार्च १९३७ में बम्बअीकी धारासभाके कांग्रेसदलके नेताके चुनावमें सरदार द्वारा अपना प्रभाव काममें लेकर अनुचित दबाव डालने न डालनेके बारेमें ।

“अिन दोनों मुद्दों पर सबूत देनेवाले बहुतेसे बयान हमारे (श्री बहादुरजी और गांधीजीके) पास आये हैं । श्री नरीमान तथा सरदार वल्लभभाअीको ये बयान बता दिये गये और अुनसे पूछा गया कि अिन बयान भेजनेवालोंसे आपको जिरह करनी है या नहीं? दोनोंने अैसा करनेसे अिनकार कर दिया । अिसलिये श्री नरीमान और सरदारके लिखित बयानों तथा अेक-दूसरेको दिये गये जवाबों तथा साक्षियोंके बयानों परसे हमें फंसला देना है । जबानी कोअी बहस करनी हो तो अुसके लिये भी दोनों पक्षोंसे कह दिया गया था । सरदारने कोअी बहस करनेसे अिनकार कर दिया था । श्री नरीमान मेरे सामने आकर अपनी बहस कर गये थे ।

“पहले मुद्देके बारेमें अितनी बात तो निश्चित है कि जुलाअी १९३४ के मध्यमें बम्बअी प्रान्तीय पार्लमेण्टरी बोर्डने बम्बअी शहरकी तरफसे धारासभाके अुम्मीदवारोंके रूपमें श्री नरीमान और डॉ० देशमुखको पसंद किया था । अिस पसंदगीके लिये अखिल भारतीय

पार्लमेण्टरी बोर्डने २९ जुलाजीको अपनी अनुमति दी थी । १४ जुलाजी, १९३४ को मतदाता-सूचियां प्रकाशित कर दी गयी थीं और अन पर आपत्तियोंकी अर्जियां मांगी गयी थीं । २९ सितम्बरको मतदाता-सूचियां अंतिम रूपमें तय हो गयी थीं । १ अक्टूबर, १९३४ को सरकारी गजटमें प्रकाशित हुआ कि धारासभाकी अुम्मीदवारीके लिये अुम्मीदवारोंको ११ अक्टूबर १९३४ को दोपहरके तीन बजे तक अपने अुम्मीदवारीपत्र दाखिल कर देने चाहिये ।

“श्री नरीमान बम्बजी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष थे, बम्बजी प्रान्तके पार्लमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष थे और बम्बजी शहरके लिये कांग्रेसके अुम्मीदवार थे । अन तीनों स्थानों पर आसीन होनेके कारण अनसे स्वाभाविक रूपमें ही अैसी अपेक्षा रखी जाती थी कि अुन्होंने मतदाताओंकी सूचियां ध्यानपूर्वक देख ली होंगी, चुनाव-सम्बन्धी नियमों तथा धाराओंका अुन्होंने ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया होगा और कांग्रेसके पसंद किये हुअे अुम्मीदवारोंके सफल होनेके लिये आवश्यक तैयारियां कर ली होंगी । अैसी अपेक्षा न रखना अन पर यह आरोप लगानेके बराबर होगा कि अुन्होंने अपने कर्तव्य-पालनमें अक्षम्य लापरवाही दिखायी । अितने पर भी श्री नरीमान कहते हैं कि मेरा नाम मतदाताओंकी सूचीमें न होनेका पता मुझे चुनावके पहले दिन अर्थात् १० तारीखको ही लगा । अब डॉ० देशमुखके बयानके अनुसार अुन्होंने ६ अक्टूबरको श्री नरीमानको फोन किया था कि आपके अुम्मीदवारीपत्रमें दिया गया पता और मतदाता-सूचीमें छपा हुआ पता अेक नहीं है । डॉ० देशमुखने यह भी कहा कि श्री छोटालाल सालीसीटर, जो अुम्मीदवारीपत्र देने कलेक्टरके दफ्तरमें गये थे, यह कहते हैं कि कलेक्टरके दफ्तरसे अुन्हें यह कहा गया कि मतदाता-सूचीमें जैसा पता हो वैसा ही अुम्मीदवारीपत्रमें होना चाहिये । अेक या दो दिन बाद श्री नरीमानने मुझे (डॉ० देशमुखको) खबर दी कि अुन्होंने अपने पतेके बारेमें जांच कर ली है, मतदाता-सूचीमें अनका पता ठीक है और अुसीके अनुसार अुम्मीदवारीपत्र भरकर मैं दाखिल कर दूं ।

“श्री नरीमान मेरे सामने पेश किये गये पहले बयानमें कहते हैं कि डॉ० देशमुखने आखिरी दिनसे थोड़े ही दिन पहले मुझसे कहा था कि आपके पतेके बारेमें शंका होती है, अिसलिये आप कलेक्टरके यहां जाकर समय रहते अितमीनान कर लीजिये । अिसलिये ११ अक्टूबरको

या उस अर्समें मैं (नरीमान) डॉ० देशमुख तथा डॉ० साठेको साथ लेकर कलेक्टरके दफ्तरमें गया और असिस्टेंट कलेक्टरसे मिला। सरदार वल्लभभाजीके बयानका जो जवाब श्री नरीमानने दिया है उसमें वे कहते हैं कि डॉ० देशमुखने पतेके बारेमें मुझे फोन किया तब मैंने जवाब दिया कि 'बहुत अच्छा। (Very well.)' मैं बातको अच्छी तरह समझा हूं या नहीं, इसका अतिमीनान कर लेनेके लिये अन्होंने वही बात दुबारा कही। तब मैंने उत्तर दिया कि 'यह सब ठीक है। (It is all right.)' यानी मैं उनका सन्देश अच्छी तरह समझ गया हूं और जो जरूरी होगा वह कर लूंगा। मेरे अिन शब्दोंका विकृत अर्थ करके यह कहा जाता है कि पता ठीक है।

“अब श्री नरीमान यह नहीं कहते कि अन्होंने जांच कर ली थी या सब कुछ ठीक करनेके लिये कुछ भी प्रबंध किया था। श्री नरीमान अितना तो स्वीकार करते हैं कि वे जानते थे कि १९३४ में बड़ी धारासभाके मतदाता बननेके लिये वे योग्य नहीं थे। असा होनेके कारण यह बड़ा अजीब मालूम होता है कि जब ६ अक्तूबरको अन्हें फोन किया गया तब अन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि '४५, अस्प्लेनेड रोड' का पता उनके भाजीका है और उनका अपना नहीं है। यह भी अतना ही विचित्र लगता है कि अन्होंने उसी वक्त डॉ० देशमुखका ध्यान अिस बातकी तरफ क्यों नहीं दिलाया कि प्रान्तीय धारासभाके मतदाताओंकी सूचीमें उनका नाम और सही पता दिया हुआ है। यह भी विचित्र मालूम होता है, जैसा कि वे अपने बयानमें कहते हैं, कि जब अन्होंने ठेठ ११ तारीखको या उस अर्समें भाजीके दफ्तरमें तलाश की तब अन्हें मालूम हुआ कि '४५, अस्प्लेनेड रोड' उनके भाजीका पता है। सरदार वल्लभभाजीने अन्हें हिदायत दी थी कि वे अपना पहला अुम्मीदवारीपत्र वापस न लें और प्रान्तीय धारासभाकी मतदाता-सूचीमें उनका नाम होनेके आधार पर दूसरा अुम्मीदवारीपत्र भर दें। अब ११ अक्तूबरको श्री नरीमानने कलेक्टरके दफ्तरमें दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दिया या नहीं, यह विवादास्पद प्रश्न है। श्री नरीमान कहते हैं कि अन्होंने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र दे दिया था, जब कि डॉ० देशमुख, डॉ० साठे, श्री छोटालाल सालीसीटर और खुद कलेक्टर — ये चारों कहते हैं कि श्री नरीमानने दूसरा अुम्मीदवारीपत्र नहीं दिया था। पहला अुम्मीदवारीपत्र तो वे कहते हैं कि श्री नरीमानने जानबूझकर ही वापस ले लिया था। अिसके साथ वे स्वीकार करते हैं

कि अुम्मीदवारीपत्र दाखिल करनेके नियमानुसार वे अेक पत्र रद्द कराकर अुसके बजाय दूसरा पत्र पेश कर सकते थे । श्री नरीमान अितना तो जानते ही होंगे कि अुन्हें अिसलिये अुम्मीदवार नहीं पसन्द किया गया था कि वे बम्बअीके गैरपारसी मतदाताओंमें बहुत लोकप्रिय थे, बल्कि खास तौर पर अिसलिये पसन्द किया गया था कि कांग्रेस विरोधी पारसी अुम्मीदवारके विरुद्ध वे बहुतसे पारसी मत प्राप्त कर सकते थे । परंतु अुन्होंने तो अपनी अुम्मीदवारी ही वापस ले ली । अपने अिस व्यवहारसे अुन्होंने कांग्रेसदलको धोखा दिया, अिसके सिवा और क्या कहा जा सकता है ?

“श्री नरीमान अपना बचाव अिस प्रकार करते हैं कि यदि वे कलेक्टरके यहां अपना पहला अुम्मीदवारीपत्र अुसमें लिखा पता गलत होनेकी बात मालूम हो जाने पर भी रहने देते तो धोखा देनेके और दूसरे आदमीके बजाय स्वयं गलत रूपमें पेश होनेके फौजदारी जुर्मके पात्र बनते । अिस मामलेमें कानूनको देखनेसे मुझे लगता है कि अेक आदमीके बजाय दूसरा कोअी गलत रूपमें मत दे तो चुनावके नियमानुसार अपराध होता है । परंतु यहां तो अपना सही नाम और पता लिखकर दूसरा अुम्मीदवारीपत्र देना था । अिसलिये अपराधकी शंकाके लिये कारण ही नहीं रहा जाता । फिर श्री नरीमान अुस नियमके अर्थके बारेमें शंका अुठाते हैं, जिसके आधार पर दूसरा अुम्मीदवारीपत्र पेश किया जा सकता था । अुन्हें यदि शंका थी तो अुन्होंने और किसीकी सलाह क्यों न ली ? श्री नरीमान होशियार और अनुभवी वकील हैं, अिसलिये मैं यह आलोचना कर रहा हूं । ये सारी बातें निश्चित रूपमें बताती हैं कि चुनावमें खड़े रहनेकी श्री नरीमानकी बिलकुल अिच्छा नहीं थी । सरदारके वर्धसि लौटनेके बाद १४ अक्तूबरको सरकारके नाम विरोधका तार भेजनेमें अुन्होंने जो टालमटूल की और अन्तमें मजबूरन् तार पर हस्ताक्षर किये, अिस बात पर विशेष आलोचनाकी आवश्यकता नहीं ।”

अब दूसरा मुद्दा लें । अुस मुद्दे पर श्री नरीमानकी शिकायतकी तफसील अिस अध्यायके पहले भागमें आ जाती है । अिसलिये यहां केवल श्री बहादुरजीके निर्णयका सार ही देंगे । श्री बहादुरजीने कहा :

“श्री नरीमानने मेरे सामने बड़ा लंबा बयान पेश किया है ।

अुनके कहनेका सार यह निकलता है कि सरदार वल्लभभाभीको अिस बारेमें अपनी कोअी राय जाहिर करनेका अधिकार नहीं था कि कांग्रेसी

धारासभा-सदस्य किसे अपना नेता चुनें। वह कुछ भी हो। मेरे सामने जो प्रचुर प्रमाण उपस्थित हुआ है, उनमें से नेताके चुनाव-संबंधी हकीकतोंकी छानबीन करने पर वे बहुत सादी और स्पष्ट मालूम होती हैं। प्रमाणोंसे ऐसा खयाल होता है कि नेताके चुनावके बारेमें पहला विचार श्री गंगाधरराव देशपांडे, श्री शंकरराव देव और श्री अच्युत पटवर्धनने १९३७ के फरवरी मासके अंतिम सप्ताहमें किया। और उनकी राय यह हुई कि श्री नरीमान या श्री मुन्शीको नेता बनाना अचित्त नहीं। उनका विचार सरदार वल्लभभाजीको ही नेता बनानेका था और यदि वे अस्वीकार कर दें तो श्री खेरको वे नेता बनाना चाहते थे। इस पर अन्होंने श्री वल्लभभाजीसे इस विषयमें आग्रह किया और पं० जवाहरलालजी तथा महात्मा गांधीको भी सरदारसे इस विषयमें कहनेका अनुरोध किया। परंतु सरदारने नहीं माना। इसलिये अन्होंने श्री खेरका नाम सूचित किया और उनके बारेमें सरदारकी राय पूछी। सरदारने कहा कि नेताकी भारी जिम्मेदारी अुठानेको श्री खेर तैयार हों तो मुझे कोअी आपत्ति नहीं है। इस पर २-३ मार्चके असेमें वे श्री खेरसे बंबजीमें मिले। सबूतोंसे मालूम होता है कि श्री खेरसे नेता बननेको कहा जा रहा था, इस बातसे श्री नरीमान अनभिज्ञ नहीं थे। इसी असेमें श्री नरीमानकी सरदारके साथ वरलीवाली मुलाकात हुई। उस मुलाकातमें सरदारने श्री नरीमानको साफ बता दिया कि आपको नेता बनानेके बारेमें मेरा समर्थन नहीं है। अन्होंने यह भी कहा कि १९३४ के बड़ी धारासभाके चुनावके मौके पर आपने जो व्यवहार किया था उससे आपके बारेमें मुझे असंतोष है। साथ ही साथ यह भी बता दिया कि सभी सदस्य आपको नेता बनाना चाहते हों तो मैं उसका सक्रिय विरोध नहीं करूंगा। बादमें १० मार्चको बम्बजी शहरके धारासभा-सदस्योंकी सभा हुई, जिसके अध्यक्ष श्री नरीमान थे। उस सभामें निश्चय किया गया कि दलके नेता तथा पदाधिकारियोंका चुनाव सर्वसंमतिसे होना चाहिये। और यह भी तय किया गया कि सरदार वल्लभभाजी कर्नाटक तथा महाराष्ट्रके नेताओंसे मिलकर उनके विचार जान लें, ताकि नेताके चुनावकी सभामें सर्वसंमतिसे काम हो। बंबजीके अिन प्रस्तावोंकी जानकारी सरदारको श्री नरीमानने ही दी थी।

“महाराष्ट्र और कर्नाटकके सदस्य ११ मार्चको बम्बजी आये और सरदारगृहमें ठहरे। सरदारगृहमें क्या क्या हुआ, इस बारेमें

श्री नरीमान तथा श्री देशपांडे और श्री देव तथा श्री पटवर्धनने अपने बयान दिये हैं। परंतु श्री नरीमान वहां मौजूद नहीं थे, जिसलिये मुझे श्री देशपांडे, श्री देव और श्री पटवर्धनके बयानों पर ही आधार रखना पड़ेगा। इनके बयानोंका मुख्य मुद्दा यह है कि जिल्लेके नेताओंका यह अधिकार था और कर्तव्य भी था कि वे अपने अपने जिल्लेके धारासभा-सदस्योंका नेताके चुनावके मामलेमें पथप्रदर्शन करें। जिस अधिकार और कर्तव्यकी रूसे अन्होंने श्री नरीमानके, जिन्हें वे वर्षोंसे जानते थे, विरुद्ध राय दी और अपनी रायके लिये कारण भी बताये। अन्होंने बयानमें बताया कि वर्धामें श्री खेरके नामकी बात निकली थी और श्री जवाहरलालजी अथवा गांधीजीने अउनके विषयमें नापसन्दगी जाहिर नहीं की थी। महाराष्ट्र तथा कर्नाटकके अधिकांश धारासभा-सदस्योंके बयान मेरे पास आये हैं। वे देशपांडे, देव और पटवर्धनकी बातका समर्थन करते हैं।

“ १२ मार्चको सारे प्रान्तके धारासभा-सदस्योंकी बम्बयीमें जो सभा हुआ, अउसमें अखबारवालोंको अउपस्थित नहीं रहने दिया गया था। श्री नरीमान भी अउस सभामें गैरहाजिर थे। जिसलिये अउस सभाके बारेमें अखबारों अथवा श्री नरीमानके विवरणों पर आधार नहीं रखा जा सकता। सभामें अउपस्थित मनुष्योंका दिया हुआ विवरण ही अउचित प्रमाण माना जा सकता है। अउपस्थित धारासभा-सदस्योंके बयान ध्यानपूर्वक पढ़ जाने पर साफ मालूम होता है कि सभाका काम बड़े व्यवस्थित ढंगसे और १० मार्चको बम्बयीकी सभाने जो निश्चय किया था अउसीके अनुसार हुआ था। पहले अविधिवत् रूपमें जान लिया गया कि भारी बहुमत किसके पक्षमें है। सभी धारासभा-सदस्य, जिन्होंने मेरे पास अपने बयान पेश किये हैं, कहते हैं कि बहुमत श्री खेरके पक्षमें था और सरदार वल्लभभाजीने किसी पर असर डालनेकी कोशिश नहीं की थी। केवल दो-तीन धारासभा-सदस्य बताते हैं कि सरदार वल्लभभाजीसे यह पूछने पर कि श्री नरीमानको क्यों नहीं चुनना चाहिये, अन्होंने जवाब दिया था कि श्री नरीमानका नेता बनना मुझे पसन्द नहीं, परंतु आप सब श्री नरीमानको नेता बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सरदारने अनुचित दबाव डाला। पेश हुअे बयानोंसे यह भी जान पड़ता है कि भारी बहुमत श्री खेरके पक्षमें होनेके कारण अउनके नामका बाकायदा प्रस्ताव रखा गया और वह किसीके विरोधके बिना पास हो गया।

अिसलिये यह साबित नहीं होता कि सरदार वल्लभभाजीने या और किसीने अनुचित दबाव डाला। श्री नरीमान अिस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ९ मार्चको सरदार वल्लभभाजीने श्री गंगाधरराव देशपांडे और श्री शंकरराव देवको तार देकर वम्बजी आनेके लिये कहा था। परंतु पेश हुआ प्रमाणोंसे तारका जो अर्थ श्री नरीमान करते हैं वह अर्थ निकालनेका कोजी कारण नहीं दिखायी देता। अुस तारका अुद्देश्य क्या था, अिस बारेमें श्री देव तथा श्री पटवर्धनने ९ जूनको और श्री गंगाधरराव देशपांडेने ११ जूनको अपने बयान प्रकाशित किये हैं, वे श्री नरीमानके अनुमानके विरुद्ध जाते हैं। अिमके सिवा १६ जूनको अेक वक्तव्य प्रकाशित करके और १७ जूनको पत्र लिखकर पं० जवाहरलालने अिन तारोंका स्पष्टीकरण किया है। अिन बयानोंसे और श्री जवाहरलालजीके स्पष्टीकरणसे किसी भी समझदार आदमीको संतोष हो जाना चाहिये था।

“मेरे (श्री बहादुरजीके) पास कुल ८३ बयान आये हैं। वे सब मैंने श्री नरीमानको बता दिये हैं। सब बयान अुन्होंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिये हैं और कुल ५८ बयानोंकी अुन्होंने नकलें कर ली हैं अथवा अुनमें से अुद्धरण लिये हैं। अपने मामलेकी वहस करनेका भी अुन्हें अवसर दिया गया है। अिन सब बातों परसे मैं अिस निर्णय पर पहुंचता हूं कि १९३४ की बड़ी धारासभाके चुनावके मामलेमें श्री नरीमान पर जो आरोप लगाये गये हैं वे सत्य सिद्ध होते हैं और १९३७ के नेताके चुनावके बारेमें श्री नरीमानने सरदार वल्लभभाजी पर जो आक्षेप किये हैं वे सिद्ध नहीं होते।”

गांधीजीने अिस निर्णयके साथ अपनी सम्मति प्रकट करनेवाली निम्न-लिखित टिप्पणी लिखी थी :

“श्री नरीमान-सरदार केसके बारेमें श्री बहादुरजी अपना निर्णय लेकर मेरे पास आये हैं। यह मामला मैंने सार्वजनिक हितके खातिर ही हाथमें लिया। अुसमें बहुत संकोचके साथ मैंने श्री बहादुरजीकी मदद मांगी और वह अुन्होंने तुरंत दे दी। पहले शायद अुन्हें खयाल नहीं हुआ होगा कि सिर पर लिये हुआ कामके साथ न्याय करनेमें अुन्हें कितना परिश्रम करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि अुनकी मूल्यवान सहायताके बिना मैं क्या कर सका होता। अुनका निर्णय हमने साथ साथ पढ़ लिया है। मैंने थोड़ेसे फेरबदल सुझाये जो अुन्होंने फौरन् ही मान लिये। अुनके सिवा सारा निर्णय पूरी तरह अुनका अपना

ही है। मेरे साथ पहलेसे किसी भी प्रकारकी परामर्श किये बिना वे जिस निर्णय पर पहुँचे हैं। उनकी दी हुयी दलीलों और निर्णयोंसे मैं सहमत हूँ।

“लोग देखेंगे कि उनके निर्णय शुद्ध न्याययुक्त हैं। दोनों पक्षोंको पेश किये हुअे प्रमाण देखने, उनकी नकलें लेने तथा साक्षियोंके बयान लेने या जिरह करनी हो तो जिरह करनेके सभी अवसर दिये गये थे। परंतु जिस तरह जबानी बयान लेनेसे दोनों पक्षोंने अनिकार कर दिया। केसमें कुल ८० साक्षी हैं और उनके बेशुमार सबूत हैं, यद्यपि उनमें से अधिकांश हमारे सामने उपस्थित दो मुद्दोंके साथ बिल्कुल अप्रस्तुत हैं। श्री नरीमानको अपने पासके सारे सबूत मेरे सामने लानेकी पूरी छूट दी गयी थी। जिन जिन आदमियोंके नाम अन्होंने दिये अन्हें मैंने निजी पत्र लिखे। सबूतके लिअे मैंने सार्वजनिक अपील की, जिसके अत्तरमें अधिकांश धारासभा-सदस्योंने अपने बयान भेजे हैं।

“जिससे अधिक कर्तव्यका मुझे पालन करना न होता तो और कुछ कहनेकी जरूरत नहीं थी। परंतु मेरे पास जो प्रमाण भेजे गये हैं उनसे मुझे कुछ अँसी बातें मालूम हुयी हैं, जिनका अुल्लेख मुझे करना चाहिये। श्री नरीमानने अखबारोंके अुद्धरणोंकी बहुतसी कतरनें मेरे पास भेजी हैं। अुन्हें पढ़कर बहुत दुःख होता है। जिस मामलेमें सरदार साम्प्रदायिक वृत्तिसे प्रेरित हुअे थे, जिसका थोड़ा भी सबूत न होते हुअे भी अखबारोंने अँसे अिशारे किये हैं कि श्री नरीमानको नेता न चुननेमें साम्प्रदायिक रवैया काम कर रहा था। अँसी बातें कहकर समाचारपत्रोंने बम्बयीके सार्वजनिक जीवनकी बड़ी कुसेवा की है। मुझे खुशी होती है कि श्री नरीमानने अँसी बातोंसे अनिकार किया है।

“सरदारके विरुद्ध श्री नरीमानकी शिकायतोंका सार निकाला जाय तो वह अितना ही निकलता है। ३ मार्चको सरदारने नरीमानसे कहा कि वे उनको मदद नहीं दे सकेंगे और तदनुसार अुन्होंने मदद दी भी नहीं। यह तो स्पष्ट है कि सरदार जैसा प्रभावशाली मनुष्य जब निष्क्रिय रहे तो उनका यह रवैया श्री नरीमानके विरुद्ध जा सकता है। परंतु जिसके लिअे सरदारको दोष नहीं दिया जा सकता। मुझे तो लगता है कि श्री नरीमान यह भूल जाते हैं कि बम्बयी शहर ही सारा बम्बयी प्रान्त नहीं है। यदि महाराष्ट्र और कर्नाटकका सचमुच उन पर विश्वास होता, तो सरदारकी निष्क्रियता

अनुके चुनावमें जरा भी बाधक नहीं होती। आज भी धारासभा-सदस्य श्री खेरसे त्यागपत्र देनेको कहें और अनुकी जगह श्री नरीमानका चुनाव करें तो असा करनेसे अन्हें कोअी रोक नहीं सकता। सरदारके जबरदस्त असरके कारण असा कोअी परिवर्तन होना असंभव है, यह कहना विचारहीनताका द्योतक है। अंक मनुष्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह ९० मनुष्योंको लंबे समय तक दबा नहीं सकता।

“परिस्थितिका मेरा पृथक्करण यह है कि श्री नरीमानने धारा-सभा-सदस्यों पर अपने प्रभावका जरूरतसे ज्यादा अनुमान लगाया और अपनी हारसे तीव्र निराशा अनुभव की। अनुकी विवेकशक्ति बिलकुल कुंठित हो गयी। मेरे सामने दिये गये अनुके बयानोंसे यह बात साबित होती है। परंतु अनुके सलाहकारों और अखबारोंके प्रचारने अनुके अिस भ्रमको प्रोत्साहन दिया। ये शब्द लिखते हुअे मुझे जरा भी खुशी नहीं होती। परंतु जो आदमी अनुका मित्र है, हितचिन्तक है और कांग्रेस कार्यसमितिके अनुका प्रवेश करानेमें जिसका कुछ हाथ रहा है, वह अपना अुद्विग्न हृदय खोले तो शायद अनुकी आंखें कुछ खुलें, अिस आशासे ही मैंने ये शब्द लिखे हैं।”

ता० १४ को निर्णयके दिन श्री नरीमानको वर्धा बुलवाया गया था, परंतु वे आ न सके। अिसलिके श्री बहादुरजीके साथ महादेवभाअी बंबअी गये। ता० १५ को श्री नरीमानको श्री बहादुरजीके दफतरमें अिस सूचनाके साथ बुलाया गया कि आप चाहें तो अपना बैरिस्टर साथ ला सकते हैं। अिसलिके श्री नरीमान श्री बहादुरजीके दफतरमें अपने बैरिस्टरके साथ गये। गांधीजीका यह सुझाव था कि श्री नरीमान निर्णय पढ़कर अपने व्यवहारके लिके सार्वजनिक रूपमें खेद प्रकाशन करना मंजूर कर लें तो निर्णय प्रकाशित न किया जाय। परंतु गांधीजी श्री नरीमानके खेदके साथ अपना अंक वक्तव्य प्रकाशित करें। श्री नरीमानने ध्यानपूर्वक फंसला पढ़ लिया और अपने बैरिस्टरके साथ परामर्श करके गांधीजीका सुझाव मान लिया। अिसलिके ता० १६ को गांधीजीने वर्धासे निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

“नरीमान-सरदार केसमें श्री बहादुरजी तथा मैं अंक-दूसरेसे स्वतंत्र रूपमें विचारपूर्वक जिस निर्णय पर पहुंचे हैं, असे प्रकाशित करनेके बजाय श्री नरीमानका वक्तव्य जनताके समक्ष रखते हुअे मुझे आनंद हो रहा है। मैंने अंक दुःखदायक कर्तव्य सिर पर लिया था। और मेरी प्रार्थना पर श्री बहादुरजीने अुसमें मेरा साथ देना मंजूर किया

था। अनुकी कीमती मददके बिना और अन्होंने जो असाधारण परिश्रम किया अुसके बिना अपनी मौजूदा तंदुरुस्तीमें यह बोझ अुठानेमें मँ टूट जाता। मेरे पास ढेरों प्रमाण अुपस्थित किये गये हैं। मैंने अुनकी अेक अेक पंक्ति पढ़ ली है। ये सारे कागजात मैंने बहादुरजीको भेज दिये। वे सारे प्रमाणोंका अेक अेक अक्षर पढ़ गये हैं; अितना ही नहीं, परंतु अुसमें से अुन्होंने लंबे नोट भी लिये हैं। १९३४ के चुनावके अटपटे मामलेसे संबंधित कानूनको भी अुन्होंने पढ़ लिया है और मुझेसे स्वतंत्र रूपमें अुन्होंने अपना निर्णय दिया है। अुसे लेकर सेवाग्राम आनेकी अुन्होंने कृपा की।

“ता० १४ का सारा दिन हमने अुनका लिखा हुआ निर्णय पढ़ने और अुस पर विचार करनेमें लगाया। बादमें मेरी सहमति-सूचक टिप्पणी लिखी गयी। मैंने आशा रखी थी कि श्री नरीमान भी अुस दिन हमारे साथ होंगे। परंतु वे नहीं आ सके। बादमें मैंने सुझाया कि बंबयी जाकर श्री बहादुरजी श्री नरीमानको अपने पास बुलायें। मैंने यह सूचना दी कि निर्णय तथा मेरी टिप्पणी पढ़कर वे प्रतीतिपूर्वक अुसे स्वीकार करें, और वे अपनी तरफसे सार्वजनिक वक्तव्य निकालें तो हम यह निर्णय प्रकाशित न करें, परंतु दोनों पक्षोंको अेक अेक प्रति देकर संतोष कर लें। श्री बहादुरजीको यह सूचना पसन्द आयी। गुरुवारकी रातको मैंने श्री महादेव देसायीको श्री नरीमानसे मिलने बंबयी भेजा। श्री नरीमान अपने बैरिस्टरके साथ श्री बहादुरजीके दफ्तरमें गये और वह निर्णय अुन्होंने पढ़ा। अब श्री नरीमानका वक्तव्य जनताके सामने रखते हुअे मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि जनता और समाचारपत्र भूतकालकी तीखी और अशोभनीय चर्चाको भूल जायेंगे। अुस चर्चाके कारण बम्बयीकी प्रवृत्तिमें से अुसका प्रतिदिनका अुत्साह और आनंद नष्ट हो गया था।

“श्री नरीमानने विचारपूर्वक और पूरे हृदयसे जो अिकरार किया है अुमके लिअे मैं अुन्हें बधायी देता हूं। श्री बहादुरजीने अुच्च कर्तव्यबुद्धिसे और मेरे प्रति रहे प्रेमके कारण मेरे भारमें हाथ बंटाया है अुसके लिअे मैं अुनका अत्यंत ऋणी हूं। श्री नरीमानका बयान अिस प्रकार है :

‘गांधीजीने मुझे विश्वासमें लेकर अपनी जांचका निर्णय मुझे बताया, अिसके लिअे मैं अुनका आभारी हूं। अुस निर्णयका

मैंने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। मेरे चुने हुए न्यायाधीशोंने, जिन्हें अपने मित्र समझनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त है, जो निर्णय दिया है उसे मुझे स्वीकार कर लेना चाहिये। वह निर्णय प्रकाशित करनेका उन्हें अधिकार था, परंतु उन्होंने मुझसे अुदारतापूर्वक कहा कि यदि मैं ऐसा सार्वजनिक वक्तव्य निकालूं कि मुझे अुनके निर्णयसे संतोष हो गया है तो वे अुसे प्रकाशित नहीं करेंगे। मैंने अुनका मुझाव मान लिया है और तदनुसार यह सार्वजनिक वक्तव्य निकाल रहा हूं। मुझे अितमीनान हो गया है कि १९३४ के बड़ी धारासभाके चुनावके मामलेमें कांग्रेसके अेक जिम्मेदार पदाधिकारीकी हैसियतसे मैंने अपने कर्तव्यका पालन नहीं किया था। मैंने अपने कुछ मित्रोंको यह माननेका कारण दिया कि अपनी लापरवाहीसे मैंने गंभीर विश्वासघात किया था।

‘ १९३७ में बम्बयीकी धारासभाके कांग्रेसदलके नेताके चुनावके मामलेमें मैं सखेद स्वीकार करता हूं कि मैंने साधारण स्थितिकी गलत कल्पना कर ली और कुछ धारासभा-सदस्योंके दिये हुअे बयानोंके आधार पर यह मान लिया कि मेरे साथ अन्याय किया गया है। मैंने अिस मान्यतामें अपने मित्रों और कुछ अखबारोंको शामिल कर लिया। परिणामस्वरूप खूब कटुता बड़ी और कुछ अखबारोंने सरदार वल्लभभायी पर साम्प्रदायिक द्वेषभावका आरोप लगाया। मैंने पहले सार्वजनिक रूपमें कह दिया है और अब फिर कहता हूं कि यह आरोप सर्वथा निराधार है। सरदारने जो कुछ किया या न किया, वह कर्तव्य-बुद्धिसे प्रेरित होकर ही किया था। मुझे अफसोस है कि अिस आन्दोलनने व्यक्तिगत और साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया और जिस शिकायतको सच्ची नहीं परंतु कल्पित समझनेका लोगोंको हक है अुसके वारेमें महात्मा गांधी और श्री बहादुरजीका अितना समय लेनेमें मैं कारण बना।

‘ अितना कहनेके बाद मेरे खयालसे जिस जनताकी अितने वर्ष तक सेवा करनेका मैंने दावा किया है अुस जनताके साथ मुझे अिन्साफ करना चाहिये। मुझ पर अुसका विश्वास पूरी तरह स्थापित होनेके लिये ही मैं पूरा विचार करके यह घोषणा करता हूं कि अपने पदोंकी अवधि समाप्त होने पर अुन स्थानोंके लिये

दुबारा खड़ा होनेका मेरा अिरादा नहीं है। अुन पदों पर रहे बिना कांग्रेसकी और जनताकी सेवा करनेका मेरा निश्चय है, ताकि कटुता और द्वेष मिट जाय और शांति तथा मेल फिरसे स्थापित हो जाय।'''

यह कांड यहीं समाप्त हो जाता तो अुसका बड़ा शुभ अन्त आया माना जाता। परंतु बादमें श्री नरीमानने जो रवैया अपनाया, अुसे देखते हुअे खयाल होता है कि अुनका अिकरार सच्चे दिलका अिकरार नहीं था। अिकरार करनेके सात ही दिन बाद अर्थात् २३ अक्टूबरको श्री नरीमानने बंगलोरसे अेक वक्तव्य प्रकाशित करके सारी बात बदल डाली। अुन्होंने कहा :

“मनुष्य क्षणिक पागलपनकी स्थितिमें आत्महत्या भी कर बैठता है। मनकी निराशा और अस्थिर स्थितिमें जब अुसे न्याय प्राप्त करनेका कोअी अुपाय नहीं सूझता तब अपने मनकी तंग हालतको मिटानेके लिये वह अँसा कदम अुठाता है। मेरा मामला भी मानसिक निराशाके समय राजनैतिक आत्महत्या कर डालनेका है। मुझ पर यह आरोप लगाया गया था कि मैं विवादको जारी रखकर बम्बअीके सार्वजनिक जीवनको छिन्नभिन्न कर रहा हूँ, कांग्रेसमें विनाशकारी फूट पैदा कर रहा हूँ और तमाम राष्ट्रीय और देशहितके कामकाज बन्द करवा रहा हूँ। यह भी कहा जाता था कि जब तक अिस झगड़ेका संतोषजनक निबटारा नहीं हो जाता, तब तक गांधीजीके स्वास्थ्य पर अुसका असर होता ही रहेगा और वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं होंगे। मैंने बयान दिया अुससे पहले मुझे अेक तार मिला था, जिसका भावार्थ अँसा ही था। अिसलिये अपनी राजनैतिक मृत्युकी आज्ञा पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये। १९३४ के बड़ी धारासभाके चुनावमें मुझसे गफलत हुअी होगी, मैं लापरवाह रहा हूँगा और जल्दीमें कुछ कर बैठूँगा। परंतु मेरी दलील यह थी कि अुस समय बम्बअीमें कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला था और स्वागत-समितिके अध्यक्षके नाते अुसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। अिसलिये दूसरे काम मुझे छोड़ देने पड़े थे। मैं चुनावके कामकी तरफ कोअी ध्यान न दे सका। परंतु चुनावके कामकी जिम्मेदारी तो मेरी मानी ही जाती थी, अिसलिये यह मान लिया गया कि अुस कामके बारेमें लापरवाही करके मैंने विश्वासघात किया। अिसलिये मुझे निर्णय स्वीकार कर लेना पड़ा। अपने भविष्यके कामके लिये मैं कहूँगा कि जिस कांग्रेसकी मैंने अितनी वफादारीसे

सेवा की है, अितने वर्षोंसे जिससे मैं निष्ठापूर्वक चिपटा हुआ हूँ और जिसके खातिर मैंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, अुससे मुझे निकाल देनेके व्यवस्थित प्रयत्न होते हुअे भी अुस संस्थाको मैं अन्त तक नहीं छोडूंगा।”

अिस प्रकार श्री नरीमान मुकर गये तो अपना निर्णय कार्यसमितिको सौंप देनेके सिवा गांधीजीके पास दूसरा मार्ग नहीं रह गया। कांग्रेसके अध्यक्षके नाते पंडित जवाहरलालजीको अुन्होंने कलकत्तेमें २ नवम्बरको निम्न-लिखित पत्र लिखा :

“श्री नरीमानने आपके साथ तथा मेरे साथ किये पत्रव्यवहारमें जो मुद्दे बताये थे अुन पर जांच-समितिका दिया हुआ निर्णय साथमें भेज रहा हूँ। मेरा खयाल था कि यह निर्णय प्रकाशित करनेके बजाय अपना अिकरार प्रकाशित करनेकी मेरी सूचना श्री नरीमानने स्वीकार कर ली है, अिसलिये जिस जांचके लिये मुझे बड़ी मेहनत अुठानी पड़ी है अुसका अंत आ जायगा।

“परंतु चूकि श्री नरीमानने अपना अिकरार अखबारों द्वारा वापस ले लिया है, अिसलिये स्थिति बदल जाती है। श्री नरीमानके अन्तिम वक्तव्यसे अुनके मनकी दुःखद अवस्थाका खयाल होता है। श्री नरीमानके अंतिम वक्तव्यमें खुला असत्य है, यह मैंने श्री नरीमानको अपने पत्रमें बता दिया है। सत्य यह है कि श्री नरीमानने खुद अिस जांचकी मांग की थी। १९३४ के बंबअीके चुनावमें अुन्होंने गंभीर विदवासघात किया, सरदार वल्लभभाअीके अिस आक्षेपकी जांचकी मांग जानबूझकर अुन्होंने की है। आपके नाम लिखे श्री नरीमानके पत्रमें यह वाक्य है :

‘अैसे स्वतंत्र पंचके निर्णयके अनुसार मैं जरा भी अपराधी ठहरूँ तो आप या कोअी और अधिकारी जो सजा देगा अुसे मैं खुशीसे सह लूंगा। परंतु साथ ही यदि दूसरा पक्ष अपराधी ठहरे तो अुसके साथके निजी संबंध अथवा अुसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका जरा भी विचार किये बिना अुसे अैसी ही सजा देनी होगी।’

“मेरे नाम लिखे पत्रमें (अभी अुसकी नकल मेरे पास नहीं है) वे अिससे भी आगे चले गये हैं और अुन्होंने कहा है कि सरदारके आरोपके अनुसार यदि वे अपराधी जान पडेंगे तो वे

स्वयं ही किसी पद या जिम्मेदारीके स्थानके लिये अपनेको अयोग्य समझेंगे।

“मेरी राय है कि श्री नरीमानने अपने व्यवहारसे अपनेको किसी भी जिम्मेदारीके स्थानके लिये अयोग्य साबित कर दिया है। केवल इसीलिये नहीं कि १९३४ के चुनावमें गंभीर विश्वासघात करनेके वे अपराधी ठहरे हैं और सरदार बल्लभभाजीके विरुद्ध लगाये हुअे आक्षेप वे साबित नहीं कर सके, परंतु अुनके पत्रव्यवहारमें दिखायी देनेवाले अुनके बादके व्यवहारके कारण और खास तौर पर अपने बैरिस्टरकी अुपस्थितिमें स्वतंत्र रूपसे किये गये अिकरारसे अिस बुरे ढंगसे मुकर जाननेके कारण भी अुनकी अैसी अयोग्यता साबित होती है।”

कलकत्तेमें हुअी कांग्रेस कार्यसमितिने अुसी दिन अिस विषयमें निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किया :

“श्री नरीमानके अुठाये हुअे मुद्देके बारेमें महात्मा गांधी तथा श्री बहादुरजीकी रिपोर्ट पर कार्यसमितिने विचार किया। अुसीके साथ महात्मा गांधीके लिखे हुअे पत्र और जांच-समितिकी रिपोर्टके बारेमें श्री नरीमानके दो वक्तव्यों पर भी समितिने ध्यान दिया। पंचका दिया हुआ निर्णय, श्री नरीमान द्वारा की हुअी अुसकी स्वीकृति और बादमें की गयी अस्वीकृति — अिन सबको देखते हुअे समिति श्री नरीमानको कांग्रेसमें कोअी भी जिम्मेदारी और विश्वासका स्थान लेनेके लिये अयोग्य करार देती है।”

अिस प्रस्तावके प्रकाशित होते ही श्री नरीमान बिगड़े। गांधीजी पर पक्षपात करने और अपने दिये हुअे वचनका पालन न करनेके आक्षेप तो अुन्होंने किये ही। परंतु श्री बहादुरजी तथा पंडित जवाहरलालजीको भी नहीं छोड़ा। अेकके बाद दूसरा वक्तव्य प्रकाशित करके वही बात बार बार लिखते रहे। बादमें श्री वेलिकर बैरिस्टरसे गांधीजी और बहादुरजीके निर्णयकी दुबारा जांच करायी और अुनकी राय अपने पक्षमें प्राप्त की। अिस संबंधमें महादेवभाजी द्वारा ता० २५-११-'३७ को सरदारके नाम लिखे गये पत्रसे निम्नलिखित अंश अुद्धृत करने योग्य है :

“बैरिस्टर वेलिकरकी दी हुअी राय अुद्धृत करके श्री नरीमानने जो बयान प्रकाशित किया है अुसे बापूजीने अखबारोंमें देखा। अुनका खुदका तो यह खयाल है कि वेलिकरकी राय तोड़मरोड़ कर दी गयी है। मुख्य मुद्देकी बात छोड़कर जिस चीजका बहुत मूल्य नहीं अुसी पर

अुन्होंने जोर दिया है। बापू कहते हैं कि आपको इस रायका अच्छी तरह जवाब देना चाहिये। श्री भूलाभाजी तथा श्री मोतीलाल सेतलवाड़को लिखना चाहिये। बापू कहते हैं कि अुन्हें सारी चीजका कानूनी दृष्टिसे अध्ययन करके अपनी राय देनी चाहिये। अिन दो बातोंके बारेमें कि नरीमानने जांच चाही नहीं थी और निर्णय वगैरा प्रकाशित करनेमें गांधीजीने वचन-भंग किया है अेक छोटासा वक्तव्य प्रकाशित करना है सो मैं करूंगा।”

परंतु सरदारने श्री भूलाभाजीको या श्री सेतलवाड़को इस संबंधमें लिखा ही नहीं। श्री नरीमान अखबारोंमें कुछ भी लिखा करें, इसकी अुन्हें परवाह नहीं थी। अुन्हें तो गांधीजी और बहादुरजीके निर्णयसे पूरा संतोष था।

श्री भूलाभाजीने लाला लाजपतरायकी पुण्यतिथिके दिन भाषण देते-हुअे इस प्रकरणका अुल्लेख करके कहा कि अपने पसन्द किये हुअे पंचके निर्णय पर फिर अपील क्या हो सकती है? जब मैंने अखबारोंमें पढ़ा कि इस निर्णयकी फिरसे जांच होनी चाहिये तो मुझे आश्चर्य हुआ। अिज्जतदार आदमीके जीवनमें वचन जैसी चीज होनी ही चाहिये। जिस पंचको खुद ही चुना हो वह पंच जो भी निर्णय दे, वह हमें पसन्द हो या न हो, अुसे स्वीकार कर ही लेना चाहिये। श्री नरीमानने श्री भूलाभाजीके इस भाषणका भी १९ नवम्बरको लंबा जवाब दिया और अुसके बाद भी जब जब थोड़ा भी मौका मिला तभी अुन्होंने इस चर्चाको अखबारोंमें जाग्रत रखा। मैं जब कालेजमें पढ़ता था तब हमारे आचार्य अेक स्कॉच ब्रुडियाकी बात हमसे कहा करते थे। वह कहती थी कि मैं किसीकी भी बात माननेको तैयार हूं, परन्तु मुझसे मनवा सके अैसा कोअी आदमी हो तो मेरे पास लाओ। (I am prepared to be convinced, but show me the man who can convince me.) अिसी तरह श्री नरीमान भी पंचका फैसला स्वीकार करनेको तैयार थे, परंतु वह फैसला न्यायपूर्ण हो तब न?

कांग्रेस कार्यसमितिका प्रस्ताव सन् १९३७ के अन्तमें पास हुआ। अुसके ठीक दस वर्ष बाद अर्थात् १९४७ के अन्तमें श्री नरीमानने अपने व्यवहारके लिये सरदारके सामने खेद प्रगट किया और फिर कांग्रेसमें शरीक हुअे। अुस समय बम्बअी कारपोरेशनका चुनाव होनेवाला था। अुसमें वे कांग्रेसदलकी ओरसे खड़े हुअे, चुने गये और बादमें दलके नेता भी बने। परंतु वे अधिक समय काम न कर सके। अेक मुकदमेके सिलसिलेमें वे दिल्ली गये थे। जिस हॉटलमें ठहरे थे वहां ता० ४-१०-४८ को रातमें अचानक हृदयकी गति

बन्द हो जानेसे अनका देहान्त हो गया। होटलवालेने सरदारको खबर दी तो अन्होंने अेक पारसी अफसरको होटलमें भेजा और अुनके भाअी तथा पत्नीको फोनसे खबर दी। दूसरे दिन अुनके भाअी तथा पत्नीकी अिच्छानुसार सरदारने अुनके शवको विशेष विमान द्वारा बम्बअी भेज देनेकी व्यवस्था कर दी।

२१

हरिपुरा कांग्रेस - १

फैजपुर कांग्रेसमें ही सरदार अगले अधिवेशनके लिये गुजरातकी तरफसे निमंत्रण दे आये थे। हमने देख लिया कि फैजपुर कांग्रेसके बाद प्रान्तीय धारासभाओंका चुनाव होनेवाला था। अुन चुनावोंका काम पूरा होते ही गुजरातने कांग्रेसके अधिवेशनकी तैयारियां शुरू कर दीं। ग्रामीण प्रदेशमें कांग्रेसका अधिवेशन करनेकी जड़में मुख्य हेतु यह था कि गांवोंकी जनतामें कांग्रेसके लिये अधिक दिलचस्पी पैदा हो और अुसमें जागृति आये। यह हेतु भी था कि कांग्रेसने ग्रामोद्धारका जो नया आन्दोलन शुरू किया था अुसके विषयमें गांवोंके लोग अधिक समझने लगें और अुसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने लगें। अिसलिये गांधीजीने शुरूमें ही सरदार अेवं गुजरातके अन्य कार्यकर्ताओंसे कह दिया था कि अिस कांग्रेसमें खादी और ग्रामोद्योगोंका पूरा वातावरण होना चाहिये। कांग्रेसके सिलसिलेमें जो बांधकाम हो अुसमें आसपासके प्रदेशमें मिलनेवाली चीजें ही काममें ली जायं। खानेमें हाथचक्कीका पिसा आटा, हाथसे कुटे हुअे चावल और घानीका तेल अिस्तेमाल होना चाहिये। अितना ही नहीं, गायका ही दूध, घी, मक्खन वगैरा काममें लाया जाना चाहिये। पहले तो गांधीजीका यह आग्रह था कि वहां जो खानगी होटल, ढाबे वगैरा खुलें अुनमें भी यही आग्रह रखा जाय। परंतु कार्यकर्ताओंने जब कहा कि अिन सबसे निबटना हमारे वूतेसे बाहर हो जायगा, तब गांधीजीने अपना आग्रह छोड़ दिया। और कांग्रेसके भोजनालय तक ही यह आग्रह मर्यादित कर दिया गया।

फैजपुरके अनुभवसे अितना तो मालूम हो गया था कि कांग्रेसके लिये जो स्थान चुना जाय वह विशाल खुली जगहमें होना चाहिये और पानीकी वहां काफी सहूलियत होनी चाहिये। स्थान चुननेके लिये अेक विशेष समिति मुकर्रर की गअी। अुसने कोअी तीन स्थानोंकी सिफारिश की। सरदारने वे स्थान स्वयं देखकर अन्तमें बारडोली तालुकेमें हरिपुरा गांवके पास ताप्ती नदीके

किनारे अंक लम्बी चौड़ी जगह पसन्द की। अुसीके पास मांडवीका जंगल पड़ता था, अिसलिये वहांसे बांस, बल्लियां तथा दूसरी लकड़ी ताप्ती नदीके बहावमें ही बेटों पर लायी जा सकती थी। साथ ही बांसके पत्तों और ताड़ व नारियलके पत्तोंकी चटावियां जितनी चाहिये अुतनी अुस जंगलमें रहनेवाले लोगोंने ही बनवायी जा सकती थीं। लेकिन सरदारको अकेले अपने ही चुनावसे संतोष नहीं हुआ। मअी मासमें सरदार गांधीजीको आरामके लिये वलसाड़के पास समुद्रतट पर स्थित तीथल स्थान पर ले आये। अुस समय शांतिनिकेतनसे श्री नंदलाल बोसको भी वहां बुलवा लिया गया, क्योंकि सारी कांग्रेसको कलामय ढंगसे सजानेका काम नंदबाबूको सौंपा गया था। सरदारने गांधीजी और नंदबाबूसे जगह पास करा ली तभी अुन्हें संतोष हुआ। नंदबाबूने कहा कि यह स्थान अितना रमणीय और प्राकृतिक रूपमें ही कलामय है कि मेरा काम बहुत आसान हो जायगा। गांधीजी भी अुस स्थानको देखकर बहुत खुश हुए। लगभग पांच सौ अंकड़के घेरेमें कांग्रेसका पड़ाव डालना तय हुआ। जमीनके मालिकोंने, जिनमें लगभग आधे मुसलमान थे, अपनी जमीनें कांग्रेसके कामके लिये मुफ्त दे दीं।

गांधीजीका दूसरा आग्रह यह था कि “जब हम गांवमें कांग्रेस अधिवेशन कर रहे हैं तो अुसमें बहुत खर्च नहीं होना चाहिये। पांच हजार रुपयेसे ज्यादा खर्च होना मुझे पसन्द नहीं।” सरदारको तो गांवमें भी खूब साधन-सुविधाओं जुटानी थीं। पांच हजार तो क्या, पांच लाख रुपया भी खर्च हो तो अुसके लिये वे तैयार थे। परंतु गांधीजीकी बातका सीधा विरोध कैसे किया जाय? अिसलिये अुन्होंने कहा कि आपके आश्रममें श्री रामदास गुलाटी अिजीनियर हैं, अुन्हें आप मुझे सौंप दीजिये। सारे बांधकामकी जिम्मेदारी मैं अुन पर डाल दूंगा और वे मुझे जितना रुपया मांगेंगे अुतना दे दूंगा। अुन्हें जितने रुपयेमें कांग्रेस अधिवेशन करना हो अुतनेमें कर लें!

अिस स्थानसे सबसे पासका रेलवे स्टेशन ११ मील दूर था। अुसके अलावा कोअी तीस मीलके अन्तरमें दूसरे तीन रेलवे स्टेशन थे। अुन सब स्टेशनोंसे कांग्रेसके स्थान तकके रास्ते जिला लोकल बोर्ड और सरकारसे कहकर सुधरवानेकी व्यवस्था की गयी। मढीसे कांग्रेस नगर तक और नगरके भीतरकी मुख्य सड़क डामरकी बनवायी गयी, जिससे धूलका अपद्रव न हो। अिसके सिवा, आसपासके गांवोंसे आनेके गाड़ीके रास्ते भी ठीक करा दिये गये और वहां जगह जगह हरिपुरा कांग्रेसका रास्ता बतानेवाली तख्तियां लगवा दी गयीं। कांग्रेसके स्थानके पास कोअी बड़ा शहर या बाजार नहीं था, अिसलिये जरूरतकी चीजें बहुत पहलेसे जमा करना शुरू किया गया।

श्री रामदास गुलाटीने लगभग चार मास पहले वहां आकर डेरा डाल दिया। अन्होंने तमाम जमीनका सर्वे किया और अंची-नीची जगहोंका लेवल लेकर सारे कांग्रेस नगरका नकशा तैयार किया। स्थानीय कायकर्ता तो दशहरेके दिन कांग्रेस नगरका शिलान्यास हुआ, अुससे पहले ही वहां जा डटे थे। कांग्रेस नगरका नाम विट्टलनगर रखा गया। ताप्ती नदीके सामनेकी सड़कसे बी० बी० अेण्ड सी० आजी० रेलवेका कीम स्टेशन लगता था। असलिये अुस रास्तेसे आनेवाले लोगों तथा सवारियोंकी सुविधाके लिये ताप्ती नदी पर नावें लगाकर अेक कामचलाअू पुल बनवाया गया। असि निर्माणकार्यमें सूरत जिलेके समुद्र तटके मल्लाहोंने बहुत अच्छी सहायता दी। कांग्रेसके लिये जमीन साफ और समतल करनेमें ट्रेक्टरवाले श्री पशाभाजी पटेलने मदद की।

कांग्रेसके भोजनालयमें गायका घी-दूध पहुंचानेका दायित्व मुझे सौंपा गया था। मंने सरदारसे कह दिया था कि असि कामके लिये हमें कमसे कम पांच सौ गायोंकी गोशाला यहां खड़ी करनी पड़ेगी। हम चुन चुनकर पसन्द की हुअी सुन्दर गायें लायेंगे और बादमें आसपासके गांवोंमें बेच देंगे। असिसे अिन गांवोंमें अच्छा गोप्रचार होगा और देहातियोंको भी स्थायी लाभ होगा। हमारे गोपूजक माने जानेवाले देशमें पांच सौ अच्छी गायें अिकट्ठी करना कोअी आसान बात नहीं थी। परंतु असि काममें साबरमती गोशालाके कार्यकर्ताओंकी तथा डेरी-निष्णात श्री दिनकर पंड्या और श्री पन्नालाल झवेरीकी मुझे अच्छी मदद थी। असलिये कांग्रेस अधिवेशनके अेक महीने पहले हम पांच सौ गायोंकी गोशाला व्यवस्थित रूपमें चालू कर सके। असके लिये चार मास पहलेसे गायोंकी खरीद शुरू कर दी गअी थी और वहां काम करनेके लिये अिकट्ठे हुअे मनुष्योंको जितना दूध चाहिये अुससे अधिक दूध तीन महीने पहले ही अुत्पन्न होने लगा था। असके लिये हमने यह व्यवस्था की थी कि सारे दूधको सेपरेट करके अुसकी मलाअीसे घी बना लिया जाय और सेपरेट किये हुअे दूधको अुबालकर अुसमें शक्कर डालकर जमा लिया जाय तथा जमाये हुअे दूध (कंडेन्सड मिल्क) को मुहरबन्द डिब्बोंमें बन्द करके रखा जाय, ताकि अधिवेशनके समय अुस दूधमें जरूरी पानी डालकर अुसे मामूली दूधके तौर पर अिस्तेमाल किया जा सके। हरिपुराकी डेरीके घीके सिवा मातर तालुकेमें गायका दूध खरीदकर घी बनानेका अेक केन्द्र भी हमने खोला था। अस प्रकार कुल मिलाकर सवा सौ पीपे (३६ पौण्डवाले) घी अपनी देखरेखमें हमने बनवा लिया। जमाये हुअे दूधके तीन सौ पीपे (४८ पौण्डवाले) तैयार

हो गये। पांच सौ गायोंकी भरती हो जानेके बाद रोज पांच हजार पौण्ड अधिक दूध तैयार होता था। सरदारको सवा सौ पीपे घीसे संतोष नहीं हुआ। असलिये और सात सौ पीपे गायका घी हमने अुत्तर गुजरात, काठियावाड़ और राजपूतानामें घूम घूम कर जमा किया।

हाथकुटे चावल, चक्कीके आटे और घानीके तेलके लिये भी कजी महीने पहलेसे तैयारी करनी पड़ी। पीसने-कूटनेकी व्यवस्था तो कांग्रेसके स्थान पर ही की थी। घानीकी व्यवस्था मढ़ी स्टेशनके पास जमीन लेकर वहां की थी। कांग्रेस अधिवेशनके निकटके दिनोंमें वहां अेक छापाखाना खड़ा कर लिया गया था। अुसमें तथा कांग्रेसके काममें लिया गया तमाम कागज हाथका बना हुआ ही था। श्री वालजीभाओ देसाओने हरिपुरा कांग्रेसकी मार्गदर्शिकाके तौर पर अेक छोटीसी पुस्तक लिखी, जिसमें गुजरातकी पुरानी अैतिहासिक जानकारी भी दी गयी थी। वह पुस्तक कांग्रेसके विट्टल मुद्रणालयमें ही हाथके कागज पर छापी गयी थी।

सारे ग्रामोद्योगोंके कामोंमें, बांधकाममें, सड़कें व रास्ते सुधारनेमें, कामचलाअू पुल बनानेमें तथा अलग अलग तरहकी दूसरी फुटकर मजदूरीमें लगभग अेक लाख रुपये आसपासके किसानों तथा मजदूरोंमें बांटे गये थे।

पानीके लिये ताप्ती नदीकी मेहरबानी थी ही। गांधीजी तो कहते थे कि हम सबको नदीका पानी पिलायेंगे। परंतु अस मामलेमें म्युनिसिपल अनुभव रखनेवाले सरदारकी बुद्धि गांधीजीकी बात माननेको तैयार नहीं थी। अुन्होंने आप्रह किया कि हमें वाटर वर्क्स बनाकर लोगोंको शुद्ध किया हुआ पानी ही देना चाहिये और सारे नगरमें नालियोंकी भी अैसी सुन्दर व्यवस्था करनी चाहिये कि किसी भी जगह पानी भरा न रहने पाये। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके अस विषयके निष्णात अधिकारियोंने अस मामलेमें पूरे दिलसे मदद दी। साफ पानीके लिये और नालियोंके पानीके लिये नल लगानेको जो पाअिप चाहिये थे, वे रासवाले श्री आशाभाओके साहससे सब वहीं बना लिये गये। यह तमाम अिन्तजाम यद्यपि कामचलाअू था परंतु अितने सुन्दर ढंगसे किया गया था कि किसी भी बड़े शहरके वाटर वर्क्स और नालियोंकी व्यवस्थासे घटिया साबित नहीं हो सकता था।

यह कहा जा चुका है कि बांधकाम श्री रामदास गुलाटीको सौंपा गया था और अुन्होंने पहलेसे ही वहां डेरा लगा दिया था। विट्टलनगरके ५१ द्वार रखे गये थे। वे सभी कलामय ढंगसे सजाये गये थे। अुनमें से सात मुख्य द्वार तो अुच्च प्रकारके शुद्ध भारतीय स्थापत्यके नमूने बन गये। अुनकी रचना करनेमें तथा अुन्हें सजानेमें नंदबाबूने अपनी कलाशक्तिमें कमाल कर दिया। अिन सभी

द्वारों पर श्री नंदबाबूने अलग अलग विशेषताके सूचक चित्र सुन्दर ढंगसे लगाये। अुदाहरणार्थ, स्वागत-समितिके मुख्य कार्यकर्ता जहां रहते थे और जहां स्वागत-समितिके दफ्तर थे, अुस विभागके द्वार पर रेगिस्तानमें खूब सफर करके बैठ जानेवाले अूंटका चित्र रखा था। स्वयंसेवकोंकी छावनीके द्वार पर बहुत भारसे लदे हुए और थके हुए गधेको कुम्हार जबर्दस्ती चला रहा हो, अैसे भावको दिखानेवाला चित्र रखा था। महासमितिके तथा कांग्रेसकी विषय-समितिके मंडपके अेक द्वार पर कुश्ती लड़नेवाले दो पहलवानोंका चित्र रखा था। और दूसरे द्वार पर 'भवान्' से 'यूयम्', अुससे 'त्वम्' और अुससे भी आगे जानेवाले शास्त्रार्थ करते हुए पंडित चित्रित किये थे। मुख्य भोजनालयके अेक द्वार पर ताजे रसदार फलोंको ललचाअी आंखोंसे देख रहे बालकका, दूसरे द्वार पर मोदक पर टूट पड़नेको तैयार तोंदवाले भूदेवका, तो तीसरे द्वार पर मछली पर झपटनेवाली बिल्लीका चित्र था। श्री नंदबाबूने स्वयं लगभग दो सौ चित्र तैयार किये थे। अिन सारे चित्रोंको अिकट्टा करें तो अुनसे सुन्दर कलामंडप सजाया जा सकता है। गुजरातके कलाकार श्री रविशंकर रावल तथा श्री कनु देसाअीने भी विट्टलनगरको आकर्षक बनानेमें अच्छा योग दिया था। अुनके चित्र भी वहांकी प्रदर्शनीमें अेक बड़ा आकर्षण बन गये थे। सूरतके कलाप्रेमी सज्जन श्री राजेन्द्र सुरकंठाकी सहायतासे अुन्होंने गुजरातकी प्राचीन कलाके अुत्तम नमूने अिकट्टे करके अेक विशाल मंडपमें अत्यंत कलामय ढंगसे सजाये थे। सारे नगरमें जगह जगह छोटे छोटे कामचलाअू वगीचे बनाये गये थे। चूँकि यह सब थोड़े ही समयके लिये खड़ा करके बिखेर डालना था, अिसलिये सारी रचना अैसी मालूम होती थी मानो जंगलके बीचमें अेक गंधर्वनगरी खड़ी की गअी हो! बिजलीकी व्यवस्था किलिक निक्सन कंपनीकी सहायतासे की गअी थी। रातको जब सारी बत्तियां जला दी जातीं और तमाम द्वार, मंडप वगैरा अुनसे सुशोभित हो जाते, तब देखने आनेवालोंके शब्दोंमें सारी नगरी जगमगा अुठती थी।

गांधीजी तथा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र बोसके लिये कुटीर तथा कार्यसमितिकी बैठकोंके लिये अेक छोटासा मंडप नदीकी तरफके ढालवाले टीलेको काटकर निकाली हुअी जगहमें बनाये गये थे। वहांसे नदीके प्रवाहका और नदीके सामनेवाले किनारेकी वृक्षावलीका दृश्य बड़ा मनोहर दिखाअी देता था। अिसके सिवा अस्पताल, छापाखाना, बैंक, डाक, तार तथा टेलीफोन, आग बुझानेकी व्यवस्था वगैरा शहरोंके लिये जरूरी समझे जानेवाले सारे साधन वहां अुपस्थित किये गये थे। विट्टलनगर सारा नदीके किनारे किनारे ही बनाया गया था,



बारडोली आश्रममें (१९४१)

अिसलिये लम्बाजीमें फैला हुआ था। सारे नगरकी लम्बाजी डेढ़ मीलसे ज्यादा होगी। अिसलिये अेक जगहसे दूसरी जगह जानेके लिये नगरके भीतर थोड़े थोड़े समय पर चलनेवाली बस सर्विसकी व्यवस्था की गयी थी तथा नेताओंके लिये अहमदाबाद तथा बम्बयीसे कुल मिलाकर पंद्रह मोटरें मंगवायी गयी थीं।

प्रदर्शनीका सारा अिन्तजाम चरखा-संघ तथा ग्रामोद्योग-संघको सौंपा गया था। अुन्होंने देशके तमाम प्रान्तोंकी भिन्न भिन्न प्रकारकी खादीके तथा ग्रामोद्योगोंके नमूने अिकट्ठे करके आकर्षक ढंगसे सजाये थे। अिसके सिवा, सारी चीजें बनानेकी तमाम क्रियायें भी वहां प्रत्यक्ष दिखायी जाती थीं। प्रदर्शनीके साथ अेक विशाल स्वदेशी बाजार बनाया गया था। प्रदर्शनी देखकर तो लोग खुश होते ही थे। परन्तु खादी और ग्रामोद्योग हमारे गांवोंमें किस तरह बेकारीको मिटा सकते हैं और किस तरह हमारे नष्ट हो रहे गांवोंमें नये प्राण फूंक सकते हैं, अिसका शास्त्रीय अध्ययन करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको भी काफी सामग्री अिस प्रदर्शनीमें मिलती थी।

कांग्रेसके भोजनालयमें अेक समयमें बीससे पच्चीस हजार आदमी भोजन करते थे। हमारा देश विशाल होनेके कारण अलग अलग प्रान्तोंके मनुष्योंकी रोजमर्राकी खुराक अलग अलग होती है। चीज अेक ही तो भी पकानेके ढंगमें अलग अलग प्रान्तोंमें बड़ा फर्क होता है। कांग्रेसमें सभी प्रान्तोंके प्रतिनिधि आते हैं, अिसलिये भिन्न भिन्न अभिरुचियोंको सन्तुष्ट करनेके लिये कांग्रेस अधिवेशनोंमें प्रान्तवार भोजनालय अलग रखे जाते थे। हरिपुरामें अैसी सुविधा की तो गयी थी, परन्तु अेक ही प्रान्तने अलग भोजनालय रखा। मुख्य भोजनालयमें अितना बढ़िया खाना दिया जाता था कि अलग भोजनालयमें खानेवालोंकी संख्या दूसरे ही दिन बहुत घट गयी। फैजपुरके अनुभवसे पता लग गया था कि आसपासके गांवोंसे आनेवाले लोगोंके लिये कोअी न कोअी सादी व्यवस्था करना जरूरी है। अिसलिये गांवोंसे आनेवाले लोगोंके लिये बड़े मंडप बनाकर खाने और सोनेकी व्यवस्था की गयी थी। अिस ग्रामीण भोजनालयमें चावल, दाल और शाकका भोजन दोनों समय दिया जाता था। और अेक बारके भोजनके छः पैसे लिये जाते थे। अिस भोजनालयमें प्रतिदिन आठ दस हजार आदमी खाते थे। अिसके सिवा, यह हिसाब भी लगाया गया था कि अपनी गाड़ियां वहीं रखकर अुन्हींमें बहुतसे लोग रहेंगे। अैसे लोगोंके लिये अेक विशाल चौक रखा गया था। वहां मनुष्योंके लिये तो पानीका प्रबंध किया ही गया था। परन्तु बैलोंके लिये भी चारे-दानेकी तथा पानीकी व्यवस्था की गयी थी। अिसका फायदा भी बहुत

लोगोंने अुठाय़ा । अिस सारे विभागकी देखरेख श्री रविशंकर महाराजने की थी ।

विठ्ठलनगरमें रात-दिन रहनेवाले लोगोंकी संख्या पचाससे पचहत्तर हजारकी होगी । बहुतसे लोग तो सब कुछ देखभाल कर शाम होते ही चल देते थे । कांग्रेसके अंतिम सप्ताहमें दिनकी आबादी लगभग दो लाखकी रहती थी । अिन सबके लिअे सफ़ाअीकी जबरदस्त व्यवस्था हो तो ही नगरकी तंदुरुस्ती कायम रह सकती थी । यह काम श्री जगताराम दवेने अपने सिर लिया था । अुन्होंने लगभग दो हजार स्वयंसेवकोंको सफ़ाअी रखनेकी तालीम देकर तैयार किया था । अिनमें अधिकांश स्वयंसेवक गुजरातके स्कूल-कालेजोंके विद्यार्थी और अध्यापक थे । लम्बी खाअियां खोदकर अुन पर तस्ते रखकर तथा परदेके लिअे पाल लगाकर पाखानों और पेशाबघरोंकी व्यवस्था की गअी थी । वे सफ़ा रहें अिसके लिअे काममें लेनेके बाद अुन पर मिट्टी डाल देनेकी सूचनाअें हर जगह लगा दी गअी थीं । फिर भी अिन सूचनाअों पर पूरा अमल नहीं होता था, अिसलिअे स्वयंसेवकोंको घंटे घंटेसे पाखानों और पेशाबघरोंको देखकर अुनमें मिट्टी डालनी पड़ती थी । अिसके सिवा तमाम रास्तों पर और अलग अलग चौकोंमें झाड़ू लगाना पड़ती थी । पंडित जवाहरलालजीने अिन सफ़ाअी स्वयंसेवकोंके सामने बोलते हुअे कहा था कि सरदार वल्लभभाजीने यह शानदार नगर यहां बनाया है, परन्तु अुसकी असली शान आपके अथक परिश्रमसे ही कायम रही है ।

कांग्रेसके अधिवेशनमें टिकट लेकर आनेवाले मनुष्योंकी संख्या प्रतिदिन पचहत्तर हजार की थी । लाअुड-स्पीकरका अिन्तजाम अैसा किया गया था कि अधिवेशनमें होनेवाले भाषण कांग्रेसके मंडपके बाहरके लोग भी सुन सकें । जिस विशाल चौकके बीचमें बहुत अूँचे खंभे पर राष्ट्रध्वज फहराता था, अुस झंडाचौकमें बैठकर लाखों आदमी बिना टिकट कांग्रेसमें हो रहे भाषण सुन सकते थे ।

मानव-प्रयत्नसे की गअी अिस व्यवस्थाके रंगमें प्रकृतिने थोड़ासा भंग कर दिया । फरवरीका महीना होने पर भी कांग्रेस अधिवेशनके दो दिनोंमें ठंडकी भारी लहर आअी । अेक दिन और रात घूलकी आंधी भी जोरोंकी चली और थोड़ी बरसात भी हुअी । अुसके कारण बहुतसे झोंपड़ोंके अूपरके पाल अुड़ गये और प्रदर्शनीकी सब वस्तुओंकी रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो गया । परन्तु चीजोंकी हानिकी अपेक्षा मनुष्योंकी जो हानि हुअी अुससे कांग्रेसकी सारी व्यवस्था करनेवालोंके और खास तौर पर सरदारके दिलको बहुत गहरी चोट पहुंची । यह तूफान आया अुससे पहले अेक स्वयं-

सेवक नदीमें नहाते नहाते डूब गया था। उसका दाहसंस्कार करते समय साबरमती आश्रमके संगीतशास्त्री पंडित खरेजीने 'मंगल मंदिर खोलो' गीत बहुत करुण स्वरमें गाया था। पंडितजीको दूसरे ही दिन अिफ्लूअेंजा हो गया और अुसीमें से अिस तूफान और आंधीमें निमोनिया हो गया। कांग्रेसके अस्पतालमें अधिकसे अधिक सेवा करने पर भी अुनका देहान्त हो गया। अिस आंधीके समय हुअे अिफ्लूअेंजासे दो भाअी घर जानेके बाद मर गये। अिस कांग्रेसके साथ जुडी हुअी ये अत्यन्त करुण घटनाअें हैं।

अिस कुदरती आफतको छोड़ दें तो कांग्रेसमें आये हुअे सब कोअी, जो पहलेकी सब कांग्रेसें देख चुके थे अैसे पुराने अनुभवी भी कहते थे कि हमने अितने विशाल पैमाने पर की गअी सांगोपांग व्यवस्था और धूमधाम पहलेकी किसी कांग्रेसमें नहीं देखी। अलवत्ता, अिन सब चीजोंकी जड़में सरदारकी सूक्ष्म योजनाशक्ति, अपने घर आये हुअे नेताअों, सम्माननीय मेहमानों और छोटे किसानों तकका प्रेमपूर्वक स्वागत करनेका अुत्साह और अपने चुने हुअे साथियों पर पूर्ण विश्वास रख कर अुनके लिये आवश्यक साधन अुदारतापूर्वक जुटा देनेकी तत्परता ही मुख्य कारण थे।

२२

हरिपुरा कांग्रेस - २

हरिपुरा कांग्रेस जैसे अपनी विशाल व्यवस्था और धूमधाममें अपूर्व थी, वैसे ही देशकी राजनीतिकी दृष्टिसे वहां हुअे कामकाजके बारेमें भी बहुत महत्त्वपूर्ण थी।

यह बात कांग्रेसके कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावोंको देखनेसे ही मालूम हो जायगी। देशीराज्योंके कार्यकर्ता कांग्रेसकी नीतिके बारेमें कुछ अधीर हो गये थे। वे देशीराज्योंके भीतर अपने शुरू किये हुअे आंदोलनोंके लिये कांग्रेसकी मदद चाहते थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता अुन्हें मदद देते भी थे, परन्तु व्यक्तिगत रूपमें। वे कांग्रेस संस्थाको अुसमें नहीं फंसाते थे। बहुतसी रियासतोंमें राजनैतिक कामके लिये प्रजामंडल स्थापित हुअे थे। देशीराज्योंके कार्यकर्ता अपनी स्थापित की हुअी अिन राजनैतिक संस्थाओंको कांग्रेसके साथ जोड़ देना चाहते थे और यह मांग करते थे कि कांग्रेस अुन संस्थाओंकी जिम्मेदारी ले ले। अिस मामलेमें कांग्रेसकी मुश्किल यह थी कि अुन स्थानीय संस्थाओंका अपने राजाओंसे कोअी संघर्ष हो जाय तो अुसका दायित्व

कांग्रेसको लेना पड़े। चालाक अंग्रेज अधिकारी जैसे संघर्ष पैदा करके देशी रजवाड़ों द्वारा प्रजा पर निर्दय अत्याचार करानेको तैयार ही थे, ताकि यह दिखानेका अन्हें बहाना मिल जाय कि भारतीयोंका शासन कितना अन्यायपूर्ण और अत्याचारी है। गांधीजी यह मानते थे कि देशीराज्योंकी प्रजामें अभी तक अितनी जागृति नहीं आयी है कि वे राजाओंके साथ आखिरी लड़ायी लड़ सकें। और राजाओंके साथ अंतिम लड़ायी छेड़नेकी जरूरत भी अन्हें महसूस नहीं होती थी, क्योंकि देशीराज्योंकी हस्ती ही ब्रिटिश हुकूमतके जोर पर निर्भर थी। वे यह कहते थे कि हम ब्रिटिश हुकूमतके साथ अपना फैसला कर लेंगे, तो रियासतोंका फैसला अपने आप हो जायगा। क्योंकि रियासतोंमें अपना कोअी विशेष बल नहीं है।

देशीराज्योंके प्रश्नमें सरदारने जो महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है, उसके बारेमें अलग अध्यायोंमें लिखनेका विचार है। इसलिये उसकी ज्यादा तफसीलमें न जाकर, हरिपुरा कांग्रेसके सामने जो अेक प्रश्न आया था उसीका यहां विचार करेंगे। प्रश्न यह था कि देशीराज्योंकी हदमें भी कांग्रेस कमेटियां स्थापित की जायं या नहीं? ब्रिटिश माने जानेवाले प्रान्तोंमें लागू होनेवाला कांग्रेसका विधान देशीराज्योंकी राजनैतिक संस्थाओं पर भी लागू किया जाय या नहीं? हरिपुरा अधिवेशनसे कुछ ही समय पहले नवसारीमें देशीराज्योंकी राजनैतिक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंका अेक संमेलन हुआ था। उसमें कांग्रेसके विधानमें अन्होंने यह परिवर्तन सुझाया था कि 'हिन्दुस्तान' का अर्थ 'देशीराज्योंकी प्रजासहित हिन्दुस्तानके लोग' किया जाय। अन्होंने यह भी सुझाया था कि कांग्रेस महासमिति अेक जांच-समिति नियुक्त करे, जो देशीराज्योंकी प्रजाके हकोंके बारेमें, उसके वैधानिक विकासके संबंधमें, वहांके किसानोंकी स्थितिके बारेमें और राज्योंके व्यापारिक ठेकोंके बारेमें जांच करे। कांग्रेस कार्यसमितिको यह सुझाव असामयिक प्रतीत हुआ। उसने प्रस्ताव पास किया कि देशीराज्योंकी राजनैतिक संस्थाओंके लिये कांग्रेसके नामसे काम करनेका समय अभी नहीं आया है। समय आ जायगा तब अवश्य कांग्रेस अुनकी राजनैतिक संस्थाओंकी जिम्मेदारी भी अपने अूपर ले लेगी। परन्तु अभी तो अुनका स्वतंत्र रूपमें काम करना ही ठीक है। गांधीजी तो यहां तक कहते थे कि देशीराज्योंके भीतर राजनैतिक आन्दोलन शुरू करनेके बजाय वहांके कार्यकर्ताओंको पहले रचनात्मक काम करके प्रजाको संगठित और जाग्रत करना चाहिये। देशीराज्योंके कार्यकर्ताओंकी दलील यह थी कि कांग्रेसकी छत्रछायामें हमारा काम नहीं होगा तो हमारी संस्थाअें प्रगतिविरोधी और संकुचित मानसवाले लोगोंके

हाथोंमें चली जायंगी। अंतमें सलाह-मशविरेके बाद हरिपुरा कांग्रेसमें देशी-राज्योंके बारेमें यह प्रस्ताव पास हुआ :

“कांग्रेसकी यह सूचना है कि देशीराज्योंकी वर्तमान राजनैतिक संस्थाओं कांग्रेस कार्यसमितिके आदेशानुसार और उसके नियंत्रणमें काम करें। परन्तु वे अपना कोई राजनैतिक आन्दोलन या राजनैतिक युद्ध कांग्रेसके नामसे या कांग्रेसके आश्रयमें न चलायें, और राजाओंके साथ भीतरी लड़ाई कांग्रेसके नामसे न छेड़ें। अतनी मर्यादा स्वीकार करके देशीराज्योंके भीतर राजनैतिक संस्थाओं कायम की जायं और जो संस्थाओं आज काम कर रही हैं उन्हें जारी रखा जाय।”

अस प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदारने कांग्रेसकी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी। अन्होंने कहा :

“पिछले दो-तीन सालसे देशीराज्योंके सवाल पर काफी गरमा-गरम बहस होती रही है। कांग्रेसमें अक तरहसे यह सवाल बड़ा नाजुक बन गया है। इसकी अच्छी तरह सफाई नहीं की गयी तो बहुतसी गलतफहमियां पैदा होना संभव है। कांग्रेसकी स्थिति अस बारेमें क्या है, अस सम्बन्धमें महासमितिके अक लम्बा वयान प्रकाशित किया है। देशीराज्योंकी प्रजाकी शक्ति देखकर उसके हितके लिये कांग्रेस अधिक जोखिम अठाना नहीं चाहती, और न देशी-राज्योंकी प्रजाको झूठी आशाओं ही दिलाना चाहती है। कांग्रेसको यह वस्तु स्वीकार है कि रियासती प्रजायें अपनी मर्यादाओं समझकर अपने-आप जितना काम कर सकें करें। कांग्रेसी नेता व्यक्तिगत रूपमें देशी-राज्योंकी प्रजाओंको मदद देनेके लिये तैयार हैं। मैसूरकी प्रजाने अपने राज्यमें सुधार करवानेके लिये काफी प्रयत्न शुरू कर दिया है। क्या कांग्रेसको यह पसंद नहीं है? परन्तु जैसे ब्रिटिश भारतमें हर तालुके और गांवकी कांग्रेस कमेटी बनायी जाती है, वैसे देशीराज्योंमें भी बनायी जाय तो अनकी जिम्मेदारी लेना कांग्रेस कार्यसमितिकी शक्तिके बाहर होगा। अभी तो देशीराज्योंकी आबादीका अधिकांश गुलामों जैसी स्थितिमें है। जब तक अन लोगोंमें आजाद होनेकी तमन्ना नहीं पैदा होती तब तक वे आजाद नहीं हो सकते। इसके लिये अनमें काफी शक्ति आनी चाहिये। आज हमें तो यह विचार करना है कि कांग्रेसके लिये युद्धका क्षेत्र कहां है? देशीराज्योंके आप लोग कहेंगे कि युद्धका क्षेत्र देशीराज्य हैं। परन्तु हमें अनुभवने बता दिया है कि

कांग्रेसके लिये युद्धका क्षेत्र ब्रिटिश अिलाका है। कांग्रेसमें जो शक्ति आजी है वह ब्रिटिश भारतमें लड़ाजी लड़नेसे आजी है। किसी देशी-राज्यकी लड़ाजीसे नहीं आजी। गांधीजी भी अपना वतन पोरबंदर छोड़कर ब्रिटिश भारतके अहमदाबाद शहरमें आकर बसे हैं। वे जानते थे कि उनका स्थान पोरबन्दरमें नहीं, परन्तु ब्रिटिश भारतमें है। अभी तो देशीराज्योंकी प्रजाओंको अपना संगठन करके शक्ति बढ़ानी है। कांग्रेस देशीराज्योंको बिलकुल छोड़ देना नहीं चाहती। आप जानते हैं कि अभी अभी हमने फेडरेशनका जो प्रस्ताव पास किया उसमें साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेसको असा फेडरेशन नहीं चाहिये जिसमें रियासती प्रजा गुलामीमें रहे। ब्रिटिश भारतके लोगोंको जो हक प्राप्त हैं वे देशीराज्योंकी प्रजाको जब तक प्राप्त न हो जायं तब तक हम फेडरेशनको स्वीकार नहीं करेंगे।

“मेरा अिरादा इस प्रस्ताव पर बोलनेका नहीं था। परन्तु तीन वर्षसे यह झगड़ा छिड़ा है, जिसलिये कांग्रेसको अब अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिये कि देशीराज्योंके झगड़ेमें पड़नेकी इस समय उसकी स्थिति नहीं है। यह बोझा उससे उठायानहीं जा सकता। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि जिससे देशीराज्योंके भाजी बुरा न मानें।”

इस प्रस्तावसे देशीराज्योंके बहुतसे कार्यकर्ताओंको संतोष हुआ। जिससे पहले सरदार अेक दो बार काठियावाड़ राजनैतिक परिषद्के अध्यक्ष बने थे। इस वर्ष वे भावनगर राज्य प्रजापरिषद् तथा बड़ौदा राज्य प्रजापरिषद्के अध्यक्ष हुअे। और मंसूर राज्य कांग्रेसका वहांकी हुकूमतके साथ जो झगड़ा हुआ था उसमें भी बीचमें पड़कर सरदारने दोनों पक्षोंके बीच सम्मानपूर्ण समझौता कराया था। ये सारी बातें विस्तारसे अलग अध्यायमें देंगे। यहां अितना ही कहना काफी है कि गांधीजी सदा देशीराज्योंकी प्रजाको सलाह-सूचना और नेतृत्व देना अपना धर्म समझते थे। उनके मनमें ब्रिटिश भारतके लोगों और देशीराज्योंकी प्रजाके बीच कोअी भेद नहीं था। कोअी भेद था तो वह दोनोंकी परिस्थिति और दोनोंके संगठनका था। सरदार और पं० जवाहरलालजी भी व्यक्तिगत रूपमें हरिपुरा कांग्रेसके बाद देशीराज्योंके प्रश्नमें अधिक दिलचस्पी लेने लगे।

हरिपुरा कांग्रेसके सामने असा ही अेक दूसरा विकट प्रश्न किसान-आंदोलनका आया था। कुछ प्रान्तोंमें कांग्रेस संस्थाओंसे अलग किसान-संघ या किसान-सभाओं स्थापित होने लगी थीं। जनताका कोअी वर्ग अपने हितोंकी

रक्षाके लिये, बशर्ते वे हित देशके विशाल हितमें बाधक न होते हों, अपनी अलग संस्था स्थापित करे, जिसमें कांग्रेसको आपत्ति नहीं हो सकती थी। तदनुसार किसान अथवा काश्तकार खेती-सम्बन्धी अपने प्रश्नोंके बारेमें अर्थात् अपनी आर्थिक अन्नतिके लिये काम करनेको अपनी संस्थाओं बनायें, यह कांग्रेसको पसंद था। परन्तु काश्तकार या किसान राजनैतिक अधिकारोंके लिये अलग संस्थाओं कायम करें, यह कांग्रेसको अनुचित और अनावश्यक लगता था। क्योंकि कांग्रेस आम जनताकी संस्था होनेके कारण उसके अधिकांश सदस्य किसान वर्गके ही थे। जो काश्तकार या किसान अपनी राजनैतिक स्थिति सुधारना चाहें अतः यही कर्तव्य था कि वे कांग्रेसमें शरीक होकर उसके झंडेके नीचे काम करें। परन्तु कुछ स्थानोंमें किसान अपनी अलग संस्थाओं बनाने लगे थे और कांग्रेसके प्रति विरोधी रवैया अख्तियार करके अपना अलग झंडा रखने लगे थे। अतः कांग्रेसकी पद्धति धीमी मालूम होती थी, अथवा जितनी चाहिये उतनी लड़ाकू प्रतीत नहीं होती थी। कुछ अतावले और अधीर कांग्रेसी भी इस किसान आन्दोलनमें शामिल होने लगे थे और इस कारण वे कांग्रेसकी नीति और सिद्धान्तोंके विरुद्ध वातावरण पैदा करनेमें कारणभूत बन रहे थे। इसलिये कांग्रेसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास करके किसान-सभाओंके बारेमें अपनी नीति स्पष्ट की :

“अपनी संस्थाओं बनाकर संगठित होनेका काश्तकारों और किसानोंका हक कांग्रेस पूरी तरह स्वीकार करती है। उसीके साथ यह याद रखना जरूरी है कि कांग्रेस स्वयं ही मुख्यतः किसानोंकी संस्था है। ज्यों ज्यों आम लोगोंके साथ उसका संपर्क बढ़ता जाता है, त्यों त्यों किसान बड़ी संख्यामें उसके सदस्य बनते जाते हैं और उसकी नीति पर असर डालते जाते हैं। कांग्रेसको किसान जनताके हितके लिये ही काम करना चाहिये। असलमें उसने इसी प्रकार काम किया है। अतः हकोंके लिये उसने लड़ाइयां भी लड़ी हैं। कांग्रेस स्वातंत्र्य-प्राप्तिके लिये जो काम करती है, उसका आधार हमारे आम वर्गकी शोषण-मुक्ति ही है। इसलिये यह स्वातंत्र्य प्राप्त करनेके लिये और किसानोंको बलवान बनानेके लिये कांग्रेसको बलवान बनाना ही सही अुपाय है। इसलिये किसानोंको अधिकसे अधिक संख्यामें कांग्रेसके सदस्य बनने और उसके झंडेके नीचे अपने अधिकार प्राप्त करनेके लिये संगठित होनेका आग्रह किया जाता है।

“जिस प्रकार किसान-संस्थाओं बनानेका किसानोंका हक पूरी तरह मानते हुये भी कांग्रेसको अतना तो जाहिर करना ही चाहिये

कि कांग्रेसके मौलिक सिद्धान्तोंसे असंगत किसी भी हलचलमें कांग्रेस अनका साथ नहीं देगी और कांग्रेसके जो सदस्य किसान-सभाके सदस्य बनकर कांग्रेसके सिद्धान्तों व नीतिके विरुद्ध वातावरण पैदा करनेमें सहायक होंगे उनका अिन हलचलोंको कांग्रेस दरगुजर नहीं करेगी। कांग्रेस अपनी तमाम प्रान्तीय समितियोंको आदेश देती है कि वे इस बात पर अच्छी तरह ध्यान रखें और जहां जरूरी मालूम हो वहां अैसी कांग्रेस-विरोधी प्रवृत्तियोंके खिलाफ जरूरी कार्रवाअी करें। ”

हरिपुरा कांग्रेसमें भारी सनसनी फैलानेवाला और वातावरणमें तेजी लानेवाला प्रस्ताव तो युक्त प्रान्त और बिहारमें मंत्रिमंडलों द्वारा राजनैतिक कैदियोंकी मुक्तिके प्रश्न पर दिये गये त्यागपत्रोंके सम्बन्धमें था। चुनावोंके समय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित घोषणापत्रमें देशको यह वचन दिया गया था कि यदि कांग्रेस अधिकारारूढ़ होगी तो तमाम राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देगी। अस घोषणापत्रके अनुसार मंत्रिमंडल राजनैतिक कैदियोंको छोड़नेका प्रयत्न भी करने लगे। उन प्रयत्नोंको राजनैतिक कैदियोंके कुछ वचनोंसे पुष्टि मिली।

हिंसाके अपराधमें लम्बी लम्बी सजाओं भुगतनेवाले राजनैतिक कैदियोंने अपने विचार प्रगट किये थे कि हमारा विश्वास हिंसा परसे अुठ गया है और यदि हमें बाहर आनेका अवसर दिया जायगा तो हम अहिंसाकी नीतिके अनुसार देशके कामोंमें समय बितायेंगे। अिसी असेमें अंदमान टापुओंके राजनैतिक कैदियोंने अनशन शुरू कर दिया था। ये कैदी भारत-सरकारके अधिकारमें थे। कांग्रेस और गांधीजीने उनका तरफसे खूब प्रयास किये, जिनके परिणामस्वरूप भारत-सरकारने बड़ी मुश्किलसे उन सब कैदियोंको अपने अपने प्रान्तोंमें भेजना मंजूर किया। जब ये सब कैदी अपने अपने प्रान्तमें आ पहुंचे तब वे प्रान्तीय सरकारोंके कब्जेमें आ गये और अन्हें छोड़नेका काम प्रान्तीय मंत्रिमंडलोंके जिम्मे आया। जब बिहार और युक्त प्रान्तके तमाम कैदियोंको छोड़नेका निश्चय किया गया, तो गवर्नरोंने अिस निश्चयके विरुद्ध अिस कारणसे आपत्ति अुठाअी कि बिहार और युक्त प्रान्तके कैदी छोड़ दिये जायेंगे तो पंजाब और बंगालमें दंगे होनेका भय है। दूसरा कारण अन्होंने यह दिया कि काकोरी केसके कुछ कैदियोंको पहले छोड़ दिया गया था, तब उनके सम्बन्धमें अवांछनीय प्रदर्शन हुअे थे और छूटे हुअे कैदियोंने लोगोंमें अुत्तेजना फैलानेवाले भाषण दिये थे।

वाजिसरायने गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया अक्टकी १२६ (५) धारा* लागू करके असी स्थिति पैदा कर दी जिससे कैदी न छोड़े जा सकें। मंत्रीगण सरदार बल्लभभाजी और गांधीजीसे मिले। अन्होंने यह सलाह दी कि गवर्नर यदि राजनैतिक कैदियोंको छोड़नेके लिये तैयार न हों तो मंत्रियोंको त्यागपत्र दे देने चाहिये। कांग्रेस कार्यसमितिन भी अिसी प्रकारका प्रस्ताव पास किया। अिस पर हरिपुरा कांग्रेसमें जानेसे पहले दोनों प्रान्तोंके मंत्रिमंडलोंने त्यागपत्र दे दिये। गवर्नरोंने अुस समय यह कहकर अुन्हें स्वीकार नहीं किया कि हम दूसरे मंत्री तलाश कर लें तब तक आप काम करते रहिये। त्यागपत्र देनेवाले मंत्री जब हरिपुरा कांग्रेसमें आये, तब वहांके वातावरणमें अेक प्रकारकी गरमी आ गयी। जो यह कहते थे और वास्तवमें मानते भी थे कि यदि हम मंत्रीपद स्वीकार करेंगे तो हमें कुर्सियोंका मोह हो जायगा और लोगोंको दिये हुअे वचन भुला दिये जायंगे, अुनकी आंखें अिससे खुल गयीं। मंत्रीपद लेनेके विरुद्ध जिनकी राय थी, अुन्हें अिन त्यागपत्रोंके कारण अपनी राय बदलनी पड़ी।

अिस प्रश्न पर हरिपुरा कांग्रेसमें बड़ा लम्बा और विगतवार प्रस्ताव पास किया गया। अुस प्रस्तावसे सारी परिस्थिति स्पष्ट समझमें आ जाती है, अिसलिये वह पूरा नीचे दिया जाता है :

“फैजपुर कांग्रेसके आदेशानुमार मार्च १९३७ में महासमितिन प्रान्तोंमें पद स्वीकार करनेके प्रश्न पर यह प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश सरकारकी तरफसे हमें अमुक वचन मिल जाय तो धारा-सभाओंके कांग्रेसदलको मंत्रिमंडल बनानेकी अनुमति दे दी जाय। पहले तो ये वचन नहीं मिले, अिसलिये कांग्रेसदलके नेताओंने मंत्रिमंडल बनानेसे अिनकार कर दिया। अुसके बाद महीनों तक अिस प्रश्न पर बहस चलती रही कि अैसे वचन मांगना वैधानिक है या नहीं। भारतमंत्री, वाजिसराय और विविध प्रान्तोंके गवर्नरोंने अनेक वक्तव्य प्रकाशित किये। अिन वक्तव्योंसे अितना स्पष्ट निष्कर्ष निकलता था कि प्रान्तीय मंत्रियोंके रोजमर्राके कामकाजमें गवर्नरोंकी ओरसे कोअी हस्तक्षेप नहीं किया जायगा।

* देशके किसी भागमें प्रान्तीय मंत्रियोंके किसी कार्यसे सुलह-शान्तिको खतरा पैदा होनेकी संभावना खड़ी होने पर प्रान्तीय सरकारों पर केन्द्रीय सरकारका नियंत्रण रखनेके सम्बन्धमें यह धारा थी।

“जिन प्रान्तोंमें कांग्रेस सत्तारूढ़ है, वहाँके मंत्रियोंको असा अनुभव हुआ है कि अन्यत्र नहीं तो युक्त प्रान्त और बिहारमें गवर्नरोंने मंत्रियोंके रोजके कामकाजमें हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। जब कांग्रेसपक्षको गवर्नरोंकी तरफसे मंत्रिमंडल बनानेका निमंत्रण दिया गया, तब वे जानते थे कि कांग्रेसके चुनाव-घोषणापत्रमें राज-नैतिक कैदियोंको छोड़नेकी बात कांग्रेसकी नीतिका अेक मुख्य अंग है। इस नीतिके अनुसार मंत्रियोंने राजनैतिक कैदियोंको छोड़नेका काम शुरू किया। परन्तु अुन्होंने देखा कि छोड़नेके हुक्म पर गवर्नरोंके हस्ताक्षर करानेमें कभी कभी व्याकूल कर देनेवाली देर होती है। इस देरको सहन करनेमें मंत्रियोंने आदर्श धैर्यका परिचय दिया है। कांग्रेसकी यह राय है कि कैदियोंकी मुक्तिका मामला रोजमरके कामकाजका मामला है और इसमें गवर्नरके साथ लम्बी चर्चाअें करनेकी कोअी जरूरत नहीं है। गवर्नरका काम तो मंत्रियोंका पथ-दर्शन करना और अुन्हें सलाह देना है। परन्तु मंत्री अपना दैनिक कर्तव्य-पालन करनेमें स्वतंत्र रूपसे अपने जो निर्णय करें अुनमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्यसमितिने कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके सामने और अुन प्रतिनिधियोंको चुननेवाली आम जनताके सामने वार्षिक कार्यका विवरण पेश किया, तब अुसे मंत्रियोंको ह्रिदायत दे देनी पड़ी कि यदि अपने अपने प्रान्तोंके राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देने और अुनके हुक्मोंके अमलमें दखल दिया जाय तो वे त्यागपत्र दे दें। इस आदेशके अनुसार युक्त प्रान्त और बिहारके मंत्रियोंने जो कार्रवाअी की अुसे यह कांग्रेस मंजूर रखती है और त्यागपत्र देनेके लिअे मंत्रियोंको बधाअी देती है। गवर्नर जनरलने गवर्नमेण्ट ऑफ अिण्डिया अेक्टकी १२६ (५) धारा लागू करके व्यर्थकी दस्नंदाजी की है। इससे मंत्रियोंको दिये गये वचनोंका ही भंग नहीं होता, परन्तु अुस धाराका भी दुरुपयोग होता है। कारण, इसमें देशकी शान्ति भंग होनेके गंभीर भयका सवाल ही पैदा नहीं होता और दोनों प्रान्तोंमें मुख्यमंत्रियोंने राजनैतिक कैदियोंसे वचन ले लिया है कि वे कांग्रेसकी अहिंसाकी नीति स्वीकार करते हैं। अुनके इस हृदय-परिवर्तनके बारेमें भी मंत्रियोंने अितमीनान कर लिया है। गवर्नर-जनरलने दखल देकर जो परिस्थिति पैदा की है, अुससे शातिभंग होनेका गंभीर भय है।

“कांग्रेसने जो थोड़ेसे समय शासन चलाया है, अतः अनेकों ही अनेकों अपनी त्यागवृत्तिका, शासनकी योग्यताका तथा देशकी आर्थिक और सामाजिक बुराईयां दूर करनेके लिये कानून बना कर दिखवायी हुई रचनात्मक शक्तिका काफी प्रमाण दिया है। कांग्रेसको यह स्वीकार करते आनंद होता है कि अनेक सब बातोंमें गवर्नरोंने मंत्रियोंको अच्छा साथ दिया है। मंजूदा विधानके भीतर रह कर लोगोंका जितना भला हो सके अनेक करनेका और साथ ही पूर्ण स्वराज्यके ध्येय तक पहुंचनेके लिये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतिसे होनेवाले भारत-वासियोंके शोषणका अन्त करनेका कांग्रेसने सच्चे दिलसे प्रयत्न किया है।

“कांग्रेसकी इस प्रकारकी नाजुक स्थिति पैदा करनेकी जरा भी अच्छा नहीं कि जिससे अहिंसात्मक असहयोग करना पड़े या कांग्रेसकी सत्य और अहिंसाकी नीतिके साथ सुमंगल अन्य कोभी विरोधी कार्यवाही करनी पड़े। इसलिये गवर्नर जनरलके कार्यके विरोधमें दूसरे प्रान्तोंके मंत्रियोंको त्यागपत्र देनेकी सलाह देते हुए कांग्रेस संकोच अनुभव करती है और गवर्नर जनरलसे अनुरोध करती है कि वे अपनी आज्ञा बदल दें, ताकि प्रान्तोंके गवर्नर वैधानिक दंगले कास कर सकें और राजनैतिक कौदियोंको छोड़नेके मामलेमें अपने मंत्रियोंकी सलाह स्वीकार कर सकें।

“कांग्रेस गैरजिम्मेदार मंत्रिमंडलोंकी रचनाको तलवारके जोरसे हुकूमत करनेके बराबर समझती है। जैसे मंत्रिमंडल बनेंगे तो लोगोंमें बहुत कटुता पैदा होगी, आपसी कलह बढ़ेगा और ब्रिटिश सरकारके प्रति लोगोंकी अरुचि और भी गहरी हो जायगी। जब कांग्रेसने बड़े संकोच और भारी आनाकानीके साथ पदग्रहण करना स्वीकार किया, तब गवर्नरमेण्ट ऑफ इंडिया अकेलेके सच्चे स्वरूपके बारेमें उसे अपने बांधे हुए अंदाज पर कोभी शंका नहीं थी। गवर्नर जनरलके इस अंतिम कृत्यसे वह अंदाज सही साबित होता है और यह सिद्ध होता है कि संविधानका कानून लोगोंको सच्ची स्वतंत्रता देनेकी दृष्टिसे बिलकुल निकम्मा है। साथ ही, यह भी मालूम होता है कि इस कानूनका उपयोग स्वतंत्रताकी वृद्धिके लिये नहीं, परंतु स्वतंत्रताको दबा देनेके लिये करनेका ब्रिटिश सरकारका अिंरादा है। इसलिये वर्तमान संकटका अन्तिम परिणाम कुछ भी हो, परंतु भारतके लोगोंको समझ लेना चाहिये कि जब तक यह कानून खतम नहीं कर दिया जायगा, और उसके स्थान पर

भारतवासियों द्वारा निर्वाचित संविधान सभाका तैयार किया हुआ संविधान अमलमें नहीं आ जायगा तब तक देशके लिये सच्ची आजादीकी कोअी आशा नहीं है। असलिये प्रत्येक कांग्रेसीका, फिर वह सत्तारूढ़ हो या न हो, धारासभाके भीतर हो या बाहर हो, यही अदृश्य होना चाहिये कि हमारे अस ध्येय तक पहुंचनेके लिये हमारे कुछ वर्तमान अधिकार भले हमारा तात्कालिक भला करनेवाले हों तो भी उन्हें छोड़नेको हम तैयार रहें।

“युक्त प्रान्तके गवर्नरकी तरफसे यह कहा जाता है कि काकोरी केसके कैदियोंका स्वागत करनेके लिये जो धूमधाम की गयी और छूटे हुए कैदियोंमें से कुछने जो भाषण दिये, उनसे राजनैतिक कैदियोंकी क्रमशः मुक्तिकी नीतिमें विघ्न अुपस्थित हुआ है। कांग्रेसने बेहूदा प्रदर्शनों और अन्य आपत्तिजनक प्रवृत्तियोंकी सदा ही निन्दा की है। जिन प्रदर्शनों अेवं भाषणोंकी युक्त प्रान्तके गवर्नर बात करते हैं, उन्हें महात्मा गांधीने बहुत नापसन्द किया है। कांग्रेसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरूने भी अुन कृत्योंमें निहित अनुशासनभंगके लिये तुरंत चेतावनी दी थी। मंत्रियोंने भी अुसकी अुपेक्षा नहीं की। अिन सब चेतावनियोंके परिणामस्वरूप लोकमतमें अेकदम परिवर्तन हुआ है और कैदी भी अपनी भूल समझ गये हैं। काकोरी केसके कुछ कैदियोंके छूटनेके दो महीने बाद दूसरे छः कैदी छूटे तब अुनके सम्मानमें किसी भी तरहके प्रदर्शन नहीं हुए थे। अुनका सार्वजनिक स्वागत भी नहीं किया गया था। अुन बातोंको भी अब तो चार महीने बीत गये हैं। असलिये अगस्तमें छूटे हुए कैदियोंके संबंधमें जो भाषण और प्रदर्शन हुए, अुनके कारण बाकी बचे हुए पंद्रह कैदियोंको आज न छोड़ने देना सर्वथा अनुचित है। न्याय और व्यवस्था कायम रखनेकी जिम्मेदारी मंत्रियोंकी है। उन्हें हक है कि वे जिस तरह ठीक समझें अपना फर्ज अदा करें। वर्तमान परिस्थितिमें प्रस्तुत विषयोंका विवेकपूर्वक निर्णय करनेका काम अुनका है। वे जो निर्णय करें अुसे गवर्नरको स्वीकार करना चाहिये और अुस पर अमल करना चाहिये। रोजमरके कामकाजमें मंत्री अपनी सत्ताका जिस प्रकार अमल करते हैं अुसमें दखल देनेसे अुनकी स्थिति कमजोर होती है और अुनकी प्रतिष्ठाको भी धक्का पहुंचता है। कांग्रेसी मंत्रियोंने कितनी ही बार घोषित किया है कि हिसक अपराधोंके मामलेमें अुचित कार्रवाजी करनेका अुनका पक्का निश्चय है। जब अिन कैदियोंने हिसाका मार्ग छोड़ देनेकी घोषणा

कर दी है, तब अन्हें छोड़ देनेमें खतरा बताना बिलकुल कपोलकल्पित है। कांग्रेसने अपने लिये अहिंसाका जो नियम अपनाया है, उसका कोअी भंग करे या उसके अनुशासनका पालन न करे, तो उसके खिलाफ सख्त कदम अुठानेका कांग्रेसका आग्रह है। अस बारेमें पिछले कुछ मासमें कांग्रेसने पर्याप्त प्रमाण दिया है। फिर भी कांग्रेसियोंका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि वाणी या व्यवहारकी किसी भी प्रकारकी स्वच्छ-न्दता यदि हिंसाको प्रोत्साहन या पोषण देनेवाली हो, तो अुससे हमारे निर्धारित ध्येय तक पहुंचनेकी देशकी गति मन्द होती है।

“राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देनेके अपने कार्यक्रमको अमलमें लानेमें कांग्रेसको पद छोड़नेकी नौबत आअी है और लोगोंकी स्थिति सुधारनेके लिये कानून बनानेका अवसर भी छोड़ देना पड़ा है। परंतु असा करनेमें कांग्रेसने जरा भी संकोच नहीं किया। साथ ही, कांग्रेस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि कैदियों द्वारा अपने छुटकारेके लिये भूख हड़तालका आश्रय लेनेकी बातकी कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। भूख हड़तालके कारण राजनैतिक कैदियोंको रिहा करनेकी अनी नीति पर अमल करनेमें कांग्रेसको कठिनाअी होती है। असलिये पंजाबमें जिन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है अुनसे हड़ताल छोड़ देनेका कांग्रेस आग्रह करती है और अन्हें विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस किनी प्रान्तमें सत्तारूढ़ हो या न हो वह सभी प्रान्तोंमें राजनैतिक कैदियोंकी रिहाअीके लिये सारे अुचित और शांतिमय अुपायोंसे प्रयत्न करती रहेगी।”

यह प्रस्ताव सरदारने ही पेश किया था। अस पर बोलते हुअे अुन्होंने कहा था :

“हमने जब पदग्रहण किया, तभी ब्रिटिश हुकूमत जानती थी, वाअिसरॉय जानते थे और गवर्नर भी जानते थे कि चुनावके समय निकाले हुअे घोषणापत्रके अनुसार हम सभी राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देंगे। अुस समय गवर्नर कुछ न बोले। अुन्होंने थोड़ी चालाकी की। हमने भी थोड़ी भूल की, क्योंकि अुस समय हमें अनुभव नहीं था। गवर्नरोंने कहा कि आप कैदियोंको जरूर छोड़ सकते हैं। परंतु जो अहिंसक रहकर जेलमें गये हैं अुन्हें तुरंत छोड़ दीजिये और जो हिंसाका अपराध करके जेल गये हैं अुनमें से हरअेकके मुकदमोंकी आप जांच कर लीजिये और आपको ठीक लगे अुन्हें छोड़नेकी सिफारिश कीजिये। हमारे मंत्री मुकदमोंकी जांच करने लगे और जिन कैदियोंको छोड़नेके लिये

अन्होंने कहा उनके बारेमें गवर्नर कुछ न कुछ आपत्ति अठाने लगे । यहीं हमारी भूल हुआ । हमारे मंत्रियोंको कह देना चाहिये था कि मुकदमोंकी जांच करनेकी कोअी जरूरत नहीं । हमें तो सभी राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देना है । अुसकी जिम्मेदारी हम पर रहेगी । प्रान्तके शासनकी जिम्मेदारी हमारी है । यदि बाहर आकर ये कैदी बलवा करेंगे या हिंसा करेंगे तो हम अन्हें दुवारा कैद कर लेंगे । और अब कितने कैदी बाकी रह गये हैं ? अितने बड़े युक्त प्रान्तमें अिस समय अैसे केवल पंद्रह कैदी रहे हैं । क्या अिन पंद्रह कैदियोंको रिहा करनेका भी हमारे मंत्रियोंको अधिकार नहीं है ? अधिकार न हो तो फिर मंत्री काहेके ? मुझे तो पहले ही शंका थी कि अिस नये संविधानसे हमारे मुल्ककी आजादीका सवाल हल नहीं होगा । मुझे शक था कि यह नया संविधान हमें फंसानेकी अेक चालवाजी है । हमारे मंत्री वहां मुकदमोंकी मिसलें पढ़ने नहीं गये हैं । और फिर अिन कैदियोंसे हमें वचन मिला है कि अुनके विचार बदल गये हैं । कांग्रेसकी नीति पर अुनका विश्वास हो गया है और वे छूटनेके बाद कांग्रेसके आदेशके अनुसार काम करना चाहते हैं । अैसी स्थितिमें गवर्नरोंकी क्या ताकत है कि वे मंत्रियोंके कार्यमें हस्तक्षेप करें ? अिससे तो मंत्रियोंके स्वाभिमानको धक्का पहुंचता है । अैसा कहा जाता है कि कैदियोंको छोड़ दिया जायगा तो पंजाब और बंगालमें विद्रोह हो जायगा और अिन दो प्रान्तोंकी शांति और व्यवस्था खतरेमें पड़ जायगी । मैं तो यह बात मान ही नहीं सकता । पंद्रह आदमियोंको छोड़ देनेसे दो प्रान्तोंमें शांति कैसे भंग हो जायगी ? पंजाब और बंगालके मंत्री यदि अिस तरह डरते हैं तो वे बिलकुल अयोग्य होने चाहिये । हमने पद स्वीकार कर लिये अिसलिअे हमारा धर्म हो जाता है कि हम जनताकी अिच्छानुसार शासन करें । जिन लोगोंने देशकी आजादीके लिअे बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, अुन्हें हम जेलमें रख ही कैसे सकते हैं ? वे देशकी आजादीके लिअे अपने प्राण देनेको तैयार थे । भले अुनका काम करनेका ढंग गलत रहा हो, परंतु जनमत द्वारा चुने गये कोअी मनुष्य अैसे देशभक्तोंको जेलमें नहीं रख सकते ।

“ गवर्नरकी ओरसे कहा गया है कि काकोरी केसके कैदियोंको छोड़ देनेसे देशमें बड़ी दिक्कत पैदा हो गयी है । दिक्कत पैदा हुआ हो तो भी क्या हो गया ? अेक आदमी बीस पच्चीस वर्ष तक जेलकी दीवारोंके पीछे रह कर दुनियासे अलग हो गया है, दुनियाकी स्थितिका

अुसे कुछ भी पता नहीं है; वह जब जेलसे बाहर आता है तो अुसकी नजरके आगे नअी ही दुनिया दिखाअी देती है; वह देखता है कि कांग्रेसकी शक्ति कितनी बढ़ गअी है। बाहर आने पर थोड़ेसे कांग्रेसवाले अुसका स्वागत करते हैं। अुसके सम्मानमें चाय-पार्टी करते हैं। यह सब देखकर अुसे खयाल होता है कि मेरे पच्चीस वर्ष बरबाद नहीं हुअे। असलिये वह जरा जरूरतसे ज्यादा बोल देता है। मेरी तो समझमें नहीं आता कि अितनेसे यह सरकार अितनी डर क्यों जाती है? क्या वह अितनी अधिक जर्जरित और कमजोर हो गअी है कि पंद्रह मनुष्योंका अुसे अितना डर महसूस होता है?

“जिस समय हमारे मंत्रियोंने लोकसुधारके अनेक काम हाथमें लिये, अुसी समय अुन्हें मंत्रीपद छोड़ देने पड़े हैं। हम अुन्हें मुबारकवाद देते हैं। अुन्होंने कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढ़ाअी है। देशमें थोड़ेसे सुधार करनेके लिये हमने पद स्वीकार नहीं किये थे, हमने तो बहुत बड़ी चीजके लिये मंत्रीपद ग्रहण किये हैं। हमारे सब रोगोंकी दवा तो संपूर्ण स्वातंत्र्य है। पद स्वीकार करनेसे स्वतंत्रता-प्राप्तिके लिये हमारी शक्ति बढ़े तो हम अुसका अपुयोग कर लें। परंतु यदि अुनके कारण हमारे मार्गमें बाधा होती हो, तो हमें तुरंत अुन्हें छोड़ देना चाहिये। हमारे मंत्री अैसे नहीं हैं जो पांच पांच हजार तनखाह लेते हों। हमारे मंत्री वहां बड़ी बड़ी तनखाहें लेने नहीं, परंतु देशका काम करने गये हैं। वे मंत्रीपदोंका त्याग करेंगे तो वह देशको महंगा पड़ेगा। परंतु अससे मंत्रीपद छोड़नेमें हमें जरा भी संकोच न होना चाहिये। कार्यसमितिये खूब विचार करके और सातों प्रान्तोंके प्रश्न सामने रखकर यह प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अैसा है जिस पर किसीको कोअी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। असलिये मेरा अनुरोध है कि अस प्रस्ताव पर कोअी संशोधन न लायें। अैसी नाजुक परिस्थितिमें कैसा प्रस्ताव पास करना चाहिये, असका गहरा विचार करके यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। असमें कुछ भी घटाना-बढ़ाना ठीक न होगा। मैं आशा रखता हूं कि आप अस प्रस्तावको जैसा है वैसा ही पास करेंगे।”

अुपरोक्त प्रस्ताव पास हो जानेके बाद दोनों प्रान्तोंके मंत्री अपने अपने प्रान्तोंमें गये, तब गवर्नर अुनके साथ समझौता करनेके लिये मानो तैयार ही बैठे थे। युक्त प्रान्तके गवर्नरने वहांके मुख्यमंत्री पं० गोविन्द-वल्लभ पंतके साथ बातचीत करके समझौता किया। अुनका सम्मिलित वक्तव्य

ता० २५-२-'३८ को प्रकाशित किया गया । बिहारके गवर्नर तथा मुख्य मंत्रीने मिलकर असा ही वक्तव्य ता० २६-२-'३८ को प्रकाशित किया । वह यों है :

“अभीकी परिस्थिति और पिछले कुछ दिनोंमें हुआ घटनाओंके विषयमें हमने आपसमें खूब चर्चा कर ली है और हम दोनों पक्षोंको स्वीकार हों असे निर्णयों पर पहुंचे हैं । तदनुसार मंत्रियोंने अपने सदाके कामकाज हाथमें ले लिये हैं । राजनैतिक माने जानेवाले कुछ कैदियोंके मामलोंकी व्यक्तिगत जांच की गयी है । और मंत्रियोंकी दी हुयी सलाहको मानकर अणु कैदियोंकी बाकी बची सजा रद्द कर देने और अणु छोड़ देनेकी आज्ञाअं गवर्नर कुछ ही समयमें जारी करेंगे । बाकीके कैदियोंकी व्यक्तिगत जांच अणु विभागके मंत्री कर रहे हैं और अणुके बारेमें थोड़े समयमें अचित्त आज्ञायें दी जायंगी ।

“गवर्नर और मंत्रियोंके आपसी संबंधोंके बारेमें भी हमने लंबी चर्चा की है । वाजिसराय महोदयके ताजे बयानकी, अणु पर महात्मा गांधी द्वारा प्रगट किये गये विचारोंकी,* मंत्रियोंके त्यागपत्रके संबंधमें हरिपुरा कांग्रेसमें पास हुअे प्रस्तावकी और पिछली गरमियोंमें वाजिसराय महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्यकी भी हमने चर्चा की है । जिम्मेदार मंत्रियोंसे अणुकी कानूनी सत्ता छीन लेने या अणुमें दखल दिये जानेका डर रखनेका कोअी कारण नहीं है । सुशासनकी पोषक प्रथायें हम दोनों बनाये रखना चाहते हैं और हमें आशा है कि दोनों पक्षोंमें सद्भाव होनेके कारण अिस प्रयत्नमें हम सफल होंगे ।”

* हरिपुरा कांग्रेसका प्रस्ताव पास हो जानके बाद वाजिसरायने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया था । अणुका अुत्तर देते हुअे ता० २३-२-'३८ को गांधीजीने अेक वक्तव्य निकाला था, जिसमें से महत्त्वके अंश यहां दिये जाते हैं :

“गवर्नर जनरल महोदयके वक्तव्यकी अेक बातसे मुझे जरूर अैसी आशा होती है कि यह संकट टल जायगा । अणुहोंने अभी तक गवर्नरों और मंत्रियोंके बीच सलाह-मशविरेका द्वार खुला रखा है ।

“मैं स्वीकार करता हूं कि मंत्रियोंने पद छोड़नेका नोटिस अचानक दिया था । परंतु अणु समय स्थिति ही अैसी थी कि अणुके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था । अब दोनों पक्षोंको परिस्थिति पर विचार कर लेनेका काफी समय मिल गया है ।

अिस समझौते पर आलोचना करते हुअे लंदनके 'टाइम्स' पत्रने लिखा था :

“समझौतेकी शर्तोंसे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण तो यह है कि कांग्रेस पक्षके जिम्मेदार आदमियोंकी तरफसे कोअी बात अैसी कही या की नहीं गअी जिससे संकट अधिक तीव्र बने। अपनी जिम्मेदारी टालनेके बजाय कांग्रेसके नेताओंने, खास तौर पर गांधीजीने, अपनी यह अिच्छा बता दी है कि कांग्रेसी मंत्री सत्तारूढ़ रहें।”

अिसके अलावा हरिपुरा कांग्रेसमें कुछ और महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किये गये थे। जंजीवारमें भारतीय व्यापारियोंके अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये गये थे। अुनके प्रति विरोध तथा हमारे देशबंधुओंके प्रति सहा-नुभूति दिखानेके लिये वहांसे हमारे देशमें आयात होनेवाले लौंगका सितम्बर १९३७ से बहिष्कार किया गया था और अुसके लिये अेक बहिष्कार-समिति मुकर्रर की गअी थी। अुसके अध्यक्ष सरदार थे। मअी मासमें समझौता हुआ तब तक अर्थात् लगभग नौ महीने तक लौंगका बहुत ही कड़ा बहिष्कार किया गया। बहिष्कार करनेवाले व्यापारियोंका बड़ा भाग मुसलमानोंका था। हरिपुरा कांग्रेसमें अिस बारेमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :

“कांग्रेसने भारतवासियोंको सूचना दी थी कि भारतवासी अभी लौंगका व्यापार बन्द रखें। भारतवासियों और जंजीवारके भारतीय व्यापारियों द्वारा किया गया लौंगके व्यापारका बहिष्कार संपूर्ण और संतोषजनक सिद्ध हुआ है, अिसकी यह कांग्रेस कद्र करती है। जंजीवारके भारतीयों और भारतके लौंगके व्यापारियोंने जिस ढंगसे यह बहिष्कार जारी रखा, अुसके लिये यह कांग्रेस अुन्हें बधाअी देती है।

“कांग्रेसको अिस बातका दुःख है कि जंजीवारके भीतरी और बाहरी दोनों तरहके व्यापारके लिये भारतीयोंके हकके सवालका अभी

“मेरी रायमें यह अुलझन मुलझानेका रास्ता यह है कि वाअिस-राय गवर्नरोंको अैसा वचन देनेकी आजादी दे दें कि 'अुन्होंने स्वयं कैदियोंके मामलेकी जांच करनेकी जो बात सोची है अुसमें मंत्रियोंके अधिकारों पर हमला करनेका अिरादा नहीं था। मंत्रियोंने कैदियोंसे वचन ले लिया है। वे अपनी जिम्मेदारी पर कैदियोंको छोड़ सकते हैं।' मुझे आशा है कि यदि गवर्नर मंत्रियोंको बुलायें तो कांग्रेस कार्यसमिति मंत्रियोंको यह तय कर लेनेकी आजादी देगी कि अुन्हें मिली हुअी गारंटीसे अुनका संतोष होता है या नहीं।”

तक संतोपजनक निबटारा नहीं हुआ है। जब तक यह निबटारा नहीं होता तब तक लौंगके व्यापारका बहिष्कार जारी रखनेकी ओर कांग्रेस व्यापारियोंका ध्यान आकर्षित करती है और विश्वास रखती है कि इस कार्रवाजीके कारण जंजीवार सरकारको थोड़े ही समयमें अपनी आपत्तिजनक आज्ञायें रद्द करके जंजीवारमें बसे हुए भारतीय व्यापारियोंके साथ न्याय करनेको विवश होना पड़ेगा।”

अस प्रस्तावका असर यह हुआ कि भारत-सरकारकी तरफसे अके अफसर भारतवासियोंकी मदद करने तथा लौंगके प्रश्नका निबटारा करनेके लिये जंजीवार भेजा गया। अुसके प्रयाससे और मुख्यतः बम्बयीमें लौंगका सख्त बहिष्कार जारी रखनेसे, मजी मासके प्रारंभमें अस प्रश्नका निबटारा हो गया। लौंग बहिष्कार समितिके अध्यक्षके नाते सरदारने कार्यसमितिके सामने अपना बयान पेश किया। अुसके आधार पर बम्बयीमें हुयी कार्यसमितिकी बैठकमें मजी मासमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :

“कार्यसमितिने लौंग बहिष्कार समितिका बयान पढ़ा। जंजीवारके भारतवासियों और जंजीवार सरकारके बीच लौंगके व्यापारके बारेमें जो करार हुआ है अुस पर समितिने विचार किया है। यह करार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकारका औपनिवेशिक विभाग मंजूर करेगा, तभी स्वीकृत माना जायगा।

“यह समिति विश्वास रखती है कि अस करारका जंजीवार सरकारकी तरफसे अस तरह अमल होगा जिससे भारतवासियोंको पूरा संतोष हो और अस प्रकारकी शंका या सन्देहके लिये जरा भी गुंजाइश न रहे कि अुनके प्रति भेदभाव रखा जाता है। जंजीवारके भारतीयोंने प्रवासी भारतीयोंके अधिकारोंके लिये जो वीरतापूर्ण और सफल लड़ायी लड़ी है, अुसके लिये यह समिति अुन्हें बधायी देती है। जिन व्यापारियोंने खास तौर पर बम्बयीमें काफी त्याग करके वफादारीसे साथ दिया है और अस प्रश्नका सफलतापूर्वक निबटारा करानेमें अितनी बड़ी सहायता दी है, अुनका यह समिति आभार मानती है। लौंग बहिष्कार समितिने जो मेहनत अुठायी, अुसकी भी यह समिति कद्र करती है।”

अुपरोक्त प्रस्तावमें बताये गये कामचलाअु समझौतेको ब्रिटिश सरकारके औपनिवेशिक विभागने मंजूर कर दिया, असलिये वह पक्का हो गया। सरदारने अके वक्तव्य प्रकाशित करके कहा कि लौंगका बहिष्कार अुठा लेनेके

लिअे हमने जो शर्तें रखी थीं, उन सबका पालन हो गया है और हमारी लड़ाईका सफल अंत हुआ है। अब जंजीवार और मडागास्करमें आनेवाले लौंगका व्यापार करनेमें हर्ज नहीं। परंतु असि कमेटिका यह विश्वास है कि जनता और खुरदा व्यापारी उन बड़ी कंपनियोंको प्रोत्साहन देंगे जिन्होंने बहिष्कारमें वफादारीसे साथ दिया है। असि के बाद अन्होंने जंजीवारके भारतीयोंको और बहिष्कारमें साथ देनेवाले भारतके लौंगके व्यापारियोंको बधाई देकर बंबाई प्रान्तीय कांग्रेसके स्वयंसेवकोंको बधाई दी, जिन्होंने असली संकटके समय छः सप्ताह तक कड़ी चौकी की थी। अन्तमें अन्होंने कहा कि असि प्रसंगसे विदेशोंमें रहनेवाले भारतीयोंको विश्वास हो जायगा कि कांग्रेसि उनकी सहायता करनेको सदा तैयार रहती है।

फेडरेशनके विषयमें भी असि कांग्रेसमें महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ था। असिका अल्लेख देशीराज्यों संबंधी प्रस्ताव पर बोल्ते हुए सरदारने अपने भाषणमें किया है। दूसरे विश्वयुद्धके आसार हरिपुरा कांग्रेसके समयसे दिखाई देने लगे थे। असिलिअे असके बारेमें नीति घोषित करनेकी जरूरत थी। अब हमें आजादी मिल गयी है, तब भी विदेशोंके साथ हमारी नीति लगभग वैसी ही है जैसी अस समय घोषित की गयी थी। अस प्रस्तावका महत्त्वपूर्ण अंश यहां दिया जाता है :

“हिन्दुस्तानके लोग अपने पड़ोसियों तथा अन्य सभी देशोंके साथ मुलह-शांति और मित्रतासे रहना चाहते हैं। असि अुद्देश्यसे संघर्षके जितने कारण हो सकते हैं उन सबको वे दूर करना चाहते हैं। अेक राष्ट्रके रूपमें अपनी मुक्ति और स्वतंत्रताके प्रयत्न करते हुए दूसरोंकी आजादीके प्रति वे आदर रखना चाहते हैं और आन्तर-राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावनाके आधार पर अपनी शक्तिका विकास करना चाहते हैं। तमाम दुनियाके मुव्यवस्थित शासनकी बुनियाद पर ही अैसा सहयोग संभव हो सकता है। असिलिअे स्वतंत्र भारत अैसा विश्वशासन स्थापित करनेमें खुशीसे शरीक होगा और निःशस्त्रीकरण तथा सामूहिक सुरक्षाकी भावनाका समर्थन करेगा। परंतु विश्वव्यापी सहयोग तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक राष्ट्रोंके बीच झगड़की जड़ कायम रहेगी, अेक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हुकूमत करना चाहेगा और साम्राज्यवादका सर्वत्र बोलबाला रहेगा। संसारमें हमें स्थायी शांति स्थापित करनी हो तो साम्राज्यवादका अुन्मूलन होना ही चाहिये और कुछ राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोंका जो शोषण कर रहे हैं असका अंत आना ही चाहिये।

“अस समय जिस साम्राज्यवादी युद्धके आसार दिखायी दे रहे हैं उसमें भारत शरीक नहीं हो सकता। हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी धन और जनशक्तिका शोषण ब्रिटिश साम्राज्यवादके हितमें हो। साथ ही हिन्दुस्तानके लोगोंकी स्पष्ट सहमतिके बिना हिन्दुस्तानको किसी भी लड़ाईमें शामिल नहीं किया जा सकता। उसे किसी भी तरह युद्धमें शरीक करनेकी कोशिश की जायगी तो देश उसका विरोध करेगा।”

दूसरा महत्त्वका प्रस्ताव जो हरिपुरा कांग्रेसमें पास किया गया, वह था बुनियादी शिक्षाके बारेमें। शिक्षाके जो सिद्धान्त और जो नीति कांग्रेसने उस समय स्वीकार की, उसे स्वतंत्रता मिलने पर भी अभी तक हम अमलमें नहीं ला सके हैं। असलिये अन्हें याद करना अुचित होगा। हरिपुरा कांग्रेसने राष्ट्रीय शिक्षाका प्रस्ताव पास करके घोषित किया :

“सब कोअी मानते हैं कि भारतकी वर्तमान शिक्षा-पद्धति असफल साबित हुअी है। उसके अुद्देश्य राष्ट्रविरोधी और समाजविरोधी हैं और उसे देनेका तरीका भी बिलकुल दकियानूसी है। साथ ही, वह देशके थोड़ेसे मनुष्योंको ही मिल सकती है, विशाल जनता तो सर्वथा अपढ़ रहती है। असलिये यह आवश्यक है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षाकी रचना नयी बुनियाद और राष्ट्रव्यापी पैमाने पर हो। कांग्रेसको अस समय सरकारी शिक्षा पर असर डालने और अपने विचारोंके अनुसार उसे चलानेका अवसर मिला है। असलिये यह तय करना जरूरी है कि हमारी शिक्षाका संचालन किन मौलिक सिद्धान्तों पर होना चाहिये और अन्हें अमलमें लानेके लिये क्या अपुपाय करने चाहिये। कांग्रेसकी यह राय है कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओंमें निम्न सिद्धान्तोंके अनुसार बुनियादी शिक्षा दी जाय :

१. अँसी व्यवस्था की जाय कि सारे राष्ट्रको सात वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले।
२. शिक्षाका माध्यम मातृभाषा हो।
३. उस सारे समयमें शिक्षाकी रचना किसी भी प्रकारके अुत्पादक अुद्योगको केन्द्रमें रखकर होनी चाहिये; शिक्षाकी और सब प्रवृत्तियां भी यथासंभव बालकके आसपासके वातावरणको ध्यानमें रखकर चुने हुअे किसी मुख्य हाथ-अुद्योगके चारों ओर गुंथी हुअी होनी चाहिये।”

कांग्रेसके अपसंहारके समय अध्यक्ष महोदय तथा प्रतिनिधियोंको धन्य-वाद देते हुअे सरदारने जो भाषण दिया था उसका कुछ भाग अुद्धृत करके अिस अध्यायको समाप्त करेंगे :

“यहां की गअी नगर रचनाके बारेमें दो बातें मुझे कहनी हैं। अिस नगरकी रचना करनेवालोंकी मंने बहुत तारीफ मुनी है। अिस नगरको अिक्यावन द्वारासे सजाया गया है। अिसमें जो खूबसूरती है वह बंगालके विख्यात चित्रकार नंदलाल बोसकी कृति है। वे अितनी सादगीसे रहते हैं कि कोअी पहचान भी नहीं सकता कि वे अितने बड़े चित्रकार होंगे। गुजरातके चित्रकारोंने भी यहां काम किया है। परंतु अुनका तो यह धर्म ही था। अिसलिये मैं अुनकी प्रशंसा नहीं करूंगा। अिस नगरका पूरा नकशा सीमा प्रान्तके निवृत्त अिजीनियर श्री रामदास गुलाटीका बनाया हुआ है। आजकल वे बापूके पास रहते हैं और जूने सीनेका काम करते हैं। फैजपुर कांग्रेसकी सारी रचना भी अुन्होंने ही की थी। वापूने मुझसे कहा कि यहांका सारा काम पांच हजार रुपयेमें पूरा होना चाहिये। मैंने जवाब दिया कि यह काम रामदासजीको सौंप दीजिये। वे जो कुछ मांगेंगे मैं दे दूंगा। अिस प्रकार रामदासजीने जो चीजें मांगीं वे मैंने दे दीं। अिसमें कितना रुपया खर्च हुआ, यह हिसाब करने पर पता चलेगा। यह जगह पसन्द करनेके लिये भी मैं तो बापूको यहां ले आया था। अिस जगह बड़ा विकट जंगल था। अुन्होंने वह जंगल पसन्द किया। फैजपुरके अनुभवसे मालूम हो गया था कि कांग्रेसके लिये विशाल भूमि अवश्य चाहिये। अिसलिये हमने पांच सौ अेकड़ जमीन लेना तय किया। जमीन तीन गांवोंकी है। अुसमें लगभग आधी मुसलमानोंकी है। जमीनके मालिकोंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। हमें अुनका अेहसान मानना चाहिये। परंतु गुजरातके कामके लिये गुजराती जमीन दें तो अिसमें अुपकार क्या माना जाय ? गांधीजीने कहा, कांग्रेसके भोजनालयमें गायका ही दूध-धी काममें लाना होगा। धी हम अुत्तर गुजरात, काठियावाड़ और राजपूतानेसे लाये और दूधके लिये यहां पांच सौ गायें रखीं; ये हमारे पांच सौ प्रतिनिधि अैसे हैं जो हमें कोअी तकलीफ नहीं देते, कोअी प्रस्ताव नहीं रखते; न कोअी संशोधन रखते हैं और न अुन पर भाषण या चर्चा करते हैं। अुल्टे हमें दूध पिलाते हैं। बापूका दूसरा हुक्म यह हुआ कि सब प्रतिनिधियोंको

हाथकुटे चावल और हाथचवकीका पीसा हुआ आटा खिलाना होगा। सैकड़ों मजदूर रखकर हमने चावल कुटवाये और आटा पिसवाया।

“यह जंगल अेक गुजराती भाजीने अपना ट्रेक्टर लाकर साफ व बराबर कर दिया और आसपासके रास्ते सुधार दिये। स्टेशनसे यहां आनेवाली सड़क पर मिट्टी न अुड़े अिस विचारसे अुतनी सड़क डामरकी बनवायी। बादमें सवाल पानीका रहा। रोज यहां दो लाख आदमी जमा हों, अुनके लिअे साफ पानीकी व्यवस्था तो करना ही चाहिये। मैंने कहा कि वाटर वर्क्स बनानेका खर्च पचास हजार रुपये होगा। बापूने कहा कि नदीका पानी पिलायेगे। मैंने कहा कि यह खतरा अुठानेको मैं तैयार नहीं हूं। साफ पानी और अुसकी निकासीके लिअे नालियोंकी व्यवस्था तो करनी ही चाहिये। अिसके लिअे रासके अेक किसानने, जिसने अपनी सारी जायदाद आजादीकी पिछली लड़ाीमें गंवा दी है, सारे आवश्यक पाअिप यहीं बना डाले। सफाीका काम भी गुजरातके किसानों और विद्यार्थियोंने ही किया है। स्वागत-समितिके अध्यक्ष दरबार साहब और प्रधानमंत्री श्री कन्हैयालाल देसायी तीन महीने पहले ही यहां आ गये थे। अिस सारे नगरमें जो व्यवस्था है और जिसकी सत्र तारीफ करते हैं, वह अिस प्रकार हुआ है। हमारे गुजरातकी अेक खासियत यह है कि यहां काम करनेवाले आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। आप सबकी सोहबतसे मैं कुछ बोलना सीख गया हूं। परंतु पहलेके समयका मैं अपना अेक अुदाहरण देता हूं। मैं कलकत्ता कांग्रेसमें गया था। मेरा अेक मित्र मेरा टिकट लेकर सभामंडपमें चला गया। मैं रास्तेमें अिधर अुधर खूब भटकता रहा, परंतु भीतर कैसे जाता? किसीने भी मुझे नहीं पहचाना। अन्तमें भटककर मैं अपने डेरे पर जाकर बैठ गया। बादमें आचार्य कृपालानी मिले। अुन्होंने मुझे पूछा तब मैंने कहा कि मेरे पास तो टिकट नहीं है। अंसा है मेरा स्वभाव। यहां जो भी व्यवस्था हुआ है वह मेरे साथियोंकी मेहनतका फल है। मैंने तो थोड़ासा पयप्रदर्शन ही किया होगा। यहां आठ हजार स्वयंसेवक काममें लगे हुए हैं। दो हजार स्वयंसेवक सफाीका काम करते हैं। अिनके सेनापतिकी और बहन मृदुला साराभायीकी में क्या तारीफ करूं? यहां आप छोटी छोटी लड़कियोंको भी काम करते देख रहे हैं। ये सब गुजरातकी लड़कियां हैं। अिन्होंने यहांकी व्यवस्थामें जबरदस्त हाथ बंटाया है। हमारे भोजनालयकी सारी व्यवस्था रविशंकर महाराजने की है। ये गुजरातके महाराज कहलते हैं। ये हर आन्दोलनके

समय सबसे पहले जेल जाते हैं और सबके बाद छूटकर आते हैं। जिस जेलमें जाते हैं उसका सुपरिन्टेन्डेन्ट भी खुश हो जाता है। जेलका सारा भोजनालय अन्हें सौंप देता है। हम सब अैसे हैं। हमें आप भाभी-बहनोंका आभार मानना है और क्षमा-याचना भी करनी है। अैसे जंगलमें आपके आराम और सुखके लिये सब चीजोंका प्रबंध कैसे हो सकता है? हम आपको पलंग दें तो ये हमारे पंतजी अैसे हैं कि अेक रातमें तीन चार तोड़ डालें। फिर अेक रोज वर्षा आ गयी और धूलकी आंधी अुठी। असलिये भी आपकी तकलीफ खूब बढ़ गयी। परंतु आप सबने यह तमाम तकलीफ बर्दाश्त कर ली। हमारी किसी त्रुटिकी तरफ नहीं देखा, खूब प्रेम और अुदारतासे सब कुछ निभा लिया। असके लिये मैं आप सबका आभार मानता हूं। देशका काम था, असमें सबने हमारा साथ दिया है। और अीश्वरकी कृपासे हमारा काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।”

२३

पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्ष

देशके छः प्रान्तोंमें कांग्रेसके मंत्रिमंडल बन जानेके बाद मंत्रियोंको सलाह-सूचना देनेका, कांग्रेसका अनुशासन अच्छी तरह कायम रखनेका तथा पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिमें पदग्रहणके सहायक होनेका कांग्रेसका अुद्देश्य अच्छी तरह पूरा हो रहा है या नहीं, यह सब देखनेका काम कांग्रेसकी कार्यसमिति पर आ पड़ा। परंतु सारी कार्यसमिति पूरा समय असमें नहीं दे सकती थी और काम अितने महत्त्वका था कि अस पर सतत देखरेखकी जरूरत थी। असलिये कार्यसमितिके अपने सदस्योंमें से राजेन्द्रबाबू, मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा सरदारकी अेक छोटी समिति अस कामके लिये बना दी। सरदार अस समितिके अध्यक्ष बने। अिन तीन सदस्योंका भी समय समय पर अिकट्टा होना मुश्किल हो जाता था। असलिये अुन्होंने अलग अलग प्रान्तोंकी देखरेखका काम आपसमें बांट लिया। महत्त्वका काम होता तब तीनों सदस्य अेकत्र होकर निर्णय करते और बहुत महत्त्वका होता तब वे कार्यसमिति और गांधीजीकी सलाह ले लेते। प्रबंध-संबंधी कामका जल्दी निबटारा करनेकी शक्ति, अटपटे प्रश्नोंको हल करनेकी दक्षता और खास तौर पर मनुष्योंको पहचानने और यह अन्दाज लगानेकी अद्भुत शक्तिके कारण कि वे कितने पानीमें हैं, अस

पार्लमेण्टरी अपसमितिके कामका मुख्य बोझ सरदार पर ही रहता था। यह काम अन्होंने अितनी होशियारी, विवेक और सहानुभूतिके साथ किया कि बहुतसे प्रान्तोंके मंत्रियोंको तो उनका बड़ा सहारा रहता था। कोअी भी अुलझन पैदा होती कि वे दौडकर सरदारके पास चले जाते। वैसे, कुल मिलाकर पार्लमेण्टरी कमेटीने मंत्रियोंके काममें कभी व्यर्थका हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी सामनेवाले आदमीको अच्छा लगेगा या बुरा, अिसकी परवाह किये बिना अुसे खरी बात साफ साफ कह देनेकी आदतके कारण सरदारको कअी बार अप्रिय बननेके अवसर भी आ जाते थे। सारी कार्यसमिति अेक विचारकी हो तो भी रोषके निशान सरदार बनते थे। श्री नरीमानका किस्सा हम पढ़ चुके हैं। अिस अध्यायमें मध्यप्रान्तके मुख्यमंत्री श्री खरेका भी लगभग अैसा ही किस्सा हम देखेंगे। त्रिपुरी कांग्रेसके समय सुभाषबाबूका रोष भी मुख्यतः सरदार पर ही हुआ था।

पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्षकी हैसियतसे अन्हें जो समस्याअें सुलझानी पड़ीं, अुनमें युक्त प्रान्त और बिहारकी समस्या हरिपुरा कांग्रेसके समय अपस्थित होनेके कारण अुस अध्यायमें दे दी गयी है। अिस अध्यायमें कुछ और महत्त्वकी घटनाओंका वर्णन करेंगे।

अुड़ीसाके गवर्नरका स्वास्थ्य अच्छा न होनेसे वे मअीके आरंभमें लंबी छुट्टी पर जाना चाहते थे। अिसलिअे अुनकी जगह कामचलाअू गवर्नरके रूपमें अुसी प्रान्तके रेव्हेन्यू कमिश्नर मि० डेनकी नियुक्तिकी घोषणा ७ मार्चको कर दी गयी। अिस बातका पता लगते ही अुड़ीसाके मुख्यमंत्रीने अिस नियुक्तिके विरुद्ध अिस कारणसे आपत्ति अुठाअी कि सरकारी विभागमें नौकरी करनेवाले कर्मचारीको, भले ही कामचलाअू तौर पर ही सही, गवर्नरका पद देना अुचित नहीं। जो कर्मचारी मंत्रियोंके मातहत काम करता हो अुसे थोड़े समयके लिअे भी मंत्रियोंके अूपर बिठा देना बहुत अुनुचित है, क्योंकि गवर्नरका पद अेक खास प्रतिष्ठा और विशेष अधिकारवाला है। अिसलिअे वही आदमी फिर अपनी पुरानी नौकरी पर आये तब अुसकी और मंत्रियों दोनोंकी स्थिति विषम हो जाती है। अुड़ीसाके मुख्यमंत्रीने अिस मामलेमें सरदार और गांधीजीकी सलाह ली। अन्होंने सलाह दी कि आपकी आपत्ति पर ध्यान देकर गवर्नरकी नियुक्तिमें परिवर्तन न किया जाय तो सारे मंत्रिमंडलको त्यागपत्र दे देना चाहिये। अिसके बाद मुख्यमंत्रीका गवर्नरके साथ कुछ पत्रव्यवहार हुआ। अुससे कुछ हुआ नहीं तो मुख्यमंत्रीने स्वयं जानेका विचार किया। ४ मअीको मुख्यमंत्री अन्य सब मंत्रियों और पार्लमेण्टरी सेक्रेटारियोंके अिस्तीफे लेकर गवर्नरसे मिलने पुरीके लिअे रवाना हो

ही रहे थे कि अितनेमें गवर्नरके सेक्रेटरीका तार आया कि गवर्नरने छुट्टी पर जानेका विचार छोड़ दिया है। अुसी दिन गवर्नरकी तरफसे निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया गया :

“अपने अुत्तराधिकारीके लिअे अस्थिर राजनैतिक परिस्थिति पैदा होनेकी संभावना देखकर गवर्नर महोदयको अपनी मूल योजनाके अनुसार छुट्टी पर जाना मुनासिब मालूम नहीं होता। अतः मिली हुअी छुट्टी प्रान्तके हितके लिअे रद्द करानेके सिवा अुनके पास कोअी अंर अुणाय नहीं। छुट्टी रद्द करानेकी अुनकी प्रार्थना गवर्नर जनरलकी सम्मतिसे भारतमंत्रीने मंजूर कर दी है।”

अिस प्रकार यह काण्ड बहुत अच्छी तरह निवट गया। अुड़ीसाके मुख्य-मंत्रीने अिस विषयमें अपना वक्तव्य प्रकाशित करते हुअे बताया :

“गवर्नर महोदयने बड़ी चतुराअीसे अिस मुश्किलको हल कर दिया है। सबके लिअे जो दुःखद संकट अुपस्थित होनेवाला था, अुसे अुन्होंने टाल दिया है। अपने स्वास्थ्यका खयाल किये बगैर अिस संकटको टालनेके लिअे ही गवर्नर महोदयने अपनी छुट्टी रद्द कराअी है। अिसके लिअे वे बधाअीके पात्र हैं। मि० डेनके बारेमें मुझे कहना चाहिये कि हममें से किनीको भी अुनमे कोअी व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वे अिस प्रान्तके पुराने और अनुभववी अफसर हैं और अुन्होंने अिस प्रान्तकी बहुत सेवा की है। हमारा मंत्रिमंडल पार्लमेण्टरी कमेटी द्वारा हमें अिस बारेमें पहलेसे ही दी गअी सलाह और पथप्रदर्शनके लिअे अुसका आभारी है। अुसकी सलाह हमें न मिली होती तो संकट जल्दी ही पैदा हो जाता।”

पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्षकी हैसियतसे सरदारने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

“अुड़ीसाके स्थानापन्न गवर्नरकी नियुक्तिके बारेमें ब्रिटिश सरकारने अपनी की हुअी भूलको समय रहते सुधारकर बहुत सुन्दर काम किया है। अिसलिअे वह बधाअीकी पात्र है। अुसने अेक अैसा संकट टाल दिया है जिसके परिणाम बहुत गंभीर होते। अिस देशके शासक और अिंग्लैण्डके अधिकारी यदि अितना समझ लें कि संविधानकी भावना और तत्त्वका जरा भी भंग होगा तो कांग्रेस अुसे बर्दाश्त नहीं करेगी, तो बहुतसी परेशानियां और झगड़े टल जायं। अिस संविधानकी अनेक त्रुटियां मालूम होते हुअे भी कांग्रेसने पदोंका दायित्व स्वीकार किया है। अिसमें अुसका

स्पष्ट अिरादा संविधानको विशाल बनानेका है। हम आशा रखें कि अिस किस्मकी घटना यह आखिरी ही होगी। जुडीसाके मुख्यमंत्री और अुनके साथी भी अिस बातके लिये बधाओके पात्र हैं कि जिस वैधानिक सिद्धान्तमें अुनके स्वाभिमानका प्रश्न था अुसके लिये अुन्होंने दृढ़ आग्रह रखा।”

भिन्न भिन्न प्रान्तोंके मंत्रिमंडलोंमें सबसे ज्यादा गड़बड़ कहीं हुआ हो और सिरपच्ची करनी पड़ी हो तो वह मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलके बारेमें करनी पड़ी थी। मंत्रिमंडल बन जानेके बाद थोड़े ही समयमें वहांके न्याय और कानून विभागके मंत्री शरीफ साहबने अेक अैसी गंभीर भूल की, जिसके कारण लोकभावना बहुत अुत्तेजित हो गयी। अेक तेरह वर्षकी हरिजन लड़की पर बलात्कार करनेके जुर्ममें सजा पाये हुअे कैदियोंको अुनकी अेक-तिहाजी सजा पूरी होनेसे पहले ही दया करके अुन्होंने छोड़ दिया। अिनमें से अेक अपराधी शिक्षा-विभागमें पहले दर्जेका अफसर होनेके कारण ७५० रु० मासिक नौकरी पर था। और अुसे खानसाहबकी पदवी प्राप्त थी। दूसरा मुजरिम थानेदार था। अिन दोनोंने अन्य चार आदमियोंकी मददसे योजनापूर्वक अुम लड़कीको फंसाकर अुस पर बलात्कार किया था। अिसके सिवा अेक बीमेके मामलेमें धोखा देनेके जुर्ममें सजा पाये हुअे कैदीको भी छोड़ देनेकी अुन मंत्रीने सिफारिश की थी। कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंमें साधारण तरीका यह था कि अैसे महत्त्वके प्रश्नोंका विचार सारे मंत्रिमंडलकी बैठकमें किया जाता था और अुसके संयुक्त निर्णयके अनुमार गवर्नरके सामने सिफारिश की जाती थी। परंतु अिन दोनों मामलोंमें अुस मंत्रीने अपने दूसरे साथियोंसे पूछे बिना गवर्नरके सामने अपनी सिफारिश पेश कर दी। बलात्कारवाले मामलेमें तो गवर्नरकी मंजूरी भी ले ली, जिसके परिणामस्वरूप कैदी छूट गये। अिस बातका पता चलते ही अन्य मंत्रियोंने आपत्ति अुठायी। साथ ही लोगोंमें जबरदस्त शोरगुल मचा। अिसलिये बीमेवाले मामलेमें गवर्नरने हस्ताक्षर करना मुलतवी कर दिया।

सरदारको अिस बातकी खबर मिलते ही अुन्होंने न्यायमंत्री शरीफ साहबसे जवाब तलब किया और मध्यप्रान्तकी धारासभाके कांग्रेसदलको यह प्रश्न तुरंत हाथमें लेनेकी हिदायत दी। अपने साथियोंसे परामर्श किये बिना गवर्नरके पास पहुंच जानेके लिये शरीफ साहबने धारासभाके कांग्रेसदलकी सभामें अफसोस जाहिर किया और त्यागपत्र देने तककी तैयारी दिखायी। परंतु मुख्यमंत्री डॉ० खरेका रवैया शरीफ साहबको बचा लेनेका था। यह मामला महत्त्वका था अिसलिये पार्लमेण्टरी कमेटीने अुनका अिस्तीफा कांग्रेस कार्य-

समितिके सामने पेश किया। मंत्री और छूटनेवाले कैदी मुसलमान थे, जिसलिये मुस्लिम लीगने यह अह्दापोह मचाया कि दया करके कैदियोंको छोड़ देनेका कृत्य मंत्रीने अपने अधिकारकी रूसे किया था। मंत्रीने कानूनकी रूसे मिले हुअे अधिकारका अस्तेमाल किया, जिसमें धारासभाका कांग्रेसदल या कांग्रेसकी पार्लमेण्टरी कमेटी दखल नहीं दे सकती। शरीफ साहबने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें अुन्होंने बताया कि मेरी यह भूल जरूर हुअी कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैदियोंको छोड़नेसे आगेपीछे क्या असर पड़ेगा और इसके लिये मुझे अफसोस है; परंतु केवल न्यायका विचार करते हुअे अुस समय मुझे गहसूम होता था और अब भी होता है कि मैंने कोअी बेजा काम नहीं किया। जिसलिये मंत्रीके साथ पूरा न्याय करनेके लिये कांग्रेस कार्यसमितिने यह प्रस्ताव पास किया :

“असली सवाल तो यह है कि मंत्रीने अपने विवेकको काममें लेनेमें अैसी गंभीर भूल की है या नहीं जिससे न्यायका खून होता हो? यदि अुन्होंने अैसी भूल की हो तो न्यायके खातिर, शासनकी शुद्धताके खातिर और स्त्रियोंकी अिज्जतकी रक्षाके खातिर अुनका त्यागपत्र देना ही अुचित्त मार्ग है। परंतु यदि अुनके कृत्यसे न्यायका खून न होता हो तो अुन्हें त्यागपत्र देनेकी जरूरत नहीं। अितना ही नहीं, माफी मांगनेकी भी जरूरत नहीं। इस मामलेका निर्णय करनेके लिये कार्यसमितिके सामने पूरे तथ्य न होनेसे इस मामलेकी और बीमेवाले मामलेकी जांच करनेका काम किसी प्रख्यात कानून पंडितको सौंपा जाय।”

आम जनताको कार्यसमितिके इस प्रस्तावसे संतोष नहीं हुआ। अुसका कहना यह था कि इस मामलेमें दो-दो अपीलें हुअी हैं और हाअीकोर्ट तकने अभियुक्तोंको अपराधी ठहराकर सजा बहाल रखी है। इस पर अब और जांचकी क्या जरूरत है? इस असंतोषको शांत करनेके लिये कार्यसमितिने जनतासे अपील की कि अुसे अन्तिम निर्णयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। लोगोंको यह विश्वास रखना चाहिये कि इस मामलेका निर्णय किसी भी तरहका डर न रखे बिना या गलत मेहरबानी बताये बिना किया जायगा। अुसने लोगों और अखबारोंसे यह भी अनुरोध किया था कि इस प्रश्नको साम्प्रदायिक रूप देना अुचित्त नहीं। मंत्रीके इस कृत्यसे बहनोंकी भावनाको भी चोट पहुंची थी। अुन्हें कार्यसमितिने आश्वासन दिया कि आपकी अुत्तेजना अुचित्त है, परंतु कार्यसमितिको स्त्रियोंकी अिज्जत

आपसे कम प्यारी नहीं है। फिर भी पूरी जांच कराकर निर्णय करना ही अधिक ठीक होगा।

कांग्रेस कार्यसमितिके सारे मामलेकी अच्छी तरह जांच करके अपनी राय देनेका काम कलकत्ता हाजीकोर्टके सेवा-निवृत्त जज सर मन्मथनाथ मुकर्जीको सौंपा।

शरीफ साहब अपना वरिस्टर लेकर अपना मामला पेश करनेके लिये सर मन्मथनाथके पास कलकत्ते गये। मुख्यमंत्री श्री खरेने भी अक लम्बा वक्तव्य लिखकर भेजा। उसमें शरीफ साहबके लिये यह सिफारिश की कि चूकि अन्होंने खेद प्रगट कर दिया है, असलिये अन्हें छोड़ दिया जाय।

सर मन्मथनाथने सारी जांच करके ता० ७-५-'३८ को अपनी राय दी। उसमें अन्होंने बताया कि दो मुख्य अभियुक्तोंकी तरफसे दयाकी प्रार्थना पहले भी की गयी थी। परंतु उस समय जिलेके कलेक्टर और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टने सख्त रिपोर्ट दी थी कि यह अपराध अितना गंभीर है, अपराधियोंने अितने अधिक छलप्रपंच किये हैं और अन्तमें बलप्रयोग किया है कि वे दयाके पात्र नहीं हैं। असलिये मंत्री कुछ कर नहीं सके थे। बादमें दूसरे चार अभियुक्तोंको, जिन्हें अस अपराधमें सहायता देनेके लिये दो दो वर्षकी सजा हुयी थी, अउनकी दयाकी प्रार्थना पर, मंत्रीने अउनकी अक वर्षकी सजा पूरी हो जाने पर छोड़ देनेका हुक्म दिया। अउन दो मुख्य अपराधियोंने, जिनमें से अकको तीन वर्षके और दूसरेको चार वर्षके कारावास और जुर्मानेका दण्ड मिला था, दुबारा दयाकी अर्जी की। उस समय जिला-धिकारियोंने कोअी स्पष्ट मत नहीं दिया। कहा जाता है कि अन्हें यह बताया गया था कि मंत्रीका अिरादा अिन कैदियोंको छोड़ देनेका है। मंत्रीने दयाकी प्रार्थना स्वीकार करके मुख्य कैदियोंको छोड़ देनेकी गवर्नरसे सिफारिश करनेमें निम्न कारण बताये थे :

१. लड़की पहलेसे ही खराब चालचलन की थी और खुशीसे संमत हुयी थी।

२. अस मुकदमेके कारण अभियुक्तको बड़ी नौकरीसे हाथ धोना पड़ा है, असलिये वह आर्थिक दृष्टिसे बर्बाद हो गया है। समाजमें भी उसकी प्रतिष्ठा घट गयी है। यह उसके लिये काफी सजा है।

३. यह मुकदमा चल रहा था अुसी बीच अपराधीकी स्त्री आघात पहुंचनेसे मर गयी है और उसके छोटे छोटे बच्चोंकी निगरानी करनेवाला अिस समय कोअी न होनेके कारण वे अनाथ हो गये हैं।

पहले मुद्देके बारेमें सर मन्मथनाथने बताया कि लड़कीके बारेमें मंत्रीने जो कुछ लिखा है वैसे कुछ भी सबूतमें पेश नहीं हुआ है। अल्टे सबूतमें तो यह पाया गया है कि तलवारसे मार डालनेका डर दिखाकर अुस पर बलात्कार किया गया था। दयाकी प्रार्थना पर विचार करनेवालेको सबूतसे बाहर जाकर अुस पर कोअी राय बनानेका अधिकार नहीं है। अुन चार अभियुक्तोंको छोड़ देनेमें दिखायी गयी दया भी गलत थी। और यह अपराध अकस्मात् लालचमें पड़कर नहीं किया गया, परंतु अिसके पीछे व्यवस्थित योजना थी और जबर्दस्त छलप्रपंच रचकर लड़कीको फंसाया गया था। अिसलिये मेरी स्पष्ट राय है कि मंत्रीने दयाकी प्रार्थना स्वीकार करके गंभीर भूल की है। और अुसके कारण न्यायका अवश्य खून हुआ है। अभियुक्त आर्थिक रूपमें पामाल हो गया है और अुसका परिवार संकटमें फंम गया है, यह बात सजा देते समय अदालतने ध्यानमें रखी ही है। दरअसल अितने पढ़ेलिखे आदमीने अैसा क्रूर कृत्य किया, अिसके लिये अुसे जरा भी दयापात्र नहीं मानना चाहिये था।

यह रिपोर्ट मिलनेके बाद मंत्री शरीफ साहबको अिस्तीफा देनेके लिये मजबूर किया गया।

अिस कांडका निबटारा होनेसे पहले ही मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलमें आपसमें बड़े झगड़े पैदा हो गये थे। मध्यप्रान्तमें मुख्य तीन विभाग हैं। महाकांशल अथवा हिन्दी मध्यप्रान्त, नागपुर अथवा मराठी मध्यप्रान्त और बरार। मंत्रिमंडलमें महाकांशलके तीन मंत्री थे, जिनका मुख्यमंत्री डॉ० खरेके साथ — जो नागपुरके थे — जबर्दस्त मतभेद रहा करता था। अिसके परिणामस्वरूप अुन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अिसके सिवा मंत्रियों पर रिश्त लेने और सगे-सम्बन्धियोंका पक्षपात करनेके भी आरोप थे। अिस कारण सारे प्रान्तमें और धारासभाके सदस्योंमें निन्दा और मलिनताका वातावरण फैल गया था। सरदारके पास ये शिकायतें बहुत समयसे आती रहती थीं। अिसलिये अुन्होंने मध्यप्रान्तके ठंडे पहाड़ी स्थान पचमढ़ीमें, जहां प्रान्तकी सरकार अुस समय थी, ता० २४-५-३८ को धारासभा दलकी बैठक बुलायी। अुसमें पालमेण्टरी कमेटीके तीनों सदस्योंके मौजूद रहनेकी बात तय हो चुकी थी। लेकिन राजेन्द्रबाबूकी तबीयत खराब होनेसे वे वहां नहीं जा सके थे। मध्यप्रान्तके तीनों विभागोंकी प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्षोंको भी वहां अुपस्थित रखा गया। जी भरकर बातें और बहसें हुआं। अुनके परिणामस्वरूप सब प्रश्नोंका निबटारा हो गया। तीनों मंत्रियोंने अिस्तीफे वापस ले लिये। सब मंत्रियोंने लिखित वचन

दिया कि भविष्यमें हम अकमत होकर काम करेंगे। सरदारने उस बारेमें निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“शरीफ साहबके मामलेका कांग्रेस कार्यसमितितने अभी अभी निबटारा किया है। हमने सब मंत्रियोंसे अकसाथ और अलग अलग बातें कर ली हैं। सारे प्रश्नोंका समाधान करनेमें हमें कठिनायी तो हुआ है, फिर भी हमें यह बताते हुअे आनंद होता है कि सारे मतभेद मिट गये हैं। मंत्रियोंने हमें विश्वास दिलाया है कि वे आपसके मतभेद भूलकर सहयोगसे काम करेंगे। शासनमें सुधार करने और कुशलता लानेके लिये जो परिवर्तन करने जरूरी हैं वे मंत्री खुद ही कर लेंगे और इस बातकी बराबर सावधानी रखेंगे कि आंजिदा शिकायतके कारण पैदा न हों।

“मंत्रियों पर जो विशेष गंभीर आरोप थे, उनकी भी हमने जांच कर ली। हमें यह बताते हुअे आनंद होता है कि सबसे अधिक गंभीर आक्षेप रिश्वतके थे, जो साबित नहीं हुअे। कुछ आक्षेप तो बिना विचारे और द्वेषपूर्वक किये गये थे। उनके समर्थनमें हमें रत्तीभर भी सबूत नहीं मिला।

“अिसीके साथ हमें कहना चाहिये कि कुछ शिकायतें अकारण नहीं थीं। अधिकांश शिकायतें तो शासनकी अकुशलतासे सम्बन्ध रखती थीं। हमें विश्वास दिलाया गया है कि अुन्हें सुधार लिया जायगा। ऋण निवारण कानून (डेट कन्मीलियेशन अेक्ट) में, जो गरीब किसानोंके हितमें बनाया गया है, कर्जकी मर्यादा पचास हजारसे बढ़ाकर अेक लाख कर दी गयी है। अिस मामलेमें हमारे सामने स्वीकार किया गया है कि अिस परिवर्तनका बचाव नहीं किया जा सकता। मंत्रियोंने हमें वचन दिया है कि कर्जकी मर्यादा घटाकर मूल मर्यादाके अनुसार कर दी जायगी।

“दूसरे आक्षेप ये थे कि मंत्रियोंने पूरी योग्यता न रखनेवाले आदमियोंको विश्वविद्यालयमें अध्यापकोंकी और अस्पतालोंमें डॉक्टरोंकी जगह दिलायी है। ये आक्षेप साबित हुअे हैं। हमें वचन दिया गया है कि अैसे प्रत्येक मामलेमें न्याय किया जायगा।* कुछ और छोटे

* मंत्री पंडित रविशंकर शुक्लके लड़केको लॉ लेक्चररकी जगह दी गयी थी, मुख्यमंत्री डॉ० खरेके लड़केको मेयो अस्पतालमें अवैतनिक सर्जनकी जगह दी गयी थी और अुनके भाओकी ऑडीटर नियुक्त किया गया था।

छोटे आक्षेपोंकी जांच करके उनका निबटारा करनेका काम सेठ जमनालाल बजाजको सौंपा गया है। हमें यह कहते आनंद होता है कि मंत्रियोंने जो भूलें की हैं वे अन्होंने तुरन्त स्वीकार कर ली हैं और अन्हें सुधार लेना मंजूर किया है। सबसे गंभीर आरोप बेवुनियाद ठहरे हैं और छोटी भूलें फौरन सुधार लेनेका वचन दे दिया गया है। असलिये हम आशा रखते हैं कि अब लोगोंकी आलोचनाओं बन्द हो जायंगी और मंत्रियोंको यह दिखा देनेका मौका दिया जायगा कि वे कांग्रेसकी परम्परा कायम रखनेमें समर्थ हैं।”

अिस प्रकार समाधान हो जानेके बाद यह आशा रखी गयी थी कि सब काम ठीक हो जायगा। परन्तु वह आशा मकल नहीं हुयी। थोड़े ही समय बाद पार्लमेण्टरी कमेटीके चेयरमैनकी हैसियतसे सरदारके पास शिकायतें आने लगीं कि डॉ० खरे समझौतेकी शर्तोंका पालन नहीं कर रहे हैं। सरदारने डॉ० खरेसे अनुरोध किया कि सब काम आपसमें समझकर करें और कोअी भारी मतभेद हो तो कांग्रेस कार्यसमितिके पास लायें।

परन्तु मतभेद अधिकाधिक अग्र बनते गये और १३ जुलाअीको अखबारोंमें खबर आयी कि दो मंत्री श्री गोले और श्री देशमुखने अिस्तीफे दे दिये हैं। १५ जुलाअीको डॉ० खरेने सरदारको अिस बारेमें अेक रिपोर्ट भेजी कि वे पचमढीके समझौतेका पालन करनेके लिये क्या क्या कर रहे हैं। अन्होंने यह भी बताया कि हमारे बीच अितने मतभेद हैं कि हमारा काम अेकस्वरसे नहीं चलता। परन्तु अिसीके साथ अन्होंने वचन दिया कि वे कोअी कारंवाअी जल्दबाजीमें नहीं करेंगे और अन्तिम निर्णय सरदार पर छोड़ेंगे। अुस पत्रमें अन्होंने सरदारको यह बात नहीं बतायी कि अुनके दो साथियोंने त्यागपत्र दे दिये हैं।

वर्धामें २३ जुलाअीको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक होनेवाली थी। डॉ० खरेकी तरफसे सरदारको वचन मिल चुका था, असलिये वे अिस भरोसे रहे कि कार्यसमितिकी बैठकसे पहले पार्लमेण्टरी कमेटी मिलकर अुनके जो भी रगड़े-झगड़े होंगे अुनका विचार कर लेगी।

१९ जुलाअीको डॉ० खरेने अपने साथियोंको बताया कि मैं मुख्यमंत्री-पदसे त्यागपत्र देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे तो पार्लमेण्टरी रूढिके अनुसार अन्य मंत्रियोंको भी त्यागपत्र दे देना चाहिये, असलिये आपको भी मेरे साथ त्यागपत्र दे देना होगा। ता० २० को तीन मंत्री श्री रविशंकर शुक्ल, श्री मिश्र तथा श्री मेहताने अलग अलग पत्र लिखकर डॉ० खरेको सूचना दी कि पार्लमेण्टरी कमेटी या कार्यसमितिकी ओरसे जब तक हमें

सूचना नहीं मिलती तब तक हम त्यागपत्र नहीं देंगे। उस दिन दोपहरको डॉ० खरेने गवर्नरको अपना त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ अन्य दो मंत्री श्री गोले और श्री देशमुखने भी त्यागपत्र दे दिये। गवर्नरने पार्लमेण्टरी प्रथाके मुताबिक अन तीन मंत्रियोंसे भी त्यागपत्र मांगे। श्री रविशंकर शुक्लने सरदारसे टेलीफोन पर बात करनेकी कोशिश की। परन्तु वे अहमदाबाद चले गये थे, असलिये उनके साथ बात नहीं हो सकी। दूसरे दो मंत्री महाकोशल प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष ठाकुर छेदीलालके साथ वर्धामें बाबू राजेन्द्रप्रसादसे मिलने गये, जो उस समय वहां आये हुआ थे। अन्होंने बाबू राजेन्द्रप्रसादको मारी परिस्थिति समझायी। राजेन्द्रबाबूने सलाह दी कि आप पार्लमेण्टरी कमेटी तथा कार्यसमितिके अनुशासनमें रहनेके लिये बंधे हुए हैं, यह बात आप गवर्नरको समझाविये और २३ जुलाओको कार्यसमिति मिलनेवाली है तब तक प्रतीक्षा करनेका अनुसे अनुरोध कीजिये। बाबू राजेन्द्रप्रसादने इसी प्रकार डॉ० खरेके नाम पत्र लिखकर ठाकुर छेदीलालको दिया। उसमें लिखा कि २२ जुलाओको पार्लमेण्टरी कमेटीकी बैठक होगी, उसके पहले अतना अुतावला कदम आपको नहीं अुठाना चाहिये। आप अपना त्यागपत्र वापस ले लीजिये और ऐसा न करना हो तो गवर्नरसे विनती कीजिये कि वे २३ जुलाओ तक अिस्तीफे पर विचार करना स्थगित रखें। जैसे ही पत्र अन्होंने श्री गोले और श्री देशमुखको लिखे। ये सारे पत्र लिखने-लिखानेमें रातके दस बज गये। ठाकुर छेदीलालने वर्धामें डॉ० खरेको नागपुर टेलीफोन किया कि मैं बाबू राजेन्द्रप्रसादका जरूरी पत्र लेकर नागपुर आ रहा हूं। जब डॉ० खरेने फोन लिया उस समय श्री गोले तथा श्री देशमुख भी वहां मौजूद थे। ठाकुर छेदीलाल आधी रातके बाद नागपुर पहुंचे और डॉ० खरेके घर गये। वहां श्री देशमुख तथा श्री गोले मौजूद थे। अन्हें उनके पत्र दे दिये। परन्तु डॉ० खरे घर पर नहीं थे, असलिये उनका पत्र नहीं दिया जा सका।

श्री शुक्ल, श्री मिश्र और श्री मेहताको गवर्नरने रातको दो बजेका समय दिया था। तदनुसार वे अनुसे मिलने गये और त्यागपत्र नहीं देनेके कारण अन्हें समझाये। फिर भी ता० २१ को सुबह पांच बजे अन्हें मंत्रीपदसे मुक्त कर देनेके समाचार दे दिये गये। उसके बाद डॉ० खरेने नया मंत्रिमंडल बनाया और ता० २१ को सुबह ही जो मंत्री वहां मौजूद थे अन्होंने और डॉ० खरेने मंत्रीपदकी शपथ भी ले ली।

ता० २२ को पार्लमेण्टरी कमेटीकी बैठक हुयी। इस बातका पता लगते ही अन्होंने तार देकर डॉ० खरेको, उनके नये साथियोंको और

पदच्युत हुअे मंत्रियोंको वर्धा बुलाया। असि बीच कांग्रेसके अध्यक्ष बाबू सुभाष-चंद्र बोस भी वहां आ गये थे। शाम तक डॉ० खरे और नये मंत्री श्री देशमुख, श्री गोले और ठाकुर प्यारेलाल आ पहुंचे। विदर्भ और महाकोशल प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्ष भी वहां थे। उन सबके खरू वार्ते हुआं। बातचीतमें पता लगा कि डॉ० खरेने तो ता० १७ को ही खाग तौर पर आदमी भेजकर ठाकुर प्यारेलालसिंहको पुछवाया था कि वे नये मंत्रिमंडलमें आयेंगे या नहीं। असिसे अतना तो स्पष्ट हो जाता है कि ता० १५ को सरदारको निश्चित रहनेके लिअे लिखनेके बाद तुरंत ही डॉ० खरे नया मंत्रिमंडल बनानेकी तजवीज करने लगे थे। ता० १८ को ठाकुर प्यारेलालसिंहका हांमें अत्तर आ गया तो डॉ० खरे १९ तारीखको गवर्नरके सेक्रेटरीसे मिले और अन्हें अपनी सारी योजना बताअी। यह सब कुछ अन्होंने अपने साथियों, प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्षों और पार्लमेण्टरी कमेटीको कोअी सूचना दिये बिना किया था। असिसे भी ज्यादा अनुचित बात तो यह थी कि ता० २२ को सवेरे जब ठाकुर प्यारेलालसिंहने शपथ ली तब यह कहकर कि अमुक पत्र सरदार वल्लभभाअीका लिखा हुआ है, अुसमें से अेक अंश पढ़कर अन्हें मुनाया गया, असिसे ठाकुर प्यारेलालसिंहको अैसा भरोसा हो जाय कि नये मंत्रिमंडलमें शरीक होनेमें वे कोअी भूल नहीं कर रहे हैं। अुस अंशमें यह लिखा हुआ था कि आपको दलका नेता जैसा कहे वैसा करना चाहिये। परन्तु यह पत्र सरदारने डॉ० खरे या किसी मंत्रीको नहीं लिखा था, बल्कि अेक म्युनिसिपल बोर्डमें झगड़ा पैदा हो जाने पर मअी मासमें अुसके अेक सदस्यको लिखा था।

ये सब वार्ते डॉ० खरे और अुनके नये साथियोंके खरू होनेके बाद डॉ० खरेसे कहा गया कि आपके कृत्य मुख्यमंत्रीके पदको शोभा देनेवाले नहीं हैं। अन्हें और अुनके साथियोंसे यह भी कहा गया कि आपने भूल की है, अैसा आपको लगता हो तो आपको अुसे सुधार लेना चाहिये। आपसमें विचार करनेके लिअे वे दूसरे कमरेमें गये। बाहर आकर डॉ० खरेने अपनी भूल स्वीकार की और त्यागपत्र देनेकी तैयारी बताअी। अुनके नये साथी भी त्यागपत्र देनेको राजी हो गये। नागपुर जाकर अन्होंने २३ तारीखको गवर्नरको त्यागपत्र दे दिये और अुसकी सूचना पार्लमेण्टरी कमेटीको दे दी।

ता० २३ को डॉ० खरेको कार्यसमितिकी बैठकमें बुलाया गया। अुनसे कहा गया कि दलके नेताके त्यागपत्र पर विचार करने और नया नेता चुननेके लिअे आपको धारासभा दलकी विशेष बैठक बुलानी चाहिये।

ता० २७ को बैठक बुलवाना निश्चित हुआ। उसी समय डॉ० खरेने दलके नेतापदके लिये अुम्मीदवार होनेका अिरादा जाहिर किया। कांग्रेसके अध्यक्ष तथा कार्यसमितिके सदस्योंने अुन्हें सलाह दी कि दुबारा नेता बनना आपके लिये शोभास्पद नहीं होगा। फिर भी डॉ० खरे अपने विचार पर दृढ़ रहे। कार्यसमितिनने अुन्हें २५ तारीखको फिर बुलाया और फिर वही सलाह दी। परन्तु जब अुन्होंने यह कहा कि अुनका निश्चय कायम है, तब अुन्हें सेवाग्राम जाकर गांधीजीसे पूछनेकी सलाह दी गयी। कांग्रेसके अध्यक्ष तथा कार्यसमितिके कुछ सदस्योंके साथ वे सेवाग्राम गये। खूब चर्चा होनेके बाद अंसा मालूम हुआ कि वे अुम्मीदवारी न करनेके विचारकी ओर झुके हैं; और अिस प्रकारके निवेदनका अुन्होंने ममौदा बनाया। गांधीजीने अुममें सुधार-संशोधन किये। परन्तु अंसा मालूम हुआ कि वे सुधार अुनको जंचे नहीं। अिसलिये गांधीजीने सलाह दी कि अुनावलीमें कोअी कदम अुठानेकी जरूरत नहीं, घर जाकर अिस पर विचार कीजिये। अपने मित्रोंकी सलाह लीजिये और कल तीन बजे कार्यसमितिको अपना अंतिम निर्णय बता दीजिये।

ता० २६ कां दोपहरके तीन बजे डॉ० खरेने नागपुरसे फोन किया कि मुझे अुस मसौदेके अनुसार निवेदन लिखना पमंद नहीं है और अपना जवाब में छः बजेकी गाड़ीसे अंक आदमीके साथ भेज रहा हूं। कार्यसमितिनने सात बजे तक अुनके अुत्तरकी प्रतीक्षा की, परन्तु अुत्तर नहीं आया। तब निम्न प्रस्ताव पास किया :

“पार्लमेण्टरी कमेटीका सारा हाल सुननेके बाद और पचमढीमें अुमके और मध्यप्रान्तकी तीनों प्रान्तीय समितियोंके अध्यक्षोंके सामने मंत्रियोंके बीच हुआ समझौतेके बाद जो घटनाअें हुयी हैं अुन पर कार्यसमितिनने ध्यानपूर्वक विचार किया है। डॉ० खरेके साथ भी कअी बार बातचीत की है। अिन सब परसे कार्यसमिति बड़े दुःखके साथ अिस निर्णय पर पहुंची है कि डॉ० खरेने अपने कृत्योंसे और अंतमें अपने (गवर्नरको) दिये गये त्यागपत्रसे तथा अपने साथियोंसे की गयी त्यागपत्रकी मांगसे गंभीर विवेकदोष किये हैं। अुनके कृत्योंके कारण मध्यप्रान्तमें कांग्रेस अुपहासपात्र बनी है और अुसकी प्रतिष्ठाको भारी धक्का पहुंचा है। डॉ० खरेको अुतावलीमें कोअी कदम न अुठानेकी चेतावनी दी गयी थी, तिस पर भी अुन्होंने यह काम किया है। अिसलिये अुन्होंने गंभीर अनुशासनभंगका दोष किया है।

“कांग्रेसके मंत्रीपद ग्रहण करनेके बाद पहली ही बार डॉ० खरेके त्यागपत्रसे गवर्नरको अपना विशेषाधिकार काममें लेने और

तीन मंत्रियोंको पदच्युत करनेका अवसर मिला है। अिन तीन मंत्रियोंने गवर्नर द्वारा अनसे त्यागपत्र मांगने पर पार्लमेण्टरी कमेटीके आदेशके बिना त्यागपत्र देनेसे अिनकार करके कांग्रेसके प्रति अपनी वफादारी दिखायी है। यह कार्यसमिति अुनके अिस व्यवहारके लिये सन्तोष व्यक्त करती है।

“नया मंत्रिमंडल बनानेका निमंत्रण स्वीकार करके, कांग्रेसकी नीतिके विरुद्ध मंत्रिमंडल बना कर तथा पार्लमेण्टरी कमेटी और कार्यसमितिकी बैठकें तुरंत ही होनेवाली थीं यह जानते हुअे भी अुन कमेटियोंको बताये बिना वफादारीकी शपथ लेकर डॉ० खरेने अनुशासनभंगका दूसरा अपराध किया है।

“अिन सब कृत्योंसे डॉ० खरे कांग्रेस संगठनमें जिम्मेदारीका स्थान रखनेके लिये अयोग्य सिद्ध हुअे हैं। वे जब तक यह नहीं दिखा देते कि कांग्रेसीके नाते अपनी सेवा द्वारा कड़ा अनुशासन पालन करने और अपने पर लिये हुअे कर्तव्य पूरे करनेमें वे समर्थ हैं, तब तक वे कांग्रेस संगठनमें जिम्मेदारीका स्थान लेनेके लिये अयोग्य माने जायेंगे।

“कार्यसमिति अफसोसके साथ अिम नतीजे पर पहुंची है कि मध्यप्रान्तके गवर्नरने अशोभनीय अुतावली करके रातका दिन किया और अिस प्रान्तको जबरन् विषम परिस्थितिमें डाल दिया। अिससे अुन्होंने बता दिया है कि वे कांग्रेसको भरसक कमजोर बनाने और बदनाम करनेको आतुर थे। कार्यसमिति मानती है कि अुन्हें अिसका अवश्य पता होगा कि मंत्रिमंडलके सदस्योंमें क्या चल रहा है और पार्लमेण्टरी कमेटीका क्या आदेश है। अितने पर भी अनुचित जल्दबाजी करके अुन्होंने तीन मंत्रियोंके त्यागपत्र स्वीकार कर लिये और दूसरे तीनसे त्यागपत्र मांगे तथा अुनके त्यागपत्र देनेसे अिनकार करने पर अुन्हें बरखास्त कर दिया। अुसके बाद फौरन् डॉ० खरेको नया मंत्रिमंडल बनानेके लिये बुलाया और कार्यसमितिकी जल्दी ही होनेवाली बैठकका अिन्तजार किये बिना नये मंत्रिमंडलके जितने सदस्य मौजूद थे अुतनोंसे ही वफादारीकी शपथ लिवा ली। ये सब बातें अुन्हें नहीं करनी चाहिये थीं।”

अुपरोक्त प्रस्ताव पास हो जानेके बाद डॉ० खरेका कांग्रेसके अध्यक्ष श्री सुभाषचंद्र बोसके नाम लिखा हुआ निम्न लिखित पत्र मिला :

“प्रिय श्री बोस,

आपकी दी हुअी सलाहके बारेमें मैंने बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है। इस विषयमें मैंने अपने मित्रों और साथियोंसे भी सलाह ली है। मुझे यह बताते खेद होता है कि जो मसौदा मुझे दिया गया है और जिसे सुधारकर हस्ताक्षर करनेको मुझसे कहा गया है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यह माननेको तैयार नहीं कि मैंने किसी प्रकारके अनुशासनभंगका दोष किया है। मैं यह भी स्वीकार करनेको तैयार नहीं कि मेरे कृत्योंसे कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको धक्का पहुंचा है। मुझे दिये गये मसौदेमें कांग्रेसके जिम्मेदारी और विश्वासके स्थानों पर रहनेकी योग्यताके बारेमें भी कुछ सूचनाओं हैं। वे निराधार हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकता।

“खास तौर पर मुझे यह बता देना चाहिये कि मेरा इस बारेमें सैद्धान्तिक मतभेद है कि मंत्रिमंडलकी जिम्मेदारी संयुक्त न होनी चाहिये, मंत्री पहले मुख्यमंत्रीके प्रति जिम्मेदार न होने चाहिये और उनमें से प्रत्येक अलग अलग पार्लमेण्टरी कमेटीके प्रति जिम्मेदार होने चाहिये। मेरा यह मत है कि ऐसे विचारोंसे लोकतांत्रिक शासनका संपूर्ण निषेध होता है। इसी तरह मैं इस विचारके भी विरुद्ध हूँ कि कांग्रेसकी कार्यसमिति या पार्लमेण्टरी कमेटी धारासभाके कांग्रेस दलको अपने नेताके चुनावके मामलेमें कोई आदेश दे सकती है। मेरा यह मत है कि धारासभाके कांग्रेसदलको अपना नेता चुननेकी स्वतंत्रता होनी चाहिये। और नेताका चुनाव भी किसी किस्मकी दस्तंदाजीके बिना अबाधित रूपमें होना चाहिये। इसके सिवा, अपने साथियोंका चुनाव करनेमें दलके नेताको अपना निर्णय स्वतंत्र रूपमें करनेकी पूरी आजादी होनी चाहिये।

“कल कुछ व्यक्तियोंने पहली ही बार जो चौकानेवाले विचार प्रगट किये, उन्हें मुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। मैं सदा यह मानता रहा हूँ कि लोकतांत्रिक पार्लमेण्टरी तंत्रोंके बारेमें सारी दुनियामें जो विचार और प्रथाओं प्रचलित हैं अन्हींके अनुसार हमें भी काम करना चाहिये।

“कार्यसमिति यदि यह चाहती है कि धारासभा दलके नेताके चुनावके लिये कल होनेवाली सभामें मैं नेतापदके लिये अम्मीदवार

न बन्, तो उसे इस आशयका आदेश जारी करना चाहिये । अंक कट्टर अनुशासन-पालकके नाते में उस आदेशको खुशीसे शिरोधार्य करूंगा ।”

कांग्रेस कार्यसमितिका प्रस्ताव और डॉ० खरेका पत्र प्रकाशित हांते ही अखबारोंको तो मानो दावत मिल गयी । जो समाचारपत्र कांग्रेसकी निन्दा करनेका मौका ही देख रहे थे, अन्होंने कार्यसमिति और सरदारकी खूब निन्दा करना शुरू कर दिया । डॉ० खरेने भी महाराष्ट्रमें दौरा करके भाषण पर भाषण देना आरंभ कर दिया । उनमें अपनी भूलों पर पर्दा डालकर सरदारको पूरी तरह कसूरवार ठहरानेके लिये उन पर हमले शुरू कर दिये । असलिये पार्लमेण्टरी कमेटीने जो घटनाएं हुयी थी उनको अधिकृत रूपमें अपस्थित करनेवाला अंक वक्तव्य ४ अगस्तको प्रकाशित किया । उसकी सारी बातें अपरोक्त वर्णनमें आ जाती हैं । असलिये उसे पूरा यहां देनेकी जरूरत नहीं । उसके दो अंतिम पैसे ही नीचे दिये जाते हैं :

“कांग्रेस कार्यसमितिके मनमें इस बातकी जरा भी शंका नहीं थी कि डॉ० खरेने अपने जिन पुराने साथियोंके साथ पचमढीमें समझौता किया था, अन्हें वे अपने मंत्रिमंडलसे निवाला देना चाहते हैं । असलिये अन्हें कोअी खबर दिये बिना नये साथियोंकी खोज अन्होंने शुरू कर दी थी । अन्होंने पार्लमेण्टरी कमेटीके अध्यक्षको भी धोखा दिया । अंक तरफ अन्हें विश्वास दिलाया कि वे कोअी अतावलीका कदम नहीं अुठायांगे और कोअी घटना होगी तो उससे अन्हें परिचित रखेंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस अधिकारियोंको बिलकुल अंधेरेमें रखकर गवर्नरकी सहायतासे अपने प्रतिकूल साथियोंको हटा देनेकी तजवीज की ।

“अस समय दलके कुछ सदस्योंकी तरफसे डॉ० खरेसे अनुरोध किया गया कि जब ये सब बातें हो रही हैं तो आप दलकी बैठक बुलाअिये । परन्तु इस अनुरोध पर अन्होंने ध्यान नहीं दिया । उनका विचार तो अपने प्रतिकूल जानेवाले मंत्रियोंको हटाकर तथा अपनी पसंदका नया मंत्रिमंडल बनाकर सारी तैयारी हो जानेके बाद यह चीज कार्यसमिति और अपने दलके सामने रखनेका था । यह सब अन्होंने कार्यसमितिकी होनेवाली बैठकके दो ही दिन पहले कर डाला । अंसी स्थितिमें उनके आचरणके बारेमें कार्यसमिति कोअी कदम न अुठाती तो वह कर्तव्यच्युत हुयी मानी जाती ।”

डॉ० खरेने कुछ बातें विकृत रूपमें और कुछ गलत रूपमें अपने भाषणोंमें पेश करना शुरू कर दिया था, जिसलिअे अूनका स्पष्टीकरण करनेके लिअे ५ अगस्तको सरदारने निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलमें हुआ घटनाओंके बारेमें पार्लमेण्टरी कमेटीने बड़ा विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया है। अुसे देखते हुआे और कुछ कहनेका मेरा अिरादा नहीं था। परन्तु डॉ० खरे अिन दिनों पूना, बम्बयी वगैरा स्थानोंका दौरा करके जो भाषण दे आये हैं अुनमें अुन्होंने कुछ दातें सत्यसे परे कही हैं और हम पर गंभीर आक्षेप किये हैं। असलिअे अुनके बारेमें सफायी देना मेरे लिअे जरूरी हो गया है।

“डॉ० खरे कहते हैं कि मध्यप्रान्तके मुख्यमंत्रीका पद अुन पर जबरदस्ती लादा गया था। यह बात बिलकुल गलत है। वे शुरूसे ही मध्यप्रान्तकी धारासभाके कांग्रेसदलके नेता बननेको अुत्सुक थे। दलके नेताके चुनावके लिअे बुलायी गयी सभाका अध्यक्ष बनकर अुन्हें मदद देनेके लिअे अुन्होंने पहले मुझसे और बादमें पंडित जवाहरलालजीसे अनुरोध किया था। महाकोशल प्रान्तीय समितिके अध्यक्षने हमें परिस्थितिके सम्बन्धमें चेता दिया था, असलिअे हम दोनोंने अध्यक्ष बननेसे अिनकार कर दिया। अुस समय श्री रविशंकर शुक्ल और पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्रमें खटपट चल रही थी। अुससे लाभ अुठाकर अुन्होंने पंडित मिश्रको अपने पक्षमें कर लिया। डॉ० खरेकी मुख्यमंत्रीके पदसे चिपटे रहनेकी अुत्सुकता न होती तो अुन्हें अैसे कभी अवसर मिले थे जब अुनकी जगह कोयी और होता तो अुस पदसे त्यागपत्र दे देता।

“शरीफ साहबके काण्डमें गांधीजीको और मुझे वचन देकर भी अुन्होंने शरीफ साहबके लिअे दलका विश्वास होनेका मत प्राप्त किया और कांग्रेस कार्यसमितिके सामने वह चीज सिद्ध रूपमें रखी। वे कार्यसमितिको यह धमकी देनेकी हृद तक भी गये थे कि यदि शरीफ साहबके मामलेमें आप दलके निर्णयके विरुद्ध कुछ भी कार्रवायी करेंगे तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। परन्तु कार्यसमितिके डॉ० खरे और अुनके दलकी यह बात मंजूर नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप शरीफ साहबको त्यागपत्र देना पड़ा। आज डॉ० खरे पर मंत्रिमंडलकी संयुक्त जिम्मेदारीका पागलपन सवार हुआ है। लेकिन जिस समय शरीफ साहबने त्यागपत्र दिया अुस समय वे मुख्यमंत्रीके पद पर क्यों बने रहे? अुसके बाद अूनकी

अकुशलताके मुद्दे पर जब अउनेके तीन साथियोंने त्यागपत्र दिया, तब डॉ० खरेको त्यागपत्र देनेका दूसरा मौका मिला था। बादमें पचमढीमें अकत्र होनेके बाद पार्लमेण्टरी कमेटीने अक वक्तव्य निकाला, जिसमें अउ पर शासनकी अकुशलता तथा सगे-सम्बन्धियोंका पक्षपात करनेका आरोप लगाया गया था। अउस समय तीसरी बार मौका मिलने पर भी वे त्यागपत्र दे सकते थे। परन्तु अन्होंने तो यह बात पक्की कर लेनेके बाद ही २० जुलाजीको त्यागपत्र दिया कि अन्हें नया मंत्रिमंडल बनानेका निमंत्रण दिया जायगा। मेरे साथ अउनका काफी पत्र-व्यवहार होता था। अउसमें अन्होंने कभी अिम बातका अिशारा तक नहीं किया कि वे मुख्यमंत्रीका पद छोड़ देना चाहते हैं। अब यह पद गंवा देनेके बाद कहने चले हैं कि यह पद तो अउन पर जबरन् लादा गया था।

“डॉ० खरे यह दलील देते हैं कि पहले जब मंत्रिमंडल बनाया गया, तब पार्लमेण्टरी कमेटीमे पूछताछे बिना अन्होंने अपने साथी चुन लिये थे। यह बात भी बिलकुल गलत है। मार्च १९३७ में कांग्रेस कार्यसमितिनने पार्लमेण्टरी कमेटी अिसीलिअे बनायी थी कि :

‘वह तमाम प्रान्तोंकी धारासभाओंके कांग्रेसदलोंके साथ सतत और पूरे संपर्कमें रहे, अउनेके तमाम कामकाजके बारेमें अन्हें सलाह दे और कोअी अँसा जरूरी प्रसंग पैदा हो जाय तो अउसके लिअे आवश्यक कार्रवायी करे।’

“जुलाजी १९३७ में डॉ० खरेके और मेरे बीच हुअे पत्रव्यवहारसे साबित होता है कि डॉ० खरेके तमाम हिन्दू साथी पहलेसे मेरी मंजूरी लेकर चुने गये थे। मुसलमान मंत्रीके लिअे अन्होंने मौलाना अबुल-कलाम आजादसे अनुमति ली थी। अउस समय शरीफ साहबके प्रसंगमें और पचमढीकी सभामें जरूरत पड़ने पर नये मंत्री नियुक्त करनेका अधिकार कार्यसमितिनने पार्लमेण्टरी कमेटीको दिया था। अउस समय मंत्रियोंको नियुक्त करने या हटानेके कार्यसमिति या पार्लमेण्टरी कमेटीके अधिकारसे डॉ० खरेने अिनकार नहीं किया था। वर्षामें पिछले मास हुअी कार्यसमितिकी बैठकके बाद थोड़े ही दिनोंमें डॉ० खरेने मुझसे अनुरोध किया था कि अउनेके और दूसरे मंत्रियोंके बीच विभागोंका बंटवारा में फिरसे करवा दूं।

“डॉ० खरेने यह कहा है कि पचमढी समझौता भी अउन पर जबरन् लादा गया था। यह बात भी बिलकुल गलत है। धारासभाके

कांग्रेस दलकी २५ मजीको पचमढीमें हुओ सभामें डॉ० खरे और उनुके साथियोंने अेक लिखित वक्तव्य निकाला था। अुसमें अुन्होंने कहा था :

‘हमें यह बताते हुअे आनंद होता है कि हमारे मतभेदांका निबटारा हम आपसमें कर सके हैं और पूरी सहयोगवृत्तिसे मिलजुल कर काम करनेको सहमत हो गये हैं। विश्वास है कि हमें अपने काममें आपका पूरा सहयोग आर समर्थन मिलेगा।’

“अुपरोक्त समझौता स्वीकार करके पार्लमेण्टरी कमेटीने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया था। अुसमें अुसने बताया था :

‘हमें यह धोषणा करते खुशी होती है कि मतभेद मिट गये हैं और मंत्रियोंने हमें विश्वास दिलाया है कि वे अपने मतभेद भूलकर अेक-दूसरेके साथ सहयोगसे अेक टीमकी तरह काम करेंगे।’

“पहली जूनको मुझे लिखे हुअे पत्रमें डॉ० खरे कहते हैं :

‘आपने अखबारोंमें जो वक्तव्य दिया है वह मंने देख लिया। अुसके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। जो समझौता हुआ है, अुसका न्यायपूर्ण और निष्पक्ष सार अुसमें आ जाता है।’

“आम तौर पर सारे प्रान्तके लिअे और खास तौर पर मंत्रिमंडलके लिअे मंने जो कुछ किया था, अुसके बारेमें अुन्होंने अिस पत्रके अन्तिम भागमें मेरा आभार माना है।

“अुनके ये सब कथन देखते हुअे यह कहना कि पचमढीका समझौता कांग्रेस अुच्च अधिकारियोंने अुन पर जबरन् लादा, असाधारण साहसका अेक नमूना है।

“डॉ० खरे यह आक्षेप करते हैं कि मुख्यमंत्रीके पदसे अुन्हें हटानेके लिअे अेक व्यवस्थित षड्यंत्र रचा गया था। आश्चर्यकी बात यह है कि मेरे नामके पत्रोंमें डॉ० खरेने अैसी शिकायत कभी नहीं की। और पचमढीके समझौतेका अमल करनेके लिअे अुन्होंने जो जो कार्रवाअियां की थीं, अुनकी रिपोर्ट १५ जुलाअीको अुन्होंने मुझे भेजी अुसमें भी अिस वस्तुका कोअी अुल्लेख नहीं है। पचमढी समझौतेके आधार पर ही डॉ० खरे मुख्यमंत्री बने रहे थे। अुसमें किसी भी तरहका फेरबदल करनेकी पार्लमेण्टरी कमेटीकी तथा डॉ० खरेके साथियोंकी अिच्छा नहीं थी।

“१५ जुलाहीको मुझे भेजी हुई रिपोर्टमें डॉ० खरे खुद ही कहते हैं :

‘मौजूदा हालतोंमें विभागोंका बंटवारा करनेका काम आपको सौंपनेके सिवा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आम तौर पर मंत्रिमंडलका और विशेष तौर पर मुख्यमंत्रीका काम सरल रूपमें चलनेके बारेमें मेरे कुछ निश्चित विचार हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप निर्णय करनेसे पहले मुझे ये विचार आपके सामने रखनेका मौका दें।’

“डॉ० खरेके मनकी वर्तमान स्थितिको देखकर मुझे अनुके प्रति बड़ी महानुभूति हो रही है। परंतु मैं चाहता हूँ कि तथ्योंको अपुस्थित करनेके बारेमें वे अधिक सावधानी रखें।”

अखबारोंमें तो जिस विषय पर रोज चर्चा होती ही रहती थी। महाराष्ट्रके सभी पुराने नेताओंकी महानुभूति डॉ० खरेके लिये अुमड़ पड़ी थी। डॉ० आम्बेडकर, डॉ० भुंजे, श्री नरीमान वगैराको कांग्रेस पर हमले करनेका बढ़िया मौका मिल गया था। अँग्लो-अिडियन पत्रोंने वैधानिक प्रश्न अुठाकर अँसे आक्षेप करना शुरू कर दिये थे कि कांग्रेस कार्यसमिति संविधानके विरुद्ध काम कर रही है। अनु आक्षेपोंका सार इस प्रकार है :

१. मुख्यमंत्री धारासभाके अपने दलके ही प्रति जिम्मेदार है। अुसके काममें कांग्रेसकी पालमेंटरी कमेटी या कार्यसमितिका दखल देना संविधानके विरुद्ध है।

२. मुख्यमंत्रीको अपने साथी चुननेका पूरा अधिकार है।

३. कांग्रेस कार्यसमितितने डॉ० खरेको दुबारा नेता न चुनने देकर संविधानके विरुद्ध काम किया है।

४. गवर्नरने इस मामलेमें वैधानिक कार्रवाही की है, फिर भी अनु पर कार्यसमितितने नाहक आक्षेप लगाये हैं !

५. अितना सब करके अन्तमें कार्यसमितितने जो मंत्री चुने हैं, वे अकुशल और स्वार्थी हैं।

६. कांग्रेस कार्यसमितिके इस कृत्यमें सरासर ‘फासिज्म’ है।

अिन आलोचनाओं परसे गांधीजीने ‘हरिजन’ में कार्यसमितिके कर्तव्यके बारेमें अेक लेख लिखा था। अुसमें से कुछ अुद्धरण यहां दिये जाते हैं। अूपरकी पहली तीन आलोचनाओं संविधान-संबंधी हैं। अनुका खंडन नीचेके पैरेमें हो जाता है :

“आंतरिक विकास और प्रबंधके लिये कांग्रेस संसारकी किसी भी संस्थाके बराबर ही लोकतांत्रिक संस्था है। परंतु यह लोकतांत्रिक संस्था जगतमें आजकी सबसे बड़ी साम्राज्यवादी सत्ताके साथ लड़नेके लिये स्थापित की गयी है। इसलिये इस बाह्य कामके लिये उसकी तुलना सेनाके साथ ही करनी होगी। सेनाके रूपमें वह लोकतांत्रिक संस्था नहीं रह जाती। उसने अपनी कार्यसमितिको पूरा अधिकार दे रखा है। कार्यसमिति अपनी मातहत विविध संस्थाओं पर अपना अनुशासन कायम रख सकती है और उसका पालन करवा सकती है। कांग्रेसकी प्रान्तीय समितियां और प्रांतीय धारासभाओंके कांग्रेसदल इस कार्यसमितिके अधीन हैं। कांग्रेसने गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया अक्टकी रूसे अधिकार ग्रहण तो किया है, परंतु उस कानूनके बनानेवालोंकी धारणाके अनुसार उसका अमल करनेके लिये उसने अधिकार ग्रहण नहीं किया है। उस कानूनके बजाय हिन्दुस्तानके लोगों द्वारा तैयार किये जानेवाले सच्चे संविधानका कानून स्थापित होनेका दिन नजदीक लानेकी दृष्टिसे उस कानूनका अमल करनेके लिये कांग्रेसने अधिकार हाथमें लिया है। इसलिये ओहदे स्वीकार कर लेने पर भी हमारी स्वराज्यकी लड़ाई जारी ही है। और लड़ाई जारी रखनेवाली संस्थाके रूपमें कांग्रेसको अपनी कार्यसमितिके हाथमें सारी सत्ता केन्द्रित करनी ही चाहिये। कांग्रेसको अपने अधीन प्रत्येक विभागका पथप्रदर्शन करना है। कांग्रेसको हर कांग्रेसीसे, भले ही वह कितनी ही अचूकी जगह पर हो, अपने आदेशोंका अचूक पालन कराना ही चाहिये। लड़ाई और किसी ढंगमें चलायी ही नहीं जा सकती।”

मार्च १९३७ में जब कांग्रेसदलके सारे धारासभा-सदस्योंने कांग्रेसके प्रति वफादार रहकर कांग्रेसके आदेशानुसार धारासभामें काम करनेकी प्रतिज्ञा ली थी, तब उपरोक्त सिद्धान्त अन्होंने स्वीकार कर लिया था। तदनुसार गांधीजीने लिखा :

“डॉक्टर खरे यदि अपने झक्की और कहना न माननेवाले साथियोंसे अकृता गये थे तो अन्हें गवर्नरके पास नहीं, परंतु कार्यसमितिके पास जाकर अपना त्यागपत्र देना चाहिये था। उस समितिके निर्णयसे संतोष न होने पर वे महासमितिके पास जा सकते थे। परंतु किसी कांग्रेसी मंत्रीको किसी भी हालतमें आपसके झगड़े गवर्नरके पास ले जाने और कार्यसमितिके पहले अनुमति लिये बिना गवर्नर द्वारा राहत हासिल करनेकी आजादी नहीं है। डॉ० खरेने इस सादे अिलाजकी

अपेक्षा की। और इससे भी खराब बात तो यह की कि इस अलाजका अन्होंने अज्ञान प्रगट किया और कार्यसमिति दो ही दिन बाद मिलनेवाली थी, फिर भी अपनी कठिनाइयां दूर करानेके लिये वे गवर्नरके पास दौड़ गये। इसमें अन्होंने गंभीर भूल की है।”

कार्यसमितिके निर्णयकी यथार्थताके बारेमें गांधीजीने लिखा :

“डॉ० खरेने पार्लमेण्टरी कमेटीकी हिदायतोंकी परवाह न करके भयंकर अनुशासनभंगका अपराध तो किया ही, साथ ही गवर्नरके हाथों अपनेको बेवकूफ बनने दिया और इस बातकी सावधानी भी नहीं रखी कि अपनी जल्दबाजीकी कार्रवाहीसे वे कांग्रेसको नीचा दिखा रहे हैं। इसलिये अन्होंने नेतृत्वकी अपनी अयोग्यता साबित कर दी है। अपना दोष सच्चे हृदयसे स्वीकार करने और नेतापदसे हट जानेकी जो सलाह कार्यसमितिन अन्हें दी, उसे न मानकर अन्होंने अनुशासनभंगकी मात्रामें वृद्धि की है। डॉ० खरेके इस कार्यकी कार्यसमिति निन्दा न करती और अन्हें अयोग्य न ठहराती, तो समिति अपने कर्तव्यसे च्युत होती।”

डॉ० खरेके अनुगामियोंके बारेमें गांधीजीने कहा :

“असा कहा जाता है कि डॉ० खरेके स्थान पर जो आदमी अब आये हैं वे स्वार्थी हैं, वे कुशल नहीं हैं और चरित्रमें डॉ० खरेकी बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते। आलोचकोंने अन्हें जैसा चित्रित किया है वैसे ही अगर वे होंगे तो जो भारी जिम्मेदारी अन्होंने उठाजी है उसे पूरा करनेमें वे जरूर असफल साबित होंगे। परंतु कार्यसमिति अपनी मर्यादामें रहकर जितना हो सकता है अतना ही कर सकती है। वह प्रान्तके चुने हुअे सदस्योंमें से ही मंत्रियोंका चुनाव कर सकती है। अन्हें चुननेका अधिकार तो दलके सदस्योंका है। यदि वे अन्हें चुन लें तो जब तक ये अनुशासनमें रहें और यह न मालूम हो जाय कि ये जनताके विश्वासके अयोग्य हैं तब तक कार्यसमिति हस्तक्षेप नहीं कर सकती।”

गवर्नरने इस मामलेमें जो भाग लिया उसके विषयमें गांधीजीने लिखा :

“मध्यप्रान्तके गवर्नरके संबंधमें कार्यसमितिन जो राय प्रगट की है, उसकी कितने ही पत्रोंने निन्दा की है। विरोधियोंके बारेमें जल्दबाजी करके कोअी राय बनानेकी मेरी आदत नहीं है। परंतु इस प्रस्तावकी जो आलोचना हुअी है वसा कोअी अन्याय उस प्रस्तावके द्वारा गवर्नरके साथ

हुआ है, यह बात मेरे गले नहीं अउतर सकी है। अन्होंने डॉ० खरे और अुनके दो साथियोंके त्यागपत्र स्वीकार कर लिये, अन्य तीन मंत्रियोंसे त्यागपत्र मांगे, अुनसे तुरंत जवाब तलब किया, अुनकी दी हुअी सफाओकी अेकदम ठुकरा दिया और अुन्हें पदच्युत कर दिया। और यह सब करनेके लिये वे लगभग रात भर जागते रहे। अपने सेक्रेटरी वगैराको और बेचारे मंत्रियोंको भी जगाया। अैसा करके गवर्नरने जिस जल्दबाजीका परिचय दिया, अुसके लिये मैं 'भद्दी' शब्दका ही अिस्तेमाल कर सकता हूं। डॉ० खरेका त्यागपत्र तत्काल ही मंजूर कर लेनेके बजाय वे दो ही दिन बाद होनेवाली कार्यसमितिकी बैठककी प्रतीक्षा कर लेते तो कोअी हानि नहीं हो जाती।

“बेशक, गवर्नरने कानूनके शब्दार्थके अनुसार काम किया है। परंतु ब्रिटिश सरकार और कांग्रेसके बीच जो गर्भित समझौता हुआ है, अुसकी आत्माका अुन्होंने अिस कृत्य द्वारा हनन किया है। जो कार्यसमितिके प्रस्तावकी आलोचना करते हैं, वे वाअिसरायकी सावधानीपूर्वक तैयार की गअी पिछले सालकी घोषणाको पढ़ जायं। अुससे और दूसरी घोषणाओंसे कार्यसमितिका पदग्रहणका प्रयोग कर देखनेका मन हुआ था। वाअिसरायकी अुस घोषणाको पढ़कर आलोचक अपने दिलसे पूछें कि कार्यसमिति, डॉ० खरे और अुनके साथियोंके बीच जो समझौतेकी बातें हो रही थीं, अुन्हें ध्यानमें रखनेके लिये गवर्नर बंधे हुए थे या नहीं। ये निर्विवाद तथ्य जान लेनेके बाद अिस विचार पर पहुंचे बिना रहा ही नहीं जा सकता कि गवर्नरने कांग्रेसको बदनाम करनेकी आतुरतामें सारी रात जागरण किया और कांग्रेसको कठिनाअीमें डालनेकी परिस्थिति पैदा की। युक्तप्रांत, बिहार और अुड़ीसाके गवर्नरोंने अुनके सामने विषम प्रसंग आ पड़ने पर कांग्रेसके पथप्रदर्शनकी प्रतीक्षा की थी। बेशक, अिन तीनों असवरों पर अैसा करनेमें अुनका स्पष्ट स्वार्थ था। तब क्या यह कहना चाहिये कि मध्यप्रान्तमें कांग्रेसको परेशान करनेके लिये विषम स्थिति पैदा करनेमें ब्रिटिश हुकूमतका स्पष्ट स्वार्थ था ? ”

अब आखिरी आलोचना 'फासिज्म' की लें। अुसके संबंधमें गांधीजीने लिखा :

“कुछ लोग कहते हैं कि यह तो सरासर 'फासिज्म' है। परंतु अुन्हें पता नहीं कि फासिज्ममें तो नंगी तलवारकी हुकूमत होती है।

अस हुकूमतमें डॉ० खरे जैसेको अपना सिर कटवाना पड़ता। कांग्रेस और फासिज्मके बीच जमीन-आसमानका फर्क है। क्योंकि कांग्रेसकी बुनियाद निर्मल अहिंसा पर है। उसके पास अपनी आज्ञाओं पालन करानेकी केवल नैतिक सत्ता है।”

डॉ० खरेने ‘मेरी सफाजी’ नामक अंक पुस्तिका प्रकाशित करके घटनाओंको ऐसे विकृत रूपमें पेश किया और कुछ महत्वपूर्ण तथ्योंको अस तरह छिपाया कि पाठकोंको यह आभास हो कि कांग्रेस कार्यसमिति और खास तौर पर सरदार और गांधीजीने अुनके साथ भारी अन्याय किया है। असमें प्रचारकी दृष्टिसे अुन्होंने कुछ बातें ऐसी लिखी थीं जो “बहुत ही आपत्तिजनक और गंदी थीं।” किसी भी भारतीयके हृदयमें अुन्हे पढ़कर जुगुप्साके भाव पैदा हो सकते थे। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष-बाबूने बहुत ही लंबा वक्तव्य प्रकाशित करके डॉ० खरेकी अंक अंक बातका अकाट्य खंडन किया। अुन्होंने साबित कर दिया कि :

“डॉ० खरेने गंभीर अनुशासनभंग किया था। अुनके विरुद्ध जो कार्रवाजी की गयी वह अुनके अपराधकी तुलनामें बहुत नरम थी और वह कार्रवाजी करनेमें कांग्रेसने पूरी तरह वैधानिक पद्धति और लोकतंत्रके सिद्धान्तोंके अनुसार काम किया था। डॉ० खरेने पार्लमेण्टरी और लोकतांत्रिक परंपराओंकी बात कही है। परंतु कांग्रेस और असकी कार्यसमितिके प्रति जो वफादारी दिखानेके लिये वे बंधे हुए थे वह अुन्होंने नहीं दिखायी। कांग्रेसके धारासभा-सदस्य, मंत्री या मुख्य-मंत्री बन जाने पर तो कांग्रेसीके नाते अुनकी जिम्मेदारी अुलटी बढ़ गयी थी। वे अपने व्यवहार और कामोंके लिये कांग्रेस और असकी कार्यसमितिके प्रति रही अपनी जिम्मेदारीसे छूट नहीं सकते थे। हमारे सारे पार्लमेण्टरी कामकी जड़में नियामक तत्त्व यह रहा है कि धारासभाका प्रत्येक कांग्रेसी प्रतिनिधि यह प्रतिज्ञा करता है कि कांग्रेस कार्यसमिति तथा असके अधिकृत अंजटकी हैसियतसे पार्लमेण्टरी कमेटी समय समय पर जो आदेश दे असका वह पालन करेगा। कांग्रेसकी अस मुख्य नीतिके अधीन रहकर धारासभा दलका नेता काम करेगा और दलका असे जब तक पूरा समर्थन रहेगा तब तक असके रोजमरके काममें कांग्रेसकी कार्यसमिति अथवा पार्लमेण्टरी कमेटी कोअी हस्तक्षेप नहीं करेगी। परंतु मंत्रिमंडल या धारासभाके सदस्यका कोअी कार्य कांग्रेसकी नीतिके साथ सुसंगत है या नहीं और कांग्रेसकी नीतिके अनुसार करने लायक है या नहीं, असका निर्णय करनेका अधिकार तो कांग्रेस कार्य-

समितिको ही है। व्यवहारमें कांग्रेस कार्यसमिति प्रान्तीय धारासभा दलको अके प्रकारकी मर्यादित स्वतंत्रता दे दे, यह अलग बात है। इसीलिसे कांग्रेसकी कार्यसमितिके डॉ० खरेके आचरणके बारेमें केवल अपनी राय प्रगट कर दी और मध्यप्रान्तके धारासभा दलको अपना नेता चुन लेनेकी स्वतंत्रता दे दी। जब डॉ० खरेको दुबारा नेता चुननेका प्रस्ताव धारासभा दलकी बैठकमें आया, तब कांग्रेसके अध्यक्षने उसे नियम विरुद्ध बताकर रद्द नहीं कर दिया।”

कार्यसमितिके डॉ० खरेको पहली बार मिलनेके लिसे बुलाया और बादमें वे गांधीजीसे सलाह लेनेके लिसे सेवाग्राम गये, तब उनको ओरसे निकाले जानेवाले वक्तव्यके मसौदेकी ओर उसमें गांधीजी द्वारा किये हुये संशोधन-परिवर्तनकी बातका अल्लेख पहले हो चुका है। इस संबंधमें डॉ० खरेने पहले ही कहा था और इस पुस्तिकामें भी बताया कि उस वक्तव्यका मसौदा मैंने खुद नहीं लिखा था, परंतु गांधीजीने मुझसे लिखवाया था। अन्होंने अपनी सफाओमें यह भी लिखा था कि कांग्रेसके अध्यक्ष अन्हें जबरन् गांधीजीके पास ले गये थे। इसका जवाब गांधीजीने अके वक्तव्य प्रकाशित करके यों दिया :

“डॉ० खरेकी दी हुयी सफाओ मैंने पढ़ी है। उसके जितने भागके साथ मेरा संबंध है अतनेका ही जवाब देनेका जनताके प्रति मेरा कर्तव्य है। दुःखके साथ मुझे यह कहना पड़ना है कि डॉक्टर खरेकी कही हुयी बात गलत है।

“वे स्वेच्छासे सेवाग्राम आये थे। वे मित्रके नाते आये थे। वे आये तब अन्होंने कोओ विरोध प्रगट नहीं किया था। जब मैंने उनसे यह कहा कि उनका बरताव ठीक नहीं था, तब यह बात पूरी तरह बहस किये बिना उनके गले नहीं अतरी थी। जब मेरी दलील ठीक होनेकी बात उनकी समझमें आ गयी, तब अन्होंने अपना सारा मामला मेरे हाथमें सौंप दिया। मैंने उनसे कहा कि ‘यह आप खुद स्वीकार करते हैं कि आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसलिसे आपकी अिच्छा अपने मित्रोंसे सलाह लेनेकी हो तो जरूर ले लीजिये। अैसी कोओ जल्दी नहीं कि इसी क्षण कुछ करना चाहिये।’ अन्होंने अत्तर दिया, ‘मैं स्वयं ही निर्णय करनेमें समर्थ हूं। दूसरे मित्रोंसे सलाह लेनेकी कोओ जरूरत नहीं।’ फिर मैंने कहा, ‘आपने जो बातें स्वीकार की हैं अन्हें आप स्वयं ही लिख डालें तो अच्छा हो।’ अन्होंने कहा,

‘मैं लेखक नहीं हूँ। जिसलिये आप ही मेरे वक्तव्यका मसौदा लिख दीजिये।’ मैंने कहा, ‘परंतु मुझे आपकी भाषा तो चाहिये ही। मुझे यदि ऐसा लगा कि आपने जो स्वीकार किया है वह अुसमें पूरी तरह नहीं आता तो मैं अुसमें संशोधन-परिवर्धन कर दूंगा।’

“कुछ आनाकानीके बाद अुन्होंने कलम और कागज लिया और मसौदा लिख डाला। फिर मैंने अुसे पढ़कर देखा और अुसमें सुधार और वृद्धि की। अुन्होंने अुसे दो तीन बार पढ़ा और कहा, ‘विश्वासघातकी बात तो मैं कभी मंजूर नहीं कर सकता। कुछ भी हो, अभी तो मैं कोअी वक्तव्य नहीं दूंगा। परंतु आपकी सलाह मानकर अपने मित्रोंसे परामर्श करूंगा।’ अपना जवाब भेजनेके लिये अुन्हें दूमरे दिन दोपहरको तीन बजे तकका समय दिया गया था। जब यह लिख रहा हूँ तब सुभाषबाबू, मौलाना साहब और सरदार पटेल यहीं बैठे हैं। अुनसे मैंने पूछ देखा है और वे कहते हैं कि अुस दिनकी घटनाओंका वर्णन मैंने बिल्कुल ठीक किया है।”

अखबारोंमें छपे अिन स्पष्टीकरणोंके बाद डॉ० खरेने अपना विषैला प्रचार और भी तेज कर दिया। मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र और बम्बअीके कुछ अखबारोंने अुन्हें खूब मदद दी। अिसमें कुछ बातें तो केवल गढ़ ली गयी थीं और कांग्रेसके विरुद्ध लोगोंको भड़कानेवाली थीं। अुनमें सरदारके खिलाफ कीचड़ अुछालनेमें कोअी कसर नहीं रखी गयी थी। अिसलिये अंतमें दिल्लीमें हुअी महासमितिकी बैठकमें डॉ० खरेके खिलाफ अनुशासन-भंगकी कार्रवाअी करनेका निश्चय हुआ और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :

“मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलके सिलसिलेमें पैदा हुअी विषम स्थितिसे निबटनेके लिये कार्यसमितिके जो सख्त और निश्चित कार्रवाअी की है अुसका महासमिति समर्थन करती है। अिस दुःखद कांडमें डॉ० खरे और मध्यप्रान्तके गवर्नरके आचरणके विषयमें कार्यसमितिके जो विचार प्रगट किये हैं, अुन्हें महासमिति पूरी तरह स्वीकार करती है।

“अिसके सिवा महासमितिकी यह स्पष्ट राय है कि डॉ० खरेने मध्यप्रान्तके मंत्रिमंडलसे त्यागपत्र दिया अुसके बादका अुनका आचरण घोर निन्दाका पात्र है। अिसलिये डॉ० खरेके विरुद्ध अनुशासनभंगकी आवश्यक कार्रवाअी करनेका यह महासमिति कार्यसमितिके आदेश देती है।”

अिस प्रकार डॉ० खरेके काण्डका खेदजनक अन्त हुआ । कांग्रेससे निकल जानेके बाद डॉ० खरे हिन्दू महासभामें शामिल हो गये और सन् १९४३ में जब वाअिसरायने अपनी कार्यकारिणी काँसिलके सदस्योंमें वृद्धि की तब — जब कि कांग्रेस सरकारके साथ जीवन-मृत्युका संग्राम कर रही थी — डॉ० खरे वाअिसरायकी काँसिलके सदस्य बने । परंतु मनुष्य जब अेक बार पथभ्रष्ट हो जाता है, तब फिर कहां पहुंच जाता है, अिसका कोअी ठिकाना नहीं रहता । अैसा ही हाल डॉ० खरेका हुआ ।

कांग्रेसने धारासभाओंके चुनवोंमें भाग लेनेका निश्चय किया, तब जो घोषणापत्र प्रकाशित किया गया था अुसमें कहा गया था कि धारासभाओंमें कांग्रेसका बहुमत हो जायगा और कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी तो अुसके करनेके कामोंमें अेक मुख्य काम यह होगा कि आजादीकी पिछली लड़ाअियोंमें जिन लोगोंकी जमीन-जायदाद छीन ली गअी थी वह अुन्हें वापिस दिला दी जायगी । यह सवाल बंबअी प्रान्तमें और अुसमें भी मुख्यतः गुजरातमें था । जब लड़ाअी हो रही थी तब गांधीजी और सरदारने लड़ाअीमें भाग लेनेवाले किसानोंको यह वचन दिया था कि भले सरकार अभी जमीन-जायदाद जब्त कर ले और अुन्हें नीलाम करके दूसरोंको बेच दे, परंतु जब तक ये चीजें अुन्हें लौटा नहीं दी जायेंगी तब तक लड़ाअी जारी रहेगी । जब यह जायदाद नीलाममें पानीके मोल बेची जा रही थी, तब सरदारने खाम तौर पर कहा था कि यह जमीन-जायदाद तो कच्चा पारा है; यह लेनेवालोंको हजम नहीं होगी, पारेकी तरह फूट निकलेगी । कांग्रेसके दिये हुए अिन वचनोंका पद-ग्रहणके साथ ही पालन करता था । अिमलिये बंबअी धारासभाने अेक प्रस्ताव पास किया कि अिस प्रकार नीलाम हुआ जायदादें खरीदनेवालोंसे सरकारी रुपये पर वापिस लेकर मूल मालिकोंको वापस दे दी जायें । परंतु जब वे नीलाम की गअी थीं तब नीलाम करनेवाले अफसरोंने खरीदारोंको विश्वास दिलाया था कि ये जमीनें 'यावच्चन्द्रदिवाकरौ' अुनके अधिकारमें रहेंगी । किसी भी हालतमें अुनसे वापस नहीं ली जायेंगी । अितने पर भी लड़ाअीके दिनोंमें कांग्रेसके प्रति लोगोंकी अितनी सहानुभूति थी कि कोअी खरीदार नहीं मिलता था । नियम यह होता है कि अिस प्रकार नीलाम होता हो तब कोअी सरकारी नौकर या अफसर नीलाममें जायदाद नहीं खरीद सकता । लेकिन अिन नीलामोंके समय अिस नियमको ताकमें रखकर सरकारी नौकरोंको जायदाद खरीदनेकी छूट दे दी गअी थी । ये नीलाम कहे तो जाते थे सार्वजनिक, परंतु वास्तवमें वे मजाक ही होते थे । सरकारी नौकर और अुनसे मेल रखनेवाले दूसरे लोग आपसमें ही जायदादें ले लेते थे । धारासभामें जायदादें लौटा

देनेका प्रस्ताव तो पास हो गया, परंतु गुजरातके उत्तर विभागके तत्कालीन कमिश्नर मि० गैरेट, जिन्होंने लड़ाईके दिनोंमें नीलाम करवाये थे और स्वयं ही ग्राहकोंको अपुरोक्षत वचन नहीं दिया था बल्कि गवर्नरसे भी दिला दिया था, अिस समय भी कमिश्नर थे । अिसलिये ये जायदादें अुनके मारफत गालिकांको लौटानेका काम करना था । परन्तु अुन्होंने गाड़ीको पटरी पर चढ़ने ही नहीं दिया । अुदाहरणार्थ, सरदार गाडी नामक अेक व्यक्तिने बारडोली और जलालपुर तालुकोंकी ४०० अेकड़ जमीन केवल पांच हजार रुपयोंमें खरीदी थी । अुसने अिस जमीनके साढ़े तीन लाख रुपये मांगे । सरदार गाडीके कथनानुसार मि० गैरेटने अुसे अढ़ाई लाख रुपया देनेको कहा था, परंतु कांग्रेस सरकारने यह रकम मंजूर नहीं की और कहा कि अधिकसे अधिक बारह हजार रुपये दिये जा सकते हैं । अिस प्रकार मि० गैरेट सौदा होने देनेमें अडंगे डालते थे । फिर भी खेड़ा जिलेमें थोड़ीसी जमीन मि० गैरेटकी अुत्तेजनाके बावजूद खरीदनेवालोंने अपनी दी हुअी कीमत पर किसानोंको लौटा दी । परंतु अधिकांश जमीन बाकी रह गयी । अिसलिये अेक वर्ष प्रतीक्षा करनेके बाद अक्तूबर १९३८में सरकारने ये जायदादें वापस ले लेनेका कानून पास कर दिया । अुसमें यह तय किया गया कि हाईकोर्टके जजकी श्रेणीके अफसरको पंच बनाकर अुसके द्वारा जायदादकी कीमत ठहराई जाय और वह कीमत सरकार खरीदारको देकर जायदाद अुसके असली मालिकको वापस सौंप दे । जायदादकी कीमत तय करनेका ढंग भी कानूनमें निश्चित कर दिया गया । यह तय किया गया कि खरीदनेवालेने जो कीमत चुकायी हो, जो लगान जमा कराया हो और जमीनको मुधारनेमें जो कुछ खर्च किया हो अुसमें चार फी सदी ब्याज जोड़कर अुसे दे दिया जाय । अुस जमीनसे अुसने कोअी नफा कमाया हो या जमीनको नुकसान पहुंचाया हो तो वह निश्चित होनेवाली कीमतमें से काट लिया जाय । और अिस प्रकार हिसाब लगाकर जो आंकड़ा आये अुस पर लाभके रूपमें पंद्रह प्रतिशत वृद्धि देनेका पंचको अधिकार दिया गया था । अिस प्रकार देखें तो खरीदारको काफी मुनाफा मिल जाता था । फिर भी अिस कानून पर कांग्रेस विरोधी अखबार काफी आलोचनाअें करने लगे । अेक आलोचना यह थी कि ये जायदादें सरकारी रुपयसे वापस लेकर कर-दाताओं पर क्यों अुसका बोझ डाला जाना चाहिये ? कांग्रेसने किसानोंको वचन दिये थे तो कांग्रेस किसानोंको अपने कोषमें से रुपया देकर जमीन वापस दिलाये । दूसरी आलोचना यह थी कि खरीदारोंको कानूनकी सारी विधि सार्वजनिक रूपमें पूरी करके स्वाभित्वका अधिकार दिया गया था । अुस समय अुन्हें कांग्रेससे सहानुभूति रखनेवाले लोगोंका रोष सहन

करना पड़ा था। और किसीके हाथों नुकसान सहनेकी जोखिम भी अन्हें उठानी पड़ी थी। अिसलिअे कांग्रेस सरकारका कानून बनाकर जायदाद वापस ले लेना कानूनी मालिकोंसे जायदाद छीन लेनेके बराबर है। गांधीजीने ३० अक्तूबर, १९३८ के 'हरिजनबंधु' में 'जब्त जमीनें' शीर्षक लेख लिखकर अिन आलोचनाओंका खंडन किया था। अुस लेखमें अुन्होंने लिखा था :

“गवर्नमेण्ट ऑफ अिडिया अेक्टके अनुसार अैसा निर्दोष और राहत देनेवाला कानून बनानेका अधिकार प्रान्तीय सरकारोंको न हो, तो यह कानून आलोचकोंने वर्णन किया है अुससे भी खराब माना जायगा। परंतु में मानता हूं कि प्रान्तीय सरकारोंको अैसा कानून बनानेका अधिकार है। बम्बयी धारासभामें पास हुआ कानून तो न्यायसे भी आगे जाता है। कथित मालिकोंने जितनी रकम जमीनोंमें लगायी है अुसके सिवा ब्याज और मुनाफेकी रकम देनेकी व्यवस्था करनेवाली धाराके कारण यह कानून पूरा न्यायपूर्ण और अुदार बन जाता है। जमीनोंके बारेमें साबित किये जा सकनेवाले तथ्य ये हैं कि वे सरकारके साथ मिलकर खरीदी गयी थी। ये जमीनें लोगों पर आतंक जमानेके लिअे बेची गयी थीं। यह सरकारकी दमन नीतिका अेक भाग था। और कहीं कहीं तो जमीनें पानीके मोल बेच दी गयी थीं। अैसा आतंक जमानेवाली सरकारकी जगह जब अुसके शिकार बने अुअे लोग सत्तारूढ़ अुअे, तब वे यदि अिस प्रकार अुनुचित रूपमें खरीदी गयी जमीनें जब्त कर लेनेके बजाय खरीदनेवालोंको मुआवजा देते हैं, तो यह अुनकी अुदारता ही मानी जानी चाहिये। लोगोंको जानना चाहिये कि ये जमीनें पहले सरकारने जब्त कीं और जब अुनके जब्त हो जाने पर भी किसान नहीं अुके, तो अुन जमीनोंको बेच देनेका अुनुचित साधन काममें लाया गया। परंतु कुछ जमीनें बेच देनेके बाद सरकारको ही अपने अन्यायका डर लगा। अिसलिअे अुसने और जमीनें बेचना बन्द कर दिया। अुस दुःखद भूतकाल पर पर्दा डालना ही में ज्यादा पसन्द करता हूं। मैंने यह पर्दा थोड़ासा अुठाया है सो केवल पाठकोंको यह बतानेके लिअे कि तंबयी सरकारने यह कानून बनाकर कोअी अन्याय नहीं किया है।”

अिस अध्यायके शुरूमें हम कह चुके हैं कि कुल छः प्रान्तोंमें कांग्रेसके मंत्रिमंडल बनाये गये थे। पंजाब और बंगालमें मुस्लिम लीगका निश्चित बहुमत

था, जिसलिये वहां लीगी मंत्रिमंडल देने। परंतु सीमाप्रान्त, सिन्ध और आसाम ये तीन प्रान्त ऐसे थे, जहां कांजी भी अंक संगठित दल बहुमतमें नहीं था। सीमाप्रान्तमें मुसलमानोंका बहुत बड़ा बहुमत था, परंतु उनमें सभी लीगी नहीं थे। जिसलिये वहां खान अब्दुलगफारखाके भाजी डॉ० खान-साहबने कुछ अन्य दलोंको अपने पक्षमें करके कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाया। परंतु उस प्रान्तकी स्थिति ऐसी विषम थी कि दूसरे कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंकी तरह वह बहुत काम नहीं कर सका।

आसाममें हिन्दुओं और मुसलमानोंके सिवा पहाड़ी जातियोंकी बड़ी संख्या है। इसके सिवा वहांके चायके बगीचोंवाले अंग्रेजोंको धारासभामें विशेष स्थान दिये गये थे। पिछले चुनावमें गैरमुस्लिम बैठकोंमें कांग्रेसने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। परंतु अकेली कांग्रेसका वहां बहुमत नहीं हो रहा था। दूसरे दलोंके सब सदस्य अिकट्टे हो जाते तो कांग्रेस अल्पमतमें रह जाती। जिसलिये वहां कांग्रेसने मंत्रिमंडल बनाना ठीक न समझा और गैरकांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। परंतु वह मंत्रिमंडल बहुत समय तक बहुमतको अपने पक्षमें नहीं रख सका। कांग्रेसदलकी ऐसी स्थिति थी कि अगर उसे थोड़ेसे गैरकांग्रेसियोंका साथ मिल जाता तो वह मंत्रिमंडल बना सकता था। जिसलिये वहांके कांग्रेसी नेताओंने पार्लमेण्टरी कमेटी और कांग्रेस अध्यक्षकी राय पूछी। पार्लमेण्टरी कमेटीके तीन सदस्योंमें से मौलाना आजादको उस प्रान्तकी देखरेखकी जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। उनकी राय यह थी कि जहां हमारा निश्चित बहुमत न हो वहां मंत्रिमंडल बनाना बुद्धिमानी नहीं होगी। परंतु कांग्रेसके अध्यक्ष सुभाषबाबूकी यह राय हुयी कि अंक बार कांग्रेस पदग्रहण कर लेगी तो उसकी शक्ति बढ़ जायगी और जो लोग कांग्रेससे अलग रहे हैं वे भी उसके साथ आ जायेंगे। इस प्रकार दोनों अंकमत न हुअे तो उन्होंने पार्लमेण्टरी कमेटीके दूसरे दो सदस्य सरदार और राजेन्द्रबाबूकी राय तारसे पुछवायी। राजेन्द्रबाबूने मंत्रिपद न लेनेकी राय दी। परंतु सरदारने मंत्रिपद लेनेके पक्षमें राय दी। जिसलिये अन्तमें आसाममें कांग्रेसका मंत्रिमंडल बना और वह सफल हुआ।

सिन्धमें धारासभाके कुल ६० सदस्योंमें से कांग्रेसदलके पहले केवल ८ और बादमें १० सदस्य थे। परंतु बाकी ५० ऐसे थे जो पलभरमें अंक दलमें चले जाते तो पलभरमें दूसरे दलमें। पहले तो सर गुलामहुसैन हिदायतुल्लाने वहां मंत्रिमंडल बनाया। उन्हें राजनैतिक और शासन-संबंधी मामलोंका अच्छा अनुभव था। परंतु वहां अितनी खटपट और व्यक्तिगत अीर्षा-द्वेष था कि उनका मंत्रिमंडल लंबे समय तक बहुमत बनाये न रख सका। मार्च

१९३८ में २४ विरुद्ध २२ मतोंसे अून पर अविश्वासका प्रस्ताव पास हुआ, अिसलिये सर गुलामहुसैनने त्यागपत्र दे दिया। गवर्नरके निमंत्रण पर खान-वहादुर अलाबख्शने नया मंत्रिमंडल बनाया। वे कांग्रेसके प्रति अच्छा रुख रखते थे। अन्होंने कांग्रेसके सदस्योंसे कहा कि वे आम तौर पर कांग्रेसकी नीति और कार्यक्रमका अनुसरण करेंगे। कांग्रेसी सदस्योंने सरदारकी सलाहसे यह जवाब दिया कि "प्रत्येक अवसर पर जो ठीक लगे वही करनेकी हम अपनी स्वतंत्रता कायम रखना चाहते हैं। परंतु हमारी अंसे ढंगसे खास विरोधमें रहनेकी अिच्छा नहीं, जिससे आपके मंत्रिमंडलके कामकाजमें बाधा पड़े। आपके जो काम हमें अच्छे लगेंगे अूनका हम समर्थन करेंगे।" अुस समय सिन्धमें बड़ा सवाल अून जमीनोंके लगानका था, जिन्हें सक्कर बांधकी योजनाके कारण नहरका पानी मिलता था। शुरुमें अच्छे किसानोंको अून जमीनोंकी ओर आकर्षित करनेके लिये लगानकी दरें कम रखी गयी थीं परंतु अलाबख्श मंत्रिमंडलको लगा कि प्रान्तकी आय बढ़ानेके लिये अून दरोंमें क्रमशः वृद्धि करनी चाहिये। जमींदारोंका कहना यह था कि दरें बढ़ानी हों तो भी पूरी जांच करनेके बाद दरोंमें परिवर्तन करना चाहिये। सिन्धके कांग्रेसी सदस्योंने सरदार और मौलाना आजादको परिस्थिति देखकर सलाह देनेके लिये सिन्धमें बुलाया। सरदारने यह राय दी कि दरें बढ़ाना साल भर मुलतवी रखना चाहिये और अिस बीच पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिये। यदि अलाबख्श मंत्रिमंडल यह बात माननेको तैयार हो तो कांग्रेसी सदस्य अूनके मंत्रिमंडलका समर्थन करें। अिस बातकी पूरी संभावना थी कि कांग्रेसका समर्थन निश्चित हो जाता तो अलाबख्श मंत्रिमंडल स्थिर हो जाता। परंतु मौ० आजाद अिस रायके थे कि किसी भी शर्त पर कांग्रेसी सदस्योंको हमेशाके लिये समर्थन करनेके लिये बंध नहीं जाना चाहिये। अिसलिये कोअी समझौता नहीं हुआ। अलबत्ता, जब तक अलाबख्श मुख्यमंत्री रहे, वे कांग्रेसकी नीतिके अनुकूल रहे।

अिस प्रकार हम १९३८ के अन्त तक पहुंच जाते हैं। १९३९ की कांग्रेस त्रिपुरीमें होनेवाली थी। परंतु अुस बात पर जानेसे पहले सन् १९३८ में सरदारने देशीराज्योंमें बहुत काम किया था, अुसका वर्णन कर देना चाहिये। प्रान्तोंमें कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन गये और केन्द्रीय सरकारमें संघ-शासन (फेडरेशन) बनानेकी बातें चल रही थीं, अिससे देशीराज्योंकी प्रजामें अेक प्रकारकी अुत्तेजना आ गयी थी। देशीराज्योंकी प्रजाकी यह मांग थी कि संघ-शासनमें देशीराज्योंका प्रतिनिधित्व अलग अलग रियासतोंके राजा नहीं कर सकते, परंतु अूनकी प्रजाको ही यह अधिकार होना चाहिये। अिस कारण

लगभग प्रत्येक देशीराज्यमें राजाओंकी छत्रछायामें परंतु प्रजाके प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हुकूमत कायम करनेके लिये लड़ाई खूब जोशके साथ छिड़ गयी थी। अंक तरहसे देखा जाय तो अिन लड़ाइयोंके कारण १९३८ का वर्ष देशीराज्योंके इतिहासमें अंक नया युग-प्रवर्तक वर्ष माना जायगा।

२४

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां - १

१९३० से १९३४ तक जो आजादीकी लड़ाई चली, अुसमें देशी-राज्योंकी प्रजाने, खामकर अुसके युवक वर्गने, बहुत अच्छा भाग लिया था। जेलमें अुनको कथित ब्रिटिश भारतके नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा युवक वर्गके संसर्गमें आनेका काफी अवसर मिला। वे समाजवादी विचारके युवकोंके संपर्कमें भी काफी आये। जेलोंमें समाजवादी माहित्य और गांधी-साहित्य दोनोंका अुन्होंने खूब अध्ययन किया। अिन सब बातोंके परिणामस्वरूप अुन्हें देशीराज्योंमें प्रचलित राजाओंकी मनमानी, जो पहले भी खटकती तो थी ही, अब और भी ज्यादा खटकने लगी। वे अिसके सपने देखने लगे कि देशी रजवाड़ोंका शासन, जो मध्यकालीन सामन्तवादी ढंगका अवशेष था, किस तरह जल्दीसे जल्दी समाप्त कर दिया जाय।

कांग्रेसने पहलेसे ही गांधीजीकी सलाहसे देशीराज्योंके मामलोंमें हस्त-क्षेप न करनेकी नीति अपना रखी थी। गांधीजीका जन्म काठियावाड़के देशी-राज्यमें हुआ था और बचपन तथा विद्याभ्यासका कुछ समय भी वहीं व्यतीत हुआ था, अिसलिये काठियावाड़के राज्योंकी परिस्थितिसे वे अच्छी तरह परिचित थे। वे यह मानते थे कि जब तक देशीराज्योंकी प्रजामें अच्छी अेकता नहीं हो जाय और अुसमें अपने पैरों पर खड़े होनेकी शक्ति न आ जाय, तब तक वहां राजनैतिक आन्दोलन छेड़नेसे वहांकी प्रजा ज्यादा मुश्किलमें पड़ जायगी। देशीराज्योंमें अुनकी अपनी शक्ति तो कुछ नहीं है, वे जो कुछ जोर दिखानेका प्रदर्शन करते हैं अुसका सारा आधार ब्रिटिश संगीनों पर है। देशीराज्योंकी प्रजा अपने राजाओंके खिलाफ लड़ाई छेड़ेगी तो अुस प्रजाको कुचल डालनेमें ब्रिटिश सरकार पूरी तरह मदद देगी और जोर-जुल्म करनेकी बदनामीका सारा ठीकरा देशी राजाओंके सिर पर फोड़ देगी। अिसके विपरीत ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध लड़ाई करके अुसकी सत्ताको हम तोड़ डालेंगे, तो आधार-रहित हो जानेसे

देशीराज्योंकी सत्ता अपने आप टूट जायगी। यह अनुकी विचारसरणी थी। असिलिअे १९२० की नागपुर कांग्रेसमें जब गांधीजीने कांग्रेसका संविधान तैयार किया तब देशीराज्योंकी हदमें कांग्रेस कमेटियां बनानेके बजाय यह व्यवस्था की गयी कि देशीराज्योंकी प्रजा पड़ोसके अंग्रेजी अिलालेकी कांग्रेस कमेटियोंमें भरती हो जाय। देशीराज्योंमें कांग्रेस कमेटियां स्थापित करना गांधीजीको हितकर नहीं लगता था, क्योंकि कोयी राज्य अपने यहां कांग्रेस कमेटी स्थापित न होने दे अथवा स्थापित हो जाने पर उसका विरोध करे, तो कांग्रेसको अपनी प्रतिष्ठाके खातिर उसका सामना करना पड़ता। और कांग्रेसको देशीराज्योंके साथ अस इगडोंमें फंसाना अुन्हें ठीक नहीं लगता था। परन्तु ब्रिटिश सरकारके अधीन रहनेवाला प्रदेश और रियासती प्रदेश अेक-दूसरेके साथ अितने गुंथे हुए थे—और दोनों हदोंमें रहनेवाले लोग तो अेक ही थे—कि दोनोंके बीच फर्क करना बहुत मुश्किल था। राज्यतंत्र भले ही अलग हों, परन्तु लोगोंके बीच तो कोयी फर्क था ही नहीं। १९३४ के बाद देशीराज्योंकी प्रजामें बहुत जागृति आ गयी, तब वे लोग कांग्रेससे यह मांग करने लगे कि अब कांग्रेसको अपनी नीति बदलनी चाहिये और ब्रिटिश भारतकी तरह देशीराज्योंमें भी आजादीकी लड़ायी चलानी चाहिये। कांग्रेसको देशीराज्योंकी प्रजाकी यह मांग स्वीकार करना अपने बूतेसे बाहर लगता था, यद्यपि देशीराज्योंकी प्रजाको यथाशक्ति सहायता देनेके लिये वह हमेशा तैयार रहती थी। असके परिणामस्वरूप हरिपुरा कांग्रेसमें देशीराज्योंके प्रति कांग्रेसकी नीति सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास हुआ वह हम पहले देख चुके हैं।

असके सिवा सन् १९३५ का भारतीय शासन-विधान कानून ब्रिटिश पार्लियामेण्टने पास किया, असमें प्रान्तोंको बहुत बातोंमें आन्तरिक स्वराज्य दिया गया था, परन्तु केन्द्रीय शासन ब्रिटिश प्रान्तों और देशीराज्योंके संघके स्वरूपका बनाया जानेवाला था। अस संविधानके अनुसार दिल्लीकी जो बड़ी धारासभा बननेवाली थी असमें दो भाग ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंके और अेक भाग देशीराज्योंके प्रतिनिधियोंका रखा जानेवाला था। असमें यह व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधि जनताके चुने हुए होंगे और देशीराज्योंके प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। यह अेक भारी विसंगतता थी और वह देशीराज्योंकी प्रजाको बड़ी खटकती थी। अुन्हें अेसा लगता था कि यदि हमारे यहां दायित्वपूर्ण शासन स्थापित हो जाय तो ही हम अपने प्रतिनिधि बड़ी धारासभामें भेज सकते हैं। ब्रिटिश सरकार राजाओंको अपनी प्रजाके हाथमें दायित्वपूर्ण शासन देनेसे कानूनन् तो नहीं रोक

सकती थी। परन्तु वह चाहती नहीं थी कि असा हो। वह तो अपने रेजी-डेण्टों द्वारा देशी राजाओंको पूरी तरह अपने काबूमें रखना चाहती थी और देशी राजाओंके प्रतिनिधियोंके रूपमें रेजीडेण्टोंकी पसन्दके आदमी ही बड़ी धारासभामें लाना चाहती थी। अिन सदस्योंको और चुने हुअे सदस्योंमें से कुछ प्रतिक्रियावादी हों तो अुनको मिलाकर राष्ट्रवादियोंके खिलाफ अेक दल खड़ा करनेका अुसका अिरादा था। अिस प्रकारकी व्यवस्थाके बारेमें कांग्रेसका भारी विरोध था। अिसलिअे हरिपुरा कांग्रेसमें संघ-शासन (फेडरेशन) के मामलेमें अुसने अपनी नीतिका स्पष्टीकरण करनेवाला प्रस्ताव पास किया, जिसमें मुख्य बात यह थी :

“कांग्रेसने तो नये संविधानको अस्वीकार कर दिया है और घोषणा की है कि हमारे लोगोंको असा ही संविधान मंजूर हांगा जो पूर्ण स्वतंत्रताके सिद्धान्त पर तैयार किया गया हो और विदेशी हुकूमतके हस्तक्षेपके बगैर लोगोंकी अपनी संविधान-सभा (कान्स्टिट्युअेण्ट असेम्बली) द्वारा बनाया गया हो। ”

संघ-शासनके बारेमें अुसी प्रस्तावमें हरिपुरा कांग्रेसने घोषणा की थी :

“कांग्रेस संघ-शासनके विचारके विरुद्ध नहीं है, परन्तु सच्चा संघ-शासन तो असी अिकाअियोंका ही हो सकता है जो लगभग अेकसी स्वतंत्रता भोगती हैं और जिनमें लोकनंत्रकी पद्धतिसे चुने हुअे सदस्योंका प्रतिनिधित्व हो। देशीराज्य यदि संघ-शासनमें शरीक होना चाहते हों तो अुन्हें दायित्वपूर्ण शासन, नागरिक अधिवगार तथा धारासभामें प्रतिनिधि भेजनेकी पद्धति — अिन सब बातोंमें ब्रिटिश भारतके प्रान्तोंकी श्रेणीमें आना चाहिये। अिस समय जैसे संघ-शासनकी कल्पना की गयी है वह तो भारतमें अेकता स्थापित करनेके बजाय फूट डालनेकी वृत्तिको ही प्रोत्साहन देगा और देशीराज्योंमें भीतरी और बाहरी दोनों तरहके बखेड़े खड़े करेगा। ”

अिस संघ-शासनके कारण देशीराज्योंके कार्यकर्ता बड़े चिन्तित रहते थे। अुनके यहां जिम्मेदार हुकूमत जल्दीसे जल्दी कायम हो, अिसके लिअे वे लड़ायी लड़नेको अुत्सुक थे और अिसमें वे कांग्रेसकी मदद चाहते थे। परन्तु कांग्रेसने अपनी मर्यादाको समझकर और मुख्यतः अिस विचारसे कि देशी-राज्योंकी प्रजाको स्वयं संगठित होकर अपनी ही शक्तिसे लड़ना चाहिये, अुपरोक्त प्रस्ताव पास किया था।

सरदार देशीराज्योंकी, खास कर गुजरातके राज्योंकी परिस्थितिसे और वहांकी प्रजाकी ताकतसे अच्छी तरह परिचित थे। हरिपुरा कांग्रेसके

देशीराज्योंके प्रस्ताव पर अुनके भाषणसे हमने देख लिया है कि अुनका यह खास आग्रह था कि देशीराज्योंके साथ अुनकी प्रजाकी लड़ाीमें कांग्रेसको संस्थाकी हैसियतसे नहीं फंसना चाहिये। फिर भी देशीराज्योंकी प्रजाको किसी निश्चित मुद्दे पर की गयी लड़ाियोंमें पथप्रदर्शन करके अुसकी शक्ति बढ़ानेमें व्यक्तिगत रूपमें सबसे ज्यादा मदद अुन्होंने की थी। वे मानते थे कि अभी तक देशीराज्योंकी प्रजामें अैसी अंतिम लड़ाी छेड़नेकी शक्ति नहीं आयी है कि हमें राजा ही नहीं चाहिये। परन्तु अमुक आर्थिक कष्ट दूर कराने या राजनैतिक रियायतें हासिल करनेके मर्यादित प्रश्न पर प्रजा लड़ाी छेड़े तो अैसी लड़ाीसे प्रजामें जागृति आती है, प्रजा संगठित होती है और अुसकी लड़नेकी शक्तिका भी विकास होता है। और अैसी लड़ाीमें जीत होने पर प्रजाका अुत्साह भी बढ़ता है। अिम प्रकार जैसे जैसे क्रमशः प्रजाकी शक्ति बढ़ती जाय, वैसे वैसे वे राजाकी छत्रछायामें जिम्मेदार हुकूमत तक जाना चाहते थे।

देशीराज्योंकी प्रजाके गरम और अुतावले विचारके कार्यकर्ताओंको गांधीजीकी सलाह और सरदारकी अिस नीतिसे पूरा संतोष नहीं था। परन्तु जो पके हुअे विचारोंके थे और धीरे धीरे परन्तु दृढ़ कदमसे आगे बढ़नेमें विश्वास रखते थे, अुन्हें यही नीति अपनाने योग्य लगी। अिसलिये हरिपुरा कांग्रेसके प्रस्तावके वाद अधिकांश देशीराज्योंमें राजाकी छत्रछायामें प्रजाको जिम्मेदार हुकूमत दिलानेका ध्येय सामने रखकर प्रजामंडल या स्टेट कांग्रेसें स्थापित की गयीं। अिन संस्थाओंमें गरम विचारोंवाले वर्गके कारण कभी कभी आंतरिक संघर्ष होते थे, फिर भी कुल मिलाकर गांधीजी और सरदारके नेतृत्वमें अिन संस्थाओंका काम काफी आगे बढ़ा।

१९३८ तथा १९३९ के वर्ष देशीराज्योंके अितिहासमें बड़े महत्वके माने जायंगे। अिस अरसेमें अुत्तरमें काश्मीरसे लेकर दक्षिणमें त्रावणकोर तक और पूर्वमें अुड़ीसासे लेकर पश्चिममें काठियावाड़ तक अनेक देशीराज्योंकी प्रजामें अपूर्व जागृति आयी और छोटे बड़े सवालों पर अुसने अपने राजाओंसे बहादुरीके साथ लड़ाियां लड़ीं। अुत्तरमें काश्मीर और नाभा राज्यमें तथा राजस्थानमें अलवर, अुदयपुर और जयपुर राज्योंमें प्रजाने अच्छी लड़ाियां लड़ीं। जयपुरमें तो प्रमुख कांग्रेसी नेता सेठ जमनालाल बजाज वहांके प्रजामण्डलके अध्यक्ष थे। वहांका दीवान अंग्रेज था। वह नहीं चाहता था कि अुसके राज्यमें जनताके अधिकारों और दायित्वपूर्ण शासनके बारेमें जरा भी आन्दोलन हो। अिसलिये जयपुर राज्यमें, जो अुनका वतन था, अुसने जमनालालजीका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। जमनालालजीने

अस आजाका भंग किया और राज्यने अन्हें जेलमें डाल दिया । अुड़ीसाके घेनकलाल, तलचेर और रणपुर राज्योंमें राज्यके अमानुषिक अत्याचारोंके विरुद्ध प्रजाने सिर अुठाया । तलचेरकी ७५,००० की आबादीमें से २६,००० आदमी राज्य छोड़कर चले गये । अुड़ीसा बहुत छोटा और थोड़ी आयवाला प्रान्त है । अस पर अिन हिजरतियोंको आश्रय देनेका भार आ पड़ा । असके सिवा, रणपुर राज्यकी हदमें अिन राज्योंके गोरे पोलिटिकल अेजेण्टकी हत्या हो गयी । फिर क्या पूछना ? किसी गोरेका खून हो जाय वहां तो सारा ब्रिटिश साम्राज्य ही टूट पड़ता है । असलिये अिन राज्योंकी प्रजा पर नेशुमार सितम ढाये गये । दक्षिणमें हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर राज्योंमें स्टेट कांग्रेसें स्थापित हुईं और अन्होंने जिम्मेदार हुकूमतके लिये जोरदार लड़ाियां लड़ीं । गुजरात और काठियावाड़के छोटे बड़े बहुतसे राज्योंमें प्रजामण्डल स्थापित हुअे और अन्होंने राज्योंका मजबूत विरोध करना आरंभ किया । दक्षिणमें औंधके राज्यने प्रजाको दायित्वपूर्ण शासन देनेकी पहल की, राज्यमें बहुतसे सुधार किये और राज्यपरिवार प्रजाकी अुन्नतिके कामोंमें प्रमुख भाग लेने लगा ।

देशीराज्योंमें हुअी अस जागृतिके कारण और वहांकी प्रजाके दिखाये हुअे अपूर्व अुत्साह और वीरताके कारण सरदार और गांधीजीको देशीराज्योंकी प्रजाओंके बारेमें अपना मत बदलना पड़ा । और अन्होंने अुनके प्रति कांग्रेसकी नीतिमें परिवर्तन करनेकी सलाह दी । अन्होंने कहा कि कांग्रेसको अब तटस्थ न रहकर देशी राजाओंके विरुद्ध प्रजाकी लड़ाियोंमें साथ देना चाहिये । अस समय अन्होंने यह राय दी कि जिन जिन प्रान्तोंमें कांग्रेसी मंत्रिमंडल हैं वे अपने प्रान्तोंके देशीराज्योंमें होनेवाले जुल्मोंको शांतिसे देखते नहीं रह सकते । भले ही कानूनकी दृष्टिसे देशीराज्योंकी सीमा अलग मानी जाती हो, परन्तु स्वाभाविक और भौगोलिक रूपमें तो देशीराज्य प्रान्तोंके साथ मिले ही हुअे हैं । फिर, देशीराज्योंकी राजनीतिमें न पड़नेका कांग्रेसने जो प्रस्ताव पास किया था, वह असके लिये कोअी सिद्धान्तकी चीज नहीं थी । देशीराज्योंकी परिस्थिति और अपनी ताकतका विचार करके ही असने अपने लिये यह नीति ठहरायी थी । सिद्धान्त सदाके लिये अटल होता है, परन्तु नीतिमें परिस्थितिके अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं । और बुद्धिमान मनुष्यको अैसे फेरबदल अवश्य करने चाहिये ।

गांधीजीने ता० २५-१-३९ को 'टाइम्स ऑफ अिडिया' के प्रतिनिधिको असके सवालके जवाबमें यह वस्तु अस प्रकार समझायी थी :

“देशीराज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेकी कांग्रेसकी नीतिमें जब तक वहांके लोग जाग्रत नहीं हुअे थे तब तक पूर्ण राजनैतिक

बुद्धिमत्ता थी। परन्तु जब वहाँके लोगोंमें चारों ओर जागृति पैदा हो गयी है और वे लोग अपने वाजिब हकोंके लिये बड़से बड़े कष्ट सहनेके लिये तैयार हो गये हैं, अंसे समय अुस नीतिसे चिपटे रहना भीरुता होगी। यह चीज आप स्वीकार करें तो आजादीकी लड़ायी कहीं भी क्यों न छेड़ी जाय, अुसके साथ सारे भारतका संबंध है ही। जहां जहां कांग्रेसको महसूस हो कि अुसके बीचमें पड़नेसे प्रजाको लाभ हो सकता है वहां कांग्रेसको अवश्य बीचमें पड़ना चाहिये।”

अेकाध देशीराज्यके प्रश्नके खातिर कांग्रेसका या अलग अलग प्रान्तोंके कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंका सरकारके साथ संघर्षमें आना कहां तक अुचित होगा, अिस प्रश्नके अुत्तरमें गांधीजीने कहा :

“मान लीजिये कि ब्रिटिश भारतका अेकाध कलेक्टर वहाँके लोगोंको परेशान करता हो, अुन पर जुल्म ढाता हो, तो अुसमें कांग्रेसका हस्तक्षेप करना और अुसे देशव्यापी प्रश्न बना देना अुचित माना जायगा या नहीं? अिसका जवाब यदि हां हो तो जयपुर राज्यमें कांग्रेसके हस्तक्षेपका विचार करनेमें भी वही न्याय लागू होता है। यदि देशी-राज्योंमें हस्तक्षेप न करनेका कांग्रेसने प्रस्ताव पास न किया होता तब तो यह प्रश्न अुठता ही नहीं। मेरे यह कहनेके लिये कि संविधानकी दृष्टिसे देशीराज्य विदेशोंकी तरह हैं, अुतावले लोगोंने मुझे कअी बार दोष दिया है। परन्तु मैं वह दोष बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। मैं तो देशीराज्योंमें भी दौरा करनेवाला ठहरा, अिसलिये यह जानता था कि अुन लोगोंकी तैयारी कितनी है। परन्तु अब वे लोग तैयार हो गये हैं, अिसलिये कानूनकी, संविधानकी और अैसी दूसरी कृत्रिम मर्यादाअें मिट जाती हैं। संविधान, कानून और अैसी अन्य वस्तुअें अपनी-अपनी सीमामें ठीक हैं। परन्तु जब अेक बार अिन कृत्रिम बन्धनोंको तोड़-फोड़कर मनुष्यका मन अूची अुडान मारने लगता है, तो ये चीजें अुसी क्षण प्रगतिको रोकनेवाली बन जाती हैं। आज मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूं। किसीकी भी प्रेरणाके बिना मैंने देख लिया कि अिस समय कांग्रेस जिस ढंगसे देशीराज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप करने लगी है वह अुसका धर्म हो गया है। और कांग्रेसको अिस समय जिस प्रकारकी नैतिक शक्ति प्राप्त है अुसे वह कायम रखेगी अर्थात् वह अपनी अहिंसाकी नीति पर डटी रहेगी, तो देशीराज्योंमें दखल देनेकी अुसकी शक्ति दिन-दिन बढ़ेगी।

“लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गये हैं। आज मैं जो कुछ कहता हूँ वह उससे भिन्न है जो मैं कुछ वर्ष पहले कहता था। असल बात यह है कि परिस्थिति बदल गयी है। मैं तो वैसा ही हूँ। मेरे वचन और कार्य वर्तमान परिस्थितिके अनुसार होते हैं। रफता रफता परिस्थितिमें अन्तर पड़ा है और सत्याग्रहीके नाते उसका मुझ पर असर पड़ा है।”

अिस सलाहके अनुसार त्रिपुरीकी कांग्रेसने मार्च १९३९ में प्रस्ताव पास करके देशीराज्यों सम्बन्धी अपनी नीतिके सम्बन्धमें परिवर्तन किया। अपने प्रस्तावमें उसने कहा :

“कांग्रेसकी यह राय है कि हरिपुरा कांग्रेसके अधिवेशनमें देशीराज्योंके बारेमें स्वीकृत प्रस्तावमें जो अपेक्षा रखी गयी थी वह सफल हुयी है। देशीराज्योंकी प्रजाको अपना संगठन करने और स्वतंत्रताकी लड़ावियां लड़नेका प्रोत्साहन देकर उस प्रस्तावने अपना औचित्य प्रमाणित कर दिया है। हरिपुराकी नीति बहांकी जनताके हितोंका विचार करके और उसमें स्वावलंबन और शक्ति बढ़ानेके अद्देश्यसे तैयार की गयी थी। परिस्थितियोंको देखकर और उन परिस्थितियोंमें जो मर्यादाओं स्वाभाविक रूपमें मौजूद थीं उन्हें मानकर वह नीति बनायी गयी थी। यह खयाल हरगिज नहीं था कि वह नीति कोयी सिद्धान्त या धर्मके रूपमें है। देशीराज्योंकी प्रजाका पथप्रदर्शन करने और उसे अपनी प्रतिष्ठाका लाभ देनेका कांग्रेसको सिर्फ हक ही नहीं है, यह उसका धर्म भी है। परन्तु उसने स्वेच्छासे अपने अपूर अमुक मर्यादाओं लगा ली थीं। अब देशी-राज्योंकी प्रजामें जो जबर्दस्त जागृति आ गयी है उसे देखते हुअे उन मर्यादाओंको पूरी तरह हटा देनेका समय आ पहुँचा है। अिसके परिणामस्वरूप यह जरूरी है कि कांग्रेस देशीराज्योंकी प्रजाके साथ सतत बढ़ता हुआ तादात्म्य स्थापित करे।

“कांग्रेस फिर घोषित करती है कि पूर्ण स्वराज्यका उसका ध्येय समस्त भारतके लिये है, अर्थात् देशीराज्योंका उसमें समावेश हो जाता है। ये राज्य हिन्दुस्तानके अविभाज्य और अभेद्य अंग हैं और भारतके अन्य भागोंके बराबर ही राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें भी मिलनी चाहिये।”

भिन्न भिन्न देशीराज्योंमें सन् १९३८-३९ के वर्षोंमें हुयी राजनैतिक लड़ावियोंका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। सरदार अिन सब लड़ावियोंमें

बड़ी दिलचस्पी लेते थे और उनका छोटीसे छोटी बातोंसे परिचित रहते थे। परन्तु इस पुस्तकमें हम अन्हीं लड़ाइयोंकी तफसील देंगे, जिनमें अन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष भाग लिया था। शुरुआत हम मैसूरसे करेंगे।

मैसूरका राज्य हमारे देशके बड़े राज्योंमें अंक था। असु राज्यमें शिक्षाका अनुपात बहुत अच्छा था और वहांके लोग भी अतुसाही थे। वहांकी स्टेट कांग्रेसका पूरा संविधान अणु लोगोंने राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा ही रखा था। २६ जनवरी १९३८ को सारे राज्यमें आजादी-दिन मनानेका स्टेट कांग्रेसने निश्चय किया। स्थान स्थान पर राष्ट्रीय कांग्रेसका झंडा फहरा कर अन्होंने झंडाभिवादनका कार्यक्रम रखा। राज्य असुके विरुद्ध दमनकी कार्रवाजी करने लगा। असु कारणसे राज्यके साथ स्टेट कांग्रेसके छोटे छोटे झगड़े होने लगे। असि सिलसिलेमें अप्रैल मासमें वहां अंक अंसा करुण हत्याकांड हो गया, जिसने सारे भारतका ध्यान आकर्षित किया। बंगलोरसे लगभग पचीस मील दूर विदुराश्वत्थम् नामक अंक छोटासा गांव है। वहां अप्रैलके तीसरे सप्ताहमें अंक बड़ी यात्रा भरती है और प्रतिदिन लगभग बीस हजार आदमी अिकट्ठे होते हैं। सरकारको यह खयाल हुआ होगा कि स्टेट कांग्रेसवाले असु यात्रामें आकर भाषण देंगे और राष्ट्रीय झंडेके साथ जुलूस निकालेंगे। असलिये पहलेसे ही वहांके जिला मजिस्ट्रेटने असु अिलाकेमें राष्ट्रीय झंडा फहराने, सभाओं करने तथा भाषण देनेकी मनाहीका हुक्म जारी कर दिया था। असु हुक्मको चुनौती देनेके लिये २५ अप्रैलको स्टेट कांग्रेसके कुछ आदमी पासके गांवसे बड़ा जुलूस निकालकर विदुराश्वत्थम् गये और वहां अन्होंने सभा की, जिसमें दस-पंद्रह हजार आदमी अपस्थित थे। मजिस्ट्रेट वहां जा पहुंचा। सभाको गैरकानूनी करार देकर असुने अणु चार आदमियोंको गिरफ्तार कर लिया, जिनके हाथोंमें राष्ट्रीय झंडे थे और सभाको बिखर जानेकी आज्ञा दी। मजिस्ट्रेटकी सम्मतिसे ही स्टेट कांग्रेसके अंक नेताने सभाको सूचना दी कि हमारा अुद्देश्य पूरा हो गया, असलिये आप सब बिखर जाअिये। असु पर जो लोग जुलूसमें आये थे वे वहांसे चले गये। जो यात्राके लिये आये थे वे धूप बहुत होने और दूसरी कोअी छायादार जगह नहीं होनेसे सभास्थलके पासवाली अमराजीमें बैठ गये। मजिस्ट्रेटने अणु सब लोगोंको भी पांच मिनटमें बिखर जानेका हुक्म दिया। लोगोंने बहुतेरा कहा कि हम तो यात्राके लिये आये हैं और अन्यत्र कहीं छाया नहीं है असिलिये यहां बैठे हैं। शाम होने पर यहांसे चले जायंगे। परन्तु मजिस्ट्रेटको लगा कि अिन लोगोंको असु प्रकार यहां बैठे रहने देनेसे हमारे हुक्मकी पाबन्दी हुअी नहीं मानी जायगी। असलिये सबसे अंकदम बिखर जानेका आग्रह किया और पांच ही मिनट प्रतीक्षा करके

अनु पर लाठीचार्ज करवा दिया। मैसूर सरकारकी ओरसे इस मामलेमें प्रकाशित वक्तव्यके अनुसार लोगोंने सामना किया और पुलिसको घेरकर अुस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ पुलिसवालोंको चोटें आयीं। इसलिये पुलिसको आत्मरक्षाके लिये गोली चलानी पड़ी। आंखों देखनेवाले मनुष्योंकी तरफसे दूसरे दिन पत्रोंमें प्रकाशित वक्तव्योंके अनुसार लाठीचार्जके थोड़ी ही देर बाद पुलिसने गोली चला दी। मैसूर सरकारके कथनानुसार गोलीकांडमें दस आदमी मारे गये और चालीस घायल हुअे, जब कि प्रजापक्षके बयानोंके मुताबिक कमसे कम बत्तीस मनुष्य मारे गये और अड़तालीस गंभीर रूपमें घायल हुअे। वहां इस अमराजीके सिवा छायावाली दूसरी कोजी जगह थी ही नहीं। इसलिये गोलीकांडके समय भाग-दौड़में बहुत लोग तो पासकी नदीके पाटकी गरम रतीमें ही जा पड़े। मुर्दा और घायल हुअे लोग तथा अनुके सम्बन्धी रोते-चिल्लाते नदीके पाटमें ही बहुत देर पड़े रहे। मैसूर सरकारकी तरफसे कुछ भी सफाजी दी जाय, यह हत्याकांड अितना भयंकर था कि अुससे सारे देशमें खलबली मच गयी। मैसूर सरकारने तीन न्यायाधीशोंकी अेक जांच-समिति द्वारा इस घटनाकी जांच करानेकी घोषणा की। गांधीजीने २९ अप्रैलको इस घटनाके बारेमें अेक वक्तव्य प्रकाशित किया। अुसका महत्वपूर्ण भाग यहां दिया जाता है :

“मैसूर सरकार द्वारा प्रकाशित वक्तव्य मंने पढ़ा है। वह मेरे गले नहीं अुतरा। मैसूरके लोकसेवकोंकी तरफसे अनेक दर्दभरे पत्र और तार मेरे पास आये हैं। अनुमें से अेक-दो बातें तो निर्विवाद जान पड़ती हैं। निहत्थी भीड़ पर गोली चलायी गयी और अुससे कुछ लोग मारे गये और अनेक घायल हुअे। लोगोंकी तरफसे मुझे जो जानकारी मिली है वह तो मैसूर सरकारके वक्तव्यसे बिलकुल अुलटी है। फिर भी मान लीजिये कि लोग अुत्तेजित हो गये थे। लेकिन अुससे यह हरगिज नहीं कहा जा सकता कि गोली चलाना जरूरी था। मैसूर सरकारको मेरी यह सूचना है कि वह केवल जांच-समिति नियुक्त करके संतोष न कर ले, भले वह कितनी ही निष्पक्ष क्यों न हो। मैसूरमें राष्ट्रीय झंडेके बारेमें जो आन्दोलन हो रहा है वह तो समयका प्रतीक है। इस मामलेमें अुसे प्रजाकी मांग स्वीकार कर ही लेनी चाहिये।

“मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैं यह नहीं जानता था कि मैसूरमें सचमुच अितनी जबरदस्त लोकजागृति आ गयी है। इससे

मुझे हर्ष होता है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह मैसूर सरकारको भी हर्ष होता होगा। उसके अपायके रूपमें महाराजा तथा अुनके दीवान सर मिर्जा अिस्माजीलको मेरी सलाह है कि वे निरंकुश शासन खतम करके राज्यके संचालनकी जिम्मेदारी लोकप्रतिनिधियोंको सौंप दें। यदि मैसूरमें शांति स्थापित करनी हो तो यह जिम्मेदारी यथासंभव अधिकसे अधिक विशाल होनी चाहिये। यह कहा जाता है कि राज्य पिछड़ा हुआ होनेके कारण जिम्मेदारी धीरे धीरे सौंपी जायगी। लेकिन मेरी अैसी मान्यता नहीं है। धीरे धीरेकी बात करनेमें राज्यकी शोभा नहीं है। मैसूरके पास तो प्रकृतिकी कितनी ही देने हैं, जिनके कारण वहां ब्रिटिश भारतसे कहीं अधिक प्रगति हो सकती है।” यह वक्तव्य प्रकाशित करनेके बाद गांधीजीने सरदार और कांग्रेसके प्रधानमंत्री श्री कृपालानीजीको असि घटनाकी स्वयं जांच करने और महाराजा, दीवान तथा स्टेट कांग्रेसके नेताओंसे मिलकर लोगोंको न्याय दिलानेके लिये यथासंभव प्रयत्न करनेके लिये मैसूर भेजा।

असि बीच अखबारोंकी यह अफवाह सरदारके सुननेमें आयी कि गांधीजी खुद यह लड़ाई चलाने मैसूर जानेवाले हैं। असिलिये अुन्होंने ३० अप्रैलको निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“आज प्रातःकालके समाचारपत्रोंमें गांधीजीका कहा जानेवाला अेक वक्तव्य मैंने देखा। असमें गांधीजीने यह कहा बताया जाता है कि वे हिन्दुस्तानमें जहां होंगे वहीसे असि लड़ाईका नेतृत्व करेंगे। गांधीजीकी मैसूरके श्री भूपालम् चंद्रशेखर शेठीके साथ जो बातचीत हुयी है, अुसीकी यह विकृति है। अस बातचीतके समय मैं मौजूद था। गांधीजीने श्री चंद्रशेखर शेठीसे अितना ही कहा है कि मैसूरमें जो कुछ हो अुससे मुझे परिचित रखना, ताकि मैं जहां होअूं वहीसे मैसूरके लोगोंको सलाह और मार्गदर्शन दे सकूं। मेरी समझमें नहीं आता कि असि बातसे यह कैसे कहा जा सकता है कि वे स्वयं लड़ाईका नेतृत्व करेंगे।” सरदार तथा कृपालानीजी ६ मजीको बंगलोर पहुंचे। वहां वे मैसूरके महाराजासे, दीवान सर मिर्जा अिस्माजीलसे तथा स्टेट कांग्रेसके नेताओंसे मिले। सर मिर्जा अिस्माजील बड़े अुदार सज्जन हैं। अुनके साथ हुयी बातचीतके परिणामस्वरूप अच्छी तरह समझौता हो गया।

१७ मजीको राज्यने घोषणा प्रकाशित करके बताया :

“थोड़े समयसे राज्यमें जो गलतफहमी पैदा हो गयी है, अुसके कारण राज्यकी वैधानिक प्रवृत्तियोंके लिये आवश्यक राजा-प्रजाके

सहयोगमें रुकावट आ गयी है। इससे सरकार और महाराजाको बड़ा दुःख हो रहा है। महाराजा और उनको सरकारको सबसे अधिक खेद तो विदुराश्वत्थम्में हुआ करुण घटनाके लिये हो रहा है। उस दुःखद कांडमें मारे गये और घायल हुअे सभी निर्दोष मनुष्योंके लिये तथा उन लोगोंके रिश्तेदारों और आश्रितोंके लिये महाराजा और उनको सरकारके दिलमें जो गहरी सहानुभूति है उसे वे फिरसे प्रगट करते हैं। महाराजा साहबकी प्रजाको मालूम है कि इस सारे मामलेकी जांच करनेके लिये न्याय-विभागके अंचे अनुभवी और नामांकित राज्जनोंकी अेक निष्पक्ष समिति नियुक्त की गयी है। सरकारका निश्चय है कि उस कांडके कारणों और उन घटनाओंके क्रमके बारेमें पूरी तरह जांच हो और वे प्रकाशमें लाये जायें।”

राज्यके साथ हुअे सरदारके समझौतेकी गतें इस प्रकार थीं :

१. मैसूर स्टेट कांग्रेसको राज्य मान्यता देगा।
२. शासनमें मुधार सूचित करनेके लिये नियुक्त की गयी समिति महाराजाकी छत्रछायामें दायित्वपूर्ण शासनकी योजना पेश कर सकेगी।
३. उस समितिमें स्टेट कांग्रेसके चुने हुअे तीन नये सदस्य राज्य बढ़ा देगा।
४. महात्मा गांधीकी सलाह मानकर यह तय किया गया है कि सभी सार्वजनिक अवसरों पर स्टेट कांग्रेस मैसूर राज्यका झंडा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका झंडा साथ-साथ फहरायेगी। सिर्फ स्टेट कांग्रेसकी सभा होगी वहां केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका झंडा फहराया जा सकेगा।

५. स्टेट कांग्रेस सविनय कानून-भंग और करबन्दीकी संपूर्ण लड़ायी वापस ले लेगी। दूसरी तरफ राज्य तमाम राजनैतिक कैदियोंको छोड़ देगा और स्टेट कांग्रेस पर मनाहीके जो हुक्म होंगे अन्हें वापस ले लेगा।

इस समझौतेकी घोषणा मैसूर सरकारने १७ मजीको प्रकाशित की। उस पर कांग्रेस कार्यसमितितने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“मैसूर राज्यमें विदुराश्वत्थम्के पास निःशस्त्र भीड़ पर जो गोली चलायी गयी, उसके बारेमें प्रजाकीय और सरकारी दोनों वक्तव्य कार्यसमितितने पढ़े हैं। राज्यके अधिकारियोंको गोली चलानेकी जरूरत

मालूम हुआ, इस बात पर समिति अफसोस जाहिर करती है। गोली-कांडके कारणोंकी जांच करनेके लिये मैसूर सरकारने समिति मुकर्रर की है, यह देखते हुअे कार्यसमिति अुस हत्याकांडके बारेमें कोअी राय जाहिर नहीं करती। परंतु कार्यसमिति मानती है कि महाराजा साहबको अपने राज्यमें अुत्तरदायी शासनतंत्र स्थापित करना चाहिये, जिससे कानून और सुव्यवस्थाकी और जरूरत पड़ने पर गोली चलानेकी भी जिम्मेदारी प्रजाके प्रति जिम्मेदार सरकार अुठाये। मारे गये मनुष्योंके कुटुम्बोंके प्रति कार्यसमिति समवेदना प्रकट करती है और जिन्हें चोट आयी है अुनके प्रति सहानुभूति बताती है।

“सरदार वल्लभभाभी पटेल और आचार्य कृपालानी द्वारा मैसूर राज्य और स्टेट कांग्रेसके बीच कराये गये समझौतेका कार्यसमिति समर्थन करती है। समझौतेका पालन करनेके लिये मैसूर सरकारने अेक घोषणा प्रकाशित की है, जिस पर कार्यसमिति संतोष व्यक्त करती है और महाराजा तथा अुनके सलाहकार जिस शीघ्रतासे समझौते पर अमल कर रहे हैं अुसके लिये अुन्हें बधायी देती है। कार्यसमिति आशा रखती है कि मैसूर स्टेट कांग्रेस भी समझौतेका आग्रहपूर्वक पालन करेगी।

“राष्ट्रीय झंडा फहरानेके मामलेमें कार्यसमिति आशा रखती है कि मैसूर स्टेट कांग्रेसकी ओरसे राज्यके झंडेका और राज्यके अधिकारियोंकी ओरसे राष्ट्रीय झंडेका किसी भी प्रकारका अपमान न होने देनेकी सावधानी रखी जायगी। राष्ट्रीय झंडेके आदरका अन्तिम आधार अुसका बलात् सम्मान करानेकी शक्ति पर नहीं रहेगा, परंतु कांग्रेसियोंके शुद्ध आचरण पर और कांग्रेस देशमें जो सेवाकार्य करेगी अुस पर रहेगा। अिसके सिवा यह भी ध्यानमें रखनेकी जरूरत है कि राष्ट्रीय झंडा अहिंसाका और केवल सत्य अेवं अहिंसामय साधनों द्वारा सिद्ध होनेवाली साम्प्रदायिक अेकताका प्रतीक है। साथ ही यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि कांग्रेसियोंमें अेक अैसा दल बढ़ता जा रहा है जो देशी-राज्योंको मध्ययुगके अवशेष मानकर अुनका संपूर्ण नाश करना चाहता है। परंतु कांग्रेसकी नीति अभी तक देशीराज्योंके प्रति मित्रतापूर्ण रही है; और आगे भी रहेगी। अिसकी जड़में यह आशा रही है कि वे युगधर्मको पहचानेंगे, अपने प्रदेशमें दायित्वपूर्ण शासन स्थापित करेंगे और अपनी हुकूमतमें दूसरी तरह भी स्वतंत्रताको बढ़ायेंगे और अुसकी रक्षा करेंगे।”

मंसूरका यह कांड हो रहा था अुसी समय अुत्तर गुजरातके अेक छोटेसे माणसा राज्यमें किसानों और राज्यके बीच अेक बड़ी तीव्र लड़ाकी हो रही थी। वहां १९३७ के सालमें जमीनके लगानकी दरें फिरसे तय करनेका समय आ गया था। दूसरे देशीराज्योंकी तरह अिस राज्यमें भी लगानके बन्दोबस्त और लगानकी वसूलीका कोअी ठीक नियम नहीं था। हर दस वर्ष बाद लगान फिरसे मुकरर किया जाता था, परंतु हर बार लगानमें वृद्धि ही की जाती थी। किसान परंपरासे जो हक भोगते आ रहे थे अुनमें से बहुतसे हक सन् १९२१ में छीन लिये गये थे। राज्यने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि किसानको किसी भी समय और किसी भी बहाने जमीनसे खदेड़ा जा सकता है। किसान अपनी जमीन पर जो पेड़ लगायें और मेहनत करके अुनका पोषण करें, अुन पर भी राज्य अपने स्वामित्वका दावा करने लगा था। अिसके अलावा, किसानोंसे बेगार कराअी जाती थी। अुनसे तरह तरहकी लागबाग ली जाती थी और अन्य कअी प्रकारसे अुन पर जुल्म किये जाते और अुन्हें सताया जाता था। १९३७ के सालमें जब राज्यने फिर लगानकी दरें तय करनेका प्रश्न अुठाया, तब राज्यके जुल्मसे पीड़ित किसानोंने दसक्रोअी तालुका कांग्रेस समितिसे, जिसके अिलाकेमें अुनका राज्य माना जाता था, सलाह ली। दसक्रोअी तालुका समितिने गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस समितिकी सलाह ली और अन्तमें यह निश्चय किया गया कि किसान अिस जुल्मका अन्त करनेके लिये संगठित होकर राज्यका विरोध करें। जमीनके लगानका कुचल डालनेवाला बोझ कम करानेके लिये अुनकी दी हुअी तमाम अर्जियां और प्रदर्शित किये गये सारे विरोध असफल रहे। अिसलिये जनवरी १९३८ से अुन्होंने लगान न देनेका सत्याग्रह आरंभ किया। किसानोंने अपनी अेक पंचायत स्थापित करके अुसके मारफत अपने सारे काम करना तय किया। अेक तरहसे अुन्होंने माणसा दरबारका बहिष्कार कर दिया। अुसके कारण सारा शासनतंत्र स्थगित हो गया। दूसरी तरफ राज्यने अपना सारा अधिकार काममें लेकर तथा कानून, सभ्यता और मानवताकी मर्यादाको ताकमें रखकर किसानों पर दमनका क्रूर चक्र चलाना शुरू कर दिया। राज्यकी सीमामें सभा व जुलूसबन्दी कर दी गअी। नेताओंको पकड़ लिया गया। फिर भी लोग सभाओं करते, जिन्हें बिखेरनेके लिये लाठीका अुपयोग खुले हाथों होने लगा। और अेक बार गोलीकांड भी हुआ। अिसके विरुद्ध किसानोंने बड़ी बहादुरीसे टक्कर ली। किसानोंकी बहादुर स्त्रियां अपने पुरुषोंके कंधेसे कंधा मिलाकर खड़ी रहीं और अुन्होंने अपमान, मार, माल-असबाबकी लूट तथा अन्य संकट हंसते-हंसते सहन किये। किसान स्त्री-पुरुषोंके अिन संकटों और त्यागने सारे गुजरातका

ध्यान आकर्षित किया। और इस लड़ाईमें सारा गुजरात तुम्हारे पीछे है, असा अनेक प्रकारकी सहायताओं द्वारा माणसाके किसानोंको बताकर गुरातने अुनकी पीठ ठोंकी। खूबी तो यह है कि जबर्दस्त अुत्तेजना और अुत्पीड़नके बावजूद माणसाके किसान संपूर्ण रूपमें अहिंसा पर कायम रहे।

किसानोंका जोश नष्ट कर डालनेके माणसा दरबारके ये सब प्रयत्न व्यर्थ हुअे और दमनका अेक भी अुपाय बाकी न रहा तब वे घबराये। अेजेंसीने लगान-संबंधी जांच करके रिपोर्ट देनेके लिये अेक विशेष रेव्हेन्यू अफसर वहां भेजा। अुसके परिणामस्वरूप तात्कालिक दमन बन्द हो गया। माणसा दरवारने भी अपने पुराने कर्मचारियोंको बदलकर अपनी नीतिमें परिवर्तन कर लेनेमें बुद्धिमानी समझी। जो नये दीवान मुकरर किये गये थे अुन्होंने समझौता करनेके लिये दसत्रोअी तालुका समितिके पदाधिकारियों तथा गुजरात प्रान्तीय समितिके मंत्रीको निमंत्रण दिया। किसानोंके अनेक प्रकारके दुःखोंकी चर्चा करनेके बाद दोनों पक्षोंने तय किया कि सारा मामला सरदारको सौंप दिया जाय और वे कहें अुसके अनुसार समझौता कर लिया जाय। दीवान सरदारसे मिलने वंबअी गये। अुनके साथ खूब परामर्श किया। यह बातचीत पांच दिन चली। अुसमें माणसा दरबारको मदद देनेके लिये वांकानेरके दीवान और अेजेंसीके खाम अफसरको भी मौजूद रखा गया। इस बातचीतके दौरानमें राज्यने बहुत ही समझौतेका रवैया दिखाया। बीती बातें भूल कर दरबार और किसानोंके बीच मीठे संबंध स्थापित करनेके लिये अेक लंबा करार किया गया। अुसके साररूप मुद्दे इस प्रकार हैं :

१. जमीन-महसूलकी नअी दरें निकटवर्ती बड़ोदा राज्यके लगान कानूनके आधार पर तय की जायं। ये दरें अेक अनुभवी अधिकारी किसानोंकी अेक कमेटीकी सहायतासे तय करे। अिन नअी दरों पर १९४० तक अमल किया जाय।

२. जब तक नअी दरें घोषित न कर दी जायं तब तक मौजूदा दरोंमें राज्य किसानोंके लिये ३५ फी सदीकी कमी कर दे।

३. नअी दरोंकी मीयाद दमके बजाय बीस वर्षकी रखी जाय। इस बीच किसानोंने जमीनमें जो सुधार किये हों अुनके कारण नअी दरें कायम करते समय लगानमें वृद्धि नहीं की जा सकेगी। जमीन-महसूल माफ या मुलतवी करने संबंधी नियम बड़ोदा राज्य जैसे रखे जायं।

४. सिवा इसके कि किसान बेअीमानी करके लगान अदा न करे, अन्य किसी कारणसे दरबार अुसकी जमीन छीन नहीं सकेंगे।

५. कब्जेदारकी हैसियतसे किसानके तमाम हक, जैसे कि बिक्री करने, गिरवी रखने, दान करने, अत्तराधिकारमें देने आदिके हक दरबार मान्य रखें।

६. अिनामी जमीन संबंधी किसानके मौजूदा हकोंको दरबार स्थायी बना दें।

७. खेतीकी जमीन पर जो पेड़ हों उनका मालिक किसान माना जाय और अन्हें काटने व बेचनेकी असे स्वतंत्रता हो।

८. किसी किसानसे बेगार न कराओ जाय।

९. लगानकी व्यवस्था-संबंधी मामलोंमें माणसा किसान पंचायतकी चुनी हुओी कमेटीकी सलाह पर दरबार पूरा ध्यान दें।

१०. दरबार सब कैदियोंको छोड़ दें। जिन पर मुकदमें चल रहे हों उन परसे बे वापस ले लिये जायं। वसूल न हुओे जुर्माने माफ कर दिये जायं। तमाम दमनकारी हुकम वापस ले लिये जायं।

११. माणसा किसान समिति मत्याग्रहका आन्दोलन बन्द कर दे और हर प्रकारका बहिष्कार वापस ले ले।

१२. अिस करारमें जो तय हुआ है अुसके अनुसार किसान तीन सप्ताहके भीतर लगान चुका दें।

जुलाओी १९३८ में कांग्रेस कार्यसमितिने अिस बारेमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“अपने आर्थिक और राजनैतिक हकोंके लिअे माणसा, वला, रामदुर्ग, जमखंडी और मीरज राज्योंकी प्रजाओंने बहादुरीभरी और अहिंसक लड़ावियां लड़कर अुनमें विजय प्राप्त की है, अिसके लिअे कांग्रेस कार्यसमिति अुन्हें बधाओी देती है।”

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाइयां - २

राजकोट सत्याग्रह

१

संधि

अब हम राजकोट सत्याग्रह पर आये। राजकोटका राज्य यों तो काठियावाड़के दूसरे राज्योंसे छोटा था। परंतु काठियावाड़की अजेंसीका केन्द्र होनेके कारण राजकोट शहर और राज्यका महत्त्व काठियावाड़में अधिक था। गांधीजीके पिता कबा गांधी किसी समय राजकोटमें दीवान थे। राजकोटके भूतपूर्व ठाकुर लाखाजीराज गांधीजीको पितातुल्य मानते थे। और मौका मिलने पर गांधीजीको राजकोट बुलाकर उनका बड़ा सम्मान करते थे। दरबारमें गांधीजीको सिंहासन पर बिठाकर खुद उनकी बाओं तरफ बैठते थे। अंक बार तो अन्होंने यों भी कहा था कि सरदार वल्लभभाजी आपके दाहिने हाथ माने जाते हैं तो क्या मैं नहीं हो सकता ? जवाहरलालजी अंक बार राजकोट आये थे तब उनका भी सार्वजनिक सम्मान किया गया था। अिस प्रकार वे निडर, बहादुर और देशप्रेमी राजा थे। वे अजेंसीका कोअी डर नहीं रखते थे। सदा अिसी चिन्तामें रहते थे कि मेरी प्रजा किस तरह सुखी रहे। शासनमें प्रजाको हिस्सा देनेके लिये अन्होंने राजकोटमें अंक प्रजा-प्रतिनिधिसभा स्थापित की थी और अुसकी सलाहके मुताबिक हुकूमत करते थे। परंतु अुनके पुत्र दिये तले अंधेरा जैसे निकले। अुन्हें राजकोटके राजकुमार कॉलेजमें शिक्षा मिली थी। सरदार कहा करते थे कि “अुस कॉलेजमें मनुष्यको पशु बनाया जाता है। जिमे अनेक प्रकारकी शराबोंके नाम और अुनका पीना आता हो, वह वहां होशियार माना जाता है। वहां यही सिखाया जाता है कि रयतसे अलग कैसे रहा जाय।” वहांसे शिक्षा पानेके बाद वे विलायत गये। अिस बारेमें सरदारने कहा है कि “यहां जानवर जैसे बनानेके बाद राजाओंको अिंग्लैण्ड ले जाया जाता है। मैंने तो देखा है कि वहांसे कितने ही राजा गंवार बन कर आते हैं।” यही हाल राजकोटके राजाका हुआ। वे वेश्याओंके नाचगान और शराबमें मस्त रहते थे। अुनके दीवान दरबार वीरावाला थे। राजा अुन्हींकी आंखोंसे देखते और दीवान जैसा नाच नचाते वंसा वे

नाचते थे। पिता जो पूंजी छोड़ गये थे असे और राज्यकी आयसे जमा हुयी रकमको अन्होंने भोगविलासमें बुड़ा दिया। देखते देखते खजाना खाली हो गया।

हम आगे देखेंगे कि राजकोटकी लड़ाईमें गांधीजीको भी भाग लेना पड़ा था। अतना ही नहीं, राजासे वचन-पालन करानेके लिये अन्हें अप-वास करना पड़ा था। अउसके कारण छोटासा राजकोट केवल हिन्दुस्तानमें ही नहीं, परंतु सारी दुनियामें मशहूर हो गया था।

राज्य छोटा और, जैसा अपूर कहा जा चुका है, खर्च अंधाधुंध था। असिलिये दीवानने आय बढ़ानेके लिये अलटे मार्ग अपनाने शुरू किये। शहरमें दिया-सलाही, शक्कर, बर्फ, सिनेमा वगैराके ठेके दिये जाने लगे। धानमंडी जैसे मकान बेचे जाने लगे। शहरका बिजलीघर गिरवी रखनेकी बात चली। 'कार्निवाल' नामक भोगविलास और खेलकूदकी अेक संस्थाको राजकोटमें निर्मात्रित किया गया। असे जुआ खेलनेका ठेका देकर असेसे रुपया कमानेका रास्ता निकाला गया। किसानोंकी खेती तरह-तरहके करोंके कारण बरबाद हो गयी। शहरका व्यापार-धंधा भारी जकातके कारण चौपट हो गया। भोगविलास पर अनाप-शनाप धन खर्च हुआ। अस प्रकार सारे राज्यमें अंधेर मच गया। अतनेमें ही अेक छोटासा तूफान आ गया, जिससे अस जगप्रसिद्ध लड़ाईकी शुरुआत हुयी। राजकोटमें राज्यके स्वामित्वकी अेक कपड़ेकी मिल थी। असेमें मजदूरोंसे चौदह घंटे काम लिया जाता था। यह हालत बर्दाश्त न होनेसे मजदूरोंने अपना संगठन किया। दरबार वीरावालाने हुक्म दिया कि मजदूरोंको सीधा करो, फसादियोंको निर्वासित कर दो, ढीलेढालोंको दबा दो और बाकीको समझा दो। पंद्रह मजदूर नेताओंको निर्वासित कर दिया गया। नेताओंके निर्वासित होने पर मजदूरोंने हड़ताल कर दी। दरबार वीरावालाने समय पहचान लिया। निर्वासनकी आज्ञाअें अन्होंने रद्द कराहीं और बीस दिनमें मजदूरोंके साथ समझौता कर लिया। यह निपट जानेके बाद गोकुल-अष्टमीका मेला आया। अस मेलेमें राजकोटमें जुआ खेला जाता है। अस जुअेके विरुद्ध पहलेसे ही बातावरण तैयार करनेके लिये अेजेंसीकी हृदमें ता० १५-८-'३८ को अेक आमसभा की गयी। दरबार वीरावालाने अेजेंसीके पुलिस अफसरोंको पहलेसे साधकर अैसी तरकीब की कि सभा पर अेजेंसीकी पुलिस लाठी चलाये और बहासे भागकर लोग जब राज्यकी सीमामें प्रवेश करें तो अुन भागते हुअे लोगोंको राज्यकी पुलिस फिर लाठियोंसे मारनेको तैयार रहे। राजकोटके नेता श्री डेबरभाजीके कानोंमें अस बातकी भनक पड़ी। प्रजाका अेजेंसीके साथ कोअी झगड़ा नहीं था। परंतु जैसे राज्यके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये अेजेंसीकी

हृदमें कभी बार सभाओं की जाती थीं, वैसे ही यह सभा भी रखी गयी थी। असलिये वे अजेंसीके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री जोशीसे मिले। उनसे कहा कि हमारा झगड़ा अजेंसीके साथ नहीं है। परंतु सभाकी घोषणा हो चुकी है, असलिये लोग तो अकट्टे होंगे ही। अगर आप सभाबन्दीका हुक्म दें तो हम बिना झगड़ा किये शांतिपूर्वक सारी सभाको लेकर राज्यकी हृदमें चले जायेंगे। यह अन्तजाम करके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरके साथ ही वे सभामें आये। परंतु पुलिस अफसरके सभाबन्दीकी आज्ञा सुनानेसे पहले ही पुलिसने अपनी पहलेकी व्यवस्थाके अनुसार अकदम सभा पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। उस अफसरने सीटी बजाकर पुलिसको रोका और मंच परसे लोगोंसे माफी मांगी। फिर श्री डेबरभाजी वहांसे सारी सभाको राजकोट शहरकी हृदमें ले गये। अजेंसीके मुख्य पुलिस अफसरके लोगोंसे माफी मांगनेकी बात जाहिर हो जानेसे रास्तेमें तो पूर्व योजनानुसार राज्यकी पुलिसने लोगोंको नहीं मारा, परंतु सभा हुआ असलिये मजिस्ट्रेटके सभाको गैरकानूनी घोषित करनेसे पहले ही पुलिस अकदम सभा पर टूट पड़ी। डेबरभाजी वगैरा नेताओं पर भी मार पड़ी। और वहींसे डेबरभाजी तथा कुछ अन्य नेताओंको गिरफ्तार कर लिया गया। अिस क्रूर लाठीप्रहारसे और नेताओंकी गिरफ्तारीसे शहरमें हाहाकार मच गया और सख्त हड़ताल हुआ। जिस चौकमें लाठीप्रहार हुआ था अुसीमें रोज रातको सभाओं होने लगीं। बादमें वहां लाठीप्रहार नहीं हुआ, परंतु भाषण देनेवालोंकी धरपकड़ होने लगी। लोगोंका जोश तो दबता ही जा रहा था, असलिये दरबार वीरावालाने चाल बदली। पांच दिन बाद गोकुल-अष्टमीके दिन ही डेबरभाजी वगैरा नेताओंको जेलसे छोड़ दिया। वे सीधे मेलेमें पहुंचे। जुअे-वाले तो पहले ही रफूचककर हो गये थे। अिस प्रकार प्रजाकी जीत हुआ।

सरदारको डेबरभाजीके छूटनेके समाचार मिलते ही ता० २२-८-३८ को अुन्होंने कराची जाते हुए गाड़ी परसे अुन्हें निम्न लिखित सन्देश भेजा :

“छूटने पर आपको बधाजी देता हूं। राजकोट राज्यको कोअी अच्छे सलाहकार मिल गये, जिससे राज्यकी कन्न खुदते खुदते रुक गयी है। फिलहाल तो राजकोट पर छाये हुए विपत्तिके बादल बिखर गये हैं। आप सबके छूट जानेसे आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। असली जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है। राज्यमें चल रही अंधा-धुंधीसे घबरायी हुआ प्रजाने आपके प्रति जो प्रेम दिखाया, वह अुसने आप पर जो आशायें बांधी हैं अुनका प्रतिबिम्ब है। हमारा धर्म

है कि अुसकी अुचित आशाओंको पूरा करनेके लिये मर मिटनेका निश्चय करके हम भविष्यके कार्यकी रूपरेखा तैयार करें।

“श्री लाखाजीराजके स्वर्गवासके बाद राजकोटमें राजा-प्रजाका संबंध बदल गया है। राज्य प्रजाके लिये जिये, अिसके बजाय प्रजा राज्यके लिये किसी न किसी तरह जी रही है। राज्य प्रजाकी छाती पर चढ़ बैठा है। गरीब प्रजाकी रोजमर्राकी मामूली जरूरतोंकी चीजोंके ठेके देकर, प्रजाको भूखों मारकर, भोगविलासको पोषित करनेके लिये प्रजाको लूटनेके नये नये रास्ते खोले गये हैं। जुआ रोकने जैसी निर्दोष प्रवृत्तिको भी राज्य बरदाश्त नहीं कर सकता। अन्तमें जनताके सर्वमान्य हकों पर हमला करके आमसभा पर बिना चेतावनी दिये लाठीप्रहार किया और आपको व आपके साथियोंको जेलमें बन्द करनेकी धृष्टता की। आपको और राजकोटकी प्रजाको कड़ी कसीटी पर कसनेका प्रयोग किया। कुअेंके मँढकाकी तरह राजकोटके कोनेमें छिपे हुअे सत्ताधारी यह नहीं देख सकते कि संसारमें क्या हो रहा है, आजका भारतवर्ष किस मार्ग पर और किस गतिसे आगे बढ़ रहा है और आजकी दुनियामें अुनका स्थान कहाँ है।

“अिन परिस्थितियोंमें राज्यको अुसका असली स्थान बताना चाहिये और अैसी योजना बनाकर, जिससे प्रजाके प्राथमिक अधिकारों पर दुबारा हमला न हो और प्रजाके लिये ही शासन हो, अुसके लिये प्रजाकी सम्मति प्राप्त करके अुसके पक्षमें राजकोटका लोकबल अेकत्रित करनेके खातिर तात्कालिक कार्रवाअी करनी चाहिये। अिसके लिये भौका मिलते ही जल्दीसे जल्दी अेकाध सप्ताहमें राजकोट राज्यकी समस्त प्रजाकी अेक सभा की जाय और अुस सभाके सामने निश्चित योजना पेश करके मंजूर होने पर अुसे अमलमें लानेका कार्यक्रम सोचनेकी व्यवस्था की जाय।

“में कराची जा रहा हूं। वहांसे लौटने पर आमसभा होगी तो अुसमें अुपस्थित रहनेकी आशा रखता हूं।”

अुपरोक्त सन्देश मिलनेके बाद ५ सितम्बरको राजकोट राज्यकी प्रजा-परिषद् करनेका निश्चय किया गया। गांव गांव परिषद्के समाचार भेज दिये गये। दरबार बीरावालाने अुसके विशद चालें चलनी शुरू कीं। सनातनियोंसे, मुसलमानोंसे, जागीरदारोंसे और अन्तमें किसानोंसे भी गांधीजी और सरदारको तार दिलवाये कि हमारे राज्यमें शांति है और परिषद् करनेकी

कोजी जरूरत नहीं है। सरदारको दूसरे तारों पर तो आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु गांवके किसानोंके नामसे दिया गया तार देखकर अन्हें अचंभा हुआ। अन्होंने तार देकर डेबरभाजीसे पुछवाया कि यह सब क्या है? डेबरभाजीने बताया कि यह सारा प्रपंच है। तार पर हस्ताक्षर करनेवालोंमें से भी बहुतसे बदल गये हैं और कहते हैं कि हमें गलत बातें समझाकर हमारे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं। अन्तमें निश्चित की हुयी तारीख पर परिषद् हुयी और सरदार अुसमें अुपस्थित हुअे। परिषद्में सर्वसम्मतिसे दायित्वपूर्ण शासनका प्रस्ताव पास हुआ। दायित्वपूर्ण शासनके बारेमें समझाते हुअे सरदारने कहा :

“आप जानते हैं कि हरिपुरा कांग्रेसने देशीराज्योंको अपने पैरों पर खड़े होनेका आदेश दिया है। स्वावलंबी बनना सीखनेका सिद्धान्त सर्वविदित है। जैसे पड़ोसीके मरनेसे हम स्वर्गमें नहीं जा सकते, वैसी ही बात स्वतंत्रताकी है। अगर हमें स्वतंत्रता चाहिये तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये।

“अेक समय अैसा भी था जब हमारी मांगें हलकी थीं। आज हमारी ताकत बढ़ गयी है अिसलिये हम ठोस मांगें कर रहे हैं। आजकी सभा तो यही बतानेके लिये की गयी है कि आपको दायित्वपूर्ण शासन चाहिये। हम राजाको पदच्युत नहीं करना चाहते। हम अुसके अधिकाओं पर मर्यादा लगाना चाहते हैं। हलकी किस्मके नाटक और खेल-तमाशों पर, गानेवालयोंके नखरों पर और वेश्याओंके नाच पर राजा यदि अनाप-शानाप खर्च करे और किसान भूखों मरें तो अुसका राज्य टिकेगा नहीं। अिसलिये प्रजा राजाके खर्च पर मर्यादा लगानेकी मांग करे, तो अिसमें कोजी आश्चर्य नहीं। मैं तो यहां यह जांच करने आया हूं कि प्रजा सचमुच क्या चाहती है? मैंने देख लिया कि प्रजा शासनतंत्रमें परिवर्तन चाहती है। प्रजा शासनकी जिम्मेदारी संभालनेके लायक नहीं, यह कौन कहता है? जो कहता हो वह अपने दिलसे पूछे कि अुसकी अपनी योग्यता कितनी है? पहले ब्रिटिश भारतमें भी यही कहा जाता था कि जनता तैयार नहीं है। परंतु जनताने सिर फुड़वाये और अब सिर फुड़वानेवाले ही मंत्री बन कर बैठे हैं। राजकोटकी प्रजा यह आशा न रखे कि कांग्रेसके बलसे अुसे सत्ता मिल जायगी। अिसके लिये तो अुसीको त्याग करनेको तैयार रहना पड़ेगा। आपका निश्चय होगा तो आपकी प्रगतिको कोजी रोक नहीं सकेगा। सब राजा मिल जायेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकेंगे।”

दरबार वीरावालाने असी दिन सरदारको चायके लिये अपने बंगले पर बुलाया। दोनोंकी अच्छी तरह बातें हुईं। मुलाकातके बाद सरदारने दरबार वीरावालालाको पत्र लिखा। अउसमें कहा :

“मेरे आनेसे राजा-प्रजाके बीच जो तनाव बढ़ रहा था वह कम हो गया, अिससे मुझे खुशी हुई है। आपके मनमें भी यह डर था कि मेरे राजकोट आनेसे लोग अितने भड़क अुठेंगे कि हिंसा फूट पड़ेगी। परंतु आपने देख लिया कि अैसा कुछ नहीं हुआ। लोगोंके अुत्साहसे आपको विश्वास हो गया होगा कि अैसे बलोंको अच्छी तरह अंकुशमें न रखा जाय तो वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और अुसके परिणाम राजा-प्रजा दोनोंके लिये खतरनाक साबित होते हैं। परंतु राजा-प्रजा दोनोंके बीच शांति स्थापित करने और सद्भाव बढ़ानेके मेरे प्रयत्नोंकी आप कदर करते हैं, यह जानकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। लोगोंमें राज्यके विरुद्ध जो असंतोष फैला हुआ है, अुसके मूल कारण हूँकर राज्यको क्या क्या करना चाहिये, अिसके बारेमें आपने मेरे सुझाव मांगे थे सो भेज रहा हूं।

“राज्यके मित्रके नाते मेरी सलाह यह है कि निम्न परिवर्तन राज्यको अविलम्ब करने चाहिये :

१. राज्य तुरंत अेक घोषणापत्र प्रकाशित करके लोगोंको बताये कि ठाकुरसाहबका अिरादा अपने राज्यमें दायित्वपूर्ण शासन स्थापित करनेका है। फिर ठाकुरसाहब राज्य तथा प्रजा दोनोंके माने अुसे प्रतिनिधियोंकी अेक कमेटी नियुक्त करे। अंतिम कदमके रूपमें वह कमेटी जल्दीसे जल्दी दायित्वपूर्ण शासनकी ओर ले जानेवाले सुधारोंकी योजना बना दे।

२. राज्यमें दायित्वपूर्ण शासन जारी करनेके अिरादेके बारेमें लोगोंको विश्वास हो जाय और मौजूदा अविश्वास मिट जाय, अिसके लिये नीचे लिखे कार्य तुरंत किये जाय :

(क) प्रजा-प्रतिनिधि-सभाका चुनाव फौरन घोषित किया जाय।

(ख) राज्यकी आयके अेक खास अनुपातमें दरबार (राजा)के खर्चकी रकम तय कर दी जाय और अुसकी अधिकसे अधिक रकम घोषित कर दी जाय।

(ग) किसानों पर लगानका भार बहुत भारी है, जिस-
लिये वर्तमान दरोंमें १५ फी सदी कमी कर दी जाय।

(घ) मौजूदा तमाम ठेके रद्द कर दिये जायं।

“अपरोक्त मुझावके बारेमें आपके हुजूर सेक्रेटरी श्री तलकसीभाभी तथा राज्यके प्रमुख कार्यकर्ताओंसे मैंने चर्चा कर ली है। राज्यके कुछ और मित्रोंसे भी, जो स्वतंत्र विचार रखते हैं और तटस्थ हैं, मैंने बात कर ली है। मैं आपको अितना न बता दूँ तो अपने कर्तव्यसे चूकूंगा कि ये मांगें कमसे कम हैं। राज्य अिन्हें सद्भावपूर्वक स्वीकार नहीं करेगा तो बहुत तीव्र लड़ाईके बाद तो उसे ये मांगें माननी ही पड़ेंगी। यह लड़ाई होगी तो राज्य अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेगा, राज्यकी आयको बहुत हानि पहुंचेगी और राजा-प्रजाके बीचके अच्छे संबंध हमेशाके लिये टूट जायेंगे।

“अिसलिये मैं आशा रखता हूँ कि आप यह चीज ठाकुर-साहबके सामने रखेंगे और अुन्हें अिन सुझावोंको अविलम्ब अमलमें लानेके लिये समझायेंगे।”

अेक तरफ दरवार वीरावाला सरदारके साथ अपरोक्त संघिवातार्तिअें कर रहे थे और दूसरी ओर अेक नया ही प्रपंच रच रहे थे। ता० २५-८-'३८ को अुन्होंने ठाकुरसाहबसे रेजीडेण्ट मि० गिब्सनके नाम यह पत्र लिखवाया था :

“मेरे दीवान वीरावालाका स्वास्थ्य सालभरसे अच्छा नहीं रहता और कुछ असंतुष्ट लोगोंने अपने स्वार्थ-साधनके लिये राज्यमें झूठा आन्दोलन खड़ा कर दिया है। यहां अेजेंसीका केन्द्र होनेके कारण आन्दोलनके लिये अुन्होंने मेरा राज्य चुना है। अैसे समय यहां होशियार और अनुभवी अंप्रेज दीवान हों तो वे अिस आन्दोलनको दबा सकेंगे। मेरे ध्यानमें सर पैट्रिक केडल आते हैं। वे अिस समय निवृत्त होकर विलायत गये हुअे हैं। परंतु अुन्हें २५०० रु० मासिक वेतन देकर शुरूमें छः महीनेके लिये और जरूरत पड़ने पर अेक वर्षके लिये रख लेनेको मैं तैयार हूँ। मैंने अुन्हें तार देकर पुछवा लिया है और अुन्होंने आनेमें खुशी दिखायी है। अिसलिये आप अुनकी नियुक्तिकी मंजूरी दीजिये और वाअिसरायँ महोदयकी मंजूरी भी दिलवा दीजिये। आगामी मासकी ५ तारीखको कांग्रेसके लोग राजकोटमें सभा करनेवाले हैं। अुससे पहले मंजूरी आ जाय तो अच्छा हो।”

सर पैंट्रिक केडलको बुलवानेकी मंजूरी ३० अगस्तको आ गयी। परंतु ५ सितम्बरसे पहले केडल साहब राजकोट नहीं पहुंच सके। अन्होंने १२ सितम्बरको आकर दीवानका काम संभाल लिया। दरबार वीरावाला ठाकुर-साहबके खानगी सलाहकार बने। पीछे रहकर मुर्गियां लड़ानेका काम तो अन्होंने जारी ही रखा।

ये नये दीवान ब्रिटिश भारतमें नौकरी करनेके बाद विलायत जानेसे पहले कभी वर्ष तक जूनागढ़के दीवान रहे थे। राजकोट आये तब बहतर वर्षके बूढ़े खुराट थे। दरबार वीरावालाने अन्हें रैयत पर धाक जमानेको बुलाया था। परंतु दमन करनेमें वे वीरावाला चाहें अुस गतिसे चलनेवाले नहीं थे। थोड़े दिन तो अन्होंने परिस्थितिका निरीक्षण करनेमें लगाये। बादमें डेवर-भाभीके साथ सुलहकी थोड़ी बहुत बातचीत की, परंतु अुसका कोअी नतीजा नहीं निकला। और लोग तो राज्यके जुल्मसे घबरा ही रहे थे। अन्हें समझानेके लिये २८ सितम्बरको केडल साहबने सरकारी गजटमें अेक घोषणा प्रकाशित की, परंतु अुससे लोगोंको संतोष नहीं हुआ। असिलिये परिषद्में निश्चित की हुअी मीयाद पूरी होने पर ठेकेवाली दियासलाअीकी पेटिका सार्वजनिक नीलाम करके श्री डेवरभाअीने सत्याग्रहका मंगलाचरण किया। अन्हें पंद्रह दिनकी सजा दी गयी। राज्यकी तरफसे सभाओं और जुलूसोंके बारेमें हुक्म जारी किये गये। ठेकों और अिन आज्ञाओंका अुल्लंघन करके लोग जेलें भरने लगे। आन्दोलन गांवोंमें भी जा पहुंचा। १ अक्तूबरको राजकोटसे कोअी वीस मील दूर हलेण्डा गांवमें कूच करके लोगोंने गांवोंको जगाया। केडल साहब मानते थे कि शहरके आन्दोलनको तो देर-सबेर दबाया जा सकेगा, परंतु गांवोंके किसान जाग अुठेंगे तो राज्यको मुश्किल होगी। असके लिये अन्होंने साम, दाम, दंड, भेदके सारे अुपाय आजमानेका विचार किया। वे देहातमें दौरा करने लगे और लोगोंको समझाने लगे कि अिन आन्दोलन-कारियोंकी बात माननेके बजाय तुम्हारे जो दुःख हों सो मुझे सीधी अर्जी देकर बताओगे तो मैं अन्हें दूर कर दूंगा।

१ अक्तूबरको अन्होंने ठाकुरसाहबके नाम अेक पत्र लिखा। अुससे कल्पना होती है कि अुस समय ठाकुरसाहबकी और राज्यकी कैसी दुर्दशा थी। केडल साहबने ठाकुरसाहबको लिखा :

“कल रातको आठ बजेके पहले मैंने आपसे राज्यके बड़े जरूरी कामसे मिलना चाहा। अुससे अधिक देर मुझे अनुकूल नहीं थी। फिर भी आपने साढ़े आठका समय दिया। अुस समय मैं आया तब मुझे कहा गया कि बापू स्नान कर रहे हैं। नौ बजे तक मैंने प्रतीक्षा की, तब

मुझे कहा गया कि अभी करीब आधा घंटा और लगेगा। जिसलिये मैं चला गया। मैंने जैसे भारी असम्य व्यवहारकी आशा नहीं रखी थी। मैं अंग्लैण्डसे आपकी मदद करने यहां आया हूं। परंतु आपके ढंग तो और ही देख रहा हूं। यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकेगी। राज्यमें बड़ा अंधेर मचा हुआ है। राज्यके विरुद्ध जो शिकायतें हैं वे आपके अपने आचरणके कारण ही हैं। राज्यकी आयका बहुत बड़ा भाग तो आप जैसे कामोंमें खर्च कर डालते हैं जो राजाको शोभा नहीं देते। राज्यके शासनमें आप कोअी भाग नहीं लेते। प्रजाकी भलाजीका भी कोअी विचार नहीं करते। आपके पिताजी जिस ढंगसे शासन करते थे उससे आपका बरताव अितना भिन्न है कि किसीकी भी नजरमें आये बिना नहीं रहता। आप कुछ भी काम नहीं करते। दमनकारी अुपायोंके अपयशका समस्त भार आपके अफसरोंको अुठाना पड़े यह अुचित नहीं। आपको रोज आकर दरबारमें बैठना चाहिये और लोगोंकी अर्जियां सुननी चाहिये। आज त्यौहारका दिन (माताजीकी अष्टमी) है। जिसलिये शामको साढ़े पांच बजे आपको शहरमें सैर करने निकलना चाहिये। आपकी अिच्छा होगी तो मैं भी साथ चलूंगा।”

ठाकुरसाहबको तो यह पत्र पढ़नेकी फुर्त नहीं रही होगी, परंतु दरबार वीरावालाने २ तारीखको असका अुत्तर लिखवाया :

“मौजूदा आन्दोलन तो कांग्रेसवालोंने देशीराज्योंमें जिम्मेदार हुकूमत मिलनी चाहिये, अैसी जो हवा चला दी है असका परिणाम है। परंतु आपने मुझे जिस किस्मका खत लिखा है अुसे देखते हुअे हमारा मेल लंबे समय तक नहीं रह सकता। आपको मेरे सम्मानकी रक्षा करते हुअे मेरी नीतिको अमलमें लानेके लिये यहां रहना है।”

बेचारे केडलने ठाकुरसाहबके अनुकूल बननेका भरसक प्रयत्न किया। परंतु दरबार वीरावालाने मालूम हो गया कि केडलको लानेसे कोअी लाभ नहीं हुआ। जिसलिये १६ अक्टूबरको अन्होंने ठाकुरसाहबसे रेजीडेण्ट मि० गिब्सनके नाम पत्र लिखवाया। अस पत्रमें नेताओं तथा कार्यकर्ताओंके लिये हलके शब्द काममें लिये गये और यह बतानेकी कोशिश की गयी कि रैयत पूरी तरह अुनके साथ नहीं है। फिर भी राज्यकी स्थिति और राज्यमें चल रहे आन्दोलनकी जैसी कल्पना अुससे होती है वंसी और किसी विवरणसे शायद ही हो सकती है। जिसलिये वह पत्र ही नीचे दिया जाता है :

“मेरे राज्यमें दुर्भाग्यवश जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, वह आपको बताते हुअे मुझे बड़ा दुःख होता है। आप जानते हैं कि पहले छिड़े हुअे आन्दोलनके कारण डेबर सहित ३५ आदमियोंको पकड़कर जेलमें बन्द किया गया था। सप्तमी और अष्टमीके त्यौहारोंके तीन दिन पहले मजिस्ट्रेटके हुक्मसे पुलिसने हलका लाठीप्रहार किया था, जिसके कारण लोगोंने हड़ताल कर दी थी। फिर भी सप्तमी और अष्टमी (शीतला सप्तमी और गोकुल-अष्टमी) के दिन सदाकी भांति मैंने अपनी सवारी निकाली थी। उस समय लोग बड़ी शांति और सम्यतासे पेश आये थे। गोकुल-अष्टमीके दिन सबेरे कुछ लोग मेरे पास आये और मुझसे प्रार्थना की कि मुझे दया करके कैदियोंको छोड़ देना चाहिये और सभाबन्दीकी आज्ञाओं रद्द कर देनी चाहिये। उनकी प्रार्थनाको मानकर मैंने तदनुसार आज्ञाओं दे दीं, यह आप जानते हैं।

“थोड़े दिन बाद शहरमें प्रजा-परिषद् हुयी। उसमें सात-आठ हजार आदमी अिकट्ठे हुअे थे। परंतु आधेसे अधिक तो छोटे छोटे बच्चे थे। कोअी अेक हजार मनुष्य सिविल स्टेशनके थे और बाकी शहरके थे। उस परिषद्में वल्लभभाअीके आने पर भी प्रतिष्ठित मनुष्य बहुत थोड़े थे। वल्लभभाअीके भड़कानेसे लोग ज्यादा भड़के और आन्दोलनने अधिक जोर पकड़ा। असलिये मैंने सर पैट्रिक केडलको लानेका विचार किया, अस आशासे कि वे जल्दीसे जल्दी आन्दोलनको दबा सकेंगे और राज्यमें अमन-चैन कायम करेंगे। अन्हें लानेमें आपने भी मेरी मदद की। वे ११ सितम्बरको यहां आये और १२ सितम्बरसे दीवानका काम अन्होंने संभाल लिया। मेरा खयाल यह है कि आन्दोलन उस वक्त काफी काबूमें आ गया था। मैंने सोचा था कि उसे निर्मूल कर डालनेके लिये वे समय रहते कार्रवाअी करेंगे। परंतु परिस्थितिसे परिचित होनेके लिये अन्होंने समय मांगा। उनकी वृत्ति तुरंत कोअी कदम अठानेकी मालूम नहीं हुयी और ज्यों ज्यों दिन बीतते गये त्यों त्यों परिस्थिति अधिक कठिन और काबूसे बाहर होती गयी। दियासलाअीके ठेकेका खुले तौर पर और राज्यको चुनौती देकर भंग किया गया। मुझे लगा कि कुछ न कुछ करना चाहिये। परंतु लोगोंके नेता डेबरके साथ दीवान केडलने बड़ी ढिलाअीसे काम लिया। यहां तक कि उसके घृष्टतापूर्वक किये गये कानून-भंगके लिये उसे केवल पंद्रह दिनकी सादी कैदकी सजा दी गयी। मुझे आपको बताना चाहिये कि डेबरको तत्काल पकड़नेके बजाय दूसरे दिन पकड़ा गया था।

और आन्दोलनकारी देहातमें पहुंचकर वहां अधूम न मचा सकें, जिसके लिये कोअी अचित्त और सख्त अुपाय किये ही नहीं गये। जिस कारण वे अधिकांश गांवोंके किसानोंके दिलोंमें जहर भर सके। परिणाम-स्वरूप वे राज्य-कर्मचारियोंके सामने अुद्धत बन गये और राज्यके विरुद्ध लड़ने तथा अुसे यथाशक्ति हानि पहुंचानेको कटिबद्ध हो गये। राज्यके बैंक, बिजलीघर तथा अन्य विभागों पर हमला करनेसे भी वे नहीं चूके। आन्दोलनके जिस हृद तक पहुंचनेसे पहले मजबूत हाथोंसे काम लेना जरूरी था। परंतु सर पैट्रिकने कुछ भी नहीं किया। जिसी कारण जो रैयत पहले वफादार थी वह आज राज्यके विरुद्ध हो गयी है और खुले आम बेवफा होनेके नारे लगाने लगी है। निषेधाज्ञाओंके अभावमें राज्यमें सभाओं तो रोजमर्राकी चीज हो गयी हैं। आन्दोलनका जोर बहुत ही बढ़ गया, तो मैंने राज्यके अफसरोंको जमा किया और लोगोंको कुछ राहत देनेका निश्चय किया। राहत देना मंजूर करते समय मैंने सर पैट्रिकको खास तौर पर बता दिया था कि मैं अपनी रैयतको ये रियायतें देनेके विरुद्ध नहीं हूं, परंतु मैं डेबरको छोड़नेके मतका नहीं हूं। क्योंकि अुसे छोड़ देंगे तो वह अधिक तूफान मचावेगा। और आजसे ज्यादा विशाल पैमाने पर और अधिक गंभीर प्रकारका आन्दोलन करनेके लिये हिदायतें लेने वल्लभभाभी पटेलके पास दौड़ जायगा। परंतु सर पैट्रिक मुझसे सहमत नहीं हुआ। अुनका काम सरल कर देनेके लिये मैंने अनिच्छापूर्वक अुनकी नीतिका समर्थन किया। दशहरेके दिन (३ अक्तूबरको) क्या हुआ, यह आपने सुना होगा। अुस दिन राज्यकी जो फजीहत हुयी अुसकी कल्पना करना भी कठिन है। सर पैट्रिकने अुसे अपनी आंखों देखा है। डेबरको ११ अक्तूबरकी रातको छोड़ दिया गया। अुसका स्वागत करनेके लिये दस हजार आदमियोंकी बड़ी सभा हुयी। अैसा प्रदर्शन हुआ जिससे मालूम होता था कि राज्यका रैयत पर कोअी काबू ही नहीं रहा। जिस प्रकार मुक्त डेबर राज्यके लिये अधिक हानिकारक साबित हुआ। वह तमाम व्यापारियोंसे मिला और अुसने अैसा अिन्तजाम किया जिससे जकातकी सारी आमदनी बन्द हो जाय। अुसने अैसी व्यवस्था की है कि राज्यका अनाज (किसानोंसे हिस्सेमें मिला हुआ) कोअी आदमी न खरीदे और राज्यकी मिलका कपड़ा कोअी आदमी न तो खरीदे और न बेचे। व्यापारियोंकी दुकानोंमें राज्यकी मिलके कपड़े पर अुसने मुहर लगवा दी है और लोगोंसे अैसा अिकरार करा लिया है जिससे राज्यकी आयके समस्त

साधन बन्द हो जायं। १ नवंबरसे राज्यकी मिल भी बन्द करनी पड़ेगी।

“आपको मालूम हुआ होगा कि लोग अितने अधिक अुद्धत और बेकाबू हो गये हैं कि जिसकी कोअी हद नहीं रही। वे खुले रूपमें राज्यके प्रति बेवफाअी और अप्रीतिके नारे लगाते हैं। यदि सर पैट्रिकने समय रहते कारंवाअी की होती और बढ़ते हुअे आन्दोलनको दबा दिया होता तथा विषैली सभाओंको बन्द कर दिया होता, तो ये सब बातें रोकी जा सकती थीं या बहुत कम हो सकती थीं। अब तो अैसी स्थिति पैदा हो गअी है कि राजकोटके राज्य और अुसके ठाकुरकी मानो कोअी हस्ती ही नहीं रही। मेरे राज्यको और मेरी रैयतको अितने अधिक दुःख अुठाने पड़े हैं, और आज भी अुठाने पड़ रहे हैं कि अुन्हें देखकर मेरे जैगा अफसोस और किसीको नहीं होगा। यदि यह स्थिति बनी रहने दी जायगी तो राज्य और प्रजाको कितना कष्ट महन करना पड़ेगा, यह कहा नहीं जा सकता।

“मेने ही सर पैट्रिकको बुलाया है और अुन्हें दीवान बनाया है। परंतु दुर्भाग्यसे वे आन्दोलनको दबा देनेमें असफल रहे हैं। आन्दोलन तो प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है और अधिक जोर पकड़ता जा रहा है। वह प्रतिदिन राजा-प्रजाके हितोंको हानि पहुंचाता जा रहा है। राजाकी हैसियतसे मेरी प्रतिष्ठा और मेरा गौरव कुछ भी नहीं रहा।

“अिन परिस्थितियोंमें मुझे दो ही रास्ते नजर आ रहे हैं। अेक तो यह कि मैं सब कुछ देखता रहूं, राज्यकी आयके साधन बन्द हो जाने दूं तथा राज्यकी बर्बादी होने दूं; या दीवालीसे पहले यह घरका झगड़ा निबटा दूं और प्रजाकी अुचित मांगें पूरी करके लोगोंको खुश और शांत कर लूं।

“व्यक्तिशः दूसरा मार्ग मुझे अधिक हितकर लगता है। मुझे वही मार्ग स्वीकार करना चाहिये। मुझसे राज्यका पामाल होना देखा नहीं जा सकता। असलिअे लोगों और राज्यके भलेके लिअे यह झगड़ा जितना जल्दी निबट जाय अुतना अच्छा। लोगोंकी अुचित मांगें स्वीकार करके मैं अपने लोगोंसे निबटारा कर लूंगा। सर पैट्रिकने मेरी नीति पर अमल नहीं किया, असलिअे अुन्हें दीवानपद छोड़ देना चाहिये। हम जितने जल्दी अलग हो जायं अुतना ही अच्छा है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे बीच मेल बैठना असंभव है। अन्होंने मेरे आचरणकी निन्दा की है और मुझे यहां तक धमकी दी है कि उसके गंभीर परिणाम होंगे। यह सब अन्होंने मुझे १ अक्तूबरको लिखे हुअे अपने पत्रमें बताया है।

“मैं जानता था कि मेरे लोग इस बात पर घोर आपत्ति करेंगे कि ढाजी हजार रुपये मासिकका भारी वेतन देकर मैं गोरा दीवान लाऊं। मैं यह भी जानता था कि मेरा यह काम मेरे दूसरे मित्र राजाओंको पसन्द नहीं आयेगा। अितने पर भी मैं सर पैट्रिकको इसी आशासे लाया था कि मौजूदा कठिन परिस्थितिमें वे मुझे अुपयोगी साबित होंगे। परंतु आप मुझे यह कहनेके लिये क्षमा करेंगे कि मेरी धारणा विलकुल गलत निकली। और इसलिये अुनका जल्दी यहांसे चला जाना जरूरी है। अैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिके लिये मुझे दुःख हो रहा है। परंतु मैं विवश हूं। मैं आशा रखता हूं कि मुझे अितनी जल्दी सर पैट्रिककी सेवाअें छोड़नी पड़ रही है अिसका आप अनर्थ नहीं करेंगे। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मैं अुन्हें छः महीनेका वेतन देनेको तैयार हूं। मैंने सर पैट्रिकको जो पत्र लिखा है अुसकी नकल साथमें है।

“आप जानते हैं कि मेरे पुराने दीवान दरबार वीरावालाकी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं रहती, अिसलिये मैंने अपनी देखरेखमें काम करनेके लिये अेक कौंसिल नियुक्त करनेका विचार किया है।”

अुसी दिन ठाकुरसाहबने दीवान सर पैट्रिकको पत्र लिखा जिसमें बताया :

“मेरे लोगोंका खयाल है और अुन्हें यह बताया गया है कि आपको यहां सरकारने भेजा है। अिससे लोगोंमें मेरी जो अिज्जत थी वह जाती रही। और, दीवालीकी छुट्टियां नजदीक आ रही हैं। अुससे पहले तमाम ठेके दे देने चाहिये। परंतु लोगोंने बहिष्कार कर दिया है। लोगोंने तो राज्यके अनाजकी बिक्रीका भी बहिष्कार कर दिया है। अिसका अर्थ यह होता है कि राज्यकी आर्थिक बर्बादी होने जा रही है और राज्य पर भारी आपत्ति आ पड़ी है। राजाके नाते मुझे राज्य और प्रजा दोनोंका भला सोचकर राज्यको किसी भी कीमत पर अिस आफतसे बचा लेना चाहिये। अिसके लिये मेरा फर्ज है कि प्रथम तो मैं अेक सच्चे और प्रजा-हितचिन्तक राजाके रूपमें अपना स्थान लोगोंमें बनाऊं। मैं अैसा कर सकूं तभी लोगोंको मुझ

पर भरोसा होगा और अणुके साथ मैं समझौता कर सकूंगा तथा अणुका प्रेम और विश्वास संपादन कर सकूंगा। आपके १ अक्टूबरके पत्रसे जान पड़ता है कि आप राज्यमें होनेवाले झगड़ोंका मूल कारण मुझीको मानते हैं। आपके अिस आक्षेपसे मैंने अनिकार किया है। परंतु मैं देखता हूँ कि अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमानकी रक्षा करते हुअे मैं आपके साथ लंबे समय तक निभ नहीं सकूंगा। असलिये यह सोचनेका काम आप पर छोड़ना हूँ कि आप यहांसे किस तरह जायं। मैं यह देखनेको बहुत ही अुत्सुक हूँ कि जैसे मित्रके रूपमें आप आये वैसे मित्रके रूपमें ही आप विदा हों। आपको छः मासकी अवधिके लिये नौकरी पर रखा गया था। असलिये राज्यके खजानेके अफसरको मैं सूचना दे रहा हूँ कि आपका वेतन तदनुसार चुका दे। रेव्हेन्यू सेक्रेटरीको भी सूचना दे रहा हूँ कि वह जल्दीसे जल्दी आपसे चार्ज ले ले।”

अपुरोक्त पत्र मिलते ही दूसरे दिन रेजीडेंट मि० गिब्सनने ठाकुरसाहबको मिलने बुलाया और कहा कि आप जो कदम अुठाना चाहते हैं अुससे राज्यको और आपको नुकसान होगा। परन्तु ठाकुरसाहबने रेजीडेंटकी बात नहीं मानी। असलिये अुसने सम्राट्के प्रतिनिधि वाअिसरायँ महोदयके पोलिटिकल सेक्रेटरीको ठाकुरसाहबका पत्र भेज दिया। २२ अक्टूबरको, जैसा कि खयाल था, जवाब आया कि राज्य और ठाकुरसाहबके हितके खातिर ठाकुरसाहब अपना विचार बदल दें। रेजीडेंटने ठाकुरसाहबको यह समाचार दिया तो वे ढीले पड़ गये। केडलको दीवानके रूपमें कायम रखना अुन्होंने मंजूर कर लिया। और अणुके मातहत अपने दो अफसर नामजद करके तीन आदमियोंकी कौंसिल बनाना स्वीकार किया।

मि० गिब्सनने सोचा कि अकेले ठाकुरसाहबका तो अैसी कोअी कार्रवाअी करनेका साहस नहीं हो सकता। यह सब दरबार वीरावालाकी करतूत होनी चाहिये। असलिये अुन्होंने दरबार वीरावालाको पत्र लिखकर राजकोट छोड़कर चले जानेकी सलाह दी। दरबार वीरावालाने २० अक्टूबरको रेजीडेंटको पत्र लिखा कि वे राजकोट छोड़कर जा रहे हैं। गिब्सनने वीरावालाको लिखा :

“आपने राजकोट छोड़नेका विचार कर लिया यह बहुत समझ-दारीका काम है। आपके स्वास्थ्यको देखते हुअे आपको स्थान-परिवर्तन करने और पूरा आराम लेनेकी जरूरत है।”

अितनी स्पष्ट चेतावनी मिलने पर भी २९ अक्टूबर तक दरबार वीरावालाने राजकोट नहीं छोड़ा। असलिये मि० गिब्सनने अुन्हें बहुत

धमका कर पत्र लिखा। तब कहीं अन्तमें दरबार वीरावाला राजकोटसे विदा हुआ।

जब केडलको निकालनेका विचार हो रहा था, अुसी बीच १५ अक्टूबरको श्री डेबरभाभी अपनी १५ दिनकी सजा पूरी करके जेलसे छूटे। केडलका विचार किसी भी तरह श्री डेबरभाभीको समझाकर राजमहल पर हो रहे पिर्कोटिगको बन्द करानेका था। अिसके लिये श्री डेबरभाभीसे रूबरू मिल कर और पत्रव्यवहार करके अुन्होंने खूब प्रयत्न किया। अन्तमें २९ अक्टूबरको श्री डेबरभाभीने केडलको लिख दिया कि हमे सिर्फ अितना ही चाहिये कि सार्वजनिक नीलाम या खानगी बातचीत द्वारा राज्यको ठेके देनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये। जब जब राज्यकी तरफसे अिस प्रकारका वचन मुझे मिला है, तब तब आप स्वीकार करेंगे कि मैंने राजमहलसे धरना हटा लेनेमें विलंब नहीं किया है। अब भी आप मुझे बता दें कि आपके खानगी पत्रमें जो कुछ लिखा गया है वह अधिकारकी रूसे दिये गये वचनके बराबर है तो धरना हटा लेनेमें मुझे आपत्ति नहीं है। अिसका अुत्तर दूसरे दिन केडलकी ओरसे यह मिला कि आपको पूरी तरह सूचना दिये बिना निजी बातचीत अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा ठेके देनेका प्रयत्न नहीं किया जायगा। अिस पर राज्यके दफ्तरों और महल परसे धरना अुठा लिया गया। केडलकी श्री डेबरभाभीके साथ ये संघिवातार्तार्त अुन दिनों हुअी थी जब अुनका रहना तय नहीं हुआ था। परन्तु २९ अक्टूबरको ठाकुरसाहबने केडल और अन्य दो अधिकारियोंकी कौंसिल बनानेकी घोषणा की। अुसके वाद केडलने सख्तीसे काम लेना शुरू कर दिया। दूसरी ओर दरबार वीरावालाको जाना पड़ा, अिससे लोगोंमें भी अुत्साह फैला और केडलसे निबटनेको वे कटिबद्ध हो गये। गांवोंमें भी सभाएं होने लगीं और जुलूस निकलने लगे और राज्यके बहिष्कारके नारे लगने लगे। केडलकी नीति यह थी कि शहरसे तो निबट लेंगे परन्तु लड़ाजीकी हवा गांवोंमें न फैलने दी जाय। अुन्होंने आदेश दे दिये कि अैसी सभाओं और जुलूसोंको लाठीप्रहार द्वारा बिखेर दिया जाय और परिषद्के कोअी स्वयंसेवक गांवोंमें आयें तो अुन्हें मारपीट कर निकाल दिया जाय। थानेदार मोटर लेकर गांव-गांव घूमने लगा और राजकोटसे आनेवाली सूचनाओंका अच्छी तरह अमल करनेकी गांवोंके चौकीदारों और पुलिसको ताकीद करने लगा। अिस असेमें अेक निर्दोष किसानकी हत्या हो गअी। हत्यारेका पता नहीं चला। प्रजाको शंका हुअी कि अिस खूनमें राजाके नौकरोंका हाथ है। राजकोटके नेताओं और स्वयंसेवकोंने अिस शहीद हुअे किसानका राजकोटसे अुसके गांव तक भारी

जुलूस निकाला। जिस हत्याका समाचार जानकर गांववाले अबल बुढ़े और राज्यकी धिक्कारने लगे। गांवोंमें भी अलग-अलग महालोंके किसानोंके सम्मेलन होने लगे और आन्दोलन अधिकाधिक जोर पकड़ने लगा। अन्तमें ९ नवम्बरको श्री डेबरभाजीको फिर पकड़ लिया गया। जिस दिन वे पकड़े गये उस दिन सारे राजकोटकी प्रजामें अतना अतसाह फैला कि लोग टोलियां बना-बनाकर राज्यके विरुद्ध नारे लगाने लगे। रोज जहां सभा होती थी वहां सभा हुआ। सभाके नेता पकड़े जाते और लोगोंको बिखेर दिया जाता। जिसके लिये ११ बार लाठीचार्ज करना पड़ा। यों कह सकते हैं कि उस दिन राजकोटमें दिन भर लाठीचार्ज हुआ। ११ नवम्बरको काठियावाड़ प्रजा-मंडलके तन्वावधानमें बम्बयीमें अक सभा हुआ, जिसमें भाषण देते हुए सरदारने कहा :

“कल सुबेरे राजकोटके समाचार पढ़ कर मैं नाच उठा। कल सुबहसे मैं तो रसके घूंट पी रहा हूं। राजकोटमें जो कुछ हुआ उससे मुझे लगा कि सचमुच लड़ाईका आरंभ अब हुआ है। सत्ताको पचानेका पूरी तरह मूल्य नहीं चुकाया जाय, तब तक सत्ता मिल भी जाय तो वह गंवा दी जा सकती है। राजकोटकी प्रजा आज थोड़ासा लेकर प्रसन्न हो जाय तो राजकोटके किसानोंने जो आशाओं लगा रखी हैं वे कैसे पूरी होंगी ?

“जेलमें मौतकी सजा पाये हुए कैदियोंको फांसी लगानेके लिये कैदियोंमें से ही कुछको जल्लाद चुना जाता है। फांसी लगानेके लिये अन्हें कोअी चार पांच रुपये मिलते हैं और कुछ दिनकी सजा माफ हो जाती है। मालूम होता है ठीक अैसे ही कुछ आदमी राजकोट राज्यने रख लिये हैं। बारह घंटेमें अन्होंने राजकोटकी प्रजाकी पीठ पर ग्यारह ग्यारह बार लाठियां बरसायीं। बहुतसी बहनोंके सिर फूट गये। अनेक मनुष्य बेहोश हो गये, अनेक घायल हो गये और खूनके पव्वारे अुड़े। राजकोटके अस राक्षसी राज्यका प्रजाने सामना किया। असमें राजकोटकी प्रजा न तो हारी और न डरी। असलिये असे बधायी देनेके लिये आप अितनी बड़ी सभामें अिकट्ठे अुअे हैं।

“राजकोटमें अक भी मनुष्य राज्यके पक्षमें नहीं है। कितने दिन लाठियां मारेंगे ? अक दिन, दो दिन। तीसरे दिन तो राक्षसोंके हाथ टूट ही जायेंगे। लाठी मारनेवालेको कोअी जवाबमें पत्थर मारे, लाठी मारे या गाली दे तो असके भीतरका राक्षस भड़कता है।

परन्तु सामना किये बिना मार सहन करे तो अुसमें भी अीश्वरीय भाव पैदा होता है। यही सत्याग्रहका रहस्य है।

“राजकोटके अिन सितमों द्वारा केवल राजकोटकी ही नहीं, परन्तु सारे काठियावाड़की समस्या शीघ्रतासे हल हो रही है। राजकोटके प्रजाजनों पर पड़ी हुअी लाटियां राजकोटके सिंहासन पर ही पड़ी हैं। अेक दिन अैसा आयेगा जब राजकोटका राजा झुकेगा और आंसू बहायेगा। अुस दिन राजकोटकी वहनों पर जिसने लाटियां चलाअी होंगी वह तो अपना रास्ता नाप चुका होगा। जब प्रजाके पास सत्ता आयेगी तब अुसे राजकोटकी सीमामें घुसनेका भी अधिकार नहीं रहेगा। केडलने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया था, अुसका अर्थ में स्पष्ट करता हूं। अुसने कहा था कि ‘अेक सज्जन सहमत नहीं थे’। वे सज्जन तो जेलमें बैठे हैं, क्योंकि वही सब कुछ थे और शेष सब शून्य थे। ‘बाहरसे सूत्र संचालन करनेवाला’ अर्थात् मैं। परन्तु मैं अुसे कहता हूं कि मेरे बिना राजकोटकी गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी। मैं बता दूंगा कि क्या क्या करना है। बाहरका मैं नहीं हूं, परन्तु वह है जो पांच हजार मील दूरसे आया है। अुसे अन्तमें जाना ही होगा। राजकोटका अर्थ क्या? राजकोटमें तो लाखाजीराजने राज्य किया है और कवा गांधीने दीवानपद सुशो-भित किया है। अुस राजकोटसे अेआबरू होकर अुसे घर जाना पड़ेगा। बालिश्तभर राजकोट सारे भारतको हिला देगा और ठाकुरके होश ठिकाने ला देगा। भारतके राजा सावधान हो जायं। वे अूपरी सत्ताके बल पर कूद रहे हों तो जान लें कि वह अूपरी सत्ता अिसमें दखल देगी तो अुसे भी लेनेके देने पड़ जायंगे।

“राजकोटकी प्रजाको मेरी अेक ही सलाह है कि राज्यके अेक भी अधिकारीके साथ, राजाके किसी भी नौकरके साथ या खुद राजाके साथ भी किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखे। राजमहलमें दावे पैश हों या राज्यके साथ और कोअी सम्बन्ध हो तो वह सब अभी छोड़ दे। राजकोटसे ग्रहणको निकालकर और स्नान करके जब हम राजकोटमें प्रवेश करेंगे, तब निश्चिन्ततासे ये सब मामले निबटा लेंगे। खुद राजकोटके ठाकुर केडलको लेकर गांवकी गलियोंमें मोटरमें घूमने निकलें या सवारी निकालें तो भी अुन्हें देखने न जाना। घरके द्वार दन्द करके बैठे रहना। राजकोटकी प्रजाके पास यह अेक ही महामंत्र है। राजमहल पर घरना देना पड़े, अिसमें

राजकोटकी प्रजाकी शोभा नहीं। काठियावाड़ियोंसे मेरा अकानुरोध है कि अभी अन्यत्र कहीं भी ध्यान न लगाना। पहले राजकोटकी समस्या हल हो जाने दीजिये। बादमें आपकी गुत्थियां अधिक आसानीसे सुलझ जायंगी। अिस संग्रामका निर्णय तो तभी होगा जब हमारी सारी मांगें पूरी हो जायंगी।

“राजकोट काठियावाड़का केन्द्र है। काठियावाड़का सत्त्व राजकोटमें है। वह काठियावाड़की नाक है। राजकोटके संग्राममें काठियावाड़की अिज्जतका सवाल है। आठ करोड़की गुलामीके बन्धन तोड़नेकी लड़ाी वहीं लड़ी जा रही है।”

अिसके बाद ता० २१-११-'३८ को अहमदाबादमें अेक सार्वजनिक सभा हुआ, जिसमें भाषण देते हुआ सरदार साहबने कहा :

“आप सब आज मुझसे राजकोटकी लड़ाीका अितिहास सुननेके लिये अिकट्ठे हुआ हैं। मैं बहुत वर्षोंसे काठियावाड़की समस्या हल करनेका प्रयत्न कर रहा था और कभी बार मैंने निराशा भी अनुभव की थी। क्योंकि यह नहीं सूझता था कि कहां पैर रखा जाय। मेरी यह अेक आदत हो गयी है कि अेक बार जहां पैर रख दिया वहांसे अुसे पीछे नहीं हटाता। जहां पैर रखकर वापस लौटना पड़ता हो वहां पैर रखनेकी मेरी आदत नहीं। वैसे राजकोट तो वह राज्य है जहां कबा गांधीने दीवानगिरी की है, जिनके पुत्रने दुनियाभरमें भारतको प्रसिद्ध कर दिया है। अुन्होंने हमें स्वाभिमानका पाठ पढ़ाया है। अुस काठियावाड़का ऋण किस प्रकार चुकाया जा सकता है, अिसका विचार करते हुआ मैंने अनेक रातें जागकर काटी हैं। अन्तमें अीश्वरकी दया हुआ है। अीश्वरने वह ऋण चुकानेका रास्ता दिखा दिया है। काठियावाड़ राजनैतिक परिषद्के मंत्री श्री डेबरभाजीने ‘जन्मभूमि’ में पांच लेख लिखे और मुझे भेजकर लिखा कि रास्ता बताअिये। मैंने अुनसे कहा कि अब लेख लिखनेसे काम नहीं बनेगा। आपने प्रजाकी नाड़ीपरीक्षा कर ली है। वैसे मैं अेजेंसीको प्रार्थनापत्र देनेमें विश्वास नहीं रखता। आज राजा-प्रजा दोनों बैठे बैठे सर्वोपरि सत्ताके मुंहकी ओर ताक रहे हैं। परन्तु सच्ची सर्वोपरि सत्ता कोअी अूपरकी सरकार नहीं। असली सर्वोपरि सत्ता तो आपकी प्रजा है। आप और कोअी आशा रखते हों तो आपका सारा हिसाब गलत निकलेगा। अिन राज्योंकी लड़ाअियोंका फैसला अेक ही तरहसे हो सकता है। राजाओंको प्रजा

मांगे वैसा शासन देना ही पड़ेगा। राज्य कैसा हो और किस प्रकार किया जाय तथा कानून कैसे बनाये जाय और कैसे न बनाये जाय, यह देखनेका काम केडलका या गिब्सनका नहीं; असा करनेका अन्हें अधिकार ही नहीं है। राज्य कैसे किया जाय, अिसके लिअे तो राजकोटकी प्रजाको पूछना होगा। प्रजाके जो प्रतिनिधि आज जेलमें पड़े हैं अन्हें पूछना होगा। अिस समय राजकोटमें नया गोरा दीवान लाया गया है। वह हमारे देशमें बहुत समय तक रह चुका है। आया तभीमे अुसने आर्डीनेंस निकालने शुरू कर दिये हैं। और लोगोंने अुन्हें तोड़ना आरंभ कर दिया है। नया दीवान कहता है कि हम प्रजाको शासनमें अधिक हिस्सा देनेको तैयार हैं। परन्तु हम अिस गंदगीमें हिस्सा क्यों लें? हमें तो जमीन साफ करनी है। अिस आगको अिम हद तक तेज करके दिखाना है कि अुसमें यह गंदगी जल जाय। यह नया दीवान कहता है कि राजकोटकी लड़ाकी डोर में हिला रहा हूं। मैं कहता हूं कि तुम कितना ही जोर लगा लो तो भी मेरे बिना तुम्हारी गुत्थी नहीं सुलझेगी। यह कोअी बच्चोंका खेल नहीं। यदि अपनी कठोर दमन नीति पर आशाअें लगाओगे, प्रजामें फूट डालनेकी अुम्मीद रखोगे, तो बहुत्तर वर्षकी पक्की अुम्नमें सारी अिज्जत मिट्टीमें मिलाकर धर जाओगे। तुमने अिस देशमें बड़ी राजनीतिज्ञता दिखायी है। मैं कोअी राजनीतिज्ञ नहीं। मैं तो अेक किसान हूं। मेरे पास तो नकारका अेकमात्र अुपाय है। किसी दीवानकी ताकत नहीं कि प्रजाकी मरजीके विरुद्ध कुछ कर सके।”

ढेबरभाअीके पकड़े जानेके बाद सरदारने अपनी पुत्री मणिबहनको ११ नवम्बरको राजकोट भेजा। अुन्होंने गांव गांव घूमकर किसानोंको खूब हिम्मत दिलायी और अुनमें लड़ाकीका जोश कायम रखा। अुनका तेज राज्यसे सहा न जा सका, अिसलिअे ५ दिसम्बरको अुन्हें गिरफ्तार कर लिया। अुनकी गिरफ्तारीके समाचार प्रकाशित होते ही अहमदाबादसे श्री मृदुलाबहन साराभाअी राजकोट जानेको तैयार हो गयीं। अुनकी माता श्री सरलादेवी राजकोटकी हैं, अिस नाते अुनका यह दावा था कि राजकोटकी लड़ाकीमें भाग लेनेका अुन्हें अधिकार है। परन्तु राज्यने अुन्हें स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया।

लड़ाकीका जोर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अिसलिअे काठियावाड़के दूसरे राजाअों और दीवानोंको यह लग रहा था कि समझौता हो जाय तो

अच्छा। भावनगरके दीवान श्री अनंतराय पट्टणीके मनमें यह यश कमानेका विचार आया। अन्होंने दरबार वीरावालाको राजकोट बुलाया और अुनके साथ वे ठाकुरसाहबसे मिले। परन्तु रेजीडेण्ट मि० गिब्सन तो यह चाहते थे कि दरबार वीरावालाको राजकोटमें पैर ही नहीं रखना चाहिये। असलिये ता० २५-११-'३८ को अन्होंने दरबार वीरावालाको पत्र लिखकर सूचित किया कि मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आप राजकोट आये हुये हैं। श्री अनंतराय पट्टणीको आपसे मिलना था तो आपको भावनगर बुलाना था। या अन्हें आपसे मिलने नटवरनगर (दरबार वीरावालाका वतन) जाना चाहिये था। मैंने आपको सलाह दी है फिर भी आप राजकोट क्यों आये? परन्तु वीरावाला राजकोट आनेके बाद यह कहकर कि अुनकी तबीयत सफर करने योग्य नहीं है, राजकोटमें ठहर गये। असलिये गिब्सनने अुनसे कहा कि आप ठाकुरसाहबसे हर-गिज न मिलें। फिर भी वीरावाला राजमहलमें गये, यह खबर लगते ही पोलिटिकल अेजेंट मि० डेवीने अुन्हें ता० २९-११-'३८ को लिखा कि राजकोटमें किसीसे न मिलनेका वचन देकर भी आप राजमहलमें गये, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं आशा रखता हूं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो गये होंगे और कल नटवरनगरका सफर करनेमें आपको कोअी दिक्कत नहीं होगी।

अिन बातोंका अुल्लेख सिर्फ यह दिव्यानेके लिये किया गया है कि वीरावालाकी रेजीडेंसीके कर्मचारियोंके सामने क्या स्थिति थी। वैसे, ठाकुरसाहब वीरावालासे पूछे बिना कुछ कर नहीं सकते थे। दरबार वीरावाला भी अुत्सुक थे कि समझौता हो जाय और वे मानते थे कि समझौता करना हो तो सरदारके साथ ही हो सकता है। असलिये श्री अनंतराय पट्टणी और दरबार वीरावाला ठाकुरसाहबसे मिले। ठाकुरसाहबकी अिच्छा किसी भी तरहसे समझौता करनेकी मालूम हुई, असलिये श्री अनंतराय गांधीजीसे मिलने बर्धा गये। समझौता किस ढंग पर हो तो प्रजाको सन्तोष हो सकता है, अिसका मसौदा गांधीजीने बना दिया। अुसे लेकर श्री अनंतराय अहमदाबादमें सरदारसे मिले। और बादमें राजकोट जाकर ठाकुरसाहब और दीवान सर पैट्रिक केडलसे मिले। ठाकुरसाहबको वह मसौदा मंजूर था। अिस पर यह तय हुआ कि केडल सरदारसे बम्बयीमें मिलें। तदनुसार श्री अनंतरायने २९ नवम्बरके दिन सरदारके साथ बम्बयीमें केडलकी मुलाकातकी व्यवस्था की और लगभग सब कुछ तय हो गया। परन्तु केडल और रेजीडेंटको पसन्द न था कि अंसा समझौता हो। असलिये ९ दिसम्बरको केडलके हस्ताक्षरसे अेक घोषणा प्रकाशित की गयी, जिसमें १४४वीं धाराका अमल दो मासके लिये और बढ़ा दिया गया। दूसरी घोषणामें कहा गया :

“ठाकुरसाहबने जमीनके लगानमें कमी की है और बहुतसे ठेके रद्द कर दिये हैं। फिर भी आन्दोलन जारी है, यह देखकर हमें अफसोस हो रहा है। राज्यके शासनमें प्रजाको अधिक हिस्सा देनेके लिये भी वे तैयार हैं। और इसके लिये अन्होंने कुछ परिवर्तन करनेका निश्चय किया है। प्रजा-प्रतिनिधि-सभा प्रजा द्वारा चुनी जायगी और राज्यके लोकहितकारी विभाग उस सभाके प्रति जिम्मेदार मंत्रियोंको सौंपे जायंगे। नयी प्रजा-प्रतिनिधि-सभा राजा और प्रजाके हितमें काम करेगी। ठाकुरसाहबने सरकारी और गैरसरकारी सदस्योंकी एक कमेटी भी नियुक्त करना मंजूर किया है। वह कमेटी जमीनके लगानमें इस प्रकार कमी करेगी कि लगान प्रजा पर भाररूप न हो, परन्तु शासनका खर्च चलाने जितना ही हो। रैयत पर करका बोझ ब्रिटिश भारतसे अधिक नहीं रखा जायगा। ठाकुरसाहबको इस बातका अफसोस है कि आन्दोलन जारी रहनेसे प्रजाको नुकसान हो रहा है और व्यापारियोंको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।”

केडलके साथ जिस ढंग पर समझौता करनेकी बात हुयी थी, उसके बजाय राज्यकी तरफसे अपरोक्त आशयकी घोषणा निकली। यह देखकर सरदारको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिये उसके जवाबमें १० दिसम्बरको अन्होंने नीचेका वक्तव्य प्रकाशित किया :

“राजकोटके वर्तमान आन्दोलनके विषयमें राज्यकी ओरसे जो घोषणा प्रकाशित हुयी है, उसे देखकर मुझे दुःखके साथ आश्चर्य हो रहा है। मुझे उसमें विश्वासघात हुआ मालूम होता है। नीचेकी बातोंसे यह चीज स्पष्ट हो जायगी।

“सर पेट्रिक केडल २९ नवम्बरको मुझसे मिले, उससे पहले ठाकुरसाहबकी तरफसे प्रकाशित की जानेवाली घोषणाका यह मसौदा उनके सामने था :

‘अपने प्रति हुअे अन्यायको दूर करनेके लिये लोगोंको सविनय भंगका आश्रय लेना पड़ा है और उस सिलसिलेमें अन्हें कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं, यह देखकर मुझे दुःख होता है। मैंने देख लिया है कि सही या गलत तौर पर मेरे राज्यमें हो रहा आन्दोलन अतना लोकप्रिय बन गया है कि मैं उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता। मैं यह भी देखता हूँ कि इस आन्दोलनने सारे हिन्दुस्तानका और अंग्लैण्डका भी ध्यान आकर्षित

कर लिया है। लोग अपने जिन कामोंको निर्दोष समझते हैं उनके लिये अन्हें जेलमें बन्द करते रहना किसी भी राज्यके लिये लाभप्रद नहीं है। असिलिये मैंने निश्चय किया है कि सार्वजनिक क्षमादान करके सविनय कानून-भंगके सभी कैदी मुक्त कर दिये जायं, उनके जुर्माने माफ कर दिये जायं और तमाम दमनकारी कदम वापस ले लिये जायं।

‘असके सिवा मैं नीचे लिखे लोगोंकी अेक कमेटी नियुक्त करता हूं। मेरे दीवान सर केडल असके अध्यक्षके रूपमें काम करेंगे। यह कमेटी दस सदस्योंकी होगी, जिनमें से सात परिषद्के सदस्य होंगे। उनका चुनाव सरदार वल्लभभाजी करेंगे। दो सदस्य राज्यके अधिकारी होंगे। उनकी नियुक्ति कमेटीके अध्यक्ष करेंगे। यह कमेटी सुधारोंकी अेक योजना तैयार कर देगी। अस योजनामें सम्राटके प्रति मेरे कर्तव्यों और राजाके नाते मेरे विशेष अधिकारोंके साथ सुसंगत हो अस ढंगसे लोगोंको अधिकसे अधिक विशाल सत्ताओं दी जायंगी। मेरी यह अिच्छा है कि मेरा निजी खर्च नरेन्द्रमंडलके निश्चयानुसार राज्यकी आयके दशांश तक मर्यादित कर दिया जाय। मैं अपनी प्रजाको विशेष वचन देना चाहता हूं कि अपरोक्त कमेटी जो योजना पेश करेगी अस पर मैं पूरी तरह अमल करूंगा। अस कमेटीको आवश्यक सबूत लेनेका अधिकार होगा। असे योजना तैयार करके १५-१२-३८ से पहले मेरे सामने पेश करनी है।’

“घोषणाका अपरोक्त मसीदा ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक केडलको मंजूर था। यह साबित करनेके लिये मेरे पास प्रमाण हैं। परन्तु सर पैट्रिक केडलको कुछ शंकाओं थीं जो उनकी लिखी हुयी हैं। वह मूल लेख मेरे पास है। अन्होंने ये मुद्दे खड़े किये थे :

१. घोषणाके प्रास्ताविक भागकी भाषा।

२. कमेटी अपना काम कर रही हो अस बीच आन्दोलन बन्द कर देनेका वचन दिया जाय। अस वचनका लिखित होना जरूरी नहीं।

३. दीवान, जो राज्यका वैतनिक नौकर है, के सिवा कमेटीके अन्य सदस्य राज्यकी रैयतमें से होने चाहिये।

४. कमेटी जो सुधार सुझाये अन्हें ठाकुरसाहबको भी, भले ही औपचारिक रूपमें सही, अनुमति देनी चाहिये।

“हमारी मुलाकात होनेसे पहले सर पैट्रिक केडलके साथ स्पष्ट बात हो गयी थी कि यह मसौदा संपूर्ण रूपमें स्वीकार न हो तो हमारे मिलनेका कोअी अर्थ नहीं। अुनके खड़े किये गये मुद्दोंके बारेमें खुद अुन्हींने कहा था कि अुनके बारेमें मुझे संतोष न हो तो वे अुन्हें छोड़नेको तैयार होंगे।

“परन्तु जब हम मिले तब मैंने देखा कि सारी परिस्थिति बदल गयी है। अस परिवर्तनके कारण मुझे मालूम नहीं। हमारी मुलाकातमें सर पैट्रिकने कहा कि राजाके विशेष अधिकारोंका अर्थ निश्चित होना चाहिये। अुन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समझौतेमें दायित्वपूर्ण शासनकी बात नहीं आनी चाहिये, जब कि सारा मसौदा ही दायित्वपूर्ण शासनको ध्यानमें रखकर बनाया गया था। यह चीज कमेटी पर छोड़ दी गयी थी, मगर सर पैट्रिक केडल तो कमेटीके अधिकार सीमित कर देना चाहते थे। असलिये मेरे किसी दोषके बिना हमारी मुलाकात अधूरी रही। परन्तु पांच घण्टेकी बातचीतके बाद सर पैट्रिक केडलने कहा था कि हम मित्रोंके रूपमें जुदा हो रहे हैं। अब दरबारकी ओरसे जो यह दूसरी घोषणा प्रकाशित हुयी है, अुसे मैं मित्रताका कार्य नहीं मानता। मैं तो रोज यह आशा रखता था कि कोअी अच्छे समाचार सुननेको मिलेंगे और राज्यमें हो रहा दमन, जो अनिवार्य नहीं है, जल्दी समाप्त हो जायगा तथा राजकोटमें अुज्ज्वल भविष्यका अुदय होगा। मैं सर पैट्रिकको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे अपनी दमन नीतिसे लोगोंके जोशको कुचल नहीं सकेंगे। अन्तमें प्रजाकी वात ही रहेगी। वे प्रजाको नहीं पहचानते। आखिर वे विदेशी हैं। अुन्हें अपनी मर्यादाअें समझनी चाहिये। ठाकुरसाहबके बारेमें मेरे पास यह माननेके कारण हैं कि वे अस लड़ाकीका अन्त करनेको आतुर हैं। प्रजाके साथ अुनके सम्बन्धोंको सर केडल कड़वे न बनायें। परन्तु सर पैट्रिक तो सिविल सर्विसके अफसरके नाते अपनेको शासक जातिका प्रतिनिधि मानते हैं। और अस प्रकार ठाकुरसाहबकी अिच्छाओंका वफादारीसे अमल करनेके लिये बंधा हुआ अेक नौकर बननेके बजाय ठाकुरसाहबका अधिकार खुद ही हजम कर लेते हैं।”

अिसका जवाब सर पैट्रिक केडलने अस प्रकार दिया :

“हमारी मुलाकात बिलकुल खानगी रखी गयी थी, असलिये अुसमें हुयी चर्चामें मैं पड़ना नहीं चाहता। परन्तु श्री वल्लभभाभी

पटेलने अेक वक्तव्य प्रकाशित किया है और ठाकुरसाहबकी घोषणाको वे विश्वासघात कहते हैं, असलिये असलियत बताना आवश्यक हो जाता है । मुझसे बिना पूछे और मुझे बताये बिना बाहरके पड़ोसी राज्यके अेक दीवानने समझौता करानेके मित्रतापूर्ण हेतुसे अिस मामलेमें दखल दिया । वे ठाकुरसाहबका पत्र लेकर वर्धा और बम्बजी गये । और अहमदाबादसे समझौतेके लिये अेक मसौदा ले आये । यह मसौदा मुझे नहीं दिया गया था, परन्तु मैंने उसका मजमून कच्चे रूपमें पेंसिलसे नोट कर लिया था । मैंने कुछ अैसे मूद्दे नोट किये थे, जो राजकोट दरवारको स्वीकार नहीं हो सकते थे । बादमें मुझे श्री वल्लभभाजी पटेलसे मिलनेका सुझाव दिया गया । वह मुलाकात मैंने मांगी नहीं थी । परन्तु मुझे बम्बजी तो जाना ही था, असलिये अुस दीवानने टेलीफोन करके श्री वल्लभभाजीके साथ मेरी मुलाकातकी व्यवस्था कर दी ।

“मुझे यह सूचना बिल्कुल नहीं दी गयी थी कि राजकोट दरवार अिस मसौदेको माननेके लिये बंधे हुअे हैं । यह बात भी नहीं हुअी थी कि यदि अुठाये गये मुद्दों पर श्री वल्लभभाजी पटेलको आपत्ति होगी तो मैं अुन्हें छोड़ दूंगा ।

“मैंने तो तुरंत पूछा था कि श्री वल्लभभाजीकी सूचनानुसार कमेटी बना दी जाय तो राजाके अधिकार कितने होंगे ? वह मुलाकात खानगी थी, असलिये श्री वल्लभभाजीने जो शब्द कहे अुन्हें यहां अुद्धृत करना मुझे अच्छा नहीं लगता । फिर भी मुझे अुद्धृत करना पड़ रहा है । अुनके शब्द ये थे कि राजा आयके दस फीसदीका जमींदार बनकर रहेगा । अर्थात् जमींदारके तीर पर अुसे आमदनीका दसवां भाग मिलेगा । और राजाके रूपमें अुसकी अमुक प्रतिष्ठाकी रक्षा की जायगी । अिसके सिवा अुसे कोअी अधिकार नहीं रहेंगे ।

“ठाकुरसाहबने हृपतेभर बाद अपनी प्रजाके लिये जो घोषणा प्रकाशित की है और राज्यमें कुछ सुधार जारी करनेका जो अिरादा जाहिर किया है, अुसमें श्री वल्लभभाजी पटेलके साथ हुअी चर्चाका अुल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि अुसके साथ अिस घोषणाका कोअी संबंध नहीं था । श्री वल्लभभाजी पटेल यह कहते हैं कि मेरे साथ हुअी अुनकी बातचीतके कारण राजाको अपनी प्रजासे कुछ भी कहनेका अधिकार नहीं । लेकिन यह बात मानी नहीं जा सकती ।”

सरदारने सर पैट्रिक केडलको अिस प्रकार अुत्तर दिया :

“मेरे वक्तव्यका सर पैट्रिकने जो जवाब दिया है, वह मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। उसमें दो बातें साफ सामने आती हैं। ठाकुरसाहब द्वारा प्रकाशित की जानेवाली घोषणाका मसौदा अन्होंने देख लिया था, यह वे स्वीकार करते हैं। अन्होंने उसकी नकल नहीं की तो यह उनका दोष था। वे मंजूर करते हैं कि अन्होंने उसमें से कुछ नोट ले लिये थे और यह भी स्वीकार करते हैं कि कुछ मुद्दे भी, जिनकी अन्होंने मुझसे अधिक सफाई कराई थी, अन्होंने अतार लिये थे। उनके जवाबसे मालूम होता है कि उस मसौदेको, जिसे गांधीजीने तैयार किया था और जिसे मैंने मंजूर किया था, स्वीकार कर लेनेके लिये ठाकुरसाहब बंधे हुए थे। असा नहीं होता तो अन्होंने वह मसौदा देखा, उसमें से कुछ नोट लिये और मेरे साथ चर्चा करनेके लिये मुद्दे अतार लिये, जिसका और क्या अर्थ हो सकता है? अितना ही अर्थ हो सकता है कि अन्होंने जो मुद्दे निकाले थे अन्हें छोड़कर बाकी सारा मसौदा अन्हें भी मान्य था। क्या ठाकुरसाहबके शब्दोंका कोअी मूल्य नहीं है? क्या सर पैट्रिक अेक दीवानकी हैसियतसे अपने राजाकी अिच्छाकी अवहेलना कर सकते हैं? यदि राजकोटकी प्रजा यह देखना अपना धर्म समझे कि ठाकुरसाहबके वचनोंका पालन हो तो वे क्या कहेंगे? मेरे लिये यह साबित करना प्रस्तुत नहीं कि जो तीन मुद्दे अन्होंने अुपस्थित किये अन्हें मैं मंजूर न करूं तो अस पर वे समझौता नहीं तोड़ सकते। अन्होंने जो अुत्तर दिया है अुसी परसे मैं तो यह दावा करता हूं कि कथित मुधारोंकी जो घोषणा प्रकाशित की गयी है उसमें ठाकुरसाहबके और सर केडलके अपने वचनोंका भंग होता है।

“सर पैट्रिक केडल कहते हैं कि मैंने असा कहा था कि ठाकुरसाहब दस फी सदीके जमींदार बन जाते हैं। असमें तो ठाकुरसाहबके और मेरे बीच वैमनस्य पैदा करनेके अशोभनीय प्रयत्नके सिवा और कुछ नहीं है। अन्हें याद रखना चाहिये कि ठाकुरसाहबके राजाके नाते विशेषाधिकारोंकी रक्षाकी जिम्मेदारी मैंने ली थी। परंतु वचनभंगके मुद्देकी चर्चामें यह बात महत्त्वकी नहीं कि मैं क्या बोला या नहीं बोला। सर पैट्रिकके जवाबमें जो दूसरी त्रुटियां हैं उनकी बहसमें मैं नहीं पडूंगा। क्योंकि वचनभंगका जो मुद्दा उनके अपने वक्तव्यसे काफी साबित हो जाता है, उस परसे प्रजाका ध्यान हटाकर असे मैं दूसरी बातों पर नहीं ले जाना चाहता।”

जिस समय सरदारकी दीवान सर पैट्रिकके साथ यह चर्चा चल रही थी, तब दरबार वीरावाला बगसरामें रहकर दीवान केडलको अंक तरफ रखकर सरदारके साथ झगड़ेका समझौता करनेकी सिफारिश कर रहे थे। अूनकी तजवीज यह थी कि धांगध्राके राजा साहब मध्यस्थ बनें। धांगध्राके अंक सज्जन श्री दुर्गाप्रसादको लिखे गये पत्रमें सरदारके बारेमें ता० ६-१२-३८ को राजकोटके ठाकुरसाहबने लिखा— He is the only reasonable fellow to come to proper terms and end this impasse. (वही अंक समझदार व्यक्ति हैं, जिनके साथ अुचित समझौता हो सकता है और जो अस झगड़ेको खतम करा सकते हैं।) ये दुर्गाप्रसाद राजकोटके ठाकुरसाहबका पत्र लेकर बम्बयीमें सरदारसे मिले थे। अुसके बाद सरदारने ता० १८-१२-३८ को राजकोटके ठाकुरसाहबको बंबयीसे निम्न पत्र लिखा :

“ श्री राजकोट ठाकुरसाहब,

“ आपका श्री दुर्गाप्रसादभाजीके नाम लिखा पत्र अुन्होंने मुझे बताया। अुनके साथ सारी बातें होनेके बाद यह पत्र लिख रहा हूं। थोड़े दिन पहले श्री अनंतरायभाजी आपका पत्र लेकर महात्माजीके पास वर्धा गये थे। और वहांसे अुनके हाथका पत्र लेकर मेरे पास अहमदाबाद आये थे। केडलने अुस पत्रकी नकल पढ़ी और अुसमें बतायी गयी समझौतेकी शर्तोंके बारेमें विस्तृत चर्चा की। बादमें दोनों आपसे मिले और वे शर्तें आपको पढ़ सुनायीं। केडलने अुनमें कुछ मामूली परिवर्तन करनेका सुझाव दिया और अपने हाथसे वे सुझाव कागज पर लिखकर अनंतरायभाजीको दिये। असके बाद मुझे टेलीफोनसे खबर दी गयी कि ठाकुरसाहब और केडलको वे शर्तें मंजूर हैं। असके आधार पर केडलके सुझाव पर बंबयीमें मुझसे मिलनेकी व्यवस्था की गयी। असके बाद केडल साहब मुझसे मिले। अुस समय अनंतरायभाजी मौजूद थे। अस बार केडल साहब बदल गये और बोले कि ठाकुरसाहबने भी ये शर्तें मंजूर नहीं की हैं। असलिअे समझौता टूट गया। यह जानते हुअे कि ये शर्तें महात्माजीने खुद अपने हाथसे लिखी हैं असलिअे अुनमें कोअी परिवर्तन नहीं हो सकेगा और अुन्हें मान लेनेके बाद अब मुकर जाना केडलको शोभा देता है या नहीं सो तो वह जानें। परंतु आपको तो यह हरगिज शोभा नहीं देता। सार्वजनिक रूपमें वचन-भंगका आरोप लगे और फिर बिना कारण

राज्यकी बदनामी हो और प्रजाको परेशानी भुठानी पड़े, यह अच्छा नहीं।

“जो शर्तें मंजूर की गयी थीं उन पर आप अब भी कायम हों तो मैं आपका पत्र मिलते ही वहां आ जाऊंगा और प्रजाको समझा कर लड़ाईको खतम करा सकूंगा। महात्माजी आपके परिवारके संबंधी हैं। उन्होंने जो सलाह दी है वह आपके हितोंके विरुद्ध ही नहीं सकती। मेरा या किसीका इस लड़ाईमें आपके प्रति व्यक्तिगत रागद्वेष नहीं है। राज्य और प्रजाका भला जितना हम चाहते हैं उतना विदेशी हरगिज नहीं चाहेंगे। लड़ाईका अन्त लाना आपके अधिकारकी बात है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। आप प्रजाको खुश करके उसके साथ समझौता कर लेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। झूठी धमकियोंमें डरनेका कोई कारण नहीं। इसी तरह प्रपंची और स्वार्थी मनुष्योंकी गल्लह मानकर व्यर्थ देर करके तथा राज्यकी बदनामी करके दुःखी न होअिये और प्रजाको व्यर्थ दुःखी न कीजिये। फिर जैसी आपकी अच्छा। श्रीश्वर आपका भला करे।

बल्लभभाजीके वन्देमातरम्”

अपरोक्त पत्र मिलनेके बाद ठाकुरसाहबने सरदारको राजकोट आनेका संदेश भिजवाया। उस पर ता० २५-१२-'३८ का दोपहरमें विमानसे सरदार राजकोट पहुंचे। उन्होंने फौरन ठाकुरसाहबको यह पत्र भिजवाया :

“श्री राजकोट ठाकुरसाहब,

“मैं अभी अभी राजकोट आया हूं। राजकोटकी परिस्थितिसे परिचित हो गया हूं। मेरे और दीवान साहबके बीच हमारी बंबाईकी मुलाकातके संबंधमें जो खुली चर्चा हुई उसे आपने अखबारोंसे जान लिया होगा। यह माननेके सबल कारण हैं कि यह सारी गलतफहमी जानबूझकर कुछ खास हेतुओंसे पैदा की गयी है। और मैं मानता हूं कि इसीलिये समझौता रूक गया है। आपको अंसा लगता हो कि आपसे मिलनेसे यह गलतफहमी दूर हो सकती है तो मैं सच्ची वस्तु-स्थिति समझानेके लिये तैयार हूं।

बल्लभभाजीके वन्देमातरम्”

ठाकुरसाहबने तुरंत इस प्रकार उत्तर लिखा :

अमरसिंहजी सेक्रेटेरियट,
राजकोट राज्य
२५ दिसम्बर, १९३८

“प्रिय सरदार वल्लभभाजी,

“आपका पत्र अभी मिला। उसके लिये धन्यवाद। आज शामको ५ बजे आकर मेरे साथ चाय पियें तो मुझे खुशी होगी।

“अस समय हम वर्तमान प्रश्नों पर मेरी कौंसिलके सदस्योंके सामने चर्चा कर लेंगे।

आपका
धर्मेंद्रसिंह”

अपरोक्त पत्र मिलने पर सरदार ठाकुरसाहबसे मिलने गये। दीवान सर पैट्रिक केडल तथा कौंसिलके दूसरे सदस्य रा० सा० माणकलाल पटेल तथा श्री जोबनपुत्रा भी आ पहुचे। आठ घंटे तक बातें हुईं। उनके परिणामस्वरूप रामझोता हुआ। अस पर रातके पीने दो बजे ठाकुरसाहबने दस्तखत किये। अम ममझोतेका मजमून यों है :

१. पिछले कुछ मामलों हमारी प्रजामें जो लोकभावना जाग्रत हुई है और लोगोंने अपने माने हुअे दुःखोंके जिलाजके लिये जो खेदजनक कण्ट सहन किये हैं, अन्हें देखनेके बाद और कौंसिल तथा श्री वल्लभभाजी पटेलके साथ सारी परिस्थितिकी चर्चा करनेके बाद हमारा विश्वास हो गया है कि मौजूदा आन्दोलन और लोगोंके दुःखका तुरंत अन्त लाना चाहिये।

२. हमने दस सदस्योंकी अेक समिति नियुक्त करनेका निर्णय किया है। ये सदस्य हमारे राज्यके प्रजाजन होंगे। उनमें से तीन राज्यके कर्मचारी होंगे और अन्य सात प्रजाजनोंके नाम बादमें घोषित किय जायेंगे।

३. यह समिति जनवरी १९३९ के अंत तक अुचित जांचके बाद हमारे सामने रिपोर्ट पेश करेगी और सुधारोंकी अैसी योजना बनायेगी, जिससे हमारी प्रजाको अस ढंगसे अधिकसे अधिक सत्ता दी जा सके कि सम्राटके प्रति हमारे कर्तव्यों और राजाके नाते हमारे विशेष अधिकारोंमें बाधा न आये।

४. हमारा निजी खर्च नरेन्द्रमंडलकी कौंसिल द्वारा की गयी सिफारिशके अनुसार रहेगा ।

५. हम अपनी प्रजाको यह भी विश्वास दिला देना चाहते हैं कि अपरोक्त समितिकी तरफसे जिस योजनाकी सिफारिश की जायगी, उसे ध्यानमें रखकर उस पर पूरी तरह अमल करनेका हमारा अिरादा है ।

६. शान्ति और शुभनिष्ठा फिरसे स्थापित करनेकी आवश्यक पूर्वभूमिकाके तौर पर सविनय कानून-भंगके सिलसिलेमें सजा पाये हुअे सब कैदी तुरंत छोड़ देने, तमाम जुर्माना लौटा देने और दमनकी सारी कार्रवायियां वापस ले लेनेकी हम घोषणा करते हैं ।

ता० २६-१२-'३८

धर्मेन्द्रसिंह

नोट :— दूसरे पंरेमें लिखित 'प्रजाजन' की व्याख्या ब्रिटिश भारतमें ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी व्याख्या जैसी ही रहेगी ।

अपरोक्त समझौतेको अुसी दिन दरबारी गजट निकालकर प्रकाशित कर दिया गया । अिसके मिवा ठाकुरसाहबने अेक अलग पत्रमें सरदार वल्लभभाजीको लिख दिया कि :

“यह समझौता हुआ है कि आजकी तारीखकी दरबारी घोषणाकी धारा २ में समितिके जिन सात प्रजाकीय सदस्योंका जिक्र हुआ है, अुनके नामोंकी सिफारिश सरदार वल्लभभाजी पटेल करेंगे और हम अुन्हें नियुक्त करेंगे ।

धर्मेन्द्रसिंह”

ता० २६ को सवेरे सारे राजकोट शहरमें और आसपासके गांवोंमें समझौतेके समाचार बिजलीकी तरह फैल गये । दोपहरको दो बजे तक तमाम सत्याग्रही कैदी भी छूट गये । तीनेक बजे सत्याग्रही कैदियोंका विजय जुलूस निकला । जब जुलूस सभास्थल पर पहुंचा तब वहां लोगोंकी भीड़का पार नहीं था । आसपासके बहुतसे शहरोंसे भी समझौतेके समाचार सुनकर लोग मोटरबसों और रेलगाड़ियों द्वारा आ पहुंचे थे । सरदारने भाषणमें अपना हृदय अुंडेल कर रख दिया :

“आजका प्रसंग राजकोट और काठियावाड़के अितिहासमें अपुवं है । हमें अुसका दायित्व और महत्त्व अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । राजकोटमें आज अैसी क्या वस्तु अुत्पन्न हुअी है कि अितने लोग,

बहनों, विद्यार्थी, किसान, व्यापारी हर्षोन्मत्त हो रहे हैं? वह वस्तु स्वतंत्रता है। बहुत वर्षों तक काठियावाड़ गुलाम रहा है। आज उसे स्वतंत्रताके दर्शन हुए हैं।

“मैं बहुत समयसे अपना ऋण चुकाना चाहता था। राजकोटने, काठियावाड़ने, भारतको अंक असा पुरुष भेंट किया है, जिसने सारे देशकी शकल बदल डाली है, जिसने सैकड़ों बरसोंसे मोये हुअे मुल्कको सत्य और बलिदानका पाठ पढ़ाकर जाग्रत कर दिया है। उस पुरुषका मैं अंक अदना सिपाही हूँ। मुझ पर उसका ऋण चढ़ा हुआ है। आज उस ऋणका थोड़ासा बदला चुकानेका मुझे कुछ संतोष हो रहा है।

“प्रजाने जिस जाग्रति, अपूर्व संगठन, अहिंसा, त्याग और साम्प्रदायिक अंकताका परिचय दिया है, उसका नमूना हिन्दुस्तानके अनेक आन्दोलनोंको भुला देनेवाला है। इसका मुझे गर्व हो रहा है और इसके लिये मैं आप सबको बधायी देता हूँ।

“आज राजकोटके साथ समझौता हो गया है। राजा-प्रजाके ऐसे झगड़ोंमें राजा और प्रजा दोनोंका नुकसान होता है। आज प्रजाकी विजय हुअी है, साथ ही राजाकी भी हुअी है। जब राजाके हृदयमें प्रजाके लिये सहानुभूति और प्रेमकी भावना अल्पन्न हो जाती है तब उसकी भी विजय मानी जाती है। इसलिये मैं राजा-प्रजा दोनोंको बधायी देता हूँ।”

अस समझौतेकी बात देशमें फैली तब देशके कोने कोनेसे सरदारको बधायीके तार मिले। देशभरमें हर्ष छा गया और सरदारकी होशियारी व बहादुरीकी सब बड़ाई करने लगे। परंतु समझौता करके सच्ची शांतिकी नींद तो उस दिन राजकोटके ठाकुरसाहबने ली होगी। ता० २७-१२-३८ को बुर्होने सरदारको आभार माननेवाला पत्र लिखा। उसमें यह स्पष्ट दिखायी देता है कि उन पर दरबार वीरावालाका कितना प्रभाव था :

“राजकोट

२७-१२-३८

“प्रिय वल्लभभायी पटेल,

“आप राजकोट आये, इसके लिये मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ।

“अस झगड़ेको निबटानेमें आपने जिस ढंगसे मेरी मदद की, उसकी मैं बहुत कद्र करता हूँ।

“मेरे खयालसे अब तक आप जान गये होंगे कि दीवान साहब वीराभाजी मेरे और मेरे राज्यके बहुत वफादार हैं। अपने सारे कार्यकालमें अन्होंने मेरी प्रजाका भला करनेकी बहुत कोशिश की है।

“मेरी और मेरे राज्यकी हितरक्षामें अन्हें अनेक कष्ट भी भोगने पड़े हैं।

“अब मेरी आपसे अितनी ही प्रार्थना है कि मेरी प्रजाके दिलमें अुनके बारेमें कोअी गलतफहमी हो तो अुसे आप दूर करा दें। असके लिअे मैं आपका बड़ा आभारी होअूंगा।

आपका
धर्मेन्द्रसिंह”

अिस प्रकार राजकोटकी लड़ाअीका सुखद अंत हुआ दिवाअी दिया। परंतु अैसा समझौता जिममें सरदार यानी काँग्रेसका हाथ अूंवा रहे रेजीडेण्टको पसन्द नहीं आया। गोरे दीवानको तो ठाकुरसाहबने विदा कर दिया। परंतु दरवार वीरावाला, जो सरदारसे समझौता करनेको अुत्सुक थे, रेजीडेण्टकी लाल आंखें देखकर बदल गये और पूरी तरह अुमके हथियार बन गये। अन्होंने राजासे वचन-भंग कराया। राजाके वचनका पालन करानेके लिअे गांधीजीने अुपवास किया। परंतु वह सारी कथा अलग प्रकरणमें दी जायगी।

२

संघिभंग

राजकोट राज्यमें और काठियावाड़में प्रजा जब अिस समझौतेसे विजयका आनंद और अुत्साह मना रही थी, तब काठियावाड़के दूसरे राजाअोंके दिलमें अपनी सत्ता हाथसे निकल जाती देखकर खलबली मच रही थी। रेजीडेण्ट भी चौंक गये थे। अन्होंने ता० २८-१२-३८ को कौंसिलके सदस्योंके साथ ठाकुरसाहबको अपने यहां बुलाया। वहां जो बातचीत हुआ अुसके विवरणके नोट सरदारने अपनी खानगी व्यवस्थासे प्राप्त कर लिये। अिन नोटोंके थोड़ेसे अुद्धरण अंग्रेजी ‘हरिजन’ तथा गुजराती ‘हरिजनबंधु’ में छपे थे। अुनसे रेजीडेण्टका मानस अच्छी तरह प्रगट होता था, अिसलिअे वे नीचे दिये जाते हैं :

अपस्थित : माननीय मि० गिब्सन, माननीय ठाकुरसाहब, कौमिलके सदस्य सर पैट्रिक केडल, रा० सा० माणेकलाल पटेल, श्री जयंतीलाल जोवनपुत्रा ।

माननीय मि० गिब्सनने आरंभ करते हुए माननीय ठाकुरसाहबसे कहा कि उनके किये हुए समझौतेसे सभी राजाओंमें खलबली मच गयी है। वल्लभभाभी पटेल किस तरह राजकोट आये ? मि० गिब्सन जानना चाहते थे कि ठाकुरसाहबने अन्हें निमंत्रण दिया था या नहीं।

ठाकुरसाहब : वे अपनी अच्छामे आये थे और मुझसे मिलनेको कहलवाया था। मैंने अन्हें चायका निमंत्रण दिया था।

मि० गिब्सन : खैर, परंतु वह बिलकुल अविश्वसनीय आदमी है। आप जानते है कि भारत-सरकारकी अच्छा है कि बाहरका कोजी हस्तक्षेप न होने दिया जाय। पटेलके साथ समझौता करके आपने अपने राजाबंधुओं तथा सरकारकी महान्भूति खां दी है। आपको जो अच्छा लगे सो कीजिये, इससे भारत-सरकारको कुछ सरोकार नहीं। परंतु पटेलके साथ समझौता करनेमें आपने भूल की है। कांग्रेसके कार्यकर्ताओंमें भी पटेल सबसे ज्यादा अविश्वसनीय हैं। फिर भी जैसा घोषणासे मालूम होता है, उसके अनुसार समझौतेकी शब्दरचना सिवा 'यथासंभव विशाल सत्ताओं' शब्दोंके अितनी अधिक बुरी नहीं है। अिन शब्दोंका कुछ भी अर्थ हो सकता है। अिनका अर्थ यहां तक भी हो सकता है कि आप नाममात्रके ही राजा रहें। अिन शब्दोंके बल पर वे शुरूसे ही संपूर्ण दायित्वपूर्ण शासनकी मांग करेंगे और आप बड़ी विपम स्थितिमें पड़ जायेंगे।

ठाकुरसाहब : नहीं, मैंने केवल समिति बनायी है।

मि० गिब्सन : हां, परंतु समितिके सदस्य कौन मुकर्रर करेगा ? और अुस समितिकी जो रिपोर्ट आयेगी अुस पर तो आपको अमल करना ही होगा।

ठाकुरसाहब : श्री वल्लभभाभी नाम सुझायेंगे।

मि० गिब्सन : इसका अर्थ यह है कि कांग्रेसके कार्यकर्ता मुकर्रर किये जायेंगे। वे 'यथासंभव विशाल सत्ताओं' शब्दोंकी रूसे संपूर्ण दायित्वपूर्ण शासनकी मांग करेंगे।

सर पैट्रिक : मि० पटेल नाम कैसे सुझायेंगे ? क्या हम अन्हें लिखेंगे ?

ठाकुरसाहब : नहीं, वे नाम भेजेंगे ।

मि० गिब्सन : अंक धारामें आपने रिपोर्टको पूरी तरह अमलमें लाना स्वीकार किया है । जिससे आप अपनी बाजी हार चुके हैं ।

सुधार-समितिके अध्यक्षकी नियुक्तिके संबंधमें मि० गिब्सनने ठाकुरसाहबसे पूछा : समितिका अध्यक्ष कौन होगा ?

ठाकुरसाहब : दरबार वीरावाला ।

मि० गिब्सन : नहीं, वे तो नहीं आ सकते ।

ठाकुरसाहब : क्यों ? वे अपनी छुट्टी पूरी होने पर आ जायेंगे ?

मि० गिब्सन : वे तालुकेदार हैं । वे नहीं आ सकते । मैं उन्हें अब नहीं आने दूंगा ।

ठाकुरसाहब : सर पेट्रिकके जानेके बाद वे आ सकेंगे ।

मि० गिब्सन : देखा जायगा ।

अपरोक्त बातचीत होनेसे पहले मि० गिब्सनको ठाकुरसाहबने लिखकर सूचना दे दी थी :

“अब प्रजाके साथ समझौता हो गया है । और राज्यमें पूरी तरह शांति स्थापित हो गयी है । हजारों प्रजाजनके हस्ताक्षरसे मुझे प्रार्थनापत्र मिला है कि दीवानके तौर पर सर पेट्रिक केडल नहीं रहने चाहिये । जिसलिये आप उन्हें त्यागपत्र देकर चले जानेको कहें तो ठीक हो । मैंने सर पेट्रिकको भी इसी आशयका पत्र लिखा है ।”

असका कोअी परिणाम नहीं निकला तो ३१ दिसम्बरको सर पेट्रिकको फिर पत्र लिखकर पुछवाया कि आप कब अिस्तीफा दे रहे हैं ? रेजीडेण्ट मि० गिब्सन समझ गये कि सर पेट्रिक केडलको अब अधिक समय रखनेमें सार नहीं । जिस समझौतेको रद्द करानेमें दरबार वीरावाला हमें ज्यादा उपयोगी साबित होंगे । जिसलिये अन्होंने केडलको जानेकी सलाह दी ।

वे ७ जनवरीको राजकोट छोड़कर चले गये और फौरन ही दरबार वीरावालाने राजकोट आकर दीवानपद संभाल लिया । सरदारके साथ जब अन्होंने समझौता कराया तब कदाचित् अुसका पालन करनेकी अुनकी अिच्छा होगी । परंतु रेजीडेण्टका रुख देखकर अुनके विचार बदल गये और वे अिसीकी युक्तियां सोचने लगे कि समझौतेका भंग किस प्रकार किया जाय । अैसे दावपेचके कामोंमें तो वे बड़े सिद्धहस्त थे ।

समझौतेकी शर्तोंके अनुसार समितिके सात प्रजाकीय सदस्योंके नाम सरदार देनेवाले थे । जिस बारेमें कार्यकर्ताअैसे परामर्श करके नाम चुनने

और सुझानेमें अन्हें थोड़े दिन लग गये। ता० ४-१-३९ को निम्नलिखित सात नाम सरदारने ठाकुरसाहबको लिख भेजे :

१. श्री पोपटलाल धनजीभात्री मालविया
२. श्री पोपटलाल पुरुषोत्तम अनडा
३. श्री मुल्ला वलीजी अब्दुलअली
४. डॉ० डी० जे० गज्जर
५. श्री जमनादास खुशालचंद गांधी
६. श्री ब्रजलाल मयाशंकर शुक्ल
७. श्री अछरंगराय नवलशंकर डेबर

असका जवाब ता० १२-१-३९ को कौंसिलके सदस्य श्रीमाणकलाल पटेलके हस्ताक्षरसे सरदारको मिला। अुसमें कहा गया :

“आपके सुझाये हुअे नाम ठाकुरसाहबको मिलनेसे पहले अखबारोंमें प्रकाशित हो गये हैं। असलिये ठाकुरसाहब बड़ी विषम स्थितिमें पड़ गये हैं।

“ठाकुरसाहबकी बड़ी अिच्छा है कि आपके सुझाये हुअे नाम वे पसन्द करें। परंतु राज्यके जागीरदारों, मुसलमानों और दलित वर्गकी तरफसे अुन्हे प्रार्थनापत्र मिले हैं कि अस समितिमें अुनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये। अिन प्रार्थनापत्रों पर भी ठाकुरसाहबको ध्यान देना चाहिये। असलिये आपके सूचित किये हुअे सात नामोंमें से नं० १, २, ४ और ५ ठाकुरसाहब पसन्द करते हैं। मुसलमानोंकी मांग यह है कि समितिमें अुनके तीन प्रतिनिधि होने चाहिये। ठाकुरसाहबका खयाल है कि नं० ३ के बजाय मुस्लिम कौंसिलके सुझाये हुअे दो आदमियोंको समितिमें रखा जाय। नं० ६ और ७ के बारेमें ठाकुरसाहबका खयाल है कि वे राज्यके प्रजाजनकी व्याख्यामें नहीं आ सकते। असलिये अुनके बजाय दूसरे कोअी नाम सूचित करने चाहिये। अुनमें जागीरदारों वर्गैराकी मांगको ध्यानमें रख कर आप नाम सुझायेंगे, अुसके बाद ठाकुरसाहब अुन्हे प्रकाशित करेंगे।”

अुपरोक्त पत्र भेज देनेके बाद ठाकुरसाहबकी कौंसिलके अेक सदस्य श्री जयंतिलाल जोबनपुत्रा सरदारसे मिलने १५ तारीखको बारडोली गये। गांधीजी भी अुस समय बारडोलीमें ही थे। असलिये दोनोंने श्री जोबनपुत्रासे खूब बातें कीं। रा० सा० माणेकलालके पत्रके अुत्तरमें निम्नलिखित पत्र सरदारने अुन्हीके साथ भेजा :

“ बारडोली

ता० १५-१-३९

“ भाजी माणकलाल पटेल,

“आपका ता० १२-१-३९ का पत्र मिला। आपके पत्रसे मुझे दुःख हुआ है।

“मेरे दिये हुये नामोंका प्रगट होना तुरा तो हुआ, परंतु बहुतसे आदमियोंके साथ काम पड़ता हो वहां बात हमेशा छिपी नहीं रह सकती।

“और नाम प्रगट हो जाने पर भी सबल कारणोंसे अनुमति तबदीली जरूर हो सकती है।

“जागीरदारों और मुसलमानोंके नामोंके बारेमें आप जो सिफारिश कर रहे हैं उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अगुहें स्वीकार कर लेनेसे नाम देनेके पीछे जो विचारसरणी रही है और जिसे समझा जा सकता है वह खतम हो जाती है। यह कमेटी अंक खास अदृश्य पूरा करनेके लिये बनी है और वह अदृश्य अंक विशेष प्रकारके मत रखनेवाले परंतु प्रामाणिक मनुष्योंसे ही पूरा हो सकता है। मैं अतना विश्वास दिलाता हूं कि जिन सात सदस्योंके नाम मैंने मुझाये हैं वे जागीरदारों और दूनरोंके हित ध्यानमें रखकर ही काम करेंगे। अिससे अधिककी आशा कोभी नहीं रख सकता।

“कुछ सदस्योंके राजकोटके प्रजाजन न होनेका आपने जो अुल्लेख किया है वह दुःखद है। परंतु वैसा करनेका आपको अधिकार है। अगर दुबारा विचार करने पर आप यह निर्णय करें कि श्री डेबरभाजी अुस व्याख्यामें बिलकुल नहीं आ सकते, तो वह नाम मैं वापस लेनेको तैयार हूं। यदि श्री डेबरभाजीका नाम निवाला देनेका आग्रह कायम रहता है तो उनके स्थान पर श्री गजानंद जोशी वकीलका नाम मैं सूचित करता हूं। मेरी यह राय है कि श्री वजुभाजी गुकल तो प्रजाजनकी व्याख्यामें आते हैं।

“ठाकुरसाहबकी घोषणाका यही अर्थ हो सकता है कि अध्यक्ष दस सदस्योंमें से ही चुना जायगा। और यह मुझे कह देना चाहिये कि अध्यक्ष दरबार वीरावाला नहीं हो सकते। अुन्होंने तो मुझे कहलवाया है कि वे स्वयं कोजी पद नहीं लेंगे। परंतु कोजी दुर्घटना न होने पाये, अिसके लिये अितना-सा लिखना मैंने ठीक समझा है।

“मुझे कह देना चाहिये कि कमेटीकी नियुक्तिमें बहुत ढील हुआ है। रिपोर्ट तो ३१ जनवरी तक प्रकाशित करनी ही होगी। अिसलिये मुझे आशा है कि यह पत्र पहुंचते ही तुरंत कमेटी नियुक्त हो जायगी। परंतु यदि वदकिस्मतीसे कमेटी न बनेगी और देर होती ही चली जायगी, तो लोगोंकी तरफसे लड़ाई दुबारा शुरू होनेका डर है। साथ ही मुझे बता देना चाहिये कि ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक केडलके बीच हुआ पत्रव्यवहार और रेजीडेण्टके साथ २८ दिसम्बरको हुआ मुलाकातका विवरण मेरे पास है। यदि समझौता भंग हो जाय तो मुझे लगता है कि प्रजापक्षके हितमें वे कागजात और जो अन्य कागजात मेरे कब्जेमें हैं वे प्रकाशित कर देना मेरा धर्म हो जायगा। परंतु मुझे अुम्मीद है कि ऐसी कोसी बात नहीं करनी पड़ेगी। कमेटीकी नियुक्ति तुरंत हो जायगी और सब काम नियमानुसार होने लगेंगे।

“आपकी तरफसे तार द्वारा जवाबकी आशा रखता हूं।

आपका

वल्लभभाभी पटेल”

गांधीजीने भी ठाकुरसाहबको अुमी दिन अिस प्रकार पत्र भिजवाया :

“माननीय ठाकुरसाहब,

“भाभी जयंतीलालके साथ मैंने खूब बातें की हैं। सरदारने जो पत्र रा० सा० माणंकलालके नाम भेजा है अुमके अनुसार चलनेमें आपके वचनका पालन है और आपका हित है। जो अुदार निर्णय किया है अुम पर डटे रहनेकी आपमें मेरी सिफारिश है।

मोहनदास गांधीके आशीर्वाद”

रा० सा० माणंकलाल पटेलने सरदारको तारसे सूचना दी कि आपके पत्र पर ठाकुरसाहब विचार कर रहे हैं और अपना निर्णय थोड़े समयमें सूचित करेंगे। यह पत्रव्यवहार हो रहा था, अुस बीच राजकोटकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। श्री डेवरभाजीने ता० १८-१-३९ को सरदारको तारसे सूचना दी :

“माणंकलालभाजीका अुत्तर अनिश्चित है और कुशंकाओं पैदा करनेवाला है। राज्य मुसलमानोंका विरोध प्रदर्शित करानेके लिये युक्तियां कर रहा है। अुनकी सभाओं हो रही हैं। यहां स्थिति बड़ी गंभीर है।”

अिस पर सरदारने १९ तारीखको रा० सा० माणकलालको अिस प्रकार तार दिया :

“मुझे अफसोस है कि श्री जोबनपुत्राके मारफत मैंने जो पत्र भेजा था अुसका अंतिम अुत्तर नहीं मिला । अुसमें बताअी गअी शर्तीका अगर २२ तारीखको सुबह १० बजेसे पहले पालन नहीं किया गया, तो अुसमें जिन कागजोंका अुल्लेख किया गया है अुन्हें मुझे मजबूरन् प्रकाशित करना पड़ेगा और राजकोटके लोगोंको लड़ाअी शुरू करनेकी सलाह देनी पड़ेगी ।”

अिस पर रा० सा० माणकलालने ता० २०-१-३९ को तारसे जवाब दिया कि थोड़ासा परिवर्तन करके कमेटीके सदस्योंके नाम हम घोषित कर रहे हैं । तदनुसार ता० २१-१-३९ को दरबारी घोषणा प्रकाशित हुअी । वह अक्षरशः यहां दी जाती है :

“ता० २६-१२-३८ की घोषणामें कहे अनुसार राज्यके शासनम हमारी प्रजाको विशेष रूपमें संयोजित करनेकी गरजसे, अुचित जांच करके सुधार-योजनाकी सिफारिशोंकी रिपोर्ट हमारे पास पेश करनेके लिये राज्यके सभी महत्त्वपूर्ण वर्गोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली नीचे लिखे सात सज्जनोंकी कमेटी राज्यके तीन अफसरोंके साथ मिलकर, जिनके नाम बादमें जाहिर किये जायेंगे, काम करनेके लिये नियुक्त की जाती है :

१. मि० पोपटलाल पुरुषोत्तम अनडा

प्रेसीडेण्ट
प्रजा-प्रतिनिधि-सभा

२. जाड़ेजा जीवनसिंहजी धीरुभा

३. सेठ दादा हाजी वलीमुहम्मद

४. मि० पोपटलाल धनजीभाअी मालविया

५. मि० मोहनलाल अेम० टांक

प्रेसीडेण्ट
म्युनिसिपल कारपोरेशन

६. डॉ० डी० जे० गज्जर

७. सेठ हातुभाअी अब्दुलअली

कमेटीसे आशा रखी जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट पूरी और बारीक जांच करके पेश करेगी ।

ता० २१-१-१९३९

धर्मेन्द्रसिंह
ठाकुरसाहब, राजकोट ”

अपुरोक्त घोषणा प्रकाशित होने पर राजकोटका समझौता भंग हो गया, जिसलिअं राजकोटकी प्रजाको सत्याग्रहकी लड़ाी फिर शुरू कर देनेका आह्वान करते हुअे सरदारने ता० २५-१-३९ को निम्न लिखित अखबारी बयान जारी किया :

“राजकोट सत्याग्रहकी लड़ाीकी सुखद पूर्णाहुति हुअी प्रतीत होती थी। परंतु अत्यंत खेदपूर्वक अुसे फिर प्रारंभ करनेका आह्वान करनेका अवसर आ गया है। अस बातका मुझे गहरा दुःख है। फिर भी राज्यकी प्रतिष्ठाके खातिर और साथ ही राजकोटकी प्रजाके स्वाभिमानकी रक्षाके खातिर लड़ाी फिर शुरू करनेका धर्म हो गया है।

“प्रजाको याद होगा कि राजकोट राज्यके गजटमें ता० २६-१२-३८ को घोषित समझौता (पहले दिया जा चुका है) २५ तारीखकी शामको और रातको लगभग आठ घंटे तक राजकोटके ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक केडल, श्री माणकलाल पटेल तथा श्री जोवनपुत्राके साथ रातको पीने दो बजे पूरी हुअी बातचीतके परिणामस्वरूप हुआ था।

“यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि राजकोटके समझौतेकी बातचीत करने में ठाकुरसाहबके आमंत्रण पर वहां गया था। समझौतेके थोड़े दिन बाद सर पैट्रिक केडल अपने पदसे अलग हो गये।

“मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि जिन्होंने ठाकुरसाहबका नमक खाया है, अुन्हीने अुनकी भारी कुसेवा की है। अिन सलाहकारोंमें दरबार वीरावाला सबसे बुरे साबित हुअे हैं। अुन्होंने राज्यको बरबाद कर दिया है और भयंकर कुशासन द्वारा राज्यका खजाना खाली कर डाला है। ठाकुरसाहब पर अुन्होंने अैसा जादू कर रखा है कि वे चाहें तो भी अुससे छूट नहीं सकते। सर पैट्रिक केडलको दरबार वीरावाला ही लाये थे। परंतु यह जानकर कि दरबार वीरावाला ही राज्यके राहु हैं सर पैट्रिकने आते ही अेजेंसीकी मददसे अुन्हें राज्यसे निर्वासित कर दिया। असके बाद दरबार वीरावाला अैसे दीवानको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर भी सर पैट्रिक यह धमंड रखकर न चले होते कि वे शासक जातिके हैं तो शायद अुन्हें राजकोट छोड़नेकी नीबत न आती।

“दरबार वीरावालाको देशनिकाला हो जाने पर भी अुन्होंने बगसरामें बैठकर राजनैतिक छल-प्रपंच चालू रखा। अुनका लड़का

भोजवाला और भतीजा वालेरावाला तो अब भी राजकोट ठाकुर-साहबके पास ही हैं। यह लगते ही कि वे समझौतेकी नहीं रोक सकते दरवार वीरावालाने मित्रका स्वांग धारण किया और समझौतेमें सहायक बननेका ढोंग रचा। सर पैट्रिक राजकोट छोड़नेकी तैयारीमें थे, अतनेमें तो दरवार वीरावाला राजकोट पहुंच गये और अन्होंने अपनी करतूतें शुरू कर दीं, जो अब भी जारी हैं।

“समझौतेकी शर्तोंके अनुसार बननेवाली कमेटीके लिये सात सदस्योंके नाम लड़ाईके संचालकोंसे परामर्श करके पसन्द करने और सुझानेमें मुझे थोड़े दिन लग गये। ता० ४-१-३९ को मैंने सात नाम भेज दिये थे।

“असके बाद समिति नियुक्त करनेकी घोषणा अविलंब हो जानी चाहिये थी। परंतु कभी दिन बीत जाने पर भी कुछ नहीं हुआ। इस बीच २८ दिसम्बरको रेजीडेण्ट और ठाकुरसाहब तथा उनके बारेमें कौंसिलके बीच मंत्रणा हुई। उस मंत्रणाके समय अल्पस्थित अक व्यक्तिके लिये हुआ अधिकृत नोट मेरे पाम हैं। (ये नोट पहले दिये जा चुके हैं।)

“अस मौके पर रेजीडेण्ट द्वारा कांग्रेस तथा मेरे विषयमें प्रगट किये गये अदुगार पढ़ने लायक हैं। जो समझौता हुआ था उसके बारेमें और कांग्रेस तथा मेरे बारेमें रेजीडेण्ट अपनी अरुचि बातचीतके दौरानमें छिपा न सके।

“असा जान पड़ता है कि ठाकुरसाहबने अपनी प्रजाको जो वचन दिया था, उसका भंग करनेके लिये रेजीडेण्ट और दरवार वीरावाला ही जिम्मेदार हैं। और हालमें राज्यकी तरफसे निकाली गयी घोषणा भी समझौतेकी रूसे पहले की गयी घोषणासे तुलना करने योग्य है। इस दूसरी बारकी घोषणामें मेरे सुझाये हुए सात नामोंमें से चार निकाल दिये गये हैं। वह समितिके कार्यक्षेत्रको भी रद्द करती है और कुछ स्पष्ट नहीं कहती, जब कि पहलेकी घोषणाकी भाषा असंदिग्ध और निश्चित थी। पहलेकी घोषणामें यह कहा गया था कि समितिकी रिपोर्ट ३१ जनवरीसे पहले प्रकाशित हो जायगी और ठाकुरसाहबकी तरफसे उस पर अमल होगा, जब कि हालकी घोषणामें समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित करनेके बारेमें कौभी अवधि निश्चित नहीं की गयी है।

“अिस अंतिम घोषणासे पहले रा० सा० माणेकलाल पटेलकी ओरसे मुझे अेक पत्र मिला था। ध्यान देने लायक बात यह है कि अुस पत्रमें मेरे सुझाये हुअे सात नामोंमें से चार मंजूर किये गये थे, जब कि आखिरी घोषणामें अुन चारमें से अेक नाम और कम कर दिया गया है और तीन ही बाकी रहे हैं।

“दरबार वीरावालाका ठाकुरसाहब पर जो प्रभाव है अुसके बारेमें और अुनके प्रपंचोंके बारेमें मैंने अितना ज्यादा सुना था कि श्री माणेकलाल पटेलके अुत्तरमें मुझे लिखना पड़ा कि दरबार वीरावाला किसी भी हालतमें कमेटीमें नहीं रह सकते। मुझे कहीं भी कोअी बहाना या छिद्र रहने नहीं देना था।

“प्रतिजापूर्वक किये गये समझौतेका राज्यकी तरफसे अिस प्रकार भंग हो जानेके बाद राजकोट राज्यकी प्रजाके लिअे अेक ही मार्ग खुला रहता है : स्वेच्छापूर्वक कण्टसहन और आत्म-बलिदानका मार्ग फिर अेक बार ग्रहण करके अपनी स्वतंत्रता स्थापित की जाय और राजकोट राज्य तथा ठाकुरसाहबको पूरी बर्वादीसे वचाया जाय। अिस कण्टके मार्गमें फिर कदम बढ़ानेका मैं प्रजाको आह्वान करता हुं। कड़ीसे कड़ी अग्निपरीक्षाकी चेतावनी देना और अुसके लिअे तैयारी रखना ही बुद्धिमानीका मार्ग है। प्रजाको अधिकसे अधिक सतानेके लिअे आतंक फैलाने और काठियावाड़में मुपरिचित शारीरिक अत्याचारके भद्देसे भद्दे तरीके अख्तियार करनेके चरम सीमाके प्रयत्न किये जायेंगे। अिसी प्रकार आपसमें साम्प्रदायिक और दूसरे झगड़े खड़े करनेकी कोशिश की जायगी। हालमें ही मुसलमान भाअियोंको भड़काकर अुनके द्वारा बनावटी साम्प्रदायिक आंदोलन खड़ा करानेके जो प्रयत्न हुअे हैं, वे अिसके अुदाहरणस्वरूप हैं। हमें अपने बरतावसे दिखा देना है कि प्रजाकीय नियंत्रणमें स्थायी शासन स्थापित होगा तो अुसमें और सबकी तरह मुसलमानोंका भी लाभ समाया हुआ है।

“शासनके अंधेर और रिश्वतखोरीसे राजकोटका खजाना खाली हो गया है। अगर हमारे आपसी झगड़े होते ही रहेंगे तो हमारी लड़ाजी लंबी चलेगी। परंतु यदि सारी आम जनता समझ जाय, संगठित हो जाय, लंबे समय तक ज्यादासे ज्यादा दुःख सहनेकी शक्ति दिखाये, और धन-सम्पत्तिकी हानि सहकर भी अहिंसक असहयोग जारी रखनेकी शक्ति बतावे, तो वह कभी नहीं हारेगी।

“विद्यार्थी सविनय कानून-भंग और हड़तालमें हरगिज शरीक न हों। यदि अनुमति श्रद्धा हो तो वे रचनात्मक कार्य हाथमें ले लें। वे घर-घर घूमकर अत्याचार-पीड़ितोंको राहत देनेका काम करें। लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रजाको अनिवार्य रूपमें अनेक कष्ट सहने होंगे।

“मन, वचन और कर्मसे अहिंसाका पालन करना होगा। जितना साथियोंके साथ अतना ही विरोधियों और तटस्थोंके साथ, जेलोंमें भी और बाहर भी, सर्वत्र अहिंसाका पालन करना होगा। हमारा अहिंसा-पालन ही हमारी विजयका मापदंड होगा।

“हमारी यह श्रद्धा होनी चाहिये कि हमारी अहिंसा आज प्रजासे विमुख हुआ ठाकुरसाहबको प्रजाकी तरफ देखनेके लिये प्रेरित किये बिना नहीं रहेगी। आज तो राजा नामके ही राजा हैं। नौजवान राजा प्रजाके साथ पवित्र प्रतिज्ञासे बंध जायं और फिर बदलकर वचन-भंग करें, यह बात छोटे-बड़े प्रत्येक प्रजाजनको खटकनी चाहिये।

“दरबार वीरावालाके लिये मैंने साफ तौर पर कड़वी बातें कही हैं। सत्य कभी बार कड़वा और तीखा होता है। अनुके बारेमें जिन बातोंका पूरा विश्वास न हो गया हो अंसी अेक भी बात मैंने नहीं कही है। अनुकी खुली बुराअियोंके बावजूद हम अन्हें प्रेमकी दृष्टिसे देखें। आशा है यह प्रेम अनुका और अनुके प्रभाव और पथप्रदर्शनमें चलनेवाले दूसरोंका अन्तमें हृदय-परिवर्तन करेगा।

“राजकोटकी प्रजाका कार्यक्रम और नीति तैयार करनेमें मेरा हस्तक्षेप और कांग्रेसका प्रभाव रेजीडेंटको अरुचिकर लगता है, अिस बात पर मुझे खेद होता है। रियासती प्रजाअें तो हमेशा कांग्रेसके नेतृत्वमें ही रही हैं। वे कांग्रेसकी आज्ञाको मानती हैं। आरंभ-कालमें स्वयं राजा भी कांग्रेसका सहारा ढूंढते थे। कांग्रेसने देशीराज्योंके प्रश्नोंमें सीधा भाग न लेनेकी नीति अिसलिये अस्तित्थार की थी कि अुसे अपनी शक्तिकी मर्यादाका मान था। परंतु जब देशीराज्योंकी प्रजाको अपनी शक्तिका भान हो गया है और कष्ट सहन करनेकी अुसकी तैयारी है, तब कांग्रेस अपनी शक्तिके अनुसार प्रजाका अधिकाधिक साथ देनेमें आनाकानी करे तो वह अपने सिद्धान्तोंके प्रति बेवफा साबित होगी।

“अपने बारेमें तो मैं अितना ही कहूंगा कि काठियावाड़ राजकीय परिषद्का मैं अध्यक्ष हूँ, जिसलिये काठियावाड़की प्रजा तथा राजा दोनोंके प्रति परिषद्के अध्यक्षके नाते मेरे निश्चित कर्तव्य हैं। असी स्थितिमें अुनकी तरफसे पुकार आये तब मैं मदद देनेसे अिनकार नहीं कर सकता। राजकोटके मामलेमें पहले प्रजाकी तरफसे और बादमें राजाकी ओरसे सहायताके लिये मेरे पास मांग आयी, और मेरा दावा है कि वह मैंने निःसंकोच दी है। मेरी समझमें नहीं आता कि अिसमें रेजीडेण्ट या साम्राज्य सरकारके अुबल अुठनेकी क्या बात है? देशीराज्योंके सवालका निबटारा करानेमें राजकोटको अनायास निमित्त बननेका अवसर मिला है। यह राजकोटका अहोभाग्य है।

“यह मर्यादा रखी गयी है कि अभी तुरन्त तो सत्याग्रहकी लड़ाईमें केवल काठियावाड़की प्रजा ही भाग ले। काठियावाड़की प्रजा व्यवहारमें अेक-दूसरेके साथ अिस प्रकार गुंथी हुयी है कि काठियावाड़ियोंको अेक-दूसरेके मुख-दुःखमें शरीक होनेसे नैतिक दृष्टिसे कोयी रोक नहीं सकता।”

अिस वक्तव्यके साथ रेजीडेण्टके यहां हुयी मंत्रणाका विवरण, दरबार बीरावालाके निर्वासन-संबंधी रेजीडेण्ट तथा पोलिटिकल अेजेंटके पत्र, सर पेट्रिक केडलको विदा करनेके बारेमें हुआ ठाकुरसाहब और रेजीडेण्टका पत्र-व्यवहार वगैरा सरदारने अखबारोंमें प्रकाशित कर दिया।

सरदारके वक्तव्यका जवाब ता० २६-१-३९ को ठाकुरसाहबके हस्ताक्षरसे निम्नलिखित नादिरशाही आर्डिनंस जारी करके दिया गया :

१. हमें मालूम हुआ है कि राजकोट राज्यकी सीमामें रहनेवाले और बाहरके कुछ आन्दोलनकारी राजकोटके शासक तथा अुनके कर्मचारियोंके विरुद्ध प्रजामें अप्रीति, बेवफाअी, तिरस्कार और घृणाकी भावना भड़कानेके अुद्देश्यसे आन्दोलन शुरू करनेका अिरादा रखते हैं। यह मालूम होता है कि अिस प्रकारका आन्दोलन राजकोटके लोगोंकी शांति, अमन-चैन और जायज धन्धोंमें बाधक हो सकता है। अितना ही नहीं, चूंकि आन्दोलनकारियोंका ध्येय और अुद्देश्य शासनको ठप कर देना और कुछ अवैध हलचलों द्वारा राज्यका कामकाज न चलने देना है, अिसलिये कानून और व्यवस्थाकी रक्षा तथा समस्त

राज्यकी सुरक्षाके लिये नीचे लिखे हुक्म अमलमें लाना हमें जरूरी मालूम हुआ है।

२. कोयी भी शरूस नीचे लिखे कृत्य करेगा, तो अुसे धारा १ के अनुसार आन्दोलनमें भाग लेने वाला या अुसमें सहायक होनेवाला समझा जायगा।

(अ) खर्च देगा या रुपये अथवा अन्य माधनोंसे सहायता करेगा।

(ब) आन्दोलन खड़ा करने अथवा अुसे प्रोत्साहन देनेके अुद्देश्यसे खानगी या सार्वजनिक सम्मेलन या सभामें अुपस्थित रहेगा।

(क) किसी भी व्यक्तिके जायज धन्धेमें या कर्तव्य-पालनमें रुकावट या बाधा डालेगा।

३. . . . अिस हुक्मकी धाराओंके मातहत अपराध करनेवाला हर शरूस दो वर्षकी किसी भी प्रकारकी सजाका और दो हजार रुपये तक जुर्मानेका पात्र होगा।

४. तमाम सम्पत्ति जैसे ट्रक, मोटर गाड़ियां अथवा अन्य प्रकारकी सवारियां, कोष, झंडे, झंडियां, छापेखाने, टाइपराइटर, लाभुड-स्पीकर और अिसी तरहकी दूसरी जायदाद, जिसके लिये कौंसिलके पास यह माननेके कारण होंगे कि वह आन्दोलनको आगे बढ़ाने या जारी रखनेके काम आयी है या आनेवाली है, कौंसिलके हुक्मसे जब्त कर ली जायगी। . . .”

दूसरे आर्डिनंस द्वारा नीचे लिखे अखबार राज्यकी सीमामें आनेसे रोक दिये गये :

१. जन्मभूमि, २. सन्देश, ३. नवसौराष्ट्र, ४. फूलछाब, ५. गुजरात समाचार, ६. राजस्थान, ७. मुंबयी समाचार, ८. जय सौराष्ट्र।

आर्डिनंस जारी करनेके साथ ही राजकोटमें डेवरभाभी, वजुभाभी शुक्ल वगैरा नेताओंकी सामूहिक गिरफ्तारी की गयी। शहरमें हथियारबन्द और घुड़सवार पुलिस घुमायी गयी और कोने कोने पर तैनात कर दी गयी। लोग आपसमें बातें करने लगे : “अिस बारके रंगढंग कुछ दूसरे ही दिखते हैं।” “ये पुलिसवाले और घुड़सवार तो अंजेन्सीके मालूम होते हैं।” “होने ही चाहिये। अिस बार तो वीरावाला और गिम्सन दोनों मिल गये

हैं।” शहरमें सम्पूर्ण हड़ताल थी। हाट करने आये हुअे देहातके किमान घुडसवारोंको देखकर बातें करने लगे: “यह वीरावाला बैर लेने आया है। राजामें प्रजाके लिअे प्रेम नहीं है, तभी तो यह सब हो रहा है? नहीं तो जवान देकर पलट जाय? कोअी गृहस्थी आदमी भी नहीं बदलता, तो अिस प्रकार राजा प्रजाको दिये हुअे वचनसे मुकर जाय तब तो पृथ्वी रमातलमें ही जायगी न?”

सभावन्दी होने पर भी राजकोटके आजाद चौकमें रोज शामको आम सभा होती। नेताओंको पकड़ लिया जाता और सभाके दूसरे लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता। स्वयंसेवकोंको ट्रकोंमें भर कर दूरके अज्ञात स्थानों पर ले जाया जाता और अेक अेकको अुतार कर चार पांच पुलिसवाले अुस पर टूट पड़ते और लात-धंसोंकी मार मारकर अुसे झाड़-अंकरमें फेंक आते। कभी कभी तो अुसे कांटोंमें घसीटते या चलाते। कुछको नंगा करके छोड़ देते। केवल राजकोटमें ही नहीं, गांव गांव जहां स्वयंसेवक जाते वही थानेदार पुलिसको लेकर मोटरमें पहुंच जाता और अिसी प्रकार अुन पर अत्याचार करना। कुछ मजदूर स्वयंसेवक तो बार बार हाथमें आते और पुलिस अुन्हें मारते मारते थक जाती थी।

केडलके जानेके बाद अेवजी दीवानके तौर पर काम करनेवाले रा० सा० माणेकलाल पटेल संधिभंग होने पर दूरदेशीसे काम लेकर त्यागपत्र देकर चले गये। श्री जयंतिलाल जीवनपुत्रा भी पेंशन लेकर घर बैठ गये। बादमें अेजेसीके डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट खा० सा० फतह मुहम्मदखांको कौंगिलका पहला सदस्य बनाया गया। दूसरे सदस्य दरबार वीरावालाके भतीजे कुमार वालेरावाला नियुक्त हुअे। अिन दो जनों और दरबार वीरावालाकी त्रिमूर्तिने दमनका सारा तंत्र अपने हाथमें ले लिया और सारे राज्यमें अंधाधुंध जुलम करना शुरू कर दिया।

स्वयंसेवकोंको जंगलमें ले जाकर सख्त मार मारी जाती है और कांटोंमें घसीटा जाता है, ये समाचार प्रकाशित होने पर कस्तूरबाको लगा कि राजकोट तो हमारा घर कहलाता है। वहांके स्त्री-पुरुष अितना दुःख अुठा रहे हों तब मैं कैसे बैठी रह सकती हूं? अुन्होंने गांधीजीको अपनी अिच्छा बताअी। गांधीजीने कहा कि राजकोट जाना हो तो वल्लभभाअीकी अिजाजत चाहिये। अिसलिअे कस्तूरवाने सरदारसे बात की। सरदारने पहले तो अिनकार कर दिया और कहा कि आपका बुढ़ापा है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अिसलिअे आपको जानेकी जरूरत नहीं। परन्तु कस्तूरबाने बहुत आग्रह किया तब सरदारने कहा, तो आप मणिबहनको साथ ले जाअिये। अिस प्रकार

दोनों तैयार हुआ। ३ फरवरीको बा और मणिबहन राजकोट पहुंचीं। स्टेशन पर वालेरावाला मौजूद थे। अन्होंने कस्तूरबा और मणिबहनके हाथमें नोटिसका कागज रख दिया। उसमें लिखा था :

“राज्यकी सीमामें आपके प्रवेशसे अशान्ति होनेका खतरा है।
अिसलिअे दो मास तक आप राजकोटकी हदमें प्रवेश नहीं कर सकतीं।”

स्टेशन अेजेंसीकी हदमें था। वहांसे बाका जुलूस निकला। परन्तु अेजेंसीकी हद पूरी होते ही वालेरावालाने कहा कि “अब आप अिस मोटरमें बैठ जाअिये”। मणिबहनने पूछा, “क्यों? आप हमें गिरफ्तार करते हैं?” अुत्तरमें वालेरावालाने कहा, “जी हां।” फिर बाको और मणिबहनको राजकोटसे लगभग सोलह मील दूर सणोसरा गांवके दरबारी निवासस्थानमें ले जाया गया। वह कहलाता तो था दरबारी निवासस्थान, परन्तु था अेक पुराना वीरान मकान। दीवारों और छत पर जाले लगे थे। आसपास घूरोंकी गंदगी थी। मकानमें दो कमरे और अेक छोटासा चौक था। और सामने अेक छोटासा मोहल्ला था। श्री मणिबहनने अुसका वर्णन करते हुआे ता० ५-२-३९ के अपने पत्रमें लिखा था :

“हम परसों शामको यहां पहुंचीं। हमें गांवके पुलिस पटेलको सौंप गये हैं। गांवमें कोअी तरकारी नहीं मिलती, तब जरूरी दवाकी तो बात ही क्या की जाय? हमें दरबारी मेहमान कहते हैं, अिसलिअे रसोअिया दिया गया है। परंतु वह अितना गंदा है कि अुसके कपड़े देखकर खाना भी नहीं भाता। अुसे पूरा खाना बनाना भी नहीं आता। परसों शामको और कल मुबह दोनों वक्त चावल कच्चे रख दिये। कल शामको रोटियां बनवाअीं सो भी कच्ची। शाकमें यहां आलू ही मिलते हैं। अुनका शाक भी कच्चा। रसोअी कंडों पर बनानी पड़ती है। अिसलिअे धुआं खूब होता रहता है। में तो भोजनालयमें घुसती हूं तो आंखोंमें पानी आने लगता है। गंदगीका कोअी पार नहीं। कुछ धोना या साफ करना हो तो चौकीदार कहते हैं कि अिस गांवमें पानीका बड़ा दुःख है। नहानेका पानी निरा कीचड़ होता है। अेक स्त्री कल कपड़े धोकर लाअी, लेकिन दिये थे अुससे भी मूले कर लाअी।

“कल रात बाको अच्छी तरह नींद नहीं आअी। अुन्हें दस्तकी तकलीफ रहती है। दो ढाअी बजे पेशाब करने अुठीं। फिर जलन होने लगी। परन्तु हमारे पास यहां क्या मिलता? बेचारी कुछ

बोलीं भी नहीं । न रहा गया तब स्वयं ही अुठ कर गीला कपड़ा रखकर सो गयीं । मैंने पूछा तो कहने लगीं कि पीठमें बड़ी जलन हो रही है । मेरे पास वेसलीन थी जिसलिअे थोड़ीसी लगा दी । मुझे तो यह फिर हो रही है कि कभी वाको यहां चक्कर-वक्कर आ गये तो मैं क्या करूंगी ? किसे बुलाऊंगी ? बेचारा पुलिस पटेल भी आकर क्या करेगा ? शायद टेलीफोन करनेकी हिम्मत करे तो भी डॉक्टरको पहुंचते पूरे दो घंटे लग जायं अैसा रास्ता है । वाको अितनी पीड़ा हो रही है कि जिस समय दिनके आठ बज गये हैं तो भी दातुन किये बिना पड़ी हुई है । अभी अभी कुछ आंख लगी दीखती है ।”

ता० ७-२-३९ के पत्रमें अुन्होंने लिखा :

“ देखने आनेवाले दोनों अफसरोंसे मैंने तो साफ साफ कह दिया है कि आपने वाकां यहां जंगलमें लाकर पटक दिया है, जिसमें आप बड़ी जोखिम अुठा रहे हैं । मैं आपको पहलेसे चेतावनी दिये देती हूं ।”

श्री देवदासभायी अेक बार वासे मिलने आये । अुन्होंने वाकी वहांकी हालतके समाचार वाहर दिये होंगे । जिस पर अेक डॉक्टर वाको देखने आये और अुनकी सेवामें अेक नर्स रख दी गयी (ता० ९-२-३९) । डॉक्टरने मणिवहनसे कहा कि आपको स्टेट जेलमें कैदीके तौर पर रखा जायगा और अपने साथ आपको ले जानेका मुझे हुक्म दिया गया है ।

श्री मणिवहनने अेक पत्रमें लिखा :

“ मुझे कैदी मान लिया गया, जिसलिअे डॉक्टरके साथ मुझे जाना ही पड़ा । चार बजे राजकोटकी स्टेट जेलमें पहुंची । शामको मैंने कुछ नहीं खाया । दूसरे दिन प्रातःकाल खाना आया तब मैंने खानेसे अिनकार कर दिया । मैंने कहा कि जब तक वाको जिस तरह अकेली रखा जायगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी । किसी भी अन्य स्त्रीको, जिसे वा जानती हों, अुनके पास रख दिया जाय । जेलरने मुझे बहुत समझाया । अुन्होंने कहा कि कौंसिलके सदस्योंसे बात करूंगा और अेक दो दिनमें सब अिन्तजाम हो जायगा । दूसरे दिन सुबह जेलरने मुझसे कहा कि आपके न खानेकी बात कैदियोंमें पहुंच गयी है और आप जिस समय पचास मनुष्योंको भूलों मार रही हैं । बादमें ठेबरभायीको मेरे पास लाया गया । वे बीमार थे । मैंने अुन्हें

खानेको कहा, परन्तु अन्होंने अनकार कर दिया। अन्होंने कहा कि दो किसान बीमार हैं, अन्हें मैं खिला दूंगा। मैं तो अपने निश्चय पर दृढ़ रही। रातको नी बजे डॉक्टरने आकर कहा कि फल सुबह आठ बजे तैयार रहियेगा। आपको बाके पास ले जाऊंगा। वहांसे आप दोनोंको दूसरी जगह हटा दिया जायगा। दूसरे दिन आठ बजे डॉक्टरके साथ मुझे सणोसरा ले जाया गया। वहांसे वाको और मुझे त्रंबाके अतिथिगृहमें पहुंचा दिया गया। दूसरे दिन मृदुलावहन गिरफ्तार हुअी थीं। अन्हें लेकर बालेरावाला कोअी तीन बजे त्रंबा आये।

“१४ तारीखको शामके पांच बजे कौंसिलके प्रथम सदस्य फतह मुहम्मदखां ठाकुरसाहबका लिखित सन्देश लेकर आये। अुसमें लिखा था कि हमें मालूम हुआ है कि बापूजीकी तबीयत बहुत खराब है, असलिये आप चाहें तो अभी साढ़े मात बजेकी गाड़ीसे आपको वर्धा पहुंचानेका प्रबंध कर दिया जाय। हमने मलाह करके टेलीफोन करनेका निश्चय किया। फतह मुहम्मदखांके साथ वा और मैं सार्वजनिक टेलीफोन पर गये। वर्धाके टेलीफोन पर प्यारेलालजी मिले गये। अन्होंने कहा कि बापूजी तो सेवाग्राममें हैं, परन्तु अुनका स्वास्थ्य बिलकुल अच्छा है। अस प्रकार हम तीनों त्रंबामें रहीं। वहां मुविधा अच्छी थी।”

अस सारे समयमें राजकोटमें और गांवोंमें लड़ाअी बड़े जारोंसे चल रही थी। घरपकड़ और आतंककारी मारपीटके बावजूद प्रजा-परिषद्के कार्यक्रम जारी ही थे।

हलेण्डा नामक ग्राममें बहुत सख्त लाठीप्रहार किया गया था। बहुतसे आदमी सख्त घायल हुअे थे। राज्यकी तरफसे अुनकी सेवा-अुश्रूपाकी कोअी व्यवस्था नहीं की गअी थी। अितना ही नहीं, राजकोटसे रेडक्रॉसके डॉक्टर और सेवा करनेवाली टोलियां वहां जानेको निकलीं तो अुन्हें हलेण्डा जानेसे रोक दिया गया। ता० ७-२-३९ को श्री जादवजी मोदीने सरदारके नाम अेक पत्रमें लिखा :

“पहले सैनिकोंको लाठियोंसे मारते थे; वह देखा जा सकता था।

परन्तु अब तो अुन्होंने दूसरा ढंग अपनाया है। सब अिकट्ठे होकर खूब लात-धूसे मारते हैं। दो तीन घटनाअें अैसी हो गअी हैं जिनमें सैनिकके पैर अुसकी गर्दन पर चढ़ाकर पैरोंके बीचसे अुसके हाथ निकलवाकर गेद जैसा आकार बना दिया गया और बादमें अेक पुलिसवाला अैसी स्थितिबाले सैनिक पर चढ़ बैठा और हाथोंकी नसें

दबाने लगा। अंसी हालतमें अुसकी दूसरी नसें भी तन जाती हैं और अुसे जबरदस्त कष्ट और तीव्र वेदना होती है।”

आगे सरधार जेलकी दान आयेगी। वहां भी अिस प्रकारका जुलम तीन चार कैदियों पर गुजारा गया। अंसे जुलम और आतंकके वावजूद लोगोंका जोश दबाया नहीं जा सका। दरवार वीरावालाने आठ दिनमें प्रजाको दबा देनेकी आशा रखी थी। परन्तु अुनकी मुराद बर नहीं आजी तो अुन्होंने दूसरा पैतरा बदला। राजकोटके जेलमें लगभग सौ कैदी थे। अुनमें से लगभग तीसको रातोंरात सरधार ले जाया गया। सरधारमें अेक पुराना रनवास था जिसे जेल बना दिया गया। अुगमें तहखाने जैसे कुछ कमरे थे। अुन कमरोंकी चौड़ाजी और अूंचाजी लगभग ६ फुट और लम्बाजी कोजी २० फुट थी। वे कितने ही वर्षोंमें बीरान थे अिसलिये चमगादड़ोंका कोजी पार नहीं था। अुनकी द्धारकी भारी दुर्गंध आती थी। अिन तहखानों जैसी कोठरियोंके छोटे छोटे दरवाजे थे और बहुत ही छोटी खिड़कियां थीं। अुस मकानसे बिलकुल लगा हुआ अेक तालाब था। अुसका पानी बड़ा गंदा था और रका होनेके कारण वहां बेशुमार मच्छर थे। अंसे अेक अेक तहखानेमें बीस बीस कैदियोंको बन्द कर दिया गया। हरअेक सैनिकमें पहने हुए कपड़ोंके सिवा कपड़े, ओढ़ना-विछौना बगैरा सब ले लिया गया। अेक तहखानेमें पानी तथा पेशाबके लिये अेक अेक घड़ा दे दिया गया और सबके विछानेके लिये पुराना फटा हुआ पाल दिया गया। आधा ओढ़ते और आधा विछाते। अितनी सुविधा भी अेक ही तहखानेमें थी। शेष तीनमें तो पाल भी नहीं और पानी-पेशाबके घड़े भी नहीं। जिनसे कुदरती हाजत नहीं रकी अुन्होंने रातको वही पेशाब किया। दूसरे दिन सबको बाहर निकाला गया। दानको तहखानेमें बन्द करनेका समय हुआ तब सैनिकोंने तहखानेमें बन्द होनेसे अिनकार कर दिया। पुलिसने अुन्हें लाठियों और लात-घुनोंकी मार मारकर और टांगाडोली करके तहखानेमें धकेलना शुरू किया। परन्तु अिस तरह कब तक चल सकता था? अिसलिये थककर सबको अूपरके कमरेमें सोनेकी अिजाजत दे दी।

दूसरे दिन कोजी पेंतीस नये आदमी गिरफ्तार होकर आये। आते ही अुन्हें तहखानेमें बन्द कर दिया गया। दूसरे दिन अुन्होंने भी तहखानेमें बन्द होनेसे अिनकार कर दिया। अिसलिये अुन्हें अूपर जानेकी छुट्टी मिली। परन्तु जो नये आते अुन्हें अेक दिन तो तहखानेका स्वाद चखना ही पड़ता था। तहखानेमें खानेको भी नहीं दिया जाता था।

जब तीन चार दिन यह हाल रहा, तो अिन कैदियोंमें जो समझदार और मजबूत थे अुन्होंने विचार किया कि अिस प्रकारका व्यवहार सहन

कर लेनेमें मनुष्यता नहीं, इससे हमारे स्वाभिमानको चोट पहुंचती है। इस-
लिअे हमें इसका विरोध करना चाहिये। आपसमें सलाह-मशविरा करके
अुन्होंने निर्णय किया कि जब तक जेलकी तरह बाकायदा सुविधाओं न मिलें
तब तक अपुवास किया जाय। सरधारमें कैदियोंके अपुवासकी बात राजकोट
जेलमें पहुंची तो वहांके भाअियोंने भी तब तकके लिअे खाना छोड़ दिया जब
तक सरधारके कैदियोंके साथ अच्छा बरताव न किया जाय।

अिस अपुवासके समाचार मिलने पर गांधीजीने राजकोट राज्यकी
कौंसिलके प्रथम सदस्यको ता० २०-२-३९ को निम्न तार भेजा :

“सुना गया है कि सरधारके कैदियोंके प्रति किये जा रहे
अमानुषिक व्यवहारके कारण राजकोटके सत्याग्रही कैदी अपुवास कर
रहे हैं। क्या अिस मामलेमें आप प्रकाश डालेंगे ?”

प्रथम सदस्यने २१ तारीखको अिसका जवाव दिया :

“आपका तार मिला। मैं खुद कल सरधार गया था। कैदियोंके
प्रति दुर्व्यवहारकी बात बिलकुल झूठ है।”

अिस पर २२ तारीखको गांधीजीने दूसरा तार दिया :

“तारके लिअे धन्यवाद। अपुवासकी बातके बारेमें आपने चुप्पी
साधी है। मेरे पास वहांके अत्याचारोंके विषयमें दूसरा लम्बा तार आया
है, जिसे न मानना कठिन है। मेरी आत्मा रोज कहती है कि मुझे
खुद अिस लड़ाअीमें पड़ना होगा। ठाकुरसाहबने वचन भंग किया
है, अिसका दुःख तो मुझे है ही। अिसमें अिस आतंक और अत्याचारकी
बातोंसे वृद्धि हुई है और चीज असह्य बनती जा रही है। ठाकुर-
साहब या कौंसिलको परेशानीमें डालनेकी मेरी बिलकुल अिच्छा नहीं।
मैं चाहता हूं कि राजकोटका मित्र होनेका दावा करनेवाले अिस
वृद्धेकी बात पर आप ध्यान दें।”

२३ तारीखको कौंसिलके प्रथम सदस्यने गांधीजीके अपुरोक्त तारका
यह अुत्तर दिया :

“सरधारके कैदियोंके प्रति दुर्व्यवहारके आक्षेपोंमें रत्तीभर भी
सचाअी नहीं। सारी बात बिलकुल बनावटी है। रोजकी खुराक, बिस्तर
वर्गारकी सुविधा वहां लगभग राजकोट जेलकी तरह ही रखी गयी है।
राजकोटके अपुवास करनेवाले कैदियोंको मैंने अिसी प्रकार लिखित सूचना
दे दी है। अितने पर भी वे वेजा तौर पर अपुवास जारी रख रहे
हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अुनके प्रति अच्छा बरताव

रखनेके लिये मनुष्यसे जो कुछ हो सकता है वह सब किया जा रहा है। कृपा करके कोजी चिन्ता न कीजिये।”

गांधीजीने २४ तारीखको इस प्रकार तार किया :

“मुझे प्राप्त सभी समाचार बनावटी हों तो यह मेरे लिये और मेरे साथियोंके लिये बहुत गंभीर बात है। यदि अिन समाचारोंमें सच्चाई हो तो ये राज्यके कर्मचारियों पर अेक गंभीर आलोचनारूप हैं। अिस बीच कैदियोंका अपुवास तो जारी ही है। मेरी चिन्ता असह्य होती जा रही है। अिसलिये कल रातको अेक परिचारक डॉक्टर, मेक्रेटरी और टाअिपिस्टको लेकर मैं राजकोटके लिये रवाना हो रहा हूं। मैं वहां मत्यशोधकके रूपमें और मुलह करानेवालेके रूपमें आ रहा हूं। जेलमें जानेकी मेरी अिच्छा नहीं। सारा हाल मैं आंखों देखना चाहता हूं। मेरे साथी यदि बनावटी बातें पैदा करनेके अपराधी मालूम होंगे, तो अिसके लिये मैं पूरा प्रायश्चित्त करूंगा। लोगोंके प्रति जो विश्वासघात हुआ है अुसे मुधार लेनेके लिये भी मैं ठाकुरसाहबको समझाअूंगा। मैं लोगोंसे किसी भी प्रकारके प्रदर्शन न करनेका अनुरोध कर रहा हूं। सरदार पटेलको भी लिख रहा हूं कि जब तक राजकोटमें मेरे प्रयत्न जारी रहें तब तक राजकोटके लोगोंका और बाहरसे आनेवालोंका सत्याग्रह बन्द रखें। अिस बीच किमी भी तरह ठाकुरसाहब और कौमिल, कमेटीके नामोंमें फेरबदल करनेका अपवाद रखकर, किये गये समझौतेको पूरी तरह अमलमें लानेको तैयार हो जायं, कैदी तुरंत छोड़ दिये जायें, किये गये जुमाने माफ कर दिये जायं और वमूल हुअे जुमाने लौटा दिये जायं, तो स्वाभाविक है कि मैं अपना वहां आना रोक दूंगा। सदस्योंके नामोंके बारेमें बातचीत करनेके पूरे अधिकारोंके साथ किसी अधिकारीको आप यहां भेज सकते हैं। सरदार पटेलके सुझाये हुअे नामोंका बहुमत रहे, यही अेक शर्त रहेगी। भगवान ठाकुरसाहब और अुनके कौंसिलरोंको सन्मार्ग पर चलाये। क्या अिसका जवाब जरूरी तारसे पानेकी आशा रखूं?”

अुसी दिन कौंसिलके प्रथम सदस्यने अिस प्रकार तारसे अुत्तर दिया :

“आपके तार देनेके बाद आपको खबर मिली होगी कि कल रातको अपुवास छोड़ दिया गया है। नानालाल जसाणी तथा मोहनलाल गडड़ावालाने आपको जो तार दिया है अुससे आपको विश्वास हो गया होगा कि अपुवासके लिये कोजी अुचित कारण नहीं था। ठाकुरसाहबको अैसा नहीं लगता कि अुनकी तरफसे कोजी विश्वासघात

हुआ है। वे तो अतुसुक हैं कि अनकी नियुक्त की हुजी प्रतिनिधित्व रखनेवाली कमेटी शान्त वातावरणमें अपना काम शुरू कर सके, ताकि अुस कमेटीकी सिफारिशों पर पूरा विचार करके अुन्हें जो सुधार करने जरूरी प्रतीत हों वे जल्दीसे जल्दी जारी किये जा सकें। ठाकुर-साहबका निश्चित विचार है कि अनकी बतायी हुयी परिस्थितियोंमें आप समझ सकेंगे कि आपके यहां आनेसे कोअी अुपयोगी अुद्देश्य पूरा नहीं होगा। वे आपको फिर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी किस्मका जुन्म या आतंकका काम नहीं करने दिया जायगा।”

अिस पर गांधीजीने २५ तारीखको यह तार दिया :

“मेरी हार्दिक अनुनय-विनयका आपके तारमें कोअी अुत्तर नहीं मिलता। शान्तिके कार्यके लिये मैं आज राजकोटके लिये प्रस्थान कर रहा हूं।”

अिस तार-व्यवहार पर अधिक टीका-टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं। अुसी दिन गांधीजीने सरदारको सूचना दे दी कि अिस वेदनाका अंत करनेके लिये अीश्वरके पथप्रदर्शनमें मेरे प्रयत्न जारी रहें तब तक आप सत्याग्रहकी लड़ाअी बन्द रखायें। अिस पर २५ तारीखको ही सरदारने अखबारोंमें यह वक्तव्य निकाला :

“शान्ति-स्थापनाके लिये राजकोट जानेका अपना अिरादा जाहिर करनेवाला गांधीजीका वक्तव्य मैंने पढ़ा। मैं वर्धामें था अुन दिनों में और अन्य मित्र देशीराज्योंमें हो रहे आन्दोलनके विषयमें अुनके हृदयकी वेदना देख रहे थे। जब जब अुन्हें अंसी मनोव्यथा होती है तब तब अुनके साथियोंको महमूस होता है कि वे अंकाअंका अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। परन्तु अुनके मनको जो अीश्वरीय मार्गदर्शन मिलता है, अुसीके अनुसार चलकर वे शान्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। यह चीज अब लोग जान गये हैं। अुनकी अिच्छा है कि राजकोटका सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय। अिसलिये जब तक दुबारा सूचना न दी जाय तब तक मैं राजकोट सत्याग्रहको मुलतवी घोषित करता हूं और आशा रखता हूं कि जो काठियावाड़ी अुसमें भाग लेने राजकोट जानेका अिरादा रखते हों वे अब राजकोट नहीं जायेंगे। अिसी प्रकार राजकोट राज्यके निवासी भी सत्याग्रह बन्द रखेंगे। अिससे अधिक मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। गांधीजी जिस भावनासे वहां जाना चाहते हैं, अुस भावनाका हमें आदर करना चाहिये।”

अपरोक्त तारमें बताये अनुसार गांधीजी २५ तारीखकी शामको बधसि चलकर २६ तारीखको दिनमें बम्बयी ठहरे और रातको राजकोटके लिअे काठियावाड़ मेलसे रवाना हुअे। २७ तारीखको गांधीजीने गाड़ीमें से महादेवभायीको अिस प्रकार पत्र लिखा :

“अीश्वरकी क्या लीला है! अिस यात्रासे मुझे भी आश्चर्य होता है। कहां चला? क्या करूंगा? कुछ भी सोचा नहीं है। यदि अीश्वर ही रास्ता बना रहा हो तो सोचना क्या? किसलिअे? सोचनेका अर्थ अुसके मार्गको रोकना तो नहीं होगा?

“वात यह है कि विचारोंको रोकना नहीं पड़ रहा है। विचार आ ही नहीं रहे हैं। और और विचार आते हैं, पर अिसके बारेमें नहीं।”

गांधीजी कैसी मनःस्थितिमें राजकोट जा रहे थे, यही बतानेके लिअे अपरोक्त पत्र दिया है। राजकोट पहुंचनेके बाद अुन्होंने क्या क्या किया और अुन पर कैसी नीती, यह अलग प्रकरणमें बतायेंगे।

अहिंसाकी कसौटी

राजकोट सत्याग्रहमें गांधीजीका हिंसा अुनके जीवनका अेक अुदात्त और भव्य अध्याय है। अिसमें अुन्होंने सत्याग्रहकी और अहिंसाकी अेक अनोखी रीतिका प्रयोग किया। अुस पर अेक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है। परन्तु यहां हम अुनका जीवन-चरित्र नहीं लिख रहे हैं। सरदार अिस प्रकरणमें पूरी तरह गूंधे हुअे थे, अिसीलिअे महत्त्वका होने पर भी अुसे यहां संक्षेपमें दिया जाता है।

राजकोट, जयपुर, त्रावणकोर और अुड़ीसा वगैराके देशीराज्योंके जुल्मकी बातें बढ़ने लगीं, तबसे गांधीजीने वाअिसरायके साथ पत्रव्यवहार करना शुरू कर दिया था। अुनकी मुख्य दलील यह थी कि सार्वभौम सत्ताकी हैसियतसे आप जब बाहरी या भीतरी खतरेसे देशी राजाओंकी रक्षा करना अपना फर् समझते हैं, तो अुन देशी राजाओंके जुल्मोंसे देशीराज्योंकी प्रजाकी रक्षा करनेके जिम्मेदारी आप अपने सिर पर क्यों नहीं लेते? फिर, आप यह कहते हैं कि राजा अपनी प्रजाको शासनमें अधिकाधिक जिम्मेदारी सौंपे, यह आप चाहते तो हैं; परन्तु वे अपने-आप यह जिम्मेदारी सौंपे यही ठीक होगा, आप अुन्हें अैसा करनेको विवश नहीं कर सकते। परन्तु राजकोटमें राजाने प्रजाके साथ

अथवा प्रजाके प्रतिनिधिके नाते सरदारके साथ जो समझौता कर लिया था उसे रेजीडेंटने ही तुड़वा दिया है। अपने अजेंटके जिस कृत्यकी जिम्मेदारी आपको उठानी ही चाहिये। वाजिसरायने जिसका अन्तर मीठी भाषामें दिया, परन्तु यह सूचित कर दिया कि गांधीजीकी अच्छानुसार वे दखल नहीं दे सकते। जिसलिये गांधीजीने यह मामला अपने हाथमें ले लिया।

ता० २७-१-३९ को दोपहरके तीन बजे गांधीजी राजकोट सिटी स्टेशन पर पहुंचे। स्टेट कौंसिलके प्रथम सदस्य खा० सा० फतह मुहम्मदखां गांधीजीसे मिलने स्टेशन पर गये। अन्होंने गांधीजीको ठाकुरसाहबका मुहरबन्द लिफाफा दिया। गांधीजीका राजकोट आना ठाकुरसाहब तथा अंनके सलाहकारोंको पसन्द तो हरगिज नहीं था। परन्तु ठाकुरसाहबने पत्रमें लिखा था कि यहांकी परिस्थितिकी व्यक्तिगत रूपसे जांच करनेमें आपको पूरी पूरी सुविधा दी जायगी। यह भी लिखा था कि आपने कोअी और व्यवस्था न की हो और आप मेरे मेहमान बनें तो मुझे बड़ी खुशी हांगी। गांधीजीने जिस आमंत्रणके लिये धन्यवाद दिया और राष्ट्रीय पाठशालामें ही, जहां सब व्यवस्था की गयी थी, ठहरनेका निश्चय रखा। स्टेशन पर अतनी ज्यादा भीड़ थी कि मुकाम पर पहुंचनेमें अन्हें पांच बज गये। साढ़े पांचसे सात और आठसे साढ़े दस बजे तक वीरावालासे अकान्तमें बातें कीं। श्री डेबरभाजीको ग्यारह बजे जेलसे लाया गया। अंनके साथ कोअी पाव घंटे तक बातें कीं। दरबार वीरावालाके सामने अन्होंने दो विकल्प रखे। कमेटीमें दो मुसलमान और अंक जागीरदारोंका प्रतिनिधि भले ही लिया जाय, लेकिन जिस शर्त पर कि परिषद्के प्रतिनिधियोंकी संख्या असी हिमाबसे बढ़ा दी जाय। दूसरा विकल्प यह रखा कि यदि परिषद्के प्रतिनिधियोंकी संख्या न बढ़ायी जाय तो ठाकुरसाहब द्वारा मनोनीत तीन कर्मचारी कमेटीके निर्णयोंमें मत न दे सकें।

ता० २८ को गांधीजी मुस्लिम जाति और गरासिया मंडलके प्रतिनिधियोंसे मिले। गांधीजीने कमेटीमें अंनके सदस्य लेनेकी बात कही। जिससे अन्हें संतोष हो गया, परन्तु गरासियों (राजवंशके जागीरदारों) को गांधीजीने चेतावनी दी, "यदि आप असा मानते हों कि अब तक आप जो विशेष अधिकार भोगते आये हैं, वे कायम रहेंगे ही तो आप निराश होंगे। यह चीज न्यायपूर्ण नहीं और संभव भी नहीं। हिन्दुस्तानके करोड़ों गरीब लोगोंकी स्थिति सुधारनी हो तो जिस दरिद्रनारायणके लाभार्थ अच्च वर्गोंको अपने विशेष अधिकार छोड़ने ही पड़ेंगे। जिसलिये जिस हद तक आप मेरा ट्रस्टीशिपका आदर्श जीवनमें परिणत करनेकी तैयारी रखेंगे, असी हद तक मैं आपको संरक्षण दे सकंगा।"

गामको गांधीजी कौंसिलके प्रथम सदस्य फतह मुहम्मदखां तथा सिविल सजंन कर्नल अस्पिनबोल और पोलिटिकल अजेण्ट कर्नल डेवीके साथ राजकोट और सरधारकी जेलमें कैदियोंमें मिलने गये। सरधारकी जेलमें कैदियोंके कष्टोंकी बात पहले आ चुकी है। अुस सम्बन्धमें गांधीजीने जो कुछ देखा और सुना वह अुनकी कल्पनामें कहीं अधिक कष्टप्रद था। जगहको अच्छी दिखानेके लिये आखिरी वक्तमें बड़ी कोशिश की गयी थी। दीवारों पर ताजी ही सफंदी करायी गयी थी। जमीन पर पड़े हुए कलशके ताजे धब्बे अिस बानकी माफी दे रहे थे। फिनाअिल छिड़कनेमें तो कोअी कसर ही नहीं रखी गयी थी। फिर भी दुर्गंध और गन्दगी छिपायी नहीं जा सकी। कैदियोंको भी हजामत बनवाकर तथा नहला-धुलाकर साफ कपड़े पहना दिये गये। अुन्होंने अपने पर बीने हुए जुल्मोंकी कहानी निडर होकर कह सुनायी। प्रथम सदस्यको बहुतसी शिकायतें स्वीकार करनी पड़ी, यद्यपि साथ-साथ वे यह तो कहते ही रहे कि हमने कोअी जुल्म नहीं किया। कर्नल डेवीने आलोचना की कि ये गारी शिकायतें होते हुए भी कैदी देखते तो चंगे और अुत्साहमें हैं। गांधीजीने बादमें अुनसे कहा कि सत्याग्रहियोंको बीम बीम बरससे जो तालीम दी गयी है वह व्यर्थ नहीं गयी है। अितने ही कष्ट आयें तो भी वे विरोधीके गामने रोनी मूरत बना कर खड़े नहीं रहेंगे। और अुनकी सभी बातें बनावटी हैं, यह तो आप भी हरगिज नहीं मानेंगे। सरधारसे गांधीजी कस्तूरबाको मिलने त्रंभा गये। बाने पूछा कि आपका कार्यक्रम क्या है? तब गांधीजीने जवाब दिया कि मेरा काम पूरा न हो जाय तब तक राजकोट नहा छोड़ूंगा।

वहांसे ठाकुरसाहबको मिलने राजकोटके राजमहलमें गये। मुलाकातके सारे समय दरबार वीरावाला मौजूद थे। गांधीजी अिस मुलाकातसे खूब असंतुष्ट होकर लौटे। राजकोटके असली राजा ठाकुरसाहब हैं या दरबार वीरावाला? ये अुनके अुद्गार थे। अुसी समय त्रिपुरीमें कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला था। गांधीजीने यह आशा रखी थी कि अेक दो दिनमें ठाकुरसाहबको समझा दूंगा और त्रिपुरी जा सकूंगा। परंतु अिस मुलाकातके बाद अुनकी यह आशा टूट गयी।

दूसरे दिन अलग अलग गांवोंके लगभग डेढ़ सौ किसान गांधीजीसे मिलने आये। अुन्होंने मैनिकोंको मोटर लारियोंमें भरकर जंगलमें छोड़ आने, वहां खूब मार मारने, पैरोंमें जूते या चप्पल हों तो अुन्हें निकलवा कर काटों पर चलाने, तथा कुछके कपड़े अुतार कर नंगे करके छोड़ देनेकी सारी कहानी प्रथम सदस्यके रूबरू कह सुनायी। दोपहरको गांधीजी रेजीडेण्ट

मि० गिब्सनसे मिले। शामको प्रार्थनाके बाद दरबार वीरावाला गांधीजीको मोटरमें घूमने ले गये। कोधी डेढ़ घंटे तक बातचीत हुओ। गांधीजी खूब निराश होकर लौटे। रातको देर तक अन्हें नींद नहीं आओ। आधीसे ज्यादा रात अन्होंने भारी मानसिक वेदनामें बिताओ। प्रातः अठकर ठाकुर-साहबको पत्र लिखने बैठे। अुसमें सूचित कर दिया कि यदि मेरी मांगें नहीं मानी गओ तो दूसरे दिन अर्थात् ३ तारीखको दोपहरके बारह बजेसे मेरा अपवास शुरू हो जायगा। वह पत्र अुस दिन बारह बजेसे पहले ठाकुरसाहबके पास पहुंचा दिया गया। पत्र अिस प्रकार था :

“ मेहरबान ठाकुरसाहब,

“ यह पत्र लिखते हुओ मुझे संकोच हो रहा है। परंतु लिखना घर्म हो गया है।

“ मेरे यहां आनेका कारण आप जानते हैं। तीन दिन तक दरबार वीरावालासे बातें हुओ। उनसे मुझे बड़ा अमंतोष हुआ है। अिन तीन दिनके परिचय परसे मेरी यह राय बनी है कि अुनमें किसी भी बात पर कायम रहनेकी शक्ति नहीं है। मेरे खयालमें अुनके मार्गदर्शनसे राज्यका अहित हो रहा है।

“ अब अिस पत्रके अुद्देश्य पर आना हूं। वर्धा छोड़ते समय मैंने यह निश्चय किया था कि आपकी की हुओ प्रतिज्ञाका पालन करायें बिना मैं राजकोट नहीं छोड़ूंगा। परंतु मैंने यह नहीं ममझा था कि मुझे यहां अेक दो दिनसे ज्यादा रहना पड़ेगा, या मुझ पर जो बीती है वह बीतेगी।

“ अब मेरा धीरज छूट गया है। हो मके तो मुझे त्रिपुरी जाना चाहिये। मैं न जाऊं तो हजारों कार्यकर्ता निराश होंगे और लाखों दरिद्रनारायण व्याकुल हो अुठेंगे। अिसालिअे अिस अवसर पर मेरी दृष्टिमें समयका बड़ा मूल्य है।

“ अिसालिअे आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप निम्नलिखित सुझावोंको हृदयसे स्वीकार करके मुझे चिन्तामुक्त करें और यहांसे कल बिदा कर दें।

“ १. नं. ५० ता० २६-१२-३८ के गजटमें आपकी जो घोषणा छपी है वह कायम है, अंसा दुबारा प्रजाके सामने घोषित करें।

“ २. आपके नं० ६१ ता० २१-१-३९ के गजटकी घोषणा रद्द करें।

“ ३. आपने सुधार समितिके मात नाम घोषित किये हैं। उनमें से २, ३, ५ और ७ रहने देकर राजकोट प्रजा-परिषद्की तरफसे दूसरे नाम लिखे नाम स्वीकार करें :

१. श्री अछरंगराय न० देबर
२. श्री पोपटलाल पु० अनडा
३. श्री ब्रजलाल म० शुक्ल
४. श्री जेटालाल ह० जोशी
५. श्री मीभाग्यचंद्र वी० मोदी

“अस सूचनाके गर्भमें हेतु यह है कि राजकोट प्रजा-परिषद्का बहुमत रहे। उपरोक्त ९ में से श्री अछरंगराय देवरको अध्यक्ष नियुक्त करें।

[रहने दिये गये नाम]

२. जाडेजा जीवन्सिंहजी धीरुभा
३. मेठ दादा हाजी वलीमुहम्मद
५. मि० मोहनलाल अम० टांक
७. सेठ हातुभाजी अब्दुलअली

“ ४. तीन या कम अधिकारियोंको, जिन्हें परिषद्की ओरसे में चुन सकें, समितिके सहायक और सलाहकार मुकर्रर करें। उन्हें समितिकी कार्रवाहीमें मत देनेका अधिकार नहीं होगा।

“ ५. आप हुक्म जारी करें कि समितिको कागजात, आंकड़े आदि जो भी सामग्री तथा मदद चाहिये सो राज्यके संबंधित विभागोंके अधिकारी दें। समितिके लिये राजमहलमें बैठकें करनेके योग्य स्थान आप नियत करें।

“ ६. मेरी सलाह है कि उपरोक्त धारा ४ के अनुसार आप जिन्हें सलाहकार बनायें अन्हीको अपनी कार्यकारिणी कौंसिल बना दें और उस पर आपकी ता० २६ दिसम्बरकी घोषणाके अद्देश्यके अनुसार शासन करने और अमु घोषणाके अद्देश्यके लिये विघातक मिट्ट होनेवाली कुछ भी कार्रवाही न करनेका भार डालें। अिन सलाहकारोंमें से अेकको उस कौंसिलका अध्यक्ष बनायें और यह घोषणा कर दें कि वह कौंसिल जो वक्तव्य

या हुक्म वगैरा जारी करेगी, अनु पर आप निःसंकोच हस्ताक्षर कर देंगे । यदि समितिके सलाहकारोंकी कार्यकारिणी कौंसिल बनाना आप पसन्द न करें, तो जो कौंसिल आप बनायें वह भी मेरी सलाह लेकर बनायें ।

“ ७. समिति अपना काम ता० ७-३-३९ को शुरू करे और ता० २२-३-३९ को पूरा कर दे ।

“ समितिकी रिपोर्ट आपके हाथमें आ जाय अउसके बाद आठ दिनके भीतर आप अउसकी सिफारिशों पर अमल करनेकी घोषणा करें ।

“ कल सत्याग्रही कंदियोंको छोड़ दें । अनु पर हुअे जुमाने, जन्तियां वगैरा माफ कर दें और जो वमूल हो गये हैं वे लौटा दें ।

“ मि० गिब्सनके साथ बात करने पर अउन्होंने बताया कि २६ दिसम्बरकी घोषणाके संबंधमें आप जो कुछ करेंगे अउममें वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

“ यदि आप मेरी अतनी प्रार्थना कल दोपहरके बारह बजे तक स्वीकार नहीं करेंगे, तो अउस समयसे मेरा अउपवाम शुरू हो जायगा । और जब तक अउमे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जारी रहेगा ।

“ मुझे आशा है कि आप मेरी भाषाको कड़ी नहीं समझेंगे । कड़ी हो तो आपके प्रति कड़ी भाषा अिस्तेमाल करनेका और कड़ा बननेका मुझे अधिकार है । आपके पितामहका मेरे पिताजीने नमक खाया था । आपके पिताजी मुझे पितातुल्य मानते थे । मुझे तो अउन्होंने मार्वाजनिक रूपमें गुरुपद दिया था । मैं किसीका गुरु नहीं, असलिअे मंने अउन्हें शिष्य नहीं माना था । मैं आपको पुत्रवन् मानता हूं । संभव है आप मुझे पितातुल्य न मानें । मुझे पितातुल्य मानते हों तो मेरा अनुरोध आप क्षण भरमें सहज ही स्वीकार कर लेंगे और २६ दिसम्बरके बाद प्रजा पर जो बीती है अउसके लिअे दुःख प्रकट करेंगे ।

“ मुझे स्वप्नमें भी अपना या राज्यका दुश्मन न समझें । मैं किसीका शत्रु नहीं बनूंगा । अउम्र भर नहीं बना । मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा अनुरोध हार्दिक रूपमें स्वीकार करनेमें आपका हित है, आपकी शोभा है, आपका धर्म है ।

“ आपको अँसा लगेगा कि अपनी सूचनाओंमें से कुछ मंने २६ दिसम्बरकी घोषणासे बाहर जाकर की हैं । अूपर-अूपरसे देखने पर अँसा

कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि परिषद्से बाहरके सदस्य स्वीकार करनेमें आपके स्वाभिमानका ही मैंने खयाल रखा है। इसलिये यह तो राज्यके पक्षकी ही बात हुई। दूसरे मुझावोंको, जो अक्सर घोषणासे बाहरके माने जा सकते हैं, राज्यके पक्षके न समझना हो तो वैसा कह सकते हैं। परंतु यह परिस्थिति मुझे मालूम हो रहे आपके वचन-भंगसे ही अल्पत्र हुई है। मगर मेरी दृष्टिसे तो वे भी राजा-प्रजाकी रक्षार्थ ही हैं और इस खयालसे दिये गये हैं कि समझौता फिर भंग न हो जाय।

“अन्तमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समिति जो रिपोर्ट तैयार करेगी, उसकी यदि मेरा शरीर रहा तो मैं जांच करूंगा। मेरा शरीर नहीं रहा तो मरदार बल्लभभाजी उसे देखेंगे और उसमें अंक भी धारा ऐसी नहीं रहेगी जिससे आपकी प्रतिष्ठाको या राज्य अथवा प्रजाको हानि पहुंचे।

“अिमकी नाल में गिब्सन साहबको भेज रहा हूं।

“यह पत्र मैं तुरंत प्रकाशित नहीं कर रहा हूं। और आशा तो ऐसी ही रखता हूं कि मेरे मुझाव आप महर्ष स्वीकार कर लेंगे और यह पत्र प्रकाशित करनेका धर्म मुझ पर नहीं आ पड़ेगा।

“परमात्मा आपका भला करे, आपको सन्मति दे।

माहनदासके आशीर्वाद”

अुमी समय दरबार वीरावालाको यह पत्र लिखा :

“ता० २-३-३९

“दरबार साहब वीरावाला,

“मैं क्या करूं? रातका आधा जागरण करके यह पत्र लिख रहा हूं।

“पिछले तीन दिनमें आपने मुझे बहुत कड़वा अनुभव कराया है। आपके वचनोंमें कहीं मुझे अंकता दिखायी नहीं दी। प्रत्येक वचनमें से आपकी निकल जानेकी तैयारीके सिवा और कुछ मैं नहीं देख सका। कल रातकी बातने तो हृद कर दी। प्रजाजन आपसे क्यों डरते हैं, यह मैं समझ सक्ता हूं।

“आपने मुझे अपने कार्यकी जांच करनेका निमंत्रण दिया है। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। परंतु अधिक जांचकी बात आपने रहने

ही नहीं दी। मुझे अश्वरने अतनी शक्ति, अतनी पवित्रता नहीं दी मालूम होती। मुझमें अतनी अहिंसा पैदा नहीं हुई। नहीं तो मैं जरूर आपके हृदयमें प्रवेग कर सका होता। मुझे दुःख और धर्म महसूस होती है कि मैं आपका हृदय जीतनेमें असमर्थ साबित हुआ हूँ। मेरा सत्याग्रह लज्जित हो रहा है।

“मैं मानता हूँ कि आप ठाकुरसाहब पर जो प्रभुत्व भोगते हैं, उससे उनका हित नहीं हुआ है। उनकी मानसिक पंगुता देखकर परमों रातको मेरा हृदय रो दिया। उसकी जिम्मेदारी मैं आप पर डालता हूँ।

“ठाकुरसाहबके नाम अभी मैंने पत्र भेजा है। उसीके साथ यह आपके नाम भेज रहा हूँ। आप तो वह पत्र तुरंत देख ही लेंगे। इसलिये उसकी नकल नहीं भेज रहा हूँ। यद्यपि आपने अपना निर्णय कल रातको मुना दिया है, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ठाकुरसाहबको मेरे मुझाव मान लेनेकी सलाह दें।

“परमात्मा आपके हृदयमें बसे।

मो० क० गांधीके वन्देगातरम्”

ठाकुरसाहबके नाम लिखे पत्रकी नकल मि० गिब्सनको भी भेजी और लिखा कि मैं आशा रखता हूँ कि मेरे मुझावों पर अमल होनेके मामलेमें आप यथाशक्ति हादिक सहयोग देंगे।

बादमें सरदारको फोन पर यह संदेशा भेजा :

“मेरे निर्णयमें घबरायें नहीं। केवल अश्वरकी प्रेरणासे यह काम किया है। बुद्धि भी कोई दूसरी बात नहीं मुझा सकती थी। अिसका किसीमें जिक्र न करना। मेरा मुझाव दरबार वीरावाला ठाकुरसाहबको मान लेने दें तो भले ठाकुरसाहबको ही अभी उसका पूरा यश मिले। आप अपने स्थानसे न हटिये। राजकोटका भार अुठानेको मैं यहां हूँ। अितना काफी समझना। मुझे तो अिस मामलेके दौरानमें टेलीफोनका खर्च भी बचा लेना पसन्द होगा। परंतु आपकी प्रकृति मैं जानता हूँ। अिसलिये यह अिनमीनान रखना कि जरूरत पड़ने पर समय-समय पर यहांके समाचार देनेके लिये टेलीफोनका अुपयोग करनेमें संकोच नहीं करूंगा।”

३ तारीखको बारह बजे तक ठाकुरसाहबका पत्र नहीं आया, अिसलिये अुपवास शुरू कर दिया गया। प्रार्थना और भजन पूरे हो जानेके बाद

ठाकुरसाहबका उत्तर लेकर प्रथम सदस्य आये। वह जवाब अंग्रेजीमें था। उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है।

“प्रिय महात्मा गांधी,

“आपका पत्र मिला। पढ़कर बड़ा दुःख हुआ। आपको मैं विश्वास दिला चुका हूँ कि ता० २६-१२-३८ को मेरी प्रकाशित की हुई घोषणा अब भी कायम है। कमेटीके नामोंके बारेमें आपका मुझाव अम घोषणाके अनुसार नहीं है। इसी प्रकार आपके दिये हुए दूसरे मुझाव स्वीकार करना मुझे अचित्त प्रतीत नहीं होता। राज्यके भिन्न भिन्न हितोंके मन्चे प्रतिनिधि सदस्योंकी कमेटी बने, यह देखनेकी जिम्मेदारी राजकोटके राजाकी हैसियतमें मेरी है। अपने राज्य तथा प्रजा दोनोंके हितोंका विचार करते हुए वह जिम्मेदारी मैं छोड़ नहीं सकता। जैसे महत्त्वके मामलेमें अन्तिम निर्णय किसी दूसरेको करने देना मेरे लिये संभव नहीं। मैं आपको पहले ही विश्वास दिला चुका हूँ कि मेरी यह तीव्र अभिलाषा है कि कमेटी अपना काम शांत वातावरणमें जल्दीसे जल्दी शुरू कर दे, जिसमें आवश्यक प्रतीत होनेवाले सुधार राज्यमें जारी करनेमें देर न होने पाये।

आपका
धर्मन्द्रसिंह”

अपरोक्त पत्र पढ़कर गांधीजीने ये अदुगार प्रगट किये कि “यह जवाब तो आगमें घी डालने जैसा है।” बादमें खानसाहबसे कहा, “असका बाकायदा जवाब तो मैं बादमें भेजूंगा। इस बीच अब तमाम सत्याग्रही कैदियोंको छोड़ देनेकी सलाह ठाकुरसाहबको देनेकी सूचना तो मैं आपको करूँ न? मेरा अनशन आरंभ हो गया है। असलिये मैं जिन्दा हूँ तब तक तो अब सविनय कानून-भंग दुबारा शुरू नहीं होगा। और मेरे अनशनकी खबर कैदियों तक किसी भी तरह पहुंचेगी ही। असलिये कदाचित् वे भी उपवास कर बैठें। और जब तक वे जेलमें रहेंगे तब तक अन्हें रोका या समझाया भी कैसे जा सकता है?”

प्रथम सदस्यने पूछा, “परंतु क्या आपको उपवास करना ही चाहिये? और कौजी रास्ता नहीं? आपके उपवास करनेसे तो कितना ही सविनय कानून-भंग क्यों न हो, उसे मैं ज्यादा पसन्द करूंगा।”

गांधीजी बोले: “यह मैं जानता हूँ। परंतु इस अवस्थामें अतनी अन्तर-परीक्षाके बाद खुदाके नाम पर किये गये उपवासके फैसलेको बदलनेका

विचार करूँ तब तो सत्तर वर्ष तक मेरा जीना व्यर्थ ही होगा न ? और कोजी मार्ग नहीं रहा तभी तो यह निर्णय करना पड़ा है।”

फिर अन्होंने ठाकुरसाहबके पत्रका उत्तर लिखवाया :

“मेहरबान ठाकुरसाहब,

“आपका पत्र पढ़कर दुःख हुआ। असा नहीं लगता कि वचनका आपके लिये कुछ भी मूल्य है। आपका व्यवहार तो किसी बड़े दानका वचन देकर अुस वचनका भंग करनेवाले मनुष्य जैसा है। ता० २६-१२-३८ की घोषणा द्वारा आपने प्रजाको कितना विशाल दान दिया था ? अुदारता राजवंशी स्वभावका अेक लक्षण है, और आभूषण भी है।

“अुस घोषणा द्वारा आपने अेक अुदार दान घोषित किया था। अुसमें मुख्य स्वर सुधार-समितिके सदस्योंके नामोंके चुनावका हक छोड़नेका है। और हमारे मामलेमें तो आपने सरदारको परिषद्के प्रतिनिधिके रूपमें अेक खास पत्र लिखकर वह हक दे दिया है। मैं यह मानता हूँ कि कलके मेरे पत्रमें बनायी हुयी शर्तोंकी स्वीकृति वचन-पालनके लिये आवश्यक है। अीश्वर आपको अुन्हें स्वीकार करनेकी सद्बुद्धि दे।

“खानसाहब द्वारा आज मैंने आपके नाम अेक सूचना भेजी है। अुस पर अमल करना अुचित होगा। अिस समय सत्याग्रह स्थगित हो जानेके कारण सत्याग्रही कंदियोंको मुक्त कर देना आपका धर्म है।

मोहनदासके आशीर्वाद”

४ तारीखको तड़के ही गांधीजी खूब ताजे होकर अुठे। अुठकर मि० गिब्सनके नाम निम्न पत्र लिखवाया और अुमे वाअिसराँयको तारसे भेजनेकी सूचना दी :

“४-३-३९

“प्रिय मि० गिब्सन,

“आज प्रातः जल्दी अुठकर आपको जो कुछ लिख रहा हूँ वह अखबारोंको लिख भेजनेका विचार हुआ था। बादमें खयाल आया कि अुसका मजमून वाअिसराँय महोदयको तारसे भेजा जाय। अन्तमें मुझे

सही मार्ग सूझा कि अपने विचार आपको लिखकर बता दिये जाय और अन पर आपको जो आलोचना करनी हो उसके साथ वह पत्र वाअसरॉय महोदयको तारसे भेज देनेकी आपसे प्रार्थना की जाय ।

“मेरा खयाल है कि ठाकुरसाहबको विचारशील और जिम्मेदार राजा माननेमें मैं या मुझे कहने दीजिये कि हम सब अक ढोंग कर रहे हैं । यह बात मुझे परसों जब मैंने आपको अपने सुझावोंवाला पत्र लिखा तभी मालूम हुआ थी । मुझे पता नहीं कि मेरा पत्र अन्हें पढ़ने दिया गया होगा या नहीं ? और पढ़ने दिया गया होगा तो भी वे उसका पूरा अर्थ समझ सके होंगे या नहीं ? मैं आशा रखता था कि मेरे अपने और मेरे बापदादोंके ठाकुरसाहबके पिता तथा पितामहके साथ जो संबंध थे, अन्के कारण मैं अन्के भीतर कर्नलका भान जाग्रत करा सकूंगा । परंतु राजकोटके असली राजा दरबार वीरावाला हैं । ठाकुरसाहबके नाम अपने पत्रमें मैंने कहा है कि वे बिलकुल विश्वासपात्र नहीं हैं । अन्हें ठाकुरसाहबकी पहली घोषणा पसन्द नहीं है । अन्का बम चले तो वे सुधार-समितिमें अपने नामोंका बहुमत करके अमें रह करे दें । अिस समय राज्यमें वे किसी पद पर नहीं हैं । फिर भी अन्की मरजी ही अन्तिम कानून है । वे लिखत आज्ञाें भी देने हैं । राजमहलमें अन्होंने अपने भर्ताजेको रख छोड़ा है । केवल वे ही ठाकुरसाहबके पास जब चाहे जा सकते हैं । आप जानते हैं कि सर पैट्रिक केडलका अन पर (दरबार वीरावाला पर) जरा भी विश्वास नहीं था और अन्होंने अन्हें राजकोटमें रहने या ठाकुरसाहबसे कोअी भी संबंध रखनेसे मना कर दिया था । फिर भी पहली लड़ाीके दौरानमें वे राजकोट चले आये, अिसके लिये कर्नल डेवीको अन्हें आड़े हाथों लेना पड़ा था । आज राजकोटमें जैसा अंधेर मचा हुआ है, उसका नमूना मुझे और कहीं नहीं मिलता । मेरा निश्चित मत है कि यह मामला अैसा है अिसमें ठाकुरसाहबसे वचनका पालन करानेके लिये सावंधीम सत्ताको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिये ।

“सुधार-समितिमें अिन गैरसरकारी लोगोंके नाम सरदार पटेल सुझाये, अन्की नियुक्ति ठाकुरसाहबको करनी चाहिये । वह २६ दिसम्बरकी कार्रवाअीका अक अंग है । ठाकुरसाहबके नाम कलके पत्रमें मैंने कहा है कि अैसी कोअी सावधानी नहीं रखी जाय तो उस घोषणाको आसानीसे निरर्थक बनाया जा सकता है । साथमें

ठाकुरसाहबके पत्रकी और अन्हें दिये गये मेरे उत्तरके अनुवादकी नकल आपको भेज रहा हूँ।

आपका

मो० क० गांधी”

अुमी दिन दोपहरको मिस अेगेथा हैरिसन राजकोट आ पहुंचीं। अुन्हें यह समझाते हुअे कि कितना अनिवार्य होने पर अपुवास शुरू किया है, गांधीजीने कहा, “सबमुच यह अपुवास मेरे सिर पर आ पड़ा है। अपुवासोंमें मैं बिलकुल थक गया हूँ। मेरे अपुवासोंमें हमेशा आनेवाली अुबकाअी और वेचनीकी कल्पना होते ही मैं कांप अुठता हूँ।”

श्रीमती अेगेथाने पूछा : “यहांकी स्थितिके बारेमें आपका क्या खयाल है ?”

गांधीजी बोले : “पत्थरकी दीवारके विरुद्ध खड़े हैं। यहां चारों तरफ अंधेर ही अंधेर है। रेजीडेण्ट रोजमार्गिके कामकाजमें दखल देनेमें अपनी असमर्थता प्रगट करते हैं। प्रथम मदस्य कहते हैं कि राज्यके हुकमोंके सिलसिलेमें पुलिसका शासन संभालने तक ही मेरा संबंध है। राज्यके बड़े मामलों और बड़ी नीतिके साथ मेरा सरोकार नहीं। ठाकुरसाहबमें तो अेक दरवार वीरावालाके सिवा अंग कोअी मिल ही नहीं सकता। वे राज्यमें किमी पद पर नहीं हैं, तो भी असली कर्ता-धर्ता वही हैं। हुकमों पर वे दस्तखत तक करते हैं। किमी बातमें कुछ भी अुचित कारंवाअी करनेको अुनसे कहें तो यह कहकर अलग हो जाते हैं कि यह तो ठाकुरसाहबके हाथकी बात है। अिस प्रकार जहां जाअिये वहीं किमी निबटारेकी बात पर जबरदस्त ताले लगे हुअे हैं।”

शामको राज्यकी तरफसे अेक वक्तव्य प्रकाशित हुआ। अुम वक्तव्यका सबमें चौंकानेवाला भाग वह था जिममें अिस आधार पर गांधीजीके विरुद्ध आक्षेप खड़ा कर लिया गया था कि अुन्होंने ठाकुरसाहबको जो पत्र लिखा, अुसमें अुन्होंने राज्यके जुल्मोंका कोअी अुल्लेख नहीं किया—यद्यपि अैसा गांधीजीने जानबूझकर ही किया था। अिसका यह अर्थ निकाला गया कि गांधीजी द्वारा की गअी जांचमें राज्यके विरुद्ध लगाये गये आरोप झूठे होनेका गांधीजीको अितमीनान हो गया है। फिर भी अिस बारेमें अफसोस जाहिर न करनेके लिये गांधीजीका दोष बताया गया।

गांधीजीने अिस बयानका संक्षिप्त अुत्तर दिया :

“मैं चुप अिसीलिये रहा था कि खानसाहब और अुनके मातहत कर्मचारियोंके साथ, जो सत्याग्रहियोंके प्रति हुअे बरतावके लिये

मुख्यतः जिम्मेदार थे, भूलसे भी अन्याय न होने देने और उनके साथ संपूर्ण न्याय करनेके लिये मैं अत्युत्सुक था। परंतु मेरे मौनकी कद्र करनेके बजाय अलुटे मेरे विरुद्ध प्रमाणके तौर पर सरकारी वक्तव्यमें उसका अप्रयोग किया गया है। जिसलिये वस्तुस्थिति प्रगट करना मेरा कर्तव्य हो जाता है।

“दोनों जेलोंको देख लेनेके बाद मैंने खानसाहबसे कहा था कि कैदियोंकी बात मुनकर मैं सहम अटा हूं और उनके आरोप मान लेनेकी ओर मेरा झुकाव है। उनमें से बहुतोंको मैं निजी तौर पर जानता हूं और दूसरे भी बहुतमे लोग समाजमें अिज्जनदार और प्रतिष्ठित माने जानेवाले सदगृहस्थ हैं। उनका कहा गलत साबित न कर दिया जाय तब तक हर कोअी सच ही मानेगा। जिसलिये मैंने खानसाहबसे कहा कि आरोप अितने ज्यादा गंभीर हैं और अितने विविध प्रकारके हैं कि राज्यके साथ न्याय करनेका मेरे लिये केवल अेक यही मार्ग है कि निष्पक्ष न्यायालयके सामने उनकी न्यायपूर्वक जांचका मुझाव दूं। . . . मुझे पर अुलटा वचन-भंगका जो आरोप वक्तव्यमें लगाया गया है वह तो निरी निष्ठुरता है।”

३ तारीखको गांधीजीके कुछ साथियोंने कम्तूरबासे मिलनेकी अनुमति प्राप्त करनेका प्रयास किया था। उन्हें जवाब मिला, “कल फिर कोशिश करके देखिये। ठाकुरसाहबको पूछना पड़ सकता है।” दूसरे दिन आवश्यक मंजूरी मिल जानेसे डॉ० सुशीला नय्यर तथा अन्य दो आदमी बासे मिलने श्रंवा गये। बाने गांधीजीके नाम अेक हृदयद्रावक पत्र भेजा था, जिसमें अनशन करनेमें पहले उनसे बात तक न करनेके लिये नम्र अुलहना दिया था। उसके जवाबमें साथियों द्वारा गांधीजीने यह सन्देश भेजा था :

“तुम व्यर्थ चिन्ता करती हो। अपवासका निश्चय करनेसे पहले तुमसे या और किसीसे कैसे बात करना ? मैं खुद ही कहां जानता था कि अनशन चला आ रहा है। अीश्वरने आवाज दी तो मैं उसका अनुकरण करनेके सिवा और कर ही क्या सकता था ? जब आखिरी बुलावा आयेगा — और किसी दिन तो आयेगा ही न ? — तब भी तुमसे या किसीसे पूछनेके लिये ठहरा थोड़े ही जा सकेगा ?”

अिसके सिवा गांधीजीने अेक मौखिक सन्देश भी भेजा था — क्या तुम चाहती हो कि अपवासके दिनोंमें तुम्हें मेरे पास रहने देनेके लिये मैं राज्यसे आजिजी करूं ? बाने तुरंत अुत्तर दिया : “बिल्कुल नहीं। ये लोग मुझे आपके स्वास्थ्यके समाचार प्रतिदिन दे दिया करें तो मुझे संतोष होगा।”

फिर भी गांधीजीको कस्तूरबाके बारेमें चिन्ता तो रहा ही करती थी। सबका खयाल था कि पहलेके अपवासोंकी तरह इस बार भी सत्ताधारी अपवास शुरू होते ही बाको गांधीजीके पास रहनेको भेज देंगे। ४ तारीखको गांधीजीने प्रथम सदस्यसे पुछवाया कि बाकी कानूनन् सही स्थिति क्या है? क्या वे अपनेको स्वतंत्र व्यक्ति मानकर कही भी जा आ सकती हैं? या फिर आप अन्हें जो राज्यके अतिथि समझते हैं वह राज्यके कंदीका केवल दूसरा नाम है? इसका उत्तर नहीं दिया गया। ५ तारीखको प्रातः गांधीजीने फिर पत्र लिखकर पुछवाया। उसका भी दोपहर तक अन्तर नहीं आया। दोपहरको सबके आश्चर्यके बीच राज्यकी मोटर राष्ट्रीय पाठशालामें आकर बाको छोड़ गयी। प्रथम सदस्यने बासे अतना ही कहा था कि “ठाकुर-साहब आपको गांधीजीसे मिलने भेजना चाहते हैं।” बा विना किसी सामानके आयी थी। वे नहीं चाहती थी कि अउनकी साथिन मणिबहन और मृदुलाबहनसे अन्हें अधिक सुविधाअें मिलें। अिसालिअे गांधीजीने निर्णय किया कि बा वापस जायं और त्रंबामें अपनी साथिनोंके साथ जाकर रहें। अउन तीनोंकी कानूनी स्थिति जाननेके लिअे दिन भरमें कुल पांच चिट्ठियां गांधीजीने खानमाहबको लिखीं। परंतु कोअी संतोषजनक स्पटीकरण नहीं मिला। अन्तमें गांधीजीने लिखा :

“बिलकुल तुच्छ बातोंमें मुझे धुब्ध होना पड़े, डांक्टरकी सूचनाके विरुद्ध समय देना पड़े और आपको तकलीफ देनी पड़े, यह मेरे लिअे दुःखकी बात है। अैसा अनुभव जीवनमें पहली बार यहां हो रहा है, जिसे मैं अपना घर मानता हूं।”

बादमें शामको साढ़े सात बजे बाको त्रंबा वापस भेज दिया गया।

६ तारीखको सत्ताधारियोंने तीनोंको बिना शर्त छोड़कर प्रश्नका निबटारा कर दिया।

५ तारीखको सरदारने त्रिपुरीसे अखबारोंमें यह वक्तव्य निकाला :

“गांधीजीने राजकोटके ठाकुरसाहब और वहांकी प्रजाके बीच हुए पवित्र करारका पालन करानेके नैतिक प्रश्न पर अपवास आरंभ किया है। अिस प्रश्नमें मुधार-समितिके प्रजाके प्रतिनिधियोंका बहुमत होनेके हकका समावेश होता है। यह देखकर मुझे खेद होता है कि ‘टाइम्स ऑफ अिडिया’ ने अपने अग्रलेखमें यह लिखा है कि जिस महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमें समझौतेकी शर्तें लिखी गयी हैं अुसके दो अर्थ हो सकते हैं। अम दस्तावेजकी भाषा स्पष्ट और असदिग्ध है।

ठाकुरसाहबके और मेरे बीच हुआ बातचीतके दौरानमें अिस बारेमें कोअी शंका या बहस पैदा ही नहीं हुआ थी कि समितिमें प्रजाका बहुमत होना चाहिये। अुलटे ठाकुरसाहबने २६ दिसम्बरको जिस करार पर दस्त-खत किये थे, अुसकी बुनियाद ही अिस मुद्दे पर रची गयी थी। अिस लंबी बातचीतके अितिहासमें यह मालूम हो जाता है।

“ गत नवम्बरमें जब गांधीजीके पास समझौता करा देनेकी बात ले जायी गयी, तब अुन्होंने समझौतेकी शर्तोंका मसौदा तैयार कर दिया था। अुसमें यह शर्त रखी गयी थी कि प्रजा-परिषद्के प्रति-निधियोंका बहुमत होना चाहिये; और वह बहुमत तय करनेका काम मुझ पर छोड़ा गया था। अुस समय जो सज्जन मध्यस्थता कर रहे थे, वे वह मसौदा लेकर २३ नवम्बरको अहमदाबादमें मेरे पास आये थे। तब यह निश्चय किया गया था कि समितिमें सात सदस्य परिषद्के और तीन राज्यके होने चाहिये। अुन सज्जनके साथ शर्तोंका जो मसौदा मैंने ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक केडलको भेजा था अुसमें यह धारा थी।

“ अुस धाराके विरुद्ध ठाकुरसाहब या सर पैट्रिक केडल दोनोंमें से अेकने भी आपत्ति नहीं की और न अुसमें कोअी फेरबदल किया। अुस धाराके बारेमें अुन्होंने अितना ही सुझाव दिया था कि मैं जिन सात सदस्योंके नाम दूं, वे राजकोटके असली निवासी होने चाहिये। बादमें वह बातचीत दूसरे कारणोंसे टूट गयी। परंतु अुस वार्तालापके दौरानमें किसी भी समय अिस शर्तके विरुद्ध आपत्ति नहीं अुठायी गयी थी।

“ ता० १५-१२-३८ को ठाकुरसाहबके साथ अेक और मध्यस्थके मारफत फिर बातचीत शुरू की गयी। ये सज्जन ठाकुरसाहब तथा दरबार वीरावालाकी तरफसे अधिकारपूर्ण पत्र लेकर आये थे। चर्चाके लिये जो शर्तें लेकर वे सज्जन आये थे, अुनमें अपरोक्त शर्तें शामिल थीं। १९ तारीखको अपनी तरफसे जो जवाबी मसौदा मैंने भेजा था, अुसमें भी वह शर्त सम्मिलित थी।

“ २६ तारीखको राजकोटमें जब शर्तों पर बहस हुआ तब सबको यह बात मंजूर थी कि परिषद्के बहुमतकी यही शर्त समझौतेकी बुनियाद मानी जायगी। अिस बहुमतको कम करनेके लिये मुझे बहुत अनुरोध किया गया, जो मुझे नामंजूर करना पड़ा था। मैंने अुनका

एक ही सुझाव माना था कि मेरी ओरसे सुझाये जानेवाले सात नाम राज्यके वतनियोंके होने चाहिये। कौंसिल मेरी तरफके सातों नाम वहीं और अुसी क्षण माननेको तैयार थी। परंतु मुझे जिनकी सलाह लेकर नाम तय करने थे वे सब अुस वक्त जेलमें थे। इसलिये यह निश्चय हुआ कि मैं बादमें नाम भेज दूं।

“यह नहीं भूलना चाहिये कि वह समझौता एक तरफ ठाकुर-साहब तथा अुनकी कौंसिल और दूसरी तरफ मैं तथा मेरे साथके अन्य तीन व्यक्ति इस प्रकार दोनों पक्षोंके बीच आठ घंटेकी चर्चाके बाद हुआ था। सात सदस्योंकी संख्याको घटाकर तीन करके प्रजा-परिषद्के सदस्योंका अल्पमत कर डालनेकी ठाकुरसाहबकी स्वतंत्रता रहेगी, यह मुझसे कहा जाता तो मैं अुस वार्तालापमें कभी भाग न लेता। अुस समझौतेके एक भागके रूपमें ठाकुरसाहबने मुझे जो पत्र दिया था अुससे निश्चित पता चलता है कि अुस समय अुनका अिरादा सानका बहुमत घटानेका बिलकुल नहीं था। यदि ठाकुरसाहबकी अिच्छानुमार इस संख्यामें कमी करनेकी बात होती, तो यह समझौता करने या अुसे पवित्रतापूर्वक लेखवद्ध करनेका कोई अर्थ ही नहीं था।

“समझौता हो जानेके बाद तुरंत ही गांधीजीको मैंने तार दिया था :

‘आठ घंटेकी लंबी बातचीतके बाद आज तड़के ही दो बजे प्रभुकृपासे समझौता हो गया। मुख्य शर्तें आपके मसौदेके अनुसार स्वीकार कर ली गयी हैं। करार भेज रहा हूं।’

“अुसी दिन बादमें मैंने गांधीजीको तारसे समझौतेकी शर्तें भेजी थीं, जिनमें कहा गया था :

‘प्रजाकी तरफके सात प्रतिनिधि ठाकुरसाहब मेरी सिफारिशके मुताबिक मुकर्रर करेंगे। घोषणामें इसकी स्पष्टता नहीं है, परंतु इसके लिये अलग लिखित स्वीकृति ले ली है।’

“अिस परसे अिस बारेमें कुछ भी शक नहीं रह जाता कि करारकी बुनियाद यह थी कि सुधार-समितिमें परिषद्के प्रतिनिधियोंका बहुमत रहना चाहिये। अिसके खिलाफ जो मतलब लगाया गया है, वह किये गये समझौतेसे निकल जानेके लिये बादमें पैदा कर लिया गया है। यदि ठाकुरसाहबकी प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संख्या घटाकर अल्प-मतमें रखनेकी सत्ता दी गयी होती, तो प्रजाकी लड़ायी, बातचीत

और कौल-करार सभी व्यर्थ हो जाते। अैसे नाजुक मामलेमें झगड़ेके मुद्दोंको अस्पष्ट बना देनेके प्रयत्न अत्यंत दुःखद माने जायेंगे।”

५ और ६ तारीखको गांधीजीकी बहन अगेथासे महत्त्वकी बातें हुईं। गांधीजीने अन्हें जीवन-संबंधी अपना तत्त्वज्ञान समझाया। यह स्पष्ट किया कि साथियोंके प्रति पक्षपातके कारण साथियोंके दोष न देखना अुनके लिये कितना असंभव है। साथनोंकी शुद्धता पर वे कितना अधिक जोर देते हैं, यह समझाते हुअे अन्होंने कहा :

“गैतानके पंखों पर चढ़कर स्वर्ग पहुंचा जा सकता हो तो भी सत्याग्रही अैसा नहीं करेगा। कभी कभी मेरे और मेरे साथियोंके बीच भेद किया जाता है। मुझे अच्छा और साथियोंको बुरा चित्रित किया जाता है। यह द्वेषमूलक और अनुचित है। (सरदारका अुदाहरण देकर कहा) अुनके बारेमें बेहद गलतफहमी है। अिमका कारण भी मैं समझता हूं। अुनकी सचि-अरसचि बहुत मजबूत है। और वे बड़े मूहफट आदमी हैं। अिमीलिये सब कठिनाअी पैदा होती है। परंतु मेरी यह बात पूरी तरह मान लीजिये कि अुनमें किसी भी तरहकी दुष्टता नहीं है। मैं कहता हू कि कोअी भी अुनके विरुद्ध निश्चित आरोप लगाये और अुनकी निष्पक्ष जांच कराये, तो अुनके साथ खड़े होने या गिरनेको मैं तैयार हूं। अैसे आक्षेपोंका मूल्य मैं जानता हूं। खुद मुझे पर आज गंदेमें गंदे हमले हो रहे हैं।”

यह अनशन किसलिये है? क्या और कोअी मार्ग नहीं था? अिमके अुत्तरमें अगेथाके सामने अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुअे गांधीजीने कहा :

“काठियावाड़को मैं जानता हूं। वह बहादुर काठियोंकी भूमि है। साथ ही पड़यंत्रबाजी और गंदगी भी अुसमें अुननी ही भरी हुअी है। यह गंदगी बलिदानके बिना कंसे साफ हो सकती है? यदि मेरी अिच्छा-नुसार होता तो अिम अनशनकी जरूरत न पड़ती, किसीसे बहम करनेकी आवश्यकता न रहती, मेरी बात गले अुतर जाती। सचमुच बात कहनेकी भी जरूरत न पड़ती। अिच्छामात्रसे वांछित परिणाम लाया जा सकता था। परंतु मुझे अपनी मर्यादाओंका दुःखद भान है। अिसीलिये तो अपनी आवाज सुनानेको यह सब मुझे सहना है।

“दूसरा रास्ता सविनय कानून-भंगका है। परंतु अुसे मैंने अिस समय जानबूझ कर रद्द कर दिया है। कारण, मैं देखता हूं कि अुसने

जो सत्ताधारी हैं उनके अंतरमें बसनेवाला पशु ही जाग अठता है । सत्याग्रहीका लक्ष्य तो हरअक आदमीके हृदयमें रहनेवाले उस पशुको अखाड़ फेंकना है । सविनय कानून-भंगका आन्दोलन शुरू करनेसे जो कष्ट सहना लोगोंके लिये अनिवार्य हो जाता है, उसे मैंने स्वयं यह कष्ट अपने गिर लेकर टाल दिया है । मैं किसी भी चीजसे न घबरानेका अविरत प्रयत्न कर रहा हूँ । दरबार वीरावालाके प्रति भी मेरे अंतरमें मद्भाव भरा हुआ है । मेरे अपुवाममे उनके और ठाकुरसाहब दोनोंके दिलमें जिम्मेदारीका भान जाग्रत हो तो अपुवासको मैं सार्थक हुआ समझूंगा ।”

वाअिसराँय अुम समय दारे पर थे । वे अपना दौरा छोड़कर ६ तारीखको दिल्ली पहुंचे । दिन भर और आधी रात तक राजकोट और दिल्लीके बीच तथा राजकोट और वंदीके बीच टेलीफोनकी घंटियां बजती रहीं । ७ तारीखको प्रातः पौने ग्यारह बजे वाअिसराँय महोदयका निम्नलिखित सन्देश मि० गिबमनके मारफत गांधीजीको पहुंचाया गया :

“आपका संदेश मुझे अभी मिला । उसके लिये आपका बहुत ही आभारी हूँ । मैं आपकी स्थिति समझता हूँ ।

“आप जो कर रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि इसमें मुख्य बात आपको वचन-भंगकी मालूम होती है । मैं देखता हूँ कि ठाकुरसाहबकी जिस घोषणाकी पूर्ति बादमें उनके द्वारा सरदार वल्लभभाजी पटेलको लिखे गये पत्रसे की गयी थी उसके अर्थके बारेमें शंकाकी गुंजाअिश हो सकती है । मेरे खयालमें अंसी शंकाका निवारण करनेका सबसे बढ़िया अुपाय यही है कि देशके सबसे बड़े न्यायाधीशसे अुमका अर्थ करा लिया जाय । असिलिये मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ठाकुरसाहबकी अनुमतिसे — और मुझे खबर मिली है कि वे अनुमति देनेको तैयार हैं — अुनकी अपरोक्त घोषणा तथा पत्रकी हसे कमेटी किम प्रकार बनायी जाय, असि बारेमें भारतके बड़े न्यायाधीशकी राय ली जाय । बादमें अुनकी दी गयी रायके अनुसार कमेटी बनायी जाय । और यह भी निश्चिन कर दिया जाय कि जिस घोषणाके अनुसार अुन्हें सिफारिशें करनी हैं, उसके या उसके किसी भागके अर्थके बारेमें कमेटीके सदस्योंके बीच कभी कोयी मतभेद पैदा हो तो वह सवाल भी अुन्हीं प्रधान न्यायाधीशके सामने पेश किया जायगा और अुनका निर्णय अन्तिम माना जायगा ।

“ ठाकुरसाहबकी तरफसे दिलाये गये अिस विश्वासके साथ कि अुनकी घोषणामें दिये गये वचनोंका वे पालन करेंगे और मेरी तरफसे दिलाये गये अिस विश्वासके साथ कि ठाकुरसाहबसे वचन-पालन करानेकी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, की गयी व्यवस्थासे आपके मनमें पैदा हुआ सारा डर मिट जायगा, अँसा मैं पूरी तरह मानता हूँ। आप मेरे साथ अिस बातमें सहमत होंगे कि अिस मामलेमें न्याय करनेके लिये अब पूरी सावधानी रखी जा रही है, अतः आपको अनशन छोड़कर अपने शरीरको ही रहे कष्टसे और मित्रोंको ही रही चिन्तासे अुन्हें मुक्त करना चाहिये।

“ मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे आपसे यहां मिलकर और आपसे चर्चा करके बड़ी खुशी होगी, ताकि रही-सही जंकाओं और मंदेश भी दूर हो जायं। ”

गांधीजीने मि० गिन्सनके मारफत वाअमरायको तारसे निम्न मंदेश भिजवाया :

“ आपके शीघ्र भेजे गये जवाबके लिये मैं आपका आभारी हूँ। जवाब मुझे तुरंत पीने ग्यारह बजे पहुंचा दिया गया है।

“ यद्यपि आपके अुनरमें स्वाभाविक रूपमें बहुतसी बातोंका अुल्लेख बाकी रह गया है, फिर भी अनशन छोड़नेके लिये और जो लाखों लोग मेरे अुपवासके पीछे रहे समझीतेके लिये प्रार्थनाओं और अन्य प्रयत्न कर रहे हैं अुनकी चिन्ता दूर करनेके लिये मैं आपके अिस भले संदेशको पर्याप्त कारण मानता हूँ। अपने पक्षमें मैं अितना ही कहना अुचित समझता हूँ कि जिन बातोंका आपके तारमें अुल्लेख नहीं है, वे मेरी तरफसे छोड़ी नहीं गयी हैं। अुन बातोंमें मुझे संतोष मिन्दना बाकी रहेगा। फिर भी रूबरू चर्चा होने तक अुन बातोंको मुलतवी रखा जा सकता है। ज्यों ही दिल्ली तक सफर करनेकी डॉक्टर अिजाजत देंगे मैं दिल्ली चला आऊंगा।

“ जिस मामले पर मुझे अनशन करना पड़ा, अुसे अितनी तत्परता और सहानुभूतिसे हाथमें लेनेके लिये मैं फिर अेक बार आपका आभार मानता हूँ। ”

अुपवास छोड़नेसे पहले सरकारके साथ हुआ पत्रव्यवहार प्रकाशित करनेकी अिजाजत गांधीजी सरकारसे ले लेना चाहते थे। अिसके लिये नयी दिल्लीसे पूछना जरूरी था। दोपहरको दो बजे आवश्यक अनुमतिवाली मि० गिन्सनकी चिट्ठी आ पहुंची। अिसलिये प्रार्थना वगैराकी विधिके बाद

दोपहरको दो बजकर बीस मिनट पर गांधीजीने अपवास खोला। तमाम सत्याग्रही कैदियोंको अुसी दिन छोड़ दिया गया।

सबके हृदयोंमें आनन्द छा गया और सबको अनुभव हुआ कि गांधीजीकी जबरदस्त जीत हुई। परंतु विजयकी घड़ी गांधीजीके लिये सदा आत्म-निरीक्षणकी होती है।

परिषद्के कार्यकर्ताओंके साथ अुन्होंने दिल खोलकर बातें कीं और अपने हृदयका पृथक्करण करके अन्तरदर्शन करनेकी अुन्हें सूचना की। १० तारीखकी शामको दरबार वीरावाला गांधीजीसे मिले। अुनके साथ लगभग घंटेभर बातें हुईं। अुस बातचीतके बाद गांधीजी अुदास और गहरे विचारमें डूबे हुए मालूम हुए। अुनके दिलमें कुछ अँसी अुथल-पृथल हो रही थी: “मेरी अहिंसामें क्या दोष है? मेरे अशनके बाद भी दरबार वीरावालामें कोअी परिवर्तन क्यों नहीं जान पड़ता?” ११ तारीखको जागीरदारोंकी तरफसे शिष्टमंडलके रूपमें मिलनेकी मांगका पत्र मिला। समय बचानेके लिये गांधीजीने अुन्हें छोटीसी चिट्ठी लिख भेजी और यह विश्वास दिलाया कि अुनके और मुसलमानोंके बीच कोअी फर्क नहीं किया जायगा।

१२ ता० को कार्यकर्ताओंके साथ हुआ बातचीतके दरमियान गांधीजीने राजकोटके सत्याग्रहका परीक्षण किया :

“मेरा खयाल है कि हमारी पहली भूल राजकोट सत्याग्रहमें सारे काठियावाड़ियोंको शरीक होनेकी अिजाजत देनेमें हुई। अिससे लड़ाईमें दुर्बलताका तत्व घुम गया। हम संख्या-बल पर चले गये। सत्याग्रही तो असहायके अेकमात्र सहायक अीश्वर पर ही आधार रखता है। सत्याग्रही सदा अपने मनमें कहता है कि जिसके नाम पर सत्याग्रह छोड़ा है वही अुसे पार लगायेगा। राजकोटके कार्यकर्ताओंने अिसी प्रकार विचार किया होता तो वे बड़े जुलूसों और प्रदर्शनोंकी योजना करनेके लालचसे बच जाते और अुसके फलस्वरूप जो जुल्म हुए अुनसे राजकोट भी बच जाता। सच्चा सत्याग्रही अपने विरोधीको अभयदान देता है; अुसके कार्यसे विरोधीके दिलमें कभी घबराहट नहीं पैदा होती। मान लीजिये सत्याग्रहके नियमोंके अितने कड़े अमलके कारण मुट्ठीभर सत्याग्रही सच्चे सत्याग्रहके जोशसे अंत तक लड़ने निकल पड़ते, तो वे सचमुच आदर्श लड़ाईकी मिसाल कायम कर देते।”

१३ मार्चको गांधीजी दिल्लीके लिये रवाना हुए। संघ-न्यायालयके प्रधान न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायरके सामने दोनों पक्षोंको अपना-अपना

मामला पेश करना था। प्रधान न्यायाधीश द्वारा निश्चित कार्यपद्धतिके अनुसार सरदारने अपनी कैफियत पश्चिम भारतके देशीराज्योंके रेजीडेण्टके यहां ता० १७ को पेश कर दी। उसमें ता० २६-१२-३८ को ठाकुरसाहबके साथ हुअे समझौते तथा ठाकुरसाहब द्वारा सरदारको लिखकर दी हुअी चिट्ठी वगैरा कागजात पेश किये गये। राजकोट ठाकुरसाहबका अुत्तर २६ मार्चको पेश किया गया। वह अुत्तर छपे हुअे चालीस फुलस्केप पन्नोंमें था। उसमें मुख्य मुद्दे दो ही थे। पहलेमें ता० २६ के करारके बारेमें प्रपंच, दबाव और दगाबाजीके आक्षेप थे। दूसरा मुद्दा सरदार जो सात नाम दें अुनमें से ठाकुरसाहब पूरी जांच करके जिन्हें ठीक समझें अुनकी नियुक्ति करनेके बारेमें था। प्रपंच और दगाबाजीके आक्षेप पढ़कर सरदारके साथ गांधीजी भी क्षुब्ध हो अुठे। और अुन्होंने आत्म-निरीक्षण करना शुरू किया : "मेरा अुपवास अितना बेकार क्यों साबित हुआ ? दरबार वीरावाला अितना क्यों नहीं समझ सकते कि प्रपंचमें प्राप्त किये हुअे दस्तावेजके जोर पर मैं कभी अुपवास नहीं कर सकता ?"

मामलेकी बहस करने दरबार वीरावाला स्वयं दिल्ली गये। अुन्होंने बहुत लंबी बहस की। सरदारने समझौतेकी बातचीतकी शुरूसे लेकर २६ दिसंबरको करार हुआ तब तककी तफसील संक्षेपमें पेश की।

दोनोंकी बहस सुनकर ३ अप्रैलको भारतके प्रधान न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायरने अपना फैसला दिया। अुसके अधिक महत्त्वके अंश हम यहां अुद्धृत करेंगे :

“यह कहा गया है — यद्यपि दोनों पक्षोंसे जब मैं रूबरू मिला तब अिस बारेमें कुछ भी आग्रह नहीं किया गया — कि यह पत्र ठाकुरसाहबसे कुछ दबाव डालकर हासिल किया गया था। मुझे सौंपे गये अिस मामलेकी जांचके सम्बन्धमें ठाकुरसाहबकी दी गअी अनुमतिको ध्यानमें रखते हुअे अैसे सुझावका मैं विचार तक भी कर सकता हूं या नहीं, अिस बारेमें शंका है। परंतु अितना ही कहना अुचित होगा कि मुझे अैसे दबावकी बात माननेके लिये कोअी सबूत नहीं मिला। अुलटे श्री वल्लभभाअीके नाम बादमें लिखे गये पत्रोंमें अुसके विरुद्ध काफी प्रमाण मिल जाता है।

“मुझे यकीन हो गया है कि दबाव डाले जानेकी बात किसी भी कानूनी अर्थमें टिक नहीं सकती। ठाकुरसाहबका श्री वल्लभभाअीको दिया हुआ पत्र दरबार वीरावालाके अपने ही शब्दोंमें मित्रभावसे लिखा

गया है। इस बातका श्री वल्लभभाजी पटेलके नाम ठाकुरसाहबके दूसरे दिन लिखे हुअे दूसरे पत्रसे समर्थन होता है। अुसमें वे लिखते हैं :

‘आप राजकोट आये, अिसके लिअे मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं। अिस कांडका अन्त करनेमें आपने मेरी जिस प्रकार सहायता की है अुसकी मैं खूब कद्र करता हूं।’

“ता० २६-१२-’३८ का पत्र प्रकाशित नहीं किया गया था और वैसा करनेका कोअी कारण भी नहीं था। मैं तो अुम पत्रको ठाकुरसाहब द्वारा स्वयं श्री वल्लभभाजीको दी हुआ अिस खबरके पत्रके रूपमें ही मानता हूं कि गजटमें प्रकाशित हुआ घोषणाके अनुसार जो नाम “बादमें प्रकाशित होनेवाले थे”, वे घोषणाके मसौदेमें बताये मुताबिक श्री वल्लभभाजी पटेलकी सिफारिशके अनुगार ही रहनेवाले थे।

* * *

“ठाकुरसाहबकी तरफसे पेश की गअी लिखित कैफियतमें की गअी बहसका सार यह है : ‘सिफारिश शब्द ही साफ बताता है कि प्रत्येक नाम पर विचार किया जायगा और तदनुसार विचार करने पर सिफारिश किये गये किसी भी शरूमका नाम — अुदाहरणार्थ फलां आदमी अनुकूल नहीं है, होशियार नहीं है या अवांछनीय है, अैसे किसी कारणसे — अस्वीकार कर देनेका ठाकुरसाहबको अधिकार है।’ अकेले ‘सिफारिश’ शब्दके आधार पर अैसी कोअी दलील नहीं दी जा सकती। सिफारिश शब्दमें स्वतंत्र रूपसे अैसा कोअी अर्थ समाया हुआ नहीं है। अगले पिछले संदर्भमें ही अुमका अर्थ लगाया जा सकता है। और अुस तरह देखने पर जो घटना हुआ अुसकी सारी परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिये। . . . घोषणापत्रके मसौदेमें जहां यह कहा गया कि श्री वल्लभभाजी पटेल मदस्योंकी सिफारिश नियुक्तिके लिअे करेंगे वहां मेरी दृष्टिमें तो अुसका अेक यही अर्थ हो सकता है कि श्री वल्लभभाजी पटेल जिन सदस्योंकी सिफारिश करेंगे अुन्हें ठाकुरसाहब नियुक्त करेंगे।”

अिस प्रकार फैसला पूरी तरह सरदारके पक्षमें हुआ। सबने सरदारकी संपूर्ण विजय कहकर अुसकी प्रशंसा की। अुसके बाद ७ अप्रैलको वाअिसरायकी तरफसे पत्र आया। अुसमें सार्वभौम सत्ताकी तरफसे स्पष्ट विश्वास दिलाया गया कि ठाकुरसाहब अपना वचन पूरी तरह पालन करेंगे और अिस सिलसिलेमें तमाम अुचित कार्रवाअी की जायगी। यह वचन लेकर गांधीजी दिल्लीसे

राजकोटके लिअे रवाना हुअे। ९ तारीखको सबेरे गांधीजी राजकोट पहुंचे। सरदार विमानमें ग्यारह बजे पहुंचे।

परन्तु राजकोटमें गांधीजीके मार्गमें काफी कांटे फैलाकर रखे गये थे। दिल्लीमें जब प्रधान न्यायाधीशके सामने मामले पर बहमें हो रही थीं, तब राज्यकी ओरसे प्रजा पर अत्याचार जारी ही था। जन्त किया हुआ माल या जुर्माना किसीको भी लौटाया नहीं गया था। अजेमीकी हदमें रहनेवाले जिन वकीलोंने लड़ाहीमें भाग लिया था और अिस कारण जिनकी सनदें छीन ली गयी थीं अन्हें अभी तक सनदें वापस नहीं दी गयी थीं। अधिक भयंकर बात तो यह थी कि मुसलमानों और जागीरदारोंको प्रजा-परिषद्के विरुद्ध भड़का दिया गया था। गांधीजीने राजकोटमें पैर रखा तभीसे वे लोग अुनके पीछे पड़ गये थे कि कमेटीमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिये। दलित वर्ग भी अपने प्रतिनिधि होनेकी मांग करने लगा था और अिसके लिअे डॉ० आम्बेडकर अेक बार राजकोटका चक्कर लगा गये थे। ठाकुरसाहब अर्थात् दरवार वीरावाला कहते थे कि अिन लोगोंकी मांग वाजिब है और राज्यको तमाम वर्गोंकी मांग पर ध्यान देना चाहिये। ठाकुरसाहबकी घांपणाके अनुसार कमेटीमें सरदारके नामोंका अर्थात् प्रजा-परिषद्के नामोंका चारका बहुमत रहता था। अुसके बजाय जब तक केवल अेक नामका बहुमत रहे तब तक गांधीजी अिन लोगोंको खुश करनेको तैयार थे। यह सारी बातचीत ९ से १४ तारीख तक होती रही। परन्तु गांधीजी अुन लोगोंको मना नहीं सके।

अुस सारी बातचीतका सार गांधीजीने सात सदस्योंके नाम बतानेवाला जो पत्र ता० १४-४-३९ को ठाकुरसाहबको लिखा अुसमें आ जाता है :

“मेहरबान ठाकुरसाहब,

“आपके १०-४-३९ के पत्रका अुत्तर आज दे पा रहा हूं।

“मुझे दुःख है कि आपने अपने सिरसे जिम्मेदारी अुतार फेंकी। मुसलमानों और जागीरदारोंके जिन नामोंके बारेमें आप लिखते हैं, वह नियुक्ति आपकी थी। मेरे वचनका अेक ही अर्थ था और हो सकता है कि प्रधान न्यायाधीशका निर्णय आपके अर्थके विरुद्ध जाय तो भी आपका वचन कायम रखनेमें मैं मदद दूं। मेरी समझमें नहीं आता कि मेरे वचनसे यह अर्थ कैसे निकल सकता है कि जो चीज देनेका मुझे अधिकार ही न हो वह देनेका मैंने वचन दिया है। मैं तो परिषद् और सरदारके ट्रस्टीकी हैसियतसे काम कर रहा हूं।

यह स्पष्ट है कि उस ट्रस्टसे बाहर जाकर मैं कुछ नहीं दे सकता। जिसलिअे मेरे वचनका अितना ही अर्थ था और हो सकता है कि आप अुन भाअियोंके नाम रखना चाहें तो सरदारके नाम बहुमतमें हों जिस शर्त पर ही मैं सरदारकी ओरसे मदद करूं। मेरे खयालमें जिससे अधिक अर्थ असंभव है। दुर्भाग्यवश आपने अकल्पित कदम अुठाया है। आपने अपने तय किये हुअे नाम सरदारके नामोंमें बढ़ानेका भार मुझ पर डाल दिया है। जिस प्रकार आप सरदारको मिले हुअे अधिकार पर पानी फेरनेवाला अनर्थ मेरे वचनमें से निकालते हैं, यह दुःखद है।

“जिसलिअे यद्यपि आपके पत्रके बाद मुझे तो सरदारकी तरफसे नाम भेज देनेके सिवा और कुछ करना नहीं था, फिर भी मैंने अुक्त चार भाअियोंमें से तीनको सरदारके नामोंमें शामिल होने और सातकी अंक टीमके रूपमें काम करनेका अनुरोध किया। उस अनुरोधमें मैं सर्वथा असफल रहा। यहां आपके नामोंका आदर करनेके यथासंभव प्रयत्नकी सीमा आ जाती है। आपने अपने पत्रमें चौथे नामका अुल्लेख किया है। श्री मोहन मांडणको मेरे पास आकर चर्चा करनेका कष्ट देना मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि वे खुद हरिजन नहीं हैं।

“परन्तु अुक्त चार नाम जो रह जाते हैं, उसका यह अर्थ बिलकुल नहीं कि सरदारके बनाये हुअे भाअी मुसलमानों, जागीरदारों, हरिजनों या अन्य किसी वर्गके खास या अुचित हकोंकी चिन्ता नहीं रखेंगे। जिन भाअियोंके सामने जिस कमेटीके सिलसिलेमें और सामाजिक सेवाकी दृष्टिसे जातपांत नहीं है, अुनके सामने तो राजकोटकी समस्त प्रजा है। वे ही कमेटीमें जिसलिअे आ रहे हैं कि अुनकी संस्थाने समस्त प्रजाके हकोंके लिअे लड़ाई लड़ी है। आपने उसकी कद्र करके परिषद्की ओरसे कमेटीमें कर्मचारीवर्गसे बाहरके राजकोट स्टेटके सात नाम देनेका सरदारको अधिकार दिया। वे नाम जिस प्रकार हैं :

१. श्री पोपटलाल पुरुषोत्तमदास अनडा, बी. अे., अेल-अेल.बी.
२. " पोपटलाल धनजी मालविया
३. " जमनादास खुशालचंद गांधी
४. " बेचरभाभी वहालाभाभी वाढेर

५. " ब्रजलाल मयाशंकर शुक्ल
६. " जेठालाल ह० जोशी
७. " गजानंद भवानीशंकर जोशी, अम. अ., अेल-अेल. बी.

"अब अध्यक्षसहित तीन नाम आपको बताने हैं।

"मेरी मानें तो मैं फिर आपसे अनुरोध करूं। आप लिखते हैं कि अब कमेटीमें दसमे ग्यारह सदस्य नहीं हो सकने। यह बात ठीक नहीं। दस ही हो सकने हैं, यह प्रतिबंध प्रधान न्यायाधीशके निर्णयमें नहीं है। दोनों पक्ष मिलकर कुछ भी फेरबदल कर सकने हैं। आपके नाम कायम रखनेमें सरदार आपकी मदद करनेको अब भी अच्छुक हैं। शर्त अितनी ही है कि जो वृद्धि हो अुममें परिषद्का बहुमत रहे। अब अर्थात् प्रधान न्यायाधीशके निर्णयके अनुसार अुमका बहुमत चारका है, अुमके वजाय आपके खातिर, झगड़ा मिटानेके खातिर, सिर्फ अेकका बहुमत रखनेको अभी भी सरदार तैयार हैं। अिससे अधिककी आशा आप कैसे रख सकने हैं ?

"२६ दिमम्बरकी आपकी घोषणामें कमेटीके लिअे रिपोर्ट पूरी करने और आपके सामने पेय करनेकी अवधि अेक मास और चार दिनकी रखी गयी थी। अुममें ज्यादा अवधि अब भी नहीं हो सकती, अिम बातकी ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। दूसरी लड़ाईके दौरानमें जत्तियां और जुर्माने हुअे, अन्य प्रकारसे दमन हुआ। वह सब रद्द करनेकी आवश्यकता है, यह कहनेकी शायद ही जरूरत होगी।

मोहनदासके आशीर्वाद "

"यह पत्र मेरी अनुमतिसे लिखा गया है और अिसमें बताये गये नाम मैंने दिये हैं।

वल्लभभायी पटेल "

अिस पत्रकी बात जाहिर होते ही मुसलमानों और जागीरदारोंने गांधीजी पर वचन-भंगका आक्षेप मार्वाजनिक रूपमें किया और अुनके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी धमकी दी। १६ तारीखको गांधीजीके पास यह खबर आयी कि सायंकालकी प्रार्थनाके समय राजकोटके जागीरदार और मुसलमान काले झंडे दिखायेंगे और गांधीजीके लिअे जूतोंका हार भी तैयार करके रखा गया है। गांधीजीने अिस बातको हंसीमें टाल दिया। परन्तु सुनी हुअी बात सही हो तो अुसका स्वागत करनेको वे तैयार थे। अिसलिअे अुन्होंने अपने आदमियोंको साफ हिदायत दे दी कि मेरे पास कोयी भी

आदमी किसी भी विरादेसे आना चाहे तो उसे आजादीसे आने दिया जाय और कोजी उसे बीचमें न रोके। रोजकी तरह उस दिन गांधीजी मोटरमें बैठकर राष्ट्रीय पाठशालामें प्रार्थनाके लिये पहुंचे। लगभग उसी समय कोजी छः सौ विरोध करनेवालोंकी भीड़ वहां जुलूसके रूपमें पहुंची।

प्रार्थना होती रही तब तक सारे समय ये प्रदर्शनकारी चिल्लाते और शोर मचाते रहे। प्रार्थना पूरी होनेके बाद गांधीजी निवासस्थान जानेको अठे तब वे प्रदर्शनकारी धक्का-मुक्की करके प्रार्थनाभूमि पर घुसे। धूल उड़ने और चिल्लाहटके मारे कुछ भी दिखायी या सुनायी देना कठिन हो गया। कुछ मित्रोंने गांधीजीके आसपास घेरा बनानेका प्रयत्न किया। गांधीजीने अन्हें रोक दिया और कहा : “मैं या तो यहां बैठ जाऊंगा या भीड़में से होकर अकेला जाऊंगा। मुझे अकेला छोड़ दीजिये। आप कोजी बीचमें न आइये।” यह कहकर वे भीड़में घुसे। थोड़ी देरमें अन्हें चक्कर आ गये, अन्होंने आंखें बन्द कर लीं और प्रार्थना करने दिखायी दिये। अंक दो मिनटमें अन्हें होश आया तो सीधे खड़े होकर आंखें खोलकर सबको आज्ञा दी कि “आप कोजी मेरे साथ न आइये। उन लोगोंको मेरी रक्षा करनी होगी तो करेंगे। आप सब हट जाइये। शत्रुकी गोदमें निर्भय होकर सिर रख देना ही सत्याग्रहका मार्ग है।” फिर अंक विरोध करनेवाले जागीरदारसे, जो सामने खड़ा था, गांधीजीने कहा : “मुझे अपने साथियोंका नहीं, परन्तु तुम्हारे अकेलेका महारा लेकर जाना है।” गांधीजी उसके कंधे पर हाथ रखकर ज्यों ज्यों चलने लगे त्यों त्यों जगह होती गयी और जहां मोटर खड़ी थी वहां तक आमानीसे पहुंच गये।

सरदार उस दिन बड़ोदा प्रजामंडलके कामसे अमरेली गये थे। विरोधियोंका लक्ष्य गांधीजीकी अपेक्षा सरदार अधिक रहे होंगे, यह माननेका कारण इस परसे मालूम होता है कि उसी दिन राजकोटसे अमरेलीके अंक मुसलमानके नाम तार गया था कि सरदार वल्लभभाजी राजकोट आनेके लिये अमरेलीसे कब चलेंगे और किस रास्ते आयेंगे, यह तारमें खबर दीजिये। वह आदमी उसके पीछेके अदृश्यको नहीं समझा, अिसलिये सरदारके निवासस्थान पर ही पूछने चला गया। तार सरदारके हाथमें आने ही अन्हें सन्देह हो गया कि अिसकी जड़में कोजी गंदी चाल होगी। अिसलिये अपने रवाना होनेका समय और वापस जानेका रास्ता कुछ दूसरा ही बता दिया। राजकोट आनेके बाद दंगोंका पता चला तब अुनका शक पक्का हो गया। गांधीजीसे मिलने पर उस तारकी और अपने दिये हुअे अुत्तरकी बात अुन्होंने कह सुनायी। गांधीजीने कहा, “वाह रे सत्याग्रह !” फिर दोनों खूब हंसे।

१८ तारीखको ठाकुरसाहबने गांधीजीके पत्रका उत्तर दिया। उसमें मुसलमानों, जागीरदारों और दलित वर्गके कोअी आदमी कमेटीमें न रखने पर खेद प्रगट किया। परन्तु उसमें महत्त्वकी बात तो ठाकुरसाहबने यह बतायी कि राज्यके कानूनी सलाहकारकी रायके अनुसार अिन सात नामोंमें से केवल अेक ही सज्जन राजकोट राज्यके वतनी हैं।

गांधीजीने थककर १९ तारीखको मि० गिब्सनको पत्र लिखा और उनसे दखल देनेका अनुरोध किया। यह भी बताया कि ठाकुरसाहबने सरदारको ता० १९-१-३९ को जो पत्र लिखा था, अुममें सरदारके दिये हुअे सात नामोंमें से चार अुन्होंने स्वीकार किये थे। प्रधान न्यायाधीशके सामने पेश किये गये केसमें वतनी न होनेके कारण सिर्फ दो नामोंका विरोध किया गया था। और अब सातमें से छः नामोंका विरोध किया जा रहा है। बादमें २० तारीखको गांधीजी मि० गिब्सनसे रूबरू मिले, अुम समय अुन्हें अचानक अेक खिलाड़ियोंकी-सी अुदारतावाला प्रस्ताव मुझे आया और अुमें अुनके सामने पेश कर दिया : "परिषद् अिस कमेटीमें त्रिलकुल निकल जाय। ठाकुरसाहब सारी कमेटीका अपनी घोषणाके अनुसार खूद ही मुकम्मल कर दें। वह कमेटी अेक मास और चार दिनके भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे। प्रजा-परिषद्के सात सदस्य अुस रिपोर्टकी जांच कर लें और अुन्हें जहरी मालूम हो तो अपनी भिन्न रिपोर्ट दें। वे दोनों रिपोर्टें भारतके प्रधान न्यायाधीशके सामने पेश की जायें और अुनका जो फैसला हो वह दोनों पक्ष मान लें।" परन्तु दरबार वीरावालाने यह मुझाव नही माना। फिर २३ तारीखको मि० गिब्सनको पत्र लिखकर गांधीजीने सूचित किया कि मैंने जो सात नाम दिये हैं, अुनमें से कितने राज्यके वतनी हैं और कितने नहीं, अिसका निर्णय करनेका काम वहाके जुडीशियल कमिश्नरको सौंपा जाय। अुमी दिन गांधीजीको कांग्रेसकी महा-समितिकी बैठकके लिअे कलकत्ते खाना होना था। राजकोटसे बम्बयी जाते हुअे अुन्होंने 'मैं हारा' शीर्षक लेख लिखा। अुममें अुन्होंने कहा :

"पंद्रह दिनकी अिस अन्तरव्यथाके बाद मेरी समझमें आया है कि यदि ठाकुरसाहब या दरबार वीरावालाको यह लगे कि वरिष्ठ सत्ताके दवावके कारण अुन्हें कुछ देना पड़ रहा है तो मेरी अहिंसा असफल मानी जानी चाहिये। अहिंसाकी दृष्टिसे तो अुनके हृदयसे यह भावना मुझे मिटा ही देनी चाहिये। अिसलिअे मौका मिलते ही मैंने दरबार वीरावालाको यह विश्वास दिलानेका प्रयास किया कि सार्वभौम सत्तासे मदद मांगनेमें मुझे कोअी आनंद न तो था और न है। अहिंसाके सिवा राजकोटके साथ मेरा सम्बन्ध भी मुझे पर अंकुश लगाता है। मैंने

दरबार वीरावालाको विश्वास दिलाया कि अनायास सूझा हुआ और मि० गिब्सनके सामने रखा हुआ मेरा प्रस्ताव अपरोक्त दिशामें किये गये मेरे प्रयासका ही परिणाम था । अन्होंने मुझे तुरंत कह दिया : 'परन्तु यदि आप ठाकुरसाहबकी कमेटीकी रिपोर्टसे संतुष्ट न हों तो घोषणाकी रूसे असे जांचनेका हक तो मांग ही रहे हैं न ? और परिषद् भिन्न रिपोर्ट दे तो फिर आप अउन दोनों रिपोर्टोंकी जांच प्रधान न्यायाधीशसे कराना चाहते हैं । असे आप दबावकी भावनाको मिटानेका प्रयत्न कहते हैं ? ठाकुरसाहब पर विश्वास रखनेको आप तैयार हों तो अन्त तक अउन पर और अउनके सलाहकार पर विश्वास क्यों नहीं रखते ? शायद आप जो चाहते हैं वह पूरा न मिले, परन्तु जो कुछ मिलेगा अउनके रुद्भावके साथ मिलेगा और अुमके पूरे अमलका अुसमें विश्वास होगा । परिषद्वाले ठाकुरसाहबके और मेरे बारेमें क्या क्या बोले हैं, यह आपको मालूम है ? अपने राजामें सुधार प्राप्त करनेकी अिच्छा रखनेवाली प्रजाका यही रास्ता है ?' दरबार वीरावालाके अिन वचनोंमें कटुता और परिषद्के लोगोंके प्रति तिरस्कार झलक रहा था । परन्तु अहिंसाके अपूर्ण पालनके अचानक हुअे भानके प्रतापसे अुनके किये हुअे वारका बदला लेनेके वजाय मनुष्य-स्वभावके मूलमें स्थित भलाअीके विषयमें अपनी आस्थाकी कमीको और अपनी अहिंसाकी दरिद्रताको बतानेवाला अुनकी दलीलमें रहा तथ्य मने पहचान लिया ।

*

*

*

“मने निबटारेके लिये यह नअी दृष्टि माथियोंके सामने रखी । अन्होंने मुझसे कअी वार कहा था कि राजकोटकी तमाम आफतोंकी जड़ दरबार वीरावाला ही हैं, और अुनका चला जाना राजकोटको पूरा स्वराज्य मिलनेके वरावर है । मने अुन्हें मझाया कि वह तो सुराज्य हुआ, स्वराज्य नहीं । मने कार्यकर्ताओंसे कहा कि यदि आपको अहिंसाका मेरा अर्थ स्वीकार हो तो दरबार वीरावालाको निकालनेका खयाल छोड़कर अुनका हृदय-परिवर्तन करनेका आपको संकल्प करना होगा ।

“कार्यकर्ताओंने अुनको नया लगनेवाला यह सिद्धान्त मेरे मुंहसे सुन तो लिया । परन्तु मने यह नहीं पूछा कि अुनके गले अुनरा या नहीं । वे मुझसे पलट कर अुचित रूपमें पूछ सकते थे : 'प्रधान न्यायाधीशके फंसलेको मिटाकर केवल दरबार वीरावालाके हृदयमें निहित भलमनसाहत पर विश्वास रखनेकी सिफारिश करनेवाली आपकी

अस सूचनाके औचित्यके बारेमें स्वयं आपको तो पूरा भरोसा है न ? ' यदि वे असा सवाल करते तो मुझे कहना पड़ता कि अभी तक मैं अपनेमें अनना साहस नहीं पाता । "

महासमितिकी बैठक समाप्त करके कलकत्तेसे गांधीजी बिहारके वृन्दावन गांव गये, जहां गांधी-मेवा-मंघका अधिवेशन होनेवाला था। वहां अन्होंने मुख्यतः अिसीकी चर्चा की कि हम शुद्ध अहिंसाका कितना कम पालन कर सकते हैं। अुनके हृदयमें यही बात घूमा करनी थी कि राजकोटके प्रयोगमें अपनी कमीके कारण वे कैसे अमफल रहे। वे १२ मअीको फिर राजकोट आये। दरबार वीरावाला, रेजीडेण्ट गिन्मन तथा मुमलमानों और जागीरदारोंसे फिर चर्चा चली। अुसमें अन्होंने गाफ समझमें आ गया कि अब अन्हें हिंमत करके मही फैसला कर ही डालना चाहिये। १७ मअीको मनका वह निर्णय हो गया और अन्होंने 'अिकरार और पश्चात्ताप' शीर्षक यह लेख लिख डाला :

“पिछले मासकी २४ तारीखको कलकत्ता जाते समय मैंने कहा था कि मेरे लिये राजकोट मून्यवान प्रयोगशाला साबित हुआ है। मैं अिस समय जिस कदमकी घोषणा कर रहा हूं, अुसमें अिसका अन्तिम प्रमाण विद्यमान है। साथियोंसे पूरी चर्चा करनेके बाद मैं आज शामको छः बजे अिस निर्णय पर पहुंचा हूं कि राजकोट काण्डमें भारतके प्रधान न्यायाधीशके हाथों प्राप्त हुअे फैसलेके लाभ मुझे छोड़ देने चाहिये।

“मैंने अपनी भूल देख ली। अपने अपवासके अंतमें मैंने यह कहनेकी आजादी ली थी कि पहलेके किसी भी अपवाससे यह अपवास अधिक सफल हुआ है। अब देखता हूं कि मेरे अुस कथनमें हिंसाका रंग था।

“अनशन करनेमें सार्वभौम सत्ता द्वारा ठाकुरसाहबको समझा-कर दिये हुअे वचनका अुनसे पालन करानेके लिये मैंने अुसका तात्कालिक हस्तक्षेप चाहा था। यह अहिंसाका या हृदय-परिवर्तन करानेका मार्ग नहीं था। वह मार्ग तो हिंसा अथवा दबावका ही था। मेरा अनशन शुद्ध होता तो वह केवल ठाकुरसाहबको ध्यानमें रखकर ही किया जाना चाहिये था। यदि अुससे ठाकुरसाहबका अथवा यों कहिये कि अुनके सलाहकार दरबार वीरावालाका हृदय न पसीजता तो मुझे मर कर सन्तोष मानना चाहिये था। मेरे मार्गमें अकल्पित कठिनावियां न आजी होतीं तो मेरी आंखें न खुलतीं।

“प्राप्त निर्णय दरबार वीरावाला संतोषपूर्वक शिरोधार्य नहीं कर सकते थे। मेरा मार्ग सरल कर देनेकी स्वाभाविक रूपमें ही अुनकी तैयारी नहीं थी। अिसलिये अुन्होंने प्रत्येक अवसरसे लाभ अुठाकर विलम्ब करनेकी नीति अपनायी। निर्णयसे मेरा मार्ग सफल होनेके बजाय अुल्टे यह निर्णय ही मेरे प्रति मुसलमानों और जागीरदारोंके रोषका जबरदस्त कारण बन गया। पहले हमने मित्रभावसे मिलकर समझौतेकी बातचीत की थी। अब मेरे स्वेच्छापूर्वक दिये हुए वचनका मुझ पर आरोप लगाया जाता है। मैंने वचन-भंग किया है या नहीं, यह मामला भी प्रधान न्यायाधीशके पास निर्णयके लिये पेश करनेका निश्चय हुआ। मुस्लिम कौंसिल और गरासिया अंगोसियेशनके बयान मेरे सामने रखे हैं। निर्णयका लाभ छोड़ देनेका निश्चय करनेके बाद मेरे लिये अिन दो बयानोंका जवाब देना बाकी नहीं रहता। जहां तक मेरा सम्बन्ध है वहां तक मुसलमानों और जागीरदारोंको ठाकुरसाहब जो भी देना चाहें वे खुशीसे ले लें। अपना कम तैयार करनेकी तकलीफ मैंने अुन्हें दी, अिसलिये मैं अुनसे माफी मांगता हूं। अपनी कमजोरीके कारण मैंने वाअिसराय महोदयको भी नाहक तकलीफमें डाला। अिसके लिये मैं अुनसे भी माफी मांगता हूं। प्रधान न्यायाधीशसे भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे कारण अुन्हें जो परिश्रम अुठाना पड़ा वह मुझमें अधिक समझ होती तो नहीं अुठाना पड़ता। सबसे अधिक तो मैं ठाकुरसाहब और दरबार वीरावालासे क्षमा मांगता हूं।

“दरबार वीरावालाके बारेमें मुझे यह भी स्वीकार करना है कि अपने साथियोंकी भांति मैंने भी अुनके विषयमें तुरे विचार अपने मनमें आने दिये हैं। यहां मैं यह विचार नहीं कहूंगा कि अुनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सही हैं या नहीं। अुनकी चर्चा यहां अप्रस्तुत है। अितना ही कहूंगा कि अुनके प्रति अहिंसाका प्रयोग नहीं किया गया। अपनी अिस हीनताका अिकरार भी कर लेता हूं कि मैं अैसे आचरणका भी दोषी बन गया जिसे दुरंगी चाल कहा जा सकता है। अेक तरफसे मैंने अुनके सिर पर निर्णयकी तलवार लटकती रखी और दूसरी ओर अुन्हें खुश करनेकी कोशिश करके यह आशा रखी कि वे ठाकुरसाहबको स्वेच्छासे अुदार सुधार प्रदान करनेकी सलाह देंगे। २० अप्रैलको मि० गिब्सनके साथ हुई बातचीतमें जब अचानक वह खिलाड़ीपनका प्रस्ताव मुझे सूझ गया और मैंने अुनके सामने रखा, तब मुझे अपनी

कमजोरीकी झांकी जरूर हुआ, परन्तु वहीं और अुसी क्षण असा कहनेकी मेरी हिम्मत न हुआ कि मुझे न्यायाधीशके निर्णयके साथ कोअी सरोकार नहीं रखना है। अुल्टे मने तो यह कहा कि ठाकुरसाहब अपनी कमेटी बना दें और अुसकी रिपोर्ट परिषद्वाले निर्णयकी दृष्टिसे देख लें और दोनोंमें मतभेद हो जाय तो वे प्रधान न्यायाधीशके सामने जा सकते हैं।

“ दरबार वीरावालाने मेरा यह दोष पहचान लिया और मेरा प्रस्ताव अुचित रूपमें अस्वीकार करके कहा : “ आप फंसलेकी तलवार तो मेरे मिर पर लटकती रखते ही है और ठाकुरसाहबकी कमेटी पर अपीलकी अदालत बनना चाहते है। यदि असा ही है तो आप भले ही अपना सेर भर मांस काट लीजिये ! कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं।’ अुनके अंतराजमें रहा मृत्यु मुझे दिख गया। मने अुनसे कहा भी नहीं कि अिस समय निर्णयको छोड़ देनेकी मेरी हिम्मत नहीं है। परन्तु भले बनकर यह मानते हुआ कि निर्णय है ही नहीं और गरदार तथा मैं भी बीचमें नहीं हूं, प्रजाके साथ आप समझौता कीजिये। अुन्होंने कोशिश कर देखनेका वचन दिया। अपने ढंगसे प्रयत्न भी किया। परन्तु अुसमें मुझे हृदयकी अुदारता नहीं दिखायी दी। मैं अुन्हें दोष नहीं दता। जब वे निर्णयसे चिपटे रहनेकी मेरी कृपणता देख रहे हों, तब मैं अुनकी तरफसे अुदार हृदयकी आशा कैसे रख सकता था ? विश्वाससे ही विश्वास पैदा होता है। परन्तु वह तो मुझमें था नहीं।

“ अन्तमें अब मने खोया हुआ साहस पुनः प्राप्त कर लिया है। अपने अिस अिकरार और पश्चात्तापसे अहिंसाकी सर्वोपरि शक्तिके बारेमें मेरी श्रद्धाकी ज्योति अधिक तेज होकर जल रही है।

“ मैं अपने साथियोंके साथ अन्याय नहीं करूंगा। अुनमें से बहुतोंके दिलोंमें अंदेशा भरा हुआ है। अुन्हें मेरे पश्चात्तापके लिये कोअी कारण दिखायी नहीं देता। अुनका तो यह खयाल है कि निर्णयसे प्राप्त अेक महान अवसरको मैं छोड़ रहा हूं। अुनका यह भी खयाल है कि अेक राजनैतिक नेताके नाते पचहत्तर हजार प्रजाजनोंके — शायद सारे काठियावाड़के प्रजाजनोंके — साथ खिलवाड़ करनेका मुझे अधिकार नहीं है। मने अुनसे कहा कि आपका डर अकारण है। आत्मशुद्धिका हरअेक कदम, साहसका प्रत्येक कार्य, सत्याग्रहमें लगी हुआ प्रजाके बलमें सदा वृद्धि ही करता है। मने अुनसे यह भी कहा है कि यदि वे

मुझे सत्याग्रहका सेनापति और विशारद मानते हैं तो मुझमें जो अंक सनक-सी दिखाओ देती है उसे भी अन्हें सह लेना होगा।

“अस प्रकार ठाकुरसाहब और अुनके सलाहकारको निर्णयके डरसे मुक्त कर देनेके बाद अब मैं निःसंकोच अुनसे अपील करता हूँ कि वे राजकोटकी प्रजाकी आशाओं पूरी करें और अुसकी शंकाओं दूर करके अुसे संतोष दें।”

अस निर्णयके सम्बन्धमें गांधीजीने माथियोंसे चर्चा की तब सरदार भी अपस्थित थे। महादेवभाओने अिम निर्णयको अच्छी तरहमें समझनेके लिये कुछ बहस की। पर सरदारने — यद्यपि यह अलग प्रश्न है वे खुद असा कदम अठा सकते अथवा अुठते या नहीं — गांधीजीकी सत्याग्रहकी और अहिंसाकी दृष्टि भलीभांति स्वीकार कर ली और अंक भी शब्द कहे बिना अुनके निर्णयको मंजूर कर लिया।

सर मॉरिस ग्वायरके निर्णयके लाभ छोड़ देनेके बाद गांधीजीने ठाकुर-साहब तथा दरबार वीरावालाका हृदय जीननेकी बड़ी कोशिश की। अपनी हार स्वीकार कर लेनेके पश्चात् ठाकुरसाहबने जो दरबार किया अुसमें वे गये। अुसके बाद दरबार वीरावालाने खुद ही मुधार तैयार करनेके लिये कमेटी बनाओ। अुसकी रिपोर्ट मन् १९३९ के नवम्बर मासमें प्रकाशित हुओ। अुस पर गांधीजीने ‘हरिजनबन्धु’ में अंक लेख लिखा। अुसमें यों कहा था :

“राजकोटके श्रीमान ठाकुरसाहब तथा दरबार श्री वीरावालाका अनजाने भी अंक बार जी दुखानेके बाद अुस राज्यमें दरबारकी कारवाअियोंकी आलोचनाके रूपमें कुछ भी कहनेसे मैंने अपने आपको अब तक रोका है। परन्तु राजकोटकी प्रजाके प्रति, जिसने आदर्श अनुशासनका पालन किया है, अपने कर्तव्यका विचार करके हालमें ही राज्यकी ओरसे घोषित मुधारोंके सम्बन्धमें दो शब्द लिखना मेरा धर्म हो गया है। प्रजा भी आशा रखती है कि मुझे अपनी राय प्रगट करनी चाहिये।

“मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि अिन मुधारोंने स्वर्गवासी ठाकुरसाहबके किये-कराये पर पानी फेर दिया है। स्व० ठाकुरसाहबका दिया हुआ पूर्ण मताधिकार, जो पिछले पंद्रह वर्षसे प्रजाके लिये आशीर्वादके समान था, वापस ले लिया गया है और अुसके स्थान पर मताधिकारके लिये सम्पत्तिका मालिक होने या राज्यका बतनी होनेकी कड़ी शर्तें रख दी गओ हैं। चुने हुअे अध्यक्षकी जगह दीवानको अध्यक्ष

बनाया गया है। पहले प्रजा-प्रतिनिधि-सभा सारी चुने हुअे सदस्योंकी होती थी। अब अुसमें चालीस निर्वाचित और बीस मनोनीत सदस्य रहेंगे। चुने हुअे सदस्योंमें भी अल्पमतके वाड़े और मिश्रण होगा। अिस प्रकार कथित बहुमत असलमें अल्पमत बनकर रहेगा। सुधारोंकी सही दिशाके अनुसार शासनतंत्रमें प्रजाकीय अंकुशकी अुत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यहां तो किमी भी अुचित कारणके त्रिना प्रजाकीय अंकुशका तत्त्व काफी घटा दिया गया है। मूल सभाको कानून बनानेके जो विशाल अधिकार थे वे कम कर दिये गये हैं। २६ दिसम्बरकी घोषणामें यथासंभव अधिक विशाल अधिकार देनेको कहा गया था। अिन सुधारोंके बारेमें पढ़कर मैं अिम नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रजाके पास जो अधिकार थे वे भी वापस ले लिये गये हैं। अितना ही नहीं, प्रजाके पास रहने दिये गये अधिकार भी यथासंभव मर्यादित कर दिये गये हैं। अेक शब्दमें कहें तो ठाकुरसाहबकी अर्थात् दीवानकी अिच्छा ही राजकोटका सर्वोपरि कानून माना जायगा।

“मैं स्वीकार कर चुका हूं कि अुपवामके दौरानमें ठाकुरसाहबकी कारंवाअियोंके खिलाफ वाअिमरांय महादयसे की गअी मेरी अपीलमें हिंसा थी और अिसलिअे मेरा अुपवाम दूषित हो गया था। मेरा खयाल था कि अपना पश्चात्ताप घोषित करके मैंने अुसका प्रायश्चित्त कर लिया है। मैंने यह आशा रखी थी कि अुमके फलस्वरूप श्रीमान ठाकुरसाहब और दरबार वीरावालाके और मेरे बीच मीठे सम्बन्ध स्थापित होंगे और राजकोटकी प्रजाके लिअे नया और अुज्ज्वल पृष्ठ आरंभ होगा। मैंने यह माना था कि मेरे सार्वजनिक पश्चात्तापके बाद किया गया दरवार अुस पश्चात्तापके शुभ परिणाम पर मुहरके रूपमें था। अब मैं देखता हूं कि अैसा मानकर मैंने धोखा खाया है। मनुष्यकी प्रकृति क्षणभरमें नहीं बदल जाती। मैं राजकोटकी प्रजासे क्षमा-याचना करता हूं।

“मुझे अपने किये हुअे पश्चात्तापका दुःख नहीं है। मेरा विश्वास है कि नैतिक दृष्टिसे जो अुचित था वह राजनैतिक दृष्टिसे भी अुचित ही था। मेरे पश्चात्तापने राजकोटकी प्रजाको बुरे हालसे बचा लिया। साम्प्रदायिक कलह रुक गया। मुझे भरोसा है कि अन्तमें जो राजकोटकी प्रजाका है वह अुमे मिलकर ही रहेगा। अिस बीच, अिन सुधारोंको, जो मेरी नजरमें केवल अनिष्ट रूप हैं, मर जाने देना होगा। जिन राजकोट-निवासियोंमें रत्तीभर भी स्वाभिमान हो अुन्हें

अिनमें शरीक होनेसे दूर रहना चाहिये। यदि वे मेरी बात मानें तो प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें और अक्षरशः कातें। वे देखेंगे कि अंसा करनेसे वे अहिंसाके अकमात्र सही मार्गसे राजकोटमें सच्ची स्वतंत्रता स्थापित करनेवाले साबित होंगे।”

सरदारकी मनोवृत्ति अिम मारे कांडके प्रति कैसी थी, यह अुसके हो जानेके कुछ समय बाद अेक सार्वजनिक भाषणमें प्रगट किये गये अुनके निम्नलिखित अुद्गारोंमें मालूम हो जाता है :

“कुछ लोग मानते हैं कि वीरावालाने मुझे मात दे दी, सर पैट्रिकको निकलवानेमें मेरा अपुयोग कर लिया। परन्तु अंसा कहनेवाले अिसकी जड़में काम करनेवाली शक्तियोंको नहीं पहचानते। वे राजनीतिका ककहरा भी नहीं जानते। वह सब कैसे हुआ, यह तो भविष्यमें पर्दा अुठने पर मालूम होगा। परन्तु राजकोटमें संतसे जिसने अपुवास कराया है, संतका जी जिम प्रकार दुखाया है, अुमका तो अीश्वर अिन्साफ करेगा ही, और अिन्साफ कर ही रहा है। संतोंका जी दुखानेवाले कभी मुन्वी नहीं हुअें।”

२६

देशीराज्योंकी प्रजाकीय लड़ाियां - ३

बड़ोदा, लीमड़ी, भावनगर

बड़ोदा

पहले कहा जा चुका है कि १९३८-३९ के वर्ष हमारे देशीराज्योंकी अपूर्व जागृतिके वर्ष थे। मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन, अुडीमाके घनकनाल तथा तलचेर, राजस्थानके जयपुर तथा अुदयपुर, अुत्तरका काश्मीर और काठियावाड़के राजकोट वगैरा गज्योंने दायित्वपूर्ण शासनके लिये जोशीली लड़ाियां लड़ी थीं। बड़ोदा हमारी प्रथम श्रेणीकी रियासतोंमें से अेक थी और वह बड़ी प्रगतिशील मानी जाती थी। वहां दायित्वपूर्ण शासन स्थापित करनेके बुद्देश्यसे बहुत वर्षोंसे प्रजामंडल कायम हो चुका था। जब तक वह प्रजामंडल बड़ोदा शहरमें ही काम करता था तब तक राज्यने अुसकी बहुत परवाह नहीं की। परंतु १९३० से ३४ की लड़ाियोंके बाद अुसने देहातमें धुसना शुरू किया। तबसे राज्यकी अुस पर कोपदृष्टि हो गयी। प्रजामंडलके

अध्यक्षके नाते सरदारने ता० २८-१०-'३८ को बड़ोदा प्रजामंडल परिषद्के भादरण स्थान पर हुअे अधिवेशनमें अिस चीजका हबह वर्णन किया है :

“कठोर गांवमें जब परिषद्का १३वां अधिवेशन (१९३६ में) पहले-पहल देहातमें हुआ, तब राज्यको गुस्सा चढ़ा। आपने माना था कि अुस अधिवेशनके अध्यक्षके साथ राज्यकी कोअी व्यक्तिगत अन-बनके कारण अैसा हुआ है। परंतु आपका अैसा मानना बिलकुल गलत था। किसान वर्गमें प्रजामंडलका प्रवेश हो और अुसका सम्पर्क लोगोंके साथ बढ़े, अिस बातका राज्यको भय था। अुसने चावलका अेक दाना दबाकर देखा। अध्यक्षके भाषणमें से ही कुछ अंश चुनकर अुन्हें न पढ़नेका मनाही-हुक्म राज्यने अध्यक्ष पर तामील किया और बाकी भाषण पढ़कर मुनानेकी अिजाजत दी। मैंने वे अंश पढ़कर देखे हैं और अुनमें मुझे कुछ भी आपत्तिजनक दिखाओी नहीं दिया। वे कितने निर्दोष और साधारण थे, यह आप देख सकें अिसीलिअे अुनमें से कुछ यहां अुद्धृत करता हूं। (अपने भाषणमें अुसके ६ पैरे पढ़ सुनाये।)

“परंतु यह तो परिषद्का गला घोटनेकी शुरुआत ही थी। अध्यक्षके खिलाफ किमी न किसी तरह पावंदियां लगाओी गओीं। प्रजामंडलकी अत्यंत निर्दोष प्रवृत्तिके लिअे विभागकी ओरसे परेशान करनेवाला हस्तक्षेप शुरू हुआ। जमीनके लगानके औचित्यकी जांच करनेके लिअे गांवोंमें जानेका प्रजामंडलने जब प्रस्ताव रखा तो राज्यके रोषका पार ही न रहा। राज्यको डर लगनेका असली कारण तो यही था। अिस प्रकार यह बात खुल गओी। प्रजामंडलके प्रथम श्रेणीके नेताओं पर निषेधाज्ञाअें जारी करके राज्यने मंडलकी प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिला दी। अिस अन्यायपूर्ण और अभूतपूर्व नीतिके विरुद्ध आवाज अुठानेके लिअे बड़ोदा शहरमें सार्वजनिक सभा भी न की जा सकी। राज्यके जिलोंके नगरोंमें ही बैठ कर लगान-संबंधी जांच करनेकी विशेष अनुमति दीवान साहबकी कृपासे दी गओी। स्वयं प्रजामंडलके अध्यक्षके विरुद्ध भाषणबन्दीके नोटिस जारी किये गये। अधिकारी बिगड़े। प्रजामंडलके सदस्योंसे त्यागपत्र दिलवानेके व्यवस्थित प्रयत्न शुरू किये गये। किसी किसी अफसरने तो कानूनका खुला अुल्लंघन करके मनमाने हुक्म जारी किये, जब कि कुछने प्रजामंडलके कार्य-कर्ताओंको तमाचे मारे और गालियां दीं। अिस प्रकार राज्यके कर्म-चारियोंने सम्यता और मर्यादाको ताकमें रखकर प्रजामंडलकी प्रतिष्ठा धूलमें मिलानेकी कोशिशें शुरू कर दीं।

“पिछले साल वीसनगरमें अधिवेशनके अध्यक्षने राज्यके जिस आक्रमणको सह लेनेकी सयानी सलाह दी। उसे मानकर मंडलके कार्य-कर्ताओंने राज्यके कर्मचारियोंके अपमानभरे बर्तावकी और दूसरी क्रूरता चुपचाप सहन कर ली। परंतु उसका राज्य पर अल्टा ही असर हुआ। परिणाम यह हुआ कि परिषद्की हस्ती भी जोखिममें पड़ गयी। अधिकारी प्रजामंडलको दबा देनेका अभिमान करने लगे और गरीब प्रजामें से कोअी फरियाद करने जाता तो उसे प्रजामंडलके पास जानेका ताना मानकर मंडलकी खुले तौर पर हंसी अुड़ाने लगे।”

जिस दशामें प्रजामंडलके कुछ सदस्योंको अँसा लगा कि हमारी परिषद्के अध्यक्ष बनाकर सरदारको बुलायेंगे तो प्रजामें कुछ चेतना आयेंगी। हमारी परिषद्के प्रस्तावों पर अधिकारी ‘दाखिल दफ्तर करने’ का सेरा लगानेके बजाय विचार करेंगे और राज्य प्रजामंडलकी अपेक्षा नहीं कर सकेगा।

सरदार प्रजामंडलकी कठिनायियां जानते थे। असलिये संकटके समय साथ देनेके विचारसे वे परिषद्की प्रार्थना अम्वीकार न कर सके। अध्यक्षकी जिम्मेदारी अुन्होंने स्वीकार कर ली, परंतु साथ ही परिषद्मे कहा :

“जिस प्रकार यदि राज्य और प्रजा दोनोंके सामने कार्यकर्ताओंका अपमान होता हो और प्रजामंडलके बाअीस वर्षके लंबे कार्यकालके बाद आज प्रजाकी कोअी भी तकलीफ या शिकायत दूर करनेकी अुसकी शक्ति ही न रही हो, तो मंडलको अपने मार्ग और कार्य-क्रमके बारेमें विचार कर लेना चाहिये। प्रजामंडलके पास अनेक कार्यकर्ताओंकी बाअीस सालकी सेवाओंकी पूंजी मौजूद है। अुस पूंजीको बरवाद कर देना महापाप है। अँसा लगता हो कि राज्यने अुसका अस्तित्व मिटा देने या अुसका तेजोवध करके अुसे निर्मात्य और मृतवत् बना डालनेका अिरादा कर लिया है, तो मंडलके अेक-अेक सदस्यका फर्ज है कि वह निडर होकर परंतु सम्यतासे अपने प्राणोंकी आहुति राज्यके चरणोंमें अर्पित करनेको अविलम्ब और निःसंकोच तैयार हो जाय, फिर भले वे मुट्ठीभर ही क्यों न हों। अँसे शहीदोंके विशुद्ध बलिदानसे प्रजामंडलकी मरी हुई आत्मा फिर सतेज हो जायगी और वह राज्यके तिरस्कारके वजाय अुसके आदरका पात्र बन जायगा। प्रजाका अुस परसे अुठता जा रहा विश्वास भी स्थिर हो जायगा।”

प्रजामंडलने जबसे सरदारको अपनी परिषद्का अध्यक्ष चुना, तबसे ‘विविध वृत्त’ और ‘जागृति’ नामक मराठी साप्ताहिकोंने सरदारके विशुद्ध

अहमद नगर अगलना शुरू कर दिया। सरदार आकर क्या कर लेंगे? प्रजामंडल क्या बहादुरी दिखानेवाला है? प्रजामंडलका ढोंग कितने दिन चलेगा? प्रजामंडल व्यर्थ सरकारका सहयोग खो रहा है। राज्यका प्रेम बनाये रखनेमें ही प्रजाका अद्वार है। प्रजामंडल राज्यके साथ संघर्षमें आयेगा तो राज्यकी नौकरीमें जो थोड़ेसे गुजराती हैं उन्हें भी नौकरीसे हाथ धोना पड़ेगा। और महाराष्ट्रीयोंकी भावनाओं भड़कानेके लिये उन्होंने कहा कि सरदारने नागपुरके डॉ० खरेके साथ भारी अन्याय किया है। जिसके समर्थनमें बम्बईके श्री नरीमानका अदाहरण दिया! सरदार अत्यंत स्वेच्छाचारी और लोकतंत्र-विरोधी आदमी हैं, असा भी आक्षेप किया गया। राज्य और राज्यके समर्थकोंके असे विरोधी वातावरणमें सरदारने प्रजामंडलकी बागडोर संभाली।

प्रजामंडलको पूरी तरह किसानोंकी मदद पर खड़े होना चाहिये, जिस बारेमें सरदारने अपने भाषणमें कहा :

“बड़ोदा राज्यके किसानोंकी बढ़ती हुयी आर्थिक दुर्दशा और अन्न पर लादे गये असह्य और निर्दय भूमिकरके भारके बारेमें प्रजामंडलने लगभग प्रत्येक अधिवेशनके अवसर पर प्रस्ताव पास किये हैं। ये प्रस्ताव पास करनेका क्या अर्थ है? किसानोंके पेटके खड्डे परिषदके प्रस्तावोंसे नहीं भर जायेंगे। अन्नका कर या लगानका बोझ अन्न प्रस्तावोंसे हलका नहीं होगा। . . . गांव गांव और किसानोंकी झोंपड़ी झोंपड़ीमें घूमकर किसानोंके सुख-दुखमें हिस्सा लेने और कठोर कर-पद्धतिके विरुद्ध राज्यके कानोंके परदे फट जायें अतने जोरसे आवाज अठानेकी लोगोंको तालीम देनेका प्रजामंडलको हक है। यह हक छीन लिया जाय तो प्रजामंडलके कार्यकर्ताओंको राज्यका सविनय विरोध करना चाहिये। यह प्रारंभिक अधिकार छोड़ देनेमें मुझे प्रजामंडलकी आत्म-हत्या दिखायी देती है।”

राज्यके मकरपुराके महलके पास राज्यके खर्चसे अके बड़ा शिकारखाना रखा गया था। वह वर्षोंसे किसानोंके लिये बड़ा कष्टदायक सिद्ध हो रहा था। जिस बारेमें सरदारने अपनी आवाज अठायी :

“बड़ोदा राज्यमें किसानोंकी पुकार सुनी नहीं जाती, जिसका अके अद्भुत अदाहरण तो वह असह्य जुल्म है जो बरणामाके आस-पासके सैंतीस गांवोंके किसानों पर आज वर्षोंसे हो रहा है। जिससे छूटनेके लिये उन्होंने असंख्य प्रार्थनापत्र दिये, समाजों की, शिष्टमंडल

भेजे और प्रजामंडल तथा घारासभा दोनोंके द्वारा राज्यके बहरे कानोंमें शंख बजानेके बार बार प्रयत्न किये, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राजपरिवार और उसके गोरे मेहमानोंका शिकारका शौक पूरा करनेके लिये अिन सैंतीस गांवोंके बीचमें राज्यका तेरह सौ अंकड़ विस्तारवाला घनियावी नामसे पुकारा जानेवाला अंक लंबाचौड़ा शिकारखाना है। अिस शिकारखानेमें हरिण रखे जाते हैं। अुनके खानेके लिये जो चारा चाहिये अुसके लिये सरकारको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। आसपासके सैंतीस गांवोंकी फसल ही अिस राज्यके हरिणोंकी खुराक है। ये हरिण कितना ही बिगाड़ क्यों न करें, तो भी अुन्हें मारनेवालेको राज्यका अपराधी मानकर सजा दी जाती है। हरिण किसानको मार सकता है, परंतु किसान आत्मरक्षाके लिये भी अुसे नहीं मार सकता। क्योंकि हरिण अिस राज्यका विशेष प्रिय प्राणी है और किसान राज्यका भार वहन करनेके लिये पैदा हुआ जानवर है। अिन सैंतीस गांवोंके किसानोंके पूर्वज आजसे साठ साल पहले अिन हरिणोंके कष्टसे बचनेके लिये राज्यसे न्याय प्राप्त करनेमें असफल हो गये तब गांव छोड़कर हिजरत कर गये थे। अुन्हें मनाकर वापस लाया गया था और राज्यकी तरफसे कुछ राहत दी गयी थी। अुन बहादुर किसानोंके वारिसोंमें से आज साहस और हिम्मत जाती रही है। हरिणोंकी संख्यामें बड़ी वृद्धि होती ही जा रही है। राज्यका संरक्षण होनेसे अुनमें निर्भयता आ गयी है। अिस प्रकार अिस राज्यमें बेचारे गरीब किसान राज्यके शिकारके भी शिकार बन गये हैं। कितने ही वर्षोंसे ये किसान अर्जियां दे रहे हैं, महाराजासे मिलनेका प्रयत्न कर रहे हैं, दीवान साहबके पास दौड़े जाते हैं और प्रजामंडलके प्रत्येक अधिवेशनमें पुकार मचाते हैं। परंतु यह सब बहरेके आगे शंख फूंकने जैसा है। अिस घनियावीके शिकारखानेका अितिहास जब मैं सुनता हूं, तब अुत्तरसंढा गांवके अंक सज्जनकी याद आ जाती है जो अिस राज्यके अंक भूतपूर्व कमचारी थे और जिन्होंने न्यायमंदिरमें दिन दहाड़े मशाल जलाकर यह खोज की थी कि बड़ोदाके न्यायमंदिरमें न्याय कहाँ मिलता है। यह शिकारखाना वहांसे अुठा लेनेके लिये राज्यको मजबूर करने और किसानोंको असह्य कष्टसे बचा लेनेके लिये दृढ़ और व्यवस्थित कदम अुठाने चाहिये।”

फिर राज्यमें फँली डूबी घूसखोरीकी बुराबी, थोड़ी आमदनी पर भी लगाये गये आयकरके अन्याय और राज्यमें बनायी गयी खोखली पंचायतों

और म्युनिसिपैलिटियों वगैराका अुल्लेख करके वहांकी धारासभाके विषयमें बोले :

“अिस राज्यके कुछ कामोंमें— जैसे कानून वगैरा बनानेमें— अनुभवी लोगोंकी सलाह लेना हितावह होगा, यह सोचकर अुनकी अेक धारासभा स्थापित करनी चाहिये’, अिस प्रस्तावनाके साथ राज्यने धारासभाका यह प्रयोग तीस वर्ष पहले शुरू किया। परंतु अैसी धारासभाओंमें अयोप्यताकी ही शिक्षा मिलनेके कारण अुसका कोअी परिणाम नहीं निकला। अुस समय तो अिस संस्थाकी स्थापना होनेसे चारों तरफ राज्यकी वाहवाही होने लगी और भोली प्रजा फूलकर कुप्या हो गयी। प्रजामंडलने अेक वार अिस धारासभाका बहिष्कार घोषित कर दिया, तब अुसमें खुशामदी लोग घुस गये। अिसलिले प्रजामंडलने फिर अुस जगह अपने ही आदमी भेजनेका प्रयत्न किया। दोनों वार प्रजामंडलको अच्छी सफलता मिली। परंतु अिस सबको पानी बिलोने जैसा ही समझ लीजिये। अिन संस्थाओंका त्याग करनेमें ही प्रजाका भला है। अुनमें जानेसे राज्यको व्यर्थकी प्रतिष्ठा मिलती है।”

धारासभाके बारेमें अुपरोक्त सलाह देकर यह बताया कि बंबअी प्रांतमें शुरू हुअे शराबबन्दीके कार्यक्रममें बड़ोदा राज्यकी आबकारी-नीतिसे कैसी रुकावट होती है :

“ब्रिटिश गुजरातमें जहां जहां शराबबन्दीका कार्यक्रम शुरू हुआ है, वहां सभी जगह नजदीकमें अिम राज्यकी हद लगी हुअी है। अंग्रेजी सीमामें शराब पीनेवाले, जिन्हें अिस व्यसनकी लत पड़ गयी है, पासके अिस राज्यकी हदमें शराब-ताड़ीकी दुकानों पर दौड़ जाते हैं। फिर भी राज्यकी तरफसे अिन दुकानोंको दूर ले जानेकी अभी तक कोअी व्यवस्था नहीं हुअी है। अिससे ब्रिटिश गुजरातकी अिस प्रवृत्तिमें बड़ी बाधा पड़ती है।”

किसी समय प्रगतिशील समझा जानेवाला यह राज्य आज कैसी दुर्दशामें आ पड़ा है, अिसका वर्णन निम्नलिखित पैरेमें किया गया है :

“यह राज्य प्रथम श्रेणीके देशीराज्योंमें से अेक मुख्य राज्य है। अिसने हमेशा प्रगतिशील राज्य होनेका दावा किया है। जब किसी देशीराज्यका साहस नहीं होता था अैसे समय महाराजा साहबने दूरदेशीमें अनेक सुधार जारी करना आरंभ किया था। अनिवार्य शिक्षाकी पहल की, समाज-सुधारके कार्य प्रारंभ किये और अस्पृश्यताका नाश करनेके भगीरथ प्रयत्न किये। अैसे अैसे कामोंसे राज्यने देश-

भरमें सम्मान प्राप्त किया। परंतु उस समयका बड़ोदा राज्य दूसरा था और आजका दूसरा है। आज सुधारोंके कानून सांपके निकल जाने पर बनी हुआ लकीरकी तरह रह गये हैं, राज्य प्रगतिका मार्ग छोड़कर प्रतिक्रियावादी मार्ग पर चल पड़ा है। पहले महाराजा साहब होशियार नौजवानोंको चुन चुनकर छात्रवृत्तियां देकर अच्छे शिक्षा प्राप्त करनेके लिये विदेश भेजते और लौटने पर उन्हें राज्यके बड़े बड़े पदों पर रखते थे। आज छात्रवृत्तियां देना तो दूर रहा, अपने खर्चसे शिक्षा पाकर तैयार हुए राज्यके निवासियोंको भी राज्यमें स्थान नहीं मिलता। बड़े बड़े ओहदों पर राज्यसे बाहरके आदमी लाकर रखने और राज्यके आदमियोंको जिम्मेदारीके स्थानोंसे वंचित रखनेकी अल्टी नीति राज्यने कितने ही समयसे अपना रखी है। यह नीति राज्यके लिये खतरनाक है। इससे प्रजामें भारी अमंतोष फैला हुआ है। और हमारे दुर्भाग्यसे श्रीमान महाराजा साहब बहुत वर्षोंसे इस देशमें रह नहीं पाते। इसलिये राज्यकी यह दशा हो गयी है। इस देशका जलवायु अनेकी प्रकृतिके अनुकूल नहीं है। वर्षमें दो-चार सप्ताह वे जबरदस्ती इस देशमें बिता सकते हैं। इस वृद्धावस्थामें अनेके दिलको दुःख हो, अंसा अंक भी शब्द कोअी बोलना नहीं चाहता। फिर भी सबके हृदयोंमें अंक बात जम गयी है कि महाराजाकी लंबे समयकी गैरहाजिरीके कारण आपरसे खूबसूरत दिखायी देते हुए भी यह राज्य भीतरसे बिलकुल सड़ गया है। दुनियाके किसी भी भाग जैसी आबहवा हमारे देशके किमी न किसी हिस्सेमें मिल सकती है, फिर भी महाराजाको विदेश क्यों जाना पड़ता है? ”

परिषद्के अन्तमें जो अपुसंहार-भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा :

“ बड़े बड़े राज्य आज केन्द्रीय सरकारमें हिस्सेदार बननेके लिये दौड़ रहे हैं। परंतु वे अपने राज्यमें प्रजाको जिम्मेदार हुकूमत देनेको तैयार न हों तो ब्रिटिश भारतमें आजादी मिलनेके बाद केन्द्रीय सरकारमें हिस्सेदार बननेका उन्हें हक नहीं होगा। कांग्रेसने देशीराज्योंको और अंग्रेजी सरकारको ऐसी सूचना दे दी है। . . . अब तक बहुतसे राजा कहते थे कि हम प्रजाको शासनकी जिम्मेदारी देनेको तैयार हैं, परंतु हमारे सिर पर जबरदस्त साम्राज्य बंटा हुआ है जो इसमें बाधक होता है। त्रावणकोरके दीवानने तो अभी साफ तौर पर कह दिया है कि सार्वभौम सत्ता जिम्मेदार हुकूमत देनेके विरुद्ध है। इस पर पार्लियामेण्टमें प्रश्न पूछा

गया तो जवाब दिया गया कि "सार्वभौम सत्ताको कोअी आपत्ति नहीं है। कोअी भी राजा अपनी प्रजाको जिम्मेदार हुकूमत देना चाहते हों तो खुशीसे दे सकते हैं।"

अन्तमें यह समझाया कि अन्होंने यह अध्यक्षपद किस खयालसे स्वीकार किया :

"आज मैं आपके सेवकके रूपमें यहां आया हूं। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर राज्यके सामने आपका मामला पेश करूंगा। परंतु मेरी शक्तका दारमदार आपकी शक्ति पर है। आपको यह याद रखना चाहिये कि मैं कोअी कमजोर मामला हाथमें नहीं लेता। मैं मानता हूं कि जो प्रजा थप्पड़ खाकर बैठी रहे वह देशके लिये भार-स्वरूप है। . . . राज्यके साथ लड़ना पड़े तो अुसके लिये आपमें दृढ़ता होनी चाहिये। आपमें शक्ति न हो तो पहले से ही कह दीजिये। मैं अपमान सहनेको तैयार नहीं हूं। मैं आपका होनेके साथ साथ कांग्रेसका भी अेक अदना मिपाही हूं। कांग्रेसमें मेरा जो स्थान है अुसे देखते हूअे मेरा अपमान कांग्रेसका अपमान है, भारतका अपमान है।"

अिस भाषणका कार्यकर्ताओं तथा प्रजा पर बड़ा असर हुआ। अुनमें नअी चेतना और नवीन अुत्साह पैदा हुआ। कार्यकर्ताओंने कमर कमी और भादरणका संदेश राज्यके गांव गांवमें पहुंचाना शुरू कर दिया। सरदारने भी समय निकालकर परमाना और मांगरोल तालुकोंमें भाषण किये। अिससे राज्यके सबसे अूचे अधिकारी कुछ जागे भी सही। अुसी समय राज्यमें जमीनका लगान फिरसे तय करनेका काम चल रहा था। अुसकी रिपोर्ट प्रकाशित होते ही राज्यने भूमिकरमें कुल वीग लाख रुपयेकी कमी कर दी। और थोड़े राजनैतिक मुधार जारी करके मताधिकार कुछ विस्तृत कर दिया और धारासभाओंमें प्रजाका प्रतिनिधित्व भी बढ़ा दिया। अब तक धारासभामें कुल ३१ सदस्य थे। अुनमें प्रजाकी तरफसे चुने हूअे सदस्योंकी संख्या केवल ११ थी। नये मुधारोंके अनुसार धारासभाके सदस्योंकी संख्या ५५ कर दी गअी। अुनमें ३७ प्रजा द्वारा निर्वाचित सदस्य, ९ अधिकारी और ९ राज्यकी ओरसे मनोनीत गैरसरकारी सदस्य रखे गये। प्रजा द्वारा निर्वाचित ३७ सदस्योंमें से २७ आम मतदाता-मंडलों द्वारा चुने जानेवाले थे और १० विशेष निर्वाचक-मंडलों जैसे जमींदारों, जागीरदारों, व्यापारी मंडल, अुद्योगपति मंडल, सहकारी समितियों तथा मजदूर-प्रतिनिधियों द्वारा चुने जानेवाले थे। अिस प्रकार स्थिति यह होती थी - २८ विशेष हितोंके

प्रतिनिधि और २७ आम लोगोंके प्रतिनिधि । और राज्यकी कार्यकारिणी कौंसिल या मंत्रिमंडलमें अंक मंत्रीका चुनाव महाराजाको धारासभाके गैरसरकारी सदस्योंमें से करना था । अस मंत्रीको लोकप्रिय मंत्रीका नाम दिया गया था । उसे शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य, ग्रामविकास, स्वास्थ्य तथा सहकारी समितियोंमें से अंक या अधिक विभाग सौंपे जानेवाले थे । अस प्रकार जिम्मेदार हुकूमतका थोड़ा बहुत दिखावा किया गया था, मगर सत्ताके सूत्र अन्तमें महाराजा अथवा अंनके प्रतिनिधि दीवानके हाथमें ही रहते थे ।

परंतु सरदारके भाषणों और प्रजामंडलमें अल्पत्रुप ही जागृतिसे राजाके अन्य अफसरोंमें घबराहट फैली । राज्यके कुछ खुशामदी अखबार अंनकी मददको दौड़े । सरदारने अपने भाषणमें कहा था कि राज्य बाहरके कर्मचारियोंको अधिक रखता है । सरदारने तो यह कहा था कि जो बड़ोदा राज्यके निवासी नहीं हैं अंनहें अधिक संख्यामें रखा जाता है । परंतु असका अनर्थ करके बाहरके लोगोंको यानी मराठोंको रखा जाता है और गुजरातियोंको वंचित किया जाता है, अंसा ये अखबार प्रचार करने लगे । भादरणके और दूसरे भाषणोंमें से कुछ वाक्य विकृत करके सरदारके मुंहमें रखे गये । साथमें डॉ० खरे तथा वीर नरीमानके साथ सरदारके भारी अन्याय करनेके आक्षेप तो थे ही ।

ता० २०-२-३९ को बड़ोदा शहर आंर जिलेकी ओरसे मानपत्र और थैली भेंट करनेके लिये सरदारको निमंत्रण दिया गया था । अस समय गुमनाम विषैली पत्रिकाअें शहरमें बांटी गयीं और प्रान्ताभिमानकी भावनाको अपील करके महाराष्ट्रीयोंको अुकसानका भरपूर प्रयत्न किया गया । बड़ोदा शहरमें सरदारके सम्मानमें निकले हुअे जुलूम पर गुण्डोंको पैसे देकर पत्थर फिकवाये गये । सरदारकी मोटर पर भी काफी पत्थर पड़े । फिर भी आश्चर्यकी बात यह थी कि पुलिसने बिलकुल दखल नहीं दिया और फसाद रोकनेकी कोअी कोशिश असकी तरफसे नहीं की गयी । शामको जो सभा रखी गयी थी वह भी फसादी लोगोंने नहीं होने दी । सभाके लिये आयी हुअी महिलाओंसे अंन लोगोंने छेड़छाड़ करना शुरू किया, परंतु स्वयंसेवकोंने अंनके आसपास मजबूत घेरा डाल दिया और अंनहें सही-सलामत बाहर पहुंचा दिया । अन्तमें अंन दंगाअियोंने मंडप वगैराको तोड़-फोड़ कर खूब नुकसान किया । रास्तेमें दुकानदारोंने सरदारके सम्मानमें अपने यहां जो सजावट की थी उसे तोड़-फोड़ कर जला डाला गया । गुंडोंने कुछ दुकानोंको लूटनेका भी प्रयत्न किया ।

अस प्रकार २० तारीखको सरदारकी सभा दंगेके कारण नहीं हो सकी । असिलिये वही सभा २१ तारीखको अलकापुरीमें रखी गयी । अस सभामें

सरदारको बड़ोदा राज्य प्रजामंडलकी तरफसे २५,००१ रुपयेकी थैली भेंट की गयी थी, जो अन्होंने प्रजामंडलके कामके लिये अिस्तेमाल करनेको वापस दे दी। अिस रकममें और रुपया अिकट्टा करके प्रजामंडलने जिस किरायेके मकानमें अुसका दफ्तर था अुसे खरीद लिया और १,८०,००० रु० के खर्चसे तीन मंजिला भव्य मकान बनवाया। अिस मकानका नाम श्री सरदार भवन और मकानके सभा-भवनका नाम अब्बास हॉल रखा गया। अुस दिनकी सभाको भी भंग कर देनेकी पत्रिकाअें तो निकली। काले झंडों सहित अेक वड़ा जुलूस भी शहरमें घूमकर दंगे करता हुआ सभाभंग करनेके निश्चयके साथ अलकापुरी पहुंचा। पुलिसने अिस जुलूसको भी नहीं रोका। अलबत्ता, वे लोग अिस दूसरे दिनकी सभाको भंग नहीं कर सके, क्योंकि सभास्थलके सामने पुलिस विभागके बहुतसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। और स्वयंसेवकोंका बन्दोबस्त भी काफी रखा गया था। हां, सभा खतम होनेके बाद सभासे धर लौटते हुए लोगोंको अच्छी तरह परेशान किया गया। अुस दिन किसी अज्ञात व्यक्तिने अेक महाराष्ट्री विद्यार्थीकी खंजर मारकर हत्या कर डाली। यह हत्या करनेवाला कोअी गुजराती होना चाहिये, अंसा प्रचार करके अुस युवककी शवयात्रामें भाग लेनेवालोंने जिन जिन गुजराती मुहल्लोंमें से वे गुजरे वहां गुजरातियों पर हमले किये। २२ तारीखको भी दंगे जारी रहे। तीन दिन तक शहरमें हुए अिन दंगोंके संबंधमें बाजाबत्ता जांच करनेके लिये राज्यकी तरफसे ता० ६-४-३९ को अेक कमेटी मुकर्रर की गयी। अुस कमेटीका काम काफी आगे बढ़ गया। अितनेमें कुछ प्रमुख महाराष्ट्रीयोंने अिस फसादके लिये अफसोस जाहिर किया और सरकारसे प्रार्थना की कि अिस जांचका काम जारी रखनेसे जातीय तंगदिली बनी रहती है, अिसलिये जांचका काम बन्द कर दिया जाय। अिस प्रार्थनामें कुछ अग्रगण्य तरम विचारके गुजरातियोंने भी हस्ताक्षर किये। यह अर्जी मिलने पर राज्यकी तरफसे अेक सरकारी वक्तव्य जारी करके ता० १९-७-३९ को जांचका काम बन्द कर दिया गया और घोषणा कर दी गयी कि सरकारके पास जितना सबूत दर्ज हुआ है अुस पर ध्यानपूर्वक विचार करके सार्वजनिक हितमें जो कार्रवायी सरकारको आवश्यक प्रतीत होगी वह की जायगी। अिस प्रकार यह जांच अधूरी ही रही।

अूपर हमने जिन नये सुधारोंकी बात कही है अुनके अनुसार मअी-जून १९४० में धारासभाका चुनाव हुआ। अुसमें सरदारने प्रजामंडलका अच्छा मागंदशन किया और मदद दी। प्रजामंडलके पसन्द किये हुए अुम्मीदवार काफी बहुमतमें चुने गये। परंतु थोड़े ही समय बाद विश्वयुद्ध

छिड़ गया और उसके सिलसिलेमें ब्रिटिश साम्राज्यकी भारतके प्रति रही नीतिके संबंधमें बहुत बड़े प्रश्न अुपस्थित हुअे। जिसलिये देशीराज्योंका प्रश्न कुछ खटाजीमें पड़ गया।

लीमड़ी

काठियावाड़में लीमड़ी अेक छोटासा देशीराज्य था। अुसकी कुल आबादी अनुतालीस हजार मनुष्योंकी थी। अुनमें से तेरह हजार लीमड़ी शहरमें ही रहते थे। राज्यके अधीन सब मिलाकर चालीस गांव थे। अुनमें से बारहकी आमदनी युवराजकी निजी सम्पत्ति मानी जाती थी। राज्यकी कुल वार्षिक आय कोअी पंद्रह लाख रुपयेकी थी। वह मुख्यतः जमीनके लगानसे ही होती थी। जितना अनाज पैदा होता अुसका तीसरा या चौथा भाग राज्य ले लेता था। वहां अच्छी किस्मकी कपास पैदा होती, अुसका तीसरा हिस्सा राज्य लेता था। अुसके सिवा राज्य किसानोंसे तरह तरहके नेग-दस्तूर भी वसूल करता था। धंधा-कर, हल-कर, डोर-कर, लगन-कर, आदि विविध करोंसे राज्यको काफी आय थी। अिसमें से आधी राज-परिवार अपने खर्चके लिये ले लेता और बाकी अफसरों और नौकरोंके वेतनोंमें चली जाती। करदाताओंको सुविधाओंके रूपमें बहुत थोड़ा मिलता था। शिक्षा, सफाअी तथा डॉक्टरोंकी सहायतामें फी रुपया अेक आना मुश्किलसे खर्च किया जाता था। गांवोंमें तो ये सुविधाओं भी नहीं थीं। बहुतसे गांवोंमें पानीका भी भारी कष्ट था।

राज-परिवार बहुत मुशिक्षित माना जाता था। राजा बूढ़े हो गये थे, अिसलिये युवराज ही राजाके स्थान पर थे। राजाके दूसरे कुंवर राज्यके दीवान थे। ये दोनों विलायत हो आये थे। दीवान फतेहसिंह तो बैरिस्टर बन चुके थे। ये वही फतेहसिंह हैं जिन्हें कुछ समय पहले सौराष्ट्र सरकारने डाकू भूपतको आश्रय तथा मदद देनेके अभियोगमें गिरफ्तार किया था।

युवराजका बात करनेका ढंग बड़ा मीठा था। परंतु अुनके चरित्रके बारेमें प्रजाको बड़ा असंतोष था। अेक बार युवराज जब बंबअी गये तब अुनसे अिस बारेमें दो शब्द कहनेके लिये बम्बअीमें रहनेवाले लीमड़ीके कुछ व्यापारी नेता अुनसे मिले थे। युवराजने अुनके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं और कहा कि यदि प्रजा संगठित हो जाय और प्रजामंडल स्थापित कर ले तो मैं अुसे शासनमें कुछ जिम्मेदारियां अवश्य सौंप दूंगा। अुन प्रमुख व्यापारियोंको लीमड़ी आनेका निमंत्रण भी अुन्होंने दिया। जब वे लीमड़ी गये तब युवराज बदल गये। अुन्होंने सूचित किया कि 'आप प्रजामंडल स्थापित

कीजिये, परंतु प्रजामंडल लीमडी शहरमें ही काम करे। गांवोंके सुधारके लिये मेरी अपनी कुछ योजनाएँ हैं और अन्हें मैं खुद ही अमलमें लाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अुसमें कोअी दखल दे।' अुन्होंने यह भी कहा कि मैं लोकतंत्रको निकम्मी चीज समझता हूँ। खास तौर पर गांवकी प्रजाका अुससे भला नहीं हो सकता। अिसलिये जब तक मैं ग्रामसुधारकी अपनी योजना प्रकाशित करूँ तब तक तो आप गांवोंमें किसी प्रकारका राज-नैतिक काम बिलकुल न करें। परंतु यह सब समय लम्बानेकी चाल थी, क्योंकि दूसरी तरफ कर्मचारियोंको अुन्होंने हिदायत कर दी थी कि आप देहातमें जाकर लोगोंको समझायें कि कोअी प्रजामंडलमें शरीक न हो, और कोअी शरीक हो तो अुन्हें खूब तंग किया जाय।

हिन्दुस्तान भरमें देशीराज्योंकी प्रजामें जो जाग्रति आ गयी थी, अुसका असर लीमडीके लोगों पर भी हुआ था। अिसलिये लीमडीके कार्यकर्ताओंने विचार किया कि गांवोंकी प्रजामें काम करनेका युवराजके जितना ही हमें भी हक है। गांवोंके साथ हमारा संबंध राज्यसे कम नहीं है। राज्यने तो अब तक अुन्हें चूसा ही है, जब कि हम गांवोंकी जनताको अुसके हकोंका भान कराना चाहते हैं। अिसलिये अुन्होंने ता० २४-१२-'३८ को लीमडीके नागरिकोंकी अेक सार्वजनिक सभा करके प्रजामंडलकी स्थापना की।

युवराजको प्रजामंडलके नेताओंकी यह वृत्ति जरा भी पसन्द नहीं आयी। अुन्हें अैसा लगा कि नेता अपना सोचा हुआ करना चाहते हैं। अिसलिये अुन्होंने अेक और तरकीब सोची। यह दिखानेको कि प्रजामंडलवाले प्रजाके प्रतिनिधि ही नहीं हैं, अुन्होंने लीमडी शहरके कुछ हिन्दुओंसे सनातन मंडल नामकी और मुसलमानोंसे मुस्लिम जमात नामकी साम्प्रदायिक संस्थाओं स्थापित करायीं। राज्यके लगभग सभी अफसर और कर्मचारी अुनके सदस्य बन गये।

गांवोंमें भी चौकीदारों और माफीदारोंको हिदायत कर दी गयी कि वहां कोअी मनुष्य प्रजामंडलका काम करे तो अुसे डरा-धमकाकर दबा दिया जाय। अैसा करनेमें राज्यकी तरफसे अुन्हें सब सुविधाएँ दी जायेंगी। खूबी यह थी कि कोअी भी आज्ञा या सूचना लिखित नहीं दी जाती थी।

प्रजामंडलके नेता ज्यों ज्यों गांवोंके साथ सम्पर्क साधने लगे, त्यों त्यों राज्यकी मनमानीसे क्षुब्ध हुअे लोगोंकी तरफसे अुन्हें अुत्साहजनक जवाब मिलने लगा। अपने गांवोंमें प्रजामंडलकी शाखा खोलनेके लिये गांवके लोग निमंत्रण देने लगे। प्रजामंडलने गांवोंमें स्वयंसेवक भरती करनेका काम भी

शुरू कर दिया। ग्रामजनोंका उत्साह बढ़ानेके लिये प्रजामंडल बाहरसे भी नेताओंको बुलाने लगा। दरबार गोपालदासकी पत्नी भक्तिबाको लीमड़ीके ठाकुरसाहब अपनी पत्नीके समान मानते थे, क्योंकि उनके पिता लीमड़ीके दीवान थे और मौजूदा ठाकुरसाहबको गद्दी दिलानेमें अन्होंने अच्छी मदद की थी। असलिये स्वाभाविक रूपमें ही भक्तिबाको लीमड़ी राज्यमें दौरा करानेके लिये प्रजामंडलकी ओरसे आमंत्रित किया गया। परंतु जम्बू नामक गांवमें राज्यके भाड़ेती गुंडोंने उनकी मोटरको घेर लिया और कार्यकर्ताओंको मारना शुरू कर दिया तथा मोटरको भी नुकसान पहुंचाया। परंतु भक्तिबाके साहससे सारा गांव अलट पड़ा, जिससे गुंडोंको भाग जाना पड़ा। जिस घटनासे लड़ाईका श्रीगणेश हो गया। थोड़े दिन बाद शियाणी गांवके पास प्रजामंडलके एक नेताकी मोटर पर गुंडोंने ऐसा ही हमला किया। प्रजामंडलमें व्यापारी बहुत प्रमुख भाग लेते थे। असलिये उनके घर चोरियां कराओ जाने लगीं। फिर भी गांवोंमें प्रजामंडलका जोर बढ़ता ही गया। असलिये राज्यकी मौखिक सूचना और सहायतासे प्रजामंडल पर गांवोंमें व्यवस्थित आक्रमण करनेकी योजना बनाओ गओ।

ता० ५-२-'३९ को सारे काठियावाड़में राजकोट-दिवस मनाया गया। उस दिन शामको लीमड़ी राज्यके पाणशीणा गांवमें ग्रामजनोंकी सभा हुआ, जो रातको दस बजे बिखर गओ। उसके बाद रातको ग्यारह बजे लाठियों, गंडासों, देशी बन्दूकों, तलवारों, कुल्हाड़ियों वगैरासे सुमज्जित होकर लगभग अस्सी आदमी बन्दूकें चलाते हुआ गांव पर टूट पड़े। आधे आदमियोंने गांवके सारे रास्ते रोक लिये और बीस बीसकी दो टोलियां गांवमें चक्कर लगाने लगीं। प्रजामंडलके कार्यकर्ताओं और उनके साथ सहानुभूति रखनेवाले कोओ बारह आदमियोंके घर दूढ़कर उनके दरवाजे तोड़कर लूट मचा दी। गांवमें प्रजामंडलके दफ्तरमें कुछ स्वयंसेवक सो रहे थे। उसे बाहरसे सांकल लगा दी, जिससे भीतर सोनेवाला कोओ बाहर न निकल सके। गांवके मुख्य व्यापारी और प्रजामंडलके प्रमुख कार्यकर्ताके घर पहुंचकर अन्हें और उनकी पत्नीको निर्दय मार मारी। उस बहनके तो गुप्त अंगों पर भी चोट पहुंचाओ गओ। प्रजामंडलके एक और कार्यकर्ता पर तलवारसे हमला किया गया। जिस प्रकार दो घंटे तक मारपीट की गओ और लूट मचाओ गओ। लगभग तीस आदमियोंको गंभीर चोटें आओ और प्रजामंडलका काम करनेवालोंके बारह घरोंसे लगभग साठ हजार रुपयेका माल उठा ले गये। पाणशीणा गांवमें पुलिसका थाना था और गांवमें चौकीदारोंकी तादाद भी काफी थी। परंतु उनमें से कोओ जिस घावके समय बाहर नहीं आया।

पाणशीणामें अत्याचार करके यह डाकूदल वहांसे दो कोस दूर स्थित रलोल गांव पहुंचा। प्रजामंडलके प्रति सहानुभूति रखनेवाले तीन सुनारों तथा अके बिनयेको गंभीर मार मारी, कुल दस आदमियोंको घायल किया और चार घर लूटकर वहांसे दस हजारका माल अुठा ले गये।

दूसरे दिन अिन अत्याचारोंके समाचार लीमड़ी पहुंचे। तुरंत प्रजामंडलने घायलोंकी सेवाके लिये स्वयंसेवक-दल संबधित गांवोंमें भेजे। अत्याचारके शिकार हुअे लोगोंके लिये न्याय प्राप्त करनेके खातिर अके बड़ा जुलूस ठाकुरसाहबके महल पर गया। ठाकुरसाहबने जुलूसके प्रतिनिधियोंसे शामके पांच बजे मुलाकात की और कहा कि अुन्हें अिन अत्याचारोंका कुछ भी पता नहीं। दीवानने कहा कि जिन्हें चांटें आयी हों अथवा नुकसान हुआ हो अुन्हें दावे दर्ज कराने चाहिये। ठाकुरसाहबने कहा कि अुनके पुत्र और दीवान श्री फतेहसिंहजीको जांचके लिये भेजा जायगा। परंतु जब लोगोंने कहा कि हमें तो अिन अपद्रवोंमें अुन्हीका हाथ होनेका शक है, तब ठाकुरसाहबने वह बात छोड़ दी।

सरदारको अिन अत्याचारोंकी खबर लगी, तो अुन्होंने जांच करायी और ८ फरवरीको निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“काठियावाड़के लीमड़ी राज्यसे अत्यंत कंपकंपी पैदा करनेवाले समाचार मिले हैं। मेरे भेजे हुअे प्रजामंडलके विश्वस्त कार्यकर्ताओंने पूरी जांच करनेके बाद ये समाचार भेजे हैं। असिलिये अुन्हें गलत माननेका कोअी भी कारण नहीं। रेजीडेण्टको राजकोटकी जो संघि पसन्द नहीं आयी थी और जिसका बादमें भंग किया गया था, अुसके थोड़े ही दिनों बाद काठियावाड़के तमाम राजा रेजीडेण्टके आमंत्रण पर राजकोट रेजीडेन्सीमें अिकट्ठे हुअे थे। मालूम होता है कि वहां अुन्होंने अपने अपने राज्योंमें प्रजामंडलको कुचल डालनेकी अेकसी नीतिका अनुसरण करनेका निश्चय किया था। तबसे अनेक राज्योंमें भिन्न भिन्न प्रकारकी दमनकी कारंवावियां की गयी हैं। मुसलमान, गरासिया, जागीरदार वगैरा छोटे छोटे वर्गोंको प्रजामंडलके विरुद्ध खड़ा किया गया है और जिम्मेदार हुकूमत मांगनेके प्रजाके आन्दोलनमें विघ्न डालकर अुसे खतम करनेके लिये अिन लोगोंको अुभाड़ दिया गया है।

“राजकोटके ठाकुरसाहबने समझौता भंग किया तबसे वहां रेजीडेण्टकी अुत्तेजनासे मारपीट और दमननीतिका सत्र आरंभ हो गया है। परंतु लीमड़ीने तो राजकोटके जंगली और पाशाविक तरीकोंको

भी मात कर दिया है। बन्दूक, तलवार, गंडासे, छुरे वगैरासे सुसज्जित ८० आदमी गांवोंमें प्रजामंडलके कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। अन्होंने कुछ लोगों पर निर्दय आक्रमण किया। हजारों रुपयेकी धन-सम्पत्ति लूट ली और साथ लाठी हुई मोटर कारियोंमें भरकर ले गये। लोगोंने पहचान लिया था कि अिन डाकुओंमें से कुछ राज्यके नौकर भी थे। और अउनके पास मोटरोंका अितना बड़ा काफिला था, अिससे भी समझा जा सकता है कि अुन्हें कहाँसे मदद मिली होगी।

“मेरे पास आयी हुई खबरें सच हों तो आज लीमडीमें जान-मालकी जरा भी सलामती नहीं रही। अिस बारेमें अभी तक कोअी कार्रवाअी नहीं की गअी, और न ठाकुरसाहबके कानों पर जू रेंगी है। ठाकुरसाहबके अिस रवैयेके प्रति विरोध प्रगट करनेके लिये कोअी तीन हजार शहरियोंने महलके सामने ४८ घंटेसे अुपवास कर रखा है। लोगोंने वाअिसराय और गांधीजीको तार भेजे हैं। अिन खबरोंमें सत्यका कुछ अंश भी मान लें तो स्पष्ट दिखाअी देता है कि अन्यत्र हो रही सख्तीके तरीके लीमडीके प्रजामंडल पर अाजमा कर अुसे कुचल डालनेका व्यवस्थित प्रयत्न हो रहा है। जो ब्रिटिश रेजीडेण्ट जंगली जमानेके निरंकुश अवशेषोंको संरक्षण देनेके लिये आतुर है, अुसे अिस निर्दोष निःशस्त्र प्रजाकी रक्षा करनेकी अपनी थोड़ी भी जिम्मेदारी महसूस होती है? अिसे गांधीजी संगठित गुंडापन कहते हैं, क्या यह अुसीका प्रदर्शन नहीं है? यह आशा कैसे रखी जा सकती है कि पड़ोसके प्रान्तकी कांग्रेसी सरकार यह सब ठंडे दिलसे देखा करेगी?

नागरिक लोग राजमहलके सामने चार दिन तक भूखे बैठे रहे। ठाकुर-साहब जांच करने और न्याय प्रदान करनेके वचन देते रहे। परंतु अिस समय लीमडीके नेता राजमहलके सामने अुपवास कर रहे थे, अुसी समय ७ फरवरीको शियाणी नामक अेक गांवमें पाणशीणा जैसा ही तलवारों और बंदूकोंके साथ धावा हुआ। वहां भी प्रजामंडलके कार्यकर्ताओंके घर लूटकर हजारके रुपयेकी धन-सम्पत्ति अुठा ले गये। ९ तारीखको करसनगढ़ नामक गांव पर अैसा ही हमला किया गया। वहां भी प्रजामंडलके कार्यकर्ताओंके घर लूटे गये और गांवके बहुतसे मनुष्योंको पीटा गया। अिसके सिवा राज्यके लगभग पंद्रह गांवोंमें लगातार चोरियां हुआं। अिसके विशद प्रजामंडलके नेताओंके नेतृत्वमें लोगोंने शान्तिसेना खड़ी की और सैकड़ों मनुष्य अपने-अपने गांवोंमें पहरा देने लगे।

प्रजामंडलने दूसरा निश्चय यह किया कि १९ फरवरीको राज्यकी प्रजा-परिषद् की जाय। राज्यके गांवोंसे सैकड़ों आदमी गाड़ियोंमें, घोड़ों पर अथवा पैदल चलकर परिषद्में भाग लेने निकल पड़े। असा अंतजाम किया गया कि वे सब १८ तारीखकी शामको लीमड़ी पहुंचें।

जैसे शहरमें फूट डालनेके लिये सनातन मंडल और मुस्लिम जमात स्थापित की गयी थी, वैसे गांवोंमें ग्रामपंचायतें स्थापित करनेकी राज्यकी ओरसे युक्ति की गयी। अक खास वर्गके थोड़ेसे किसानोंको ही ये पंचायतें चुननेका हक दिया गया। पंचायतोंको बड़ीसे बड़ी रकमके दीवानी दावे चलानेका अधिकार दिया गया। शुद्ध हेतुसे असा अधिकार दिया गया होता तो जरूर प्रजाका भला होता। परंतु यहां तो राज्यकी नीयत यह थी कि व्यापारी लोगोंके देहाती किसानों पर जो वाजिब कर्ज थे उनको भी झूठे साबित करा दिया जाय। राज्यकी तरफसे सीधा प्रचार किया जाता था कि किसी किसानको व्यापारियोंका कर्ज चुकानेकी जरूरत नहीं। अक तरफ किसानोंको परिषद्में शरीक होने पर जान-मालका नुकसान करनेकी धमकी दी जाती थी और दूसरी तरफ परिषद्में शरीक न होनेवालोंको यह लालच दिया जाता था कि अन्हें व्यापारियोंका कर्ज अदा नहीं करना पड़ेगा। अिसके सिवा रैयतसे वफादारीकी प्रतिज्ञाओं पर हस्ताक्षर करानेका काम भी अफसरोंने शुरू कर दिया था। १६ फरवरीको राज्यकी ओरसे अक घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। अुसमें बताया गया :

“हमें लीमड़ीके शहरियों और गांवोंके लोगोंकी तरफसे बहुतसी अर्जियां मिली हैं जिनमें कहा गया है कि ‘हमें प्रजामंडलकी नीति पसन्द नहीं और राज्यकी प्रजाके नाम पर बोलनेका प्रजामंडलको कोअी अधिकार नहीं, क्योंकि प्रजामंडल राज्यकी प्रजाका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था नहीं है। अिसलिये प्रजामंडलकी बुलायी हुअी १९ तारीखकी परिषद् पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।’ राज्यको प्राप्त हुअे आंकड़ोंके अनुसार रैयतका ७५ फी सदी भाग परिषद्के विरुद्ध है। शेष २५ प्रतिशतने यद्यपि अपना विरोध व्यक्त नहीं किया, तो भी यह माननेके लिये कारण नहीं कि वे सब परिषद्के पक्षमें ही हैं। ठाकुरसाहब शासनमें सुधार करनेको तैयार हैं और गांवोंमें तो पंचायतें स्थापित करके स्थानीय स्वराज्य दे भी दिया है। अिसलिये यह परिषद् करनेके लिये कोअी कारण नहीं है। राज्यके अधिकांश लोगोंका घोर विरोध होने पर भी परिषद् करना वांछनीय नहीं। अैसी परिस्थितिमें परिषद् की जायगी तो गंभीर स्थिति पैदा होनेका भय है।

अितने पर भी परिषद् पर पाबन्दी लगाकर राज्य प्रजाके प्राथमिक अधिकारोंमें बाधक बनना नहीं चाहता। केवल अितनी चेतावनी देता है कि गंभीर परिस्थिति उत्पन्न होनेका खतरा होनेके बावजूद अगर परिषद् की जायगी और उसके कारण कोअी अपद्रव होंगे तो उसके पूरी जिम्मेदारी प्रजामंडल पर रहेगी। ”

अिसके अतिरिक्त ग्रामोंमें अैसे विज्ञापन चिपकाये गये कि ता० १६-२-३९ के घोषणापत्रके अनुसंधानमें बताया जाता है कि राज्यके अधिकांश लोगोंके विरुद्ध जाकर जो परिषद् की जा रही है उसमें भाग लेनेवाला राज्यका विरोधी माना जायगा। स्थानीय अधिकारी अुनके नाम-पते लिख कर हमें खबर दें।

सनातन मंडल और मुस्लिम जमात भी निष्क्रिय नहीं रहे। अुन्होंने १८ फरवरीको अेक पत्रिका निकालकर अुसमें कहा :

“ प्रजामंडल केवल बनियोंकी संस्था है और राज्यके अधिकांश लोग अिसके विरुद्ध हैं। अिसलिये राज्यकी सनातनी प्रजा तथा मुस्लिम प्रजा परिषदमें शरीक होकर अपना विरोध शांतिपूर्वक व्यक्त करेगी। यदि बनिया मंडल परिषदके द्वार बन्द करके अथवा द्वारके सामने घेरा डालकर हमें जानेसे रोकेगा तो हम अुसे तोड़कर अन्दर जायेंगे। हम बनिया मंडलको चेतावनी देते हैं कि हम किसी भी कीमत पर परिषदके मंडपमें घुसेंगे और अैसा करनेमें अगर अमनमें खलल पड़ेगा तो अुसके लिये वह बनिया मंडल जिम्मेदार माना जायगा। ”

अिस किस्मकी घमकियोंके वावजूद अलग अलग गांवोंसे लगभग पंद्रह सौ किसान १८ तारीखकी शामको छः बजे लीमड़ी आ पहुंचे। लीमड़ीके नागरिक बड़े जुलूसके रूपमें अुनका स्वागत करनेके लिये गये। दूसरी तरफ सनातन मंडल और मुस्लिम जमातके नामसे लीमड़ी राज्यके गुंडों तथा फसादी तत्त्वोंका भी अेक जुलूस निकला। अुसमें राज्यके लगभग सभी अधिकारी सम्मिलित हुअे। प्रजामंडलके आदमियोंको मारनेमें सुविधा रहे और अैसा करते हुअे राज्यके पक्षवालों पर मार न पड़े, अिसके लिये सनातन मंडलवालोंको लाल पट्टी और मुस्लिम जमातवालोंको नीली पट्टी लगानेके लिये दी गयी थी। अिस रास्तेसे प्रजामंडलका जुलूस निकलनेवाला था वही रास्ता अिन लोगोंने अपने लिये चुना। किसी भी प्रकारकी अवांछनीय घटना न होने देनेके लिये प्रजामंडलने अपना जुलूस दूसरे रास्ते मोड़ लिया और टक्कर न होने दी। फिर भी गुंडोंने

प्रजामंडलके कुछ लोगोंको तंग किया और कुछ स्वयंसेवकोंको पीटा भी। किसानोंके ठहरनेकी व्यवस्था प्रजामंडलकी तीन छावनियोंमें की गयी थी। गुंडे दो दो सौ की तीन टोलियोंमें बंट गये और शामको अन्होंने छावनियोंको घेर लिया। छावनियोंके द्वार बन्द कर दिये गये। फिर भी अणु लोगोंने हथियार दिखाकर मारनेकी धमकियां देना जारी रखा। अंतमें रातको दस बजे वे छावनियोंमें घुस गये। किसानोंको मारा, रोशनी बन्द कर दी और सारा सामान अस्तव्यस्त कर दिया। सारे शहरमें घबराहट फैल गयी। प्रजामंडलके कार्यकर्ता और स्वयंसेवक लोगोंको धीरज देनेके लिये रातभर शहरमें घूमते रहे। दरवार साहबकी पत्नी श्रीमती भक्तिवा अिन पहरा देनेवालोंमें प्रमुख थीं।

परिषदके मनोनीत अध्यक्ष दरवार श्री गोपालदास रातके अढ़ाजी बजेकी गाड़ीसे लीमड़ी आनेवाले थे। अणुका स्वागत करनेके लिये प्रजामंडलके नेता स्टेशन पर पहुंचे तो अन्होंने देखा कि जिन गुंडोंने पिछली रातको शहरमें अत्यात किया था वे स्टेशन पर भी पहुंच गये हैं। अणु लोगोंने दरवार गोपालदास तथा अणुके साथियोंको घेर लिया और अन्हें शहरमें जानेसे रोक दिया। यह ममाचार शहरमें पहुंचने पर वहांसे बहुतसे नेता और कार्यकर्ता स्टेशनके लिये रवाना हुअे। परंतु गुंडोंने अन्हें रास्तेमें रोककर स्टेशनकी तरफ नहीं जाने दिया। भक्तिवा अणु गुंडोंके बीचमें घुसीं। गुंडे अन्हें छुरे और तलवार दिखाकर डराने लगे परंतु वे डरी नहीं। असलिये अन्हें स्टेशन जाने दिया। ठेठ साढ़े पांच बजे राज्यका पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट स्टेशन पहुंचा और अणुने अपने संरक्षणमें दरवार साहबको शहरमें ले जानेको कहा। दरवार साहब अपने साथियोंको छोड़कर जानेके लिये तैयार नहीं थे। असलिये शहरमें से अेक मोटर बस मंगायी गयी और सबको सही-सलामत पहुंचा दिया गया। रास्तेके गुंडोंको संकेत मिलने पर वे अदृश्य हो गये थे।

१९ तारीखको सुबह राज्यकी ओरसे हथियार लेकर चलनेकी मनाहीका हुक्म जारी किया गया। परंतु वह हुक्म केवल कागज पर ही धरा रहा। सबेरे ९ बजे लगभग दो सौ गुंडोंने लाठियों, गंडासों वगैराके साथ अध्यक्षके डेरेको घेर लिया, जिससे वे परिषद्में न जा सकें। किसानोंके दूसरे डेरों पर भी अिसी प्रकार घेरा डाल दिया गया।

दोपहरको सवा बारह बजेकी गाड़ीसे श्रीमती लीलावती मुन्शी, श्री शांतिलाल शाह सालीसिटर तथा गुजरात प्रात्तीय समितिके मंत्री श्री जीवनलाल दीवान आनेवाले थे। परिषद्का समय दोपहरके अढ़ाजी बजेका रखा गया था, परंतु दस बजेसे ही हजारसे अधिक मनुष्य परिषद्के मंडपमें जमा

हो गये थे। ग्यारह बजे प्रजामंडलके कार्यालयमें समाचार आये कि गुंडोंने परिषद्के मंडपमें घुसकर आतंक फैला दिया है। हजारमें से लगभग सात सौ मनुष्योंको छोटी बड़ी चोटें पहुंचाओ गयीं। कितनों ही के सिर फूट गये। और कितनों ही के शरीर पर गंभीर चोटें आयीं। प्रजामंडलके कार्यकर्ता अिन सबकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये। घायल होनेवालोंमें जिन्हें गंभीर चोटें आयी थीं अन्हें राज्यके अस्पतालमें अथवा खानगी दवाखानोंमें ले जाया गया। अिस सारे समयमें गुंडे परिषद्के डेरों पर हमले करके नुकसान पहुंचा रहे थे।

अिन अपद्रवोंके जारी रहने पर भी प्रजामंडलके कार्यकर्ताओंका निश्चय था कि निश्चित किये हुअे समय पर दोपहरके अढ़ाओ बजे परिषद् अवश्य की जाय। मंडप तो गुंडोंने तोड़ डाला था, अिसलिये परिषद्के अेक डेरे पर श्रीमती लीलावती मुन्शीकी अध्यक्षतामें परिषद् करके दो प्रस्ताव पास किये गये। अेक जिम्मेदार हुकूमतका और दूसरा अिन अपद्रवोंकी निन्दा करने और अुनकी निष्पक्ष जांच चाहनेवाला।

शामको चार बजे गुंडोंको आज्ञा मिली कि अब दंगे बन्द कर दें। अिसलिये जैसे जादूका डंडा फिर जानेसे हो जाता है वैसे तमाम गुंडे गायब हो गये। शहरमें स्मशान जैसी शांति छा गयी।

श्रीमती लीलावती मुन्शी तथा अन्य मेहमान घायलोंको देखने अस्पताल गये। सब कुछ देखनेके बाद अुन्होंने अेक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया। अुममें से कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं :

“जब हमने शहरमें प्रवेश किया तब हमने बहुतसे लोगोंको अिकट्टे हुअे देखा। अुनके पास काले झंडे थे और हाथमें लाठियां थीं। प्रत्येकने अपने शरीर पर लाल या नीली पट्टी लगा रखी थी।

“दरबार गोपालदासके डेरे पर अिन लाल और नीली पट्टीवाले लाठीचारी लगभग दो सौ आदमियोंने घेरा डाल रखा था। वे प्रातः-कालसे कैदीकी अवस्थामें थे। फिर भी पुलिस वहां फटकी तक नहीं। अेक गैरजिम्मेदार भीड़ जिम्मेदार मनुष्यको कैद कर रखे और अधिकारी कोओी कारंवाओी न करें, अिसका हमें आश्चर्य हुआ।

“हम अस्पताल जा रहे थे तब हमने लाल और नीली पट्टीवाले लगभग दो सौ मनुष्योंको दरबारी डेरे पर बैठे हुअे देखा। हमें कहा गया कि अुन्हें फसादके लिये खास तौर पर बुलाया गया है। वे दरबारी आतिथ्यका आनंद लूट रहे थे।

“जब हम अस्पतालमें थे तब लाल और नीली पट्टीवाले पचीस तीस आदमी वहां आये। नीले साफेवाला अेक मनुष्य उनका नेता था। वह अेकके बाद अेक नाम पढ़ने लगा। अस्पतालके कारकुनने अुस मुखियाके कहे अनुसार फार्म भरे। अुनमें से किसीके भी शरीर पर चोटके निशान हमने नहीं देखे। श्रीमती मुन्शीने तो पूछा भी सही कि ‘अिनको क्या चोटें आयी हैं?’ तब अुन्हें अुड़ाअु जवाब दे दिया गया कि यह देखना डॉक्टरका काम है।”

अैसी स्थितिमें शहरमें भय और आतंकका वातावरण फैल जाय तो कोअी आश्चर्य नहीं। लोगोंने दो दिन तक पूरी हड़ताल रखी। परन्तु राज्यकी ओरसे प्रजामंडलके किसी कार्यकर्तासे या शहरके किसी नेतासे किसीने कुछ पूछा तक नहीं। अुपद्रव करनेवाले गुंडे अपना काम करके शामको चलते बने। अुनमें से किसीको गिरफ्तार नहीं किया गया। शहरमें भयजनक अफवाहें फैलने लगीं और खुल्लमखुल्ला कहा जाने लगा कि प्रजामंडलके किसी कार्यकर्ताके जान-माल सलामत नहीं। गुंडे तो खुल्लमखुल्ला नारे लगाते थे कि हम नगरसेठकी और रसिकलाल परीखकी हत्या करेंगे।

जब यह साफ मालूम हो गया कि अैसी अंधेर नगरीमें न्याय मिलनेकी आशा रखना फिजूल है, तब लोगोंने २१ फरवरीसे हिजरत शुरू की। लीमडी शहरकी कुल १३ हजारकी आबादीमें से स्त्री-पुरुष और बच्चे मिलाकर पांच हजार आदमी पहने हुअे कपड़ोंके साथ शहर छोड़ कर चले गये। गांवोंमें से साठ परिवारोंने हिजरत की। अिन हिजरतियोंमें सभी वर्गके लोग थे। अुल्लेखनीय बात यह है कि अिन हिजरतके नेताओंको हिजरतसे कोअी भी लाभ नहीं था। भारी माल-जायदाद ही गंवानी थी। व्यापारी वर्गका तो राजकुटुम्बके साथ बरसोंसे अच्छा संबंध था। राज्यमें अुनका मान-सम्मान भी अच्छा था। अुन्होंने जरा भी कल्पना नहीं की थी कि युवराज और दीवान अपने मनमाने और स्वेच्छाचारपूर्ण व्यवहारमें यहां तक आगे बढ़ जायेंगे। अुनका यह भ्रम भंग होकर चूर चूर हो गया। गांधीजी और सरदार वल्लभभाअीने अुन्हें सलाह दी कि यदि प्रजा बहादुर हो तो अुसे अैसे अन्यायी राज्यका बहिष्कार अवश्य कर देना चाहिये।

कुछ लोगोंको यह आशा थी कि हिजरतका असर दरबार पर अच्छा होगा और वे सुलह-शांतिका मार्ग अपनायेंगे। परन्तु सत्ताधारियोंको लगा कि प्रजामंडलको कुचल डालनेका यह बहुत ही बढ़िया अवसर है। अुन्होंने प्रजामंडलके प्रति सहानुभूति रखनेवाले तमाम लोगोंको सताना शुरू कर

दिया। गांवोंमें जो व्यापारी रह गये थे उनके लिये भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अन्हें राज्य छोड़कर चले जाना पड़े। राज्यके तमाम बनिया कर्म-चारियोंको अेकके बाद अेक निकाल दिया गया। पेन्शनरोंकी पेन्शन बन्द कर दी गयी। हिजरत करनेवालोंकी सम्पत्ति तो बाकायदा लूटी ही जाने लगी। किसानोंको अपनी खड़ी फसलें तक नहीं लेने दी गयीं। बादमें जुर्माने और कुरकियां शुरू हुयीं। प्रजामंडलके काममें जिन्होंने जरा भी भाग लिया और मदद दी, उन पर भारी जुर्माने किये गये और कुरकी द्वारा वसूल किये गये। पाणशीणा गांवके कुछ व्यापारी अभी तक गांवमें ही रह गये थे। राज्यने दर्जी, कुम्हार, नाजी, मोची वर्गोंको हुक्म दिया कि अिन व्यापारियोंका कोअी काम नहीं किया जाय। अपुर कहा जा चुका है कि राज्यकी तरफसे किसी भी प्रकारकी लिखित आज्ञाअें नहीं दी जाती थीं। सब कुछ जबानी ही होता था।

कुछ नरम स्वभावके आदमियोंने, जो प्रजामंडलमें शरीक नहीं थे, सोचा कि यही हाल रहा तो राज्यकी बर्बादी होगी। अिसलिये ७ जुलाअीको ठाकुरसाहबका जन्मदिवस आ रहा था, अुसके सम्मानमें अुन्होंने राजा-प्रजाके बीच मेल करानेकी कोशिश की। परंतु वह बेकार साबित हुअी। दूसरी तरफ अिस हिजरतके कारण सारे देशकी सहानुभूति लीमड़ीकी प्रजाकी तरफ हो गयी। व्यापारियों और मिलमालिकोंने लीमड़ी राज्यके तमाम मालका, खास तौर पर लीमड़ीकी रुअीका बहिष्कार कर दिया। बम्बअी शहरमें तो लीमड़ीकी रुअीका बहिष्कार बड़े पैमाने पर चालू रखनेके लिये अेक प्रभावशाली कमेटी नियुक्त हुअी और वह बहिष्कार लगभग चार वर्ष तक जारी रहा। ठेठ जापान तक गयी हुअी लीमड़ीकी रुअी भी नहीं बिकी।

लीमड़ीमें अैसा अंधेर और अन्याय हो रहा था, तो भी सार्वभौम सत्ता वह सब चुपचाप देखती ही रही। राजाअोंकी रक्षा करनेके लिये वह कअी बार सामने आअी, परंतु लीमड़ीकी प्रजाके प्रति अुसने अैसा व्यवहार किया अाने अुसका कोअी कर्तव्य ही न हो। राजकोटके रेअीडेन्टको तथा सम्राटके प्रतिनिधिके नाते वाअिसरायको तार दिये गये, परंतु वे सब व्यर्थ गये। अुनका कोअी जवाब ही नहीं मिला। हजारों लोगोंके जान-माल जोखिममें पड़ जाने पर भी सार्वभौम सत्ताने अंगली तक नहीं अुठाअी।

यह सब हो रहा था तब युवराजने अपनी सुधार-योजनायें प्रकाशित करना शुरू किया। लीमड़ी चालीस गांवोंका अेक अोटसा राज्य था। अुसमें

शहरसभा, राज्यसभा तथा ग्रामपंचायतें और अन सबका अक संघ (फेडरेशन)— असे भारी भारी नाम अन योजनाओंमें आते थे । परंतु सभी योजनायें थोथी थीं । प्रजाको शासनमें जिम्मेदारी देनेकी अक भी बात अन योजनाओंमें नहीं थी । फिर भी ३० अक्तूबरको काठियावाड़के राजाओंकी अक परिषद् हुआ । असमें यह प्रस्ताव पास हुआ :

“ राजाओंने लीमडी राज्यकी सुधार-योजनाओं पर विचार क्रिया । वह राजकोटसे भी शासनको अधिक अुदार बनानेमें कुछ हद तक आगे बढ़ जाती है, असके लिये लीमडीके युवराजको बधाओ दी जाती है । ”

जहां प्रजाके प्राथमिक अधिकारोंसे ही अनकार किया जाता था, वहां असे अुदार सुधारोंके लिये बधाओ देना बेवकूफी और हंसीकी बातके सिवा और कुछ नहीं था । लीमडीके प्रजामंडलने तो राजनैतिक सुधारोंकी कोओ बात तक नहीं निकाली थी । असका तात्कालिक कार्यक्रम तो अितना ही था कि देहांतमें जकर लोगोंको अुनके हकोंके बारेमें शिक्षा दी जाय । परंतु राज्य असे भी सहन करनेको नैयार नहीं था !

गांवों पर धावे बोल कर राज्यके रखे हुअे गुंडे मारकाट और लूटपाट करने लगे और असके लम्बे लम्बे तार गांधीजीको दिये गये, तब अन्होंने ‘हरिजनबंधु’ में ‘लीमडीका अंधेर’ शीर्षक लेख लिखा था । असके बाद गांधीजीके पास लीमडीके अत्याचारोंके समाचार तो आते ही रहते थे । अंतमें ३१ अगस्तको अन्होंने ‘लीमडीके बारेमें’ नामका लेख लिखा, जिसमें कहा :

“ लीमडीके लोगोंके साथ मेरा लम्बा पत्रव्यवहार होता रहा है । परंतु अन पर जो वीत रही है असके बारेमें मने बहुत समयसे कुछ भी कहनेसे अपनेको रोका है । मुझे यह आशा थी कि जो लोग राजा और प्रजा दोनोंके बीच सुलह करानेकी कोशिश कर रहे हैं अुनके प्रयत्न सफल होंगे । परंतु वह आशा झूठी निकली । . . .

“ मेरे पास आये हुअे समाचार सच हों— और अैसा न माननेके लिये मेरे पास कोओ कारण नहीं है— तो किसानोंको शिकारी जानवरोंकी तरह सताया और अुनके घरोंसे भगाया गया है । सबसे फठोर अत्याचारकी वर्षा तो अस वणिक वर्ग पर हुआ है, जो किसी समय राज्यका मित्र और आधार-स्तम्भ था । . . . सच पूछा जाय तो अन हिजरती ब्यापारियोंकी दुकानें और घरबार दोनों

लूट लिये गये हैं। जिसकी जड़में लोगोंको आतंकित करके डरा देनेकी ही कल्पना थी। ऐसी स्थितिमें कुछ लोग ढीले पड़ गये, जिसमें आश्चर्यकी कोअी बात नहीं। (अस समय कुल तीन हजार हिजरती बाहर रह गये थे। बाकी अपने अपने गांवको लौट गये थे।) लड़ाईका संचालन करनेवालोंको मेरी सलाह है कि अस प्रकार ढीले पड़नेवाले लोगोंको वे राज्यकी शरण जानेसे रोकनेका प्रयास न करें। समाजमें अंसे लोग होते हैं जो अपनी संपत्तिको अपने सम्मानसे अधिक प्रिय मानते हैं। अंसे लोग स्वतंत्रताके किसी भी आन्दोलनके लिये भाररूप ही होते हैं। लीमड़ीके जिन लोगोंकी जायदाद लूट ली गयी है, अन्हें निराधार स्थितिमें अथवा तुरंत समझौता होनेकी आशामें हरगिज न रहना चाहिये। वे राज्यसे बाहर रह कर सम्मानपूर्ण धंधा करें और सदा दृढ़ विश्वास रखें कि अक दिन अंमा अवश्य आयेगा जब लीमड़ीकी प्रजाको अपना खोया हुआ सब कुछ वापस मिल जायगा। वह दिन कभी आया — और वह आना ही चाहिये — तो वह अुन मुट्ठीभर त्यागी स्त्री-पुरुषोंके शौर्य और आत्मोत्सर्गका फल होगा, जिन्होंने कड़ीसे कड़ी दमन-नीतिके सामने भी सिर नहीं झुकाया।

“मैं लीमड़ीके ठाकुरसाहबसे सार्वजनिक अपील करना चाहता हूं। . . . समझदार राजा अंसी प्रजाका जी दुखाते रहनेसे पहले पचास बार विचार करेगा। वह तो यही निर्णय करेगा कि जब अंसे अंसे लोग अितने कष्ट मिर पर ले रहे हैं तब निश्चित ही शासनमें गंदगी होनी चाहिये और अुमके अधिकारियोंका प्रजा पर जुल्म और अन्याय होना चाहिये।”

परन्तु लीमड़ीके राजपरिवारको समझौता करना ही नहीं था। हकीका बहिष्कार लम्बे समय तक चलता रहा और कितने ही हिजरती कुटुम्ब अंत तक अपनी बात पर डटे रहे।

फिर तो राजा भी मर गये, युवराज भी मर गये और अुनका नाबालिग लड़का गद्दी पर बैठा। तब सार्वभौम सत्ताने रीजेंसी कौंसिल बनायी। अुस कौंसिलमें फतेहसिंह भी अक सदस्य थे। असिलिये राज्यका रवैया कुछ सुधरा नहीं। परन्तु बादमें वह कौंसिल बदली गयी। अक ही ब्यक्तिको प्रशासक बनाया गया, तब अुसने सन् १९४४ या १९४५ के मजी मासमें प्रजामंडलके साथ समझौता किया, जिसके परिणामस्वरूप किसानोंको अुनकी सारी जमीन वापस मिली और हिजरतका अंत हुआ।

भावनगर

काठियावाड़के देशीराज्योंमें भावनगर तुलनामें कुछ अुदार और प्रगतिशील माना जाता था। वहांके महाराजा प्रजाके प्रति सहानुभूति रखते थे, और भूतपूर्व दीवान सर प्रभाशंकर पट्टणी समयको पहचाननेवाले थे। गांधीजीके साथ वे अच्छा सम्बन्ध रखते थे।

वहांके प्रजामंडलने ता० १४-५-'३९ को भावनगर प्रजापरिषद् करना तय किया और सरदारको अुस परिषद्का अध्यक्ष चुना। सामान्य परिस्थितिमें तो वह परिषद् शांतिसे हो जाती और दूसरे राज्योंकी तरह भावनगरमें भी दायित्वपूर्ण शासनकी मांग जोरमें की जाती। ता० ३०-४-'३९ को भावनगरके महाराजाने अेक घोषणापत्र प्रकाशित करके भावनगरमें धारासभा स्थापित करने और प्रजाहितके कुछ कदम अुठानेकी घोषणा की थी। परन्तु प्रजाको शासनमें जिम्मेदारी देनेका तत्त्व अुसमें बहुत कम था। असलिये प्रजामंडलको अुससे असंतोष था। सम्भव है कि सरदारकी मध्यस्थतासे अुस स्थितिमें थोड़ा-बहुत सुधार हो जाता। थोड़ा-बहुत असलिये लिखा है कि रेजीडेण्टकी जिच्छा तो प्रजाकी अुस मांगको दबा देनेकी ही थी। राजकोट, लीमड़ी वगैरा राज्योंकी तरह भावनगरमें भी परिषद्के दिन सरदारके स्वागतके समय जो अुपद्रव हुए अुनके लिये यह नहीं माना जा सकता कि वे केवल आकस्मिक ही थे। अुनके पीछे कुछ जिम्मेदार तत्त्वोंका हाथ होनेकी शंका होती है।

ता० १४-५-'३९ को सरदार सवेरे भावनगरके हवाअी अड्डे पर विमानसे अुतरे। हवाअी अड्डा भावनगर शहरसे कोअी छः मील दूर था। वहांसे अुन्हें भावनगर स्टेशन ले जाकर अुनका सार्वजनिक स्वागत करनेका प्रबंध किया गया था। अुसके अनुसार भावनगरकी सार्वजनिक संस्थाओं तथा नेताओंकी तरफसे, जिनमें मुसलमान भी थे, मालाअें पहनानेके बाद अुनका जुलूस निकाला गया। जुलूस नगीना मस्जिद नामकी अेक मस्जिदके सामनेसे गुजर रहा था, अुस वक्त यह मान कर कि सरदारकी मोटर वहां आ पहुंची होगी ३०-३५ मुसलमानोंका झुण्ड मस्जिदसे बाहर निकल आया। परन्तु सरदारकी मोटर कुछ पीछे थी। अुस झुण्डके पास लाठियां, कुल्हाड़े, छुरे वगैरा हथियार थे। यह देखकर श्री नानाभाअी भट्टको शक हो गया और वे मस्जिदके सामने ही खड़े रहे। झुण्डमें से किसीने अुन्हें हट जानेको भी कहा, परन्तु अुन्होंने सरदारकी मोटर गुजर जाने तक हटनेसे अिनकार कर दिया। अिस पर अुनके सिर पर लाठीका वार हुआ और खूनकी धार बहने लगी। अेक अन्य कार्यकर्ता गारभाराम भट्ट पर भी लाठी पड़ी। अुसके बाद तो और चार पांच भाअियों

पर छुरे और कुल्हाड़ीके प्रहार हुअे। घायलोंको अस्पताल पहुंचाया गया। अेक नौजवान बचुभाजी वीरजी पटेल अस्पताल पहुंचते ही मर गये। अेक और भाजी श्री जादवजीके सिरमें कुल्हाड़ीका घाव लगनेसे दूसरे दिन अुनकी भी मृत्यु हो गजी।

श्री नानाभाजी खूनसे लथपथ होकर श्री सरदारकी मोटरके पास गये। सरदारने अुन्हें अुस स्थितिमें देखते ही अपनी मोटरमें ले लिया और मोटरको तुरन्त अस्पतालकी तरफ ले जानेको कहा। पास खड़े रहकर श्री नानाभाजीको पट्टी बंधवाजी। बादमें और जो भाजी घायल होकर आये थे अुनसे मिलकर अुन्हें आरवासन दिया। जिन भाजीकी मृत्यु हो गजी थी अुनके पास भी हो आये। वहीसे अुस दिनका परिषद्का कार्यक्रम बन्द कर देनेका अुन्होंने आदेश दिया। अुपद्रवी लोगोंका सोचा हुआ मुख्य शिकार अिस प्रकार अचानक बचकर निकल गया।

सरदारने मुकाम पर पहुंचकर भावनगरकी प्रजाके नाम निम्न संदेश प्रकाशित किया :

“भावनगरके प्रजाजनोंने जिस प्रेम और अुमंगसे मेरा स्वागत किया है, अुसके लिये मैं सबका आभार मानता हूं।

“आजकी दुःखद घटनासे रोष या घबराहट पैदा होनेका कोअी कारण नहीं है। जिन्होंने जुलूम पर हमला करके निर्दोष मनुष्यों पर वार किया, वे होश भूलकर केवल पागलपनसे यह काम कर बैठे हैं। जब होश आयेगा तब अुन्हें अपनी मूर्खताके लिये पश्चात्ताप होगा। हमें भूलना नहीं चाहिये कि कितने ही मुसलमान नेता परिषद्की स्वागत-समितिमें शरीक हैं। जुलूम और स्वागतमें शामिल होकर अुन्होंने परिषद्को सहयोग और साथ दिया है। अैसे निर्दोष बलिदान पर ही प्रजामंडलकी अिमार्त खड़ी होती है। जो घायल हुअे हैं और जिनके प्राण गये हैं अुनके प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम क्रोध करके अुनके निर्दोष बलिदानको दूषित न करें। सब शांति रखें। परिषद्के कार्यमें अधिक अुत्साह और प्रेमसे भाग लेकर शांति और सफलताके साथ परिषद्को पूरा किया जाय।”

गांधीजी अुस समय राजकोटमें थे। अुन्हें सरदारने नीचे लिखा तार भेजा :

“सबेरे यहां पहुंचा। सभी वर्गके लोगोंने अुत्साहपूर्वक स्वागत किया। बड़ा जुलूस लगभग मस्जिदके सामनेसे गुजर गया था अुस

समय यह समझकर कि मेरी मोटर वहां आ पहुंची होगी, कुछ मुसलमान पहलेसे निश्चित की हुयी योजनाके अनुसार बाहर निकल आये और लाठियां, कुल्हाड़ों और छुरोंसे जुलूस पर टूट पड़े। नानाभायी मेरी मोटरसे आगे थे। अन्हें गन्दी चालकी कुछ गंध आ गयी। अिसलिये वे मस्जिदके सामने खड़े रहे। अुन लोगोंने अुनसे चले जानेको कहा, परन्तु अुन्होंने मेरी मोटर सही-सलामत गुजर जाने तक वहासे हटना नामंजूर कर दिया। तुरंत अुनके सिर पर लाठीका प्रहार हुआ। बादमें वे मेरी मोटरके पास आये। अुनके सिरसे खूनकी धार बह रही थी। दूसरे चार भाअियोंको भी सख्त चोटें आयी हैं। अेककी मृत्यु हो गयी है और अेककी स्थिति बड़ी गंभीर है। जुलूसको रोककर नानाभायीको मोटरमें ले लिया और मोटर अस्पतालकी तरफ ले गये। घाव पर पट्टी बंधवायी। अब हालत अच्छी है। परिस्थिति काबूमें आ गयी है।”

बापूने अिस तारका जवाब अिस प्रकार दिया :

“(तार पढ़कर) हक्कावक्का रह गया। अीश्वर हमें रास्ता दिखायेगा। आशा रखता हूं कि नानाभायी व दूसरे लोग अब अच्छे होंगे। अधिक विगतकी राह देख रहा हूं।”

परिषदकी स्वागत-समितिये फौरन ही अेक पत्रिका प्रकाशित की।

अुसमें बताया :

“सरदार साहब तथा परिषदकी स्वागत-समिति शहीद हुअे तथा घायल हुअे भाअियोंके प्रति तथा अुनके कुटुम्बोंके प्रति समवेदना प्रगट करती है। कुछ मुसलमान भाअियोंने, जिन्होंने अचानक जुलूस पर हमला किया और जो अिस खेदजनक घटनाके लिये जिम्मेदार हैं, अपनी जातिकी सेवा तो हरगिज नहीं की। अुनकी जातिके नेता परिषदमें शामिल हैं। मुस्लिम जातिके प्रमुख प्रतिष्ठित व्यापारी तो सरदार साहबका स्वागत करने और अुन्हें हार पहनानेमें भी शरीक थे। इस कृत्यसे वे सब जरूर दुःखी होंगे। जिन्होंने अिस पागलपनसे स्वयंसेवकोंके प्राण लिये और कुछको घायल किया, अुन्होंने प्रजाकी अिज्जत पर हाथ डाला है और अपनी कौमकी बदनामी की है।

“परिषदका कामकाज नियमित रूपसे शामको प्रारंभ होगा। सायंकाल सात बजे परिषदके मंडपमें अुसकी खुली बैठक प्रारम्भ होगी। शहरमें शांति और व्यवस्था स्थापित हो गयी है। राज्यकी ओरसे भी पक्का बन्दोबस्त किया गया है। अिसलिये भावनगरके शहरियों तथा आये हुअे मेहमानोंको निःशंक होकर पूरे अुत्साहसे परिषदमें भाग

लेनेको पधारना है। हमारे ही कुछ पथभ्रष्ट भाजियोंके कृत्योंके कारण अथवा हमारे युवा स्वयंसेवकों और नेताओंके रक्तके शुद्ध बलिदानके कारण हमने जो पवित्र यज्ञ प्रजाहितके लिये आरम्भ किया है वह रुकना नहीं चाहिये, अिसमें किसी प्रकारका विघ्न नहीं आना चाहिये। राज्यके प्रजाजनोके प्रार्थना है कि वे परिषद्का कामकाज सफलतापूर्वक सम्पन्न करनेमें सहायक बनें।”

दूसरे दिन अर्थात् ता० १५-५-३९ को भावनगरके मुसलमानोंकी अेक आमसभा हुआ, जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ :

“भावनगरके मुसलमानोंकी यह आमसभा कलकी घटना पर रोषकी भावना प्रगट करती है और मारे गये व्यक्तियोंके कुटुम्बी-जनोके प्रति हमदर्दी जाहिर करती है। भावनगर राज्यमें हिन्दू-मुसलमान भाजी-भाजीकी तरह रहते आये हैं और अब भी भाजी जैसे ही हैं।” ता० १४ और १५ को प्रजापरिषद्की बैठक निर्विघ्न पूरी हुई। ता० १६-५-३९ को समोसरणके हातेमें अिन दंगोके बारेमें तथा अुनमें शहीद हुअे भाजियोंका स्मारक बनानेके बारेमें अेक आमसभा हुआ, जिसमें सरदारके दिये हुअे भाषणके महत्त्वपूर्ण अंश यहां दिये जाते हैं :

“आज हम जिन कारणोसि यहां अिकट्ठे हुअे हैं वे आपको मालूम हैं। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, अुसके परिणामस्वरूप बचु-भाजीकी मृत्यु हुआ। श्री नानाभाजी वर्गेरा जो घायल हुअे अुनमें जादवजीकी स्थिति पहलेसे ही गंभीर थी। अुनका घाव अितना गहरा था कि अुनके मस्तिष्कका कुछ भाग बाहर निकल आया था। डॉक्टरोंने अच्छी तरह अुनकी सेवा की और मेहनत की, परन्तु भाजी जादवजी आज भावनगरकी सेवा करते हुअे चल बसे। कल परिषद्ने बचु-भाजीके स्मारकका प्रस्ताव पास किया। अुसी प्रसंगमें और अुसी निमित्तसे भाजी जादवजीके भी प्राण गये। आज दोपहरको परिषद्की महासमितिकी बैठकमें प्रस्ताव पास हुआ कि अुनका भी स्मारक बनाया जाय। भावनगरको शोभा दे वैया स्मारक परिषद् या महाजन बनवाये। परिषद् महाजनकी है और महाजन परिषद्का है।

“आपसके झगड़े-टंटे मिटाकर अैसे अपद्रवी तत्त्वोको अलग करके दबा देनेके लिये हम कुछ न करेंगे तो वे हमारे सारे समाज पर चढ़ बैठेंगे। यह काल अैसा है कि गुण्डे लोग छोटे छोटे राज्योंको तो दबा ही देंगे। आज सब जगह वायुमंडलमें गुण्डागिरी जोर पकड़ रही है।

“यह क्षणिक क्रोधमें आकर किया हुआ काम नहीं है। जिसकी जड़में तो पहलेसे वृद्धिपूर्वक बनायी हुयी योजना है। कोभी आपको सयानी सलाह देते होंगे कि जिस चीजको भूल जाइये। वह सयानी सलाह सुननेमें कोभी आपत्ति नहीं, परन्तु हमें मूर्खोंमें या कायरोंमें गिनती नहीं करानी चाहिये। मैं सब जातियोंकी अकेला चाहता हूं, परन्तु यदि सच्ची अकेला रखनी हो तो जो लोग अिन कूर घटनाओंके पीछे हैं उनका पता लगाना चाहिये। जब तक उनके हृदयमें पश्चात्तापकी भावना पैदा न हो जाय तब तक जिस बातको छोड़ना नहीं चाहिये। यह कहनेका मौका नहीं आये कि हम मूर्ख हैं, दुर्बल हैं।

“जो आदमी हत्यारोंको अिकट्टा करते हों, आसरा देते हों या अुनके प्रति सहानुभूति रखते हों, वे भी अुनके जितने ही भयंकर हैं। अंसे आदमियोंकी जिम्मेवारी भी अुनकी ही है। हमें यह विचार कर लेना है कि अुनके साथ कहां तक मित्रता रखी जा सकती है। सांपके बिलमें कहां तक हाथ डाला जाय, जिसके खतरेका विचार कर लेना चाहिये। आज हम ज्वालामुखीके सिर पर बैठे हुअे हैं। अंसे समय केवल राज्यसत्ता पर भरोसा करके बैठे रहना आखें बन्द करके चलने और खड्डेमें गिरने जैसा है।

“राज्यको पहलेसे चेतावनी दे दी गयी थी। मुसलमान कौमके प्रमुख नेताओंको अधिकारियोंने बुलाया था। अुन्होंने राज्यको विश्वास दिलाया था फिर भी अंसा हुआ। जिसका अर्थ तो यह है कि राज्यके साथ दगा किया गया है। जिस भेदका पता लगाना राज्यका कर्तव्य है। राज्यकी यह अिच्छा हो सकती है कि अंसी घटनाओंको लोग भूल जायं तो अिच्छा। परन्तु जिस प्रकार बीचमें मामला समेटकर मेल करनेसे भविष्यमें अधिक बड़ा विगाड़ होना सम्भव है। जिसलिये अपराधियोंको पकड़कर षड्यंत्रकारी तत्त्वोंको ढूढ़ निकालना चाहिये।

“यह अराजकताका वातावरण भावनगरमें ही हो सो बात नहीं। सारे भारतमें अंसा वायुमण्डल है। मुझ पर पड़नेवाले प्रहार कोभी बचु-भायी या जादवजी जैसे भायी झेल लेते हैं। श्री नानाभायीको अीश्वरीय प्रेरणा मिली और मुझ पर पड़नेवाला प्रहार अुन्होंने झेल लिया। मेरे लिये यह पहला अवसर नहीं है। मेरे आसपास तो अंसी घटनायें आज-कल होती ही रहती हैं। परन्तु अीश्वर मेरी रक्षा करता है।

“जो घटना हुयी है उसके सिलसिलेमें कुछ मुसलमानोंको पकड़ा गया है। मस्जिदमें मिले हुअे हथियार कब्जेमें ले लिये गये हैं।

पुलिसकी दौड़घूप और जांच जारी है। इसके बारेमें मुकदमा चलेगा और कुछ लोगोंको सजा होगी। बादमें प्रार्थनापत्र लिये जायेंगे। परन्तु इससे गफलतमें न रहना। आपको तो निरन्तर सावधान ब जाग्रत रहना है।”

अस प्रकार १९३८-३९ के सालमें हमारे देशके अधिकांश देशीराज्योंमें दायित्वपूर्ण शासन हासिल करनेके जबरदस्त आन्दोलन हुअे और अनूम सरदारने प्रमुख भाग लिया, यह हम देख चुके हैं। तीन बार तो — बड़ोदेमें, अमरेलीसे राजकोट लौटने समय और भावनगरमें — अनुकी जान पर भी जोखम आयी। परन्तु ओइवरने अनुकी रक्षा कर ली। अिन आन्दोलनोंका परिणाम तत्काल तो हमारे लिअे सन्तोषजनक नहीं हुआ। परन्तु अनुके कारण देशीराज्योंकी प्रजाका और देशी राजाओंका व्यक्तिगत परिचय सरदारको हुआ और देशी राजा भी सरदारको अच्छी तरह पहचान सके। यह चीज १९४७ में स्वतंत्रता मिल जानेके बाद देशीराज्योंका प्रश्न हल करनेमें सरदारके बहुत काम आयी।

२७

त्रिपुरी कांग्रेस

जिस समय गांधीजी राजकोटमें अपवास कर रहे थे, अस समय त्रिपुरी कांग्रेसका अधिवेशन हो रहा था। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद जब गांधीजी जेलमें होते अस समयको छोड़कर कांग्रेसके अधिवेशनमें गैरहाजिर रहनेका गांधीजीके लिअे यह पहला ही मौका था। सरदारको भी गांधीजीको अपवास करने छोड़कर त्रिपुरी जाना बहुत अस्वरता था, परन्तु कर्तव्य अन्हें वहां खींच रहा था। गांधीजीका भी आग्रह था कि आपका स्थान अस समय त्रिपुरीमें ही है।

त्रिपुरीकी कांग्रेसके लिअे अध्यक्षके चुनावने त्रिपुरी कांग्रेसको अस वक्तके लिअे अेक विशेष महत्त्व दे दिया। कांग्रेस कार्यकारिणीके ज्यादातर सदस्य मौलाना अबुलकलाम आजादको कांग्रेसका अध्यक्ष चुनना चाहते थे। अससे पहलेकी हरिपुरा कांग्रेसके अध्यक्ष मुभाषवातूकी अच्छा दुबारा अध्यक्ष चुने जानेकी थी। वे अपनेको अग्र विचारोंका मानते थे, और साथ ही यह मानते थे कि कार्यकारिणीके अधिकांश सदस्य नरम विचारोंके हैं। वे जिन्हें नरम विचारोंका मानते थे उन सदस्योंने अैसी मान्यताके लिअे कोयी

कारण नहीं दिया था। फिर भी वे यह मानते थे कि संघ-शासन (फेडरेशन)के मामलेमें ये नरम विचारके सदस्य, जिनमें सरदारको वे मुख्य समझते थे, ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता करनेका विचार रखते हैं। लेकिन अस विषयमें हरिपुरा कांग्रेसका प्रस्ताव तो बहुत स्पष्ट था। दूसरे, सुभाषबाबू यह भी मानते थे कि सरकारके विरुद्ध सामूहिक सविनय कानून-भंगकी लड़ाई करनेका यह ठीक मौका है। वे यह मानते थे कि जिस समय विश्वयुद्धके बादल मंडराने लगे हैं उस समय यदि हम लड़ाई छेड़ेंगे तो ब्रिटिश सरकार झुक जायगी। जलपाओगुडीमें बंगालके कांग्रेस प्रतिनिधि अिकट्टे हुए थे तब सुभाषबाबूने प्रस्ताव भी पास कराया था कि अंग्लैंडको छः महीनेका नोटिस दे दिया जाय और वह मीयाद पूरी होने पर सामूहिक सविनय कानून-भंगकी लड़ाई छेड़ दी जाय।

कांग्रेस कार्यकारिणीको अस प्रकारका नोटिस अस समय देना बिलकुल ठीक नहीं लगता था। सामूहिक सविनय कानून-भंगकी लड़ाई तभी छेड़ी जा सकती थी जब गांधीजी असका नेतृत्व करें, और गांधीजीको उसके लिये वायुमंडल बिलकुल प्रतिकूल मालूम होता था। वे कहते थे कि देशकी अस समयकी हवामें मुझे हिसाकी गंध आती है। असिलिये मैं तो अस समय सविनय कानून-भंगकी लड़ाईका विचार ही नहीं कर सकता।

अध्यक्षका चुनाव जनवरीकी २९ तारीखको होनेवाला था। अध्यक्षपदके लिये तीन व्यक्तियोंके नाम लिये जा रहे थे : मौलाना अब्दुलकलाम आजाद, डॉ० पट्टाभि सीतारामैया और सुभाषचन्द्र बोस। गांधीजी अस समय बारडोलीमें थे। असिलिये कांग्रेस कार्यकारिणीकी बैठक जनवरीके मध्यमें बारडोलीमें रखी गयी थी। अस समय अध्यक्ष किसे बनाया जाय अस बारेमें कार्यकारिणीने कोयी विधिवत् बात नहीं की थी। परंतु गांधीजीने मौलाना साहबने बात की थी और अन्होंने अध्यक्ष बनना स्वीकार भी किया था। सुभाषबाबू और अुनके भाई शरदचन्द्र बोसके सिवा कार्यकारिणीके सब सदस्योंको तो मौलानाका अध्यक्ष बनना बिलकुल पसंद था। परंतु कार्यकारिणीके अठ जाने और सब सदस्योंके बिखर जानेके बाद मौलाना साहबने अपना विचार बदल दिया और बम्बयी जानेके बाद लौटकर गांधीजीको बता दिया। अस बार गांधीजीने डॉ० पट्टाभिको अध्यक्षपद स्वीकार करनेके लिये कहा। सुभाषबाबूका तो आग्रह था ही कि अन्हें खुद या अुनके जैसे गरम विचारवाले किसी औरको अध्यक्ष होना चाहिये। असिलिये वे अपना नाम बापिस लेनेको तैयार न थे। अस प्रकार सुभाषबाबू और डॉ० पट्टाभिके बीच स्पर्धाकी नीबत बायी।

२१ जनवरीको सुभाषबाबूने अिस बारेमें अपना वक्तव्य प्रकाशित किया कि वे अध्यक्ष क्यों बन रहे हैं। सरदारको लगा कि कार्यकारिणीको अिस वक्तव्यका विरोध करना चाहिये। अिसलिये अुन्होंने कार्यकारिणीके सब सदस्योंको यह तार दिया :

“मेरे खयालसे अध्यक्षपदके चुनावके बारेमें सुभाषबाबूके बयानके विरुद्ध कार्यकारिणीके जिन सदस्योंको अँसा लगता हो कि अुन्हें दुबारा अध्यक्ष चुनना आवश्यक नहीं है अुन्हें वक्तव्य प्रकाशित करना चाहिये। मैंने अेक छोटासा वक्तव्य तैयार किया है। अुसमें बताया है कि अपवादस्वरूप परिस्थितिमें ही अुसी व्यक्तिका अध्यक्षके तौर पर दुबारा चुनाव किया जा सकता है। सुभाषबाबूको फिरसे चुननेके लिये अैसी कोअी परिस्थिति नहीं है। साथ ही सुभाषबाबूने संघ-शासन वर्गके बारेमें जो आक्षेप किये हैं अुनका अिस वक्तव्यमें खंडन किया गया है। यह भी कहा गया है कि कांग्रेसका कार्यक्रम और कांग्रेसकी नीति अध्यक्षको तय नहीं करनी होती, परंतु कांग्रेसको या कांग्रेसकी महासमितिको तय करनी होती है। अिस वक्तव्यमें डॉ० पट्टाभिको चुननेकी सिफारिश की गयी है और सुभाषबाबूसे अपील की गयी है कि वे अध्यक्षके चुनावके प्रश्न पर कांग्रेसियोंमें फूट न डलवायें। वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेकी अपनी स्वीकृति तारसे दीजिये।”

अुपरोक्त तारके अुत्तरमें कार्यकारिणीके अन्य ६ सदस्योंकी स्वीकृति आ गयी, परंतु सरदारबाबूने आपत्ति अुठाअी। अुन्होंने २४ तारीखको सरदारको अिस प्रकार तार दिया :

“आज प्रातःकाल मैंने मौलाना तथा सुभाषके बयान सिलहट जाते हूअे पढ़े। मेरा मत यह है कि मौलानाके अुम्मीदवारी वापिस ले लेनेके बाद डॉ० पट्टाभिको खड़ा करना वांछनीय नहीं। अगला वर्ष १९३७ की अवेक्षा सब दृष्टियोंसे अधिक नाजुक और अपवादस्वरूप है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि कार्यकारिणीके किसी सदस्यको साथियोंके बीचकी स्पर्धामें किसीका पक्ष नहीं लेना चाहिये। आपका तैयार किया हुआ वक्तव्य नरम और गरम दलके जिस झगड़ेको टालना चाहिये अुसे बढ़ानेवाला सिद्ध होगा। डॉ० पट्टाभि आनेवाली लड़ाअीमें देशका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कृपया कांग्रेसमें फूट न डलवाअिये।” अिस पर सरदारने जवाबमें तार दिया :

“आपके तारकी कद्र करता हूँ। केवल कर्तव्यबुद्धि ही मुझे वक्तव्य प्रकाशित करनेको मजबूर करती है। विरोध व्यक्तिका नहीं, परंतु

सिद्धान्तका है। यदि स्पर्धा अनिवार्य ही हो तो मैं आशा रखता हूँ कि वह किसी भी कटुताके बिना और हेतुओंका आरोपण किये बिना होगी। उसी अध्यक्षको दुबारा चुनना देशके हितमें हानिकारक होगा।”
२५ ता०को शरदबाबूने इस प्रकार जवाब दिया :

“कल रातको आपका तार मिला। आज सुबहके पत्रोंमें आपका और कार्यकारिणीके ६ सदस्योंका वक्तव्य देखा। हमारे बीच हुआ तार-व्यवहार में अखबारोंमें देना चाहता हूँ। आशा है आपको आपत्ति नहीं होगी।”

सरदारने जवाब दिया कि प्रकाशित करनेमें मुझे कोअी आपत्ति नहीं है। सरदार सहित कुल सात सदस्योंके हस्ताक्षरसे ता० २४-१-३९ को प्रकाशित अखबारी बयान इस प्रकार था :

“सुभाषबाबूका वक्तव्य हम सबने बहुत ध्यानसे पढ़ा है। जहां तक हमें मालूम है अब तक अध्यक्षका चुनाव सर्वसंमतिसे होता आया है। सुभाषबाबू नवी प्रणाली डालना चाहते हैं। अंसा करनेका अन्हें पूरा हक है। परंतु अन्होंने जो मार्ग अपनाया है वह कहां तक समझदारीका है, यह तो अनुभव ही बतायेगा। हमें इस विषयमें बड़ी शंकाओं हैं। जब तक कांग्रेसके सदस्योंमें अधिक संगठन-शक्ति न आ जाये, अधिक सहिष्णुता न आ जाये, और अक-दूसरेकी रायके बारेमें अधिक आदरकी वृत्ति पैदा न हो जाय, तब तक हमें अध्यक्षके चुनावके लिये स्पर्धा होना वांछनीय प्रतीत नहीं होता। सुभाषबाबूके वक्तव्यके बारेमें कुछ भी कहनेमें हमें संकोच होता है, परंतु आगामी कांग्रेसका अध्यक्ष कौन हो, इस बारेमें हमारा मत दृढ़ होनेके कारण हमें महसूस होता है कि यदि हम कुछ न बोलें तो अपने कर्तव्यसे च्युत होंगे।

“मौलाना साहबने इस स्पर्धसे हट जाना मुनासिब समझा, इसके लिये हमें बड़ा दुःख है। अपने हट जानेका अंतिम निश्चय करते समय अन्होंने हममें से कुछके साथ परामर्श करके डॉ० पट्टाभिकी हिमायत की। यह निर्णय अच्छी तरह सलाह-मशविरा करनेके बाद किया गया है। अन्यन्त अपवादरूप परिस्थितिके सिवा, पिछली कांग्रेसके अध्यक्षको पुनः अध्यक्ष न चुननेके नियम पर कायम रहनेकी नीति हमें बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण मालूम होती है।

“अपने वक्तव्यमें सुभाषबाबू कहते हैं कि वे संघ-शानसके बड़े विरोधी हैं। कार्यकारिणीके सभी सदस्य उसके विरोधी हैं। कांग्रेसकी

नीति भी अंसी ही है। अन्होंने विचारसरणियों, नीतियों और कार्यक्रमोंकी भी बात कही है। हमारे खयालसे कांग्रेसके अध्यक्षका चुनाव करनेमें ये सब बातें अप्रस्तुत हैं। कांग्रेसकी नीति और कार्यक्रमका निर्णय उसके प्रतिवर्ष चुने जानेवाले अध्यक्षको नहीं करना होता। यदि अंसा होता तब तो संविधानके अनुसार अध्यक्षके कार्यकालकी मर्यादा अंक वर्षकी नहीं रखी जाती। कांग्रेसकी नीति और कार्यक्रम जब कांग्रेस खुद तय नहीं करती, तब कार्यसमिति तय करती है। अध्यक्षकी स्थिति तो सभापति जैसी होनी है। अिसके सिवा बंधानिक शासककी तरह अध्यक्ष राष्ट्रकी अंकता और संगठनका प्रतिनिधित्व करता है और अुसका प्रतीक होता है। अिसीलिये यह पद बड़े सम्मानका माना जाता है और राष्ट्र अपनी होनहार संतानको हर वर्ष चुनकर वह सम्मान देता है।

“अिस अुच्च पदके गौरवको शोभा दे अिस ढंगसे अध्यक्षका चुनाव हमेशा सर्वसम्मतिसे होता है; अिसलिये नीति और कार्यक्रमके भेदके कारण भी चुनावके बारेमें वाद-विवाद होना वांछनीय नहीं है। हम मानते हैं कि कांग्रेसके अध्यक्षपदके लिये डॉ० पट्टाभि सुयोग्य पुरुष हैं। वे कांग्रेसकी कार्यकारिणीके सबसे पुराने सदस्योंमें से अंक हैं। अुनकी जनसेवा लंबी और अखण्ड है; अिसलिये हम अुन्हें चुननेकी कांग्रेस प्रतिनिधियोंसे सिफारिश करते हैं। हम सुभाषबाबूके साथियोंकी हैसियतसे अुनसे अनुरोध करते हैं कि वे अिस बात पर पुनर्विचार करें और डॉ० पट्टाभि सीतारामैयाका चुनाव सर्वसंमतिसे हो जाने दें।”

अिसका जवाब देते हुअे सुभाषबाबूने बताया :

“मुझे २१ ता० को जो वक्तव्य प्रकाशित करना पड़ा था, अुसका कारण मौलाना अबुलकलाम आजाद साहबका वक्तव्य था। अब सरदार पटेल और दूसरे नेताओंने मुझे चुनीती देनेवाला जो वक्तव्य जारी किया है, अुसके अुत्तरस्वरूप मुझे यह वक्तव्य निकालना पड़ रहा है। जब कार्यकारिणीके दो सदस्य अध्यक्षपदके लिये प्रतिस्पर्धी हों, तब वाकीके सदस्योंका संगठित होकर किसी अंकका पक्ष लेना न्यायपूर्ण नहीं है। सरदार पटेल और अन्य नेताओंने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, वह केवल व्यक्तिगत कांग्रेसियोंके रूपमें नहीं परंतु कांग्रेस कार्यकारिणीके सदस्योंके रूपमें किया है। अब कार्यकारिणीने

अस प्रश्नकी चर्चा बिलकुल की ही नहीं, तब उसके कुछ सदस्योंका ऐसा वक्तव्य जारी करना अचित नहीं है। यदि सचमुच अध्यक्षका चुनाव ही करना है तो कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको स्वतंत्र रूपमें मतदान करने देना चाहिये; अन पर कोअी नैतिक दबाव नहीं डालना चाहिये। मैंने तो कअी बार कांग्रेसकी अध्यक्षताके दो अुम्मीदवारोंमें से अेकको चुनकर मत दिया है। पिछले कुछ वर्षोंसे ही अध्यक्षका चुनाव सर्वसंमतिसे होता रहा है। साथ ही अस समय व्यापक मान्यता यह है कि अगले वर्षमें सम्भव है कांग्रेसके नरम दलके सदस्य संघ-शासनकी योजनाके बारेमें ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता कर लें। अैसी परिस्थितिमें यह बहुत ही जरूरी है कि अगली कांग्रेसका अध्यक्ष अैसा हो जो पूरे दिलसे संघ-शासनका विरोध करनेवाला हो। अैसा कोअी दूसरा अुम्मीदवार मिल जाय, अुदाहरणार्थ आचार्य नरेन्द्रदेव, तो मुझे कोअी अभिलाषा नहीं कि मैं ही अध्यक्ष बनूं।”

अुपरोक्त वक्तव्यके अुत्तरमें सरदारने अकेले अपने ही हस्ताक्षरोंसे यह बयान प्रकाशित किया :

“मुभाषबाबूका वक्तव्य कुछ अजीब-सा है। हकीकत अस प्रकार है। सन् १९२० के बाद लगभग हर साल कार्यकारिणीके कुछ सदस्य अस बारेमें अवैध रूपमें चर्चा कर लेते हैं कि किमको अध्यक्ष चुना जाय। जब गांधीजी कार्यकारिणीमें थे तब वे खुद ही पथ-प्रदर्शन करते थे और जिसे अध्यक्ष चुनना है उसके नामकी सिफारिश करते थे। परंतु कांग्रेस छोड़ देनेके बाद वे किमी प्रकारका वक्तव्य प्रकाशित नहीं करते। तथापि सदस्य लोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपोंमें चुनावके बारेमें अनकी सलाह लेते हैं। अस साल भी मैंने बहुतसे सदस्योंसे अस मामलेमें सलाह-मशविरा किया है। हम सबका खयाल था कि अस बार चुनने योग्य मौलाना साहब ही हैं, परंतु हम अुन्हें असके लिये राजी नहीं कर सके। जिस सप्ताहमें बारडोलीमें कार्य-समितिकी बैठक हुअी अुस सप्ताहमें गांधीजीने मौलाना साहबसे आग्रह करके कहा था कि अस बार आपको ही अध्यक्ष बनना चाहिये। परंतु अध्यक्ष न बननेके अपने निश्चय पर वे दृढ़तापूर्वक डटे रहे। परंतु रविवार, १५ जनवरीको वे सुबह ही गांधीजीके पास आये और कहने लगे कि आपका कहना न माननेमें मुझे बड़ा संकोच होता है। असलिये मैं अध्यक्षके चुनावमें खड़ा रहूंगा। हम जानते थे कि कुछ आंध्र मित्रोंने डॉ० पट्टाभिके नामका प्रस्ताव रखा था। हमें

स. २-३३

यह भी मालूम था कि मुभाषबाबूके नामका प्रस्ताव पेश है। परन्तु हमें विश्वास था कि दोनों स्पर्धासे हट जायेंगे और मौलाना साहब सर्वसम्मतिसे चुन लिये जायेंगे।

“बारडोलीमें अेक या अनेक बार मौलाना अबुलकलाम आजाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, श्री भूलाभाओ देसाओ, आचार्य कृपालानी, महात्मा गांधी तथा मैं पूर्व निश्चयके अनुमार नहीं परन्तु अकस्मात् अिकट्ठे हूअे और अवंध परामशं करके हमने तय किया कि यदि मौलाना साहब अध्यक्ष न बननेके निश्चय पर कायम ही रहें, तो संविधानके अनुसार दूसरा चुनाव डॉ० पट्टाभिका ही रह जाता है, क्योंकि हमारी यह स्पष्ट राय थी कि मुभाषबाबूको दुबारा चुनाव गैरजरूरी है। हमारे मनमें तो नरम विचार (राइटिस्ट) अथवा गरम विचार (लेफ्टिस्ट) का प्रश्न कभी अुठा ही नहीं था।

“यह याद रखनेकी बात है कि पिछले माल जब मुभाषबाबूका चुनाव हुआ तब ठीक वही पद्धति अस्लियार की गयी थी जो अिस बार की गयी है। मुभाषबाबू यह अच्छी तरह जानते हैं। अुम समय दूसरे अुम्मीदवारोंको अपने नाम वापस लेनेके लिये नमझानेमें हमें कुछ भी मुश्किल नहीं हुयी थी।

“मौलाना साहबने अुम समय तो स्वीकृति दे दी, परन्तु बम्बयी पहुंचनेके बाद अुनके मनमें फिर खलबली मची और अुन्होंने सोचा कि अिस अुच्च पदका भार वे नहीं अुठा सकेंगे। अिसलिये वे वापस गांधीजीके पास बारडोली आये और अुन्होंने अपनेको अिस भारसे मुक्त करनेकी प्रार्थना की। मौलानासे पुनः आग्रह करना गांधीजीको ठीक न लगा। बादमें जो कुछ हुआ वह तो देश जानता ही है।

“मुझे दुःख तो अिस बातका होना है कि मुभाषबाबू हम हस्ताक्षर करनेवालों पर तथा कार्यसमितिके बहुमत पर कुछ हेतुओंका आरोपण करते हैं। अुनके जवाबमें मैं अितना ही कहूंगा कि गवर्नमेन्ट ऑफ अिडिया अेक्टकी संघ-शासनकी योजना जिसे पसन्द हो या जिसे चाहिये अंसे किसी सदस्यको मैं नहीं जानता। वस्तुस्थिति तो यह है कि कोअी अेक सदस्य अथवा अुम अुम समय कांग्रेसका जो भी अध्यक्ष हो वह अंसे बड़े मुद्दों पर किमी प्रकारका निर्णय नहीं कर सकता। वह निर्णय तो केवल कांग्रेस ही कर सकती है; और जब कांग्रेसकी बैठक न हो तब कांग्रेसकी कार्यसमिति

सामूहिक रूपमें अुस बारेमें फैसला कर सकती है। कार्यसमितिको भी कांग्रेसकी घोषित नीतिके शब्द या भावको छोड़कर कोअी बात करनेका अधिकार नहीं है।

“मैं असि विचारमे भी सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेसके अध्यक्षको कोअी नअी नीति अख्तियार करनेका अधिकार है। वह कार्यसमितिकी स्वीकृतिसे ही अँसा कर सकना है। अँसे कअी अुदाहरण हैं जव अध्यक्षका विरोध होअं पर भी कार्यसमितिने अपनी ही बात कायम रखी है, और अुन अध्यक्षोंके प्रति न्याय करनेके खातिर मुझे कहना चाहिये कि अँसे समय अुन्होंने कार्यसमितिके निर्णयका आदर किया है।

“सब साथी असि समय बारडोलीमें नहीं हैं और काफी समय भी नहीं है, असिलिए अन्य साथियोंमे मशविरा किये बिना मँने अकेले ही मुभापबाबूके वक्तव्यका जवाब देनेकी छूट ली है। दूसरे साथियोंको अपना अपना मत प्रगट करनेका अधिकार है।

“मेरे लिये और जिनके साथ मैं असि प्रश्नकी चर्चा कर सका हूँ अुनके लिये यह मुद्दा किसी व्यक्ति या सिद्धान्त विशेषका नहीं है और न नरम या गरम विचारका ही है। अिसमें अेकमात्र विचार यह करना है कि देशका अधिकसे अधिक हित किममें समाया हुआ है। हम वक्तव्य निकालनेवाले सदस्योंको मेरे मतानुसार तो प्रतिनिधियोंको रास्ता दिखानेका पूरा अधिकार है। प्रतिनिधियोंकी तरफसे मार्गदर्शनके लिये मुझे रोज पत्र और तार मिलते ही रहते हैं। मेरा खयाल है कि मेरे अन्य माधियोंको भी अँसे तार और पत्र अवश्य मिलते होंगे। अिन परिस्थितियोंमें अधिकार कर्तव्य बन जाता है। और मार्गदर्शन करनेके बाद भी प्रतिनिधियोंको अपने मतका अुपयोग अपनी अिच्छानुसार करनेकी आजादी तो है ही।”

डॉ० पट्टाभि मीतारामयाने भी अुमी दिन अेक वक्तव्य प्रकाशित किया। यह बताकर कि वे किन परिस्थितियोंमें अध्यक्षपदके लिये अुम्मीदवार बन रहे हैं, अुन्होंने कहा :

“अब आजका जो ज्वलन्त प्रश्न है अुसके बारेमें मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूँगा। यह तो देशमें बहुत लोग अब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं गांधीजीके सिद्धान्तोंका कट्टर भक्त हूँ। अिस विषय पर और वर्तमान राजनैतिक प्रश्नों पर मैं बहुत बार बोला हूँ और मँने खूब लिखा है। १९३५ के गवर्नमेन्ट ऑफ अिडिया अेक्टमें

संघ-शासनकी जो योजना दी गयी है, उसमें रहे खतरोंको प्रगट करनेमें अन्य किसी देशवासीके बराबर ही मैंने भी काम किया है। कांग्रेसकी लखनऊ और हरिपुराकी बैठकोंके बीचके समयमें मुझे वैसा करनेकी अधिक स्वतंत्रता थी और मैंने उसका उपयोग हम पर जो संविधान लाद दिया गया है उसकी धज्जियां उड़ानेमें पूरी तरह किया है। हरिपुराकी बैठकके बाद कार्यसमितिका सदस्य होनेके कारण मुझे अपने पर कुछ अंकुश रखना पड़ा है। जहां तक मैं जानता और मानता हूं, कार्यसमितिमें किसी भी सदस्यने संघ-शासनके प्रश्न पर ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता करनेका विचार नहीं किया है। स्वयं मैंने हालमें ही असंदिग्ध रूपमें स्पष्ट कर दिया है कि वाजिसरायका वक्तव्य धीरेसे कांग्रेसका द्वार खोलनेका प्रयत्न था। परंतु कांग्रेसके अध्यक्षने कांग्रेसकी ओरसे उसका अच्छी तरह उत्तर दे दिया है।

* * *

“मेरे लिये एक बातका स्पष्टीकरण करना रह जाता है। मैं अपना नाम सुभाषबाबूके पक्षमें वापस क्यों नहीं ले लेता? अिसीलिए कि आदरणीय साथियोंकी अच्छाका मैं विरोध नहीं कर सकता। साथियोंकी रायके साथ मैं सहमत न होता तो मैं जरूर अपना नाम वापस ले लेता। हम यह मानते हैं कि एक ही आदमीको दूसरी बार अपवादस्वरूप परिस्थितिके सिवा अध्यक्ष नहीं चुनना चाहिये। प्रस्तुत अुदाहरणमें अंसी अपवादस्वरूप परिस्थिति नहीं है।”

सरदार और डॉ० पट्टाभिके वक्तव्यके अन्तरमें सुभाषबाबूने २६ ता० को फिर एक वक्तव्य निकाला जिसमें कहा :

“जहां तक मेरा संबंध है मैंने घोषित कर दिया है कि असली मुद्दा संघ-शासनका ही है। संघ-शासनके किसी भी सच्चे विरोधीको अध्यक्ष स्वीकार कर लिया जाय तो उसके पक्षमें मैं हट जानेको बिलकुल तैयार हूं। मैंने अपना यह प्रस्ताव घोषित कर दिया है और वह चुनावके दिन तक खुला ही है।”

पंडित जवाहरलाल नेहरूने, जो अिस विवादके समय आरामके लिये अलमोड़ा गये हुअे थे, २६ ता० को वहांमें एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उसमें से दो महत्वपूर्ण अंश यहां दिये जाते हैं :

“अध्यक्षके चुनावके मामलेमें दो भिन्न भिन्न कार्यक्रमोंके बीच कहां विरोध है? हिन्दुस्तानमें कभी बड़े महत्वके प्रश्न हैं। परंतु अिस

मामलेमें संघ-शासनका अल्लेख किया जा रहा है, जिसलिअे में मान लेता हूं कि अध्यक्षके चुनावके संबंधमें कोअी और मतभेद नहीं है। तब क्या संघ-शासनके बारेमें सचमुच किसी प्रकारका विरोध है? मैं नहीं जानता कि कोअी विरोध है, क्योंकि अुस मामलेमें कांग्रेसका रवैया निश्चित और स्पष्ट है। जब मैं अिग्लंडमें था तब मैंने यह रवैया असंदिग्ध भाषामें घोषित कर दिया था। अुसमें मैं केवल अपना खुदका मत ही प्रकट नहीं कर रहा था, परंतु सारी कार्यसमितिका मत प्रकट कर रहा था। वहां मैं जो कुछ करता या कहता था, अुमका पूरा हाल राष्ट्रपति और कार्यसमितिको भेज देता था। अुनकी हिदायतें भी मांगता था। अिसके जवाबमें मुझे यह कहा गया था कि संघ-शासनके मामलेमें मैं जो रवैया जाहिर कर रहा हूं, वह सारी कार्यसमितिको और गांधीजीको पसंद है। अुमके बाद तो परिस्थितिके कारण कांग्रेसका रख और भी कड़ा हो गया है। आज अिमकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कोअी कांग्रेसी संघ-शासनके मामलेमें समझौता करनेका विचार करेगा।

*

*

*

“कमौटीके समय कांग्रेसका अध्यक्ष बनना कैसा होता है अिसका मुझे खूब अनुभव है। मैं कितनी ही बार त्यागपत्र देनेके किनारे पर पहुंच गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यह पद धारण किये बिना मैं अपने ध्येयकी और कांग्रेसकी अधिक अच्छी सेवा कर सकता हूं। अिस वर्ष कुछ साधियोंने अध्यक्षपदके लिअे अुम्मीदवार होनेका मुझसे आग्रह भी किया था, परंतु मैंने साफ अिनकार कर दिया। अिसके कारणोंकी यहां चर्चा करनेकी जरूरत नहीं। अुन और दूसरे कारणोंसे भी मेरी तो स्पष्ट राय है कि सुभाषबाबूको अध्यक्षपदके लिअे खड़ा नहीं रहना चाहिये। मुझे लगता है कि अिस बार यह पद धारण करनेसे मेरी तरह अुनकी भी कारगर ढंगसे काम करनेकी शक्ति घटेगी। मैंने सुभाषबाबूमें अैसा कहा भी था।”

गांधीजीने भी सुभाषबाबूको तार देकर अपनी राय बता दी थी कि अिस साल अुनका अध्यक्षपदके लिअे स्पर्धा करना अुचित नहीं। फिर भी सुभाषबाबू दृढ़ रहे। २९ ता० को जो चुनाव हुआ अुसमें डॉ० पट्टाभिसे सुभाषबाबूको ८५ मत अधिक मिले। चुनावोंका परिणाम जाहिर होने पर गांधीजीने अिम चुनावको अपनी निजी हार माना और ता० ३१-१-३९ के ‘हरिजन’ में ‘मेरी हार’ शीर्षक यह लेख लिखा :

“श्री सुभाषबाबूने अपने प्रतिस्पर्धी डॉ० पट्टाभि सीतारामैयाके विरुद्ध ठोस विजय प्राप्त की है। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैं शुरूसे ही सुभाषबाबूके दूसरे वर्ष फिरसे कांग्रेसके अध्यक्ष बनाये जानेके खिलाफ था। इस चुनावके सिलमिलेमें सुभाषबाबूने जो वक्तव्य प्रकाशित किये हैं, उनमें पेश की गयी बातों और दलीलोंसे मैं सहमत नहीं था। मेरा खयाल है कि अन्होंने अपने माथियोंके विरुद्ध जो आक्षेप किये वे अनुचित और अशोभनीय हैं।

“अतने पर भी सुभाषबाबूकी जीतसे मैं खुश हूँ। जब मौलाना साहबने अध्यक्षपदकी अुम्मीदवारी वापस ले ली, तब डॉ० पट्टाभिको अपनी अुम्मीदवारी वापस न लेनेके लिअे ममझानेमें मैं निमित्त बना था। इसलिअे यह हार डॉ० पट्टाभिकी अपेक्षा मेरी अधिक है। मैं यदि निश्चित सिद्धान्तों और नीतिका प्रतिनिधि नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिअे इस चुनावसे मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि जिन सिद्धान्तों और नीतिका मैं हिमायती हूँ वह कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको मान्य नहीं है। अिम हारसे मैं खुश हूँ, क्योंकि अिससे मने जो सलाह पिछली दिल्ली कांग्रेसके समय सभा त्याग करके जानेवाले अल्पमतको दी थी, अुमका अमल खुद करके दिखानेका मुझे मौका मिल रहा है। सुभाषबाबू भी जिसे वे नरम दल कहते हैं अुमके माथियोंकी दया पर निर्भर रहकर अध्यक्ष बननेके बजाय चुनावकी रस्माकशीमें जीतकर अध्यक्ष बने हैं, अिसलिअे अब वे अपनी पसंद और अपने विचारोंवाली कार्यमिति मनोनीत कर सकते हैं और अपना कार्यक्रम बेरोकटोक अमलमें ला सकते हैं।

“अेक बात तो बहुमत और अल्पमत दोनोंको मंजूर है और वह है कांग्रेस संगठनमें घुसी हुयी भीतरी गंदगी माफ करनेकी। ‘हरिजन’ में अपने लेखोंमें मने बताया है कि कांग्रेसके संगठनमें जो सङ्घ घुस गयी है और जो अुमे तेजीसे घुनकी तरह खाये जा रही है, वह यह है कि आज अुमके रजिस्ट्रोंमें अमंख्य झूठे सदस्योंके नाम लिखे हुअे हैं। पिछले कुछ महीनोंमें अिन सूचियोंको माफ करके नये सिरसे सूचियाँ तैयार करानेका मैं सुझाव दे रहा हूँ। तदनुसार किया जाय तो मुझे शक नहीं कि अिम प्रकार झूठे बने सदस्योंके मतके बल पर आये हुअे कितने ही प्रतिनिधि रद्द हो जायेंगे।

“अल्पमतवालोंके लिअे निराश होनेका कोअी कारण नहीं है। यदि वे कांग्रेसके वर्तमान कार्यक्रममें पक्का विश्वास रखनेवाले होंगे तो वे

देखेंगे कि वह कार्यक्रम अमलमें लाया जा सकता है, फिर भले ही वे बहुमतमें हों या अल्पमतमें, कांग्रेसके भीतर हों या कांग्रेसके बाहर।

“अंक ही कार्यक्रम अंसा है जिस पर इस फेरबदलका शायद असर पड़े और वह है धारासभाओं द्वारा चलाया जानेवाला कार्यक्रम। वर्तमान मंत्रियोंको अब तकके बहुमतवालोंने चुना है। वर्तमान धारासभाओंका कार्यक्रम भी उनका तैयार किया हुआ है। परंतु धारासभाओंका कार्यक्रम आखिर तो कांग्रेसके कार्यक्रममें गौण वस्तु ही है।

“और मुभाषबाबू भी देशके कोअी शत्रु तो हैं नहीं। अन्होंने देशके खातिर कष्ट महन किये हैं। अंनके खयालके मुताबिक अंनकी नीति और कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा हुआ और साहसपूर्ण है। अल्पमतवाले अंनकी पूर्ण विजय चाहें। यदि वे बहुमतवालोंके साथ कदमसे कदम मिलाकर न चल सकें तो कांग्रेससे बाहर निकल जायं। दौड़ सकें तो वे बहुमतको बल दें।

“किमी भी हालतमें अल्पमतवाले अड़गानीति तो हरगिज न अपनायें। जहां साथ न दे सकें वहां वे अलग रहें। तमाम कांग्रेसी समझ लें कि जो कांग्रेसके प्रति वफादार होने पर भी समझपूर्वक अंनसे बाहर रहते हैं वे अंनके सबसे ज्यादा सच्चे प्रतिनिधि हैं। असलिये जिन्हें कांग्रेसके भीतर रहना अरुचिकर लगे वे बाहर निकल जायं—कटुतासे नहीं परंतु कांग्रेसकी और भी ठोस सेवा करनेके निश्चित अदृश्यमें।”

गांधीजीके अिम वक्तव्यमें लोगोंमें, खास तौर पर कांग्रेसके प्रतिनिधियोंमें खलबली पैदा हुआ। जिन्होंने मुभाषबाबूके लिअे मत दिया था वे भी मुश्किलमें पड़ गये। बहुतांको लगा कि गांधीजीने अपनी राय चुनावसे पहले क्यों न बतानी? गांधीजीका कहना यह था कि सरदार तथा अन्य सदस्योंके वक्तव्यमें मेरा रवैया बतानेवाले अंक दो वाक्य तो थे ही। और प्रतिनिधि यदि मेरी नीतिका समर्थन करना चाहते तो अितना अिशारा अंनके लिअे काफी था। फिर भी गांधीजीके वक्तव्यका अितना प्रभाव जरूर पड़ा कि मुभाषबाबू प्रतिनिधियोंके बहुमतसे चुने गये थे तो भी यह शंकास्पद हो गया कि कांग्रेसकी महासमितिमें अथवा कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें अन्हें बहुमत मिलेगा या नहीं।

कांग्रेसमें कअी वर्षसे यह रिवाज चला आ रहा था कि कांग्रेसके अधिवेशनसे पहले कार्यसमिति अपनी बैठक करके विषयविचारिणी समितिके सामने पेश किये जानेवाले प्रस्तावोंका मसौदा तैयार कर लेती थी।

परंतु अिस कार्यसमितिके अधिकांश सदस्य सुभाषबाबूके विचारोंसे सहमत नहीं थे, अिसलिये अन्होंने सोचा कि सुभाषबाबू अपने अनुकूल विचारवालोंसे मिलकर प्रस्ताव तैयार करें तो ठीक है। क्योंकि कांग्रेसका भार अन्हें अुठाना है। ता० ९-२-'३९ को कार्यसमितिकी बैठक वर्धामें हुआ। सुभाषबाबूको बुखार आता था अिसलिये वे अस बैठकमें अुपस्थित न रह सके। कार्यसमितिके १५ सदस्योंमें से १३ सदस्योंने अुसी बैठकमें अपने त्यागपत्र दे दिये। सुभाषबाबूने ता० २६-२-'३९ के पत्र द्वारा अन्हें स्वीकार कर लिया।

अध्यक्षके चुनावके पहले और बादमें भी अिस विषयमें अखबारोंमें जो चर्चा हुआ अुससे कांग्रेसियोंमें तीव्र मतभेद हो गया। नेताओंमें भी अेक-दूसरेके प्रति अविश्वासका वातावरण पैदा हो गया। अैसी दुःखद परिस्थितिमें त्रिपुरी कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। दुर्भाग्यसे अुसी वक्त सुभाषबाबू बीमार हो गये थे। जब वे त्रिपुरी पहुंचे तब रोगशय्या पर थे। अुनके स्वागतके लिये सारे प्रान्तसे हाथी अिकट्टे किये गये थे। यह बावनवां अधिवेशन था अिसलिये बावन हाथियोंके रथमें बिठाकर अुनका जुलूम निकाला जानेवाला था। परंतु सुभाषबाबूकी हालत अैसी नहीं थी कि रथमें बैठ सकें या जुलूममें घूम सकें। अिसलिये रथमें अुनका चित्र रखकर अुमका जुलूम निकाला गया। कार्यसमितिके अिस्तीफे दे दिये थे, अिसलिये अुमकी बैठक हानेकी तो बात ही नहीं थी। महासमिति और विषयविचारिणी समितिकी बैठकें हुआं। अुनमें विवादास्पद प्रस्ताव दो थे। अेक अध्यक्षकी ओरसे रखा गया सरकारको सविनय कानून-भंगका नोटिस देनेका और दूसरा पुरानी कार्यसमितिके बहुमतवाले सदस्योंका। दूसरा प्रस्ताव पं० गोविंदवल्लभ पंतने रखा और विषयविचारिणी समितिके भारी बहुमतसे अुमें पास कर दिया।

दूसरे दिन कांग्रेसका खुला अधिवेशन हुआ। परंतु सुभाषबाबू बीमारीके कारण अुममें आ नहीं सके। मौलाना अबुलकलाम आजादको कामचलाअ अध्यक्ष बनाया गया। सुभाषबाबूका अध्यक्षीय भाषण पढ़कर सुनाया गया। प्रस्तावोंके मामलेमें कुछ लोगोंने अैसा सुझाव रखा कि अध्यक्ष अुनपस्थित हैं, अिसलिये प्रस्ताव सभामें न रखे जायें। परंतु अितने बड़े अधिवेशनको स्थगित कर देना मौलाना साहबको ठीक नहीं लगा। अिसलिये अन्होंने निर्णय दिया कि प्रस्ताव पेश भले ही कर दिये जायें, परंतु अुन पर अधिक बहस करने और मत लेनेका काम दूसरे दिन अध्यक्षके आने पर किया जाय। यह बात कुछ लोगोंको पसन्द नहीं आयी और अन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचानेवाले यद्यपि थोड़े थे, परंतु अन्होंने बहुत अूधम मचाया। जवाहरलालजी अुस समय मंच पर खड़े थे। अन्होंने लोगोंको शांत करनेका

बड़ा प्रयत्न किया। दूसरे लोग शांत हो गये तब हजारोंकी भीड़में शोर करनेवाले अलग पड़ गये और मुट्ठीभर दीखने लगे। मंचके पास पहुंचकर थोड़ी देर तक तो अन्होंने नारे लगाये। परंतु जवाहरलालजी दृढ़ रहे अिसलिये वे लोग थक गये। अुसके बाद मभाकी कार्यवाजी नियमित रूपसे चली। दोनों प्रस्ताव पेय हो गये और अुन पर चर्चा करना और मत लेना दूसरे दिनके लिये स्थगित रखा गया।

दूसरे दिन खुले मंडपमें अधिवेशन न करके विषयविचारिणी समितिके तंबूमें अधिवेशन किया गया और अुसमें प्रतिनिधियोंके मित्रा और किमीको नहीं जाने दिया गया। मत लिये जाने पर अध्यक्षको नापसन्द प्रस्ताव पास कर दिया गया और अध्यक्षका प्रस्ताव नामंजूर हो गया। पास हुआ प्रस्ताव नीचे दिया जाता है :

“अध्यक्षके चुनावके संबंधमें भारी विवाद पैदा हो जानेके कारण कांग्रेस और देशमें तरह तरहकी गलतफहमियां फैल गयी हैं। अिसलिये कांग्रेसके अिस अधिवेशनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने और कांग्रेसकी साधारण नीति घोषित करनेकी जरूरत है।

“कांग्रेसका यह अधिवेशन घोषित करता है कि महात्मा गांधीके मार्गदर्शनमें पिछले कभी वर्षोंसे कांग्रेसकी मूलभूत नीतिके अनुसार अुसका जो कार्यक्रम चला आ रहा है अुस पर कांग्रेस दृढ़तापूर्वक कायम है। अुसकी यह स्पष्ट राय है कि कांग्रेसकी वर्तमान नीतिमें कोअी परिवर्तन करनेकी आवश्यकता नहीं और भविष्यमें कांग्रेसका कार्यक्रम अुस नीतिके अनुसार ही रहना चाहिये। गत वर्ष कांग्रेसकी कार्यसमिति द्वारा किये गये कार्यके प्रति यह कांग्रेस विश्वास प्रगट करती है और अुसके सदस्यों पर जो आक्षेप किये गये हैं अुन्हें नापसन्द करती है।

“अगले साल नाजुक स्थिति पैदा होनेकी संभावना है। अैसे समय महात्मा गांधी ही कांग्रेसको और देशको विजयके मार्ग पर चला सकते हैं। अतः कांग्रेस अिस चीजको अनिवार्य मानती है कि कांग्रेसकी कार्यसमिति महात्माजीका पूर्ण विश्वास रखनेवाली होनी चाहिये और अिसलिये अध्यक्षसे अनुरोध करनी है कि महात्माजीकी अिच्छाओंका ध्यान रखकर वे कार्यसमिति नियुक्त करें।”

अुसके बाद कुछ प्रस्ताव, जिन पर मतभेद नहीं था, पास करके कांग्रेसका अधिवेशन समाप्त हो गया। सुभावब्रावुने अपनी बीमारी और अुपरोक्त प्रस्ताव दोनोंके कारण नअी कार्यसमिति मनानीत नहीं की। परंतु अुनके

मनमें खास तौर पर सरदारके प्रति भारी रोष और कटुता रह गयी। २१ मार्चको अुनके भाजी शरदबाबूने गांधीजीको जो पत्र लिखा अुससे यह बात मालूम हो जाती है। अुस पत्रके कुछ अंश यहां दिये जाते हैं :

“त्रिपुरीमें मैं अंक सप्ताह रहा था। अुस बीच मैंने जो देखा और सुना अुससे मेरी आंखें खुल गयी हैं। लोग जिन व्यक्तियोंको आपके माने हुअे शिष्य और प्रतिनिधि समझते हैं, अुन्होंने वहां जिस सत्य और अहिंसाका प्रदर्शन किया अुसकी, आपके शब्द काममें लूं तो, गंध अभी तक मेरी नाकमें से नहीं निकल रही है। अुन्होंने राष्ट्रपति और अुनके विचारके आदमियोंके विरुद्ध जो प्रचार वहां किया, वह बिल्कुल हलके दर्जेका और द्वेष तथा वैरभावसे भरा हुआ था। अुसमें सत्य और अहिंसा तो रत्नीभर भी नहीं थी। . . . जो आपके सिद्धान्तोंकी बात करने हैं अुन्होंने त्रिपुरीमें राष्ट्रपतिके मागमें रोड़े अटकानेके सिवा और कुछ नहीं किया। अपना मतलब बनानेके लिअे अुन्होंने अुनकी बीमारीका पूरा पूरा और अधिकसे अधिक हलके ढंगसे अुपयोग किया है। पुरानी कार्यसमितिके कुछ मदस्य तो यहां तक अविरत विपैला प्रचार करनेसे भी बाज नहीं आये कि राष्ट्रपतिकी बीमारी केवल ढोंग है, यह तो राजनैतिक बीमारी है। . . . आपके अिन प्रतिनिधियोंको आपके नाम, प्रभाव और प्रतिष्ठाका सहारा लेकर कांग्रेसका मंगठन चलाने दिया जायगा तो वे आपके जीतेजी ही अुसे चला सकेंगे। जब आप नहीं रहेंगे तब लोग अिन्हें न मालूम कहां फेंक देंगे। अध्यक्षका चुनाव हो जानेके बाद चुनावके परिणामको आपने अपने मार्वांजनिक वक्ताव्यमें अपनी हार बताया है। मुझे कहने दीजिये कि यह बिल्कुल गलत वर्णन है, क्योंकि आपके पक्षमें या विरुद्ध मत देनेके लिअे प्रतिनिधियोंसे कहा ही नहीं गया था। हां, कांग्रेसके मुख्य कर्ताधर्ताओंकी, जिनके मुख्य मितारके रूपमें सरदार पटेल चमक रहे हैं, यह हार जरूर थी। . . . यह देशका दुर्भाग्य है कि आपकी तंदुस्ती कमजोर होने लगी है तबसे आप कभी मामलोंमें स्वयं जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते और जो मंडली आपके चारों ओर मंडराती रहती है और आपसे कानाफूसी करती रहती है, अुस पर अनजाने भी आपको अधिकाधिक मात्रामें आधार रखना पड़ता है। . . . त्रिपुरीमें कांग्रेसके मंत्रियोंने खुल्लमखुल्ला अपना असर—नैतिक और भौतिक दोनों—अेक पक्षके लिअे अिस्तेमाल किया है। वहां जो अन्तिम परिणाम आया है अुसका सबसे बड़ा कारण यही चीज है। अगर कांग्रेस पर

मंत्रियोंका वचंस्व रहेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि कांग्रेस अक नये स्थापित हितकी आवाज जाहिर करनेवाली बन जायगी और अुसकी नीतियां और कार्यक्रम निर्माण करनेमें कोअी स्वतंत्रता या लोक-तांत्रिकता नहीं रहेगी।”

गांधीजीके कहनेसे सरदारने अस पत्रका संक्षिप्त अुत्तर लिख दिया। अुसमें से कुछ महत्त्वपूर्ण अंग यहां दिये जाते हैं :

“शरदबाबूका पत्र पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ। अंमे ऋोधपूर्ण और गालियोंमें भरे पत्रका क्या अुत्तर दिया जा सकता है ? कार्यसमितिके पुराने सदस्यों पर अुन्होंने यह आरोप लगाया है कि अुन्होंने राष्ट्रपतिके विरुद्ध द्वेषपूर्ण और विषैला प्रचार किया। हममें से किमीने अुनके विरुद्ध अंसा प्रचार कभी नहीं किया। अस-लिअं अुसका अिनकार करनेके सिवा दूमरा हमारे लिअे अस विषयमें कुछ करनेका नहीं रह जाता। . . . राष्ट्रपति जब त्रिपुरी आये तब अुनके स्वास्थ्यकी हालत हममें से कुछने आंखों देखी थी। अिसलिअे यह कहना सर्वथा निराधार है कि हमने यह प्रचार किया कि अुनकी बीमारी केवल ढोंग है। अंसी बातोंको अुन्होंने सत्य कैसे मान लिया, अिसीका मुझ आश्चर्य होता है। कांग्रेसके अधिवेशनके दूसरे दिन शरदबाबूने खुद राजकुमारी अमृतकीरसे कहा था कि गुभापबाबूके स्वास्थ्यको देखते हुआ और सब नेता तो मुख्य प्रस्तावको स्थगित रखनेके पक्षमें थे, परंतु अकेले मेरा ही अुस पर अंतराज था और मेरा यह रवैया द्वेषपूर्ण था। परंतु मैंने राजकुमारीको विश्वास दिलाया कि यह बान बिलकुल गलत है। मञ्ची वस्तुस्थिति क्या थी सो अुन्हें आंखों देखनेको भी मिल गयी। तब वे शरदबाबूमें मिलीं और अुन्हें बताया कि मेरे बारेमें अुन पर जो अमर पड़ा है वह बिलकुल गलत है। बादमें जब शरदबाबू मुझसे मिले, तब अुन्होंने मुझसे कहा कि ‘मुझे गलत जानकारी मिली थी। मैंने आपके साथ अन्याय किया, जिसके लिअे मुझे अफसोस है।’ . . . मंत्रियोंके विरुद्ध अुनका आरोप गंभीर है। अुसकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिये। वे कहते हैं कि मंत्रियोंने अपने पदका प्रभाव अक दलके पक्षमें अिस्तेमाल किया। असका अर्थ मैं नहीं समझ सकता। अुनके चरित्र पर अंसा आक्षेप यों ही नहीं रहने देना चाहिये। मुझे तो अंसा आक्षेप पहली बार शरदबाबूके पत्रसे मालूम हुआ है। मैं मान लेता हूं कि यह आक्षेप प्रमाणित करनेके लिअे अुनके पास काफी सबूत होंगे।”

जवाहरलालजीने भी शरदबाबूको लंबा जवाब दिया। उसके बाद कार्य-समितिके निर्माण और कांग्रेसके कार्यक्रमके बारेमें गांधीजी और सुभाषबाबूके बीच लंबा पत्रव्यवहार तथा तार-व्यवहार हुआ। ३१ मार्चको सुभाषबाबूको पत्र लिखकर गांधीजीने अपनी अंतिम राय बता दी। उसमें लिखा :

“पं० गोविन्दवल्लभ पंतके प्रस्तावको आप नियमके बाहर मानते हैं और उसके कार्यसमितिकी नियुक्ति-संबंधी भागको सर्वथा अवैध और अनियमित समझते हैं, असलिये आपका मार्ग बिल्कुल साफ है। समितिके आपके चुनावमें किसीका दखल नहीं होना चाहिये।

“पिछले फरवरी मासमें जब हम मिले अुमके बाद मेरी यह राय दृढ़ हुई है कि जहां सिद्धान्तके बारेमें मतभेद हों वहां मिली-जुली समिति बनानेसे नुकसान होता है। अगर यह मान लें कि कांग्रेसकी महासमितिके बहुमत आपकी नीतिका समर्थक है तो आपको अुन्हीं लोगोंकी कार्यसमिति बनानी चाहिये जो आपकी नीतिसे सहमत हों।

“फरवरीमें हम सेवाग्राममें मिले तब जो विचार मंने प्रगट किये थे, अुन पर मैं आज भी कायम हूं। आप पर दमन करनेमें हिस्सेदार बननेका अपराध मैं कभी नहीं करूंगा। आप स्वेच्छामे शून्यवत् बन जाना पसन्द करें तो अलग बात है। परंतु जिन विचारोंके लिये आप दृढ़तापूर्वक यह मानते हों कि अुनमें देशका अुत्तम हित निहित है, अुन्हें आप छोड़ देनेको तैयार हो जायें तो अुसे मैं आत्मदमन करूंगा। आपको अध्यक्षके रूपमें काम करना ही हो तो आपको पूरी स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिये। देशकी परिस्थितिको देखते हुए बीचके मार्गकी गूजाअिश नहीं है।

“गांधीवादी (यदि अिस गलत नामका प्रयोग करूं तो) आपके मार्गमें रुकावट नहीं डालेंगे। जहां अुनसे हो सकेगा वहां वे मदद देंगे। जहां अुनसे मदद नहीं दी जा सकेगी वहां वे अलग रहेंगे। वे अल्पमतमें होंगे तब तो आपको कोअी कठिनाअी होगी ही नहीं। अुनका स्पष्ट बहुमत होगा तो संभव है वे अपने आपको न दबायेंगे।

“मुझे चिन्ता तो अिसकी हो रही है कि कांग्रेसकी मतदाना-सूचियां बिल्कुल झूठी हैं। असलिये बहुमत या अल्पमत शब्दोंका कोअी अर्थ नहीं। परंतु कांग्रेसका गंदा मकान झाड़-बुहार कर साफ न कर दिया जाय, तब तक तो हमारे पास जो साधन होंगे अुन्हींसे काम चलाना पड़ेगा। मुझे दूसरी चिन्ता यह होती है कि हमारे बीच

आपसमें बहुत अविश्वास है। जहां कार्यकर्ता एक-दूसरेका अविश्वास करते हैं वहां सहयोग असंभव हो जाता है।”

अपरोक्त पत्रमें दिये गये गांधीजीके मुझावों पर सुभाषबाबूने कोअी अमल नहीं किया। अन्होंने अप्रैलके अन्तिम सप्ताहमें कलकत्तेमें कांग्रेसकी महाममितिकी बैठक बुलाअी। अुनके आग्रहपूर्ण अनुरोध पर गांधीजी भी कलकत्ता गये, यद्यपि वे महासमितिकी बैठकमें नहीं गये। गांधीजी सतीशबाबूके खादी प्रतिष्ठानमें ठहरे थे। वहां अुनके और सुभाषबाबूके बीच कअी बार बानचीन हुआ। परंतु कोअी समझौता नहीं हो सका। सरदार कलकत्ता गये ही नहीं थे। अुनका यह खयाल था कि जो भी निर्णय हो अुनकी गैरहाजिरीमें ही हो तो अच्छा। पहले दिनकी बैठकमें कोअी खास कारंवाअी नहीं हुआ। परंतु पं० गोविन्दवल्लभ पंत, श्री भूलाभाअी देसाअी तथा श्री कृपालानीके साथ जब वे समितिकी बैठकसे अपने डेरे पर जा रहे थे तब कुछ लोगोंने बड़ा दुर्व्यवहार किया। यह बात शहरमें फैली तो वहाके अुत्तर प्रदेशके निवामी अुत्तेजित हो गये। पं० जवाहरलालजीको अिम बातकी खबर लगने पर अुन्होंने महासमितिके अुत्तर प्रदेशके सदस्योंकी महायतामें अुन लोगोंको शांत किया। अंसा न किया जाता तो संभव था कि दूसरे दिनकी बैठक होनेसे पहले दोनों दलोंमें मारपीट हो जाती। महासमितिकी दूसरे दिनकी बैठकमें सुभाषबाबू नहीं आये। अुन्होंने केवल अपना त्यागपत्र भेज दिया। महाममितिने अुमे स्वीकार कर लिया और राजेन्द्रबाबूको अध्यक्ष चुन लिया। ज्यों ही राजेन्द्रबाबू खड़े होकर समितिकी कारंवाअी जारी रखनेके लिये आगे बढ़े त्यों ही कुछ लोगोंने शोर मचा दिया। त्रिपुरी कांग्रेसके दृश्यकी पुनरावृत्ति हुआ। परंतु राजेन्द्रबाबू दृढ़ रहे अिसलिये थोड़ी देरमें शोरगुल बन्द हो गया और कुछ औपचारिक कारंवाअी पूरी करके अुन्होंने सभा विमर्जित कर दी।

अिस प्रकार कलकत्तेकी महाममितिमें कोअी खास काम नहीं हो सका। अिसलिये थोड़े समय बाद बम्बअीमें महाममितिकी बैठक फिर बुलाअी गअी। त्रिपुरीमें और अुसके बाद सुभाषबाबूके अनुयायियोंने कांग्रेसी मंत्रियोंके विरुद्ध यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि अुन्होंने अपने पदोंका अनुचित लाभ अुठाकर और अपने प्रभावके बल पर त्रिपुरीका प्रस्ताव पास कराया है। अिस प्रचारमें मंत्रिमंडलके दूसरे विरोधी भी मिल गये थे। अिस प्रकार मंत्रियोंको अपमानित करने और अुनकी प्रतिष्ठाको हानि पहुंचानेका आन्दोलन शुरू हुआ। अिस आन्दोलनको दबा देनेके लिये बंबअीकी महासमितिमें अंसा प्रस्ताव लाया गया कि कोअी कांग्रेसी अंसा कोअी काम

न करे जिससे कांग्रेस या कांग्रेसके मंत्रिमंडलकी प्रतिष्ठाको आंच आयें, और न जैसे काममें साथ ही दे। सुभाषबाबू और उनके अनुयायियोंने इस प्रस्तावका कड़ा विरोध किया। परंतु यह प्रस्ताव महासमितिकी बैठकमें बहुत बड़े बहुमतसे पास हो गया। उसके बाद तो सुभाषबाबूने अंक बयान जारी करके अपने अनुयायियोंको यह सूचना दी कि ९ जुलाओका दिन इस प्रस्तावके विरोधके तौर पर मनाया जाय। राजेन्द्रबाबूने अध्यक्षकी हैमियतसे पत्र लिखकर सुभाषबाबूको इस प्रकार कांग्रेसकी महामासितिके प्रस्तावकी अवज्ञा न करनेका आदेश दिया। परंतु अन्होंने अध्यक्षकी बात नहीं मानी और विरोधी प्रदर्शन जारी रखे। अतना ही नहीं, जहां जहां अन्होंने दौरा किया वही कांग्रेसके विरुद्ध जबरदस्त प्रचार शुरू कर दिया। अिमलिये कांग्रेस कार्य-समितिको उनके विरुद्ध अनुशासन-भंगकी कार्रवाजी करनेके लिये विवश होना पड़ा। अगस्तके दूसरे सप्ताहमें कार्यसमितिकी जरूरी बैठक बुलाओ गओ। अुससे पहले अध्यक्षने पत्र लिखकर सुभाषबाबूमें जवाब तलब किया कि आपके खिलाफ अनुशासनकी कार्रवाजी क्यों न की जाय। अिसके जवाबमें सुभाषबाबूने अपने किये हुअे कामका बचाव किया। वे कांग्रेसके अग्रगण्य व्यक्ति थे। दो बार वे कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये थे। और अुनके त्याग और कष्टसहनके लिये सबको बड़ा आदर था। अिसलिये अुनके विरुद्ध अनुशासनकी कार्रवाजी करना कार्यसमितिके सदस्योंको जरा भी पसन्द नहीं था। अपनी सफाओमें अुन्होंने जो दलीलें दीं अुनका सार यह निकलता था कि कांग्रेसके प्रत्येक सदस्यको कांग्रेसके विधानका अपनी अिच्छानुसार अयं करनेकी आजादी है। यह चीज स्वीकार कर ली जाती तो कांग्रेसमें अराजकता फैल जाती और कांग्रेस टूट जाती। अिसलिये कार्यसमितिये अत्यंत खेदपूर्वक यह निश्चय किया कि अुन्होंने अनुशासन-भंग किया है और बंगाल प्रान्तीय समितिके अध्यक्षपद तथा कांग्रेस कमेटीके किसी भी स्थान पर आनेके लिये अुन्हें तीन वर्ष तक अयोग्य करार दे दिया।

सुभाषबाबू पर जो कुछ नाममात्रका अंकुश था वह अिस प्रस्तावके बाद जाता रहा। अुन्होंने 'फावर्ड ब्लॉक' (अग्रगामी दल) नामक संस्था खोल कर कांग्रेसके विरुद्ध खुल्लमखुल्ला प्रचार करना शुरू कर दिया।

यह सारा झगड़ा कांग्रेसकी कार्यसमिति और सुभाषबाबूके बीच था। फिर भी सुभाषबाबू और अुनके अनुयायियोंने सारा रोष सरदार पर अुतारा। अिसका कारण राजेन्द्रबाबूके शब्दोंमें यह था कि :

“सरदार साफ साफ सुना देते थे। मीठी मीठी बातें करके किसीको सुश करनेकी कला अुन्होंने कभी सीखी ही न थी।”

कांग्रेस वनवासिनी बनती है

पिछले कुछ वर्षोंसे दुनियामें अंसी परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि अुसमें से किसी भी समय आग भड़क अुठनी और विश्वयुद्ध छिड़ जाता। कांग्रेसने देशको चेतावनी दे रखी थी कि अंसे समय अंग्लैण्डको धन, जन और युद्धसामग्रीकी कोअी सहायता न दी जाय। अन्तमें वह दिन आ पहुंचा। १ सितम्बर १९३९ को अंग्लैण्डने जर्मनी तथा अुसके साथी देशोंके विरुद्ध लड़ाअीकी घोषणा कर दी। ३ सितम्बरको वाअिसराँयने बड़ी धारामभा, प्रान्तोंके मंत्रियों अथवा देशकी किमी भी राजनैतिक संस्थासे पूछे बिना भारतको युद्धमें सम्मिलित देश घोषित कर दिया। अंग्लैण्डने अपने अन्य औपनिवेशिक देशोंसे पूछा था कि वे युद्धमें शरीक होना चाहते हैं या नहीं। परन्तु भारतको अंसा कुछ पूछनेकी अुसे कोअी जरूरत महसूस नहीं हुआ।

अिस युद्धके प्रति हमारे देशने, खाम तौर पर कांग्रेसने, जो रवैया अस्तित्धार किया, अुसमें कांग्रेसकी कार्यसमितिके मार्गदर्शन करके बड़े महत्त्वका भाग अदा किया। अुसमें सरदारने अकेले कोअी खास बात नहीं की। परन्तु कार्यसमितिके वे अग्रगण्य सदस्य थे और पार्लेमेण्टरी बोर्डके अध्यक्ष थे, जो कांग्रेसी मंत्रिमंडलका पथदर्शन करनेका काम करता था। अिमलिअे अिन सारे मलाह-मशविरोमें अुन्होंने प्रमुख भाग लिया था। अिससे अुनके जीवनचरित्रमें अिस अध्यायको भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

युद्ध आरंभ होते ही वाअिसराँयने गांधीजीको मुलाकातके लिये बुलाया। वाअिसराँयके साथ भेंटमें क्या हुआ और युद्धके बारेमें गांधीजीकी भावनाअें कैसी थी, यह अुन्हींके शब्दोंमें देना अुचित होगा :

“ मैं जानता था कि मुझे अपने सिवा और किसी भी आदमीकी तरफसे बोलनेका अधिकार नहीं था। कांग्रेसकी कार्यसमितिकी ओरसे मुझे कोअी आदेश मिला हुआ नहीं था। मैं तो तारसे निमंत्रण मिला अिसलिअे पहली गाड़ीसे रवाना हो गया। मैं अिस बातसे पूर्ण परिचित था कि शुद्ध और अदम्य अहिंसाका हिमायती होनेके कारण मैं लोगोंके मानसका प्रतिनिधि नहीं हूँ। अंसा करने जाता तो मेरी फजीहत ही हो जाती। वाअिसराँय महोदयको मैंने यह बता

दिया। इसलिये मेरे साथ वासिराँय महोदयके कोअी समझौता या संधिवार्ता करनेका सवाल ही नहीं अुठ सकता था। मैंने देखा कि अुन्होंने मुझे अैसे किसी वार्तालापके लिये नहीं बुलाया था। इसलिये मैं वासिराँय महोदयके महलसे खाली हाथ और बिना किसी खुले या छिपे समझौतेके लौटा हूँ। यदि कोअी समझौता होना होगा तो वह कांग्रेस और सरकारके बीच होगा।

“अिस प्रकार कांग्रेसके प्रति अपना रुख असंदिग्ध रूपमें स्पष्ट कर देनेके बाद मैंने वासिराँय महोदयसे कहा कि शुद्ध मानवताकी दृष्टिसे मेरी अपनी सहानुभूति अिग्लैण्ड और फ्रान्सके साथ है। मैंने कहा कि अब तक अभेद्य माना जानेवाला लंदन शहर लड़ाअीके हमलेके फलस्वरूप मिट्टीमें मिल जाय, अिसकी कल्पना भी मुझे हिला देती है। पार्लियामेण्टके भवनों और वेस्ट मिन्स्टर अेबीका कल्पनाचित्र अुनके सामने खींचते खींचते और युद्धके आक्रमणसे अुसके भस्मीभूत होनेका दृश्य आंखोंके सामने आते ही मेरा जी भर आया और कंठ अवशुद्ध हो गया। सचमुच मेरा अंतर रो अुठा है और अुसे किसी भी तरह चैन नहीं पड़ रहा है। आज कितने ही समयसे अंतरकी गहराअीमें प्रभुके साथ मैं दिनरात झगड़ रहा हूँ कि तू अंसे बड़े अुत्पात जगतमें अुठने ही क्यों देता है? मेरी अहिंसा लगभग नपुंसकता जंसी ही भासित होनी है। परन्तु रोजके झगड़ेके अंतमें सदा अंक ही जवाब अंतरमें अुठना हुआ सुनता हूँ कि अीश्वर निर्बल या लाचार नहीं है। और अहिंसा भी निर्बल या लाचार नहीं है। निर्बलता और लाचारी सब मनुष्योंमें भरी है। अिम प्रकार मैं अपने प्रयत्नमें भले ही खतम हो जाऊँ, परन्तु मुझे श्रद्धा खोये बिना अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिये।

*

*

*

“अब भी मेरा हृदय यह देखनेके लिये छटपटा रहा है कि अुन्हें (हिटलरको) सच्ची समझ आये और खुद जर्मन प्रजाके साथ लगभग सारी मानव-जातिकी प्रार्थना पर वे ध्यान दें। कारण, मैं यह माननेसे अिनकार करता हूँ कि जर्मनीकी आम जनता भी ठंडे दिलसे अैसी कल्पना कर सकती है कि मनुष्यकी हत्यारी तदबीरोंके कारण लंदन जैसे महानगर भस्मीभूत होनेके डरसे खाली हो जायं। वे अपने और अपने बाजारों, मुहल्लों और महल-मंदिरोंके अैसे नाशकी भी कभी ठंडे दिलसे कल्पना नहीं कर सकते। अिसलिये अिस क्षण

तो मैं भारतकी मुक्तिका भी विचार नहीं करता। वह तो होगी ही। परन्तु यदि फ्रान्स और अंग्लैण्डका सफाया हो जाय या जर्मनीको बरबाद करके और धूलमें मिलाकर फ्रांस और अंग्लैण्ड विजयी हों तो भारतवर्षकी मुक्तिका क्या मूल्य है?

“अैसे अपूर्व अुल्कापातके बीच कांग्रेसियों और दूसरे तमाम जिम्मेदार भारतवासियोंको भी—व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपमें—यह निर्णय करना होगा कि अिस रौद्र लीलामें भारतवर्षको क्या भाग अदा करना है।”

अिस प्रकार गांधीजी अपनी निजी सहानुभूति और अपना नैतिक सहयोग होनेकी जो बात वाअिसराँयमें कह आये, अुसकी तहमें अहिंसाके बारेमें अुनकी अटल श्रद्धा ही थी। परन्तु कांग्रेसकी कार्यसमितिके सब सदस्योंमें अिस प्रकारकी श्रद्धा नहीं थी। और देशकी शक्तके बारेमें भी गांधीजीकी और अुनकी मान्यतामें अंतर था। अिसलिये कार्यसमितिको स्वतंत्र रूपमें अपना निर्णय करना था।

३ सितम्बरको सम्राट्ने सारे साम्राज्यके नाम अेक संदेश जारी किया और अुसके अनुसार वाअिसराँयने हिन्दुस्तानके नाम अेक घोषणा प्रकाशित की। अुसमें अुन्होंने अपना विश्वास प्रगट किया कि :

“बलप्रयोगके विरुद्ध मानव स्वतंत्रताके पक्षमें भारत अपना हिस्सा अदा करेगा और दुनियाके महान राष्ट्रों और अतिहासिक संस्कृतियोंमें अपने स्थानको सुशोभित करनेवाला भाग लेगा। . . . हमारे सामने तो आज मानवजातिके भविष्यके लिये आवश्यक सिद्धान्तों और आन्तरराष्ट्रीय नीति-संबंधी सिद्धान्तोंकी रक्षा करनेका प्रश्न है। अुन महान सिद्धान्तोंका भारतवर्षके लिये जितना महत्त्व है अुतना और किसीके लिये नहीं है। अिस देशमें अुनकी जितनी कीमत और कद्र है अुतनी और कहीं नहीं है। और अुनकी रक्षाके लिये सदामे जितना ध्यान यहां रखा गया है अुतना और कहीं किसीने नहीं रखा। ब्रिटिश सरकार अिस लड़ाीमें पड़ी है तो किसी प्रकारके स्वायत्पूर्ण अुद्देश्यसे नहीं पड़ी है, परन्तु समस्त मानवजाति पर असर डालनेवाले बुनियादी सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिये पड़ी है, संस्कृतिके व्यवस्थित कार्यको कायम रखनेके लिये पड़ी है, संसारके देशोंके आपसी झगड़े बलप्रयोग द्वारा नहीं परन्तु शान्तिमय अुपायों और सामोपचारसे निबटानेके लिये पड़ी है।”

अिन लच्छेदार शब्दोंके साथ वाअिसराँयने यह भी घोषित किया कि हिन्दुस्तानमें संघ-शासन स्थापित करनेका ध्येय छोड़ तो नहीं दिया गया, परन्तु अुमकी स्थापनाकी दिशामें होनेवाले काम युद्धकालमें बंद रहेंगे। साथ ही ब्रिटिश पालियामेण्टने १९३५ के संविधानमें अेक ही दिनके भीतर अिस प्रकारका संशोधन कर डाला कि वाअिसराँय जब चाहें तब प्रान्तीय सर-कारोंके अधिकार अपने हाथमें ले सकेंगे अथवा अुनमे अपनी आज्ञाें पालन करा सकेंगे।

अिसके अतिरिक्त पिछले युद्ध (१९१४-१९१८) के समय दिये हुअे वचन ब्रिटिश सरकारने पालन नहीं किये थे। तुर्की जब जर्मनीकी तरफ मिल गया तब अिग्लैण्डके प्रधानमंत्रीने भारतीय मुसलमानोंको स्पष्ट वचन दिया था कि यद्यपि तुर्की शत्रुपक्षमें सम्मिलित हो गया है फिर भी लड़ाी समाप्त होने पर हम तुर्क साम्राज्यकी अखंडता कायम रखेंगे। जिस समय प्रधानमंत्री यह वचन दे रहा था, अुमी समय अुसने फ्रांस और रूसके साथ गुप्त संधियां करके तुर्क साम्राज्यको आपसमें बांट लेनेका षड्यंत्र रचा था। मित्रराज्योंने यह घोषणा की थी कि यह लड़ाी हम छोटे छोटे राज्योंकी स्वतंत्रताके लिये लड़ रहे हैं। परन्तु अुनके मनमें युरोपके राज्योंकी स्वतंत्रता ही थी। अेशिया और अफ्रीकाके देशोंको अिग्लैण्ड अपने पंजेमें छोड़ना नहीं चाहता था। लड़ाी खतम होनेके बाद हिन्दुस्तानने स्वतंत्रताके लिये जरा सिर अुठाया तो जलियांवाला बागका हत्याकांड और पंजाबके अमानुषिक अत्याचारोंसे अुमका जवाब दिया गया था। अिन तमाम बातोंको कार्य-समिति भूल नहीं सकती थी। अिसलिये अुमका विचार तो यह था कि कांग्रेस अिस युद्धमें कैसा भाग ले, यह तय करनेसे पहले ब्रिटिश सरकारसे यह कह दे कि आप अपनी मीठी मीठी बातें तो रहने दीजिये और हमें साफ शब्दोंमें यह बता दीजिये कि आप युद्ध कित अुद्देश्योंसे कर रहे हैं और स्पष्ट भाषाकी अपेक्षा भी अपनी घोषणाओंको अमलमें लानेके लिये अभी हमें और कुछ नहीं तो अपने आन्तरिक शासनकी स्वतंत्रता जरूर दे दीजिये।

तुरंत ही कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक वर्धामें हुअी। चार दिन तक खूब सगह-मशविरा करनेके बाद अुसने १४ सितम्बरको अेक घोषणापत्र प्रकाशित किया। अुमका मसौदा पंडित जवाहरलालजीने तैयार किया था। चूंकि अुम घोषणापत्रका अैतिहासिक महत्त्व है, और संसारके राजनैतिक साहित्यमें अुसका महत्त्वपूर्ण स्थान है, अिसलिये वह अक्षरशः यहां दिया जाता है :

“यूरोपमें युद्धकी घोषणा हो जानेसे जो गंभीर और विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है, उस पर कार्यसमितिके बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया। कांग्रेसने बार बार बताया है कि युद्ध हो तो हमारा राष्ट्र किन सिद्धान्तोंका अनुसरण करेगा। इसलिये समितिके अकेले महीने पहले ही उन्हें दोहरा दिया है और भारतकी ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये भारतीय लोकमतके अनादरके प्रति नाराजी जाहिर की है।

“ब्रिटिश सरकारकी इस नीतिसे अलग रहनेके पहले कदमके तौर पर इस समितिके बड़ी धारामुभाके कांग्रेसी सदस्योंको आगामी बैठकमें शरीक न होनेकी आज्ञा दी है। उसके बाद ब्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानको युद्धमें सम्मिलित देश घोषित कर दिया है, आर्डीनेस जारी किये हैं, संविधानके कानूनमें परिवर्तन करनेवाला बिल पास कर दिया है और अन्य दूरवर्ती परिणामोंवाली कार्यवाहियां की हैं, जिनसे प्रान्तीय सरकारोंके अधिकार संकुचित और मर्यादित हो जाते हैं। इसका भारतीय लोगों पर गहरा असर पड़ा है।

“यह सब कुछ भारतीय लोगोंकी सम्मतिके बिना किया गया है। इन मामलोंमें ब्रिटिश सरकारने लोगोंकी जाहिर की हुयी अिच्छाओंकी जानबूझकर अपेक्षा की है। ये सारी घटनाओं कार्यसमितिके अत्यंत गंभीर प्रतीत हुये बिना नहीं रह सकतीं।

“फासिज्म और नाजिज्मके ध्वयों और आचरणोंके बारेमें तथा युद्ध, हिंसा एवं मानवीय आत्माके दमनके अनुके गुणगानके बारेमें कांग्रेसने समय समय पर नाराजी जाहिर की है। अन्होंने बार बार जो हमले किये हैं और सम्य व्यवहारके चिरस्थापित सिद्धान्तों और स्वीकृत मापदण्डोंकी जड़ अखाड़ दी है, अनुकी कांग्रेसने निन्दा की है। साम्राज्यवादके विरुद्ध भी भारतवासी अनेक वर्षोंसे लड़ाई लड़ते रहे हैं। फासिज्म और नाजिज्ममें अुसीका अग्र रूप कांग्रेसको दिखायी देता है। इसलिये जर्मनीकी नाजी सरकारने पोलैण्डके विरुद्ध जो पिछला आक्रमण किया है, अुसकी यह कार्यसमिति निःसंकोच भावसे निन्दा करती है और अुस आक्रमणका मुकाबला करनेवालोंके प्रति सहानुभूति प्रगट करती है।

“कांग्रेसने यह भी घोषणा की है कि भारतवर्षके लिये युद्ध अथवा शांतिके प्रश्नका निर्णय भारतवासियोंको स्वयं ही करना चाहिये। कोअी भी बाहरी सत्ता अपना निर्णय अुस पर लाद नहीं सकती और

न भारतवासी अपनी साधन-सामग्रीका उपयोग साम्राज्यवादी अुद्देश्योंके लिये होने दे सकते हैं। बाहरी सत्ताने भारतवासियोंके पसन्द न किये हुअे हेतुओंके लिये भारतके साधनोंका अपुयोग करनेका जो निर्णय किया है और अुसके लिये जो प्रयत्न वह कर रही है, अुसका जनताको निश्चित रूपमें विरोध करना होगा।

“किसी अच्छे काममें सहयोग चाहिये तो भी वह किसीको मजबूर करके या जबरन् नहीं लिया जा सकता। बाहरी सत्ताके जारी किये गये हुकमोंका अमल होनेमें भारतीय जनता सहमत नहीं हो सकती। सहयोग तो बराबरीवालोंमें, परस्पर सहमतिसे और दोनों जिसे सत्कार्य स्वीकार करें अुसके लिये हो सकता है।

“भारतीय जनताने पिछले कुछ वर्षोंमें आजादी लेने और देशमें लोकतांत्रिक स्वतंत्र राज्य स्थापित करनेके लिये महान संकट अुठाये हैं और बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं। अुमकी सहानुभूति पूर्णतया लोकतंत्र और स्वतंत्रताके प्रति है।

“परन्तु जब लोकतांत्रिक स्वतंत्रता अुसे न दी जा रही हो और अुने जो मर्यादित स्वतंत्रता मिली हुअी है वह छीन ली जा रही हो, तब वह कथित स्वतंत्रताके लिये लड़े जानेवाले युद्धमें साथ नहीं दे सकती।

“अिस समितिको मालूम है कि ग्रेटब्रिटेन और फ्रांसकी सरकारोंने यह घोषणा की है कि वे लोकशासन और स्वतंत्रताके लिये तथा अन्यायपूर्ण आक्रमणका अन्त करनेके लिये लड़ रही हैं। परन्तु पिछले कुछ वर्षोंका अितिहास अैसी मिसालोंसे भरा पड़ा है जिनमें जवानसे कहे हुअे शब्दों और घोषित आदर्शोंके बीच तथा असली अुद्देश्यों और ध्येयोंके बीच सदा अन्तर रहा है। १९१४-१८ की लड़ाअीमें लोकतंत्रकी, छोटे राष्ट्रोंके आत्मनिर्णयकी और स्वतंत्रताकी रक्षा युद्धके ध्येयके रूपमें घोषित हुअी थी। फिर भी जिन सरकारोंने अिन ध्येयोंकी गंभीरतासे घोषणा की थी, वे ही तुर्क साम्राज्यके टुकड़े करनेकी योजनाओंसे भरे हुअे गुप्त समझौते करने पर अुतर आयी थीं। यह कहकर भी कि अुन्हें तिलभर भी मुल्क नहीं लेना है, विजयी राष्ट्रोंने अपने अधीन अिलाकोंमें बड़ी वृद्धि कर ली थी। युरोपकी वर्तमान लड़ाअी बता रही है कि वर्साअीकी संधि और अुसके कर्ता — जिन्होंने अपने दिये हुअे वचन तोड़े और पराजित राष्ट्रों पर साम्राज्यवादी संधि जबरदस्ती लाद दी — बिलकुल असफल सिद्ध हुअे हैं। अुस संधिका जो अेकमात्र

आशाजनक परिणाम — राष्ट्रमंडल — था, उसका उसके जनक राष्ट्रोंने ही शुरूमें मुंह बन्द करके गलेमें फांसीका फंदा डाला और बादमें उसके प्राण हर लिये ।

“असके बादके अतिहासने फिरसे बता दिया है कि अपूर अपूरसे देखने पर हृदयसे निकली मालूम होनेवाली श्रद्धाकी घोषणा करने पर भी बादमें लज्जाजनक ढंगसे अुमका भंग कर दिया जाता है । मंचूरियामें ब्रिटिश सरकारने आक्रमणकी अपेक्षा की, अंबिसीनिया पर बलात्कार करनेकी सम्मति दी. जेकोस्लोवाकिया और स्पेनमें लोकतंत्र खतरेमें था तब अुमे जानबूझ कर धोखा दिया, और संयुक्त सुरक्षाकी संपूर्ण पद्धतिके बारेमें जिन्होंने पहले अपना दृढ़ विश्वास घोषित किया था अुन्हींने अुमके भीतर सुरंग लगायी ।

“अंगा कहा जा रहा है कि अस समय लोकतंत्र खतरेमें आ पड़ा है और अुमकी रक्षा करनी चाहिये । अस बातमे यह समिति पूरी तरह सहमत है । समिति मानती है कि पश्चिमके लोग अस आदर्श और हेतुसे प्रेरित हैं और अुसके लिअे बलिदान करनेको तैयार हैं । परन्तु जिन अन्य जातियोंने अुस लड़ाीमें कुर्बानियां की हैं अुनके आदर्शों और भावनाओंकी बार बार अपेक्षा की गयी और अुन्हें दिये गये वचनोंका पालन नहीं किया गया ।

“यह लड़ायी अगर अस समय साम्राज्यके कब्जेमें जो देश, अपुनिवेश, प्रस्थापित हित और अधिकार हैं अुनको ज्योंका त्यों कायम रखनेके लिअे हो, तो अससे भारतका कोअी वासना नहीं हो सकता । परन्तु यदि लोकतंत्र और लोकतंत्रके आधार पर स्थापित संसारकी व्यवस्था अस लड़ायीका अुद्देश्य हो, तो हिन्दुस्तानको असमें बहुत ही गहरी दिलचस्पी है । अस समितिको विश्वास है कि भारतीय लोकतंत्रका हित ब्रिटिश लोकतंत्र या जगतके किसी भी लोकतंत्रका विरोधी नहीं है ।

“परन्तु भारतके और अन्य देशोंके लोकतंत्रमें और साम्राज्यवाद तथा फासिज्ममें स्वाभाविक और अमिट विरोध है । ग्रेटब्रिटेन यदि लोकतंत्रकी रक्षा और प्रचारके लिअे लड़ रहा हो, तो अुसे अपने अधीन देशोंमें निश्चित रूपमें साम्राज्यवादका अंत कर देना चाहिये और भारतमें संपूर्ण लोकतंत्र स्थापित करना चाहिये । भारतवासियोंको आत्मनिर्णयका हक, बाहरके हस्तक्षेपके बिना लोकप्रतिनिधि सभा द्वारा अपना संविधान तैयार करनेका हक और अपनी शासननीति निश्चित करनेका हक

होना चाहिये। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत दूसरे स्वतंत्र लोगोंके साथ परस्पर रक्षा और आर्थिक सहयोगके लिये खुशीसे शरीक होगा। स्वतंत्रता और लोकतंत्रके आधार पर निर्मित सच्ची संसारव्यापी व्यवस्थाकी स्थापनाके लिये और मानवजातिकी प्रगति और विकासके लिये संसारके ज्ञान और साधनोंका अुपयोग करनेमें हम अवश्य साथ देंगे।

“यूरोपमें जो विषम अवसर अुपस्थित हुआ है, वह अकेले यूरोपका नहीं, परन्तु सारी मानवजातिका है। अन्य विषम अवसरों या विग्रहोंकी तरह वह दुनियाकी वर्तमान मूलभूत रचनाको अछूती रहने देकर गुजर नहीं जायगा। अिससे संसारमें स्थायी रूपसे नयी व्यवस्था स्थापित होनेकी संभावना है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिसे देखते हुअे यह विषम अवसर पिछले महायुद्धके बाद चौकानेवाले ढंगसे बढ़े हुअे सामाजिक और राजनैतिक संघर्षों और विरोधोंका अनिवार्य परिणाम है। जब तक वे संघर्ष और अुनके विरोध नहीं मिटेंगे और नया संतुलन स्थापित नहीं होगा तब तक अिस विषमताका अंतिम निराकरण नहीं होगा। अेक देशके हाथों दूसरे देशका आधिपत्य और शोषण खतम हो और सबके कल्याणके लिये न्यायपूर्ण आधार पर आर्थिक सम्बन्धोंकी पुनर्रचना हो तो ही वह संतुलन स्थापित हो सकता है।

“अिस मामलेमें हिन्दुस्तान अेक समस्या जैसा है, क्योंकि वह आधुनिक साम्राज्यकी जबरदस्त मिसाल है। अिस मार्मिक प्रश्नकी अुपेक्षा करके दुनियाकी जो नवरचना होगी वह सफल नहीं होगी। हिन्दुस्तानके पास विपुल साधन होनेके कारण संसारकी नवरचनाकी किसी भी योजनामें वह महत्त्वपूर्ण भाग लिये बिना नहीं रह सकेगा। परन्तु अैसा वह अपनी शक्तियोंका अिस महान ध्येयके लिये अुपयोग कर सकनेवाले स्वतंत्र राष्ट्रकी हैसियतसे ही कर सकता है। अिस जमानेमें स्वतंत्रता अखंड और अविभाज्य वस्तु बन गयी है। संसारके किसी भी भागमें साम्राज्यवादी आधिपत्य कायम रखनेकी कोशिश की जायगी तो अुससे नयी नयी आफतें खड़ी हुअे बिना नहीं रहेंगी।

“कार्यसमितिनै देखा है कि अिस युद्धमें बहुतसे देशी राजाओंने अपनी सेवाओं और साधन-सामग्री अर्पित करनेकी तत्परता दिखायी है और अिस प्रकार यूरोपके लोकतंत्रको सहायता देनेकी अपनी अिच्छा प्रगट की है। विदेशोंके लोकतंत्रके पथमें अन्हें अपनी हमदर्दी जाहिर

करनी ही हो तो कार्यसमिति यह सुझाती है कि अन्हें अपने राज्योंमें, जहां आज शतप्रतिशत स्वेच्छाचार मौजूद है, लोकतंत्र कायम करनेकी पहली सावधानी रखनी चाहिये। पिछले वर्ष हमें असा दुःखद अनुभव हुआ है कि अिस स्वेच्छाचारके लिये स्वतंत्र राजाओंकी अपेक्षा भारतकी ब्रिटिश सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। अुसकी यह नीति अिस लोकशासन का और जिस नवीन विश्व-व्यवस्थाके लिये ग्रेटब्रिटेन युरोपमें लड़नेका दावा करता है अुसका निरा अिनकार है।

“युरोपमें, अफ्रीकामें और अशियामें भूतकालमें हुअी और विशेषतः भारतमें भूतकाल और वर्तमानमें हुअी घटनाओंका अवलोकन करने पर अुनमें लोकतंत्र या आत्मनिर्णयका कार्य आगे बढ़ानेका कोअी प्रयत्न कार्यसमितिको दिखाअी नही देता। और अिस बातका कोअी सबूत भी अुसे नही मिलता कि ब्रिटिश सरकारकी युद्ध-सम्बन्धी घोषणाओं पर अमल हो रहा है या होगा। लोकतंत्रकी मच्ची परीक्षा यह है कि साम्राज्यवाद और फासिज्म दोनोंका और अुनके साथ भूतकालमें तथा अिन समय जुड़े हुअे आक्रमणोंका अंत हो। अिस आधार पर ही नवरचना हो सकती है। अिस समितिको जगतकी नवरचनाकी लड़ाअीमें हर प्रकारसे मदद देनेकी अिच्छा और आतुरता है। परन्तु जो लड़ाअी साम्राज्यवादके ढंग पर हो रही है और जिसका अुद्देश्य हिन्दुस्तानमें और अन्यत्र भी साम्राज्यवादकी जड़ कायम करना हो, अुस लड़ाअीमें यह समिति साथ नही दे सकती।

“परन्तु अवसरकी गंभीरताको देखते हुअे और यह देखते हुअे कि पिछले कुछ दिनोंमें मनुष्योंके विचारोंसे घटनाओंकी गति अकसर अधिक तेजीसे चल रही है, यह समिति अिस समय कोअी भी अन्तिम निर्णय नही करना चाहती, जिससे अिस बातका पूरी तरह स्पष्टीकरण होनेका अवकाश मिल जाय कि अिसमें कौनसे प्रश्न निहित हैं, वास्तविक ध्येय क्या हैं और वर्तमान तथा भविष्यमें भारतकी स्थिति कैसी रहेगी। परन्तु अुस फैसले पर पहुंचनेमें बहुत देर नही की जा सकती, क्योंकि दिनोंदिन हिन्दुस्तानको अैसी बातोंमें फंसाया जा रहा है जिनमें अुसने अपनी स्वीकृति नही दी है और जिनसे वह असहमत है।

“अिसलिये कार्यसमिति ब्रिटिश सरकारसे कहती है कि आप साफ शब्दोंमें घोषणा कीजिये कि लोकतंत्र और साम्राज्यवादके बारेमें तथा भविष्यके लिये कल्पित नवीन व्यवस्थाके बारेमें आपके युद्ध-सम्बन्धी

ध्येय क्या क्या हैं, खास तौर पर वे ध्येय हिन्दुस्तान पर कैसे लागू होंगे और अतः पर अभी तुरंत किस तरह अमल होगा? क्या अतः में साम्राज्यवादके नाशका, भारतको स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार करनेका और अतःकी राजनीति अतःके निवासियोंकी अिच्छानुसार चलने देनेका समावेश भी होगा? भविष्यके बारेमें स्पष्ट घोषणा हो और अतःमें साम्राज्यवाद तथा फासिस्टवाद दोनोंका अन्त करनेकी सरकार प्रतिज्ञा करे तो अतःका सभी देशोंके निवासी स्वागत करेंगे। परन्तु अतः पर यथाशक्ति अधिकसे अधिक मात्रामें तत्काल अमल करना अतःसे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि असा करनेसे ही लोगोंको विश्वास होगा कि सरकारी घोषणा अतःका अमल करनेके अिरादेसे ही हुआ है। किसी भी घोषणाकी असली परीक्षा तो अतःके वर्तमानमें होनेवाले अमलसे होती है, क्योंकि मनुष्यकी आजकी परिस्थितिका नियमन वर्तमान ही करेगा और वही अतःके भविष्यका निर्माण करेगा।

“युरोपमें युद्ध छिड़ गया है और भविष्यका विचार करनेसे दिल कांप अठता है। पिछले कुछ वर्षोंमें अंत्रिमिनिया, स्पेन और चीनमें युद्धने हजारों मनुष्योंका संहार किया है, असंख्य निर्दोष स्त्री-पुरुषों और बच्चोंको खुले शहरों पर आकाशसे बम गिराकर मार डाला गया है और बिना किसी संकोचके कल्लेआम मचाया गया है तथा लोगोंको विविध यातनाओं और भद्देसे भद्दे अपमान सहन करने पड़े हैं। ये सब बातें अकके बाद अक तेजीसे हो गयी हैं। वह आतंक बढ़ता ही गया है। हिंसा और हिंसाकी घमकी जगतके सिर पर झूल रही है। यदि अतः पर अंकुश लगाकर अतःका अंत नहीं किया गया तो वह पिछले युगोंके बहुमूल्य अुत्तराधिकारका नाश कर डालेगी। अिस आतंकका युरोप और चीन दोनोंमें नियंत्रण होना ही चाहिये। जब तक फासिज्म और साम्राज्यवादका, जो अतःके मूल कारण हैं, अन्त नहीं होता तब तक अिसका अंत नहीं होगा। कार्यसमिति अिसका अन्त करनेमें साथ देनेको तैयार है। परन्तु यदि यह भयानक युद्ध भी साम्राज्यवादकी भावनासे और वर्तमान समाज-रचनाको — जो स्वयं ही युद्ध और मानव अधःपतनका कारण है — कायम रखनेके लिये लड़ा जायगा तो वह बड़ी करुण घटना सिद्ध होगी।

“कार्यसमिति घोषणा करना चाहती है कि जर्मन राष्ट्र या जापानी राष्ट्र या और किसी भी राष्ट्रके साथ भारतका कोई झगड़ा नहीं। परन्तु जो राज्य दूसरोंको आजादी नहीं देते और जिनकी रचना

हिंसा तथा आक्रमणके आधार पर हुआ है, अन्तके विरुद्ध अस्का निश्चित रूपसे जबरदस्त झगड़ा है। भारतवासियोंकी मंशा यह देखनेकी नहीं है कि अंक राष्ट्रकी दूसरे राष्ट्र पर विजय हो अथवा किसीको जबरन् मुलह मंजूर करनी पड़े, परन्तु यह देखनेकी है कि सभी देशोंके सभी लोगोंके लिये सच्चे लोकतंत्रकी जीत हो और संसार हिंसा तथा साम्राज्यवादके जुलमकी भयंकरतासे मुक्त हो।

“यह समिति भारतवासियोंसे हार्दिक अनुरोध करती है कि वे सभी आंतरिक कलह और विवाद बन्द कर दें और आपत्तिकी अिस भीषण घड़ीमें अंक और अखंड राष्ट्रके रूपमें सुसज्जित हो जायं, भीतरी अंकता बनाये रखें और शांतिपूर्वक संसारकी विशाल स्वतंत्रतामें भारतकी स्वतंत्रता प्राप्त करनेके निश्चयमें अटल रहें।”

अिस घोषणापत्र पर गांधीजीने ता० १५-१-३१ को ‘हरिजन’ में यह लेख लिखा :

“दुनियामें जो महायुद्ध छिड़ गया है अुमके मिलसिलेमें कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा प्रकाशित घोषणापत्र पर चर्चा करने और अुसका अंतिम रूप तैयार होनेमें चार दिन लग गये। पेश हुआ मनींदे पर प्रत्येक सदस्यने अपनी अपनी राय पूरी आजादीसे जाहिर की। समितिके चाहने पर पं० जवाहरलालने मसौदा तैयार किया था। यह देखकर मुझे खेद हुआ कि असा मुझानेवाला मैं अकेला ही था कि मौजूदा मामलेमें ब्रिटेनको जो भी मदद करनी हो वह बिला शर्त करनी चाहिये। असी बिलाशर्त मदद शुद्ध अहिंसाकी भूमिका पर ही हो सकती है। परन्तु समितिको भारी जिम्मेदारी अदा करनी थी। वह निरा शुद्ध अहिंसक रवैया अख्तियार नहीं कर सकती थी। अुसका खयाल था कि विरोधीकी कठिनाइयोंसे लाभ अुठानेमें हीनता मानने जितनी अहिंसा प्रजाने अभी तक पचाओ नहीं है। फिर भी अपने निर्णयके कारण बतानेमें समिति अंग्रेज लोगोंका अधिकसे अधिक खयाल रखनेके लिये अुत्सुक थी।

“मसौदा तैयार करनेवाले जवाहरलालजी अंक अुंचे दर्जेके कलाकार हैं। किसी भी रूप या प्रकारके साम्राज्यवादके विरोधमें कोओ अुनकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर भी वे अंग्रेज प्रजाके मित्र हैं। अपने विचारों और रचनामें वे हिन्दुस्तानकी अपेक्षा अंग्रेज ही अधिक हैं। बहुत बार अपने देशबंधुओंकी अपेक्षा अंग्रेजोंके साथ अुनकी अधिक पटती है। अिसके सिवा, वे जीवदया तथा मानवताके अितने प्रेमी हैं कि

पृथ्वीतल पर कहीं भी होनेवाला अन्याय या दुष्कृत्य अन्हें बेचैन कर देता है। अिसीलिअे अूत्कट राष्ट्रवादी होते हुअे भी अुनकी राष्ट्रीयता अोजस्वी अान्तर-राष्ट्रीयतासे दीप्त हो अुठती है। अिस कारण यह अेक अैसा घोषणापत्र है जो अुन्होंने केवल अपने देशवासियोंको ही ध्यानमें रखकर नहीं, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राष्ट्रको ही ध्यानमें रखकर नहीं, परंतु संसारके तमाम राष्ट्रोंको ध्यानमें रखकर तैयार किया है। भारतकी भांति जो राष्ट्र अन्य राष्ट्रोंके हाथों शोषित हो रहे हैं वे सारे राष्ट्र अिसमें आ जाते हैं।

“यह घोषणापत्र मंजूर करनेके साथ ही साथ कार्यसमितिने पं० जवाहरलालजीकी पसन्द की अेक अपसमिति नियुक्त की (अुसमें जवाहरलालजीके सिवा मी० अबुलकलाम आजाद तथा सरदार थे।) और अुसके अध्यक्षके स्थान पर अुन्हें नियुक्त किया। यह अपसमिति रोज-व-रोज पैदा होनेवाली परिस्थितिके अनुसार काम करेगी।

“मुझे आशा है कि कार्यसमितिके अिम घोषणापत्रको कांग्रेसियोंके मभी दलोंका अंकमत्से समर्थन मिलेगा। अुग्रमे अुग्र कांग्रेसीको भी अुसमें बलका अभाव दिखायी नहीं देगा। प्रत्येक कांग्रेसजनको यह महसूस होना चाहिये कि राष्ट्रके अितिहासमें अैसे नाजुक मौके पर कदम अुठानेकी जरूरत पड़ेगी तो वैसा करनेके लिअे बलकी कमी नहीं होगी। अिस समय कांग्रेसवादी तुच्छ झगड़े-टंटों या दलबन्दीमें अुतर पड़ेंगे तो वह अेक महा दुःखदायी और करुण घटना होगी। कार्यसमितिके अिम कदमसे यदि कोअी बड़ा और कीमती नतीजा निकलेगा तो वह अेक अेक कांग्रेसीकी अेकनिष्ठा और असंदिग्ध वफादारीसे ही निकल सकता है। मैं तो यह भी आशा रख रहा हूं कि ब्रिटिश सरकारकी तरफसे अुमकी नीतिकी स्पष्ट घोषणा और अुस घोषणाके अनुरूप वर्तमान युद्धकी स्थितिमें यथाशक्ति अमलकी मांगमें दूसरे सब राजनैतिक दल और जातियां भी कार्यसमितिका साथ देंगी। मुझे तो भारतवर्षकी बल्कि ब्रिटिश सम्राट्के अधीन अन्य सब देशोंकी प्रजाओंको आज ही स्वतंत्र और आजाद प्रजा स्वीकार कर लेना ब्रिटेनके लिअे आज तक किये गये अुमके लोकतंत्रके दावोंका स्वाभाविक परिणाम मालूम होता है। यदि अिस लड़ाीका अिससे जरा भी कम अर्थ लगाया जायगा तो परतंत्र देशोंकी तरफसे मिलनेवाला सहयोग कभी प्रामाणिक और अैच्छिक नहीं हो सकता। हां, शुद्ध अहिंसाके आधार पर दिये जानेवाले सहयोगकी बात दूसरी है।

“अस समय सच्ची जरूरत तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी मनोदशामें संपूर्ण परिवर्तन होनेकी है। अससे भी स्पष्ट भाषामें कहूं तो लड़ाओके आरम्भके समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा की गयी और अस समय अंग्लैण्डके व्याख्यान-मंचोंसे बार बार दोहरायी जानेवाली लोकतंत्रकी घोषणाओंको पूरा करनेके लिये प्रामाणिक आचरण विशेषतः आवश्यक है। क्या अंग्लैण्ड अिम लड़ाओमें अगंतुष्ट भारतको असकी अिच्छाके विरुद्ध जवरन् घसीटेगा? या यह देखना चाहेगा कि वह सच्चे लोक-तंत्रकी रक्षाके कार्यमें अक स्वेच्छापूर्वक सहायता देनेवाले मित्रके नाते सहयोग दे? कांग्रेसकी अस प्रकारकी सहायता अंग्लैण्ड और फ्रांसके पक्षमें बड़ेसे बड़ा नैतिक बल समझी जायगी। कारण, कांग्रेसके पास सिपाही नहीं हैं। कांग्रेस हिंसासे नहीं परंतु अहिंसाके शस्त्रसे लड़नेवाली संस्था है। फिर भले अहिंसा कितनी ही अपूर्ण और कितनी ही बेदंगी हो।”

यह समय बड़ा नाजुक था और कांग्रेसका कोअी जिम्मेदार आदमी कुछ भी बोले या करे तो असका अनर्थ होनेका अंदेश था। असलिये नअी बनी हुअी युद्ध-समितिये तमाम प्रान्तीय समितियोंको परिपत्र भेजकर सूचना दे दी कि कोअी भी व्यक्तिगत रूपमें जल्दबाजीकी कार्रवाओ न करे और न जल्दवाजीमें कुछ कह डाले, जिससे समय पकनेसे पहले किसी भी प्रकारकी परिस्थिति अुत्पन्न न हो।

२६ मितम्बरको लार्डसभामें भारतकी परिस्थितिके विषयमें चर्चा हुअी। भारतमंत्री लार्ड जेटलैण्डने भाषण दिया, जिसमें अन्होंने हिन्दुस्तानके भिन्न भिन्न वर्गके लोगों द्वारा सरकारको दी जा रही सहायताकी कद्र करते हुअे कहा:

“देशी राजा आदमियों और रुपयेकी मदद दे रहे हैं और अन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेवाअें देनेकी भी तैयारी बताअी है। पंजाब और बंगालके प्रधान मंत्रियोंने (वहां कांग्रेसी मंत्रिमंडल नही थे) बिला-शर्त मदद देनेके वचन दिये हैं। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको ही अमुक वचन न मिलने पर युद्धमें सहयोग देनेमें कठिनाओ प्रतीत होती है। असकी मांगें स्वाभाविक हैं। परंतु जिस समय ब्रिटेन जीवन-मरणके संग्राममें लगा हुआ है अस समय कांग्रेसका ब्रिटिश अिरादोंकी स्पष्ट घोषणा चाहना असामयिक है। कांग्रेसके नेताओंकी देशभक्तिकी में कद्र करता हूं। परंतु वे व्यावहारिक कठिनाअियोंका खयाल नहीं रखते और पृथ्वी पर सीधे देखकर चलनेके बजाय तारोंके सामने नजर

रखकर आकाशमें अड़ते हैं। ब्रिटिश लोगोंका स्वभाव असा है कि वे सम्मानपूर्ण और प्रसंगोचित व्यवहारकी कद्र कर सकते हैं, परंतु अपनी मांगोंके लिये कांग्रेसी नेताओंने गलत समय चुना है।”

गांधीजीने इसका उत्तर देते हुए लिखा :

“युद्धके अद्देश्योंकी घोषणाकी मांग करनेमें कांग्रेसने कोअी विचित्र या अनुचित बात नहीं की। स्वतंत्र भारतकी सहायताका ही मूल्य हो सकता है और कांग्रेसको यह जाननेका हक है कि वह लोगोंके पास जाकर उनसे कह सकती है या नहीं कि लड़ाओके अन्तमें भारतको ब्रिटेनके बराबर ही स्वतंत्र देशका दर्जा अवश्य मिलेगा। अंग्रेजोंके मित्रके नाते मैं अंग्रेज राजनीतिज्ञोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे साम्राज्यवादियोंकी पुरानी भाषा भूल जायँ और जो जातियाँ उनकी बेड़ियोंमें जकड़ी हुई हैं उन सबके लिये नया पृष्ठ शुरू करें।”

युद्ध-समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे जवाहरलालजीने जो जवाब दिया, उसमें कहा गया :

“कार्यसमितिके घोषणापत्रकी तहमें यह खयाल है कि वह केवल भारतके लिये नहीं, परंतु संसारके उसके जैसे अन्य अनेक राष्ट्रोंके लिये है। उसका हेतु मानवताके हताश हुए हृदयमें नवीन आशाका संचार करना है। लार्ड जेटलैण्ड मृत भूतकालकी भाषामें बोल रहे हैं। असा भाषण वे बीस वर्ष पहले कर सकते थे। हमने जो मांग पेश की है वह बाजारू वृत्तिसे नहीं की है। हमें संसारकी प्रजाओंकी स्वतंत्रताका वचन मिलना चाहिये और स्वतंत्र संसारके चित्रपट पर भारतका दर्शन होना चाहिये। तभी इस युद्धका हमारे लिये कोअी अर्थ हो सकता है। हमें अनुभव होना चाहिये कि हम जो कष्ट भोगने और दुःख सहन करनेको तैयार हैं वह केवल अपने ही लिये नहीं परंतु संसारकी सभी प्रजाओंके लिये अुचित वस्तु है। हमारा खयाल है कि हमारे जैसे आदर्श बहुतसे ब्रिटिश लोगोंके भी हैं, इसीलिये हम उन आदर्शोंकी सिद्धिके लिये सहयोग देनेको तैयार होते हैं। परंतु यदि इन आदर्शोंका अस्तित्व ही न हो तो हम किसलिये लड़ें? ये अद्देश्य सार्वजनिक रूपमें स्वीकार किये जायँ और उन पर अमल किया जाय तो स्वतंत्र भारत स्वेच्छापूर्वक अपना वजन उन आदर्शोंके पक्षमें डालेगा।”

बादमें वाअिसरायने मुलाकातें देना शुरू किया। पहले वे गांधीजीसे मिले, बादमें श्री राजेन्द्रबाबू और जिन्ना साहबसे मिले। इसके बाद

जवाहरलालजीसे, सुभाषबाबूसे और राजाओंकी संस्थाके अध्यक्षसे मिले। उसके बाद सब जातियों और हितोंके प्रतिनिधियोंको भेंटके लिये बुलाया। प्रत्येकका क्या कहना है और अनुकी क्या मांग है, यह वाजिसराय नोट कर लेते थे। इस तरह बावनसे अधिक व्यक्तियोंसे मिलनेके बाद १७ अक्तूबरको वाजिसरायने दूसरी घोषणा की। इस बीच ९ और १० अक्तूबरको कांग्रेस महासमितिकी बैठक हुआ। उसने कार्यसमिति द्वारा प्रकाशित घोषणापत्रका समर्थन किया। वाजिसरायने अपनी घोषणामें युद्धके अद्देश्योंके बारेमें कहा :

“सम्राट् महोदयकी सरकारने खुद ही इस बातकी तफसील निश्चित रूपमें तय नहीं की है कि इस युद्धमें लड़नेके क्या अद्देश्य हैं। युद्धमें आगे चल कर असा स्पष्टीकरण हो सकता है। और जब होगा तब भी वह मित्रराज्योंमें से अकके अद्देश्योंकी घोषणा नहीं हो सकती। युद्ध समाप्त होनेसे पहले तो दुनियामें हमारे सामने जो परिस्थिति है उसमें बहुत परिवर्तन हो जायेंगे। अभी तो अतना ही कहा जा सकता है कि दुनियाके सामने जो प्रश्न उपस्थित हो गये हैं उनका निबटारा केवल युद्धमे ही न करना पड़े, असा आन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति पैदा करना ही उसका सर्वमान्य अद्देश्य है।” वाजिसरायने दूसरी बात यह कही :

“१९३५ के गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अक्टके अनुसार जिस संघ-शासनका निर्माण करना है, उसमें युद्धके अन्तमें अचित फेरबदल हो सकेंगे। इसके लिये भिन्न भिन्न जातियों, दलों और हितोंके तथा देशी राजाओंके प्रतिनिधियोंके साथ सलाह-मशविरा किया जायगा, ताकि यह तय करनेमें अनुकी सहायता और सहयोग मिल सके कि कैसे परिवर्तन करना वांछनीय है। ये परिवर्तन करनेमें अल्पसंख्यकोंके हितों और विचारोंको पूरा महत्व दिया जायगा।”

अल्पसंख्यक जातियों और देशी राजाओंके सिवा भारतमें व्यापारिक और औद्योगिक हित रखनेवाली युरोपियन कंपनियोंको भी अन्होंने अल्प-संख्यकोंमें मान लिया। इसके सिवा, अन्होंने अक असा मंडल स्थापित करनेकी बात की जिसके साथ युद्ध-संचालनमें भारतीय लोकमतके संसर्गमें रह सकनेके लिये सलाह-मशविरा हो सके। यद्यपि असा सत्ताहीन मंडल भी ठंठ जुलाही १९४१ में अस्तित्वमें आया।

राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबूने इस घोषणाको अत्यंत निराशाजनक होने पर भी आश्चर्यजनक नहीं बताया। युद्ध-समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे

जवाहरलालजीने कहा कि यह घोषणा भारत राष्ट्रीय और आन्तरराष्ट्रीय रूपमें जिन सिद्धान्तोंकी हिमायत करता है उनका पूरी तरह अनिकार करती है। गांधीजीने कहा :

“अससे तो ब्रिटिश सरकार कुछ भी घोषणा करनेसे अनिकार कर देती तो बेहतर होता। वाअिसरायँ महोदयकी लंबी घोषणा बताती है कि हममें फूट फैलाकर राज करनेकी पुरानी नीति ही जारी रहेगी। जहां तक मैं देख पाता हूँ, अैसी नीतिके अमलमें कांग्रेस कभी शामिल नहीं हो सकती। वाअिसरायँ महोदयकी घोषणा साफ तौर पर बताती है कि जहां तक ब्रिटेनका बस चलेगा वहां तक वह भारतमें जन-शासन स्थापित नहीं होने देगा। लड़ाई समाप्त होने पर अेक और गोलमेज परिषद् करनेका घोषणामें वचन दिया गया है। पहलेवाली गोलमेज परिषद्की तरह यह भी असफल ही होगी। कांग्रेसने रोटी मांगी। जवाबमें उसे पत्थर मिला है। परंतु मैं वाअिसरायँ महोदय या ब्रिटेनके नेताओंको दोष नहीं देता। कांग्रेसको फिर वनवासमें जाना पड़ेगा। अैसा वनवास भुगत लेनेके बाद ही अुसमें अपने ध्येय तक पहुंचनेके लिये आवश्यक बल और शुद्धता आयेगी।”

अिस घोषणापत्रके बाद अँग्लो-अिडियन और विलायती अखबार कांग्रेस पर दोषारोपण करने लगे। वे कहने लगे कि अितने सब अल्पसंख्यकोंके हितोंकी रक्षा किये बिना कांग्रेसकी मांगें कैसे संतुष्ट की जा सकती हैं? और गांधीजी पर भी वे यह आक्षेप करने लगे कि विला शर्त सहायता देनेकी बात कहकर वे मुकर रहे हैं। गांधीजीने अिसका अुत्तर दिया :

“यह कहना सही नहीं कि मेरे कथनोंमें मेल नहीं है और अपने पहलेके वक्तव्योंमें अिग्लैण्ड और फ्रांसके प्रति मैंने जो सहानुभूति प्रदर्शित की थी अुससे मैं चुपचाप खिसक गया हूँ। मेरा जो मत पहले था वही अब भी कायम है। परंतु जब यह प्रश्न अुपस्थित किया गया है तो मैं अिग्लैण्डमें यह अपेक्षा जरूर रखता हूँ कि अुसे अिस प्रश्नका संतोषजनक अुत्तर देना चाहिये। मैंने कांग्रेसको जो सलाह दी थी अुसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दुस्तानको अपनी स्वतंत्रता खोकर मित्रराज्योंको मदद देनी चाहिये। भारतको ब्रिटेनके रथके पहियेसे बांध दिया जाय तो अुसमें मैं शरीक नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना तो अब भी यही है कि ब्रिटेन और फ्रांसकी जय हो; अितना ही नहीं, परंतु जर्मनीका विनाश न हो। जैसे मैं यह नहीं चाहता कि यूरोपके राष्ट्रोंकी आजादीका निर्माण भारतकी स्वतंत्रताके खण्डहर

पर हो, वैसे ही मेरी यह लेशमात्र भी अच्छा नहीं कि युद्धमें शामिल हुअे राष्ट्रोंमें से किसीकी भी राख पर भारतकी आजादीकी अिमारत खड़ी हो।”

कांग्रेसकी कार्यसमितिके २२ तारीखको वर्धामें मिलकर वाअिसरायकी घोषणाका निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा अुत्तर दिया :

“ कार्यसमितिकी यह राय है कि युद्धके अुद्देश्य क्या हैं और खास तौर पर भारतके प्रति अुनका अमल कैसे किया जायगा, अिन बातोंकी घोषणा करनेके विषयमें अिस समिति द्वारा की गयी मांगके अुत्तरमें वाअिसराय महोदयकी घोषणा अमंतोषकारक है। जो लोग भारतकी स्वतंत्रताके लिये अुत्सुक और निश्चय-बद्ध हैं अुन सबमें अिसमें क्रोधकी भावना पैदा होगी। घोषणाके लिये अिस समितिकी मांग अकेले भारतवासियोंकी तरफसे ही नहीं परंतु युद्ध और हिंसासे तथा राष्ट्रों और जनताओंका शोषण करनेवाले सारी आफनोंके जड़रूप फासिस्ट और साम्राज्यवादी शासनमें पीड़ित हो अुठे दुनियाभरके करोड़ों लोगोंकी तरफसे थी। दुनियाकी आम जनता सबके लिये शांति तथा स्वतंत्रताका नया युग स्थापित हुआ देखनेको तरस रही है। वाअिसराय महोदयकी घोषणा पुरानी साम्राज्यवादी नीतिका असंदिग्ध पुनरुच्चारमात्र है। भिन्न भिन्न दलोंके बीचके मतभेदका अुसमें जो अुल्लेख किया गया है, अुसे यह समिति ब्रिटेनके अमली मकसदको छिपानेके लिये अिस्ते-माल किये गये परदेके रूपमें मानती है। समितिकी मांग तो यह थी कि परस्पर-विरोधी दलों और समूहोंके रवैयोंकी ओर अंगली न अुठाकर हिन्दुस्तानके प्रति अपनी अीमानदारीके सबूतके तौर पर ब्रिटेन लड़ाकीके पीछे रहे अुद्देश्योंकी घोषणा कर। अल्पमतोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिये भरपूर वचन देनेकी सदासे कांग्रेसकी नीति रही ही है। कांग्रेसकी मांगमें अुपस्थित की गयी आजादी किसी भी अेक दलकी या जातिकी नहीं परंतु समस्त राष्ट्रकी, भारतकी तमाम जातियोंकी आजादी है। अैसी आजादी कायम करनेका और समस्त जनताकी अच्छा क्या है यह तय करनेका अेकमात्र मार्ग यह है कि अैसे लोकशासनकी प्रणाली अपनायी जाय जिसमें सबको अपना मत प्रगट करनेका पूरा अवसर मिले। अिसलिये वाअिसराय महोदयकी घोषणाको यह समिति हर दृष्टिसे दुर्भाग्यपूर्ण माननेक लिये मजबूर हो गयी है। अैसी स्थितिमें यह समिति ब्रिटेनकी कोअी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अुसका अर्थ तो यह हो जाता है कि अिस साम्राज्यवादी नीतिको

खतम करनेका कांग्रेसका हमेशासे प्रयत्न रहा है अुमीका समर्थन किया जाय। असलिये अस दिशामें पहले कदमके रूपमें यह समिति कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंको त्यागपत्र देनेका आदेश देती है।

“यह समिति सारे देशसे हृदयपूर्वक अनुरोध करती है कि अस गंभीर अवसर पर तमाम घरेलू झगड़े-टंटे मिटा दिये जाय और भारतकी स्वतंत्रताके कार्यमें सब अेक होकर साथ-साथ चलें। तमाम कांग्रेस कमेटियों और सभी कांग्रेसवादियोंको यह आदेश दिया जाता है कि वे सब प्रकारकी परिस्थितियोंका सामना करनेको तैयार रहें और भारतके सम्मान तथा अुन सिद्धान्तोंसे, जिनके लिये कांग्रेस खड़ी है, मेल न खानेवाली कोअी बात न तो कहें और न करें। वाणी और व्यवहार दोनों पर काबू रखा जाय। सविनय कानून-भंग, राजनैतिक हड़तालों या अैसे कअी जल्दबाजीके कदम अुठानेके खिलाफ कांग्रेसवादियोंको चेतावनी दी जाती है। समिति तमाम परिस्थितियोंको और भारतमें ब्रिटिश सरकारकी कारंवाअीको देखती रड़ेगी और जब जरूरत मालूम होगी तब अधिक कदम अुठानेके बारेमें देशका पथप्रदर्शन करनेमें नहीं बूकेगी। समिति तमाम कांग्रेसवादियोंसे कह देना चाहती है कि देशके सामने अुपस्थित अवसरका अुचित रूपमें सामना करनेके कार्यक्रमके लिये कांग्रेसियोंमें पूरी तरह अनुशासन और कांग्रेस संगठनकी अेकता अति आवश्यक है।

“अससे पहले कांग्रेस द्वारा की गअी अहिंसक लड़ाअियोंमें कभी कभी हिंसाका मिश्रण हुआ है, अस बातका समितिको भान है। समिति तमाम कांग्रेसवालोंके दिलोंमें यह बात अच्छी तरह जमा देना चाहती है कि यदि कभी कोअी प्रतिकार करना पड़े तो अुसमें किसी प्रकारकी हिंसा न होनी चाहिये। विशुद्ध अहिंसाका पालन होना चाहिये। अस बारेमें समिति तमाम कांग्रेसियोंको अहमदाबादके १९३१ के कांग्रेस अधिवेशनके समय ली हुई और बादके अधिवेशनोंमें बार बार दोहराअी गअी सत्याग्रहीकी प्रतिज्ञाकी याद दिलाती है।”

अुपरोक्त प्रस्ताव पास होनेके बाद तुरंत ही कार्यसमितिकी मंजूरीसे पार्लमेण्टरी कमेटीने कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंको यह सूचना दी :

“कार्यसमितिका प्रस्ताव प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारोंको अिस्तीफा दे देनेका आदेश देता है। यह अिस्तीफा आपको जरूरी कामोंकी चर्चके लिये बुलाअी गअी धारासभाकी बैठक होनेके बाद देना है। परंतु यह

आशा रखी जाती है कि ३१ अक्टूबर तक मंत्रियोंके अिस्तीफे पेश हो जायेंगे।

“ धारासभा और कौंसिलके अध्यक्ष, अपुाध्यक्ष और सदस्य अिस्तीफे न दें। अभी तो मंत्रियों और पार्लमेण्टरी सेक्रेटरियोंको ही अिस्तीफे देने हैं।

“ अिस्तीफे देते समय युद्ध-अुद्देश्योंकी घोषणाकी मांग करनेवाला प्रस्ताव प्रत्येक धारासभामें आपको पास करना है।”

मद्रास, बिहार, मध्यप्रान्त, युक्त प्रान्त, बम्बयी, अुडीसा और सीमा-प्रान्तकी धारासभाओंमें अिस प्रकार प्रस्ताव पास किया गया :

“ ग्रेटब्रिटेन और जर्मनीके बीचके युद्धमें भारतके लोगोंकी सम्मतिके बिना भारतको ब्रिटिश सरकारने शामिल कर दिया है और भारतीय लोकमतकी पूरी तरह अवहेलना करके प्रान्तीय सरकारोंके अधिकारों और कार्योंको सीमित बनानेवाले कानून पास कर दिये हैं। अिस पर यह धारासभा अपना दुःख प्रकट करती है। यह धारासभा सरकारसे सिफारिश करती है कि भारत-सरकारको और अुसके मारफत ब्रिटिश सरकारको यह जतला दिया जाय कि वर्तमान युद्धके घोषित अुद्देश्योंके अनुसार भारतके लोगोंका सहयोग लेना हो तो यह बहुत जरूरी है कि मुस्लिम और अन्य अल्पमतोंकी रक्षाके साथ लोकतंत्रके सिद्धान्त हिन्दुस्तान पर लागू किये जायं और हिन्दुस्तानके लोग ही हिन्दुस्तानकी राजनीतिका निर्माण करें। हिन्दुस्तानको अपना संविधान तैयार करनेके अधिकारवाला अेक स्वतंत्र राज्य माना जाना चाहिये और हिन्दुस्तानके शासनमें अुस सिद्धान्त पर अमल करनेके लिये वर्तमान परिस्थितिमें जितनी संभव हो अुतनी कार्रवायी अिस दिशामें की जानी चाहिये।

“ अिस धारासभाको खेद है कि सम्राटकी सरकारने जब भारत-वर्षके विषयमें अपनी ओरसे अधिकृत घोषणा प्रकाशिन की, तब अुसने भारतकी परिस्थितिको असली रूपमें नहीं समझा। चूंकि ब्रिटिश सरकार भारतकी मांग पूरी करनेमें असफल साबित हुआ है, अिस-लिये अिस धारासभाका मत है कि अिस प्रान्तकी सरकार ब्रिटिश नीतिमें हिस्सेदार नहीं बन सकती।”

यूरोपमें लड़ायीकी घोषणा हो जानेके बाद कार्यसमिति द्वारा समय समय पर स्वीकृत प्रस्तावोंके प्रकाशमें धारासभाओंके अिस प्रस्तावका क्या अर्थ होगा, यह अलग अलग प्रान्तोंके मुख्यमंत्रियोंने अपने भावणोंमें समझाया।

पहले अिस्तीफे २८ अक्तूबरको मद्रासमें पेश हुअे। जिस दिन मद्रासके मंत्रिमंडलने अिस्तीफा दिया अुसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेण्टकी लोकसभामें भारतके प्रश्न पर बहस हो रही थी। सर सेम्युअल होर मुख्य वक्ता थे। अुन्होंने अपने भाषणमें बताया :

“अीपनिवेशिक स्वराज्य योग्य प्रजाको दिया जानेवाला कोअी पुरस्कार नहीं है, परंतु जो परिस्थितियां वास्तवमें मौजूद हैं अुनको स्वीकार करना है। आज हिन्दुस्तानके मार्गमें यदि कठिनाअियां हों तो वे कोअी हमारी पैदा की हुअी नहीं हैं। अुनके भीतर जो दलबंदी है अुसे दूर करनेका मुख्य कर्तव्य भारतवासियोंका ही है। हम भारतवासियोंको अिस काममें मदद जरूर देंगे। हमने जब साम्प्रदायिक निर्णय दिया तब हमने अपनी नेकनीयत बता दी थी। परंतु अुस निर्णयके बावजूद साम्प्रदायिक दलबन्दी अभी तक कायम है। जब तक वह न मिटे तब तक अल्पमतवाली जातियोंके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है अुसे हम छोड़ नहीं सकते। राजाओंको ब्रिटिश भारत द्वारा दबा दिये जानेका डर है। केन्द्रीय सरकारमें हिन्दुओंका बहुमत रहनेके विरुद्ध मुसलमानोंका सख्त अंतराज है। दलित वर्गों और दूसरी अल्पसंख्यक जातियोंकी (जिनमें अुन्होंने युरोपियनोंको भी गिनाया) सचमुच यह मान्यता है कि दायित्वपूर्ण शासनका अर्थ हिन्दुओंके बहुमतवाला शासन होगा और अुसमें अुनके हितोंकी कुर्बानी होगी। जब तक अन्य जातियोंको अिस प्रकारकी चिन्ताअें हैं तब तक केन्द्रीय सरकारमें अमुक तारीखको तत्काल और पूरी जिम्मेदारी देनेकी मांग ब्रिटिश सरकार स्वीकार नहीं कर सकती।

“कांग्रेसने मान लिया है कि वाअिसरायने जिस सलाहकार-समितिके बनानेकी बात कही है अुसका कोअी अर्थ नहीं है और वह वैधानिक प्रगतिको रोकनेकी अेक चालमात्र है। मेरे विचारके अनुसार यह मान लेनेमें कांग्रेसने अनुचित जल्दबाजी की है। और कांग्रेस जो असहयोगकी बात करती है वह तो घड़ीकी सुअी कुछ वर्ष पीछे घुमा देनेके बराबर है। अिससे सविनय कानून-भंग अुत्पन्न होगा, कानून और व्यवस्थामें रुकावट पड़ेगी और दंगों और दमनका कुचक्र — अिसमें से हम समझते थे कि हम स्थायी रूपसे निकल गये हैं — फिर शुरू हो जायगा। . . . हमने बहुत समयसे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाअें छोड़ दी हैं। हम मानते हैं कि दुनियामें हमारा काम दूसरे

लोगों पर राज्य करना नहीं, परंतु दूसरे लोगोंको शासन करना सिखाना है।”

अस भाषणका उत्तर देते हुए गांधीजीने निम्नलिखित सूचक प्रश्न पूछे :

“ औपनिवेशिक स्वराज्य स्वतंत्रताका पर्यायवाची न हो, आजादीके अर्थमें ही वह शब्द काममें न लिया जाता हो तो भारतके लिये सचमुच उसका कोआी अर्थ है? सर सेम्युअलकी कल्पनाके भारत-वर्षको ब्रिटिश साम्राज्यसे अलग होनेका हक होगा या नहीं? ब्रिटिश जातिने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं त्याग दी हैं, सर सेम्युअल होरकी यह घोषणा मुझे अच्छी लगती है। वे महत्वाकांक्षाओं सचमुच छूट गयी हैं या नहीं, अस बारेमें सर सेम्युअल भारतसांसियोंको खुद अित-मीनान कर लेने देंगे या नहीं? यदि उनका उत्तर ‘हां’ में हो तो भारतको संविधान द्वारा अस प्रकार आजाद बना देनेका अवसर आनेसे पहले भी अस बातका सन्तु दिया जा सकता है। परंतु जब कांग्रेस द्वारा चाही गयी घोषणा करनेके विरुद्ध अल्पमतोंकी रक्षाकी बात सामने रख दी जाती है, तब सर सेम्युअल होरकी महान घोषणा निकम्मी प्रतीत होने लगती है। . . .

“ में देखता हूं कि सर सेम्युअलने युरोपियनोंको भी अल्पमत जाति बताया है। युरोपियनोंका असा अल्लेख ही मेरे मतानुसार अल्पमतोंके हितोंकी रक्षाकी बातको वाहियात ठहराता है। अल्पमतोंके साथ युरोपियन और राजा दोनोंको जोड़कर वे अपना सारा केस ही हार जाते हैं। जिन युरोपियनोंके भारतमें घरबार नहीं और जिनकी सारी जड़ें युरोपमें ही हैं, वे यदि भारतकी अल्पमत जाति हों तो फिर अस देशमें स्थित ब्रिटिश सैनिक और गोरे मुल्की अधिकारी क्यों नहीं हैं? वे तो मुट्ठीभर हैं, बिलकुल ही छोटी अल्पमत जातिके बराबर हैं। उनके लिये संरक्षण क्यों न मांगा जाय? दूसरे शब्दोंमें कहें तो लोगोंको जीतकर लिये हुए अधिकार ज्योंके त्यों कायम रखनेकी यह सारी युक्ति है। युरोपियनोंके हित हिन्दुस्तानके सिर पर लाद दिये गये हैं और ब्रिटिश संगीनोंके बल पर उनकी रक्षा करनी है। . . .

“ और क्या राजा भी युरोपियनोंकी पंक्तिमें ही नहीं खड़े हैं? उनमें से सब नहीं तो अधिकांश साम्राज्यके ही अल्पमत किये हुए हैं। और साम्राज्यके ही हितोंके लिये उन्हें कायम रखा जाता

है। राजा किसी तरह भी अूनकी प्रजाके प्रतिनिधि नहीं हैं। जैसे राजाओंको अल्पमत मान लेनेके लिये कांग्रेससे कहा जाता है। अपने ब्रिटिश स्वामियोंके आधारके बिना राजा सांस तक नहीं ले सकते। कांग्रेसियोंके साथ कोअी समझौता करना तो दूर रहा, अूनसे मिलनेकी भी राजाओंको स्वतंत्रता नहीं होती।”

श्री राजेन्द्रबाबूने सर सेम्युअल होरके जवाबमें अेक ही बात कही :

“बाहरके किसी हस्तक्षेपके बिना सर्वसम्मत संविधान तैयार करनेकी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार भारतवासियों पर ढाले और अुसे कानून द्वारा स्वीकार करनेका वचन दे, तो यह प्रस्ताव सच्चा कहा जा सकता है। असके बिना अल्पमतोंको संरक्षण देनेकी बातें तो अपनी सत्ताको ज्योंकी त्यों कायम रखनेके बहाने जैसी दिखायी देती हैं।”

२९

मंत्रिमंडलोंके त्यागपत्रके बाद

कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंके त्यागपत्र दे देनेके बाद कांग्रेसी, खास तौर पर युवक वर्ग, स्वभावतः यह मांग करने लगे कि अब कोअी जबरदस्त कदम आगे बढ़ाना चाहिये। गांधीजी लोगोंकी नब्ज अच्छी तरह हाथमें पकड़े बैठे थे। अुन्होंने ता० ३०-१०-'३० को 'आगे क्या?' शीर्षक लेख लिखकर परिस्थितिका विश्लेषण किया और अस विषयमें अपना रुख जाहिर किया :

“ब्रिटिश सरकारके साथ खड़े हुअे प्रसंगके सिलसिलेमें दायित्वका भार जितना मुझे अस समय अनुभव हो रहा है अुतना पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। कांग्रेसी मंत्रिमंडलोंका त्यागपत्र देना जरूरी था, परंतु अगला कदम मुझे किसी भी तरह साफ दिखायी नहीं दे रहा है। कांग्रेसी जोरदार कदमकी आशा रखते मालूम होते हैं। कुछ पत्रलेखक मुझे सूचित करते हैं कि मेरे आवाज लगानेकी ही देर है। देशमें जितना जवाब पहले कभी नहीं मिला अुतना आज मुझे मिलेगा। वे मुझे यह भी विश्वास दिलाते हैं कि लोग अहिंसक रहेंगे। अूनके लिखे हुअे वचनके सिवा अूनके कथनके समर्थनमें मुझे और कोअी प्रमाण नहीं मिला। अुसके विरुद्ध मेरे पास ढेरों सबूत रखे हुअे हैं। जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि अहिंसाको

कांग्रेसी अउसे फलित होनेवाले तमाम अर्थोंके साथ मानते हैं और समय समय पर मिलनेवाली हिदायतों पर वे बिना आनाकानीके अमल करेंगे, तब तक में किसी भी किस्मके सविनय कानून-भंगमें हाथ नहीं डाल सकता।

“कांग्रेसियोंमें अहिंसाके पालनके बारेमें अनिश्चितता होनेके अलावा दूसरी महत्त्वकी बात यह है कि मुस्लिम लीग अिस समय कांग्रेसको मुसलमानोंका शत्रु समझती है। यह बात सविनय कानून-भंग द्वारा सफल अहिंसक क्रांति करना कांग्रेसके लिये लगभग असंभव बना देनेवाली है। क्योंकि अिसका अर्थ निश्चित रूपमें हिन्दू-मुसलमानोंके दंगे होगा।

“में निश्चित रूपमें मानता हूं कि यद्यपि ब्रिटिश सरकारने अपने कार्योंसे कांग्रेसके लिये लड़ाईके संबंधमें सहयोग देना असंभव बना दिया है, तो भी कांग्रेसको अुसे लड़ाई चलानेके काममें परेशान नहीं करना चाहिये। . . . अपनी मौजूदा राय पर कायम रहकर मुझे सविनय कानून-भंग शुरू करनेकी जल्दी नहीं है। अभी फिलहाल तो कांग्रेसियोंको मेरा सुझाव अितना ही है कि वे कांग्रेसमें से अुसकी कमजोरियां दूर करके अुसके संगठनको मजबूत बनायें। में तो अब भी साम्प्रदायिक अेकता, अस्पृश्यता-निवारण और चरखेके पुराने कार्यक्रममें पहले जैसा ही दृढ़ विश्वास रखता हूं। यह स्पष्ट है कि पहली दो बातोंके बिना अहिंसाका पालन असंभव है। और यदि भारतवर्षके गांवोंको बचना और सुखी होना है तो अिसके लिये चरखेके घर-घर गूंजे सिवा कोअी चारा नहीं है। चरखा और अुसके साथ लगी हुअी तमाम चीजें अर्थात् देहाती कला-कारीगरीके अुद्धारके बिना ग्राम-संस्कृतिकी स्थापना प्रायः असंभव है। अिस प्रकार चरखा अहिंसाका सर्वोपरि प्रतीक है। अुसकी आराधनामें कांग्रेसी अपना सारा समय लगा दें तो अुसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यदि यह वस्तु अुनके हृदयको नहीं हिला सकती तो या तो अुनमें अहिंसा नहीं है या मुझे अहिंसाका ककहरा तक नहीं आता। चरखेका प्रेम यदि मेरी अेक दुर्बलता ही हो तो वह प्रेम अितना सर्वोपरि है कि वह मुझे सेनापति बननेके लिये अयोग्य बना देता है। मेरी नजरमें चरखा स्वराज्यकी योजनाके साथ — सचमुच जीवनके साथ अेकरूप हो गया है। स्वराज्यकी अाखिरी और निर्णायक साबित होनेवाली अिस लड़ाईके आरंभकालमें सारा भारतवर्ष मेरी योग्यता अच्छी तरह समझ ले तो ठीक होगा।”

असके बाद १ नवम्बरको वाअिसराँयने गांधीजीको मुलाकातके लिये बुलाया। राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबू तथा जिन्ना साहबको भी अन्होंने आमंत्रित किया। अस मुलाकातमें वाअिसराँयने अेक नयी ही सूचना की। अन्होंने कहा कि “आप लोग आपसमें परामर्श करके प्रान्तीय सरकारोंके संबंधमें किसी भी प्रकारके समझौते पर आनेके रास्ते ढूढ़ निकालिये और अुस बारेमें प्रस्ताव मेरे सामने रखिये। अुनके फलस्वरूप आपकी दोनों जातियोंके प्रतिनिधियोंके लिये कार्यकारिणी कौंसिलके सदस्योंके रूपमें केन्द्रीय सरकारमें भाग लेना संभव हो सकेगा।” यद्यपि यह साफ शब्दोंमें नहीं कहा गया था परंतु अुसका अर्थ स्पष्ट था कि आप प्रान्तोंमें सम्मिलित मंत्रिमंडल बना लें तो केन्द्रीय सरकारमें भी संयुक्त कार्यकारिणी कौंसिल बनाना आसान हो जायगा।

अुसके बाद ५ तारीखको वाअिसराँयने रेडियो पर भाषण दिया। अुसमें अल्पमतोंको संरक्षण देनेकी ब्रिटिश सरकारकी जिम्मेदारीका पुराना राग अलापा। और श्री राजेन्द्रबाबू तथा जिन्ना साहबके साथ हुआ अपना पत्र-व्यवहार प्रास्ताविक आलोचनाके साथ प्रकाशित कर दिया। असका अुत्तर देते हुअे ता० ८-११-३९ को गांधीजीने कहा :

“जब तक भारत-संबंधी ब्रिटेनके युद्ध-अुद्देश्योंकी स्वीकार करने योग्य स्पष्टता नहीं हो जाती तब तक कोअी भी हल असंभव है। अब तक की गयी घोषणायें—यहां क्या और विलायतमें क्या—पुरानी लकीर पर चलने जैसी ही हैं। स्वातंत्र्य-प्रेमी भारत अुन्हें सन्देहकी दृष्टिसे देखता है। अुसे भरोसा नहीं होता। यदि साम्राज्यवाद सचमुच ही मर चुका हो तो भूतकालके डोरेधागे बिलकुल टूट जाने चाहिये और नवयुगसे मेल खानेवाली भाषाका अुपयोग होना चाहिये। यदि अस बुनियादी सत्यको स्वीकार करनेका अब भी समय नहीं आया हो, तो में अितना ही अनुरोध करूंगा कि हल ढूढ़नेके तमाम प्रयत्न फिलहाल स्थगित रखनेमें ही शोभा है।

“मुझे आशा थी और अब भी है कि अीश्वरका भेजा हुआ युद्धका शाप ब्रिटेनकी आंखें खोलनेमें कारगर साबित होगा और अस प्रकार आशीर्वाद-रूप सिद्ध होगा, क्योंकि ब्रिटेनको अस बातका भान होगा कि अस युद्धको अुचित ठहरानेके लिये और अुसका जल्दीसे जल्दी अंत करनेके लिये सबसे जरूरी कोअी चीज हो सकती है तो वह यह है कि भारतवर्ष जैसे महान और प्राचीन देशको वह अपने जुअेसे मुक्त कर दे।”

गांधीजीका दूसरा कहना यह था :

“ ब्रिटेनने अब तक अल्पमतोंको तथाकथित बहुमतके विरुद्ध दाव पर चढ़ा चढ़ा कर अपनी सत्ता कायम रखी है और इस प्रकार भिन्न भिन्न दलोंके बीच सर्वसम्मत हलको असंभव बना रखा है। जब तक ब्रिटेन यह मानता रहेगा कि अल्पमतोंके हितोंकी रक्षाकी जिम्मेदारी उस पर है, तब तक भारतको अपने अधीन रखनेकी जरूरत उसे महसूस होती ही रहेगी। असलिये अल्पमतोंकी रक्षाका हल ढूँढनेका भार उसे अपने सिरसे अतार कर संबंधित दलोंके सिर पर ही डाल देना चाहिये। असा करनेके लिये उसे भारतका भावी संविधान जनताके चुने हुअे प्रतिनिधियोंकी बनी हुअी संविधान-सभाको तैयार करने देना चाहिये। उस संविधानमें अल्पमतोंके अधिकारोंकी रक्षाके वचन अन्हें संतोषजनक ढंगसे दिये जायेंगे। लड़ाजीके अंतमें अेक गोलमेज परिषद् जैसा सर्वदल सम्मेलन बुलानेकी बात सरकार करती है, तो मैं कहता हूं कि वह इस प्रकारकी लोकसभा भारतको क्यों नहीं करने देती? अल्पमतोंका सवाल अल्पमत और बहुमतवाली जातियोंको घरमें बैठकर निबटाना है। ब्रिटिश सरकारको बीचमें से हट जाना चाहिये। ”

३० नवम्बरको कार्यसमिति जब अिलाहाबादमें मिली तब उसने अपनी बैठकमें इसी आशयका प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्तावमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकारने युद्ध-संबंधी अपने अुद्देश्योंकी घोषणासे वचनेका प्रयत्न किया है और अप्रस्तुत प्रश्नोंकी आड़ ले ली है। असका अर्थ कांग्रेस तो यही करती है कि देशके प्रतिगामी तत्त्वोंके साथ मिलकर ब्रिटेन भारत पर अपना साम्राज्यवादी आधिपत्य कायम रखना चाहता है। यह भी कहा गया कि साम्प्रदायिक और दूसरी मुसीबतोंको लोकतांत्रिक ढंगसे हल करनेका अेकमात्र कारगर साधन संविधान बनानेवाली लोकसभा ही है। यह लोकसभा असा संविधान तैयार कर सकेगी जिसमें अल्पमतोंके हकोंकी रक्षा संतोषजनक ढंगसे की जायगी। अल्पमतोंके अधिकारों संबंधी किसी मामलेमें आपसी समझौतेसे निबटारा न हो तो दोनों पक्षोंको मान्य किसी बहुत अूचे दर्जेके पंचको वह सौंपा जा सकेगा। यह लोकसभा तमाम वयस्क मनुष्योंके मताधिकारके आधार पर चुनी जानी चाहिये। इस समय जिन अल्पमतोंको अलग मताधिकार प्राप्त हैं वे यदि चाहें तो अुनके लिये वह कायम रखा जाय। लोकसभामें अुनके सदस्योंकी संख्या अुनके संख्याबल प्रतिबिंब-स्वरूप होनी चाहिये।

असका विलायतके तमाम राजनीतिज्ञों और अग्रगण्य अखबारोंने भी जबरदस्त विरोध किया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंमें से सिर्फ सर स्टेफर्ड क्रिप्सने कांग्रेसका पूरी तरह समर्थन किया। यह अके अल्लेखनीय बात है। वे १९३९ के अन्तिम महीनोंमें हिन्दुस्तान आये और अन्होंने गांधीजी, जवाहरलालजी तथा सरदारके साथ बड़ी लंबी मंत्रणाएँ कीं। अन्होंने देशके महत्वपूर्ण स्थानों पर घूमकर लोकमत जाननेका भी काफी प्रयत्न किया। हिन्दुस्तानसे अंग्लैण्ड जानेके बाद वहांकी पार्लियामेन्टमें अन्होंने जो भाषण दिया और अखबारोंके प्रतिनिधियोंके सामने जो वक्तव्य दिया, वह खास तौर पर अल्लेखनीय है। क्योंकि जब १९४२ में वे यहां समझौतेकी बातचीत करने आये उस समयके अुनके वचनों और अिस समयके वचनोंमें आकाश-पातालका अंतर था। परंतु १९४२ में वे ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि बनकर आये थे और अिस समय स्वतंत्र व्यक्तिके रूपमें आये थे। पार्लियामेन्टमें भाषण देने हुअे अन्होंने कहा था :

“यह दलील की जाती है कि साम्प्रदायिक झगड़ोंके कारण भारतको केन्द्रीय सरकारमें जिम्मेदारी देनेकी संतोषजनक पद्धति ढूंढ़ निकालना कठिन है। मेरे विचारके अनुसार अिस दलीलमें कोअी सार नहीं है। यों तो पोलैण्डके बारेमें भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि वहां रूसी, यहूदी, जर्मन और पोल लोगोंकी आबादी है। जेकोस्लो-वाकियाके विषयमें भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि वहां सुडेटन, जेक और स्लोवाक लोगोंकी आबादी है। परंतु मैं तो यह दलील समझ ही नहीं सकता। यदि हम लोकतंत्रका विचार करते हों तो अिसका अर्थ यह हो जाता है कि अल्पमतकी रक्षा करनेके लिये बहुमतको अुसके अधिकारोंसे वंचित किया जाय। लोकतंत्रमें बहुमतके कुछ अधिकार अवश्य मर्यादित करने पड़ते हैं और अुनसे अैसी मर्यादाओं स्वीकार भी कराअी जा सकती हैं। कांग्रेसने स्वयं यह बात मंजूर की है। परंतु चूँकि हमारी अिच्छा अल्पमतोंकी रक्षा करनेकी है, अिस-लिये हम बहुमतके हक छीन लें यह अुचित नहीं। यदि हम अैसा करने जायं तो सचमुच बहुमतको अल्पमतकी स्थितिमें डाल देते हैं।* ”

* गांधीजीने भी अेक अवसर पर यही बात कही थी : यदि गैरकांग्रेसियोंमें केवल राजाओंको ही नहीं परंतु अुनकी तमाम प्रजाओंको, तमाम मुसलमानोंको, तथा जिन लोगोंका प्रतिनिधित्व हिन्दू महासभा करती हो और जो अपनेको कांग्रेसी न मानते हों अुन सब वर्गोंको गिना जाय तो सचमुच कांग्रेस ही गैर-कांग्रेसी बहुमतके खतरेमें पड़ सकती है।

“यदि हमें लोकतांत्रिक सरकार चाहिये, तो यह आवश्यक है कि अल्पमत बहुमतके शासनके अधीन रहे। हमारे देशमें रोज यही होता है। हम लोकतंत्रकी स्वीकार करें, लोकतांत्रिक पद्धति स्थापित करें, तो कोअी वर्ग, कोअी दल या कोअी जाति बहुमतमें अवश्य आयेगी और लोकतांत्रिक पद्धतिका यह परिणाम हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें पसन्द हो या न हो परंतु अिस समय यह निर्विवाद है कि ब्रिटिश भारतमें कांग्रेस दल बहुमतमें है। . . .

“मैं यह कहना चाहता हूं कि अेक तरफ हम यह दावा करते हैं कि यह युद्ध हम स्वतंत्रता और लोकतंत्रके लिये लड़ रहे हैं; और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्यके अेक भागको, जिसके बारेमें हम स्वीकार करते हैं और गवर्नर जनरल खुद भी स्वीकार करते हैं कि वह स्वराज्यके लिये पूरी तरह योग्य है, यह चीज देनेका अिनकार करते हैं। तब हिन्दुस्तानके लोग यह जरूर कहेंगे कि अनेक अुदाहरणोंमें अिस अेककी वृद्धि हो रही है, जहां ब्रिटेन कहता अेक बात है और करता दूसरी है।

“भारतीय कांग्रेसने हमारे युद्ध-अुद्देश्यों और भारत-संबंधी हमारे अिरादेकी स्पष्टता करनेकी जो मांग की है, अुसका हमें क्या जवाब देना चाहिये? मेरा मुझाव है कि हमारा अुत्तर अिस प्रकार होना चाहिये और वह हमें अभी ही दे देना चाहिये :

(१) भारतवासियोंको विश्वास दिलाना चाहिये कि भारतको स्वराज्य देना हमारा तात्कालिक ध्येय है।

(२) ब्रिटिश भारतके लिये नअी केन्द्रीय धारासभाका चुनाव अभी ही करनेकी हमें स्वीकृति देनी चाहिये। मुझे अुसमें कोअी कठिनाअी दिखाअी नहीं देती। अेक माननीय सदस्य कहते हैं कि भारतमें अिस समय चुनाव नहीं हो सकता। यदि क्वीबेकमें अिस समय चुनाव हो सकता है तो भारतमें क्यों नहीं हो सकता? अधिकारी दूसरे काममें लगे हुअे हों तो चुनावके लिये थोड़े नये अधिकारी रख लिये जायं।

(३) धारासभामें जो दल बहुमतमें आ जाय अुसे सरकार बनानी चाहिये। वाअिसरोंको अुसे अपनी कार्य-कारिणीके रूपमें नियुक्त करना चाहिये।

(४) यह बात सच है कि कानून और वर्तमान संविधानके अनुसार कार्यकारिणी सभाको मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता।

परंतु ब्रिटिश सरकार यह विश्वास दिला दे कि धारासभाके निर्वाचित सदस्योंमें से बनायी गयी कार्यकारिणीको वाजिसरॉय तमाम महत्त्वके मामलोंमें मंत्रिमंडलके जैसा ही मानेंगे। अर्थात् जैसे राजा मंत्रिमंडलकी सलाह मानता है वैसे ही वाजिसरॉय भी इस कार्यकारिणीकी सलाह स्वीकार करेगा। असा करनेसे इस पृथ्वीकी कौनसी चीज हमें रोक सकती है?

“फिलहाल असी व्यवस्था कर दी जाय और यह वचन दे दिया जाय कि युद्ध समाप्त होनेके बाद पूर्ण स्वराज्य दे दिया जायगा, तो मैं विश्वासपूर्वक मानता हूं कि संसारमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र स्थापित करनेके हमारे प्रयत्नमें हिन्दुस्तानके लोगोंका हार्दिक सहयोग हमें मिलेगा। हम अपनी इस घोषणासे केवल ब्रिटिश भारतका दिल ही नहीं जीत लेंगे, परंतु मैं मानता हूं कि सारी दुनिया हमारे इस कामका एक महान और सच्चे लोकतंत्रवादी राष्ट्रके एक महान कृत्यके रूपमें स्वागत करेगी।”

असके बाद युनाइटेड प्रेसको मुलाकात देते हुअे सर स्टेफर्डने बताया था :

“कांग्रेसकी मांग राष्ट्रीय मांग है। असमें सारे लोकमत आ जाते हैं। वह भारतीय आम जनताका घोषणापत्र है। फिर भी यह भय रहता है कि ब्रिटिश सरकार इस प्रकारके घोषणापत्रकी अवहेलना करेगी। इसका परिणाम यह होगा कि हम सविनय कानून-भंगको प्रोत्साहन देंगे। कांग्रेस मानती है कि असकी मांगके समर्थनमें सारी जनताका नैतिक बल मौजूद है। आज अधिकांश भारतवासी तो आतुरतापूर्वक इसीकी बाट देख रहे हैं कि कांग्रेसकी तरफसे आवाहन किया जाय। उनकी यह अपेक्षा है कि कांग्रेस हमारा नेतृत्व करे। जिन्ना साहबकी भारतके टुकड़े करनेकी योजना आम जनताको पसन्द नहीं है। साथ ही यह भी सही है कि बहुतसे हिन्दुस्तानी यह मानते हैं कि हिंसासे इस आन्दोलनको नुकसान पहुंच सकता है। अपने हिन्दुस्तानके दौरेमें मैं भिन्न भिन्न वर्गोंके भारतवासियोंसे मिला हूं और बहुत बड़े भागके लोगोंने मुझ पर यह छाप डाली है कि हिंसक शब्द दुश्मनोंको नहीं मारते, परंतु हमारे आन्दोलनके प्रति मित्रता रखनेवालोंको ही मारते हैं।

“भारतमें आज हरअेक आदमीके दिलमें, भले वह शिक्षित हो या अशिक्षित, स्वातंत्र्य और न्यायके लिये तमझा जाग अुठी है। वह

आत्मनिर्णयका अधिकार मांगता है। . . . कोअी अिस बातसे अिनकार नहीं कर सकता कि सारे देशमें कांग्रेसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। ब्रिटिश सरकारका जुआ अुसने कभीसे अुतार फेंका होता, परंतु वह मुस्लिम लीगका सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहती है। अिसी-लिये हिन्दुस्तानकी आजादी रुकी हुअी है।”

साम्प्रदायिक प्रश्नके तात्कालिक हलके लिये आपका रचनात्मक सुझाव क्या है, यह पूछने पर सर स्टेफर्डने कहा कि :

“मुझे विश्वास है कि भारतकी मुक्ति संविधान तैयार करनेवाली लोकसभामें ही समाअी हुअी है।”

अिस प्रकरणके संबंधमें गांधीजीकी वाअिसरायके साथ चौथी और आखिरी मुलाकात वाअिसरायके निमंत्रण पर ता० ५-२-’४० को हुअी। २॥ घंटे तक दोनोंने दिल खोलकर बातचीत की। परन्तु कोअी रास्ता नहीं निकल सका। अिसलिये दोनोंकी ओरसे निम्नलिखित सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया गया :

“वाअिसराय महोदयके निमंत्रणके जवाबमें गांधीजी आज वाअिसरायमें मिलने आये। दोनोंमें खूब लम्बी और मित्रतापूर्ण चर्चा हुअी। सारे प्रश्नकी अुन्होंने पूरी तरह छानबीन की। बातचीतका आरम्भ करते हुअे गांधीजीने स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेसकी कार्यसमितिकी तरफसे कोअी आदेश लेकर नहीं आये हैं। अिसलिये अुन्हें अंसी कोअी बात करनेका अधिकार नहीं है जो अुसके लिये बन्धनकारक हो जाय। वे अपनी व्यक्तिगत हैसियतमें ही बात कर रहे हैं।

“सम्राट् महोदयकी सरकारके प्रस्ताव और अिरादे वाअिसराय महोदयने कुछ विस्तारके साथ अुपस्थित किये। प्रथम तो अुन्होंने आग्रहपूर्वक यह बताया कि ब्रिटिश सरकारकी यह आन्तरिक अिच्छा है कि भारतवर्षको जल्दीसे जल्दी औपनिवेशिक स्वराज्य मिले और अुसके प्राप्त होनेके लिये वह अपने अधिकारके भीतर तमाम अुपाय करनेको तैयार है। परंतु अिस मामलेमें कुछ मुद्दोंका निराकरण करनेमें, खास तौर पर रक्षाके मामलेमें, जो कठिनाअियां और गुत्थियां हैं अुनकी ओर अुन्होंने ध्यान दिलाया। अुन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय आने पर भारतके तमाम दलों और हितोंके प्रतिनिधियोंके साथ सलाह-मशविरा करके सारे प्रश्नकी जांच कर लेनेके लिये सम्राट् महोदयकी

सरकार बड़ी अतुल्य है। बीचका समय कम करने और उसे यथा-शक्ति सफलतापूर्वक पार कर लेनेके लिये सम्राट् महोदयकी सरकार बड़ी आतुर है।

“वाजिसराय महोदयने जिस बातकी तरफ भी ध्यान दिलाया, जैसा उन्होंने हाल में ही बड़ोदाके भाषणमें बताया है, कि १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्टकी संघ-योजना यद्यपि फिलहाल स्थगित कर दी गयी है, फिर भी उसमें औपनिवेशिक स्वराज्यके लिये जल्दीसे जल्दी कदम अठानेकी बात शामिल है। उसके साथ संबंध रखनेवाले सभी लोगोंकी सहमतिसे उसका स्वीकार होनेमें जिस चीजसे संबंधित अनेक प्रश्नोंका निराकरण समायोजित हुआ है।

“अनुोंने यह भी कहा कि पिछले नवम्बरमें गवर्नर जनरलकी कार्यकारिणीका अंश समय बताये गये ढंगसे विस्तार करनेकी जो तजवीज अनुोंने रखी थी वह अब भी खुली है। और सम्राट् महोदयकी सरकार उस पर तुरंत अमल करनेको तैयार है।

“संबंधित दलोंकी स्वीकृतिके अधीन रहकर सम्राट् महोदयकी सरकार संघ-योजनाकी बात भी फिरसे छेड़नेको तैयार है, ताकि युद्धके बाद औपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना तुरंत की जा सके और उससे पैदा होनेवाले मुद्दोंका निराकरण आसान हो जाय।

“ये प्रस्ताव जिस वृत्तिसे रखे गये उसकी गांधीजीने कदर की, परंतु साथ ही साफ कह दिया कि उनके विचारके अनुसार उससे कांग्रेसकी मांग संपूर्ण रूपसे पूरी नहीं होती। अनुोंने सुझाया और वाजिसराय महोदयने स्वीकार किया कि ऐसी सूरतमें अपस्थित कठिनायियोंका निराकरण ढूंढनेकी गरजसे अधिक बातचीत फिलहाल बन्द रखी जाय तो ठीक रहेगा।”

मुलाकातके दूसरे दिन अर्थात् ६ फरवरीको अंग्लैण्ड और अमरीकाके पत्रकारोंकी बड़ी मंडली गांधीजीसे मिली। उन पत्रकारोंमें ‘मान्चेस्टर गार्डियन’, ‘न्यूज क्रानिकल’ और ‘टाइम्स’ आदि लन्दनके पत्रोंके और अमरीकाके असोसियेटेड प्रेसके प्रतिनिधि थे। उनके साथ हुयी मुलाकातमें गांधीजीने समझाया कि वाजिसराय और उनके बीच खास मतभेद क्या था :

“वाजिसराय महोदयके प्रस्ताव और कांग्रेसकी मांगके बीच खास फर्क यह है कि वाजिसराय महोदयके प्रस्तावमें भारतके भविष्यके संबंधमें अन्तिम निर्णय करनेका अधिकार ब्रिटिश सरकारके हाथमें रखा गया है, जब कि कांग्रेसकी कल्पना जिससे बिलकुल अल्टी ही है।

कांग्रेसकी दृष्टिसे सच्ची स्वतंत्रताकी कसौटी ही यह है कि भारतवासी अपना भविष्य बिना किसी प्रकारके बाहरी हस्तक्षेपके निश्चित करें। जब तक यह मुख्य मतभेद न मिट जाय और अंग्लैण्ड सही मार्ग पर न आ जाय, यानी यह न मान ले कि भारतको स्वयं अपना संविधान तैयार करने और अपना दर्जा तय करने देनेका समय आ पहुंचा है, तब तक भारत और अंग्लैण्डके बीच शांतिमय और सम्मानपूर्ण समझौता होनेकी कोअी संभावना मुझे दिखायी नहीं देती। अतना हो जाय तो बादमें देशकी रक्षा, अल्पमतों, राजाओं और गोरोंके हितोंके सब सवाल अपने आप हल हो जायेंगे।”

वाअिसरायके साथ हुआ मुलाकातके बारेमें विवेचन करते हुअे गांधीजीने ‘हरिजन’ में लिखा :

“जितनी स्पष्टतासे वाअिसराय महोदयने ब्रिटिश नीतिका निरूपण किया, अतनी ही स्पष्टतासे मैंने कांग्रेसकी नीतिका निरूपण किया। जहां तक मैं जानता हूं मंत्रणा सदाके लअे बन्द हो चुकी नहीं कही जा सकती। अिस बीच हमें प्रचार द्वारा अपनी मांग दुनियाको समझानी चाहिये। भारत ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर बहुतसे अपनिवेशोंमें अेकका दर्जा — अर्थात् संसारकी गैरयूरोपीय जातियोंका शोषण करनेमें हिस्सा बंटानेवालेका पद — नहीं स्वीकार कर सकता। यदि अुसकी लड़ाअी अहिंसा पर आधारित हो तो अुसे अपने हाथ साफ रखने चाहिये। अफ्रीकावासियोंको चूसनेमें और हमारे अपने ही प्रवासी भाअियोंके प्रति होनेवाले अन्याय और अपमानमें हिस्सेदार न बननेका भारतका निश्चय ही तो अुसका स्वतंत्र दर्जा होना चाहिये। अुस दर्जेमें क्या-क्या समाया हुआ है और अुसका स्वरूप कैसा हो, यह ब्रिटेनके आदेशानुसार तय नहीं हो सकता। अिसका निर्णय खुद हमीको अर्थात् भारतके लोगोंके चुने हुअे प्रतिनिधियोंको करना चाहिये। जब तक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अिस बातको निश्चित रूपसे न मान लें, तब तक अुसका अर्थ यही है कि वे अपने हाथमें से सत्ता छोड़ना नहीं चाहते।”

लंदनके दैनिक पत्र ‘डेली हेराल्ड’ ने गांधीजीको तार देकर वाअिसरायकी मुलाकातके बारेमें संदेश मांगा। अुसके जवाबमें गांधीजीने तार दिया जिसमें बताया :

“अुपनिवेशों और हिन्दुस्तानमें कोअी समानता नहीं है। हिन्दुस्तानका अुदाहरण बिलकुल स्वतंत्र और निराला है, यह समझकर

असका विचार करना चाहिये। यह साफ समझ लेनेकी जरूरत है कि जो समस्याओं अपस्थित की जा रही हैं वे सब ब्रिटेनकी पैदा की हुयी हैं। जो कुछ हुआ है वह बेशक साम्राज्यशाहीके लिये आवश्यक था। परंतु यदि साम्राज्यवाद मर जाय तो ब्रिटेनकी पैदा की हुयी समस्याओं अपने आप हल हो जायं। देशकी रक्षाकी समस्या अनमं सबसे बड़ी समस्या है। परंतु ब्रिटेनने भारतको निःशस्त्र क्यों किया है? भारतीय सिपाही अपने ही देशमें विदेशी कैसे बन गये हैं? ब्रिटेनने राजाओंको किसलिये पैदा किया और अन्हें अभूतपूर्व अधिकार किसलिये दिये? बेशक अपना पैर सदाके लिये भारतमें जमाये रखनेके लिये। जबरदस्त युरोपियन हित किसने और क्यों पैदा किये? ये चार साम्राज्यशाहीके आधारस्तंभ थे और आज भी हैं। किसी भी प्रकारका शब्दजाल या प्रपंच इस नग्न सत्यको छिपा नहीं सकता। जब ब्रिटेन भारत परसे अपना अनीतिपूर्ण कब्जा भगीरथ प्रयत्न करके छोड़ देनेका फैसला करेगा, तब असकी अचूक नैतिक विजय होगी। फिर जैसे रातके बाद दिन आता है, वैसे ही असकी दूसरी जीत भी निश्चित होगी। क्योंकि जब असा होगा तब सारे संसारका अन्तःकरण असके पक्षमें हो जायगा। आज जिस तरहकी मिथ्या वस्तु देनेकी बात कही जाती है वसी कोजी भी वस्तु भारतके हृदय या संसारके अन्तःकरणको हिला नहीं सकती।”

अिन सारी संघिवाताओंका सार ता० १०-३-४० को नवसारीमें दिये गये अेक भाषणमें सरदारने अपने विलक्षण ढंगसे अस प्रकार प्रस्तुत किया :

“जिसे नाजीवाद कहते हैं, जिसमें लोकतंत्रका नाश निहित है, असकी भारत जीत नहीं चाहता। भारत मित्रराष्ट्रोंकी पराजय भी नहीं चाहता। असलिये हमने वाजिसरायसे युद्ध-अुद्देश्योंके बारेमें पूछनेका निर्णय किया। असका अुत्तर अभी तक सीधा नहीं मिला है। परंतु अब मिलने लगा है : क्या तुम योग्य हो? जाओ मुसलमानों अर्थात् मुस्लिम लीगके साथ फैसला करके आओ। वह भी हो जायगा तब फिर कहेंगे कि राजाओंसे फैसला करके आओ। वह भी हो जायगा तो फिर यह विचार आयेगा कि यहां अंग्रेजोंके अितने अधिक हित हैं, रेखे है, अितना धन खर्च किया गया है, असका क्या हो। अस प्रकार दो बिलियोंकी तरह वे भारतकी जातियोंको आपसमें लड़ाना चाहते हैं।

“हम स्वीकार करते हैं कि जितने राजा दुनियामें और कहीं नहीं हैं अतने हमारे यहां हैं। हम यह भी स्वीकार करेंगे कि हिन्दू-मुसलमानोंमें मेल नहीं है। हां, धन यहां गड़ा हुआ है। परंतु वह तुम्हारा है या हमारा? अिन सारे झगड़ोंकी जड़ तुम हो। तुमने ये झगड़े पैदा किये हैं। यह हमने अुदाहरण-सहित दिखा दिया है।

“जब साम्प्रदायिक भेद दाखिल किया गया तब हमने बहुत विरोध किया था कि यह साम्प्रदायिक बंटवारा जहरका प्याला है। अब मुसलमान आज यह कहते हैं कि अिसमें हमें कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हिन्दुओंका ही चलता है।

“अिलाहाबादमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, अीसाअी सब अिकट्ठे हुअे और अुन्होंने फंसला किया कि हमें साम्प्रदायिक मताधिकार नहीं चाहिये और मुसलमानोंको जो मांगें सो दे दिया जाय। परंतु फौरन ही वहांसे भारतमंत्रीने मुसलमानोंको तार दिया कि तुम अिसमें शरीक न होना, हम अधिक देंगे। हमने तो अुदाहरण देकर बता दिया कि अंग्रेज ही हमें लड़ाते हैं।

“अंग्रेज तो कहते हैं कि जब तक तुम दोनों आपसमें लड़ते हो, तब तक अल्पमतोंकी रक्षा करनेका भार अीश्वरने हमें सौंपा है। तो फिर यह लड़ाअी भी अीश्वरने तुम्हारे सुपर्द की है। वहीं तुम्हारा फंसला होगा।

“हमने कहा कि तुम घोषणा प्रकाशित करो कि लोकप्रतिनिधि सभा जो निर्णय करेगी वह हम दे देंगे। यह स्वीकार करो तो हम मुसलमानोंके साथ फंसला करके ही अुठेंगे और दुर्भाग्यवश मतभेद हो जायगा तो पंच अुसका निर्णय करेगा। अुन्हें लगा कि अिसका विरोध नहीं किया जा सकता। अिसलिये अब कहते हैं कि राजाओंका क्या होगा? तब हम कहते हैं कि यह तो तुम्हारी रची हुअी सृष्टि है।

“राजाओंके व्यक्तित्वका सवाल ही नहीं अुठता। बात यह है कि अिस समय राजाओंकी संस्थाओंका अन्त आ पहुंचा है। हिन्दुस्तान दुनियाका कोअी घूरा थोड़े ही है? जहां राजा है वहां भी सत्ता तो प्रजाके ही पास है। अभी जो सर्वोपरि सत्ता है अुसके आगे राजा भी झुकते हैं और प्रजा भी झुकती है। परंतु वे कहते हैं कि हमने राजाओंके साथ समझौते किये हुअे हैं। हमें क्या पता कि तुमने किस समय, किस प्रकार, क्या लिखवा लिया है? कांग्रेस यह स्वीकार करनेको

तैयार नहीं कि देशीराज्योंकी प्रजाका अधिकार रत्तीभर भी नष्ट हो। फिर भी तुम यह कहो कि हमारे अितने हित हैं, अितना फौजी हित है, तो अुसका निबटारा हो सकता है। परंतु लड़ाअीमें हार गये तो रामनाम सत्य हो जायेगा और जीत गये तो भी खोलले तो ही जाओगे। अिस लड़ाअीके बाद कोअी राष्ट्र दूसरेके अधीन नहीं रहेगा। विचारोंमें जबरदस्त परिवर्तन होंगे।”

अिस वर्ष कांग्रेसका अधिवेशन मार्चके तीसरे सप्ताहमें बिहार प्रान्तके रामगढ़ नामक स्थान पर हुआ। सरकारके साथ चली बातचीतसे कांग्रेसका युवक वर्ग बिल्कुल अुकता गया था। कांग्रेसमें समाजवादी, साम्यवादी, किसान सभावादी, ट्रेड यूनियनवादी, रॉयवादी जैसे अनेक समूह थे। अुन सबको गांधीजी कांग्रेसकी अहिंसा नीतिका जो अर्थ करते थे वह जरा भी पसन्द नहीं था। गांधीजीका यह विचार भी अुन्हें अुचित नहीं लगता था कि लड़ाअीके समय हमें ब्रिटिश सरकारको परेशान नहीं करना चाहिये। बहुतांका तो यही खयाल था कि सरकारसे जबरदस्त लड़ाअी लड़नेका यही सच्चा मौका है। परंतु साथ ही साथ सबको यह भी लगता था कि लड़ाअीका नेतृत्व गांधीजी करें तो ही हम सारे देशमें आग लगा सकते हैं। सब यह समझते थे कि गांधीजीके बिना देशव्यापी लड़ाअी नहीं लड़ी जा सकती। कार्यसमितिको भी यह तो लगता ही था कि मंत्रियोंसे त्यागपत्र दिलवानेके बाद हम कोअी अग्र कार्रवाअी न करें तो कांग्रेसमें निराशा पैदा होनेका डर है। दूसरी ओर गांधीजी कांग्रेसकी गंदगी, साम्प्रदायिक फूट वगैराकी ओर अंगली अुठाकर जो चेतावनी दे रहे थे वह भी अुन्हें सही मालूम होती थी। अिसलिअे युद्धके कारण पैदा हुआ नाजुक स्थितिके बारेमें और सविनय कानून-भंगके बारेमें रामगढ़ कांग्रेसके प्रस्तावमें यह घोषणा की गयी :

“ भारतको युद्धसे अलग रखने और विदेशी जुअेसे मुक्त करनेके कांग्रेसके संकल्पको अमलमें लानेके लिअे जिन प्रान्तोंमें कांग्रेसका बहुमत था वहांके मंत्रियोंसे कांग्रेसने अिस्तीफे दिलवाये। अिस प्रारंभिक कार्रवाअीके बाद स्वाभाविक रूपमें दूसरा कदम सविनय कानून-भंगका ही आता है। अिसके लिअे कांग्रेस अच्छी तरह संगठित हो जाने पर अथवा अेकाअेक संकट अुपस्थित करनेवाली परिस्थितियां अुत्पन्न होने पर बिना हिचकिचाये तुरन्त वह कदम अुठायेगी। गांधीजीने घोषणा की है कि सविनय कानून-भंग छेड़नेकी जिम्मेदारी वे तभी लेंगे, जब अुन्हें विश्वास हो जायगा कि कांग्रेसी कड़ाअीसे अनुशासनका पालन करने और स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञामें बल्लाये गये रचनात्मक कार्य

करनेको तैयार हूँ। इस बातकी तरफ कांग्रेस सभी कांग्रेसियोंका ध्यान दिलाती है।

“कांग्रेसका प्रयत्न सभी वर्गों और जातियोंके लोगोंका जाति या धर्मका भेदभाव रखे बिना प्रतिनिधित्व और सेवा करनेका है। हिन्दुस्तानकी आजादीकी लड़ाई सभी लोगोंकी मुक्तिकी लड़ाई है। इसलिये कांग्रेस आशा रखती है कि सभी वर्ग और जातियां अुसमें भाग लेंगी। सविनय कानून-भंगका अुद्देश्य सारे राष्ट्रमें बलिदान करनेका जोश पैदा करना है।

“कांग्रेस अपनी महासमितिको और अवसर व आवश्यकता अपुस्थ होने पर कार्यसमितिको यह अधिकार देती है कि अपुरोक्त प्रस्तावको कार्यान्वित करनेके लिये जो कार्रवाजी अुसे ठीक लगे वह कर सकती है।”

कांग्रेसका प्रस्ताव पास हो जानेके बाद अध्यक्षके अनुरोध पर गांधीजीने सारी परिस्थिति पर हृदयस्पर्शी भाषण दिया। अुसके अन्तिम भागमें कांग्रेसियोंको गंभीर चेतावनी दी। वह अंश नीचे दिया जाता है :

“मैं जानता हूँ कि आप मेरे बिना नहीं लड़ेंगे। परंतु आप जान लीजिये कि मैं तो करोड़ों दरिद्रनारायणोंके खातिर ही जीता हूँ और अुन्हींके लिये मरना चाहता हूँ। इसलिये अुनके प्रतिनिधिके नाते ही मैं यहां बैठा हूँ और अुनके प्रतिनिधिकी हैसियतसे ही मैं लड़ सकता हूँ। अुनके प्रति मेरी वफादारी अन्य सब वफादारियोंसे अपूर है। आप मुझे छोड़ दें या पत्थरोंसे कुचलकर मार डालें तो भी मैं चरखा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस क्षण मैं चरखेकी शर्त ढीली कर दूंगा अुसी क्षण मूक दरिद्रनारायणोंके सिर पर बरबादी अुतर आयेगी और अीश्वर मुझसे असका जवाब मांगेगा। इसलिये यदि आपको चरखेमें मेरे जैसा विश्वास अुत्पन्न न हो सकता हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे आप छोड़ दीजिये। चरखा सत्य और अहिंसाका बाह्य प्रतीक है। आपके अन्तरमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा न हो तो चरखा भी आपको न जंचेगा। याद रखिये कि बाहरी और भीतरी दोनों शर्तोंका आपको पालन करना है। आप अन्तरकी शर्तका पालन करेंगे तो विरोधीका द्वेष छोड़ देंगे, अुसके नाशका रास्ता नहीं खोजेंगे, अुसके नाशके लिये कोशिश नहीं करेंगे, परंतु अुसके लिये अीश्वरकी कृपा मांगेंगे। केवल सरकारके कुकर्मोंकी पोथी पढ़नेमें ही ध्यान न लगाविये। क्योंकि अुसके कर्ताघतियोंका हमें हृदय-परिवर्तन करना है। अुन्हें

भी अन्तमें मित्र बनाना है। स्वभावसे तो कोअी भी दुष्ट नहीं होता। और यदि दूसरे हैं तो हम क्या कम हैं? सत्याग्रहके मूलमें यही मनोवृत्ति है। आपको वह स्वीकार न हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिये। क्योंकि मेरे कार्यक्रममें विश्वास रखे बिना और मेरी शर्तें माने बिना आप इसमें पड़ेंगे तो मुझे बरबाद करेंगे, खुद बरबाद होंगे और देशके कामको भी बरबाद करेंगे।”

अिसी अरसेमें और दो घटनाओं हुआँ जिनका अुल्लेख करके यह अच्याय पूरा करेंगे।

रामगढ़-कांग्रेसके समय रामगढ़में ही अेक और बड़ी परिषद् सुभाषबाबूके नेतृत्वमें हुआी। अुसका नाम समझौता विरोधी परिषद् रखा गया था। जिन लोगोंका सुभाषबाबूके मत और विचारोंसे कोअी वास्ता नहीं था अैसे भी बहुतेसे तरह तरहके लोग अुसमें अिकट्ठे हुआे थे। अुन सबको कांग्रेसकी कार्यसमितिके प्रति रोष था, अिसलिये अुन्होंने अुसका, विरोध करनेका यह मौका साधा था। वे लोग कांग्रेस कार्यसमितिके विरुद्ध यह प्रचार कर रहे थे कि वह ब्रिटिश सरकारके साथ समझौता करनेको अेक पांव पर तैयार है; वह देशके हितोंका बलिदान करके भी समझौता कर लेगी। हम अूपर देख चुके हैं कि यदि सम्मानपूर्ण ढंगसे और देशका हितसाधन करते हुआे समझौता हो सके तो अैसे समझौते पर कांग्रेसको कोअी आपत्ति नहीं थी। कांग्रेसकी अुत्सुकता अितनी ही थी कि देशका भला किस तरह हो। परंतु जहां केवल विरोधके नारे लगाने हों वहां स्वाभाविक रूपमें ही लोगोंकी कमी नहीं रहती। अिसलिये सुभाषबाबूकी परिषद् काफी धूमधामसे हुआी और अुसमें जी भरकर कांग्रेसका विरोध किया गया। परंतु सुभाषबाबू खाली विरोध करनेवाले नहीं थे। आगे अवसर पाकर वे भारतसे बाहर चले गये और भारतको स्वतंत्र करनेके अुद्देश्यसे जर्मनी और जापानसे मिल गये। वहां अुन्होंने आजाद हिन्द फौज खड़ी की, परंतु अन्तमें अुनका प्रयत्न असफल रहा। अिस तफसीलमें जानेकी यहां जरूरत नहीं है।

दूसरी महत्त्वकी घटना अिसी अरसेमें लाहौरमें हुआी मुस्लिम लीगकी परिषद् थी। जिन्ना साहब और मुस्लिम लीगके दूसरे नेता कुछ समयसे यह कह रहे थे कि मुसलमान और हिन्दू दो भिन्न राष्ट्र हैं और हिन्दुस्तानके दो टुकड़े किये बिना देशमें शांति स्थापित नहीं की जा सकती। लाहौरमें मुस्लिम लीगके वार्षिकोत्सवमें यह चीज स्वीकार की गयी और पाकिस्तानका प्रस्ताव पास किया गया।

गांधीजी कांग्रेसके दायित्वसे मुक्त हुए

जाड़ोंमें यूरोपकी लड़ाही कुछ धीमी चल रही थी। परंतु १९४० के अप्रैल मासके आरंभमें जर्मनीने पश्चिम पर जबरदस्त आक्रमण शुरू किया। थोड़े ही दिनोंमें बेलजियम, हालैंड, डेनमार्क और नार्वेने अेकके बाद अेक आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसने फ्रांस पर चढ़ाही की। उसकी मददमें अिंग्लैण्डने अपनी तैयार रखी हुआ तमाम फौज फ्रांसमें अुतारी। परंतु फ्रांस और अिंग्लैण्डकी सेनाअें जर्मनीके सामने टिक न सकीं। १४ जूनको फ्रांसका पतन हुआ। ब्रिटिश सेना भारी बरवादी अुठाकर डंकर्कसे बड़ी मुश्किलसे अिंग्लैण्ड वापिस आ सकी। अिससे अिंग्लैण्डमें जबरदस्त खलबली मची। चेम्बरलेनके मंत्रिमंडलने त्यागपत्र दिया और सब दलोंका संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया गया। मिस्टर विन्स्टन चर्चिल प्रधान मंत्री बने। मिस्टर अेमरी भारतमंत्री हुए। जर्मनीने अिंग्लैण्ड पर भारी हवाअी हमला शुरू किया और अिंग्लैण्ड घेरेके जैसी हालतमें फंस गया। फिर भी अिंग्लैण्डके अिस नये मंत्रिमंडलके भारत-सम्बन्धी रवैयेमें कोअी फर्क न पड़ा।

अिस स्थितिमें कांग्रेस कैसा रवैया अस्तियार करे, यह तय करनेका बड़ा प्रश्न कार्यसमितिके सामने आया। १७ जूनको वर्धामें उसकी बैठक हुआ। उस समय यह शंकास्पद था कि अिंग्लैण्ड खुद भी जर्मनीके सामने टिकेगा या नहीं। अिसलिअे भारत विदेशी आक्रमण और भीतरी अव्यवस्थासे अपना बचाव आप ही करनेकी तैयारी रखनेकी स्थितिमें आ पड़ा। कांग्रेसने अंग्रेजोंसे स्वराज्य लेनेके लिअे अहिंसाकी नीति स्वीकार कर रखी थी, परंतु उसने अैसा कोअी निश्चय नहीं किया था कि उसके हाथमें राजसत्ता आ जाने पर देशकी रक्षाके लिअे, विदेशी आक्रमणसे देशका बचाव करनेके लिअे अथवा आन्तरिक अराजकतासे लोगोंकी रक्षा करनेके लिअे वह सेनाका अुपयोग नहीं करेगी।

गांधीजीकी स्थिति अलग थी। अहिंसा अुनके लिअे अेक नीति नहीं, परंतु धर्म था। हर हालतमें अहिंसा पर कायम रहनेका अुनका निश्चय था और अुनका विश्वास था कि देशकी आम जनता अिसमें अुनका पूरा साथ देगी। सितम्बर १९३८ में जब यूरोपमें लड़ाअीके आसार दिखाअी दे रहे थे, तब दिल्लीमें हुआ कार्यसमितिके सामने अुन्होंने यह सवाल खड़ा

किया था कि “कांग्रेसने बीस वर्ष तक अपनी आन्तरिक नीतिके रूपमें अहिंसाको अपनाया है। अब वह समय आ पहुंचा है जब कांग्रेसको अहिंसाके प्रयोगका विस्तृत क्षेत्रमें अमल करनेको तैयार होना चाहिये।” अन्होंने कार्यसमितिके कहा कि “आपको घोषणा कर देनी चाहिये कि स्वतंत्र भारत भी हिंसाको तिलांजलि देगा और देशकी रक्षा करनेके लिये भी सेना नहीं रखेगा।” गांधीजीका अद्देश्य अहिंसाका सन्देश दुनियाको पहुंचाना था। अगर वे अपने देशसे ही अहिंसा स्वीकार न करा सकें तो फिर औरोंके सामने अुसकी बात कैसे कर सकते थे ? परंतु कार्यसमिति यह स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती थी। अुसने अपनी कठिनाअियां गांधीजीके सामने रखीं। अितनेमें म्यूनिकका समझौता हो गया और लड़ाअी स्थगित हो गअी। अिसीलिये यह बात वहीँ रुक गअी। युद्ध छिड़ जानेके बाद १९३९के नवम्बर मासमें फिर गांधीजीको वाअिसरायंसे दुबारा मिलने जाना पड़ा। तब कार्यसमितिके अुन्होंने फिर कहा कि मुझे कांग्रेसका पथप्रदर्शन करनेकी जिम्मेदारीसे मुक्त कर देना चाहिये और अपने ढंगसे अहिंसाके रास्ते चलने देना चाहिये। कार्यसमितिकी प्रार्थना पर अुन्होंने अपना निर्णय फिर मुलतवी कर दिया। रामगढ़-कांग्रेसमें भी यह बात चली थी, परंतु कार्यसमितिके सदस्योंके आग्रहसे स्थगित हो गअी। लेकिन फ्रान्सके पतनके बाद अैसे हालात पैदा हो गये, जिससे कांग्रेस और गांधीजीको अपनी अपनी स्थितिके बारेमें स्पष्ट निर्णय कर लेनेकी जरूरत खड़ी हुअी। व्यक्तिगत रूपमें कार्यसमितिके कुछ सदस्य गांधीजीका साथ देनेको तैयार थे। परंतु अुनका विचार था कि देश अहिंसाको अपना देनेके लिये तैयार नहीं है और देशके प्रति अपनी जिम्मेदारी वे छोड़ नहीं सकते। अिसलिये गांधीजीको अपने रास्ते जानेकी आजादी देना ही अुन्हें ठीक लगा। अपने प्रस्तावमें अहिंसाके प्रश्न पर अुन्होंने यह घोषणा की :

“अद्यपि कार्यसमिति मानती है कि कांग्रेसको स्वतंत्रताकी लड़ाअीमें अहिंसाके सिद्धान्त पर कट्टरताके साथ कायम रहना चाहिये, फिर भी जब तक कांग्रेस जनता पर काफी मात्रामें अहिंसक नियंत्रण न जमा ले और जनता भी संगठित अहिंसाका पाठ काफी मात्रामें पचा न ले, तब तक जिन आदमियोंसे अुसे काम लेना है अुनकी त्रुटियों और अपूर्णताअोके प्रति और साथ ही संक्रान्ति तथा अुथल-पुषलके अिस कालमें आ पड़नेवाली जिम्मेदारी और खतरेके प्रति वह आंखें बन्द नहीं कर सकती। अिस प्रकार अुपस्थित हुअी समस्या पर कार्य-समिति खूब विचार करके अिस निर्णय पर पहुंची है कि वह अन्त तक गांधीजीके साथ नहीं चल सकती। तच्चापि वह यह भी समझती

है कि अन्हें अपने महान आदर्शोंका रास्ता अपने ही ढंगसे तय करनेकी आजादी रहनी चाहिये। असलिये भारतमें तथा दुनियामें इस समय बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अव्यवस्थाकी स्थितिमें कांग्रेसको जो कार्यक्रम और प्रवृत्ति चलानी है उसकी जिम्मेदारीसे कार्यसमिति गांधीजीको मुक्त करती है।”

जवाहरलालजी, सरदार, राजाजी तथा कुछ अन्य सदस्य उपरोक्त प्रस्तावके पक्षमें थे, जब कि श्री राजेन्द्रबातू, डॉ० प्रफुल्ल घोष, कृपालानीजी तथा श्री शंकरराव देव गांधीजीके साथ पूरी तरह जानेको तैयार थे। असलिये अन्होंने कार्यसमितिसे त्यागपत्र दे दिये। परंतु अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजादने अन्हें समझाया कि जब तक ब्रिटिश सरकार हमारी बात मान नहीं लेती तब तक सक्रिय सहायता देने या अहिंसा छोड़ देनेकी बात अपुस्थित नहीं होती। असलिये आपको अभी त्यागपत्र देनेकी जरूरत नहीं है। इस पर वे लोग कार्यसमितिमें बने रहे। परंतु खानसाहब अब्दुल गफ्फार खांको इस प्रकार भी संतोष न हुआ। अन्हें अपने तथा खुदाजी खिदमतगारोंके बारेमें यह विश्वास था कि वे हर हालतमें अहिंसा पर जमे रहेंगे। असलिये वे कांग्रेससे अलग हो गये।

असके बाद २ से ७ जुलाजी तक दिल्लीमें कार्यसमितिकी बैठक हुअी। उसमें असने और भी साफ कर दिया कि कांग्रेसकी मांगें मान ली जायं तो कांग्रेस देशके आर्थिक और नैतिक सभी साधन संगठित करनेका प्रयत्न करेगी और देशके बचावके लिये अपनी पूरी शक्ति खर्च करेगी।

वर्धा और दिल्लीके प्रस्तावों पर विवेचन करते हुअे सरदार और राजाजीके बारेमें गांधीजीने जो अुद्गार प्रगट किये वे अुल्लेखनीय हैं:

“भले इस समय सरदार और मैं अलग रास्तों पर चलते दिखाअी दें, परंतु इससे हमारे हृदय थोड़े ही अलग हो जाते हैं? मैं अन्हें अलग जानसे रोक सकता था, परंतु अँसा करना मुझे ठीक नहीं लगा। राजाजीकी दृढ़ताके विरुद्ध आग्रह करना गलत माना जाता। अन्हें भी मैं रोक सकता था। अँसा करनेके बजाय मैंने अन्हें प्रोत्साहन दिया, देना अपना धर्म समझा। यदि नये दिखाअी देनेवाले क्षेत्रमें अहिंसाका प्रयोग सफल कर दिखानेकी मुझमें शक्ति होगी, असमें मेरा विश्वास बना रहेगा, जनताके बारेमें मेरी जो राय है वह सही होगी, तो राजाजी और सरदार पटेल पहलेकी तरह मेरे साथ ही हाथ अुठायेंगे।”

दिल्लीके प्रस्तावके बारेमें लिखते हुअे अन्होंने कहा :

“पास हुआ प्रस्ताव राजाजीने बनाया था। अपनी भूमिकाके सही होनेके बारेमें मैं जितना निःशंक था, अतने ही वे अपनी भूमिकाके सही होनेके बारेमें निःशंक थे। अुनके आग्रह, साहस और निरभिमानके सामने साथी हार गये। अुनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि वे सरदारको अपने मतका बना सके। यदि मैं राजाजीको रोकना चाहता तो वे अपना प्रस्ताव पेश करनेका विचार तक न करते। परंतु मैं अपने लिये जितनी अुत्कटता और आत्मविश्वासका दावा करता हूं, अुतनी ही अुत्कटता और आत्मविश्वास अपने साथियोंमें भी होना मैं स्वीकार करता हूं।”

सरदारके लिये यह प्रसंग अँसा-वँसा नहीं था। निर्णय पर आनेसे पहले अुन्हें भारी हृदय-मंथनमें से गुजरना पड़ा।

तारीख १९-७-४० को गुजरात प्रान्तीय समितिके सामने अहमदाबादमें दिये गये अपने भाषणमें अुन्होंने अपनी मनःस्थितिका सुन्दर वर्णन किया :

“बापूके लेख आपने पढ़े होंगे। वे लिखते हैं कि सरदार अवश्य लौट आवेंगे। मैं तो कहीं न गया, न आया। मैंने गुजरातके और बाहरके प्रतिनिधिके नाते कार्यसमितिके अपनी राय दी है। देशके बारेमें मेरा निदान गलत होगा तो मेरे जितना आनन्द किसीको न होगा।

“मैंने तो बापूसे कह दिया कि आप हुकम दें कि मेरे पीछे पीछे चले आओ तो मुझे आप पर अितनी श्रद्धा है कि मैं आंखें बन्द करके आपके पीछे दौड़ूंगा। परंतु वे तो कहते हैं कि मेरे कहनेसे नहीं, तुम्हें खुद सूझता हो तो मेरे रास्ते चलो। मैं अुनके रास्ते चल सकूँ तो मुझसे अधिक प्रसन्न और कोअी न होगा। परंतु जो बात मेरी समझमें न आती हो अुसके लिये यह कैसे कह सकता हूं कि मैं अुसे समझता हूं? मुझे या किसीको भी बापूके साथ बेअीमानी नहीं करनी चाहिये।

“मौजूदा परिस्थितिके अहिंसाका संपूर्ण प्रयोग करना कांग्रेसके लिये संभव नहीं। हमारी शक्तिकी अेक मर्यादा है। और देशकी शक्तिके अन्दाजके बारेमें भी बापूके और हमारे बीच मतभेद है। यह अेक व्यक्तिकी बात नहीं है। व्यक्ति तो कितना ही अूँचा अुठ सकता है। परंतु यह सारी संस्थाको साथ लेकर चलनेकी बात है।

“समाज पर अत्याचार करनेवालोंके साथ आवश्यक हिंसा अिस्तेमाल किये बिना काम चला सकना मेरी बुद्धिके बाहर है। यह

समय सिद्धान्तोंकी चर्चाका नहीं है। आप सबको सोचना चाहिये कि भीतरी अव्यवस्था और बाहरी आक्रमणके विरुद्ध लोग हिंसाका अुपयोग चाहते हैं या नहीं ?

“ बापूने यह प्रश्न रखा कि मुझे अपना प्रयोग करनेकी पूरी आजादी होनी चाहिये। अिसके लिये अुन्होंने हमारा त्याग किया है। हमने कहा कि आपके जितनी तेजीसे, वेगसे हम आपके पीछे चल न सकें तो हमें आप पर बोझ नहीं बनना चाहिये।

“ बाहरके लोग अब तक मुझे बापूका अन्धा अनुयायी कहते थे। अैसा मैं बन सकूँ तो मुझे गर्व होगा। परंतु मैं देखता हूँ कि अैसा नहीं है। मैं अब भी अुनसे कहता हूँ कि आप नेतृत्व करें तो हम आपके पीछे चलेंगे। परंतु वे कहते हैं कि आंखें खोलकर अपनी बुद्धिके अनुसार चलो।

“ बापूजी हमसे अंधी वफादारी नहीं चाहते। हमारी शक्ति कितनी है यह हमें अुन्हें साफ साफ कह देना चाहिये। जो चीज कांग्रेसके भीतर नहीं है अुसके लिये ‘है’ कहनेसे काम नहीं चलेगा। अुससे नुकसान होगा। हमने अब तक अहिंसाके प्रयोग किये, यह ठीक किया। परंतु लोगोंमें जो कायरता है, वे जहां खड़े हैं वहांसे आगे नहीं बढ़ सकते, अुसका क्या किया जाय ? यह समय जहांके तहां खड़े रहनेका नहीं है। हमारे लिये चुनाव करनेका समय आ पहुंचा है। आपमें से जो केवल रचनात्मक कार्यमें लगे हुअे हैं और हर हालतमें अहिंसा पर डटे रहना चाहते हैं, अुनके सिर पर हमसे अधिक जिम्मेदारी है। आपका यह खयाल हो कि कांग्रेस गलत रास्ते जा रही है, तो आपको निःशंक अुसका बोझ अुठा लेना चाहिये। मैं तो अवश्य अुसे आपके सिपुर्द कर दूंगा।”

अुसके बाद २७ और २८ जुलाअीको पूनामें कांग्रेस महासमितिकी बैठक हुअी। भारी वादविवादके बाद वर्धा और दिल्लीकी कार्यसमितिके प्रस्ताव मंजूर किये गये। अुन प्रस्तावोंको मंजूर करनेवाला प्रस्ताव ११ विरुद्ध ६३ मतोंसे पास हुआ। राजेन्द्रबाबूने अपना और अपने साथियोंका मत बताया और यह कहा कि हम महासमितिके प्रस्तावका विरोध नहीं करते, परंतु तटस्थ रहते हैं। प्रस्तावका विरोध करनेवालोंने हिंसा-अहिंसाके कारण अुसका विरोध नहीं किया था, परंतु अुनका खयाल था कि अैसा प्रस्ताव पास करनेमें कांग्रेस अपनी कमजोरी दिखा रही है और अुसका लाभ अुठाकर सरकार कांग्रेसको कुचल देगी। क्योंकि अुस समय कअी

प्रान्तोंमें कांग्रेसके मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओंकी बड़ी तादादमें गिरफ्तारियां हो रही थीं। महासमितिकी बैठकमें १८८ सदस्य उपस्थित थे। असलिये राजेन्द्रबाबू और अूनके विचारसे सहमत महासमितिके दूसरे सदस्य तटस्थ रहनेके बजाय प्रस्तावके विरुद्ध मत देते तो प्रस्तावके अुड़ जानेकी पूरी संभावना थी।

अिस प्रस्तावमें यह तो जरूर था कि स्वराज्य-प्राप्तिकी अपनी आन्तरिक लड़ाकीके लिये कांग्रेस अहिंसाकी नीति पर ही कायम है। फिर भी कांग्रेसकी मांग मान ली जाय तो वह ब्रिटेनके पक्षमें रहकर युद्धमें सक्रिय सहायता देनेके लिये तैयार है, अिस प्रस्तावसे लोगोंमें भारी बुद्धिभेद पैदा हो गया। धार्मिक श्रद्धाके रूपमें अहिंसाके सिद्धान्तको माननेवाले बहुत ही थोड़े लोग होंगे। फिर भी कांग्रेसके प्रमुख नेताओंके बीच अिस मामलेमें मतभेद पैदा होनेकी बात लोगोंकी नजरोंमें आये बिना नहीं रही।

३१

व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग, साम्प्रदायिक दंगे और सरदारकी बीमारी

वर्धा और दिल्लीके प्रस्तावोंको महासमितिका समर्थन प्राप्त हो जानेके बाद सरदार और राजाजी तो यही मानते थे कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेसकी मांगें मान लेगी और युद्धमें कांग्रेसकी सक्रिय सहायताका स्वागत करेगी। परंतु ८ अगस्तको वाअिसरायने अपनी घोषणा प्रगट की। अुसमें कांग्रेसके प्रस्तावका स्वागत करनेका कोअी भी चिह्न नहीं था। वाअिसरायने अपनी घोषणामें बताया कि भारतके राजनैतिक नेताओंके साथ और सम्राट् महोदयकी सरकारके साथ सलाह-मशविरा करनेके बाद मुझे यह घोषणा करनेका आदेश दिया गया है कि मेरी कार्यकारिणीमें शामिल होनेके लिये प्रतिनिधित्व रखनेवाले कुछ भारतीयोंको निमंत्रण दिया जाय और युद्धके मामलेमें सलाह देनेके लिये मैं अेक कौंसिल नियुक्त करूं। अल्पमतोंके प्रश्न पर अुन्होंने घोषणा की कि मैं राज्यकी जिम्मेदारी किसी अैसी संस्थाको नहीं सौंप सकता, जिसकी सत्ताको विशाल और बलवान अल्पमत स्वीकार करनेको तैयार न हों। अैसे अल्पमतोंको जबरदस्ती अुसके अधीन बननेके लिये मैं नहीं कह सकता। सार यह कि वाअिसरायकी कार्यकारिणीमें अलग अलग मतों

और विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यक्तियोंको लेकर अुसे कुछ अधिक विस्तृत बनानेके सिवा अुसमें दूसरी कोअी मुद्देकी बात नहीं थी। अुस कार्य-कारिणीको वाअिसरॉयको सलाह देनेके सिवा और कोअी अधिकार नहीं था। अुसकी सलाह वाअिसरॉयको माननी चाहिये, यह बात भी घोषणामें नहीं थी। भारतमंत्री मि० अेमरीने अिसी प्रकारकी घोषणा १४ अगस्तको ब्रिटिश पार्लियामेण्टमें की। पार्लियामेण्टमें अुन्होंने अेक प्रश्नका जो अुत्तर दिया अुससे तो यही जान पड़ता था कि भारतकी परिस्थितिको वे बिलकुल गंभीर नहीं समझते थे। यह सब कांग्रेस कार्यसमितिकी आंखें खोल देनेके लिये काफी था।

१८ अगस्तको वर्धामें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक हुअी। राष्ट्रपतिकी प्रार्थना पर गांधीजी अुस बैठकमें अुपस्थित रहे। पांच दिन तक विचार-विमर्श करनेके बाद कार्यसमितिने अेक लंबा प्रस्ताव पास किया। अुसमें अुसने कहा :

“भारतके लोगोंके विशाल बहुमतकी अिच्छाके विरुद्ध जाकर और परिणामोंकी परवाह किये बिना ब्रिटिश सरकारने अपनी मर्जी भारत पर लादनेका जो निर्णय किया है, अुससे अत्यन्त गंभीर परिस्थिति पैदा हो गअी है। कांग्रेसकी मांगें अस्वीकार करके ब्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानको तलवारके जोर पर अपने कब्जेमें रखनेके निश्चयका सबूत दिया है। अपना यह अुद्देश्य पूरा करनेके लिये अुसने सैकड़ों कार्यकर्ताओंको, जिनमें कांग्रेसके चुने हुअे सेवक हैं, अुस भारत रक्षा कानूनके मातहत जिसे लोकमतका जरा भी समर्थन नहीं है, चुन चुन कर पकड़ लिया है और कांग्रेसकी ताकत तोड़ डालनेके प्रयत्न शुरू कर दिये हैं। ब्रिटिश सरकारको अुसके विपत्तिकालमें परेशान न करनेकी कांग्रेस-नीतिका अनर्थ किया जा रहा है और अुसका तिरस्कार किया जा रहा है। वह कांग्रेसको यह साबित करनेके लिये कि कांग्रेसकी स्थिति सही है और राष्ट्रके सम्मान और स्वातंत्र्यकी रक्षा करनेके लिये लड़ाई करनेको मजबूर कर रही है। हिन्दुस्तानके करोड़ों मूक और श्रमजीवी लोगोंके शुद्ध कल्याण और अुनके द्वारा समस्त दलित मानवताके कल्याणके सिवा कांग्रेसका और कोअी अुद्देश्य नहीं है।

“परिस्थितिकी गंभीरताको ध्यानमें रखते हुअे कार्यसमिति रविवार १५ सितम्बरको महासमितिकी बैठक करनेका निश्चय करती है।

“यह कार्यसमिति तमाम कांग्रेस संस्थाओंको आदेश देती है कि वे अपना काम जोशके साथ करें और खास तौर पर हालमें ही हुयी घटनायें और अनुके बारेमें कांग्रेसकी स्थिति लोगोंको समझावें। सत्याग्रह कमेटियां यह ध्यान रखें कि जिन लोगोंने प्रतिज्ञा ली है वे प्रतिज्ञाकी शर्तोंके अनुसार काम करें और रचनात्मक कार्य तथा कांग्रेसका दूसरा काम चलावें।”

१५ सितम्बरको बम्बईमें होनेवाली महासमितिकी बैठकके लिये सरदार यह मानते थे कि अुसमें सविनय कानून-भंगका प्रस्ताव जरूर पास होगा। उसके लिये गुजरातको तैयार करनेके खातिर वे स्थान स्थान' र भाषण देने लगे। अनुके कुछ अुद्धरण यहां दिये जाते हैं।

तारीख ८-९-'४० को वढवाणकी आमसभामें अुन्होंने कहा :

“लड़ाकी छिड़ी तब कांग्रेसने ब्रिटिश हुकूमतसे कहा, 'हमें पूछे बिना हमारे स्वार्थ या परमार्थके लिये तुमने हमें युद्धमें शरीक मान लिया सो तो ठीक, परंतु अब तो हमें वह परमार्थ समझाओ जिससे हमारा स्वार्थ या परमार्थ जो भी हो अुसे समझकर हम कदम अुठा सकें।' परंतु हमें सीधा अुत्तर नहीं मिला। मीठी मीठी बातें करके साल भर तक बातचीत चलायी। कितनी बार गांधीजीको वाअिसरायँका द्वार खटखटाना पड़ा। परंतु स्वीकार करने लायक कुछ न मिला। हमने खूब धीरज रखा, क्योंकि कठिनायीके समय अुसे तंग करनेका हमारा अिरादा नहीं है।

“परंतु अब धीरजका अन्त आ रहा है। हुकूमत अपना सच्चा रूप प्रकट करने लगी है। अिस समय वह हममें फूट डाल रही है। फूट डालनी हो तो भले ही डाले। परंतु जो राष्ट्रीयता अुत्पन्न हो गयी है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। अभी तो वह विरोधी शक्तियोंको अेकत्रित करके कांग्रेसको कुचल डालना चाहती है। परंतु धीरज रखिये। १५ तारीखको महासमितिकी बैठक होगी तब फैसला हो जायगा।

“अब तक सरकारने जो कुछ किया वह लोगोंको प्रसन्न करके किया है या दबा कर? अेक भी वैधानिक सुधार राजीखुशीसे नहीं किया। कंठप्राणकी नौबत आ गयी तभी किया है। पिछली लड़ायीमें सहायता देनेके बदलेमें रीलेट कानून बनानेसे भी वह नहीं चूकी। अिस लड़ायीके परिणामस्वरूप क्या करनेको रह जायगा यह भगवान जाने।

“ फिर भी देशको आजादी मिलती हो तो कोआी बात नहीं, असा मानकर हम मदद देनेको तैयार हुअे। अिसके लिये हमने गांधीजीका भी विरोध किया। अपनी ३० वर्षकी नीति छोडनेको तैयार हुअे। परंतु वह तभी जब वे अपनी प्रामाणिकताका सबूत दें; खाली जबानी बातोंसे नहीं। हमने मांग की कि केन्द्रीय सरकारमें राष्ट्रीय राज्यतंत्र दाखिल करो। ‘स्टेट्समैन’ जैसे गोरे अखबारने भी कहा कि सरकारमें अगर सच्चे राजनीतिज्ञ होंगे तो वह कांग्रेसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। कांग्रेसने असा प्रस्ताव पहले कभी किया नहीं और न आगे कभी करेगी। अब तो सब कांग्रेसी कहेंगे — ‘अब पछताये होत क्या, जब चिड़ियां चुग गयीं खेत’; ‘तेरा तेल गया तो मेरा खेल गया’।

“ अब तो हम बंबयीमें गांधीजीको नेतृत्व सौंप देंगे और जैसा वे कहेंगे वैसा करेंगे। सरकार क्या करती है सो शांतिसे देखते रहेंगे। भले ही कामचलाअू सरकार कायम की जाय। हमारे तो विदेशी भी दुश्मन नहीं हैं, तब स्वदेशी तो दुश्मन हो ही कैसे सकते हैं? यदि सरकारमें अैसी ताकत हो कि वह जिन्ना और सावरकरको साथ बिटा सके तो फिर करनेको बाकी रह ही क्या जाता है? चूहे और बिल्ली भीतर क्या करते हैं सो हमें तो बाहर रहकर देखना है। वैसे देशमें राष्ट्रीयताकी जो भूख पैदा हो गयी है, अुसे नष्ट करनेवाली शक्ति सारे संसारमें कोआी नहीं है।

“ वर्तमान लड़ायीकी जड़में किसीका पाप होगा तभी तो यह सब हो रहा है? कांग्रेस हुकूमतसे कहती है कि अितना पुण्य कर लो तो अच्छा रहेगा। डेढ़ सौ-वर्षसे हमारी गर्दन पर सवार हो। लेकिन अब अुतर जाओ। वे कहते हैं कि हम अुतर जायेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? अरे भायी, डेढ़ सौ वर्ष तक राज्य करनेके बाद यह पूछते हो तो अब तक तुमने किया क्या? यह तो अुस चौकीदार जैसी बात हुयी, जो मालिकसे पूछता है कि मैं चला जाअूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? पर अिसकी तुझे क्या चिन्ता? तू तो जा। हम या तो दूसरा चौकीदार रख लेंगे या पहरा लगाना सीख लेंगे। परंतु यह चौकीदार तो जाता ही नहीं और बार बार लाठी दिखाता रहता है।

“ दूसरे स्वतंत्र देशों जैसी भारतकी स्थिति होती तो आजकल जैसे टापूमें बन्द होकर गोले खाने पड़ते हैं वैसे ही यहां भी खाने पड़ते ? ”

“हुकूमतका गला दब गया है। तब भी वह हमसे कहती है कि तुम अपना स्वतंत्र राज्य नहीं चला सकते। तुममें फूट है। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। इस नैतिक जिम्मेदारीके परदेके पीछेकी वस्तु भयंकर है। हमारे यहां कौनसे दल और हित हैं, अुनके तो नाम नहीं लेती। परदेमें से तो यह मालूम पड़ता है कि अैसी मुश्किलमें फंसी हुअी हुकूमत जब इस तरह बोलती है तो अुसमें कोअी अीश्वरीय संकेत होना चाहिये। हमें तो जो परिणाम निकले अुसीको देखते रहना चाहिये। हमें निराश नहीं होना है। जाग्रत ही रहना है। ये लोग अिनकार करते हैं, अुसीमें शायद हमारा लाभ होगा।

* * *

“परंतु यह चीज अब बहुत लंबी नहीं चलेगी। जिस वेगसे विनाश हो रहा है अुसी वेगसे होता रहा तो थोड़े समयमें निबटारा हो जायगा। इसमें अनेक पापी शक्तियां नष्ट हो जायेंगी। यह पृथ्वीका भार अुतारनेके लिये प्रकृतिका कोप हुआ है। हमारा कर्तव्य तो अैसा कुछ करना है जिससे फिर संकट आने ही न पाये।”

तारीख ९-९-४० को अहमदाबादकी आमसभामें भाषण देते हुअे सरदारने यह चीज और स्पष्ट शब्दोंमें समझाअी :

“बारह महीने पहले जब यह लड़ाअी शुरू हुअी तब भारतको लड़ाअीमें फंसा दिया गया। इस मामलेमें किसीको नहीं पूछा गया। न राजाओंको पूछा गया, न मुसलमानोंको पूछा गया और न जनताके किसी दल या प्रतिनिधियोंको पूछा गया। कांग्रेसने इसका विरोध किया। जब भारतीय सेना भारतसे बाहर भेजी गअी तब अुसका विरोध करनेके लिये बड़ी धारासभामें से कांग्रेसके प्रतिनिधियोंको वापस बुला लिया गया। यह हम जानते हैं कि जिससे तुम्हारा विरोध है अुससे हमारा भी विरोध है। परंतु इस लड़ाअीमें तुम किसलिये पड़े हो, अुसका स्पष्ट हेतु हमें समझा दो तो हम समस्त भूतकालको भूलकर भी तुम्हें मदद देनेको तैयार हैं। हमसे पूछेताछे बिना तुमने हमें लड़ाअीमें धकेल दिया तो भी हम तुम्हारा साथ देनेको तैयार हैं, यदि हमें यह समझा दिया जाय कि लड़ाअीके बाद तुमने भारतका कुछ न कुछ हित करनेका सोचा है। हमारी इस मांगको सरकारकी तरफसे टालनेकी कोशिश हुअी।

“सच बात यह है कि लड़ाई अकेले यूरोपकी नवरचना करनेके लिये नहीं, बल्कि इसलिये है कि ओशिया और अफ्रीकाके काले लोगोंका बंटवारा किस तरह किया जाय और उन पर शासन किस प्रकार मजबूत बनाया जाय। लड़ाईका यह हेतु स्पष्ट और साफ है।

“ब्रिटेन यह कहता है कि यह लड़ाई हमने छोटे छोटे देशोंकी स्वतंत्रताकी रक्षा करनेके लिये मोल ली है। तब अमरीका और जगतके दूसरे देशोंमें पूछा जा रहा था कि भारतकी स्वतंत्रताका क्या होगा? जब दुनिया भरके देशोंमें यह प्रचार होने लगा तब अिन लोगोंने दूसरी चाल चली। हुकूमतके प्रतिनिधिने भारतके प्रतिनिधियोंको बुलाकर कहा, ‘हम स्वतंत्रता दे देना चाहते हैं। भारत तो हमारे ग्लेका पत्थर बन गया है। परंतु क्या करें? भारत अभी तक स्वतंत्रताके लायक नहीं बन सका है। उसे स्वतंत्रता दे दें तो भारतमें जगह जगह रक्तपात, लूटपाट, और मारपीट वगैरा अराजकता फैल जाय, फोओ जाति सलामत न रहे। अैसा न होने देनेकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।’ इस प्रकारका प्रचार भी वे करने लगे। प्रचारके लिये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अमरीका पहुंचे हैं।

“कांग्रेसने तो कहा था कि हमारी सच्चे दिलकी मदद चाहते हो तो वाअिसरायकी कौंसिलकी बात बन्द करके उसकी जगह सब दलोंकी राष्ट्रीय सरकार बना दो। उसमें कांग्रेसके, लीगके, दूसरे मुसलमानोंके, हिन्दू महासभाके और अन्य दलोंके प्रतिनिधि हों। भले ही उसमें अंग्रेज भी रहें। परंतु यह तंत्र जनताके प्रति जिम्मेदार होना चाहिये। उसीके साथ तुम्हें अितना और कहना चाहिये कि जब लड़ाई बन्द हो जायगी तब भारतके सभी प्रान्तों और दलोंके चुने हुअे प्रतिनिधि जो संविधान तैयार करेंगे उस पर तुम हस्ताक्षर कर दोगे। परंतु अन्होंने तो अेक भी बात न मानी और पहलेवाली वही बात फिरसे कहना शुरू कर दिया। यह तो वाअिसरायकी तीन चार सिविल सर्विसवालोंकी कौंसिलको सिर्फ बड़ी कर देनेकी बात है। उसमें तुम आ जाओ और मदद दो, यही बात है। तुम वाअिसरायके सलाहकार माने जाओगे, फिर भी अन्हें जो कुछ करना होगा वे करेंगे, सारी कुंजियां वाअिसरायके हाथमें ही रहेंगी। अैसी शिवजीकी बरातमें तुम शरीक हो जाओ।

यह कोअी नअी बात नहीं। तीन चार बार जो बात की थी, वही बात वे फिर पेश कर रहे हैं।

“कांग्रेसकी बात साफ है कि अिस लड़ाअीके समयमें वह सरकारको तंग नहीं करना चाहती। परंतु कांग्रेसके प्रस्तावका तिरस्कार किया जाता है। वाअिसरायकी घोषणा तो कांग्रेसकी हस्ती पर अेक बार जैसी है। हो सके सो कर लो, अैसी चुनौती अुसमें गर्भित है। भारतमंत्रोंने जो बात कही है अुसमें भी कुछ नया नहीं है।

“बंबअीकी बैठकमें अेक ही काम करना है। महात्माअीसे कह देना है कि आप वापस आअिये, आप जो बात कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। अब हमें जो वे कहेंगे वही करना है। अुसमे भारतकी शक्तिकी, कांग्रेसकी शक्तिकी परीक्षा हो जायगी। कांग्रेसका अुद्देश्य सही होगा, अुसकी नीयत साफ होगी और अुसने मुल्ककी सच्ची सेवा की होगी तो वह दिख जायेगा। भले ही सत्ता दूसरोंके पास चली जाय। कांग्रेस अैसी जाजम पर नहीं नैटेगी अिस पर कीड़े या जन्तु पड़े हों। नाअीवाद और साम्राज्यवाद यों तो अेकसे ही हैं। अेक प्लेग है तो दूसरा हैजा है। हैजा घरमें है और प्लेग बाहर है।

“हुकूमतने तो हमसे जबरदस्ती यह लड़ाअी खड़ी कराअी है। कांग्रेसके पास अब और कोअी रास्ता नहीं है। आप सबसे अेक अंतिम प्रार्थना है कि यह हमारा आखिरी सौदा है। हमें अेक ही चीज करनी है। वह यह है कि किसीकी हिसा न की जाय, किसीको कष्ट न दिया जाय और स्वाभिमानकी रक्षाके लिये हम सारे कष्ट सह लें। आज जिन्दगीका कोअी मूल्य नहीं है। विमानमें गोले भरकर बहुतसे अुड़ाके प्राणोंको हथेली पर रखकर ले जाते हैं। हजारों मनुष्य जान हथेली पर रखकर चलते हैं। हम भी जब हमारी हस्ती पर हमला हो रहा है तब क्या जवाब दें?

“अिस समय आप कोअी अैसी आशा न रखिये कि कांग्रेस सारे समय नेतृत्व करेगी। हरअेकका अपना कर्तव्य है कि वह लड़ाअीके खुले मैदानमें अुतर आवे। मुझे तो स्पष्ट चिह्न दिखाअी दे रहे हैं कि लड़ाअी आ रही है। अब हम फिर मिलें या न मिलें, भारतके आधुनिक अितिहासकी रचनाकी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है।”

फिर बंबाईमें महासमितिकी बैठक हुयी। १६ सितम्बरको अुसने जो प्रस्ताव पास किया अुसमें हिन्दुस्तानकी तात्कालिक ही नहीं परंतु स्वतंत्र होनेके बादकी नीति भी घोषित की। अस दृष्टिसे वह प्रस्ताव आज भी महत्त्वपूर्ण माना जायगा। प्रस्ताव सारा यहां दिया जाता है :

“हिन्दुस्तानमें पैदा हुयी राजनैतिक गुत्थीको सुलझाने और ब्रिटिश प्रजाके साथ सहयोग करके राष्ट्रका हित-साधन करनेके लिये कार्यसमितिने महात्मा गांधीका सहयोग छोड़कर भी ७ जुलाअीके अपने प्रस्तावमें ब्रिटिश सरकारके सामने अेक तजवीज रखी थी। बादमें महासमितिने पूनामें अुसे मंजूर किया। अुस तजवीजको ब्रिटिश सरकारने जिस ढंगसे ठुकराया है, अुससे निश्चित प्रतीत होता है कि भारतको स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार करनेका भी अुसका अिरादा नहीं है। अुसका बस चले तो वह अस देशको ब्रिटिश शोषणके लिये अनिश्चित अवधि तक अपने अधिकारमें रखेगी। ब्रिटिश सरकारका यह निर्णय बताता है कि वह हिन्दुस्तानसे जबरदस्ती अपना मनचाहा कराना चाहती है। अुसकी अभीकी नीति यह भी बताती है कि अुसने लोगोंके बहुत बड़े भागकी मर्जीके विरुद्ध भारतको जर्मनीके विरुद्ध लड़ाअीमें शामिल कर दिया है और लड़ाअीके लिये अुसके राष्ट्रीय साधनोंका शोषण कर रही है। अुसका विरोध करनेके लिये लोकमतका आजादीसे प्रकट होना वह सहन करनेको तैयार नहीं।

“जो राजनीति भारतके आजादीके जन्मसिद्ध अधिकारसे अिनकार करती है, जो लोकमतको खुल कर प्रकट नहीं होने देती और जिसके परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्रकी अवनति होती है और गुलामी बनी रहती है, अुस राजनीतिको महासमिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। अैसी राजनीति काममें लेकर सरकारने असह्य स्थिति पैदा कर दी है। वह राष्ट्रकी अिज्जत और मूलभूत अधिकारोंकी रक्षाके लिये लड़ाअी छेड़नेको कांग्रेसको विवश कर रही है। गांधीजीके नेतृत्वमें भारतकी आजादीकी रक्षाके लिये अहिंसासे काम लेनेको कांग्रेस प्रतिज्ञाबद्ध है। असिलिये राष्ट्रकी आजादीके आन्दोलनके अस अत्यन्त गंभीर और विषम अवसर पर महासमिति गांधीजीसे प्रार्थना करती है कि जो कदम अुठाना अुचित हो अुसमें वे कांग्रेसका नेतृत्व करें। महासमितिका पूनामें मंजूर किया गया

दिल्लीका जो प्रस्ताव अन्हें असा करनेसे रोकता था, वह अब नहीं रहा, वह रद्द हो गया है।

“महासमिति ब्रिटिश प्रजा और युद्धमें फंसी हुआ अन्य प्रजाओके प्रति भी सहानुभूति रखती है। खतरे और संकटका सामना करनेमें ब्रिटिश प्रजा जो वीरता और सहनशक्ति दिखा रही है, उसकी भी कांग्रेसजन सराहना किये बिना नहीं रह सकते। उनका ब्रिटिश लोगोंके प्रति कोअी द्वेष नहीं हो सकता। अन्हें परेशानीमें डालनेके अिरादेसे कोअी भी काम करनेमें कांग्रेसको उसकी सत्याग्रही भावना रोकती है। परंतु यह स्वेच्छासे स्वीकार किया हुआ संयम अिस हद तक नहीं ले जाया जा सकता कि कांग्रेसकी हस्ती ही मिट जाय। अहिंसा पर बनी हुआ उसकी नीतिका अनुसरण करनेकी उसे पूरी आजादी हो, अिसका आग्रह कांग्रेसको रखना ही चाहिये। फिर भी यदि अहिंसक प्रतिकारकी लड़ाओ अनिवार्य ही हो जाय तो उसे राष्ट्रके स्वातंत्र्यकी रक्षाके लिअे आवश्यक सीमासे आगे ले जानेका फिलहाल कांग्रेसका जरा भी अिरादा नहीं है।

“कांग्रेसकी अहिंसाकी नीतिके बारेमें कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है। उसे देखते हुआ यह महासमिति फिर साफ साफ कह देना चाहती है कि यह गलतफहमी पहलेके जिन प्रस्तावोंसे हुआ हो उनमें कुछ भी कहा गया हो, कांग्रेसकी अहिंसाकी नीति कायम है। यह समिति दृढ़तापूर्वक मानती है कि अहिंसाकी नीति और उसका आचरण केवल स्वराज्यकी लड़ाओके लिअे ही आवश्यक नहीं है, परंतु स्वतंत्र भारतमें भी जिस हद तक उसका प्रयोग संभव हो उस हद तक अवश्य किया जाय। अिस समितिका दृढ़ विश्वास है और संसारकी ताजी घटनाओंने बता दिया है कि संसारको यदि यादबस्थली बनाकर आत्मनाश न करना हो और वापस जंगली दशामें न पहुंचना हो, तो संसारमें संपूर्ण शस्त्रत्याग और नयी अधिक न्यायपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक समाज-रचना आवश्यक है। अिसलिअे स्वतंत्र भारत संसारके निःशस्त्रीकरणके पक्षमें ही अपना सारा जोर लायेगा। उसे स्वयं अिस काममें पहल करने और नेतृत्व करनेको तैयार रहना चाहिये। बेशक, अैसे नेतृत्वका आधार बाहर और भीतरकी परिस्थिति पर रहेगा। परंतु भारतकी राष्ट्रीय सरकार शस्त्रसंन्यासकी अिस नीति पर अमल करनेका भरसक प्रयत्न करेगी। कारगर निःशस्त्रीकरणका

और राष्ट्रोंके आपसी झगड़े मिटाकर विश्वशांतिकी स्थापनाका आधार आखिर तो अुन झगड़ोंके और राष्ट्रोंके आपसी संघर्षोंके कारणोंके निवारण पर रहता है। ये कारण अेक देशका दूसरे देश पर आधिपत्य और अेक राष्ट्र या वर्गके हाथों दूसरोंका शोषण रोक कर ही जड़से मिटाये जा सकते हैं। अिस ध्येयकी सिद्धिके लिये भारत शांतिपूर्वक परिश्रम करेगा। अिस ध्येयकी सिद्धिके लिये ही भारतके लोग मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रका पद प्राप्त करना चाहते हैं। जगतकी शांति और प्रगतिके खातिर संसारके स्वतंत्र राष्ट्रोंके संघमें निकट रूपसे सम्मिलित होनेमें भारतकी यह स्वतंत्रता मंगलाचरण सिद्ध होगी।”

अुपरोक्त प्रस्ताव पं० जवाहरलाल नेहरूने पेश किया और सरदारने अुसका समर्थन किया। परंतु दोनोंमें से किसीने भी अुस पर भाषण न करके गांधीजीसे अुस पर बोलनेकी प्रार्थना की। गांधीजीने बड़ा लंबा विवेचन करके युद्ध छिड़नेसे लेकर अब तकका कांग्रेसका रवैया अच्छी तरह समझाया। यह भी समझाया कि मैं ब्रिटेनका अिस युद्धमें बिना शर्त नैतिक समर्थन करनेको तैयार था, तो भी अिस समय सविनय कानून-भंगकी लड़ाकीका नेतृत्व करनेको कैसे तैयार हो गया हूं। गांधीजी और कांग्रेस कहती थी कि हम ब्रिटिश सरकारको अुसके विपत्तिकालमें अधिक परेशानीमें नहीं डालना चाहते। तो फिर अुसके विरुद्ध सविनय कानून-भंगकी लड़ाकी किसलिये? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते थे। अुसकी सफाईमें गांधीजीने अपने भाषणमें कहा :

“मैंने बार बार कहा है कि जिस समय ब्रिटिश राष्ट्र और ब्रिटिश सरकारकी हस्ती ही खतरेमें पड़ गयी है अुस समय अुन्हें परेशानीमें डालनेका अपराध मैं नहीं करूंगा। मैं अैसा करूं तो मेरा सत्याग्रह लज्जित हो, मैं अहिंसाके प्रति बेवफा साबित होअूं और जिस सत्यको मैं प्राणोंसे भी प्रिय मानता हूं अुसका मेरे ही हाथों नाश हो। मुझसे यह नहीं हो सकता। तब वही आदमी सविनय कानून-भंगकी लड़ाकीका भार अुठानेके लिये आपके सामने खड़ा है, अिसका क्या कारण है? अेक समय अैसा आता है जब मनुष्य कमजोरीसे दुर्गुणको सद्गुण मान लेता है। जब अुसे अपने आसपासकी परिस्थितियोंसे और जिस अुद्देश्यके लिये अुसकी हस्ती हो अुससे अलग कर दिया जाता है तो सद्गुण भी दुर्गुण बन जाता है। अिसलिये मुझे लगा कि कांग्रेसकी मददको मैं न दौड़ूं और कांपते

हाथों ही सही, उसकी पतवार न संभालूँ तो मैं अपने प्रति बेवफा साबित होऊँगा। मैं ब्रिटिश लोगोंका पक्का मित्र होनेका दावा करता हूँ। परंतु यदि मैं झूठी शर्मसे या अिस डरसे कि कहीं लोग मेरे बारेमें अुंल्टी राय न बना लें या अिस विचारसे कि अंग्रेज मुझसे नाराज हो जायंगे, अुन्हें यह चेतावनी न दूँ कि अब संयमका सद्गुण ही हमारे लिये दुर्गुण बन गया है, क्योंकि वह कांग्रेसके अस्तित्वको ही मिटा देगा, जिस भावनासे यह संयम रखा गया था अुस भावनाका ही हनन कर देगा, तो अुनके प्रति मेरा व्यवहार अमित्रताका माना जायगा।

“अपने अर्थकी सफाअी किये बिना मैं सरकारके विरुद्ध सविनय कानून-भंगका हथियार नहीं अुठाऊँगा। वाअिसराँयकी पहली घोषणासे लेकर भारतमंत्रीके हालके भाषण तक और अुसके बाद भारत सरकार जो कार्रवाअी कर रही है और जिस नीति पर अमल कर रही है अुन सबका मैं क्या अर्थ करता हूँ, यह मैं वाअिसराँयको बताऊँगा। कुल मिलाकर सरकारके अिन सब कामोंका मुझ पर यह असर पड़ा है कि सारे राष्ट्रके विरुद्ध कुछ न कुछ अनुचित हो रहा है, कुछ न कुछ अन्यायका आचरण हो रहा है और आजादीकी आवाज बन्द हो जानेके किनारे पर है। मैं वाअिसराँयसे कहूँगा कि हमें आपकी परेशान नहीं करना है और न आपके युद्धकी तैयारी संबंधी प्रयत्नमें विघ्न डालना है। हम निर्विघ्न होकर अपने रास्ते जायं, आप अपने रास्ते जाअिये। अहिंसाका पालन हमारे बीचकी शर्त हो। हम यदि लोगोंको अपनी बात समझा सकेंगे तो वे लड़ाअीके काममें कोअी भाग न लेंगे। अिसके विपरीत यदि आप देखें कि हम नैतिकके अलावा कोअी और दबाव काममें नहीं लेते और फिर भी लोग लड़ाअीके काममें सहायता देते हैं तो हमें शिकायत करनेका कारण नहीं रहेगा। राजाओंसे, जमींदारोंसे, अमीर-नारीब किसीसे भी आपको मदद मिले तो भले ही लीजिये, परंतु अपनी आवाज हमें अुन तक पहुंचाने दीजिये। अहिंसा-पालनकी मर्यादाके भीतर रहकर भारतके लोगोंको युद्धके काममें भाग न लेनेकी बात समझानेकी आप हमें पूरी आजादी दीजिये। अिससे आपकी शोभा बढ़ेगी।”

कांग्रेसकी यह लड़ाअी किस निश्चित अुद्देश्यके लिये है, यह समझाने अुअे गांधीजीने कहा :

“ आज पूर्ण स्वाधीनताके लिये सविनय कानून-भंगकी बात करना ध्यर्थ है। जिसकी स्वतंत्रता आज जाअू जाअू कर रही है उससे स्वतंत्रता लेनेके लिये हम क्या लड़ें ? यदि अेक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको स्वतंत्रता दे सकता हो तो भी अंग्रेज तो अस समय स्वतंत्रता देनेकी स्थितिमें नहीं हैं। आज वे लड़ रहे हैं असिलिये अुन्होंने सबके मुंह बन्द कर दिये हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि हम सब अुनके अधीन हैं। में तो हरगिज नहीं हूँ, क्योंकि में जो चाहता हूँ सो कहता हूँ, जो चाहता हूँ सो करता हूँ। सबके लिये वह हक हासिल करनेके लिये लड़ायी लड़नेका यह प्रस्ताव है। वह हक देनेकी अुनकी शक्ति है। वे न दें और अुनकी स्थिति विषम हो जाय, तो अुसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं।

“ लड़ायी लड़नेका यह स्पष्ट मुद्दा है। वाणी-स्वातंत्र्यका अधिकार आजादीकी नींव है। वह न मिले तो आजादी लेनेका मुख्य अुपाय हम खो बैठते हैं। वह छोटी चीज नहीं है। वह महत्त्वकी वस्तु है। वह वस्तु मेरी बुद्धिसे नहीं निकली है। जब में बड़ी परेशानीमें था और अीश्वरसे रास्ता बतानेकी याचना कर रहा था, तब अुसने मुझे वह वस्तु बतायी है।”

२७ और ३० सितम्बरको गांधीजीने वाअिसरायसे मुलाकात की। अुसके परिणामस्वरूप ता० ३०-९-’४० को वाअिसरायने गांधीजीको पत्र लिखा जिसमें कहा :

“ आपकी दलीलें मंने अत्यन्त ध्यान और सावधानीसे सुनीं। वर्तमान परिस्थिति पर भी हमने सूक्ष्म और पूरी चर्चा की। अुसके परिणामस्वरूप आपके सामने यह स्पष्ट कर देना मेरा कर्तव्य हो गया है कि आपने जिस स्वतंत्रताका सुझाव दिया है अुसे देनेकी कार्रवायीका परिणाम भारतके युद्धके प्रयत्नोंमें बाधक हो सकता है। अितना ही नहीं, अुससे ग्रेट ब्रिटेनके युद्ध-संचालनके काममें परेशानी पैदा हुअे बिना नहीं रह सकती। और परेशानीको टालनेके लिये तो कांग्रेस अपने कहनेके अनुसार बड़ी अुत्सुक है। फिर आपने जितना विशाल वाणी-स्वातंत्र्य चाहा है, अुसे दे देनेसे युद्ध-प्रयत्नोंको जो नुकसान पहुंचेगा अुससे — विशेषतः युद्धकी आजकी अत्यन्त नाजूक घड़ीमें — सहमत होना हिन्दुस्तानके अपने हितकी दृष्टिसे भी स्पष्टतः असंभव है।”

अुसी तारीखको गांधीजीने अुनको अुत्तर देते हुअे बताया :

“आपके पत्रके पिछले पंरेके बारेमें तो मैं आपको फिर याद दिलाता चाहता हूं कि परेशान न करनेके रवैयेको आत्मनाश अर्थात् तमाम राष्ट्रीय प्रवृत्तियां बन्द कर देनेकी हृद तक पहुंचा देनेकी धारणा शुरूसे ही नहीं रखी गयी थी। अिन सब प्रवृत्तियोंका अुद्देश्य भारतको शांतिपरायण बनाना और यह बता देना है कि भारतका युद्धमें सम्मिलित होना किसीके — ब्रिटेनके भी — लिअे लाभदायक नहीं हो सकता। मुझे फिर कहना पड़ता है कि अब भी कांग्रेस ब्रिटिश सरकारको अुसके युद्ध-प्रयत्नोंमें परेशान नहीं करना चाहती। परंतु मानवजातिके अितिहासके अिस नाजुक समयमें अिस नीति पर विचारहीनतासे चिपटे रहकर कांग्रेस अपने सिद्धान्तोंसे विमुख होनेकी सीमा तक हरगिज नहीं जा सकती। कांग्रेसके भाग्यमें मरना ही लिखा होगा तो वह अिस प्रकारकी मृत्युका अालिगन भी अपना विश्वास घोषित करते-करते ही करेगी।”

वासिराँयके साथ मुलाकातका कार्यक्रम पूर हो जानेके बाद ११ अक्तूबरको कार्यसमितिकी बैठक हुयी। सदस्योंके साथ गांधीजीकी तीन दिन तक चर्चा हुयी। अुस चर्चाके दौरानमें गांधीजीने सब सदस्योंको सविनय कानून-भंगकी अपनी योजना समझायी। गांधीजीका विचार सरकारके साथ तमाम अनावश्यक संघर्ष टालनेका था, अिसलिअे सविनय कानून-भंगके मामलेमें भी अुन्होंने बहुत अधिक मर्यादायें रखी थीं। कार्यसमितिके कुछ सदस्योंको अितनी अधिक मर्यादायें रखने पर आपत्ति थी। परंतु गांधीजीका बहुत आग्रह था, अिसलिअे अुनुशासनके खातिर यथासंभव सारी मर्यादाओंका पालन करनेके लिअे वे तैयार हो गये।

सविनय कानून-भंगकी लड़ाीके लिअे पहले सत्याग्रहीके रूपमें गांधीजीने विनोबाको चुना। अुन्होंने १७ अक्तूबरको अपने पवनार आश्रममें युद्ध-विरोधी भाषण देकर कानूनका सविनय भंग किया। अुन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अिसलिअे अुन्होंने युद्ध-विरोधी भाषण देते हुअे आस-पासके गांवोंमें दौरा शुरू कर दिया। अन्तमें २१ अक्तूबरको सरकारने अुन्हें पकड़ा और ३ महीनेकी सजा दी।

दूसरे सत्याग्रहीके रूपमें गांधीजीने पंडित जवाहरलालको चुना। अुन्हें सेवाग्राम मिलने बुलाया और यह तय किया कि वे ७ नवम्बरको सत्याग्रह करें। परंतु जब वे गांधीजीसे मिलकर अिलाहाबाद गये तो वहीं ३१ अक्तूबरको अुन्हें पकड़ लिया गया। गांधीजीसे मिलने जानेके पहले

यह जाननेके लिये कि लोगोंकी कितनी तैयारी है और लोगोंको हिदायतें देकर तैयार करनेके लिये अन्होंने अपने प्रांतका दौरा किया था। अिस दौरेमें किये गये अुनके भाषणोंमें से अेक भाषणके लिये अुन्हें चार वर्षकी सजा दी गयी।

गांधीजीने तमाम प्रान्तीय समितियोंको सूचना दी थी कि जिन लोगोंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये हों अुनमें से सविनय कानून-भंगके लिये योग्य माने जानेवाले नाम चुनकर अुनके पास भेजे जायें। योग्यताकी कसौटी यह रखी गयी थी कि सत्याग्रह करनेवाला रचनात्मक कार्यक्रममें माननेवाला और नियमित कातनेवाला होना चाहिये। हिन्दू हो तो अुसके जीवनमें अस्पृश्यता नामको भी नहीं होनी चाहिये। अलबत्ता, अहिंसाका दृढ़ पालन करनेकी शर्त तो थी ही। प्रान्तीय समितियों द्वारा पसंद किये गये व्यक्तियोंमें से गांधीजी जिनका नाम बहाल रखें अुन्हींको सविनय कानून-भंग करना होता था। गांधीजीकी स्वीकृति मिल जानेके बाद सत्याग्रहियोंको अपने अपने जिला मजिस्ट्रेटको अिस प्रकार पत्र लिखकर सूचना देनी पड़ती थी :

जिला मजिस्ट्रेट साहब,
मुकाम

महात्मा गांधीने अुन्हें सौपी गयी सत्याग्रहियोंकी सूचीमें से मेरा नाम चुना है और अपनी सुविधानुसार मुझे सत्याग्रह करनेकी अनुमति दी है। अिसलिये मैं आपको सूचित करनेकी अिजाजत लेता हूं कि . . . वार ता० . . . को . . . बजे . . . गांवमें सत्याग्रह शुरू करनेका मेरा अिरादा है। मैं वहां आमसभामें युद्ध-विरोधी भाषण देकर, नारे लगाकर या पत्रिकाओं लिखकर और बांट कर युद्ध-विरोधी प्रचार करूंगा।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

युद्ध-विरोधी नारोंमें अितना ही कहना होता था कि “अिस युद्धमें ब्रिटिश सरकारको आदमियों या रुपयोंकी मदद देना हराम है।”

अुस समय गांधीजीके दिलमें अनशन करनेके विचार भी अुठते रहते थे। सरदारने ता० १०-११-’४० को अपने जेल जानेकी तारीखकी सूचना देनेवाला और अनशन करनेके लिये यह समय अनुकूल नहीं है यह बतानेवाला निम्नलिखित पत्र गांधीजीको अहमदाबादसे भेजा :

“ पूज्य बापूजी,

“ आज सवेरे बंबाईसे यहां आया। यहां ४-५ दिनका काम है। उसे पूरा करके १५ तारीखको गणेश-पूजन करके १८ तारीखको यात्रा शुरू करनेका अिरादा है। कल सबसे मिलनेके बाद अिसमें कोअी फेरबदल करना जरूरी मालूम होगा तो अेकाध दिनका फेरबदल करूंगा। वैसे यही दिन कायम रखना है। महादेव दिल्लीसे आ जायं तो अुनका अुसी दिन यहां आ जाना अच्छा रहेगा। यहांके लिये थोड़ा विचार कर लेना है। अुसमें भी अुनकी मदद मिलेगी।

“ अिस प्रलयकालमें अनशनकी जल्दी न करके अिस वस्तुको असली रूपमें समझनेके लिये दुनियाको अनुकूल समय मिलना चाहिये। आज जगतमें लोग विकराल पशुओंका-सा रूप धारण कर बैठे हैं। अैसे समय बहुत धीरज और खामोशीकी जरूरत है।

सेवक

वल्लभभाजीके प्रणाम ”

यह तय हुआ कि सरदार सोमवार १८ नवम्बरको शामके ६ बजे अहमदाबादमें आमसभा करके सविनय कानून-भंग करें। १६ तारीखको अुन्होंने अहमदाबादके जिला मजिस्ट्रेटको अिस बातकी सूचना देनेवाला पत्र लिखा। अिस पर १७ तारीखको रातके ९।।। बजे सी० आजी० डी० के अेक अफसरने आकर सरदारको अेक वारंट दिया कि भारत रक्षा कानूनकी धारा १२९ के अनुसार आपको गिरफ्तार किया जाता है और अमी आपको साबरमती जेलमें ले जाना है। अफसरने अुन्हें तैयारीके लिये आधा या पौन घंटा जितना समय चाहिये अुतना देनेके लिये कहा। पुलिसकी मोटर खुली थी और सरदारको दोपहरके बाद बुखार आ गया था, अिस कारण अुन्हें डॉक्टर कानूगाकी बंद मोटरमें साबरमती जेल ले गये। ११ का डंका पड़ने पर वे जेलमें पहुंचे। अुन पर मुकदमा न चला कर अुन्हें नजरबन्दके तीर पर रखा गया। साबरमतीमें वे तीन-चार दिन अकेले लगभग १०४ डिग्री बुखारमें रहे। बादमें साबरमतीसे यरवडा जेलमें ले जाये गये। वहांसे अुन्होंने १८-१२-’४०को महादेवभाजीको जो पत्र लिखा था, अुससे वहांके जीवनका कुछ हाल जाननेको मिलता है :

“ आज अेक महीना पूरा हो गया। तुम १ मास पूर्वं मिलकर गये थे। मेरा साबरमतीसे लिखा हुआ पत्र तुम्हें मिला या

नहीं, अिसका पता नहीं चला । . . . पहले तो पत्रोंके मिलनेमें बहुत गड़बड़ होती थी। शायद अब कुछ ठीक व्यवस्था हुअी होगी। अभी तक मेरे पत्र खुफिया पुलिसके डी० आजी० जी० के मार्फत ही आते जाते हैं, अिसलिये देर हो जाती है। परंतु आशा है कि थोड़े समयमें सब ठीक हो जायगा।

* * *

“अुस अैतिहासिक आमके पेड़के नीचे, जहां बापूका पलंग था, पलंग डालकर पड़ा हूं। और अुसके पास रातको आकाशके नीचे पड़े पड़े तारोंको देखता रहता हूं। जहां बापूने यरवडा मंदिर बनाया था, जहां अनशन किया था तथा पूना-करार पर हस्ताक्षर हुअे थे वहीं आ पड़ा हूं। बापूके स्नान करनेकी जो कोठरी थी, वही कोठरी मंने ली है। मुझे कभी सपनेमें भी खयाल नहीं आया था कि दुबारा अिस पुण्यभूमिमें आकर मुझे रहना होगा। परंतु अीश्वरकी गति अगम्य है। हम रातदिन यहां साथ रहते थे अुसके पुराने चित्र आंखोंके सामने बार बार खड़े हो जाते हैं।

“अिस बार मंडली दूसरी ही तरहकी है, अिसलिये अुस रसका स्वाद जिसने चखा हो वही जान सकता है। फिर भी यह समझ कर दिन बिता रहा हूं कि ‘तुलसी या संसारमें भांत भांतके लोग, सबसे हिलमिल चालिये नदी नाव संजोग।’

“यहां बालासाहब खेर, मंगलदास पकवासा और में—तीनोंने मिलकर नियमित कातनेका क्लब खोल लिया है। परंतु अब पिछली बारके जितना काता नहीं जाता, क्योंकि अब शरीर अुतना काम नहीं देता।

“बैसे सबके खाने-पीनेकी बराबर देखरेख रखता हूं। आठ आदमी अिकट्टे हो गये हैं। बंबअीके छः भूतपूर्व मंत्री, अेक कौंसिलके अध्यक्ष और केन्द्रीय धारासभाके विरोधी नेता (भूलाभाअी) — अितने साथमें हैं। अिसलिये हमारा जीवन ठीक चल रहा है। अीश्वरकृपासे सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।”

* * *

तथापि मुलाकातोंके बारेमें कठिनाअी थी, जो २७-१-४१ के निम्नलिखित पत्रसे प्रगट होती है :

“तुम मिलना चाहते हो। जिस बारेमें अनुमति प्राप्त करनेके लिये डाह्याभाजीने सुपरिन्टेन्डेण्टको पत्र लिखा था। परन्तु हमारी मुलाकातका निर्णय तो सी० आजी० डी० का अुच्च अधिकारी, जिसे डी० आजी० जी० कहते हैं, अुसके हाथमें है। अुसके साथ पत्र-व्यवहार हो रहा होगा। अुसका अभी तक कोअी नतीजा नहीं निकला। जिसलिये जिस पखवाड़ेकी मुलाकात रह गयी। तुम्हें अिजाजत नहीं मिले, तो मैं मुलाकात करना बिलकुल बन्द कर दूंगा। ये लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे मिलनेका क्या कारण है? जिसका अर्थ यह है कि हर बार जब कोअी भी मित्र या संबंधी मिलना चाहे तो डी० आजी० जी० को लिखे और फिर अुसकी अिच्छा हो तो वह अिजाजत दे। संबंधियोंसे मिलनेकी अिजाजत सुपरिन्टेन्डेण्ट दे सकता है। अितना अधिकार अब अुसे दे दिया गया है। परन्तु मेरे तो संबंधी ही मेरे जीवनके साथी हैं, या वे संबंधियोंसे भी मेरे लिये अधिक हैं। अुनसे मिलनेमें आपत्ति हो तो दूसरोंसे मिलकर क्या करूं? बापूकी तबीयत अच्छी होगी। अखबारोंमें फिर अुनके अुपवासकी बात आयी है, जिसलिये वह भय तो अभी तक मौजूद ही है।”

*

*

*

बापूजीके नाम सरदारका ता० २३-४-४१ का पत्र भी यहां दिया जाता है :

“पूज्य बापू,

“महादेवके साथ आपका भेजा हुआ पत्र कल मिला। मेरे पत्र सीधे यहांसे नहीं मिलते। अुन्हें खुफिया पुलिसका अधिकारी सेन्सर करके वापस भेजे तब मिलते हैं, जिसलिये वह पत्र कल मिला। आपके अक्षर देखकर ही सबको बड़ा आनन्द हुआ। बहुत लंबे समय बाद हस्ताक्षर देखनेमें आये, जिसलिये आपसे मिलनेके बराबर ही आनन्द हुआ। मैं बहुत समयसे लिखनेका विचार कर रहा था। परन्तु आप पर अितने अधिक कामका भार है, जिसलिये अुसमें वृद्धि करनेके डरसे महादेवको ही लिखकर संतोष कर लेता था। महादेवको भी लिखनेका विचार छोड़ दिया था। कारण महादेवको मालूम है। जिस बार सप्ताहमें दो पत्र लिखनेकी छूट है। परन्तु वे दो पत्र समय पर नहीं मिलते और अेक पत्रके भीतर

और किसीको अलग पर्चा भी नहीं लिखा जा सकता। इसलिये पत्र लिखनेकी अच्छा भी नहीं होती। डाह्याभाभीकों लिखूं तो साथमें बाबाको और उसकी पत्नीको भी नहीं लिखा जा सकता और लिखूं तो दो पत्र माने जायं। असा नियम होने और समय पर पत्र न मिलनेके कारण यह छूट बहुत अुपयोगी नहीं है। मुलाकातोंमें भी इस बार बड़ी कठिनायी है। इसलिये इसमें भी जेलका बड़ा अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। सरकारकी अिजाजत लेनी पड़ती है और असे प्राप्त करनेमें कितनी कठिनायी होती है, यह महादेवको मालूम है। परंतु आप जानते हैं कि अिन सब बातोंसे मुझे कोयी परेशानी नहीं हो सकती।

“महादेव और देवदास मिल गये, इससे बहुत ही आनन्द हुआ।

* * *

“मैं तो लगभग दिन-रात अुस आमके नीचे रहता हूं। दिनमें जब गर्मी होती है सिर्फ तभी थोड़ी देर कोठरीमें बन्द रहना पड़ता है। बाकी रात-दिन यहीं बिताता हूं। इसलिये निरन्तर आपका स्मरण बना रहता है और अुस समयके पुराने चित्र आंखोंके सामने खड़े होते रहते हैं। कातना भी काफी हो रहा है। अब भूलाभाभी आध घंटा नियमित कातते हैं। हम डेढ़-दो घंटे रोज कातते हैं। परंतु अब मेरे दायें हाथकी कोहनीमें दर्द होने लगा है, इसलिये बायें हाथसे कातना सीख रहा हूं। अतः बायें हाथसे कातनेके लिये चरखेका मोड़िया चाहिये सो भिजवा दीजिये।

“अखबार काफी मिलते हैं, इसलिये खबरें काफी मिल जाती हैं। और अब तो ‘हरिजन’ चालू हो जायगा इसलिये अुसके अुद्धरण भी अखबारोंमें देखनेमें आयेंगे ही। और अुसके भी मिलनेकी आशा तो है ही।

“हमारी चिन्ता न करें। हम समयका काफी अुपयोग कर रहे हैं। वैसे संसारका प्रलयकाल आ गया हो, इस ढंगसे जो संहार चल रहा है अुसे देखते हुअे गीताजीके ११ वें अध्यायके विराट स्वरूपका रात-दिन स्मरण बना रहता है।”

* * *

हमारे देशमें हुअी सत्याग्रहकी सब लड़ाअियोंमें यह लड़ायी बहुत ही ब्यवस्थित और शांतिमय थी। इसका अेक कारण तो यह था कि इसमें

ब्रिटिश सरकारको तंग या परेशान न करनेका खास तौर पर ध्यान रखा गया था। कांग्रेसका जिस युद्धमें स्पष्ट विरोध है और कोअी साथ नहीं है— दुनियाको यह दिखानेके लिये यह सत्याग्रह एक प्रतीकरूप था। दूसरी बात यह थी कि जिस सत्याग्रहमें सारे समय गांधीजी बाहर रहे थे। और सत्याग्रहियोंके चुनाव पर उनका सीधा नियंत्रण रहता था। जिस प्रकार वे ही सत्याग्रहका प्रत्यक्ष संचालन करते थे। कर्मचारियोंको भी असुविधा न हो, जिसलिये धार्मिक त्यौहारोंके दिन और रविवारकी छुट्टीके दिन सत्याग्रह बन्द रखा जाता था। कुछ सत्याग्रहियोंको युद्ध-विरोधी नारे लगाने पर भी सरकार पकड़ती नहीं थी। अन्हें यह हिदायत दी जाती थी कि वे एक गांवसे दूसरे गांव पैदल चल कर दिल्लीकी तरफ कूच करें। रास्तेमें युद्ध-विरोधी नारे लगायें, चरखा चलायें, दूसरोंको सिखायें और खादीका प्रचार करें। जेलोंमें भी नजरबन्द और सजा पाये हुअे अधिकांश कैदी पीजने और कातनेमें बहुत समय बिताते थे। जिस-लिये जिस सत्याग्रहके दौरानमें खादीके काममें बहुत तेजी आयी। मिलका कपड़ा फौजके सिपाहियोंके लिये जाता था जिसलिये देशमें मिलके कपड़ेकी बहुत तंगी होने लगी थी। जिस कारण भी खादीके अपुयोग और कताओके कामको वेग मिला था। सरदारने भी कारावास-कालमें काफी काता था।

अप्रैल १९४१ में जिस समय सरदार यरवडा जेलमें थे, तब अहमदाबादमें जो हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था उसका यहां अल्लेख करना चाहिये। अिन दंगोंके कारण और बरसातमें बाढ़की जो विपत्ति आयी उसके कारण गुजरातमें मजीसे अक्टूबर तक व्यक्तिगत सविनय कानून-भंग मुलतवी कर देना पड़ा। उस अरसेमें देशके अनेक स्थानोंमें जो हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुअे थे, यह दंगा अन्हीका एक अंग माना जा सकता है। अैसी जोरदार अफवाह थी कि मुसलमान जातिके फसादी तत्त्वोंको अुकसानमें कुछ गोरे अफसरोंका हाथ था। दंगोंमें नुकसान तो थोड़ा-बहुत दोनों जातियोंको होता था। अहमदाबादमें हिन्दुओंको अधिक हानि अुठानी पड़ी थी। सब भिलाकर देखें तो वे डर भी गये थे। मुसलमान मोहल्लोंके नजदीक रहनेवाले बहुतसे हिन्दू घरबार खाली करके दूसरे गांव या मोहल्लोंमें रहने चले गये थे। बहुतोंने पुलिसका संरक्षण ढंढा। परंतु वह अितनी मात्रामें न मिला जिससे सलामतीका धीरज रहे। हिन्दू-मुस्लिम अेकताकी ख्यातिवाले अहमदाबादने अिन दंगोंमें अपनी अिज्जत गंवा दी, जिसलिये जेलमें सरदारको बड़ा दुःख हुआ। यह महादेवभाजीके नाम ता० ११-५-४१ को लिखे अुनके निम्न पत्रसे मालूम होता है :

“ यरवडा मंदिर,

११-५-४१

“ प्रिय भाभी महादेव,

*

*

*

“ हमारे लोग क्यों इस तरह होश भूल गये और बिलकुल ही डर गये, यह मैं समझ नहीं सकता। . . . साधारण लोगोंके अितना डर जानेका कारण यही मालूम होता है कि हमारे लोग घरोंमें घुस गये। परंतु तुम्हें तो सारा सच्चा हाल मालूम हो ही गया होगा। जो हुआ सो तो हुआ। दूधके जमीन पर गिर जाने पर रोनेसे क्या लाभ? इसलिये भविष्यका विचार करके इसका अुपाय करना चाहिये। आगे कठिन समय आ रहा है। जिसके साथ हम लड़ने निकले हैं अुसीसे (अर्थात् सरकारसे) सहायताकी आशा रखना निरी मूर्खता होगी। इस मामलेमें तुमने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा।

*

*

*

“ बंबाीमें भी अभी तक आग धधक रही दीखती है। पटनामें अब शांति हो गयी होगी। यह तो देशव्यापी मुसीबत है। यह भी अेक डर था जो सामने आ गया। अीश्वरने जो सोचा होगा वही होगा।

*

*

*

वल्लभभाभीके वन्देमातरम् ”

बाहर आनेके बाद अहमदाबाद जिलेके कार्यकर्ताओंके सामने कांग्रेस भवनमें अुन्होंने निम्नलिखित अुद्गार प्रगट किये, जिनसे इस दुःखकी कल्पना हो सकती है :

“ मैं अहमदाबादसे गया अुस समयका अहमदाबाद आज नहीं है। यहां जो दंगे हुअे अुनमें केवल निर्दोष मनुष्य मारे गये। कुछ लोगोंकी संपत्ति नष्ट हुआ। फिर भी मुझे अधिक दुःख इस बातका हुआ है कि हमारी अिज्जत चली गयी। धन तो मिल सकता है। थोड़ेसे मकान जल गये, थोड़े बाजार जल गये, यह सब तो कल खड़े हो जायेंगे। लोग भिखारी भी बन गये। हिन्दुस्तानमें यों भी भिखारियोंकी कमी नहीं। परंतु जो अिज्जत गयी, आबरू गयी, वह फिर नहीं आ सकती। हमारी यह प्रतिष्ठा थी कि अहमदाबाद

तो व्यापारियोंका, सुलह-शांतिका शहर है। वहां दंगे होनेकी खबर पाकर मुझे जेलमें बड़ा दुःख हुआ था। जिसका कारण पुलिसकी रक्षा मांगनेकी हमारी जादत है। हमारे जितने निर्दोष आदमी मरे उनसे आघे आदमी भी सामना करके मरते तो योग्य होता। अब रक्षाकी विद्या हमें सीख लेनी चाहिये।

“परंतु आपने तो भयंकर भूल करके झगड़ोंकी जांचकी मांग की। अरे कभी हत्यारा भी अपना मुकदमा चलाकर फांसी पर लटकता होगा? वह क्या जांच करेगा? परंतु भूलसे हमें पाठ सीखना चाहिये। गजी हुआ आबरू फिर प्राप्त करनी चाहिये।” दूसरे दिन अहमदाबादकी आमसभामें भाषण देते हुआ अन्होंने कहा :

“जिस शहरमें दंगा हुआ और बाजारमें दिन-दहाड़े मकान जलाये गये। दुकानें लूटनेकी आवाज भी मेरे कानों पर आयी थी। अुससे मुझे जो दुःख हुआ अुसका घाव अभी तक भरा नहीं है। जिस दुःखको मैं हजम नहीं कर सका। अभी तक अुससे मुक्त नहीं हुआ हूं। . . . आपको अेकदम क्या सूझी कि अेक-दूसरेके गले काटने लगे? सौ-अेक निर्दोष आदमी बेमौत मारे गये, जिसके बजाय दस आदमी हिम्मत करके मर जाते तो अंसा कभी नहीं होता। मुझे आपसे कहना चाहिये कि गांधीजीको जिससे खूब दुःख हुआ है। अहमदाबादने दुनियामें अपनी हंसी करायी है।

“फिर सब लोग सरकारके पास गये और अुससे कहा कि जिसकी जांच कीजिये कि यह सब किसने किया? क्या हत्यारा कभी यह जांच करता है कि हत्या किसने की?

“अबिध्यमें कभी भागना मत, हिम्मतसे मुकाबला करना। सारी दुनिया अंसा ही करती है। जिससे आगे गांधीजीका सत्याग्रहका मार्ग भी है। हिन्दू हों या मुसलमान, छाती खोलकर मरो, परंतु अहिंसाका बहाना न ढूंढो। जिन अपद्रवोंमें तो अहिंसाका नामनिशान भी नहीं था। अहिंसाको हमने कायरताको ढांकनेका साधन बना लिया था।”

जेलमें सरदारका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। अंतड़ियां अिकट्ठी होकर कभी कभी अूपर चढ़ जाती थीं। वह पेट पर खाली आंखोंसे भी देखा जा सकता था। अुस समय पीड़ा भी बहुत होती थी। सरकारको लया कि ऑपरेशनके सिवा जिसका कोअी अिलाज नहीं। और ऑपरेशन

खतरनाक था, जिसलिअे वह जिम्मेदारी लेनेके बजाय सरकारने २० अगस्तको अन्हें छोड़ दिया। यह खबर मिलते ही ता० २१ को गांधीजीने अन्हें नीचेका पत्र लिखा :

“मुझे तो डर था ही कि आप छुटेंगे। सरकार करती भी क्या? अब आप बिलकुल अच्छे होकर काममें लगना। काम तो बहुत पड़ा है। ऑपरेशन हुआ बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। समाचार बराबर देते रहिये। मेरे पत्र अधिकारी आपको देते थे?”

परन्तु बम्बयीके डॉक्टरोंका ऑपरेशन करनेका विचार नहीं हुआ। थोड़े दिन अेलोपैथीकी दवा लेनेके बाद होमियोपैथीकी दवा शुरू हुआ।

गांधीजी अुनको सेवाग्राम बुला रहे थे और अपने ‘अस्पताल’ में भरती करने अर्थात् अपनी देखरेखमें प्राकृतिक चिकित्सा करनेका आग्रह कर रहे थे। ता० २२-९-’४१ को अन्होंने सरदारको लिखा :

“मालूम होता है अभी तक आपकी गाड़ी पटरी पर नहीं लगी। १५ दिनमें निश्चयपूर्वक न कहा जा सके तो मैं चाहता हूँ कि आप यहां आ जायं। यदि आने जाने जैसी स्थिति हो गयी हो तो थोड़े दिन यहां रह जाना भी ठीक होगा। जैसा आपको पसंद हो कीजिये। राजेन्द्रवाव् दिनोंदिन अच्छे होते जा रहे हैं। अब रोज आते हैं।”

सरदार नासिक जानंका विचार कर रहे थे। जिसलिअे ता० २५-९-’४१ के पत्रमें गांधीजीने लिखा .

“आपके स्वास्थ्यके लिअे होमियोपैथी जितना मर्यादित समय मांगे अुतना भले ही अुसे दें। हजीराके पानीकी ख्याति तो सुनी है। देवलालीका मुझे पता नहीं। हजीराके माफिक आनेकी सम्भावना अवश्य है। वैसे नैसर्गिक अुपचार तो है ही। परन्तु अुसके पहले हम थोड़े समय मिल तो अवश्य लें।”

होमियोपैथीसे कोअी खास फायदा नहीं हुआ, जिसलिअे सरदार अक्तूबरमें नासिक गये। वहां थोड़े दिन बैठसे अिलाज करवाया। पर कोअी लाभ न हुआ। अन्तमें २० अक्तूबरको वर्धा जाकर गांधीजीके ‘अस्पताल’में भरती हुआ। गांधीजीकी प्राकृतिक चिकित्सासे थोड़ा बहुत फायदा हुआ। परन्तु अुस समय देशकी स्थिति अितनी नाजुक थी कि सरदारके लिअे लम्बे समय तक अेक स्थान पर रहना सम्भव नहीं था। जिसलिअे पहली दिसम्बरको

अन्होंने वर्धा छोड़ दिया। तीसरी दिसम्बरको सरकारने तमाम सत्याग्रही कैदियोंको छोड़ दिया। जिसलिये आगे क्या किया जाय, जिसका विचार करनेके लिये २३ दिसम्बरको बारडोलीमें कार्यसमितिकी बैठक हुयी। वह बैठक सात दिन चली। फिर जनवरीके मध्यमें वर्धामें महासमितिकी बैठक हुयी। तबीयत ठीक न होते हुअे भी सरदार यह दौड़धूप करते ही रहे। गांधीजीका आग्रह तो यह था कि पहले आपको स्वास्थ्य ठीक कर लेना चाहिये। जिसलिये जनवरीके अन्तमें वे सूरतके पास समुद्रतट पर जलवायु परिवर्तनके लिये हजीरा स्थान पर गये। वहां भोजनके प्रयोग और मालिश वगैराके उपचार किये। ता० ७-२-'४२ के पत्रमें गांधीजीने अन्हें लिखा :

“आपकी अंतर्द्वियोंका सिकुड़कर अिकट्टा हो जाना केवल भोजनके अुचित चुनावसे ही मिटेगा, यह विश्वास रखिये। पाखाना जाते समय जरा भी जोर नहीं लगाना चाहिये।”

सरदार जिन दिनों हजीरामें रहे उन दिनों सूरतके राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलका अेक बहुत पुराना काम अन्होंने निबटा दिया। जिस जीवन-चरित्रके पहले भागके अठारहवें अध्यायमें हम देख चुके हैं कि सूरत म्युनिसिपैलिटीने शिक्षाके मामलेमें सरकारके साथ १९२१ में असहयोग किया था और अपनी पाठशालाअें राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलको सौंप दी थीं तथा अुसे म्युनिसिपल कोषसे लगभग अेक लाख आठ हजारकी सहायता दी थी। जिस कार्रवाअीको गैरकानूनी मानकर सरकारने म्युनिसिपैलिटीके असहयोगी सदस्यों पर अुतनी ही रकमका दावा कर दिया था। अदालतने अुस रकममें से सिर्फ ४० हजारकी रकम नाजायज ठहराकर म्युनिसिपैलिटीके असहयोगी सदस्यों पर ४० हजार रुपयेकी डिन्की दे दी थी। सूरतके राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलके नामे यह रकम चली आ रही थी। परन्तु अुसके पास थंडीसी जमीन थी जिसके भाव लडाअीके कारण बढ़ गये थे। सरदारने राष्ट्रीय शिक्षा-मंडलके दूसरे ट्रस्टियोंकी स्वीकृति लेकर वह जमीन बेच डाली और कर्ज चुका दिया।

सरदार हजीरामें थे तब अन्हें जमनालालजीके अवसानके समाचार मिले। जिस पर महादेवभाजीको ता० १२-२-'४२ का नीचेका पत्र लिखकर अन्होंने अपना दुःख अुंडेला और जमनालालजीको श्रद्धांजलि अर्पण की :

“तुम्हारा तार अभी ३ बजे मिला। अुसे पढ़कर हम तो स्तब्ध ही हो गये। मैं अभी बर्धासे आया तब अन्होंने मुझे वचन

दिया था कि १५ फरवरीको गाड़ी या मोटरमें न बैठनेका अनुका व्रत पूरा हो जाता है। उसके पूरा होनेके बाद वे आकर थोड़े दिन मेरे साथ हजीरामें रहेंगे। मृत्यु तो बहुत ही अच्छी हुयी। परन्तु कहावत है कि सौ मर जायं पर सौको पालनेवाला न मरे। यह तो अनेकोंका पालनेवाला चला गया। आज इस देशमें अनेक स्थानों पर अनेक क्षेत्रोंमें काम करनेवाले कितने ही मूक सेवक चुपचाप आंसू बहायेंगे। बापूका सच्चा पुत्र चला गया। जानकी-देवीके सिरका छत्र चला गया। कुटुम्बका रक्षक चला गया। देशका वफादार सेवक चला गया। कांग्रेसका स्तम्भ टूट गया। अनेकोंका मित्र और अनेक संस्थाओंका पोषक चला गया। और हमारा तो सगा भाजी ही जाता रहा। मुझे तो सूना सूना लग रहा है। गोपुरीकी आत्मा ही अुड़ गयी और बेचारी गरीब गायका सच्चा साथी, शेष जीवन अुसीको अर्पण करनेवाला, अचानक चल बसा।

“ओश्वर हमें अुनके अुधरे छोड़े हुअे कामका बोझ अुठानेका बल दे।”

हजीरामें सरदार लगभग सवा महीना रहे होंगे। अितनेमें तो राज-नैतिक मामला अितना अधिक अुग्र बन गया कि अुस अेकांत स्थानको छोड़े बिना अुनके सामने और कोअी चारा ही नहीं रह गया। मार्चके शुरूमें हजीरा छोड़ा। असलिये ता० ७-३-’४२ को गांधीजीने फिर लिखा : “कहीं भी धूमें परन्तु आराम, स्नान व भोजनके समयकी पाबन्दी रखें। वाअिसरायँ यह सब रखते हैं तो हम लोग क्यों न रखें ?” परन्तु सरदारकी दौड़धूप जारी रहती और अुसमें ये सारी सुविधायें कभी कभी नहीं भी मिलतीं। असलिये गांधीजीने ता० १३-४-’४२ के पत्रमें चेतावनी दी : “अंतड़ियां अभी तक ठीक नहीं होतीं, असमें आश्चर्य नहीं। अुन्हें लम्बा आराम मिलना चाहिये।” परन्तु सरदारका तत्त्वज्ञान दूसरा ही था। वे अक्सर कहा करते थे : ‘लम्बे समय तक आराम लेकर अकेले शरीरकी ही रक्षा करते रहनेसे तो काम करते करते थोड़े वर्ष जल्दी मर जाना न्यादा अच्छा है।”

युद्ध भारतके द्वार पर

जिन दिनों सविनय कानून-भंगकी लड़ाई चल रही थी, अन्हीं दिनों सारे विश्वयुद्ध पर बहुत ही बड़ा असर डालनेवाली अेक घटना हुआ जिसका अुल्लेख करना चाहिये। २२ जून, १९४१ को जर्मनीने रूस पर चढ़ाई कर दी। हिटलरका कहना यह था कि १५०० से २००० मीलकी सीमा पर रूसने सेना जमा कर रखी थी, असलिये हमें अपनी रक्षाके लिये रूस पर चढ़ाई करना जरूरी था। जर्मनीका आक्रमण अितना जबरदस्त था कि अुस वक्त तो रूसको पीछे हटना पड़ा। अुसे अपनी राजधानीका केन्द्र भी मास्कोसे बदलकर अधिक भीतरी भागमें ले जाना पड़ा। अैसी स्थितिमें हमारे देशके भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलोंके लोग अलग अलग तरहसे विचार करने लगे। साम्यवादी, जो अब तक अिस युद्धको साम्राज्यवादी युद्ध कहते थे, रूसके जर्मनीके विरुद्ध होते ही अुसे लोकयुद्ध कहने लगे और यह प्रचार करने लगे कि हमें मित्रराष्ट्रोंको पूरी मदद देनी चाहिये। अुधर दूसरे लोग, जिनके दिलमें ब्रिटेनके प्रति दुर्भाव था, गांधीजीको सुझाने लगे कि यह असली मौका है और अिस समय व्यक्तिगत सविनय कानून-भंगके बजाय बहुत बड़े पैमाने पर आपको मामूहिक सविनय कानून-भंग शुरू कर देना चाहिये। परन्तु शत्रुके संकटसे लाभ अुठाना गांधीजीके सत्याग्रही स्वभावको जरा भी पसन्द नहीं हो सकता था। कुछ लोगोंने तो यह भी सुझाव दिया कि अिस समय बड़ी धारासभाके सभी कांग्रेसी सदस्योंको त्यागपत्र दे देने चाहिये और युद्ध-विरोधके मुद्दे पर फिरसे चुनाव लड़ कर दुनियाके आगे हमें साबित कर देना चाहिये कि लोकमत युद्धके विरुद्ध है। अिन सब बातोंका विचार करनेके लिये जेलके बाहर उठे नेता १९ अक्टूबरको वर्धामें जमा हुअे। कांग्रेसकी कार्य-समितिके ११ सदस्य अुस समय बाहर थे। अुनमें से श्री भूलाभाजी देसाजीने अिस प्रश्न पर गांधीजीके सामने खूब बहस की कि अब हमें सविनय कानून-भंग बंद कर देना चाहिये, क्योंकि युद्ध हमारे देशके नजदीक आता जा रहा है। अैसे समय कांग्रेसके सभी नेताओं और कार्यकर्ताओंका जेलके बाहर होना जरूरी है। वर्धामें जिस समय ये चर्चाअें चल रही थीं अुसी समय वाविसरायने अपनी विस्तृत कार्यकारिणीकी रचना की। स्वाभाविक रूपमें ही अुसमें कांग्रेस विरोधी सदस्य दाखिल हुअे। गांधीजी पर अिन दलीलों या सुझावोंका

कुछ भी असर नहीं हुआ और अन्होंने २१ अक्तूबरको जोर देकर जाहिर किया कि छूटे हुअे सत्याग्रही छूटनेकी तारीखसे अेक सप्ताहके भीतर फिर सत्याग्रह करें।

थोड़े समय बाद भारत-सरकारकी तरफसे अखबारोंमें नीचे लिखा अेक वक्तव्य प्रकाशित हुआ :

“भारतका तमाम जिम्मेदार लोकमत हमारी जीत होने तक युद्ध-प्रयत्नोंमें सहायता देनेके लिअे दृढ़ निश्चय कर चुका है। भारत-सरकारको यह विश्वास होनेके कारण वह अिस निर्णय पर पहुंची है कि सविनय कानून-भंग करनेवाले जिन कैदियोंका अपराध केवल औपचारिक अथवा केवल प्रतीक-स्वरूप हो अुन्हें छोड़ दिया जाय। अिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुलकलाम आजादका भी समावेश होता है।”

३-४ दिसम्बरको सारे कैदी छोड़ दिये गये। अिस विषयमें गांधीजीने कहा :

“कैदियोंको छोड़नेसे पहले मैंने जो बात कही थी वही छोड़नेके बाद भी कहता हूं कि जहां तक मेरा संबंध है, सत्याग्रही कैदियोंकी मुक्तिसे मेरे हृदयमें सरकारके प्रति कद्रदानीका अेक भी स्वर नहीं अुठता। परन्तु अब कांग्रेसके अध्यक्ष बाहर आ गये हैं, अिसलिअे अुन्हें कांग्रेसकी कार्यसमिति या महासमितिकी बैठक बुलाकर तय करना चाहिये कि कांग्रेस भविष्यमें कौनसा मार्ग अपनाये।

“तब तक सविनय कानून-भंगका आन्दोलन जरा भी ह्कावटके बिना जारी रहना चाहिये। केवल कार्यसमिति और महासमितिके सदस्य तथा जो लोग बम्बअीकी महासमितिका प्रस्ताव बदलवानेके विचार-वाले हों वे महासमितिकी बैठक होने तक सविनय कानून-भंग न करें।”

गांधीजी १९३४में वर्धा रहने गये अुसके बाद सरदारने अुनके साथ यह व्यवस्था की थी कि वे हर साल लगभग अेक मास गुजरातमें रहें। अुस महीनेमें सरदार अैसा प्रबन्ध करते जिससे गुजरातके तमाम कार्यकर्ता गांधीजीसे मिल लें और अपनी शंकाओं और कठिनाअियोंके संबंधमें गांधीजीका पथदर्शन प्राप्त कर लें। तदनुसार गांधीजी ११ दिसम्बरसे १० जनवरी तक बारडोली आकर रहे। अिसलिअे कार्यसमितिकी बैठक २३ दिसम्बरको बारडोलीमें रखी गअी। बैठक ७ दिन तक चली। अिसमें खूब चर्चायें

हुयीं। उनके अंतमें ता० १६ सितम्बर, १९४० को बम्बयीकी महासमितिके पास हुआ प्रस्ताव कायम रखा गया। परन्तु चर्चके दौरानमें मालूम हुआ कि उस प्रस्तावका अर्थ करनेके बारेमें कार्यसमितिके सदस्योंमें मतभेद फैला हुआ है। इस पर ३० तारीखको गांधीजीने मौलाना साहबको कांग्रेसके अध्यक्षके नाते यह पत्र लिखा:

“कार्यसमितिके हुआ चर्चके दौरानमें मुझे मालूम पड़ गया कि बम्बयीके प्रस्तावका अर्थ करनेमें मैंने बड़ी भूल की थी। मैंने उसका यह अर्थ लगाया था कि कांग्रेस मुख्यतः अहिंसाके कारण वर्तमान तथा अन्य सब युद्धोंमें भाग लेनेसे अिनकार करती है। समितिके अधिकांश सदस्य मेरे अर्थको अस्वीकार करते थे और यह मानते थे कि कांग्रेसका विरोध अहिंसाके कारण होना आवश्यक नहीं। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। बम्बयीका प्रस्ताव दुबारा पढ़कर देखनेसे मुझे मालूम हुआ कि भिन्न मत रखनेवाले सदस्योंकी बात सही थी और उस प्रस्तावमें जो अर्थ मैंने देखा वह उसके शब्दार्थमें से नहीं निकल सकता था। मुझे अपनी वह भूल मालूम हो गयी है, इसलिये जिन कारणोंमें अहिंसा अनिवार्य न हो उन कारणोंके आधार पर युद्ध-प्रयत्नोंके विरोधकी लड़ाईमें कांग्रेसका नेतृत्व करना मेरे लिये असंभव हो जाता है। अुदाहरणार्थ, ब्रिटेनके प्रति द्वेषके कारण युद्ध-प्रयत्नोंका विरोध करनेमें मैं शरीक नहीं हो सकता। उस प्रस्तावमें यह धारणा रही थी कि भारतकी आजादीका विश्वास दिला दिया जाय तो उसकी कीमतके तौर पर युद्ध-प्रयत्नोंमें ब्रिटेनको घन-जनसे साथ दिया जाय। यदि मेरा भी यही मत हो और स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिये हिंसाका प्रयोग करनेमें मेरा विश्वास हो और अितने पर भी स्वतंत्रताके मूल्यस्वरूप युद्ध-प्रयत्नोंमें भाग लेनेसे अिनकार कसं तो मैं मानूंगा कि मैं देशविरोधी आचरण करता हूं। परन्तु मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि केवल अहिंसा ही भारतको और संसारको आत्मनाशसे बचा सकती है। ऐसा होनेसे मैं अकेला होऊं या किसी संस्था या व्यक्तियोंकी मुझे सहायता हो, मुझे अपना जीवनकार्य जारी रखना ही होगा। इसलिये बम्बयीके प्रस्ताव द्वारा मुझ पर डाली गयी जिम्मेदारीसे आप मुझे मुक्त कीजिये। जिन कांग्रेसियों और दूसरोंको मैं चुनूं और जो मेरी कल्पनाकी अहिंसामें श्रद्धा रखनेवाले हों और निश्चित शर्तोंका पालन करनेको तैयार हों, उन्हें लेकर मुझे युद्धमात्रके विरुद्ध अपुदेश देनेके वाणी-स्वातंत्र्यके लिये सविनय कानून-भंग चालू रखना पड़ेगा।

“अस नाजुक समयमें जिनकी सेवाओं अुनके अपने प्रदेशमें लोगोंको धीरज दिलाने और सहायता देनेके कामके लिये जरूरी होंगी अुन्हें मैं सविनय कानून-भंगके लिये नहीं चुनूंगा।”

राजेन्द्रबाबू तथा कुछ अन्य सदस्य तो पूनाकी महासमिति (जुलाबी १९४०) के प्रस्तावके विरुद्ध थे। असिलिये स्वाभाविक रूपमें ही जब बम्बयी महासमितिके प्रस्तावके अर्थके बारेमें सफायी हो गयी तो वे अुस प्रस्तावके भी विरुद्ध हो गये। सरदार यद्यपि पूना महासमितिके प्रस्तावके अंक प्रमुख प्रतिपादक थे, तथापि अुनके विचारोंमें परिवर्तन हो गया था। वे साफ साफ कहते थे कि अंक बार गांधीजीका साथ छोड़ा, परन्तु अब फिर दूसरे रास्ते नहीं जाना है। असिलिये बारडोलीका प्रस्ताव पास हो जानेके बाद अुन्होंने, राजेन्द्रबाबूने, कृपालानीजीने और डॉ० प्रफुल्ल घोषने अंक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित करके महासमितिके सदस्योंसे अपील की कि महासमितिकी अगली बैठकके समय प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रतासे अपनी विवेक-बुद्धि काममें लेकर मत दे।

कार्यसमितिकी बैठक खतम होनेके बाद सरदारने तुरन्त ही बारडोलीमें गुजरात प्रान्तीय समितिकी बैठक बुलायी। प्रान्तीय समितिके सदस्योंके सामने अुस प्रस्ताव पर बोलनेकी सरदारने गांधीजीसे विशेष प्रार्थना की। अुस बैठकमें राजेन्द्रबाबू, कृपालानीजी वगैरा भी अुपस्थित थे। गांधीजीने पहले तो सदस्योंसे पूछा, “आपने बारडोलीके प्रस्तावका अर्थ पूरी तरह समझ लिया है?” बहुतांने हाथ नहीं अुठाये। अस पर गांधीजी बोले :

“तो अुसे मैं आपको संक्षेपमें समझा दूं। अुस प्रस्तावका अर्थ यह है कि युद्धके बाद पूर्ण स्वराज्य देनेका सरकार विश्वास दिलावे तो कांग्रेस अस हुकूमतको जीवित रखनेमें सहायता देगी। यह सौदा पक्का नहीं हो गया है। केवल शर्त पेश की गयी है। परन्तु यदि मुझे अैसा सौदा ही करना न हो तो अुस तरह साफ कह देना चाहिये। आप युद्धमें पूरा साथ देना मंजूर करेंगे तो भारतको लड़ाईके पश्चात् पूर्ण स्वराज्य मिलेगा। अंग्रेज अुसके बाद हिन्दुस्तानमें रहेंगे तो आपकी मेहरबानीसे रहेंगे। आपका युद्ध-विभागका मंत्री जीत होने तक युद्ध चलाये तो आप युद्धके दिनोंमें भी अपना कारबार चला सकेंगे। अैसी शर्तें स्वीकार करना आपको ठीक लगता हो तो आपको बारडोलीका प्रस्ताव मंजूर करना चाहिये। असमें शक नहीं कि लालच बहुत बड़ा है। अुसके खातिर आप कांग्रेसकी नीतिको अुलटवाने और स्वराज्य

खरीदकर उसकी कीमतके तौर पर अहिंसाको छोड़ देनेके लिये तैयार हों, तो आपको यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये। हमारे बड़े बड़े नेता इस प्रस्तावमें शामिल हैं और अन्होंने यह प्रस्ताव बिना सोचे पास नहीं किया है। इसके विरुद्ध यदि कोई यह माननेवाले हों कि अहिंसा अके अनमोल मोती है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता, अहिंसाको देकर स्वराज्य नहीं खरीदा जा सकता, तो अुनकी स्थिति दूसरी ही है। परन्तु यदि आपके मनमें संदेह हो, आपको अैसा लगता हो कि अहिंसासे चिपटे रहनेमें हम अहिंसाको भी खोयेंगे — वयोंकि अुसका पालन करनेकी आपमें शक्ति नहीं है — और स्वराज्य भी खो देंगे, यदि आपका यह खयाल हो कि गांधी अच्छा आदमी तो है परन्तु अुसके साथ अन्त तक न जानेमें ही समझदारी है, तो आपको यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये। वे ही लोग अुसे अस्वीकार कर सकते हैं जिनके मनमें दृढ़ विश्वास हो कि समझदारी, राजनैतिक होशियारी और नीति आदि सब बातोंका विचार करते हुअे यही आवश्यक है कि स्वराज्यके खातिर भी अहिंसाको ठुकराया नहीं जा सकता। अब जो बारडोली प्रस्तावके पक्षमें हों वे हाथ अुठावें।”

३६ सदस्योंने हाथ अुठाये। गांधीजी बोले, “ठीक। अब अहिंसाके आचार्य हाथ अुठायें।” इस वचनमें जो चूनौती थी वह परेशान करनेवाली थी। फिर भी २७ लोगोंने अहिंसाके पक्षमें हाथ अुठाये। दसैक सदस्य तटस्थ रहे। वे गांधीजीसे प्रश्न पूछना चाहते थे। परन्तु गांधीजीने कहा कि “ये मत यों ही सभाका रख जाननेके लिये लिये गये हैं, असलिये तटस्थ सदस्योंको कोई तकलीफ करनेकी जरूरत नहीं।”

सरदारने अव्यक्तके नाते अपसंहार-भाषण देते हुअे कहा :

“अब अधिक कठोर और परीक्षा करनेवाला काल आयेगा। अुस समय हमारे सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयेंगी और हमें बहुतसे काम करने होंगे।

“सरकारका मंह देखनेसे हमारा काम नहीं चलेगा। सरकारको तो अपनी चिंता लगी हुअी है, असलिये अपने लिये हमें खुद ही निर्णय कर लेना पड़ेगा।”

बारडोलीमें प्रस्ताव तो पास हो गया परन्तु कार्यसमितिमें इस बारेमें स्पष्ट मतभेद था। और गांधीजी कांग्रेसका नेतृत्व करनेकी जिम्मेदारीसे पुनः मुक्त हो गये थे। असलिये सारी परिस्थिति पर विचार करनेके लिये

१५ और १६ जनवरीको वर्धामें महासमितिकी बैठक बुलायी गयी। शुरूमें तो सरदार वगैरा कार्यसमितिके जो सदस्य बारडोलीके प्रस्तावसे सहमत नहीं थे उनका तथा गांधीजीका भी विचार महासमितिके मत लेकर जिस प्रस्तावके बारेमें निर्णय करानेका था। परन्तु बादमें गांधीजीने अपना विचार बदल दिया और अन्होंने महासमितिको वह प्रस्ताव मान लेनेकी सलाह दी। गांधीजीका महासमितिवाला भाषण बहुत महत्त्वका होनेके कारण अुसमें से कुछ अंश यहां दिये जाते हैं :

“अब सवाल यह है कि जो चीज आपने पकड़ी अुसे छोड़नेको आप क्यों तैयार हो गये ? स्वराज्य लेनेके बाद क्या करेंगे अिसकी बात नहीं है, परन्तु स्वराज्य लेनेके खातिर यह चीज आप बदलनेके लिये कैसे तैयार हो गये ? आपने तो अिकरार किया था कि स्वराज्य लेनेके लिये अहिंसाके सिवा कोअी अुपाय नहीं है। अब आप अुसे बदलनेको तैयार हो गये हैं। परन्तु अैसा सौदा करके आप पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते। पूर्ण स्वराज्य तो वह है जिसमें गरीबसे गरीबको भी आजादी मिले। वह आजादी आज युद्धमें शामिल होनेसे नहीं मिल सकती। अितना आप समझ लें तो दूसरी बात समझना आसान है। अिस प्रकार मानते हुअे भी मैं आपको यह समझाअूंगा कि आप यह प्रस्ताव स्वीकार कर लें और अिस पर मत लिवाकर समितिके फूट न डलवायें। यह बात अगर आपकी बुद्धिके समा जाये तो आप अुसे मंजूर करें अन्यथा नहीं। आज अैसा समय नहीं है कि सदस्योंको समझा कर अलग अलग मत दिलवाये जायं।

“बारडोलीमें तो मैंने अहिंसाका अपना अर्थ किया था और अुसी कारण मैं कांग्रेसके नेतृत्वकी जिम्मेदारीसे मुक्त हुआ। बारडोलीका प्रस्ताव पास हो जानेके बाद कुछ समय तो मेरे जीमें था कि महासमितिके सामने अुस पर मत लेकर अुसमें विभाजन किया जाय और यह देखा जाय कि मेरा साथ देनेवाले कितने हैं। परन्तु अुसके बाद कअी बातें हुअीं और अुन सबका मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैंने वातावरण देखा, लोगोंकी आलोचना सुनी, अखबारोंकी टीका-टिप्पणी देखी। अिस पर मेरे मनने निश्चय किया कि मेरी अहिंसा यह आदेश देती है कि मैं आपसे यही कहूं कि आप अिसे ‘बुद्धिपूर्वक स्वीकार कीजिये।’ जो सदस्य पूरी तरह मेरे साथ हैं अुनसे मैं कहता हूं कि वे मत ही न दें। परन्तु जो सदस्य अिस प्रस्तावको रद्द कर देना चाहते हों वे भी प्रस्तावको कायम रखनेके लिये मत दें और प्रस्तावको रद्द न होने दें।

“असमें शक नहीं कि कार्यसमिति यह प्रस्ताव पास करके पीछे हटी है। राजाजी यह बात स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि वे तो यह मानते हैं कि मैं भूल कर रहा हूँ। कदाचित् जवाहरलाल भी कहेंगे कि असमें हम पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी यह राय है, तो मेरी भी अपनी राय है। और वह यह है कि हम निश्चित रूपमें पीछे हटे हैं। फिर भी अस प्रस्तावको कायम रखवानेमें मैं अिसीलिअे भाग ले रहा हूँ कि शायद हम अससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे अलग हो कर कुछ भी दावपेंचकी बात किये बिना कहता हूँ कि यह प्रस्ताव कितना भी अपूर्ण हो तो भी आप अिसे स्वीकार कर लीजिये। क्योंकि यह प्रस्ताव कांग्रेसकी मनोदशाको ठीक तौर पर प्रगट करता है। सच पूछा जाय तो अस समय कांग्रेसी अपने मनको अच्छी तरहसे जानते ही नहीं। अस प्रस्तावमें कांग्रेसियोंकी सच्ची मनोदशाका प्रतिबिम्ब पड़ता है।

“मेरे साथियोंको — जैसे सरदार और राजेन्द्रबाबूको — अस प्रस्तावके पास होनेका दुःख है, परन्तु अुन्हें मैं निकलने नहीं दे रहा हूँ। अुनसे मैं कहता हूँ कि आज निकलनेका समय नहीं है। जब समय आ जाय तब निकल जाना।

“कारण यह है कि भविष्यका निर्णय आजसे क्यों किया जाय ? जवाहरलालका युद्ध-विरोध, भले दूसरे कारणसे हो, लगभग मेरे जितना ही है। राजाजी असमें आ जाते हैं, क्योंकि सरकार सचमुच हाथ बढ़ाये तो अुन्हें अपना काम करनेका मौका मिलता है। राजेन्द्र-बाबू जैसे अहिंसक असहयोगियोंके लिये भी डरकी बात नहीं है। क्योंकि जिस दिन सरकार अनुकूल अुत्तर दे अुसी दिन अलग होनेकी बात है न ? तब तक तो अहिंसाका राज्य बना ही हुआ है।

“राजेन्द्रबाबू और सरदार अहिंसाका चाहे अुतना प्रचार करें। अुन्हें कोअी नहीं रोकेगा। अुन्हें भी यह प्रस्ताव पूरी आजादी देता है। साथ ही अस प्रस्तावमें और दूसरे प्रस्तावोंमें लोगोंको जो आदेश दिये गये हैं वे अहिंसाको बढ़ानेवाले हैं।

“अिस अक्त तो हम सब अेक ही नावमें बैठे हैं। तो फिर आप नया प्रस्ताव किसलिअे चाहते हैं ? आप कोअी अहिंसक संस्था तैयार करें तो क्या अुसका काम ‘बोट’ द्वारा चलेगा ? छोटी छोटी बातें ‘बोट’ से होती हैं। परन्तु बड़ी बातें ‘बोट’ से करने लगे तो संस्था टूट जायगी।”

गांधीजीने इस प्रकारका रुख अख्तियार करके और महासमितिका इस तरह मार्गदर्शन करके हिंसा-अहिंसाकी मिथ्या चर्चासे देशको बचा लिया। यह समय भी चर्चाओंका नहीं था। चीन पर जापानका आक्रमण तो वर्षोंसे जारी था, परन्तु चीनको अमेरिकाकी सहायता मिलती थी। शायद उसका बैर चुकानेके लिये जापानने अमेरिकाके फिलिपाइन द्वीपके पर्लहार्वर पर अचानक हमला कर दिया। फिर तेजीसे सिंगापुर, मलाया वगैरा जीत लिये और ब्रह्मदेश पर आक्रमण शुरू कर दिया। उस समय यदि जापान भारत पर आक्रमण कर देता तो अंग्लैण्डकी अंसी ताकत नहीं थी कि वह भारतकी अच्छी तरह रक्षा कर पाता। ब्रह्मदेशसे उसे रातोंरात जो भागना पड़ा उससे लोगोंको उसकी शक्तिका अन्दाज हो गया था। इसलिये भारतके लिये तो आत्मरक्षणका सवाल सबसे बड़ा था। वर्धाकी महासमितिकी बैठक पूरी होनेके बाद सरदारने ता० २३-१-४२ को बारडोलीमें गुजरात प्रान्तीय समितिकी बैठक बुलवायी। उसके सामने भाषण करते हुअे अन्होंने कहा :

“पिछली बैठकके समय जब हम यहां मिले थे, तब मैंने अक बात कही थी कि हम हिंसा-अहिंसाकी बातको ताकमें रख दें और कांग्रेसकी महासमिति (वर्धाकी) जो प्रस्ताव पास करे उस पर भी बहुत चर्चा न करें; परन्तु जो मुख्य प्रश्न है, और जो बहुत गंभीर है, और जिस पर हमारी हस्तीका दारमदार है, उसी प्रश्न पर हम ध्यान दें। देश और प्रान्तकी हालत गम्भीर होती जा रही है। उसके संबंधमें क्या किया जाय यह कठिन सवाल है। इसका हमें खूब विचार करना पड़ेगा। इसलिये मैंने वर्धाके बाद बैठक बुलानेको कहा था।

“महीने भर पहले जो परिस्थिति थी उससे आज परिस्थिति बहुत गंभीर हो गयी है। देहातसे जो समाचार मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि हम अुचित कार्रवायी नहीं करेंगे तो प्रान्तमें अशान्ति खूब बढ़ जायगी। इसके लिये हम सबको जाग्रत रहकर लोगोंमें शान्ति और निर्भयताका वातावरण पैदा करनेके लिये जो कुछ करना पड़े करनेको तैयार रहना चाहिये। असा करते हुअे यदि कोयी कांग्रेसी खप जाय तो कांग्रेस अपना काम कर चुकेगी।

“पिछले पचास वर्षोंसे लोगोंको कृत्रिम शांतिकी आदत पड़ी हुयी है। अब अन्हें अशांतिसे न डरना सीखना है। झूठी अफवायें रोकनी चाहिये और लोगोंको समझाना चाहिये कि सलामती चाहिये तो गांव-गांवमें स्वयं ही बंदोबस्त कर लेना पड़ेगा।

“आपसका बैर भूल जाना चाहिये। अंच-नीचके भेद, स्पृश्य-अस्पृश्यके भेद और अिसी प्रकारके अन्य भेद छोड़ देने चाहिये। लोगोंको अद्य अेक पिताकी संतान बनकर रहना चाहिये। पहले यह स्थिति थी कि गांवके बुजुर्ग गांवके लोगोंको अपने आश्रयमें लेकर बैठते थे और उनुकी रक्षा करते थे। वही स्थिति वापस लानी होगी। सरकार अपनी युद्धकी तैयारीका काम शान्ति-रक्षाको हानि पहुंचाकर भी करेगी। अिसमें हमें सरकारके साथ झगड़ा नहीं करना है। परन्तु आप सरकारके मंहकी तरफ ताकते रहेंगे तो अुससे कुछ नहीं होगा।

“वर्धाका प्रस्ताव हमारे लिये विशेष कामका नहीं है। कुछ मतभेद थे। उनुकी चर्चा अिस प्रकार कर ली कि जिसे जो करना हो सो करे। हमें कोअी विरोध नहीं करना है। विरोधसे फायदा क्या? और वह भी अैसे समय, जब देशकी अितनी गंभीर परिस्थिति है? यदि कोअी स्वराज्य ला सकता हो और ले आये तो हमें बांट तो देगा न? और न मिले तो भी झगड़ा किसलिये?”

ता० २६-१-'४२ को स्वातंत्र्य-दिवस पर बारडोलीमें भाषण देते हुअे सरदारने कहा :

“अिस समय सरकारकी स्थिति 'सात जुड़ें और तेरह टूटें' जैसी है। जिस वेगसे लड़ाअी निकट आ रही है, अुसे देखते हुअे कांग्रेसके सिनाहियोंकी बाहर जरूरत है। अिसलिये व्यक्तिगत सत्याग्रहकी लड़ाअी मुलतवी कर दी गअी है।

“यह युद्ध अैसा है कि अिममें सारी दुनिया खतम भी हो सकती है। पता नहीं यह अंतिम युद्ध है कि अभी अेक और होगा। बादमें दुनियामें समझदारी आ जायगी और वह गांधीजीका कहा मान लेगी। तभी लड़ाअियां वन्द होंगी। अैसा समय आनेवाला है जब बहुत लोग अिसी तरह सोचेंगे और मानेंगे।

“घटनाओं तो भयंकर भी हो सकती हैं, परन्तु उनसे हमें डरना नहीं चाहिये। आज तो समय अैसा है कि कांग्रेसवाले गांव-गांवमें घूमकर झूठी बातोंको फैलनेसे रोकें। हमें किसी प्रकार घबरानेकी जरूरत नहीं। हमारे छप्परों पर कोअी मंहगे वम डालनेवाला नहीं है। हम रूखी-सूखी खाकर जिन्दा रह सकते हैं। अिसलिये अनाज जमा करके रखिये। यह देखते रहिये कि कोअी भूखा न रहे। भुखमरी अुद्देग पैदा करती है। भूखेको काम दीजिये और रोटी दीजिये। हरअेक गांव अपने यहां

पहरेकी व्यवस्था करे। गांवकी पंचायत बनाकर गांवके झगड़े घरमें ही निबटा ले। मेरा संदेश यह है कि कठिन समय आनेवाला है, इसलिये अंच-नीच और जातपातके भेद भूलकर संगठन मजबूत कीजिये और पहरा देनेकी पूरी तैयारी रखिये। अैसे समयमें हम अपने ही चौकीदार होंगे। अैसा समय आ सकता है कि जब बाहरसे चीजें आना बन्द हो जायं। अहमदाबादमें लाखों मजदूर हैं। इस समय मिलोंमें रातपाली बन्द कर दी गयी है, क्योंकि कोयला नहीं मिलता। वहां लकड़ियां जलाने लगे हैं। उसे लानेके साधन भी बन्द हो जायंगे, तब मिलें भी बन्द हो जायंगी। उस समय गांधीजीको याद करेंगे। वे तो बीस वर्षसे कह रहे हैं कि चरखा चलाओ। गांव स्वयं स्वावलंबी बन जायं और रक्षाके लिये भी अन्हें दूसरोंका मुंह न ताकना पड़े, इसीका नाम स्वराज्य है।”

अिस सारे समय सरदारका स्वास्थ्य कमजोर ही रहा। अंतड़ियोंका रोग अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिये लगभग सवा महीने वे हजीरा रह आये। अितने समयमें तो परिस्थिति और भी बिगड़ गयी। लोग बहुत भयभीत दशामें थे। इसलिये हजीरासे लौटनेके बाद गुजरातमें दसेक दिनका दौरा करके अन्होंने लोगोंको धीरज बंधाया और अुनमें शौर्यकी भावना जगायी।

ता० ७-३-४२ को आणंदमें दिये गये भाषणमें अन्होंने कहा :

“महाभारतके युद्धकी कथाअें हमने सुनी हैं। परन्तु महाभारतका युद्ध अिस विश्वयुद्धके सामने कुछ नहीं था। उस समय योद्धा निश्चित किये हुअे क्षेत्रमें लड़ते थे। आजकलकी लड़ाीका क्षेत्र वही नहीं रहा जहां लड़ाी होती है। जितने देश अुसमें फसे हुअे हैं वे सब लड़ाीके क्षेत्र हैं। समुद्रके पानीमें भी लड़ाी होती है। लड़नेवालोंको पता नहीं कि लड़नेका परिणाम क्या होगा। लड़नेवाले दोनों लवार हैं। दोनों अीश्वरके नाम पर लड़ते हैं। दोनों अीसाके पुजारी हैं। वे अपनेको सुधारक कहते हैं और जंगली प्रजाओंको शिक्षा देते हैं। परन्तु अन्तमें अितिहासमें लिखा जायगा कि दूसरोंको जंगली कहनेवाले खुद जानवरोंसे भी गये बीते थे।

“संसारमें अैसा भयंकर युद्ध हो रहा है, तब अेक मनुष्य जमीन पर पैर रखकर कहता है कि जो लोग तलवारसे लड़ते हैं वे तलवारसे ही मरेंगे। जब लड़ते लड़ते निराश हो जायंगे तब अंतमें स्वीकार करेंगे कि अहिंसा ही परम धर्म है।

“हम तो भगवानकी गोदमें बैठे हैं। हमारे जैसे कोअी सुखी नहीं। हमने किसीका कुछ छीन नहीं लिया है। इसलिये हमारा क्या

चला जायगा? परन्तु हमें अक बात समझ लेनी है। कितनी ही अव्यवस्था फेल जाय तो भी कुत्ते-बिल्लीकी मौत तो हमें नहीं मरना है। गांधीजीसे अक चीज सीखनी है—निर्भयता। अस जीवनमें आपके सामने जो अवसर आया है वैसा कभी नहीं आयेगा।

“गोलोंके सामने बहादुरीसे खड़े रहकर मरना न आये तो भी कायर बनकर भागना तो हरगिज नहीं चाहिये। अहिंसासे या हिंसासे सामना करना सीखना चाहिये।”

अपने जन्मस्थान करमसदमें भाषण देते हुअे हमारे लोगोंमें जो आीर्षा, मिथ्या कुलाभिमान आदि हैं, उनके बारेमें सरदारने कहा :

“मैं जातपांतको भूल चुका हूं। सारा भारत मेरा गांव है। अठारहो वर्ण मेरे भाजी-बन्धु हैं। मैं अस आकांक्षासे यहां आया हूं कि आपको महासागरके दर्शन कराऊं। अपने गुणगान करनेकी जरूरत नहीं। वे तो अपने आप बोलते हैं। परन्तु दोष अधिक बलवान होते हैं। क्या हम पड़ोसीके घरके छप्परका हमारी हदमें घुस आना सहन कर सकते हैं? अुससे हमें खुशी होती है या बुरा लगता है? अस भूमिका यह दोष है कि हमें अपने ही भाजी-बन्धुओंका, यहां तक कि सगे भाजीका भी, मकान अूंवा देखकर जलन होती है। तिलभर जमीन दब जानेसे ही गांवमें फूट न डालनी चाहिये।

“कुल बापदादाके दिये नहीं मिलता है। जो चरित्रवान है, सज्जन है और नीतिवान है वह कितने ही बड़े कुलीनको भी वशमें कर सकता है। नीचा कुल या अूंवा कुल, छोटा घराना या बड़ा घराना, यह सब भूल जाअिये। आज तो बड़ी बड़ी बादशाहतें धूलमें मिल रही हैं।

“अठारहों वर्ण अक ही पिताकी सन्तान हैं। मनुष्यके मर जानेके बाद ब्राह्मणका शरीर हो या चमारका, अुसे कोअी रख नहीं सकता। प्राण तो पवनके साथ मिल जाते हैं और यह देह रह जाती है। असलिये अूंच-नीच क्या मानते हैं? और मौतसे भी क्यों डरते हैं? जिसने जन्म लिया है अुसे मरना तो होगा ही। तो फिर कायरकी तरह तड़पकर क्यों मरें? मर्दोंकी तरह क्यों न मरें? मरना-जीना अीश्वरके हाथकी बात है। झूठा लोभ किसलिये किया जाय? किसलिये हम पड़ोसीसे आीर्षा करें? पड़ोसी या भाजी-बन्धुओंसे अनकी वस्तु लेनेके लिये दिनमें या रातमें चोरी कराना, लूटपाट कराना अथवा डाका डलवाना आदि जैसा कोअी बुरा काम नहीं है।”

अस समय गुजरातमें दिये गये सरदारके अन्य भाषणोंमें से कुछ अुद्धरण देकर यह अध्याय पूरा करेंगे :

“अब तक युरोपीय लोगोंने अशिया और अफ्रीकाको लूट कर गुलछरें अुड़ये थे। अब असका पाप फूट निकला है। अफ्रीकाके लोगोंने अेक कंकर तक नहीं मारा, फिर भी वहांके लोगोंको वे हिसक पशुओंकी तरह फाड़कर खा रहे हैं। तुलसी हाय गरीबकी ! अिसीलिये अिनका राज्य क्षीण हो रहा है।”

* * *

“लड़नेवाले दोनों लुटेरे हैं। अेक कहता है कि हमीं शुद्ध आर्य हैं। दूसरा कहता है कि हम सच्चे अीसाजी हैं। दोनोंं अीश्वरके नाम पर लड़ते हैं।”

* * *

“हमारे देशमें अेक तरफ अंग्रेज मुसलमानोंको अुकसाते रहते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि अेक होकर आओ। यह सरकार अस तरह खेल खेलती रहती है। परन्तु जब आकाश ही फट जाता है तब पैबंद कहां कहां लगाया जाय ?

“सिंगापुरका पतन हुआ। मलायाका हुआ। सुमात्रा-जावाका हुआ। कल रंगूनका होगा। अब कहते हैं कि हमारी मदद करो। भला मुर्दा अुठानेमें क्या मदद करें ?”

* * *

“हमें अंग्रेजोंने निःशस्त्र बनाया, असका फल वे भी भोग रहे हैं। हमने अपनी रक्षा करनेकी शक्ति खो दी। यह मान लिया कि चौकीदारको दाम देंगे तो वह रक्षा कर लेगा। यह समझने लगे कि भारतकी रक्षाका द्वार सिंगापुरमें है और वहां हमारा चौकीदार पहरा लगायेगा। परन्तु वह चौकीदार खुद दुम दबाकर भागने लगा है।

“भारतमंत्री जैसा नंगा आदमी आज तक नहीं देखा गया। वह जले पर नमक छिड़कता है। विनाशका समय आ पहुंचता है तब मनुष्यको असकी तरह बोलना सूझता है। कहते थे कि हम सिंगापुरकी रक्षा जान जोखिममें डालकर करेंगे। भारतके बारेमें भी यही कहते हैं। परन्तु कुछ लोगोंका खयाल है कि जैसे दूसरोंकी बारी आयी वैसी हमारी भी आयी तो हम क्या करेंगे ?”

* * *

“हमने पूनामें दो वर्ष पूर्व अनिसे कहा था कि अंसा कुछ करो जिससे लोगोंको यह महसूस हो कि यह लड़ाई हमारी है। आपका और हमारा कठिन समय आनेवाला है। इसलिये राष्ट्रीय सेना बनाने दो। परन्तु वह बात अन्होंने नहीं सुनी। अन्होंने कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। छोटी छोटी जातियोंकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। अन्होंने तो सारी दुनियाकी जिम्मेदारियोंका ठेका ले रखा है। आज अब अंग्लैण्डसे संधिवाता करनेके लिये आदमी भेज रहे हैं।”

३३

क्रिप्सकी संधिवाता

युद्ध ज्यों ज्यों अधिक फैलता जाता था और विशेष तीव्र होता जाता था, त्यों त्यों अमरीकाके लोगोंका और अमरीकी राष्ट्रपतिका ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० चर्चिल पर बहुत दबाव पड़ रहा था कि अिस नाजुक समयमें आपको भारतका, खास तौर पर कांग्रेसका, दिल जीत लेना चाहिये। परन्तु अैसी सलाहोंकी मि० चर्चिल बिलकुल परवाह नहीं करते थे। अमरीकासे वे कहते थे कि यह हमारा भीतरी मामला है। और हिन्दुस्तानसे अुन्हें जितने चाहिये अुतने भाड़ेके आदमी मिल जाते थे और नये नोट छाप-छापकर जितना चाहिये अुतना माल हिन्दुस्तानसे ले जानेमें कोअी रोकनेवाला नहीं था। परन्तु अिस लड़ाईमें अंग्लैण्डको अमरीकाका बड़ा सहारा था। अिसलिये अुसे खुश करनेके लिये ११ मार्चको मि० चर्चिलने लोक-सभामें घोषणा की कि ब्रिटेनके युद्धकालीन मंत्रिमंडलने निश्चय किया है कि भारतके साथ न्यायपूर्ण और अन्तिम समझौता करनेके लिये अुसके सामने कुछ प्रस्ताव रखे जायं और अुन्हें भारतसे स्वीकार करानेके लिये ब्रिटिश मंत्रिमंडलके अेक प्रमुख सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्सको भारत भेजा जाय।

सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारतके अेक मित्रके रूपमें विख्यात थे। हम पहले देख चुके हैं कि पार्लियामेण्टमें वे भारतका पक्ष लेते थे, और पं० जवाहरलालके निजी मित्र थे। अनि सब कारणोंसे मि० चर्चिलकी अिस घोषणासे भारतमें कुछ आशाकी भावना पैदा हुअी। वे हवाअी मागसे २३ मार्चको नअी दिल्ली आ पहुंचे। अुसी दिन अुन्होंने अखबारी प्रतिनिधियोंसे मुलाकात की

और दो दिन तक वाजिसराय-भवनमें रहकर वाजिसराय तथा प्रान्तीय गवर्नरोंसे, जिन्हें पहलेसे प्रबंध करके खास तौर पर बुला लिया गया था, सलाह-मशविरा किया। २५ मार्चको कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजादको विशेष निमंत्रण देकर बुलाया गया। क्रिप्सने अपने साथ लाये हुये प्रस्तावोंका मसौदा अन्हें पढ़कर सुनाया। मौलानाको वे प्रस्ताव बहुत अच्छे नहीं लगे। परंतु सर स्टेफर्डने कहा कि अिनमें प्रस्तावित वाजिसरायकी कौंसिल राष्ट्रीय सरकार जैसी ही होगी और कौंसिलके सदस्योंका वाजिसरायके साथ वंसा ही संबंध होगा जैसा ब्रिटिश मंत्रिमंडलका अंग्लैण्डके राजाके साथ होता है। क्रिप्सके अैसा कहनेसे मौलाना साहब अिन प्रस्तावों पर विचार करनेके लिये कार्यसमितिकी बैठक बुलानेको ललचाये और २९ तारीखको अन्होंने नयी दिल्लीमें कार्यसमितिकी बैठक बुलायी।

अिस युद्धमें धन-जनकी सहायता देनेके विरुद्ध होनेके कारण गांधीजीको क्रिप्ससे मिलनेमें कोअी दिलचस्पी नहीं थी। परंतु क्रिप्सने बहुत आग्रह किया अिसलिये २८ तारीखको वे अुनसे मिलने दिल्ली गये। अुनके लाये हुअे प्रस्तावोंको पढ़कर ही अन्होंने क्रिप्ससे कह दिया कि अैसे हास्यास्पद, अस्पष्ट और तरह तरहके अर्थोंवाले प्रस्ताव आपके जैसा आदमी लेकर आये यह बड़े दुर्भाग्यकी बात है। आपको अितना तो जानना चाहिये था कि कमसे कम कांग्रेस, भले दूसरे ही क्षण भारतको साम्राज्यसे अलग हो जानेका हक दिया जाय तो भी, अिसा किस्मके औपनिवेशिक स्वराज्यकी तरफ देखेगी भी नहीं। भारत आपके दूसरे अपनिवेशोंकी तरह अपनिवेश (डोमीनियन) है ही नहीं। आपको यह भी जानना चाहिये था कि अिन प्रस्तावोंमें भारतको तीन टुकड़ोंमें बांट डालनेकी जो कल्पना निहित है, अुसे कोअी भी स्वीकार नहीं कर सकता। अिसमें पाकिस्तानकी कल्पना है, लेकिन मुस्लिम लीग भी अिससे खुश नहीं होगी। क्योंकि लीग जैसा पाकिस्तान चाहती है वंसा अिसमें नहीं है। और ये सब तो आपकी भविष्यकी योजनायें हैं। अिस समय भविष्य बड़ा अनिश्चित है। अिसलिये आज अिन योजनाओं पर विचार करनेसे क्या होगा? सच्चे महत्त्वकी बात तो यह है कि आप तुरन्त क्या करना चाहते हैं। और अिस समय आप जो कुछ देनेकी बात कर रहे हैं वह तो सिर्फ फुसलानेकी बात है। अिन प्रस्तावोंमें हमें कोअी अैसा सच्चा अधिकार नहीं मिलता, जिससे हमारे लोग अपने देशकी रक्षा करनेमें अुत्साहित हों। अिस आशयकी बात कहकर गांधीजी तुरन्त ही दिल्लीसे सेवानाम लौट जाना चाहते थे, परंतु मौलाना साहबके आग्रहसे ४ अप्रैल तक दिल्लीमें ठहर गये।

अब हम देखें कि क्रिप्स साहब कैसे प्रस्ताव लेकर आये थे :

“भारतके भविष्यके बारेमें जो वचन दिये गये हैं उनके पालनके संबंधमें इस देशमें (अंग्लैण्डमें) और हिन्दुस्तानमें भी जो चिन्ता की जा रही है उस पर विचार करके सम्राट्की सरकारने यह निश्चय किया है कि भारतमें जल्दीसे जल्दी स्वराज्य स्थापित करनेके लिये ब्रिटिश सरकार जो कार्रवाजी करना चाहती है उसकी निश्चित और स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा की जाय। हमारा अद्देश्य यह है कि नये भारतीय संघका निर्माण किया जाय। यह संघ ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे औपनिवेशिक राज्योंकी तरह सम्राट्के प्रति वफादारी रखनेवाले अक औपनिवेशिक राज्य जैसा होगा। सब मामलोंमें इसका उनके साथ समान दर्जा रहेगा। अपनी आन्तरिक और बाह्य व्यवस्थाकी किसी भी बातमें वह पराधीन नहीं होगा।

“असके लिये सम्राट्की सरकार निम्नलिखित घोषणा करती है :

“(अ) लड़ाओके बन्द होते ही भारतमें निम्नलिखित ढंगसे अक चुनी हुअी सभा स्थापित करनेकी कार्रवाजी की जायगी। इस सभाका काम भारतका नया संविधान तैयार करना होगा।

“(ब) इस संविधान तैयार करनेवाली सभामें भारतके देशी-राज्योंके भाग ले सकनेके लिये नीचे बताये अनुसार प्रबंध किया जायगा।

“(क) इस प्रकार तैयार किया हुआ संविधान स्वीकार करने और अमलमें लानेके लिये सम्राट्की सरकार वचनबद्ध होती है, केवल अतनी बातोंके अधीन रहकर कि :

“(१) ब्रिटिश भारतके किसी भी प्रान्तकी नया संविधान मंजूर करनेकी तैयारी न हो तो उसे अपनी वर्तमान वैधानिक स्थिति बनाये रखनेका अधिकार रहेगा। साथ ही यह व्यवस्था भी रहेगी कि बादमें यदि वह नये संविधानमें शरीक होनेका निश्चय करे तो शरीक हो सकेगा।

“अस प्रकार शरीक न होनेवाले प्रान्तोंकी असी अिच्छा होगी तो सम्राट्की सरकार अन्हें अपना दूसरा संविधान तैयार करने देना स्वीकार करती है। यहां प्रस्तावित ढंगसे भारतीय संघको जो दर्जा दिया जायगा, वही दर्जा पूरी तरह अन्हें भी दिया जायगा।

“(२) सम्राट्की सरकार और संविधान बनानेवाली सभाके बीच संघियां की जायेंगी और उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

अन संधियोंमें अंग्रेजोंके हाथसे भारतीयोंके हाथमें जिम्मेदारीका संपूर्ण परिवर्तन होनेके सिलसिलेमें जो आवश्यक बातें पैदा होंगी उन सबका समावेश किया जायगा। सम्राट्की सरकारने भिन्न भिन्न जातियों और धर्मोंके अल्पमतोंकी रक्षाके लिये जो आश्वासन दिये हैं उनके बारेमें भी अन संधियोंमें व्यवस्था की जायगी। परंतु भविष्यमें ब्रिटिश राष्ट्रसंघके अंगभूत अन्य राज्योंके साथ भारतीय संघ कैसा संबंध रखे, यह तय करनेके मामलेमें भारतीय संघके अधिकारों पर कोअी नियंत्रण नहीं रखा जायगा।

“ भारतका कोअी भी राज्य अस संविधानको स्वीकार करना चाहे या न चाहे, तो उसके अनुसार संधिकी शर्तोंमें आवश्यक प्रतीत होनेवाले परिवर्तन करनेकी जरूरत होगी।

“(ड) संविधान बनानेवाली सभाका निर्माण अस प्रकार किया जायगा, सिवा उस हालतके कि मुख्य मुख्य जातियोंके भारतीय लोकमतके नेता लड़ाअी खतम होनेसे पहले निर्माणके अन्य किसी प्रकारके बारेमें सहमत हो गये हों।

“ लड़ाअी समाप्त हो जानेके बाद प्रान्तीय चुनाव किये जायेंगे। उनके परिणाम मालूम होते ही प्रत्येक प्रान्तकी निचली धारासभाके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्वकी पद्धतिसे संविधान तैयार करनेवाली सभाको चुननेका काम करेंगे। अस नअी सभाकी सदस्य-संख्या प्रान्तीय धारासभाओंके दसवें भागके बराबर होगी।

“ भारतके देशीराज्योंको भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त करनेके लिये कहा जायगा। उनकी संख्या ब्रिटिश भारतके प्रतिनिधियोंकी तरह उनकी कुल आबादीके अनुसार होगी और उन्हें ब्रिटिश भारतके सदस्योंके बराबर ही अधिकार होगा।

“(अ) भारतके सामने खड़े आजके नाजुक समयमें और जब तक नया संविधान न बन जाय तब तक सम्राट्की सरकारको विश्व-युद्धके प्रयत्नोंके अक भागके रूपमें भारतकी रक्षाका दायित्व अनि-वार्यतः अुठाना पड़ेगा, अस रक्षाका संचालन करना पड़ेगा और उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। परंतु भारतमें सैनिक, नैतिक और आर्थिक साधन पूरी तरह संगठित करनेके कामकी जिम्मेदारी भारतके लोगोंके सहयोगसे भारत-सरकारकी रहेगी। सम्राट्की सरकार चाहती है और अस वस्तुका स्वागत करती है कि भारतवासियोंके मुख्य मुख्य

दलोंके नेता अपने देशकी, ब्रिटिश राष्ट्रसंघकी और संयुक्त राष्ट्रोंकी मंत्रणाओंमें तत्काल असरकारी भाग लें। ऐसा करके ही भारतकी भावी स्वतंत्रताके लिये जो कार्य बहुत महत्त्वका और जरूरी है उसे पूरा करनेमें वे सक्रिय और रचनात्मक सहायता दे सकेंगे।”

२९ तारीखसे क्रिप्सने कांग्रेस कार्यसमितिके सदस्योंके साथ संधिवार्ता आरंभ की। उसमें राष्ट्रीय सरकार और ब्रिटिश मंत्रिमंडल जैसे उसके दर्जेके बारेमें जो बात अन्होंने कही थी उसमें से वे धीरे-धीरे खिसकने लगे। अिन प्रस्तावोंमें भारतवासियोंमें युद्धमें भाग लेनेका अत्साह पैदा हो, अपनी आजादी और रक्षाके लिये लड़नेका जोश पैदा हो, ऐसी कोअी चीज नहीं थी। औपनिवेशिक दर्जेकी जो भावी योजना थी, उसमें भी भिन्न भिन्न जातियों तथा ब्रिटिश भारत और देशीराज्योंके बीच कलहके बीजके सिवा कुछ नहीं था। और देशीराज्योंकी प्रजाको तो बिलकुल भुला ही दिया गया था। जिसलिये कार्यसमितिके १ अप्रैलको अिन प्रस्तावोंको नामंजूर करनेका प्रस्ताव पास करके क्रिप्सके पास भेज दिया। परंतु क्रिप्स साहब बातें करनेमें बड़े मीठे थे। अन्होंने कार्यसमितिके कहा कि अिन प्रस्तावोंको अस्वीकार करनेका प्रस्ताव आप अभी प्रकाशित न कीजिये। हम अभी और वार्तालाप करें और कोअी रास्ता निकालनेकी कोशिश करें। कार्यसमितिके अिनकी बात मान ली। परंतु जैसे पानीको कितना ही बिलाने पर भी मक्खन नहीं निकलता उसी प्रकार अिन संधिवार्ताओंसे कोअी सार नहीं निकला। अुल्टे जैसे जैसे बातचीत लंबी होती गयी वैसे वैसे उसमें से अधिकाधिक विष ही निकलता गया। वाअिसरायकी कौंसिलका दर्जा ब्रिटिश मंत्रिमंडल जैसा होगा, अिस प्रकार क्रिप्स साहबने अपनी ओरसे विलायतसे आते ही जो मीठी बातें कही थीं, उसके बारेमें विलायतसे अिन पर फटकार पड़ी होगी। अुन्हें यह चेतावनी दी गयी होगी कि वे प्रस्तावोंके मसौदेसे बाहर बिलकुल न जायं। अिसके सिवा, पूर्वी प्रदेशोंके प्रधान सेनापति लर्ड वेवल तथा वाअिसराय लार्ड लिनलिथगो यह मानते थे कि अिस नाजुक समयमें अपने हाथोंसे जरा भी अधिकार छोड़नेसे युद्ध-प्रयत्नोंमें शिथिलता आ जायगी। अुनके आगे सर स्टेफर्डकी कुछ चल नहीं सकती थी। अिसलिये क्रिप्स सब कुछ बदलने लगे और बहुतसी बातोंमें तो वाअिसरायका हवाला भी देने लगे। अितना ही नहीं, यद्यपि अुन्होंने राष्ट्रीय सरकार और अंग्लैण्ड जैसे मंत्रिमंडलकी बात कही थी, फिर भी अुन्होंने कांग्रेस पर यह आक्षेप किया कि :

“वह तो ऐसी राष्ट्रीय सरकारमें, जिसमें वाअिसराय या ब्रिटिश सरकारके किसी भी नियंत्रणके बिना भारतीय नेताओंका मंत्रिमंडल

बनाया जाय, आना चाहती है। जिस चीजका क्या अर्थ होता है, जिसका विचार कीजिये। भारतीय दलों द्वारा नियुक्त कुछ मनुष्योंकी भारत-सरकार बने। वह अनिश्चित अवधिके लिये हो, वह किसी धारासभा और निर्वाचक-मंडलके प्रति जिम्मेदार न हो, और उसमें कोबी परिवर्तन न हो सके, तो उसका बहुमत विशाल अल्पमतों पर मनमानी हुकूमत करनेकी स्थितिमें हो जायगा।”

दूसरा आक्षेप यह किया कि :

“कांग्रेसने बिलकुल अंतिम क्षणमें संविधानमें तुरंत परिवर्तन करनेकी बात कही। परंतु युद्धके दरमियान ऐसे परिवर्तन करना सर्वथा असंभव है।”

सर स्टेफर्ड क्रिप्सने अपने अंतिम वक्तव्यमें ‘बहुमतकी तानाशाही सत्ता’ शब्द काममें लिये थे। जिसका अुत्तर जवाहरलालजीने १२ अप्रैलको पत्र-प्रतिनिधियोंके सम्मेलनमें यों दिया :

“मैं बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछली तारीखके दो पत्रोंके सिवा हमारी सारी बातचीत और पत्रव्यवहारमें किसी भी अवसर पर बहुमतकी सत्ताके प्रश्नका जरा भी अुल्लेख नहीं हुआ था। क्योंकि यह चीज खुद हमीको बहुत नापसन्द है। हमने तो मिश्र मंत्रिमंडलकी बात ही स्वीकार की थी। उसमें देशकी भिन्न भिन्न संस्थाओं और अलग अलग विचारसरणियोंके व्यक्ति आयें। मुस्लिम लीगके सदस्य, हिन्दू महासभाके सदस्य और सिक्ख भी आयें। यह जानते हुअे भी कि अंसी राष्ट्रीय सरकारको काम चलानेमें बड़ी मुश्किल होगी, हमने यह वस्तु स्वीकार की थी। हमने किसी भी अवसर पर जिसकी चर्चा नहीं की थी कि कौंसिलमें किसी संस्थाकी कितनी संख्या होगी। यह चर्चा आवश्यक होते हुअे भी हमने नहीं की, क्योंकि कांग्रेसकी ओरसे बोलते समय हमने जिस बात पर जोर दिया ही नहीं था कि कांग्रेसको यह चाहिये या वह चाहिये। हमने कांग्रेसके लिये किसी प्रकारकी सत्ता मांगी ही नहीं। हमने अिन्हीं शब्दोंमें बात की है कि राष्ट्रीय सरकारको कितनी सत्ता होनी चाहिये। जिस बात पर चर्चा नहीं हुअी कि राष्ट्रीय सरकारमें कौन कौन हों और किस संस्थाकी कितनी संख्या हो। हमने तो संपूर्ण राष्ट्रीय सरकारकी ही बात की है और जिसकी चर्चा की है कि अुस राष्ट्रीय सरकारको कितनी सत्ता हो। किसी भी रूपमें साम्प्रदायिक प्रश्नकी चर्चा नहीं हुअी, सिवा इसके कि सर स्टेफर्ड

क्रिप्स बार बार यह सूत्र पुकारते रहे कि अन्हें तो जिस बातसे वास्ता है कि तीनों पक्षों अर्थात् ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीगके बीच समझौता हो जाय। दूसरे लोग सहमत हों या नहीं, जिसकी अन्हें परवाह नहीं थी। अिन तीनोंमें से कोयी सहमत न हो तो जरूर सारी संधिवाता भंग हो सकती है।”

१० अप्रैलको कार्यसमितिनै अपना प्रस्ताव प्रकाशित कर दिया। अुसमें कहा गया :

“प्रस्तावोंमें जो भावी योजना है वह साम्प्रदायिक मांगें पूरी करनेके लिये की गयी मालूम होती है। परंतु अुससे दूसरे कयी अनिष्ट परिणाम अुत्पन्न हो सकते हैं। विविध जातियोंमें राजनैतिक दृष्टिसे प्रतिक्रियावादी और बिलकुल दकियानूसी विचार रखनेवाली संस्थाओं हैं। यह योजना अैसी है जो अुन्हें कठिनाधियां अुपस्थित करनेमें प्रोत्साहन देती है और देशके मामनं जो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं अुन्हें छोड़कर अन्य बातों पर लोगोंका ध्यान बंटाती है। तात्कालिक योजनाके बारेमें प्रस्तावमें कहा गया है कि भारतवासियोंको युद्धके लिये तभी अुत्साह पैदा हो सकता है जब अुन्हें यह लगे कि वे स्वतंत्र हैं और अपनी आजादीकी रक्षाके लिये खुद अुन्हींको लड़ना है। लोगों पर पूरी तरह विश्वास रखा जाय और रक्षा-संबंधी जिम्मेदारी अुन्हें सौंपी जाय तो ही अुनमें युद्ध-प्रयत्नोंके बारेमें जोश पैदा हो सकता है। भारतकी वर्तमान सरकार और अुसके प्रान्तीय अेजंटोंमें भी कार्यक्षमताका अभाव है और भारतकी रक्षाका भार अुठानेकी अुनमें शक्ति नहीं है। यह भार हिन्दुस्तानके लोग ही अपने माने हुअे प्रतिनिधियों द्वारा अुचित रूपमें अुठा सकते हैं। परंतु यह तभी हो सकता है जब अुन्हें तुरंत स्वतंत्रता दे दी जाय और रक्षाकी पूरी जिम्मेदारी अुनके सिर पर डाल दी जाय।”

भारतके अन्य दलोंने भी क्रिप्स साहबके प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये। मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, देशीराज्य प्रजा-परिषद्, मोमिन परिषद्, दलित वर्गों और नरम दलके नेताओंने लम्बे लम्बे प्रस्ताव पास करके अथवा लंबे वक्तव्य भेजकर अलग अलग कारणोंसे क्रिप्स साहबके प्रस्ताव नामंजूर कर दिये। जिसलिये वे विलायत चले गये। वहां जानेके बाद अुन्होंने जो प्रचार करना शुरू किया, अुसमें तो झूठकी हद ही कर दी। २८ अप्रैलको पार्लियामेण्टमें लंबा भाषण देकर संधिवाता असफल होनेका सारा दोष अुन्होंने कांग्रेसके सिर मढ़ दिया। अेक भाषणमें अुन्होंने यह कहा कि “कांग्रेसकी

कार्यसमितिते तो ये प्रस्ताव मंजूर करनेका निश्चय भी कर लिया था, परंतु मि० गांधीने हस्तक्षेप किया और कार्यसमितिते अपना निश्चय बदल दिया।” रेडियो पर अमरीकाके लिअे भाषण देते हुअे वे बोले कि “हमने भारतके प्रतिनिधित्व रखनेवाले राजनैतिक नेताओंको वाजिसरायकी कौंसिलमें स्थान देनेको कहा था। वह स्थान आपके राष्ट्रपतिको सलाह देनेवाले मंत्रियों जैसा था।” गांधीजी, राष्ट्रपति और पं० जवाहरलालजीने अिस झूठके मुंहतोड़ अुत्तर दिये, जिनका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं। सरदारने अिस योजना और संघिवाताओंके बारेमें गुजरातमें अपने कुछ भाषणोंमें जो अुद्गार प्रगट किये, अुन्हें यहां देकर अिस अध्यायको समाप्त करेंगे :

“अुसके बाद ब्रिटिश हुकूमतके प्रतिनिधि सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आये। वे कांग्रेसके कअी नेताओंके मित्र थे। अिसलिअे अुन नेताओं और दूसरे कअी लोगोंको यह लगा कि वे प्रगतिशील विचारोंके आदमी हैं, अिसलिअे अुन्हें भेजेनेमें सरकारकी भारतके साथ समझौता करनेकी नीयत साफ होगी। यह मानकर हमने क्रिप्सके लाये हुअे प्रस्तावों पर विचार करनेका फैसला किया। कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना साहबको अुनके साथ वातचीत करने और अुचित हो तो अुन्हें कार्यसमितिके सामने पेश करनेका हमने अधिकार दिया। परंतु सर स्टेफर्ड क्रिप्सको लगा कि कांग्रेसको बादमें बुलायें तो भी चल सकेगा, लेकिन गांधीजीके बिना गाडी आगे नहीं चलेगी। अिसलिअे तार देकर गांधीजीको बुलाया। गांधीजीने कहा कि अिसमें मेरा कोअी काम नहीं है। मैं स्वयं तो प्रत्येक हिंसक युद्धके विरुद्ध हूं और कांग्रेससे अलग हो चुका हूं। फिर भी आपका आग्रह है तो मिलने आ जाअूंगा।

“अिस प्रकार गांधीजी दिल्ली गये। परंतु वहां अुन्होंने जो कुछ देखा अुससे अुन्हें ग्लानि हो गअी और सरकार और अंग्रेजोंके प्रति अुनका जो भाव था वह बिलकुल जाता रहा। अुन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्सको साफ कह दिया कि अेमरी जैसा नंगा आदमी अैसे प्रस्ताव लेकर आया होता तो समझमें आ सकता था। परंतु आप तो भारत और रूसके भी मित्र माने जाते हैं। आप प्रगतिशील विचार रखनेवाले है। आपको यह क्या सूझा? यह पाप, यह जहर, भारतके गले अुतारनेको आप कैसे आ गये?

“फिर गांधीजी तो चले गये। परंतु कांग्रेसने क्रिप्सके प्रस्तावोंकी स्वतंत्र परीक्षा करने और यह जाननेको कि वे क्या हैं अेक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पंद्रह दिन तक विचार-विनिमय और वातचीत

की। पहले तो सर स्टेफर्डने मीठी मीठी बातें बनाकर यहां तक कह दिया कि जिस प्रकार अंग्लैण्डमें सम्राट् राज्य करते हैं उसी तरह भारतमें वायिसराय राज्य करेंगे। कांग्रेसने उनको अपने प्रस्तावोंकी दूसरी बातें, जैसे कि भारतके टुकड़े करना, राजाओंसे भारतीय संघमें मिलने न मिलनेके लिये पूछना वगैरा बातें, छोड़ देनेको कहा। यह जानना चाहा कि अभी आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्यमें आप जो स्वतंत्रता देंगे उसकी जिस समय क्या बात की जाय? भविष्यमें आपके पास स्वतंत्रता देने जैसा कुछ रह जायगा तभी तो आप देंगे? जिसकी बात उस समय कर लेंगे। परंतु आज क्या दे रहे हैं? आप ऐसी कोजी बात देते हों जिससे लोगोंमें मर मिटनेकी भावना पैदा की जा सके तो कहिये। यहां तक मीठी मीठी बातें करके अंतिम दिन उन्होंने मौलाना आजादको पत्र लिखा कि आप अब तक की हुजी बातोंसे मुकर गये हैं, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय सरकारकी मांग करते हैं। सही बात यह थी कि क्रिप्स साहब खुद बदल गये, फिर भी उन्होंने कांग्रेस पर झूटा आक्षेप लगाया।”

*

*

*

“युद्धके बाद सबसे अन्तिम प्रस्ताव जो पेश हुआ है, वह क्रिप्स प्रस्ताव है। जिसके जैसी झूठी और धोखेबाज योजना आज तक और कोजी नहीं आजी। उस योजनामें ऐसी प्रपंचपूर्ण सुविधा छिपी हुजी है कि युद्धके बाद भारतमें ब्रिटिश सत्ता कायम रहे। कांग्रेसके (‘भारत छोड़ो’) निर्णयके लिये यही योजना जिम्मेदार है। यदि भारत पर निकटमें आक्रमणका भय पैदा न हुआ होता तो अभी हम ठहर जाते। परंतु भारत पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे देखते हुअे उसका सामना करनेके लिये भारतवासियोंको पूरी छूट, पूरी आजादी मिलनी चाहिये। अंग्रेज भारतकी रक्षाके लिये नहीं, परंतु अपनी सत्ता कायम रखनेके लिये लड़ रहे हैं। यदि भारतके बचावके लिये लड़ते हों तो कांग्रेसकी मांग स्वीकार करनेमें उन्हें कोजी कठिनाजी न होनी चाहिये।”

*

*

*

“क्रिप्स मिशन तो एक खोटा सिक्का था। उसे बनानेवालोंकी नीयत खराब थी। उसमें अप्रामाणिकता और धोखेबाजी थी। जाते जाते क्रिप्स खुद ही बदल गये और उसका दोष कांग्रेसके मरचे मड़ते

गये। यह सारा मिशन अमरीकी लोकमतको खुश करनेके लिये नियोजित किया गया था।”

*

*

*

“क्रिप्स साहबकी ख्याति तो अच्छी थी। यह माना जाता था कि समझौता हो जायगा। परंतु क्रिप्स साहब जो लाये थे उसे जब महात्माजीने देखा तब उन्हें विश्वास हो गया कि क्रिप्स साहब मित्रभावसे हलाहल विष लाये हैं। अन्होंने अमेरिकाको संतुष्ट करनेके लिये ही यह एक गलत प्रयत्न किया था।

“क्रिप्स साहबकी योजनाको किसी भी दलने स्वीकार नहीं किया। अल्टे सभीने उसको ठुकरा दिया। यहांसे जानेके बाद क्रिप्स साहबने जो झूठा और हलके दर्जेका प्रचार किया है, उससे ब्रिटिश सरकारकी नीयतका पता चल गया है।”

३४

भारत छोड़कर चले जाओ

अहिंसाकी नीतिको छोड़कर भी भारतकी अच्छी तरह रक्षा कर सकनेके लिये कार्यसमितिके अधिकांश सदस्य मित्रराष्ट्रोंके साथ समझौता कर लेनेको तैयार थे। परन्तु क्रिप्स संधिवार्ता असफल हो जानेसे जैसे समझौतेकी जो भी आशा अन्हें थी वह मिट गयी और कांग्रेसके सामने यह विकट समस्या आ गयी कि जापानी आक्रमणसे देशकी रक्षा किस प्रकार की जाय। जापान अितनी तेजीसे भारतकी ओर बढ़ रहा था कि भारतकी रक्षाका प्रश्न बड़ा महत्त्वका बन गया था। जिस समय क्रिप्सके साथ संधिवार्ताओं हो रही थीं, उसी समय जापानने ६ अप्रैलको कोकोनाडा और विजगापट्टम पर बम गिराये थे। अधिकारियोंने मद्रास और पूर्वी समुद्रतटके बहुतसे शहर खाली कराये थे। बंगालकी खाड़ीमें जापानके लश्करी जहाज घूम रहे थे और लंकासे कलकत्ते तकका समुद्रतट किसी भी समय आक्रमणके भारी भयमें था। ब्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानमें बड़ी संख्यामें अमरीकी सेनाओं अुतारना शुरू कर दिया था। सरकारको ठेठ आखिरी वक्तमें अुड़ीसा, बंगाल और आसाममें बचावके लिये हवाअी अड्डे बनानेकी सूझी। अिसके लिये वह कितने ही गांव जल्दी जल्दी खाली कराने लगी। सरकार अुन गांववालोंको रहनेकी दूसरी जगह भी नहीं दे सकी। आसाम और बंगालमें कुछ स्थानों पर

आने-जानेके मुख्य साधन नावें ही होती हैं। कहीं जापान यहां आकर अिन नावोंका उपयोग न कर ले, जिसके लिये सरकार अुन तमाम नावोंको जन्त करने लगी। रक्षाके लिये की जानेवाली कार्रवायियोंसे ग्रामवासियोंके कष्टोंका पार नहीं रहा। कांग्रेसके लिये यह असह्य था कि वह यह सब देखती रहे और लोगोंकी कोअी मदद न कर सके। अंसा लगता है कि अिस स्थितिमें जवाहरलालजी कुछ अुत्तेजित हो गये थे। ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध, जो हमारा दम घोंट रही थी, शांतिमय असहयोगका ही अेक मागं था। परन्तु जापान चढ़ आवे तो अुसके विरुद्ध क्या किया जाय? क्रिप्सके चले जानेके बाद तुरंत ही अेक भाषणमें अुन्होंने कहा कि जापानके विरुद्ध हमें भूमि अुजाड़नेकी नीति (scorched earth policy) आजमानी चाहिये। अुस भाषणमें अुन्होंने अापामार लड़ाअीकी बात भी कही। ता० १३-४-४२ के पत्रमें गांधीजीने सरदारको लिखा था :

“जवाहरने तो अब अहिंसाको तिलांजलि दे दी दीखती है। आप अपना काम करते रहें। लोगोंको संभाला जा सके तो संभालें। आजका अुनका भाषण भयंकर लगता है। अुन्हें लिखनेकी सोच रहा हूँ।”

गांधीजीने ‘हरिजन’में अिस बारेमें लिखना शुरू किया कि भूमि अुजाड़नेका तरीका और अापामार लड़ाअी दोनों हमारे देशमें किसी भी प्रकारसे अुनुकूल नहीं हो सकते। अहिंसाकी दृष्टिसे तो यह चीज अुचित थी ही नहीं। परन्तु हिंसा-अहिंसाका प्रश्न अलग रख दें तो भी यह चीज संभव और अिष्ट नहीं थी। भूमि अुजाड़नेके लिये भी बम वगैरा साधन चाहिये थे और अापामार युद्धके लिये लोगोंको हथियार देने चाहिये थे। मान लीजिये कि ब्रिटिश सरकार ये हथियार मुहैया करती। परन्तु वाअिस-रॉयने थोड़े समय पहले अैलान किया था कि हमारे पास फौजके सिपाहियोंको देनेके लिये भी पूरे हथियार नहीं हैं। और जब सरकारके साथ हमारा असहयोग जारी हो तब हमारे नेतृत्वमें होनेवाली अापामार लड़ाअीके लिये सरकारसे हथियारोंकी आशा रखना अुनुचित और असंभव था।

अैसी स्थितिमें कांग्रेस क्या कदम अुठाये, अिसका विचार करनेके लिये अिलाहाबादमें २७ अप्रैलको कार्यसमितिकी बैठक और २९ को कांग्रेस महासमितिकी बैठक बुलाअी गयी। ये बैठकें २ मअी तक चलीं। ता० १४-४-४२ को गांधीजीने सरदारको लिखा :

“अुत्तरमें आपका कोअी पत्र नहीं आया। प्रोफेसर (कृपालानीजी)ने सारी भागवत (क्रिप्स मिशनकी) सुनाअी। आपका स्वास्थ्य अिलाहाबाद

जाने योग्य न हो तो न जायिये। परन्तु आपको अपने विचार बता देने चाहिये। मेरे खयालसे कांग्रेस यदि हिंसाकी नीति अपनाये तो आपको खुससे निकल जाना चाहिये। यह समय असा नहीं कि कोअी अपने विचार दबा कर बैठे रहे। बहुतसी बातोंमें अुल्टा काम हो रहा है। अिसे देखते रहना अुचित मालूम नहीं होता। भले ही लोग निन्दा करें या स्तुति करें।

“मैं चाहता हूं कि ‘हरिजन’ में मैं जो लिख रहा हूं अुसे आप ब्यानसे पढ़ें।

“अुड़ीसामें . . . हमला होना बहुत संभव प्रतीत होता है। सरकारने वहां काफी सेना जमा कर दी है।”

ता० २२-४-'४२ को गांधीजीने सरदारको फिर लिखा:

“आपका पत्र मिला। मौलानाके तार परसे तो लगता है कि आपको जाना ही पड़ेगा। आप दृढ़तासे काम लीजिये। यदि अहिंसक असहयोगका प्रस्ताव स्वीकृत न हो तो बाहर निकल जाना ही आपका धर्म है। भूमि अुजाड़ने और बाहरकी फौजें लानेका भी कड़ा विरोध होना चाहिये। मुझे बुलानेका आग्रह हो रहा है, परन्तु मैंने तो ना ही लिखा है।

“आप प्रयागसे लौटें तब अधर होकर जायिये। भले अेक दो दिनके लिये ही आयें। प्रयागसे तो यहां सौ गुना अच्छा है। राजेन्द्रबाबूको भी साथ लायिये और देवको भी।”

अिलाहाबादकी बैठकमें कार्यसमिति और महासमितिको बड़े महत्त्वके प्रश्नके बारेमें निर्णय करना था। देशमें यह माननेवाले बहुत लोग थे कि हम तो यह चाहते हैं कि अंग्रेज लोग किसी भी तरह यहांसे चले जायं, भले ही जापानी यहां आ जायं। बादमें हम अुनसे निबट लेंगे। अेक वर्ग यह माननेवाला भी था कि हमें जापानियोंका स्वागत करना चाहिये। अुनकी मदद लेकर अंग्रेजोंको निकाल देनेसे कोअी हानि नहीं होगी। परन्तु कार्यसमितिके सदस्यों या मुख्य नेताओं और कार्यकर्ताओंमें से कोअी जापानका स्वागत करना नहीं चाहता था। अिसका कारण यह नहीं था कि जापानसे अंग्रेज अच्छे थे, परन्तु जापानको अंग्रेजोंसे अच्छा माननेकी बात नहीं थी। पिछले कुछ बरसोंसे जापानने चीनके साथ जो बरताव किया था और चीनका बहुतसा हिस्सा छीन लिया था, अुससे यह साबित होता था कि जापान भी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखता था। अेक साम्राज्यसे निकल कर दूसरेके अधीन होना तो कुअेंसे निकल कर खाअीमें गिरने जैसा था। अेकने हमारी स्वतंत्रता

छीन ली थी और अंसे विषम समयमें भी जापानके विरुद्ध लड़नेके लिये हमें स्वतंत्र करनेको तैयार नहीं था। दूसरा हमारी स्वतंत्रता छीनकर अपना साम्राज्य जमानेकी महत्वाकांक्षा रखता था। इसलिये हमारी दृष्टिमें तो दोनों समान थे। दोनोंमें से अंक भी विश्वास करने लायक नहीं था। अपनी स्वतंत्रता हमें खुद ही प्राप्त करनी थी। लोगोंमें इस प्रकारका अत्साह पैदा करनेके लिये गांधीजी 'हरिजन' में बहुत कड़े लेख लिख रहे थे।

अलाहाबादमें होनेवाली महासमितिकी बैठकके लिये गांधीजीने निम्न-लिखित प्रस्तावका मसौदा मीराबहनके साथ लिख भेजा :

“सर स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध-मंत्रिमंडलके जो प्रस्ताव लेकर आये, अन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादको अंसे नग्न रूपमें प्रगट किया है जैसा पहले कभी नहीं किया था। इसलिये कांग्रेसकी यह महासमिति निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची है :

“महासमितिकी यह राय है कि ब्रिटेन भारतकी रक्षा करनेमें असमर्थ है। वह जो कुछ करता है स्वाभाविक रूपमें केवल अपनी रक्षाके लिये ही करता है। भारत और ब्रिटेनके हितोंमें सतत संघर्ष रहा है। इसलिये दोनोंकी रक्षा-संबंधी कल्पनाओंमें फर्क रहता है। भारतके किसी भी राजनैतिक दल पर ब्रिटिश सरकारको भरोसा नहीं है। भारतीय सेनाको भी अब तक भारतको अपनी जंजीरोंमें जकड़े रखनेके लिये ही रखा गया है। आम जनतासे अुसे बिलकुल अलग रखा जाता है। भारतके लोग किसी भी अर्थमें अुस सेनाको अपनी नहीं कह सकते। अविश्वासकी यह नीति आज भी वंसी ही बनी हुआ है। इसीलिये राष्ट्रकी रक्षाका काम भारतवासियोंके चुने हुअे प्रतिनिधियोंको नहीं सौंपा जाता।

“जापानका झगड़ा हिन्दुस्तानके साथ नहीं है। अुसकी लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यके साथ है। हिन्दुस्तानको अिस युद्धमें फंसाया गया है, सो भी भारतके लोगोंके प्रतिनिधियोंकी स्वीकृति लिये बिना किया गया है। ब्रिटेनने केवल मनमाने ढंगसे यह सब किया है। हिन्दुस्तान यदि स्वतंत्र हो जाय तो शायद अुसका पहला काम जापानके साथ संघिबार्ता करना होगा। कांग्रेसकी यह राय है कि यदि अंग्रेज भारतसे चले जायं और जापानी अथवा अन्य कोअी भी सत्ता हिन्दुस्तान पर आक्रमण करे, तो अुसके विरुद्ध अपनी रक्षा करनेमें भारत समर्थ होगा।

“अिसलिये अिस महासमितिकी यह राय है कि अंग्रेजोंको हिन्दुस्तानसे चले जाना चाहिये। भारतके देशी राजाओंकी रक्षाके

लिखे अन्हें यहां रहनेकी जरूरत है, यह जो दलील दी जाती है अुसमें कोअी सार नहीं है। यह भारत पर अपना नियंत्रण बनाये रखनेके अुनके निर्णयका अेक और प्रमाण है। देशी राजाओंको निःशस्त्र भारतकी तरफसे कोअी डर रखनेकी जरूरत नहीं।

“ बहुमत और अल्पमतका प्रश्न भी ब्रिटिश सरकारका ही पैदा किया हुआ है। अुसके यहांसे चले जानेके साथ ही यह प्रश्न मिट जायगा।

“ अिन सब कारणोंसे यह समिति ब्रिटेनसे अपील करती है कि तुम्हारी अपनी सलामतीके खातिर, भारतकी सलामतीके खातिर और दुनियाकी शांतिके खातिर अेशिया और अफ्रीकाके अपने कब्जेके दूसरे मुल्क अभी न छोड़ना हो तो भले न छोड़ो परन्तु भारत परसे अपना कब्जा जरूर छोड़ दो।

“ यह समिति जापानी सरकार और जापानी लोगोंको विश्वास दिलाना चाहती है कि भारतकी जापानके या किसी दूसरे देशके साथ दुश्मनी नहीं है। भारतकी अेकमात्र अिच्छा विदेशी अुसे छूटनेकी है। समितिकी यह राय है कि देशकी स्वतंत्रताकी अिस लड़ाअीमें यद्यपि भारत सारी दुनियाकी सहानुभूतिका स्वागत करता है, फिर भी किसी विदेशी सेनाकी सहायताकी अुसे जरूरत नहीं। भारत अपनी अहिंसक शक्ति द्वारा अपनी मुक्ति प्राप्त करेगा और अुसी शक्ति द्वारा अुसे कायम रखेगा। अिसलिअे यह समिति आशा रखती है कि जापानका भारत पर आक्रमण करनेका अिरादा बिलकुल नहीं होगा। फिर भी यदि जापान भारत पर आक्रमण कर दे और ब्रिटेन अुससे की गअी अपीलका कोअी अुत्तर न दे, तो जो लोग कांग्रेसकी तरफसे मार्गदर्शनकी आशा रखते हैं अुन सबसे समिति यह अपेक्षा रखेगी कि वे जापानी सेनाओंसे पूरी तरह अहिंसक असहयोग करेंगे और अुन्हें किसी भी तरहकी मदद न देंगे। अिन पर आक्रमण हो अुनका यह कर्तव्य नहीं है कि वे आक्रमणकारीकी सहायता करें। अुनका कर्तव्य तो पूर्ण असहयोग द्वारा अुसका सामना करनेका होगा।

“ अहिंसक असहयोगके सादे सिद्धान्त समझनेमें कठिनाअी नहीं हो सकती :

१. हम आक्रमणकारीके आगे जरा भी न झुकें और न अुसकी किसी आज्ञाका पालन करें।

२. अुसकी कोअी मेहरबानी हम न लें और न हम अुसके किसी भी प्रकारके लालचमें आयें। परन्तु हम अुससे द्वेष न करें और न अुसका बुरा चाहें।

३. वह हमारे खेतों पर अधिकार करने आये तो हम अधिकार छोड़नेसे अिनकार कर दें, भले ही अुसका विरोध करनेमें हमें खप जाना पड़े।

४. फिर भी यदि आक्रमणकारी बीमार पड़ा हो या प्यासा मर रहा हो और हमारी मदद चाहे तो मदद देनेसे हम अिनकार न करें।

५. जिन स्थानों पर ब्रिटिश और जापानी सेनाओंमें लड़ाई हो रही हो वहां हमारा असहयोग बेकार और अनावश्यक हो जायगा। अिस समय अंग्रेजोंके साथ हमारा असहयोग मर्यादित स्वरूपका है। जब वे सचमुच लड़ाईमें फंसे हों अुस समय हम अुनके साथ पूर्ण असहयोग करें तो यह चीज अपने देशको जानबूझकर जापानियोंके हाथोंमें सौंप देनेके बराबर होगी। अिसलिये जापानियोंके साथ हमारा असहयोग प्रगट करनेका अेकमात्र तरीका बहुत वार यह भी होगा कि ब्रिटिश सेनाके मार्गमें हम कोअी रुकावट न डालें। परन्तु अंग्रेजोंको कोअी सक्रिय सहायता हम हरगिज न दें। अुनका मौजूदा रवैया देखते हुअं तो हम अुनके मार्गमें कोअी दखल न दें, अिसके मिवा और कोअी सहायता ब्रिटिश सरकार हमसे चाहती ही नहीं। वह तो हमसे गुलामोंकी-सी मदद चाहती है। यह स्थिति हम हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते।

“अिस समितिको भूमि अुजाड़नेके संबंधमें अपनी नीतिकी स्पष्ट घोषणा करनेकी जरूरत मालूम होती है। हम जापानियोंके साथ अहिंसक प्रतिकार कर रहे हों तो भी यदि हमारे देशका कोअी भाग जापानियोंके हाथमें आ जाय तो वहांकी फमल अथवा जलाशयोंको हम नष्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अिसलिये कि हमारा प्रयत्न तो अुन्हें वापस ले लेनेका रहेगा। परन्तु युद्ध-सामग्रीका नाश करना अलग चीज है। कुछ परिस्थितियोंमें अुसे नष्ट करना सैनिक दृष्टिसे जरूरी हो सकता है। परन्तु जो चीजें जनताकी सम्पत्ति हैं या जो वस्तुअें जनताके अुपयोगकी हैं, अुन्हें नष्ट करना कभी कांग्रेसकी नीति नहीं हो सकती।

“जापानी सेनाओंके साथ असहयोग करनेका काम स्वाभाविक रूपमें ही अपेक्षाकृत थोड़ेसे लोगोंके हिस्सेमें आयेगा। और वह असहयोग संपूर्ण और सच्चे दिलसे होगा तभी सफल होगा। परन्तु स्वराज्यकी सच्ची रचनाका रहस्य तो इस बातमें है कि भारतके करोड़ों लोग पूरे दिलसे रचनात्मक कार्य करने लग जायं। इसके बिना सारा राष्ट्र अपनी दीर्घ तंद्रासे जाग्रत नहीं हो सकेगा। अंग्रेज लोग यहां रहें या न रहें, हमारा सदा सर्वदाका कर्तव्य तो यही है कि हम अपने देशसे बेकारी मिटा दें, अमीर-गरीबके बीचकी खाओकी भर दें, साम्प्रदायिक रागद्वेषका मुंह काला कर दें, अस्पृश्यता-रूपी राक्षसीका संहार करें, चोर-डाकुओंको सुधारें तथा लोगोंको अनेके अपद्रवसे बचायें। इस प्रकारके राष्ट्र-निर्माणके कार्योंमें कराड़ों लोग जीती-जागती दिलचस्पी न लेने लगे तो स्वतंत्रता अके स्वप्न ही रहेगी और अहिंसा और हिंसा किसीसे भी हम उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

विदेशी सिपाही

“इस महासमितिकी यह राय है कि भारतमें विदेशी सैनिकोंको लाना भारतके हितके लिये हानिकारक और देशकी आजादीके लिये खतरनाक है। इसलिये वह ब्रिटिश सरकारसे अपील करती है कि देशसे विदेशी सेनाएं हटा ली जायं और आभिदा दूसरी सेनायें न लायी जायं। भारतमें अपार मानवशक्ति मौजूद होते हुए भी विदेशी सेनाएं यहां लाना बड़ा लज्जाजनक है। ब्रिटिश साम्राज्यकी अनैतिकताका यह अके और प्रमाण है।”

सेवाग्राम, २३-४-४२

राजेन्द्रबाबू अपनी आत्मकथामें लिखते हैं :

“गांधीजीके मसौदे पर कार्यसमितिके खूब वादविवाद हुआ। उससे पता चल गया कि सदस्योंमें दो मत हैं। अके मत उसके पक्षमें था। दूसरा मत इस हद तक जानेको तैयार न होनेके कारण उस प्रस्तावको स्वीकार नहीं कर रहा था। उसमें सुधार करनेकी खूब कोशिश की गयी, परन्तु वह सफल नहीं हुआ। अन्तमें अकेता बनाये रखनेके लिये हमने अपना विरोध छोड़ दिया और दूसरोंको जो अचित्त लगा उसे हमने मान लिया। यह तो कार्यसमितिकी बात हुआ। पर देशका रुख गांधीजीकी तरफ ज्यादा था। यदि गांधीजीका वह मसौदा

महासमितिमें पेश किया जाता तो शायद वह मंजूर हो जाता। परन्तु उससे अक-दूसरेके साथ पैदा होनेवाले मतभेद भी खूब प्रगट होते। हमें अपनी ओरसे कोअी कदम अुठाना जरूरी लगने पर भी वह अिस प्रकारकी भीतरी फूट जाहिर करके नहीं अुठाय़ा जा सकता था। अिसलिये अिस मतभेदको दवा देना ही मुनासिब मालूम हुआ। गांधीजीका प्रस्ताव किसी भी रूपमें पेश नहीं किया गया। हां, अितना हुआ कि जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें गांधीजीके भावोंका अच्छी तरह समावेश कर दिया गया। जब गांधीजीने वह प्रस्ताव देखा तो अुन्होंने कहा कि यद्यपि वह मुझे पूरी तरह पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी उसमें मेरे काम करनेके लिये काफी गुंजाअिश है। अिसलिये मैं उसे स्वीकार करता हूं।”

क्रिप्सकी संघिवातसि अिग्लैण्डकी गंदी नीयतका सबूत पूरी तरह मिल गया था। अंग्रेज लड़ाअीके दौरानमें हिन्दुस्तान परसे अपनी पकड़ जरा भी कम नहीं करना चाहते थे। और लड़ाअीके बाद जो औपनिवेशिक स्वराज्य देनेकी बात वे करते थे, उसमें देशके अंसे टुकड़े कर डालनेकी कोशिश थी, जिससे अक तरफ अुनकी कोअी जिम्मेदारी न रहे और दूसरी तरफ देश पर अुनका पंजा ज्योंका त्यों मजबूत रखा जा सके। जब तक संघिवात जारी रही तब तक गांधीजी चुप रहे। परन्तु बादमें अुन्होंने घोषणा कर दी कि अभी जो परिस्थिति अुत्पन्न हो गयी है उसे देखते हुए, केवल भारतके हितके लिये ही नहीं परन्तु अिग्लैण्ड और मित्रराष्ट्रोंके हितके लिये तथा जगतकी शान्तिके खातिर भी अिग्लैण्डको भारत छोड़कर चले जाना चाहिये। अिसीलिये अुन्होंने अपना अुपरोक्त मसौदा महासमितिको भेज दिया। उसमें अुन्होंने अहिंसाका जो आग्रह रखा था उस हद तक जानेके लिये महासमितिके बहुतसे सदस्य तैयार नहीं थे। फिर भी अिलाहाबादकी महासमितिने अपने ढंगसे जो प्रस्ताव पास किया उसमें यह चीज तो मंजूर की ही गयी कि ब्रिटेनको भारत छोड़ देना चाहिये। महासमितिके प्रस्तावमें से कुछ प्रस्तुत भाग नीचे दिया जाता है :

“ ब्रिटिश सरकारके प्रस्तावों और सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा दिये गये उसके विशेष विवरणसे सरकारके प्रति प्रजामें अधिक कटुता और अविश्वास पैदा हो गये हैं। ब्रिटेनके साथ असहयोगकी वृत्ति भी बढ़ गयी है। केवल भारतके लिये ही नहीं, परन्तु मित्रराष्ट्रोंके लिये भी खतरनाक अिस घड़ीमें अुन्होंने दिखा दिया है कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी

सरकारके रूपमें ही कायम रहना चाहती है और हिन्दुस्तानकी आजादी स्वीकार करने या अपनी सत्ता जरा भी छोड़नेसे अिनकार करती है।

“महासमितिको यह प्रतीति हो गयी है कि भारत अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेगा और अपने बल पर ही उसे कायम रख सकेगा। वर्तमान नाजुक समयको देखते हुअे और सर स्टेफर्ड क्रिप्सके साथ हुअी संधिवाताओंके दौरानमें जो अनुभव हुआ उसे देखते हुअे भारतमें ब्रिटेनका नियंत्रण अथवा उसकी सत्ता आंशिक रूपमें भी कायम रखनेवाली किसी योजना या प्रस्ताव पर विचार करना कांग्रेसके लिये असंभव है। केवल भारतके ही हितका नहीं, परन्तु ब्रिटेनकी सलामती तथा संसारकी शांति और स्वतंत्रताका यह तकाजा है कि ब्रिटेनको भारतका नियंत्रण छोड़ देना चाहिये। केवल स्वतंत्रताके मुद्दे पर ही भारत ब्रिटेन अथवा अन्य राष्ट्रोंके साथ बातचीत कर सकता है।

“यह महासमिति इस वस्तुसे अिनकार करती है कि किसी भी विदेशी राष्ट्रके, भले वह कैसे भी वचन देता हो अथवा दावे करता हो, आक्रमण या हस्तक्षेपसे भारतको स्वतंत्रता मिल सकेगी। इसलिये कदाचित् अैसा आक्रमण हो तो उसका सामना करना ही चाहिये। वह सामना अहिंसक असहयोगके ढंग पर ही हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकारने और किसी भी तरह राष्ट्रकी रक्षाकी व्यवस्था करनेकी बात लोगोंके हाथमें रहने ही नहीं दी है। इसलिये यह महासमिति भारतके लोगोंसे यह अपेक्षा रखती है कि वे आक्रमणकारी सेनाओंके विरुद्ध पूर्ण अहिंसक असहयोग करें और अुन्हें किसी तरहकी मदद न दें।”

*

*

*

गांधीजीके लेखों और कांग्रेस महासमितिके इस प्रस्तावके विरुद्ध हमारे देशके अँग्लो-अिडियन अखबार और विदेशी अखबार इस तरहकी आलोचना करने लगे कि अंग्रेजोंको सत्ता छोड़ देने या चले जानेका कहकर आप जापानको हिन्दुस्तान आनेका निमंत्रण दे रहे हैं। अिग्लैण्ड और अमरीकाके बहुतसे अखबारी प्रतिनिधि भी गांधीजीसे मुलाकात करने आने लगे। आलोचकोंको दी गयी सफाअियों तथा गांधीजीसे पूछे गये प्रश्नोंके अुत्तरोंसे साररूप अंश यहां दिये जाते हैं:

“मेरा विश्वास है कि लड़ाअी अ्तम होनेके बाद नहीं, परन्तु उसके दौरानमें ही अंग्रेजों और भारतीयोंको अेक-दूसरेसे अलग हो

जानेकी बात मान लेनेका समय आ पहुंचा है। इसमें और इसीमें दोनोंकी सलामती — और संसारकी भी सलामती — समाजी हुआ है। मैं तो खुली आंखों देखता हूँ कि भारतीयोंमें अंग्रेजोंके प्रति वंमनस्य बढ़ता जा रहा है। भारतवासी मानते हैं कि सरकारकी प्रत्येक कार्रवाजी अुसके अपने स्वार्थ और सुरक्षाकी दृष्टिसे की जाती है। और मुझे भी लगता है कि अुनका यह मानना बिलकुल अुचित है। दोनोंके सम्मिलित और समान हितों जैसी कोअी बात ही नहीं है। अेक अंतिम अुदाहरण देकर समझाअूं तो अंग्रेजोंकी जापान पर जीत हो जाय तो भी अुसका अर्थ भारतकी जीत नहीं हो सकता। परन्तु यह तो निकट भविष्यकी बात नहीं कही जा सकती। विदेशी सैनिकोंका भारतमें प्रवेश, (ब्रह्मदेशके) भारतीय और गोरे हिजरतियोंके प्रति व्यवहारमें भेदभावका अिकरार, और सैनिकोंका मदोन्मत्त व्यवहार — यह सब ब्रिटेनके अिरादों और घोषणाओंके बारेमें हमारे अविस्वासको बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि वे अपने लम्बे समयके स्वभावको अेकाअेक नहीं बदल सकते। अपने जातिमदको वे दुर्गुण नहीं, परन्तु सद्गुण मानते हैं। अैसा केवल भारतके प्रति ही नहीं, परन्तु अफ्रीका, ब्रह्मदेश, सीलोन, सबके प्रति है। जातिमदका प्रदर्शन किये बिना अिन देशोंको कब्जेमें रखा ही नहीं जा सकता था।

“यह अेक तीव्र रोग है। और अुसका अुपचार भी तीव्र ही होना चाहिये। वह तीव्र अुपचार मैं बता रहा हूँ। अंग्रेजोंको तुरन्त ही व्यवस्थित रूपमें भारतसे चले जाना चाहिये। कमसे कम भारतसे और सच पूछें तो सभी गैर-युरोपीय देशोंसे। यह अंग्रेजोंका बड़ा वीरोचित और शुद्धतम कार्य होगा। यह वस्तु अेक क्षणमें मित्रराष्ट्रोंके पक्षको पूर्ण नैतिक भूमिका पर रख देगी। संभव है वह सभी लड़नेवाले दलोंमें सम्मानपूर्ण संधि करानेवाली भी सिद्ध हो। साम्राज्यवादका अैसा शुद्ध अंत शायद फासिस्टवाद और नाजीवादका भी अंत कर दे। जो कदम मैंने सुझाया है, वह कमसे कम फासिस्ट और नाजी तलवारको भोथरी तो कर ही डालेगा। क्योंकि ये दोनों साम्राज्यवादकी ही शाखाअें हैं।

“अिससे मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी शक्ति यह महान कदम अुठवानेके लिये खर्च करनी चाहिये। यह कदम विजयसे पहले ही अुठाया जाना चाहिये, विजयके बाद नहीं। भारतमें अंग्रेजोंका मौजूद रहना जापानको भारत पर चढ़ाअीका न्यौता देना है। वे चले जायं तो

चढ़ाओका लालच दूर हो जाय। परन्तु मान लीजिये कि लालच न मिटे, तो भी आजाद भारत उस चढ़ाओका ज्यादा अच्छी तरह सामना कर सकेगा। उस समय शुद्ध असहयोग पूरे जोशसे चलेगा।”

(ता० ४-५-'४२)

* * *

“मैं यह जरूर चाहता हूँ कि अंग्रेज ओशिया और अफ्रीका दोनोंसे चले जायं। परन्तु इस क्षण तो मैं अकेले हिन्दुस्तानकी ही बात करना चाहता हूँ।” (ता० ११-५-'४२)

* * *

“मैं यह कहता था कि मेरा पूरा नैतिक समर्थन ब्रिटेनके पक्षमें है। परन्तु मुझे यह स्वीकार करते बड़ा खेद हो रहा है कि अब मेरा मन वह नैतिक समर्थन देनेसे अिनकार करता है। भारतके प्रति ब्रिटेनने जो व्यवहार किया है उससे मुझे बड़ा दुःख हुआ है। मि० अमेरिके भाषणों और सर स्टेफर्ड क्रिप्सकी संघिवातके लिअे मैं बिलकुल तैयार नहीं था। अिनसे मेरी रायमें ब्रिटेनका पक्ष नैतिक दृष्टिसे अनुचित ठहरता है। मैं नहीं चाहता कि ब्रिटेनको अपमान और शर्मिन्दगी अुठानी पड़े। मैं यह नहीं चाहता कि अुसकी हार हो। फिर भी मेरा मन अुसे थोड़ा भी नैतिक समर्थन देनेसे अिनकार करता है।”

“ब्रिटेन और अमेरिका दोनोंके लिअे इस लड़ाओमें पड़नेका कोओी नैतिक आधार नहीं है — सिवा अिसके कि वे अपना अपना घर ठीक करें और साथ ही अफ्रीका और ओशिया दोनोंमें से अपना प्रभाव और अधिकार हटा लें तथा रंगभेद दूर करें। जब तक गोरोकी श्रेष्ठताका जहरीला कीड़ा पूरी तरह नष्ट न हो जाय, तब तक अुन्हें लोकतंत्र और संस्कृति तथा मानवीय स्वतंत्रताकी रक्षा करनेकी बात करनेका कोओी अधिकार नहीं।” (ता० १८-५-'४२)

* * *

“मैंने अपनी परेशान न करनेकी नीतिका जिस रूपमें वर्णन किया है अुस रूपमें वह अखंडित रहती है। यदि अंग्रेज चले जायं तो अुन्हें कोओी परेशानी नहीं रहती। अितना ही नहीं, यदि वे शांतिसे विचार करके देखें कि अेक समस्त राष्ट्रको गुलामीमें रखनेका क्या अर्थ है, तो अुनके सिरसे अेक भारी बोझ अुतर जाता है। वह अच्छी तरह जानते हूअे भी कि अुनके प्रति भारतमें द्वेषकी भावना फैली

हुआ है, यदि वे रहनेका आग्रह करेंगे तो वे परेशानी ही मोल लेंगे। सत्य जिस समय कितना ही कड़वा लगे तो भी उसके कहनेसे मैं परेशानी पैदा नहीं करता।”

* * *

“हम अपनी आंखोंके सामने जो घटनाओं रोज होती देखते हैं, उनकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते। गांवोंको खाली कराकर उन्हें फौजी छावनियोंमें बदल डाला जाता है, और प्रजासे कह दिया जाता है कि तुम अपना रहनेका प्रबन्ध कर लो। ब्रह्मदेशसे आनेवाले हजारों नहीं तो भी सैकड़ों मनुष्य भूखे-प्यासे मर गये। और उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमें उन्हें वह अप्रिय भेदभाव अनुभव करना पड़ा। गोरोंका रास्ता अलग और कालोंका अलग! गोरोंके लिये रहने और खाने-पीनेकी सारी व्यवस्था मौजूद, और कालोंके लिये कुछ नहीं! हिन्दुस्तान पहुंचनेके बाद अपने ही देशमें भेदभाव! जापानी अभी आये भी नहीं; उसके पहले ही हमें तिरस्कृत किया जा रहा है और पीसा जा रहा है। यह सब भारतवासियोंकी रक्षाके लिये तो हरगिज नहीं है। भगवान जाने किसकी रक्षाके लिये है? जिसलिये अंक मंगल प्रभातमें मैं यह शुद्ध मांग करनेके निर्णय पर पहुंच गया कि भगवानके खातिर भारतको उसके भाग्य पर छोड़कर आप चले जाजिये। हमें आजादीकी सांस लेने दीजिये। उन अमरीकी गुलामोंको अंकदम आजाद करनेसे जैसे वे घबरा गये और उनका श्वास रुंध गया, उसी तरह भले हमारे छुटकारेसे हमारा हाल होने दीजिये। परन्तु यह वर्तमान ढकोसला तो खतम होना ही चाहिये।” (ता० ७-६-’४२)

* * *

“यदि ब्रिटेन अपने अशियावी और अफ्रीकी देशोंका अधिकार कायम रखनेके लिये ही लड़ता हो, तो वह न्यायके पक्षका दावा करके लड़ाईमें विजय प्राप्त करनेका पात्र नहीं। मैं जिस बातसे अनभिज्ञ नहीं हूँ कि मेरा सुझाव स्वीकार करनेके परिणामस्वरूप ब्रिटेनको अपनी आर्थिक नीतिमें महत्त्वपूर्ण सुधार करने पड़ेंगे। परन्तु यदि जिस लड़ाईका सन्तोषजनक परिणाम लाना हो तो वे परिवर्तन बिलकुल जरूरी हैं।” (ता० २२-६-’४२)

ऐसा माननेवाले भी बहुतसे विचारशील लोग देशमें मौजूद थे कि जिस युद्धमें किसी भी प्रकार मित्रराष्ट्रोंकी जीत होनेमें ही लोकतंत्रके सिद्धान्तकी सुरक्षा

और जगतका कल्याण है। अन्हें गांधीजीकी यह बात बड़ी अेकांगी और भूल-भरी मालूम होती थी। जिस समय युद्ध नाजुक हालतमें पहुँच गया था और दुश्मन भारतके द्वार खटखटा रहे थे, अुस समय अंग्रेजोंको भारत छोड़कर चले जानेको कहना अेकदम नयी और विचित्र लगनेवाली बात तो थी ही। अतः गांधीजीने अिसके लिये लोकमत तैयार करनेकी और कुछ नहीं तो दुनियाको अपनी बात समझानेकी जी-तोड़ कोशिशें कीं। परन्तु भारत पर खतरा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस कोअी भी निश्चित अुपाय न करे तो अेक महान लोकसंस्थाके रूपमें अुसकी हस्ती अब टिक नहीं सकती थी। और गांधीजीको अपने लिये यह लगता था कि यदि अैसे विकट अवसर पर वे अपना अहिंसक असहयोग न आजमा सकें तो वह 'पर-अुपदेश कुशल' वाली बात हो जायगी। अिसलिये अन्हें महसूस हुआ कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ कर चले न जायं तो अंग्रेज सरकारके विरुद्ध प्राणोंकी बाजी लगाकर भी 'करेंगे या मरेंगे' का युद्ध करना ही चाहिये। राजाजी गांधीजीकी योजनाओंसे बिलकुल भिन्न ही रवैया रखते थे। अन्होंने अिलाहाबादकी महासमितिके यह प्रस्ताव पेश किया था कि पाकिस्तानकी बात मंजूर करके भी मुस्लिम लीगके साथ समझौता कर डाला जाय, जिससे ब्रिटिश सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी संयुक्त मांगको अस्वीकार न कर सके और युद्धमें भारत मित्रराष्ट्रोंके साथ रहकर लड़ सके। परन्तु अुनका प्रस्ताव भारी बहुमतसे (१२० विरुद्ध १५) अस्वीकृत हो गया। अिस प्रस्तावको स्वयं पेश कर सकनेके लिये ही अन्होंने कार्यसमितिकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया था। अुनका यह प्रस्ताव नामंजूर होने पर अन्होंने अिस बारेमें सार्वजनिक आन्दोलन शुरू कर दिया। पार्लमैण्टरी बोर्डके अध्यक्षकी हैसियतसे सरदारने अन्हें सलाह दी कि मद्रास धारासभाके सदस्य रहते हुअे आप अैसा आन्दोलन नहीं कर सकते, अितना ही नहीं बल्कि आपका आन्दोलन कांग्रेसकी स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण नीतिके विरुद्ध होनेके कारण आप कांग्रेसके प्रारम्भिक सदस्य भी नहीं रह सकते। सरदारका पत्र मिलते ही १५ जुलाअीको राजाजीने अपना अिस्तीफा दे दिया और कांग्रेससे अलग हो गये।

सरदार, राजेन्द्रबाबू, कृपालानीजी वगैरा कार्यसमितिके कुछ सदस्य गांधीजी जो कार्यक्रम देशके सामने रखें अुसमें अुनका पूरी तरह साथ देनेके मतके थे। परंतु जवाहरलालजी तथा मी० अबुलकलाम आजादको अैसे समय सरकारके विरुद्ध सत्याग्रहकी लड़ाअी छोड़ना ठीक नहीं लगता था। गांधीजीने अुनके साथ कअी दिनों तक चर्चा की। अंतमें वर्धामें कार्यसमितिकी बैठक बुलाअी गयी। वह बैठक ६ से १४ जुलाअी तक चली। हृदय-मन्थनपूर्ण

आठ आठ दिनोंकी चर्चाओंके अन्तमें कार्यसमितिके सब सदस्य गांधीजीसे सहमत हो गये, और यदि ब्रिटिश सरकार कांग्रेसकी बात न माने तो उसके विरुद्ध प्रचंड और देशव्यापी आन्दोलन छेड़नेके निश्चय पर आये। उस प्रस्तावके महत्त्वपूर्ण अंश यहां दिये जाते हैं :

“दिन-दिन होनेवाली घटनाओं और भारतवासियोंको हो रहे कटु अनुभवोंने कांग्रेसियोंकी अिस रायको सही ठहराया है कि भारतमें ब्रिटिश राज्यका अन्त होना ही चाहिये। अच्छीसे अच्छी होने पर भी विदेशी सत्ता अेक बुनियादी बुराई है और पराधीन राष्ट्रके लिये निरंतर हानिकारक है, केवल अिसीलिये नहीं परंतु अिसलिये भी कि भारतवासी अपनी रक्षा कर सकें और साथ ही मानवजातिका सर्वनाश कर रहे युद्धके भविष्य पर असर डालनेमें सक्रिय भाग ले सकें, ब्रिटिश राज्यका हिन्दुस्तानमें अंत होना चाहिये। हिन्दुस्तानकी आजादी केवल हिन्दुस्तानके हितकी दृष्टिसे ही आवश्यक नहीं है, बल्कि दुनियाकी सलामती, नाजीवाद तथा फासिस्टवाद और सैनिकवाद तथा साम्राज्यवादके अन्य स्वरूपोंका अन्त करनेके लिये और अेक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण बन्द करनेके लिये भी जरूरी है।

“जबसे विश्वयुद्ध छिड़ा है तबसे कांग्रेसने जानबूझकर ब्रिटेनको तंग न करनेकी नीति अस्तियार की है। अपने सत्याग्रह आन्दोलनके प्रभावहीन बन जानेकी हृद तक खतरा अुठाकर भी असने जानबूझकर अुसे सांकेतिक स्वरूप दिया। अैसा करनेमें असकी मुराद यह थी कि परेशान न करनेकी नीतिके पूर्ण पालनकी अुचित कद्व होगी और राष्ट्रके प्रतिनिधियोंको सच्ची सत्ता सौंप दी जायगी, ताकि जिस मानव स्वतंत्रताके आज कुचले जानेका खतरा पैदा हो गया है असकी संसार भरमें स्थापना करनेके कार्यमें यह राष्ट्र अपना पूरा हिस्सा दे सके। असने यह भी आशा रखी थी कि अैसी कोवी कार्रवायी तो हरगिज नहीं की जायगी जिससे भारत पर ब्रिटेनका फंदा और भी सख्त हो जाय।

“परंतु ये सब आशाओं नष्ट हो गयी हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्सके परिणामहीन प्रस्तावोंने स्पष्ट बता दिया है कि भारतके प्रति ब्रिटिश सरकारके रवैयेमें कोवी फर्क नहीं पड़ा है और भारत पर अंग्रेजोंका पंजा डीला नहीं होगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्सके साथकी संघिवाताओंकी असफलताके परिणामस्वरूप अिंग्लैण्डके विरुद्ध प्रजामें कटुताकी भावना बहुत तेजीसे और बड़ी मात्रामें बढ़ गयी है तथा जापानी सेनाकी विजय पर आनंदकी भावना पैदा हो रही है। कार्यसमिति अिस परिवर्तनको बड़े खतरेकी

नजरसे देखती है। जिस चीजको रोकान गया तो उसका परिणाम परोक्ष रूपमें आक्रमणको स्वीकार कर लेनेमें आयेगा। कार्यसमिति मानती है कि किसी भी हमलेका सामना करना ही चाहिये, क्योंकि किसी भी प्रकारसे उसके आगे झुकनेका अर्थ यह होगा कि भारतवासी अधोगति और स्थायी पराधीनता मोल ले लें। मलाया, सिंगापुर और ब्रह्मदेशके अनुभवको कांग्रेस भारतमें टालनेके लिये आतुर है और भारत पर जापान या अन्य किसी विदेशी सत्ताकी चढ़ाईका प्रतिकार करनेकी योजना बनानेकी आशा रखती है। कांग्रेसकी यह भी इच्छा है कि अंग्लैण्डके प्रति प्रजामें फैली हुयी मौजूदा कटुताकी भावना बदल कर उसके प्रति शुभेच्छाकी भावना पैदा हो। परंतु यह तभी हो सकता है जब भारत स्वातंत्र्यकी अूष्मा अनुभव करे।

“भारतसे अंग्रेजी हुकूमतके चले जानेका प्रस्ताव करनेमें ब्रिटेन या मित्रराष्ट्रोंको अुनके युद्ध-संचालनके कार्यमें किसी भी प्रकार तंग करनेकी या भारत पर जापानके आक्रमणको प्रोत्साहन देनेकी या चीन पर जापानका या धुरीराष्ट्रोंकी अन्य किसी सत्ताका दबाव बढ़ानेकी कांग्रेसकी जरा भी इच्छा नहीं है। इसलिये जापान या और किसी ताकतके हमलेका सामना करने तथा चीनकी रक्षा और सहायताके लिये मित्रराष्ट्रोंकी इच्छा हो तो यहां अुनकी सेनाओं रखनेमें कांग्रेसको कोअी आपत्ति नहीं है।

“इसलिये यद्यपि कांग्रेस अपना राष्ट्रीय ध्येय प्राप्त करनेके लिये अघीर हो अुठी है, फिर भी वह कोअी जल्दबाजीकी कार्रवाअी नहीं करना चाहती। केवल भारतके हितके लिये ही नहीं, परंतु ब्रिटेनके हितके लिये और जिस स्वतंत्रताके प्रति वह अपना विश्वास प्रगट करता है अुसके हितके लिये भी कांग्रेस अपना यह अत्यन्त न्यायपूर्ण और अुचित प्रस्ताव स्वीकार करनेकी ब्रिटेनसे अपील करती है।

“परंतु यदि यह अपील व्यर्थ सिद्ध होगी, तो कांग्रेस वर्तमान स्थितिके जारी रहनेको गंभीर भयकी नजरसे देखेगी। क्योंकि वह परिस्थिति दिन-दिन बिगड़ती जायगी और आक्रमणका सामना करनेकी भारतकी शक्ति और संकल्प कमजोर पड़ते जायेंगे। इसलिये राजनैतिक अधिकारों और स्वतंत्रताकी प्राप्तिके लिये सन् १९२० से कांग्रेसने अहिंसाकी नीति अपनाकर जो अहिंसक शक्ति संचित की है, अुस सारी शक्तिको काममें लेना अुसके लिये अनिवार्य हो जायगा। अैसी व्यापक और प्रचंड लड़ाअी गांधीजीके नेतृत्वमें ही हो यह

अनिवार्य है। जो मुद्दे पैदा हुअे हैं वे भारतके लिये और संयुक्त राष्ट्रोंकी प्रजाओंके लिये भी मर्मस्पर्शी और दूरगामी महत्त्वके हैं, जिसलिये कार्यसमिति अन्हें अन्तिम निर्णयके लिये महासमितिके सामने पेश करेगी। इसीके लिये महासमितिकी बैठक बम्बयीमें ७ अगस्त, १९४२ को होगी।”

अपुरोक्त प्रस्ताव पास हो जानेके बाद सरदारने निश्चित रूपसे मान लिया कि अब ब्रिटिश सरकारके साथ जीवन-मरणका संग्राम होना अनिवार्य है। जिसलिये बम्बयीमें महासमितिकी बैठक होनेसे पहले वे अहमदाबाद आये और सब कार्यकर्ताओंसे मिलकर तथा आमसभाओंमें भाषण देकर अन्होंने समझाया कि आगामी संग्राममें हमारा क्या धर्म है। अन्के भाषणोंमें से कुछ अंश यहां दिये जाते हैं:

“क्रिस्के प्रस्ताव देखकर ही गांधीजीने कहा कि अब सरकारके साथ समझौता होनेकी आशा छोड़ दो। अन्होंने अंग्रेजोंसे जो यह बात कही है कि यह देश छोड़कर चले जाओ, अुसका अर्थ अच्छी तरह समझ लीजिये। यह तो सभी जानते हैं कि हमला होनेवाला है। जिस देशमें ९९ नहीं परंतु ९९।।। फी सदी लोग यह कहते हैं कि भले ही दूसरा कोअी आ जाय, परंतु यह भूत तो अवश्य चला जाय। अंग्रेजोंके लिये जिस देशमें अितना अधिक जहर फैला हुआ है। जर्मनी या जापानकी जीत जब लोग सुनते हैं तो खुश होते हैं। अिनकी जीतकी बात तो सुन ही नहीं सकते। जर्मनी या जापानकी जीतमें देर होती है तब लोग निराश होते हैं और कहते हैं कि अितने दिन कैसे लग गये? लोगोंका जिस प्रकारका मानस हमारी दयाजनक स्थितिको बताता है। जिसमें हमारा अधःपतन है। हमारे देश पर कोअी चढ़ आये तो अुसके विरुद्ध जान हथेली पर रखकर लड़नेका हममें जोश होना चाहिये। परंतु किस तरह लड़ें? अंग्रेज हमें स्वतंत्र मनुष्यके रूपमें लड़ने कहां देते हैं? इसीलिये गांधीजी अुनसे कहते हैं कि भारत छोड़ दो और चले जाओ।

“और यहां रहना हो तो भी अेक ही शर्त पर। तुम्हारी फौज यहां रहे, पर जिस शर्त पर कि हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह कायम रहे। हमारे साथ संधि करके रहो। आज जैसी तुम्हारी अमरीका और चीनके साथ मंत्री है, रूसके साथ जैसी अभी तुमने मंत्री की है, अुसी तरह तुम यहां रह सकोगे। अब तुम अुस पुराने अिगलैण्डके नाते यहां नहीं रह सकते।

“अभी तक ये लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मदेशको वापस लेंगे। अनिसे पूछो तो सही कि ब्रह्मदेशके लोगोंने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? ब्रह्मदेशमें तुम्हें कोअी अड़चन न होने पर भी तुम वहांसे भाग क्यों आये? अिसकी क्या गारंटी है कि ब्रह्मदेशकी-सी हालत यहां नहीं होगी। वहांसे तो पीठ दिखाकर, ब्रह्मदेशका कचूमर निकलवा कर भाग आये हो।

“तुम कहते हो कि भारतकी रक्षा करनेकी जिम्मेदारी हमारी है। परंतु यह बात हमारे गले नहीं अुतरती। अितनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी ब्रह्मदेशकी रक्षा करनेकी भी तो थी? तुम तो अेक ही वाक्य रटते रहते हो कि अन्तमें जीत हमारी है। परंतु वह अन्त कब आयेगा?

“पूर्वके साम्राज्यके लिये तुम्हें अिस मुल्कको रणांगण बनाना है। रणांगण तो वह तभी बनेगा जब हम आजाद होंगे और दूसरे देशोंको स्वतंत्र करेंगे। परंतु चर्चिल आटलांटिक चार्टर पर दस्तखत करके अमरीकासे लौटे और भारतके बारेमें अुन्होंने जवाब दिया तबसे हमें तुम्हारी नीयतका पता लग गया है।

“जापानका रेडियो तो रोज चिल्लाता है कि हमें भारतका अेक टुकड़ा भी नहीं चाहिये। हम अन लोगोंको निकालनेके लिये ही लड़ रहे हैं। हमारे भी कुछ लोग अनमें मिल गये हैं। वे लोग कहते हैं कि यह तो स्वदेशाभिमानकी बात है। सुभाषबाबू भी वहीं हैं। परंतु हमें न जापानके रेडियोको मानना है और न अिस बातका भरोसा करना है कि मास्को आकर हमें छुड़ायेगा।

“कांग्रेसने तो निश्चय किया है कि हमें किसीकी मददकी जरूरत नहीं है। तुम समझकर यहांसे चले जाओ। परंतु ये समझनेवाले नहीं हैं। जबसे प्रस्ताव पास हुआ है तबसे अुनके अखबार छाती पीटने लगे हैं और शोर मचा रहे हैं। वे कहते हैं कि देशकी रक्षा करनी है। परंतु यह देश किसका है? और तुम्हें रक्षा करनी थी तो दुश्मनोंके हमलेके लिये रास्ता किसने खोला? ब्रह्मदेशकी रक्षा नहीं कर सके तभी तो भारत पर खतरा बढ़ा?

“परंतु अभी तक अुनकी नीयत तो यही है कि यहां भी ब्रह्मदेशका-सा हाल हो। अिसीलिये कांग्रेसने तय किया है कि अब तो लड़ ही लेना है। कांग्रेसके सिर पर यह अिलजाम लगाया जाता है कि वह पीठ पर वार कर रही है। परंतु यह पीठ पर वार करनेकी बात

नहीं है। यह तो तुम छाती पर चढ़ बैठे हो, वहांसे तुम्हें नीचे गिरानेकी बात है।

“गांधीजीने कहा है कि मैं जेलमें नहीं रहूंगा और न किसीको रखूंगा। यह लड़ाई लंबी नहीं होगी। इसका जल्दी ही निबटारा करना है। यहां जापानियोंके आनेसे पहले हमें आजाद होना है। ये तो भाग जायेंगे तो भी कोअ्री हर्ज नहीं। मगर हम भागकर कहां जायं ?

“जापानियोंके यहां आनेसे प्रसन्न होना गुलामीकी वृत्ति है। स्वतंत्र देशकी भावना तो अके ही हो सकती है कि अिन्हें निकाल दें और दूसरा कोअ्री आनेकी कोशिश करे तो अुसे आने न दें। अिसीलिअे गांधीजी अिस लड़ाअीको तेज करनेवाले हैं। अिमकी कल्पना गांधीजीके पास है और वे अुसे पेश भी करनेवाले हैं। अुस समय अिस बातकी परीक्षा हो जायगी कि आप क्या करेंगे ?

“भविष्यकी स्वतंत्रताकी आशासे कांग्रेस किसी प्रकारका समझौता नहीं कर सकेगी। अुसे तो भारतके लोगोंको विदेशी आक्रमणके विरुद्ध बचाव करनेके लिअे तैयार करना है। भावी आशाअें दिलानेसे वह नहीं हो सकता। अभी तुरंत अुसे स्वतंत्रता मिले तो ही भारत अपनी तैयारी कर सकता है।

“‘भारत छोड़कर चले जाओ’ का प्रस्ताव पास होनेके बाद भारतकी दुनिया भरमें चर्चा हो रही है। आज विलायत और अमरीकाके अखबार कालमके कालम भरकर रोष अुगल रहे हैं। अुनके अखबारोंमें हजारों रुपये खर्च करने और बहुत परिश्रम करने पर भी अितनी जगह भारतको नहीं मिलती अुतनी आज मिल रही है।

“अिस समय कांग्रेसने यह प्रस्ताव पास करके अुनके लोकतंत्रको कसौटी पर चढ़ा दिया है। हम सबकी भी अिससे परीक्षा हो जायगी कि भारतको सचमुच आजादी चाहिये या नहीं।

“हां, अिस परीक्षामें पास होना हो तो, जैसा गांधीजी कहते हैं, अिस लड़ाअीको छोटी और वेगवान बनाना है।

“देशमें जो अिन्कलाब आनेवाला है वह अितनी अधिक प्रचंड और शीघ्र गतिसे आयेगा कि अुसमें तमाम स्त्री-पुरुषों और छोटे-बड़ोंको सक्रिय भाग लेना होगा। यदि वह भाग आपने लिया तो आज जो आलोचनाअें विलायत और अमरीकाके समाचारपत्रोंमें हो रही हैं अुनका जवाब मिल जायगा। यदि कांग्रेसके पीछे थोड़े ही लोग

हैं तो अितना भारी भुबाल, अितना अधिक क्रोध और अितनी ज्यादा घबड़ाहट किसलिअे है ? यदि गांधीजीकी अिस लड़ाकीके साथ थोड़ेसे ही मनुष्य हैं तो अुन थोड़ांके लिअे जेलोंमें जगह है। परंतु अुन्हें पता लग गया है कि यह लड़ाकी अैसी होगी जैसी भारतमें आज तक कभी नहीं हुअी।

“कहा जाता है कि ब्रिटेन और अमरीका लोकतंत्रकी लड़ाकी लड़ रहे हैं। परंतु अुनके लोकतंत्रका अर्थ है काले लोगोंको लूटना। यह तो लूटके बंटवारेकी लड़ाकी है। अेशिया और अफ्रीकाको लूटनेके लिअे और आपसमें अुनका बंटवारा कैसे किया जाय अिसके लिअे यह लड़ाकी है।

“ब्रिटिश हुकूमतका अगर कोअी सबसे सच्चा मित्र हो सकता है तो वह महात्माजी हैं। महात्माजीने सदा अेक सार्जण्टकी तरह ब्रिटिश सरकारकी सेवा की है। परंतु लगभग ७४ वर्षकी अुम्रमें महात्माजीको यह महसूस हुआ कि अब हमें अिनसे अलग होना ही पड़ेगा।

“अैसा समय फिर नहीं आयेगा। मनमें कोअी डर न रखिये। यह मौका दुबारा नहीं आनेवाला है। किसीको यह कहनेका मौका न आये कि गांधीजी अकेले थे। ७४ वर्षकी अुम्रमें भारतकी लड़ाकी लड़नेको, यह बोझ अुठानेको वे बाहर निकलते हैं। तब हम भी अपना कर्तव्य सोच लें। आपसे मांग की जाय या न की जाय, समय आये या न आये, आपके लिअे पूछनेको कुछ रह नहीं जाता। यह पूछते बैठे न रहना कि अब क्या कार्यक्रम है। १९१९ में रीलेट अेक्टके विरोधसे लेकर आज तक जितने कार्यक्रम बनाये गये हैं अुन सबका अिसमें समावेश करना है। करबन्दीकी लड़ाकी, सविनय कानून-भंग और अैसी ही दूसरी लड़ाअियां, जो सीधे रूपमें सरकारी शासनको रोक देनेवाली होंगी, कांग्रेस अपना लेगी। रेलवेवाले रेल बन्द करके, तारवाले तारविभाग बन्द करके, डाकवाले डाकखाना छोड़कर, सरकारी नौकर नौकरियां छोड़कर, शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल-कॉलेज बन्द करके सरकारके तमाम यंत्रोंको रोक देंगे। यह लड़ाकी अिस किस्मकी होनेवाली है। अिसमें आप सब भाअी-बहन साथ देना। अिस लड़ाकीमें आपका सच्चे दिलसे साथ होगा तो वह थोड़े ही दिनमें खतम हो जायगी और अंग्रेजोंको यहांसे चले जाना पड़ेगा। काम करनेवालोंको सरकार पकड़ ले जाय तो भी प्रत्येक भारतवासी कांग्रेसी बनकर अपना

फर्ज अदा करे और पुकार होते ही लड़नेको तैयार हो जाय। असा हुआ तो स्वतंत्रता भारतका द्वार खटखटाती हुअी आ खडी होगी।

“महात्माजी और नेताओंको पकड़ ले जायेंगे, यह समझकर ही आपको लड़ाजी छोड़नी है। गांधीजी पर हाथ डालते ही चौबीस घंटेमें ब्रिटिश सरकारका सारा तंत्र टूट जाय, असा करनेकी ताकत आपके हाथोंमें है। आपको तमाम कुंजियां बता दी गजी हैं। अउन पर अमल करना। सरकारका तंत्र चलानेवाले सभी दूर हट जायेंगे तो यह सारा ही तंत्र टूट जायगा।

“जिस दिन हिन्दुस्तान आजाद होगा अुस दिन कांग्रेसका अपने-आप विसर्जन हो जायगा। अुस दिन कांग्रेसका काम पूरा हो जायगा। कांग्रेस अपने लिअे सत्ता नहीं मांग रही है, देशके लिअे मांग रही है। कांग्रेसका और महात्माजीका आदेश शिरोधार्य करके देशका नाम अुज्ज्वल करना।”

सरदारके अुस समयके भाषण टाइपके जड़ अक्षरोंमें शायद अितने अुप न लगे, परंतु सुननेवाले सब असा कहते थे कि आजकल अुनकी जवानसे दहकते हुअे अंगारे बरस रहे हैं।

३५

नौ अगस्त

८ अगस्तकी मध्यरात्रीमें महासमितिके ‘अंग्रेजो, चले जाओ’ और न जायं तो अुनके विरुद्ध अहिंसक परंतु प्रचंड और देशव्यापी विद्रोह छेड़ देनेका प्रस्ताव पास किया। गांधीजीने लंबा भाषण देकर लोगोंको ‘करेंगे या मरेंगे’ का मंत्र दिया। अुनके भाषणका अितना अधिक प्रभाव पड़ा कि जिन लोगोंने कभी सविनय कानून-भंगकी लड़ाअियोंमें भाग नहीं लिया था, अितना ही नहीं जो विचारपूर्वक अुनसे दूर रहे थे, अुन्हें भी महसूस हुआ कि अिस बार हम देशकी मुक्तिके लिअे कुछ न कुछ नहीं कर गुजरे तो हमारा जीवन बूथा होगा। गांधीजीने अपने भाषणमें कहा था कि मैं तुरंत लड़ाजी नहीं छेड़ूंगा, अभी मैं वाअिसरायसे मिलूंगा और समझौतेका अन्तिम प्रयत्न कर देखूंगा। दूसरे नेताओंके भी जोशीले भाषण हुअे। राजेन्द्रबाबू अपनी आत्मकथामें लिखते हैं कि अूनमें सरदार बल्लभभाजीके भाषणकी लोगोंने बडी सख्ख्खा की। वह सारा भाषण पाठकोंको ‘सरदार पटेलके



'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास हुआ अक्सर पहले पंडितजीके साथ

भाषण* नामक पुस्तकमें से पढ़ लेना चाहिये। यहाँ उसके कुछ महत्त्वपूर्ण अंश ही दिये गये हैं :

“हम आजादीकी आखिरी लड़ाई छेड़नेवाले हैं, जिसके विरुद्ध कुछ आलोचक धमकी दिखाते और कहते हैं कि तुम लड़ाई छोड़ोगे तो तुम पर मुसीबतें आ जायंगी। कोअी अपदेश देकर समझदारी दिखाते हैं कि जिससे तो मित्रराष्ट्रोंके युद्ध-प्रयत्नोंको हानि पहुंचेगी। जिस सारी डाट-डपट और सलाह-अपदेशोंके अन्तर मेरे पास हैं। परन्तु हम अन्हें किस प्रकार अन्तर दें? अणु देशोंमें हमारे अखबार नहीं हैं, रेडियो पर हमारा अधिकार नहीं है, और सरकारने सेंसरकी कंडी चौकी लगा रखी है। वह जितनी बात यहांसे बाहर जाने देगी अतनी ही बाहर जायगी। हमारे दिलकी सच्ची बात तो दूसरे देशों तक पहुंचने ही नहीं पायेगी।

“सरकार विदेशोंमें यह प्रचार करती है कि कांग्रेसके साथ है कौन? वह तो मुट्ठीभर आदमियोंकी बनी हुआ संस्था है, जो रोज अठकर यह सारा अूधम मचाते हैं। नौ करोड़ मुसलमान कांग्रेसके साथ नहीं हैं, सात करोड़ हरिजन कांग्रेसके साथ नहीं हैं और देशीराज्योंकी सात करोड़ प्रजा भी कांग्रेसके साथ नहीं है। समझदार माने जानेवाले नरम दलवाले उसके साथ नहीं हैं। रेडिकल, डेमोक्रेट और कम्युनिस्ट भी उसके साथ नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे साथ कोअी भी नहीं, परन्तु अपनेको शरीफ कहनेवाले अंग्रेज तो हैं न? हमें अन्हीसे काम है। यदि कांग्रेसको देशका साथ नहीं है तो फिर तुम्हें उसका अितना डर क्यों लगता है? तुम्हें जलमें, थलमें, बस्तीमें, जंगलमें सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस क्यों दिखायी देती है?”

*

*

*

“हमने तो तीन तीन बरस तक राह देखी। गांधीजीने कांग्रेससे कहा कि ब्रिटेन मुसीबतमें फंस गया है, अैसे समय असे परेशानी पैदा करनेवाला कोअी काम न किया जाय। उसके युद्ध-प्रयत्नोंमें कोअी दिक्कत पैदा न हो, जिसके लिये गांधीजी बड़ीसे बड़ी चिन्ता करते रहे। परन्तु अब अउनका भी धीरज टूट गया है। युद्ध भारतका द्वार खटखटा रहा है। अंग्रेज भारतकी रक्षा करनेका दावा कर रहे हैं, परन्तु क्या हमें मालूम नहीं है कि ब्रह्मदेशके लिये भी वे अैसा ही

* नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद; कीमत ५-०-०; डाकखर्च

कहते थे ? वे कितना ही दावा करें परंतु सारे भारतवासियोंके हादिक सहयोगके बिना अंग्रेज भारतका बिलकुल बचाव नहीं कर सकेंगे । ब्रिटेन तो ब्रह्मदेशकी रक्षा करनेके लिये भी मैदानमें कूदा था । परंतु वह हाथसे जाता रहा । उसी प्रकार भारत भी जापानियोंके हाथोंमें न चला जाय, इसीके लिये यह हमारी लड़ाई है ।

“ लड़ाई खतम होने पर हमें आजादी देनेका वचन दिया जाता है । परंतु हम उस वचनको मानें कैसे ? लड़ाईके अंतमें भारतको स्वतंत्रता देनेके लिये तुम रहोगे या नहीं, अथवा वह आजादी देनेकी ताकत तुम्हारे पास होगी या नहीं, इसका क्या भरोसा ? लड़ाईके अन्तमें भारत ही दूसरोंके हाथोंमें जा पड़े तो फिर ब्रिटेन उसे आजादी देने कहांसे आयेगा ? उस समय हम चर्चिल साहबको ढूढ़ने कहां जायेंगे ? और मान लो कि तुम जीत गये । परंतु अभी जब तुम्हारे कंठमें प्राण आ गये हैं तब भी अगर तुम अितनी चालबाजियां कर रहे हो तो जीतनेके बाद तो भारत तुम्हारे पंजेसे छूटेगा ही कैसे ? क्या हम अितनी-सी बात भी नहीं समझते ? ”

*

*

*

“ हमारी दलील अक ही है । भारतका चालीस करोड़ लोगोंका राष्ट्र ऐसी आफतके वक्त निष्क्रिय बैठा रहे तो दुनिया-भरमें हमारी निन्दा होगी । हमें यह नहीं चाहिये । अब हमें ब्रिटेन पर भरोसा नहीं रहा कि वह हमारा बचाव कर सकेगा । इसलिये हमें ही अपना बचाव करनेको तैयार होना है, और आक्रमणकारियोंका सामना करके मित्रराष्ट्रोंको भी विजय प्राप्त करानी है । इसीके लिये हम भारतीयोंको अधिकार देनेकी मांग कर रहे हैं । परंतु जब हम ऐसा कहते हैं तब सरकार नाराज होती है । भले ही हो । हम मजबूर हैं ।

“ हमारे विरुद्ध यह अिलजाम लगाया गया और उसका प्रचार किया गया है कि कांग्रेस जापानियोंको निमंत्रित करना चाहती है । यह सरासर झूठ है, वस्तुस्थितिको बिलकुल अुलटे रूपमें अुपस्थित करना है । जापानियोंको भारतमें कोअी चाहता है, यह बात बिलकुल झूठ है । परंतु हर भारतीयके हृदयमें जो बात बस गयी है वह तो यह है कि तुम अब यहां न रहो । यहांसे चले जाओ । ‘क्विट इंडिया’ । हमें छोड़ दो । तुम हटो । हम अपना निबट लेंगे । हम हाथ बांधे नहीं बैठे रहेंगे । ”

*

*

*

“अब कांग्रेसकी लड़ाईके बारेमें कहूं। यह कड़ी लड़ाई होगी। गांधीजीने आपको सावधान कर दिया है। जिससे पहले हमने कभी लड़ाइयां लड़ी हैं। परंतु अगली लड़ाई कुछ दूसरे ही प्रकारकी होगी। हम यह देख रहे हैं कि देशकी आजादीके लिये रूस और चीन कैंसी कुर्बानियां कर रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं? कितनी बर्बादी हो रही है?”

“यह न समझना कि ब्रिटिश हुकूमतके साथ समझौता हो जायगा। असा मानेंगे तो पूरा धोखा खायेंगे। अब जेलोंकी बात भी नहीं रही। यह तो बिलकुल अलग प्रकारकी लड़ाई है। किसी हलके हिसाबसे यह प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। यदि आप यह समझते हों कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा, रोजगार-घंघे चलते रहेंगे, अधिकसे अधिक जेलोंमें जा बैठेंगे, खायेंगे, पियेंगे और पढ़ेंगे तो यह प्रस्ताव पास न कीजिये।

“परंतु यदि आज आपकी अैसी तैयारी हो कि जिस लड़ाईमें आजादी लेनेके लिये मरनेकी नौबत आ जाय, फना होना पड़े तो भी परवाह नहीं तो चलिये, आगे बढ़िये। फिर यह भी मान लीजिये कि जिससे जो मिलेगा वह सारे मुल्कको मिलेगा। हमें कुछ नहीं चाहिये। अितनी तैयारी हो तो ही जिसमें शामिल होजिये।

“ब्रिटिश पार्लियामेण्टमें मेरे अेक बयान पर प्रश्नोत्तर हुआ। किसीने पूछा कि पटेल कहता है कि कांग्रेसको सत्ता नहीं चाहिये, किसीको भी दे दो परंतु हिन्दुस्तानीको दो — क्या यह सच है? जवाबमें कहा गया कि यह तो अेक व्यक्तिकी कही हुअी बात है, कांग्रेसकी नहीं। बादमें तो अध्यक्ष महोदयने खुद कहा कि तुम चले जाओ; किसीको भी सत्ता सौंप दो, मगर चले जाओ। भले ही मुस्लिम लीगको सौंप दो। मैं तो कहता हूं, चोर-डाकुओंको सौंप जाओ। हम बादमें आपसमें निबट लेंगे। परंतु तुम भारत छोड़कर चले जाओ। हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ लड़ना ही पड़ेगा।

“हमारा शस्त्र अहिंसा है। यह शस्त्र कैंसा भी हो, परंतु जिसकीके द्वारा पिछले बाअीस वर्षमें दुनियामें हमारी अिज्जत बढ़ी है। और जिस लड़ाईमें अैसी कोअी शर्त नहीं कि दिलमें भी अहिंसा होनी चाहिये। यह तो केवल कार्यकी बात है। कार्यमें अहिंसा चाहिये।

“सब पूछते हैं कि लड़ाईका कार्यक्रम क्या है। पहलेकी लड़ाइयोंके समय हमारा कार्यक्रम हमेशा गांधीजीने तैयार किया है। वे यहां मौजूद हैं। वे जो हुक्म दें अुसे हम पूरा करें। वे जैसा कहें

वैसा करना सैनिकोंका काम है। हमें बहुत डांट-डपट दी जा रही है। हुकूमतका तरीका तो प्रसिद्ध है। अनेक विज्ञप्तियां और आर्डिनेन्स तैयार करती रहती है और करेगी। वे सब पहलेकी लड़ायियोंके समयसे फाइलोंमें तैयार ही रखे हैं। नयी बात क्या करनी है? परंतु अपनी जिम्मेदारी हमें सोच-समझ लेनी है। जब तक गांधीजी विद्यमान हैं तब तक वे जो आज्ञा दें, जो हिदायत जारी करें, अंकेके बाद अंक जो कदम अुठानेको कहें वही कदम हमें अुठाना है। न जल्दबाजी करनी है और न पीछे रहना है। प्रत्येक मनुष्यको आज्ञा-पालन और अनुशासन-पालन करना है। परंतु मान लीजिये कि सरकारने ही कुछ किया, सबको पहलेसे ही पकड़ लिया, तो क्या किया जाय? यदि अैसा हो, यदि सरकार गांधीजीको पकड़ ले, तो फिर किसी कदम-बदमकी बात नहीं हो सकती। फिर तो प्रत्येक भारतवासीका — जिसने अिस देशमें जन्म लिया है अैसे हरअेक नागरिकका — यह फर्ज हो जायगा कि अिस देशकी आजादीको तुरंत हासिल करनेके लिये अुसे जो कुछ सूझे वह सब कर गुजरे। दुनियामें आज हमारी परीक्षा हो रही है। यह समझ लीजिये कि १९१९ से लगाकर आज तक हमने समय समय पर जिन जिन कार्यक्रमों पर अमल किया है वे सभी अिस लड़ाईमें आ जाते हैं। सब अेकसाथ, अिकटुंठे; अलग अलग नहीं। प्रत्येकको स्वतंत्र भारतीयकी तरह व्यवहार करना है। सिर्फ अहिंसाकी मर्यादा रखकर सभी कुछ कर गुजरना है। अेक भी चीज बाकी नहीं रखनी है। संक्षिप्त और तेज लड़ाई लड़नी है। अुसे जल्दी खतम करना है। जापानके यहां आनेसे पहले आजाद होकर अुसका मुकाबला करनेको तैयार हो जाना है। अिसमें कोअी बात-चीत करनेकी अब गुंजाअिश नहीं। जो यहां बैठे हैं वे सब यहांसे अितनी ही बात लेकर जायं। जब तक गांधीजी हैं तब तक वे हमारे सेनापति हैं, परंतु यदि वे पकड़े गये तो किसीकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं रहेगी। सारी जिम्मेदारी ब्रिटेनके सिर पर रहेगी। अराजकताकी जिम्मेदारी भी अुसीके सिर पर होगी। अब अराजकताका डर देशको रोक नहीं सकेगा।

“दूसरा कोअी मार्ग ही नहीं है। हमें आजाद होना है। गुलामी अब अेक घड़ी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती।”

महासमितिकी बैठक पूरी हुअी तभीसे सारे बंबअी शहरमें अफवाहें फैल रही थीं कि अब गांधीजी और कांग्रेसके मुख्य मुख्य नेताओंको पकड़

लिया जायगा। हां, गांधीजी जिस बातको हंसीमें अड़ा देते थे। वे तो निश्चयपूर्वक मानते और कहते थे कि वाजिसराय मेरे मित्र हैं और वे मुलाकातकी मेरी मांगको ठुकरा नहीं देंगे। गांधीजी सदा सत्याग्रहीके तौर पर ही विचार करते थे। विरोधी पर वे विश्वास रखते थे कि वह सचाजी और निखालसपनकी अवश्य कद्र करेगा। वे शान्ति और समझौतेके लिये सदा लालायित रहते और वाजिसरायसे बातचीत करके सुलहका रास्ता निकालना चाहते थे। परंतु सरकार अपने ढंगसे ही विचार करती थी। उसे तो जबरन् भारतको अपने कब्जेमें रखना था। जिसलिये उसने अपने ढंगका पक्का बन्दोबस्त कर रखा था। ९ अगस्तको प्रातःकाल ही गांधीजीको, कार्यसमितिके जो सदस्य बम्बयीमें थे अन्हें और दूसरे बहुतसे कांग्रेसी नेताओंको पकड़ लिया गया। देशमें स्थान स्थान पर इसी प्रकार गिरफ्तारियां हुआं। गांधीजीको महादेवभाभी तथा अन्य कुछ साथियों सहित आगाखां महलमें रखा गया। पू० कस्तूरबा तथा और कुछ साथियोंको बादमें वहां पहुंचा दिया गया। सरदारको और कार्यसमितिके दूसरे सदस्योंको अहमदनगरके किलेमें रखा गया। लगभग तीन वर्ष तक उस किलेके दरवाजे उनके लिये बन्द रहे। ९ अगस्तसे सरकारके विरुद्ध देशमें असा विद्रोह हुआ जो १८५७ के गदरको भी भुला दे।

*

*

*

८ अगस्त १९४२ को मध्यरात्रीमें बम्बयीकी महासमिति द्वारा पास किया गया 'भारत छोड़ो' का स्मरणीय प्रस्ताव जिस प्रकार था :

“अपने १४ जुलाजी, १९४२ के प्रस्ताव द्वारा कार्यसमितिके जो प्रश्न निर्णयके लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सुपुर्द किया था, उसके बारेमें उसने पूरे ध्यानके साथ विचार किया है। साथ ही युद्धकी परिस्थितिमें अतुरोत्तर हुअे परिवर्तनों, जिम्मेदारीके साथ बोल सकनेवाले ब्रिटिश सरकारके नेताओंके वचनों और उस प्रस्ताव पर भारत और विदेशोंमें भी होनेवाले विवेचनों और आलोचनाओं वर्गंरा तथा उसके बाद होनेवाली सब घटनाओं पर समितिने अतना ही ध्यानपूर्वक विचार किया है। महासमिति कार्यसमितिके प्रस्तावको स्वीकार करती है। समितिकी यह राय है कि बादमें हुआ घटनाओंसे उस प्रस्तावका अधिक समर्थन हुआ है। और यह बात दीपककी भांति स्पष्ट हो गयी है कि मित्रराष्ट्रोंके ध्येयकी सिद्धिके लिये और भारतकी सुरक्षाके लिये उस पर ब्रिटिश हुकूमतका तत्काल अंत होना जरूरी है। जिस हुकूमतके बने रहनेसे भारतकी अतुरोत्तर

अवनति हो रही है, वह अधिकाधिक दुर्बल होता जा रहा है और अिससे अुसकी अपनी रक्षाकी और संसारकी मुक्तिके कार्यमें हाथ बंटानेकी शक्ति घटती जा रही है।

“युद्धके रूस और चीनके मोर्चों पर बिगड़ती जा रही परिस्थितिको देखकर समितिको चिन्ता हुअी है। वह रूसी और चीनी लोगों द्वारा अपनी स्वातंत्र्य-रक्षाके लिये दिखायी गयी अुच्च प्रकारकी वीरताकी कद्र करती है। अिस बढ़ते जा रहे खतरेके कारण स्वतंत्रताके लिये जो लोग संग्राम कर रहे हैं और आक्रमणके शिकार हुअे लोगोंके प्रति जो लोग सहानुभूति रखते हैं, अुन सबका फर्ज है कि मित्रराष्ट्रोंने अब तक जिस नीतिसे काम किया है अुसके बुनियादी सिद्धान्तोंकी परीक्षा करें। अुसी नीति और अुन्हीं सिद्धान्तोंके कारण अुन्हें बार बार आपत्तिजनक असफलता सहनी पड़ी है। अैसे आशयों, नीतियों और पद्धतियोंसे चिपटे रहनेसे असफलता सलफतामें नहीं बदल जायगी, क्योंकि आज तकका अनुभव बताता है कि असफलता अिन नीतियोंमें ही निहित है—अुनकी जड़में विद्यमान है। ये नीतियां विशेषतः स्वतंत्रताके लिये नहीं, परंतु पराधीन और औपनिवेशिक प्रजाओं पर नियंत्रण बनाये रखनेकी साम्राज्यवादी परंपरा और पद्धति जारी रखनेके आशयसे बनायी गयी हैं। साम्राज्य पर स्वामित्व रखनेसे शासक सत्ताका बल बढ़नेके बजाय अुल्टा साम्राज्य अुसके लिये भाररूप और अभिशापरूप बन गया है।

“आधुनिक साम्राज्यवादके ज्वलन्त अुदाहरणरूप भारतकी स्थिति परसे सारे प्रश्नकी कड़ीसे कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि भारतकी मुक्ति परसे ही ब्रिटेन और संयुक्त राज्योंके न्यायकी जांच होगी और अुसिके द्वारा अेशिया और अफ्रीकाके लोगोंमें आशा और अुत्साहका संचार होगा।

“अिस प्रकार अिस देशमें ब्रिटिश हुकूमतका अन्त होना अेक अत्यंत जरूरी और अुतना ही महत्त्वका मुद्दा है। अुस पर युद्धके भविष्यका और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रवादकी सफलताका आधार है। अपनी स्वतंत्रताके युद्धमें और नाजीवाद, फासिस्टवाद और साम्राज्यवादके आक्रमणके विरुद्ध लड़े जानेवाले युद्धमें स्वतंत्र भारत अपनी सारी साधन-संपत्ति काममें लेकर अुस सफलताको निश्चित बनायेगा। भारतकी मुक्तिका असर केवल युद्धके भविष्य पर ही बड़ी मात्रामें नहीं पड़ेगा, बल्कि अुससे सारी पराधीन और दलित मानवता संयुक्त

राज्योंके पक्षमें हो जायगी, भारत उनका मित्र बन जायगा और संसारका नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्राप्त हो जायगा। बंधनोंमें फंसा हुआ भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादका प्रतीक बनकर रहेगा और उस साम्राज्यवादके कलंकका असर सारे मित्रराष्ट्रों तक पहुंचेगा।

“असलिये वर्तमान खतरेसे भारतकी स्वतंत्रताकी और उस परसे ब्रिटिश हुकूमतके खात्मेकी जरूरत पैदा होती है। भविष्यमें पालन होनेवाले किसी वचन या उसके लिये दिये जानेवाले आश्वासनोंसे आजकी परिस्थिति पर कोआ प्रभाव नहीं पड़ेगा और न उस खतरेका कोआ अिलाज हो सकेगा। आम जनताके हृदय पर उसका जैसा चाहिये वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। युद्धके स्वरूपको तुरंत पलट डालनेके लिये आवश्यक करोड़ों लोगोंका बल और अत्साह स्वातंत्र्यकी गरमीसे ही अुत्पन्न हो सकता है।

“असलिये ब्रिटिश हुकूमतके भारतसे हट जानेकी मांगको महा-समिति पूरा जोर देकर दोहराती है। भारतकी आजादीकी घोषणा होते ही अेक कामचलाअू सरकार बनाओ जायगी और मुक्तिकी लड़ाओके संयुक्त साहसमें जो दिक्कतें और तकलीफें आयें अुन्हें सहनेमें स्वतंत्र भारत मित्रराष्ट्रोंका साथी बनेगा। यह कामचलाअू सरकार देशके खास खास दलों और समूहोंके सहयोगसे ही स्थापित की जा सकती है। अस प्रकार वह भारतके लोगोंके सभी मुख्य-मुख्य विभागोंके प्रतिनिधित्ववाली मिश्र सरकार होगी। अपने पासके तमाम अहिंसक सामर्थ्यसे और सशस्त्र सेनासे मित्रराष्ट्रोंके साथ रहकर आक्रमणका मुकाबला करके भारतकी रक्षा करना और जो लोग सर्वसत्ता तथा अधिकारके तत्त्वतः स्वामी हैं अुन खेतों, कारखानों और अन्य स्थानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंके कल्याण और प्रगतिको प्रोत्साहन देना, आदि सब अस सरकारके शुरूके काम होंगे।

“यह कामचलाअू सरकार भारतके शासनके लिये लोगोंके सभी विभागोंको स्वीकार्य संविधान तैयार करनेके लिये अेक लोक-प्रतिनिधि-सभाकी योजना बनायेगी। कांग्रेसके मतानुसार यह संविधान समवाय-तंत्रके ढंगका होगा। उस समवायतंत्रकी अिकाअियोंको अधिकसे अधिक स्वशासनके अधिकार होने चाहिये, और समस्त शेष सत्ता अुनके पास रहनी चाहिये। पारस्परिक लाभके लिये और हमलेका सामना करनेके सबसे संबंधित कार्यमें सहयोग देनेके लिये संयुक्त राष्ट्रोंके जो प्रति-निधि सलाह-मशविरेके लिये जमा होंगे, वे भारत और मित्रराष्ट्रोंके

बीचके भावी संबंध तय करेंगे। मुक्ति प्राप्त होते ही लोगोंके संयुक्त संकल्पबल और सामर्थ्यसे आक्रमणका प्रतिकार किया जा सकेगा।

“भारतकी मुक्ति विदेशी शासनके नीचे दबे हुए अशिया और अफ्रीकाके लोगोंकी मुक्तिका प्रतीक और प्रारम्भ बनना चाहिये। ब्रह्मदेश, मलाया, हिन्दचीन, डच इंडीज, आिरान और आिराक आदि सभीको पूर्ण स्वातंत्र्य मिलना चाहिये। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि अिन देशोंमें से जो अिस समय जापानी हुकूमतके मातहत हो गये हैं, उनमें से कोआी भी देश किसी अन्य औपनिवेशिक सत्ताके शासनके अधीन नहीं रखा जाना चाहिये।

“महासमितिका मुख्यतः तो अिस खतरेके समय भारतकी स्वतंत्रता और अुसकी रक्षाके साथ ही संबंध होना चाहिये। तो भी समितिकी यह राय है कि संसारकी भावी शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रगतिके लिये सारी दुनियाके स्वतंत्र राष्ट्रोंका समवायतंत्र स्थापित होना जरूरी है। अैसे तंत्रकी स्थापनाके बिना और किसी भी आधार पर आधुनिक जगतका अेक भी प्रश्न हल नहीं हो सकता। यह तंत्र अपने संविधानमें शामिल होनेवाले सभी राष्ट्रोंकी स्वतंत्रताकी रक्षा करेगा, अेक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्रके आक्रमण और शोषणको रोकेगा, राष्ट्रोंमें अल्पमतोंकी रक्षा करेगा, पिछड़े हुए प्रदेशों और प्रजाओंका सुधार करेगा और संसारके समस्त साधनोंको सबके समान हितोंके लिये संगठित करेगा। अैसे विश्वव्यापी तंत्रकी स्थापनासे सब देशोंमें निःशस्त्रीकरण व्यावहारिक रूपमें सफल हो सकेगा। राष्ट्रोंको अपनी अपनी अलग स्थलसेनाओं, जलसेनाओं और हवाअी दलोंकी जरूरत नहीं रहेगी और समवायतंत्रके अधीन अेक संरक्षक सेना दुनियाकी शान्तिकी रक्षा करेगी और आक्रमणोंको रोकेगी।

“स्वतंत्र भारत अखिल जगतके अैसे समवायतंत्रमें सुशीसे शरीक होगा और आन्तरराष्ट्रीय प्रश्नोंको हल करनेके काममें दूसरे देशोंके साथ समानताके आधार पर सहयोग करेगा।

“समवायतंत्रके मूलभूत सिद्धान्त जिन्हें मान्य हों वे सब राष्ट्र अुसमें शामिल हो सकेंगे। परन्तु अभी युद्धकाल है, यह देखते हुए शुरूमें वह तंत्र अनिवार्य रूपमें मित्रराष्ट्रों तक ही सीमित रहेगा। अिस समय यह कदम अुठाया जाय तो अुसका युद्ध पर, घुरीराष्ट्रोंके लोगों पर और साथ ही भविष्यमें होनेवाली सुलह पर भारी असर होगा।

“यह समिति जिस बात पर खेद प्रकट करती है कि युद्धके कहरण और चित्तको क्षुब्ध करनेवाले अनुभवोंके बावजूद और संसार पर अनेक खतरे मंडराते हुआ भी शायद ही अनेगिने देशोंकी सरकारें समस्त संसारके समवायतंत्रकी दिशामें अुठाने योग्य यह अनिवार्य कदम अुठानेको तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार पर हुआ प्रतिक्रियाओंसे और विदेशी पत्रोंकी गुमराह आलोचनाओंसे स्पष्ट हो जाता है कि भारतकी स्वतंत्रताकी स्वयंसिद्ध मांगका भी विरोध किया जाता है, यद्यपि वह मांग खास तौर पर जिसलिअे की गयी है कि मौजूदा खतरेका सामना किया जा सके, भारत अपनी रक्षा कर सके और चीन तथा रूसके संकटमें अुनकी सहायता कर सके। रूस और चीनकी आजादी अमूल्य है और अुसकी रक्षा होनी ही चाहिये। जिसलिअे अुसकी रक्षाके मामलेमें किसी भी प्रकारकी अुलझन पैदा न करने और साथ ही मित्रराष्ट्रोंकी रक्षाशक्तिको कोअी हानि न पहुंचानेके लिअे समिति आतुर है। परंतु भारत और मित्रराष्ट्रों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अैसी परिस्थितिमें निष्क्रियता अथवा विदेशी हुकूमतकी अधीनता भारतके लिअे अवनतिकारक और अुसकी अपनी रक्षा करनेकी तथा आक्रमणका सामना करनेकी शक्तिका ह्रास करनेवाली है। अितना ही नहीं, यह चीज बढ़ते जा रहे खतरेको टालनेके लिअे लाभदायक तथा मित्रराष्ट्रोंके लोगोंके लिअे सहायक नहीं है। अंग्लैण्ड तथा मित्रराष्ट्रोंकी ओरसे कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा की गयी हार्दिक अपीलका अभी तक जवाब नहीं मिला है और विदेशोंमें तथा अनेक स्थानों पर की गयी आलोचनाओंने भारत और संसारकी आवश्यकताओंके बारेमें अज्ञान प्रदर्शित किया है। और कभी कभी तो भारतकी स्वतंत्रताका विरोध भी किया गया है। यह वस्तु अुसकी जड़में रहनेवाली प्रभुत्व भोगने और अपनी श्रेष्ठताकी मनोदशाकी द्योतक है। जिस राष्ट्रको अपने सामर्थ्य और अपने ध्येयकी न्यायपूर्णताकी प्रतीति हो गयी है वह जिस चीजको बरदाश्त नहीं कर सकता।

“जिस अंतिम क्षणमें संसारकी मुक्तिके हितमें यह महासमिति ब्रिटेन और संयुक्त राज्योंसे फिर अेक बार अपील करती है। परंतु अपने पर हुकूमत करनेवाली और अपने तथा मानवताके हितके लिअे काम करनेमें बाधा डालनेवाली साम्राज्यवादी तथा निरकुंश सरकारके विरुद्ध अपने संकल्पको सफल बनानेके लिअे अुत्साहित हुआ प्रजाको अब अधिक समय तक रोक रखनेका समितिको वास्तविक कारण दिखायी

नहीं देता। जिसलिये समिति मुक्ति और स्वतंत्रताके अैसे हकके लिये, जिसे दूसरेके सुपुर्द नहीं किया जा सकता, बड़ेसे बड़े पैमाने पर अहिंसा द्वारा संचालित संग्रामकी स्वीकृति देती है। इस प्रकार देश शांतिपूर्ण लड़ाईके पिछले पन्चीस वर्षोंमें प्राप्त समस्त अहिंसक शक्तिको काममें ले सकेगा। इस प्रकारके युद्धकी बागडोर गांधीजी संभालें, यह अनिवार्य है। जिसलिये समिति उनसे आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण करके उसके सिलसिलेमें जो कार्यवाजी करनी हो उसमें जनताका मार्गदर्शन करनेकी प्रार्थना करती है।

“समिति भारतवासियोंसे सिर पर आनेवाले कष्टों और तकलीफोंका हिम्मत और सहिष्णुतासे सामना करने, गांधीजीके नेतृत्वमें मिलकर काम करने और भारतकी स्वतंत्रताके अनुशासनबद्ध सैनिकोंकी भांति उनके आदेशोंका अनुसरण करनेकी अपील करती है। अन्हें यह बात याद रखनी है कि अहिंसा इस लड़ाईका मुख्य आधार है। संभव है गांधीजीके आदेश प्रकाशित होने भी न पायें। यह भी संभव है कि आदेश जारी होने पर भी वे लोगों तक न पहुंचें और असा समय भी आ जाय कि कांग्रेसकी स्थानीय समितियोंका काम ठप हो जाय। अैसे समय लड़ाईमें भाग लेनेवाले सभी स्त्री-पुरुषोंको जो साधारण सूचनाओं मिलें उनकी मर्यादामें रहकर खुदको सूझे वैसे काम करते रहना चाहिये। जो भारतकी मुक्तिके लिये अत्सुक हैं और उसके लिये परिश्रम करते हैं, अन्हें अपना पथप्रदर्शक आप ही बनना है। और जिस कठिन मार्ग पर आश्रयका कोअी स्थान नहीं और जिसका अन्त भारतकी मुक्ति प्राप्त हुअे बिना नहीं होगा, उस पर अन्हें अपनी बुद्धिसे चलना है।

“अन्तमें, अखिल भारतीय महासमितिके यद्यपि स्वतंत्र भारतके शासनतंत्रके बारेमें अपनी राय प्रगट कर दी है तो भी वह सभी संबंधित लोगोंके सामने स्पष्टीकरण कर देना चाहती है कि इस प्रकार जनताका संग्राम छेड़नेमें समितिका आशय कांग्रेसके लिये सत्ता प्राप्त करना नहीं है। सत्ता जब आयेगी तब समस्त भारतवासियोंके हाथमें रहेगी।”

सूची

अडवाणी २४

अविन, लार्ड ५०, ११४; —का गांधीजी के साथ समझौता ५०-५४; — भगतसिंहकी फांसीके बारेमें ५७
अहमदाबाद ५८७

आंध्र ९६

आनंदी २३

आसाम ३७९

अिमसन ६७-६८, ८७

अुड़ीसाके गवर्नरके कामचलाजू
अुत्तराधिकारीका झगड़ा ३५२-
३५३

अेल्विन ९३

ओ'गोरमन २६

करमसद ४२

कांग्रेस—और सन् १९३४ के चुनाव
२२३-२२४; —और '३७ के
चुनाव २५६-२५९; —और '३७ में
पदग्रहणका सवाल २६६-२७२;
—का गांधीजीसे अहिंसाके बारेमें
मतभेद ५९४-५९५; —का
द्वितीय विश्व-युद्धके घ्येयोंके
स्पष्टीकरणकी मांग करनेवाला
घोषणापत्र ५३१-५३७; —की
किसान-आन्दोलनके बारेमें नीति
३३५-३३६; —की देशी राज्योंके

प्रश्नके बारेमें नीति ३३३-
३३४; —की संघ-शासनके
बारेमें नीति ३४३; —द्वारा
गोलमेज परिषद् (१) में हुअी
कार्रवाअीका अस्वीकार ४९;
—साम्प्रदायिक और दूसरी मुसी-
बतोंको लोकतांत्रिक ढंगसे हल
करनेका अेकमात्र साधन संविधान
बनानेवाली लोकसभाको मानती
है ५५१

कांग्रेस, कराची ५६-६४; —का
भगतसिंह और अुनके साथियोंके
बारेमें प्रस्ताव ६३; —का
स्वराज्यके मौलिक अधिकारों-
संबंधी प्रस्ताव ६३; —के समयकी
परिस्थिति ५७

कांग्रेस, त्रिपुरी ५२०-५२६; —में
अध्यक्षको नापसन्द प्रस्ताव पास
और अध्यक्षका प्रस्ताव नामंजूर
हो गया ५२१

कांग्रेस, फैजपुर २६०-२६४

कांग्रेस, बम्बअी ('३४ की) २२१-
२२२

कांग्रेस, रामगढ़ ५६०-५६१; —
का युद्धके कारण पैदा हुअी
नाजुक स्थिति और सविनय
कानून-भंगके बारेमें प्रस्ताव
५६०

कांग्रेस, लखनऊ २५३-२५४
 कांग्रेस, लाहौर ३; —का पूर्ण
 स्वाधीनता दिवस मनानेका
 आदेश ३
 कांग्रेस, हरिपुरा ३२४-३५०; —की
 व्यवस्था ३२४-३३०; —में
 किसान-सभाओंके संघटनके बारेमें
 कांग्रेसकी नीतिका स्पष्टीकरण
 ३३५; —में देशी राज्योंमें
 राजनैतिक संस्थाओं कायम करने
 का प्रस्ताव ३३३; —में फेडरे-
 शनको अस्वीकार किया गया
 ३३४; —में युक्त प्रान्त और
 बिहारमें मंत्रिमंडलों द्वारा दिये
 गये त्यागपत्रों और अनुसे पैदा
 हुयी परिस्थितिके बारेमें प्रस्ताव
 ३३७, ३४१
 कांग्रेस कार्यसमिति —का डॉ० खरेके
 खिलाफ प्रस्ताव ३६२-३६३;
 —का सुभाष बाबूके खिलाफ
 अनुशासन-भंगका प्रस्ताव ५२६;
 —की क्रिप्सके साथ संघिवार्ता
 ६०८-६०९; —के सदस्योंकी गिर-
 फ्तारी (४२) ६३७; —के सदस्योंने
 त्यागपत्र दिये ५२०; —ने नरी-
 मानको अयोग्य ठहराया ३२२;
 —भारतसे अंग्रेजी हुकूमतके चले
 जानेका प्रस्ताव करती है ६२६-
 ६२७
 कानूगा, डॉ० ९, २३, २५
 कानूगा, नंदूबहन ९, २३
 कालेलकर, काका २८; —ने गांधीजी-
 की सलाह लेकर विद्यापीठ पुस्त-

कालय अहमदाबाद म्युनि० को
 सौपा १९८-१९९
 कावसजी जहांगीर, सर २९७
 कृपालानी, आचार्य १०, २१,
 २८४
 केडल, सर पैट्रिक —का डेबरभाओके
 साथ समझौतेका प्रयत्न ४१०;
 —की सरदारसे मुलाकात ४१५;
 —राजकोटके दीवान नियुक्त हुअे
 ४०३; —राजकोट छोड़कर गये
 ४२८
 कोठारी, मणिलाल २६, २८
 क्रिप्स, सर स्टेफर्ड —का पालियामेण्टमें
 भारतके सवाल पर सहानुभूति-
 पूर्ण भाषण ५५२-५५४; —का
 संघिवातके लिअे भारतमें आना
 ६०४; —की संघिवार्ता निष्फल
 हुयी ६०४-६०९; —के प्रस्ताव
 ६०६-६०८
 क्रेक, सर हेनरी २४४
 खरे, डॉ० —और महाकोशलके मंत्रियोंमें
 मतभेद ३५७; —के खिलाफ कार्य-
 समिति द्वारा अनुशासन-भंगका
 प्रस्ताव ३६२; —ने त्यागपत्र
 दिया (पहली बार) ३६०, (दूसरी
 बार) ३६१; —ने दुबारा नेता-
 पदके लिअे अुम्मीदवार होनेका
 अिरादा जाहिर किया ३६२;
 —ने समझौतेकी शर्तोंका पालन
 नहीं किया ३५९
 खान अब्दुल गफ्फारखां ९३
 खान साहिब, डॉ० ९३, ३७९

गांधी-अविन संधि ५०-५४; —और नमकके बारेमें सरकारकी आंरसे अड़ंगे ७०; —और बारडोलीमें लगानकी वसूलीके सिलसिलेमें सरकार द्वारा अत्याचार ७५-७७; —और युक्त प्रांतमें किसानों पर अत्याचार ९०-९१; —का कांग्रेस द्वारा पालन और सरकार द्वारा भंग ६७-८०; —की जमीन के लगानकी वसूलीसे संबंधित शर्तका सरकारकी ओरसे भंग ७६-७७; —की त्यागपत्र देने-वाले पटेल-पटवारियोंको वापिस लेनेवाली शर्तके पालनमें सरकारकी ओरसे अड़ंगे ७१; —की पिकेटिंग-संबंधी शर्तका सरकार द्वारा भंग ६९-७०; —के बारेमें गांधीजी ५३-५४, ५९; —के भंगमें गैरेटका हिस्सा ८७

गांधीजी —अहिंसा विषयक मतभेदके कारण कांग्रेसका नेतृत्व करनेकी जिम्मेदारीसे मुक्त हुए ५९६; —का यरवडा जेलका जीवन ('३२-'३३) १०८-१५९; —का राजकोट काण्डमें भारतके प्रधान न्यायाधीशके हाथों प्राप्त हुए फँसलेके लाभ छोड़नेका निर्णय ४७५; —का वफादारीकी शपथके बारेमें स्पष्टीकरण २७१; —की अविनके साथ संधि ५०-५४; —की कांग्रेस द्वारा पदग्रहणके बारेमें सलाह २६७; —की गिर-फ्तारी ('३२) १०३, ('४२)

६३७; —की नरीमान-प्रकरणमें बहादुरजीके निर्णयके साथ संमति-सूचक टिप्पणी ३१५-३१७; —की युद्ध आरंभ होते ही वाअिसराँयसे मुलाकात ५२७; —गोलमेज परिषद् (दूसरी) से खाली हाथ लौटे ९८; —द्वारा अलाहाबादकी महासमितिकी बैठकमें ('४२) भेजे गये प्रस्तावका मसौदा ५१३-५१५; —द्वारा कांग्रेसकी ब्रिटेन को भारत छोड़कर चले जानेको कहनेवाली नीतिका स्पष्टीकरण ६२१-६२३; —द्वारा क्रिप्सके प्रस्तावोंका अस्वीकार ६०५; —द्वारा खरे प्रकरणके सिलसिलेमें कार्यसमितिकी अखबारों द्वारा की जा रही आलोचनाका जवाब ३७०-३७१; —द्वारा स्वराज्यकी बानगीके तौर पर सरकारसे ग्यारह मुद्दोंवाली मांग ४; —ने सविनय कानून-भंग स्थगित किया २१३; —ने सुभाषबाबूके खिलाफ पट्टाभिकी हारको अपनी हार बताया ५१८; —भूमि अजाड़नेकी नीति और छापामार लड़ाईके बारेमें ६१४

गांधी, देवदास ३३, ४४१

गांधी, रामदास १६१

गिन्सन (रेजीडेण्ट) ४०२, ४०४, ४०९, ४१५, ४२७, ४२८, ४३४, ४५२, ४५६, ४६४

गुलाटी, रामदास ३२५, ३२६

गुजरात विद्यापीठका पुस्तकालय—

काकासाहबने अहमदाबाद म्युनि०
को सौपा २००; —सरदारने
वापिस लिया २०२-२०४
गैरेट २८, २९, ६९, ८७; —की
जब्त की हुआ जमीनें वापिस
करनेके बारेमें विरोधी नीति
२७३
गॉर्डन ८३, ८४
गोलमेज परिषद् (पहली) ४९; —के
अद्देश्य ४; —में भाग लेनेकी
शर्तें ४०-४१
गोलमेज परिषद् (दूसरी) —में जानेका
गांधीजीका निर्णय ८२; —में
जानेके आमंत्रणका गांधीजी द्वारा
अस्वीकार ८०; —से गांधीजी
खाली हाथ वापिस आये ९८
गोले ३६०
ग्वायर, सर मॉरिसका निर्णय ४६७-
४६८
घटगांव ९५
चांपानेरिया २७
चोत्रियराम, डॉ० ५६
बंजीबार ३४६
जयकर ८२; —और सप्रूके समझौता
करानेके प्रयत्न ३९-४१
जयपुर ३८४
जयरामदास ५६
जलालपुर ४२
जिन्ना १६, २४२, २५७
जेटलैण्ड, लार्ड —का लार्डसभामें
बोलते हुअे कांग्रेसके खिलाफ
आक्षेप ५३९

जोशी (मजिस्ट्रेट) २२
टेलर २६
ठाकुर छेदीलाल ३६०
डेविस २२
ढाका ९६
ढेवर, अुछरंगराय ३९७, ३९८, ४०३,
४१०
तलाटी, गोकुलदास २६, २७
बरबार गोपालदास २६, ४९७
दादुभाभी २४
दिवेटिया, नरसिंहराव ५८
दुर्लभजीभाभी ७१
देवघर ३६
देशमुख, डॉ० २९७; —की नरीमानका
चुनाव-खर्च देनेकी तैयारी २९७
देशमुख ३६०, ३६१
देशी राज्योंमें जागृति ३८४-३८५;
—और बड़ीदा (देखो बड़ीदा);
—और माणसा ३९३-३९५;
—और मंसूर ३८८-३९२; —और
राजकोट (देखो राजकोट सत्या-
ग्रह);—और लीमड़ी(देखो लीमड़ी)
देसावी, दिनकरराय २३४
देसावी, भूलाभाभी ८३, २२४, २९७,
२९८
देसावी, महादेवभाभी १०, २१, २३-
२४, २६, ४४७
देसावी, मोरारजी ७१, २३३
देसावी, डॉ० हरिप्रसाद २६
धरासणा ३६
नटराजन ३६

नरीमान २२३; —और सरदारके पारस्परिक आक्षेपोंकी बहादुरजी द्वारा जांच और निर्णय ३०९-३१५; —का कार्यसमितिके प्रस्तावके बारेमें वक्तव्य २७६; —का गांधीजीसे निष्पक्ष न्याय करनेका अनुरोध २९३; —का चुनावके दिनका व्यवहार और चुनाव पर अुसका परिणाम ३०३; —का सन् '३७ में अपने नेता न चुने जाने पर पहला निवेदन २७४-२७५; —का सरदारके दो तारोंके बारेमें कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलालजीको पत्र २७७-२७८; —की गांधीजी और बहादुरजीका निर्णय माननेकी तैयारी २९०; —की पारसी मत-दाताओंसे कुछ वोट कांग्रेसी अुम्मीदवारको देनेकी अपील ३०२; —को कार्यसमितिके अयोग्य ठहराया ३२२; —दोषी पाये गये ३१५; —द्वारा गांधीजीके पहली अगस्तके पत्रका बादमें विरोध और गांधीजीका अुत्तर २९२-२९३; —ने अपना अुम्मीद-वारीपत्र वापिस ले लिया ३००; —ने गलत अुम्मीदवारी-पत्र भरा २९८; —पर सरदारके आक्षेप ३०४-३०५

निमूबहन २७

नेहरू, जवाहरलाल ६०, ३९६, ५८०; —और समाजवादी २५५; —का क्रिप्सको अुत्तर ६०९; —का

नरीमानको अुनकी स्वतंत्र जांच-की मांगके बारेमें कड़ा पत्र २८५; —का नरीमानको जवाब २८०; —का फँजपुर कांग्रेसके अध्यक्षीय चुनावके वारेमें निवेदन २६२-२६३; —कार्यसमितिके अपने मतभेदके बारेमें २५४; —द्वारा जेटलैण्डकी आलोचनाका जवाब ५८०; —द्वारा नरीमान-कांडके मिलसिलेमें पत्रोंमें हो रहे प्रचारके बारेमें निवेदन २८०; —द्वारा भूमि अुजाड़ने और छापामार युद्ध चलानेकी हिमायत ६१४

नेहरू, मोतीलाल ५०

पटवारी, रणछांडदास १४३

पटेल, डाह्याभाजी १८०, १८१, १८५, १८६, १८७, १९७

पटेल, डॉ० भास्कर २०५, २०६, २०७

पटेल, पशाभाजी ३२६

पटेल, मणिबहन २४, १७९, १८०, १८२, १८३, १८४, १८५, १८८, १९०, १९४, ४३९, ४४०, ४४१

पटेल, वल्लभभाजी —अहिंसा पर गांधीजीके साथ अपने मतभेदके विषयमें ५६६-५६७; —और खरे-प्रकरण (देखो खरे); —और नरीमान-कांड (देखो नरीमान); —और बारडोलीकी जांच ८३-८६; —और माणसाकी प्रजाका आन्दोलन ३९३-३९५; —और मैसूरकी प्रजाका आन्दोलन ३८८-

३९२; -और राजकोटका सत्याग्रह (देखो राजकोटका सत्याग्रह); -कराची कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये ५६; -कांग्रेसके स्थानापन्न अध्यक्ष ३८; -का आग्रह कि ज्वत् की हुआ सब जमीनें वापिस मिलनी ही चाहिये ५२; -का '४१ का जेल-जीवन ५८२-५८५; -का कांग्रेसके अध्यक्षपदकी अुम्मीद-वारीसे अपना नाम वापिस लेना २६०; -का कार्यसमितिसे त्यागपत्र ५२०; -का कुछ बातोंमें विस्मयजनक अज्ञान ११७; -का गांधीजीके अपवासके बारेमें सर पुरुषोत्तमदासको लिखा हुआ पत्र १५५-१५७; -का गुजरातके साथियोंको संदेश २२९-२३०; -का गुजरात प्रान्तीय समितिको मार्गदर्शन (सन् '४२) ५९९-६००; -का जवाहरलालजीसे मतभेद २६०; -का बर्कन हेडको जवाब ८; -का बापूके खिलाफ मीठा क्रोध १४३-१४४; -का बोरसद प्लेग-निवारण कार्यके विषयमें सरकारी विज्ञप्तियोंका जवाब २१०; -का भारतकी परिस्थितिके विषयमें गांधीजीको तार ९५-९६; -का महासमितिके महत्त्वपूर्ण भाषण ६३३-६३६; -का यरवडाका जेलजीवन १०८-१५९; -का विट्टलभायीकी अंत्येष्टिके लिये

सरकारकी शर्तों पर छूटनेसे अनिकार १७५; -का शरदबाबूके आक्षेपोंका जवाब ५२३; -का संस्कृत-भाषाका अध्ययन १२४, १२५, १२८; -का समाजवादियों के प्रति रवैया २३५-२३७; -का साबरमतीका जेलजीवन १८-३३; -की गिरफ्तारी ('३०)९, ('३२) १०३, ('४१) ५८२, ('४२) ६३७; -की गुजरातियोंको समाजवादके कोरे पुस्तक-पांडित्यमें फंसनेके खिलाफ चेतावनी २३०; -की जेलमुक्ति ('३४) २२९; -की डाह्याभायीको सलाह १८१-१८२; -की नाककी पीड़ा १७१-१७२; -की बीमारी और जेलमुक्ति ('४१) ५८८-५८९; -की मैकडोनाल्डके निर्णयके विरुद्ध आगाही १२१; -की सिधमें कांग्रेसकी नीतिके विषयमें सलाह ३७९-३८०; -के खिलाफ कराचीमें विरोध-प्रदर्शन ५८; -के साथ आंबेडकरकी सूचनाके बारेमें गांधीजीकी चर्चा १५४; -के साथ जेलमें अनुचित व्यवहार ('३३) १७२-१७३; -को अहमदाबादमें हुअे साम्प्रदायिक अपद्रवोंसे दुःख ५८७-५८८; -को अहिंसाके मुद्दे पर कांग्रेसमें से न निकलनेकी गांधीजीकी सलाह ५९८; -क्रिप्स-प्रस्तावोंके विषयमें ६११; -गांधीजी और वाजिसरायकी

निष्फल मुलाकातके बारेमें ५५८;—जमींदारोंके बारेमें २५१;—जेलके कैदियोंके वर्गीकरण और अनुकी खुराकके बारेमें २६-३०;—द्वारा देशी राज्योंके बारेमें कांग्रेसकी नीतिका स्पष्टीकरण ३३३-३३४;—द्वारा संयुक्त प्रांतके किसानोंको मार्गदर्शन २५२-२५३;—द्वारा सुभाष बाबूके कांग्रेसकी अध्यक्षताके लिअे दुबारा खड़े होनेका विरोध ५१०-५१५;—ने चाय छोड़ दी १०८;—ने बीड़ी छोड़ी ९;—पर भाव-नगरमें हमलेका प्रयत्न ५०३;—पार्लमेण्टरी वोटके अध्यक्ष नियुक्त हुअे २५७;—'४२ के स्वातंत्र्य-युद्धमें प्रजाके धर्मके बारेमें ६३१-६३२

पटेल, विठ्ठलभाजी १७४-१७७;—के बिलका झगड़ा १७८

पाणशीणा ४९२, ४९४

फतह मुहम्मदखां ४३९, ४४२, ४४५, ४४८, ४४९, ४५५, ४६०

फौजदार, डॉ० २५

बंगाल ९३-९५, ९६

बजाज, जमनालालजी २८, १४८-१४९, ५९०-५९१

बड़ोदा ४८०-४९०;—राज्यकी परिस्थितिके विषयमें सरदार ४८३-४८५;—राज्यकी प्रजामण्डलको कुचल डालनेकी नीति ४८२

बहादुरजी २९५, २९६, ३०९, ३१२, ३१५, ३१७

बारडोली ४१, ७५-७६;—की जांचमें से कांग्रेस हट गयी ८६;—में हुआ सरकारी अत्याचारोंकी जांच ८३-८६

बिलीमोरिया १५, १८

बिहार—के कांग्रेसी मंत्रिमण्डलका त्यागपत्र ३३६;—के मंत्रिमण्डलके साथ सरकारका समझौता—३४४;—में भूकम्प २१३

बेन्थल ११३

बोरसद ४१, ४७-४९, ५१;—में प्लेग २०५;—में प्लेग-निवारणके लिअे कांग्रेसका काम, सरकारी आक्षेप और अनुका जवाब २०६-२११

बोस, नंदलाल २६४, ३२५, ३२७-३२८

बोस, शरदचंद्र ५२२

बोस, सुभाषचंद्र ६०, ३२८, ५६२;—का अध्यक्षपदसे त्यागपत्र ५२५;—का कांग्रेसके खिलाफ प्रचार ५२५-५२६;—की अध्यक्षगदके लिअे दूसरी बार अुम्मीदवारी ५०९;—के खिलाफ अनुशासन-भंगका प्रस्ताव ५२६;—को ना-पसंद प्रस्ताव पास हो गया ५२१;—द्वारा फारवर्ड ब्लाककी स्थापना ५२६

ब्लेत्सफर्ड ४७

भगतसिंह ५८, ६२

भावनगरमें प्रजामण्डलका अधिवेशन
५०३-५०८

मथुरादास त्रिकमजी २९९
मद्रासके मंत्रिमण्डलका त्यागपत्र ५४६
मध्यप्रान्तके मंत्रिमण्डलके झगड़े
३५७-३६५

मनसुखलाल २४, २८
मशरूवाला, किशोरलाल २७१
महेता, जमशेद ५६
माणसा ३९३-३९५
माणकलाल, रा० सा० ४२९, ४३२,
४३९

मालवीय, पं० मदनमोहन १६, ३८,
११४, १४६; —का भारतकी परि-
स्थितिके विषयमें तार १०३-१०८
मावलंकर, दादासाहब १४, १५, २३
मुकजी, मन्मथनाथ ३५६
मुन्शी, कन्हैयालाल २९९, ३०३
मुन्शी, लीलावती ३०३
मुस्लिम लीगका पाकिस्तानका प्रस्ताव
५६२

'मैचेस्टर गार्डियन' ४७

मैसूर ३८८-३९२

युक्त (संयुक्त) प्रांत ६७, ६९, ७९;
—के कांग्रेस मंत्रिमण्डलका त्याग-
पत्र ३३६; —के किसानोंको
सरदारका मार्गदर्शन २५०-२५३;
—के मंत्रिमंडलके साथ सरकारका
समझौता ३४४

रंगाचारी १२१

राजकोट सत्याग्रह ३९६-४८०;
—के सम्बन्धमें गांधीजीका उप-

वास ४५०-४६६; —के सिल-
सिलमें केडल और सरदारकी
मुलाकान ४१५; —के सिल-
मिलमें सरदार और राजकोटके
कैदियोंका अपवास ४४४; —में
कस्तूरबाकी गिरफ्तारी ४४०;
—में केडलका डेवरभाजीके साथ
समझौतेका प्रयत्न ४१०; —में
ठाकुर साहबका वचन-भंग
४२८-४३२

राजेन्द्रप्रसाद २४२, ३५७, ३६०,
५२५, ५२६, ५५०

रायम ८५

रास ९, १०, ६८, ८७-८८

रामली, सर रॉजरके साथ सरदारकी
मुलाकात २४५

लाखाजीराज ३९६

लाला, भोगीलाल ८३

लिनलिथगो, लार्ड —और गांधीजीका
(अपनी चौथी और निष्फल) मुला-
कातके विषयमें संयुक्त निवेदन
५५५-५५६; —और गांधीजीकी
मुलाकात ५२७; —की युद्धके
अुद्देश्योंके बारेमें घोषणा ५४१;
—की युद्धके विषयमें घोषणा
५२९

लीमडी —की प्रजाकी हिजरत ४९९;
—के बारेमें सरदारका निवेदन
४९३; —में प्रजा-परिषद्के
आयोजनके खिलाफ राज्य द्वारा
गुंडों और फसादी तत्त्वोंका
अुपयोग ४९६-४९९

लेक्स्टन २४

बालेरावाला ४४०

विनोबा ५८०

विलिंग्डन, लार्ड ६५, ११४

वीरावाला, दरबार ३९९, ४३६,

४४८, ४४९, ४५३, ४५८,

४६६, ४६७, ४७४, ४७५;

—की गांधीजीसे बातचीत ४४८;

—की दीवानके पद पर पुनः

नियुक्ति ४२८; —ने संधिका

भंग कराया ४२६

वंद्य, गंगाबहन ५१

शरीफ साहब ३५४-३५७

शाह, के० टी० ३०४

शाह, फूलचंद बापूजी १९२-१९३

शुक्ल, रविशंकर ३६०

सपू, तेजबहादुर ८२, १२९

सिध ३७९-३८०

सिद्धापुर ४२

सीमाप्रान्त (सरहद प्रांत) ७४, ९३,

३७९

सुखड़िया, रमणीकलाल १७९, १८६

मैकी, लार्ड ११४

हलेन्डा ४४२

हिजली ९४, ९५

होर, सर सेम्युअल ९७, ११४ ५४६-

५४८

हमारा पत्र-साहित्य

बापूके पत्र — १

आश्रमकी बहनोंको

संपा० काका कालेलकर; अनु० रामनारायण चौधरी

बापूने ये पत्र सावरमती आश्रमकी बहनोंको लिखे थे । अिन पत्रोंमें शुरूसे आखिर तक हृदयकी शिक्षाकी ही बात है । भारतकी बहनोंको अपना घरेलू और सामाजिक जीवन अुन्नत बनानेकी अिनमें कीमती सामग्री मिलेगी ।

की० १-४-०

डाकखर्च ०-५-०

बापूके पत्र — २

सरदार वल्लभभाजीके नाम

अनु० रामनारायण चौधरी

अिस पुस्तकमें नवीन भारतके निर्माणमें महत्त्वपूर्ण भाग लेनेवाले दो महापुरुषों — गांधीजी और सरदार पटेल — के बीच हुए ता० ८-७-'२१ से २९-१२-'४७ तककी पूरी अेक पीढ़ीके अरसेका पत्रव्यवहार आ जाता है । अिन पत्रोंकी विशेषता अिसीमें है कि ये “अेक बहादुर योद्धा और वफादार साथीको लिखे गये थे, जिनकी विवेकशक्ति और व्यवहार-कुशलतामें बापूको बड़ा विश्वास था ।” अिन पत्रोंसे पाठकोंको बहुत कुछ जानने-सीखनेको मिलेगा ।

की० ३-८-०

डाकखर्च १-४-०

बापूके पत्र मीराके नाम

अनु० रामनारायण चौधरी

यह अेक आध्यात्मिक पिताका अपने ठोकर खाते हुअे बच्चेको दिया हुआ अत्यन्त सीधासादा और प्रेमपूर्ण अुपदेश है । अिन पत्रोंमें बापूके जीवनके पिछले २२ वर्षोंका प्रतिबिम्ब है । सबको दिखाओ देनेवाला भव्य और प्रभावशाली बाह्य जीवन नहीं, बल्कि वह आन्तरिक व्यक्तिगत जीवन, जो बाहरी दुनियाके तमाम बखेड़ोंसे प्रभावित हुअे बिना आध्यात्मिक खोजके अपने संतुलित और सीधे मार्ग पर चलता रहा ।

की० ४-०-०

डाकखर्च १-३-०

4

320.54092 अवाप्ति सं. ~~5606~~
पटल ACC. No. ~~5606~~

वर्ग सं. पुस्तक सं.
Class No..... Book No.....

लेखक
Author.....

शीर्षक
Title.....

H
320.54⁰⁹² LIBRARY **5606**
पटल **LAL BAHADUR SHASTRI**
National Academy of Administration
भाग 2 **MUSSOORIE**

Accession No. 121872

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.